सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१९

(नवम्बर १९२० – अप्रैल १९२१)

काशी विद्यापीठके उद्घाटन-अवसरपर : मोतीलाल नेहरूके साथ

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१९

(नवम्बर १९२० - अप्रैल १९२१)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

इस खण्डकी व्याप्ति १९ नवम्बर, १९२० से १३ अप्रैल, १९२१ तक की है। यह अवधि एक बड़ी व्यस्त अवधि है जिसमें गांधीजीने असहयोग आन्दोलनको एक नई दिशामें आगे बढ़ाया। इसके पहलेके छः महीनोंमें गांधीजीने शासनकी तत्कालीन प्रणाली-के विरोधमें जनताको जागृत किया और वह जागी। अब उनके सामने यह सवाल था कि इस राष्ट्रीय जागृतिको वे किसी रचनात्मक काममें लगा दें। दिसम्बरके अन्तिम सप्ताहमें कांग्रेसका नागपुर अधिवेशन हुआ और वहाँ गांधीजीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय संघर्षका एक नया उद्देश्य अंगीकार किया गया। कहा गया "इस राष्ट्रीय सभाका उद्देश्य स्व-राज्य प्राप्त करना है और उसे प्राप्त करनेका उपाय यही है कि हमारे साधन न्याययुक्त, शुद्ध और शान्तिपूर्ण हों।" (पृष्ठ १६२, १६८) इन शब्दोंसे नागपुर अधिवेशनमें अहिंसा और विकासशील असहयोगसे सम्बन्धित उस प्रस्तावमें पुनः अपना विश्वास प्रकट किया जो उसने सितम्बर १९२० में कलकत्ताके विशेष अधिवेशनके समय पास किया था। इस प्रस्तावमें जनतासे इस बातकी अपील भी की गई कि वह अपने संघर्षको तीव्र करे। साथ ही कांग्रेसने ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर आधारित अपना एक संविधान भी बनाया, ताकि कांग्रेसको एक जबरदस्त संस्थाका रूप देकर उसे कारगर कदम उठाने-का साधन बनाया जा सके। इसके बाद पुनः बेजवाडाकी बैठकमें ३१ मार्च, १९१९ को अखिल भारतीय कांग्रेस समितिने एक निश्चित कार्यक्रम जनताके सामने रखा और उसके पूरे होनेकी अवधि ३० जून, १९२१ तय की गई।

कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके कतिपय दिनोंको छोड़कर छः महीनोंकी इस अवधिमें, गांधीजी देशका दौरा करते रहे और उन्होंने पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और दक्षिणमें जगह-जगह हजारों लोगोंको सभाओंमें कांग्रेसके कार्यक्रमसे परिचित कराया। उन्होंने वैसे तो देशकी समस्त जनतासे आन्दोलनमें शामिल होनेके लिए कहा, किन्तु विशेष रूपसे उनका सन्देश देशके तरुणोंके नाम ही था। अस-हयोग आन्दोलनका एक प्रमुख कार्यक्रम था सरकारी स्कूलों और कालेजोंका बहिष्कार। गांधीजीने विद्यार्थियोंसे इन्हें बिलकुल खाली कर देनेके लिए कहा और यह भी कहा कि उन्हें अपने जीवनपर जीविकाकी दृष्टिसे विचार करनेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रचलित शिक्षा-पद्धतिको वे अस्वीकार्य मानें, इसलिए नहीं कि वह खराब है — खराब तो वह निश्चय ही है, किन्तु वह मलिन भी है, यहाँतक कि 'पापयुक्त' है। वह एक पापमय शासन पद्धति द्वारा देशपर थोपी गयी है और इसलिए वह शिक्षा-पद्धति स्वयं भी पापमय है। गांधीजीकी अपीलपर तमाम विद्यार्थियों-ने स्कूल और कालेज छोड़ दिये और जहाँ-तहाँ राष्ट्रीय शालाएँ और महाविद्यालय खुलने लगे। इनमें चरित्र-संगठन और रचनात्मक सेवापर जोर दिया जाता था। ऐसी संस्थाओंके विद्यार्थियोंके सामने दिये गये जो भाषण इस खण्डमें शामिल किये गये हैं,

उनसे यह बात स्पष्ट हो जायेगी। (देखिए शीर्षक ४३, ६८, १२६, १४४, १५९, १७२, १७६, २२६ और २७४)

इस अवधिमे विद्यार्थियोके प्रति गाधीजीकी अपील और अस्पृश्यता-निवारणकी दृष्टिसे किये गये आन्दोलन आधुनिक और परम्परावादी, दोनो ही प्रकारके नेताओको पसन्द नही आये। यद्यपि मदनमोहन मालवीय भी गाधीजीकी तरह भारतीय जीवन पद्धतिके बडे प्रेमी थे, तथापि उन्हे ऐसा लगता था कि प्रचलित शिक्षा प्रणालीसे राष्ट्रीय जागृति साधी जा सकती है और उन्होने अपने इसी विश्वासके कारण बरसो अथक परिश्रम करके बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापना भी की थी। गाधीजी-ने जब यह कहा कि हिन्दू विश्वविद्यालय सरकारी नियमोके अनुसार न चले, तो माल-वीयजीको उनके इस कथनके निर्दोष होनेमे बडा सन्देह उत्पन्न हुआ। उन्होने इसे गलत कहा। गाधीजीने बनारसमे विद्यार्थियोके सामने जो भाषण दिया (पृष्ठ २४-३१) उसमे उन्होने इस मतभेदकी विस्तृत चर्चा की और यह भी कहा कि विद्यार्थी श्री मालवीयजीकी बातको बहुत ध्यानके साथ सुने और यदि उन्हे ऐसा लगे कि उनकी आत्मा भी पापपूर्ण सत्ताके सहयोगसे विरत होनेकी दिशामे उन्हे प्रेरित कर रही है, तो वे मेरी बात सुने, अन्यथा नही। यह सिद्ध करनेके लिए कि वे जो कुछ कर रहे है, वह उनकी आत्माकी पुकार है, उन्हे देशकी परम्पराके अनुकूल अपने विद्यार्थी जीवनमे आत्मसयमका पालन करना पडेगा। विद्यार्थियोकी प्रत्येक सभामे उन्होने अनुशासन और बडोके प्रति सम्मानपूर्ण आचरणकी आवश्यकतापर जोर दिया और कडेसे-कडे शब्दोमे उन विद्यार्थियोकी भर्त्सना की जो गाधीजीसे मतभेद रखनेवाले वक्ताओकी सभा-मे गडबडी पैदा करनेकी कोशिश करते थे। तथापि गाधीजीके आलोचकोको इस सबसे सन्तोष नही हुआ। यहाँतक कि सी० एफ० एन्ड्रयूज-जैसे मित्रके सन्देहको भी वे दूर नही कर पाये। श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज ऐसा मानते थे कि गाधीजी तत्कालीन शिक्षाका बहिष्कार करके विज्ञान और सर्वसामान्य शिक्षाको नुकसान पहुँचा रहे है। गाधीजीने हरचन्द कहा कि उनका कदापि ऐसा इरादा नही है। (पृष्ठ ३६३)

फिर भी लोगोके मनमे यह बात घर करती चली गई कि गाधीजी आधुनिक प्रगतिके खिलाफ है। उनकी पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' जो दक्षिण आफ्रिकामे १९०९ मे छपी थी और जिसका अग्रेजी अनुवाद 'इडियन होम रूल' के नामसे भी प्रकाशित हो चुका था, जिसे विरोधी आलोचकोने अब जाकर देखा और उन्होने उसको आधार बनाकर यह सिद्ध करना शुरू किया कि गाधीजी दुनियाको वापस मध्ययुगमे ले जाना चाहते है। इसमे सन्देह नही कि गाधीजी आधुनिक पाश्चात्य सभ्यताके खिलाफ थे, किन्तु इसका कारण था उसका भौतिक साधनोके पीछे जरूरतसे ज्यादा पागल रहना। वे इस सभ्यताके खिलाफ इसलिए नही थे कि वह पश्चिमकी है। और उन्होने कई बार इस बातको समझाकर कहनेकी कोशिश भी की। श्री नरसिहरावके नाम लिखा हुआ उनका पत्र (पृष्ठ १८१-८५) उनकी इस दृष्टिको स्पष्ट करता है और बडी ही विनम्रता और ईमानदारीके साथ अपील करता है कि उनकी बातको ठीक-ठीक समझा जाये। उन्होने एक ओर यह कहा कि "सबसे सच्चा स्वराज्य तो अपनेपर शासन करना है — वह मोक्ष या निर्वाणका पर्यायवाची है " (पृष्ठ ८२) और यह भी कहा कि वे

जकता और अव्यवस्था फैल जायेगी। कुछ लोगोने यह भी कहा कि जनतामे इतनी शक्ति नही है कि कार्यक्रम सफल हो सके। गाधीजीने इन सारी बातोका बडे धैर्यके साथ जवाब दिया। कई बार उन्हे अपने तर्कोको दोहराना भी पडा, किन्तु हर बार उनका जवाब आत्मासे उठकर आता था और उसमे एक निष्णात पत्रकारकी कलम झॉकती थी। अराजकता, अव्यवस्था अथवा अग्रेजोके चले जानेके बाद किसी विदेशी सत्ताके आक्रमणकी आशकाका जवाब देते हुए उन्होने असहयोग आन्दोलनकी उस शक्तिमे अपना परिपूर्ण विश्वास प्रकट किया, जो उनकी समझमे देशको अहिसात्मक बनाकर आत्माको ऐसी पवित्र सामर्थ्य दे सकती थी कि देशको किसी अन्य सहारेकी आवश्यकता न रहे और वह आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। उन्होने कहा, मै किसी ऐसी निराशापूर्ण सम्भावनाकी कल्पना नही करता। श्री स्टोक्सके लेखको लक्ष्यमे रखकर उन्होने कहा कि "यदि अहिसाके रास्तेसे यह आन्दोलन सफल होता है तो अग्रेज चाहे यहाँ रहे या यहाँसे चले जाये, वे जो-कुछ भी करेगे मित्रोकी तरह ही करेगे, और जैसा दो साझेदारोके बीच किसी अच्छे समझौतेमे होता है, उसी तरह करेगे। मै अभीतक मानव-प्रकृतिकी नेकीमे विश्वास करता हूँ, चाहे वह मानव अग्रेज हो या कोई और।" (पृष्ठ १७८) इसके पहले गाधीजीको अग्रेजोसे लगातार दो कडवे अनुभव ही प्राप्त हुए थ, फिर भी उन्होने इस विश्वासको नही छोडा कि अग्रेजो और भारतीयोके बीच परस्पर समानताके आधारपर समझौता हो सकता है, और इसीलिए नागपुर काग्रेसने अपने नये सिद्धान्तकी स्वीकृतिके बावजूद राष्ट्रमण्डलमे स्वतन्त्र भारतके समान-हैसियतसे एक हिस्सेदार बने रहनेकी सम्भावनाका मार्ग खुला हुआ रखा।

जहाँतक अमलमे लानेका सवाल है, नागपुर काग्रेसमे जो ११ मुद्देवाला कार्यक्रम निश्चित हुआ था, वह बहुत सफल नही हुआ। फिर भी गाधीजीकी दृष्टिसे इतना काफी था कि भारतमे ब्रिटिश सत्ता जिस प्रतिष्ठापर आधारित थी, उस प्रतिष्ठाकी नीव हिल गई। यह स्वाभाविक था कि गाधीजी ड्यूक ऑफ कनॉटकी भारत यात्राका उपयोग सत्ताको अपनी खोई हुई प्रतिष्ठाकी पुन स्थापना करनेकी दिशामे नही होने देना चाहते थे और इसलिए इस बातका खतरा उठाकर भी कि उनपर ड्यूकके प्रति अशिष्ट होनेका आरोप लगाया जायेगा, उन्होने ड्यूकके सम्मानमे होनेवाले सारे कार्यक्रमो और उत्सवो-का बहिष्कार करनेकी सलाह जनताको दी। इस तरह सरकारके विरोधमे सघर्पका वातावरण तैयार हो गया और ३१-३-१९२१ को अखिल भारतीय काग्रेस समितिकी बैठकमे एक ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया गया जिसके अमलसे देशकी समस्त प्रौढ जनताके साथ काग्रेसका सम्पर्क सब सकता था। किन्तु असहयोग आन्दोलनका अन्तिम आधार तो नैतिक पवित्रता ही था, इसलिए गाधीजीकी यही मान्यता थी कि देश नैतिक दृष्टिसे जिम हदतक ऊँचा उठेगा, उसी हदतक राजनैतिक आन्दोलन भी सफल होगा। वे राजनीतिक कार्यको तपश्चर्या ही मानते थे। उन्होने राष्ट्रीय सप्ताहको किस तरह मनाया जाये, यह समझाते हुए लिखा "सत्यका अधिक आग्रह करके, अधिक दृढ बनकर, अधिक नम्र तथा शुद्ध बनकर और अधिक शक्ति प्राप्त करके ही [यह सप्ताह] मनाया जाना चाहिए। इस सप्ताहमें ऐसे उपायोकी योजना करना भी हमारा विशेष

कर्त्तव्य है जिससे कि १३ तारीखको जो अत्याचार हुए थे वे फिर न होने पायें। यह सप्ताह शुद्ध तपश्चर्या, भक्ति और फकीरीका होना चाहिए। उस सप्ताहमें हमें अपनी सब भूलोंके लिए ईश्वरसे और जिनके प्रति हमने वे भूलें की हैं उनसे माफी माँगनी चाहिए। हमारा बल हमारी नम्रतामें है। हम अंग्रेजोंका अथवा अपने विरोधियोंका बुरा न चाहें, उन्हें बुरा न कहें।" (पृष्ठ ४५७-५८)

इस खण्डमें सी० एफ० एन्ड्रयूज और सरलादेवी चौधरानीके नाम लिखे गये गांधीजीके पत्र, व्यक्तिगत सम्बन्धोंमें जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें देखने-समझनेके ध्यानसे बहुत दिलचस्प हैं। एन्ड्रयूज असहयोग आन्दोलनकी बारीकी-बारी तफसीलसे सहमत नहीं थे और प्रायः उस सम्बन्धमें अपनी आशंका व्यक्त किया करते थे। गांधीजी उन्हें सदा ही स्नेह और सौम्यताके साथ उत्तर देते थे और फिर भी उन दोनोंके बीच जो मतभेद था, उसे न तो कभी कम तौलते थे और न उसे कम करके ही दिखाते थे। सरलादेवीके प्रति वे बड़ी स्पष्टवादितासे काम लेते थे और उनकी छोटी-छोटी कमजोरियोंकी आलोचना करते थे। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि उनके विचारोंसे परिपूर्ण सहमति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इन पत्रोंमें व्यक्त होनेवाली एक बात और भी है, उनकी अपार विनम्रता, जिसके सहारे वे कठिनसे-कठिन परिस्थितियोंमें से शान्तभावेन उत्तीर्ण हो जाते थे।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि व सग्रहालय, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका कार्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, भारत सेवक समाज (सर्वेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी) पूना, महाराष्ट्र सरकारका गृह-विभाग, पजाब प्रातकी सरकार, बगाल प्रान्तकी सरकार, श्री नारायण देसाई, श्रीमती राधाबेन चौधरी, कलकत्ता, श्री नानजीभाई मणिलाल देसाई, अहमदाबाद, 'इडिया इन १९२०', 'बापुना पत्रो मणिबहेन पटेलने', 'महादेवभाईनी डायरी', 'महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी', 'स्पीचेज बाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड,', 'द स्टोरी ऑफ माई लाइफ' पुस्तकोके प्रकाशको तथा निम्नलिखित समाचारपत्रो और पत्रिकाओके आभारी है 'आज', 'अमृत बाजार पत्रिका', 'काशी विद्यापीठ पचाग', टाइम्स ऑफ इडिया', 'ट्रिब्यून', 'नवजीवन', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'बुद्धि प्रकाश', 'मधपुडो', 'यग इडिया', 'लीडर', 'सर्चलाइट' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए राष्ट्रीय, अभिलेखागार, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गाधी स्मारक सग्रहालय, इडियन कौसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, जामिया मिलिया पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मत्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली, साबरमती सग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, तथा श्री प्यारेलाल नय्यर हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रलेखोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे मदद देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मत्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके आभारी है।

पाठकोको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजीके स्वाक्षरोमे मिली है उसे अविकलरूपमे दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमे हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके निकट रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे 'हिन्दी नवजीवन' या नवजीवन प्रकाशन मन्दिरकी पुस्तकोमे प्राप्त हुए है, हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और सशोधन करनेके बाद किया है।

भेटो और भाषणोके विवरणोके उन अशोमे जो गाधीजीके नही, अन्य लोगोके है आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिया गया है। नामोको सामान्यत जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमे सशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमे उद्धृत किया है वह हाशिया छोडकर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है।

शीर्षककी लेखन तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है, जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमे की गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन हिन्दी और गुजराती-के व्यक्तिगत पत्रोमे गुजराती सवत्‌के अनुसार तिथि दी गई थी उनमे ईसवी सन्‌के अनु-रूप तिथि भी दे दी गई है। कुछ पत्रोकी लेखन तिथिका निर्णय बाह्य या आन्तरिक साक्ष्यके आधारपर किया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' के अनेक सस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ सख्याएँ विभिन्न है, अत हवाला देनेमे केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

साधन-सूत्रोमें 'एस० एन०' सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज-पत्रोका और 'सी० डब्ल्यू०' कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी (सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय) द्वारा सग्रहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये है। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई है।

विषय-सूची

१ पत्र : 'बॉम्बे क्रॉनिकल'को[1]

बम्बई
१९ नवम्बर, १९२०

महोदय,

मैंने अभी-अभी आपके द्वारा उद्धृत 'एक्सप्रेस' का वह अंश पढ़ा, जो मेरी रायमें राष्ट्रीय लिपिका उर्दू होना उचित बताता है। जाहिर है कि किसीने मेरे साथ मजाक किया है, क्योंकि मेरी कभी ऐसी राय नहीं रही। मैंने अपने दोस्त और सहयोगी हसरत मोहानीसे[2] इतना ही कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षाकी किसी भी योजनामें देवनागरी और उर्दू लिपियां अनिवार्य होनी चाहिए। मेरी तो राय है कि देवनागरी संसारमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि है, अतः इस दृष्टिसे सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय लिपि है। परन्तु आज मुसलमानोंको इसे स्वीकार करनेमें जो कठिनाई है, उसका हल मैं नहीं खोज पाता, इसलिए मेरा विचार है कि शिक्षित-वर्गको दोनों ही लिपियोंकी समान रूपसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तब जिसमें अधिक शक्ति होगी और जो ज्यादा सरल होगी वह राष्ट्रीय लिपि बन जायेगी, विशेषकर जब हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य वर्ग एक-दूसरेपर सन्देह करना सर्वथा समाप्त कर देंगे और धर्मेतर प्रश्नोंका शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिसे फैसला करना सीख लेंगे।

आपका,

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३४८) की फोटो-नकलसे।

२. पत्र : के० वी० रंगास्वामी आयंगारको

बम्बई
१९ नवम्बर, १९२०

प्रिय श्री रंगास्वामी आयंगार[3],

सहपत्रों सहित आपका पत्र मिला। मुझे खेद है कि आपने प्राविधिक आपत्तियाँ उठाई हैं, यद्यपि मेरा खयाल था कि आप अपनाये गये तरीकेसे सहमत हो गये हैं।

१ हस्तलिखित मसविदेसे लिया गया यह पत्र, बॉम्बे क्रॉनिकलमें २२-११-१९२० को प्रकाशित हुआ था।

२ १८७७-१९५१, राष्ट्रवादी मुसलमान नेता, खिलाफत आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया और जो नवम्बर १९१९ के खिलाफत सम्मेलनमें गांधीजीके मुख्य विरोधी थे।

३ मद्रासके कांग्रेसी नेता।

जब आप बम्बईमें थे, आपने मुझे कुछ ऐसा आभास दिया था कि सिद्धान्त-सूत्रके[1] संशोधित रूपको आप पूर्णतः स्वीकार करते हैं और यह आपने श्री पटेल[2] और श्री केलकरपर[3] छोड़ दिया था कि नियमोंके अन्य हिस्सोंमें वे जैसे संशोधन करना चाहें करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब और कुछ करना शेष नहीं है। अलबत्ता आपको कोई सुझाव देना हो तो दूसरी बात है।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७४२०) से।

३. पत्र : परसूमल ताराचन्दको[4]

दिल्ली जाते हुए गाड़ीमें,
१९ नवम्बर, १९२०

प्रिय श्री परसूमल,

मैंने आपका पत्र गाड़ीमें ही पढ़ा। जब मैं ही परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूपमें आपके दुःखका कारण हूँ, तब शायद आपके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना मेरी गुस्ताखी होगी।

आपका भाई मेरे पास तब आया जब वह परीक्षामें न बैठनेके अपने इरादेपर अमल कर चुका था। निस्सन्देह उसे आपसे सलाह लेनी चाहिए थी, परन्तु उस दोषके अलावा, मैं उसके कामकी निन्दा नहीं कर सकता। यदि हमें अपने भरण-पोषणके लिए सरकारपर निर्भर रहना है तो हम कभी स्वतन्त्र नहीं होंगे। मेरे लिए यह बेबसी ही हमारी दुःखद स्थितिका सबसे करुण अंग है। मैं आशा करता हूँ कि जो लड़के कालेजोंको छोड़ रहे हैं, वे अपने माता-पिताकी अवज्ञा या अवहेलना नहीं करेंगे।

आपका,

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३३७) की फोटो-नकलसे।

१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके नये संविधानमें, जो दिसम्बर १९२० में कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें स्वीकार किया जानेवाला था।

२. विट्ठलभाई झवेरभाई पटेल (१८७३–१९३३), सरदार वल्लभभाई पटेलके बड़े भाई, वैधानिक ढंगसे लोहा लेनेवाले निर्भीक योद्धा, बम्बई विधान-परिषद् और उसके बाद शाही परिषद्के सदस्य, भारतीय विधान सभाके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष।

३. नरसिंह चिन्तामण केलकर (१८७२–१९४७), पत्रकार, राजनीतिज्ञ और साहित्यिक, तिलकके निकटके साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके मन्त्री भी रहे, १९२० में कांग्रेस संविधानके संशोधनमें गांधीजीकी मदद की, स्वराज्यवादी दलके नेता।

४. यह पत्र हैदराबादके वकील परसूमल ताराचन्दको उनकी इस शिकायतके जवाबमें भेजा गया था कि उनके भाईने गांधीजीकी सलाहपर चलकर एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षासे माता-पिताकी सलाह लिये बिना ही अपना नाम वापस ले लिया था।

४. पत्र : देवदास गाधीको

झाँसी

[२० नवम्बर, १९२०][1]

चि० देवदास,

हम लोग झांसी अभी-अभी पहुँचे हैं। यहाँ थोडी-बहुत शान्ति मिल पाई। गगाधरराव[2] तथा श्रीमती सरलादेवी[3] मेरे साथ ही हैं। ऐसा लगता है कि सरलादेवी कल दिल्ली होती हुई लाहौर जायेंगी परन्तु पक्का निश्चय तो पडितजीका[4] पत्र आनेपर ही हो सकेगा।

तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। धीरूसे मिलते रहना। यदि वह रहनेके लिए आश्रम पहुँचे तो उसे दाखिल कर लेना, अन्यथा उसे राष्ट्रीय विद्यालयके छात्रालयमें भरती करा देना। शहरमें उसका रहना जरा भी ठीक न होगा। रेवाशकर-भाईको[5] भी ऐसा ही खयाल है। शकरलालका भान्जा भी आश्रम पहुँचनेवाला है, उसके साथ उठना-बैठना तथा इस बातका खयाल रखना कि उसे आश्रममें बुरा न लगने पाये।

बेलाबेनसे परिचय बढाना। उन्होंने मेरे मनपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। मुझे यह महिला प्रामाणिक और साध्वी प्रतीत हुई है। उसके बाल-बच्चे भी ठीक लगे हैं परन्तु तुम और अच्छी तरहसे इन सब बातोंको परख सकोगे। मेरा इरादा इन लोगोंपर कामका भारी बोझ डालनेका नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि अनजाने ही उनके कधोंपर भारी बोझ पड जाये।

हिन्दीमें जो सशोधन किये हैं उन्हे मैंने समझ लिया है परन्तु दोष तो तभी दूर होंगे जब सशोधन लगातार किया जायेगा। बोलते समय कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर गलतियाँ नहीं करता। बात यह है कि अशुद्धियोंकी ओर बारबार ध्यान आकर्षित करनेपर ही उनसे बचा जा सकता है।

१ गाधीजी बम्बईसे झासीके लिए १९ नवम्बर, १९२०को रवाना हुए थे और २१ नवम्बरको दिल्ली पहुँचे थे।

२ गगाधरराव बालकृष्ण देशपाडे, कर्नाटकके प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता जो 'कर्नाटक केसरी' के नामसे प्रसिद्ध हैं।

३ सरलादेवी चौधरानी, प० रामभजदत्तकी पत्नी और रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी भान्जी। वे १९१९ में गाधीजीकी अनुयायी बन गईं। उन्होंने अपने पुत्र दीपकको पढनेके लिए साबरमती आश्रम भेजा था।

४ प० रामभजदत्त चौधरी, पजाबके नेता और कवि।

५ रेवाशकर जगजीवन झवेरी, बम्बईके व्यापारी तथा गाधीजीके प्रशसक।

तुम्हारे अध्ययनका कार्यक्रम जाननेके लिए उत्सुक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २०५५) की फोटो-नकलसे।

५. तार: शिवप्रसाद गुप्तको[1]

[२० नवम्बर, १९२०के आसपास][2]

मालवीयजीका[3] स्वास्थ्य कैसा है? यदि उनके स्वास्थ्यको नुकसान पहुँचनेका अन्देशा है तो फिर मैं बनारस नहीं आना चाहूँगा।[4] दिल्ली तार दीजिए।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३१०) की फोटो-नकलसे।

६. तार: मोतीलाल नेहरूको

[२० नवम्बर, १९२०के आसपास][5]

सुना है मालवीयजी बीमार हैं और यदि मैं गया तो स्वास्थ्य और बिगड़नेकी सम्भावना है। कृपया उनके स्वास्थ्यकी खबर तारसे दिल्ली दीजिए।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३१०) की फोटो-नकलसे।

१ (१८८३-१९४४), काशीके प्रसिद्ध देशभक्त, मातृभाषा-प्रेमी और दानवीर, राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक 'आज' और राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठके संस्थापक, काशीके सुप्रसिद्ध भारत-माता मन्दिरके निर्माता।

२ महादेव देसाईकी डायरीमें 'काशीमें' शीर्षकके अन्तर्गत २६ नवम्बर, १९२० के विवरणसे यह स्पष्ट है कि यह तार तथा बाद वाले दो तार नवम्बर १९२० में भेजे गये थे। गांधीजी १९ नवम्बरको बम्बईसे झांसीके लिए रवाना हुए थे और २१ नवम्बरको दिल्लीमें थे। २४ नवम्बरको वे दिल्लीसे बनारसके लिए चल पड़े और २५, २६ व २७ नवम्बरको पण्डित मदनमोहन मालवीयके साथ रहे। इसलिए अनुमानतः ये तीनों तार २० नवम्बरके आसपास भेजे गये थे।

३ पण्डित मदनमोहन मालवीय (१८६१–१९४६), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके संस्थापक, शाही विधान-परिषद्के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके दो बार अध्यक्ष।

४ गांधीजी पण्डित मालवीयजीसे मिलनेके लिए बनारस जाना चाहते थे क्योंकि असहयोग आन्दोलनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अनुकूल नहीं थी।

५ देखिए पिछले शीर्षककी पाद टिप्पणी २।

७. तार : मदनमोहन मालवीयको

[२० नवम्बर, १९२० के आसपास][1]

यदि आप राजी हो तो २४को बनारस आना चाहता हूँ। कृपया दिल्ली तार दीजिये।

गाधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३१०) की फोटो-नकलसे।

८. भाषण : झाँसीमें

२० नवम्बर, १९२०

श्री गाधी . ने रोशनी और सजावटकी[2] निन्दा करते हुए भाषण आरम्भ किया। उन्होने कहा कि जबतक खिलाफतका सवाल[3] हल नहीं होता, पजाबमें किये गये अत्याचारोका[4] इन्साफ नहीं किया जाता और स्वराज्य नहीं हासिल हो जाता तबतक किसीको भी खुशियोमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे उद्देश्य केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिंसा रहित असहयोगसे ही पूरे हो सकते हैं। तलवारे नहीं निकाली जानी चाहिए। इसके बाद उन्होने असहयोग कार्यक्रमके विविध अगोपर बल दिया और कहा कि किसीको भी सेनामें भरती नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होने सरस्वती पाठशालाके लिए चदेकी अपील की। उन्होने बताया कि यह पाठशाला एक शुद्ध राष्ट्रीय सस्था है।

[अग्रेजीसे]

लीडर, २४-११-१९२०

१ देखिए "तार शिवप्रसाद गुप्तको", २०-११-१९२० की पाद टिप्पणी २।

२ झासी शहर और खासतौरसे हार्डीगजको, जहाँ यह भाषण हुआ था, गांधीजीका स्वागत करनेके लिए बहुत अच्छी तरहसे सजाया गया था और खूब रोशनी की गई थी। गाधीजीके साथ मौलाना शौकत अली भी थे।

३ खिलाफत आन्दोलनका उद्देश्य टर्कीके सुल्तानको, खलीफा होनेके नाते मुसलिम दुनियामें वही प्रतिष्ठा और अधिकार दिलाना था जो उन्हें प्रथम विश्व-युद्धके पूर्व प्राप्त थे।

४ जलियाँवाला बागका हत्याकांड और १९१९ में पजाबमें किये गये अन्य अत्याचार, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२२।

९. हिन्दुओं और मुसलमानोंसे

मुझे पता चला है कि मेरे महमदाबादके[1] भाषणपर[2] लोगोमे मतभेद पैदा हो गया है। भाषणसे सम्बद्ध वह भाग मैंने यह लेख लिखते समय ही पढा है। उसमे मुझे एक ही महत्त्वपूर्ण भूल दिखाई दी है। 'साधु मुझसे मिले' ऐसा मेरे भाषणकी रिपोर्टमे प्रकाशित हुआ है। मुझे ऐसा कहनेकी याद नही आती, लेकिन सम्भव है मैंने ऐसा कह दिया हो। साधु मुझसे बिलकुल नही मिले। अपनी इस भूलके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तथ्य इस प्रकार है मेरे पास उनके भेजे हुए दो व्यक्ति आये और उन्होंने मुझसे कहा कि साधुने मुझे बुलाया है। उस समयतक मुझे हकीकतका[3] पूरा पता चल गया था। मैंने कहा कि जानेके लिए तो मेरे पास समय ही नही है, फिर भी यदि साधु यहाँ आये तो मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी कहलाया कि उन्होंने साधुके वेशमें एक ऐसा कार्य किया है जो मेरी समझमें साधुको शोभा नही देता। इसलिए अगर आप साधुके वेशको त्यागकर ही यहाँ आयें तो अच्छा होगा। साधुओसे मैं दया और निर्भयतापूर्ण व्यवहारकी आशा रखता हूँ। उनमे मैं यह उम्मीद नही करता कि वे हिन्दुओके आन्तरिक झगडोमे किसी मुसलमानको बीचमे डाले, जिस तरह इन साधु महोदयने एक मौलवीको बीचमें डाला है। मैं देखता हूँ कि मेरे इस सन्देशसे ही लोगोमें खलबली मच गई है। तथापि मैं अपने इस सन्देश और भाषणपर पूर्ववत् कायम हूँ। बकरेको लेकर जो घटना हुई उसे मैं गम्भीर मानता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि उसका कोई बुरा परिणाम नही निकला। अनेक निर्दोष जीवोकी रक्षा करना निस्सन्देह साधुका स्पष्ट कर्त्तव्य है। लेकिन साधुको अपनी साधुतामे, तपश्चर्यासे ही ऐसा करनेका अधिकार है। साधु शरीरबलसे अथवा शरीरबलके प्रयोगकी धमकी देकर जीवोकी रक्षा नही कर सकते। इसके अलावा अपने धर्मके झगडेमे मुसलमानोके बलका उपयोग भी नही किया जा सकता। यदि मुसलमानोके दो दल परस्पर एक-दूसरेसे झगडा करे तो उसमे हिन्दू किसी एकका पक्ष लेकर दूसरेको कैसे दबा सकते है? यदि दबाये तो यह हिन्दुओके लिए शर्मकी, और [मुसलमान] दब जायें तो उनके लिए डूब मरनेकी बात होगी। जिस तरह हमने अपने दुनियावी झगडोमें अग्रेजोको मध्यस्थ बनाकर अपना राज्य खो दिया, उसी तरह यदि अपने धर्मके आन्तरिक झगडोमें मुसलमान हिन्दुओको और हिन्दू मुसलमानोको मध्यस्थ बनायें तो दोनो अपने-अपने धर्मोंमे च्युत हो जायेंगे। बकरेकी बलि देनेवाला

१ गुजरातके खेड़ा जिलेका एक शहर।

२ देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ८२९-३३।

३ कुछ हिन्दू बकरेकी बलि देना चाहते थे जब कि कुछ अन्य हिन्दू इसके विरुद्ध थे। अतः इस बलिको रोकनेके लिए उन्होंने मुसलमानोंकी सहायता ली थी।

हिन्दू, मुसलमानकी सहायतासे अन्य हिन्दुओकी इच्छाके विरुद्ध बकरेकी बलि दे तो अन्य हिन्दुओकी क्या गति होगी?

हम हिन्दू-मुसलमानोके बीच सच्चे भाईचारेकी भावनाको जन्म देना चाहते है, अहमदाबादकी उस घटनाने उसमे बाधा उत्पन्न हुई हो, ऐसी मेरी मान्यता है। आज इस बाधाका प्रभाव नगण्य भले ही है, लेकिन मैने यह सोचकर कि कही इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि न हो हिन्दू-मुसलमान, दोनोको ही चेतावनी दी है।

अब मौलवीके सम्बन्धमें। उन्हे तो मैने पाखण्डी ही माना है। मुझसे उन्होने जो-कुछ कहा था उसमे और कुछ मुसलमान भाइयोके नाम वितरित पत्रिकामें लिखी गई बातोमें बडा अन्तर है। उसमें मौलवीके साथ जिन बातोके होनेका उल्लेख है वे एकदम बनावटी हैं। मेरे कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि उस मौलवीने मेरे नामका दुरुपयोग किया है। उन्हे अथवा किसी अन्य व्यक्तिको अहमदाबादसे निकालनेका मुझे क्या अधिकार है? लेकिन उस मौलवीने तो मुझसे यह कहा था कि मैं उसके लिए एक बुजुर्गके जैसा हूँ, इसीसे मैने उन्हे सलाह दी थी कि अगर मेरा कहा मानें तो आप अहमदाबादसे चले जाये। उन्हे अथवा किसी भी मुसलमानको खिलाफत समिति अथवा मेरे नामसे हमारी अनुमतिके बिना कार्य करनेका कदापि अधिकार नही है। उस मौलवीपर मेरा तो तनिक भी विश्वास नही है। उनके पास खिलाफत समितिकी ओरसे दिया गया कोई अधिकार-पत्र नही है। इसलिए प्रत्येक मुसलमानको मेरी यह सलाह है कि उस मौलवी अथवा किसी भी ऐसे व्यक्तिकी, जिसके पास खिलाफत समितिकी ओरसे दिया गया अधिकार-पत्र नही है, बात नही सुननी चाहिए।

मुसलमान खिलाफतका कठिन कार्य और हिन्दू-मुसलमान स्वराज्यका महान् कार्य तबतक नही कर सकते जबतक कि दोनो निर्भय, साहसी, स्वार्थ-त्यागी और ईमानदार नही बनते। इसीलिए उन्हे हमेशा सावधानीसे चलनेकी आवश्यकता है। महान् संघर्षोमें पाखण्डपूर्ण कार्य भी साथ-साथ होते रहते है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इनके प्रति सतर्क रहे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-११-१९२०

१०. स्वराज्यकी शर्तें और अस्पृश्यता

गुजरात विद्यापीठके एक निर्दोष प्रस्तावसे अहमदाबाद, बम्बई आदि स्थानोपर खलबली मच गई है।[१] विद्यापीठने जो प्रस्ताव पास किया है उसके अनुसार किसी भी ऐसी पाठशालाको मान्यता नही दी जायेगी जिसमें अन्त्यजोको प्रवेशका निषेध होगा। यह प्रस्ताव विद्यापीठके सिद्धान्तके अनुसार ही पास किया गया है। तथापि इस प्रस्तावसे अनेक हिन्दुओके दिलोको ठेस पहुँची है और उनमे से कुछ-एक लोग कह रहे है कि मुझे इस बातकी चर्चा ही नही करनी चाहिए थी। कुछ लोगोका कहना है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी मेरे विचार मेरे हिन्दुत्वको बट्टा लगाते है। अन्य कितने ही लोग मेरे इन विचारोके कारण मेरे कट्टर सनातनी होनेके दावेको रद हो गया मानते है। मै अपने आपको कट्टर सनातनी क्योकर मानता हूँ उसके कारणोकी खोज-बीन हम बादमें करेगे।

अभी तो मै केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि विद्यापीठने अपने प्रस्तावसे कोई नया निर्णय नही किया है। विद्यापीठ अगर इससे भिन्न कोई प्रस्ताव पास करता तो वह अवश्य एक नई बात होती। सरकारी स्कूलोमे आज अन्त्यज शिक्षा प्राप्त कर रहे है। बम्बईके असख्य हाई स्कूलोमे ऐसे विद्यार्थी है, गुजरातके हाई स्कूलोमे भी है।

यदि हम अबतक इन पाठशालाओमे वैष्णव लडकोको भेजते रहे है तो फिर क्या हम राष्ट्रीय शालामें अन्त्यजोका बहिष्कार करके एक नया टटा शुरू करेगे? क्या हम अस्पृश्यताका पुनरुद्धार करके स्वराज्य प्राप्त करनेकी आशा रखते है?

रेलगाडी, होटलो, अदालतो और मिलोमे अस्पृश्यता आडे नही आती, तो फिर स्कूलोमें जहाँ शिक्षककी देखरेखमे स्वच्छताके नियमोका पालन करते हुए ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है वहाँ क्या अस्पृश्यताको कायम रखना चाहिए?

मुसलमानो, पारसियो, ईसाइयो और यहूदियोको हम अस्पृश्य नही मानते, यदि मानें तो फिर हम उन्हे भाई नही बना सकते। ऐसी परिस्थितिमें अन्त्यजको, जो हिन्दू धर्मका ही एक अग है, राष्ट्रीय स्कूलोमें, जहाँ इतर जातिके लोग आ सकते है, क्यो अस्पृश्य माना जाये?

मुझपर यह आरोप लगाया गया है कि विद्यापीठमे उपर्युक्त प्रस्ताव पास करवाकर मैंने हिन्दू-समाजपर सरकारके समान ही जुल्म ढाया है। ऐसा आरोप लगानेवाले व्यक्तियोको विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस ढगसे आप स्कूल चलाना चाहते है मै उससे आपको रोकना नही चाहता, किन्तु आप भी मुझे न रोके। इसमें

[१] उन्ही दिनों राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके रूपमें स्थापित गुजरात विद्यापीठकी सीनेटकी सभामें ३१ अगस्त, १९२० को गाधीजीकी अध्यक्षतामें यह निश्चय किया गया था कि विद्यापीठ द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी भी स्कूलमें से किसी अन्त्यजका बहिष्कार नहीं किया जायेगा।

जुल्म क्या है? सच तो यह है कि मुझे रोकनेका इरादा करके आप जुल्म करते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रीय भावनाको जागृत करनेमे अस्पृश्यताको हानिकारक मानता है आप उसे उसके विरुद्ध आन्दोलन करनेसे कैसे रोक सकते है? आप दूसरे आदर्शोको माननेवाले तथा अस्पृश्यताके धर्मको स्वीकार करनेवाले अन्य विद्यापीठोकी स्थापना करे, उससे आपको कोई नही रोकेगा। हाँ, उसके विफल होनेकी सम्भावनासे अगर आप वैसा न कर पायें तो यह अलग बात है।

मेरी दृढ मान्यता है कि अस्पृश्यता अधर्म है। यह हिन्दू धर्ममें निहित बुराइयोकी परिसीमा है, इसका पोषण करना दुराग्रह है। उसे तपश्चर्याके द्वारा दूर करनेमें सत्याग्रह है। सत्यका आग्रह ही धर्म है। प्रत्येक रूढिगत दोषको पकडे रहनेका आग्रह करना अधर्म है।

असहकार शुद्धि-शास्त्र है। आन्तरिक शुद्धि किये बिना असहकार असम्भव है। जबतक हम अपने ही एक अगको अस्पृश्य मानेंगे तबतक स्वय हम हिन्दू लोग और हमारे पडोसी मुसलमान आदि भी जो आज [साम्राज्यके] अछूत बन गये है, अछूत ही बने रहेंगे। मेरी दृढ मान्यता है कि हिन्दू-ससारकी अधोगति अस्पृश्यताके दोषसे ही हुई है। अपने पापसे हम खुद ही अस्पृश्य बन गये है। हमने धर्मके बहाने अन्त्यजोको अस्पृश्य माना, सरकारने भी अपना धर्म समझकर हमें अस्पृश्य बना दिया। और विदेशियोकी ओरसे दिये गये इस बिल्लेको हम भी अन्त्यजोके समान ही स्वाभाविक मान कर अगीकार किये हुए है। और जैसा हम कहते है कि अन्त्यज अपनी अस्पृश्यताको कलक नही मानते, वैसे ही सरकार भी कहती है कि हम अपनी हीनावस्थाको स्वाभाविक बात मानते है। सिर्फ गाधी-जैसे कुछ विप्लवी लोग ही भार-तीयोको भरमाकर उनकी स्वाभाविक गतिको अधोगति कहते फिरते है।

गुजराती हिन्दुओसे मेरी प्रार्थना है कि आप असहयोगमें बहुत ज्यादा भाग ले रहे है, उसे इस तरह खलबली मचाकर अवरुद्ध न करे। अस्पृश्यताको धर्म मानकर आप स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते। आप कहेगे कि इससे तो हमें यह राक्षसी सरकार ही प्रिय है। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि राक्षसी सरकारके राज्यमे जिन्हे आप अस्पृश्य मानते है उन्हे आप अस्पृश्य नही रख सकते, इतना ही नही बरन् वैसा प्रयत्न करनेसे हमारी आजकी दयनीय स्थिति और भी दयनीय हो जायेगी, यह बात सहज सिद्ध है। हमें इसे नही भूलना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-११-१९२०

११. अहिंसाकी एक विजय

शस्त्र-त्याग कहे, दया-धर्म कहे, शान्ति कहे, अमन कहे अथवा अहिंसा — अर्थ इन सबका एक ही है। इस शक्तिकी विजय हुई है, यह बात सरकारके अन्तिम प्रस्तावसे[1] सिद्ध हो गई है। सरकारने फिलहाल कुछ समयके लिए अली भाइयों[2] और मुझे कैदमें न रखनेका निश्चय किया है। उसने इस शान्तिपूर्ण असहयोगपर फिलहाल बुद्धिबलसे, नरम दलकी मददसे विजय पानेका निश्चय किया है। इस निश्चयके लिए राजा व प्रजा दोनों परस्पर एक दूसरेको बधाई दे सकते हैं। मैं इसे शान्तिमय युद्ध अर्थात् अहिंसाकी विजय समझता हूँ। यदि हमने छिपे अथवा प्रकट रूपसे खून करके, मकान जलाकर अथवा रेलकी पटरी उखाड़कर संघर्ष चलानेका विचार किया होता तो हम जन-मानसको कदापि प्रशिक्षित न कर पाते, हममें साहसपूर्वक सत्य बोलनेकी शक्ति न आ पाती, अर्थात् हम स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए तैयार अथवा योग्य न हो पाते। आज हम जितनी स्वतन्त्रतासे अपने विचारोंको अभिव्यक्त करते हैं उतनी स्वतन्त्रतासे एक वर्ष पूर्व नहीं कर सकते थे। हमने सरकारको अभयदान देकर स्वयं अपने लिए साहस जुटा लिया है। हमारे मनमें इस विश्वासने घर कर लिया है कि चूँकि हममें मलिनता नहीं है इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें सहज ही इस सत्यकी अनुभूति हो गई है कि यदि हम किसीको मारना नहीं चाहते तो हमें भी कोई क्यों मारेगा।

इस तरह वातावरण साफ हो गया है। हम अपने हृदयबलसे, बुद्धिबलसे जन-मतको बदलकर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सरकारके लिए भी सोच-समझसे काम लेना जरूरी हो गया है। अपने विरोधीसे डरकर जब हम उसीकी तरह मलिन बलका उपयोग करते हैं तभी हम मलिनता सीखते हैं और दुर्बल बनते हैं। इससे दोनों पक्ष कमजोर होते हैं। यदि मलिनताके विरुद्ध हम स्वच्छताका प्रयोग करें तो अन्ततः मलिनता कम हो जाती है और इससे उस हदतक जनता और जगत सुखी होता है। इस तरह शान्तिकी, अमनकी सदा जय ही होती है। सरकारका प्रस्ताव इस विजयका एक बड़ा उदाहरण है।

१. सन् १९२० के नवम्बर मासके प्रारम्भमें प्रकाशित किये गये इस संकल्पमें अन्य बातोंके अलावा यह कहा गया था कि सरकारने अबतक ऐसे लोगोंके खिलाफ फौजदारी या अन्य प्रकारकी कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने असहयोगके साथ-साथ अहिंसाका भी प्रचार किया है और उसने स्थानीय सरकारोंको केवल उन्हीं लोगोंके खिलाफ कार्रवाई करनेकी हिदायत दी है जिन्होंने अपने लेखन या भाषणसे जनताको हिंसाके लिए भड़काया है। इसके अलावा उक्त संकल्पमें यह भी कहा गया था कि सरकार वाणीकी स्वतन्त्रता और अखबारोंकी आजादीमें हस्तक्षेप करनेसे बचती रही है। इंडिया इन १९२०।

२ मौलाना मुहम्मद अली (१८७८–१९३१) और शौकत अली (१८७३–१९३८), राष्ट्रीय मुस्लिम, राजनीतिज्ञ, खिलाफत आन्दोलनके प्रमुख नेता। मुहम्मद अली १९२० में इंग्लैंड जानेवाले खिलाफत शिष्टमंडलके नेता थे और १९२३ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष थे।

अभी तो हमने सच्ची शान्तिका प्रचार नहीं किया है। हमारी वाणी और हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। हममें रोष है, हिंसा है। इसीलिए हमारी शान्तिकी पूरी तरहसे छाप नहीं पड़ती। जब हमारे मनमें कटुताका लेश भी नहीं रहेगा, जिस दिन कार्य-कर्ता [illegible] आचरण करेंगे, उसी दिन हमें स्वराज्य मिल जायेगा। हम जैसा करते हैं, सामान्य जन वैसा ही करता है। इतर वर्गके लोग श्रेष्ठ जनोंका अनुगमन किया करते हैं।

सरकारके प्रस्तावमें एक दम्भ निहित है, और उसका कारण यह है कि दम्भ तो हमारी पंक्तिमें भी है। शान्तिको धर्म मानकर उसका पालन करनेवाले हममें से थोड़े ही लोग हैं। मेरे भाई शौकत अली भी शान्तिको सर्वकालीन धर्म नहीं मानते। वे उसे समयके लिए आवश्यक एक आपद्-धर्म मानते हैं। वे शान्तिका एक युक्ति — पालिसी — के रूपमें स्वीकार करते हैं। यदि हम सब शान्तिको ही सर्वोच्च स्थान दें तो हमें आज ही स्वराज्य मिल जाये। ऐसा हम निकट भविष्यमें करेंगे — इस सम्भावनाके आधारपर मैं कहता हूँ कि तब स्वराज्य एक वर्षके भीतर प्राप्त हो जायेगा। शान्तिके बिना स्वराज्यका क्या उपयोग? अधर्मका नाश धर्मकी स्थापनासे ही है। यह अधर्म राज्य है, दृढ़तापूर्वक ऐसा कहनेके साथ ही हमें धार्मिक बनना पड़ता है। क्या कोई अधम व्यक्ति दूसरे अधम व्यक्तिपर अधम होनेका आरोप लगा सकता है? सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले? अधर्मका नाश धर्मसे ही होता है। जहाँ अत्याचारको सहनेवाला नहीं होता वहाँ अत्याचारीका उपद्रव भी नहीं होता।

हम लोगोंने पूरी तरह इसको नहीं अपनाया, इसी कारण सरकारका प्रस्ताव भी झूठ और दम्भसे भरा हुआ है। सरकारका कहना है कि चूंकि हम शान्तिमय युद्ध करते हैं इस कारण उसने समाचारपत्रोंपर से प्रतिबन्ध हटा लिया है। यह कथन बिल्कुल सच नहीं है। कितने ही समाचारपत्र अभीतक परेशानीमें पड़े हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें गिरफ्तारीका कारण यह बताया गया है कि उन्होंने लोगोंको शान्तिभंग करनेके लिए उत्तेजित किया था। यह बात भी सही नहीं है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनकी भाषा भले ही निर्दोष न हो लेकिन उन्होंने किसीको अशान्तिकी सलाह कदापि नहीं दी। और अगर दी भी हो तो सरकारने यह सिद्ध नहीं किया। अपराधको सिद्ध किये बिना अपराधीको दण्ड नहीं दिया जा सकता, ऐसा कानून है। असहयोगकी निन्दा करनेमें सरकारने बहुत ज्यादा दम्भसे काम लिया है। सरकारका कहना है कि असहयोगसे अराजकता फैलेगी। लेकिन सरकार जानती है कि व्यवस्था असहयोगसे ही आरम्भ हुई है। सरकारी शिक्षाके परित्यागका अर्थ शिक्षामें अव्यवस्थाका होना नहीं वरन् गुलामीकी शिक्षाके स्थानपर स्वतन्त्रताकी शिक्षाकी स्थापना करना है, सरकारी अदालतोंका त्याग अर्थात् झगड़े-फिसादको बढ़ावा देना नहीं बल्कि उसका पंचोंकी मार्फत निर्णय करवाना है, विधान परिषदोंका त्याग अर्थात् संयमका त्याग नहीं वरन् स्वैराचारी कानूनोंका पालन करनेके स्थान-पर जनमान्य संयम रूपी कानूनोंका पालन करना है, विदेशी कपड़ेका त्याग करनेका

अभिप्राय नग्नावस्था नही अपितु जनताके अपने हस्तकला-कौशलसे तैयार किये गये पवित्र कपडेका शरीर-रक्षाके निमित्त पवित्र उपयोग है, सरकारकी फौजमे भरती होनेसे इनकार करना, जनतामे अपनी रक्षा करनेकी शक्तिका होना है, इस तरह सरकारके विरुद्ध असहकार करनेका अर्थ है जनतामे भीतर-ही-भीतर पूर्ण सहकार।

दम्भके समान ही सरकारकी उद्धतताकी भी कोई सीमा नही है। जो व्यक्ति व्यर्थ ही डराता-धमकाता है वह उद्धत है। जो असम्भवके सम्भव होनेका दावा करे वह उद्धत है। सरकारका दावा है कि हिन्दुस्तानको बाहरी आक्रमणके भयसे वही बचाती है। वह कहती है कि यदि असहयोगकी विजय हो तथा सरकार हिन्दुस्तानसे विदा ले ले तो हिन्दुस्तानकी स्थिति बिना माँके बच्चे-जैसी अरक्षित हो जाये। फिर तो कोई भी देश उसपर आक्रमण कर सकता है। सच तो यह है कि यदि हममें परस्पर सहयोग हो, हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख और पारसी लोग एक है, ऐसा मान हम निडर होकर स्वावलम्बी बन जाये, जनता अपनी जरूरतकी वस्तुएँ — अन्न-वस्त्रादि — हिन्दुस्तानमे ही उत्पन्न करे तो फिर कौन हिन्दुस्तानकी ओर आँख उठा सकता है?

अहिंसाका, शान्तिका अर्थ कायरता नही है। उसका अर्थ शुद्ध पौरुष है। हिन्दुस्तानपर आक्रमण हो तो हिन्दुस्तान या तो परम शान्तिसे शत्रुको परास्त करेगा अथवा उससे अगर ऐसी उद्धतता सहन न हो सकी तो उसकी क्षत्रिय जातियाँ — सिख, मुसलमान आदि — आक्रमणकर्त्ताको दण्ड देंगी। अहिंसाका, अमनका अर्थ पराधीनता या दुर्बलता नही है। जहाँ शौर्य है वही क्षमा हो सकती है। जब सरकारको 'अलविदा' कहनेका समय आयेगा तब हिन्दुस्तान आजकी तरह निस्तेज नही होगा बल्कि उस समय उसका तेज चारो ओर उद्भासित हो रहा होगा। यदि कोई यह प्रश्न करे कि ऐसा दिवस क्या एक वर्षमें आना सम्भव है? तो उसे यह उत्तर दिया जा सकता है कि जबतक ऐसा दिन नही आ जाता तबतक हिन्दुस्तान कदापि स्वराज्यका उपयोग करनेके योग्य नही बन सकता और ऐसा शुभ दिन शान्तिमय असहयोगमे ही आयेगा। इस दिवसको मैं तो समीप ही आते देखता हूँ।

नरमदलके बुजुर्ग लोगोसे मैं अत्यन्त विनम्रतासे प्रार्थना करता हूँ कि वे सरकारकी कुटिलताको पहचानें और उसके द्वारा बिछाये गये जालमें न फँसे।

शिक्षाके सम्बन्धमें सरकारने जो आरोप लगाये है मैं उस झगडेमें अभी नही पडता। माता-पिताकी सहायता न मिल पाती तो आन्दोलन अबतक जितना आगे बढ पाया है उतना कदापि न बढ पाता। जहाँ कही माता-पिता श्रद्धासे रहित है और जहाँ पुत्रोमें आत्मबल है वहाँ मैंने उन्हे विनयपूर्वक पिताकी आज्ञाका उल्लघन करनेकी सलाह दी है। उस सलाहमें न तो अनीति है, और न अविचार अथवा अविवेक ही। युवकोको स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेका अधिकार सब शास्त्रोमें दिया गया है।

सरकारी प्रस्तावसे हमें यह मानना है कि हमने शस्त्रका त्याग करके जिस तरह उसके शस्त्रबलको लगभग जीत लिया है उसी तरह हमें उसके दम्भ, [illegible] और

राष्ट्रके काजको अभी निर्भीकता और सत्य रूपी स्वर्ण-अस्त्रसे काटना है, धोखा खाकर उसमें फँसना नहीं है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-११-१९२०

१२. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

दिल्ली
२१ नवम्बर, १९२०

यह पूछे जानेपर कि क्या आप समझते हैं कि सरकारसे कोई भी आर्थिक सहायता लिये बिना आप देशकी सारी शिक्षा-संस्थाएँ चला सकेंगे, श्री गांधीने उत्तर दिया :

हाँ, यदि मैं देशको अपने साथ लेकर चल सका। मैं समझता हूँ कि सभी मौजूदा संस्थाओंको बिना किसी सरकारी मददके चला सकना सर्वथा सम्भव है।

इस सवालके जवाबमें कि क्या असहयोगको अबतक जो सफलता प्राप्त हुई है, उससे उन्हें यह भरोसा होता है कि अन्तमें उसकी विजय होगी, श्री गांधीने कहा :

हाँ, अवश्य।

इस प्रश्नपर कि "क्या असहयोग और खिलाफत अलग-अलग आन्दोलन हैं या वे किसी विशिष्ट उद्देश्यकी पूर्तिके लिए एक-दूसरेमें मिला दिये गये हैं", श्री गांधीने कहा :

देशने असहयोगको अपने उद्देश्यके साधनके रूपमें अपनाया है। उसे खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय और पंजाबके अत्याचारोंके शोधन तथा स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए अपनाया गया है।

जब श्री गांधीसे यह प्रश्न किया गया कि क्या जो-कुछ हो रहा है उस सबके बावजूद आप हमेशाकी तरह अपने इस विश्वासपर दृढ़ हैं कि भारतको लगभग एक वर्षके अन्दर ही स्वशासन मिल जायेगा, तो उन्होंने कहा :

मैं अब भी मानता हूँ कि यदि भारत मुझे पर्याप्त सहयोग दे तो उसे एक सालके अन्दर स्वराज्य हासिल हो सकेगा, परन्तु यद्यपि मैं समझता हूँ कि सहयोग उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, फिर भी वह इतना काफी है कि मैं निकट भविष्यमें उसके बढ़नेकी आशा कर सकता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-११-१९२०

१३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

अलीगढ़
२३ नवम्बर, [१९२०][1]

प्रिय चार्ली,[2]

मुझे तुम्हारे पत्र और तार मिले। क्या मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? मैंने तार देकर केवल यह सूचना देनी चाही थी कि मैं तुम्हें भेजनेकी कोशिश कर रहा हूँ — मैंने यह नहीं कहा था कि तुमने पद स्वीकार कर लिया है। और मैंने जो कहा, अपनी और तुम्हारी बातचीतके[3] आधारपर कहा। जो भी हो, किसी तरहका दबाव तुमपर नहीं डाला जायेगा। तुम मुस्लिम विश्वविद्यालयके लिए केवल उतना ही करना, जो तुम कर सकते हो।

हाँ, मैं अंग्रेजोंमें देशके सम्बन्धको एक शुद्ध आधारपर स्थापित करनेकी जरूरत महसूस करता हूँ। आज वह जैसा है उससे तो विरक्ति ही होती है। परन्तु मैं अभी-तक यह नहीं तय कर पाया हूँ कि उसे, चाहे जो हो, समाप्त ही कर देना चाहिए। हो सकता है कि अंग्रेजोंका स्वभाव काली और भूरी जातियोंके साथ पूर्ण समानताका दर्जा स्वीकार नहीं कर सके। तब तो अंग्रेजोंको भारतसे वापस ही भेजना होगा। परन्तु एक गौरवपूर्ण समानताकी सम्भावना है, यह विचार मैं त्याग नहीं सकता। किन्तु यदि इस बातका यथासम्भव स्पष्ट प्रमाण मिल जाये कि धर्मके प्रथम सिद्धान्त अर्थात् मानव-मानवके बीच भाईचारेके सिद्धान्तको समझनेमें अंग्रेज बुरी तरह असफल हो गये हैं, तो यह सम्बन्ध अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए।

बड़ो दादाका[4] पत्र मुझे नहीं मिला। शायद आश्रम पहुँचा हो या मुझे दिल्ली पहुँचनेपर मिले। मैंने तुम्हें समयपर तार दे दिया था।

मैं डा० दत्तको तारमें कोई सन्देश नहीं भेज सकता, परन्तु यदि अभी समय हो तो मैं उन्हें कुछ लिखनेकी कोशिश करूँगा।

मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है।

१. १९२० में २३ नवम्बरको गांधीजी अलीगढ़में थे जहाँ वे खिलाफत समितिकी एक सभामें शरीक होने गये थे।

२. चार्ल्स फ्रेयर एन्ड्रयूज (१८७१–१९४०), अंग्रेज मिशनरी, लेखक व शिक्षाशास्त्री, जिन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालयके कार्यमें बहुत दिलचस्पी ली, कई वर्षोंतक भारतीयोंके साथ काम किया जिससे उन्हें 'दीनबन्धु' की उपाधि मिली। वे गांधीजीके घनिष्ठ मित्र थे।

३. अक्तूबर १९२० में एन्ड्रयूजकी गुजरात यात्राके दौरान जब वे गांधीजीके साथ कुछ दिनके लिए गये थे।

४. द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुरके बड़े भाई, गांधीजीकी असहयोग योजनाके सिद्धान्ततः प्रशंसक।

गुजराती बच्चोके हटा लिये जानेपर मुझे आश्चर्य नही हुआ।[1] मै समझता हूँ कि इससे तुम्हारा कुछ नुकसान नही हुआ। तुम किसी भी बच्चेको रखनेके लिए सिद्धान्तोमे ढील नही कर सकते। मैने तुम्हे पत्रमे वह-सब नही लिखा जो सीनेट द्वारा अभी पास किये गये प्रस्तावको[2] मजूर करानेके कारण मुझे सहना पड रहा है। लोगोने मेरा पूरी तरहसे वहिष्कार करनेकी धमकी दी है। परन्तु मेरी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। मै दलितवर्ग या किसी भी वर्गकी क्षति स्वीकार करके स्वराज्य नही चाहता। मै स्वराज्य शब्दका जो अभिप्राय मानता हूँ यह वैसा बिलकुल नही होगा। मेरा विश्वास है कि जिस क्षण भारत शुद्ध होगा, उसी क्षण वह स्वतन्त्र हो जायेगा, उससे एक भी क्षण पहले नही। मुझे केवल इस सबसे बडे असुर, इस सरकारसे सम्पूर्ण शक्तिके साथ लडना होगा और वैसा करते-करते छोटे-मोटे राक्षसोसे तो मै अपने-आप ही निपट चुकूँगा। बहिष्कारकी यह धमकी मुझे बहुत ही खुशी दे रही है क्योकि मै महसूस करता हूँ कि वहाँ मै और भी शुद्ध धरातलपर हूँ। सरकारसे, लडनेमे सहयोगियोके उद्देश्य समिश्र हो सकते है, लेकिन छुआछूतके राक्षससे लडनेमे मेरे साथ बिलकुल चुने हुए लोग है।

सप्रेम,

तुम्हारा,
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५६) की फोटो-नकलसे।

१४. भाषण : आगरामें, असहयोगपर[3]

२३ नवम्बर, १९२०

श्री गाधीने भाषणका प्रारम्भ हालमें आगरामें हुए हिन्दू-मुस्लिम दगोके उल्लेखसे किया और अधिकारियोकी मध्यस्थताके विना ही विवाद सुलझानेके लिए जनताको बधाई दी। उन्होने कहा कि मुझे अनुशासनहीन सभा देखकर दु:ख होता है क्योकि उससे तो स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होने कहा कि जुलूससे[4] समय नष्ट होता है और बडी सभाओसे वह उद्देश्य पूरा नही होता जिसके लिए उनका आयोजन किया जाता है। इन दोनोमें ही समय नष्ट होता है। शायद मुझे यह व्रत लेना पडे कि

१ सम्भवत इसलिए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर बच्चोंसे शान्तिनिकेतन आश्रममें एक साथ खाना खानेको कहा गया था।

२ देखिए पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ८।

३ मौलाना अबुल कलाम आजादकी अध्यक्षतामें हुई विशाल आम सभामें दिया गया भाषण।

४ गाधीजी तथा अन्य लोग सभा स्थलपर एक जुलूसमें ले जाये गये थे जिसमें दो घंटे लग गये थे। जुलूसके साथ बैंड था और रास्ता भी खूब सजाया गया था।

मै जुलूसोमें नहीं जाऊँगा और बड़ी सभाओमें भाषण नही दूँगा। भारत जलियाँवाला बागमें मारे गये १५०० लोगोके लिए शोक मना रहा है। शोकके समय संगीत और जुलूसका विचार मुझसे सहन नहीं हो सकता। उन्होने इस बातपर खेद व्यक्त किया कि सजावट और झंडियो आदिमें विदेशी कपड़े और विदेशी वस्तुओका इस्तेमाल किया गया है और रोशनी में विदेशी मोमबत्तियो और लैम्पोका। खिलाफतके मामलेमें जो अन्याय हुआ है उसे दूर कराने या स्वराज्य प्राप्त करनेमें इन तरीकोसे कोई मदद नहीं मिलेगी।

उन्होने कहा कि मै केवल विद्यार्थियोके बीच भाषण देने आया हूँ और शीघ्र ही जहाँ ठहरा हूँ वहाँ चला जाऊँगा; उस सभामें केवल विद्यार्थी ही शरीक हो सकेगे। उन्होने कहा कि मै इस सरकारको शैतानकी सरकार मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि यदि लोग सच्चाईपर रहे और नेक आचरण करे तो एक सालमें स्वराज्य मिल सकता है। सरकार मुझे पागल[1] कहती है, परन्तु मै जानता हूँ कि मै पागल नहीं हूँ। मै इस धूर्त सरकारसे सच्चाईसे निपटूँगा। उन्होने वकीलोसे वकालत छोड़ देनेका, उम्मीदवारोसे कौंसिलोका बहिष्कार करनेका और मतदाताओसे मत न देनेका आग्रह किया। उन्होने कहा कि चुनावमें चमारको उम्मीदवार बनाना हास्यास्पद है। नौकरशाही उसपर और लोगोपर ऐसे कामोके लिए हँसेगी और चूँकि इस ढंगसे स्वराज्य नहीं मिलेगा, वे दोनोका ही मजाक उड़ायेंगे।[2]

[अंग्रेजीसे]

लीडर, २६-११-१९२०

१५. भाषण: विद्यार्थियोंकी सभा, आगरामें[3]

२३ नवम्बर, १९२०

मुझे यहाँ आकर जितना दुःख हुआ है उतना किसी अन्य स्थानपर नही हुआ था। मैं जो काम करने आया हूँ इस गड़बड़ीके बीच वह नही किया जा सकता। जहाँकी व्यवस्था इतनी बुरी है वहाँ मै विद्यार्थियोसे कालेज छोड़नेके लिए कैसे कह सकता हूँ?

. . .

१ वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्डने गांधीजीकी असहयोग योजनाको "मूर्खतापूर्ण योजनाओंमें सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण योजना" बताया था।

२ इस भाषणके बाद गांधीजी और विद्यार्थी सभासे चले गये क्योंकि गांधीजी उनके बीच अलगसे भाषण करना चाहते थे। विद्यार्थियोंकी सभामें दिये गये भाषणकी रिपोर्टके लिए देखिए अगला शीर्षक।

३ नवजीवनमें प्रकाशित महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत।

गुलामीकी जंजीरकी चमकसे हमारी आँखें चौंधिया रही हैं। हम उसे अपनी स्वतन्त्रताकी निशानी मान बैठे हैं। यह हमारी अत्यन्त हीन गुलाम अवस्थाका सूचक है।

* * *

अपने भाषणमें उन्होंने आगे बताया कि प्रचलित शिक्षा-पद्धति हमें कायरता सिखाती है।

हमारे मनमें तिलक महाराजके प्रति चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न हो लेकिन उस भक्ति-भावनाको क्या कोई विद्यार्थी खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है?

* * *

हमारा जीवन ही कायरताका पर्याय बन गया है। जो तालीम हमें भयहीन नहीं बना पाती, बल्कि जो भयको पुष्ट करती है वह तालीम किस कामकी? जिस शिक्षामें सचाईसे चलनेका अवकाश नहीं, देश-भक्तिको अवकाश नहीं, वह कैसी शिक्षा है?

लेकिन मेरा यह कहना नहीं है कि तालीम बुरी है, केवल इसीलिए उसका त्याग कर देना चाहिए, मेरा कहना यह है कि चूँकि यह तालीम हमें गुलामीमें रखनेवाले लोगों द्वारा मिलती है, इसलिए हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। गुलामोंका मालिक हमें स्वतन्त्रताका पाठ नहीं पढ़ा सकता। इस साम्राज्यमें मलिनता आ गई है और यह राक्षसी साम्राज्य अगर मुझे स्वतन्त्रताकी तालीम देना चाहता हो तो भी मैं उसे नहीं ले सकता।

यह शिक्षा चाहे कैसी भी क्यों न हो, लेकिन देखिए कि उसके मूल में क्या है? मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं इससे आप लुब्ध क्यों होते हैं? ये पुस्तकें आपको स्वतन्त्रताकी सच्ची तालीम नहीं दे सकती, केवल भरमाती हैं। वस्तुतः देखा जाये तो राष्ट्रका पैसा चुराकर हमें उससे ऐसी भुलावेमें डालनेवाली शिक्षा दी जाती है, जो चोरी करके उसमें से थोड़ेसे पैसे देकर नशाखोरी सिखानेके समान है।

* * *

[बचपनमें] मैं माता-पिताके प्रति भक्ति रखनेवाला — श्रवण-जैसी भक्ति रखनेवाला लड़का था। मुझे ईश्वरमें भी विश्वास था। यह सच है कि माता-पिताके प्रति भक्ति रखनेवाला मैं आज माता-पिताकी अवज्ञा करनेको कहता हूँ। लेकिन माता-पिताको जन्म देनेवाला भी भगवान है और जहाँ ईश्वर और माता-पिताकी आज्ञा माननेमें चुनाव करना पड़े वहाँ मैं आपसे ईश्वरकी आज्ञा माननेके लिए कहता हूँ।

जिनके दिलसे यह आवाज आए कि जैसा मैंने बताया है वैसे साम्राज्य द्वारा संचालित स्कूलोंमें आजादीकी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, जिन्हें यह ईश्वरीय निर्देश प्राप्त हो कि आजादी पानेके लिए इस गुलामीसे छूटना चाहिए, उन्हें माता-पिताको विनयपूर्वक समझाना चाहिए। यदि आपको यह जान पड़े कि यह घर जल रहा है और इसे तत्काल छोड़नेमें ही छुटकारा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैं तो इस साम्राज्यमें पल-भर भी नहीं रह सकता, ऐसा मुझे चौबीस घण्टे महसूस होता

रहता है और अगर आपको भी ऐसा महसूस होता हो तो आपको यह पूछनेकी जरूरत ही नही रह जायेगी कि हमारे लिए दूसरे स्कूलोकी व्यवस्था है या नही। बिना शर्तके स्कूलोका त्याग करना स्वतन्त्रताका पहला पाठ है। लेकिन अगर आपमे धीरजका अभाव हो — आपमे स्कूलोका त्याग करके नई राष्ट्रीय पाठशालाके स्थापित होनेतक उसके लिए पैसे इकट्ठे करनेका, भिक्षा माँगकर रहनेका धीरज न हो तो आप हरगिज शाला न छोडे।

आपको शारीरिक श्रम करनेकी शिक्षा मिलनी चाहिए। अग्रेज लडके जब स्कूलो-कालेजोसे निकलते है तब उनमे शारीरिक श्रम करनेकी शक्ति तो होती ही है। लेकिन अगर आप पढ-लिखकर वकील अथवा सरकारी नौकर होनेकी आकाक्षा रखते हो तो आपके लिए यही पाठशालाएँ ठीक है। दक्षिणमे मधुकरीकी जो प्राचीन प्रथा आज भी मौजूद है उसके गौरवको आप समझ सकते हो तो आप भिक्षा माँगकर भी शिक्षा प्राप्त करे। आपमे भिक्षा माँगकर शिक्षा लेनेकी सामर्थ्य न हो तो मै आपकी मार्फत देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त नही करना चाहता।

यह शिक्षा नास्तिकताकी शिक्षा है। ऐसी शिक्षाके बावजूद जिन्हे ईश्वरमे श्रद्धा हो, जिसे इन्द्रियोपर काबू हो, जिसने अहिसा और अस्तेयका पालन किया हो, अन्तरकी आवाज तो वही सुन सकता है। मै केवल सयमका पालन करनेवाले विद्यार्थियोसे कहता हूँ कि अगर आपको ईश्वरीय निर्देश मिले तो आप बेधडक कालेज छोड दे।

मुझे ऐसे ही विद्यार्थियोकी आवश्यकता है जिनमें समय आनेपर बलिदान देनेकी, फाँसीपर चढनेकी, भिक्षा माँगनेकी शक्ति हो। यदि देश तथा मुसलमानोपर हुए अत्याचारोसे आपके हृदयमे अग्नि धधक रही हो तो आप कालेज छोड सकते है।[1]

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ८–१२–१९२०

१. २६–११–१९२० के **लीडर**में प्रकाशित भाषणकी रिपोर्टके अन्तमें कहा गया है: “मेरा भाषण सोलह वर्षसे अधिक उम्रके विद्यार्थियोंके लिए है। किसी भी स्थितिमें हिंसाका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेरे कुछ मुसलमान मित्रोंने बताया कि वे असहयोगको आजमायेंगे, लेकिन अगर वह सफल न हुआ तब वे तलवारको अपनायेंगे। मैं तलवारका प्रयोग करनेकी बातके विरुद्ध हूँ। जो विद्यार्थी स्कूलोंका त्याग करें, अगर उनके अभिभावक उन्हें आर्थिक सहायता देनेसे इनकार करें तो उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनेके लिए पत्थर तोड़ने चाहिए अथवा भीख माँगनी चाहिए। इस तरह उन्हें पढ़ना और अपने गुजरका पेट भरना चाहिए। सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियोंको बिना किसी शर्तके स्कूलों और कालेजोंको छोड़ना चाहिए जो कष्ट सहनेके लिए तैयार हों, लेकिन केवल उत्तेजनावश उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

[illegible] गांधीजीने विद्यार्थियोंसे प्रश्न पूछनेके लिए कहा। एक विद्यार्थीने पूछा कि कोई विद्यार्थी तलवार अथवा कोई अन्य [illegible] किसी अन्य [illegible] नहीं। गांधीजीने कहा कि मैं इसे पसन्द नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जाना चाहे तो जा सकता है। विद्यार्थीने फिर पूछा [illegible] हैं। गांधीजीने कहा कि उनके लिए सब एक समान हैं। वे [illegible] नहीं हैं।”

१६. तार: जयरामदास दौलतरामको[1]

[२३ नवम्बर, १९२० को या उसके बाद]

निश्चय ही मैं जनताको सामाजिक वहिष्कारसे जो कि राजनीतिक वहिष्कारसे भिन्न है, परावृत्त करूगा। राजनीतिक वहिष्कारको सर्वथा आवश्यक मानता हूँ।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३५३) की फोटो-नकलसे।

१७. और कठिनाइयाँ

गुजरात विद्यापीठकी सीनेटने विद्यापीठसे सम्बद्ध स्कूलोमे 'दलितवर्गो' के बच्चोकी भरतीके सम्बन्धमे श्री एन्ड्रयूजके सवालके सिलसिलेमे जो प्रस्ताव[2] रखा उससे अहमदाबादमे सनसनी फैलनेका समाचार मिला है। उसमे 'टाइम्स ऑफ इडिया' के एक सवाददाताको न केवल सन्तोष हुआ बल्कि इसीसे उसे सीनेटके सविधानमे एक और दोषका भी पता चला है—वह दोष यह है कि उसमे कोई मुसलमान सदस्य भी नही है। लेकिन मै पाठकोको बताना चाहूँगा कि यह बात विद्यापीठके स्वरूपमे राष्ट्रीयताके अभावका प्रभाव नही है। हिन्दू-मुस्लिम एकता केवल कहने-भरकी बात नही है। इसके लिए किसी बनावटी सबूतकी जरूरत नही है। सीनेटमे कोई मुसलमान प्रतिनिधि न होनेका सीधा-सा कारण यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलनमे दिलचस्पी लेनेवाला कोई ऐसा उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमान नही मिला, जो इस कामके लिए अपना समय दे सकता। मै इस बातका उल्लेख सिर्फ यह दिखानेके लिए कर रहा हूँ कि इस आन्दोलनको लाछित करनेके लिए, हमारे उद्देश्योका गलत अर्थतक लगाकर किये जा रहे प्रयत्नोसे निपटनेके लिए हमे तैयार रहना चाहिए। यह एक सतही कठिनाई है और इससे आसानीके साथ निपटा जा सकता है।

१ जयरामदास दौलतराम, सिधके एक काग्रेसी नेता। यह उनके २३ नवम्बर, १९२० के तारके जवाबमें भेजा गया था। जयरामदासका तार इस प्रकार था "कुछ हिन्दू असहयोगियो, जिनमे दुर्गादास, गोविन्दानन्द, चोइथराम, घनश्याम, जयरामदास और हिन्दूके सम्पादक तथा अन्य लोग भी थे, की आज एक बैठक हुई। सामाजिक बहिष्कारके सुझावोपर बातचीत की। सबकी राय सामाजिक वहिष्कारके विरुद्ध रही, क्योकि उससे हमें लाभ नही होगा, हमारे आन्दोलनमें बाधा पडेगी, और उससे लोगोपर अत्याचार करनेके अवसर उत्पन्न होगे। आपसे अनुरोध है कि इस मामलेमें अपने प्रभावका उपयोग करें।"

२ देखिए पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ८।

दलित वर्गोकी कठिनाई हमारी आन्तरिक कठिनाई है और इसलिए कही ज्यादा गम्भीर है, क्योंकि उससे फूट पड सकती है और उद्देश्य-सिद्धिके हमारे प्रयत्न कमजोर बन जा सकते है। यदि आन्तरिक कठिनाइयाँ बढती ही जायें, उनका कोई अन्त ही न आये तो कोई भी उद्देश्य सफल नही हो सकता। फिर भी फूटसे बचनेके लिए सिद्धान्तोका त्याग बिलकुल नही हो सकता। यदि आप उद्देश्यके महत्त्वपूर्ण अंशोका परित्याग करे तो उसकी जडोपर प्रहार होता है और फिर वह उद्देश्य आगे नही बढ पाता। 'दलित वर्गो' की समस्या हमारे उद्देश्यका एक महत्त्वपूर्ण अग है। दलित वर्गोके साथ जो अन्याय होता आया है उसका पूरी तरह मार्जन किये बिना स्वराज्यकी कल्पना उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार सच्ची हिन्दू-मुस्लिम एकताके बिना। मेरी रायमें हमारी स्थिति साम्राज्यमे जो अछूतों और अति शूद्रो-जैसी हो गई है उसका कारण यही है कि हमने खुद अपने बीच अछूतो और अति शूद्रोका एक वर्ग बना रखा है। गुलामके मालिकको हमेशा गुलामसे कही ज्यादा क्षति उठानी पडती है। जबतक हम भारतकी जनताके पाँचवे भागको गुलामीमें रखेगे तबतक हम स्वराज्य पानेके योग्य नही होगे। जिन्हे हम शूद्र कहते है क्या हमने उन्हे पेटके बल नही चलाया है? क्या हमने उन्हे शेष समाजसे अलग नही रखा है? और यदि 'शूद्र' के साथ ऐसा व्यवहार करना धर्म है तो फिर हमें अलग रखना गोरी जातिका धर्म है। और यदि गोरी जातियोका यह कहना कि हम अपनी हीनावस्थासे सन्तुष्ट है, ठीक नही है तो हमारा भी यह कहना ठीक नही है कि 'दलित जातियाँ' अपनी अवस्थासे सन्तुष्ट है। जब हम गुलामीको प्यार करने लगते है तब वह मानो अपनी चरमावस्थाको पहुँच जाती है।

इसलिए गुजरातकी सीनेटने जब तूफानके आगे झुकनेसे इनकार कर दिया, तो उसने यह समझ लिया था कि उसे इसका क्या मूल्य चुकाना होगा। असहयोग आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया है। अगर हम स्वराज्यका पवित्र फल पाना चाहते है तो हम इन सडी-गली प्रथाओसे नही चिपटे रह सकते। मेरा स्पष्ट मत है कि अस्पृश्यताकी प्रथा एक रिवाज-मात्र है, हिन्दू धर्मका अभिन्न अग नही है। विचारके क्षेत्रमे दुनिया काफी आगे बढी हे, यद्यपि कर्ममे वह अब भी बर्बर हे। कोई भी धर्म ऐसी किसी चीजको, जो मूल सत्योपर आधारित नही है, मान्यता नही दे सकता। जो चीज गलत है, उसे अगर हम अच्छा बताये तो उससे धर्मका नाश उतना ही निश्चित हे जितना रोगकी उपेक्षासे शरीरका नाश।

हमारी यह सरकार एक धर्महीन सस्था है। इसने हिन्दू-मुसलमानोको अलग करके राज किया है। वह हिन्दू धर्मकी आन्तरिक दुर्बलताओसे लाभ उठा सकती है। वह 'दलित' वर्गोको शेष हिन्दुओके विरुद्ध और ब्राह्मणेतरोको ब्राह्मणोके विरुद्ध खडा कर देगी। गुजरात सीनेटके प्रस्तावसे यह समस्या समाप्त नही हो जाती। उससे तो इतना ही पता चलता है कि उसे हल करना कितना कठिन है। यह कठिनाई सिर्फ तभी दूर होगी जब सारा हिन्दू समाज, सामान्य हिन्दू जनता और इस समाजके विशिष्ट वर्ग, दोनो छुआछूतके पापसे अपनेको मुक्त कर लेगे। स्वराज्यका एक हिन्दू प्रेमी

'दलित' वर्गोंके उद्धारके लिए उतने ही उत्साहसे काम करेगा जितना कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए करता है। हमें उनके साथ अपने भाई-जैसा बरताव करना चाहिए और उन्हे वही अधिकार देने चाहिए जो हम अपने लिए माँगते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-११-१९२०

१८. कौंसिलोंके चुनाव[1]

जहाँतक मतदाताओंका सम्बन्ध है, कौंसिलोंके सम्बन्धमे बम्बई प्रेसीडेन्सी तथा अन्य स्थानोंके निर्वाचनोंमे असहयोगकी नीतिकी सफलता जाहिर हो गई है। कही-कही तो लगता है कि एक भी मतदाताने अपना मत नही दिया। ऐसी स्थितिमें तथाकथित प्रतिनिधि क्या करेंगे? वे जानते हैं कि मतदाता मतदानके लिए आलस्य-वश नही वरन् सोच-समझकर ही नही गये हैं। वे यह भी जानते हैं कि हजारो मतदाताओंने लिखित रूपसे अपनी यह इच्छा घोषित की है कि वे कोई प्रतिनिधि नही चुनना चाहते। सदस्योंके पास मतदाताओंको प्रभावित करने और उन्हे मत देनेकी जरूरत समझानेका पूरा अवसर था। वे धमकी या धरना देनेकी भी शिकायत नही कर सकते। क्योंकि धरना न देनेकी हिदायत दे दी गई थी और जहाँतक मैं जानता हूँ, इस हिदायतका पूरी तरहसे पालन किया गया है। इन तथ्योंको देखते हुए निर्वाचित घोषित किये गये सदस्योंका क्या यह स्पष्ट कर्त्तव्य नही है कि वे कौंसिलोंसे कुछ भी सम्बन्ध न रखें? मतदाताओंने तो साफ-साफ बता दिया है कि वे सशोधित कौंसिलोंसे कुछ सरोकार नही रखना चाहते। यदि सदस्य इस यथासम्भव स्पष्टतम प्रतिकूल समादेशके रहते हुए भी कौंसिलोंमे जानेका आग्रह करते हैं तो वे जनमतका प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्थाओंको एक मखौल बना देंगे।

यदि तथाकथित प्रतिनिधि अपने मतदाताओंके आदेशको नही मानते, तो मतदाताओंके लिए रास्ता बिलकुल साफ है। उन्हे मतदाता सघ बनाने चाहिए और इन सघोंके द्वारा अविश्वासके प्रस्ताव पास करने चाहिए, उन्हे अपने-अपने क्षेत्रके सदस्योंको लिखकर अवश्य सूचित करना चाहिए कि उन्होंने स्वयको जो निर्वाचित घोषित होने दिया है उसे हम ठीक काम नही मानते। और इसके साथ यह भी होना चाहिए कि किसी भी हालतमे मतदाता इन सदस्योंसे कोई काम कतई न ले। उनके लिए कौंसिल है ही नही। उन्हे उससे कोई राहत पानेकी कोशिश नही करनी चाहिए। यदि मतदाताओंके इस निर्णयके बाद भी कौंसिलका निर्माण हो जाता है तो उस समय मतदाताओंके लिए दूसरी परीक्षाका समय आयेगा। कौंसिलोंमे प्रश्न उठाकर अपनी शिकायतें पेश और प्रकाशित करनेका बहुत लोभ होगा। लेकिन मतदाताओंको इस लोभका सवरण करना होगा।

1 ये चुनाव नवम्बर १९२० में हुए थे तथा बम्बई विधान परिषद्के लिए १६ नवम्बरको।

वैसे तो हमें अपने देशके युवकोंसे खातिर आशा तो यही करनी चाहिए कि सबके सब महात्माजीके उतने जोरसे घोषित निर्णयके सामने सिर झुकायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-११-१९२०

१९. प्राथमिक शिक्षाकी दशा

पण्डित गंगाराम शर्माका[1] पत्र जो अन्यत्र दिया जा रहा है,[2] राष्ट्रीय शिक्षाके प्रश्नपर अवसरोपयोगी विचार प्रस्तुत करता है। वे पंजाबमें प्राथमिक शिक्षापर उपयोगी परीक्षण भी कर रहे हैं और उन महत्त्वपूर्ण समस्यापर काफी प्रकाश डाल सकते हैं। उनका सरकारी मदद लेने और अपने स्कूलको सरकारसे सम्बद्ध करानेसे इनकार कर देना उनकी योजनाको और भी आकर्षक बना देता है। योजनाको पण्डित मदनमोहन मालवीयजी और श्री नारियरके आशीर्वाद प्राप्त हैं। कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षापूर्ण और सुविचारित है। योजना खर्चीली नहीं है। मुझे डर इतना ही है कि उनने जरूरतसे ज्यादा काम समेट लिये हैं। परन्तु किसी प्रयोगकी प्रयोग-स्थलपर जाकर सावधानीसे परीक्षा किये बिना आलोचना करना अनुचित है। मैं प्राथमिक शिक्षाकी किसी भी योजनामें अंग्रेजीका ज्ञान शामिल करनेके औचित्यपर आपत्ति करता हूँ। मेरी रायमें इस देशके हजारों लड़के-लड़कियोंको अंग्रेजी जाननेकी कतई जरूरत नहीं है। उन्हें भाषाओंके बजाय विचारोंकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो छोटे बच्चोंको भी स्वराज्य तथा अन्य जरूरी विषयोंका ज्ञान दे सकता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि इसके लिए उन्हें उच्च साहित्यिक ज्ञान पानेतक रुकना चाहिए। शिक्षाकी वर्तमान प्रणाली और तरीका, बच्चेको अनेकों निरर्थक तथ्योंका ज्ञान कराता रहता है और उसकी बुद्धिका विकास तबतक उपेक्षित ही रहता है जबतक कि वह उच्च कक्षाओंमें शिक्षा नहीं पाने लगता। इस तरह हम अकारण ही ऐसा समझने लगे हैं कि स्वतन्त्रता, धर्म आदिके बारेमें हम सही विचारोंको अंग्रेजीके ज्ञानके बिना ग्रहण नहीं कर सकते, फल यह हुआ कि अंग्रेजीके प्रति हममें अंधा मोह पैदा हो गया है।

पण्डित गंगाराम शर्माके पत्रका ज्यादा दिलचस्प अंश वह है जिसमें वे उन कठिनाइयोंके बारेमें बताते हैं जो स्थानीय अधिकारियोंने उनके रास्तेमें डाली, उस अंशमें वे पंजाबमें प्राथमिक शिक्षाकी 'प्रगति' के आश्चर्यजनक आंकड़े भी पेश करते हैं। इन आँकड़ोंसे जान पड़ता है कि १८४४ में १२७ लाखकी आबादीमें ३०,००० देशी स्कूल थे जिनमें ४ लाख बच्चे शिक्षा पाते थे। १९१८-१९में १९० लाखकी आबादीमें केवल ९३३ देशी स्कूल थे और ४,१७१ सरकारी स्कूल जिनमें कुल मिलाकर २,३९,३३२ बच्चे शिक्षा पाते थे। यदि ये आँकड़े सही हैं तो पंजाबमें प्राथमिक

१ पंजाबके एक स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता।

२ यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

शिक्षाकी दशा आज सन् १८४९ की अर्थात् ब्रिटिश शासनसे पूर्वकी अपेक्षा अधिक बुरी है। फिर भी हमें बताया जाता है कि यदि हम शिक्षाका राष्ट्रीयकरण करें तो हम उसका आर्थिक भार वहन नहीं कर सकते।

पण्डित गंगाराम शर्माने और भी ऐसे तथ्य तथा आंकडे मुझे बताये हैं जो ब्रिटिश शासनकी प्रतिष्ठाके लिए उतने ही हानिकर हैं। मैं उनके बारेमें बादमें लिखूंगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-११-१९२०

२०. तार : नारणदास गांधीको[1]

[२४ नवम्बर, १९२० को या उसके बाद][2]

लड़कोंको दृढ़ रहना चाहिए, हुल्लड़बाजीसे बचना चाहिए, नित्य कवायद करनी चाहिए व तबतक घरमें पढाई जारी रहनी चाहिए जबतक नया हाई स्कूल न खुले या इस हाई स्कूलका राष्ट्रीयकरण न हो जाये। उन्हें अभिभावकोंसे अवश्य सलाह लेनी चाहिए और यदि कोई विरोध हो तो उसे विनयपूर्वक सहना-सँभालना चाहिए। बैंकरसे[3] मशविरा करो। तीन स्कूल मास्टरोंने सेवाएँ अर्पित की हैं।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३५४) की फोटो-नकलसे।

१ यह तार नारणदास गांधीके २३ नवम्बरको बम्बईसे दिये गये तारके जवाबमें भेजा गया था। नारणदास गांधीने अपने तारमें गांधीजीको सरकारी मान्यता प्राप्त गोकुलदास तेजपाल स्कूलके तीन सौ लड़कों द्वारा स्कूल छोड़ दिये जानेकी खबर दी थी और उनकी सलाह मांगी थी।

२ नारणदासका तार गांधीजीको २४ नवम्बरको मिला था।

३ शंकरलाल बैंकर, सामाजिक कार्यकर्ता और अहमदाबादके मजदूर नेता। **यंग इंडियाके** प्रकाशक अहमदाबादकी कपड़ा मिलोंकी हड़तालके दौरान गांधीजीके निकट सम्पर्कमें आये, १९२२ में गांधीजीके साथ जेल गये।

२१. तार : चिरावुरी यज्ञेश्वर चिन्तामणिको[1]

[२५ नवम्बर, १९२० को या उसके बाद][2]

मैं निश्चय ही असहयोगियों द्वारा किसीका प्रचार[3] करनेका विरोधी हूँ। चूँकि मैंने उनमें पक्ष लेनेका रुझान पाया इसीलिए मैंने असहयोगियोंको उस प्रलोभनके विरुद्ध चेतावनी देना शुरू किया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे नामसे किसीको भी झाँसीमें या अन्यत्र किसी उम्मीद-वारको [किसी दूसरे उम्मीदवारकी तुलनामें] ज्यादा अच्छा वतानेका अधिकार नहीं है। आशा है यदि आप झाँसीके अधिकांश मतदाताओंको चुनावके विरुद्ध पायेंगे तो आप उक्त चुनाव-क्षेत्रकी इच्छाका सम्मान करेंगे।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३५५) की फोटो-नकलसे।

२२. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, वनारसमें[4]

२६ नवम्बर, १९२०

कुछ मास पूर्व मैंने आपसे संयमके वारेमें कुछ कहा था,[5] आज भी आपके सामने मैं अपने हिसावसे संयमकी ही वात करने आया हूँ। आजकल यह कहा जा रहा है कि मैं विद्यार्थियोंको वहका रहा हूँ। मैं पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहता हूँ कि मैं किसीको वहकाना नहीं चाहता। मैं विद्यार्थियोंको वहका ही नहीं सकता। मैं भी एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी अवस्थामें हर काम विनयपूर्वक करता था। मैं चार वच्चोंका पिता हूँ और ऐसे सैंकड़ों लड़के मेरे पास आ चुके हैं, मैं आज भी जिनके पितास्वरूप होनेका दावा करता हूँ। ऐसी हालतमें मेरे मुँहसे उन्हें वह-कानेकी वात निकल ही नहीं सकती।

१ सर चिरावुरी यज्ञेश्वर चिन्तामणि (१८८०–१९४१), प्रमुख पत्रकार, लेखक और राजनीतिज्ञ, इलाहावादके प्रसिद्ध दैनिक लीडरके सम्पादक।

२ यह तार चिन्तामणिके झांसीसे दिये गये २५ नवम्बर, १९२० के तारके जवावमें था जो इस प्रकार था "आपके कुछ अनुयायी आपके नामपर मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं और मतदाताओंको मेरे एक विरोधीको मत देनेके लिए उकसा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ऐसा मन्तव्य कभी नहीं हो सकता। आपसे प्रार्थना है कि अपने मित्रोंको तदनुसार तार दें। कृपया तारसे जवाव दीजिए।"

३ मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधारोंके अन्तर्गत नवम्बर-दिसम्वर १९२० में हुए विधान सभाओंके चुनावोंके सम्वन्धमें।

४. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत।

५ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४८।

परन्तु आज तो मैं जो-कुछ कर रहा हूँ, उसे बुजुर्ग लोग ऐसा मानते हैं कि मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ, उनका खयाल है कि जिस सत्यके आग्रहका मैं दावा करता हूँ, उससे भी मैं थोडा डिग गया हूँ, और जिस विवेकका दावा करता रहा हूँ, मेरी आजकलकी भाषामें वह भी नही बचा है। इन सब बातोको मैं सोचता हूँ, और मेरी आत्मा कहती हे कि ऐसा नही है। मैं अविवेकपूर्ण भाषाका इस्तेमाल नही करता। मैं जो कहता हूँ वह शान्तिसे, सोच-समझकर कहता हूँ। बात यह है कि मैं पिछले दिसम्बरतक[1] जिस भ्रममे था, मेरा वह भ्रम भग हो गया हे और इस कारण आज मेरे मुँहसे जो भाषा निकलती है, वह कुछ अलग है। परन्तु बात जैसी है, वैसी ही मैं कह रहा हूँ। मुझे जो कुछ गन्दा जान पडता है उसे गन्दा न कहनेसे सत्यका भग और अविवेक होता है। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बतानेमें विवेकका भग नही है और सत्यका पालन है। यद्यपि एकान्तिक सत्य तो मौनमे ही हे, फिर भी जब भाषाका प्रयोग करना पडता हे तब उसमे सम्पूर्ण सत्य तो तभी आयेगा, जब मैं स्थितिको जैसी पाऊँ, वैसी ही व्यक्त करूँ।

'लीडर'मे पण्डितजीका[2] एक व्याख्यान आया है। उनसे उसके प्रकाशनकी अनुमति ले ली गई थी। उसके एक वाक्यकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वाक्य है 'सब कुछ सोच-समझकर जो तुम्हारी अन्तरात्मा कहे, सो करो।' मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ। यदि आपकी अपनी अन्तरात्माकी सच्ची आवाजके बारेमे कुछ भी सन्देह रह जाये, यदि आप स्वय मनमे निर्णय न कर पाये तो मेरी न माने, किसी दूसरेकी भी न माने, केवल मेरे पूज्य भाई साहब, पण्डितजीकी ही माने। मालवीयजीसे बडे धर्मात्मा मैंने नही देखे। जीवित भारतीयोमे मुझे उनसे ज्यादा भारतकी सेवा करनेवाला भी कोई दिखाई नही देता। पण्डितजीमे और मुझमें, दोनोमे कैसा सम्बन्ध है? मैं तो दक्षिण आफ्रिकासे आया, तभीसे उनका पुजारी हूँ। मैंने अपने दु ख अनेक बार उनके आगे रोये हे और उनसे आश्वासन प्राप्त किया है। वे तो मेरे बडे भाईके समान हे।

मेरा ऐसा सम्बन्ध है। इसलिए मैं तो यह कह सकता हूँ कि आप मेरे कहे अनुसार तभी करे जब आपके दिलसे यह आवाज निकले कि जो गाधी कहता है वही सत्य बात है। परन्तु यदि आपको ऐसा लगे कि दोनो हमारे नेता हे, दोनोमे से एकको चुनना है तो आप पण्डितजीका ही कहना मानें। जरा भी अन्देशा हो तो आप मेरी बात न माने, यदि मानेगे तो उससे आपका अहित ही होगा। पण्डितजी विश्वविद्यालयके कुलपिता हे, पण्डितजीने उसकी स्थापना की है, वे उसकी आत्मा हे और उनका आदर करना हमारा धर्म है। इस मामलेमे मैं मानता हूँ कि पण्डितजी भूल रहे हे। इस बारेमे आपको लेशमात्र भी शका हो तो आप लोग मेरी बात न माने। मेरे पास एक सज्जन आये। उन्होने कहा कि "आप काशी जायेंगे, परन्तु इस समय पण्डितजीकी तन्दुरुस्ती नाजुक है। आपके वहाँ जानेसे उन्हे सख्त आघात

१ दिसम्बर, १९१९ में अमृतसर कांग्रेसमें गांधीजीने मॉण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारोंका समर्थन किया था।
२ प० मदनमोहन मालवीय।

५४०

पहुँचेगा, और पण्डितजीको रोता बैठनेकी नौबत आ सकती है। कहीं आपका काशी छोड़ना पण्डितजीकी मृत्युका कारण न बन जाये। पण्डितजीकी मृत्युका कारण मैं कैसे बन सकता हूँ? पण्डितजीकी आत्मा तो मर नहीं सकती परन्तु उन सज्जनको मेरे काशी आनेमें पण्डितजीकी मृत्यु दिखाई दी। उन्होंने कहा, 'लड़के आपका कहना मानेंगे, वे विश्वविद्यालयसे निकल जायेंगे पण्डितजीको अपना जीवन-कार्य नष्ट हुआ दिखाई देगा और इससे उनका शरीरान्त हो जायेगा। मुझे इसपर कुछ हँसी आई। मुझे ऐसा लगा कि वे सज्जन पण्डितजीको नहीं जानते। पण्डितजी कोई कायर नहीं हैं कि ऐसी बातसे प्राण छोड़ दें।

यह सही है कि विद्यालय पण्डितजीका प्राण है। परन्तु मेरी समझमें उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है। पण्डितजी आशावादी ठहरे। पण्डितजीका दृढ़ विश्वास है कि कोई भी भारतका बुरा करनेमें समर्थ नहीं है। भारतकी बागडोर किसीके हाथमें नहीं, वह ईश्वरके हाथमें है और उसका कल्याण करनेवाला ईश्वर विद्यमान है। फिर भी मैंने पण्डितजीको तार[1] दिया और पण्डितजीने मीठे शब्दोंमें जवाब दिया कि मैं काशी पहुँचूं।

पण्डितजीका यह खयाल है कि आप लोगोंमें से कुछ लोग बिना विचारे कदम उठा रहे हैं और बिना विचारे आप कुछ भी करेंगे तो स्थान-भ्रष्ट हो जायेंगे। परन्तु यदि आप लोगोंको ऐसा लगे कि इस संस्थामें पढ़ना पाप है तो आप इसे तुरन्त छोड़ दें, पण्डितजी आपको आशीर्वाद देंगे। परन्तु यदि आपकी आत्मा प्रज्वलित नहीं है तो आप मेरे बजाय पण्डितजीकी ही सुनें।

हमारा काम तभी अन्तरात्मासे प्रेरित हो सकता है जब अपने-आपमें वह स्वच्छ हो, उसका हेतु स्वच्छ हो और उसका परिणाम भी स्वच्छ हो। परन्तु उसपर एक और भी बन्धन शास्त्रोंने लगा रखा है। जो संयमी है, जो अहिंसा, सत्य एवं अपरिग्रहका पालन करनेवाला है, वही कह सकता है कि मुझे अन्तरात्माका आदेश हुआ है। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आपके हृदयमें दया नहीं है, मर्यादा नहीं है, सत्य नहीं है तो आप अपने किसी कामको अन्तरात्मासे प्रेरित नहीं कह सकते। परन्तु यदि आपका हृदय वैसा है जैसा मैंने वर्णित किया है, यदि आपने पश्चिमके ढंगका त्याग कर दिया है, आपके स्वच्छ हृदय-मन्दिरमें प्रभुका निवास है तो आप अपने माँ-बापका भी सविनय अनादर कर सकते हैं। उस स्थितिमें आप स्वतन्त्र हैं और इसलिए आप कदम उठा सकते हैं। मुझे मालूम है कि पश्चिममें स्वेच्छाचारकी हवा बह रही है। परन्तु भारतीय विद्यार्थियोंको मैं स्वच्छन्द नहीं बनाना चाहता। यदि इस पवित्र काशी क्षेत्रमें, इस पवित्र स्थानमें, मैं आपको स्वेच्छाचारी बनाना चाहूँ तो मैं अपने कार्यके योग्य नहीं।

मैं लड़कोंसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पाठशाला छोड़ना धर्म है? क्या मैं उनका विद्यार्थी-जीवन नष्ट करना चाहता हूँ? नहीं। मैं स्वयं अभीतक विद्यार्थी-जीवन बिता रहा हूँ, विद्यार्थी ही हूँ। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जिसे स्वतन्त्रताकी

१ देखिए "तार मदनमोहन मालवीयको", २०-११-१९२० के आसपास।

अशोक वाटिकामे केवल फल-फूलपर निर्वाह करनेवाली सीताजी जैसा शान्तिमय असहयोग करनेकी ताकत आपमें न आये, तो भारत नष्ट हो जायेगा, वह गुलामीमें सड़ता ही रहेगा, इस बातमें मुझे जरा भी शक नहीं।

यह हुकूमत राक्षसी क्यो है, इसके कारणोमें मै जाना नही चाहता। परन्तु पजाबमें अत्याचार करनेवाली, छ-छ, सात-सात वर्षके बालकोको धूपमे चलानेवाली, स्त्रियोकी लाज लूटनेवाली——और जिन कर्मचारियोने ये अत्याचार किये, उनके लिए यह कहनेवाली कि उन्होने कोई अपराध नही किया, उन्होने तो हुकूमतको बचाया——ऐसी हुकूमतके अधीन पाठशालाओमें पढना मेरे खयालसे सबसे बडा अधर्म है। मेरे बुजुर्ग पण्डितजी उसमे धर्म देख पाते है। शास्त्र मुझे ऐसा नही सिखाते। मै रावणके हाथो 'गीता' या 'कुरान' या 'बाइबिल' नही पढ सकता। जिसने 'गीता'का धार्मिक दृष्टिसे अध्ययन किया हो, मै तो उससे 'गीता' सीखूँगा। शराब पीनेवालेसे कैसे सीख सकता हूँ? मेरी आत्मा कितनी जल रही है, उसका मै आपको अन्दाज नही करा सकता। इस सल्तनतकी मैने तीस वर्ष सेवा की। मुझे उसका पश्चात्ताप नही है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मै उसकी सेवा नही कर सकता, क्योकि मैने पजाबके अत्याचार देखे है। साथ ही मुझे यह भी दीख रहा है कि यह हुकूमत कितने ही वर्षोसे भारतका ऐसा सर्वनाश कर रही है कि उसके मुकाबलेमे पजाबके अत्याचार कुछ भी नही। जब मै आपकी उम्रका था, तब मैने दादाभाई नौरोजीका[1] 'पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इडिया" पढा था। उसमे उत्तरोत्तर बढनेवाला देशका जो शोषण साबित किया गया था, क्या वह आज भी कुछ कम हो सका है? सैनिक खर्च बढता ही गया है या नही? पेंशनोमें देशके बाहर बह कर जानेवाली राशि भी बढी है या नही? विदेशी मालका आयात अधिकाधिक बढ रहा है या नही? यदि इन प्रश्नोका उत्तर 'हाँ' हो, तो मै कहता हूँ कि लॉर्ड सिन्हा[2]-जैसे व्यक्ति गवर्नर भले ही बन जायें——यहाँतक कि पण्डितजी जैसे व्यक्तियोको वाइसराय ही क्यो न बना दिया जाये, मै उन्हे सलाम करने हरगिज नही जाऊँगा। असली स्थिति यह है कि इस राज-प्रथाके मातहत हमारी गुलामी बढती ही जा रही है। और गुलाम जब गुलामीकी जजीरकी चमक देखकर मुग्ध हो जाये, तब उसकी गुलामी सम्पूर्ण हुई कहलाती है। मै कहता हूँ कि पैंतीस वर्ष पहले जो गुलामी थी, उससे हममे अब अधिक गुलामी है। हम अधिक हताश होते जा रहे है। हमारी कायरता बढती जा रही है। इसलिए मै तात्त्विक दृष्टिसे कहूँ तो मुझे यह कहना ही पडेगा कि हममे गुलामीकी मात्रा बढती जा रही है।

१ दादाभाई नौरोजी (१८२५–१९१७), प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा देशभक्त, 'भारतके पितामह' नामसे प्रसिद्ध। १८८६, १८९३ और १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनोंके अध्यक्ष।

२ सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा (१८६४–१९२८); वाइसरायकी परिषद्के कानून सदस्य, प्रथम भारतीय गवर्नर। बम्बईमें १९१५ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष।

बाबू भगवानदासके[1] विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानका[2] एक भाग मुझे सदा याद आता रहा है। उन्होने कहा है कि यदि हमारे राज्यकर्त्ता वणिक बनकर राज्य करे, और साधारण चीजोका ही नही, भाग-गाजे-जैसे नशेके साधनोका व्यापार करे, तब वे अधम हो जाते है और हमे उनका त्याग कर देना चाहिए। इस हुकूमतने हिन्दुस्तानको नापाक कर दिया है। आबकारी विभाग बढता ही जा रहा है। गोखलेजी-जैसे लोगोने पाठशालाएँ बढानेकी आवाज उठाई थी, परन्तु स्थिति यह है कि सन् १८५७ मे पजाबमे ३०,००० पाठशालाएँ थी, और आज वहाँ ५,००० है। सरकारने इतनी पाठशालाएँ खतम कर दी। सरकारमे योजना-शक्ति है। हममे भी है। परन्तु हमे उसने भ्रममे रखा है। वह हमे स्वराज्यका कौनसा पाठ पढायेगी? धारासभामे जाकर हम स्वराज्यका क्या सबक सीखेगे? स्वराज्य-शक्ति सीखना चाहते हो तो अरबोके पास जाओ, बोअरोके पास जाओ। मै तो कहता हूँ कि हममे आज भी स्वराज्य-शक्ति है, परन्तु हम सिह होते हुए भी अपनेको बकरी मान बैठे है। जब यह भावना उत्पन्न हो जाये कि जिनमे आत्मा है, उन्हे कौन ठग सकता है, तब सच्ची शिक्षा मिली समझिए। ऐसी तालीम पा लेनेके बाद ही आप दूसरी साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते है। आज तो आप ऐसी शिक्षा पा रहे है जिससे बेडियाँ और अधिक मजबूत हो जाये। डिग्रियोपर मुग्ध होनेके कारण हम आज कह रहे है कि हमे चार्टर चाहिए। हम उन पेडोके नीचे क्यो नही पढे? हमे बडी-बडी शानदार इमारते क्यो चाहिए? देशमे जहाँ कितने ही मनुष्योको पूरा खानेको नही मिलता, जहाँकी स्त्रियाँ बदलनेको दूसरे कपडे न होनेके कारण कई दिनोतक स्नान नही कर पाती, वहाँ आप लोगोको पढने-लिखनेके लिए बडे-बडे महल चाहिए? ऐसा आग्रह हो तो आप असहयोगको भूल जाये। देशके लिए दर्द हो, मेरे अन्दर जो आग जल रही है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान-वकानकी बात भूल जाइए और जैसा मै कहता हूँ वैसा असहयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करेगे तो जो प्रतिज्ञा मैने अन्यत्र[3] की है, इस पवित्र स्थानमे उसे फिर दुहराता हूँ कि हमे एक वर्षमे स्वराज्य मिल जायेगा।

मै बार-बार कहता हूँ कि स्वराज्य तभी मिलेगा जब आप अपना धर्म पहचानेगे। जयनाद करनेसे वह नही मिल सकता। मै ये बाते क्यो कह रहा हूँ? मुझे धन-दौलत नही चाहिए, मान-सम्मान नही चाहिए, भारतका राज्य नही चाहिए, मुझे तो भारतकी आजादी चाहिए। लोग मुझसे कहते है कि आप दूसरोसे मिल जाइये। परन्तु मै मिल नही सकता, अपने हृदयके मतके विरुद्ध मै किसीसे मिलकर एक नही हो सकता, अन्तरात्माकी आवाजको धोखा देकर एक नही हो सकता, मै सिद्धान्तकी बातको छोडकर नही मिलना चाहता। और सिद्धान्तकी बात यह है कि स्वराज्य लेना हो, तो

१ (१८६९–१९५९) सुप्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक, काशीकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा-सस्था काशी विद्यापीठके प्रथम कुलपति, उत्तर प्रदेश काग्रेसके एक प्रमुख नेता, भारत-रत्नकी उपाधिसे सम्मानित।

२ मुरादाबादमें ९, १० और ११ अक्तूबरको हुए राजनीतिक सम्मेलनमें अध्यक्ष पदसे दिया गया भाषण।

३ सितम्बर १९२० में कलकत्ताके विशेष काग्रेस अधिवेशनमें।

प्रत्येक आदमीको आजाद होना चाहिए। जितना स्पष्ट आप सामनेके पेड़ोंको देख रहे हैं, उतना ही स्पष्ट जब आपकी अन्तरात्मा प्रत्यक्ष यह अनुभव करे कि यह सल्तनत राक्षसी है, इसकी दी हुई शिक्षा लेना पाप है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कितना ही कहे कि हमारा विश्वविद्यालयपर कोई नियन्त्रण नहीं है, फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूपसे अपना असर उसपर डाल सकते हैं। यदि आपको यह प्रतीति हो जाये कि इस हुकूमतसे शिक्षा प्राप्त करना देशके प्रति बेवफाई है तो आप एक क्षण भी इन विद्यालयमें न रहे, इसके पास भी न फटके।

मै कहता हू कि आप इस धधकती आगसे दूर हो जाएँ, अन्य सारी जोखिम उठा लीजिये। दूसरे प्रश्न मुझसे न पूछे। यह न पूछें कि विद्यार्थी फिर क्या करे। यह न पूछें कि प्रोफेसर नही है, मकान नही है, पढेंगे कहाँ। ताकत हो तो अपने-अपने घर चले जाओ। घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी बनो, सत्यशील बनो तो तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय है। परन्तु इन प्रासादोमे (विद्यालयके मकानोकी ओर इशारा करके) उसकी तुलना करना चाहोगे तो आपका पतन हो जायेगा। इन प्रासादोके प्रति यदि आपकी आसक्ति है तो आप भ्रष्ट हो चुके हैं। इन महलो और घरोमे क्या साम्य है? विलायतमे [घरो और विद्यालयोमे] तो कुछ-कुछ साम्य होता है, परन्तु यहाँ वह इतना भी नही, यहाँ तो ये [भवन] निरे लूटके पैसोसे बने हैं। जो स्वतत्र नहीं है वह तो ईश्वरका नाम भी सुखपूर्वक नही ले सकता। आप आज ही अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते है, यदि इस विद्यालयसे निकलकर कोई नारायणका नाम जपे, राम-नाम भजे तो वह भी बहुत बडी शिक्षा है, ऐसा विश्वास जिसे हो जाये, वह उपर्युक्त तीनो प्रकारकी स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका समझिए। भारतके विद्यार्थियोमे मै ऐसी रूह फूंक सकूँ, तो मै उनमे से स्वराज्यकी सेना खडी कर सकता हूँ। मै कहता हूँ कि इस सल्तनतकी हवा जबतक इन पाठशालाओमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे असर कर रही है, तबतक इन पाठशालाओको छोडे बिना कोई चारा ही नही है। परन्तु यदि आपमे आत्मविश्वास न हो तो आप जहाँ हैं, वही बने रहे।

यहाँ दो सौ विद्यार्थियोने विद्यालय छोडनेकी प्रतिज्ञा ली है। इससे मुझे दुख हुआ। दुख प्रतिज्ञा लेनेमे नही हुआ। दुख इस बातमे हुआ कि कही बादमे इन विद्यार्थियोमे अविश्वास पैदा न हो जाये। आप लोग यह मानते है कि गाधी कोई जादूगर है, वह पलक मारते ही विद्यालय भी बना देगा। यह आपकी भूल है। तब तो मै आपसे कहता हूँ कि अनारम्भ प्रथम बुद्धि-लक्षण है। आप लोग इतना सोचे-विचारे बिना विद्यालय छोडेगे तो मै पापका भागी बनूंगा। मै तो कहता हूँ कि आप विद्यालय छोडकर घर बैठे, इस आगसे बचे। आपमे आत्म-विश्वास होगा, तो आप आज ही विद्यालय भी बना सकेगे। परन्तु जैसा पण्डित जवाहरलालने और अलीगढमे मुहम्मद अलीने कहा है, बिना किसी शर्तके विद्यालय छोडे। सात हजार बार गरज हो, तो छोडे, नही तो वापस चले जाये। और छोडकर वापस जाना हो, तो छोडे ही नही। यदि हम अपने धर्मका पालन न करे, तो हमारा देश अपना नही बचता। आपकी प्राचीन सस्कृति और पवित्रताका नाम लेकर मै आपसे जो कह रहा हूँ, उसका

खयाल करे। मै वार-वार कहता हूँ कि जरा भी अन्देशा हो तो मालवीयजीकी ही वात माने। उन्होने यह विश्वविद्यालय वनानेमे अपनी उम्र खपा दी है। पर जैसे सामनेकी वस्तु साफ दीखती है, वैसे ही अन्तरात्मामे आपको यह स्पष्ट प्रतीति हो कि यहाँ रहना पाप है तो आप विद्यालय छोड दे। 'प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्' हमारा शास्त्र-वचन है। आप सोलह वर्षसे ऊपरके हो गये, इसलिए जो मैने आज आपसे कहा है वह कहनेका मुझे अधिकार है। यही तालीम मैने अपने पुत्रोको दी है और मैने उनका कुछ नही विगाडा। अन्तमें आपसे कहता हूँ कि काशी विश्वनाथ आपको निष्कलुष वनाये, धैर्य दे, तपश्चर्या दें और वह सभी कुछ दे जिसकी आपको आवश्यकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५–१२–१९२०

२३. भाषण : बनारसकी सार्वजनिक सभामे[1]

२६ नवम्बर, १९२०

मै अशक्त होनेके कारण खडा होकर नही वोल सकता, इसलिए आप लोग क्षमा करे। कुछ दिन हुए, मौलाना अवुल कलाम आजाद[2] और हम यहाँ आये थे। उस समय हमने आपसे कुछ कहा था। उसी कामके लिए हम आज फिर आये है। हम इस वक्त खासतौरसे विद्यार्थियोसे कुछ कहना चाहते थे पर आप लोगोकी मुहब्बत इतनी अधिक थी कि यहाँ आना ही पडा। आप लोगोसे हमे यह कहना है कि हमारी सल्तनत राक्षसी सल्तनत है। हमारा फर्ज है कि या तो उसे दुरुस्त करे या मिटा दें। हमारी हालत वडी खराव है। आजतक हम लोगोने सिर्फ वातोसे काम लिया है। अव हरएक स्त्री-पुरुषका फर्ज है कि वह काम करे। आप लोग क्या कर सकते है? अगर आप लोग इस सल्तनतको राक्षसी सल्तनत नही समझते तो हम उसका कोई सवूत नही देगे। हम इसे वहुत वुरी मानते है और इसे मिटा डालना या सुधारना जरूरी समझते है। अगर इसने पश्चात्ताप नही किया, अगर पंजावके प्रति न्याय और खिलाफतके प्रति इन्साफ नही किया तो इसका साथ नही दिया जा सकता। इसको हम लोग दुरुस्त कैसे कर सकते है? हमारी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख लीग सवने इसको दुरुस्त करनेका तरीका वतला दिया है। यह तरीका असहयोगका या वाअमन तर्के-मवालातका है, अर्थात् न सरकारसे मदद ले, न सरकारको मदद दे। इसके साथ असहयोग किस

१. यह सभा वावू भगवानदासकी अध्यक्षतामें टाउन हॉलके मैदानमें हुई थी। उपस्थित लोगोंमें पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और देशबन्धु चित्तरंजन दास भी थे।

२. १८८९–१९५८, कांग्रेसी नेता तथा कुरानके प्रसिद्ध व्याख्याकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके दो बार निर्वाचित अध्यक्ष, भारत सरकारके शिक्षा-मन्त्री।

तरह करें? पहले हम खिताबोंको छोड़ दें। हमारे लिए खिताब हराम है। फिर हमें अदालतें छोड़नी चाहिए। इन्साफ करना हमारे ही हाथमें रहना चाहिए। ये अदालतें सरकारकी जड़ मजबूत करती है। वकीलोंको वकालत छोड़ देना चाहिए। अगर उनसे हो सके तो वकालत छोड़नेके बाद देशकी सेवा करें। अगर सेवा न हो सके तो वकालत छोड़ना ही काफी सेवा है। उनको दूसरा धन्धा करना चाहिए। माँ-बापको चाहिए कि मदरसों और विश्वविद्यालयोंसे अपने सब लड़कोंको हटा लें। जो लड़के १६ वर्षके हो गये हों उनको वे मित्रकी तरह सलाह देकर हटा लें। उनसे कहना चाहिए कि तुम वहाँ न पढ़ो, तुम्हें ऐसी जगह तालीम लेनी चाहिए जहाँ तुम आजाद रह सको। जहाँ सरकारका झंडा हो, वहाँ तालीम नहीं लेनी चाहिए।

कांग्रेसने यह भी कहा है कि कौंसिलोंमें नहीं जाना चाहिए। ३० तारीखको कौंसिलोंका चुनाव है। यह इम्तहानका दिन है। पहले हमें उम्मीदवारोंसे कहना चाहिए कि बैठ जाइए। अगर वे न मानें तो वोटरका फर्ज है कि वह उस रोज घरमें बैठा रहे और वोट न दे। २९की राततक उम्मीदवारोंको समझाना चाहिए। पैर छू-छूकर उनसे कहना चाहिए कि आप कौंसिलके लिए खड़े न हों। अगर वे आपकी बातें न मानें और कौंसिलमें जाना चाहें तो आपका फर्ज है कि उन्हें कोई मदद न दें और उनसे काम न लें। फिर, सिपाहीगिरी करना हराम है। आप लोग भर्तीके सिपाही न हों, आप लोगोंको हिन्दुस्तानकी आजादीका सिपाही होना चाहिए।

दूसरा मसला स्वदेशीका है। जो कपड़ा यहाँ तैयार हो उसीको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी माताओंको अपने घरोंमें चरखा दाखिल करना चाहिए। जुलाहोंसे बुनवाकर कपड़े पहनना चाहिए। मैं हिन्दुस्तानके सभी भाइयों और बहनोंसे कहता हूँ कि स्वदेशी तुम्हारा फर्ज है। खद्दर पहनो, यही करना तर्के-मवालात है। तलवार मत खींचो। उसको मियानमें रखो। तलवारसे हमारा ही गला कटेगा। हिन्दू और मुसलमानोंमें जुबानी नहीं, दिली एकता होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम एक सालमें स्वराज्यकी स्थापना कर सकते हैं। खिलाफतके मसलेको और पंजाबके मसलेको तय करना आपके हाथमें है। आप इतने लोग यहाँ जमा हैं, मैं अदबसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया। क्या आपने अपने लड़कोंको स्कूल-कालेजोंसे हटा लिया? अगर आपका लड़का बड़ा है तो आपने उसे उसका धर्म बता दिया? इस काममें उसे आपने आशीर्वाद दे दिया? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं। लड़कोंको चाहिए कि मदरसोंसे हट जायें, बड़ोंको समझायें। क्या आपने निश्चय कर लिया है कि वोट न देंगे? क्या आपने स्वदेशीका व्रत लिया है? सबके साथ इन बातोंका सम्बन्ध है। सरकारकी फौजमें भरती बन्द होनी चाहिए। "हमको अपने मुकदमे लेकर इन्साफके लिए अपने बुजुर्गोंके पास जाना चाहिए। इससे सरकारकी "प्रैस्टीज" (इज्जत-रुतबा) जाती रहेगी। उसी समय सरकारको पता लग जायेगा कि अब उसके एक लाख गोरे ३० करोड़पर हुकूमत नहीं कर सकते। अभीतक हमें आपसमें लड़ा-लड़ा कर, हमें फुसला कर मदद देकर, मदद लेकर सरकार राज्य कर रही है। "यथा राजा तथा प्रजा"की पुरानी कहावत है। इससे ज्यादा सत्य

"यथा प्रजा तथा राजा" है। अगर हम साफ दिलसे काम करेंगे, और पवित्र भावसे ईश्वरके चरणोंमें अपनेको अर्पित करेंगे, अगर इस प्रकारका सच्चा बलिदान देंगे तो हमें स्वराज्य फौरन मिल जायेगा। यही स्वराज्य रामराज्य है।)

आज, २७-११-१९२०

२४. पत्र : डा० मुहम्मद इकबालको

[२७ नवम्बर, १९२० के पूर्व][1]

प्रिय डा० इकबाल,[2]

मुस्लिम नेशनल युनीवर्सिटी[3] आपको पुकार रही है। यदि आप उसका उत्तरदायित्व ले ले, तो मुझे विश्वास है कि वह आपके सुसस्कृत नेतृत्वमें उन्नति करेगी। हकीम अजमलखाँ[4] और डा० अन्सारी[5] तथा निस्सन्देह अलीभाई भी यही चाहते है। मेरी कामना है कि आप इस आमन्त्रणको स्वीकार कर सकेंगे। आपकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए नवीन जागृतिके अनुरूप, उपयुक्त दक्षिणा देनेका आश्वासन आसानीसे दिया जा सकता है। कृपया अपना जवाब मुझे 'मार्फत पडित नेहरू, इलाहाबाद'के[6] पतेपर भेजिए।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो-नकलसे।

१ डा० इकबालने २९ नवम्बर, १९२० के अपने जवाब (एस० एन० ७३३०) में लिखा था कि गाधीजीका पत्र दो दिन पूर्व मिला था।

२ १८७३-१९३८, प्रख्यात उर्दू-फारसीके कवि, कैम्ब्रिज तथा म्यूनिख विश्वविद्यालयोंसे पी० एच० डी० किया, राष्ट्रीय नेता, १९३१-३२ में दूसरी और तीसरी गोलमेज परिषद्के प्रतिनिधि।

३ अलीगढमें।

४ १८६५-१९२७, प्रसिद्ध हकीम और राजनीतिज्ञ जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें प्रमुख भाग लिया, १९२१ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके अध्यक्ष।

५ डा० मुख्तार अहमद अन्सारी (१८८०-१९३६), राष्ट्रवादी मुसलमान नेता, इंडियन मुस्लिम लीगके अध्यक्ष, १९२०, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, १९२७-२८।

६ गाधीजी २८ नवम्बर, १९२० को इलाहाबाद पहुँचे थे और वहाँ चार दिन ठहरे थे।

२५. पत्र : हकीम अजमलखाँको

[२७ नवम्बर, १९२० के पूर्व][1]

प्रिय हकीम साहब,

पीपल महादेवके पासकी मस्जिदके बारेमें क्या झगड़ा है? क्या यह सुलझाया नहीं जा सकता? मैंने डा० इकबालको अलीगढ़के बारेमें लिख दिया है। मैं चाहता हूँ आप भी लिख दें।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो-नकलसे।

२६. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, बनारसमें[2]

२७ नवम्बर, १९२०

मैं यहाँ जो दृश्य देख रहा हूँ उससे मुझे अलीगढ़का स्मरण हो आता है। विद्यार्थियोंसे जो-कुछ मुझे कहना था सो मैंने अलीगढ़में कह दिया।[3] मैं अपनी जिम्मेदारी जानता था। मैं जानता था कि अलीगढ़का विद्यालय यहाँसे प्राचीन है। मुझे यह भी मालूम था कि मुसलमान विद्यार्थियोंको अलीगढ़से कितनी मुहब्बत है। मैं यह भी जानता था कि एक महान मुसलमानने उसे स्थापित किया है।[4] तब भी निडर होकर जो-कुछ मुझे कहना था, मैंने कहा। मेरा दिल रो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब मैं आप लोगोंको देखता हूँ, बड़ी-बड़ी इमारतें देखता हूँ तो मेरा हृदय रोता है। लेकिन आज ज्यादा रो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयके प्राण मेरे पूजनीय बड़े भाई मालवीयजी हैं। मैं उनको छोड़कर कोई काम नहीं करता। जबसे मैं हिन्दुस्तान वापस आया तबसे यही खयाल था कि उन्हींके साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसा मेरा सम्बन्ध अलीगढ़से नहीं था। अलीगढ़का प्राण कौन है सो मैं नहीं जानता। और इस विश्वविद्यालयके आँगनमें बैठा हुआ मैं इस भयसे काँप रहा हूँ कि कहीं मेरे मुँहसे कोई ऐसी बात न निकल जाये जिससे मेरे आदरणीय भाईको कोई दुख हो। किन्तु मेरा धर्म मुझे सिखाता है और यही उनका भी धर्म है कि जिस

१ डा० इकबालको पत्र लिखनेके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र भी अनुमानतः उसी दिन लिखा गया था।

२ इसके एक दिन पहले गांधीजीने विश्वविद्यालयके अहातेके बाहर विद्यार्थियोंकी एक सभामें भाषण दिया था (देखिए "भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, बनारसमें", २६–११–१९२०), लेकिन मालवीयजीके आग्रहपर उन्होंने युनिवर्सिटी हालमें विद्यार्थियोंकी सभामें फिर भाषण दिया। अध्यक्षता स्वयं मालवीयजीने की थी।

३ देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३६७।

४ सर सैयद अहमद इसके संस्थापक थे।

हिन्दू धर्म असहयोग सिखलाता है। कुछ लोगोका ख़याल है कि तलवार उठानी चाहिए, लेकिन सब लोगोने देख लिया है कि फिलहाल हममे वैसी ताकत नही है। असहयोग ही एकमात्र उपाय है जिससे या तो स्वतन्त्रता मिल जायेगी या सल्तनतकी खराबियाँ हट जायेगी। मुझे विश्वास है कि जो-कुछ मालवीयजी कर रहे है उसे अपना धर्म समझकर कर रहे है। मतभेदके कारण मेरा उनका परस्परका स्नेह कम नही हो सकता। हमारी उनकी मैत्री कम नही हो सकती और मुझे आशा है कि उनके प्रति आप लोगोका पूज्य भाव भी कभी कम न होगा। आप ऐसा न समझिएगा कि आपमें बुद्धि ज्यादा है और उनमें कम, या आपमे देश-भक्ति ज्यादा है, उनमें कम। सब आदमियोका एक ही विचार होना असम्भव है। यदि हिन्दुस्तानके प्रत्येक स्त्री-पुरुषका एक ही भाव हो जाये तो स्वतन्त्रता एक दिनमे मिल सकती है। इतिहाससे मालूम होता है कि स्वतन्त्रता बडे कष्टसे मिलती है। यह समझना अनुचित होगा कि बिना इस कष्टको उठाये हमे स्वतन्त्रता मिल जायेगी। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सभ्यता और नम्रता न छोडिएगा। यदि आपको मेरी बातें पसन्द हो तो [ठीक है, किन्तु] जो विद्यार्थी आपके साथ न हो उनमे घृणा या द्वेष न कीजिएगा, उन्हे न सताइएगा। अपना काम इस तरहसे कीजिए कि जो शक लोगोके मनमे हो वह निकल जाये। विश्वविद्यालय छोडनेके बाद आप धर्माचरण ज्यादा करे तो मालवीयजी-का आशीर्वाद लेकर विश्वविद्यालय छोडे। जो इसे छोडनेके बाद मुल्ककी सेवा न करेगे, जो स्वार्थी, व्यसनी हो जायेगे, उनके कारण मुझे बडा ताप होगा। उनको भी पाप होगा और मुझे भी पाप लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि जो-कुछ आपको करना हो स्वय सोचकर कीजिए। आपको यदि किसी दूसरेकी सलाह ही माननी है, यदि आपका दिल कुछ साफ नही बतलाता तो आप पडितजीकी ही सलाह मानिए, उनकी सलाहको प्रथम स्थान दीजिए। अगर आपका दिल स्वीकार करे तो आप अपना धर्म समझ कर असहयोग कर सकते है। न आप मेरी सलाहपर भरोसा कीजिए न उनकी सलाहपर। मेरे भाई साहब आपको अवश्य आशीर्वाद देगे, एक क्षणके लिए भी आपको न रोकेगे।

अब मै यह कहना चाहता हूँ कि असहयोगमे विद्यार्थियो द्वारा यह त्याग मैने क्यो रखा है। मेरा दृढ विश्वास है कि हिन्दुस्तानमे जो सल्तनत चल रही है, वह जो अत्याचार कर रही है उसके कायम रहनेका बडा भारी सबब यह है कि हमको उसकी तालीमके असरने मुग्ध कर लिया है। इसके यहाँ दाखिल होनेके पहले हम स्वाश्रयी थे, जैसे पराधीन आज है, वैसे नही थे। इस शिक्षा-प्रणालीसे हम और भी पराधीन हो गये। लेकिन अभी मै इस तालीमके ढगकी बात नही करता। मेरा इस वक्त यह कहना नही है कि ढगमे त्रुटियाँ है। यह तो मेरे भाई साहब भी मानते है कि ऐसी त्रुटियाँ है, जिन्हे निकाला जाना चाहिए। मै [त्रुटियोके कारण] इन शिक्षण-सस्थाओको छोडनेका नही कहता। मै अभी यह भी नही कहता कि क्या ढग होना चाहिए। इसका सबब यह है कि जिस सल्तनतको हम राक्षसी समझते है, जिसने पजाबमे इतना अत्या-चार किया, उसकी छायामे शिक्षा लेना मै अधर्म समझता हूँ। अगर ऐसा ही आपको

भी निश्चय हो तो आप इसको छोड दीजिए। लेकिन अगर आप इस सल्तनतको राक्षसी न समझे जिसने पजाबपर इतना अत्याचार किया, मुसलमानोको धोखा दिया, हिन्दुस्तानसे दगा किया उससे [1] विद्यार्थियोको भी कुर्बानी करनी चाहिए। और जो-कुछ मुझे कहना था मै कल कह चुका हूँ। मै इस पवित्र स्थानमे अपने पूजनीय भाईके सामने सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जो कोई इस शिक्षणको छोडना चाहता है, वह एक बडा भारी काम कर रहा है। इसीमे स्वतन्त्रता है। आप अपनी सभ्यता मत छोडिएगा, किसीसे घृणा मत कीजिएगा। बाहर जाकर कष्ट बर्दाश्त कीजिए। मै यह भी कहना चाहता हूँ कि मै आपके लिए कोई प्रबन्ध नही कर सकता। अगर मै यहाँ आपके साथ रह सकता तो प्रबन्ध कराना कोई मुश्किल नही था। लेकिन मै आपको कोई लालच नही देना चाहता। मै सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि बाहर जाकर आप उद्धत न हो, स्वेच्छाचारी न बने। सयम आपका धर्म है। सहिष्णुता न छोडिएगा। शान्त चित्तसे सब काम कीजिएगा। माता-पितासे पूछिए। अगर आपका दिल पक्का हो गया है और वे नही मानते तो उनसे दलील कीजिए। अगर आप उनकी बात ठीक मानते हो तो उनकी बात स्वीकार कीजिए। अगर आप उनकी बात गलत मानते हो और अपनी आत्माकी बात सच मानते हो तो फिर उसे स्वीकार कीजिए। आप विनयपूर्वक उनकी बातको अस्वीकार कर सकते है। ऐसा हिन्दू धर्म कहता है। यह आपकी परीक्षा है। अपने विनयसे असहयोगको सुशोभित कीजिए, स्वेच्छाचारी न बनिए। अपनी प्रतिज्ञाको भग न कीजिए। दो बाते याद रखिएगा, एक तो असहयोगमे आपकी विनयकी शिक्षा निहित है। दूसरी बात यह कि हमें बडे आत्म-बलिदानकी आवश्यकता है। गिरी हुई हालतमे हम लोग नामर्द बन गये है, पराधीन बन गये है, रोटीकी बात सोचते है। इसका प्रबन्ध करना कठिन है। अगर आप बलिदान करनेको तैयार है तो [शिक्षण-सस्थाएँ] छोडिए, नही तो नही। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह आपको स्वच्छ भाव दे, आपको बल दे। आप अपने अन्त करणकी ही आवाजको स्वीकार करे। मै कल चला जाऊँगा। जो लोग असहयोग करना चाहते है, जो ऐसा करनेकी बहुत दिनोसे सोच रहे है उनको अपने अध्यापकोसे बात कर लेनी चाहिए। मेरे भाई, मालवीयजी, से बाते करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद पाकर अपना काम कीजिए। जिन्होने लिखकर नाम दे दिया है उनको अपने इरादेपर पक्का रहना चाहिए, और [इस प्रकार] जो लोग आना चाहे वे ही अपना नाम दें।

आज, ३०-११-१९२०

१ यहाँ मूलमें कुछ शब्द मिट गये है।

२७. भाषण : बनारसकी सार्वजनिक सभामें[1]

२७ नवम्बर, १९२०

श्री गांधीने . . . हिन्दूधर्मकी दृष्टिसे गोरक्षाका महत्व समझाया और फिर कहा कि केवल असहयोग ही स्वराज्य हासिल करानेमें आपकी मदद कर सकता है। स्वराज्य आपको गोरक्षाकी शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीजोंका इस्तेमाल और विदेशमें बनी चीजोंका बहिष्कार राष्ट्रीय और भौतिक प्रगतिके लिए जरूरी है। उन्होंने व्यापारियोंसे विदेशी मालका व्यापार न करनेका आग्रह किया। गांधीजीने उनसे अपील की कि वे देशकी गम्भीर स्थितिको अच्छी तरह समझें और निर्णय करें कि देशका प्रशासन अपने हाथमें लेनेके सर्वोत्तम उपाय क्या होंगे। हिन्दू-मुस्लिम एकतापर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन दो प्रमुख जातियोंमें प्रेम और सद्भाव ही राष्ट्रकी बेहतरीका एकमात्र रास्ता है।

[अंग्रेजीसे]

लीडर, २९-११-१९२०

२८. बहनोंसे

डाकोरजीसे[2] मैंने धन माँगना आरम्भ[3] किया है। सौभाग्यसे वहाँ भी उसका प्रारम्भ बहनोंसे ही हुआ। बहनोंमें जिस बहनने मुझे अपने गहने दिये वह दाल दलनेवाली एक मजदूर स्त्री थी। जब उसने अपनी कानकी बाली निकालकर मुझे दी तभीसे मैं इस निश्चयपर पहुँच गया हूँ कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियाँ शान्त असहयोगकी पवित्रताको समझ गई हैं। इसके उपरान्त जो अनुभव हुए वे तो अलौकिक ही कहे जा सकते हैं। अहमदाबादकी लड़कियोंने अपनी चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और गलेकी जंजीर उतार डाली, पूनामें तो गहनोंकी बरसात हुई। बेलगाँव, धारवाड़, हुबलीमें भी यही दृश्य दिखाई दिया। दिल्लीमें मुसलमान बहनोंने भी, जो पर्देमें थीं, अपने गहने, नोट और धनराशि दी।

हिन्दुस्तानकी बहनें जागृत हो जायें तो स्वराज्यको कौन रोकेगा? स्त्रियाँ धर्मकी रक्षा करती आई हैं। उन्होंने ही देश स्वतन्त्र बनानेवाले वीर पुरुषोंको जन्म दिया।

१ यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके उप-कुलपति आनन्दशंकर बापुभाई ध्रुवकी अध्यक्षतामें रामघाटके नजदीक हुई थी।

२ गुजरातका एक तीर्थस्थान।

३. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ४१६-१९।

स्त्रियोंने पवित्रताका पालन करते हुए धर्मको अक्षुण्ण रखा है। स्त्रियोंने ही अपने सर्वस्वका वलिदान करके राष्ट्रकी रक्षा की है। ये स्त्रियाँ जब हिन्दुस्तानके दुःखको समझेंगी तब यह दुःख कितने दिन टिक सकेगा?

जिन स्त्रियोंमें मैं जागृति देख रहा हूँ वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तथापि वे ज्ञानी हैं। वे धर्म-कर्मको अच्छी तरह समझती हैं। शिक्षित-वर्ग जो वात समझनेमें बहुत समय लगा रहा है, उसे ये स्त्रियाँ अपनी प्रेरणाशक्तिके द्वारा संकेतमें ही समझ गई हैं। स्वराज्य अर्थात् रामराज्य, यह बात समझनेमें उन्हें देर नहीं लगी।

बहनोंके सम्मुख समस्त बातें स्पष्ट रूपमें रख दी गई हैं। दुःख किस बातमें है, यह बात उन्हें समझाई गई है। दुःखका उपाय असहयोग है, यह भी उन्हें बताया गया है। अपने-अपने धर्मोंको जानकर उसका दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए स्त्रियोंने हिन्दू-मुसलमानोंमें परस्पर एकता बनाये रखनेमें मदद करनेकी बातको अपना कर्त्तव्य माना है।

स्त्रियोंने इस वस्तुको जिस उत्साहसे और अच्छी तरह सोच-समझकर आरम्भ किया है अगर वे उसी उत्साहसे उसे जारी रखेंगी तो मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा दिये गये फाजिल गहनोंसे ही सारे हिन्दुस्तानकी शिक्षाकी व्यवस्था हो सकती है। जिन बहनोंने गहने भेंट किए हैं सो इस शर्तके साथ कि स्वराज्य मिलनेमें जितना समय लगेगा उस समयतक वे वैसे गहनोंकी फिरसे माँग न करेंगी और उनके बिना ही अपना काम चलायेंगी। इस तरह स्त्रियोंके शृंगारके थोड़ेसे त्यागसे हिन्दुस्तानके शिक्षण और स्वदेशीके प्रचारका बन्दोबस्त हो सकता है। फलतः मुझे उम्मीद है कि डाकोरजीमें जिस महायज्ञका सूत्रपात हुआ है उसे बहनें कायम रखेंगी और उनके पति अथवा सगे-सम्बन्धी उनके इस पवित्र कार्यमें बाधक नहीं होंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २८–११–१९२०

२९. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

२८ नवम्बर, १९२०

दीपक[1] चाहता है कि उसे कुछ समयके लिए अंग्रेजीकी पढ़ाईसे मुक्ति दे दी जाये। इस बातसे मेरी नजरोंमें तो यह लड़का बहुत चढ़ गया है। इस सम्बन्धमें अगर तुम्हारे मनमें भी कोई एतराज न हो तो मैं तो चाहूँगा कि दीपकको उसकी मरजीके मुताबिक करने दिया जाये। ध्यान रखूँगा कि वह कभी आगे चलकर अंग्रेजी भी पढ़ ले। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि थोड़े समयके लिए अंग्रेजी छोड़ देनेसे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तुम जानती होगी कि किसी विद्यार्थीको जब भाषाकी पकड़ आ जाती है, वह भाषा-शास्त्रमें पारंगत हो जाता है, और तब

१ सरलादेवीका पुत्र।

कोई भी नई भाषा सीख लेना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैक्समुलरने इसी तरह सोलह भाषाएँ सीखी थी। एक बार भाषाशास्त्रपर काबू पा लेनेके बाद अन्य कोई भी नई भाषा सीखनेके लिए कुछ मूल शब्द याद कर लेना ही काफी होता है। इसलिए तुम खुशी-खुशी अपनी स्वीकृति दे दो। दीपक बड़ा होनहार और प्यारा बच्चा है। जबतक वह किसी-न-किसी काममे व्यस्त रहता है और अपनी चिन्तन-शक्तिका विकास करता जाता है तबतक मैं पढाई या और किसी बातका कोई बोझ उसपर नही डालूंगा। इसपर खूब सोच-विचारकर अपना पक्का निर्णय सूचित करो। याद रखो कि अपने बच्चोंके शिक्षकपर भरोसा करना सदा ही निरापद होता है। शिक्षकोंके चुनावमें जितनी सावधानी बरतनी हो, बरती जाये, परन्तु एक बार शिक्षकका चुनाव कर लेनेपर बच्चेकी शिक्षाका सवाल पूरी तरह उसीपर छोड देना चाहिए।

बनारसमे[1] समय बहुत अच्छा गुजरा। परिणाम क्या होगा, यह नही कह सकता। वातावरण जरूर साफ हुआ है और मालवीयजी यदि पूरी तरह नही तो पहलेसे अधिक शान्त अवश्य हैं।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

३०. देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश

२८ नवम्बर, १९२०

. काशीमे दो दिन[2] बिताये। काफी अनुभव हुआ। पण्डितजीके[3] साथ कटुता आनेका जरा भी भय नही था। दूसरोको जो अन्देशा था, वह भी मिट गया होगा। विद्यार्थियोसे खूब बाते हुईं। अब यह देखना है कि परिणाम क्या होता है। देशमे बेहद कमजोरी है। असहयोग ही देशको सबल बनायेगा।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

१. गाधीजी २५ से २७ नवम्बरतक बनारसमें थे।

२ २६ व २७ नवम्बर।

३ प० मदनमोहन मालवीय।

३१. पत्र : दीपक चौधरीको

२८ नवम्बर, १९२०

अब तो तुम्हें गुजरातीमें ही लिखूंगा। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अब अंग्रेजी छोडनी चाहिए या नही, इस बारेमें माताजीकी राय पुछवाई है। तुम अध्ययनशील बनो तो अभी अंग्रेजी छोड देनेमें कोई अडचन न होगी। तुम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्माको सँभालो। शरीरके लिए कसरत, खेल-कूद, अच्छा भोजन और प्रसन्न-चित्त, मनके लिए वाचन और मनन, आत्माके लिए अन्त शुद्धि और इसके लिए जल्दी उठना, ध्यानपूर्वक प्रार्थनामें तल्लीन होना और गीताध्ययन। हमेशा इतना मनन करना मैं सच ही बोलूंगा, सोचूंगा और करूँगा, मैं सबपर प्रेम रखूंगा, मैं अपनी सब इन्द्रियोपर काबू करूँगा, दूसरेकी चीजपर बुरी नजर नही डालूं। मैं कुछ भी अपना नहीं मानूंगा, परन्तु सब कुछ ईश्वरार्पण करूंगा। ऐसे चिन्तनसे हृदय-शुद्धि होगी।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

३२. पत्र : हरकिशनलालको

२८ नवम्बर, १९२०

प्रिय हरकिशनलाल,[1]

मैं यात्रापर निकल गया था, इसलिए तुम्हारा पत्र मेरे पीछे-पीछे भटकता हुआ अब जाकर मिला है। तुम्हारी भविष्यवाणी[2] सच्ची निकले तो उसमें कुछ दोष तुम्हारा भी होगा। ऐसा तो नही हो सकता कि तुम चुपचाप बैठे रहकर हिंसाकी जडोको फैलने दो और फिर कहो, 'देखो, मैं कहता था सो सच निकला।' परन्तु तुम्हारी भविष्यवाणी सही निकले या गलत, असहयोग तो तबतक चलता ही रहेगा जबतक वह अपनी ही हिंसाके भारसे दबकर न रुक जाये। इसलिए तुमसे अपेक्षा यही की जाती है कि तुम अपनी भविष्यवाणी गलत साबित करनेके लिए जी-तोड कोशिश करोगे।

१ लाला हरकिशनलाल, पजाबके एक प्रमुख व्यवसायी और राष्ट्रवादी नेता, जिन्होने गाधीजीके असहयोग आन्दोलनका विरोध किया था और जो बादमें मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधारोंके लागू होनेपर पजाब मन्त्रिमण्डलमें मन्त्री बने थे।

२. हरकिशनलालने यह भविष्यवाणी की थी कि गाधीजीका असहयोग आन्दोलन असफल होगा।

खिलाफतके मामलेमे हमारी माँग यह है युद्धके आरम्भ होनेपर टर्कीके पास जितना इलाका था, वह सब उसे लौटा दिया जाये, लेकिन साथ ही अरबो और आर्मीनियावासियोको आत्म-निर्णयकी पूरी-पूरी गारटी दी जाये। जहाँतक पजाबका सम्बन्ध है, वहाँ जो-कुछ हुआ, उसका पजाबकी माँगोके अनुसार पूरा परिमार्जन होना चाहिए। इसके बाद जनताके सिर्फ चुनिन्दा नेताओकी इच्छाके अनुसार हमे पूरा स्वराज्य दिया जाना चाहिए। आप देखेगे कि मैने प्रत्येक अग्रेजके नाम जो खुली चिट्ठी[1] लिखी है, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

३३. भाषण: इलाहाबादमे असहयोगपर[2]

२८ नवम्बर, १९२०

महात्मा गाधी भाषण देनेके लिए खडे हुए। लोगोने भारी हर्षध्वनि की। हिन्दीमें भाषण[3] देते हुए उन्होने प्रारम्भमें ही इस बातपर जोर दिया कि यह समय काम करनेका है, और भाषणो और सभाओका नहीं। उन्होने कहा कि यह आसुरी सरकार है और रावणके राज्य-जैसी है। उसने मुसलमानोके साथ अन्याय किया है और पजाबके अत्याचारोके लिए वही उत्तरदायी है। यह भारतीयोको अबतक धोखा देती रही है। आज भी उसको इसका पछतावा नही है; बल्कि वह हमसे यह कहती है कि हम उसके अत्याचारोको भूल जायें। यदि आप इस सबको अनुभव नही करते तो मुझे आपसे कुछ भी कहना नहीं है; किन्तु आप ज्यो ही असली स्थितिको जान जायेंगे आपके सामने केवल असहयोग करनेके सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

इसके बाद महात्माजीने एकतापर जोर देते हुए कहा कि एकता अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप सब एक हो जायें तो सरकार जिस तरह आपकी रायकी उपेक्षा अबतक करती रही है, उसका वैसी उपेक्षा कर सकना आप असम्भव कर सकते है। आप लोग एक बार एक हो जायें तो आप खिलाफत और पंजाबके अन्यायोको दूर

१ देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३९७-४०० ।

२. यह भाषण मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें हुई सार्वजनिक सभामें दिया गया था । इस सभामें कर्नल वैजवुड, मौलाना आजाद और शौकत अली भी शामिल थे ।

३ मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नही है ।

करवा सकते हैं और स्वराज्य ले सकते हैं। सरकार आपकी सहायतासे ही भारतपर शासन चला रही है। किन्तु यह देखकर दु:ख होता है कि हिन्दू और मुसलमान अभी तक एक दूसरेपर पूरा विश्वास नहीं करते लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सरकार-पर आपका कुछ भी विश्वास है? कालेसे-काले मनका हिन्दू भी इस्लामको खतरेमें नहीं डालेगा। आपको चाहिए कि वर्तमान सरकारको या तो सुधार दें या समाप्त कर दें। अपने इस ध्येयकी पूर्तिके लिए एकता बहुत जरूरी है। सरकारसे असहयोग करनेके लिए आपको आपसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार भी आपमें फूट डालनेका प्रयत्न कर रही है। यह तो वह करती ही आई है और उसीके द्वारा भारतपर राज्य चला रही है। यदि हिन्दू और मुसलमान आज एक हो जायें तो ससारकी कोई भी शक्ति हमें दबा नहीं सकती। हमने देख लिया है कि हम तलवारसे स्वराज्य नहीं ले सकते। भारतीय आज जिस पौरुषहीन अवस्थामें हैं उसमें खुली लडाईका खयाल भी नहीं किया जा सकता, वह देशके हितोके लिए घातक सिद्ध होगी। सरकार अपने सब साधनोको काममें लाकर अपनी पूरी शक्तिसे हमारी राष्ट्रीय आकाक्षाओको कुचलनेका प्रयत्न कर रही है, वह एक दलको दूसरेसे भिडा रही है और खुली धमकियाँ दे रही है। हमारा ऐसी सरकारसे भौतिक बलसे निबटने और उसे हटानेकी आशा करना सम्भव नहीं है। हमें हिंसाका मुकाबला हिंसासे करना भी नहीं चाहिए। हमें शैतानको सजा देनेके लिए शैतानी साधनोका उपयोग नही करना है। मैं अपने ३० सालके अनुभवके आधार-पर कह सकता हूँ कि हम निर्दयता और छलकपटको, निर्दयता और छलकपटसे ही नष्ट नही कर सकते। जैसे उजाला अन्धेरेको दूर करता है, वैसे ही हम झूठको सत्यसे और बुरी शक्तियोको आत्मबलसे निवृत्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकारकी हिंसाके प्रयोगकी शक्ति बहुत जबर्दस्त है और इसीलिए भी नैतिक दृष्टिसे लोगोका उसकी हिंसक शक्तिका मुकाबला हिंसासे करना अनुचित है। इसी बातको ध्यानमें रखकर काग्रेसने आपके सामने अहिंसात्मक असहयोगका कार्यक्रम रखा है।[1]

स्कूलो और कालेजोके बहिष्कारका उल्लेख करते हुए महात्माजीने अभिभावकोसे पूछा 'क्या आपका विश्वास यह नहीं है कि इस समय अपने बच्चोको सरकारी सहा-यता प्राप्त स्कूलोसे निकाल लेना आपका कर्त्तव्य है? यदि आपका विश्वास ऐसा नहीं है तो आपको ऐसी सभामें नहीं आना चाहिए और यदि आप इसमें आ ही गये हैं

१ यहाँ १-१२-१९२० के लीडरमे इतना और दिया गया है "सरकार हममें फूट डालनेका प्रयत्न करेगी। नरमदलीय लोगोको भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आपका जिस बातमें विश्वास है आपको उसपर कायम रहना चाहिए। आपको कौंसिलो, मतदान केन्द्रो, स्कूलो एव कालेजोका बहिष्कार करना चाहिए। ३० नवम्बरका दिन आ गया है, आप अपने मताधिकारका उपयोग न करें, लेकिन साथ ही आप उन लोगोको, जिनका खयाल दूसरा हैं और जो मत देना चाहते हैं, सताएँ भी नही। जो लोग कौंसिलोमें बैठे हैं उनसे कह देना चाहिए कि वे लोग जनताके प्रतिनिधि नही हैं। लेकिन जो लोग मत देने नही जाना चाहते, उन व्यक्तियोको भी कौंसिलोंके सदस्योंसे यह आशा नही करनी चाहिए कि वे उनके लिए कुछ करेंगे।"

तो आपको इस कार्यक्रमसे अपना मतभेद प्रकट करना चाहिए। अन्यथा यदि आप यहाँसे चुपचाप चले जाते हैं तो इससे यही प्रकट होगा कि आप इस कार्यक्रमसे सहमत हैं और तब फिर इसीलिए आपका अपने बच्चोंको स्कूलों और कालेजोंसे हटा लेना उचित होगा। यदि आपके लड़के वयस्क हैं तो आप उन्हें स्कूलों और कालेजोंको छोड़नेके लिए समझायें और यदि वे वैसा न करें तो आप उनकी सहायतासे हाथ खींच लें और जहाँ उनकी तकदीर ले जाये वहाँ जाने दें।'

गांधीजीने स्वदेशीकी आवश्यकतापर बल देनेके बाद इलाहाबादमें एक राष्ट्रीय कालेजकी स्थापनाके निमित्त धनकी अपील की।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १-१२-१९२०

३४. भाषण: महिलाओंकी सभा, इलाहाबादमें

२९ नवम्बर, १९२०

महात्माजीने महिलाओंसे अनुरोध किया कि वे देशकी आजादीकी लड़ाईमें अपना फर्ज अदा करनेमें गफलत न करें। उन्होंने उनसे जोर देकर कहा: आप अपने पतियों और पुत्रोंसे अनुरोध करें और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वे अपने कर्त्तव्यके पथपर चलें। आप स्वयं स्वदेशीको अपनाकर स्वतन्त्र भारतके निर्माणमें प्रबल और प्रभावकारी सहायता दें। रावणके राज्यमें सीताको भी चौदह सालतक वल्कल वसन (पेड़की छालके बने मोटे कपड़े) पहनकर रहना पड़ा था। इसी तरह आज भी, जब स्वदेशी वस्तुओंको अपनानेका अर्थ भारतको स्वतन्त्र करनेकी दिशामें एक बड़ा कदम उठाना है, तब भारतीय महिलाओंको हाथकते और हाथबुने खद्दरका कपड़ा पहनना अपना पुनीत कर्त्तव्य बना लेना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रतिदिन कमसे-कम एक घण्टा सूत भी कातना चाहिए और इस प्रकार हाथसे कपड़ा बुननेमें सहायक बनना चाहिए। भारतीय स्त्रियोंका देशके प्रति यह कर्त्तव्य हो गया है कि वे महीन कपड़े पहनना छोड़कर खादीकी पोशाक अपनायें।

१ यहाँ १-१२-१९२० के लीडरमें इतना और दिया गया है "श्री गांधीने इसके बाद स्वदेशी वस्तुओंके प्रयोगका आग्रह करते हुए कहा कि स्वदेशीका व्यवहार नौकरशाहीके विरुद्ध अत्यन्त शक्तिशाली शस्त्र है। यदि आप उन ६० करोड़ रुपयोंको जिनसे ब्रिटेनका बना माल खरीदा जा रहा है, बचा लेंगे तो लंकाशायरके ५७ संसदीय सदस्य आपकी मुट्ठीमें आ जायेंगे। यदि आप केवल स्वदेशी मालका ही व्यवहार करनेका निश्चय कर लें तो आपको स्वराज्य मिल जाये। किन्तु यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जब आप अपनी आदतें सीधी-सादी बना लें। आप अब मलमल पहनना छोड़ दें और केवल खद्दर ही पहनें।"

स्वराज्य प्राप्त करनेका स्वदेशी एक अमोघ उपाय है। उसके द्वारा पंजाब और खिलाफतके अन्यायोंका परिमार्जन कराया जा सकता है और राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा की जा सकती है। स्वदेशीके प्रचारका मुख्य भार भारतीय स्त्रियोंपर ही है और उन्हें यह अवसर चूकना नहीं चाहिए।[1]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १-१२-१९२०

३५. भाषण : इलाहाबादमें

२९ नवम्बर, १९२०

महात्मा गांधीने कहा, उत्तरप्रदेश हिन्दुस्तानका केन्द्र है, इसलिए उससे देशके अन्य भागोंसे आगे रहनेकी आशा की जाती है। किन्तु दरअसल उसने अभीतक गुजरातमें ऊँचा स्थान पानेके योग्य कोई कार्य नहीं किया है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि वह आगे चलकर वर्तमान संघर्षमें उचित स्थान प्राप्त किये बिना नहीं रहेगा। उन्होंने झाँसीका उदाहरण दिया और कहा कि वहाँ हिन्दू और मुसलमान छात्रोंने 'गीता' और 'कुरान' हाथमें लेकर शपथ ली है कि वे सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाओंको छोड़ देंगे।

हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रश्नपर बोलते हुए महात्माजीने खेदपूर्वक कहा कि उत्तर प्रदेशमें सरकारकी चाल सफल हो गई है और उसने फूट डाल कर दोनों जातियोंको पौरुषहीन बना दिया है। उन्होंने दोनों जातियोंको उनके धर्मग्रन्थोंकी याद दिलाते हुए अनुरोध किया कि वे अपने मतभेद भुला दें। इतना कह चुकनेपर उन्होंने लखनऊसे मिले एक तारका उल्लेख किया और बताया कि वहाँ गायकी कुर्बानीसे सम्बन्धित एक प्रस्तावपर नगरपालिकाके सदस्योंमें कुछ गहरा मतभेद है। उन्होंने इस आरोपकी भी चर्चा की कि उन्होंने अलीगढ़का कालेज तो खाली करा दिया किन्तु बनारस-विश्वविद्यालय खाली नहीं कराया। उन्होंने कहा कि यह सब इस बातका द्योतक है कि हममें अभीतक आपसी विश्वास और सद्भावकी कमी है। मैं नहीं जानता कि ऐसे प्रश्न कैसे तय किये जायें। मैं तो हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ कालेज, दोनोंको ही खाली करा देना चाहता हूँ और उनमें अपना सन्देश लेकर गया भी हूँ। यह तो अपने-अपने कर्त्तव्यका प्रश्न है और इसमें जो सबसे आगे आता है वही अधिक सफल होता है, फिर वह चाहे अलीगढ़का कालेज हो या बनारसका विश्वविद्यालय, या कोई दूसरी संस्था हो। यदि कोई इस प्रकारके कर्त्तव्यके पालनमें यह सोचता

1. भाषणके बाद कई महिलाओंने अपने आभूषण उतारकर राष्ट्रीय कार्यके निमित्त दे दिये और स्वदेशीकी शपथ लेनेमें भी बहुत उत्साह दिखाया।

है कि पहले अन्य लोग आगे बढ़ें तब हम बढ़ेंगे तो इससे उसकी कमजोरी ही जाहिर होती है।

हिन्दुओंको सम्बोधन करते हुए महात्माजीने कहा : यह सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है कि अलीबन्धु हमें धोखा दे जायेंगे। क्योंकि उन्होंने यह तो साफ-साफ कह ही रखा है कि वे पहले मुसलमान हैं और बादको कुछ और। उन्होंने वचन दिया है कि भारतकी स्वतन्त्रताके लिए वे [जरूरत होगी तो] सारी दुनियासे लड़ेंगे। [उनपर] इस प्रकारके सन्देहसे हममें आत्मविश्वासकी कमी प्रकट होती है। यह भी कहा गया है कि अलीबन्धु अखिल इस्लामवादके हिमायती हैं। यदि संसारके दूसरे भागोंके मुसलमानोंसे सहानुभूति दिखाना अखिल इस्लामवाद है तो हिन्दू भी अखिल हिन्दुत्ववादी हैं। क्योंकि सहधर्मियोंसे सहानुभूतिकी भावना स्वाभाविक भावना है और वह सभी जातियोंमें होती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पराक्रमी बनें और कायरोंके दिलोंमें उत्पन्न होने-जैसी शंकाओंको निकाल बाहर करें। अब समय आ पहुँचा है जब सबको संगठित होकर पूरे मनसे देशके प्रश्नको हाथमें लेना चाहिए, किन्तु यदि सामान्य जन मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं उन ४ या ५ व्यक्तियोंको ही साथ लेकर जिन्होंने इस मामलेको हाथमें उठा लिया है इस संघर्षको अन्ततक चलाता रहूँगा। (जोरकी तालियाँ।)

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १-१२-१९२०

३६. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, इलाहाबादमें[1]

३० नवम्बर, १९२०

मुझे यह समाचार[2] सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ। यहाँ भी भाई जवाहरलालके साथ बहुत विद्यार्थियोंसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनसे साफ-साफ कह दिया था कि वे पाठशाला तभी छोड़ें जब उन्हें यह अपना धर्म जान पड़े, इस आशासे न छोड़ें कि हम लोग कोई व्यवस्था करेंगे। वे हमारी शक्तिके अनुसार व्यवस्था स्वीकार करनेको रजामन्द हो गये और भाई जवाहरलालने उनके लिए एक मकान ले भी लिया, परन्तु वह एक हफ्तेसे खाली पड़ा है। इन समाचारोंसे मुझे जितना दुःख हुआ है, वह मैं प्रकट नहीं कर सकता। मुझे ये घटनाएँ हमारी गुलामीके स्पष्ट चिह्न प्रतीत होती हैं। प्रतिज्ञा लेकर तोड़नेवाला हैवान बन जाता है, नामर्द बन जाता है। लॉर्ड

१. सभा आनन्द भवनमें हुई थी और उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा शौकत अली भी बोले थे। यह भाषण महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत किया गया है।

२. गांधीजीके झाँसी पहुँचनेपर बहुतसे विद्यार्थियोंने **गीता** और **कुरान**की शपथके साथ अपने-अपने विद्यालय छोड़े थे। फिर समाचार मिला कि दो-तीन दिन बाद ही विद्यार्थी वापस विद्यालयोंमें चले गये हैं।

विलिग्डन[1] विलायतसे आनेके बाद बम्बईमे कुछ समय व्यतीत करनेके पश्चात् अपना अनुभव सुनाते हुए कहते थे कि भारतमे आकर मैंने किसी हिन्दू-मुसलमानको 'ना' कहनेकी हिम्मत करते नही देखा। यह आक्षेप अब भी सही है। हमारे दिलमे 'नही' होनेपर भी हम 'नही' नही कह सकते। सामनेवालेका मुंह देखकर उसे 'हाँ' चाहिए या 'ना' यह सोचते है और तब तदनुसार बात करते है। यहाँ पण्डितजीके घर किसी तीन-चार वर्षकी लडकीसे भी मै उसकी इच्छाके विरुद्ध कुछ नही करा सकता। मै उसे कहता हूँ कि तू मेरी गोदमे बैठ, तो वह कहती है, 'नही'। उससे कहता हूँ कि 'तू खादीके कपडे पहनेगी?' तो कहती है 'नही।' हममे इस बच्चीकी-सी ताकत भी नही है। एक महापुरुषने कहा है कि हमे स्वर्गमे जाना हो तो बालक-जैसा बनना होगा। बालक-जैसे बननेका अर्थ यह है कि बालककी-सी निर्दोषता और हिम्मत चाहिए। एडविन अर्नाल्डने[2] बालककी निर्दोषताका बढिया ढगसे वर्णन किया है। बच्चा बिच्छूको पकड लेता है, साँपको भी पकड लेता है, आगमे हाथ डाल देता है, उसे डरका जरा भी भान नही होता। आप भी ऐसी ही निर्भयता पैदा करे। आपके मनमे ईश्वरका भरोसा नही है, इसलिए आप डरके वशमे होते है।

मुझे अक्सर खयाल आता है कि या तो जल्दीसे-जल्दी भारतसे भाग निकलूँ या उसे जल्दीसे-जल्दी स्वतन्त्र करूँ? स्वतन्त्रताका इतना ही अर्थ है कि हम किसीसे भी न डरकर जो हमारे दिलमे हो, वही कह सके, वही कर सके। जो लडका करोडो मनुष्योके सामने सीधा खडा रहकर अपनी बात कह सके, वह सच्चा साहसी है। इसलिए आपके लिए पहला पाठ तो 'ना' कहना सीखना है। आप प्रतिज्ञा ले ही नही, यह बेहतर है, प्रतिज्ञा लेकर तोडना, मै कहूँगा कि, एक बडा अपराध करने जैसा है। आपने ऊँची शिक्षा पाई हो, बडी डिग्री ली हो, फिर भी यदि आप बिना आगा-पीछा किये प्रतिज्ञा तोड दे, तो मै जरूर कहूँगा कि आप जमनामे जाकर डूब क्यो नही मरते? आप शायद यह सफाई दे कि आपके दिलने एक बार कुछ कहा, इसलिए आपने वैसा किया, उसने फिर दूसरी बात कही तो आपने दूसरा व्यवहार किया, परन्तु इसका जवाब यह है कि तब आपको प्रतिज्ञा नही लेनी चाहिए। शास्त्रोमे कहा है कि प्रतिज्ञा लो तो उसके लिए मरो। इसे साबित करनेवाले थे हमारे हरिश्चन्द्र और रोहितास, वे अपना वचन निभानेके लिए भगीके यहाँ सेवक बनकर रहे, हम उन धर्मवीरोकी सन्तान है, इसे आप कैसे भूल जायेगे? हाँ, व्यभिचार करनेकी, झूठ बोलनेकी प्रतिज्ञा ली हो तो वह जरूर तोडी जा सकती है, क्योकि इसे तोडकर मनुष्य अपनी उन्नति करता है। त्याग करनेकी प्रतिज्ञा कभी बदली नही जा सकती। हिन्दूकी गोमाँस न खानेकी अथवा मुसलमानकी शराब न पीने और सूअरका माँस न खानेकी प्रतिज्ञा है। यदि वह बीमार हो, मरणासन्न हो और डाक्टर आग्रह करे

१ १८६६–१९४१, बम्बई (१९१३-१९) और मद्रास (१९१९–२४) के गवर्नर और भारतके वाइसराय (१९३१-३६)।

२ एडविन अर्नाल्ड (१८३२–१९०४), संस्कृत साहित्यके अध्येता, अंग्रेज कवि। उनका **भगवद्गीता**का अंग्रेजी पद्य-अनुवाद **सॉंग सिलेशियल** और बुद्ध-चरित्र सम्बन्धी काव्य ग्रन्थ **लाइट ऑफ एशिया** अंग्रेजी साहित्यमे बहुत प्रसिद्ध है।

कि जरा-सा अभक्ष्य ले लो तो उस समय भी उसका इनकार करना लाजिमी है। इस प्रकार जिन्दगी कुर्बान करके अभक्ष्य छोडकर अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहनेवाले मनुष्यको ही जन्नतमे जानेपर खुदा 'शेरका बच्चा' कहेगा।

दुनियाके तमाम धर्मोमे प्रतिज्ञाके बारेमे ऐसी ही कठोर सख्ती है। सत्यकी प्रतिज्ञा ली हो तो गाँवको बचानेके लिए या किसी मनुष्यको बचानेकी खातिर आप असत्य नही बोल सकते। प्रतिज्ञा-भगसे जो दु ख हुआ मै उसे व्यक्त किये बिना नही रह सकता। कोई बूढा खूसट आदमी अपनी प्रतिज्ञा तोडे तो थोडा-बहुत समझमे भी आ सकता है, मै स्वय बूढा ठहरा, इसलिए कोई भूल कर सकता हूँ। परन्तु आप तो नौजवान है, आपमे ताजा खून दौडता है, मै आपको कैसे माफ कर दूँ? इस अवसरपर कुछ विषयान्तरका खतरा उठाकर भी मै अपना अनुभव सुना रहा हूँ। अहमदाबादमे दो वर्ष पूर्व हजारो मजदूरोने साबरमतीके किनारे एक पेडके नीचे खुदाको हाजिर-नाजिर मानकर प्रतिज्ञा ली कि जबतक उनकी माँग मजूर न हो, तबतक वे कामपर नही जायेगे। बीस दिनतक वे टिके रहे। परन्तु बादमे मुझे महसूस हुआ कि वे गिरने जा रहे है, इसलिए मैने उनसे कहा कि 'तुम गिरोगे तो मै भी अन्न न लेकर शरीर छोड दूँगा। तुम प्रतिज्ञा न लेते तो हर्ज नही था, परन्तु लेकर तोडो, यह मुझे असह्य है। मजदूर रोने लगे, पैरो पडने लगे कि 'कुछ भी करके पेट भरेगे, परन्तु पुराने कामपर नही जायेगे।' इस प्रकार उन्हे गिरनेसे रोकनेके लिए मुझे अनशनका व्रत लेना पडा था। आप मजदूरोसे ज्यादा अशिक्षित न बने, उनसे अधिक नास्तिक तो कदापि न बने। आप इन्सानकी गुलामी छोडकर खुदाकी गुलामी करे। इस हुकूमत-को मिटाना हो तो यह गुलामी छोडनी पडेगी। प्रतिज्ञा नही लेगे तो स्वराज्य नही मिलेगा, सो बात नही है, परन्तु आप प्रतिज्ञा तोडेगे तो स्वराज्यका समय आगे अवश्य खिसक जायेगा। कसम तोडनेवाले ऐसे विद्यार्थियोकी मददसे मुसलमान मुसलमानोकी मदद नही कर सकेगे। इसलिए मै विनयपूर्वक कहता हूँ कि कसम न लो, और कसम लो तो पृथ्वी रसातलमे चली जाये तो भी उसे न छोडो। आपमे से इने-गिने ही कसम ले, तो उससे भी स्वराज्य मिल जायेगा। मुसलमान विद्यार्थियोके सामने इमाम हसन और हुसैनके उदाहरण मौजूद है। इस्लामको कायम रखनेवाली तलवार नही, ऐसी अटल टेकवाले जबरदस्त फकीर ही है। उन्हीके कारण वह कायम रहा है। एम० ए० हो जानेसे या सेवासमितिके स्वयसेवक बननेसे या काग्रेसमे जाकर भाषण देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनेसे आप देशको स्वतन्त्र नही कर सकते। आप प्रतिज्ञाका आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर सकेगे।

* * *

इस राज्य और रावण-राज्यमे फर्क नही है। कुछ फर्क हो भी तो वह इतना ही है कि रावणके हृदयमे कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दोदरीसे कहा था कि 'दस शिरवाला होकर भी क्या मै रामका मुकाबला नही कर सकता? तू तो पागल हो गई है।' उसने यह भी कहा कि 'मै जानता हूँ कि वे अवतारी पुरुष है और मुझे मालूम है कि मै इतना बुरा हो गया हूँ कि उनके हाथसे मारा जाऊँ,

तो भी बुरा नही।' परन्तु हमारी हुकूमतको तो खुदाका ऐसा डर भी नही रहा। उसे यह खयाल नही आता कि खुदाके हाथो मर जाना ठीक रहेगा। वह तो खुदाको घोलकर पी गई है। उसका खुदा तो उसका तकब्बुर, उसकी दौलत और उसकी दगा है। यूरोपीय संस्कृति शैतानियतसे भरी है। परन्तु इसमे भी अग्रेजी हुकूमत सबसे अधिक शैतानियतसे भरी है। अबतक मै यूरोपमे अग्रेजी सल्तनतको कमसे-कम खराब मानता था, अब मुझे इतमीनान हो गया है कि इसके जैसी खुदाको भूली हुई कोई और हुकूमत नही है। इस हुकूमतकी सेवा मै नही करना चाहता। मै इसके आश्रयमे एक क्षण भी नही रहना चाहता।[1]

आपको मेरे वचनोके बारेमे सन्देह हो, आपको इस सरकारमे मेरी तरह बुराई दिखाई न देती हो तो आप बेशक अपनी पाठशालाओमे पढते रहे। परन्तु यदि आप मेरे विचारके है, तब तो इस हुकूमतकी पाठशालामे 'गीता' पढना भी व्यर्थ है। हमे गुलाम बनाकर रखनेवाली सरकार हमे महलमे रखे और उसमे 'गीता' पढाये, डाक्टरी, माइस, इजीनियरी सिखाये तो भी क्या वह सब सीखा जा सकता है? मै कहता हूँ 'नही', क्योकि इस सारी शिक्षामे जहर भरा है, यह सारी तालीम हमे और पक्का गुलाम बनानेके लिए है। हमारी लडाई धर्मकी है, सरकारकी अधर्मकी है। जो सरकार माइकेल ओ'डायर[2]-जैसे कर्मचारीके अपराध जानकर भी उसका पक्ष लेती है, डायरकी[3] हैवानियत जानकर भी उसके अन्यायको केवल विचार-दोष मानती है, उस सरकारकी मदद कैसे ली जाये अथवा उसके साथ सम्बन्ध कैसे रखा जाये? उसके साथ सम्बन्ध रखना अधिक हैवान बनने और ज्यादा पक्का गुलाम बननके बराबर है।

आप लोग यह प्रश्न मुझसे बिलकुल न करे कि मै आपके लिए क्या-क्या करूँगा। मै आपको सरकारकी गुलामी छोडकर मेरा गुलाम बन जानेको नही कहता। यदि आप मेरे गुलाम बनना चाहे तो फिर मुझे आपसे कोई वास्ता नही। आपमे अपना पेट भरनेकी, कोई न कोई मेहनत मजदूरी करके अपने माता-पिताका पोषण करनेकी ताकत न हो तो आप स्कूल-कालेज हरगिज न छोडे। वैसे आपके लिए व्यवस्था करना हमारा काम है, और हम यथासम्भव व्यवस्था जरूर करेगे। परन्तु भारतका वातावरण इतना बिगडा हुआ है कि शिक्षक, अध्यापक मुझे पागल तक मानते होगे और सम्भव है मुझे उनकी मदद न मिले। ऐसे लोगोकी मदद मै चाहता भी नही

१ **लीडर**, २-१२-१९२० की रिपोर्टमें यहाँ कुछ वाक्य और हैं "इस सरकार द्वारा सचालित स्कूलोमें तो **गीता** और **कुरान** पढना भी हराम है। मेरा विश्वास है श्री लॉयड जॉर्ज और लार्ड चैम्सफोर्ड दोनो ही हमें धोखा दे रहे हैं। अगर वे चाहते तो टर्कीपर लादी जा रही सधिको रद करा सकते थे। किन्तु वे वैसा करना नही चाहते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ओ'डायर और डायर दोनो निश्चित रूपसे अपराधी हैं, लेकिन वे उन्हें सजा देना नही चाहते। मैं तो ऐसी सरकारके साथ कदापि सहयोग नही कर सकता।"

२ पजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर, १९१३-१९१९।

३ रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर (१८६४-१९२७), अमृतसर क्षेत्रके कमाडिंग ऑफिसर जिन्होने जलियाँवाला बागमें एकत्र शान्त जनतापर गोलियाँ चलानेका हुक्म दिया था।

हूँ। यदि शिक्षक-अध्यापक न मिले, तो आप अपने अध्यापक स्वयं बनें और अपने ही पैरोंपर खडे हो जायें। मेरी, मोतीलालजीकी या शौकत अलीकी ताकतपर खडे रहनेकी आशामें आना चाहें, तो जहाँ आप हैं, वहीं बने रहें।

*　　*　　*

आप पूछेंगे 'आज प्रह्लाद कहाँसे लाये?' 'प्रह्लाद इस जमानेमें भी हैं।'[1]

*　　*　　*

मैं कोई नशा (एक्साइटमेंट) नहीं देना चाहता। आपकी तालीमका नशा आपके लिए काफी है।[2] मैं आपमें शान्त साहस फूँकना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आपका हृदय कुर्बानी और तपश्चर्याके योग्य पवित्र बने।

*　　*　　*

सही बात यह है कि माँ-बाप बच्चोंको नहीं रोक रहे हैं, बच्चे ही माँ-बापके कहनेपर भी पाठशाला छोडनेको तैयार नहीं हैं। हिन्दू यूनिवर्सिटीमें मैंने सौ-डेढ सौ लडकोंसे पूछा था। उन्होंने कहा कि हमारे माँ-बापकी हमें इजाजत तो है ही, वे हमें हर हालतमें खर्च देनेको भी तैयार हैं। कोई कुछ भी कहे, सरकार द्वारा चलनेवाले स्कूल-कालेजोंमें पढते रहना पाप है यदि आपकी आत्मा ऐसा कहती हो तभी आप उन्हें छोडें, थोडी भी दुविधा हो, तो आप मालवीयजीकी सलाह मानें। मुझे तो अभी भारतमें पाँच वर्ष ही हुए हैं, मालवीयजीने तो सारा जीवन देशकी सेवामें अर्पित किया है। इसलिए कहता हूँ कि मेरी आवाज ही आपकी आत्माकी आवाज न हो, तो आप मालवीयजीकी बात मानें। मेरी आवाज ही आपकी आवाज हो तो मालवीयजीकी सलाह भी हरगिज न मानें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-१२-१९२०

१ इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानन्दका वृत्तान्त सुनाया।

२ गांधीजीने ये वाक्य एक श्रोताके इस सुझावके उत्तरमें कहे थे "जब कि आप (गांधीजी) यह मानते हैं कि आपका यह संघर्ष एक युद्ध है तो लडनेके लिए आपको हमें कोई 'नशा' देना चाहिए।"

३७. पत्र : देवदास गांधीको

बुधवार [नवम्बर १९२०][1]

चि० देवदास,

मुझे ऐसा हरगिज नही लगा कि तुम्हारा पत्र लम्बा है। बाके[2] विषयमे जो लिखा सो समझ गया हूँ। मुझे तो विश्वास है कि मेरा विचार गैरवाजिव विलकुल नही था। एक क्षणके लिए भी भावनाओमे वह जाना ठीक नही है। लेकिन इस मामलेमे अधिक विचार करनेका समय ही कहाँ है?

तुम्हे दूधकी मात्रा बढानी होगी। भात खा सकते हो लेकिन कम। वह पुष्टि-कारक तो है ही नही। अब रही फलोकी बात। सो अगर अगूर महँगे हो तो उनके स्थानपर किशमिश खाया करो। अगूर या किशमिश तथा सतरे — बस इतनेसे काम चल जायेगा। अगर तुम्हे पथरीका रोग नही है तो अन्य कोई बात होगी। इसे सावधानीके साथ मिटानेका प्रयास किये बिना काम नही चलेगा।

ऐसा लगता है कि फिलहाल हम लोग गिरफ्तार नही किये जायेगे। यहाँ भी एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया जानेवाला है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७८) की फोटो-नकलसे।

३८. पत्र : देवदास गांधीको

[नवम्बर १९२०][3]

चि० देवदास,

इस लिफाफेमे तुम्हे दो पत्र मिलेगे। एक मैने मोटरमे बैठे हुए लिखा था। लिफाफेको फाडकर उस पत्रको भी इसीके साथ भेज रहा हूँ। अपने शरीरको ठीक

१ सरकार गाधीजीको गिरफ्तार करनेवाली नही है, यह बात नवम्बर १९२० के प्रथम सप्ताहमें ही मालूम हो गई थी। जब गाधीजी नवम्बरके अन्तिम सप्ताहमें उत्तर भारतमें थे तब उन्हें अपने गिरफ्तार न होनेके बारेमें कुछ ज्यादा पक्की खबर मिली होगी। २४ नवम्बर, १९२० को दिल्लीमें 'न्यू प्रजाकीय इस्लामिक मदरसा' और ३० नवम्बरको इलाहाबादमें 'तिलक विद्यालय' का उन्होने उद्घाटन किया था। इसलिए इस अनुच्छेदका अन्तिम वाक्य इन्ही दो सस्थाओमें से एकके सम्बन्धमे है। इस सबसे पता चलता है कि यह पत्र सम्भवत नवम्बरके अन्तिम सप्ताहमे लिखा गया होगा।

२ कस्तूरबा।

३ पत्रके पाठसे लगता है कि पिछले शीर्षकके तुरन्त बाद ही, जिसे उन्होने मोटरमें बैठे बैठे लिखा था, यह पत्र लिखा गया होगा।

बनानेकी कोशिश करो, अध्ययनशीलता अपनाओ। भोजन नियत समयपर ही किया करो। आजकल जितना दूध पीते हो उससे अधिक पिया करो। उर्दू जल्दीसे सीख लो। प्रातःकालकी प्रार्थनामें उपस्थित रहनेसे किसी भी दिन मत चूकना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७७)की फोटो-नकलसे।

३९. पत्र : देवदास गांधीको

सोमवार [नवम्बर १९२०][1]

चि० देवदास,

तुम्हारा पत्र अभी-अभी पढ़ा। तुम वहाँ रह गये, मुझे यह भी ठीक लगा। पूरे सोच विचारके साथ किया गया प्रत्येक काम लाभदायक होता है। 'फ्रेंच रेवोल्यूशन' अच्छी पुस्तक है, उसे जरूर पढ़ जाओ। अगर वसुमतीबेन वहाँ पहुँच जायें तो तुमसे उन्हें बड़ा सहारा रहेगा। इसी कारण उन्होंने इच्छा की थी कि तुम वहीं रह जाओ। मैं यह तो अवश्य चाहता हूँ कि तुम उर्दू सीख लो, कातना और धुनना भी भली प्रकार सीखो। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायेंगे त्यों-त्यों ये सब काम और भी कठिन प्रतीत होंगे। अपनी लिखावटके बारेमें भी ऐसा ही समझो। तुम्हारे के[2] पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

मुझे असन्तोष तो रहेगा ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ७६६४) की फोटो-नकलसे।

४०. टिप्पणियाँ

जफर अली खाँके साथ व्यवहार

मैंने पाठकोंसे मौलाना जफर अली खाँके पुत्रसे यह पूछताछ करनेका वचन दिया था कि उन्होंने लाहौर जेलकी हवालातमें अपने पिताके साथ किये जानेवाले व्यवहारके सम्बन्धमें जो बात कही थी वह ठीक है या नहीं। अब मुझे उनकी चिट्ठी मिल गई है। उन्होंने स्थानीय सरकारकी विज्ञप्तिको निःसंकोच होकर 'झूठ' कहा है। उन्होंने कहा है मैंने जो सूचना आपको दी थी वह बिलकुल ठीक थी। मौलाना जफर अली खाँ अँधेरी कोठरीमें बन्द रखे गये थे और उन्हें बाहरसे खाना मँगवानेकी

१ उर्दू सीख लेनेके उल्लेखसे ऐसा लगता है कि यह पत्र भी पिछले पत्रके आसपास लिखा गया था।

२ यहाँ कुछ शब्द छूट गये जान पड़ते हैं।

इजाजत नही दी गई थी। उनके पुत्रने आगे यह भी लिखा कि लाहौरकी सभामे की गई सार्वजनिक घोषणाके बाद मेरे पिताको अच्छी जगह रख दिया गया और बाहरसे खाना मँगवा लेनेकी इजाजत दे दी गई। इससे सरकारका मामला सुधरता नही और बिगडता ही है। इस तथ्यकी सार्वजनिक घोषणाके बाद उसने ही अपनी गलती सुधारी। इससे यह सूचित होता है कि वह अपनेको अपराधी अनुभव करती है। सरकार जानती थी कि वह गलती कर रही है, किन्तु वह सदा यह आशा करती थी कि किसी हवालाती कैदीके साथ किये गये स्पष्ट दुर्व्यवहारकी ओर किसीका ध्यान नही जायेगा। इसका एक दूसरा उदारतापूर्ण अर्थ भी सम्भव है। यह हो सकता है कि अधिकारियोको इस गैरकानूनी कार्रवाईका कुछ पता न हो, और यह किसी छोटे अधिकारीकी कार्रवाई हो और ऊँचे अधिकारियोको इसका ज्ञान भी न हो और अपराधी अधिकारीने स्वय उनको धोखेमे रखा हो। किन्तु यदि बात ऐसी हो तो यह वर्तमान प्रशासनमे व्याप्त भ्रष्टताका एक और प्रमाण है। मुझे आशा है कि सरकार इस बारेमे अभी और जाँच करायेगी। जहाँ सरकार दोषकी पात्र नही, वहाँ उसपर दोष मढनेकी मेरी कोई इच्छा नही है। किन्तु जबतक मामला स्पष्ट नही हो जाता तबतक लोगोको उसी बातपर विश्वास करते जानेका हक होगा, जिसकी पुष्टि मौलाना जफर अलीके लडकेने की है।

ड्यूकका दौरा

महाविभव ड्यूक ऑफ कनॉट[1] महोदय जल्दी ही हमारे देशमे आनेवाले हैं। मेरे लिए यह बडे खेदकी बात है कि मुझे उनके सम्मानमे किये जानेवाले समस्त सार्वजनिक समारोहोंके पूर्ण बहिष्कारकी सलाह देनी पड रही है। वे एक व्यक्तिकी हैसियतसे बहुत ही मृदु स्वभावके अग्रेज सज्जन हैं। किन्तु मेरी विनम्र सम्मतिमे, सार्वजनिक हितका तकाजा है कि उनके इस राजकीय दौरेकी बिलकुल उपेक्षा की जाये। श्री ड्यूक महोदय एक भ्रष्ट शासन प्रणालीको बल देनेके लिए आ रहे हैं, वे एक गैर-जिम्मेदार नौकरशाहीकी मलिनतापर आवरण डालनेके लिए आ रहे हैं। हम जिसे भूल नही सकते वे हमे वही भुला देनेके लिए आ रहे है। वे हमारे घावोको भरनेके लिए नही, बल्कि हमे धोखेमे डालनेवाले सुधार[2] हमारे सिर मढकर हमारा मजाक उडानेके लिए आ रहे है। ड्यूक महोदयका स्वागत करना, अपने ही असम्मानकी वृद्धिमे योग देना है। जबतक सरकार पश्चात्ताप नही करती और उस चीजको जो आवश्यक है, दे नही देती, तबतक उस सरकारकी शक्तिका प्रतिनिधि कोई भी सरकारी अधिकारी, फिर चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, हमसे किसी भी तरहके स्वागत या सम्मान प्राप्त करनेका अधिकारी नही है।

१ जॉर्ज पचमके चाचा। वे १० जनवरी, १९२१ को भारत पहुँचे थे।

२ मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधार, जो १९१९ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्टमें दिये गये थे। ड्यूक इन्हीका समारम्भ करनेके लिए आये थे।

चायके प्यालेमें तूफान

एक जिला मजिस्ट्रेटका चायपानका निमन्त्रण स्वीकार कर लेनेपर 'लीडर'ने श्री मुहम्मद अलीपर जो आक्षेप किया है वह मुझे ऐसा ही दिखाई दिया है। अखबारोकी टिप्पणियाँ पढनेका मुझे बहुत ही कम अवसर मिल पाता है। किन्तु मैने सयोग-से २५ नवम्बरका 'लीडर' पढा। उसमे यह पढकर मुझे निश्चय ही दुख हुआ। यह अखबार सुलझी हुई चुस्त और तीखी टिप्पणियाँ लिखनेके लिए प्रसिद्ध है। फिर भी उसका प्रहार [प्राय] अनुचित नही होता। किन्तु मेरी समझमे मौलाना मुहम्मद अली सम्बन्धी उसकी टिप्पणी एक अनुचित प्रहार ही है। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावमे सरकारी समारोहोका बहिष्कार किया गया है। उसमे किसी चाय पार्टीके अवसरपर अधिकारियो और सार्वजनिक लोगोके बीच व्यक्तिगत बातचीतको निषिद्ध नही माना गया है। जहाँ 'लीडर'को मौलाना मुहम्मद अलीके इस कार्यमे विसगति दिखाई देती है वहाँ वह मुझे एक सज्जनोचित कार्य ही लगता है। वह इस बातका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह आन्दोलन न तो घृणापर आधारित है और न वह व्यक्तिश अग्रेजो-को लक्ष्यमें रखकर चलाया गया है। उसके द्वारा केवल एक ऐसी प्रणालीको नष्ट करने-का प्रयत्न किया जा रहा है जिसे अच्छेसे-अच्छा अग्रेज भी सह्य नही बना सकता। उसका उद्देश्य शुद्धीकरण है, प्रतिशोधात्मक या दण्डात्मक विनाश नही। मेरी रायमे यदि श्री मुहम्मद अली जिला मजिस्ट्रेटके चाय पीने और बातचीत करनेके निमन्त्रणको ठुकरा देते तो वे एक लोकसेवकके रूपमे अपने कर्त्तव्यके पालनसे च्युत माने जाते। हॉ, यदि जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा या वृद्धि करनेके उद्देश्यसे कोई सार्वजनिक समारोह करते तो दूसरी बात होती।

कुरुचि

मेरी विनम्र सम्मतिमे ऐसी ही कुरुचिका उदाहरण 'लीडर'की वह रोषपूर्ण टिप्पणी भी है जो उसने पडित मोतीलाल नेहरूपर, होमरूल लीगकी होनेवाली बैठक-पर पजाब सरकार द्वारा रोक लगाई जानेकी कार्रवाईके सम्बन्धमे भेजे गये उनके तारको लेकर लिखी है। कहते है, पडित मोतीलाल नेहरूने तारमे यह कहा कि इस निषेधाज्ञाका पालन किया जाना चाहिए क्योकि [यहाँ] सविनय अवज्ञा अवाछनीय है। इस तारके पीछे जो सराहनीय आत्मसयम है उसको देखनेके बजाय 'लीडर'ने यह कह कर पडित मोतीलाल नेहरूकी हँसी उडाई है कि वे तात्कालिक उपयोगिताकी नीतिका यहाँ आश्रय लेनेपर उतर आये है। यदि पडितजीने सविनय अवज्ञाकी सलाह दी होती, यदि सरकार हिंसा करती और लोग उसका उत्तर हिंसासे देते तो 'लीडर'का नाराज होना ठीक होता। मै तो 'लीडर'से 'लीडर' विरोधियोके प्रति भी न्याय करनेकी आशा करता हूँ। असहयोगका ध्येय सार्वजनिक जीवनको शुद्ध बनाकर और अहिंसात्मक अर्थात् शिष्टतापूर्ण या विनम्र साधनोसे लोकमतको प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त करना है। मै मानता हूँ कि असहयोगी सामूहिक रूपसे अपने व्यवहारमे नम्रताका समावेश नही कर पाये है। लेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्चय ही उसी ओर है। अब हम पडितजी-की सलाहकी अच्छाई-बुराईपर विचार करे। पुराने शब्दोको नये मूल्य मिल रहे है।

"तात्कालिक उपयोगिताकी नीति" शब्दोंमें एक हीक आती है, किन्तु वह शब्द समूह आने-जानेमें बुरा नहीं है। सविनय अवज्ञा वैध है, किन्तु वह तबतक वाञ्छनीय या उपयुक्त नहीं है जबतक समस्त राष्ट्रमें पूरा आत्म-संयम नहीं आ जाता और जबतक वह यह नहीं सीख लेता कि उचित कानूनोंका पालन स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए, उनका पालन, उनकी अवहेलना करनेकी दशामें मिलनेवाले तत्सम्बन्धी दण्डका भय छोड़कर करना आवश्यक है। कर देना बन्द करना वैध है, किन्तु जबतक राष्ट्र समष्टिकी हैसियतसे अहिंसाको अपनेमें पूरी तौरपर पचा नहीं लेता तबतक यह अनुपयुक्त है। दूसरे शब्दोंमें कहा जाये तो अहिंसा असहयोगका केवल उपसर्ग या प्रत्यय-भर नहीं है, वह उसका अविभाज्य और मुख्य भाग है। उसके अपेक्षाकृत रौद्र, अधिक उग्र और शक्तिशाली रूपोंपर तबतक अमल नहीं किया जा सकता जबतक पर्याप्त भरोसेके साथ यह न कहा जा सके कि राष्ट्रने स्थिति समझ ली है और वह शान्तचित्त रहकर प्रतिबन्ध, कैद और उससे भी कठोर यन्त्रणाओंको सहन कर सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१२-१९२०

४१. एक सलाह

मुझे निम्नलिखित गुमनाम सलाह मिली है

महात्मा,

यह एक स्त्रीकी सलाह है, इसे सुनिए। आप चाहे तो उसे अमान्य कर दें, परन्तु ऐसा उसपर खूब सोच-विचार और सर्वज्ञ प्रभुसे प्रबोध तथा प्रेरणाकी हार्दिक प्रार्थनाके बाद ही करें। ध्यानकी एकाग्रतासे बल और विविध दिशाओंमें उसके विलाससे दुर्बलता हाथ लगती है। आप असहयोगको केवल तीन बातोंतक सीमित रखिए--अर्थात् विदेशी चीजों, पुलिसकी नौकरी तथा सेनातक। इससे आप भीतरके सब मत-भेदोंको दूर करके अपने उद्देश्यको सबल बना सकेंगे और स्वराज्यकी प्राप्ति शीघ्र करा सकेंगे। अपना प्रयास मुख्यतया पूर्ण रूपसे नहीं, सीमावर्ती जातियों--सिक्खों, पंजाबियों, डोगरों और खासकर गोरखों तक सीमित रखिए। जैसा इतिहास सिखाता है, गुप्त समितियों द्वारा काम कीजिए, ढोल पीट कर नहीं। धमकियाँ मत दीजिए, प्रहार कीजिए सो भी मूलपर, शाखाओंपर नहीं। परमात्मा आपके तथा हमारे उद्देश्यको सफलता प्रदान करे।

श्रीमती एफ०

चिट्ठीमें तारीख नहीं पड़ी है। प्रत्यक्ष है कि यह चिट्ठी किसी स्त्रीकी लिखी हुई नहीं है। यह स्त्रियोचित भावनाओंसे इतनी दूर है कि यह किसी स्त्रीकी चिट्ठी नहीं हो सकती। पत्र-प्रेषक भारतकी स्त्रियोंको इस चिट्ठीमें जितना वीर दिखाना चाहता है, वे उससे कहीं अधिक वीर हैं। वह परमात्माकी चर्चा करता है, परन्तु ब्रिटिश

सगीनोसे भयभीत है और इसलिए खुशी-खुशी सिक्खो तथा गोरखोके हथियारोका उपयोग कर लेना चाहता है। वह असहयोगके सन्देशको अच्छी तरह नही समझ पाया है। अपनी भयकी अवस्थामे वह यह नही देखता कि अग्रेजोके पाशविक बलके स्थानमे दूसरे पाशविक बलकी स्थापना भारतकी बुराइयोका वास्तविक उपाय नही है। यदि हथियारोसे ही भारतके भाग्यका निर्णय होना है तो वे हथियार केवल सिक्खोके या गोरखोके नही बल्कि समस्त भारतके होने चाहिए। यह सबसे बडी शिक्षा है जो हमे यूरोपसे मिलती है। यदि राज्य सदा पाशविक बलका ही रहना है तो फिर या तो भारतके बच्चे-बच्चेको समर-कौशल सीखना पडेगा या फिर उसे उस देशी या विदेशीके चरणोमे, जिसके हाथमे तलवार है, सिर झुकाकर रहना पडेगा। उस हालतमे करोडो लोग डडेके बलपर हाँके जानेवाले मूक पशुओ-जैसे ही बने रहेगे। असहयोग लोगोको उनके गौरव और शक्तिका भान करानेका एक प्रयास है। यह तभी सम्भव है जब उन्हे यह समझाया जा सके कि वे अपनी अन्तरात्माको पहचान-भर ले तो पाशविक बलसे भय करनेकी जरूरत नही रहेगी।

हमे डोगरो, सिक्खो, गोरखो तथा भारतकी अन्य सैनिक जातियोकी जरूरत है, मगर वह अग्रेज सैनिकोसे युद्ध करनेके लिए नही बल्कि इसलिए है कि वे हमे पराधीन बना रखनेमे अग्रेज सैनिकोको सहायता न दे। हम चाहते है कि हमारा यह वर्ग इतना समझ ले कि वह ब्रिटिश अफसरोकी आज्ञासे तलवार चलाकर अपनी तथा हमारी गुलामीको स्थायी ही बनाता है। वे इसे समझ ले कि इसका समय तब आयेगा जब उक्त लेखकके जैसे विचार रखनेवाले लोगोके दलका लोप हो जायेगा और जब सैनिक वर्ग भी अहिंसाकी आवश्यकताको समझ जायेगा।

पत्र प्रेषक जब यह कहता है कि केवल विदेशी चीजो, पुलिस तथा सेनाकी ओर ध्यान दिया जाये तब मुझे उसपर सन्देह होता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि बिना बलिदानके आन्तरिक एकताकी स्थापना हो जाये। जो वर्ग अबतक लोकमतका नेतृत्व कर रहे है उन्हे किसी प्रकारका त्याग अर्थात् अपना शुद्धीकरण न करना पडे, जबकि असहयोगकी पूरी लडाई इन्ही वर्गोके इर्द-गिर्द चल रही है। सम्भव है कि अभी ऐसा लगा हो कि असहयोगने विसवाद उत्पन्न कर दिया है। वस्तुत शुद्धीकरणकी क्रिया पूरी हो जानेपर इससे असली एकता स्थापित हुए बिना न रहेगी।

इसके अतिरिक्त लेखक यह बात भी नही समझ पाया है कि हमारे सघर्षमे किंचित भी छिपाव-दुराव न होनेके फलस्वरूप हमे कितनी शानदार सफलता प्राप्त हुई है। मेरी रायमे लोगोने इस समय, खुल्लमखुल्ला, जैसी निर्भीकतासे अपने विचार व्यक्त किये है वैसा पहले कभी नही हुआ। उन्होने राजद्रोहके कानूनका अत्यन्त अस्वाभाविक भय तो लगभग त्याग ही दिया है। ऐसा लगता है कि लेखक जब गुप्त समितियोकी चर्चा करता है तब वह बीते हुए जमानेकी बात कह रहा है। आप गोपनीयताके अस्वच्छ तरीकोसे इस महान् राष्ट्रको उसकी पूरी उठानतक नही ले जा सकते। हमे चाहिए कि हम दिन-दहाडे, खुले-आम, साहसके साथ आन्दोलन चलाकर इस प्रकार गुप्त तथा इस पुलिस विभागको निरस्त्र कर दे जो गोप-

[illegible] जाता है और तो नीति स्पष्ट है। यदि असहयोग मूलपर प्रहार न करे तो वह असहयोग ही नहीं है। जब आप सत्यनिष्ठा और ईमानदारीके साथ असहयोगमें भाग लेंगे [illegible] इस [illegible] नीचता छोड़ देंगे तभी आप उनके [illegible] करेंगे। इस तरहकी हिमायत शैतानकी हिमायत है, [illegible] नाम ऐसा निश्चय है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१२-१९२०

४२ हुल्लडबाजी

उन सभी व्यक्तियोंके लिए, जिन्हें असहयोगियोंसे कोई शिकायत हो, 'यंग इंडिया'के द्वार खुले हैं। किसी 'धारवाड़' द्वारा सम्पादकको भेजी गई एक चिट्ठी[1] यहाँ प्रकाशित की जा रही है। पत्रलेखकने स्वयं पत्रमें अपना नाम दिया है और यह पत्र प्रकाशित न करनेकी प्रार्थना की है। सार्वजनिक महत्वके किसी भी मामलेमें ऐसी प्रार्थना स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा। यदि संवाददाताका कहना सच है तो यह धारवाड़के नवयुवकोंके लिए लज्जास्पद है। संवाददाताने इस घटनाका सम्बन्ध असहयोगसे जोड़ा है। आजकल तो ऐसी चाल चल पड़ी है कि अशोभनीय व्यवहारकी प्रत्येक घटना असहयोगियोंके मत्थे मढ़ दी जाती है। अच्छा होता कि धारवाड़में मेरे मुकामके समय ही यह घटना मेरी जानकारीमें लाई गई होती। तब मैं इस मामलेकी जांच करके उसे निपटा सकता था। धारवाड़में छात्रोंकी मैंने एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी, उसमें भी पत्थर फेंके गये थे। एक छात्रको तो बहुत गहरी चोट आ गई होती। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि पत्थर फेंके जानेपर भी श्रोता शान्त बैठे रहे। मुझे यह भी बताया गया था कि धारवाड़में अब्राह्मणोंके आन्दोलनके सिलसिलेमें सभाओंमें पत्थर फेंका जाना कोई असाधारण बात नहीं है। मैं यह बात कहकर केवल यह सूचित करना चाहता हूँ कि धारवाड़ उस तरह पत्थर फेंकनेके लिए जितना बदनाम है उतना दूसरा कोई शहर नहीं है। इसलिए इस घटनाका सम्बन्ध असहयोग या किसी अन्य [illegible] विरोधी आन्दोलनसे जोड़ना ठीक नहीं है। यद्यपि संवाददाताके पत्रमें ऐसी कोई साफ बात नहीं लिखी गई है, किन्तु वह जो कुछ कहता है उससे यह स्पष्ट है कि लोग नाटकमें लड़कियोंके भाग लेनेकी बातपर नाराज थे। संवाददाताका कहना

1. इस चिट्ठीमें जिसे उद्धृत नहीं किया जा रहा है, संवाददाताने भारतीयोंके सहायतार्थ किये गये एक कार्यक्रमका उल्लेख किया है जिसका आयोजन धारवाड़में भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवाली किसी यूरोपीय महिलाने किया था। इरादा पहले भारतीय लड़कियों द्वारा कोई नाटक अभिनीत करनेका था, किन्तु लड़कियोंके अभिभावकोंके कहनेसे उसके स्थानपर गायन और कविता पाठका कार्यक्रम रखा गया। मनोरंजनके इस कार्यक्रमके बीच और अन्तमें युवकोंकी एक भीड़ने, जिसे संवाददाताके कथनानुसार असहयोगियोंने भड़का दिया था, संयोजकों और अतिथियोंपर पत्थर फेंके थे।

है कि अभिभावकोकी इच्छा मालूम होते ही नाटक ऐन वक्तपर रोक दिया गया था। अवश्य ही पहले नाटक खेलनेका आग्रह किया गया होगा और उससे लोगोमे नाराजी पैदा हुई होगी।

लेकिन इसमे मेरी साफ राय यह है कि उत्तेजनाके चाहे जितने कारण क्यो न रहे हो "नवयुवकोकी [उत्पाती] भीड"का उपद्रव करना उचित कदापि नही ठहराया जा सकता। यदि लडकियोके अभिभावकोको आपत्ति नही थी तो जिस नाटकको खेलने-का अन्ततोगत्वा निश्चय किया जा चुका था, उसे रोकनेका उन्हे कोई अधिकार न था। जनतन्त्रवादीकी सबसे खरी कसौटी यही है कि प्रत्येक मनुष्य जैसा चाहे वैसा कर सके, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे मनुष्यके जीवन और धन-मालको क्षति न पहुँचती हो। जनताकी नैतिकताकी रक्षा हुल्लड मचाकर नही की जा सकती। समाज केवल लोकमतसे ही शुद्ध और स्वच्छ रह सकता है। यदि धारवाडके युवक यह पसन्द नही करते है कि धारवाडकी लडकियाँ मचपर सार्वजनिक रूपसे अपना प्रदर्शन करे तो वे सार्वजनिक सभाएँ करते और अन्य प्रकारसे अपने पक्षमे लोकमत बनाते। असह-योग आन्दोलनका उद्देश्य इस हुल्लड-जैसी सभी अनुचित कार्रवाइयोको रोकना है। निश्चय ही असहयोगियोसे धारवाड-जैसी हिंसात्मक वारदातोमे हिस्सा न लेनेकी अपेक्षा की जाती है। इतना ही नही बल्कि वे दूसरोको भी रोके। जिस हदतक असहयोगी हिंसाकारी शक्तियोपर नियन्त्रण कर सकेगे, असहयोग उसी हदतक सफल होगा। सम्भव है कि सब लोग आत्मबलिदानके कार्यक्रममे भाग न ले सके, किन्तु यह तो सभीको मानना चाहिए कि वाणी और कर्ममे अहिंसाका पालन करना आवश्यक है।

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि सवाददाताने अपने आवरक पत्रमे धार-वाडकी हुल्लडबाजी और जलियाँवाला बागके हत्याकाडका उल्लेख साथ-साथ किया है। एक जगह बिना किसी उत्तेजनाके निर्दयतापूर्वक, योजना बनाकर निर्दोष लोगोकी हत्या की गई थी और दूसरी जगह "युवकोकी एक उपद्रवी भीड"के द्वारा कल्पित या वास्तविक बुराईसे उत्तेजित हो जानेके कारण विचारहीन प्रदर्शन किया गया था। पत्रलेखकने इन दोनो कृत्योकी तुलना करते समय अपनी विवेक बुद्धिके असतुलित होनेका परिचय दिया है। दोनो ही कृत्य निन्दनीय है। किन्तु धारवाडके लडकोंके कार्यक्रम और अमृतसरमे डायरकी जघन्य करतूतमे इतना अन्तर है जितना किसीपर मामूली चोट करने और उसे नेस्तनाबूद कर देनेके प्रयत्नमे है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१२-१९२०

४३ भाषण: इलाहाबादमें तिलक विद्यालयके उद्घाटनपर

१ दिसम्बर, १९२०

श्री गांधीने विद्यालयका[1] उद्घाटन करते हुए कहा मुझे इस विद्यालयके उद्घाटनकी रस्म पूरी करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे श्री श्यामलाल नेहरूने बताया है कि विद्यालयका नाम राष्ट्रीय विद्यालय नहीं, तिलक विद्यालय होगा। स्वराज्यके लिए जितना आत्मत्याग श्री तिलकने[2] किया है उतना किसी दूसरे व्यक्तिने नहीं किया। इसलिए उस महान देशभक्तके नामपर इसका नाम रखा जाना उचित ही है। यदि कालेजके विद्यार्थी आयेंगे तो कालेज भी खोला जायेगा। विद्यालयमें वे सभी विषय पढ़ाये जायेंगे जो दूसरे स्कूलोंमें पढ़ाये जाते हैं। इसके बाद उन्होंने विद्यालयकी कार्यकारिणीके सदस्योंके नाम घोषित किये। इनमें पं० मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष, और सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल नेहरू, श्यामलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र सदस्य थे। उन्होंने आगे कहा विद्यालयमें १५ अध्यापक हैं जिनमें से कुछके पास डिगरियाँ हैं। मेरा ख्याल है कि ये सभी ऊँचे चरित्रके लोग हैं। यदि अध्यापक अच्छे हों तो विद्यालय उन्नति करेगा। जिन लोगोंने विद्यालयकी सेवा करनेका वचन दिया है, उन्हें दूसरी सब बातें भुला देनी चाहिए। कुछ स्कूलोंमें अध्यापक अपने कामके अलावा दूसरे बाहरी काम भी करते हैं। इस विद्यालयमें ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विद्यालयके अध्यापकोंका अपना पूरा ध्यान विद्यालयके कामपर केन्द्रित रहना चाहिए। विद्यालयमें छात्रोंको कुर्सियाँ और डेस्कें नहीं मिलेंगी। सरकारने हममें उनके उपयोगकी बुरी आदत डाल दी है। किन्तु आप लोग केवल आसनोंका प्रयोग करनेके लिए तैयार रहें। आप अपनी विद्या और चरित्रशीलतासे यह दिखायें कि आप दूसरे स्कूलोंके छात्रोंसे अच्छे हैं। इस संस्थामें आपको कोई सुख-सुविधा नहीं मिलेगी। यदि जरूरत होगी तो छात्रोंको खुलेमें पेड़ोंके नीचे बैठकर पढ़ना-लिखना होगा और मेरी रायमें भारतकी प्राचीन पद्धतिमें तो इस बातपर आग्रह किया जाता था। प्राचीन कालमें जब वर्षाकाल आता था, छात्र खेतोंमें काम किया करते थे। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि विद्यालयके पाठ्यक्रममें टाइप, संकेतलिपि, कताई और बुनाईके विषय भी सम्मिलित होंगे। लड़कोंको उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियाँ सीखनी होंगी। आपका ऐसा करना स्वराज्य और हिन्दू मुस्लिम ऐक्य, दोनों ही दृष्टिसे अच्छा है। दोनों लिपियोंको सीखनेसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही बहुत-कुछ सीखेंगे। मेरे

१ यह राष्ट्रीय हाई स्कूल स्वराज्य सभाके कार्यालयमें चलाया जाता था। स्कूलकी कार्यकारिणीने इसे गांधीजी द्वारा बताई हुई पद्धतिसे चलानेका निश्चय किया था।

२ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, (१८५६–१९२०)।

मित्र श्री शौकत अलीने मुझे बताया है कि भारतीय भाषाओंमें उर्दूका साहित्य बहुत सम्पन्न है। इस बारेमे मैं उनसे सहमत हूँ। उर्दू, बगला या गुजरातीसे अधिक शक्तिशाली है; क्योकि उर्दू लिखनेवाले मौलवियोने किसी विदेशी भाषासे नहीं अरबीसे प्रेरणा ली है। उन्होने अंग्रेजीसे कभी कोई पुस्तक अनुवादित नहीं की। मेरा खयाल है कि उर्दू लिपि सीखनेके बाद लडके सादी और फारसीके दूसरे शायरोकी कृतियाँ पढ़ सकेंगे।

उन्होंने खास तौरसे छात्रोको सम्बोधित करते हुए कहा कि आप आज स्वराज्यकी दिशामें एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने आचरणसे अहिंसात्मक असहयोगको सफल बनायें।

[अंग्रेजीसे]

लीडर, ३-१२-१९२०

४४. भाषण: फुलवारी शरीफमें[1]

२ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गांधीने . . . सभामें हिन्दीमें भाषण देते हुए पहले श्रोताओसे प्रार्थना की कि वे उन्हे बैठकर भाषण देनेकी अनुमति दें क्योकि वे कमजोरीके कारण खड़े नहीं हो सकते। तत्पश्चात् उन्होने कहा. मुझे खुशी है कि आज मुझे पीर साहबके प्रति सम्मान प्रकट करने और हिन्दुओ और मुसलमानोको इतनी बड़ी संख्यामें उपस्थित देखनेका अवसर मिला है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँके हिन्दू और मुसलमान ईश्वर और देशके प्रति अपने कर्त्तव्यका पालन करेंगे। मैं इस्लामको उसके विनाशका जो आयोजन किया गया है उससे बचानेके प्रयासमें हूँ। हिन्दू हो या मुसलमान सभीका यह कर्त्तव्य है कि वे इसमें मेरी सहायता करे। इसमें प्राण गँवा देना भी श्रेयस्कर है। मैं चाहता हूँ कि पहले तो पंजाबमें किये गये अत्याचारोकी क्षतिपूर्ति की जाये और देशको स्वराज्य भले ही फिर मिले; ताकि ऐसे अत्याचारोकी पुनरावृत्ति न हो। हिन्दू और मुसलमान एक ही माँके दो बेटे है। उन्हे अनुभव करना चाहिए कि वे एक ही हैं। उन्हे शान्तिसे रहना चाहिए; वे हिंसाके रास्ते चलकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी तलवारें म्यानसे नहीं निकालनी चाहिए, और अपने सब काम बिलकुल अहिंसक रहकर करने चाहिए। हम सरकारको तभी सुधार सकते हैं जब हम उससे अपना पूरा सम्बन्ध तोड ले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग-जैसी सम्मानित संस्थाएँ अपना फैसला दे रही हैं। इतना कह चुकनेके बाद गांधीजीने अपने कार्यक्रमके

१ फुलवारी शरीफ (बिहार), यह भाषण एक सार्वजनिक सभामें दिया गया था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना शौकत अली और राजेन्द्रप्रसाद भी उपस्थित थे।

विभिन्न चरणोका जिक्र किया और कहा : हम चाहते है कि विलायती चीजोको काममें लाना बन्द कर दिया जाये। आप स्वदेशी चीजोको ही काममें लायें। हमें अपनी माताओ और बहनोको चरखे देने चाहिए। यदि वे भोडे और महँगे भी हो तो भी उन्हे इसकी परवाह न करनी चाहिए। यह अत्यन्त सौभाग्यकी बात है कि पीर साहब हमारी सहायता कर रहे है और लोगोको इस रास्तेपर चलना बता रहे है। यहाँ एक राष्ट्रीय मदरसा खोला जा रहा है और मुझे उसको खोलनेकी रस्म पूरी करनेके लिए कहा गया है। यह कहा गया है कि इसमें तो थोडेसे ही लडके है, लेकिन इससे कोई अन्तर नहीं पडता। उन्होने आगे चलकर कहा मै छात्रोके लिए शिक्षाकी वर्तमान प्रणाली-जैसी या उससे अच्छी कोई दूसरी योजना प्रस्तुत करना नहीं चाहता, मै तो उन्हे बहादुर बनना और ईश्वर एव अपने ऊपर विश्वास करना सिखाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय विद्यालयोमें उन्हे यह सिखाया जायेगा कि उन्हे जीवनकी आवश्यक वस्तुएँ सरकार नहीं देती, बल्कि ईश्वर देता है। तभी लोग स्वराज्य माँगनेके अधिकारी बन सकेंगे।[1]

[अग्रेजीसे]
सर्चलाइट, ५-१२-१९२०

४५. भाषण : पटनामे

२ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गाधीने सभामें कुर्सीपर बैठे-बैठे भापण दिया। उन्होने कहा मै चाहता हूँ कि इस्लामकी रक्षा हो, पजाबके मामलेमें न्याय किया जाये और इस बातकी गारटी दी जाये कि गुलामीके रूपमें किये गये अन्यायोकी पुनरावृत्ति भविष्यमें न होने पाये। हमारे ये उद्देश्य केवल असहयोगसे ही पूरे हो सकते है। किन्तु इसके लिए हममें आपसी सहयोग होना आवश्यक है। मुझे खेद है कि हम आपसमें सहयोग नहीं करते। मै देखता हूँ, हम सगठनके कामोमें लगे रहकर भी भडक जाते है और मतभेदोको सहन नही करते। किन्तु मै चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखें। आपको यदि इस्लामकी रक्षा करनी है और स्वराज्य लेना है तो आपसमें सहयोग करना निहायत जरूरी है। मुझे बेतियासे यह दु खजनक समाचार मिला है कि हमारे अपने ही भाइयोने (यद्यपि वे पुलिसमें है) वहाँ एक तरहका मार्शल लॉ लागू कर रखा है।[2] जब

१ इस सभाके बाद महात्माजी और उनके साथी मोटरमे 'कौमी मदरसे' गये। महात्माजीने मदरसेका उद्घाटन किया। सर्चलाइटने आगे खबर दी है "वहाँ श्री गाधीने पासके एक छज्जेपर बैठी कुछ पर्दानशीन औरतोको सम्बोधित करते हुए कहा कि आप लोग सूत कातें और कपडा बुनें तथा उनका उपयोग अपने लिए तथा अपने पतियों और बाल-बच्चोंके लिए करें। आप विदेशोमें बने महीन कपडे पहनना छोड दें। उन्होने स्त्रियोंसे प्रार्थना की कि वे पुरुषोको सादगी सिखायें और उन्हें दृढ बनायें।"

२ देखिए "भापण बेतियामें", ८-१२-१९२०।

पंजाबमें मार्शल लॉ लागू किया गया था तब वाइसरायने उसके नियन्त्रणके लिए कुछ विनियम बनाये थे; लेकिन बेतियामें ऐसा भी नहीं किया गया। हाँ, यह जरूर है कि बेतियामें मार्शल लॉ इतनी सख्तीसे लागू नहीं किया गया जितनी सख्तीसे वह पंजाबमें किया गया था। किन्तु, उक्त गाँवोंमें कम सख्त रूपमें ही सही मार्शल लॉ लागू अवश्य किया गया है। पुलिसने वहाँ सरकारकी आज्ञाके बिना भारी अन्याय किया है और खबर मिली है कि उसने वहाँ हमारी माताओं और बहनोंका शीलभंग किया है। मैं नहीं जानता कि अखबारोंमें जो-कुछ छपा है वह सच है या नहीं; किन्तु यदि मान लें कि वह सब सच है और जिन गवाहोंने वह सूचना दी है कि वे विश्वस्त हैं, तो उसके अनुसार वहाँ सम्पत्ति लूटी गई है, स्त्रियोंका अपमान किया गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और यह सब सरकारकी आज्ञाके विरुद्ध।

जबतक हमारा आचरण इस तरहका रहेगा तबतक हम गुलाम रहेंगे और तबतक न हम स्वराज्य ले सकेंगे और न खिलाफतकी रक्षा ही कर सकेंगे। निःसन्देह हम अदालतोंमें शिकायत लेकर नहीं जायेंगे; क्योंकि वह तो पाप ही होगा। यदि हम मामला वहाँ ले भी जायें तो उससे हम स्वतन्त्रताकी दिशामें तनिक भी नहीं बढ़ेंगे, हाँ, हम पुलिसके लोगोंको जेल जरूर भिजवा सकेंगे। हमारा उद्देश्य वर्तमान शासन प्रणालीको समाप्त कर देना है; किन्तु जबतक उसका अन्त नहीं होता तबतक उन लोगोंसे क्या कहा जाये जिन्होंने एक अत्याचारी सरकारसे अत्याचार करना सीख लिया है? हमारा मुख्य कर्त्तव्य अपने बीच पूर्ण एकता स्थापित करना है। यदि हम आज एकता प्राप्त कर लें तो हमें एक दिनमें ही स्वराज्य मिल जायेगा। महात्मा गांधीने आगे चलकर कहा: बिहारमें चुनावोंमें[1] बहुत ही कम लोगोंने मतदान किया है, इसके लिए वह बधाईका पात्र है। जो लोग स्वतन्त्रताकी तनिक भी परवाह करते हैं उन सभीने कौंसिलोंमें जानेका विचार छोड़ दिया है। कुछ लोग कौंसिलोंमें गये भी हैं; किन्तु उन्हें अधिकांश मतदाताओंसे मतदान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वे अपनेको लोक-प्रतिनिधि कहते हैं। यहाँ गांधीजीने एक पत्रका उल्लेख किया। यह उन्हें फुलवारी शरीफमें, जहाँ वे श्रद्धास्पद मौलाना बदरुद्दीनसे मिलने गये थे, वहाँके हिन्दुओंने दिया था। इस पत्रमें कहा गया था कि यहाँके मुसलमान भाइयोंसे हमारा सम्बन्ध प्रेमपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उन्होंने दुर्गा पूजाके हमारे उत्सवमें बाधा पहुँचाई। इस सम्बन्धमें गांधीजीने कहा: यद्यपि बिहार हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रसिद्ध है, किन्तु जब यह शिकायत मेरे ध्यानमें लाई गई तो मेरे मनमें अवश्य ही यह खयाल आया कि यहाँ दालमें कुछ काला है। शाहाबादके दंगेकी याद मुझे अभी भूली नहीं है और यह भी याद है कि वहाँ पहल हिन्दुओंकी ओरसे की गई थी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मतभेदोंको आपसमें ही तय कर लिया करें और यदि आपका उद्देश्य शासनको सुधारना और शुद्ध करना है तो आप पहले अपनी शुद्धि करें।

१ विधान परिषदके चुनावोंमें।

दूसरी बात जिसपर मै आपसे जोर देकर बात करना चाहता हूँ, यह है कि असहयोगका स्वरूप अहिसात्मक है। आपको अपनी तलवारे म्यानोमें रख लेनी पडेगी और पूर्ण आत्मसयम सीखना होगा। जिन पुलिसवालोने चम्पारनमें स्त्रियोके साथ बदसलूकी की थी हम उनको भी चोट पहुँचाना नहीं चाहते। असल बात यह है कि यदि उनसे मेरी कही भेट होती तो हिन्दुओकी ओरसे मै उन्हे विनयपूर्वक कहता कि जैसा उन्होने किया है वैसा करना उनका काम नहीं था। मै तो सत्यके बलपर विजय चाहता हूँ। किसी भारतीयको गाली देना या चोट पहुँचाना सदा ही अनुचित है और अशिष्टता भी। मै किसी भी व्यक्तिको अपने ऊपर हाथ उठानेका अवसर नहीं देना चाहता क्योकि मै हिसासे घृणा करता हूँ।

इसके बाद गाधीजीने धनके लिए अपील की। उन्होने कहा मै एक महीनेसे रुपया माँगता आ रहा हूँ। मै चाहता हूँ कि आप जो-कुछ दे सके अवश्य दें। मै लखपतियोसे लाखो नहीं माँगता, मै तो अपने ३० करोड लोगोमें से हरएकसे एक-एक रुपया या एक-एक पैसा माँगता हूँ। इस सम्बन्धमे मुसलमानोका कर्त्तव्य दुहरा है। उन्हे इस कोषमें स्मर्नाके पीडितोका कष्ट दूर करनेके लिए तो रुपया देना ही है, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढके सहायतार्थ भी रुपया देना है। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रुपया काग्रेसके लिए या किसी अन्य कार्यमे खर्च नहीं किया जायेगा, बल्कि विशुद्ध असहयोग चलानेमे और स्कूल खोलनेमे, सक्षेपमें कहे तो स्वराज्य लेनेके लिए खर्च किया जायेगा। मै रुपयेकी व्यवस्थाके लिए एक समिति बना दूँगा और उसके खर्चका हिसाब नियमित रूपसे पत्रोमें प्रकाशित किया जायेगा। इसके अलावा बिहारमें जो रुपया इकट्ठा होगा वह बिहारमे ही खर्च किया जायेगा। मुझे दु ख है कि मुझे रुपया माँगना पडता है, क्योकि मै अनुभव करता हूँ कि हममें से अनेक लोग जिन्होने पहले रुपया इकट्ठा किया था, सच्चे नहीं थे और कभी-कभी तो उन्होने लोगोसे काग्रेसके नामपर रुपया ठगा। गाधीजीने जनतासे सफलता प्राप्त करनेके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करनेकी अपील की। जबतक हिन्दू और मुसलमान आपसमें भाई-भाईकी तरह नहीं रहते, जबतक वे एक दूसरेसे मिलकर काम नहीं करते, जबतक वे अपने गुस्सेपर काबू नहीं कर लेते और त्याग करनेके लिए तैयार नहीं हो जाते, जबतक दोनो काग्रेस और लीगके[1] निर्देशोका पालन नहीं करते तबतक वे शैतानी सरकारके शासनसे मुक्त नहीं हो सकते। यह तो स्वतन्त्रतासे पहलेकी तैयारी है। कौंसिलोके बहिष्कारमे त्यागकी कोई बात नहीं है, किन्तु वह तो शुद्धिका एक साधन-मात्र है और मै प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारी आत्माओको शुद्ध करे।

[अग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ५–१२–१९२०

१ आल इडिया मुस्लिम लीग।

४६. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, पटनामे[1]

३ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गाधीने लडकोको सम्बोधित करते हुए कहा : मुझसे मौलाना शौकत-अलीने कहा है कि हिन्दी भाषा इतनी अधिक दरिद्र हे कि मैं श्रोताओपर जितना प्रभाव डालना चाहता हूँ उतना हिन्दी मे बोलकर डाल ही नही सकता। क्या आप लोग चाहते है कि मै आपके सामने अग्रेजीमें भाषण दूँ? इसपर सब लडकोने कहा कि वे उनका भाषण हिन्दुस्तानीमें सुनना चाहते है। तब गाधीजीने अपना भाषण हिन्दीमें आरम्भ[2] किया। उन्होने बताया कि हिन्दुस्तानीसे उनका अभिप्राय क्या है। उन्होने कहा कि बिहारी लोग जो भाषा बोलते है, वही वह भाषा है जो भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती है। यद्यपि मै देवनागरी लिपिको राष्ट्रीय लिपि बनानेके पक्षमे हूँ, फिर भी मै सभी भारतीयोसे प्रार्थना करता हूँ कि जबतक हमारे मुसलमानभाई देवनागरी लिपिको स्वीकार नही कर लेते तबतक वे देवनागरी लिपि और फारसी लिपि दोनो ही सीखें। छात्रोके कर्त्तव्य बताते हुए उन्होने कहा कि सभी छात्रोको उन सरकारी स्कूलो और कालेजो अथवा उन सभी सस्थाओको जिनका सरकारसे कुछ भी सम्बन्ध है, छोड़ देना चाहिए। आगे चलकर उन्होने बताया कि ब्रिटिश सरकारने किस प्रकार हिन्दु और मुसलमान दोनोको धोखा दिया है और इस प्रकार अपने साथ सहयोगका अधिकार खो दिया है। उन्होने वर्तमान शासनकी तुलना रावण-राज्यसे करते हुए कहा कि कुछ अच्छी धार्मिक बातें जैसे संयम, यज्ञ आदि तो रावण-राज्यमे भी विद्यमान थी। लेकिन वे सब दूषित उद्देश्यसे सम्पन्न की जाती थीं। इसलिए उनसे किसी शुभ परिणामकी अपेक्षा नही की जा सकती थी। जब लोकमान्य तिलक जीवित थे तब मेरा खयाल था कि वे जब अंग्रेजी शासनकी निन्दा करते है तब उसमे कुछ अत्युक्ति रहा करती है। परन्तु उनकी मृत्युके बाद जलियाँवाला बागकी घटना[3], टर्कीकी शान्ति-सन्धि और ऐसी ही अन्य घटनाओने मुझे लोकमान्य तिलकसे सहमत होनेके लिए विवश कर दिया है। किन्तु फिर भी मै लोकमान्य तिलककी 'शठं प्रति शाठ्यम्'की नीतिको नहीं मान सका हूँ। मै शैतानका मुकाबला शैतानके तरीकेसे करना पसन्द नहीं करता। मुझे तो यही आवश्यक मालूम होता है कि शैतानको भगवानकी मददसे अर्थात् शुद्ध हृदय तथा शुद्ध उद्देश्यसे जीता जाये। खुदाने शैतानको सिर्फ अपने खुदाई साधनोसे ही हराया था। वर्तमान सरकार चूँकि शैतानी सरकार है, इसलिए वह

१. यह सभा मौलवी मजहरुल हकके निवासस्थानके अहातेमें राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें हुई थी।

२ मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नही है।

३ यहाँ उस हत्याकाण्डका उल्लेख है जो १३ अप्रैल, १९१९ को जनरल डायरकी आज्ञासे उस स्थानपर किया गया था, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १९०–९४।

भारतकी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैं यह बात निर्भयतापूर्वक कहता हूँ कि इस सरकारको सुधारा या समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह कार्य सरकारको किसी प्रकारकी सहायता देकर या उससे कोई सहायता लेकर नहीं किया जा सकता। अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं 'गीता' रावणसे नहीं पढ़ सकता चाहे वह उसके लिए कोई ऋषि ही क्यों न भेजे, क्योंकि उसमें भी उसका मंशा दूषित तो हो ही सकता है।

मुझे तो ऐसा लगता है कि पंडित मदनमोहन मालवीय अपने काशी विश्वविद्यालयमें जो शिक्षा देते हैं उसमें भी कुछ-न-कुछ खराबी है। भारत सरकार उनको खुश रखनेकी कोशिश कर रही है। हिन्दू विश्वविद्यालयके संगठनकर्त्ता यह नहीं देख पाते कि सरकारका हेतु अच्छा नहीं है। गुलामोंका मालिक गुलामोंको स्वतन्त्रताकी शिक्षा कभी नहीं दे सकता। मिलकी कृतियोंको पाठ्यक्रममें रखनेका मेकॉले और अन्य लोगोंका जो स्वतन्त्रता और स्वाधीनताके वातावरणमें पले थे, हेतु बुरा ही था। यह सरकारका कर्त्तव्य नहीं है। यदि मैं मुसलमान लड़कोंको 'कुरान शरीफ' पढ़ानेका दिखावा करूँ या मौलाना अबुल कलाम[1] हिन्दू लड़कोंको 'गीता' पढ़ानेका ढोंग रचें तो दालमें कुछ-न-कुछ काला माना जायेगा। मैं बाबू राजेन्द्रप्रसादसे[2] 'गीता' पढ़ सकता हूँ। मुसलमान लड़के मौलवियोंसे 'कुरान' पढ़ सकते हैं। मेरी मुक्ति 'कुरान' में नहीं, 'गीता' से होगी। मेरे लिए 'गीता' ही सर्वोत्तम धर्म-ग्रन्थ है। मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गोंने 'गीता' से स्वर्ग प्राप्त किया है और उन्होंने मुझे उसीका पाठ करना और उसमें श्रद्धा रखना सिखाया है। मैं किसी भी धर्मको अपने धर्मसे ऊँचा नहीं मानता और जिस दिन मेरा यह विचार बदल जायेगा उसी दिन मैं अपना धर्म बदल दूँगा। महात्माजीने आगे कहा : मैं स्वतन्त्रताका पाठ पढ़नेके लिए गुलामोंके पास नहीं जाऊँगा। स्वतन्त्रताकी शिक्षा तो अरब, पठान और मिस्री लोग दे सकते हैं। अरब लड़कोंको जब सभ्यता, शिक्षा या सरकारी नौकरियोंके रूपमें प्रलोभन दिया गया तो उन्होंने उसे लेनेमें इनकार कर दिया। मैं लॉर्ड सिन्हासे स्वतन्त्रताकी शिक्षा नहीं ले सकता। हाँ, मौलाना शौकत अलीसे जरूर ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया है। सर एडवर्ड गेट[3] एक भले मनुष्य हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि वे गवर्नरोंमें सबसे अच्छे हैं। लेकिन यदि वे मुझे मिल जायें, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जिस सरकारके नौकर हैं वह सरकार बुरी है। मैं आपके हाथसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता। श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज अंग्रेज हैं। उन्होंने हमें यह सलाह दी है कि हम ब्रिटिश सरकारकी परवाह

१. मौलाना अबुल कलाम आजाद।

२. १८८४–१९६३, राजनीतिज्ञ और विद्वान, भारतीय संविधान सभाके अध्यक्ष, १९४६-४९, भारतके प्रथम राष्ट्रपति।

३. चम्पारन सत्याग्रहके दौरान सन् १९१७ में बिहार और उड़ीसाके लेफ्टिनेंट गवर्नर।

न करके स्वराज्य प्राप्त करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री एन्ड्रयूज ऐसा कहकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इसके लिए तैयार हूँ कि अंग्रेज हमारे नौकर या देशवासी बनकर रहे। मुझे किसी भी धर्म, जाति या मत-मतान्तरके किसी भी मनुष्यके साथ, यदि वह भारतीयोंके प्रति सच्ची भावना रखता है, सहयोग करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा आन्दोलन असहयोगका आन्दोलन है। मैं चाहता हूँ कि समस्त भारतसे यूनियन जैक हटा दिया जाये। जबतक यह सम्भव न हो तबतक मैं चाहता हूँ कि वह विभिन्न इमारतोंपरसे जरूर हटा लिया जाये और जिन इमारतोंपर यह फहराता रहे उनका बहिष्कार किया जाये। मेरी सलाह है कि लोग सरकारी समारोहोंका बहिष्कार करें। सरकारी संस्थाएँ मुझे जलते हुए मकानोंकी तरह लगती हैं, छात्र उनसे अलग रहें। भारतीय सब चीजोंका एकाएक बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वे दीर्घकालसे गुलामीके बन्धनोंमें रह रहे हैं। हम जो अन्न खाते हैं उसका भी सरकारसे कुछ सम्बन्ध है, क्योंकि वह उन जमीनोंमें पैदा किया जाता है जिनकी मालिक सरकार है। *लेकिन लोगोंको जानबूझकर सरकारसे सहयोग न करना चाहिए।* हम धीरे-धीरे हर चीजसे मुक्त हो सकते हैं। गांधीजी बोल ही रहे थे कि कुछ और लोग जो बाहर खड़े थे, धक्कामुक्की करके भीतर आने लगे। गांधीजीने तुरन्त कहा कि समय बहुत कीमती है। मेरी समझमें नहीं आता कि हमारे युवक जो इतने न्याय-प्रिय और सच्ची भावनावाले हैं, जो अपने जीवनको आरम्भ ही कर रहे हैं, समयकी पाबन्दीकी इतनी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि स्व० गोखले[1] समयको कितना मूल्यवान मानते थे। जब उन्होंने भारत सेवक समाजकी स्थापना की तब वे अपने भाषणसे पूर्व सभाभवनके द्वार बन्द करवा देते थे। घोषित समयके ठीक दो मिनट बाद द्वार बन्द कर दिया जाता। तब वे सर टाटा[2] तकको भी जो उनके मुख्य सहायक थे, भवनमें नहीं आने देते थे। अपने विषयको पुनः आरम्भ करते हुए गांधीजीने कहा: किसी व्यक्तिने मुझसे कहा है कि श्री हसन इमाम[3] मेरे आन्दोलनका एक सप्ताहके अन्दर ही खात्मा कर देनेपर आमादा हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने मुझसे कहा कि यह सच नहीं है। इतना ही नहीं, जहाँतक असहयोगका सम्बन्ध है, वे मेरे साथ हैं और मुझे हर तरहकी सहायता देनेके लिए तैयार हैं। किन्तु उनकी समझमें यह नहीं आता कि अहिंसाका मतलब क्या है। यदि इस

१ गोपाल कृष्ण गोखले (१८६६–१९१५), शिक्षा शास्त्री और राजनीतिज्ञ, भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के संस्थापक।

२ सर रतनजी जमशेदजी टाटा (१८७१–१९१८), पारसी उद्योगपति और दानी।

३. हसन इमाम (१८७१–१९३३), कलकत्ता उच्च न्यायालयके न्यायाधीश, १९१६ में त्यागपत्र देनेके बाद पटना उच्च न्यायालयमें वकालत शुरू की। सितम्बर १९१८ में बम्बईके विशेष कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष बनाये गये, ये सेवर्समें टर्कीसे हुई सन्धिमें परिवर्तन करानेके लिए मुसलमानोंका शिष्टमण्डल लेकर इंग्लैंड गये थे।

शब्दको हटा दिया जाये तो वे इस आन्दोलनमें खुशीसे शामिल हो जायेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसी हालतमें आप सरकारसे अपना सम्बन्ध तोड़ें जब आप उसे शैतानी सरकार मानते हों। यदि लॉर्ड चैम्सफोर्ड[1] मंजूर कर ले तो मैं बीमारीमें उनकी सेवा-शुश्रूषा खुशीसे करूँ। मैं उनको जहर नहीं दूंगा, बल्कि अपनी शक्ति-भर उन्हें स्वस्थ करनेका प्रयत्न करूँगा। किन्तु यदि वे मेरे आश्रमके लिए करोड़ों रुपये भी दें तो मैं उनकी सहायतासे इनकार कर दूंगा। मुझे बताया गया है कि कालेजोंके छात्रोंको नागपुर कांग्रेसके अवसरपर स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अर्पित करनेकी अनुमति दे दी गई है। किन्तु यह तो उन्हें शान्त करनेके लिए दी गई केवल एक रियायत-जैसी चीज है और वह किसी भी नाजुक मौकेपर वापस ले ली जा सकती है। जब समय आयेगा तब कितने ही कर्नल जॉन्सन[2] निकल जायेंगे और ६–७ सालके छोटे-छोटे लड़कोंको यूनियन जैकको केवल सलाम करानेके लिए जूनकी सख्त गर्मीमें १६ मील या उससे भी ज्यादा पैदल चलनेको मजबूर करेंगे।

अभिभावकोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे लड़कोंको स्वतन्त्र बनायें। उन्हें फीस तो राष्ट्रीय कालेजोंमें भी देनी होगी लेकिन वहाँ वे यूनियन जैकको सलामी देनेके अपमानसे बच जायेंगे। हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ कालेजके अधिकारियोंका खयाल है कि वे सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वह सच्ची शिक्षा नहीं है। वहाँ अध्यापक यह नहीं सिखा सकते कि भारत सरकार शैतानी सरकार है और विद्यार्थियोंको उसका अन्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। क्या वे सर एच० बटलरको[3] अपने कालेजोंका निरीक्षण करनेसे रोक सकते हैं? क्या छात्र यह साहस कर सकते हैं कि वे उनको सलाम न करें? यदि वे सलाम न करें तो यह स्वतन्त्रता नहीं, अशिष्टता मानी जायेगी। यदि ड्यूक ऑफ कनॉट ब्रिटिश सरकारके अंगके रूपमें मेरे आश्रममें आना और उसे देखना चाहें तो मैं उन्हें अपने आश्रममें पैर भी न रखने दूंगा। किन्तु यदि वे गैर सरकारी हैसियतसे आश्रम देखने आयें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

यदि आप स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो आप पराधीनताका सूचक यह झंडा हटा दें। आप इन स्कूलों और कालेजोंको छोड़ दें तो मैं आपसे कोई वादा तो नहीं करना चाहता, फिर भी आपके लिए राष्ट्रीय संस्थाओंकी व्यवस्था करनेका प्रयत्न करूँगा। आपके लिए तो इतना ही आवश्यक है कि आप इस आगसे बचें। आप वर्तमान शिक्षासे दूर रहें।

असली शिक्षा तो अपना कर्त्तव्य पालन है। यदि हमारा देश स्वतन्त्र हो तो हमारे छात्र इंजीनियर, डाक्टर और किसान बन सकते हैं। आप इन गुलामीकी सनदोंका

१. १८६८–१९३३, भारतके वाइसराय, १९१६–१९२१।
२. कर्नल फ्रैंक जॉन्सन अप्रैल और मई १९१९ में मार्शल लॉके दिनोंमें लाहौर क्षेत्रके कमांडर थे।
३. संयुक्त प्रान्तके गवर्नर।

क्या करेंगे? आप मौलवी हक[1] और राजेन्द्र बाबूसे शिक्षा ले और स्वतन्त्र होकर अपने पैरोंपर खड़े हों। यह सोचना गुलामीका सूचक है कि सनदोसे जीविका चलती है। भोजन सनदें नहीं, ईश्वर देता है। आप यह न सोचे कि आपकी माताओ और पत्नियोंकी क्या दशा होगी, आप उनका पालन-पोषण सरकारी नौकरीके द्वारा न करके कुलीगिरीसे करें। यदि आपमें इतना साहस हो तभी आप असहयोग करे, अन्यथा नहीं। मुझे विश्वास है कि यदि सभी लोग असहयोग करे तो हमें एक सालमें ही स्वराज्य मिल जायेगा। आप इसके लिए दूसरोकी राह न देखें। जब किसीको हैजा होता है तो वह यह नही सोचता कि जब दूसरे लोग दवा ले लेंगे, मैं भी दवा लूँगा। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि आप स्वयं स्वतन्त्र होनेके लिए दूसरोके स्वतन्त्र होनेकी राह देखें। पहिले आप स्वयं स्वतन्त्र हो और तब गाँवोमें जाएँ और उनके चलाये हुए छोटे-छोटे स्कूलोंमें वहाँके लोगोको स्वतन्त्रताकी शिक्षा दें। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आप अपने माता-पिताओका अनादर करे। आपकी अन्तरात्मा आदेश दे तो आप वैसा भी कर सकते है; लेकिन मेरे कहनेसे तो वैसा न करे। मैं स्वय अपने माता-पिताका बहुत आदर करता था, इसलिए मै तो आपको अपने माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सिखा सकता हूँ, उनके प्रति अशिष्ट होना नहीं। छात्र शान्त चित्तसे निर्णय करनेके बाद अपने अभिभावकोको अत्यन्त आदरसे अपनी बात समझायें। मैंने अभिभावकोसे भी अनेक बार कहा है कि वे अपने लड़कोको स्कूलो और कालेजोसे निकाल ले। अबतक इसपर किसीने भी आपत्ति नही की है। आप यह पूछ सकते है कि यह हमारी आत्माकी आवाज है, इसे हम कैसे जाने। मेरा कहना है कि यदि आप ईश्वरके प्रति सच्चे है और यमों और नियमोंका पालन करते है तो अभ्यन्तरमें उठनेवाली परमात्माकी वाणीको आप पहचान सकते है।

आपको उन लोगोकी बात भी, जिनकी राय आपसे नहीं मिलती, धैर्यसे सुननी चाहिए। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि छात्रोको क्या करना है और कैसे करना है। आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है, मेरे ऊपर नहीं। आप आज छात्र है, आपको ही कल नेता बनना है। आपको कोई निर्णय उतावलीमें नहीं करना चाहिए। यदि आपको स्कूलोमें फिर जाना है तो इससे अच्छा यही है कि आप स्कूल छोड़ें ही नहीं। आन्दोलनमें एक बार शामिल हो जानेके बाद उससे विमुख होनेके बजाय गगामें डूब मरना ज्यादा अच्छा है।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ८–१२–१९२०

1. मजहरुल हक (१८६६–१९३०), बिहारके प्रमुख वकील और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, इन्होंने मोर्ले-मिन्टो सुधारोंके अन्तर्गत मुसलमानोको पृथक निर्वाचन देनेका विरोध किया था। चम्पारन सत्याग्रहमें गांधीजीके मददगार। १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलनमें गांधीजीके समर्थक।

४७. भाषण: महिलाओंकी सभा, पटनामें[1]

३ दिसम्बर, १९२०

इसके बाद महात्माजीने बीमार होनेके कारण कुर्सीपर बैठकर बोलना शुरू किया। वे हिन्दीमें बोले।[2] उन्होंने पहले बैठे-बैठे भाषण देनेके लिए महिलाओंसे क्षमा मांगी और फिर कहा मैं आपसे चार चीजोंकी भिक्षा मांगता हूँ। मैं और मौलाना शौकत अली, जिन्हें मैं अपना सगा भाई मानता हूँ, आपके सामने अपनी मातृभूमिके निमित्त कुछ-न-कुछ सेवा मांगनेके लिए आये हैं। मैं जानता हूँ कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक विनम्र और दयालु होती हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मुझे अपनी माताओं और बहिनोंसे निराश न होना पड़ेगा।

मैं सबसे पहले हिन्दू और मुसलमान महिलाओंसे यह प्रार्थना करता हूँ कि परस्पर वे एक दूसरेको अपना दुश्मन न मानें और अपने बच्चोंको भी बचपनसे ऐसी ही शिक्षा दें, जिनसे वे भी कभी एक दूसरेको दुश्मन न समझें। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि दोनों बिलकुल एक हो जायें या हिन्दू लोग वेदों और शास्त्रोंको पढ़ना और उनमें विश्वास करना छोड़कर 'कुरान' पढ़ने और उसमें विश्वास करने लगें, इसका मतलब यह भी नहीं है कि मुसलमान 'कुरान'का अध्ययन छोड़कर हिन्दुओंके 'वेद' और शास्त्र पढ़ने लगें। सभी लोग अपने-अपने धर्मोंमें दृढ़ रहें। जैसे भाई और बहिनमें विवाह नहीं होता, किन्तु फिर भी वे एक दूसरेसे प्रेम कर सकते हैं, इसी तरह हिन्दू और मुसलमान भी एक-दूसरेसे प्रेम करें और एक-दूसरेका आदर करें।

मेरी दूसरी भिक्षा यह है कि हरएक स्त्री चरखा चलाये और सूत काते। जो बहिनें अपने सूतको बेचना चाहें वे बेच भी सकती हैं। किन्तु जो उसे बेचना नहीं चाहतीं वे उसे दूसरोंको दान कर दें। दानोंमें वस्त्र-दान सर्वोत्तम है। जबसे भारतमें चरखा चलाना छोड़ा गया है, तबसे भारत और भी गरीब हो गया है। पहले जिन स्त्रियोंका निर्वाह चरखेसे होता था, वे अब गुलामीकी हालतमें बहुत दुःखी जीवन बिता रही हैं। वे अब ओवरसीयरोंकी गालियाँ सुनती तथा ईंटोंकी रोड़ी और पत्थरकी गिट्टियाँ तोड़ती हैं। मुझे चम्पारनमें ऐसी बहुत-सी स्त्रियाँ मिलीं जिनके पास अपने शरीरको ढकनेके लिए केवल एक धोती ही थी और इसलिए वे जब चाहे तभी गंगामें नहानेके लिए भी नहीं जा सकती थीं। जिस जमानेमें वे अपने हाथके कते सूतसे कपड़ा बुनवा लिया करती थीं, उस जमानेका स्वतंत्र जीवन अब नहीं रहा।

१. इस सभामें मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली भी मौजूद थे।

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

मै आपसे तीसरी भिक्षा यह माँगता हूँ कि आप अपने पुत्रो और भाइयोंको उन स्कूलोंमें न पढ़ने दें जो सरकारी है या जिन्हे वह सहायता देती है, क्योकि इसका एकमात्र अर्थ अपने आपको पराधीनता और गुलामीकी जंजीरोमें बाँधना ही है। उन्हे इन सस्थाओमें कोई सामाजिक या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ वे केवल शराब पीना, थियेटर जाना और आवारागर्दीकी जिन्दगी बिताना ही सीखते है। उन्होने आगे कहा: जो सरकार इतनी अन्यायी है, जिसने हमारे मुसलमान भाइयोके साथ इतनी दगा की है, जिसने पजाबमें हमारी माताओ और बहनोसे इतनी निर्दयताका व्यवहार किया है, उससे सहयोग करना सम्भव ही नहीं है। ऐसे शासनमें रहना हम कभी पसन्द ही कैसे कर सकते है? शैतान और खुदाके बीच कोई सहयोग नहीं हो सकता। इसी तरह हम न तो सरकारकी सहायता कर सकते हैं और न उससे सहायता ले सकते है; यह राज रावण-राज जैसा ही बुरा है। मै तो रामराज्य स्थापित करना चाहता हूँ। दूसरे शब्दोमें मै पूर्ण स्वराज्य चाहता हूँ। और वह असहयोगके बिना प्राप्त नही किया जा सकता।

मै चौथी भिक्षा धनकी माँगता हूँ। भारतको धनकी बहुत जरूरत है। यहाँ तीन करोड लोग ऐसे है जिन्हे मुश्किलसे दिनमे एक बार खाना मिल पाता है। उनके पास इतना रुपया नहीं है कि वे चरखा या रुई खरीद सके। उनको ये दोनो चीजें देनी होगी जिससे वे सूत कात सके और देशमे एक बार फिर स्वदेशी कपड़ेका प्रचार कर सके। फिर लड़कोके लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी खोले जाने चाहिए। इसके लिए भी धनकी बहुत सख्त जरूरत है। उन्होने आगे कहा: मुझे यह देखकर दुःख होता है कि सभामें बहुत-सी स्त्रियाँ इतने सारे कीमती जेवर पहन-पहन कर आई है। इसी देशमें ऐसे अनेक लोग है जो दरअसल भूखो मर रहे है, जबकि कुछके पास जेवर आदि बनवानेके लिए बहुत-सा रुपया फालतू पडा रहता है। मेरी प्रार्थना है कि आप ज्यादासे-ज्यादा जितना पैसा दे सके दे और जेवर देना चाहें तो जेवर भी दें।[1] किन्तु आपको याद रखना चाहिए कि आप आभूषणोको देनेके बाद उनके बदले दूसरे आभूषण तबतक न बनवाये जबतक भारतको पूरा स्वराज्य न मिल जाये।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ८-१२-१९२०

१. इस अपीलके उत्तरमें वहाँ मौजूद कितनी ही स्त्रियोने अपने जेवर उतार कर दे दिये थे।

४८. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

४ दिसम्बर, १९२०

ऐसा नहीं हो सकता मैं तुम्हें जान-बूझकर पत्र न लिखूं। पर तुम्हें धीरज और विश्वास रखना सीखना चाहिए। मुझपर महात्मा होनेका आरोप मत लगाओ और न अपनेको अधम कहकर अपनी महिमा बढ़ाओ। हर आदमीको अपनी सीमाएँ स्वीकार करनी चाहिए। प्रेमियों और मित्रोंके बीच न कोई अधम होता है और न महात्मा। हम सब समान हैं, लेकिन बराबरीके पुरुषों और स्त्रियोंमें कोई बुद्धिमान होता है और कोई निर्बुद्धि। और सच तो यह है कि किसे मालूम कि कौन अधिक बुद्धिमान है? तुम मुझे इस भ्रममें रहने दो कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ और इसलिए तुम्हें सिखाने-समझानेके लिए योग्य हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि शिष्य ही गुरु बन गया। गोरख मछन्दरके गुरु बन गये थे। और मैं तो ईश्वरसे कामना करता हूँ कि वह मुझे इतनी बुद्धि दे कि तुम्हें सिखाने-समझानेमें मैं खुद भी तुमसे कुछ सीखूं। सच मानो, अगर तुम्हें यह पद मिल जाये, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी। सच तो यह है कि अगर मैं तुम्हें अपनेसे श्रेष्ठ बना सकूं, तो मैं अपनेको सच्चा गुरु मानूंगा। जो भी हो, यही वह विश्वास है, जिसने मुझे तुमसे जोड़ रखा है। इसीलिए मैं भगवानसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि वह तुम्हारे मनमें विनय और पश्चात्तापकी भावना उत्पन्न करे।

सस्नेह,

तुम्हारा,

एल० जी०[1]

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. [illegible]
[illegible] १८, ६० [illegible]

४९. पत्र : गुड फैलोको

४ दिसम्बर, १९२०

प्रिय श्री गुडफैलो,

आपके पत्रके लिए कृतज्ञ हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारी यह सरकार जान-बूझकर शराबकी बुराईको बढावा दे रही है और जबतक इस सरकारको समाप्त न कर दिया जाये अथवा उसमे आमूल-चूल परिवर्तन न कर दिया जाये तबतक सुधारके हमारे तमाम प्रयास व्यर्थ होंगे ? जब कभी कुछ अधिक समयके लिए कलकत्ता आऊँगा तो आपसे सहर्ष मिलूँगा।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गां०

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे
सौजन्य नारायण देसाई

५०. पत्र : हैदरीको

आरा[2] जाते हुए
४ दिसम्बर, १९२०

प्रिय मित्र,

हम लोग बाँकीपुरसे[3] अभी रवाना हुए हैं। मजहरुल हक हमारे साथ हैं। यह पत्र मैं यह सूचित करनेके लिए लिख रहा हूँ कि पिछली रात महिलाओंकी एक सभामें[4] जब मैंने चन्देकी माँग की तो श्रीमती हकने अपनी हीरेमोतीकी चार जडाऊ चूडियाँ सामने रख दी। आप श्रीमती हैदरीको मेरी ओरसे बधाइयाँ दें कि उन्हें एक ऐसी महिलाकी बहन होनेका सौभाग्य प्राप्त है जो देश और दीनके लिए अपनी प्यारीसे-प्यारी चीज खुशी-खुशी दे देती हैं। जब उन्होंने चूडियाँ मेरे सामने रखी, मैं तो बस हर्ष-विह्वल

१. गांधीजी १३ और १४ दिसम्बरको कलकत्तामें थे।
२. बिहारके शाहाबाद जिलेका सदर मुकाम।
३. पटना नगरमें एक स्थान।
४. पटनामें आयोजित महिलाओंकी सभा।

ही हो उठा। मैंने ईश्वरको इस बातके लिए धन्यवाद दिया कि मैं उसकी कृपासे तैयबजी परिवारके[1] सम्पर्कमें आया।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

५१. भाषण: आरामें

४ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गांधी कुर्सीपर बैठे-बैठे ही बोले। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सामने आराके लोगोंको इतनी बड़ी संख्यामें आया देखकर बड़ी ही खुशी हुई है, परन्तु यह देखकर दुःख भी होता है कि आप लोग सभामें अनुशासित ढंगसे[2] काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगोंने इतना ज्यादा शोर किया कि आधा घंटा तो लोगोंको चुप करनेमें ही लगा देना पड़ा। यदि आप अपनेको अनुशासित और नियन्त्रित नहीं कर सकते तो फिर आप एक सालमें स्वराज्य हासिल करनेकी आशा कैसे कर सकते हैं? स्वराज्य पानेकी यह पहली अनिवार्य शर्त है। आगे बोलते हुए महात्माजीने कहा कि शाहाबादमें कुछ बरस पहले जो दंगे हुए थे, उन्हें मैं भूला नहीं हूँ और मुझे यह भी मालूम है कि उसमें हिन्दू-मुसलमान दोनोंका ही कुछ-न-कुछ कसूर था। हिन्दू-गो-रक्षा करना चाहते थे परन्तु जो तरीका उन्होंने अपनाया वह उस कामके लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए दोनोंमें से किसीको उससे कोई लाभ तो हुआ ही नहीं, सरकारको स्थितिसे लाभ उठाकर हिन्दुओंको जेलमें ठूँसनेका मौका मिल गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपको अपने मतभेद आपसमें तय कर लेने चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम एकताकी बड़ी जरूरत है। एकता दिखावटी नहीं, हृदय और आत्मासे होनी चाहिए। यदि आप इस्लामको खतरेसे बचाना चाहते हैं, पंजाबके अन्यायका परिमार्जन चाहते हैं और स्वराज्य हासिल करना चाहते हैं तो यह सब आपसी सहयोगसे ही हो सकता है। एक संन्यासीने मुझसे पूछा था कि क्या आपका यह विश्वास है कि खिलाफतके प्रति की गई गलतीके सुधार दिये जानेके बाद मुसलमान आपका साथ देंगे? दूसरी ओर कुछ मुसलमानोंकी शिकायत है कि मैंने अलीगढ़ कालेज नष्ट कर दिया

१ श्रीमती मजहरुल हक और श्रीमती हैदरी दोनों ही तैयबजी-परिवार की थीं।

२ आरामें इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई थी और कामपर तैनात स्वयंसेवक भीड़को सँभाल नहीं पाये।

परन्तु [बनारस] हिन्दू विश्वविद्यालयकी रक्षा की। पहली बातका मेरा यह जवाब है कि यदि सचाईके साथ हिन्दू मुसलमानोंकी मदद करते हैं तो ईश्वर जो मनुष्यके दिलको देखता है, मुसलमानोंके दिलसे दुर्भावको समाप्त कर देगा। और यह कहना कि हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थी पढ़ना छोड़कर बाहर नहीं आये इससे उस विश्वविद्यालयकी रक्षा हुई है, ठीक नहीं है। यदि हिन्दू हिम्मत नहीं दिखाते तो क्या मुसलमानोंको भी कायर बन जाना चाहिए? मालवीयजीके लिए मेरे मनमें बड़ा आदरभाव है किन्तु जबतक उनके विश्वविद्यालयका कुछ भी सम्बन्ध सरकारसे बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसमें एक भी विद्यार्थी न रहे। मैं चाहता हूँ कि देशकी सभी मौजूदा संस्थाएँ राष्ट्रीय संस्थाएँ बन जायें। उन्होंने श्री हसन इमामके साथ हुई एक निजी बातचीतका[1] उल्लेख किया जिसमें इमाम साहबने उनसे पूछा था कि क्या असहयोगका अहिंसात्मक स्वरूप अहिंसात्मक बना रहेगा। मैंने कहा कि मैं तो अरसेसे यही कहता आ रहा हूँ। तब फिर श्री हसन इमामने शिकायत की कि विद्यार्थियोंने उनपर शर्म-शर्मके नारे कसे और गुस्ताखीका बर्ताव किया था [ऐसा करना ठीक नहीं है]। मेरा जनतासे अनुरोध है कि जो लोग हमसे भिन्न मत रखते हैं हमें उनके विचारोंके प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए और हमें उनके साथ ऐसे ढंगसे व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे उद्देश्यकी प्रगतिमें बाधा पड़े। इसके बाद महात्माजीने असहयोग कार्यक्रमकी तफसील सामने रखते हुए कहा कि यदि आप विदेशी चीजोंका इस्तेमाल छोड दें तो केवल इसीसे स्वराज्य मिल जाये। उन्होंने चरखेके घर-घर प्रवेश और उसके उपयोगपर बहुत बल दिया और कहा कि हमें इस शैतान-जैसी सरकारसे जो हमारे अधिकार और स्वतन्त्रताको कुचलनेके लिए कटिबद्ध है, कुछ सरोकार नहीं रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कोषके लिए अपील की और कहा कि मुसलमानोंकी जिम्मेदारी दोगुनी है क्योंकि उनको [हाल हीमें बाँकीपुरमें स्थापित] स्वराज्य सभा और फिर स्मर्नाके पीड़ितोंकी राहतके लिए भी देना है।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ८–१२–१९२०

१. पटनामें।

५२. वैष्णवोंसे

वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड पराई जाणे रे,
परदु:खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे।
सकल लोकमा सहुने वन्दे, निन्दा न करे केनी रे,
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे।
समदृष्टीने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे,
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे।
मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ वैराग्य जेना मनमा रे,
रामनामशु ताळी लागी, सकल तीरथ तेना तनमा रे।
वणलोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे,
भणे नरसैयो तेनु दरसन करता, कुळ एकोतेर तार्या रे। वै०

नरसिंह मेहताने[1] वैष्णवके जो लक्षण बताये है उससे हम देखते है कि वह

१ परदु:ख भजक होता है।
२ फिर भी निरभिमानी होता है।
३ सबकी वन्दना करता है।
४ किसीकी निन्दा नही करता।
५ वाचा दृढ रखता है।
६ आचार दृढ रखता है।
७ मन दृढ रखता है।
८ वह समदृष्टि होता है।
९ वह तृष्णारहित होता है।
१० एकपत्नीव्रत पालता है।
११ सत्यव्रत पालता है।
१२. अस्तेय पालता है।
१३. मायातीत होता है।
१४. वीतरागी होता है।
१५ रामनाममे तल्लीन होता है।
१६ पवित्र होता है।
१७ लोभरहित होता है।
१८ कपटरहित होता है।

१ १४१४–१४७८, गुजरातके सन्त कवि। इनका यह भजन आश्रममें प्रार्थनाके समय गाया जाता था।

१९. कामरहित होता है।
२०. क्रोधरहित होता है।

इसमें वैष्णव शिरोमणि नरसिंह मेहताने अहिंसाको प्रथम स्थान दिया है अर्थात् जिसमें प्रेम नहीं वह वैष्णव नहीं है। अपनी प्रभातीमें उन्होंने सिखाया है कि 'वेद' पढ़नेसे, वर्णाश्रम धर्मका पालन करनेसे, कंठी पहननेसे अथवा तिलक लगानेसे कोई वैष्णव नहीं हो जाता। ये सब पापके मूल हो सकते हैं। पाखण्डी भी माला पहन सकता है, तिलक लगा सकता है, 'वेद' पढ़ सकता है, मुखसे राम नामका जाप कर सकता है। लेकिन पाखण्डी रहते हुए सत्याचरणी नहीं बना जा सकता, पाखण्डी परपीड़ाका निवारण नहीं कर सकता और पाखण्डके रहते हुए चंचल चित्तको निश्चल नहीं रखा जा सकता।

मैं इन सिद्धान्तोंकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अन्त्यजोंके सम्बन्धमें पत्र आते रहते हैं। सब सलाह देते हैं कि यदि मैं राष्ट्रीयशालासे अन्त्यजोंका बहिष्कार नहीं करता तो स्वराज्यका आन्दोलन खत्म हो जायेगा। यदि मुझमें तनिक भी वैष्णवपन है तो ईश्वर मुझे अन्त्यजोंका बहिष्कार करके मिलनेवाले स्वराज्यका त्याग करनेका बल भी प्रदान करेगा।

जिसमें दूसरे वर्ग और वर्ण आते हैं उस शालामें अन्त्यजोंका बहिष्कार न किया जाये — यह प्रस्ताव मेरा न होकर समस्त नियामक सभाका[1] है। मुझे यह प्रस्ताव प्रिय है। यदि सभा ऐसा प्रस्ताव पास न करती तो वह अधर्म करती।

ऐसा प्रस्ताव कोई नई बात नहीं है। वर्तमान स्कूलोंमें भी यह प्रस्ताव है। जिस कांग्रेसको वैष्णव भी मान देते हैं उसने भी इसी आशयका प्रस्ताव पास किया है। वैष्णवोंने उसका विरोध नहीं किया। तथापि ऐसे प्रस्तावमें मेरा हाथ है और वे मेरी ही ओर कटाक्ष करते हैं, यह तो मेरी समझमें मुझे मान प्रदान करता है। भले ही सब अधर्म करें लेकिन मेरे हाथसे अधर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा उनकी दलीलका भाव है। मेरे लिए यह हर्षकी बात है।

अन्त्यजोंको अस्पृश्य न मानना धर्म है, मैं यह बतानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। लम्बे समयसे पड़े हुए एक आवरणके कारण हम यह नहीं समझ पाते कि अन्त्यजोंको अस्पृश्य मानना अधर्म करना है। जैसे लम्बे समयसे पड़े हुए आवरणके कारण अंग्रेजी राज्य अपने राक्षसपनको नहीं देख सकता और उसी प्रकार इसी कारणसे, हममें से कितने ही अपनी गुलामीकी जंजीरको नहीं देख पाते, ऐसे लोगोंको धीरजसे समझाना मैं अपना धर्म मानता हूँ।

लेकिन दम्भ और मिथ्यावादको मैं सहन नहीं कर सकता। महाराजश्रीके साथ मेरा जो सलाप हुआ उसका विवरण मैंने 'गुजराती' में देखा और उसपर की गई टीकाको भी पढ़ा।[2] उन दोनोंसे मैं दुःखी हुआ हूँ। समाचारपत्रोंमें उल्लिखित विचारों-

१. गुजरात विद्यापीठकी नियामक सभा (सीनेट), देखिए पृष्ठ ८, पाद-टिप्पणी १।

२. १७ नवम्बर, १९२० को गांधीजी वैष्णवोंके धर्म-गुरु गोस्वामी श्री गोकुलनाथजी महाराजसे बम्बईमें मिले थे। इस भेंटका विवरण **गुजराती** के २१-११-१९२० के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

पर मैं कदाचित् ही टीका करता हूँ। मैं कदाचित् ही समाचारपत्रोंको पढ़ता हूँ। लेकिन 'गुजराती' पत्रको अनेक लोग पढ़ते हैं। उसमें सनातन-धर्मके स्वरूपको बताने-का दावा किया गया है। इसलिए मैं जब उसमें वक्रता देखता हूँ तो मुझे दु:ख होता है। मुझे एक मित्रने महाराजश्रीके साथ हुए मेरा संवाद और तत्सम्बन्धी टीका काट-कर भेजी है। इन दोनोंमें जाने-अनजाने अधर्मको धर्म सिद्ध करनेका प्रयास देखता हूँ। यह कैसे हुआ, इसे मैं बादमें बतानेका प्रयत्न करूँगा।[1]

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-१२-१९२०

५३. भाषण : गयामें

५ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गांधीने कहा कि गया शहर पवित्रताके लिए विख्यात है। मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय भी वैसे ही शुद्ध और पवित्र बनें। यदि आप त्याग करनेके लिए तैयार हो जायें तो ऐसा हो सकता है। उस त्यागके बारेमें मुस्लिम लीग, सिख लीग तथा ऐसी ही अन्य सभाओंके द्वारा आपको मालूम हो गया है। उदाहरणके लिए उन्होंने कहा कि वकीलोंको वकालत छोड़नी होगी; किन्तु किसी एक भाईके वकालत छोड़नेसे सफलता नहीं मिलेगी। मैं सभी वकील भाइयोंसे आग्रह करूँगा कि वे अपनी वकालत छोड़ दें। कांग्रेसने अदालतोंका बहिष्कार करना तय किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोई न कोई ऐसी संस्था खड़ी होगी जहाँ लोग अपने मामलोंपर निर्णय प्राप्त करनेके लिए जा सकेंगे। सारे सरकारी खिताब भी छोड़ दिए जायें। लड़कोंको स्कूलोंसे हटा लिया जाये। सोलह सालके और उससे अधिक उम्रवाले लड़कोंको अपने माता-पिता और अभिभावकोंसे करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें उन स्कूलोंमें न भेजें जिनका प्रबन्ध सरकार करती है, जिनको सरकारी इमदाद मिलती है या जिनपर सरकारका नियन्त्रण है। मुझे अभी-अभी पता चला है कि गयामें बहुत थोड़े लोगोंने ही अपना मत दिया।[2] परन्तु उनकी परीक्षाका समय तो अब आया है। उन्हें विधान परिषदके इन सदस्योंसे या उनके जरिये, कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो मता-धिकारका प्रयोग करना, न करना एक बराबर होगा। उन्हें स्वदेशीके लिए काम करना चाहिए। उन्हें अपनी माताओं और पत्नियोंसे चरखा कातनेको कहना चाहिए। लोग बहुत-बड़ी सभाएँ करना जानते हैं परन्तु अपना कर्त्तव्य नहीं पहचानते। यदि वे अपना कर्त्तव्य करें और उपर्युक्त तरीकोंपर चलें तो स्वराज्य मिल जाये। उन्हें कोषमें धन भी देना चाहिए। जो व्यक्ति कोई अन्य त्याग नहीं करता उसे कोषमें धन तो देना ही

१ देखिए "वैष्णव और अन्त्यज", १२-१२-१९२०।

२ विधान परिषद्के चुनावमें।

चाहिए। कोषका उपयोग स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्कूलोंमें होगा। हमने पटनामें एक स्वराज्य सभा स्थापित की है जिसके अध्यक्ष श्री मजहरुल हक और मन्त्री बाबू राजेन्द्रप्रसाद है। सभाका खर्च कोषसे चलेगा और उसका तिमाही हिसाब पेश किया जायेगा। नागपुरमें कुछ ऐसे लोगोंने जिन्हे मै नहीं जानता, मेरे नामसे चन्दा इकट्ठा कर लिया। नेताओसे मेरा अनुरोध है कि वे इकट्ठा किये गये जनताके धनका हिसाब दें। मै जानता हूँ कि कई जगहोमें कोई हिसाब नहीं दिया गया है। (यहाँ मंचके उत्तरकी ओर शोर हुआ) श्री गाधीने कहा कि कुछ शोर हो रहा है; शोर नहीं होना चाहिए। आप लोगोको अपनी आवाजपर काबू रखना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए। स्वयसेवकोको अपना कर्त्तव्य मालूम होना चाहिए और तत्परतासे उसका पालन करना चाहिए। एक बडा साम्राज्य आपके विरोधमें है -- आपको उसके वार झेलने है। सिरपर हवाई जहाज मँडराते हो, बम फेंके जा रहे हो और गोलियाँ बराबर बरस रही हो, तब भी आपको शान्त रहना है। मैने यह भी देखा है कि यहाँ हिन्दुओ और मुसलमानोमें परस्पर सहिष्णुताकी भावना नहीं है। इस सभाका प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। यदि स्वयंसेवक अपने आपको प्रभावशाली नहीं बनाते तो स्वराज्य हासिल नहीं होगा। उन्हे सीखना चाहिए कि संख्यामें कम होनेपर भी काम किस तरह ठीकसे किये जा सकते है। मातृभूमिकी सेवा ईमानदारी और श्रमके बिना नहीं हो सकती। पवित्रता जरूरी है। हृदयकी शुद्धता जरूरी है। त्याग करना सच्चे दिलवालेका काम है। आप इस्लामकी संकटसे रक्षा करना और पंजाबके अत्याचारोके प्रति न्याय कराना चाहते है पर अपने प्रति सच्चे हुये बिना आप यह सब नहीं कर सकते।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, १०-१२-१९२०

५४. भाषण : छपरामे[1]

६ दिसम्बर, १९२०

इसके बाद महात्मा गाधीने कुर्सीपर बैठे हुए ही भाषण दिया। उन्होने कहा कि आज भारतके सामने ऐसी परिस्थिति है कि मुझे आपसे कुछ कहना और मदद माँगना जरूरी हो गया है। मुझे खुशी है कि श्री जकरिया हाशमी और बाबू बिन्देश्वरीप्रसादने वकालत छोड दी है। मै इस कामके लिए उन्हे बधाई देता हूँ। मै महसूस करता हूँ कि अंग्रेजी पढ़े लोग ही हमारी आजकी परेशानियोके सबब है। मै स्वीकार करता हूँ कि उन्होने कुछ सेवायें भी की है, किन्तु वे जिस हानिके उपकरण बने है वह उनके हाथो प्राप्त लाभसे बहुत ज्यादा है और इसलिए उनकी अच्छाइयोपर जोर

१ बिहारका एक शहर।

देना निरर्थक है। ३५ वर्षोंसे कांग्रेस प्रस्ताव पास करती आ रही है और उसके नेता कांग्रेस मंचोंसे भाषण देते आ रहे हैं, परन्तु इस सबसे कुछ भी नहीं मिला। बल्कि ५० वर्ष पहले की अपेक्षा आज हम अधिक बुरी हालतमें हैं। इस स्थितिका कारण क्या है? आज भारतीय पहलेसे कहीं अधिक अनुपातमें असैनिक सेवाओंमें हैं। लॉर्ड सिन्हा अब एक प्रान्तके गवर्नर हैं।[1] फिर भी मैं क्यों ऐसा कहता हूँ कि हमारी दशा पहलेसे बुरी है? यदि हम पहलेकी अपेक्षा अधिक गुलाम बन गये होते, तो क्या अधिकारीगणोंने इस्लामको जैसा धोखा दिया है वैसे धोखा दिया जा सकता था और फिर इसके बाद क्या सरकार छोटे-मोटे तोफे दिखाकर उन्हें फुसला ले सकती थी? इस धोखेके बाद भी सरकार कहती है कि दोष उसका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि छोटी-छोटी चीजों और मीठी बातोंसे फुसलानेका प्रयत्न करनेमें सरकारका क्या अभिप्राय है। सरकार तो जहरसे भरी है, फिर भी हम लोग जिस प्रकारकी आत्मप्रवचनामें पड़े हुए हैं सो केवल गुलामों द्वारा ही सम्भव है। पंजाबके ही पठान और सिख जवानोंने सरकारके लिए अपना खून बहाया, और फिर इसी प्रान्तके लोगोंको पेटके बल रेंगाया गया, सड़कोंपर उन्हें कोड़े लगाये गये, उन्हें ब्रिटिश ध्वजको सलाम करनेपर मजबूर किया गया और अधिकारियों द्वारा स्त्रियोंके घूंघट हटाये गये। यदि हमारी गुलामीके बन्धन पहलेसे भी अधिक दृढ़ न हो चुके होते तो क्या यह सब हो सकता था? मैं समझता हूँ कि जब गुलामको अपनी बेड़ियाँ अच्छी लगने लगती हैं तो उसकी गुलामीकी प्रवृत्ति स्थायी बन जाती है। अगर वे उन बेड़ियोंको तोड़कर आजाद होनेकी कोशिश करें तो वे ऐसा कर सकते हैं, मगर आज तो वे अपनी बेड़ियोंको ही पसन्द करने लगे हैं और समझते हैं कि उनकी इस गुलामीसे ही स्वतन्त्रता मिलेगी, तब मुझे लगता है कि उनके बन्धन पहलेसे भी दृढ़ हो गये हैं। लोगोंकी दासताकी प्रवृत्तिके ही कारण बार-बार उन्हें असहयोगका सिद्धान्त और उसके आच-रणके बारेमें समझाना पड़ता है। पहले लोग ऐसे नहीं थे, जैसे अब हैं। थोड़े-से बैरिस्टर थे। मैंने इतिहासमें जो पढ़ा है उससे ऐसा नहीं लगता कि सौ साल पहले लोगोंकी दशा आजसे बदतर थी। लोग अधिक खुश और समृद्ध थे और किसानोंका जैसा दमन हम आज देखते हैं, नहीं था। यद्यपि मैं मानता हूँ कि चम्पारनमें सौ साल पहले भी जमींदार जुल्म करते थे। फिर भी मैं यह नहीं मान सकता कि जैसे जुल्म आज होते हैं वैसे जुल्म उन दिनों करना कभी सम्भव भी हो सकता था। इसलिए कांग्रेस और लीगने हम लोगोंको बताया कि इस्लामको बचाने और पंजाबको न्याय दिलानेका एकमात्र तरीका अहिंसात्मक असहयोग ही है। आन्दोलनके अहिंसा-त्मक स्वरूपपर मेरा जोर है। यदि हम तलवार खींचेंगे तो सम्भव है वह हमारी ही मृत्युका कारण बन जाये। मैं तलवारके जरिये कोई उन्नति या स्वराज्य नहीं चाहता। परन्तु कुछ मुसलमान और कुछ हिन्दू भी मुझसे सहमत नहीं हैं। उनसे मेरा निवेदन

१ १९२० में वे उड़ीसा और बिहारके गवर्नर हो गये थे।

है कि उनमें तलवार खीचनेकी शक्ति और सामर्थ्य नही है किन्तु उनके पास सारी शक्तियोका एक भंडार अवश्य है और वह है आत्माकी शक्ति। दूसरोके लिए, किसी एक उद्देश्यके लिए, सम्मानके लिए, स्वतन्त्रता और देशके लिए प्राणोत्सर्ग करनेकी क्षमताका होना आत्मबलका द्योतक है। एक बच्चा भी अपने पितासे कह सकता है कि मै चाहे कुचल दिया जाऊँ, चाहे मार डाला जाऊँ, किन्तु मै अपनी आत्माके विरुद्ध काम नहीं करूँगा। यह शक्ति तो हम सभीमें हो सकती है और फिर जमींदार या बागान मालिक कोई भी क्यो न हो दमन नहीं कर सकते। हिंसाका सहारा लेते ही असफलता सामने आ जायेगी; परन्तु यदि हम उससे पूरी तरह बचे रहे और पूरी तरह आत्मबलपर ही निर्भर रहे तो हमें कोई भी कुचल नही सकता। इसलिए एकमात्र अस्त्र असहयोग है। मै आपसे सरकारको सब प्रकारका सहयोग और मदद देना बन्द करनेको कहूँगा। हमें न तो किसी तरहकी मदद या सहयोग देना चाहिए, न लेना चाहिए। प्रशासनकी वर्तमान व्यवस्थाको सुधारना पड़ेगा; यदि वह सुधरती नहीं है तो उसे समाप्त ही होना पड़ेगा। सभी धर्म ग्रन्थ 'गीता', 'रामायण,' 'कुरान', 'बाइबिल' शिक्षा देते हैं कि दानवों और देवताओमें परस्पर कोई सहयोग नहीं हो सकता; साधुओ और शैतानो-में मैत्री नहीं हो सकती, न वे परस्पर मदद दे-ले सकते हैं। यदि हम महसूस करते हैं कि हमारी सरकार दानवी है तो उससे सहयोग बन्द करना और उसे मदद देनेसे इनकार करना हमारा कर्त्तव्य है। लीगने अनुरोध किया है कि वकील वकालत बन्द कर दें, खिताबयाफ्ता खिताब छोड़ दें और सभी लोग अदालतो, स्कूलो और कालेजोका बहिष्कार कर दें। मै तो आपसे अपने झगड़े पंचायतोके सामने तय करनेको कहूँगा।

गाधीजीने आगे बोलते हुए कहा:

जहाँतक स्कूलो और कालेजोके बहिष्कारका सम्बन्ध है, वयस्क विद्यार्थियोको स्कूल और कालेज छोड देने चाहिए। और अभिभावकोका यह कर्त्तव्य है कि वे अपने छोटे बच्चोको प्राथमिक स्कूलोसे भी उठा ले। यदि विद्यार्थी पत्थर तोडेगे तो भी वह [इस शिक्षासे] अच्छा रहेगा। मेरा यह कहना नही है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बिलकुल ही खराब है, वास्तवमे मेरा अभिप्राय यह है कि हमे सरकारके दोषपूर्ण हाथोसे शिक्षा नही लेनी चाहिए। हम शैतानसे 'गीता' भी नही पढ सकते। उनकी देख-रेखमे पढना पाप है। विद्यार्थियोको [स्कूल और कालेज] छोड देने चाहिए, माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिन्दू विश्वविद्यालयसे भी उन्हे हट जाना चाहिए। जलते हुए घरके बाहर आ जाना ही अच्छा है। आपको यह खुशखबरी देते हुए मुझे हर्ष होता है कि इसी अहातेमे एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला जायेगा। आशा है कि सभी सज्जन अपने बच्चे वहाँ भेजेगे। स्वराज्यमे भी हमे दूसरी भाषाके माध्यम-से शिक्षा नही लेनी चाहिए। मै शिक्षको और अध्यक्षसे अनुरोध करूँगा कि धर्मात्मा तथा योग्य पडित और मौलवी, हिन्दू और मुसलमान, धार्मिक शिक्षा देनेके लिए नियुक्त किये जाये और विद्यार्थियोको शारीरिक श्रमकी भी शिक्षा दी जाये। उन्हे सूत कातने और कपडा तैयार करनेकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी अनिवार्य

रूपसे दूसरी भाषाकी तरह रखी जाये। मुझे विश्वास है कि माता-पिता प्राथमिक और माध्यमिक सभी स्कूलोसे अपने बच्चे उठा लेगे।

हमे कौसिलोका बहिष्कार करना चाहिए। हमें न तो वोट देने चाहिए, न उम्मीद-वार बनकर खडे होना चाहिए। यदि कोई वहाँ आपकी मददसे जाता है तो वह अपने-को आपका प्रतिनिधि मानने लगेगा। मतदाताओको किसी भी सदस्यके पास किसी भी अन्यायपूर्ण कामके सम्बन्धमे राहत पानेके लिए नही जाना चाहिए।

किसी भी व्यक्तिको सेनाके लिए अपना नाम नही देना चाहिए।

स्वदेशी चीजोका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मेरी रायमे बिहारके लिए बम्बई और अहमदाबादके कपडे भी विशुद्ध स्वदेशी नही है। हमे अपनी जरूरतकी सभी चीजे स्वय अपनी ही बस्तियोमे तैयार करनी चाहिए। पहले हम ऐसा ही करते थे और बेबस नही थे। इग्लैंड और जापान आदि विदेशोसे आनेवाला कपडा पहनना पाप है। अपनी आवश्यकताका कपडा स्वय बना लेना बहुत ही लाभप्रद होगा। आज लाखो लोग भूखो मर रहे है, उन्हे भूखसे छुटकारा मिलेगा। रुई बहुत सस्ती है। हम कम दामोसे कपडा तैयार कर सकेगे। खुरदरा कपडा शुद्ध और पवित्र है।

मैंने एक सालमे स्वराज्य लेनेकी बात कही है। वह तभी सम्भव है जब हिन्दू और मुसलमानोमे परस्पर तनिक भी सन्देह न रहे। सन्देहके काटेको मनमे जगह दिये रहना एक ऐसी बुराई है, गुलाम जिसके शिकार हो जाते है। अच्छाईसे बुराई कभी पैदा नही हो सकती। ईश्वरका निर्देश है कि सत्यके अनुसार चलना स्वर्गके मार्गपर चलना है। मुसलमानोको अपने भाइयोपर सन्देह क्यो करना चाहिए और एसी सर-कारसे जो मेसोपोटामियाके सकटका कारण है, और जिसने कुस्तुन्तुनियामे खलीफा[1]-को कैद तक कर लिया, सहयोग क्यो करना चाहिए। एक हो जाओ और भाई बन जाओ, फिर धरतीपर कोई भी ताकत ऐसी नही है जो तीस करोड लोगोको गुलाम बनाये रख सके। क्या एक लाख अग्रेज हमे डरा सकते है? वे तो हमारे ही समुदायो और विभिन्न दर्जेके लोगोको, जैसे जमीदार और रैयतको, आपसमे लडाकर हमपर शासन करते है। किसानोका जमीदारोसे लडना उचित नही है। यह बडी भारी भूल है, इस तरह स्वराज्य हासिल नही हो सकता। मै रामराज्य चाहता हूँ। अत मै यह भी नही चाहता कि जमीदार किसानोपर अत्याचार करे। यदि जमीदार उनपर अत्याचार करे तो किसानोका उनसे असहयोग करना उचित होगा। किन्तु अभी तो हमे सरकारसे असहयोग करना है, और इसलिए परस्पर असहयोगकी बात हमे नही सोचनी चाहिए।

पैसा इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रान्तमे एक स्वराज्य सभा स्थापित की गई है जिसके अध्यक्ष श्री हक[2] है और बाबू राजेन्द्रप्रसाद मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष है। वे हर तीसरे महीने आय-व्ययका ब्यौरा देगे। हमें राष्ट्रीय स्कूल खोलने है। स्वयसेवक चन्देके लिए आपके पास आयेगे। आपको स्वराज्य-सभाकी मदद करनी

१ टर्कीका सुलतान जो इस्लामका भी धार्मिक मुखिया था।

२ मजहरुल हक।

चाहिए। अन्तमें मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको इतनी शक्ति दे कि आप देशकी किश्तीको आनेवाले तूफानके बीचसे निकाल कर ले जा सकें।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, १०-१२-१९२०

५५. टिप्पणियाँ

गलत रास्तेपर

लॉर्ड रोनाल्डशेने[1] पिछले दिनों इंडियन होमरूलपर मेरी वह पुस्तिका पढ़ी है जो 'हिन्द स्वराज्य'का[2] अनुवाद है। लॉर्ड महोदयने अपने किसी भाषणमें यह कहा कि यदि स्वराज्यका वही अर्थ है जो मैंने अपनी पुस्तिकामें लिखा है तो बंगालका उससे कुछ वास्ता नहीं हो सकता। मुझे खेद है कि कांग्रेसके प्रस्तावसे सम्बन्धित स्वराज्यका अर्थ वह स्वराज्य नहीं है जो मेरी पुस्तिकामें वर्णित है, कांग्रेसके अनुसार स्वराज्यका मतलब वह स्वराज्य है जो भारतकी जनता चाहती है, वह नहीं जिसे देनेपर ब्रिटिश-सरकार शायद राजी हो जाये। मैं समझता हूँ कि स्वराज्यमें जनताकी निर्वाचित संसद् होगी जिसे वित्त, पुलिस, फौज, नौसेना, अदालतों और शिक्षा-संस्थाओंपर पूर्ण अधिकार होगा।

अलबत्ता यह तो मैं स्वीकार करता हूँ कि यदि भारत सहयोग दे तो मैं एक सालमें जिस स्वराज्यको पानेकी आशा करता हूँ वह ऐसा स्वराज्य होगा जिसमें खिलाफत और पंजाबकी गलतियोंकी पुनरावृत्ति असम्भव हो जायेगी और उसमें राष्ट्रको स्याह-सफेद, चाहे जो करनेकी सामर्थ्य होगी, 'अच्छा' होगा तो किसी गैरजिम्मेदार, उद्दण्ड और गई-बीती नौकरशाहीके निर्देशपर नहीं। उस स्वराज्यमें राष्ट्रको ऐसी विदेशी वस्तुओंपर, जो भारतमें बनाई जा सकती हैं, भारी निरोधात्मक कर लगानेका अधिकार होगा और उसे अधिकार होगा कि वह आसपासके या दूरके राष्ट्रोंको गुलाम बनानेके लिए भारतके बाहर एक भी सिपाही भेजनेमें इनकार कर दे। मैं जिस स्वराज्यका सपना देखता हूँ वह तभी सम्भव होगा जब राष्ट्रको अपनी मर्जीसे अच्छा या बुरा जो चाहे सो करनेका अधिकार होगा।

मैंने उस पुस्तिकामें जो कुछ कहा है उसे मैं अब भी मानता हूँ और पाठकोंको उसे पढ़नेकी राय देता हूँ। सबसे सच्चा स्वराज्य तो अपनेपर शासन करना है। वह मोक्ष या निर्वाणका पर्यायवाची है, और मैं अपने इस मतको बदलनेका कोई कारण नहीं पाता कि डाक्टर, वकील और रेलवे कोई मदद नहीं करते वरन् जो पानेकी चेष्टा करने योग्य है बहुधा उसे पानेमें बाधक होते हैं। परन्तु मैं जानता हूँ कि आसुरी कामोंमें सम्पर्क रखकर जैसा कि सरकार कर रही है, ऐसी स्वतन्त्रताके प्रयत्नों-

१. १८४४-१९२९, राजनयिक और लेखक, बंगालके गवर्नर, १९१७-२२।

२. गांधीजीने मूल गुजरातीमें १९०९ में लिखी थी। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ. ६ से ६९।

को भी असम्भव बना देता है। मैं ईश्वर और शैतान दोनोंके प्रति एक साथ वफादारी नहीं रख सकता।

वर्तमान प्रणालीके आसुरी स्वरूपका सबसे निश्चित प्रमाण यह है कि लॉर्ड रोनाल्डशे-जैसा एक सज्जन व्यक्ति भी हमें गलत रास्तेपर चलानेको बाध्य हो जाता है। जिन चीजपर फैसला देना जरूरी है उसपर वे फैसला नहीं देंगे। लॉर्ड महोदय पंजाबके विषयमें क्यों मौन हैं? वे खिलाफतकी बातको क्यों टाल जाते हैं? जिस मरीजको क्षय तिलतिल करके चाटे जा रहा हो, क्या मरहम चुपड़कर उसे कोई राहत पहुँचाई जा सकती है? क्या लॉर्ड महोदय यह नहीं देख पाते कि भारत सुधारोंकी अपूर्णतासे नहीं बल्कि (पंजाब और खिलाफतसे सम्बन्धित) दो अन्यायोंके किये जाने और फिर हम उन्हें भूल जायें, इसके क्रूर प्रयत्नोंसे विक्षुब्ध हुआ है। क्या वे यह नहीं समझ पाते कि सुलहसे पहले पूर्ण हृदय-परिवर्तनकी जरूरत है।

परन्तु आजकल असहयोगके सिर घृणाकी भावना थोप देना एक रिवाज ही बन गया है। मुझे यह देखकर खेद होता है कि कर्नल वेजवुड[1] भी इस जालमें फँस गये हैं। मैं निर्भीकतापूर्वक कहता हूँ कि घृणा समाप्त करनेका एकमात्र उपाय उसे अनुशासित स्वरूपमें बाहर आने देना है। जबतक भारतकी भावनाओंके प्रति जानबूझकर विद्वेष और अवज्ञाको प्रोत्साहित किया जाता है तबतक घृणाको नेस्तनाबूद करना किसीके बसकी बात नहीं है, यह असम्भव काम मैं भी नहीं कर सकता। एक ओर भारतसे घृणा न करनेको कहना और साथ ही उसकी अत्यन्त पवित्र भावनाओंको नफरतकी ठोकर लगाना, उसका परिहास करना है। भारत अपनेको दुर्बल और विवश महसूस करता है और इसीलिए जो क्रूर शासक उसकी अवज्ञा करता है, उसे पेटके बल रेंगाता है, मासूम औरतोंकी लज्जाका अपहरण करता है, और उसके मासूम बच्चोंसे दिनमें चार बार अपने झंडेको सलाम करवाकर अपनी शक्तिकी मान्यता देनेपर मजबूर करता है, उसके प्रति उसकी यह विवशता घृणाका रूप लेकर ही सामने आती है। असहयोगका सिद्धान्त लोगोंको स्वावलम्बी और समर्थ बनानेके लिए प्रयत्नशील है।

सशक्त और आत्मनिर्भर होनेपर भारत बॉसवर्थ स्मिथ और फ्रेंक जॉन्सन-जैसे लोगोंसे घृणा करना बन्द कर देगा, क्योंकि तब उसके पास उन्हें दण्ड देनेकी ताकत होगी, और इसीलिए वह उनपर दया करके उन्हें क्षमा भी कर सकेगा।[2] यदि मुसलमान सशक्त होते तो वे अंग्रेजोंसे नफरत न करते बल्कि उनके मुकाबिलेके लिए खड़े होकर इस्लामकी सर्वाधिक मूल्यवान थातियोंके लिए उनसे लड़ते। मैं जानता हूँ कि अली-भाई जो केवल इस्लामकी प्रतिष्ठा और सम्मानके लिए जी रहे हैं और जो इसके लिए अपने प्राणोंकी आहुति देनेको सदा तत्पर हैं, उन्हीं अंग्रेजोंसे, जिनसे वे घृणा

१ एक अंग्रेज मजदूर नेता और संसद सदस्य जो दिसम्बर १९२० में भारत आये और नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें शरीक हुए।

२ पंजाबमें अप्रैल-मई, १९१९ में मार्शल लॉके दौरान गुजराँवालाके अतिरिक्त डिप्टी-कमिश्नर बॉसवर्थ स्मिथ तथा लाहौर क्षेत्रके कमाण्डर कर्नल जॉन्सनने जनतापर नृशंस अत्याचार किये थे। देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २२३-२८२।

करते है, आज ही दोस्ती कर ले यदि अग्रेज खिलाफतके मामलेमे न्याय करे, जो कि उनके लिए सहज सम्भव है।

मै निश्चिन्त होकर कह सकता हूँ कि यह सघर्ष व्यक्तिपरक नही है। हिन्दू और मुसलमान दोनो ही अग्रेजोको, यदि वे भारतके प्रति अपनी नेकी, सच्चाई और वफादारीका निश्चित सबूत दे, दुआ देगे। इस तरह असहयोग एक दैवी आन्दोलन है। यह भारतको शुद्ध करेगा और सशक्त बनायेगा, सशक्त भारत ससारके लिए एक वरदान होगा जब कि आजका दुर्बल और असहाय भारत मानवताके लिए अभिशाप है। भारतीय सिपाहियोने अनिच्छापूर्वक टर्कीको नष्ट करनेमे[1] सहायता दी है और अब वे महान् अरब राष्ट्रके चुनिन्दा जवानोको नष्ट करनेमे लगे है। मुझे ऐसा एक भी युद्ध याद नही आता जिसमें ब्रिटिश सरकारने भारतीय सिपाहीका उपयोग मानवताके हितमें किया हो। और कितने शर्मकी बात है कि फिर भी भारतीय राजागण इसमे गर्वका अनुभव करते हुए कभी नही थकते कि उन्होने अग्रेजोकी वफादारीके साथ मदद की। क्या इसमे भी अधिक पतनकी कोई गुजाइश है?

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१२-१९२०

५६. सामाजिक बहिष्कार

हैदराबाद सिन्धसे एक सवाददाताने बहिष्कारके सम्बन्धमे एक पत्र[2] लिखा है। मै उसे सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्र लेखकने श्री खापर्डेके[3] साथ किये जा रहे दुर्व्यवहारका उल्लेख किया है। कहाँ हैदराबाद सिन्ध और कहाँ अमरावती। मै नही जानता कि सवाददाताने जिन परेशानियोका वर्णन किया है, श्री खापर्डेको उनका सामना करना पड रहा है या नहीं। आशा करता हूँ कि उनके बारेमे सवाददाताको जो जानकारी दी गई है उसमे काफी अतिशयोक्ति है।

फिर भी सवाददाता द्वारा प्रस्तुत मामला गम्भीर और महत्वपूर्ण है। यदि हम मतभेदोके कारण सामाजिक बहिष्कारोकी घोषणा करने लगे तो यह एक खतरनाक बात होगी।

किसीको भोजन और पानी न मिलने देना अहिंसाके सिद्धान्तके सर्वथा प्रतिकूल होगा। असहयोगकी यह लडाई वचनको कर्ममे बदलनेका एक प्रचार-कार्यक्रम है,

१. प्रथम विश्व-युद्धमें।

२. यहाँ प्रकाशित नहीं किया गया है। सवाददाताने शिकायत की थी कि खापर्डेका पचायतने बहिष्कार किया है और उनके नौकरको पचायतका कुआँ इस्तेमाल करनेसे रोका गया है क्योकि वे काग्रेसके असहयोग कार्यक्रमसे कुछ मुद्दोंपर मतभेद रखते हैं। इस बहिष्कारको कुछ असहयोगियोंने सही भी बताया था।

३. गणेश कृष्ण खापर्डे (१८५४-१९३८), वकील, वक्ता, और अमरावतीके जनसेवक, मॉण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारोंके अन्तर्गत राज्य परिषद्के सदस्य, वे गाधीजीके असहयोग कार्यक्रमके पक्षमें नही थे।

५७. वर्ण-व्यवस्था

अपनी दक्षिण-यात्राके[1] दौरान वर्ण-व्यवस्थाके बारेमे मैने जो विचार प्रकट किये थे, उनके सम्बन्धमे मुझे क्रोधसे भरे हुए बहुत-से पत्र मिले है। उन पत्रोको मै यहाँ नही छाप रहा हूँ, क्योकि उनमे सिवा गालियोके और कुछ नही है, और जिनमे गालियाँ नही है उनमे भी कोई सारकी बात नही है। मै सदा 'यग इडिया'के विचारोसे मतभेद रखनेवालोके विचार इस पत्रके स्तम्भोमे छापते रहना चाहता हूँ किन्तु लेखकोको चाहिए कि वे अपने विचार सक्षिप्त और रोचक ढगसे प्रस्तुत करे। तीखी भाषा कोई तर्क नही है। मुझे ये बाते इसलिए कहनी पडती है कि कमसे-कम दो लेखकोके पत्र, अगर वे बहुत लम्बे और अभिव्यक्तिकी दृष्टिसे अस्पष्ट न होते, तो प्रकाशित किये जा सकते थे। तथापि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे ध्यान देने योग्य है और उनका उत्तर देना जरूरी है। उनका कहना है कि वर्ण-व्यवस्था कायम रखनेसे हिन्दुस्तानका सर्वनाश हो जायेगा; और जात-पाँतके कारण ही हिन्दुस्तान गुलाम हुआ है। मेरी नजरमे हमारी आजकी गिरी हुई हालतकी जडमे हमारी जातपाँतका भेद नही है। हमारे गलेमे गुलामीका तौक इसलिए पडा कि हमने लालचके वशमे होकर मूलभूत गुणोकी उपेक्षा कर दी। मै तो यह मानता हूँ कि वर्ण-व्यवस्थाने ही हिन्दुत्वको छिन्नभिन्न होनेसे बचाया है।

लेकिन दूसरी प्रथाओकी तरह ही यह प्रथा भी बहुत-से अस्वस्थ और अनावश्यक रीति-रिवाजोका शिकार बन गई है। मै समाजके सिर्फ चार बडे विभाजनोको ही मूलभूत, कुदरती और जरूरी मानता हूँ। बेशुमार उपजातियोसे कभी-कभी कुछ लाभ भी होता है, लेकिन अक्सर तो उनसे अडचन ही पैदा होती है। ऐसी उपजातियाँ जितनी जल्दी एक हो जाये उतनी ही समाजकी भलाई है। उपजातियोके चुपचाप बनने और बिगडनेका सिलसिला शुरूसे चला आ रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। इस समस्याके समाधानके लिए हम सामाजिक दबाव और लोकमतपर भरोसा कर सकते है। लेकिन मै मौलिक वर्ण-विभाजनोको तोडनेकी किसी भी कोशिशके खिलाफ हूँ। वर्ण-विभाग असमानतापर आधारित नही है, इसमे ऊँच-नीचका भी कोई सवाल नही है और जहाँ ऊँच-नीचका ऐसा कोई सवाल उठ रहा है, उदाहरणार्थ, मद्रास, महाराष्ट्र या अन्य स्थानोमे, वहाँ उसे जरूर रोका जाना चाहिए। लेकिन इस प्रथाकी बुराइयोके कारण इसे समाप्त कर देना उचित नही है। इसमे आसानीसे सुधार हो सकता है। हिन्दुस्तानमे और सारी दुनियामे लोकतन्त्रकी जो भावना तेजीसे फैल रही है, उसके असरसे वर्ण-व्यवस्थामें से भी ऊँच-नीचके खयाल अपने-आप मिट जायेंगे, इसमे सन्देह नही है। लोकतन्त्रकी भावना कोई यान्त्रिक वस्तु नही है कि समाजके

१. नवम्बर १९२०के पहले पखवारेमें, इस यात्राके दौरान दिये गये गाधीजीके भाषणोंके लिए देखिए खण्ड १८।

बाहरी ढाँचेमें जोड़-तोड़ करके उसे उसके अनुकूल बना लिया जाये। यह तो हृदय-परिवर्तनकी अपेक्षा रखती है। अगर लोकतन्त्रकी भावनाके फैलावमें जाँत-पाँत रुकावट हो, तो हिन्दुस्तानमें जो एक साथ हिन्दु, ईसाई, इस्लाम, पारसी और यहूदी — पाँच धर्म वर्तमान हैं, वे भी इनमे रुकावट ही बनेंगे। लोकतन्त्रकी भावना लोगोंमें भ्रातृभावके प्रचारकी अपेक्षा रखती है। और मुझे तो किसी ईसाई या मुसलमानको इसी तरह अपना भाई माननेमें कोई अड़चन मालूम नहीं होती, जिस तरह मैं सहोदर-को भाई मानूंगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हिन्दू-धर्म वर्ण-व्यवस्थाके लिए जिम्मेदार है, उसी हिन्दू-धर्मने सिर्फ मनुष्यके प्रति ही नहीं, बल्कि जीवमात्रके प्रति अनिवार्य रूपसे भ्रातृभाव रखनेका विधान भी किया है।

एक पत्र-लेखकका सुझाव है कि हमें अपनी वर्ण-व्यवस्था तोड़कर यूरोपकी वर्गप्रथा अपना लेनी चाहिए। मेरे खयालमें वे यह कहना चाहते हैं कि हमारी वर्ण-व्यवस्थामें वंश-परम्पराकी जो भावना है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वंश-परम्पराका नियम चिरन्तन है, और उसे बदलनेकी कोशिशसे सदा अव्यवस्था फैली है और आगे भी फैलेगी। मुझे एक ब्राह्मणको उसके जीवनभर ब्राह्मण ही मानना बहुत उपयोगी जान पड़ता है। अगर वह ब्राह्मणके योग्य आचरण नहीं करता तो वह अपने-आप सच्चे ब्राह्मणको मिलनेवाला सम्मान खो बैठेगा। अगर हम दण्ड और पुरस्कार देनेवाली, पदोन्नति और पदावनति करनेवाली किसी अदालतकी स्थापना करें तो उसके मार्गमें कितनी बेशुमार कठिनाइयाँ आयेंगी, इसका अन्दाजा आसानीसे लगाया जा सकता है। अगर हिन्दू पुनर्जन्ममें विश्वास करते हों — जैसा कि हर हिन्दूको करना चाहिए — तो उन्हें यह जानना चाहिए कि प्रकृति सबका हिसाब-किताब बराबर कर देगी, अर्थात् अगर ब्राह्मण दुराचारी है तो वह उसे निम्नतर जातिमें जन्म देगी और अगर कोई निम्नतर वर्गका व्यक्ति ब्राह्मणोचित जीवन व्यतीत करता है तो उसे अगले जन्ममें ब्राह्मण बनायेगी। इसमें प्रकृतिसे कभी कोई चूक हो ही नहीं सकती।

मेरे विचारसे लोकतन्त्रकी भावनाको फैलानेके लिए विभिन्न जातियोंके बीच परस्पर रोटी-बेटीका सम्बन्ध होना जरूरी नहीं। किसी परिपूर्णसे परिपूर्ण लोक-तान्त्रिक व्यवस्था-के अधीन भी खानपान और शादी-ब्याहके रीति-रिवाज सर्वत्र एक-से होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। हमें हमेशा विविधताके बीचमें ही एकता ढूंढनी होगी। मैं यह नहीं मानता कि किसी एकके साथ या हरएकके साथ खाने-पीनेसे इनकार करना पाप है। हिन्दुओंमें चचेरे भाई-बहनोंका एक-दूसरेके साथ ब्याह नहीं होता। इससे उनका पारस्परिक स्नेह कम नहीं होता, बल्कि कदाचित् इससे उनके आपसी सम्बन्ध और अधिक शुद्ध तथा स्वस्थ हो जाते हैं। वैष्णवोंमें मैंने बहुत-सी माताओंको देखा है जो घरकी आम रसोईमें नहीं खाती और न सबके उपयोगमें आनेवाले बर्तनसे पानी पीती हैं। लेकिन इससे वे सारे परिवारसे अलग नहीं हो जातीं, न उनमें अहंकार आ जाता है और न प्रेम और ममत्व ही घट जाता है। ये बातें सिर्फ अनुशासनात्मक संयमसे सम्बन्ध रखती हैं। खुद उनमें कोई दोष नहीं है। अगर इनका पालन हास्यास्पद सीमा तक किया जाये तो ये नुकसानदेह हो जाती हैं, और अगर ऐसे संयम अहंकार या उच्चताकी

भावनासे प्रेरित होकर बरते जाये, तो ये सयम सयम न रहकर दरअसल भोग बन जाते है और इस कारण घातक साबित होते है। मगर जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, और नई-नई जरूरते और प्रसग सामने आते जायेगे, वैसे-वैसे खान-पान और शादी-विवाह सम्बन्धी रीतियोमे भी सावधानीसे सुधार करने या फेरफार करनेकी जरूरत पड़ेगी।

इस प्रकार मै हिन्दू समाजके चार वर्णोमे विभक्त होनेकी बातकी हिमायत करनेके लिए तो सदाकी भाँति आज भी तैयार हूँ और 'यग इडिया' मे मैने अक्सर यह बात कही भी है, लेकिन मै अस्पृश्यताको मानवताके विरुद्ध एक जघन्य अपराध मानता हूँ। यह सयमका नही, बल्कि ऊँचेपनके अहभावका द्योतक है। इससे कोई भी सदुद्देश्य पूरा नही हुआ है, उल्टे स्थिति यह है कि हिन्दुत्वकी किसी अन्य चीजने मानव-जातिके एक विशाल समुदायका ऐसा दमन नही किया है, जैसा इस अस्पृश्यताने किया है। दलित समुदायके लोग न केवल हर अर्थमे हमारे ही जितने अच्छे है, वे देशके जीवनके कई क्षेत्रोमे बहुत ही जरूरी सेवा भी कर रहे है। अगर हिन्दुत्वको एक सम्माननीय और उदात्त प्रेरणा देनेवाले धर्मके रूपमे मान्यता प्राप्त करनी है तो इस पापसे वह अपने-आपको जितनी जल्दी मुक्त कर ले उतना ही अच्छा। मुझे इस अभिशापको कायम रखनेके पक्षमे कोई भी दलील स्वीकार नही है, और इस पापमय प्रथाके समर्थनमे धर्मग्रन्थोके सदिग्ध विधानको अस्वीकार करनेमे भी मुझे कोई सकोच नही है। सच तो यह है कि अगर ये विधान विवेक और हृदयकी आवाजके विरुद्ध हो तो मै उन्हे अस्वीकार ही करूँगा। जब कोई सत्ता, कोई विधान, विवेकसे उत्पन्न होता है तो वह कमजोरोकी रक्षा करता है, उन्हे ऊपर उठाता है, लेकिन जब कोई विधान अन्तरके धीमे, शान्त मूकस्वरसे अभिषिक्त विवेकको अपने पास नही फटकने देता तो वह कमजोरो और असहायोको नीचे गिराता है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८–१२–१९२०

५८. भाषण : मुजफ्फरपुरमे

८ दिसम्बर, १९२०

अध्यक्ष महोदय तथा भाइयो,

खड़े होकर भाषण न दे सकनेके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेगे। आपमें से अधिकाश लोगोने मुझे देखा-जाना होगा। कुछ वर्ष पूर्व मै मुजफ्फरपुरमें आया था सो मुजफ्फरपुर, तिरहुत या चम्पारन मेरे लिए नई जगहे नही है। चम्पारनके मेरे कामोसे[1] लोग मुझे जानने लगे थे। किन्तु जो काम मैने अब हाथमे लिया है, चम्पारनके मामलेसे वह कही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कठिन है। आप सब जानते है कि हमारी

१. गाधीजीने १९१७ में चम्पारनमें एक सत्याग्रह आन्दोलनका नेतृत्व किया था, देखिए खण्ड १३।

सरकार कितनी अधिक अन्यायी और दमनकारी है। हमारी संस्थाएँ---कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और सिख लीग, हमें वह उपाय बता ही चुकी हैं जिससे हम सरकारको सही रास्तेपर ला सकते हैं। यदि हम सचमुच इस आसुरी सरकारसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे पास असहयोग ही एकमात्र अस्त्र है। तलवार खींचना न तो हमारा धर्म है और न समय तथा परिस्थितियाँ ही इसके लिए अनुकूल हैं। सभी मानते हैं कि हम तलवारसे न तो स्वराज पा सकते हैं, न इस्लामकी रक्षा कर सकते हैं, न पंजाबके प्रति न्याय करवा सकते हैं और न इस अत्याचारी सरकारसे छुटकारा ही पा सकते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इस बातपर एकमत हैं कि इस सबका अन्तिम उपाय असहयोग है। सरकारने वाणिज्यके द्वारा हमारा धन, पंजाबके काण्डके द्वारा हमारा सम्मान और खिलाफतको खतरेमें डालकर हमारा धर्म लूट लिया है। यदि हम यह सब मानते हैं, तो सरकारको कोई भी मदद देने या लेनेसे इनकार करनेके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहता। हम कांग्रेसमें यह फैसला तो पहले ही कर चुके हैं कि हमें सरकारी अदालतोंमें न्याय पानेके लिए नहीं जाना चाहिए।

जो स्कूल अन्यायियोंके द्वारा नियन्त्रित होते हैं, उनमें भेजकर हम अपने बच्चोंको न्यायप्रिय नहीं बना सकते। गुलामीकी भावनासे परिचालित स्कूलोंमें अपने बच्चोंको भेजकर हम उन्हें गुलामीकी भावनासे मुक्त नहीं कर सकते। यदि मेरे हिन्दू भाई समझते हैं कि वर्तमान दमनकारी सरकार रावण-राज्य जैसी है तो उन्हें आज ही उसके द्वारा नियन्त्रित स्कूलोंसे अपने बच्चे हटा लेने चाहिए। हम अपने आदमी कौंसिलोंमें[1] भी नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके जरिये हम पंजाब या इस्लामके प्रति न्याय नहीं पा सकते। सरकार कौंसिलोंको अंग्रेजोंसे भर दे, परन्तु हम कौंसिलोंमें जाकर स्वयं अपनी दासताकी जंजीरें और मजबूत नहीं कर सकते। यदि हम कुछ छोटे-छोटे कानून पास करवा लेते हैं या लोगोंको कैदसे रिहा भी करा लेते हैं तो इससे कोई खास बात नहीं बनती। मुख्य बात तो स्वराज्य पाना, पंजाबके प्रति न्याय पाना और खिलाफतके सवालपर समझौता करा सकना है। अण्डमान द्वीपके[2] सारे कैदियोंको छोड़ देनेसे भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हमें सेनाकी भरतीमें अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहिए। हमें स्वदेशी चीजोंका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे हर घरमें चरखा होना जरूरी है। इस सबमें हमारा स्वराज्य निहित है, यही हमारा कर्त्तव्य है और इसीके द्वारा हम इस्लामको संकटसे बचा सकते हैं। यदि हम तीस करोड़ भारतीय एक स्वरसे कहें कि हम एक भी विदेशी वस्तुका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अंग्रेजोंके भारतमें बने रहनेका कोई कारण ही नहीं बचता। स्वदेशी एक ऐसा धर्म है जिसमें सादगी है, जो हमारी भूख और अन्य जरूरतें रफा कर सकता है और जिसके पालनसे कपड़ेकी कीमतें गिर सकती हैं। यदि कपड़ेके भाव सस्ते करने हों तो [केवल इसीलिए] आपका स्वदेशीकी शपथ लेना आवश्यक है। हिन्दू और मुसलमानोंको परस्पर मित्रता, सद्भावसे रहना चाहिए। गोरक्षा मुसलमानोंको मारकर

१ विधान परिषद्।

२. पहले आजन्म कारावासकी सजा पानेवाले अपराधी यहाँ भेजे जाते थे।

नही की जा सकती। यदि हिन्दू सचमुच गौरक्षा चाहते है तो उन्हे इस्लामके लिए आत्मत्याग करना चाहिए। आपको अपना अन्त करण शुद्ध रखना चाहिए। पिछले सौ वर्षोंमे आपको ऐसे अवसर कभी नही मिले है। आज हिन्दुओ और मुसलमानोमे परस्पर एकता हो गई है। मै यह नही कहना चाहता कि मुगल बादशाह अत्याचारी नही थे, परन्तु वर्तमान सरकार जिस तरह दमन करती है वह दमनके पिछले सभी ब्यौरोसे बढकर है। यदि आज इस्लाम खतरेमें है तो क्या भरोसा है कि कल काशी और प्रयागपर सकट नही आयेगा। मक्कारोपर कभी विश्वास नही करना चाहिए। हमारी सरकार हमे कब धोखा देगी, हम कह नही सकते। हम सरकारपर कभी भरोसा नही कर सकते। हमे अपने आपपर विश्वास होना चाहिए। जबतक हममे फूट है, जबतक हम क्रोधके वशमे हो जाते है, जबतक हम अग्रेजोके रक्तके प्यासे है, तबतक हम भारतको आजाद नही करा सकते। मै तीन चीजें चाहता हूँ हिन्दू-मुसलमानोमें एकता, क्रोधपर सयम और अहिंसात्मक असहयोग।

[अग्रेजीसे]

सर्चलाइट, १७–१२–१९२०

५९. भाषण: बेतियामे[१]

८ दिसम्बर, १९२०

चम्पारन मेरे लिए नया नही है। मै जब भी चम्पारन आता हूँ, तभी मुझे ऐसा लगता है कि भारतमे मेरी जन्मभूमि चम्पारन है। मै चम्पारनके भाइयोके दु खसे दु खी रहता हूँ। यद्यपि आज मै दो साल बाद यहाँ आया हूँ, तो भी मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दु खको मै कभी नही भूला। चम्पारन जिलेका कष्ट, मेरा अपना ही कष्ट है, मै हमेशा यह याद करता रहा हूँ, और उसको दूर करनेके लिए कुछ-न-कुछ करता भी रहा हूँ। परन्तु उसको दूर करनेके लिए जितना आप कर सकते है, उतना तो मै नही कर सकता। इसलिए आज मै यह बताना चाहता हूँ कि आप अपनी रक्षा खुद ही कैसे कर सकते है।

आज मै गाँवोमें होकर आया हूँ। उनकी हालतके बारेमे जो-कुछ सुना था, उससे दुखी तो हो ही रहा था, परन्तु वहाँ जो-कुछ हुआ है, उसे आँखोसे देखकर तो मेरे दुखका पार नही रहा। वहाँ जो अत्याचार हुए है, उनमे मुझे इस बार सरकारकी भूल दिखाई नही देती है। मै जो कुछ देखता हूँ. उसमे बागान-मालिकोकी भूल भी नही जान पडती। मै उसमे पुलिस अफसरो, उनके मातहत लोगो और गाँववालोकी ही भूल पाता हूँ। परन्तु हमे इन लोगोके विरुद्ध अदालतोमें जाकर इन्साफ नही लेना है। हम इसका न्याय उन्ही लोगोसे लेना चाहते है। पुलिसवाले हमारे भाई है, उनका फर्ज है कि वे रैयतका रक्षण करे, भक्षण न करे। मैने जब सुना

१. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत।

कि यहाँके दारोगा और दूसरे पुलिसवाले भाइयोने गाँवोमे जाकर अत्याचार किया, तब मुझे अत्यन्त दुख हुआ। वे शायद यह स्वीकार न करे कि उन्होने ऐसा किया है, परन्तु मुझे लगता है कि गाँववालोने मुझे जो-कुछ सुनाया है, वह सबका-सब झूठ नही हो सकता। हममे जो प्रतिष्ठित लोग है उनका कर्त्तव्य यह है कि वे उन पुलिसवालोको समझाये। मै यहाँ आये हुए सब पुलिसवालोसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई है, आप गाँववालोके भी भाई है, अत मै आपसे कहता हूँ कि सरकार आपको बुरे काम सौपे तो आपको चाहिए कि आप उन्हे न करे। अगर आप भी हमे अपना भाई समझते है, तो आप हमारा काम करे, परन्तु हमे सताये नही। आप सरकारके नौकर है, तो सरकार हमारी नौकर है और इसलिए आपका यह फर्ज है कि सरकार आपसे कोई बुरा काम करनेको कहे तो आप उसे न करे। परन्तु मौजूदा मामलेमे तो सरकारने पुलिसको कोई ऐसा हुक्म भी नही दिया था कि तुम लोगोके घर लूटो, या दूसरे गाँववालोसे ही उनके घर लुटवाओ, या स्त्रियोपर जुल्म करो। इसलिए पुलिसने जो-कुछ किया, उसमे सरकारकी कोई गलती नही है। पुलिसने अपनी मरजीसे ही जबरदस्ती की है। इसका उपाय यह है कि प्रतिष्ठित सज्जन पुलिसवालोको जाकर समझाये कि आपकी लाल पगडी प्रजाके रक्षणके लिए है, उसके भक्षणके लिए नही; आपने जो-कुछ लूटा हो, वह वापस कर दीजिए और यह समझकर कि गाँवके लोग भी आपके भाई है, उनके विश्वासपात्र बनिए।

परन्तु इन अत्याचारोको रोकनेका रास्ता सुझाते हुए मेरी नजरमे पुलिसको समझानेके अलावा एक दूसरा रास्ता भी है। मै आपसे कहता रहा हूँ कि सब दु खोके निवारणका उपाय सत्याग्रह है। हमे इस हुकूमतको मिटाना है फिर भी मै शान्तिका रास्ता बताता रहा हूँ। परन्तु मै यह नही चाहता कि शान्तिके रास्तेपर चलते हुए भारतकी प्रजा नामर्द बन जाये, पराधीन बन जाये और स्त्रियोकी रक्षा करनेमें भी असमर्थ रहे। मुझे गाँववालोने क्या बताया, क्या सुनाया? [1] उन्होने लुटेरोंके मुकाबलेमे क्या किया? केवल भाग खडे हुए। मनमे यह खयाल आया कि क्या भारतके लोग इतने नामर्द बन गये है कि अपनी सम्पत्ति और स्त्रियोकी भी रक्षा नही कर सकते? क्या हममे चोरोसे भी अपनी रक्षा करनेकी ताकत नही है? चोर हमे लूटने आये तो हम भाग खडे हो, क्या यह सत्याग्रह है? आप अपना धन चोरको लुटा दे, यह दूसरी बात है। लेकिन आपको ऐसा करना इष्ट न हो तो आप उसे समझा सकते है और वह न समझे तो उसे मार भी सकते है। पुलिस अत्याचार करनेके लिए तैयार हो जाये और आप उसके सामने मरनेके लिए तैयार हो जायें तो मै कहूँगा कि आप सत्याग्रही है, बहादुर है। परन्तु आप खडे-खडे बेइज्जती सहे, इससे कही अच्छा यह है कि आप उन्हे मार भगाये। सत्याग्रहका अर्थ यह नही है कि आप स्त्रियोको छोडकर भाग जाये, या उन्हे अपने सामने विवस्त्र किये जाते हुए देखे। आपमे से जो लोग लम्बी-लम्बी लाठियाँ लेकर यहाँ आये है, उनसे मै पूछता

१ यहाँ महादेवभाईने भाषणका एक अश छोड दिया है और इस अशके लिए पाठकोंसे अपना पहले भेजा हुआ विवरण देखनेके लिए कहा है।

हूँ कि क्या आप इसीको सत्याग्रह समझते हैं? हमारा धर्म यह नहीं सिखाता कि हम नामर्द बनें, अत्याचार सहन करते रहें। हमारा धर्म यह सिखाता है कि अत्याचारीका खून बहानेके बदले अपना खून बहानेको तैयार रहना अच्छा है। हम इस प्रकार अपना खून बहानेको तैयार हो जायें, तब तो हम देवता हैं, परन्तु अन्याय देखकर पलायन करना तो पशुसे भी बदतर हो जाना है। हम पशुसे मनुष्य हुए हैं। पशु-वृत्ति लेकर तो मनुष्य जन्म ही लेता है, ज्यों-ज्यों उसमें समझ आती है, त्यों-त्यों उसमें मनुष्यत्व आने लगता है और ज्यों-ज्यों मनुष्यत्व आता है, त्यों-त्यों हम पशु-बलका आश्रय छोड़कर आत्मबलपर निर्भर रहना सीखते जाते हैं। परन्तु कोई हमारे विरुद्ध पशुबल इस्तेमाल करने आये, तब उसके मुकाबले आत्मबलसे खड़े रहना तो दूर हम उसके सामनेसे भाग खड़े हों, तब तो हम न पशु रहे और न मनुष्य ही। हम कायर, नामर्द बन गये। कुत्तेको देखिए, वह सत्याग्रह नहीं करता, परन्तु भागता भी नहीं, वह तंग करनेवालेपर भौंकता है, उससे लड़ता है। भारत मनुष्यत्व न दिखा सके तो अपना पशु-बल तो जरूर दिखा सकता है। आइन्दा मैं कभी यह नहीं सुनना चाहता कि सौ हट्टेकट्टे जवान सिपाहियोंको आते देखकर आप भाग खड़े हुए। मैं यह सुनकर आपको शाबाशी दूँगा कि आपने उनके सामने खड़े रहकर अपने प्राणोंकी बलि दे दी। मैं यह सुनकर भी आपको शाबाशी दूँगा कि आप उनके विरुद्ध अच्छी तरह लड़े। कोई मुझसे शायद यह कहे कि अगर पुलिस हमें पकड़ ले जाये तो 'हम क्या करें?' मैं कहूँगा कि इस प्रकार अपनी जान बचानेसे अच्छा तो मर जाना है। सरकारने भी आपको अपने जानमालके लिए लड़नेकी अनुमति दी है। स्पष्ट ही इसके लिए कानूनमें भी छूट है। कोई भी चम्पारनी आइन्दा ऐसे मौकेपर युद्ध करेगा और मारेगा या मरेगा। जैसी शिकायत मैंने आज सुनी है, मेरे लिए वैसी शिकायत सुनना असह्य है।

परन्तु आप मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं आपको हर समय मारनेको तैयार हो जाना नहीं सिखाता। पुलिस वारंट लेकर आये, तब आप लड़ने निकलें तो यह आपकी नामर्दी होगी। हम पचास आदमी खड़े हों और एक सिपाही हुक्म देने आया हो तो उसे मारनेमें ऐसी क्या बहादुरी है? अगर उस स्थितिमें हम उसका हुक्म मान लेते हैं तो इसमें हमारी मर्दानगी है। वारंटपर पकड़ना तो पुलिसका काम ही है। उसका वारंट अनुचित हो तो भी पुलिसके हाथोंसे किसीको छुड़ाना उचित नहीं है। पुलिस आपको पकड़ते वक्त मार-पीट करे, गालियाँ दे तो वह भी आपको सह लेना चाहिए। परन्तु पुलिस आपके घरमें घुसे, आपके ढोर-डंगर छीने, आपका धन लूटे, तब अगर आप अपने प्राण देनेको तैयार न हों तो उसका मुकाबला अवश्य कीजिए, अवश्य अपनी लाठियाँ चलाइए। परन्तु फिर एक दूसरी शर्त भी रखूँगा। आपसे एक मौकेपर मारपीट करनेको कहता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई चोर आये तो आप उसे जानसे ही मार डालें। लड़ाईका भी तो कोई नियम होता है न? लाठीके सामने तलवार उठाना धर्म नहीं, लाठीके सामने मुक्का मारनेमें धर्म है। एक आदमीके विरुद्ध पचासकी सेना लेकर जाना धर्म नहीं,

नामर्दी है। लाठीके सामने तलवार उठाना, एकके खिलाफ पचासका उठ खड़ा होना अपनी नामर्दी दिखाना है।

किन्तु कहीं आप मेरी इस शिक्षाका दुरुपयोग न करने लगें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए समझदार भाई आपको यह बात बारम्बार समझायें। मुझे लगा कि आज मैं जो-कुछ देख आया हूँ, उसकी मुझपर जो प्रतिक्रिया हुई वह आपको न बताऊँ तो अधर्म होगा, लोग ऐसा मानेंगे कि मैं अपना कर्त्तव्य किये बिना यहाँसे चला गया। आप डरपोक न बनें, कभी नामर्द न बनें, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप किसीका खून न करें।

सरकारने एक भूल जरूर की। जो स्वयंसेवक वहाँ जाँचके लिए गये उन्हें उसने धमकानेका प्रयत्न किया, फुसलानेकी कोशिश की। परन्तु आप इन धमकियोंसे न डरें। स्वयंसेवकोंके सिरपर भी बहुत बड़ा फर्ज आ पड़ा है। उन्हें निडर होकर, शान्त रहकर अपना काम करते जाना है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-१२-१९२०

६०. भाषण: वेतियाकी गोशालामें[1]

८ दिसम्बर, १९२०

गोरक्षा हिन्दू-धर्मका बाह्य रूप है। जो हिन्दू इस कामके लिए प्राण देनेको तैयार न हो, उसे मैं हिन्दू नहीं मानता। मुझे यह काम प्राणोंसे भी प्यारा है। जैसे नमाज पढ़ना मुसलमानोंका फर्ज है, वैसे ही गायको मारना भी उनका फर्ज होता तो मैं मुसलमानोंसे कहता कि मुझे तुमसे भी लड़ना पड़ेगा। परन्तु यह उनका फर्ज नहीं है। हमने उनके प्रति अपने बर्तावसे उसको उनका फर्ज बना दिया है।

जरूरत तो इस बातकी है कि गायको बचानेके लिए पहले खुद हिन्दू उसकी रक्षा करें, हिन्दू भी तो गायकी हत्या कर रहे हैं। फूँकेका प्रयोग करके गायका सारा दूध खींच लेना, गायकी सन्तान — बैलोंको आर भोककर कष्ट देना और उनसे बूतेसे अधिक बोझा खिंचवाना, यह सब गायकी हत्या करनेके बराबर है। गो-रक्षा करनेके लिए हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए।

मुसलमान तो कभी-कभी ही खानेके लिए गायका वध करते हैं, परन्तु अंग्रेजोंका तो गो-मांसके बिना एक दिन भी काम नहीं चलता। मगर उनके तो हम ताबेदार बने हुए हैं। जो सरकार धर्मकी रक्षा नहीं करती, उसकी पाठशालाएँ और अदालतें हमें अच्छी लगती हैं। यह बात मुझे आज ही मालूम हुई हो, ऐसा नहीं है, परन्तु पहले मैं उनका गो-भक्षण बर्दाश्त कर लेता था, क्योंकि मैं उम्मीद रखता था

१ इस गोशालाकी स्थापना गांधीजीने ही, जब वे चम्पारन सत्याग्रहके सिलसिलेमें बिहारमें थे, की थी।

कि उनमे मैं कुछ-न-कुछ काम ले सकूँगा। परन्तु अब तो वह उम्मीद भी रही नही। इसलिए मैंने उसके विरुद्ध असहयोग घोषित कर दिया है। हम ऐसे समय गो-रक्षा करना चाहते हो, तो हमे मुसलमानोकी बिला शर्त मदद करनी चाहिए। मैं रात-दिन शौकत अलीके साथ घूमता हूँ, तो भी मैं उनके सामने गो-रक्षाके बारेमे एक लफ्ज भी नही निकालता, क्योकि आज तो मुसलमानाकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। मैं आज अपने पुत्र, स्त्री, और मित्र सबको इसके लिए अर्पण कर देनेको तैयार हूँ। हम सरकारपर मुग्ध रहे तो गायकी रक्षा नही कर सकते, और सरकारका त्याग करके मुसलमानोका हृदय भी पिघला सकते है।

ऐसी गोशालाओसे गो-रक्षा नही हो सकती। गोशालाओको तो शहरके लिए सुन्दर दूध मुहैया कर सकना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब उनमे हजारो दुधारू गाये हो और गोशालाओके पास हजारो बीघा जमीन हो। हम जब गायोकी पूरी तरह रक्षा कर सकेगे, तभी उनमे से कामधेनुएँ उत्पन्न होगी। तभी भारतके दु ख, भूख, नगापन और मानसिक हीनता आदि दूर होगे। ये उद्गार अनायास ही मेरे मुँहसे निकल गये है। मैंने गो-रक्षापर अभीतक ऐसी गम्भीर बाते कभी नही कही। आप गोमाताकी रक्षा कीजिए, गोमाता आपकी रक्षा करेगी।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

६१. भाषण: मोतीहारीमे

९ दिसम्बर, १९२०

महात्माजीने कुर्सीपर बैठे-बैठे भाषण दिया। उन्होने कहा कि यदि लोग मौजूदा गुलामीकी दशा तथा नौकरशाहीके अमानवीय अपमानोसे छुटकारा पाना चाहते है तो उन्हे पूरे मनसे असहयोग आन्दोलनमें शामिल हो जाना चाहिए। उन्होने लोगोको समझाया कि एक दूसरेसे भाई-जैसा बर्ताव करना उनका कर्त्तव्य है। उन्होने पुलिसको उसका कर्त्तव्य समझाते हुए बताया कि वे जनताकी रक्षाके लिए है, न कि उन्हे परेशान करनेके लिए। यदि वे उसकी रक्षा करनेमें चूकते है, तो कहना होगा कि कहीं और जाकर पनाह लेनी चाहिए। उन्होने लौरिया थानाके अन्तर्गत एक गाँवमें की गई हालकी लूटमारका उल्लेख किया और वहाँ पुलिसने जो कार्रवाई की थी उसपर खेद व्यक्त किया। मौलाना शौकत अलीने भी जनताको पूरी शक्तिसे असहयोग अपनानेकी प्रेरणा दी और हिन्दू-मुस्लिम एकताकी वांछनीयताकी बात की। खिलाफतके सवालपर मुसलमानोके साथ खड़े होनेके लिए उन्होने हिन्दुओको धन्यवाद दिया और कहा कि मेरा पहला काम देशमें पूरी तरह गोवधको समाप्त करना होगा।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, २२-१२-१९२०

६२. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

भागलपुर जाते हुए
११ दिसम्बर, १९२०

तुम्हारे दो पत्र मिले। एक बहुत छोटा था, और दूसरा बहुत लम्बा-चौड़ा। इस दूसरे पत्रसे पता चलता है कि तुम मेरी बात, मेरे विचार नहीं समझतीं। तुम्हारे जटिल स्वभावका मैंने किसी तरहकी झल्लाहट नहीं दिखाई है, हाँ, उसके सम्बन्धमें कुछ कहा अवश्य है। अगर कोई व्यक्ति कोई खामी लेकर ही जन्म ले, तो इसके लिए, इसलिए कोई ताना नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर कोई उसकी ओर ध्यान दे और उसे दूर करनेकी कोशिश करे तो उसमें बुरा क्या है? मैंने यही किया है। फिर जटिलताको किसी तरह स्पष्ट न किया जा सके, समझाया न जा सके, ऐसा मैं कभी नहीं मान सकता। धीरजके साथ विश्लेषण करनेपर सभी कलाएँ समझमें आ जाती हैं और किसी चित्रमें चाहे जितनी विविधता हो, उसके पीछे कलाकारकी योजनाकी एकता अवश्य दिखाई देती है। लेकिन तुम तो, जब कोई मित्र प्रेमपूर्वक तुम्हें तुम्हारी खामियाँ दिखाता है तब भी, उसपर अड़ी रहती हो। मुझे इससे चिढ़ नहीं होती, लेकिन मैं जो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, वह काम तो मुश्किल हो ही जाता है। यदि अस्थिरचित्त हो, चिड़चिड़ी और झक्की हो तो इसमें कौन-सी हर्ज है? यों तो सरलसे-सरल स्वभावमें भी कुछ-न-कुछ जटिलता तो होती ही है, लेकिन उसका विश्लेषण आसानीसे किया जा सकता है। ऐसे स्वभावको सरल भी इसीलिए कहा जाता है कि उसे आसानीसे समझा जा सकता है और उपाय करनेपर जल्दी असर भी होता है। लेकिन मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। तुम एक समस्या हो, जिसे मुझे सुलझाना है। मैं धीरज नहीं छोड़ूँगा। बस, इतना ही खयाल रखो कि जो बातें मुझे स्पष्टतः तुम्हारी कमजोरियाँ जैसी लगती हैं, अगर उनकी ओर ध्यान दिलाऊँ तो तुम नाराज न हो। कमजोरियाँ तो हममें होंगी ही। लेकिन मित्रको यह अधिकार है कि वह उन कमजोरियोंकी ओर स्नेहके साथ अपने मित्रका ध्यान दिलाये। जब मैत्री मित्रोंको सही मार्गकी ओर प्रवृत्त करे तभी वह दिव्य वस्तु बन पाती है। आओ, हम दोनों एक दूसरेको ऊपर उठानेकी कोशिश करें।

शुद्धिके बारेमें तुम्हारे पत्रकी मैं व्यग्रतासे प्रतीक्षा करूँगा।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

६३. पत्र : द्विजेन्द्रनाथ ठाकुरको

भागलपुर जाते हुए
११ दिसम्बर, १९२०

प्रिय बडोदादा,

आपके पत्रसे मुझे बडी सान्त्वना मिली। आपकी स्वीकृतिको[1] मै आशीर्वाद मानता हूँ। मै १३ तारीखको कलकत्तामे होऊँगा और १४ तारीखको ढाकामें। भगवान् आपको इतनी लम्बी आयु दे कि आप भारतमे स्वराज्यकी स्थापना देख सके।

आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

६४. भाषण : मुंगेरमें असहयोगपर[2]

११ दिसम्बर, १९२०

अध्यक्ष महोदय और सज्जनो,

मै इतना कमजोर हूँ कि खडे होकर भाषण नही दे सकता। मेरे दोस्त, श्री श्रीकृष्ण सिंहने आपको बताया है कि पिछले साल जब जमालपुरके कुली हडतालपर थे, वे मुझसे मिलने अहमदाबाद आये थे और मुझसे जमालपुर आनेका अनुरोध किया था। परन्तु मै किसी अन्य महत्त्वपूर्ण काममे लगा था, इसलिए उनका अनुरोध पूरा न कर सका। मै निस्सकोच होकर कहता हूँ कि मै किसानका धन्धा बैरिस्टरके धन्धेसे अधिक पसन्द करता हूँ। मेरे हृदयमे एक वकीलसे मजदूरका स्थान ऊँचा है। पिछले साल जब मैने जमालपुरके कुलियोकी मुसीबतके बारेमे सुना तो मुझे बेहद दुःख हुआ, परन्तु किसी अन्य काममें पहलेसे लगे होनेके कारण मै आनेमे असमर्थ रहा। आज मै आप सबसे खास करके जमालपुरके कुलियोसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। आपकी उपस्थिति आज बहुत अधिक है। मुझे आशका है कि शायद मेरी आवाज आपमें से हरएक तक नही पहुँच सकेगी। इसलिए मै बहुत थोडे शब्दोमे अपनी बात कहूँगा।

१. शिक्षाके क्षेत्रमें असहयोगके कार्यक्रमके विषयमें।
२. यह भाषण मौलाना शाह उमरकी अध्यक्षतामें हुई एक सभामें दिया गया था।

प्रत्येक भारतीयका, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, अरब हो या अफगान, स्त्री हो या पुरुष, यह कर्त्तव्य है कि भारतकी वर्तमान दशापर गहराईसे विचार करे — ताकि स्थितिका सूक्ष्म विश्लेषण कर सके। आजकी मौजूदा बुराइयोको निकाल फेकनेके उपाय और तरीके सोच निकालना भी आपमे से हरएकका कर्त्तव्य है। सरकारने हमारे सात करोड मुसलमान भाइयोको हताश कर दिया है। उसने टर्कीके प्रति अपना वचन भग किया है और उस देशके लगभग टुकडे कर डाले है।[1] इस सरकारने पजावमे हमारे भाइयोको पेटके बल रेगनेपर मजबूर किया है और उनके न जाने कितने ऐसे अपमान किये है जिनकी कल्पना नही की जा सकती। इसने हमारे विद्यार्थियोको, छ-सात सालके बच्चोको भी दोपहरकी जलती धूपमे चार-चार बार यूनियन जैक — ब्रिटिश झडेको सलाम करनेके लिए १६ मील पैदल चलाया है, और इसके परिणामस्वरूप कुछ कोमल बच्चोके तो प्राण ही चले गये।[2] इस सरकारने पजाबमे डेढ हजार बेगुनाहोका कत्लेआम कर दिया और अब कहती है हम उसको भूल जाएँ। यह कहती है कि खिलाफतकी जो दुर्दशा हुई है उसमे उसका कोई हाथ नही है। मै आपसे कहता हूँ कि इस सरकारके सामने आप कभी न झुके, कभी इसे सलाम न करे। मै आपसे कहता हूँ कि आप इस सरकारके कामोमें कभी हाथ न बटाएँ। हम शैतानका सग-साथ छोडकर ही उसे नि शेष कर सकते है। यदि हम मानते है कि इस सरकारने हमपर आसुरी भावोकी छाप डाल दी है तो मै कहूँगा कि हमारा कर्त्तव्य इस सरकारको हटा देना है। यदि यह सरकार अपनी जबर्दस्त गलतियोको स्वीकार नही करती, यदि सबपर यह जाहिर नही कर देती कि जिस ढगसे पजाब और खिलाफतके मामले रफा-दफा किये गये, वह गलत है, यदि सरकार अपने कृत्योके लिए पश्चात्ताप और क्षमा-याचना नही करती तो हम चैनसे नही बैठेगे। इस आसुरी सरकारको हम दो तरीकोसे हटा सकते है, एक तो तलवारसे, और दूसरे असहयोगसे। हिन्दू और मुसलमान बुजुर्ग मिलकर इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि तलवारोका आधार लेकर हम सफल नही हो सकेगे। यदि हमने एक बार भी तलवारे खीची तो सरकारको झुका सकनेके बजाय हम खुद ही समाप्त हो जायेगे, मारे अन्याय और अत्याचार ज्योके-त्यो बने रहेगे और बदला ले सकने की घडी ही न आयेगी। परन्तु यदि हम अहिसात्मक असहयोग अपनाये तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। यदि आप मानते है कि शैतानसे विदाई ले लेना आवश्यक है तो 'कुरान', 'गीता' और तुलसीदासके कथनानुसार हमे ईश्वरकी सहायता और अनुग्रहकी याचना करनी चाहिए। हम ध्यान रखे कि हम किसीसे भी नाराज न हो, अग्रेजोको गाली न दे और न उनके प्राण लेनेकी बात सोचे। हम किसी भी खान बहादुरके प्रति जो अपना खिताब नही छोडता, नफरत जाहिर नही करना चाहते, हम उस वकीलको जो अपनी वकालत नही छोडता, गाली देना नही चाहते, हम उस विद्यार्थीसे, जो अपना कालेज या स्कूल नही छोडता, झगडना नही चाहते। हम केवल यही चाहते है कि यदि वे हमारी बात नही सुनते तो उनसे असह-

१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४४५-४८ और परिशिष्ट १।

२ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २३०, २५३, २६३, २६६, २७९-८०।

योग किया जाये। न तो हमे किसी भी रूपमें उनकी मदद करनी चाहिए, न उनसे मदद लेनी चाहिए। इससे किसीको नुकसान नही होगा। ईश्वर हमारी मदद करेगा और हमारे कष्टोको समझेगा। मैंने आप सबसे असहयोग करनेको कहा है, परन्तु मैं यह भी कहता हूँ कि आप परस्पर सहयोग करे। हिन्दुओ और मुसलमानोको मिल-कर रहना चाहिए, वे एक ही माँके बेटे है। हिन्दुओको अपने और मुसलमानो-को अपने धर्मपर चलना चाहिए। परन्तु उनके एक दूसरेसे मिलकर न चल सकनेका कोई कारण मुझे दिखाई नही देता। जब हमारे सात करोड मुसलमान भाइयोका धर्म-सकटमे हो तो हम सबको एक साथ अपने शीश अर्पित कर देनेके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप क्रोध न करे और पूरी तरह असहयोग करे तो मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको स्वराज्य एक सालके अन्दर मिल जाएगा, आप पजाबके अन्यायको नि शेष करा सकेगे और मेसोपोटामिया, थ्रेस तथा अन्य स्थानोसे[1] सम्बन्धित सघर्षमे भी आप विजयी होगे। असहयोग आन्दोलनमे ६ काम है। पहला खिताबोका त्याग, आदि, दूसरा स्कूल और कालेज छोडना — जो विद्यार्थी १६ से ऊपर हैं उन्हे स्वय अपने माता-पितासे कालेज और स्कूल छोडनेकी इजाजत माँगनी चाहिए, तीसरा वकीलो द्वारा वकालत बन्द करना और मामलोका पचोद्वारा आपसी फैसला कराना, चौथा कौसिलोका और जो लोग कौसिलोमे गये है उनका बहिष्कार, पाँचवाँ स्वदेशी चीजो और कपडेका इस्तेमाल। हमे चरखेकी सहायतासे अधिकाधिक कपडा तैयार करना चाहिए क्योकि भारतीय मिलो द्वारा तैयार किया गया कपडा वर्तमान माँग पूरी नही कर सकता।

इस अवसरपर बहुत शोर हुआ। आगे बोलते हुए महात्माजीने कहा :

यदि हम पहले कही गई सारी बाते करे तो हमे शीघ्र ही स्वराज्य मिल जायेगा, परन्तु जबतक इस तरहका शोर होता रहेगा, कोई भी काम कठिन होगा। जबतक हम अनुशासन नही पालते, हम कोई व्यवस्था नही कर सकते।

इसके बाद उन्होंने स्वयसेवकोको कुछ सलाह दी और असहयोग कोषके लिए धन संग्रह करनेको कहा। सभास्थलपर ही काफी धन इकट्ठा हो गया। महात्माजी २० मिनट और बोले।

[अग्रेजीसे]

सर्चलाइट, १९-१२-१९२०

१ जिनपर पहले टर्कीके सुल्तान, इस्लामके खलीफाका शासन था।

६५. तार: आसफ अलीको[1]

[११ दिसम्बर, १९२० को या उसके बाद][2]

भग करनेका आदेश पालन किया जाये। पैरवीके लिए वकील हरगिज नहीं।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३७६) की फोटो-नकलसे।

६६. वैष्णव और अन्त्यज

वैष्णव शिरोमणि नरसिंह मेहताने किसी भी वैष्णवके लिए आवश्यक जिन गुणोका बखान किया है उनका मैं वर्णन कर चुका हूँ। महाराजश्री और मेरे बीच जो सवाद हुआ उसके सम्बन्धमें जो लिखा गया है उसे पढकर मुझे जो दुख हुआ, उसे भी मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ।[3]

उक्त टीकामें मुझे धर्म-निर्णयके स्थानपर दुराग्रह और आक्षेप ही दिखाई दिया। मैं भी दुराग्रह करता हूँ और आक्षेप लगाता हूँ — मेरे सम्बन्धमें क्या ऐसा नही कहा जा सकता? जरूर कहा जा सकता है। परन्तु इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते हैं। महाराजश्रीके साथ जब सवाद आरम्भ हुआ उसी समय उन्होने मुझे बता दिया था कि शास्त्रोंके विवेचनमें बुद्धिको स्थान नही है। मुझे तो यही सुनकर दुख हुआ। जो बुद्धिगम्य नही है, जिसे हृदय स्वीकार नही करता वह शास्त्र हो ही नही सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। और मुझे लगता है कि जो केवल धर्मपर आचरण चाहता है, उसे यह सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए। ऐसा न हो तो हमारे धर्मभ्रष्ट होनेका भय होगा। मैंने लोगोको 'गीता' की यह व्याख्या करते सुना है कि अगर हमारे सगे-सम्बन्धी दुष्ट हो तो पशुबलसे हम उन्हे दुष्टता

१ १८८८–१९५३, बैरिस्टर और राष्ट्रवादी मुस्लिम राजनीतिज्ञ, खिलाफत-आन्दोलनके एक नेता। यह तार आसफ अलीके १० दिसम्बर, १९२० के इस तारके उत्तरमें भेजा गया था "आपके खिलाफत कार्यकर्ताओंपर लाशका अपमान करनेका झूठा आरोप लगाया गया है। कथित फरियादीने मुकदमा दायर करनेकी अपनी अनिच्छा अधिकारियोको जता दी है पर अधिकारी मामलेको प्रज्ञेय (कॉग्निजेबिल) मानते हैं और कार्रवाई करनेपर तुले हुए जान पड़ते हैं। चूँकि शिकायत मूल रूपमें एक व्यक्ति द्वारा दर्ज करा दी गई है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या हमें अभियुक्तोंको झूठे आरोपोके खिलाफ अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेकी सलाह देनी चाहिए। क्या हम स्वयसेवक दल भग करनेके सरकारी आदेशकी अवज्ञा करें?" देखिए "टिप्पणियाँ", २२–१२–१९२० भी।

२ आसफ अलीका तार गाधीजीको ११ दिसम्बर, १९२० को मिला था।

३ देखिए "वैष्णवोंसे", ५–१२–१९२०।

करनेसे रोक सकते है, वल्कि रोकना धर्म है। रामने रावणको मारा, इससे हम जिसे रावण मानते हो उसका सहार करना धर्म है। मनुस्मृतिमे लिखा है कि मासाहार किया जा सकता है, इससे क्या वैष्णवको मासाहार करना चाहिए? बीमार होनेपर, वीमारीसे छुटकारा पानेके लिए गोमासका भक्षण भी किया जा सकता है, ऐसा मैने शास्त्री और सन्यासी होनेका दावा करनेवाले व्यक्तियोके मुखसे सुना है। अगर मैने इन सव शास्त्र-सम्मत वातोको मानकर अपने सगे-सम्वन्धियोका सहार किया होता, अग्रेजोको मार डालनेकी सलाह दी होती और वीमारीमे गोमासका भक्षण किया होता तो मेरी क्या दशा होती? मैने ऐसे समयमे अपनी बुद्धिकी, अपने हृदयकी वातको माना, उसे ही धर्म समझा, इसीसे मै वच पाया हूँ और सबको वैसा ही करनेकी सलाह देता हूँ।

इसीसे निर्मल आचरण करनेवाले तपस्वियोने हमे सिखाया है कि जो वेदादिका अध्ययन करते है लेकिन धर्मपर आचरण नही करते वे वेदवित् भले ही कहलाये लेकिन वे न स्वय तरते है और न दूसरोको ही तार सकते है। यही कारण है कि मै वेदोको कठस्थ करनेवाले अथवा उनकी टीकाओको याद रखनेवाले व्यक्तियोसे प्रभावित नही होता, उनके ज्ञानसे चकित नही होता और अपने अल्प ज्ञानको अधिक मूल्यवान समझता हूँ।

मेरे इन विचारोके कारण जब महाराजश्रीने अपने शास्त्रनिर्णयका सिद्धान्त मुझे सुनाया तव मुझे दुख हुआ, लेकिन उनकी सरलतासे मै प्रसन्न हुआ। शास्त्रका मेरेसे उलटा अर्थ करते हुए भी उन्होने यह निर्णय अवश्य दिया कि जिस स्कूलमे मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी आदि आ सकते है उसमे अन्त्यजोको दूर रखनेकी वातको न्याय नही कहा जा सकता। जो वैष्णव अनेक दुनियावी कार्योमे धन देते है, जो जुए आदिमे भी धन का अपव्यय करते है उन्हे राष्ट्रीय शालामे, जिसमें अन्त्यज भी दाखिल किये जाते हो, धार्मिक प्रतिवन्धका वहाना वनाकर दान देनेसे इनकार करनेका अधिकार नही है। किन्तु, जिन स्कूलोमे अन्त्यज जाते हो उनमे वैष्णव लोग अपने लडकोको न भेजना चाहे तो उनसे इसके लिए आग्रह नही किया जा सकता। महाराजश्रीने ऐसा व्यावहारिक निर्णय दिया।

लेकिन उनके आसपासके शास्त्रियोने जो दलीले पेश करनी आरम्भ की उनसे मै दुखी हो गया, मुझे सरलताकी जगह अपने मतके प्रति दुराग्रह ही दिखाई दिया। शास्त्री वसन्तरायजी द्वारा 'गुजराती' मे लिखा गया लेख उसका एक नमूना है।[1]

उनसे और 'गुजराती'के सम्पादकसे मै विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक सेवा करनेवाले व्यक्तिका धर्म प्रवाहकी गतिमें वह जानेका नही है वल्कि उसका धर्म अगर जन-मानसका प्रवाह गलत दिशामें प्रवाहित हो रहा हो तो उसे सही दिशाकी ओर प्रवृत्त करनेका है।

मै शास्त्रोके ज्ञानसे अनभिज्ञ हूँ, अनुभवहीन हूँ, हठधर्मी हूँ, ऐसा कहकर मुझे वैष्णव धर्मसे दूर किया जा सकना सम्भव नही है। जबतक मै यह मानता हूँ कि

१. २१-११-१९२० को **गुजराती**में प्रकाशित "गुजरात विद्यापीठ और अन्त्यज" नामक लेखमें।

वैष्णवपनकी परीक्षा सदाचरणमें है, वाद-विवाद, वाक्-चातुरी अथवा शास्त्रार्थमें नही, तबतक मैं अपने दावेको नही छोडना चाहता।

अस्पृश्यताको पाप समझना पश्चिमी विचार है, ऐसा कहना पापको पुण्य माननेके बराबर है। अखा भगतने[1] कोई पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नही की थी, लेकिन उन्होने ही कहा है कि "अस्पृश्यता अतिरिक्त" अंग है। अपने दोषोंको दूर करनेके प्रयत्नोंको उनर धर्मका अंग मानकर उनको अस्वीकार करके अपने दोषोंको बनाये रखना धर्मान्धता है और इससे धर्मका ह्रास होता है।

दलील यह दी गई है कि अस्पृश्यताका कारण घृणा नही है। ऐसी ही दलील हमारे सम्बन्धमे अंग्रेज भी देते हैं। वे हमे अपनेसे अलग रखते हैं, 'देशी' कहते हैं उनमें घृणाकी कोई भावना नही है। वे हमें अलग डिब्बोंमें बिठाते हैं सो सिर्फ 'आरोग्यकी व्याख्या'के कारण ही बिठाते है, उसमें द्वेषकी भावना नही है—ऐसा उनका दावा है। वैष्णवोंको मैंने अन्त्यजोंको इसलिए गाली देते और मारते हुए देखा है, कि वे अनजाने ही उनके शरीरसे छू गये। ऐसे व्यवहारको धर्म मानना पाखण्ड है, पाप है, ब्राह्मणके निकलते समय अन्त्यजको दीवारकी ओर मुंह करनेका आदेश देना उद्धतता है। अन्त्यजोंको जूठन देना, सडी-गली वस्तुएँ देना नीचता है। इस व्यवहारका मूल अस्पृश्यतामें है।

मैं इस तर्कको कि अन्त्यज नहाने, साफ कपडे पहननेसे शुद्ध नही हो जाते, समझ नहीं पाया हूँ। क्या अन्त्यजका अन्तःकरण मैला होता है? क्या जन्मसे ही वह मनुष्य नहीं होता? क्या अन्त्यज पशुसे भी गया-गुजरा है?

मैंने अनेक अन्त्यजोंको सरल हृदय, ईमानदार, ज्ञानी और ईश्वरभक्त पाया है। उन्हे मैं सब तरहसे वंदनीय मानता हूँ।

अन्त्यज गन्दा हो, अन्त्यजने मैला साफ किया हो तथापि स्नान न किया हो, और फिर इसलिए उसे छुआ न जाये तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वह चाहे कितना ही शुद्ध क्यों न हो परन्तु उसे छुआ न जाये, यह तो अधर्मकी सीमा है। अनेक ऐसे लोगोंको जो अन्त्यज नही हैं, मैंने बहुत गन्दा पाया है, अनेक ईसाई भी मैला ढोते हैं। डाक्टरोंका तो धर्म ही मैल धोना है, इन सबको छूनेमें हम पाप नही समझते। डिग्री-विहीन हमारे इन अपढ डाक्टरोंका अनादर करके हम पापमें पडते हैं और वैष्णव धर्मको कलंक लगाते हैं।

अस्पृश्यता और वर्णाश्रम दोनोंको शास्त्री वसन्तरामजी तथा 'गुजराती'के सम्पादक एक ही वस्तु मानते जान पडते हैं। मेरी अल्पमतिके अनुसार वर्णाश्रम धर्म है, वह शाश्वत है, व्यापक है, प्रकृतिके अनुकूल है और व्यवहारकी एक व्यवस्था है। वह हिन्दू धर्मका शुद्ध बाह्य स्वरूप है।

अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका दूषण है। सम्भवत वह कभी समाजकी अवनतिके दिनोंमें कुछ कालके लिए आपद्धर्मके रूपमे आरम्भ की गई एक व्यवस्था थी। यह अव्यापक है और शास्त्रोंमें इसका समर्थन नही किया गया है। इसके समर्थनमें जिन श्लोकोंको

१. सत्रहवी शताब्दीके रहस्यवादी कवि, अपने व्यंग्यके लिए विख्यात, वेदान्ती और हेतुवादी।

उद्धृत किया जाता है वे क्षेपक हैं अथवा उनके अर्थके विषयमें मतभेद है। वैष्णवोंने अस्पृश्यताका धर्मके रूपमें वर्णन नहीं किया। अस्पृश्यताका दिन-ब-दिन लोप होता जा रहा है। रेलमें, सरकारी स्कूलोंमें, तीर्थक्षेत्रोंमें और अदालतोंमें उसका कोई स्थान नहीं बचा। मिलों और अन्य बड़े-बड़े कारखानोंमें अन्त्यजोंसे स्पर्शास्पर्शपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह जिन वैष्णवोंको अन्त्यजोंका स्पर्श पाप समझकर करना पड़ता है उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसा विचारपूर्वक पुण्य समझकर करें। 'गीता'में भी यह कहा गया है समदर्शीके लिए ब्राह्मण, श्वान, अन्त्यज सब एक जैसे हैं।[1] 'नरसैयो'[2] भी कहता है कि वैष्णवमें समदृष्टि होनी चाहिए। वैष्णव-जन अन्त्यज-को सर्वथा अस्पृश्य मानते हुए उसके प्रति समदर्शी होनेका दावा नहीं कर सकते।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-१२-१९२०

६७. भाषण : भागलपुरमें

१२ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गांधीने श्रोताओंके समक्ष भाषण देते हुए कहा कि शैतानको शैतान-जैसे गुणोंसे नहीं हराया जा सकता। केवल ईश्वर ही शैतानको जीत सकता है, इसलिए शैतान-जैसी इस सरकारको सत्य और न्यायसे हराना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोग अंग्रेजोंकी जीवनपद्धति अपनाकर प्रगति नहीं कर सकते। हिन्दू ऋषियोंके पास कुर्सियाँ नहीं थीं; वे पेड़ोंके नीचे पढ़ाते थे। मुसलमान फकीर भी, जो मुसलमानोंकी प्रगतिके सच्चे कारण थे, कुर्सियोंपर नहीं बैठते थे; जंगलोंमें रहते थे।

इसके बाद महात्माजीने कहा कि मैं भारतीय जागृतिका कारण नहीं; वरन् लोगोंकी यह प्रतीति कि वे दासतामें पड़े हैं, जागृतिका कारण है। सरकार लोगोंको लड़ाकू हवाई जहाजों द्वारा नहीं, खिताबों, कौंसिलों, अदालतों और स्कूलों द्वारा दबाए हुए है। यदि आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको बोअरों द्वारा अपनाये गये तरीके काममें लेने चाहिए। जिनका मुझे निजी अनुभव है।[3] बोअर औरतोंने अपने बच्चोंको अंग्रेजी स्कूलोंमें नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने जो साहस दिखाया उसका भारतीय जन-तामें अभाव है। इसलिए लोगोंको सरकारसे असहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतमें औरतें सूत कातती थीं और उससे कपड़ा बुना जाता था। लोगोंको पुराना तरीका फिरसे रूढ़ करना चाहिए।

१. अध्याय ५, श्लोक १८।
२. नरसिंह मेहता।
३. दक्षिण आफ्रिकामें।

हिन्दू-मुस्लिम एकतापर बोलते हुए महात्माजीने कहा कि इस मामलेमें कोई सौदा नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्धमें बनिया होनेके बजाय आपको ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी तरह उदार हृदय होना चाहिए। सत्यका पुरस्कार सत्य ही है। इसलिए एकतामें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। किसी भी जातिके प्रति कोई अविश्वास या भ्रम नहीं रखना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी जाति भविष्यमें कहीं बहुत ताकतवर न हो जाये।

इसके बाद महात्माजीने शराब पीनेकी बुराइयाँ बताईं और कहा कि ब्रिटिश शासनमें मदरसोंकी संख्या घट गई है जब कि शराबकी दूकानोंकी बढ़ गई है। लोगोंको शराब पीनेसे उसी तरह बचना चाहिए जैसे कि सरकारको सहयोग देनेसे। सहयोग देना भी नशा है। शराबी स्वराज्य नहीं पा सकते और न गुलाम लोगोंके बच्चे अपने मालिकोंके स्कूलोंमें स्वतन्त्रताकी सीख पा सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, १७-१२-१९२०

६८. भाषण : कलकत्तेमें नेशनल मदरसेके उद्‌घाटनपर[1]

१३ दिसम्बर, १९२०

श्री गांधीने कहा कि नेशनल मदरसेका उद्‌घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी इच्छा है कि हमारी एक समान भाषा हो। यदि वह हिन्दुस्तानी हो सके तो बेहतर होगा। प्रशिक्षण इस सामान्य भाषाके माध्यमसे दिया जाये। उन्होंने कहा कि साथ ही आप उनके लिए अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजीके विभाग खोलें। जिन्हें इनमें विशेष रुचि है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यह सुनकर कि १२० विद्यार्थियोंने दाखिला ले लिया है, प्रसन्नता हुई है और मुझे आशा है कि इस तरहकी संस्थाओंमें शामिल होकर आप अच्छे ईमानदार और सच्चे विद्यार्थी बन सकेंगे। ये (संस्थापक) बड़ी भारी इमारतें बनानेमें सरकारकी बराबरी नहीं कर सकेंगे, परन्तु निश्चय ही अपनी इस छोटी-सी इमारतमें ये बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। जबतक आप अपना प्रशिक्षण स्वयं चलाना नहीं सीखेंगे और अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकेगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १४-१२-१९२०

१ मदरसेकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजादके नेतृत्वमें एक समितिने की थी।

६९. भाषण : कलकत्तामे असहयोगपर[1]

१३ दिसम्बर, १९२०

यह निश्चित है कि सारे देशमे जहाँ कही देशके विभिन्न हिस्सोके लोगोकी मिली-जुली सभाएँ और बैठके होगी उनमे अभिव्यक्तिका राष्ट्रीय माध्यम हिन्दी ही होगी। फिर भी आपमे से बहुत-सारे लोग हिन्दी नही समझते। इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि आज हम कितनी गिरी हुई अवस्थामे है, और यह एक ही तथ्य यह सिद्ध कर देनेके लिए काफी है कि आज जिस चीजकी सबसे अधिक जरूरत है, वह है असहयोग आन्दोलन। इसका उद्देश्य हमे इस अधोगतिसे उबारना है। सरकारने इस महान राष्ट्रको तरह-तरहसे नीचे गिराया है। जबतक हममे परस्पर सहयोग नही होगा तबतक हम इस सरकारके पजेसे छूट नही सकते। अभिव्यक्तिके एक राष्ट्रीय माध्यमके बिना ऐसा सहयोग भी सम्भव नही है।

लेकिन आज मै यहाँ अभिव्यक्तिके उस माध्यमकी हिमायत करने नही आया हूँ। आज मै यहाँ देशसे यह अनुरोध करनेके उद्देश्यसे आया हूँ कि वह अहिंसात्मक और क्रमिक असहयोगका कार्यक्रम स्वीकार कर ले। अपने कार्यक्रमके वर्णनमे मैने जितने शब्दोका प्रयोग किया है, सभी अत्यन्त आवश्यक है और "क्रमिक" तथा "अहिंसात्मक" दोनो विशेषण समस्त पदके अभिन्न अग है। मेरे लिए तो अहिंसा धर्मका अग है, एक सिद्धान्तकी बात है। लेकिन बहुतसे मुसलमान इसे एक नीति मानते है, और अगर लाखो नही तो हजारो हिन्दू भी इसे नीति ही मानते है। चाहे यह एक सिद्धान्तकी बात हो या नीतिकी, आप अहिंसाकी आवश्यकता और उसके मूल्य स्वीकार किये बिना भारतके करोडो लोगोको उनके राजनीतिक अधिकार दिलानेका कार्यक्रम पूरा नही कर सकते। हो सकता है, कुछ देरके लिए हिंसाके बलपर थोडी बहुत सफलता मिल जाये, लेकिन अन्तत उससे कोई खास सफलता नही मिल सकती। दूसरी ओर, हिंसात्मक कार्रवाई राष्ट्रकी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मानके लिए घातक होगी। भारत सरकारने जो नीली पुस्तिकाएँ जारी की है, उनसे प्रकट होता है कि हमारे द्वारा हिंसाका सहारा लेनेसे सरकारको सैनिक व्यय बढाते जाना पडा है, और यह हमारी हिंसाके अनुपातमें नही, कई गुना बढाया गया है। हमने हिंसासे काम लिया, इसलिए हमपर गुलामीका शिकजा और भी सख्त कस दिया गया है। भारतमे ब्रिटिश शासनका पूरा इतिहास इस बातकी साक्षी देता है कि हिंसाका प्रयोग करके हम कभी सफलता प्राप्त नही कर पाये। इसलिए, मै यह तो कहता हूँ कि जिस सरकारने इस तरह हमारे पौरुषका हरण किया है, उस सरकारकी गुलामी सहनेके बजाय मै हिंसाको ही अधिक पसन्द करूँगा, लेकिन साथ ही मै पूरा जोर

१. यह भाषण कुमार टोली पार्क, कलकत्तामें 'सर्वेंट' के सम्पादक श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्तीकी अध्यक्षतामें आयोजित सभामें दिया गया था।

देकर आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि भारत हिंसात्मक तरीकोसे पुन अपना सच्चा गौरव कभी प्राप्त नही कर सकता।

लॉर्ड रोनाल्डशेने स्वराज्यपर मेरी पुस्तिका[1] पढी, इसके लिए मै उनका आभारी हूँ। यह पुस्तक पढकर उन्होने मेरे देशभाइयोको आगाह किया हे कि वे, जैसे स्वराज्यकी कल्पना मैने इस पुस्तकमे दी है, वैसे स्वराज्यके लिए कदापि सघर्ष न करे। यो तो मै उस पुस्तिकामे से एक भी शब्द वापस नही लेना चाहता, लेकिन इस अवसरपर आपको यह बता देना चाहूँगा कि मै आज भारतसे उसमे बताये गए तरीकोपर चलनेको नही कहूँगा। अगर आप उनके अनुसार चल सके तब तो एक वर्ष क्यो, एक दिनमे ही आपको स्वराज्य प्राप्त हो जाये। भारत उस आदर्शको चरितार्थ करके सारी दुनियामे मूर्धन्य स्थान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अभी कुछ समयतक तो यह कमोबेश दिवा-स्वप्न-जैसा ही रहेगा। आज तो मै देशको एक ऐसा व्यावहारिक कार्यक्रम दे रहा हूँ जिसका उद्देश्य न्यायालयो, डाक व तार व्यवस्था, तथा रेलमार्गोका खात्मा करना नही, बल्कि ससदीय स्वराज्य प्राप्त करना है। मै आपसे यह कहता हूँ कि अगर हम सरकारसे बिलकुल अलग नही हो जाते तो स्कूलो, न्यायालयो, कौसिलो, सैनिक व असैनिक सेवाओ तथा कर-दान और विदेशी व्यापारके माध्यमसे हम उसके साथ सहयोग ही कर रहे है।

जिस क्षण हम यह समझ जायेगे और असहयोग शुरू कर देगे उसी क्षण सरकारकी इमारत भरभराकर बैठ जायेगी। अगर मुझे विश्वास हो जाये कि जनसाधारण इसी समय सारे कार्यक्रमके लिए तैयार है, तो मै उसे अमलके लिए सामने पेश करनेमे विलम्ब नही करूँगा। इस समय यह सम्भव नही है कि जो लोग कानूनका अमल करानेके लिए आयेगे, जनसाधारण उनके खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त न करे, यह भी सम्भव नही है कि बिना किसी प्रकारकी हिंसक कार्रवाई किये सैनिक अपने हथियार डाल देगे। अगर आज यह सम्भव होता तो असहयोगके सारे चरणोको मै एक ही साथ कार्यान्वित करनेको कहता। लेकिन अभी हम जनसाधारणको इतना अनुशासित नही बना पाये है। हमने तो राष्ट्रका कीमती समय वर्षो एक ऐसी भाषाको सीखनेमे बरबाद कर दिया, स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए जिसकी हमे कोई जरूरत नही है। ये सारे वर्ष हमने मिल्टन और शैक्सपियरसे स्वतन्त्रताका पाठ पढनेमे, (स्टुअर्ट) मिलकी रचनाओसे प्रेरणा ग्रहण करनेमें गँवा दिये, जब कि स्वतन्त्रताका सच्चा पाठ हम अपने ही घरमे सीख सकते थे। इस तरह हम केवल जनसाधारणसे अपने आपको अलग कर लेनेमे ही सफल हुए है। हम पाश्चात्य सभ्यताके रगमें रग गये है। इन ३५ वर्षोंमे हमने अपनी शिक्षाका उपयोग जन-मानसमे प्रवेश पानेके लिए नही किया। हम केवल जनताकी पहुँचसे परे ऊँचे मचोपर बैठकर उसे अपने भाषण पिलाते रहे है — और सो भी एक ऐसी भाषामें जिसे वह बिलकुल नही जानती। नतीजा यह है कि आज हम कोई भी बडी सभा अनुशासित ढगसे सचालित नही कर पाते, और अनुशासन तो सफलताकी कुजी हे। मैने असहयोगके प्रस्तावमे[2] जो "क्रमिक" शब्दका प्रयोग किया

१ देखिए "टिप्पणियाँ", ८-१२-१९२० ।

२ सितम्बर १९२० में कलकत्तामें आयोजित कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें पास किया गया प्रस्ताव।

है, उसका एक कारण यह भी है। अगर आप धृष्टता न समझे तो मै कहूँगा कि भारतके जन-मानसको जितना मै समझता हूँ उतना कोई भी शिक्षित भारतीय नही समझता। मेरे विचारसे, जनता अभी करकी अदायगी बन्द करनेकी स्थितितक नही पहुँची है, उसने अबतक पर्याप्त आत्म-सयम नही सीखा है। अगर मुझे यह भरोसा हो जाये कि वह अहिंसापर दृढ रहेगी तो मै आज ही राष्ट्रके बहुमूल्य समयका एक क्षण भी बरबाद किये बिना, उससे कर देना बन्द कर देनेको कह दूँ। मुझे तो भारतकी आजादीकी लगन लग गई है, और इस्लामकी आजादी भी मुझे उतनी ही प्यारी है। इसलिए अगर मुझे यह विश्वास हो जाये कि सारे कार्यक्रमपर तत्काल अमल किया जा सकता है तो मै क्षण-भरकी भी देर न करूँ।

अपने कुछ प्यारे और सम्माननीय नेताओको सभामे उपस्थित न देख कर मुझे बडा दुख हो रहा है। इस समय यहाँ सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके[1] सिंहनादका सुनाई न पडना बडी खटकनेवाली बात है। उन्होने देशकी इतनी सेवा की है, जिसका अनुमान नही लगाया जा सकता। यद्यपि आज हम एक-दूसरेसे बिलकुल विपरीत बिन्दुओपर खडे है, हमारे बीच गहरे मतभेद हो सकते है, फिर भी हमे उनको प्रकट करनेमे सयमसे काम लेना होगा। मै आपसे अपने सिद्धान्तका रच-मात्र भी त्याग करनेको नही कहता। मै तो कर्म और वचन, दोनो तरहसे अहिंसा बरतनेको ही कहता हूँ। अगर सरकारके साथ हमारे व्यवहारमे अहिंसा जरूरी है, तो अपने नेताओके साथ व्यवहारमे तो वह और भी जरूरी है। पूर्व बगालमे अभी हालमे अपने ही लोगोके विरुद्ध हिंसाकी जिन वारदातोकी खबर मिली है, उन सबको सुनकर तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। मुझे यह सुनकर बडा दुख हुआ कि हालके चुनावोमे मत देनेपर एक व्यक्तिके कान काट दिये गये और इन चुनावोमे उम्मीदवारकी तरह खडा होनेपर एक अन्य व्यक्तिके बिस्तरपर पाखाना फेका गया। इस तरह तो असहयोग कभी सफल नही होगा। जबतक हम पूर्ण स्वतन्त्र और आतकहीन वातावरण तैयार नही कर देते, जबतक हम अपने विरोधियोकी स्वतन्त्रताका भी अपनी ही स्वतन्त्रताकी तरह आदर नही करते तबतक यह आन्दोलन कदापि सफल नही हो सकता। हम अपने लिए धर्म, अन्तरात्मा, विचार और कर्मकी जिस स्वतन्त्रताकी माँग करते है, वही स्वतन्त्रता हमें उसी मात्रामे दूसरोको भी देनी चाहिए। असहयोग शुद्धीकरणकी एक प्रक्रिया है, और हमे बराबर हमसे भिन्न मत रखनेवालोके हृदय, मस्तिष्क और भावनाको जगाना चाहिए, झकझोरना चाहिए, लेकिन कभी उनके शरीरपर हाथ नही उठाना चाहिए। अनुशासन और सयम हमारे आचरणके मुख्य सिद्धान्त है, मै आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप किसी तरहके उत्पीडक सामाजिक बहिष्कारका प्रयोग भी न करे। इसलिए जब मैने दिल्लीमे एक व्यक्तिकी लाशके साथ किये गये अपमानजनक व्यवहारके बारेमें सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। अगर यह काम असहयोगियोने किया

१. सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (१८४८–१९२५), प्रसिद्ध वक्ता और राजनीतिज्ञ, १८९५ और १९०२में कांग्रेसके अध्यक्ष, बादमें उदार दलमें शामिल हो गये और मॉण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियमके अधीन बगालमें जो मन्त्रिमण्डल बना उसमें भी शामिल हुए।

था तो मेरे विचारसे उन्होने इस तरह स्वय अपनी और अपने धर्मकी भी तौहीन की।[१] मै एक बार फिर कहता हूँ कि हम हिंसाके बलपर अपने देशको मुक्ति नही दिला सकते।

मैने काग्रेसके मचसे कहा था[२] कि अगर राष्ट्र पर्याप्त उत्साह दिखाये तो स्वराज्य एक वर्षमे ही मिल सकता है, यह बात मैने पूरी गम्भीरताके साथ कही थी। वर्षके तीन महीने तो बीत ही चुके है। अगर हम स्वय अपने प्रति सच्चे है, अपने राष्ट्रके प्रति सच्चे है और जिस राष्ट्र-गीतको निरन्तर गाया करते है, उसके प्रति सच्चे है, अगर हम 'भगवद्गीता'के प्रति सच्चे है और 'कुरान'के प्रति सच्चे है तो हम इस कार्यक्रमको शेष नौ महीनेमे पूरा करके इस्लामको, पजाबको और समस्त भारतको मुक्ति दिलाकर दिखायेगे।

विशेप रूपसे शिक्षित वर्गोका ध्यान रखते हुए, मैने मर्यादित ढगका कार्यक्रम पेश किया है, जिसपर एक सालके भीतर अमल किया जा सकता है। लगता है, हम इस भ्रममे पडे हुए है कि सरकारने जिन कौसिलो, न्यायालयो और स्कूलोकी व्यवस्था की है, उनके बिना हमारा काम चल नही सकता। जिस क्षण यह भ्रम दूर हो जायेगा उसी क्षण हमे स्वराज्य मिल जायेगा। एक लाख विदेशी तीस करोड लोगोंके एक राष्ट्रके साथ मनमानी करे, यह इस सरकारके लिए भी लज्जाजनक वात है और हम सबके लिए भी। उनका हमारे साथ मनमानी कर सकना सम्भव कैसे हुआ? हमे आपसमे विभक्त करके वे हमपर शासन करते रहे है। ब्रिटिश सरकार "फूट डालो और राज्य करो" की नीतिपर ही टिकी हुई है, ह्यूमकी इस स्पष्ट स्वीकारोक्तिको मै कभी भूल नही पाता। इसीलिए मैने हिन्दू-मुस्लिम एकताको असहयोगकी सफलताके लिए सबसे बडी जरूरत माना है और इसपर खास जोर दिया है। लेकिन यह एकता मौखिक एकता नही होनी चाहिए, सौदेबाजीकी एकता नही होनी चाहिए। यह एकता हार्दिक प्रेमकी ठोस नीवपर आधारित होनी चाहिए। अगर आप हिन्दुत्वकी रक्षा करना चाहते है तो मै कहता हूँ, भगवानके लिए, मुसलमानोके साथ सौदेबाजी मत कीजिए। इधर महीनोसे मै मौलाना शौकत अलीके साथ ही घूमता रहा हूँ, लेकिन इस बीच मैने गो-रक्षाके बारेमे कभी कुछ बात नही की है। अली बन्धुओसे मेरा सम्बन्ध सत्यनिष्ठापर आधारित है। मै समझता हूँ, मेरी सत्यनिष्ठा कसौटीपर चढी हुई है, समस्त हिन्दुत्वकी सत्यनिष्ठा कसौटीपर चढी हुई है। अगर उनमे सत्यनिष्ठाका अभाव न होगा तो वे भारतके मुसलमानोके प्रति अपना कर्त्तव्य अवश्य निभायेगे। किसी प्रकारकी सौदेबाजी हमारे लिए लज्जाजनक होगी। प्रकाश प्रकाशको जन्म देता है, अन्धकारको नही, और सदुद्देश्यसे प्रेरित नेक बरतावको दोहरा पुरस्कार मिलता है। गौओकी रक्षा तो सिर्फ ईश्वर ही कर पायेगा। आज मुझसे ऐसे सवाल न पूछिए कि "गौओका क्या होगा?" जब भारत इस्लामके सम्मानकी रक्षा कर लेगा, तभी मुझसे ऐसे सवाल पूछिएगा। आप अपने राजाओसे पूछिए कि वे अपने

१ देखिए पृष्ठ ९९, पा० टि० १।

२ सितम्बर १९२० में कलकत्ता काग्रेसके अधिवेशनमें।

मेहमानोकी मेजवानीके लिए क्या कुछ करते है। वे क्या उनके लिए गोमास और गैम्पेनकी[1] व्यवस्था नही करते? पहले आप गौ-वध रोकनेके लिए उन्हे समझाइए-मनाइए और फिर मुसलमानोंके साथ कोई सौदेबाजी कीजिए। और स्वय हम हिन्दू गौओ और उनकी सन्ततिके साथ कैसा व्यवहार करते है? क्या हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते है जैसे व्यवहारकी अपेक्षा हमसे हमारा धर्म रखता है? जबतक हम अपना आचरण ठीक नही कर लेते, जबतक हम गौओको अग्रेजोसे नही बचाते, तबतक उसके लिए मुसलमानोसे कुछ कहनेका हमे कोई हक नही है। उनसे गौओको बचानेका सबसे अच्छा तरीका उनकी इस विपदकी घडीमे बिना किसी शर्तके उनकी सहायता करना है।

इसी तरह पजाबके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है? जिस दिन किसी एक भी पजाबीको अमृतसरकी उस गन्दी गलीमे पेटके बल रेगनेको मजबूर किया गया था, उस दिन दरअसल सारा भारत इस अपमानको झेलनेके लिए मजबूर किया गया था, जब एक उद्धत अधिकारीने मनियाँवालाकी निर्दोष स्त्रियोके बुरके खोले थे, उस दिन उसने दरअसल भारतके समस्त स्त्री-समाजके चेहरेको बेपर्दा किया था, भारतका समस्त बाल समुदाय उस दिन अपमानित किया गया था, जिस दिन पजाबके मार्शल लॉ क्षेत्रमे नन्हे स्कूली बच्चोको निश्चित स्थानोपर जाकर हर रोज चार बार हाजिरी और ब्रिटिश झडेको सलामी देनेपर मजबूर किया गया था। इस अमानवीय आदेशके कारण सात-सात वर्षके दो बच्चोको लूकी चपेटमे पडकर प्राण गँवाने पडे थे, उन्हे दोपहरकी तपती धूपमे खडे रहनेको मजबूर किया गया था।[2] मेरे विचारसे जबतक यह सरकार उचित पश्चात्ताप करके अपने अपराधोका परिमार्जन नही करती तबतक इसके सरक्षण-मे चलनेवाले स्कूलो और कालेजोमें जाना पाप है। जब हम याद करते है कि पजाबमें इसी सरकारके न्यायालयोने निरीह लोगोको कारावास और मौतकी सजाएँ दी थी, तब अगर हममे आत्म-सम्मान है तो हम इन न्यायालयोमे अपने मामले कैसे पेश कर सकते है? स्वेच्छापूर्वक इस सरकारकी सहायता करना या उससे कोई सहायता लेना इन अपराधोमे साझेदार बनना है।

भारतकी स्त्रियाँ इस सघर्षके आध्यात्मिक स्वरूपको सहज ही समझ गई है। हजारो स्त्रियाँ अहिंसात्मक असहयोगका सन्देश सुननेके लिए सभाओमें आती है और स्वराज्य-प्राप्तिका काम आगे बढानेके लिए मुझे अपने बहुमूल्य जेवरात भेंट करती है। लोगोने अपने उत्साहका अद्भुत परिचय दिया है। फिर अगर मै यह मानता हूँ कि एक सालके अन्दर स्वराज्य मिल सकता है तो इसमे आश्चर्यकी क्या बात है? भारतकी स्त्रियोने जो उत्साह दिखाया है, उसका मूल्य अगर मै कम करके आँकू तो इसका तो यह मतलब होगा कि मुझे ईश्वरमें पूरी आस्था नही है। आशा है, विद्यार्थीगण अपना कर्त्तव्य निभायेंगे। राष्ट्र निश्चय ही यह अपेक्षा भी करता है कि जो वकील-समाज आजतक जन-आन्दोलनका नेतृत्व करता आया है, वह इस नई जागृतिको अवश्य पहचानेगा।

१. एक तरहकी विलायती शराब।
२. तात्पर्य १९१९ के पजाबके उपद्रवोसे है, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२२।

मैंने अंग्रेजोके प्रति कडे शब्दोका प्रयोग किया है, लेकिन बहुत सोच-समझकर। मै बदलेकी भावनासे प्रेरित नही हूँ। मै अंग्रेजोको अपना शत्रु नही मानता। उनमे से बहुत-से लोगोकी योग्यताका मै कायल हूँ। बहुत-से अंग्रेजोकी मैत्रीका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है, लेकिन आज अंग्रेजी शासनका जो स्वरूप है, उसका मै पक्का दुश्मन हूँ, और अगर इसे सुधारा नही जा सकता ——और अगर किसी एक व्यक्तिकी शक्तिसे, तपस्यासे इसे ध्वस्त किया जा सकता हो —— तो मै इसे अवश्य ध्वस्त कर दूं। जो साम्राज्य अन्याय और विश्वासघातका प्रतीक बन जाये और फिर भी अगर उसके कर्त्ता-धर्त्ता अन्याय और विश्वासघातके लिए पश्चात्ताप नही करते तो उसे बने रहनेका कोई अधिकार नही है। असहयोगकी योजना राष्ट्रको न्याय प्राप्त करनेमे सक्षम बनानेके लिए ही तैयार की गई है।

मुझे आशा है कि आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमे बगाल उचित योगदान करेगा। जब सारा भारत सो रहा था, उस समय बगालने ही स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षाका शुभारम्भ किया।[1] मै आशा करता हूँ कि शुद्धीकरण और आत्मत्यागके द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने और खिलाफत तथा पजाबके लिए न्याय प्राप्त करनेके इस आन्दोलनमे बगाल सबसे आगे रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, २२–१२–१९२०

७०. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

कलकत्ता
१४ दिसम्बर, १९२०

तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम मुझे भार नही लगता। वह तो मेरे जीवनके बडेसे-बडे सुखोमे से है। इस प्रेमका आधार तुम्हारे प्रति मेरा यह विश्वास ही है कि आखिरकार तुम्हारा हृदय निर्मल है। यह प्रेम तभी नि शेष होगा जब मै तुम्हे इसके विपरीत पाऊँगा। अगर मेरा प्रेम तुम्हारे अच्छेसे-अच्छे गुणोको निखारकर उद्घाटित नही कर देता, अगर वह तुम्हे आजकी अपेक्षा अधिक अच्छा और अधिक पवित्र नही बनाता तो उसका कोई मतलब ही नही रह जाता। मै अपने इस प्रयत्नमे तुम्हारे साथ कडा व्यवहार करते दिखूं तब भी तुम बुरा न मानना। खैर, अभी तो मै तुम्हे परख रहा हूँ और कोशिश यही करूँगा कि कोई ऐसा व्यवहार न करूँ जो तुम्हे बुरा लगे।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१. यह १९०५-६ की बात है, जब सरकारके बग-भगके प्रस्तावके विरुद्ध जबरदस्त जन-आन्दोलन हुआ था।

७१. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, कलकत्तामें

१४ दिसम्बर, १९२०

महात्मा गांधीने सभामें अपने भाषणका आरम्भ श्रोताओंको "मेरे सह-विद्यार्थियो" सम्बोधनसे किया। उन्होंने कहा : हालाँकि मैं किसी राष्ट्रीय अथवा सरकारके तत्त्वावधानमें स्थापित विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध किसी कालेजमें नहीं पढ़ता; लेकिन मैं समझता हूँ कि हर समझदार आदमीको जीवनभर विद्यार्थी बना रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदयने और गांधीजीसे पहलेके दो अन्य वक्ताओंने श्रोताओंसे कहा था कि वे स्कूल और कालेज छोड़नेके बारेमें आज शामको ही फैसला कर लें। महात्मा गांधीने उसका उल्लेख करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी कोई बात न करें। मेरी सलाह है कि आप आज ही कोई फैसला न करें। मैं चाहता हूँ कि आप भावनाओंमें न बहें, बुद्धिसे काम लें। आज शामको कोई फैसला करनेके बजाय आप अपने-अपने कमरोंमें जायें और ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह आपको रास्ता दिखाये। आप उस रास्तेपर चलें। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा सन्देश उन लोगोंके लिए नहीं है जिनका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वरमें नहीं है और जो यह नहीं मानते कि वही सब कार्योंमें हमारा मार्गदर्शन करता है।

उन्होंने अपने भाषणके विषयपर आते हुए कहा : हमारा कार्य कोई छोटा-मोटा कार्य नहीं है। हमारे सामने जो परिस्थिति है, वैसी परिस्थिति ब्रिटिश राज्यकी स्थापनासे लेकर आजतकके इस लम्बे कालमें शायद कभी नहीं आई। ब्रिटिश सरकारने इस्लामकी पीठमें छुरा भोंका है। सभी जानते हैं कि श्री लॉयर्ड जॉर्जने[1] भारतके मुसलमानोंको गम्भीरतापूर्वक यह वचन[2] दिया था और इस वचनको उन्होंने मुसलमानोंके लिए, और खास तौरसे भारतके मुसलमानोंके लिए कई बार दुहराया था कि टर्कीकी सम्पूर्ण प्रभुसत्ताको अखण्ड रखा जायेगा। श्री लॉयर्ड जॉर्ज अब इस वचनसे मुकर गये हैं और उन्होंने टर्कीके सुल्तानसे कुस्तुन्तुनिया, थ्रेस, स्मर्ना और एशिया माइनरके सभी अच्छे प्रदेश छीन लिये हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि कुस्तुन्तुनिया तुर्कोंके ही अधिकारमें है; लेकिन मैं कहता हूँ कि सुलतान अपने राज्यमें रहते हुए भी कुस्तुन्तुनियामें कैद हैं। उनका मेसोपोटामियाका इलाका अंग्रेजोंके कब्जेमें है और सीरिया फ्रांसीसियोंके। मुसलमानोंके दिलोंका यह घाव जबतक भर नहीं जाता, तबतक

१. १८६३–१९४५, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, प्रधानमन्त्री, १९१६-२२।

२. लॉयड जॉर्जने ५ जनवरी, १९१८ को यह घोषणा की थी. "हम टर्कीसे उसकी राजधानी या उसके एशिया माइनर और थ्रेसके समृद्ध और प्रसिद्ध प्रदेशोंको — जिनमें तुर्कोंका बहुमत है — छीननेके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमें इसपर कोई आपत्ति नहीं कि तुर्क जाति जहाँ बसी हुई है उन प्रदेशोंमें तुर्कोंका साम्राज्य कायम रहे और उसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया हो।"

रिसता रहेगा, और यदि हिन्दू अपने मुसलमान भाइयोंके प्रति अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहते हैं तो उन्हें मुसलमानोंके इस संकट-कालमें उनका साथ देना चाहिए। इसी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाबमें जो कुछ किया गया उससे भारतके हृदयको आघात पहुँचा है लेकिन उसे इसके लिए कोई पश्चात्ताप नहीं होता। वह भारतीयोंसे कहती है कि वे उन अन्यायोंको भूल जायें। टर्कीकी सन्धिके मामलेमें भी वह केवल अपनी लाचारी प्रकट करती है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या भारतीय अपने आत्म-सम्मान और गौरवको ध्यानमें रखते हुए ऐसी सरकारका साथ देते रह सकते हैं जिसने पंजाबमें अत्याचार किये हैं, जिसपर टर्कीकी सन्धिकी जिम्मेदारी है और जिसके शासनमें निर्दोष लोग मारे गये हैं।

अब भारतको तय करना है कि वह क्या चाहता है। मुझे यह माननेमें कोई झिझक नहीं कि यदि इन दो अत्याचारोंके बाद भी हमारी नींद नहीं टूटती तो असहयोग आन्दोलनकी बात करना ही बेमतलब होगा। यदि हम ऐसी सरकारका साथ देते रहते हैं तो हम एक राष्ट्र कहलानेके अधिकारी ही नहीं रह जाते। जबतक वह इन अन्यायोंका परिमार्जन नहीं करती, हम सहयोग नहीं कर सकते। संकट-ग्रस्त लोगोंके सामने दो रास्ते होते हैं या तो वे हथियार लेकर लड़ें या सरकारसे असहयोग करें। समस्त भारतके लोगोंने यह स्वीकार कर लिया है कि वे हथियार उठानेमें असमर्थ हैं। मेरी दृष्टिमें हथियार लेकर लड़ना पाप है, यद्यपि बहुसंख्यक मुसलमान और खासी बड़ी संख्यामें हिन्दू हथियार न उठाना केवल नीतिके रूपमें ही ठीक मानते हैं। यह एक मानी हुई बात है कि [आज] हथियारोंसे लड़ना असम्भव है। तब हम उस सरकारसे कैसे निबटें जो एक लाख अंग्रेज सैनिकोंकी मददसे ३० करोड़ लोगोंको गुलाम बनाये हुए है?

दूसरा सवाल यह है कि सरकार भारतको गुलाम कैसे बनाये हुए है? [हमारे सहयोगके बलपर]। मैं तो कहता हूँ कि यदि हम सभी हर प्रकारका सहयोग देना बन्द कर दें तो यह सरकार तुरन्त लड़खड़ाकर गिर पड़ेगी और नष्ट हो जायेगी। जबतक हम अदालतों, कौंसिलों और स्कूलोंके जरिये इस सरकारसे सहयोग करते हैं, हम गुलाम हैं। मैं तो इन तीनोंको ही माया या भ्रम कहता हूँ। जबतक हम यह मानते हैं कि हम जिस सरकारको संरक्षण देते हैं या जिसके अनुशासनको मानते हैं उसके द्वारा नियन्त्रित संस्थाओंके बिना हमारा काम नहीं चल सकता — अदालतोंके बिना हमें न्याय नहीं मिल सकता, कौंसिलोंके बिना हमारे कानून नहीं बन सकते और सरकारी स्कूलोंके बिना शिक्षा नहीं हो सकती — तबतक हम गुलाम रहेंगे। आज विद्यार्थियोंके सम्मुख प्रश्न कर्त्तव्यका है। जबतक छात्रगण शिक्षाके अकालका सामना करनेके लिए तैयार न हों, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने कर्त्तव्यका पालन कर रहे हैं। आपके सामने प्रश्न बहुत सीधा-सादा है — इन स्कूलोंमें व्याप्त ताना-शाही-जैसे वातावरणसे आपको अरुचि हुई है या नहीं, आपके समूचे व्यक्तित्वमें यह

द्रोह-भावना उत्पन्न हुई है या नहीं कि आप इस सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे? मैं जो बात कहता हूँ वह बहुत सीधी-सादी है। यदि हममें अभी राष्ट्रीय चेतना नहीं आई है, यदि हमारे अन्दर राष्ट्रीय आत्मसम्मानका कोई भाव नहीं है, तो मैं जो असहयोगकी पैरवी करता हूँ उसमे कोई जान ही नहीं रह जाती। मुझे बोअर-युद्धकी एक घटना याद आती है। जब राष्ट्रपति क्रूगरने[1] ब्रिटिश सरकारको चुनौती दी, तो सभी छात्र स्कूलोंसे निकल आये और उनकी पढाईकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके विपरीत वे खन्दकोमें लड़ते और लड़ाईके मैदानमें घायलोंकी मदद करते हुए दिखाई पड़ते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी पढ़ाई बन्द होनेसे उनका मानसिक विकास रुक जायेगा। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बैरिस्टरीके कालेजोंने अपने विद्यार्थियोको युद्ध-क्षेत्रमें कैसे भेजा था? वे क्या खन्दकोमें लड़ने नहीं गये? मैंने स्वयं उनमें से कुछको लेकर बीमारो और घायलोकी सहायताके लिए एक आहत-सहायक दल बनाया था। इसके लिए उसी सरकार द्वारा मेरी सेवाकी कृतज्ञतापूर्वक सराहना की गई थी, जिसके साथ सहयोग करना मुझे अब असम्भव लगता है। सबके दिलोमें एक ही चाह थी कि दुश्मनको हराया जाये। भारतके लिए आज वही चीज दावपर लगी हुई है, जो उस समय इंग्लैंडके लिए लगी हुई थी। इग्लैंड अपने अस्तित्वके लिए, अपने सम्मानके लिए लड़ रहा था। चूँकि इग्लैंडके सम्मानपर आक्रमण किया गया था, इसलिए वह अपने सर्वस्वकी बलि देनेको तैयार था। क्या भारत भी वैसी ही स्थितिमें नहीं पहुँच गया है? क्या भारतमें आत्मसम्मानकी इतनी चेतना है कि उसका हृदय इस अपमानसे तिलमिला उठे और जब उसके जीवन और सम्मानका सवाल खड़ा है तो उनकी रक्षाके लिए वह वैसा ही बलिदान करनेको तैयार हो?

इसके बाद, उन्होंने सभामें उपस्थित लोगोको वे दो पत्र दिखाये, जिनमें विद्यार्थियोंने पूछा था कि कालेज छोड़नेके बाद हम क्या करेंगे, कहां जायेंगे? महात्मा गांधीने कहा: आप लोगोंके लिए मेरा यही सन्देश है कि आप सभी सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलोको छोड दें, यह हमारे सम्मानकी रक्षाके लिए जरूरी है। सरकारके साथ किसी भी तरहसे सहयोग करना गलत है। स्कूल और कालेज छोडनेके बाद आप क्या करेंगे? आप पत्थर फोड़ सकते हैं और भारतके बदबू भरे तबेलोको झाड़-बुहार कर साफ-सुथरा बना सकते हैं। मैं आपसे कोई वादा या सौदा करना नहीं चाहता। यह तो आपका कर्त्तव्य है; और इसके लिए किसी पुरस्कारकी कोई जरूरत नहीं। यह एक ऐसा ऋण है, जो जान देकर भी चुकाया जाना चाहिए। आपको इसका पुरस्कार स्वर्गमें मिलेगा, इस दुनियामें नहीं। आपको यहां जो पुरस्कार मिलेगा, वह स्वतन्त्रता है। लेकिन सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूल उन्हें ही छोड़ने चाहिए जिन्हें स्कूल जानेपर हर बार घुटन महसूस होती है। [उन्होंने आगे कहा:]

१. एस० जे० पॉल क्रूगर (१८२५-१९०४), ट्रान्सवालके राष्ट्रपति, १८८३-१९०० ।

यदि आप सोचते है कि स्कूलो और कालेजोमे रह कर आप अपनी वुद्धिका विकास कर सकते है, तव आप उन्हे न छोडें। और यदि यह सोचें कि इन स्कूलोमे रहकर आप स्वतन्त्रताको नजदीक ला रहे है तो स्कूलोमें पढ़ते रहना आपका परम कर्त्तव्य है। और आप यदि इनमे जाना वन्द नही करते तो आपको अपने वचनके अनुसार अपनी सस्थाके प्रति वफादार रहना चाहिए क्योकि प्रारम्भसे ही आपसे इसकी आशा रखी जाती है। आपको ढोगी नही वनना चाहिए, ऐसा नही होना चाहिए कि आप उनमें जाते भी रहे और मनमें उनके प्रति अश्रद्धा भी हो। मनमे अश्रद्धा होनेपर यह आपका परम कर्त्तव्य है कि आप स्कूल-कालेज केवल छोड ही न दें, वल्कि खुल्लमखुल्ला घोषणा कर दें कि आपका उद्देश्य इस सम्पूर्ण व्यवस्थाको तहसनहस करना है। एक वार मै फिर कहता हूँ कि मैं केवल आपकी भावुकताको नही उभारना चाहता, वल्कि चाहता हूँ कि आप अपनी वुद्धि और हृदय दोनोसे काम लें। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी वात ध्यानसे सुने और उसपर कुछ समयतक उचित विचार करनेके वाद ईश्वरके सम्मुख अपना निर्णय करे। यदि आप यह समझ लेगे कि कालेज छोडना कर्त्तव्य है, तो फिर आप वहाँ एक भी दिन और न रह पायेंगे। आप दिलमें वदलेकी भावना रखकर, भविष्यमे कभी वदला निकालनेका अवसर पानेकी उम्मीदमें इन सस्थाओमें जाते रहे यह भी नही हो सकता। [गाधीजीने आगे कहा]

वैसे इतिहासमें कपटपूर्ण आचरणके अनेक उदाहरण मिलते है। सम्भव है कि ऐसी परिस्थितिमें पडकर अन्य राष्ट्र कपटपूर्ण आचरणका सहारा लेते, लेकिन असहयोग आन्दोलनमें वह नहीं किया जा सकता। यह तो शुद्धीकरणकी प्रक्रिया हैं, और इसमें ईश्वरकी सहायताकी अपेक्षा रहती है, मनुष्यकी नहीं। इसमें आवश्यकता इस वातकी है कि एक उच्च, आदर्शपूर्ण ढगसे अपने उद्देश्यके लिए वडेसे-वडा वलिदान किया जाये। इसलिए जव मुझे इस विचारका कोई व्यक्ति मिलता है कि छात्रोको स्कूलोमें तो वने रहना चाहिए, किन्तु उन्हे इन सस्थाओके प्रति दुर्भावना रखनी चाहिए और मौका मिलनेपर इन स्कूलोके खिलाफ मरणान्तक प्रहार करना चाहिए, तव मुझे बहुत दु ख होता है। यदि हममें हमारे प्राचीन ऋषियोका तनिक भी तेज शेष है, यदि मुसलमानोमें इस्लामको वर्तमान रूप देनेवाले फकीरोके प्रति कुछ भी सम्मानका भाव है और वे 'कुरानको' ठीक तरहसे पढ़ते है, तो वे देखेंगे कि दोनों धर्मोमें कपट और वेईमानीके लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे मामलेमें छलकी कोई गुजाइश नहीं है। हमारी लडाई तो शुद्ध धार्मिक लडाई है। यदि हम शैतानके तरीको-से काम लेगे तो निश्चय ही असफल रहेगे। तव विद्यार्थियोको क्या करना चाहिए? मै पहले ही कह चुका हूँ कि मै कोई सौदेबाजी करनेके लिए नहीं आया हूँ। लेकिन मै आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि आप सामूहिक रूपसे स्कूलोसे वाहर चले आयेंगे तो राष्ट्रीय सस्थाओकी कमी न रहेगी। वे सभी नेता, जो इस समय सोते

जान पडते है, जाग जायेंगे और आपके लिए स्कूल और कालेज स्थापित कर देंगे। गुजरातमें ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सूरतमें भी। इन नेताओका दोष क्या है? अहिंसात्मक असहयोगमें उनका विश्वास नहीं है; इसीलिए उन्होने कोई उत्साह नहीं दिखाया है। किन्तु यदि सभी विद्यार्थी स्कूल छोड दें तो मुझे आशा है कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भी हमारा साथ देंगे। मै यही चाहता हूँ कि इन स्कूलो और कालेजोका बहिष्कार करके आप अपने पैरोपर खडे हो, यह न हो कि एक गुलामीमें से निकल कर दूसरी गुलामीमें फँस जायें। मै चाहता हूँ कि विद्यार्थी पूरी तरह अपने पैरोपर खडे हो, वे नया जीवन व्यतीत करते हुए स्वतन्त्रताकी प्राणप्रद वायुमें साँस ले और अपने असहाय होनेकी भावनाको स्वावलम्बनमें बदल दें।

अन्तमें गांधीजीने माता-पिताओके प्रति विद्यार्थियोका कर्त्तव्य बताते हुए कहा: मै यहाँ केवल उन्हीं विद्यार्थियोकी स्थितिपर विचार कर रहा हूँ जो १६ वर्षसे अधिक आयुके है। हिन्दू यह मानते है कि १६ वर्षकी आयुके बाद पुत्र मित्रवत् हो जाता है। मै यह नहीं चाहता कि छात्र निरकुश होकर माता-पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करें। यदि आपको यह विश्वास हो कि आप सही रास्तेपर है तो आप उन्हे अपनी बात हाथ जोड़कर समझायें। आप उन्हे यह विश्वास दिलानेका प्रयत्न करे कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। तब कोई भी माता-पिता अपने बेटेकी रायका अनादर नहीं करेगे। माता-पिताओके दिमाग एक खास तरहके साँचेमें ढल चुके होते है, लेकिन आपके दिमाग तो स्वच्छ और ग्रहणशील है। इसलिए मतभेद तो हो सकते है। किन्तु हर्गिज आप अपने माता-पिताओकी रायके मुकाबले मेरी राय पसन्द न करें। हाँ, मेरी रायपर आपको विश्वास हो जाये तो आपको अपने माता-पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करनेका अधिकार है। मै आपसे फिर कहता हूँ कि आप भावावेशमें आकर कोई काम न करे। क्षणिक आवेशमें आकर आप स्कूलो और कालेजोको छोड बैठें और फिर उनमें वापस जायें -- इससे तो आपका वहाँ बने रहना ही ज्यादा ठीक है। उतावलीमें काम करनेका नतीजा तो केवल यही होगा कि आपको फिर कभी अपना सकल्प तोडना पडेगा और इस प्रकार बेइज्जत होना पड़ेगा। आप कोई कदम उठानेसे पहले पचास बार सोचे। आप अपने मित्रो, माता-पिताओ और शिक्षकोसे परामर्श करे, और यदि फिर भी आपका विश्वास यही हो कि आप सही रास्तेपर है तो आप स्कूल और कालेज छोड दें।

स्कूल और कालेज छोड देनेपर भी आप उन विद्यार्थियोकी [देश] भक्तिको कम न मानें जिन्होने स्कूल और कालेज नहीं छोडे है। मैंने बहुधा देखा है कि जो छात्र स्कूल और कालेज नहीं छोडते उन्हें ताने दिये जाते है। आप जो स्वतन्त्रता अपने लिए चाहते है, वही स्वतन्त्रता दूसरोको भी दी जानी चाहिए। सभाओंमें भी आप हो-हल्ला करने या तालियाँ बजानेका पाश्चात्य देशोका तरीका न अपनायें। इससे कोई सहायता तो मिलती नहीं, उल्टे विचार-प्रवाह रुकता है। आपके सम्मुख कोई भी

वक्ता क्यो न आये, आप सभीके भाषण समान आदरसे सुनें। आपके सामने जो काम है उसे पूरी लगनसे किया जाना है; इसलिए आपको चाहिए कि आप एकाग्र होकर उसमें जुट जायें। यदि आप चाहते है कि भारत एक वर्षमें स्वतन्त्र हो जाये, तो आप इस कार्यमें अपनी समूची शक्ति लगा दें।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १६–१२–१९२०

७२. टिप्पणियाँ

बगालमें दमन

भारत सरकारने असहयोगके सम्बन्धमें एक विज्ञप्ति[1] निकाली है। इसमे कहा गया है कि जबतक असहयोग आन्दोलन अहिंसात्मक बना रहेगा और जबतक वक्ता-गण नेताओ द्वारा निर्धारित मर्यादाओसे बाहर नही जायेंगे, तबतक कमसे-कम फिल-हाल कोई दमन नही किया जायेगा। यह पढनेमे अच्छा लगता है। मैंने उसी समय कह दिया था कि इसमे कोई ज्यादा सचाई नही। दमन चल रहा है, इस बातके सबूत मुझे लगातार मिल रहे हैं। और अब तो नकाब उतर चुकी है। अब मुकदमोका ढोग खतम कर दिया जायेगा और उनकी जगह भारत रक्षा कानूनके अन्तर्गत निकाले गये आदेशोसे काम लिया जायेगा। यहाँ कलकत्तासे जारी किया गया एक आदेश दिया जा रहा है

> चूँकि कलकत्ताके पुलिस-कमिश्नरकी यह राय है कि आप, कलकत्ताके नगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यजी ऐसे उत्तेजनापूर्ण सार्वजनिक भाषण देते हैं जिनसे अप-राधोको उत्तेजना मिलने, सार्वजनिक शान्तिभग होने और कानून एव कानूनी सत्ताके खिलाफ प्रतिरोध पैदा होने और उसके प्रति घृणा फैलनेकी सम्भावना है, इसलिए १ जून १९१० तक सशोधित रूपमें भारतीय दण्ड सहिताके १८६६ के अधिनियम 'क' (ए)की धारा ३, खण्ड ६२-क और १८६६ के अधिनियम ११ की धारा ३ के खण्ड ३९ क के अन्तर्गत उनको सौंपी गई शक्तियोके अनुसरणमें, पुलिस कमिश्नर आपको आदेश देता है कि आप, नगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यजी आज, ६ नवम्बर, १९२० की तारीखसे एक वर्षतक कलकत्ता नगर और उसके उप-नगरोकी सीमाओमें कोई उत्तेजनापूर्ण सार्वजनिक भाषण न दें।

इस आज्ञापर ६ नवम्बरकी तारीख पडी है। यह पुरानी चाल है। कारण कुछ भी नही बतलाया गया है, उपद्रव होनेका एक अनिश्चित भय प्रकट किया गया है

१ नवम्बर, १९२० में जारी की गई।

और उसीको एक नवयुवककी आवाज वन्द करनेका काफी कारण माना गया है। मुकदमा चलानेके ढोगसे भी एक उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होता है। उससे अभियुक्त इतना तो जान लेता है कि उसकी स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्ध लगानेका कारण क्या है। ऊपर जो आदेश उद्धृत किया गया है, उसके अन्तर्गत श्री नगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य भी यह नही जान पाये कि उनका अपराध क्या है, फिर जनताकी तो वात ही क्या। इसपर भी कुछ ऐसे लोग है जो आश्चर्यके साथ पूछते है कि इस देशमे घृणा क्यो है; और तव वे उसका कारण सरकारकी धूर्तता और असहिष्णुता नही, वल्कि असहयोग ही वताते है — वही असहयोग जो इस घृणाको नियन्त्रित करने और अन्तत समाप्त करनेका एकमात्र उपाय है।

पंजाबमें भी

कानूनके जरिये किये जानेवाले दमनके अलावा, एक प्रशासनिक दमन भी होता है, इस प्रशासनिक दमनके मामलेमे पजाव वगालसे पीछे नही है। मौलाना जफर-अली खाँपर मुकदमा चलाकर उन्हे सजा दी ही गई थी। अव आगा सफदरको भी, जो वडे ही खरे चरित्रके कार्यकर्त्ता, अपने क्षेत्रके वहुत प्रभावशाली व्यक्ति और खिलाफत-समितिके मन्त्री है, यह प्रशासनिक आज्ञा दी गई है कि वे सार्वजनिक सभाओंमें भाषण न दे। अभी मैंने इस आशयका एक तार ही देखा है। मै इस मामलेमें आगे और जाँच कर रहा हूँ। लेकिन इस खवरकी सचाईमे सन्देह करनेका कोई कारण नही जान पडता। यदि इसे सच मान ले, तो इस आज्ञासे प्रकट होता है कि पजाव-सरकार भाषणकी स्वतन्त्रताको सहन नहीं कर सकती। लाला लाजपतरायने[1] लेफ्टिनेंट गवर्नरको लिखे गये अपने तीखे पत्रोमे यह साफ वता दिया है कि सर माइकेल ओ'डायरके शासनमे पजावियोकी जैसी हालत थी, सर एडवर्ड मैकलेगनके[2] शासनमें कुछ उससे ज्यादा अच्छी नही है। नि सन्देह, सर एडवर्डके तरीके वैसे मनमाने नही है जैसे सर माइकेल ओ'डायरके होते थे। किन्तु पजावियोको इससे क्या लाभ कि उनको जिस जजीरमे वाँध रखा गया है वह सोनेकी है या लोहेकी? धोखा देनेवाली सोनेका पानी चढी जजीरोंसे तो साफ दिखनेवाली असली लोहेकी जजीरे हमेशा ही अच्छी रहती है। क्या अधिक नरम किस्मके वर्तमान प्रशासनिक तरीकोंके कारण, पजाव तत्त्वत कुछ ज्यादा स्वतन्त्र है? क्या लोग ज्यादा आत्म-गरिमाका अनुभव करते है? अव समय आ गया है जव हमें सच्ची स्थिति समझ लेनी चाहिए। भारतके प्रशासनके पीछे जो भावना है वह वुरी, अपमानजनक और दासताके वन्धन दृढ करनेवाली है। इसलिए जो हमपर शासन करता है वह देवता है या दानव, इसमें कोई फर्क नही पडता। मैंने आगा सफदरके मामलेका जो हवाला दिया है उसका मतलब सिर्फ यह वताना है कि सरकार जो वडी-वडी घोषणाएँ करती है, उसके कारनामोंसे वे झूठी पड जाती है।

१. १८६५–१९२८, समाज-सुधारक और पत्रकार, पंजाबके राष्ट्रवादी नेता।
२. २६ मई, १९१९ को पंजाबके लेफ्टिनेन्ट गवर्नर बने थे।

कुछ शकाएँ

बाबू जनकधारी प्रसाद चम्पारनमे मेरे सहयोगी थे।[1] उन्होने मुझे एक लम्बा पत्र लिखकर उसमे अपना यह विश्वास प्रकट किया है और अपने इस विश्वासके कारण भी गिनाये है कि भारतको एक बडा भारी उद्देश्य पूरा करना है और उसका यह उद्देश्य अहिंसात्मक असहयोगसे ही पूरा हो सकता है। लेकिन उनकी कुछ शकाएँ है। वे चाहते है उनका उत्तर मै सार्वजनिक रूपसे दूं। पत्र लम्बा है, इसलिए मै उसे यहाँ नही छाप रहा हूँ, लेकिन उनकी शकाएँ विचारणीय है और मुझे उनका उत्तर देनेका प्रयत्न करना ही चाहिये। बाबू जनकधारी प्रसादने उनको इस रूपमे रखा है।

> **(क) क्या असहयोग आन्दोलनसे अंग्रेजो और भारतीयोके बीच एक तरहकी जातीय घृणा पैदा नहीं हो रही है और क्या यह मानवमात्रमें प्रेम और भाई-चारेकी ईश्वरीय योजनाके अनुकूल है? (ख) क्या 'शैतान', 'दानवी' आदि शब्दोके प्रयोगसे ऐसा एक भाव नहीं टपकता जो भाईचारेके विरुद्ध है और क्या उससे घृणाको उत्तेजना नहीं मिलती?**
>
> **(ग) क्या असहयोग-आन्दोलन कथनी और करनी दोनो ही में पूर्णतया अहिंसात्मक और भावावेशरहित ढगसे नहीं चलाया जाना चाहिए?**
>
> **(घ) क्या आन्दोलनके नियन्त्रणसे बाहर हो जाने और हिंसापूर्ण बननेका कोई खतरा नहीं है?**

प्रश्न (क)के सम्बन्धमे मुझे कहना ही चाहिए कि यह आन्दोलन जातीय घृणा "पैदा" नहीं कर रहा है। जैसा मै कह चुका हूँ, इसके द्वारा [पहलेसे मौजूद घृणाको] एक सयत अभिव्यक्ति मिलती है। आप बुराईका उन्मूलन उसको नजर-अन्दाज करके नही कर सकते। चूंकि मै सब लोगोमे भाईचारा बढाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया है ताकि भारत आत्मशुद्धिके जरिये अधिक अच्छे ससारका निर्माण कर सके।

प्रश्न (ख)के सम्बन्धमे मै जानता हूँ कि "शैतानी" जैसे शब्द कडे है, लेकिन उनसे सत्य यथार्थ रूपमे व्यक्त होता है। ये व्यक्तियोके नही, एक प्रणालीके सूचक है। यदि हम बुराईसे बचना चाहते है तो हमे उससे घृणा अवश्य करनी पडेगी। लेकिन असहयोगसे हम बुराई और बुराई करनेवालेमे अन्तर कर सकते है। यदि मेरा कोई भाई कोई खास आसुरी काम करता है तो मुझे उसको बतानेमें कोई कठिनाई नही होती, मुझे इसका कारण उसके प्रति मेरे मनमे पहलेसे घृणा रहना नही जान पडता। असहयोग हमे यह सिखाता है कि यदि हमारे साथियोमे कोई दोष हो तो उन दोषोकी उपेक्षा किये बिना हम उनसे प्रेम कर सकते है।

प्रश्न (ग)के सम्बन्धमें आन्दोलन निश्चय ही विशुद्ध अहिंसात्मक आधारपर चलाया जा रहा है। यह सच है कि सब असहयोगियोने अभीतक इस सिद्धान्तको पूरी तरह अपनाया नही है। लेकिन इससे तो यही पता चलता है कि हमें कितनी

१. १९१७ के आन्दोलनके समय।

बुराई विरासतमे मिली है। आन्दोलनमे भावुकता तो है, और यह रहेगी। जिस आदमीमे भावुकता नही होती, उसमे कोई भावना भी नही होती।

प्रश्न (घ)के बारेमे आन्दोलनके हिंसात्मक रूप लेनेका खतरा तो निश्चय ही है, लेकिन जैसे हम स्वतन्त्रताका दुरुपयोग होनेके खतरेके भयसे स्वतन्त्रता पानेसे नही रुक सकते, उसी तरह अहिंसात्मक असहयोगको उसके हिंसात्मक रूप लेनेके खतरेके कारण नही छोड सकते।

[अग्रेजीसे]

यंग इडिया, १५–१२–१९२०

७३. चम्पारनमें डायरशाही

भारत एक ऐसा देश है जिसमे आये दिन दुखजनक घटनाएँ होती रहती है। इनमे भी सबसे ज्यादा घटनाएँ शायद चम्पारनमे होती है। पटनाके 'सर्चलाइट' अखबारमे अभी हालमे एक ऐसी भयानक दुखजनक घटना होनेकी खबर छपी है। स्थानीय काग्रेस कमेटी, जिसके अध्यक्ष श्री मजहरुल हक है, इसकी जाँच कर रही है। मै इसके निष्कर्षके बारेमें पहलेसे कुछ नही कहना चाहता। मुझे मालूम हुआ है कि बिहार सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। लेकिन चूँकि मै असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी दौरेके सिलसिलेमें मौलाना शौकत अलीके साथ उस समय बेतियामें था, इसलिए घटना-स्थलपर भी गया और उस थोडी देरमे जो कुछ मै समझ पाया उसे नीचे दे रहा हूँ।

यह दुखजनक घटना, पिछले ३० नवम्बरके लगभग, बेतियासे १४ मील दूर एक जगहपर हुई थी। मै समझता हूँ कि इसमें सरकारका, अर्थात् ऊँचे अफसरोका कोई हाथ नही था। अग्रेज बागान-मालिकोका भी कोई हाथ नही था। ऐसा मालूम होता है कि खास तौरसे यह पुलिसका काम था, और पुलिसने इसमें ऊँचे अधिकारियोकी गैर जानकारीमें बडी गैर जिम्मेदारीका काम किया है।

इसकी शुरुआत ग्रामीणोंके एक छोटेसे झगड़ेसे हुई। झगडेमें थोडी मारपीट हो गई थी। इस सम्बन्धमें पुलिसने वहाँके एक प्रभावशाली आदमीको गिरफ्तार किया। ऐसा लगता है कि इससे ग्रामीणोंमें रोष फैला और उन्होने उस आदमीको छुडा लिया और जिन सिपाहियोंने उसे गिरफ्तार किया था उनको भी घेर लिया। इससे पुलिसकी प्रतिष्ठाको गहरा धक्का लगा, वह उसे सहन नही कर पाई। कहा जाता है कि वहाँके एक दारोगाने वहाँ लूट करवा दी जो पुलिसकी देखरेखमें और उसके कहनेके मुताबिक हुई। पासके एक गाँवके लोगोने भी उसमें हिस्सा लिया बताते है। घरोंमें कोई सामान — अनाज और जेवर — नही छोडा गया। कहा जाता है कि स्त्रियोंको भी मारा-पीटा गया और उनके जेवर छीन लिये गये। एक स्त्रीने मुझे बताया कि उसे नगा कर दिया गया और उसकी आँखोंमें धूल भर दी गई। शौचके लिए बैठी एक दूसरी स्त्रीके साथ भी ऐसा ही घोर अभद्र व्यवहार किया गया। गाँवके लोग बायरोंकी

तरह भाग गये थे। लोगोने हमे वे घर दिखाये जिनमे अनाजके खाली, टूटे हुए कुठिले पडे थे, अनाज इधर-उधर फैला हुआ था, बडे-बडे सन्दूकोके ताले तोड डाले गये थे और उनको खोलकर उनकी चीजे निकाल ली गई थी।

कहनेकी जरूरत नही कि जिस आदमीको पुलिसकी हिरासतसे छुडवा लिया गया था, उसे अन्य कई लोगोके साथ पुलिसने उसी समय फिर गिरफ्तार कर लिया। इनमे एक वहीका ब्रह्मचारी है। वह काफी प्रभावशाली आदमी है। उसने पचायते कायम की है और वह उनके जरिये वहांके झगडोका निपटारा करता है। उसकी कार्रवाईसे गांवमे पच-फैसलेके सिद्धान्त लोकप्रिय हो रहे है। पुलिस स्वभावत ही उसका असर कम करना चाहती थी। उसे शक था कि उसकी सत्ताको चुनौती देनेके लिए लोगोको भडकानेमें उस ब्रह्मचारीका हाथ है, (मुझे जो साक्षी मिली है उससे ऐसा ही लगता है)। इसलिए पुलिसने ब्रह्मचारीको पकड लिया है और अब वह जमानतपर छूट चुका है।

शायद अब मुकदमे चलाये जायेगे। इनका क्या नतीजा होगा उससे मुझे कोई मतलब नही। जो लोग गिरफ्तार किये गये है उनमे से कुछको गढी हुई गवाहीके आधारपर सजा भी दी ही जायेगी। वादी और प्रतिवादी दोनो पक्षोकी ओरसे जितनी झूठी गवाही चम्पारनमे दी जाती है, उतनी भारतमे किसी दूसरी जगह नही दी जाती। भले ही यह अविश्वसनीय लगे किन्तु जो घटना मैने यहां दी है वह अपने ढगकी पहली नही है। चम्पारनके किसान जितने असहाय और भय-त्रस्त है, उतने मैने किसी दूसरी जगहके नही देखे। वे पुलिसके आते ही डरके मारे अपने गाँव छोडकर भाग जाते है। पुलिस भी ऐसी ही भ्रष्ट हो गई है। उसमें रिश्वत और भ्रष्टाचारका बोलबाला है। और जब कभी लोगोने पुलिसके व्यवहारपर रोष प्रकट किया है, जैसा कि इस मामलेमे हुआ, उन्हे आतकवादी तरीकोसे कुचल कर और अधिक असहाय बना दिया गया है। स्थानीय "डायरो" के इस कार्यमे मजिस्ट्रेटोका योगदान कुछ कम नही रहा है।

कभी-कभी मजिस्ट्रेटोने या सरकारने पुलिसकी लानत-मलामत भी की है। किन्तु वह उसकी परवाह नही करती। पुलिसके छोटे कर्मचारियोको तो उस लानत-मलामतका पतातक नही चलता, और वे और भी कम परवाह करते है। आतकके ये तौर-तरीके जारी है और खूब इस्तेमाल किये जाते है।

तब लोगोकी सहायता कैसे की जाये? यह भ्रष्टाचार कैसे हटाया जाये? सरकारी तौरपर जाँच करवानेसे तो यह निश्चय ही सम्भव नही है। उससे तो पुलिसकी ताकत ही बढेगी। पुलिस इस वक्त अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, वह सबूत खतम कर रही है। अगर गाँवके लोग अदालतोके जरिये न्याय पाना चाहे तो उससे भी निश्चय ही कोई लाभ न होगा। मेरा पक्का विश्वास है, और यह विश्वास मुकदमोके कागजातको पढनेके बाद बना है, कि ज्यादातर मुकदमोमे लोगोने अपना रुपया ही बरबाद किया है, अपनी ताकत ही घटाई है। वकीलो और रिश्वतखोरोको इतना सारा रुपया देकर इक्के-दुक्के मामलेमे ही कोई निर्दोष आदमी कभी छूट पाया है।

पुलिसमे मुख्यत. हमारे ही आदमी है, इनका प्रतिरोध किए बिना ही इन्हे नेक बनाया और अपने पक्षमे लाया जाना चाहिए। दया करनेके बजाय हमने अबतक उनको अनावश्यक रूपसे बदनाम ही किया है। वे तो एक कुटिल, और शर्मनाक प्रणालीके शिकार है। मै नही मानता कि भारतीय पुलिस अपने आपमे बुरी है और सरकार उसे सुधार नही सकती। इसके विपरीत, यह शासन-प्रणाली ही ऐसी है कि उसमें ईमानदारसे-ईमानदार आदमी भी भ्रष्ट हो जाते है। वह चाहती है कि उसके कार्योकी कोई नुक्ताचीनी न हो और उसे मनमानी करनेकी छूट प्राप्त रहे। उसने अपनी प्रतिष्ठाका एक हौआ खडा कर रखा है। वह अपनेको पूर्णत सुरक्षित और गलतीसे परे मानने लगी है।

इसलिए स्थानीय लोगोको चाहिए कि वे सर्वत्र पुलिसके साथ मैत्रीके सम्बन्ध बनाएँ। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे उससे या उसके दण्डसे डरना छोड दे।

इस मामलेमे गाँवके लोगोको यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे इस अन्यायको भूल जाये। अगर गाँवके लोगोको मित्रोकी मददसे अपनी लुटी हुई सम्पत्ति मिल सके तो उसे वापस ले लेना चाहिए। उन्हे कैदकी सजा भी धीरजके साथ भुगत लेनी चाहिए। उन्हे प्रतिवादीके रूपमे अपना कोई वकील खडा नही करना चाहिए। उन्हे अदालतको सारी बात जैसी है वैसी ही बता देनी चाहिए। उनके खिलाफ गलत बातें कही जायें, या उन्हे यह ताना मारा जाये कि उनकी बातोमे तो कोई तत्त्व ही नही है तो भी उन्हे यह सब सहन कर लेना चाहिए।

और यदि भविष्यमें या जब भी ऐसी घटनाएँ हो, वे अपनी रक्षाके लिए तैयार रहे। इस प्रकारकी स्थितिमे वे अपने शरीरकी, या सम्पत्तिकी रक्षामे चोट पहुँचानेके बजाय यदि मर्दोकी भाँति उत्पीडन सह सके और अपनेको लुट जाने दें तो बहुत अच्छा होगा। यह वस्तुत. उनकी सबसे बडी विजय होगी। किन्तु उतनी सहनशक्ति केवल बलसे आ सकती है, दुर्बलतासे नही। जबतक यह शक्ति वे अपने अन्दर पैदा नही कर पाते तबतक उन्हे अन्यायीका सामना [शारीरिक] शक्तिसे करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। जब पुलिसका कोई सिपाही किसीको गिरफ्तार करनेके लिए नही, बल्कि तग करनेके लिए आता है तब वह अपने अधिकारका अतिक्रमण करता है। तब नागरिकका यह एक अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह उसे लुटेरा माने एव उससे वैसा ही व्यवहार करे। इसलिए वह उसको लूटपाट करनेसे रोकनेके लिए पर्याप्त शक्तिका उपयोग करे। वह अपनी महिलाओंके सम्मानकी रक्षाके लिए निश्चय ही शक्तिका डटकर प्रयोग करे। अहिंसाका सिद्धान्त कमजोरो और कायरोके लिए नही है, वह तो वीर और शक्ति-सम्पन्नोके लिए है। सबसे अधिक वीर तो वह पुरुष होता है जो मारता नही है, बल्कि कोई उसे मारे तो स्वेच्छासे मृत्युका वरण करता है। वह किसीको मारनेसे, चोट पहुँचानेसे अपना हाथ इसलिए रोकता है कि वह जानता है कि किसीको चोट पहुँचाना गलत काम है। चम्पारनके ग्रामीण ऐसे नहीं है। वे तो पुलिसको देखते ही भागते है। यदि उन्हे कानूनका भय न हो तो वे

पुलिसके सिपाही फिर चोट कर देंगे और उसे मार भी डालेंगे। इसलिए उन्हें अहिंसाका श्रेय नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत कायरता और अपौरुषका लाञ्छन मिलता है। वे सरकार और जनता दोनोंकी नजरोंमें निन्दनीय हैं।

किन्तु बंगालके लोग जैसी गिरी हुई हालतमें हैं उसे देखते हुए उनके बीच अत्यन्त धीरज रखकर काम करना चाहिए। यदि कार्यकर्त्ता और वहाँकी जनता पुलिसको उसके वैध कर्त्तव्योंका पालन करनेसे रोकेगी, तो गलती करेगी, भले ही पुलिसके कार्य हिंसात्मक सिद्ध हों या उनको गैर-कानूनी लगते हों, यदि पुलिस वारंटके बिना गिरफ्तारी करती है तो भी उसके आड़े नहीं आना चाहिए। कानून अपने हाथमें नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसका पूरा-पूरा पालन करना चाहिए। चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये कानूनका आदर करना ही किसी भी प्रकार भूलसे बचनेका उपाय है। इसलिए, यदि वे कसूरवार थे तो हर हालतमें सजा भुगतेंगे। और जब वे ठीक मार्ग-पर चल रहे होंगे, तब बहुत सम्भव है वे सजासे बच जायें। उन्हें यह सन्तोष तो सदा होगा ही कि उन्होंने अपनी सम्पत्तिकी और उससे भी बढ़कर अपनी महिलाओंके सम्मानकी रक्षा की है या करनेका प्रयत्न किया है। इस मामलेमें, गिरफ्तार किये गये मनुष्यको छुड़ा लेना अनुचित था, भले ही गाँवके लोगोंकी दृष्टिमें वह निर्दोष रहा हो। उनका यह कार्य इसलिए बुरा था कि कानूनन पुलिसको गिरफ्तारी करनेका हक है। किन्तु पुलिसके आते ही उनका भाग जाना, उनकी कायरता थी। यदि वे अपनी महिलाओं और बच्चोंकी रक्षा करते तो यह ठीक होता। यदि वे भागे न होते तो वे बहुत अधिक संख्यामें होनेके कारण अपनी सम्पत्तिकी रक्षा कर लेते और वहाँ डटे रहनेसे ही अपनी स्त्रियोंको भी बचा लेते। उस अवसरपर पुलिसको शारी-रिक रूपसे जितनी चोट पहुँचाना आवश्यक था उससे अधिक पहुँचाना तो कदापि उचित न होता। आवश्यकतासे अधिक बलका प्रयोग करना सदा ही कायरता और पागलपन होता है। वीर मनुष्य चोरको मार नहीं डालता, बल्कि उसे पकड़कर पुलिसको दे देता है। उससे भी अधिक वीर वह होता है जो उतना ही बल-प्रयोग करता है कि चोरको घरसे निकाल दे और फिर उसके बारेमें सोचेतक नहीं। सबसे अधिक वीर वह होता है जो समझता है कि चोर उससे अधिक समझदार नहीं है, अतः उसको समझाता है, और यद्यपि चोर उसपर प्रहार कर सकता है और उसे मार डाल सकता है, किन्तु इतना खतरा होनेपर भी वह उसपर बदलेमें प्रहार नहीं करता। कुछ भी हो, हमें यह कायरता और नामर्दी तो हर हालतमें अपने अन्दरसे निकाल देनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१२-१९२०

७४. प्रत्युत्तर

सर्वश्री पोपले और श्री फिलिप्सने "भारतके अंग्रेजोंके नाम"[1] शीर्षक मेरे पत्रका उत्तर देनेकी कृपा की है। उन्होंने जिस मैत्री-भावसे अपना पत्र[2] लिखा है, मैं उसकी हृदयसे प्रशंसा करता हूँ। परन्तु मेरे और उनके मतोंमें बुनियादी अन्तर है और उसके कारण फिलहाल तो हममें मतैक्य नहीं हो सकता। जबतक मुझे इस बातका विश्वास था कि अपनी गम्भीर भूलोंके बावजूद, ब्रिटिश साम्राज्य संसार और भारतके कल्याणके लिए कार्य कर रहा है, तबतक मैं उससे उसी तरह चिपटा रहा जैसे बच्चा अपनी माँकी छातीसे चिपटा रहता है। परन्तु अब मेरा वह विश्वास जाता रहा है। अंग्रेज जातिने पंजाब और खिलाफतके विरुद्ध अपराधोंका समर्थन किया है। मैं यह मानता हूँ कि कुछ अल्पसंख्यक अंग्रेज ऐसे हैं जो उनसे असहमत हैं। परन्तु जो अल्पसंख्यक केवल अपनी राय प्रकट करके सन्तोष कर लेते हैं वे अन्यायीको सहायता ही पहुँचाते हैं और अन्यायमें भागीदार बनते हैं।

जब किसी व्यक्तिमें बुराइयाँ अधिक होती हैं और अच्छाइयाँ कम, तो कोई भी उसकी अच्छाइयोंको चुन-चुनकर उनकी प्रशंसा नहीं करता और जनतामें उनको प्रशंसनीय माननेके लिए नहीं कहता। अच्छाईका दिखावा करके बुराइयोंको हलका करना और असावधान लोगोंको जालमें फँसाना, यह चाल शैतानको बहुत पसन्द है। संसारके पास शैतानको हरानेका एक ही मार्ग है, उससे घृणा करना। जो अंग्रेज अपने मान्य आदर्शोंपर अमल कर सकते हैं, उनको मैं आमन्त्रित करता हूँ कि वे असहयोगमें भाग लें। जिस समय अंग्रेजोंके साथ बोअरोंका युद्ध हो रहा था, श्री डब्ल्यू० टी० स्टेड[3] अंग्रेज फौजोंकी पराजयकी प्रार्थना करते थे और कुमारी हॉबहाउस[4] बोअर लोगोंको युद्ध जारी रखनेके लिए कहती थीं। बोअरोंके साथ जो अन्याय किया गया था, उसकी अपेक्षा भारतके साथ किया गया विश्वासघात कहीं अधिक बुरा है। बोअर लोगोंने अपने अधिकारोंके लिए युद्ध किया और रक्त बहाया था। इसलिए, जब हम अपना रक्त बहानेके लिए तैयार हो जायेंगे तो हमारा अधिकार भी मूर्त हो जायेगा और तब वीर-पूजक यह संसार भी उसे समझने और उसका आदर करने लगेगा।

१. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३९७-४००।

२. १५ नवम्बरको बंगलौरसे लिखे गये इस पत्रमें सर्वश्री पोपले और फिलिप्सने अन्य बातोंके अलावा यह भी लिखा है कि वे भारतके शासक होनेकी अपेक्षा उसके सेवक होना अधिक पसन्द करेंगे।

३. विलियम टॉमस स्टेड (१८४९-१९१२), अंग्रेज पत्रकार और सुधारक, जिनके उद्योग और मौलिक विचारोंका उस ज़मानेकी पत्रकारिता और राजनीतिपर गहरा असर पड़ा। इन्होंने बोअर युद्धमें शान्ति-आन्दोलनका समर्थन किया था।

४. एमिली हॉबहाउस, उदार विचारोंकी एक अंग्रेज महिला, गांधीजीने अपनी आत्मकथामें इनका उल्लेख किया है।

परन्तु सर्वश्री पोपले और फिलिप्सने इस बातपर एतराज किया है कि मै आज उन लोगोके साथ हूँ जो शक्ति होनेपर तलवार भी उठा सकते है। मै इसमें कोई बुराई नही देखता। उनका उद्देश्य भी उतना ही ठीक है जितना मेरा। और फिर रक्तहीन सघर्षको विजयी बननेमे सहायता देकर तलवार उठानेकी नौबत ही न आने देना अधिक युक्ति-सगत नही है? जो लोग मानते है कि भारतीय सचाईपर है वे इस अहिंसात्मक आन्दोलनको सहायता देकर ईश्वरका कार्य ही करेगे।

इन अग्रेज मित्रोका एक दूसरा एतराज भी है, और वह अधिक सगत है। यदि मुसलमानोकी माँगे न्यायपूर्ण न होती तो उनका साथ देकर मै स्वय अनुचित कार्य करता। असलमे मुसलमानोकी माँग यह नही है कि गैर-मुसलमानो या गैर-तुर्कियोपर विदेशी शासन बना रहे, भारतीय मुसलमान आत्म-निर्णयके विरोधी नही है। परन्तु वे आत्म-निर्णयके नामपर मेसोपोटामियाके शोषणकी अन्यायपूर्ण योजनाका अन्ततक विरोध करेगे। आर्मीनियाको स्वतन्त्रता देनेके झूठे बहानेकी ओटमे टर्कीको और उसके द्वारा मुसलमानोको नीचा दिखानेका जो जानबूझकर प्रयत्न किया जा रहा है, उसका विरोध वे अवश्य करेगे।

उनका तीसरा एतराज विद्यालयोके सम्बन्धमे है। मै मिशनके या अन्य विद्यालयोको सरकारी रुपयेसे चलानेका विरोधी हूँ। यह सच है कि किसी समय यह रुपया हमी लोगोका था। जिस डाकूने मेरा धन, धर्म और सम्मान लूटा है, वही डाकू यदि इन भले पादरियोको रुपया देता है, तो क्या इस रुपयेसे मेरी शिक्षाका प्रबन्ध करना उनके लिए उचित होगा, क्योकि यह रुपया तो पहले ही मेरा था?

मैने स्वय भारतकी आर्थिक लूट सहन कर ली थी। परन्तु जब पजाबमे किये गये अत्याचारोसे हमारी इज्जत लुटी और टर्कीके साथ किये गये अन्यायसे हमारा धर्म लुटा, तब मेरा उनको सहन करना पाप होता। मेरे उपर्युक्त शब्द कडे है। परन्तु इनसे नरम शब्द मेरे गहरे विश्वासको व्यक्त करनेमे समर्थ नही हो सकते। यह कहनेकी जरूरत नही कि सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारसे सम्बद्ध विद्यालयोके बहिष्कारका अर्थ नवयुवकोको शिक्षासे बिलकुल वचित कर देना नही है, जितनी तेजीसे ये विद्यालय खाली हो रहे है उतनी ही तेजीसे राष्ट्रीय विद्यालयोकी स्थापना की जा रही है।

सर्वश्री पोपले और फिलिप्सका खयाल है कि पजाब तथा खिलाफतके मामलेमे जो अन्याय किये गये है उनसे मेरी न्याय-भावना मलिन हो गई है। मै समझता हूँ, ऐसा नही हुआ है। मैने तो मित्रोसे कहा है कि यदि भारतपर ब्रिटिश सत्ता कायम होनेका (जाना-बूझा, सोचा-विचारा) कोई अच्छा परिणाम निकला हो, तो वे मुझे बताये। मै पुन इसी अनुरोधको दुहराता हूँ और उन्हे विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि खिलाफत तथा पजाबके विषयमे अपनी उत्कट भावनाके वशीभूत होकर मैने कोई भूल कर दी है तो मै उसको सुधारनेका पूरा प्रयत्न करूँगा।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १५-१२-१९२०

७५. भाषण : ढाकामें

१५ दिसम्बर, १९२०

पिछली बार जब मौलाना शौकत अली ढाका आये तब भी मेरी यहाँ आनेकी बडी इच्छा थी। आज मुझे यहाँ आनेपर बहुत खुशी हुई है। मुझे दुःख है कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि मेरी आवाज साथ नही दे रही।

इस सरकारने भारतीयोंके साथ एक बहुत बडा अन्याय किया है। इसने हमारे मुसलमान भाइयोको बहुत धोखा दिया है। सभी भारतीय जानते है कि भारतीयोको पजाबमें पेटके बल रेंगाया गया था। बहुतसे निर्दोष लोगोको पजाबके न्यायाधीशोंने मौतकी सजाएँ दी और बहुतोको जेल भेज दिया है। पजाबमे हमारे छात्रोंके साथ बडा अन्याय किया गया है। छोटे-छोटे बच्चोंको वहाँ चार-चार बार [ब्रिटिश झडेको] सलाम करनेकी आज्ञा दी गई थी। मेरा खुदका खयाल है कि जिस सरकारने हमारे साथ इतना बडा अन्याय किया, उसके प्रति वफादार रहना पाप है। स्वतन्त्रताको प्यार करनेवाला प्रत्येक भारतीय मेरी ही तरह सोचेगा। उसका कर्त्तव्य है कि वह या तो इस सरकारको मिटा दे या इसे सुधार दे। (तालियाँ) मुझे इस बातका दुःख नही है कि मेरी आवाज काम नही दे रही है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जो काम आप करने जा रहे है उसमें आपको अपनी आवाजका इस्तेमाल करनेकी जरूरत नही। आपके लिए दो काम बहुत जरूरी है पहला, सभाएँ करना और उसमें कुछ [प्र]स्ताव पास करना, और दूसरा, उन प्रस्तावोपर अमल करना। हमारे सामने यह अवसर आ गया है। हमारा ज्यादातर काम ठोस होगा। अब हमको जुलूस निकालना बन्द कर देना चाहिए, क्योंकि अबतक हम देख चुके है कि उनसे भारतके लोगोको कोई लाभ नही हुआ। हममें प्रबन्धकी शक्ति नही है। "हिन्दू-मुसलमानोकी जय"—यह मेरे खयालसे ईश्वरसे एक तरहकी प्रार्थना है। वन्देमातरम्-गीत भारत माताकी वन्दना है। हमारे बगाली भाइयों-जैसा शक्तिशाली सगीत भारतमें अन्यत्र कहीं नही मिल सकता। यदि आप अपने देशकी पूजा सच्चे हृदयसे करना चाहते है तो जो-कुछ यह सिखाता है वह आपको सीखना चाहिए। मेरे खयालसे यह शिक्षा सामान्य लोगोंमें प्रचारित की जानी चाहिए। पिछले ३५ वर्षसे हम बहुत दूषित शिक्षा पाते रहे है, नतीजा यह है कि उन्नति करनेके बजाय हम ३५ वर्ष पीछे हट गये है। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने लिखा था[1] कि सेनापर और रेलोंपर खर्च दिन-प्रतिदिन बढ रहा है। भारतके व्यापारकी ऐसी दुरवस्था हुई है कि देशका करोड़ो रुपया हर साल विदेशोंमें चला जाता है। रौलट ऐक्ट[2], प्रेस ऐक्ट[3], छात्रोंका बाध्य किया जाना,

१. देखिए पावर्टी ऐंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक।
२. देखिए खण्ड १६।
३. [illegible]

और स्त्रियोका बेपरदा किया जाना — ये घटनाएँ दादाभाई नौरोजीके समयमें कभी घटित नही हुई थी। यदि आप कहे कि हमारे लिए कौसिल बना दी गई है और लॉर्ड सिन्हा बिहारके गवर्नर नियुक्त किये गये है, यह हमारे ऊपर कृपा की गई है, तो मै आपसे कहूँगा कि अब आप पूरे गुलाम बन चुके है। भारतकी दशा अबसे ५० वर्ष पहले जितनी बुरी थी, अब उससे ज्यादा बुरी है। भारतीय ५० वर्ष पहलेकी अपेक्षा अब ज्यादा कायर है। ५० वर्ष पहले उनमे इतनी ताकत थी कि वे तलवार लेकर लड सकते थे, लेकिन अब वे पहलेसे कमजोर हो गये है। भारतको गुलामीकी जजीरोसे छुडाना बहुत मुश्किल हो गया है। मुसलमानोको बहका कर विदेशोमे जाने और तुर्कोसे लडनेके लिए राजी कर लिया गया और मेसोपोटामियाको कब्जेमे कर लिया गया। हमारी सरकारने हमे सुधार-योजना[1] दे कर सान्त्वना दी, और साथ ही रौलट भी पास कर दिया। भारतमे ऐसी घटनाएँ हुई है जिनके कारण भारतीयोको जमीनपर नाक घिसनेतक का अपमान सहना पडा है। पजाबके मामलोकी जाँचके लिए काग्रेस द्वारा नियुक्त समितिमे[2] मेरे तथा पण्डित मदनमोहन मालवीय, पण्डित मोतीलाल नेहरू, हरकिशन लाल, लाला गिरधारीलाल और जयकरके[3] साथ काम करते हुए, श्री सी० आर० दासने[4] जो सेवाएँ की है उन्हे भारत कभी नही भूल सकता। जब रिपोर्ट[5] प्रकाशित हुई तो मैने उसके निष्कर्ष काफी काट-छाँटके साथ स्वीकार किये और ठान लिया कि या तो इस सरकारको मिटा दूँगा या डरकर रह जाऊँगा। हम उस पतित शासककी[6], जिसने पजाबको बरबाद कर दिया, पेशनतक नही रुकवा सके। मैने शौकत अली और मुहम्मद अली, दोनो भाइयोसे दोस्ती कर ली है, और अपने भारतीय भाइयोके सामने वचन दिया है कि मै उनके पक्षमे लडता रहूँगा और यदि मुसलमान भाइयोकी माँगे मान नही ली जाती तो अपने जीवनकी आहुतितक दे दूँगा। मै खिलाफतके लिए अपने प्राण दे दूँगा। हमारा धर्म यह नही सिखाता कि हम अपनी तलवारोसे अग्रेजोके गले काटे। यदि हम भारतमे अपनी तलवारे काममें ला सके होते तो मुहम्मद अली और शौकत अली दोनो कभी चुप नही बैठते। उन्होने मुसलमान जातिका हित करनेके खयालसे अपनी तलवारे म्यानोमे रख ली है। आपके सामने जो आन्दोलन चल रहा है, वह अहिंसात्मक असहयोगका आन्दोलन है। अगर आप एक सालके भीतर भारतको स्वतन्त्र करना चाहते है — जब मै एक साल कहता हूँ तो मै मजाक नही करता, मेरा मतलब-सचमुच एक साल ही है — तो आप

१ मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधार योजना।

२ काग्रेस द्वारा अप्रैल १९१९ में पजाबके उपद्रवोकी जाँचके लिए नियुक्त उप-समिति।

३ मुकुन्दराव रामराव जयकर (१८७३–१९५९), बम्बईके वकील और उदारदलीय नेता, इन्होने राजनैतिक समझौतेकी बातचीतमें प्रमुख हिस्सा लिया था।

४ १८७५–१९२५, प्रसिद्ध वकील और काग्रेसके नेता।

५ पजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें उक्त उप-समितिकी रिपोर्ट जो २५–३–१९२० को प्रकाशित की गई थी।

६ सर माइकेल ओ'डायर।

इस आन्दोलनको स्वीकार कर लीजिए। भारतको केवल एक पाठ पढना है, और वह है निर्भयताका पाठ। जब भारतके लोग निर्भय होना सीख लेगे, तब मै समझूँगा कि भारत स्वतन्त्र हो गया। अब आपको अमली कदम उठाने चाहिए। "अहिंसात्मक" और "क्रमश प्रगति" ये दोनो शब्द असहयोगके अग है। हममे अभी इतनी शक्ति नही है कि किसानोंके पास जाकर उन्हे लगान देना बन्द करनेके लिए कह सके या सेनाके सिपाहियोसे कह सके कि वे अपनी नौकरी छोड दे। जब समय आयेगा तब हम तलवारोका उपयोग करेगे। जो मनुष्य उचित समयपर तलवार नही उठाता वह मूर्ख है, और जो अनुचित समयपर अपनी तलवार उठाता है, वह भी नासमझ है। असहयोगका प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। भारतीयोको केवल एक बात याद रखनी चाहिए, वह यह कि उन्हे अपने मनसे भय निकाल देना है। यदि आप अपने मनसे भय निकाल दे तो आप भी यही मानेगे कि भारत स्वतन्त्र हो गया है। जब मुझे यह खयाल आता है कि भारतीय कितने कायर हो गये है, तब मै दुःखमे डूब जाता हूँ। भारतीय कमसे-कम ५ वर्षके लिए ही सही, भय त्याग दे।

आप "अहिंसात्मक" और "क्रमश प्रगति" इन दोनो शब्दोको नही छोड सकते, ये तो "असहयोग" शब्दके साथ जोडे गये है। यदि भारतके लोग इसे स्वीकार कर ले, तो वे अपने मताधिकारका ही नही, अपनी सम्पत्ति और प्राणोका भी त्याग कर देंगे। यदि हमारे नेता खिताबयाफ्ता भारतीयो, वकीलो, छात्रो और कौंसिलोके सदस्योंके पास जायें और उनसे अनुरोध करे, तो मेरा पक्का विश्वास है कि वे उन्हे त्यागना स्वीकार कर लेगे और वे सोचेगे कि उनका पोषण करनेवाला तो केवल ईश्वर है, न कि सरकार, अदालतें और कौंसिले। अगर आप ऐसा करे तो आपको किसानो और सिपाहियोके पास जानेकी जरूरत नही होगी। तब मुसलमान इस्लामकी ही नहीं, भारतकी भी रक्षा कर सकेगे। मै भारतके लोगोको और विशेषरूपसे बगालके लोगोको उस कार्यके लिए बधाई देता हूँ, जो उन्होने मतदानके सम्बन्धमें[1] किया है। हम धीरजसे काम करेगे। उसीसे पण्डित मदनमोहन मालवीय और दूसरे नेता, जिनमे हमारे भाई सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भी है, हमारे साथ आ सकेगे।

हमें शान्तिसे काम करना चाहिए। मेरा खयाल है कि हम अपने इन भाइयोको डरा-धमकाकर अपने साथ नहीं मिला सकते। मुझे जब यह मालूम हुआ कि एक उम्मीदवारके ऊपर मैला फेंका गया और एक मतदाताका कान काट लिया गया, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। निश्चय ही, ये बहुत घृणित कार्य है। हमे अपने भाइयोंके पास बहुत ही नम्रतापूर्वक जाना चाहिए और अपनी बात उनके दिलोंमे बैठानी चाहिए, और प्रेम और दयासे उनका हृदय जीतना चाहिए। यदि आप इस तरह धीरजसे और लगनसे काम करेंगे, तो मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सालके भीतर, अर्थात् ९ महीने बाद, भारत अवश्य स्वतन्त्र हो जायेगा, और मुसलमान निश्चय ही इस्लामको खतरेसे बचा लेंगे। मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पंजाबकी घटनाओ और इस्लामकी स्थितिपर विचार करें। यदि आप विचार करेंगे तो आपको

1. नवम्बर १९२० में कौंसिलोंके चुनावोंमें मतदान [illegible]।

पता चलेगा कि यह राज्य शैतानका राज्य है, रावणका राज्य है। अगर आपसे कहा जाये कि आपको मुफ्त शिक्षा दी जायेगी, तब भी आपको रावणके स्कूलोंमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनमें शैतानियत भरी है। मैं अपने किसी भी अंग्रेज भाईको शैतान नहीं कहता। मैं श्री शौकत अली और श्री दासको जिस तरह प्यार करता हूँ, उसी तरह अंग्रेजोंको भी करता हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि यह शासन शैतानका शासन है। यदि ईश्वर मुझे पर्याप्त शक्ति दे दे, तो मैं सरकारको या तो सुधार दूं या समाप्त कर दूं। मैं सरकारको सुधारे बिना चैन नहीं लूंगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं आज सरकारके राजद्रोह अधिनियमका भंग कर रहा हूँ। मैं इस सरकारकी राजभक्त प्रजा हूँ और उसका सच्चा मित्र भी हूँ, और इसी-लिए सरकारसे कहता हूँ कि या तो वह अपनेको सुधार ले या फिर नष्ट होनेको तैयार रहे। मैं इसको नष्ट करनेमें हिस्सा लूंगा और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। हम या तो इस सरकारको सुधार देंगे या मिटा देंगे। मैं यह नहीं देख सकता कि अंग्रेज लोग बिना किसी भयके काले लोगोंका अपमान करते रहें। मैं खुले मैदानमें अंग्रेजोंसे मिलना और उनको यह बताना चाहता हूँ कि हम भी उतने ही ताकतवर हैं जितने कि वे हैं।

मैं अपने छात्र-मित्रोंसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी सरल हिन्दुस्तानीको नहीं समझ सकते तो यह खेदजनक बात होगी। इससे प्रकट होता है कि हम कितने गिर गये हैं। इस सरकारने हमें बहुत धोखा दिया है। आपने यह बात समझ ली है, इसलिए आपको शिक्षा-संस्थाओंको बिना शर्त छोड़ देना चाहिए।[1]

एक मित्र और प्रिय सहकारीकी बातको न मानना मेरे लिए कठिन है।[2] मैं अपने भाषणकी विषय-वस्तुमें इतना डूब गया था और मेरे विचारोंका क्रम हिन्दीमें इतना बँध चुका था कि मुझे आशा थी कि मैं अपनी सारी बात हिन्दुस्तानीमें ही पूरी कर सकूंगा। लेकिन मैं मजबूर हूँ। श्री दास कहते हैं कि मुझे छात्रोंके विषय-पर अंग्रेजीमें बोलना चाहिए। मुझे ऐसा करते हुए कुछ दुःख होता है, लेकिन प्रस-न्नता भी होती है। प्रसन्नता इस बातकी कि मैं उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ और दुःख इस बातका कि मुझे अपना आशय एक ऐसे माध्यमसे स्पष्ट करनेके लिए बाध्य होना पड़ता है जो आपके और मेरे, दोनोंके लिए विदेशी है। मैं छात्रोंको बता रहा हूँ कि उनका स्पष्टतम कर्त्तव्य क्या हो सकता है। यदि छात्रगण मेरे कहनेका तात्पर्य समझ गये हों और मेरी तरह अनुभव करते हों कि हमारी यह सरकार शैतानसे प्रभावित है, यदि आप मेरी तरह यह अनुभव करते हों कि हमारी सरकार जो-कुछ काम करती है उसका परिणाम कुल मिलाकर यह होता है कि हमारी गुलामीकी जंजीरें ढीली नहीं होतीं, बल्कि और ज्यादा कसती चली जाती हैं, यदि आप मेरी

१. भाषणका यहाँतकका अंश पश्चिम बंगालके पुलिसके इंस्पेक्टर जनरलके खुफिया विभागके रेकर्डसे लिया गया है। *भाषण मूलतः हिन्दीमें दिया गया था।*

२. इसके बाद उन्होंने चित्तरंजन दासके अनुरोधपर छात्रोंको अंग्रेजीमें अपनी बात समझाई। भाषणके इस अंशको **अमृतबाजार पत्रिका**में प्रकाशित अंग्रेजी रिपोर्टसे लिया गया है।

तरह अनुभव करते हो कि आज हमारी गुलामी पहलेकी बनिस्बत ज्यादा मजबूत हो गई है और यदि आप मेरी तरह अनुभव करते हो कि पंजाबियोंके आत्म-सम्मानकी रक्षा और इस्लामकी इज्जतको बचानेके लिए आपको और मुझे कुछ-न-कुछ करना चाहिए, तो मै ढाकाके छात्रोसे कहता हूँ कि आप अपना तात्कालिक कर्त्तव्य समझिए। मान लीजिए कि भारतीय नवयुवकोकी शिक्षाके लिए शैतानने ये स्कूल और कालेज स्थापित किये है, मान लीजिए कि आपको यह फैसला करना है कि एक ओर या तो आप अपने मस्तिष्क और हृदयको अविकसित रखें, या दूसरी ओर शैतानके स्थापित किये हुए स्कूलो और कालेजोमें जायें, और यह भी कल्पना कीजिए कि भारतके युवकोमे ईश्वरका भय है, आप सब आस्तिक है, आपका ईश्वरमें विश्वास है और आप ईश्वरकी अच्छाईपर विश्वास करते है तो आप क्या करेगे। आप इन सब बातोकी कल्पना कीजिए और मुझे बताइये कि आप बिना शिक्षाके रह जाना पसन्द करेंगे या शैतानके स्थापित किये हुए इन स्कूलो और कालेजोमें जायेंगे। और यदि आपका उत्तर निश्चित रूपसे शैतान द्वारा स्थापित कालेजो और स्कूलोको छोडनेके पक्षमे हो, तब मै आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। मेरा अपना मत यह है कि यह सरकार अपने नग्न रूपमें शैतानियतकी भावनासे ओतप्रोत सरकार है। यदि आप एक ऐसी सत्ता द्वारा शासित होना चाहते हैं जो ईश्वरीय भावनासे ओत-प्रोत है, यदि आप भारतमे राम-राज्यकी स्थापना करना चाहते है, अर्थात् आप जिसे स्वराज्य कहते है, भारतमे यदि उसकी स्थापना करना चाहते है तो यह आपका अनिवार्य कर्त्तव्य है कि आप इन स्कूलो और कालेजोको बिना शर्त छोड दे। कारण, इन स्कूलो और कालेजोमें जो शिक्षा दी जाती है वह ऐसी नही है जो आपको स्वराज्य दिला सके, यह स्वतन्त्रता या स्वाधीनताके इच्छुक व्यक्तियोको दी जाने योग्य शिक्षा नही है। यह सरकार तो जनताको गुलाम बनाकर रखनेमे विश्वास करती है। क्या आप ऐसा सोचते है कि गुलाम बनाकर रखनेवाली सरकार आपको ऐसे ढगकी शिक्षा दे सकती है जिससे आप गुलामीकी उन जजीरोको तोड सके जिनमे आप बँधे हुए है। मुझे अभीतक गुलामोका ऐसा कोई मालिक नही मिला जो अपने गुलामोको यह बताता हो कि स्वतन्त्रताकी, स्वाधीनताकी कीमत क्या है। जहाँ भी गुलामोने मतदान-का अधिकार प्राप्त किया है, उन्होने गुलाम रखनेवालोकी मर्जीके खिलाफ ही प्राप्त किया है। अभी मै शिक्षा-प्रणालीपर आक्षेप नही कर रहा हूँ, हालांकि वह भी अपूर्ण और निकृष्ट है। मैं केवल उस सरकारपर आक्षेप कर रहा हूँ जिसके तत्त्वावधानमें यह अपूर्ण और निकृष्ट शिक्षा भारतके नवयुवकोको दी जाती है। मेरे खयालसे यह अवाछनीय है कि हम सरकारके प्रति अपने भीतर अश्रद्धा उत्पन्न करने और उसे पालते रहनेके लिए इन स्कूलो और कालेजोमे जाये। मै तो समस्त भारतमे सर-कारके विरुद्ध अश्रद्धा ही फैला रहा हूँ। मै कहता हूँ कि इस सरकारके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखनेका अर्थ है ईश्वरके प्रति अश्रद्धा करना। यह भारत और इस्लामके प्रति अश्रद्धा करना है, और जबतक यह सरकार अपने अन्यायोका निराकरण नही करती और घुटने नही टेकती, तबतक हमारे मनमे उसके प्रति यह अश्रद्धा निश्चय

ही बनी रहेगी। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि सरकारने जो महान भूलें की हैं यदि वह उनको सुधार ले तो हम उसे क्षमा कर सकें। इसलिए मेरे मित्रो, मैं कहता हूँ कि आपके सामने रास्ता बिलकुल स्पष्ट है। मैंने आपके सामने जो पक्ष रखा है, मेरी सम्मतिमें, वह भी साफ है। मैं एक क्षणके लिए भी यह कहना नहीं चाहता कि आपने इस सरकारसे कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन यह तो शैतानका तरीका है ही। जब शैतान किसी भले आदमीकी शकलमें आता है तो वह बड़ा ही मायावी बनकर आता है। एक समझदारीसे भरी कहावत है—'जब यूनानी आपके सामने अपने उपहार लेकर आयें तो उनसे सावधान हो जाइये।' यह सरकार जब आपको खिताब, कौंसिलकी सदस्यता, जजों और गवर्नरोंके ओहदे देनेकी बात कहे तो आप उससे सावधान रहें और सबसे ज्यादा सावधान आप भारतीय युवक, जिनको किसी भी पूर्वग्रहसे मुक्त रहनेका अधिकार है, उस जालसे रहें जो इस सरकारने गुलाम बनानेके इन कारखानोंको स्थापित करके विद्यालयोंकी शक्लमें आपके लिए बना रखे हैं। निश्चय ही आपको सरकारकी मातहतीमें नौकरियाँ मिल सकती हैं। आप डिप्टी-मजिस्ट्रेट या और कोई अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन ये सब हमारी स्वतन्त्रताके नहीं, गुलामीके बिल्ले हैं। अगर आप यह अनुभव करते हैं कि आप इस सरकारको एक क्षणके लिए भी सहन नहीं कर सकते तो सम्मानका— भारतके आत्मसम्मान-का —तकाजा है कि आप इन स्कूलों और कालेजोंको कल ही छोड़ दें। आपको इन स्कूलों और कालेजोंमें रहकर अपने मनमें न तो अश्रद्धा रखनी चाहिए और न अशोभनीय साधनोंका प्रयोग ही करना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आप इन स्कूलों और कालेजोंमें इस सरकारको नष्ट करनेके उद्देश्यसे जाते हैं। मेरी रायमें यह बेवफाई होगी। दण्ड विधानमें बतलाई हुई बेवफाई या कोई अन्य कृत्रिम रूपमें निश्चित बेवफाई नहीं, बल्कि ईश्वरके शाश्वत नियमोंके प्रति बेवफाई। यदि आप इस सरकारके स्थापित किये हुए इन स्कूलों और कालेजोंमें जाते हैं तो आपको उनमें निश्छल हृदयसे जाना चाहिए। मान लीजिए, गवर्नर स्कूलोंमें आते हैं और आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको 'गाड सेव द किंग' गीत गाना पड़ता है। अंग्रेज लोग, अंग्रेजोंके रूपमें और हम भारतीय सज्जनताके नाते ईश्वरसे यह प्रार्थना तो कर सकते हैं कि वह बादशाह जॉर्जकी रक्षा करे, किन्तु हम शुद्ध अन्तःकरणसे पुकार कर यह नहीं कह सकते कि "ईश्वर इस साम्राज्यके सम्राट्की रक्षा करे।" क्या इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंडका वर्तमान शासक जो आज इंग्लैंडके बकिंघम पैलेसमें रहता है, अमर रहे? इसका अर्थ यह है कि यह ब्रिटिश साम्राज्य, जिसमें सूरज कभी अस्त नहीं होता, अमर रहे। और यदि आप भारतके युवकगण, जिनसे भविष्यमें भारतको बहुत आशाएँ हैं और जिनपर राष्ट्रकी नींव टिकी हुई है, मेरी तरह यह अनुभव करते हैं कि जब गवर्नर आपके स्कूलों और कालेजोंमें गवर्नरके रूपमें आये तब आपके लिए उसके प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए खड़ा होना सम्भव नहीं है, जब "गॉड सेव द किंग" का गीत स्कूलोंमें गाया जाये तब आपके लिए खड़ा होना सम्भव नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन स्कूलों और कालेजोंमें मत जाइए, अन्यथा आप अपनी परम्परा और भारतके अतीत गौरवके प्रतिकूल कार्य करेंगे।

यदि आपको स्कूल छोड़नेमें डर नहीं लगता तो स्कूल छोड़नेके बाद, मैं कहता हूँ कि ज्यों ही स्कूल और कालेज छोड़ेंगे त्यों ही, आप भारतकी स्वतन्त्रताके स्वामी और भारतकी स्वतन्त्रताके सरक्षक बन जायेंगे। आप स्वतन्त्रताके प्राथमिक फलोंका आस्वादन कर चुकेंगे। आप स्वतन्त्र जीवनकी नई पद्धतिकी नींव डाल चुकेंगे। उस नींवपर आप तत्काल नया भवन बना सकते हैं और उस नींवको ज्योंका-त्यों भी छोड़ सकते हैं। आप जबतक इन सस्थाओंमें शिक्षा पायेंगे तबतक उस नींवपर भवन कदापि न बनेगा। और इसलिए मैं आप छात्रोंसे अनुरोध करता हूँ कि आपके सामने मैंने जो तर्क रखे हैं यदि आप उनको स्वीकार करते हैं तो आप अपने स्कूलों और कालेजोंको बिना शर्त छोड़ दें। मुझे एक पत्र मिला है और वह मेरी जेबमें रखा हुआ है। मुझे यह पत्र एक छात्रने भेजा है। इसमें उसने मुझसे पूछा है कि वह कालेज छोड़नेके बाद क्या करे। उसने मुझसे यह भी पूछा है कि क्या वह असहयोगका प्रचार करता रह सकता है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि उसे कोई प्रचार कार्य नहीं करना है, बस थोड़ा-सा अमली काम करना है। थोड़ा-सा अमली काम बहुत सारे प्रचारसे कहीं अधिक होता है। मुझे तो बिना मिलावटका शुद्ध सोना चाहिए। यदि आप इन स्कूलों और कालेजोंमें प्राप्त थोड़ी-सी बौद्धिक शिक्षा छोड़नेके लिए तैयार हों, इनसे प्राप्त होनेवाले बौद्धिक विकासका मोह छोड़नेको तैयार हों, तभी आप "भारतके हितमें इन स्कूलों और कालेजोंको छोड़ें। याद तो कीजिए कि बोअर-युद्धमें बोअर बच्चोंने क्या किया था। याद कीजिए, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्डके छात्रोंने पिछले महायुद्धके समय क्या किया था। याद कीजिए कि अरबके युवक आज क्या कर रहे हैं। सरकार उनको शिक्षा देनेका जो वचन देती है, वे उससे धोखेमें नहीं आते। उनके लिए बौद्धिक प्रशिक्षणकी अपेक्षा स्वतन्त्रता ज्यादा कीमत रखती है। यदि किसी गुलामको बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाये किन्तु उससे उसे स्वतन्त्रता न मिले तो बौद्धिक प्रशिक्षण उसके किस कामका? यदि आपका यह विश्वास हो कि आप इन स्कूलों और कालेजोंमें ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जिससे भारत या इस्लाम स्वतन्त्र हो जायेंगे तो आप इन स्कूलों और कालेजोंमें बने रहिए। पर यदि आपका खयाल मेरी तरह यह हो कि इन स्कूलों और कालेजोंमें शिक्षित भारतीयोंको जो बिल्ले मिलते हैं वे गुलामीके बिल्ले हैं, तब आप बिना किसी सन्देहके कल ही इन स्कूलों और कालेजोंको छोड़ दें।

इस छात्रने मुझे एक और खबर दी है जो बहुत दुःखजनक है। वह मुझे बताता है कि बाबू विपिनचन्द्र पाल[1] ढाकामें जब मचपर भाषण करनेके लिए खड़े होते हैं और आपसे यह कहते हैं कि आप इन स्कूलों और कालेजोंको तबतक न छोड़ें जबतक उनकी जगह नये स्कूल और कालेज स्थापित नहीं हो जाते, तब छात्र लोग सीटियाँ बजाकर उन्हें मचसे उतार देते हैं। यह तो असहयोगकी शिक्षा नहीं है। यह भारतकी परम्परा नहीं है और इन पश्चिमी परम्पराओंसे आपका सम्बन्ध कमसे-कम रहे तो सर्वोत्तम होगा। बाबू विपिनचन्द्र पाल और मेरे विचारोंमें जमीन आसमानका अन्तर

१. १८५८–१९३२, बंगालके शिक्षा-शास्त्री, ओजस्वी वक्ता, पत्रकार, और राजनैतिक नेता।

है। मै उन्हे कई वर्षोसे जानता हूँ। तभीसे उनके और मेरे बीच यह मतभेद है। लेकिन फिर भी मै इस आचरणका समर्थन नही कर सकता। भारतके युवक उनके प्रति या किसी अन्यके प्रति ऐसा भद्दा व्यवहार करे तो मै उसको प्रोत्साहन देनेका अपराधी नही बन सकता। आखिर बाबू विपिनचन्द्र पालने अपने विवेकके अनुसार देशकी सेवा की है और वे अब भी अनुभव करते है कि उनमे जितनी समझ है उसके अनुसार वे अपने देशकी सेवा कर रहे है। उन्होने छात्रोको नये स्कूल और कालेज स्थापित होने तक रुके रहनेकी जो सलाह दी है, वह बुरी है, लेकिन यह तो व्यक्तिगत रायकी बात हुई। किन्तु यहाँ तो अन्तर विचारोमे ही है। वे सच्चे दिलसे विश्वास करते है कि छात्रोसे अपनी मौजूदा पढाई-लिखाई छोडनेके लिए कहना ठीक नही है। किन्तु मेरा खयाल है कि इसकी अपेक्षा तो भारतके छात्रोको अशिक्षित ही बने रहना चाहिए।[1]

श्री दास मुझे बताते है कि बाबू विपिनचन्द्र पालने अपने भाषणोमे यह बात कभी नही कही। तब तो लोगोका सीटी बजाकर उन्हे मचसे उतार देना और भी बुरी बात है। सभी वक्ताओकी बात बडे ध्यानसे सुनना आपके लिए आवश्यक है। हम प्रत्येक वक्ताका विश्वास करे, यह आवश्यक है।

हमे इतना स्वतन्त्र होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धिसे खुद फैसला कर सके। जबतक हम बुरे-भलेमे कोई फर्क नही कर सकते, जबतक हम निर्णयकी गलती और बुद्धिमत्तापूर्ण सही सलाहमे अन्तर नही कर सकते और जबतक हम अपनी विवेक-शक्तिका उपयोग नही कर सकते, तबतक हम इस राष्ट्रको अभीष्ट लक्ष्यतक नही ले जा सकते। लेकिन हमको अपनी परम्परा नही भुला देनी चाहिए। जो वक्ता मचपर भाषण देनेके लिए खडा हुआ हो उसका अपमान नही करना चाहिए। मैने गुजरातके छात्रोको जो उपाय बताया था वही आपको भी बताता हूँ। यदि आपका खयाल हो कि कोई वक्ता ढोगी है — और भारतमे अब भी ढोगी वक्ता है — आपका खयाल हो कि कोई वक्ता ऐसा है जो सच्चा नही है, तो भी आपको उसके भाषणमे सीटी बजानेका कोई अधिकार नही है। आप मच और सभाको छोडकर जा सकते है, इस बातका आपको अधिकार है। जब छात्रोने श्रीमती बेसेटके[2] भाषणमे सीटियाँ बजाई तो उससे मुझे बहुत ही दुःख हुआ। मै अनुभव करता हूँ कि उन छात्रोने जो अपनेको असहयोगी कहते है, इस देशकी अधिकतम कुसेवा की, और ऐसा काम किया जो असहयोगकी दृष्टिसे कलककी बात है। मैने उनसे कहा कि यदि वे श्रीमती बेसेटका भाषण नही सुनना चाहते थे, यदि उनको ऐसा लगा था कि श्रीमती बेसेटके कथनसे उनको क्षोभ होता है, यदि उनको लगा था कि श्रीमती बेसेटने अपने ध्येयके प्रति न्याय नही किया है तो उनको इस बातका हक था कि वे सभासे चले जाते, किन्तु एक

१ यहाँ चित्तरजन दास बीचमें बोले। उन्होने कहा कि विपिनचन्द्र पालने जिन-जिन सभाओमें भाषण दिया था उनमें वे मौजूद थे। उन्होंने छात्रोंको ऐसी सलाह कभी नही दी।

२ एनी बेसेंट (१८४७–१९३३), प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट और वक्ता, बनारसमें केन्द्रीय हिन्दू कालेज १८९८ में स्थापित किया, १९०७–१९३३ तक 'थियोसॉफिकल सोसायटी' की अध्यक्ष, 'इडियन होम रूल लीग' की सस्थापिका और १९१७ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी अध्यक्ष।

आदरणीय महिलाके प्रति असम्मान दिखानेका उनको कोई हक नही था। मै तो कहता हूँ कि यदि कोई ढोंगी वक्ता मचपर खडा हो ही जाये तो भी शिष्टताका तकाजा है कि आप उसका भाषण भी अवश्य सुने।

ढाकाके नवयुवको, मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप असहयोगके झडेके नीचे आ जायें। कृपया यह समझ ले कि यह लडाई आत्म-शुद्धिकी लडाई है। इसका तकाजा है कि आप सब सयम रखें, खुद अपने दिमागसे सोचे और किसीके पीछे आँख मूंद-कर न चले। मै आपसे कहता हूँ कि आप दूसरोकी रायके मुताबिक न चले। मै आपसे जो कह रहा हूँ, यदि आप भी ऐसा ही अनुभव करते हो और आपका हृदय भी यही गवाही देता हो, और यदि आपने मेरी बात पूरी तरह समझ ली हो, तभी आपका अपने स्कूलो और कालेजोको छोडना ठीक है। जैसा मैने कहा है वैसा ही यदि आप भी अनुभव करते हो तो आपका यह पुनीत कर्त्तव्य होगा — क्योकि आपके माता-पिता शायद मेरे कथनका समर्थन न करे — कि यदि वे आपको स्कूलो और कालेजो-को न छोडनेके लिए कहे तो आप आदरपूर्वक उनकी आज्ञाको अमान्य कर दे। लेकिन इस अवज्ञाकी शर्त पूर्ण विनम्रता और पूर्ण आत्मसयम है, माता-पिताका अपमान करना नही। मै भारतीय माता-पिताओको जानता हूँ। इसलिए मै जानता हूँ कि आप भारतके युवकगण सच्चे होंगे तो अपने माता-पिताको राजी कर सकेंगे और उनसे अपने स्कूल और कालेज छोडनेकी अनुमति भी ले सकेंगे। मेरा खयाल है कि भारतीय माता-पिताओको स्कूल और कालेज छोडनेके विरुद्ध आपको चेतावनी देनेका पूरा अधि-कार होगा। वे आपसे उचित रूपसे कह सकते है कि आप किसी भले या बुरे वक्ताके जोशीले भाषणसे प्रवाहमे न बह जायें। इस प्रकार प्रवाहमे बह जाना आपका स्वभाव रहा है, इसलिए यदि आपके माता-पिता आपको चेतावनी दे तो आप उसपर पचास बार विचार करे। अक्लमदी इसीमे है।

भारतीय युवको, यदि आप मेरी तरह यह मानते हो कि इन स्कूलो और काले-जोको बिना शर्त छोडना आपका पवित्र कर्त्तव्य है, तो मै आपसे कहता हूँ कि आप उसका तुरन्त पालन करे। लेकिन आप अपने कमरोमे बैठकर ईश्वरसे प्रार्थना करे और देखे कि क्या वह सचमुच आपके अन्त करणकी आवाज है। और यदि आपको सन्तोष हो जाये, तो आप अपने माता-पिताके पास जाकर, दूसरे बडे-बूढो और अपने अध्यापकोके पास जाकर उसकी फिर परीक्षा करे और यदि फिर भी आपका पूरा समाधान न हो पाये और आप यह अनुभव करे कि आपको इन स्कूलो और कालेजो-को छोड ही देना चाहिए तो वैसी स्थितिमे अपने माता-पिताके प्रति पूरा आदर रखते हुए भी इन स्कूलो और कालेजोको छोड देना आपका पुनीत कर्त्तव्य है। यह हिन्दू शास्त्रोकी आज्ञा है, यह 'कुरान शरीफ'की आज्ञा है। यदि आपको सन्तोष हो, तो आपको अपने स्कूल कालेज छोडनेमे कोई झिझक नही होगी।

एक बात और, उसके बाद मै भाषण समाप्त कर दूंगा। आप पुराने स्कूलो और कालेजोकी जगह नये स्कूल और कालेज चाहते है। मै इस बातको जानता हूँ। जब मै आपसे कहता हूँ कि आप बिना शर्त स्कूलो और कालेजोको छोड दे, तब मै

जानता हूँ कि आपके लिए नये स्कूल और कालेज स्थापित करना नेताओका कर्त्तव्य हो जाता है और आपके लिए जो सर्वोत्तम होगा वह अवश्य किया जायेगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप अपने ऊपर पर्याप्त भरोसा रखे और अपने नेताओपर भी पूरा भरोसा रखे। आप पहले जरूरत तो पैदा करे और ज्यो ही नेताओको यह विश्वास हो जायेगा कि आप उन पुराने स्कूलो और कालेजोमे नही जाना चाहते जो विश्व-विद्यालयोसे सम्वद्ध है, त्यो ही उन्हे आप अपने लिए ऐसी सस्थाओकी व्यवस्था करता पायेगे। ईश्वर आपको इसकी शक्ति दे। ईश्वर आपको स्वास्थ्य दे। ईश्वर आपमे ऐसा विश्वास पैदा करे जिससे आपको अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई दे।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १८-१२-१९२०

पश्चिम वगाल सीक्रेट पुलिस रेकर्ड्स।

७६. पत्र : मगनलाल गांधीको

[कलकत्ता जाते हुए]
गुरुवार [१६ दिसम्वर, १९२०][1]

चि० मगनलाल,

कुछ ही घटोमे कलकत्ता पहुँच जाऊँगा। अगर डाक्टर मेहताके[2] लिए किसी तरह मकान वनवाना सम्भव हो तो वनवा देना। क्या हमे भी अच्छे वटवाला उम्दा सूत कातना नही सीख लेना चाहिए? अगर श्री कालेके[3] प्रयोगोके फलस्वरूप सामान्य चर्खेपर भी ऐसा सूत काता जा सके तो अच्छा होगा, भाई लक्ष्मीदासका[4] ध्यान रखना। उनका स्वभाव मुझे तो वहुत ही अच्छा लगा है। कालेने जो चर्खा वनाया है, ऐसा उपाय करना कि वह मुतवातिर आठ घटेतक चलाया जा सके।

दस्तावेज तैयार करानेके वारेमें क्या किया है सो लिखना। मेरा तो पूरा महीना यात्रामे निकल जायेगा।

वापूके आशीर्वाद

१ गाधीजी ढाकासे कलकत्ता गुरुवारको पहुँचे थे और गुरुवार इसी तारीखको पड़ा था।

२ डा० प्राणजीवन मेहता, गाधीजीके मित्र, जिनके लिए आश्रमके समीप ही एक मकान वनवाया गया था।

३ एक विशेष प्रकारके चर्खेके सम्वन्धमें जो पारितोषिक घोषित किया गया था, श्री काले उस पारितोषिकके लिए होडमें शामिल हुए थे।

४ लक्ष्मीदास पु० आसर, सत्याग्रह आश्रम, सावरमतीके आश्रमवासी, इन्होंने खादी तथा ग्रामोद्योगोंमें विशेष प्रवीणता प्राप्त की थी।

पुनश्च.

इस बार तो रेवाशंकरभाई भी यात्रापर निकले है।

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५९८४) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

७७. 'गुरखा' जहाजपर बातचीत[1]

१६ दिसम्बर, १९२०

[भारतीय सज्जनने पूछा]: **तब असहयोगका तात्कालिक हेतु तो अन्यायका विरोध करना ही हुआ न?**

[गांधीजी] विरोध नही। शुद्धीकरण, हमारे अपने शुद्धीकरणके द्वारा विरोधियोका शुद्धीकरण।

[अंग्रेज]: **और पापसे अपनेको अलग रखना?**

गा० निस्सन्देह, यही।

अं०: **तब क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यह शुद्धीकरण थोडा बहुत भी कर सके है?**

गा० मै आजकल देशका पर्यटन कर रहा हूँ। देशमे लोगोको आत्मनिग्रह और स्वावलम्बनका पाठ सीखते देखकर मै तो आश्चर्यचकित रह गया हूँ। किसान वर्गमे भी इन दोनो बातोका विकास हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश अधिकारी भी इस प्रभावसे अछूते नही बचे है, उनके मन भी निर्मल होते जा रहे है।

अं०: **इस शुद्धीकरणके द्वारा आप अंग्रेजोमें क्या देखना चाहते है? अंग्रेजोके व्यवहारमें क्या परिवर्तन लाना चाहते है?**

गा० मै ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता हूँ जिसमे प्रत्येक अंग्रेज प्रत्येक भारतीयको अपना समकक्षी माने। अंग्रेज अभिमानके शिखरपर चढकर बाते करता है, उसे मै नीचे जमीनपर उतारकर यह खयाल दिलाना चाहता हूँ कि हिन्दका सामान्यसे सामान्य मजदूर भी उसके समकक्ष है। अपने किसी भी व्यवहारमे वह भारतीयकी अवगणना न करे, अपने सारे व्यवहारमे वह उसे अपना समान भागीदार समझे, मै ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता हूँ। इससे भिन्न दूसरी किसी भी शर्तपर हिन्दुस्तानमे उसके लिए स्थान नही है। अंग्रेज और भारतीय दोनोमे परस्पर समतुल्य होनेकी भावनाका प्रसार हो, वे उसका साक्षात्कार करे — इतना-भर होनेसे मै समझूँगा कि मेरे देशको

१. महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत। जब गांधीजी ढाकासे कलकत्ता जाते हुए नारायण गंजसे गोलडोतक जहाजमें यात्रा कर रहे थे, यह बातचीत उसी दौरान हुई थी। जिन लोगोंके साथ गांधीजीकी यह बातचीत हुई उनमें से एक मित्र नामक भारतीय सज्जन थे और दूसरे मेयर नामक अंग्रेज। ये दोनो ही बैरिस्टर थे।

स्वाधीनता मिल गई। और आज आदर और प्रतिष्ठाकी जो झूठी कल्पना मनोमे घर किये बैठी है, केवल उसका नाश हो जाये तो इतना काफी है। आज जहाँ जाते है वहाँ क्या देखनेको मिलता है? अंग्रेजोसे भयभीत भारतीय, अपने विचारोको दूसरोसे छिपाते हुए भारतीय! इसकी अपेक्षा अधिक अवनतिजनक दृश्य और क्या हो सकता है?

अ०: आप कहते है कि प्रत्येक अंग्रेज भारतीय मजदूरको भी अपना समकक्ष माने। क्या यह आवश्यकतासे अधिक अपेक्षा करना नहीं है? प्रत्येक भारतीय सज्जन क्या मजदूरको अपना समतुल्य मानता है? आप जो यह कहते है, कि प्रत्येक अंग्रेजको प्रत्येक भारतीयसे ठीक वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वह किसी दूसरे अंग्रेजसे करता है, सो क्या यह उचित है? एक अंग्रेज 'स्क्वायर' जैसे अपने अंग्रेज मजदूरके साथ व्यवहार करता है अवश्य वैसा ही वर्ताव भारतीय मजदूरके साथ अंग्रेजोको करना चाहिए।

गा० बहुत ठीक। आपने मेरी बात और अधिक सुन्दर ढगसे कही। मेरे कहनेका यही अभिप्राय है।

भा०. तो फिर आपके कथनानुसार अत्याचारी सरकारके साथ असहयोगका तात्कालिक उद्देश्य भी शुद्धीकरण ही है? इसके बाद शुद्धीकरणसे अन्य ऐहिक लाभ मिलें या न मिलें, इसकी कोई चिन्ता नहीं है?

गा० हमारी शुद्ध तपस्याके पूर्ण होनेपर ऐहिक लाभ उसमे से स्वयमेव फलीभूत होगे। उदाहरणके लिए पजाबके अत्याचारोके सम्बन्धमे तब कुछ भी करनेको नही रह जायेगा। इसके बाद पजाबके अत्याचारोके एक भी अपराधीको हिन्दुस्तानमे खडे होनेकी जगह नही मिलेगी। इतना ही नही, हमारी तिजोरीसे ऐसे किसी भी गुनहगारको वेतन अथवा पेन्शन देना सम्भव न होगा।

अ० तब क्या आपने सिर्फ अंग्रेजोके लिए सजा निर्धारित की है? भारतीयो — सामान्य भारतीयोने भी तो गुनाह किये है, उनका क्या होगा?

गा० यह प्रश्न आश्चर्यजनक है। हमारे गुनाहोकी अपेक्षा हमे हजार गुना अधिक सजा मिल चुकी है। मै विश्वासके साथ कहता हूँ कि जिन्होने गुनाह किये थे, उन्हे तो सजा मिली ही, सैकडो निर्दोष व्यक्ति भी मारे गये, अनेक निर्दोष व्यक्तियोको जेल जाना पडा। बच्चोतकको कष्ट सहन करना पडा है। निर्दोष स्त्रियोका अपमान हुआ है। जलियाँवालामे जो कत्लेआम किया गया वह भी निर्दोष व्यक्तियोका ही था। इससे अधिक भी कोई सजा हो सकती है क्या? लेकिन मैने तो अंग्रेज अधिकारियोको सजा देनेकी बात ही नही की है। मैने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि उन्हे अब हिन्दुस्तानका पैसा नही मिलते रहना चाहिए, और उनके पद और उपाधियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। उन्हे सजा देनेकी बात कही जाये तो उनमे से कितने ही लोगोकी सजा तो सिर्फ फाँसी ही हो सकती है। पर मेरे धर्ममे इसका कोई स्थान नही है। हिन्दुस्तान क्या चाहता है, सो मै नही जानता।

इसी प्रसंगमें मुझे एक बात याद आती है। श्री एन्ड्रयूजने जब जलियाँवाला बागके कत्लेआमकी 'ग्लेंकोके कत्लेआम'[1] के साथ तुलना की थी तब मैंने तुरन्त ही 'यंग इंडिया' में ग्लेंकोके कत्लेआमका विवरण प्रकाशित किया था। श्री एन्ड्रयूजके मनमें जलियाँवाला बागके कत्लेआमके प्रति कितनी घृणाका भाव होगा, इसे व्यक्त करनेके लिए ही मैंने इसे प्रकाशित किया। लेकिन उसे एक बार फिर पढ जानेमें मुझे लगा कि एन्ड्रयूजने कुछ अन्याय किया है और मुझे उस सम्बन्धमें बहुत दुःख हुआ। मैं प्रिंसिपल रुद्रसे[2] मिला, उनके साथ बातचीत की और देखा कि उनके विचार भी मेरे जैसे ही हैं। लेकिन आज मुझे श्री एन्ड्रयूजकी उस तुलनाकी यथार्थताका ध्यान आता है। जलियाँवाला बागका कत्लेआम ग्लेंकोके कत्लेआमसे भी अधिक बुरा, अधिक निन्द्य था, ऐसा मुझे अब प्रतीत होता है। कारण कि ग्लेंकोके कालके और वर्तमान कालके सुधारोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है।

भा० : सरकारने धर्मपर हमला किया है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सरकार तो विजयी मित्र-राज्योंके बड़े मण्डलमें एक हिस्सेदार मात्र ही है।

गा० आप-जैसे व्यक्तिको आज भी ऐसा प्रश्न करते देखकर मुझे हैरानी होती है। टर्कीके नाशकी योजनामें इंग्लैंडका प्रमुख हाथ है।[3] ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको[4] स्वयं अपनी करनीका फल चखना पड रहा है। वे अपने सदसद्विवेकके खिलाफ गये और फिर उसीकी तुष्टिके लिए उन्हें अपना वचनभंग[5] करना पडा, और इस प्रकार उन्होंने मुसलमानोंके हृदयोंको आघात पहुँचाया है।

भा० : अच्छा, चलिये अब दूसरे विषयोंपर विचार करें। आप स्कूलोंको खाली करवा रहे हैं लेकिन उनके स्थानपर शिक्षाकी क्या कोई अन्य व्यवस्था भी कर रहे हैं?[6]

* * *

भा० : तब क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली बुरी है?

गा० यह प्रश्न उठता ही नहीं। तथापि उसका उत्तर देनेमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। मैं कहता हूँ कि "हाँ, वह बुरी है।" शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी होनेसे विद्यार्थियोंके दिमागपर दोहरा बोझ पड जाता है। मैं अपने विचार तो क्या कहूँ? प्रोफेसर यदुनाथ सरकार[7]-जैसा व्यक्ति कहता है कि इस विदेशी भाषाके माध्यमसे

१. सन् १६९२ में विलियम तृतीय और मैरीके शासनकालमें स्कॉटलैंडमें यह कत्लेआम हुआ था।

२. सुशीलकुमार रुद्र, उस समय सेंट स्टीफेन्स कालेजके प्रिंसिपल।

३ प्रथम विश्वयुद्धकी समाप्तिपर शान्ति-सन्धिके अन्तर्गत।

४ लॉयड जॉर्ज।

५ ५ जनवरी, १९१८का, देखिए "भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, कलकत्तामें", १४ दिसम्बर, १९२०की पा० टि० १।

६ यहाँ महादेवभाईने इतना ही लिखा है कि गांधीजीने इस प्रश्नके उत्तरमें, उस समय गुजरातमें चल रहे शिक्षा-आन्दोलनका विस्तृत विवरण दिया।

७ १८७०-१९५८, शिक्षाशास्त्री और इतिहासकार, कलकत्ता विश्वविद्यालयके उपकुलपति (१९२६-२८)।

शिक्षा प्राप्त वर्गका दिमाग निस्तेज हो गया है। हमारी कल्पना शक्ति अथवा सर्जना-शक्ति ही नष्ट हो गई है। हमारा सारा समय विदेशी भाषाके उच्चारण और उसके रूढिगत प्रयोगोको याद करनेमे व्यतीत हो जाता है। यह एक वेगारका काम है और इसका परिणाम यह हुआ कि हम यूरोपीय सुधारोके 'स्याही सोख' बन गये है। उनका उत्तम अश लेनेके बदले क्षुद्र अनुकरणकर्त्ता बन गये है। दूसरा नतीजा यह हुआ है कि हममे और सामान्य वर्गके बीच बडी भारी खाई पड गई है। हम, जिस भाषामे वे समझ सके उस भाषामे राजनैतिक विषय तो क्या, सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक हित सम्बन्धी बाते भी उन्हे नही समझा पाते। इस युगमे हम प्राचीन ब्राह्मणो-जैसे हो गये है। बल्कि उनसे भी गये गुजरे हो गये है। उनके हृदय मलिन नही थे। वे राष्ट्रीय सभ्यताके 'न्यासी'की तरह थे। हम तो वैसे भी नही रह गये है। हम अपनी शिक्षाका अनुचित उपयोग कर रहे है। सामान्य वर्गके साथ हमारा व्यवहार ऐसा है मानो हम उनसे श्रेष्ठ हो। मेरी अभिलाषा है कि आप इस सम्बन्धमे मेरे साथ जिरह करे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेरे ये विचार आजके नही है, अनेक वर्षोके अनुभवके फलस्वरूप मै इन विचारोपर पहुँचा हूँ।

अ० इस दिशामें हमने विचार ही नहीं किया। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते है कि हम इसपर विचार करेंगे।

गा० यह ठीक है। एक बात कहना भूल गया। शिक्षाकी इस पद्धतिसे हमारी आत्माका हनन हो गया है, यह तो मैने कहा ही नही। आप लोग धर्म-निरपेक्ष शिक्षाकी ही अर्चना करते आये है, इसलिए हिन्दुओको धार्मिक शिक्षा तो कुछ मिल ही नही पाई। इग्लैडमे इसका दुष्परिणाम बिलकुल ऐसा नही हुआ क्योकि वहाँ धर्मगुरु धार्मिक शिक्षा देनेका थोडा बहुत प्रबन्ध कर लेते है।

भा० सच बात तो यह है कि लूटके धनसे आप अपने बालकोको शिक्षा नहीं देना चाहते, ठीक है कि नहीं?

गा० हाँ, इसके अलावा हमे शिक्षा लुटेरोके झडेके नीचे भी नही चाहिए। मेरा कहना है कि जिस सरकारके प्रति हमारे मनमे तनिक भी निष्ठा नही रही है, प्रेमभाव नही रहा है, उस सरकारके अधीन चलनेवाले स्कूलोसे हमारा कोई लेना-देना नही होना चाहिए। मै आपसे एक सीधी-सी बात कहता हूँ। एक समय ऐसा था जब मै स्वय 'गॉड सेव द किंग' (सम्राट् चिरजीवी हो) अतिशय उमगसे गाता था, इतना ही नही, अपने अग्रेजी न जाननेवाले लडकोको भी मैने यह गीत कठस्थ कर-वाया था। मै आफ्रिकासे राजकोट आया था। मैने ट्रैनिंग कालेजके विद्यार्थियोको भी यह गीत सिखाया था। क्योकि मै समझता था कि सच्चे राजभक्त व्यक्तिको यह गीत आना चाहिए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज मै इस गीतको अपने हृदयपर हाथ रखकर नही गा सकता और किसीको गानेके लिए भी नही कह सकता। एक व्यक्तिके रूपमे सम्राट् जॉर्ज बहुत जिये, ऐसा मै कहूँगा, लेकिन जिस साम्राज्यने मनुष्य और भगवान्‌के आगे अपनेको गिरा दिया है वह एक क्षणके लिए भी टिके, ऐसी कामना मै नही कर सकता।

भा० : आप कह चुके हैं कि शिक्षण पद्धति कैसी है, उससे आपको कोई सरोकार नही है।

गा० हाँ, यह सच है।

भा० : हमारे विश्वविद्यालयोका संचालन तो भारतीय करते हैं, उनसे सम्बन्धित नीति निर्धारित करनेवाले भी भारतीय होते हैं।

गा० : हाँ, यह बात सच है। विश्वविद्यालयवाले अगर मेरी बात मानें तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने 'चार्टर' फाड डाले। ऐसा करनेके बाद विश्वविद्यालय हमारे ही हो जायेंगे। अगर इसके उत्तरमें वे यह कहे कि इससे सरकारकी ओरसे मिलनेवाला अनुदान बन्द हो जायेगा तो मैं उन्हे यह गारटी देनेको तैयार हूँ कि पैसा मैं लाकर दूँगा। आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप अपने विश्वविद्यालयोको राष्ट्रीय बनाये। पडितजीसे[1] भी मैंने यही कहा कि वाइसरायके चार्टरको वापस कर दे और महाराजाओको[2] भी, अगर वे चाहे तो, उनका पैसा वापस कर दे। पैसा कम पडेगा तो भिक्षा माँगेगे। यदि आपमे महाराजाओसे दान माँगनेकी असाधारण योग्यता है तो सामान्य वर्गसे भीख माँगनेकी थोडी बहुत शक्ति मुझमे भी है।

भा० : लेकिन 'चार्टर'ने क्या बिगाडा है?

गा० अरे 'चार्टर'के आनेसे वह सब-कुछ आ गया जो सरकार लाना चाहती है। 'चार्टर' है सिर्फ इसलिए हिन्दू विश्वविद्यालय ड्यूक ऑफ कनॉटको[3] सम्मानित करेगा। यह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? नही, मैं तो ठीक ही कहता हूँ कि श्रीमती बेसेंटने एक बार कहा था कि "तुम तो राज्यविप्लव — बलवा करवाना चाहते हो।" यह बात सच है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि यह विप्लव केवल 'क्रान्तिमूलक' नही होना चाहिए बल्कि विकासमूलक होना चाहिए। विप्लव तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसके बिना मुक्ति नही है। देखो न, सरकारको तो उचित-अनुचितका विचार ही नही रह गया है। उसने अभी हाल ही मे जो निर्लज्ज सार्वजनिक घोषणा की है, उसे देखो। उसमे बहुत आडम्बरपूर्ण वाक्यजालकी रचना करके कहा है कि फिलहाल तो हमने समाचारपत्रोको छूट दे दी है। हम किसीकी जुबानपर ताला लगानेवाले नही हैं। तथापि वह क्या कर रही है? उसने पजाबके शान्त कार्यकर्त्ता आगा सफदरके मुँहमे किस कारण ताला लगाया है? उनमे धर्मान्धता नामकी चीज नही, उनके जैसा शान्त कार्यकर्त्ता मैंने पजाबमे नही देखा। इसके अलावा अभी उस दिन 'सर्वेन्ट' पत्रके बाबू श्यामसुन्दर चक्रवर्तीने मुझसे कहा कि उन्हे सरकारकी ओरसे एक 'चेतावनी' मिली है। सो किसलिए? 'यग इडिया'मे प्रकाशित श्री राजगोपालाचारीके[4] "मतदाताओको सूचना" नामक लेखको अपने पत्रमे प्रकाशित करनेकी वजहसे। यह स्थिति असह्य है।

१ प० मदनमोहन मालवीय।

२. भारतीय राजा जिन्होने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके लिए उदारतासे धन दिया था।

३. जो कि बहुत जल्द भारत आनेवाले थे।

४ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, (जन्म १८७९-), वकील, पत्रकार, लेखक और राजनीतिज्ञ, भारतके गवर्नर जनरल (१९४८-५०)।

भा० अब अदालतोके प्रश्नको ले। अदालतोको बन्द करवाकर, वकीलोसे उनकी वकालत छुडाकर आप क्या करना चाहते है?

गा० सरकारकी प्रतिष्ठाको तोडना चाहता हूँ। ये अदालतें और स्कूल सरकारी प्रतिष्ठाकी नीवको मजबूत बनाये रखनेके साधन है। सरकार उन्ही वस्तुओके द्वारा लोगोको मोहजालमे फँसा रही है।

भा० तब झगडोका निबटारा किस तरह होगा?

गा० मै अपना अनुभव कहूँ? अपनी वकालतके दौरान ७५ प्रतिशत मामलोका फैसला मैने घर बैठे-बैठे ही किया। घर बैठे-बैठे झगडे निपटानेमे मै "सिद्धहस्त" माना जाता था। अपनी निष्पक्षताके लिए मै वहाँ प्रसिद्ध हो गया था। फलत मेरी ओरसे विरोधी पक्षको नोटिस मिलनेपर तुरन्त ही वह मेरे पास आता और फैसला करवानेकी माँग करता। इसलिए अनेक लोगोको दो वकील रखने पडते। अगर उन्हे मेरी बात रास नही आती थी तो वे लडनेके लिए दूसरे वकीलके पास जाते थे। मै तो सिर्फ साफ मामलोको ही हाथमें लेता था।

अ० क्या आपका यह खयाल है कि काफी लोग इसके अनुसार चलेगे?

गा० ५० प्रतिशत मुकदमा लडनेवाले लोग अदालतोको छोड देगे, परिणामत ५० प्रतिशत मुकदमे कम हो जायेंगे। मैने सुना है कि ५० प्रतिशत मुकदमे तो दलाल करवाते है। श्री दास कहा करते थे कि कलकत्तेमें ऐसी बात नही है। लेकिन दूसरोने मुझे बताया कि श्री दासको उस बारेमें ठीक पता नही है।

कलकत्तेके एक वकील जो खिडकीसे इस सलापको सुन रहे थे, बोल उठे 'मुफस्सिल' तो "दलालो"से ही भरी हुई है। वहाँके ५० प्रतिशत मुकदमें इन दलालोके ही बनाये हुए होते है, इस बातकी गवाही मै देता हूँ।

भा० होगा, लेकिन मै शहरकी बात करता हूँ। 'बगाल व्यापार सघ'ने एक 'पच फैसला न्यायाधिकरण'की स्थापना की है तथापि व्यापारियोका दलालोके पास जाना कम नहीं हुआ है।

गा० हो सकता है, क्योकि वकीलोकी सख्या कम नही हुई है।

भा० एकाध व्यक्तिके वकालत छोडनेका असर क्या होगा?

गा० तुलनात्मक दृष्टिसे देखे तो कुछ-न-कुछ असर अवश्य होगा। पडित मोतीलाल नेहरूके वकालत छोडनेसे सरकारकी प्रतिष्ठाकी गिरती हुई इमारतको एक धक्का लगा है, ऐसा मै अवश्य कहूँगा। सर हारकोर्ट बटलरसे पूछकर देखें।

अ० आप मुकदमा चलानेवालोको भी अदालतोमें जानेसे रोक रहे है, यही बात है न?

गा० जी हाँ।

अ० लेकिन ऐसा कैसे सम्भव होगा? आपमें तो उनको विश्वास था। आप तो उनका ही काम लेते थे जो निर्दोष होते थे। आप उनके बारेमें तो कुछ नहीं जानते जिनका हृदय स्वच्छ नहीं है और जिनके हाथ रगे हुए है। ऐसे लोगोका आप क्या करेगे? ऐसे मामले तो कदाचित् ही होते होगे जिनमें दोनो पक्ष स्वच्छ और पवित्र हो।

गा० ऐसे गत्र लोगोंको मैं निधड़क सरकारके हवाले कर दूँगा।

भा०: [दोनोंकी ओरसे] हम आपके साथ लड़ने नहीं आये हैं? आपको समझनेके लिए ही आये हैं, यह तो आप जानते ही हैं। अब एक ही सवाल हम और पूछेंगे। आपके अनुयायियोंका असहयोग वैर और तिरस्कारपर प्रतिष्ठित है, यह बात सच है कि नहीं?

गा० हाँ, मद्रासके एक अंग्रेज भाईने मुझे इस सम्बन्धमें लिखा है।

अ०: मैं आपके सिद्धान्तको समझता हूँ, लेकिन आपके अनुयायियोंकी जुबानसे तो नित नया विष झरता है।

गा० तथापि मेरा कहना है कि उदात्त कार्य रीझ कर करो या खीझकर, उसका फल प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। सत्य भयसे बोला जाये अथवा जान-बूझकर तो भी क्या उस सत्यका परिणाम आये बिना रह सकता है?

भा०. आपका सिद्धान्त 'पापका तिरस्कार लेकिन पापीका तिरस्कार नहीं' है, जब कि आपके अनुयायियोंका सिद्धान्त ठीक इसके विपरीत है—'पापीका तिरस्कार करो', पापका तिरस्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं।

गा० क्या यह कहकर आप अन्याय नहीं करते? कुछ लोग 'पाप और पापी दोनोंका तिरस्कार करते हैं।' पापका तिरस्कार करते हैं इसीलिए तो वे इतना त्याग कर रहे हैं। बड़े-बड़े बलिदान देनेके लिए तैयार हैं। क्या सिर्फ पापीका तिरस्कार करनेसे इतने बलिदान किये जा सकते हैं? कभी नहीं।

अ०. आपका मूल सिद्धान्त तो पापियोंका साथ न करना है; फिर आप अपने अपवित्र साथियोंके साथ किस प्रकार काम कर सकते हैं? आप-जैसी उच्च भूमिपर प्रतिष्ठित होकर कार्य करनेवाला व्यक्ति मलिन साधनोंसे क्यों कर काम लेता है?

गा० जरा आप सरकारकी अपवित्रता और मेरे साथियोंकी अपूर्णताकी तुलना कीजिए। जरा अधिक विचार करके देखें तो आप समझ जायेंगे कि कोई भी सुधारक—मैं एक सुधारक हूँ—उसे जो साधन प्राप्त होते हैं उनसे काम लेनेके लिए बाध्य है, किन्तु मलिन साधनोंसे नहीं, बल्कि अपूर्ण साधनोंसे कहिए।

भा०: हमने आज आपको बहुत तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। मैं अबतक 'असहयोग' के विरुद्ध संघर्ष करता आया हूँ, लेकिन आज ही समझ सका हूँ कि असहयोगके जिस स्वरूपके विरुद्ध मैं लड़ रहा था वह, आपसे जिस असहयोगके बारेमें बातचीत हुई है, उससे भिन्न है। हम दोनों आपके आभारी हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-१२-१९२०

७८. पत्र : के० के० भट्टाचार्यको

[१६ दिसम्बर, १९२०][1]

प्रिय महोदय,

मुझे आपका गत २९ सितम्बरका पत्र अभी-अभी मिला। आप मुझे हड़तालका कुछ और विवरण तथा 'टाइम्स ऑफ आसाम'की कतरन भेज सके तो अच्छा हो।

आपके विश्वस्त

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२८५) की फोटो-नकल से।

७९. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको[2]

१७ दिसम्बर, १९२०

तुम्हे कदाचित् मुझमें कही-कुछ घृणा दिखाई देती है और उसके कारण तुम मुझसे थोड़ा विरक्त हो जाती हो, किन्तु इसी कारण मैं तुमको और अधिक प्यार करता हूँ। यदि असहयोगमे रत होना मेरे लिए कोई राजनीतिक मामला होता तो उसपर तुम्हारा दुःख करना ठीक होता। पर सचाई तो यह है कि वह मेरा धर्म है। "मैं घृणाकी समस्त शक्तियोको इकट्ठा करके उनको एक सही दिशामे मोड़ रहा हूँ।" जैसे तिरस्कार उद्धत सत्ताका लक्षण होता है, वैसे ही घृणा दुर्बलताकी निशानी है। यदि मैं अपने देशके लोगोको इतना-भर समझा सकूँ कि हमे अंग्रेजोसे डरनेकी जरूरत नही है तो फिर हम अंग्रेजोसे घृणा करना बन्द कर देंगे। वीर पुरुष या स्त्री कभी घृणा नही करते। घृणा मूलतः कायरोका दुर्गुण है। असहयोगका अर्थ है आत्म-शुद्धि। जब तुम चीनीको शुद्ध करती हो तब उसका मैल सतहपर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम आत्मशुद्धि करते है तब हमारी दुर्बलता सतहपर आ जाती है।

१ गांधीजीको श्री भट्टाचार्य द्वारा लिखे गये २९ सितम्बर, १९२० (एस० एन० ७२८५) के पत्रपर उत्तर देनेकी यही तारीख दी हुई है।

२ यह पत्र सरलादेवीके उस पत्रके उत्तरमें लिखा गया था जिसमें उन्होने गांधीजीके असहयोगमें रत होनेपर दुःख प्रकट किया था और अपना यह मत व्यक्त किया था कि असहयोगका आधार घृणा है। उन्होने लिखा था यदि आप घृणाको त्याग देते तो मैं आपको और भी अधिक प्यार करती।

किन्तु तुम्हारे पत्रके सम्बन्धमे जो बात अच्छी लगती है वह यह कि तुमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, मेरी शुद्धता और मेरी नेकदिलीमें तुम्हारा जो विश्वास है उसपर आधारित है। यदि मुझमें ये गुण न हो तो मैं निकम्मा हूँ। तब मैं अपने आपको तुम्हारे उन तमाम त्यागोंके अयोग्य मानूँगा जो तुमने अपने पहले पत्रमे लिखे थे।

तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है मैं उसका विश्लेषण करता रहा हूँ। मैंने आध्यात्मिक पत्नीका अर्थ निश्चित कर लिया है। यह स्त्री और पुरुषकी वह सहधर्मिता है जिसमे शारीरिक पक्षका सर्वथा अभाव होता है। इसलिए यह सहधर्मिता भाई-बहन और पिता-पुत्रीमे भी सम्भव है। यह केवल दो ऐसे व्यक्तियोंके बीच सम्भव है जो मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचारी हो। मैं तुम्हारी ओर इसलिए आकर्षित हुआ कि मैंने अपने और तुम्हारे बीच आदर्शों और आकाक्षाओकी समानता और पूर्ण आत्मसमर्पणकी भावना देखी। तुम पत्नी हो, क्योंकि तुमने हमारे समान आदर्शका अपनी अपेक्षा मुझमे अधिक विकास देखा। इस आध्यात्मिक सहधर्मिताको कायम रखनेके लिए हमारा पूर्ण एकीकरण आस्था-मूलक नही, ज्ञान-मूलक होना चाहिए। यह दो समान आत्माओका मिलन है। यह सहधर्मिता उस स्थितिमे भी सम्भव है जब कोई पक्ष किसी दूसरेसे शारीरिक रूपमे विवाहित हो, किन्तु वह भी तभी जब वे दोनो ब्रह्मचर्यका पालन करते हो। आध्यात्मिक सहधर्मिता पति और पत्नीके बीच भी सम्भव है। यह शारीरिक सम्बन्धोसे परे होती है और मृत्युके उपरान्त भी कायम रहती है। मैंने जो-कुछ कहा है, उससे सार यह निकलता है कि आध्यात्मिक सहधर्मी इस जीवनमे या भावी जीवनमे भी शरीरत कभी विवाहित नही हो सकते, क्योंकि वह सहधर्मिता तो तभी सम्भव है जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहकी वासना न हो। क्या तुम मेरी वैसी आध्यात्मिक पत्नी हो? क्या हममे वैसी उत्कृष्ट शुद्धता है, वैसा पूर्ण एकीकरण, वैसा पूर्ण आत्मिक सविलय, वैसी आदर्शोकी समानता, वैसी आत्मविस्मृति, वैसी उद्देश्य-निष्ठा और वैसा पारस्परिक विश्वास है? जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो स्पष्ट कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो यह केवल एक आकाक्षामात्र है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे साहचर्यके अयोग्य हूँ। मुझमे जितनी वैचारिक शुचिता है, उससे कही अधिक ऊँची शुचिताकी आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ उस तरहका पवित्र सम्बन्ध रखनेके अयोग्य इसलिए भी हूँ कि मुझे तुमसे बहुत अधिक शारीरिक लगाव है। शारीरिक लगावसे यहाँ मेरा मतलब यह है कि मेरे मनपर तुम्हारी दुर्बलताओका बहुत अधिक प्रभाव पडता है। यदि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पति हूँ और उससे एकात्मभावकी अनुभूति होनी हो तो मुझे तुम्हारा गुरु नही होना चाहिए। इसके विपरीत, तुम्हारे और मेरे बीच तो प्राय अनेक तीव्र मतभेद भी हो जाते हैं। जहाँतक मै समझ सका हूँ, हमारा सम्बन्ध भाई-बहिनका है। मुझे तुम्हारा अनुशास्ता बनना होगा और इस प्रकार तुमको झकझोरना होगा। मुझे तुमसे भाईके समान नम्र अनुरोध करना होगा और ऐसे ठीक शब्द चुननेकी सावधानी रखनी होगी, जैसा कि मैं अपनी सबसे बडी बहिनको समझानेके लिए करता हूँ। मुझे पिता, पति, मित्र, और

गुरु सभीका काम स्वय नही करना चाहिए। मैंने जिस बडे पत्रकी बात कही थी, वह यही है। मेरे हृदयके उत्कटतम प्रेम समेत,

तुम्हारा,
एल० जी०

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

८०. भाषण: नागपुरकी सार्वजनिक सभामें

१८ दिसम्बर, १९२०

हम दोनो भाई[1] पिछले कुछ महीनोसे हिन्दुस्तानमे घूम रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदयने मौलाना साहबका परिचय नही दिया है क्योकि वे छिंदवाडामें[2] बहुत समय तक आपके मेहमान रहे हैं। वे छिंदवाडामे किस तरह सरकारके मेहमान बने और आज हम क्या करते हैं, यह आप जानते हैं। जिन वकीलोने वकालत छोड दी है उन्हे मैं बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि इतने-भरसे काम नही चलेगा। आपने नागपुरमें[3] काग्रेस बुलाई है, उसे आप किस तरह शोभान्वित करेंगे? मध्यप्रान्तमे अच्छा काम हो रहा है तथा यहाँ होनेवाली काग्रेसमे अच्छा काम होगा, ऐसा मैंने सुना है। मद्यपान छुडवानेका आन्दोलन यहाँ अच्छी तरह चल रहा है, यह एक सुन्दर बात है। मेरा कहना है कि इसे छुडवानेमें भी हमारी विजय निहित है। हम असहयोग करना चाहते हैं, इसलिए हमारा शराब पीना, नशेमें मस्त हो जाना और अभद्र व्यवहार करना शान्तिका मार्ग अपनाना कदापि नही है। अमन नही रखेंगे तो हम इस जन्ममे साम्राज्यको नही मिटा सकेंगे। इसे अगर हम दुरुस्त करना चाहते हैं अथवा मिटाना चाहते हैं तो हमारे पास शान्तिमय असहयोगके अलावा और कोई हथियार नही है। मैं कह रहा हूँ कि यह साम्राज्य शैतानियतसे भरा हुआ है। शैतानको मजबूर करना हो, दूर करना हो तो यह शैतानियतसे नही हो सकता। हमें खुदाकी ही मदद लेनी चाहिए। हमारी लडाई अधर्मके विरुद्ध धर्मकी लडाई है। पजाब और खिलाफतके अन्यायके बावजूद साम्राज्य क्षमा नही माँगना चाहता। वह हमसे कहता है कि जो कहना या करना हो खिलाफत और पजाबको भूलकर करो। जबतक हिन्दू और मुसलमानोके बीच सच्ची एकता स्थापित नही हो जाती तबतक मैं दोनोसे

१ गाधीजी और मौलाना शौकत अली।

२ जहाँ १९१५ के भारत रक्षा अधिनियमके अन्तर्गत मौलाना शौकत अली और मुहम्मद अली निगरानीमें रखे गये थे।

३ गाधीजी १८ दिसम्बरको नागपुर पहुँचे थे, काग्रेस अधिवेशन २६ दिसम्बरको होनेवाला था।

कहता हूँ कि इस साम्राज्यको मिटाना असम्भव है। यह इसी शर्तपर सम्भव है। शान्तिमय असहयोग परम धर्म है। धर्म और अधर्मके बीच सहयोग कभी नही हो सकता। शैतानकी मददको छोडना एक बहादुरीका काम है। इसीलिए जमनालाल[1] आज इस सभाके अध्यक्ष हैं। जलते हुए घरको छोडते समय हम इस बातका विचार नही करते कि घर छोडा जाये या नही। कौसिलमें जाकर न खिलाफतके प्रश्नको दुरुस्त किया जा सकता है और न पजावके प्रश्नको। स्वराज्य प्राप्तिके द्वारा ही पजावको न्याय दिलवाया जा सकता है।

सात करोड मुसलमान और तेंतीस करोड हिन्दू, एकताके सिवा किसी और तरह साथ नही रह सकते।

अभीतक हमने प्रस्ताव पास किये हैं, अब काम करनेका समय आया है। काग्रेसका अधिवेशन होनेसे पहले अगर आप कुछ काम करके दिखाना चाहते है तो नागपुरके स्कूलो और कालेजोको खाली कर देना चाहिए।

खापर्डे और मेरे बीच भारी मतभेद हैं, लेकिन उन्हे कोई परेशान करे सो मैं पसन्द नही करता। मेरी माँग तो यह है कि मैं जैसी स्वतन्त्रता चाहता हूँ वैसी ही स्वतन्त्रता उन्हे भी मिलनी चाहिए। हम अपने कार्योका अच्छा नतीजा निकाल कर दिखायेगे तो खापर्डे और अन्य सभी निश्चत रूपसे हमारे पक्षमे आ जायेगे।

हममे ऐसी व्यवस्था करनेकी ताकत होनी चाहिए कि जिससे एक वर्षके भीतर ही हम सारा प्रवन्ध कर सके। हमे विश्वास रखना चाहिए कि पजावके लिए हमे न्याय अवश्य मिल सकेगा। हम डरपोक हैं इसीलिए मुट्ठी-भर अग्रेज यहाँ राज्य चलाते हैं। ऐसा विश्वासघात भविष्यमे न हो सके, इसके लिए स्वराज्य लेना है। जबतक हम ठोस कार्यके लिए तैयार नही होते तबतक कुछ नही कर सकते। मेरी समझमे नही आता, स्वदेशीमे क्या कुर्बानी है। हमारे लिए यह एक ऐसा अवसर है जो मिस्र और कोरियाके लोगोको कभी नही मिला। हिन्दुस्तानमे तीस करोड लोग हैं। मिस्रमे मुट्ठी-भर लोग हैं। समस्त देशोके लिए हम दोनो भाई पदार्थपाठ हैं। जिस तरहसे एक माँके जाये दो भाई रहते हैं, हम वैसे रहते हैं। हम दोनो साफदिल हैं।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

१ जमनालाल बजाज (१८८९–१९४२), प्रसिद्ध गाधीवादी उद्योगपति जिन्होने गाधीजीकी रचनात्मक योजनाओमें भरपूर सहयोग दिया, गाधीजीके निकटतम साथियो और सलाहकारोंमें से एक।

८१. अन्त्यजोके सम्बन्धमे और विचार

मुझे दुख हे कि अन्त्यजोको लेकर जो वाद-विवाद चल रहा है उसे 'नवजीवन'मे भी स्थान देना पडा है। तथापि इसका असहकारकी सफलतासे सम्बन्ध है इसलिए 'नवजीवन'के पाठक इसे स्थान देनेके लिए मुझे क्षमा करेगे। 'नवजीवन'का कर्त्तव्य है कि उसके कार्यवाहक जिसे शुद्ध सत्य मानते हो, उसे पाठकोके सम्मुख पेश करे।

असहकारका मार्ग जितना सरल है उतना ही विकट भी है। जिसकी समझमे आ जाये उसके लिए वह सहल है, दूसरोके लिए विकट है। समझ न सकनेके कारण समय-समयपर उलझन होती रही हे।

मुश्किलोपर पर्दा डाले रहनेसे वे दूर नही हो जाती। आ पडनेवाली मुश्किलोको तत्काल दूर करनेसे असहकार आसान होगा। आपसमे सहकार किये विना हमे सरकारके विरुद्ध असहकारकी शक्ति प्राप्त नही होगी। छ करोड अन्त्यजोको 'ढेढ' मानकर तिरस्कार करके हम सफल नही होनेवाले। जिस साम्राज्यने हिन्दू-मुसलमानोको लडाया है, वह साम्राज्य अन्त्यज और दूसरे हिन्दुओके बीच लडाई करानेमे चूकनेवाला नही है।

हमे सावधान रहना चाहिए कि कोई निर्णय करते समय हम झूठी-सच्ची वातोसे भ्रमित न हो जाये। अन्त्यजोको विद्यापीठ[1] द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलोमे स्थान दिये जानेका प्रस्ताव कोई नया नही हे, यह तो विद्यापीठके सविधानमे निहित अर्थपर जोर-भर देता है। यह अर्थ श्री एन्ड्रयूजकी प्रेरणासे नही किया गया है, श्री एन्ड्रयूजने जो प्रश्न पूछा था, यह प्रस्ताव उसका उत्तर है। अन्य किसी व्यक्तिने भी अगर वह प्रश्न किया होता तो उसे भी यही उत्तर मिलता।

यह प्रस्ताव मेरा अथवा किसी एक व्यक्तिका नही है, विद्यापीठके नियामक मण्डलका है।[2] यह वात मै पहले ही कह चुका हूँ।

इस प्रस्तावको आपद्धर्मके रूपमे नही, आवश्यक धर्मके रूपमे स्वीकार किया गया है।

इसको स्वीकार करनेके पीछे पश्चिमकी हवा नही है। ऐसा करके हिन्दू-धर्मको ही अगीकार किया गया है। मै स्वय किसी दुनियावी स्वराज्यके यज्ञमे धर्मकी आहुति नही देना चाहता। स्वराज्यको मै धर्मका आवश्यक अग समझता हूँ, इसीलिए उसके लिए जी-जानसे जुटा हुआ हूँ।

धर्मयज्ञमे तो मै देशकी आहुति देनेको भी तैयार हो जाऊँ, ऐसी मेरी भावना है। मेरा स्वदेशाभिमान धर्माभिमानसे मर्यादित है। इसलिए अगर देशहित, धर्महितका

१ गुजरात विद्यापीठ, जिसकी हाल ही में अहमदाबादमें स्थापना की गई थी और यह सरकारी चार्टरके विना हुई थी, देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ४८४-८९।

२ देखिए "वैष्णवोसे", ५-१२-१९२०।

विरोधी हो तो मै देशहितको छोडनेके लिए तैयार रहता हूँ। अन्त्यजको अस्पृश्य मानना मै अधर्म समझता हूँ और अधर्मका आचरण करते हुए देशहित करनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नही है। मेरी दृढ मान्यता है कि देशमें जब सच्चे अर्थोमें धर्म-जागृति होगी तभी स्वराज्य मिलेगा। ऐसी जागृतिका समय आ गया जान पडता है। इसी कारण मैने एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्तिको सम्भव माना है। मेरे यह सब लिखनेसे आप समझ गये होगे कि मै अस्पृश्यताको अधर्म मानता हूँ और इसी कारण अस्पृश्यताका दोष दूर करनेके कार्यमे रत हूँ।

कोई भी जीव जन्मसे ही अस्पृश्य है और उसे अस्पृश्य दशामें ही मरना चाहिए, मेरी मान्यता है कि यह हिन्दू-धर्म नही है, ऐसे अधर्मको धर्मका नाम देना और भी अधिक अधर्म करने जैसा है। व्यवहारमे आज अस्पृश्यता नही रह गई है। मै इसी अस्पृश्यताका गुजरातके हिन्दुओसे ज्ञानपूर्वक त्याग करनेका अनुरोध कर रहा हूँ। यदि वह धर्म होता और व्यवहारमें उसका लोप हो गया होता तो मै विद्यापीठमे उसके पुनरुद्धारकी आकाक्षा करता। लेकिन यह अधर्म है ऐसा मानकर ही मैने विद्यापीठके प्रस्तावका स्वागत किया है और प्रत्येक गुजरातीसे उसका स्वागत करनेकी विनती करता हूँ।

अनेक वर्षोसे पडी हुई कुटेवको दूर करना मुश्किल है, यह मै समझता हूँ। जो अस्पृश्यताको कुटेव मानकर एकाएक दूर नही कर सकते उनके प्रति मुझे हमदर्दी है। लेकिन जो धर्म मानकर उसका पोषण करते हैं उनपर तो मुझे दया ही आती है।

हिन्दू-धर्मके नामपर अथवा शास्त्रके नामपर जो कुछ कहा जाता है वह सब सच है, ऐसा मानना भयकर है। इसीसे गुजराती हिन्दुओसे मेरी प्रार्थना है कि वे शकराचार्यकी अध्यक्षतामे हुए प्रस्तावसे भ्रमित न हो।

लेकिन निर्णयोपर अमल करनेमे हमे शान्तिका पालन करनेकी बडी आवश्यकता है। और असहकार करते हुए तो और भी विशेष रूपसे। शास्त्री वसन्तरामजीके एक लेखसे मुझे पता चला कि उनपर आक्रमण किये जानेकी धमकी दी गई है। हम धार्मिक अथवा अन्य प्रकारके प्रश्नोका निर्णय मारपीटके द्वारा नही कर सकते। विन-म्रतापूर्वक दलीलोके द्वारा ही हम सत्यासत्यका विचार कर सकेगे। सब तरहके धर्म-सकटका निपटारा लोग अपने-अपने विचारोको अमलमे लाकर ही कर सकेगे, वैसा करनेसे सत्य स्वयमेव तिरकर ऊपर आ जायेगा। आकाशपर धूल उडानेसे वह आँखोमे आ पडती है। यह तर्क देनेकी भी क्या जरूरत है? जिसे धूल उडानेमे रस आता है वह धूल उडाकर ही सारासारका अनुभव प्राप्त कर लेगा। अस्पृश्यताके पापसे चिपके रहकर स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयत्न करना आकाशमे धूल उडाना है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-१२-१९२०

८२. टिप्पणियाँ

बहनोंका उदाहरण

भारतकी नारियोंसे हम बहुत सीख सकते हैं। काश कि अंग्रेज लोग तथा हममें से वे लोग जो असहयोगकी जरूरत या सामर्थ्यमें विश्वास नहीं करते, भारतकी नारियाँ असहयोगके समर्थनमें जो उत्साह प्रदर्शित कर रही हैं, उसे देखते। वे हर जगह सैंकड़ों-हजारोंकी संख्यामें इकट्ठा हुई हैं। वे परदेसे बाहर निकली हैं और उन्होंने बाहर आकर मौलाना शौकत अलीको और मुझे दुआएँ दी हैं। उन्होंने सहज ही में आन्दोलनका शुद्ध स्वरूप पहचान लिया है। उनके दिलोंपर असर हुआ है। उन्होंने अपनी हीरे-मोतीकी चूड़ियाँ, कण्ठहार और अँगूठियाँ दे दी हैं। अमीर, गरीब सभी तरहकी औरतोंने आकर हमें अपनी दुआओंके साथ मूल्यवान उपहार भी दिये हैं, मूल्यवान इसलिए कि ये उपहार सर्वथा स्वेच्छापूर्वक दिये गये। उन्होंने यह भी समझ लिया है कि भारतकी गरीब नारीकी पवित्रता चरखेके संगीतमें निहित है। वे असहयोगके झंडेके नीचे घृणाके कारण इकट्ठा नहीं होतीं।

दूसरा पक्ष

परन्तु पुरुषवर्ग उतावला है और भारी भूल करता है, जैसी कि उन्होंने, पता चला है, दिल्ली और बंगालमें की है। एक ऐसे आदमीकी लाशको, जिससे तथाकथित असहयोगी लोग, (यदि वे असहयोगी थे तो) नफरत करते थे, दफनाने नहीं दिया गया। यह बहुत पापपूर्ण कृत्य था।[1] पूर्वी बंगालमें एक जगह एक उम्मीदवारपर, जो कौंसिलकी सदस्यताके लिए खड़ा हुआ था, पाखाना फेंका गया और एक मतदाताके कान इसलिए काट लिये गये कि उसने मत देनेका दुस्साहस किया था। ये बहुत बुरे काम हैं।[2] ये तो केवल हमारे अपने ही उद्देश्यको विफल करनेके तरीके हैं। असहयोग केवल अंग्रेजों और सरकारी अधिकारियोंकी हदतक ही अहिंसात्मक नहीं है। हमारे देशभाइयोंके सन्दर्भमें भी उसे उतना ही अहिंसात्मक होना चाहिए। कोई सहयोगी भी कर्म, वचन और विचारकी स्वतन्त्रताका उतना ही हकदार है, जितना कि बड़ेसे-बड़ा असहयोगी। असहयोग सभी तरहकी गुलामीके विरुद्ध है। अतएव जो असहयोगी हिंसाका सहारा लेता है, वह अपने ही उद्देश्यमें बाधा डालता है। यह अपने उद्देश्यमें विश्वासकी कमीका निश्चित चिह्न है।

और भी दमन

पता नहीं, दिल्लीकी वारदातके परिणामस्वरूप या अन्य किसी कारणसे, दिल्लीमें राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम फिर लागू हो गया है और कुछ स्वयंसेवक-दस्ते भंग

१ देखिए पृष्ठ ९९, पाद-टिप्पणी १।

२ ये दोनों घटनाएँ विधान परिषदोंके चुनावोंके दौरान नवम्बर १९२० में हुई थीं।

कर दिये गये है।[1] मै अधिक जानकारीके अभावमे, इस दमनकारी तरीकेके बारेमें अधिक नही कह सकता। परन्तु इतना जानता हूँ कि यदि आन्दोलनको शीघ्र ही सफलताकी स्थितितक पहुँचाना है तो उक्त दस्ते भग करनेका आदेश, सभाओ, इश्तिहारो आदिका निषेध करनेवाली आज्ञा, सबका ईमानदारीसे पालन करना चाहिए। यदि जरूरत हो तो हमे बिना आम सभाओ और इश्तिहारोके आन्दोलन चला सकनेमे समर्थ होना चाहिए। स्वयसेवक दस्ते भग करनेके आदेशका विशेष अर्थ नही है। ससारमे कोई भी सरकार किसी व्यक्तिको, यदि वह सेवा करना चाहे तो, रोक नही सकती। सेवा करनेके लिए उसे किसी बिल्लेकी जरूरत नही। परन्तु स्वयसेवकोको उस तरहका आचरण नही करना चाहिए जैसे आचरणकी बात पुलिसके बारेमे कही जाती है। उन्हे, जो व्यक्ति उनके विचारोसे सहमत नही होते, उनको भय नही दिखाना चाहिए। वे राष्ट्रके सेवक है, मालिक नही।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २२-१२-१९२०

८३. गोपनीयताका दोष

गोपनीयताकी वृत्ति भारतका एक अभिशाप है। यह अकसर देखनेको मिलती है। किसी अनजान परिणामके भयसे हम फुसफुसाकर बात करते है। इस गोपन वृत्तिने मुझे कही उतना अधिक परेशान कही नही किया जितना बगालमे। वहाँ तो हर कोई आपसे "एकान्त" मे ही बात करना चाहेगा। मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा दु ख हुआ कि भोलेभाले नवयुवक अपनी बात शुरू करनेसे पहले चारो ओर निगाह डालते है कि कही कोई तीसरा व्यक्ति तो उनकी बातचीत नही सुन रहा है। हर अजनबी आदमीपर खुफिया होनेका सन्देह किया जाता है। मुझे भी अजनबी लोगोसे सावधान रहनेकी चेतावनी दी गई है। जब मुझे यह बताया गया कि जिस अज्ञात विद्यार्थीने विद्यार्थियोकी सभाकी अध्यक्षता की थी, वह खुफिया विभागका था तब मेरा दु ख सीमापर पहुँच गया। मै कमसे-कम ऐसे दो प्रमुख नेताओके नाम जानता हूँ, जो उच्च भारतीय समाजमे सरकारके गुप्तचर समझे जाते है।

मै ईश्वरका आभार मानता हूँ कि विगत अनेक वर्षोसे मै गोपनीयताको पाप मानने लगा हूँ, विशेष रूपसे राजनीतिमे। हम जो-कुछ भी कहते और करते है, यदि उसमे ईश्वरकी उपस्थितिको साक्षीके रूपमे मानते होते तो हमारे पास ससारमे किसीसे गोपनीय रखनेको कुछ भी न होता, क्योकि तब हम अपने सिरजनहारके सामने अपने मनमे भी दूषित विचार न रखते, उन्हे मुँहसे कहनेका तो प्रश्न ही नही उठता। गन्दगी ही गोपनकी अपेक्षा रखती है। मनुष्यकी प्रवृत्ति गन्दगीको छिपानेकी होती है। हम गन्दी चीजे देखना या छूना नही चाहते, उन्हे हम दृष्टिसे परे कर

१ देखिए "तार आसफ अलीको", ११-१२-१९२० या उसके बाद।

देना चाहते है। ऐसा ही हमारे बोलनेमें भी होना चाहिए। मै कहूँगा कि हम जिन विचारोको दुनियासे छिपाना चाहे, उन्हे सोचनेमे भी बचे।

छिपानेकी इस इच्छाने हममें कायरता पैदा की है और हमे बोलते समय कपट और दुराव-छिपावका सहारा लेनेको बाध्य कर दिया है। इस घातक और अपमानकारी खुफिया विभागसे मुक्ति पानेका सबसे अच्छा और शीघ्रताका उपाय हमारे लिए यही है कि हम एक बार हर बातपर खुले तौरसे विचार करनेका अन्तिम प्रयत्न करे, ससारके किसी भी व्यक्तिसे गुप्त बातचीत न करे और खुफिया पुलिससे डरना समाप्त कर दें, जिसे हमारे समस्त विचारो और योजनाओको जाननेका अधिकार है। हमे उसकी उपस्थितिकी अपेक्षा करनी चाहिए और हर व्यक्तिसे अपने मित्र-जैसा वर्ताव करना चाहिए। मै जानता हूँ कि अपनी बडीसे-बडी योजना खुले तौरपर तैयार करनेसे मुझे अत्यन्त सन्तोषजनक परिणाम मिले हैं। मेरे करीब कही कोई जासूस न हो, इस चिन्तासे कभी मैंने एक मिनट भी अपनी शान्ति नष्ट नही की। लोगोको शायद मालूम नही होगा कि मै जबसे भारतमें रह रहा हूँ, तबसे खुफिया विभागके लोग बराबर मेरे पीछे लगे रहे है। इससे मै कभी चिंतित तो नही ही हुआ, उलटे खुफिया विभागके इन सज्जनोसे मैंने मित्रके-जैसे काम लिये है, और इनमे से कई लोगोने इस बातके लिए मुझसे क्षमा भी मॉगी है कि उन्हे मजबूरन मुझपर जासूसी करनी पडी। आम तौरपर तो ऐसा ही होता रहा है कि मैंने उनकी उपस्थितिमें जो कुछ कहा है, वह पहले ही ससारके समक्ष प्रकाशित हो चुका है। परिणाम यह कि अब उनकी उपस्थितिपर मेरा ध्यान भी नही जाता और मै नही समझता कि सरकारने अपने खुफिया विभागके जरिये मेरी कार्रवाइयोपर निगाह रखकर कोई खास जानकारी हासिल की है। मेरी राय है कि ये एजेट महज खानापूरीके लिए ही मेरे साथ लगे रहते है। वे मुझे कभी परेशान तो नही ही करते। मै बगालके, और बगाल ही क्यो, सारे भारतके प्रत्येक नवयुवकके लाभार्थ अपने ये अनुभव प्रस्तुत करता हूँ। कोई यह न माने कि मुझपर चिढ पैदा करनेवाली निगरानी न रखनेका कारण मेरी सार्वजनिक स्थिति है, इसका कारण तो मेरे किसी काममें दुराव-छुपावका न होना है। यह बात बडी आसानीसे समझी जा सकती है कि जिस क्षण आप जासूसकी उपस्थितिसे डरना बन्द कर देते है और इसलिए उसके साथ, उसे जासूस मानकर बरतना छोड देते है, उसी क्षणसे उसकी उपस्थिति आपको नागवार नही लगती। जल्दी ही सरकार खुफिया विभाग रखनेमें शर्मिंदगी महसूस करने लगेगी, नही तो खुफिया पुलिस ही ऐसे कामसे आजिज आ जायेगी, जो उपयोगी नही बचता।

असहयोग तत्त्वत एक शुद्धिकी प्रक्रिया है। वह लक्षणोके बजाय कारणोसे सम्बन्ध रखता है। खुफिया विभाग गोपनीयताका एक लक्षण है, और गोपनीयता उसका कारण है। गोपनीयताका निवारण बिना किसी अन्य प्रयत्नके खुफिया विभागको पूरी तरह समाप्त कर देगा। समाचारपत्र अधिनियम[1] (प्रेस ऐक्ट) कायरताके रोगका एक लक्षण है। यदि हम अपने इरादोको निर्भीकतासे घोषित करे तो समाचारपत्र अधि-

१ १९१० का।

नियम अमलके अभावमे स्वय ही समाप्त हो जायेगा। शुरुआत करनेवालोको अपने तथाकथित दुस्साहसके लिए कष्ट भोगना पडेगा। मैने सुना है कि कलकत्ताके "सर्वेन्ट" को इस धृष्टताके लिए चेतावनी दी गई है कि उसने 'यग इडिया'का[1] वह लेख पुन प्रकाशित किया था, जिसमे श्री राजगोपालाचारी द्वारा मतदाताओको दिये गये सराहनीय निर्देशोका सार था। मैने यह भी गौर किया है कि कलकत्तेमे मेरे भाषणके सबसे अधिक प्रभावशाली अश स्पष्ट ही, सेसरके भयसे समाचारपत्रोने छोड दिये है। यदि सम्पादक अपने विचार या जिन विचारोको वह सही मानता है, परिणामके भयसे डरे बिना स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकाशित नही कर सकता, तो मै पत्रका पूरी तरह बन्द हो जाना बेहतर मानूंगा।

यद्यपि असहयोगको, समाचारपत्रोकी जहाँ जो भी मदद मिले उसका प्रसन्नतासे उपयोग करना है, फिर भी अपनी मूल प्रकृतिके अनुसार उसे समाचार-पत्रोपर निर्भर नही करना है। इसमे जरा भी सन्देह नही कि हम जो भी विचार प्रकाशित करते है उससे सरकारको बुरा तो लगनेवाला है ही। जनतामें ज्यो-ज्यो इसका प्रचार बढेगा, सरकार अपने अस्तित्वके लिए इसे बन्द करनेकी कोशिश करेगी। हम इस सरकार अथवा किसी भी सरकारसे आत्महत्या कर लेनेकी आशा नही कर सकते। उसे या तो अपने-आपमे सुधार करना होगा या फिर दमनका सहारा लेना पडेगा।

सामान्य तौरपर कोई भी निरकुश शासन-तन्त्र, जैसी कि हमारी सरकार है, अपने-आपको सुधारनेसे पहले दमनका सहारा अवश्य लेगा। जो सरकारको नष्ट कर सकते है, या उसे पश्चात्ताप करनेके लिए विवश कर सकते है, ऐसे शक्तिशाली विचारोको रोक देना तो सरकारी दमन शक्तिका सबसे मामूली प्रयोग होगा। इसलिए जबतक सभी समाचारपत्र निडर नही बन जाते, परिणामोकी परवाह न करके केवल अपनी स्वतत्रताकी रक्षाके लिए विचारोसे असहमत होते हुए भी उनको प्रकाशित नही करते, तबतक हमे उनके प्रसारके लिए अन्य तरीके ढूंढने ही होगे। ऐसा कोई भी सम्पादक, जिसके पास अपने मौलिक विचार है या जिसके पास भारतकी बुराइयोको दूर करनेके लिए कुछ उपयोगी सुझाव है, उन्हे प्रभावशाली ढगसे लिख सकता है। सैकडो लोग उसकी नकल करके सैकडो प्रतियाँ तैयार कर सकते है, और इससे भी ज्यादा सख्यामे लोग हजारो श्रोताओको ये विचार पढकर सुना सकते है। इसलिए मै आशा करता हूँ कि असहयोगका समर्थन करनेवाले सम्पादकगण किसी भी हालतमे समाचार-पत्र अधिनियमके डरसे अपने विचार व्यक्त करनेसे नही चूकेगे। उन्हे समझना चाहिए कि अपने विचार छिपाना पाप है, और ऐसा कोई समाचारपत्र निकालना जो उनके विचारोको दमित करता हो, उनकी शक्तिका अपव्यय है। किसी सम्पादकके लिए अपने श्रेष्ठतम विचारोको दबाना, अपने पेशेका, अपने धर्मका अनादर करना है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-१२-१९२०

१. १० नवम्बर, १९२० का।

८४. भाषण : नागपुरकी बुनकर परिषद्मे

२५ दिसम्बर, १९२०

अत्यन्त कार्यव्यस्त होनेपर भी मै इस सभाके अध्यक्ष पदको स्वीकार करनेसे इनकार नही कर सका। मेरा धन्धा बुनकरका न होनेपर भी अब मै अपने आपको किसान-बुनकर समझता हूँ। अदालतमे भी मैने अपना यही धन्धा बताया है। मुझे लगता है कि जबतक बुनकरोकी उन्नति नही होती तबतक हिन्दुस्तानकी उन्नति असम्भव नही तो कठिन अवश्य है। इसीसे कांग्रेसके पिछले विशेष अधिवेशनमे इस विषयकी कुछ चर्चा की गई थी। हिन्दुस्तान जिस समय गुलामीकी जजीरोमे बँधा उस समय हिन्दुस्तानमे जैसा और जितना कपडा बनता था वैसा और उतना कपडा दुनियाके किसी अन्य देशमे नही बनता था। और इतनेपर भी तब यहाँ कपडेका एक भी कारखाना न था। उस समय खादीसे लेकर ढाकाकी मलमलतक तरह-तरहका कपडा यहाँ बनता था। उससे हिन्दुस्तानकी आवश्यकता पूरी होती थी और अतिरिक्त कपडा विदेशोको भेज दिया जाता था। बाहरके देशोके लोग भारतमे पर्यटनके लिए खिचे चले आते थे। कताई मशीनके आविष्कर्ता हार्ग्रीव्जकी अपेक्षा पवित्र चरखेकी खोज करनेवाले व्यक्तिने अधिक प्रतिभाका परिचय दिया। हिन्दुस्तानमे तो उससे बढकर आविष्कारकी प्रतिभाका परिचय किसी अन्य व्यक्तिने नही दिया। जिस समय हिन्दुस्तान खुशहाल था उस समय मानो घर-घरमे सूतका कारखाना था। विधाताने यह सोचा था कि अगर हिन्दुस्तानको स्वतन्त्र रहना है तो हिन्दुस्तानकी स्त्रियोको यह समझ लेना चाहिए कि प्रतिदिन थोडा-थोडा सूत तैयार करना उनका पवित्र धन्धा है। इसी कारण उसने सूत कातनेवाली किसी अलग कौमकी रचना नही की, प्रत्युत सब स्त्रियोके लिए सूत कातना अनिवार्य कर दिया। ईस्ट इडिया कम्पनीने जिस दिन भारतमे कदम रखा उसी दिनसे भारतकी हालत गिरने लगी। तभीसे बुनकरो और कत्तिनोने अपना-अपना धन्धा छोडना आरम्भ कर दिया। चम्पारनमे (अभी-अभीतक) जिस तरह लोगोसे नीलकी पैदावार ले ली जाती थी, उसी तरह उन दिनो लोगोसे सूत माँगा जाता था और वह भी इतना अधिक कि लोगोने तग आकर अपनी उगलियाँ ही काट डाली। इसके बाद यहाँ लकाशायरका कपडा आने लगा। यदि आप धर्मका पुनरुद्धार करना चाहते है तो आप प्रायश्चितस्वरूप कातने और बुननेके प्राचीन धन्धेको पुनरुज्जीवित करे। हम धर्माचरण करना भूल गये, इसीसे हम स्वदेशीके नामपर दुराचरण कर रहे है। इसीलिए मै कहता हूँ कि धर्मरक्षाके लिए आप नया सूत तैयार करे, नया कपडा बनाये। अगर आप ऐसा नही करेगे तो हमे बाहरसे कपडा अवश्य मँगाना पडेगा। श्री फजलभाई[1] और श्री वाडियाका[2] कहना है कि अभी हम पचास वर्षतक अपनी जरूरतका कपडा तैयार नही कर सकते। गोखलेजी इसे सौ

१ व २ बम्बईके मिल-मालिक।

सालतक असम्भव मानते थे। यह इन लोगोकी भूल है। उन्हे यह नही मालूम था कि हिन्दुस्तानके प्रत्येक घरमे चरखा और करघा रखा जा सकता है।

जबतक सूत कातने और बुननेकी प्रवृत्ति प्रचलित नही होती तबतक स्वदेशी-भडारकी स्थापना करना देशहित नही, बल्कि पाप है। मुझे जो रूमाल दिया गया है उसमे विदेशी सूत काममे लिया गया है।

मुझे यहाँ बुनकर बहुत कम सख्यामें दिखाई दे रहे हैं। बुनकरोके तीन वर्गोमे से तीसरे वर्गके अस्पृश्य लोग यहाँ दिखाई नही दे रहे। मुझे एक सज्जनने लिखा था कि उन लोगोको प्रवेश नही करने दिया जायेगा। मैंने कहा कि अगर आप उन्हे प्रवेश नही करने देगे तो मै चला जाऊँगा। जब आप दूसरा अधिवेशन करे तब इन बुनकरोको अवश्य बुलाएँ।

आप अपने धन्धेको जिस ढगसे चलाते है वह ठीक नही है। अगर आप इसे देशके लिए ही चलाना चाहते है तो आप नया सूत तैयार करके अथवा तैयार करवाके उससे कपडा बुने। उससे कपडा बुननेमे दिक्कत तो होगी, लेकिन उतनी दिक्कत उठानी चाहिए। हिन्दुस्तानके बालक और बालिकाएँ अगर रोज एक घटा सूत काते तो जितनी कपास हम उत्पन्न करते हैं वह सब सूतके रूपमे आ जाये। आज हिन्दुस्तानके लिए महीन कपडा बनानेके लिए आग्रह करना मै अपना धर्म नही समझता। मै चाहता हूँ कि आज चारो ओर जो शोकाग्नि प्रज्ज्वलित है, अगर मेरा वश चले तो, मै उसमे भारतके स्त्री-पुरुषोको होम दूँ। बुनकरोसे मेरा कहना है कि वे जो वस्त्र पहनते है वे उनके अपने बनाये हुए नही है, यह अत्यन्त खेदकी बात है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-१-१९२१

८५. भाषण: नागपुरके अन्त्यज सम्मेलनमे

२५ दिसम्बर, १९२०

इस सभाका अध्यक्ष-पद ग्रहण करके मुझे बडी खुशी हुई है।[1]

अन्त्यजोसे इतर वर्गोके लोगोको इस सभामे उपस्थित देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

मै अनेक वर्षोसे अन्त्यज-वर्गकी स्थितिका अध्ययन कर रहा हूँ। इस विषयपर मै अपने यहाँके बडे-बडे सुधारकोसे भिन्न विचार रखता हूँ। सुधारक जिस ढगसे कार्य करते है, मै उस ढगसे काम नही करता। मै जबसे हिन्दुस्तान आया तबसे मै सुधारकोकी कार्य-पद्धतिपर गौर करता आ रहा हूँ। लेकिन मै जो कार्य कर रहा हूँ

१ यह भाषण गाधीजीने हिन्दीमें दिया था जो उपलब्ध नही है। भाषण आरम्भ करनेसे पहले गाधीजीने श्रोताओसे यह पूछा था कि क्या वे हिन्दी समझते है। श्रोताओने इसका स्वीकारात्मक जवाब दिया था।

उसमे कोई कमी है अथवा दूसरो द्वारा किया गया कार्य मेरे कार्यकी अपेक्षा अधिक अच्छा हे, ऐसा मुझे महसूस नही हुआ। उसमें कमी हो सकती है लेकिन मेरा अपना विश्वास तो यही है कि उसमे कोई कमी नही है।

मै [अस्पृश्यता दूर करनेके लिए] जो करता हूँ वह कुछ इस तरह है। [मै मानता हूँ कि] अस्पृश्यता पाप है, अतएव इस पापको दूर करना चाहिए। अस्पृश्यताको हटाना मै अपना कर्त्तव्य समझता हूँ, लेकिन उसे अन्त्यजोके बीचमे से नही, इतर वर्गके हिन्दुओमें से हटाया जाना चाहिए। अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मके शरीरपर गुल्मके समान अतिवृद्धि है। मद्रासमे एक स्थानपर भापण देते हुए मैने कहा था कि जैसे हमारे साम्राज्यमे वहुत दुष्टता दिखाई देती है और हालाँकि मै इसको दूर करना चाहता हूँ किन्तु कर नही पाता, वैसे ही हिन्दू-धर्ममे प्रविष्ट इस अस्पृश्यताको मै दुष्टतापूर्ण मानता हूँ [और हटाना चाहता हूँ]।

स्वर्गीय गोखलेने दक्षिण आफ्रिकामे वहाँके सब तथ्योको जाननेके बाद कहा था कि "हमारी हालत इतनी बुरी क्यो न हो?" जिस तरह हम अन्त्यजोको अस्पृश्य समझते हे उसी तरह यूरोपकी जनता भी हमे, हिन्दू-मुसलमान सबको अस्पृश्य समझती है। उनके साथ रहनेकी हमे अनुमति नही है, हमें उनके जितने अधिकार भी प्राप्त नही है। हिन्दू-समाजने अन्त्यजोका जितना बुरा हाल किया, उतना दक्षिण आफ्रिकाके गोरोने भारतीयोका किया है। भारतसे बाहर जितने ब्रिटिश उपनिवेश है उनमे भी हमारे साथ गोरोका व्यवहार वैसा ही है, जैसा हिन्दुओका अन्त्यजोके प्रति है। इसी-लिए श्री गोखलेने कहा था कि "हमे अन्त्यजोंके प्रति दुष्टतापूर्ण व्यवहारका फल मिल रहा है, समाजने भारी अपराध किया है, भारी दुष्टताका परिचय दिया है इसीके फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिकामे हमारी दुर्गति हुई है।" मैने तुरन्त ही उनकी इस बातको स्वीकार कर लिया। यह बात बिलकुल सच थी। उसके बाद मुझे जो अनुभव हुए है, उनसे इस बातकी पुष्टि होती है।

मै स्वय हिन्दू हूँ, मै दावा करता हूँ कि मै एक कट्टर हिन्दू हूँ। उसमें भी खासकर मै यह दावा करता हूँ कि मै सनातनी हिन्दू हूँ। आज गुजरातमें हिन्दू-समाजके साथ मेरा जबर्दस्त झगडा चल रहा है। हिन्दू-समाज, विशेषत वैष्णव समाज मेरे हिन्दू होनेके दावेको माननेसे इन्कार करता है, तथापि मै अपने दावेपर दृढ हूँ और कहता हूँ कि मै सनातनी हिन्दू हूँ। अस्पृश्यता हिन्दू-समाजका बहुत बडा दोप है। अन्य और बहुत सारे दोष है। लेकिन उन्हे आप यदि आज अथवा हजार साल बाद दूर करे तो भी वह क्षम्य होगा। लेकिन मै अन्त्यजोकी अस्पृश्यताकी बातको सहन नही कर सकता, उसे बरदाश्त करना सम्भव नही है। हिन्दू समाजका यह कर्त्तव्य है कि वह अस्पृश्यताको दूर करनेके लिए भारी तपश्चर्या करे। मैने पहले भी कहा है और आज एक बार फिर हिन्दू-समाजमे कहता हूँ कि जबतक हिन्दू समाज अस्पृ-श्यताके पापसे मुक्त नही होता तबतक स्वराज्यकी स्थापना होना असम्भव है। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो मै आपसे कहूँगा कि अन्त्यजके अस्पृश्य बने रहनेमें मुझे जितनी वेदना होती है उससे कही अधिक वेदना हिन्दू-धर्ममें अस्पृश्यता बने रहनेके

कारण होती है। हिन्दू-समाजमें अस्पृश्यताके तत्त्वकी मौजूदगीसे मुझे शर्मका अनुभव होता है और हिन्दू होनेका दावा करनेमे भी सकोच होता है। मुझसे पहले जो वक्ता[1] मराठीमे भाषण दे गये है उन्होने मुझपर आक्षेप किया है कि हिन्दुस्तानने मुझे जिस पदपर प्रतिष्ठित किया है उसे मैंने स्वीकार नही किया है, मैं उसके योग्य तभी बनूँगा जब हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यता दूर हो जायेगी। (तालियोकी गडगडाहट) मैं जिस समय अपने हृदयगत उद्‌गारोको व्यक्त कर रहा हूँ उस समय आप मुझे तालियोकी गडगडाहटसे न रोके। मैं आपसे पूछता हूँ — अगर आप बता सके तो बताइए कि क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे कोई एक ही व्यक्ति किसी बहुत पुराने रिवाजको मिटा सकता है। मुझे यदि कोई यह बता सके कि ऐसा करे तो आज ही अस्पृश्यता दूर की जा सकती है तो मैं आज ही वैसा करूँ। लेकिन हिन्दू-समाजसे दोष स्वीकार करवाना और उस दोषको सुधारना कठिन काम है।

मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उसमे मुझे अपनी धर्मपत्नीको साथ लेनेमे बहुत कष्ट उठाना पडा है, मुझे जो तपश्चर्या करनी पडी है उसके आधारपर मैं आपको — अन्त्यजोको और हिन्दू-समाजको — बताना चाहता हूँ कि इस कार्यमें बहुत मुश्किले है। लेकिन ऐसा कहनेसे मेरा अभिप्राय यह नही है कि हमे यह कार्य बन्द कर देना चाहिए। हमे अपने कार्य करनेकी पद्धतिपर विचार कर लेना चाहिए। यही कारण है कि मुझे आपके प्रस्ताव पसन्द नही आते।

आप यह प्रस्ताव पास करना चाहते है कि देश-भरमे जितने देवालय है उनमे अन्त्यजोको जानेका हक मिलना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? हिन्दू-धर्ममे जबतक वर्णाश्रम धर्मको प्रधान पद प्राप्त है तबतक प्रत्येक देवालयमे प्रत्येक हिन्दूका प्रवेश पा सकना आज नही हो सकता। आज इसे हिन्दू-समाजमे स्थान देना असम्भव है। वह इसके लिए तैयार नही है। मेरा अनुभव है कि देवालयोमे अन्त्यजोके अलावा दूसरी अनेक जातियोके लोग भी नही जा सकते। मद्रासमें कुछेक देवालयोमे तो मैं भी नही जा सकता। मुझे इसके बारेमे दुख नही होता। मैं यह भी कहनेके लिए तैयार नही कि यह हिन्दू-समाजके सकुचित दृष्टिकोणका परिचायक है अथवा यह कोई अन्याय है, दोष है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस बातकी विचाधारा क्या है, सो भी सोचा जाना चाहिए। यदि यह कार्य समाजमे अनुशासन बनाये रखनके उद्देश्यसे किया गया है तो सबको देवालय जानेका अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यह बात मैं कदापि न कहूँगा। हिन्दुस्तानमें पृथक-पृथक सम्प्रदाय है, उन्हे मैं नष्ट नही करना चाहता। हिन्दू-समाजका पतन सम्प्रदायो अथवा वर्णाश्रम धर्मसे नही

१. एक प्रस्तावमें गाधीजीसे काग्रेसके अध्यक्ष पदको स्वीकार करनेका अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पेश करनेवाले और उसका समर्थन करनेवाले वक्ताओने कहा था, जैसा कि महादेव देसाईने अपनी रिपोर्टमें लिखा है: ". . .गाधीजीने अभीतक हम लोगों (अस्पृश्यों)के लिए कुछ भी नही किया है। उन्हें हमारे प्रयत्नोंसे सहानुभूति है। हमें अपनी स्थितिको सुधारनेके लिए गाधीजीकी सेवाओकी कोई जरूरत नही है। उसे तो हम राज्य द्वारा अनुकूल कानून पास करवा करके भी सुधार सकते है लेकिन अस्पृश्यताको कानूनोकी मददसे दूर नही किया जा सकता।"

हुआ है। जो पतन हुआ है वह तो वर्णाश्रम धर्ममे निहित सौन्दर्य और अनुशासनके त्यागसे हुआ है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म एक चीज है और अस्पृश्यता दूसरी चीज है। वर्णाश्रम धर्म दोषमय है, पापमय है—ऐसा कहना पाश्चात्य पद्धतिका अनुकरण करना है। मै इसका अनुकरण नही करता। इसे अगीकार करनेके कारण ही हिन्दुस्तानका पतन हुआ है। मै सेतमेत अन्त्यजोका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त नही करना चाहता। इसलिए मै साफ-साफ कह देना चाहता हूँ कि मै इस कार्यमें बहुत हिचकिचाहटके साथ शरीक हुआ हूँ क्योकि मै अस्पृश्यताके दोषको मिटानेके लिए अन्त्यजो और सुधारकोंके साथ हूँ। दूसरी बातोके सम्बन्धमे आप और वे लोग जो करना चाहते हैं, उन सबमे मै शामिल नही हूँ। मै किसी भी हिन्दूसे नही कह सकता कि प्रत्येक हिन्दू परस्पर एक-दूसरेके साथ खाये, पीये अथवा शादी विवाह करे। क्योकि इसकी आवश्यकतामें मेरा विश्वास नही है। मेरा कहना है कि जो व्यक्ति इन तीनो बातोका त्याग करता है वह सयमी हो सकता है और स्वच्छन्द [प्रवृत्तिका] भी हो सकता है। मेरी धारणा है कि यह त्याग सयमवृत्तिके द्वारा ही सम्भव है।

मै स्वय अन्त्यजोंके साथ खाता हूँ, पीता हूँ। एक अन्त्यज लडकीको[1] भी मैने गोद लिया है। यह लडकी मुझे प्राणोसे भी प्यारी है। तथापि मै हिन्दू समाजसे यह नही कहता कि वह अपनी त्यागवृत्ति छोड दे। मै मानता हूँ कि मेरे जैसोंके लिए भी हिन्दू-समाजमें स्थान है। सन्यासी न होनेपर भी मै जो कर रहा हूँ वैसा करनेवाले व्यक्तियोंके लिए हिन्दू समाजमें स्थान है। मुसलमान मुझे कुछ खानेकी वस्तु दे तो मै उसे खा लूँगा। उसी तरह अन्त्यजोके पाससे भी मै खाद्यवस्तु ले सकता हूँ। लेकिन मै हिन्दुओको ऐसा करनेके लिए बाध्य नही करना चाहता, क्योकि ऐसा करनेसे अनुशासन भग होता है। इसमें हिन्दू ससारकी रक्षा समाहित है। वर्णाश्रमको अथवा खानेपीनेके व्यवहारको मिटाना और अस्पृश्यताको मिटाना—एक ही चीज नही है। एक सयम है जब कि दूसरी दुष्टता है। मै विद्यार्थी हूँ और [इस विषयपर] अध्ययन कर रहा हूँ। इसलिए जिस दिन मुझे लगेगा कि यह मेरी भ्रान्ति थी, उसी दिन मै अपनी भूल स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अभी तो मै यह कहनेको तैयार हूँ कि जो अस्पृश्यताका बचाव कर रहे हैं उनमे तो मै पाखण्ड और दुष्टता ही देखता हूँ। वे जिस बातके पक्षमें तर्क दे रहे हैं, वह दुष्टता है।

मैने अपनी सीमा, मेरा काम और उसकी पद्धति आपको बता दी है। मै नही मानता कि सुधारक अन्त्यजोके बीच काम करके, उन्हे शिक्षा देकर अस्पृश्यताके दोषको मिटा सकते हैं। मै ऐसे अनेक लोगोको जानता हूँ कि जो प्लेटफॉर्मपर खूब बोलते हैं, लेकिन जब स्पर्श करनेका प्रसग आता है तब दूर हट जाते हैं। मेरी पद्धति इससे भिन्न है और मै कहना चाहता हूँ कि इस तरीकेसे सुधार नही होते। लेकिन दूसरी

१ दूधाभाईकी सुपुत्री लक्ष्मी। यह लोग मई १९१५ में आश्रमकी स्थापना होनेके बाद ही आश्रममें आकर रहने लगे थे। अक्तूबर १९२० को उसे गाधीजीको सौंप दिया गया था। देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३५१, ३६१-६२।

ओर जो लोग यह कहते है कि जब हिन्दू-समाजको समझ आयेगी तब हम यह कार्य करेगे, मुझे उन लोगोसे चिढ होती है। मै अन्त्यजोसे हमेशा कहता आया हूँ कि ऐसे पापके प्रतिरोधमे मै स्वय तो अवश्य ही असहकार करूँगा। यहाँ उपस्थित अन्त्यजेतर लोगोको भी मै बता देना चाहता हूँ कि यदि कभी ऐसा अवसर आये कि मुझे अकेले ही समाजके इस पापके विरुद्ध — समस्त हिन्दू समाजके विरुद्ध असहकार करना पडा तो मै करूँगा। साम्राज्यकी दुष्टताको समाप्त करना मुझे इतना कठिन नही लगता। उसकी दुष्टता दुनियावी है। अस्पृश्यताकी दुष्टताने धार्मिक रूप ले लिया है। हिन्दू तो अन्त्यजोको छूना पाप मानते है। उन्हे समझाना कठिन काम है। हममे इतनी जडता और आलस्य आ गया है, हम इतने ज्यादा दु खोमे डूब हुए है कि हम सोच भी नही सकते, हमारे धर्माधिकारी भी अज्ञानमे इतने अधिक डूबे हुए है कि उन्हे समझाया भी नही जा सकता। अस्पृश्यता दोषके निवारणका अर्थ ही यह है कि इसे हिन्दू-समाजसे स्वीकृति दिलवाई जाये। अन्त्यज करोडो हिन्दुओका नाश करके अस्पृश्यताके दोषको मिटा सके, यह असम्भव है। 'वेद' मे अथवा 'मनुस्मृति' मे अगर अस्पृश्यताका आदेश हो तो 'वेद' को बदलना चाहिए। लेकिन धर्मग्रन्थोकी रचना कौन कर सकता है? मै ससारी हूँ, धर्माधिकारी होनेका दावा नही करता, मै स्वय अनेक दोषोसे भरा हुआ हूँ, हिन्दू-समाजके लिए मै धर्मनीति कैसे निर्धारित कर सकता हूँ? मै तो अगर कुछ कर सकता हूँ तो स्वय उनकी दयाका पात्र बनकर ही।

इस काममे भारी मुश्किले है लेकिन अगर हमारे सुधारक इतना समझ ले कि हिन्दू-समाजको मिटाकर यह दोष दूर करना असम्भव है तो उन्हे विश्वास हो जायेगा कि वे अपनी सहिष्णुतासे ही इस दोषको दूर कर लेगे। अन्त्यज भाइयोसे मै यह कहता हूँ कि आप मेरे जैसे ही हिन्दू है। हिन्दुत्वके, मेरे जितने ही अधिकार आपको है। आप हिन्दू-धर्मको ठीक-ठीक समझेगे तो अस्त्र आपके हाथमे ही है। ठीक उसी तरह जिस तरह साम्राज्यको मिटानेके अस्त्र हमारे हाथमे है। जिस तरह भीख माँगनेसे स्वराज्य नही मिल सकता, उसी तरह अस्पृश्यताको दूर करनेका उपाय भी अन्त्यजोके ही हाथमे है।

अन्त्यज अगर मुझसे कहे कि हम असहकार सीखेगे तो मै अवश्यमेव उन्हे आजसे ही असहकारकी शिक्षा देना चाहूँगा। असहकार आत्म-शुद्धिकी क्रिया है। हिन्दुस्तान अन्य देशोसे भिन्न राष्ट्र है। इसलिए हमे जो करना है वह अग्रेजोको तग करके नही। लेकिन आत्मशुद्धि कैसे करे? हिन्दू समाज कहता है कि अन्त्यज दारू पीते है, चाहे जो खाते है, शौचके नियमोका पालन नही करते, वे गो-हत्या तक करते है। मै यह बात नही मानता। जो हिन्दू होनेका दावा करता है वह गोमास नही खा सकता। अन्त्यज असहकार करना चाहते हो तो उन्हे मद्यपान और मास-भक्षण छोडना होगा। कमसे-कम गौहत्याको तो छोडना ही पडेगा। मै चमारोसे उनका काम छोडनेकी बात नही कहता। अग्रेज यह काम करते है तो भी हम उन्हे सलाम बजाने जाते है। आज तो ब्राह्मण भी यह काम करते है। पाखाना साफ करनेमे मै मलिनता नही देखता। यह काम मैने स्वय बहुत किया है और मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी

मांने मुझे सिखाया है कि यह काम पवित्र है। यह काम मैलेसे सम्वन्धित होनेके बावजूद है तो पवित्र ही। इस कामको जो पवित्र समझकर करता है वह स्वर्ग जाता है। इस कामको न छोड़ते हुए भी आप हिन्दू धर्ममें रह सकते हैं। आपको अगर कोई जूठा अथवा रँगा हुआ खाना भी दे तो आप उसे अस्वीकार करे और कच्चे अन्नकी मांग करे। आप सफाईसे रहे। पाखाना साफ करनेके वाद आप अपने वस्त्र बदल डाले। मैला साफ करनेके बावजूद, जैसे मेरी माँ साफ रहती थी, वैसे ही आप साफ रहे। बदलनेके लिए वस्त्र हमें कहाँसे मिलेंगे, ऐसा आप पूछेंगे, आप हिन्दू-समाजसे यह कह सकते हैं कि हमें पन्द्रह, वीस, तीस अथवा जितने रुपयोंके हम योग्य हैं उतने न मिलें तो हम काम नहीं करेंगे। आप उससे यह कह सकते हैं कि जैसे बढई, लुहार तुम्हारा काम करते हैं वैसे हम भी समाजका आवश्यक काम करते हैं। आप निडर बनें। मैं गुजरातके अन्त्यजोंको पहचानता हूँ, उनके स्वभावसे वाकिफ हूँ। उन्हे मैं यही सिखा रहा हूँ कि आप अस्पृश्यताके दोषको अपने बलसे दूर करे, आप कट्टर हिन्दू बनें जिससे हिन्दू-समाज घृणा न करके आपकी पूजा करे।

मैं यह कार्य आपकी मार्फत अथवा हिन्दू-समाजकी मार्फत ही करवाना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो हक माँग रहे हैं उसके योग्य बनें। मेरा आशय यह नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। मैं जब हिन्दुस्तानसे स्वराज्यके योग्य बननेकी बात कहता हूँ तब मैं हिन्दुस्तानको अयोग्य नहीं मानता, मैं उसे और भी अधिक योग्य बननेके लिए कहता हूँ। उसी तरह अन्त्यजोंसे कहता हूँ कि आपका अधिकार स्वतन्त्र होनेका है, प्रत्येक हिन्दूके साथ समानाधिकार प्राप्त करनेका है, लेकिन मैं तो आपसे तपश्चर्या करके और भी अधिक योग्य होनेको कहता हूँ।

तपश्चर्याके बारेमें मैं अपने जीवनके दो अनुभव आपसे कह देना चाहता हूँ। अहमदाबादमें सत्याग्रहाश्रम खोलनेके बाद मैंने दूधाभाई नामक एक अन्त्यज और उनकी पत्नीको आश्रममें रखा और जब मैंने उन्हे रखा तब हिन्दू समाजने क्या किया? हम जिस कुएँसे पानी भरते थे उस कुएँसे दूधाभाईकी पत्नीको पानी नहीं लेने दिया। मैंने कहा कि दूधाभाईको पानी नहीं भरने दोगे तो मैं भी इस कुएँसे पानी नहीं लूँगा। उस कुएँसे पानी भरनेका मुझे अधिकार था लेकिन मैंने उसे छोड दिया। दूधाभाईने क्या किया? दूधाभाई तो स्वच्छ थे। वे तो उन्हे जितनी गालियाँ सुननेको मिलती थीं, सुन लेते थे। इस तपश्चर्यासे तीन दिनोंके भीतर कष्ट दूर हो गया और लोग समझ गये कि उस कुएँसे दूधाभाई भी पानी भर सकते हैं। इन्हीं दूधाभाईकी लडकी लक्ष्मी आज मेरे घरमें लक्ष्मीके समान घूमती फिरती है। आप सब अगर दूधाभाई-सी तपश्चर्या सीख ले तो आपके दुःख आज ही मिट जायें।

अब अन्त्यजेतर हिन्दुओंसे कहता हूँ कि आप भी बहादुर बनें और अपने पापको दूर करें। मैं अपनेको धार्मिक मानता हूँ। आप कह सकते हैं कि यह मेरा भ्रम है। किन्तु मेरी मान्यता है कि जबतक आप इस पापसे मुक्त नहीं हो जाते, अन्त्यजोंसे क्षमा नहीं माँगते तबतक दूसरे अनेक कष्ट आपके माथेपर मँडराते रहेंगे। अस्पृश्यता पाप है ऐसा समझना चाहिए। आप सोच-समझकर अपना यह पाप धो डाले तो आप आज ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं।

अब दूसरा दृष्टान्त पेश करके मैं आपको हिन्दू-धर्मकी सरलताकी झाँकी दिखाना चाहता हूँ। मैं जब दक्षिण आफ्रिकासे भारत आया उस समय नायडू नामका एक पंचम (अन्त्यज) लड़का मेरे साथ था। भाई नटेसन[1] अन्त्यजोंका महान काम करने-वाले एक सज्जन हैं। अहमदाबाद जाते हुए मद्रासमें मैं उनके घर ठहरा था। मेरे अनेक मित्रोंने मुझसे कहा था कि तुम यह क्या कर रहे हो? नटेसनकी माता इतने पुराने विचारोंकी हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनके घर एक अन्त्यज-को ले आये हो तो वे प्राण ही त्याग देंगी। मैंने कहा कि लड़केका त्याग करनेसे बेहतर यही होगा कि मैं नटेसनके घर न जाऊँ। लेकिन नटेसन तो सरल चित्तके व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी माताके पास जाकर सारी हकीकत कह दी। माताजीने कहा कोई हर्ज नहीं है, उन्हें आने दो। वे समझ गईं कि मेरे साथ आनेवाला अन्त्यज मलिन हो ही नहीं सकता। और मैंने भी इस लड़केकी सारी मलिनता धो डाली थी। हम उनके घरमें ठहरे और जिस कुएँसे नटेसनकी माता पानी लेती थीं उसी कुएँसे हमने भी पानी लिया। इस किस्सेसे इतना समझमें आ सकता है कि सभी अन्त्यजेतर नटेसनकी-सी पवित्रता और सरलतासे अपनी माताओं और बहनोंको समझा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रश्नका समाधान अन्त्यजेतरोंकी सरलता और अन्त्यजोंकी तपश्चर्यासे ही होगा।

परमेश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह अन्त्यज भाइयोंको धैर्य और सन्मति दे जिससे कि वे अपने धर्मका त्याग न करें। हिन्दुओंके लिए मेरी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, तू हिन्दू-समाजको इस पापसे, इस दुष्टतासे, मुक्त कर!

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-१-१९२१

८६. टिप्पणियाँ

'नवजीवन'की भाषा

मैं अपनी इस व्यस्त यात्राके अपने समस्त अनुभवों और विचारोंको जितने विस्तारसे लिखना चाहता हूँ उतने विस्तारसे नहीं लिख पाऊँगा, फलतः फिलहाल संक्षिप्त टिप्पणियोंसे ही सन्तोष मानकर कुछ जरूरी विचारों और अनुभवोंको पाठकोंके सामने प्रस्तुत करनेकी अनुमति चाहता हूँ।

'नवजीवन' गाड़ीवान और मजदूर पढ़ते हैं, यह बात मुझे अच्छी लगती है। उनमें से दो पाठकोंने मुझे लिखा है कि मुझे 'नवजीवन'में 'अस्पृश्यता', 'महाराष्ट्र-यात्रा' आदि कठिन शब्दोंका प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। ऐसे पाठकोंको मैं सन्तुष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ ही भाषाको बिगाड़ना भी उचित नहीं समझता

१. जी० ए० नटेसन, लेखक, पत्रकार और राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, सम्पादक, **इंडियन रिव्यू**, मद्रास।

और फिर मजदूरोंको भी साधु-भाषा समझनेके लिए थोडी मेहनत कर लेनी चाहिए। जिन शब्दोंका अर्थ समझमें नहीं आता उनका अर्थ उन्हें दूसरोंसे समझ लेना चाहिए।

हमारी गुजराती भाषाका प्रयोग तीन वर्गोंके लोग करते हैं हिन्दू, मुसलमान और पारसी। तीनोंने ही भाषाको अलग-अलग रूप दिया है। हम परस्पर एक-दूसरेसे इतनी दूर-दूर रहते हैं कि तीनों एक-दूसरेकी भाषासे परिचित नहीं हो पाते। पारसियों-की लिखी हुई पुस्तकोंको हिन्दू कदाचित् ही पढते हों। यह सच है कि उनमें खबरदार[1] जैसे लेखकोंकी कृतियाँ भी मिलती हैं जिन्हें सब लोग पढते हैं, लेकिन ये अपवाद-रूप हैं। सामान्यत पारसी लेखक पारसियोंके लिए, मुसलमान लेखक मुसलमानोंके लिए और हिन्दू लेखक हिन्दुओंके लिए लिखता है। जब हममें परस्पर ऐक्यकी भावना पैदा होगी और मुख्यत अपने स्कूलोंमें अपनी गुजराती भाषाके माध्यमसे शिक्षा लेना शुरू करेंगे तथा गुजराती लोग गुजराती भाषाको उचित मान देंगे तब हम सब एक भाषामें लिखने लगेंगे। इस बीच 'नवजीवन'की भाषा जितनी हो सके उतनी सादा रखनेका प्रयत्न किया जाता है, लेकिन कुछ-एक ऐसे शब्दोंका प्रयोग किये बिना काम नहीं चलता, सम्भव है जिनका अर्थ, मुसलमान पाठक तुरन्त न समझ सकें। उन्हें वैसे शब्दोंको सीख लेनेकी थोडी कोशिश करनी चाहिए।

राष्ट्रभाषा

भाषापर विचार करते समय मुझे हिन्दुस्तानीका अपना अनुभव याद आता है। मेरी हिन्दुस्तानीमें व्याकरण-सम्बन्धी दोष बहुत होता है। तथापि लोग मेरी हिन्दुस्तानी प्रेमपूर्वक सुनते हैं। अनेक स्थानोंपर मैंने विद्यार्थियोंसे कहा है कि मैं अंग्रेजीमें बोलनेके लिए तैयार हूँ, तब भी वे लोग मेरा हिन्दुस्तानीमें ही बोलना पसन्द करते हैं। ऐसे प्रसंग विशेष रूपसे तीन जगह — इलाहाबाद, पटना और नागपुरमें आये हैं। मेरे वैकल्पिक प्रस्तावपर भी विद्यार्थियोंने हिन्दुस्तानीमें ही बोलनेकी माँग की। सब लोगोंकी धारणा थी कि ढाकामें अंग्रेजी बोले बिना मेरा निस्तार नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी लोगोंने हिन्दुस्तानीमें ही बोलनेकी माँग की और मेरे हिन्दुस्तानी भाषणको ध्यानपूर्वक सुना। मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे सार्वजनिक कार्य करनेवाले लोगोंके लिए, जो हिन्दी अच्छी तरह बोल लेते हैं, सारे हिन्दुस्तानमें कार्य करनेका मार्ग सरल हो जाता है। सिर्फ बंगाल और मद्रास प्रदेशमें ही थोडी मुश्किल होती है। जैसे-जैसे सामान्य वर्गमें जागृति होती जायेगी वैसे-वैसे सार्वजनिक वक्ताओंका अपने-अपने प्रान्तोंसे बाहर हिन्दु-स्तानी बोले बिना काम नहीं चलेगा, यह बात अनुभवसे सिद्ध होती जाती है। गुज-रातके उन वक्ताओंके लिए, जो सारे हिन्दुस्तानमें काम करना चाहते हों, हिन्दुस्तानी सीखना नितान्त आवश्यक है।

स्त्रियोंमें जागृति

जो बात भाषापर लागू होती है वही बात स्त्रियोंपर भी लागू होती है। अपनी मातृभाषा और राष्ट्र-भाषाका तिरस्कार करके हमारा शिक्षित वर्ग [illegible] पडा है। उसी तरह हमने स्त्री-समाजका भी तिरस्कार किया है। उनका सार्व[illegible]-

१ अर्देशर फरामजी 'खबरदार', एक पारसी कवि।

जीवनमे कोई भाग नही है, ऐसा हम निश्चित रूपसे मान बैठे है। इसीसे उन्होने आजतक सार्वजनिक जीवनमे कभी कोई भाग नही लिया। भापाके सम्बन्धमे हमने यही माना है कि अग्रेजी शिक्षा पाये विना, हाईस्कूलो और कालेजोमे पढे विना हमे देशसेवा करना आ ही नही सकता। सरकारने यह विचार हमारे मस्तिष्कोमे भर दिया है और अव उसे निकालनेमे हमे दिक्कत महसूस होती है। जवतक वी० ए० पास न कर ले तवतक सरकारी नौकरी नही मिलती, जवतक नौकरी नही मिलती तवतक सत्ता नही मिलती और जवतक सत्ता हाथ नही आती तवतक हमे चैन नही पडता। फलस्वरूप हमने मान लिया है कि अग्रेजी शिक्षाके विना हम देशसेवा नही कर सकते। इतनी शिक्षा प्राप्त की और हम 'साहव' वन गये। जैसे ये विदेशी 'साहव' आम जनताको अस्पृश्य मानते हैं वैसे ही इन देशी साहवोने भी उसे अस्पृश्य माना। यही कारण है कि अवतक जनसमाजने राष्ट्रीय जीवनकी प्रगतिमे वहुत कम भाग लिया है।

मै हजारो वहनोसे मिला हूँ। उनसे मैने स्वराज्यके वारेमे वातचीत की है। उनसे मैने पजावके सम्वन्धमे वातचीत की, उनमे स्वदेशीका प्रचार किया, और उन्हे यह समझाया कि स्वराज्य-प्राप्तिके लिए असहयोग ही आज एकमात्र धर्म क्यो है। वे वहने यह सव समझ गई। ये वहने कोई अग्रेजी पढी-लिखी नही है। सभी धनिक और निर्धन, लेकिन विशेष रूपसे अपढ वहनोने आशीर्वाद दिया और अपने जेवरात भेट किये। किसीने हीरे-मोती जडी चूडियाँ दी, किसीने मोतियोकी माला दी, किसीने हीरेकी अँगूठी दी और किसीने अपनी सोनेकी जजीर दी। सोनेकी अँगूठियोकी तो कोई गिनती ही नही। गरीव वहनोने अपनी चाँदीकी पायले और अन्य गहने दिये। गुजरात, दक्षिण, सयुक्त प्रान्त, विहार, वगाल और मध्यप्रान्तमे मैने वहनोसे वात की और वातकी-वातमे लगभग पचास हजार रुपयेके आभूषण और नकद रुपये प्राप्त हुए। ये आभूषण किसीने सकोचवश नही दिये, वल्कि सोच-समझकर और यह प्रतिज्ञा करके दिये कि वे स्वराज्य मिलनेतक नये आभूषण नही वनवायेगी। तव मै यह कैसे न मानूँ कि जहाँ स्त्रियोमे ऐसी जागृति आ गई है वहाँ स्वराज्य एक वर्षमे मिलकर ही रहेगा? और फिर यह तो शुरुआत है। स्त्रियाँ रुपया देनेके लिए तैयार होकर नही आई थी, अनेक स्त्रियाँ अपने पतियोसे सलाह करके नही आई थी, इसपर भी जव इतना पैसा मिला है तव मै कैसे विश्वास न करूँ कि स्त्रियोके आभूषणोके थोडेसे त्यागसे ही हिन्दुस्तानमे नई पाठशालाये खोली जा सकती है और चलाई जा सकती है।

पारसी रुस्तमजीका[१] दान

नेटालके प्रसिद्ध सेठ रुस्तमजी जीवनजीने मुझे पत्र[२] लिखा है। उन्होने लिखा है

१ दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रह आन्दोलनमें गाधीजीके एक प्रमुख सहयोगी। देखिए खण्ड ८, ९ और १०।

२ पत्र यहाँ नही दिया जा रहा है। इसमें चार स्थानोपर स्कूलोंकी इमारतें वनानेके लिए चालीस हजार रुपये देनेकी वात कही गई थी, वशर्ते कि स्थानीय जनता उनका सचालन-भार अपने ऊपर ले ले।

सेठ रुस्तमजीको दक्षिण आफ्रिकामें सब लोग जानते हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवनमें हमेशा पूरा-पूरा भाग लिया है। उन्होंने दान भी वहुत दिया है। सत्याग्रहके समयमें उन्होंने एक बारकी कड़ी कैद भी भोगी थी। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता स्थापित करनेमें खूब भाग लिया। अब वे हिन्दुस्तानकी सार्वजनिक प्रवृत्तिमें अपना योग दे रहे हैं। उस दानका उपयोग किस तरह किया जाये, इस वारेमें मैं मित्रोंसे परामर्श करूँगा और जो निर्णय होगा उसे कुछ समयमें प्रकट करूँगा। इस बीच इतना ही कहना है कि पारसियोंपर यह जो आरोप लगाया जाता है कि वे असहयोग आन्दोलनमें भाग नहीं लेते, उसे पारसी रुस्तमजीने झूठा सिद्ध कर दिखाया है और यह वात ध्यान देने योग्य है कि वम्वईके प्रसिद्ध धनाढ्य सेठ वोमनजी भी आन्दोलनमें भाग ले रहे हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि असहयोग आन्दोलन इतना शुद्ध है कि उससे पारसी, ईसाई अथवा यहूदी कोई भी, जिन्होंने इस देशको अपना देश बना लिया है, कदापि अलग नहीं रह सकते।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६–१२–१९२०

८७. भाषण : नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें[1]

२६ दिसम्बर, १९२०

गांधीजीने . . इच्छा व्यक्त की कि सभापतिका भाषण आदर और धैर्यके साथ सुना जाये। भारत एक वड़े विवादमें फँसा हुआ है। देश दो शिविरोंमें विभक्त है। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्ष सभापतिका भाषण धैर्यसे सुनें और उनके आदेशका पालन करें। सभापति सत्याग्रही हैं। सम्भव है कि उनके सभी निष्कर्ष सबको अच्छे न लगें। मैं चाहूँगा कि जो उनसे भिन्न मत रखते हों वे भी सम्मानपूर्वक उनकी वात सुनें।

आगे वोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं पंडालमें किसीको सिगरेट पीते देख रहा हूँ, इससे खतरा हो सकता है। उन्होंने श्रोताओंसे अपील की कि पंडालमें सिगरेट न पियें और कहा कि खतरेके अलावा धूम्रपान भारतीय शिष्टाचारके भी विपरीत है। अन्तमें उन्होंने श्रोताओंसे फिर अपील की कि वे हर वक्ताकी वात धैर्यसे सुनें और कहा कि आपकी खामोशीसे मुझे विश्वास हो जायेगा कि ईश्वर भारतीयोंको अपना यह आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त करनेमें उनकी मदद करेगा। उन्होंने श्रोताओंसे यह अनुरोध किया कि वक्ता जिस भाषामें भाषण देना चाहे, उसीमें उन्हें सुनें। उन्होंने कहा कि

१ यह भाषण कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनके उद्घाटन दिवसपर दिया गया था, जब गांधीजीने श्री विजयराघवाचार्यको कांग्रेसका अध्यक्ष चुननेके प्रस्तावका अनुमोदन किया था।

मैं स्वयं तो हिन्दीको ही कांग्रेसकी भाषा बनाना चाहूँगा; परन्तु फिलहाल उसे अमलमें नही लाया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३०–१२–१९२०

८८. भाषण : कांग्रेस चुनावोंपर[1]

२६ दिसम्बर, १९२०

श्री गांधीने . . . सभी असहयोगवादियोको समझाया कि उनकी कुछ भी शिकायतें क्यो न हो और चुनाव चाहे ठीक हुए हो या गलत, उन्हे आवेश या हिंसाका कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि श्री सी० आर० दास ईमानदारीसे घोषित करे कि आज सुबह हुए चुनाव ठीक तरहसे किये गये है, तो मै बंगालके असहयोगियोसे उस निर्णयको स्वीकार कर लेनेको कहूँगा, और यदि फिर भी उन्हे कोई शिकायत हो तो मैं उन्हे सलाह दूँगा कि वे विषय समितिसे अलग हो जाये और कांग्रेसकी कार्यवाहियोमे कोई सक्रिय भाग न ले। मैं खुद भी उनके साथ बाहर चला जाऊँगा और उनके साथ रहूँगा। कांग्रेसके अन्दरका काम मैं श्री शौकत अलीके ऊपर छोड़ दूँगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३०–१२–१९२०

८९. भाषण : कांग्रेसके नये सिद्धान्तपर[2]

२८ दिसम्बर, १९२०

जिस प्रस्तावको प्रस्तुत करनेका गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है

> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका उद्देश्य भारतीयो द्वारा सभी उचित और शान्तिपूर्ण उपायोसे स्वराज्य प्राप्त करना है।

मैं यह प्रस्ताव थोडेसे अंग्रेजी शब्दोमे पेश करके ही अपनी बात समाप्त कर दूँगा, और आपका ज्यादा समय नही लूँगा। मै उसे समझानेके दायित्वसे पहले ही मुक्त हो चुका हूँ, क्योकि लाला लाजपतराय आ गये है और उन्होने आपको अंग्रेजीमे

१ यह भाषण नागपुर कांग्रेसमें उस समय दिया गया था जब गांधीजीने विषय-समितिके लिए प्रतिनिधियोंके सुबह हुए चुनावके सम्बन्धमें शिकायतें सुनी। अन्तमें अध्यक्षने फिरसे चुनावोका आदेश दिया था।

२ नागपुर कांग्रेसके समय विषय समितिकी बैठकमें सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावके मसविदेपर बहस शुरू होनेके अवसरपर यह भाषण दिया गया था।

इस प्रस्तावको समझानेका काम अपने ऊपर ले लिया है। मैं उन लोगोसे व्यक्तिगत तौरपर सिर्फ थोड़े-से शब्द कहना चाहता हूं, जो मेरी हिन्दुस्तानीमे कही बाते समझ नही पाये होगे। मेरी नम्र रायमे यदि कांग्रेस इस प्रस्तावको सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लेती है तो यह उसके लिए सबसे सही बात होगी।

जहाँतक मैं समझता हूँ, इस मचमे केवल दो प्रकारकी आपत्तियाँ व्यक्त की जायेंगी। एक तो यह कि हम आज अंग्रेजोसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी बात न सोचे। लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी मूल्यपर अंग्रेजोसे सदा सम्बन्ध बनाये रखने-की बात सोचना राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके लिए अपमानजनक है। (हर्षध्वनि)। हम एक गम्भीर अन्याय झेल रहे हैं, जिसे दूर करवाना हर भारतीयका व्यक्तिगत कर्त्तव्य है। ब्रिटिश सरकार न केवल अन्यायका निवारण करनेसे इनकार करती है, बल्कि अपनी गलती माननेसे भी इनकार करती है, और जबतक उसका यह रुख बना रहता है, हम यह नही कह सकते कि हम जो-कुछ भी पाना चाहते हैं, वह अंग्रेजोसे सम्बन्ध बनाये रख कर ही पाना चाहते हैं। हमारे रास्तेमे कैसी भी कठिनाइयाँ हो, पर हमे ससारके और सारे भारतके सामने स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि यदि अंग्रेजोसे हमे यह साधारण न्याय भी प्राप्त नही होता तो सम्भव है कि हम उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर दें। मैं यह कदापि नही कहूंगा कि हम हर हालतमे अंग्रेजोसे सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहते हैं। यदि अंग्रेजोसे सम्बन्ध रखनेसे भारत प्रगति करता है तो हम वह सम्बन्ध नष्ट नही करना चाहते। परन्तु यदि यह सम्बन्ध हमारे राष्ट्रीय सम्मानके विरुद्ध पडता हो तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे नष्ट कर दे। (हर्ष-ध्वनि)। इस प्रस्तावमें दोनो तरहके लोगोके लिए गुंजाइश है, उन लोगोके लिए भी जो विश्वास करते है कि अंग्रेजोसे सम्बन्ध बनाये रखकर हम अपने-आपको शुद्ध बना सकते हैं और अंग्रेजोका हृदय भी निर्मल कर सकते हैं, तथा उन लोगोके लिए भी जो ऐसा नही मानते। उदाहरणार्थ श्री एन्ड्रयूजको लीजिए जो दूसरे किस्मका विचार रखनेवालोमें सबसे आगे हैं। वे कहते हैं कि भारतके लिए अंग्रेजोसे सम्बन्ध रखनेकी सारी आशा नष्ट हो गई है। वे कहते हैं कि पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद होना चाहिए, पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। (हर्षध्वनि)। इस प्रस्तावमे जिस नीतिका अनुमोदन किया गया है, उसमे श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज-जैसे व्यक्तिके लिए भी काफी गुंजा-इश है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जिसमे मेरे-जैसे आदमी या मेरे भाई शौकत अली हैं। यदि हमे सदैव यह सिद्धान्त मानना हो कि चाहे ये अन्याय दूर किये जाये या नही, हमे तो ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर ही अपना विकास करना है तो फिर हमारे जैसोके लिए उसमे कोई स्थान नही होगा। प्रस्तुत प्रस्ताव इतना लचीला है कि दोनो तरहके मतोका समावेश कर सकता है। अंग्रेजोको सावधान रहना होगा कि यदि वे न्याय नही करना चाहते, तो प्रत्येक भारतीयका यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह उस साम्राज्यको नष्ट कर दे।

इसके अलावा, तरीकोके बारेमे भी हममे कुछ मतभेद हैं। चूंकि मुझे उत्तर देनेका अधिकार होगा, इसलिए उस प्रश्नपर मैं अभी कुछ नही बोलना चाहूँगा।

इस समय मैं अपनी बात एक निजी अपीलके साथ समाप्त करना चाहूँगा। इस सम्बन्धमे आपका ध्यान मैं बगाल-कैम्पमे हुई कलकी घटना और उसके सबककी ओर दिलाऊँगा। यदि आप स्वराज्य चाहते हैं तो स्वराज्य कैसे पाया जाये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। बगालके प्रतिनिधियोके शिविरमे थोडी-बहुत हाथापाई हुई, थोडी-बहुत कहा-सुनी हुई, और थोडा-बहुत मतभेद प्रकट किया गया, जैसा मतभेद, जबतक ससार रहेगा, हमेशा ही रहेगा। मैं जानता हूँ कि पति और पत्नीके बीच भी मतभेद होते हैं, क्योकि मैं भी पति हूँ। मैंने माता-पिता और बच्चोमे मतभेद देखे हैं, क्योकि मैं भी चार बेटोका बाप हूँ। जहाँतक शारीरिक शक्तिका सम्बन्ध है, वे सभी इतने सशक्त हैं कि अपने पिताको परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे पति और पिताका वह विविध अनुभव प्राप्त है। मैं जानता हूँ कि हममे हमेशा छुट-पुट झगडे होगे, हममे हमेशा मतभेद रहेगे। परन्तु कलकी घटनासे मिलनेवाली जिस शिक्षाकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि मुझे दोनो ही दलोंके[1] सामने बोलनेका गौरव और सौभाग्य मिला। उन्होने मेरी बात पूरे ध्यानसे सुनी और उससे भी बडी बात यह कि मैंने उन्हे जो विनम्र सलाह दी उसे स्वीकार करके उन्होने मेरे प्रति अपने लगाव, स्नेह और अपनत्वका परिचय दिया। मैंने उनसे कहा कि. "मैं यहाँ कोई फैसला देने नही आया हूँ, फैसला तो केवल हमारे सम्मान्य अध्यक्ष करेगे। परन्तु मैं आपसे कहूँगा कि आप अध्यक्षके पास न जाये। आपको उन्हे परेशान करनेकी जरूरत नही है। यदि आप सशक्त हैं, यदि आप बहादुर हैं, यदि आप स्वराज्य पानेको कटिबद्ध हैं और यदि आप वास्तवमे काग्रेसके सिद्धान्तोमे परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप अपना क्रोध काबूमे रखे, अन्यायके विरुद्ध आपके हृदयमे भावना मचले तो उसे आप रोके और उन बातोको यही, इसी जगह भुला दे।" मैंने उन्हे अपने मतभेद भुला देनेको कहा, एक दूसरेकी गलतियाँ भुला देनेको कहा। मैं वह सारी बात नही दुहराना चाहता, न उसका इतिहास सुनाना चाहता हूँ। शायद आपमे से अधिकाश वह सब जानते भी होगे। मैं तो इस तथ्यकी ओर आपका ध्यान-भर दिला देना चाहता हूँ। मैं यह नही कहता कि उन्होने अपने मतभेद सुलझा लिये हैं। आशा तो यही करता हूँ कि सुलझा लिये होगे, परन्तु मैं जानता हूँ कि उन्होने मतभेद भुला देनेका फैसला किया। उन्होने अध्यक्षको परेशान न करनेका फैसला किया। उन्होने यहाँ या विषय-समितिमे कोई प्रदर्शन न करनेका फैसला किया और उन्होने मेरी उस सलाहको माना, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ।[2] मैं अपने बगाली मित्रो तथा अन्य सभी मित्रोसे जो इस महान सभामे एक निश्चित सकल्प लेकर आये हैं, केवल यह चाहूँगा कि वे सिर्फ अपने देशके कल्याणके लिए प्रयत्न करे, अपने-अपने हकोके लिए प्रयत्न करे, राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा-

१ एक दलके नेता श्री चितरजन दास थे, और दूसरे दलके श्री जितेन्द्रलाल बनर्जी।

२ अफवाह थी कि जितेन्द्रलाल बनर्जीका नेतृत्व माननेवाला दल काग्रेस अधिवेशनमें भाग नही लेगा, क्योकि विषय-समितिके चुनावके सम्बन्धमें मतभेद है, किन्तु सभी बगाली प्रतिनिधियोने काग्रेसके खुले अधिवेशनमें भाग लिया।

के लिए प्रयत्न करे। इसके अतिरिक्त उनकी और कोई कामना न हो। मैं आप सबसे उनका अनुकरण करनेकी अपील करूँगा जिन्होंने क्षोभका अनुभव किया था और जिन्हें ऐसा लगा था कि मानो उनके सिर तोड़ दिये गये हैं। मैं जानता हूँ कि कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें[2] हमने जिस महान संघर्षका सूत्रपात किया है, उसका अन्त होनेसे पहले शायद हमें खूनके समुद्रमें नहाना होगा, परन्तु हमारे बारेमें या हममें से किसीके लिए भी कोई यह न कहने पाये कि रक्तपातके दोषी हम हैं। आप ऐसा आचरण करें जिससे आगे आनेवाली पीढ़ियाँ यही कहें कि हमने कष्ट झेले, हमने किसी दूसरेका नहीं अपना ही रक्त बहाया, और इसलिए मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि मैं उन लोगोंके प्रति अधिक सहानुभूति नहीं दिखाना चाहता जिनके सिर टूटे या जिनके बारेमें बताया जाता है कि उनकी जानको भी खतरा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? कमसे-कम, अपने देशवासियोंके हाथों मरना किसी अन्य मृत्युसे कहीं बेहतर है। हमें किस बातका और किससे बदला लेना है? इसलिए मैं आपमें से हर व्यक्तिसे कहता हूँ कि यदि किसी भी समय किसी देशभाईके खिलाफ आपका खून खौले — चाहे वह देशभाई सरकारी नौकरीमें, गुप्तचर या खुफिया विभागमें ही क्यों न हो — तो आप इस बातकी सावधानी बरतेंगे कि आप नाराज नहीं होंगे और चोटके बदले चोट नहीं करेंगे। समझ लीजिए, जिस क्षण आप किसी जासूसकी चोटका जवाब देते हैं, आपका उद्देश्य विफल हो जाता है। आपका आन्दोलन अहिंसात्मक आन्दोलन है, और इसलिए मैं आपमें से प्रत्येकसे कहता हूँ कि बदलेमें चोट न करें वरन् अपना सारा क्रोध काबूमें रखें, उस क्रोधको मनसे दूर करें, और तब आप अधिक बहादुर आदमी बनेंगे। मैं यहाँ उन लोगोंको बधाई देता हूँ, जिन्होंने अध्यक्षके पास जाने और विवादको उनके सामने रखनेसे अपने आपको रोका है। इसलिए मैं उन लोगोंसे, जो मनमें अन्यायका अनुभव करते हैं, कहूँगा कि अगर वे उसे भूल गये हों तो अच्छा ही किया है, और यदि वे नहीं भूल सके हों तो मैं उनसे वह बात भूल जानेकी कोशिश करनेका अनुरोध करूँगा — और यही वह सबक है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

यदि आप इस प्रस्तावको पास करना चाहते हैं तो केवल जोशके साथ इसके पक्षमें 'हाँ' कह कर ही पास न करें, हालाँकि मैं इस प्रस्तावके लिए आपकी उत्साह-पूर्ण स्वीकृति भी चाहता हूँ, परन्तु मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्तावको पास करते समय आपके मनमें यह विश्वास और संकल्प हो — ऐसा विश्वास और संकल्प जिसे इस धरतीपर कोई शक्ति डिगा न सके — कि आप शीघ्रसे-शीघ्र स्वराज्य हासिल करने-को कटिबद्ध हैं और आप स्वराज्य उन्हीं तरीकोंसे पाना चाहते हैं जो उचित हैं, सम्माननीय हैं, अहिंसात्मक हैं और शान्तिपूर्ण हैं। आपने इस बातका निश्चय किया है। आपने निश्चय किया है कि जहाँतक आज हम देख सकते हैं, हम लोग इस सर-कारसे हथियारोंसे संघर्ष नहीं कर सकते, परन्तु उस शस्त्रसे लड़ सकते हैं जिसे मैंने बहुधा आत्माकी शक्ति कहा है। वह आत्मिक शक्ति किसी एक व्यक्ति या संन्यासी या तथाकथित किसी संतकी कोई निजी पूँजी नहीं है। आत्माकी शक्ति प्रत्येक मान-

२. जो कलकत्तामें सितम्बर १९२० में हुआ था।

वकी — चाहे वह स्त्री हो या पुरुष — सम्पत्ति है, और इसलिए मैं अपने देशवासियोसे कहता हूँ कि यदि वे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते है तो इसे उसी दृढ सकल्पके साथ स्वीकार करे। वे यह समझें कि इसका शुभारम्भ मैंने जिन परिस्थितियोका अभी उल्लेख किया है, वैसी अच्छी और अनुकूल परिस्थितियोमे हुआ है। मैं अपनी बात कह चुका। यदि मुझे कुछ और समझाना है तो मैं अपने जवाबमे समझाऊँगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात इतने धैर्यके साथ सुनी। ईश्वर करे कि आप सब इस प्रस्तावको सर्वसम्मतिसे पास करे। ईश्वर आपको इस प्रस्तावको सफल बनानेकी, और वह भी एक सालके भीतर ही सफल बनानेकी शक्ति और योग्यता दे। (जोरसे और देरतक हर्षध्वनि।)[1]

[अग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५वें अधिवेशनकी रिपोर्ट

१. श्री मु० रा० जयकरने अपनी पुस्तक **द स्टोरी ऑफ माई लाइफ**, खण्ड १, पृष्ठ ४१४-५ में (एशिया पब्लिशिग हाउस, १९५८) निम्नलिखित अनुच्छेदोको गाधीजीके इस भाषणका अश बताते हुए उद्धृत किया है·

"[१९०७की सूरत काग्रेससे अबतक]" लगभग १३ वर्ष गुजर चुके है और तबसे अनेक घटनाएँ हुई जो इसे जरूरी बल्कि अनिवार्य बना देती है कि काग्रेसका सिद्धान्त बदला जाये। मैं यहाँ यह कहनेको तैयार हूँ कि उसे प्रस्तावित तरीकेके अनुसार परिवर्तित करनेसे बेहतर कोई तरीका नही है। मैं कहता हूँ कि यह उस नीतिका ही विकसित रूप है जो कलकत्तामें पिछले अधिवेशनमें असहयोग प्रस्ताव पास करते समय अपनाई गई थी। इस सिद्धान्त-परिवर्तनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश सरकारको सूचित करना कि यद्यपि फिलहाल हमारा उद्देश्य, सीधा उद्देश्य, यह नही है कि हम ब्रिटिश साम्राज्यसे बाहर निकल जायें, लेकिन यदि हम उसमें रहते है तो किसीके आदेशसे नही रहेंगे। हम साम्राज्यमें रहेंगे तो अपने मनसे, अपनी स्वतन्त्र इच्छासे रहेंगे।

"स्वराज्य" शब्दका प्रयोग जान-बूझकर किया गया है, ताकि किसी राष्ट्रमण्डलके स्थापित होनेपर यदि हम उसमें रहना चाहें तो रहें और जब चाहें उससे बाहर निकल जायें।"

"मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ रास्ते लम्बे और कष्टकर हो सकते हैं। मजिल भी दूर हो सकती है, यद्यपि मैं आशा करता हूँ कि वह दूर नही है। काम कठिन हो सकता है परन्तु ३१ करोड ५० लाख लोगोंके इस राष्ट्रके लिए कुछ भी असम्भव नही है। यदि हम अपना कर्त्तव्य करनेका निश्चय कर लें, अपना कर्त्तव्य मर्दानगीके साथ, निर्भय होकर और देशके हितमें निःस्वार्थ भावनासे करनेका निश्चय कर लें, तो हम अपना लक्ष्य शीघ्र पा सकेंगे।"

९०. भाषण: विषय समितिकी बहसकी समाप्तिपर[1]

२८ दिसम्बर, १९२०

मेरे सामने साम्राज्यमें बने रहनेसे सम्बन्धित मूल प्रस्ताव और उसमें से गणराज्य शब्द निकाल देनेसे सम्बन्धित संशोधन और अन्य विविध संशोधन मौजूद है। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर हमारी शिकायतें दूर नही की जाती तो हमें अंग्रेजोंसे सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए। संविधानमें परिवर्तन करनेका कारण यही है। यदि हमारी शिकायतें दूर कर दी जाती हैं तो परस्पर बातचीतके द्वारा स्वराज्यके सम्बन्धमें कोई-न-कोई समझौता किया जा सकता है। इसमें छल-प्रपंचका नाम भी नही है। कांग्रेसके ध्येयको जिस रूपमें प्रस्तुत किया गया है उसमें तो दोनों पक्षोंके लिए द्वार खुला रहता है। और अगर इसका नाम छल-प्रपंच है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। वैध और शान्तिपूर्ण साधन कांग्रेसके ध्येयकी नींव है। यूरोपीयोंसे हमें स्पष्ट कह देना चाहिए कि हमारे देशमें उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। उनकी तोपें आदि विनाशके साधन नहीं, हमारे लिए सिर्फ खिलौने हैं। इस समय तो हिंसाकी कोई भी सम्भावना नही है। अबतक हम केवल शिक्षित-वर्गसे ही सहयोग लेते थे, अब हमें जनतासे काम लेना है। अनुचित साधनोंसे लिया जा सकनेवाला स्वराज्य भी अनुचित ही है। यदि हम इस्लामको अपमानसे मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें शान्ति बनाये रखनी चाहिए, नही तो यह आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। अगर हम हिंसा करने लगें तो कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था कही जाने लगेगी और उसे कुचल दिया जायेगा। हमें अपने लक्ष्यकी प्राप्ति सम्मानपूर्ण साधनोंसे करनी चाहिए। 'उत्तरदायी सरकार' शब्द तो भुलावेमें डालनेवाले शब्द हैं। हिन्दुस्तानमें तानाशाही कभी नही आ सकती, क्योंकि हमारा स्वराज्य तो हिन्दुस्तानकी जनताका स्वराज्य होगा। यदि भारतके लोगोंको ही तानाशाहीकी जरूरत होगी तो उसे कोई रोक नही सकेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २–१–१९२१

१ कांग्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावके मसविदेपर।

९१. भाषण : कांग्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावपर

२८ दिसम्बर, १९२०

इस प्रस्तावका अर्थ यह है कि इस राष्ट्रीय सभाका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना है और उसे प्राप्त करनेका उपाय यही है कि हमारे साधन न्याययुक्त, शुद्ध और शान्तिपूर्ण हों। महासभाकी यह धारणा है कि स्वराज्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्राप्त किया जाये, यदि वह आज ही मिल सकता हो तो आज ही प्राप्त किया जाये।

स्वराज्य प्राप्तिके लिए क्या करना चाहिए, महासभाने इस प्रस्तावमें यह भी बताया है। प्रस्तावमें लिखा है कि स्वराज्य हमें तलवारके जोरसे प्राप्त नहीं करना है, स्वाधीनता हमें झूठ बोलकर अथवा सत्यके अवलम्बनको छोड़कर प्राप्त नहीं करनी है, अपितु जैसे हमारा ध्येय शुद्ध है वैसे ही हमारे साधन भी शुद्ध होने चाहिए। अतएव इस प्रस्तावका अर्थ यह है कि हम स्वराज्य प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय करें और उसकी प्राप्तिके निमित्त न्याय, सत्य और शान्तिके मार्गको अपनायें।

मैं अपनेको खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावको महासभाके सम्मुख प्रस्तुत करनेका सुअवसर मिला है। मैं आपको बताता हूँ कि आजतक तो महासभाका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत जैसे अन्य उपनिवेश उत्तरदायी औपनिवेशिक शासनका उपभोग कर रहे हैं, हमें भी इसके अन्तर्गत वैसा उत्तरदायी औपनिवेशिक शासनाधिकार प्राप्त हो जाये और वह भी कानून सम्मत तरीकेसे। यहाँ कानूनका अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्यका कानून। "ब्रिटिश सरकार खिलाफतके प्रश्नका सन्तोषजनक समाधान न करे अथवा पंजाबपर किये गये अत्याचारोंमें न्याय प्रदान करना तो एक तरफ रहा, अपनी भूलतक स्वीकार न करे तो भी हम उस सरकारके कानूनको मानें और यदि हमें महासभामें रहना हो तो हम इस साम्राज्यको मिटानेकी बात भी नहीं कर सकते," आजतक कांग्रेसके संविधानका यह अर्थ था। लेकिन साम्राज्य इतना घोर अन्याय करे और उसका निराकरण न करे तो भी हिन्दू और मुसलमान उसे सहन कर लें, यह बात अब सम्भव नहीं है। फलतः इस प्रस्तावके द्वारा हम निश्चय करते हैं कि हमें स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य प्राप्त करके ही हम पंजाब और खिलाफतके अत्याचारोंके सम्बन्धमें न्याय प्राप्त कर सकेंगे।

लेकिन स्वराज्य प्राप्तिके लिए मैं पश्चिमके साधनोंका उपयोग नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ, हिन्दू अथवा मुसलमान यह नहीं कहते कि हम अपनी स्वतन्त्रताके लिए तलवारका सहारा कभी नहीं लेंगे। लेकिन इतना तो सब समझते हैं कि आज जो हमें चाहिए उसे हम तलवारसे प्राप्त नहीं कर सकते और इसीलिए हम तर्केमवालात अथवा असहयोगका आन्दोलन चला रहे हैं। तलवारसे हम स्वयं अपनेको, अपने धर्मको, साम्राज्यको अथवा किसीको भी नहीं बचा सकेंगे। यदि आप मेरे

करनेको स्वीकार करते हैं तो मैंने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है, आप उसका विरोध नही करेंगे।

मैं जानता हूँ कि हमारे समझदार नेताओंमें दो पक्ष हैं। उनमें से एकमें, मेरे बड़े भाई मदनमोहन मालवीय हैं। पंडितजी आज बुखार और जुकामसे पीडित हैं, इस वजहसे वे अपने विचार व्यक्त करनेके लिए आपके सम्मुख नही आ सके हैं। इसलिए मैं आपको उनके कथनका आशय संक्षेपमें सुनाऊँगा। आप जानते हैं कि पंडित-जी जैसे राष्ट्रसेवी बहुत नहीं हैं। उनके जैसे राष्ट्रसेवीके विचार अगर आप न भी मानें तो भी आपको उन्हें शान्तिपूर्वक और सम्मानपूर्वक सुनना चाहिए। उनका कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्यसे लडाईकी बात करना हमारी शक्तिसे बाहर है। जो हिन्दुस्तान निःशस्त्र है, अपेक्षाकृत कम शक्तिसम्पन्न है, वह ऐसे जबर्दस्त साम्राज्यको किस तरह जीत सकता है? उनके कथनानुसार हमें अपनी ताकतसे बाहरकी बातें कह-कह कर लोगोंको बहकाना नहीं चाहिए। वह मनुष्य मूर्ख है जो इस तरह लोगोंको उनकी ताकतसे बाहरके कार्य करनेके लिए उकसाता है। उनके कथनके मुताबिक अगर यह काम हमारी ताकतसे बाहर है तो मुझे उनकी सलाह मान लेनी चाहिए। लेकिन इस सम्बन्धमें मेरा मत उनसे भिन्न है। मेरी मान्यता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुषमें स्वातन्त्र्य प्राप्त करनेकी शक्ति है। जबतक हमारा यह विश्वास है कि इस शरीरमें आत्माका वास है तबतक हम स्वराज्यके योग्य हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तेतीस करोड़ हिन्दू मुसलमान दोनों अपने-अपने धर्मोंपर आरूढ हैं, वे खुदाका नाम लेनेवाले और ईश्वरके नामपर मृत्युका भी स्वागत करनेवाले हैं। एक गायकी हत्या-पर हजार हिन्दू खून लेने-देनेके लिए तैयार हो जाते हैं। एक मुसलमानके अपमानका बदला लेनेकी खातिर अनेक मुसलमान भी इसी तरह तैयार हो जाते हैं। जबतक हिन्दुस्तानमें ऐसे हिन्दू और मुसलमान विद्यमान हैं तबतक मैं यह कदापि नही कहूँगा कि हिन्दुस्तानके लिए स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव है, और तबतक मैं स्वराज्यके अपने इस आदर्शको छोड़ नही सकता।

इस साम्राज्यने हमपर इतने अधिक अत्याचार किये हैं कि उसके झंडेके नीचे रहना ईश्वरके प्रति द्रोह करना है। इसलिए मेरी आप सबसे नम्र प्रार्थना है कि आप इस प्रस्तावका अनुमोदन करें।

हममेंसे जिन्हें ऐसा प्रतीत होता हो कि हम अशक्त हैं, शक्तिसे स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते, उन्हें तो यह ध्येय स्वीकार्य होना ही चाहिए कि हम शान्तिसे और सत्यपर आरूढ रह कर ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। इससे हम उच्चसे-उच्च आदर्शको अपने सम्मुख रख सकते हैं।

जिनको ऐसा आभास होता हो कि आगे-पीछे यह साम्राज्य शायद हमारी बात समझ जायेगा, अन्ततः उसे सुनेगा और समझेगा तथा न्याय प्रदान करेगा, हम विधान मण्डलोंमें जाकर उसे समझा सकेंगे, वे भी इस प्रस्तावसे कांग्रेसमें रह सकेंगे।

हम साम्राज्यको दण्ड देना नही चाहते, हम उसके साथ सारे सम्बन्ध तोडकर ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात भी इस प्रस्तावमें नही आती। यही

साम्राज्य अगर हमे न्याय देनेके लिए तैयार हो, हमारे अधिकार देनेके लिए तैयार हो तो हम उसके अधीन रहनेके लिए तैयार है। इसे मै न्यायका पक्ष कहता हूँ, इस पक्षपर चलनेमे कोई विघ्न-बाधा नही है।

इसलिए मै आपसे कहता हूँ कि अगर आपको यह प्रस्ताव स्वीकार हो कि हमे स्वराज्य लेना है और जिस ढगसे इस प्रस्तावमे बताया गया है, उसी ढगसे स्वराज्य लेना है, तो आप अपने हृदयमे इसकी दृढ प्रतिज्ञा करे। सिर्फ प्रस्ताव पास करनेसे काम खत्म नही हो जाता। आप प्रतिज्ञा करेगे तो स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेगे और पजाबके अत्याचारो और खिलाफतके अन्यायका निराकरण करा सकेगे।

आपके सम्मुख ऐसे वक्ता भी आयेगे जो कहेगे कि हम अपने उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिए चाहे जैसे साधनोका प्रयोग कर सकते है। इसका उत्तर मै प्रसग आनेपर दूंगा। फिलहाल तो मै इतना ही कहता हूँ कि यदि हम महासभाका ध्येय निश्चित करना चाहते है तो उसे हमे वर्तमान परिस्थितियोको ध्यानमे रखते हुए ही निश्चित करना चाहिए। मेरा अपना धर्म तो यही है कि हिंसासे मुझे स्वराज्य मिलता हो तो मुझे वह नही चाहिए। हिंसासे मुझे मोक्ष भी मिले तो मुझे मजूर नही। अगर हिसासे ईश्वरभक्ति भी सम्भव हो तो मुझे वह भक्ति भी नही चाहिए। इस प्रस्तावमे आज अहिसा और सत्यके जो साधन बताये गये है वे ही आपके लिए उचित है। उन्ही साधनोसे आप अपने ऊपर किये गये अत्याचारोका परिमार्जन करा सकेगे।

मै आपको ज्यादा कुछ नही कहना चाहता। आज हिन्दुस्तानमे चारो ओर कितनी जागृति हुई है, यह मै जानता हूँ और इसीलिए यह मानता हूँ कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा कहने-सुननेकी जरूरत नही है।

अपनी बातको खत्म करनेसे पहले मै आपके सामने आदर्श पाठकी तरह एक घटनाकी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कल बगालके शिविरमे कुछ झगडा हो गया था। उसकी खबर सुनकर मुझे दु ख हुआ। स्वाधीनता कैसे प्राप्त की जा सकती है—यह बतानेके विचारसे मै वहाँ गया। मैने अपनी बात बडे आदरसे कही। मैने उनसे कहा कि आपमे से कौन-सा पक्ष न्यायपर है और किस पक्षने भूल की है, मै यह नही कह सकता, लेकिन यदि आप पारस्परिक अनबनको दूर करना चाहते है, हिन्दुस्तानके लिए स्वराज्य लेना चाहते है, अपने हृदयोको शुद्ध और विकाररहित करना चाहते है तो आप इस सारी घटनाको भूल जाये। आप अपने झगडे यही समाप्त कर दे। दोनो पक्ष यह बात समझ गये। हम स्वराज्य चाहते है तो अगर हमारे भाईने हमे नुकसान पहुँचाया हो अथवा हमारा सिर फोड दिया हो तो भी हमे सरकारके पास नही जाना चाहिए। हम अध्यक्षके पास भी क्यो जायें? मुझे कोई लाठी लेकर मारे तो मै उसके सामने झुक जाऊँगा, क्योकि उसे जीतनेका यही अवसर है। अगर हमने यह न किया तो हम कुछ नही कर सकेगे। यदि आप दृढ है, बहादुर है, स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कृत-सकल्प है और सचमुच महासभाके ध्येयमे परिवर्तन कराना चाहते है तो आपको अपने क्रोधका शमन करना होगा। अन्यायकी कोई भी भावना यदि आपके हृदयको कचोटती है तो आपको अपनी इस भावनाको दबाना पडेगा और

सब भूल जाना पड़ेगा। अतएव बंगाली भाइयों और अन्य सब लोगोंसे, जो इस महती सभामें दृढ़ निश्चय करके शामिल हुए हैं, मैं यही माँगता हूँ कि आप देशको सुदृढ़ बनानेके अलावा किसी और वस्तुके लिए प्रयत्न न करें, आप अपने अधिकारोंकी प्राप्तिके प्रयत्नके अतिरिक्त किसी अन्य बातकी चिन्ता न करें, अपने देशके सम्मानकी रक्षा करनेके अलावा किसी दूसरी बातपर ध्यान न दें। कल जितने लोगोंके हृदयोंको चोट पहुँची और जिन्हें शारीरिक आघात लगे [उन्होंने शान्ति रखी]। मैं आपमें से हर व्यक्तिको उन लोगोंका अनुकरण करनेकी सलाह देता हूँ। (हर्षध्वनि)। महासभाके विशेष अधिवेशनमें हम जिस महान युद्धके लिए मैदानमें उतरे हैं उसके खतम होनेतक कदाचित् हमें खूनका समुद्र तैरना पड़े। लेकिन हमपर अथवा हममें से किसीपर खून बहानेका आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि आनेवाली पीढ़ियाँ यह कह सकें कि हमने सहनशीलता दिखाई है, हमने दूसरोंके प्राणोंकी नहीं, बल्कि अपने प्राणोंकी आहुति दी है। इसलिए मैं जरा भी हिचके बिना कहता हूँ कि जिनके सिर फूटे और जिनकी जानें जोखिममें पड़ीं उनके प्रति मैं अधिक सहानुभूति नहीं दिखाना चाहता। इसमें हमारा क्या गया? अपने देशभाइयोंके हाथों मरना तो अधिक अच्छा है। हम किसलिए और किससे प्रतिशोध लें? यदि कोई जासूस अथवा सरकारी अधिकारी मुझे मारे तो भी मैं उसके विरुद्ध सरकारसे नहीं ईश्वरसे फरियाद करूँगा। हम जबतक परस्पर पूर्ण सहयोग नहीं करते तबतक स्वाधीनता नहीं मिल सकती। बंगाली भाइयोंने दंगा किया, लेकिन वे समझ गये और तुरन्त सावधान हो गये। जो हिंसाको धर्म समझते हैं उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो अपनेको असहयोगी बताते हैं उनसे मैं अवश्य अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ। उन्होंने क्रोध न करनेका वचन दिया है। मैं बंगालके प्रतिनिधि भाइयोंको इस अवसरपर बधाई देता हूँ। अगर आप सब उन लोगोंके समान ही आचरण करेंगे तो मुझे रंच-मात्र भी शंका नहीं कि आप स्वराज्य अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। अपने मारनेवालेको क्षमा प्रदान करना कायरता नहीं है। यदि कोई मुझे मारे तो मैं उसे कायरताके कारण सहन नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि सचमुच कायर तो वह है। यदि इस कारण तरस खाकर जिसने मुझपर अत्याचार किया हो ऐसे व्यक्तिको मैं माफ कर देता हूँ तो यह बहादुरीकी बात है। इस प्रस्तावको आपके सम्मुख प्रस्तुत करते समय यह पदार्थ-पाठ आपके सामने प्रस्तुत है।

इसके साथ-साथ ही मैं आपसे अटल श्रद्धा और निश्चयकी भी आशा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्वराज्य प्राप्त करनेका निश्चय किया है, और आप इस स्वराज्यको विधिसम्मत, सम्मानजनक, अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण साधनोंसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। शस्त्रसे हम सरकारका मुकाबिला कर सकें——यह सम्भव नहीं है, आत्मबल ऐसी चीज है जिसमें हम सरकारसे जूझ सकते हैं। इस आत्मबलको दिखानेकी शक्ति किसी सन्यासी अथवा तथाकथित महात्मामें ही हो सो बात नहीं है। आत्मबल दिखानेकी शक्ति हर स्त्री अथवा पुरुषमें है। फलतः मेरे देशबन्धु अगर इस प्रस्तावको स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं उनसे

कहता हूँ कि उसे वे दृढ निश्चयसे स्वीकार करें और समझ लें कि जैसा मैंने ऊपर बताया, यह प्रस्ताव शुभ मुहूर्तमें ही स्वीकार किया गया है। भगवान करें आप इस प्रस्तावको सर्वसम्मतिसे स्वीकार करें और वह आपमें इसे एक वर्षके भीतर कार्यान्वित करनेका बल और धैर्य उत्पन्न करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-१-१९२१

९२. भेंट: 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिसे[1]

[२९ दिसम्बर, १९२० के पूर्व]

प्रतिनिधिके यह पूछनेपर कि विगत तीन महीनेकी अपनी गतिविधियोंसे श्री गांधीने क्या अनुभव किया, उन्होंने कहा:

इन तीन महीनोंके व्यापक अनुभवकी स्वयं मेरे मनपर तो यह छाप पड़ी है कि असहयोग आन्दोलन अब जम गया है, और बम्बईमें श्रीमती बेसेंटकी सभामें, दिल्लीके कुछ स्थानोंमें, और बंगाल तथा गुजरातमें भी, हुल्लडबाजीकी जो घटनाएँ हुईं, वैसी इक्की-दुक्की घटनाओंके बावजूद मैं निश्चय ही इसे एक शुद्धीकरणका आन्दोलन मानता हूँ। लोग दिन-प्रतिदिन अहिंसाकी भावना ग्रहण करते जा रहे हैं — भले ही वे बराबर इसे सिद्धान्तके रूपमें ही ग्रहण न करके एक अनिवार्य नीतिके रूपमें ही ग्रहण करते हों। अगर जनता अहिंसाकी भावनाको पूरी तरह अपना ले तो मैं उससे बड़े विस्मय-कारी परिणामोंकी अपेक्षा रखता हूँ — कहूँ तो यहाँतक कि सर जगदीशचन्द्र बसुकी खोजोंसे भी अधिक विस्मयकारी परिणामोंकी। जिस क्षण सरकारको पूरी तरह यह विश्वास हो जायेगा कि हम हिंसासे काम नहीं लेंगे, उसी क्षण वह अपना रवैया बदल देगी। वह जानबूझकर और इच्छापूर्वक तो यह विश्वास नहीं करेगी, लेकिन अगर उसे विश्वास हो जाये तो वह अपना रवैया बदलेगी अवश्य।

[भेंटकर्त्ता:] रवैया बदलेगी — यानी किस दिशामें?

[गांधीजी] निश्चय ही उस दिशामें जिस दिशामें हम चाहेंगे — यानी कि यह राष्ट्र जो-कुछ कहेगा सरकारको उसका खयाल रखना पड़ेगा।

कृपया जरा और विस्तारसे समझायें।

मेरा मतलब यह है कि लोग अपने निश्चित संकल्प और आत्मबलिदानके बल-पर खिलाफत और पंजाबके सम्बन्धोंमें किये गये अन्यायका परिशोधन करा सकेंगे और अपनी पसन्दका स्वराज्य भी हासिल करेंगे।

१. इस भेंटका विवरण २९-१२-१९२० के **यंग इंडिया**, और ५-१-१९२१ की **अमृत बाजार पत्रिकामें** भी छपा था।

प्राप्त करनेकी उम्मीद रखता हूँ, उसके शेष नौ महीनोमे हम इन दोनो अन्यायोका परिशोधन करवा लेगे और भारतकी जनताकी इच्छाके अनुसार स्वराज्य स्थापित होते भी देखेगे।

लेकिन इन नौ महीनोके अन्तमें इस वर्तमान सरकारकी क्या स्थिति होगी?

आप देखेगे कि शेर और बकरी एक ही घाटपर पानी पी रहे है।

[अग्रेजीसे]

यंग इडिया, २९–१२–१९२०

अमृतबाजार पत्रिका, ५–१–१९२१

९३. टिप्पणियाँ

'घृणाका सिद्धान्त'?

'इडियन इटरप्रेटर'के पास असहयोगके खिलाफ कहनेको बहुत-कुछ है। बडा अच्छा हो, अगर सम्पादक सार्वजनिक प्रश्नोपर विचार व्यक्त करनेसे पहले उन्हे समझनेकी कोशिश करे। 'इडियन इटरप्रेटर' ईसाइयोकी धार्मिक पत्रिका है। किसी भी धार्मिक विषयोसे सम्बन्धित एक जिम्मेदार पत्रिकासे आशा की जाती है कि वह जिन विषयोका विवेचन करे उनकी उसे पूरी जानकारी हो।

> **'इंटरप्रेटर' लिखता है: "भारत कभी सार्वजनिक घृणाके बलपर एकता हासिल नही कर सकता। और जहाँतक कोई तटस्थ पर्यवेक्षक समझ सकता है, आदर्शवादी श्री गाधीने इसी उपायका सहारा लिया है।"**

श्री स्टोक्स[1], जिन्होने एक तटस्थ पर्यवेक्षककी तरह आन्दोलनका अध्ययन करनेकी कोशिश की है, कहते है कि वह घृणापर आधारित नही है। मै स्वय भी यही बात कह चुका हूँ। लेकिन पूर्वग्रह कठिनाईसे खत्म होते है। यह भाग-दौडका जमाना है और इस भाग-दौडमे आधुनिक पत्रकारिताका बहुत बडा योगदान है। इस जमानेमे लोग अपर्याप्त तथ्योके आधारपर जल्दबाजीमे निष्कर्ष निकाल लेते है, और इस तरह, अनजाने ही सही, अपने पूर्वग्रहोको और भी पुष्ट करते है।

एक सामान्य खतरा

एक सामान्य खतरे, सामान्य कष्टने हिन्दुओ और मुसलमानोको एक सूत्रमे बाँध दिया है। मै कष्टसे अधिक पावन बनानेवाली कोई अन्य चीज नही जानता। सकट अजनबियोको भी सहचर बना देता है और हम तो अजनबी नही, पडोसी है, एक ही धरतीके बेटे है, जो सकटके कारण एक-दूसरेके और भी समीप आ गये है।

१. इन्होने भारतको ही अपना देश बना लिया था और असहयोगमें खास दिलचस्पी रखते थे, देखिए अगला शीर्षक।

'ब्रिटिश शासन एक बुराई'?

[illegible] पूछा [illegible] गया है कि

> "क्या श्री गांधी बिना किसी दुविधा-संकोचके ऐसा मानते हैं कि भारतमें ब्रिटिश शासन सर्वथा बुरा है, और क्या भारतके लोगोंको ऐसी शिक्षा देनी है कि वे भी इसे ऐसा ही मानें? वे अवश्य ही ब्रिटिश शासनको इतना अधिक खराब मानते हैं कि उनकी दृष्टिमें उसके अन्यायोंका पलड़ा उससे होनेवाले लाभोंसे भारी [illegible] है, क्योंकि ऐसा होनेपर ही अपनी अन्तरात्मा या ईसा मसीहके सामने असहयोगका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है।"

मैं [illegible] "हाँ" ही कहूँगा। जबतक मैं मानता था कि ब्रिटिश [illegible] अच्छा ही है, तबतक मैं [illegible] और [illegible] बावजूद उससे चिपका रहा। [illegible] भी नहीं है। परन्तु अब जब कि मेरी आंखें [illegible] अपनी दूषित प्रवृत्ति नहीं छोड़ देता, अपना [illegible]। [illegible] बार मैं बहुत दुःखके साथ लिख रहा हूँ और [illegible] हूँ, या मेरा वर्तमान रुख प्रतिक्रियात्मक [illegible] साम्राज्य लगातार अपना घर भर [illegible] किया है और मुसलमानोंकी भावनाको धोखा [illegible] लूट मानता हूँ। ब्रिटिश साम्रा-ज्यको [illegible] अभिशाप समझता हूँ। यदि हमपर शस्त्रके [illegible] ब्रिटिश शासन भारतमें न होता तो बजाय इसके कि हम [illegible], जैसा कि आज कर रहे हैं, हम कमसे-कम [illegible] स्त्री-पुरुष तो बने रहते। किसी भी आत्मसम्मानी राष्ट्रको अपनी [illegible] और [illegible] कीमतके बदलेमें सड़कों और रेलोंके "वरदान" स्वीकार नहीं होते। [illegible] "वरदान" तो स्वातन्त्र्य-लाभकी प्रगतिके मार्गमें सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रहा है।

शुद्धीकरणका आन्दोलन

सच तो यह है कि अहिंसाके कारण असहयोग एक धार्मिक और शुद्धीकरणका आन्दोलन बन गया है। यह राष्ट्रको प्रतिदिन शक्ति प्रदान कर रहा है, उसे उसकी दुर्बलताएँ दिखाता है और उन्हें दूर करनेका उपाय सुझाता है। यह आत्मनिर्भरताका आन्दोलन है। यह विचारोंमें शान्ति लाने और चिन्तनकी प्रेरणा देनेकी दृष्टिसे सबसे जबरदस्त शक्ति है। यह स्वयं आगे बढ़कर कष्ट झेलनेका आन्दोलन है, और इसलिए ज्यादती या अतिरेकपर स्वतः नियन्त्रण रखता है। राष्ट्रकी कष्ट-सहनकी क्षमता स्वतन्त्रताकी दिशामें उसकी प्रगतिका नियमन करती है। इसके बलपर हर प्रकारसे बुराईसे अलग रहा जा सकता है और इस तरह यह बुराईकी शक्तियोंको बिलकुल पंगु बना देती है।

फीजीकी पुकार

अन्यत्र प्रकाशित एक अन्य पत्रसे[1] भी आन्दोलनको जोरदार समर्थन मिलता है। मेरे सम्माननीय पत्र-लेखकने उन कारणोका विश्लेषण किया है जिनके कारण हमारे देशभाई इतनी बडी सख्यामे वापस लौटे, और लौट रहे है। फीजीमे औरतोपर भी मुकदमे चलाये गये, उन्हे कारावास दिया गया। नि सन्देह कोई कारण नही कि स्त्री होनेके कारण कोई व्यक्ति प्रमाणित अपराधके लिए दण्डसे बरी हो जाये। परन्तु फीजीसे प्राप्त सभी ब्यौरोसे साबित होता है कि फीजीमे जो मुकदमे चलाये गये वे बहुत-कुछ पजाबके मुकदमो-जैसे ही थे। आतक फैलानेका यह तरीका थोडी-सी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए सघर्ष कर रही एक जातिको कुचलनेके लिए ही अपनाया गया है। मुझे लगता है कि फीजीको काग्रेसका एक शिष्टमण्डल भेजकर हम अपने पीडित देशभाइयोको कोई भी राहत नही दे सकेगे। मै फीजी सरकारपर कतई कोई विश्वास नही करता। वह जाँच करनेके लिए शिष्टमण्डलको कोई सुविधा नही देगी। शायद भारत-सरकार शिष्टमण्डलकी भारतसे रवानगी ही रोक दे। मेरे लिए फीजीका सकट असहयोग आन्दोलनको तीव्र करनेका अतिरिक्त कारण प्रस्तुत करता है। इस बीच हमे चाहिए कि जो लोग भारत वापस लौटे, उनकी देख-भालके लिए जितना भी कर सके, हम करे।[2] ऐसा न हो कि हम वापस आनेवाले भारतीयोको उनके भाग्यके भरोसे छोड दे, और वे निराश होकर फिर फीजी वापस चले जानेकी सोचने लगे। इसलिए मुझे खुशी है कि जो लोग वापस आये है, श्री अ० वि० ठक्कर[3] और शान्तिनिकेतनके श्री बनारसीदास[4] उनकी देखभाल कर रहे है। श्री ठक्करने अभी-अभी पुरीमे[5] अपना कठिन काम समाप्त किया है और श्री बनारसीदास श्री सी० एफ० एन्ड्रचूजको उनके मानव-हितके कार्योमे सहायता दे रहे है।

[अग्रेजीसे]

यंग इडिया, २९-१२-१९२०

१. यह पत्र यहाँ नही दिया जा रहा है।

२. जनवरी १९२० में फीजी सरकारने भारतीय मजदूरोके गिरमिट रद कर दिये, और उनमें से जो भारत वापस जाना चाहते थे उन्हें जल्दी स्वदेश वापस भेजनेका प्रबन्ध किया गया। परिणामस्वरूप बडी सख्यामें लोग फीजीसे लौटे। बहुतेरे तो भारतमें एक तरहसे तबाह हालतमें लौटे।

३ अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर (१८६९-१९५१), एक गुजराती इजीनियर; सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटीके आजीवन सदस्य, जीवन-भर सेवाका और हरिजन-कल्याणका काम करते रहे।

४ बनारसीदास चतुर्वेदी, हिन्दी लेखक और पत्रकार, १९२० के जुलाई मासमें चीफ्स कालेज, इन्दौरसे इस्तीफा दिया और बादमें शान्तिनिकेतनमें एण्ड्रयूजके साथ काम करने लगे; **चार्ल्स फ्रीअर एण्ड्रयूज** नामक जीवनीके सह-लेखक, १९५२ से १९६४ तक राज्य सभाके मनोनीत सदस्य।

५ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २९९-३००, ३१६-१७।

९४. मेरे लिए एक ही डग आगे देखना काफी है

श्री स्टोक्स एक ऐसे ईसाई है जो परमात्माके दिखाये हुए पथपर चलना चाहते है। उन्होंने भारतको अपना घर बना लिया है। भारतकी मैदानी आबादीसे दूर, कोटागिरिकी पहाड़ियोमे उन्होने अपना निवास-स्थान बनाया है और वहाँ वे पहाडी जनताकी सेवा कर रहे है। वहीसे वे असहयोग आन्दोलनकी गतिविधि देख रहे है। कलकत्ताके 'सर्वेन्ट' नामक पत्र तथा अन्य समाचारपत्रोमे उन्होने असहयोगपर तीन लेख लिखे है। बगालका दौरा करते समय मुझे इन लेखोको पढनेका सौभाग्य मिला। श्री स्टोक्स असहयोगको सही मानते है, किन्तु उसकी पूर्ण सफलता, अर्थात् अग्रेजोके भारत छोड देनेके सम्भावित परिणामोसे वे डरते है। कल्पनामें उनकी आंखोके सामने भारतकी ऐसी तस्वीर उभर आती है जिसमे उत्तर-पश्चिमसे वह अफगानोसे आक्रान्त है और उधर पहाडियोकी ओरसे आकर उसे गोरखे लूट रहे है। मै तो कार्डिनल न्यूमैनके शब्दोमें यही कहूँगा कि "मै सुदूर भविष्यकी चिन्ता करनेको नही कहता, मेरे लिए तो एक ही कदम आगे देखना काफी है।" यह आन्दोलन मुख्यत धार्मिक है। ईश्वरसे डरनेवाले हर व्यक्तिका कर्त्तव्य है कि परिणामकी चिन्ता किये बिना वह हर बुराईसे अपनेको अलग रखे। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि अच्छे कामका परिणाम अच्छा ही होगा, और मेरी रायमें 'गीता'के निष्काम कर्मका यही सिद्धान्त है। ईश्वरकी ओरसे उसे भविष्यकी चिन्ता करनेकी छूट नही है। वह सत्यका अनुसरण करता है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राणोको ही सकटमे क्यो न डालना पडे। वह जानता है कि धर्म-पथपर चलते हुए मरना अधर्मका जीवन जीनेसे बेहतर है। इसलिए जिस किसीको यह विश्वास हो कि यह सरकार अधर्मके काम करती है, उसके लिए सरकारसे अपने सारे सम्बन्ध तोड लेनेके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नही है।

फिर भी, अग्रेजोके भारतसे एकदम चले जानेपर ज्यादासे-ज्यादा बुरा परिणाम क्या हो सकता है, उसपर भी हम विचार कर ले। गोरखे और पठान हमपर आक्रमण करेगे तो उससे क्या होगा? निश्चय ही वर्तमान सरकार बराबर हमारे साथ जो नैतिक और शारीरिक हिंसा करती रहती है, उसकी अपेक्षा हम उनकी हिंसासे अधिक अच्छी तरह निपट सकेगे। श्री स्टोक्स, लगता है, शारीरिक शक्तिके प्रयोगके खयालको त्याग नही पाये है। नि सन्देह एकताके सूत्रमे बँधे भारतके राजपूत, सिख और मुसलमान वीरोपर भरोसा किया जा सकता है कि वे उन आक्रमणकारियोका — चाहे वे किसी एक तरफसे आये या हर तरफसे आयें — मुकाबला कर सकेगे। लेकिन जो सबसे बुरी स्थिति हो सकती है, उसीकी कल्पना कीजिए जापान बगालकी ओरसे हमला करता है, गोरखे पहाड़ियोकी ओरसे और पठान उत्तर-पश्चिमकी ओरसे धावा बोल देते है। उस हालतमे यदि हम उन्हे शुरूमे ही बाहर न खदेड सके, तो हम उनसे सुलह कर लेगे और अवसर मिलते ही उन्हे बाहर भगा देगे। जो राज्य जाने-माने

तौरपर अन्यायपूर्ण है, उस राज्यकी सत्ता स्वीकार करनेकी अपेक्षा तो यह अधिक पौरुषपूर्ण मार्ग होगा।

परन्तु मैं ऐसी किसी निराशापूर्ण सम्भावनाकी कल्पना नहीं करता। यदि अहिंसाके रास्तेसे यह आन्दोलन सफल होता है — और श्री स्टोक्सने अपने लेखका प्रारम्भ ही इसी कल्पनाके आधारपर किया है — तो अंग्रेज चाहे यहाँ रहें या यहाँसे चले जायें, वे जो-कुछ भी करेंगे मित्रोंकी तरह ही करेंगे, और जैसा दो साझेदारोंके बीच किसी अच्छे समझौतेमें होता है, उसी तरह करेंगे। मैं अभीतक मानव-प्रकृतिकी नेकीमें विश्वास करता हूँ, चाहे वह मानव अंग्रेज हो या कोई और। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि अंग्रेज यहाँसे "रातोंरात" चले जायेंगे।

और फिर, क्या मैं गोरखों तथा अफगानोंको ऐसा चोर-डाकू मानूँ, जिनमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता और जिनपर पावनकारी शक्तियाँ कोई असर डाल ही नहीं सकतीं? मैं तो ऐसा नहीं मान सकता। यदि भारत पुनः अपनी आध्यात्मिकताकी राहपर चलने लगता है तो उसका असर पड़ौसी जातियोंपर भी होगा। वह इन मेहनती किन्तु निर्धन जातियोंके कल्याण-कार्यमें भाग लेगा और यदि जरूरी हुआ तो मदद भी देगा — किसी भयसे नहीं बल्कि पड़ौसीके कर्त्तव्यकी भावनासे प्रेरित होकर। ब्रिटेनके साथ-साथ वह जापानसे भी निपट चुकेगा। जो चीजें यहाँ तैयार की जा सकती हैं, यदि भारत, वैसी एक भी विदेशी चीजका इस्तेमाल करना पाप समझने लग जाता है तो जापान भारतपर कभी आक्रमण नहीं करना चाहेगा। भारत अपने खाने-भरको पर्याप्त अन्न पैदा कर लेता है और भारतके स्त्री-पुरुष बिना कठिनाईके इतना कपड़ा तैयार कर सकते हैं कि वे नंगे न रहें और गर्मी-सर्दीसे अपनेको बचा सकें। हमपर आक्रमण तभी किया जायेगा जब हम दूसरे राष्ट्रोंके साथ इस तरहका व्यवहार रखेंगे जैसे हम उनपर निर्भर हों। इस तरहके व्यवहारसे उनका लोभ बढ़ेगा। हमें हर देशसे स्वतन्त्र रहना सीखना चाहिए।

इसलिए चाहे अन्ततोगत्वा हमें सफलता हिंसासे मिले या अहिंसासे, मेरी रायमें उसके बादके आसार उतने बुरे नहीं हैं, जितने कि श्री स्टोक्स सोचते हैं। मेरी रायमें, ऐसे किसी परिणामकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हमारी आजकी हीन और असहाय अवस्थासे अधिक बुरी हो। और निर्भयता तथा विश्वासके साथ असहयोग और त्यागके खुले और सम्माननीय कार्यक्रमको, जिसे हमने अपने लिए तैयार किया है, अपनानेसे ज्यादा अच्छा और कोई काम हम नहीं कर सकते।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २९–१२–१९२०

९५. जाति बनाम वर्ग

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसलिए उसे सामाजिक सगठनका कोई-न-कोई तरीका निकालना ही पडता है। हमने अपने देश भारतमे जाति-व्यवस्था विकसित की है और यूरोपवालोने वर्ग-व्यवस्था की है। लेकिन उनमे से किसीमे वह सहति और स्वाभाविकता नही है, जो परिवारमे पाई जाती है, क्योकि परिवार शायद एक ईश्वर-प्रदत्त सस्था है। अगर जाति-प्रथाने कुछ बुराइयोको जन्म दिया है तो वर्ग-व्यवस्थाने भी उससे कुछ कम बुराइयोको जन्म नही दिया है।

अगर वर्ग-व्यवस्था कुछ सामाजिक मूल्योको कायम रखनेमे सहायक होती है तो जाति-प्रथा भी इस दिशामे, उससे अधिक नही तो उसके बराबर ही सहायक है। जाति-प्रथाकी खूबी इस बातमे है कि इसका आधार धन नही है। इतिहास साक्षी है कि दुनियामें पैसा सबसे बडी विघटनकारी शक्ति है। शकराचार्य कह गये हैं, धनकी कलुषता पारिवारिक सम्बन्धोकी पवित्रताको भी सुरक्षित नही रहने देती। जाति-प्रथा परिवारके सिद्धान्तका विस्तारमात्र है। दोनोकी सचालक शक्ति रक्त-सम्बन्ध और वश-परम्परा ही है। पाश्चात्य वैज्ञानिक यह सिद्ध करनेकी कोशिशमे लगे हुए है कि वश-परम्परा एक भ्रम-मात्र है, और जो-कुछ है वह वातावरण ही है। बहुत-से देशोके पुराने अनुभव इन वैज्ञानिकोके निष्कर्षोको गलत सिद्ध कर देते है। लेकिन अगर वातावरणके सिद्धान्तको स्वीकार भी कर लिया जाये तो यह आसानीसे सिद्ध किया जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण बनाये रखने और विकसित करनेमे वर्गसे कही अधिक सहायक जाति हो सकती है। आग्ल-सैक्सन जातिके लोग स्वभावसे ही ऐसे होते है कि वे अपने दृष्टिकोणके अलावा किसी औरका दृष्टिकोण समझ ही नही पाते। इसलिए जो भी चीज उनकी प्रकृतिके विरुद्ध जाती है, उसके प्रति उनका तीव्र विरोध करना आसानीसे समझा जा सकता है। लेकिन भारतीयोको — चाहे वे हिन्दू हो या ईसाई — इतना तो समझ ही सकना चाहिए कि जाति-प्रथाके पीछे कोई अहकारपूर्ण श्रेष्ठताकी भावना नही है, यह आत्मसस्कारकी विभिन्न प्रणालियोका एक विभाजन-मात्र है। यह सामाजिक सस्थिति और प्रगतिके बीच तालमेल बनाये रखनेका सबसे अच्छा तरीका है। जैसे परिवारकी भावना एक-दूसरेको प्यार करने-वाले और परस्पर रक्त-सम्बन्ध तथा अन्य सम्बन्धोमे बँधे लोगोको एक करती है, वैसे ही जाति भी एक विशेष ढगसे शुद्ध जीवन बितानेवाले परिवारोको (न कि एक खास जीवन-स्तर, यानी एक खास आर्थिक-जीवन-स्तरवाले परिवारोको) आपसमें एक करनेकी कोशिश करती है। यह जो नही करती वह यह है कि अमुक परिवार किस विशेष जातिका है, इस बातका निर्णय किसीकी सनकपर या चन्द व्यक्तियोके पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणपर नही छोड देती। यह वश-परम्पराके सिद्धान्तमे विश्वास करती है और चूँकि यह मात्र एक रहन-सहनकी प्रणाली है, इसलिए यह ऐसा मानकर नही

चलती कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार अपने रहन-सहनका ढग अच्छा बनानेके लिए उसमे कुछ परिवर्तन करके भी उस समुदायमे बना रहे तो इसमे कोई बडा अन्याय हो जायेगा। जैसा कि हम सभी जानते है, सामाजिक जीवनमे परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे आता है, और इस प्रकार जाति-व्यवस्थामे, दरअसल, इस बातकी छूट रहती है कि जीवन-पद्धतिमे जो परिवर्तन आये उनके अनुसार नये समुदायोका गठन किया जाये। लेकिन ये परिवर्तन चुपचाप और बहुत सहज तरीकेसे होते है — ठीक वैसे ही जैसे बादलोके आकारमे होते रहते है। मानव-समाजकी इससे अधिक सामजस्यपूर्ण किसी व्यवस्थाकी कल्पना करना कठिन है।

जाति उच्चता या नीचताका बोधक नही है। यह तो अलग-अलग दृष्टिकोणो और तदनुरूप जीवन-पद्धतियोकी स्वीकृति-मात्र है। इस बातसे इनकार नही किया जा सकता कि जाति-प्रथामे एक प्रकारकी श्रेणियाँ बन गई है, लेकिन इसे ब्राह्मणोका काम नही कहा जा सकता। जब सभी जातियाँ जीवनके एक सामान्य लक्ष्यको स्वीकार करके चलती है तो श्रेणियाँ बन जाना अवश्यम्भावी है, क्योकि सभी जातियाँ उस आदर्शको समान रूपसे चरितार्थ नही कर सकती। अगर सभी जातियाँ माने कि निरामिष भोजन सामिष भोजनसे अच्छा है, तो जो जाति निरामिष भोजी है उसे बाकी सभी जातियाँ ऊँची नजरोसे तो देखेगी। भारतमे कुछ उपजातियाँ भी है, जो सदासे एक-दूसरेकी समकक्षी रही है, लेकिन कभी भी उनका आपसमे रोटी-बेटीका सम्बन्ध नही रहा है। जैसे हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग धर्म माननेके कारण अपनेको एक-दूसरेसे नीच नही समझते, या जैसे दक्षिण भारतमे कोई ब्राह्मण या लिंगायत एक साथ खान-पान नही करता, उसी तरह सभी जातियाँ अपने खान-पानका सम्बन्ध अपनी-अपनी जातिमे ही सीमित रख सकती है। दूसरी जातियोने ब्राह्मणो या वैष्णवोके खान-पानके स्तरको सबसे अच्छा मानकर ही तो "पवित्रतर" जातियोके हाथो दिया गया भोजन खाना स्वीकार किया है।

स्पर्श, पीना, खाना और विवाह — ये निजी मामले है। लेकिन किसीका स्पर्श करनेसे इनकार करके तो आप लगभग उससे किसी तरहका सम्बन्ध रखनेसे ही इनकार कर देते है। इस तरह उसके लिए सामाजिक प्रगतिके सारे सुधार अलभ्य हो जाते है। उदाहरणके लिए स्पृश्य जातियोके सभी लोग कथा-कीर्तनमे शामिल हो सकते है। वे मन्दिरोमे जा सकते है और इस तरह धर्म-कर्म तथा कला आदिकी मुफ्त शिक्षा पा सकते है। मन्दिरोमे स्पृश्य जातियोके सभी लोग स्नेह और सेवा तथा सभ्यताके वरदानोका परस्पर आदान-प्रदान करते है। लेकिन 'अस्पृश्य' लोग सहज ही इन सभी लाभोसे वचित हो जाते है। कई स्थानोमे वे गाँवसे बाहर रहनेको मजबूर होते है, और इस तरह उनके जान-मालको भी सुरक्षा नही मिल पाती। जहाँतक श्रमके सामाजिक विभाजनकी बात है, वे समाजके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम करते है, लेकिन जातियोके पारस्परिक सहयोग और सम्बन्धसे जिस महान सामाजिक जीवनका विकास होता है, उसके वरदानोसे वे वचित रह जाते है। अस्पृश्यताने "दलित" वर्गोंको हिन्दू समाजका एक सर्वथा उपेक्षित अग बना दिया है। खान-पानके सवालका

कोई सामाजिक महत्व नहीं है, या नहीं होना चाहिए। यह तो मात्र शारीरिक भूखकी तुष्टि है। दूसरी ओर खान-पान सम्बन्धी निषेध इन्द्रियोंको संयमित रखनेका एक तरीका है। खान-पानके सम्बन्धमें ने भ्रातृत्व-भावको कभी कोई खास उत्तेजन मिलते नहीं देखा गया है। लेकिन इस सम्बन्धमें संयम बरतनेसे इच्छा-शक्तिके विकासमें और कुछ सामाजिक मूल्योंको कायम रखनेमें बड़ी सहायता मिली है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २९-१२-१९२०

९६. विद्वान नरसिंहरावके प्रति

गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान नरसिंहरावने[1] जो खुला पत्र लिखा है वह अनायास ही मेरी दृष्टिमें आ गया। मुझे समाचारपत्र पढ़नेका समय कदाचित् ही मिल पाता है और यात्राके दौरान समाचारपत्र मिलते भी कभी-कभी ही हैं, अतएव मैं प्रायः ऐसे लेखोंको पढ़े बिना रह जाता हूँ।

अगर मैं उपर्युक्त पत्र न पढ़ता तो ठीक न होता। श्री नरसिंहरावने अत्यन्त प्रेमभाव और निर्मल हृदयसे यह पत्र लिखा है। यह मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि मेरी वर्तमान प्रवृत्तिसे उन्हें दुःख हुआ है। उनका पत्र पढ़कर दूसरोंको भी उन्हीं जैसा लग सकता है। कुछ विस्तारके साथ कह कर भी अगर मैं इस दुःखका निराकरण कर सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं पत्रका उत्तर देनेका प्रयत्न करता हूँ।

नरसिंहरावजीका पत्र इस एक मान्यतापर आधारित है कि जिस सात्विक और धार्मिक भावनाके दर्शन उन्होंने मुझमें सन् १९१५में और उसके बाद भी किये थे। वे उन्हें आज दिखाई नहीं पड़ते। उनकी धारणा है कि आज मैं राजनीतिके सागरमें गोते खा रहा हूँ और मोहमें पड़ा हुआ हूँ।

मेरी आत्मा कहती है कि मैं जैसा १९१५में था वैसा ही आज भी हूँ। मेरी धर्म और न्यायवृत्ति आज [पहलेसे] अधिक जागृत है।

मुझे आशंका है कि नरसिंहराव मेरे भूतपूर्व जीवनसे अपरिचित हैं। मैंने अपना सारा जीवन राजनीतिमें ही व्यतीत किया है। मैं धार्मिक प्रवृत्तिको राजनीतिक प्रवृत्तिसे भिन्न नहीं मानता। मैंने सदा "राजनीतिमें धर्मवृत्तिका समावेश"[2] करनेके गोखलेके मन्त्रको ठीक माना है, और उसपर यथाशक्ति अमल किया है।

सरकारके विषयमें मैं जिन विशेषणोंका प्रयोग करता हूँ वैसे विशेषणोंका प्रयोग मैंने दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह युद्धके समय किया था। मैंने कभी नहीं माना कि उनका उपयोग करते समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कुछेक अंग्रेज मित्र अवश्य

१. १८५९-१९३७, गुजराती कवि और साहित्यकार, गुजरातीके प्रोफेसर, एलफिन्स्टन कालेज, बम्बई।

२. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ८२-८३ और खण्ड १४, पृष्ठ १८८।

ऐसा मानते थे। उन्होंने अपनी इस मान्यताके लिए अन्तमे पश्चात्ताप किया। उनमे से नेटालके एक स्वर्गीय श्री एस्कम्ब थे और दूसरे दक्षिण आफ्रिकाके वर्तमान प्रधान मन्त्री जनरल स्मट्स है।

'प्रेमल ज्योति'के[1] भजनकी झकार आज भी मेरे कानोमे गूँजती है। आज भी उसका आदेश मेरा लक्ष्य है। आज भी मै प्रतिक्षण ईश्वरीय प्रेरणाकी याचना कर रहा हूँ।

तथापि पाश्चात्य सस्कृतिको भूल जानेकी सलाह मैने उस समय भी दी थी। इस सस्कृतिके अनुकरणमे हिन्दुस्तानका नाश मुझे सन् १९०८मे स्पष्ट रूपसे दिखाई दिया। अपनी इस मान्यताको सबसे पहले मैने एक अग्रेज रईसके[2] सामने व्यक्त किया और जब मै इग्लैडसे दक्षिण आफ्रिका वापस आ रहा था तब उसी वर्ष (१९०८मे)[3] 'इडियन ओपिनियन'मे उसे प्रकाशित किया। अन्तमे वे लेख 'हिन्द-स्वराज्य'[4] नामक पुस्तकके रूपमे सग्रहीत हुए। मै उसे अथवा इसके अनुवादको श्री नरसिहरावसे पढ जानेकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। उससे उन्हे मेरी आधुनिक प्रवृत्तिके सम्बन्धमे अधिक जानकारी मिल जायेगी।

लेकिन पाश्चात्य सस्कृतिके त्यागका अर्थ सब अग्रेजी वस्तुओका त्याग अथवा अग्रेज जनताके प्रति द्वेषभाव मैने कभी नही माना और आज भी नही मानता। मै 'बाइबिल'का पुजारी हूँ। यीशु द्वारा पर्वतपर दिया गया उपदेश मेरे लिए आज भी मगलमय है। उसके मधुर वाक्य आज भी मेरे हृदयके सन्तापको शीतल कर सकते है। रस्किन और कार्लाइलके कितने ही लेखोको मै आज भी प्रेमभावसे पढता हूँ। अनेक अग्रेजी भजनोके सुर और उनकी कडियाँ आज भी मुझे अमृत-तुल्य लगती है। ऐसा होनेपर भी पाश्चात्य पद्धतिके त्यागको मै इष्ट मानता हूँ, धर्म समझता हूँ।

पाश्चात्य सस्कृति अर्थात् पश्चिममे मान्य आजके आदर्श और उनपर प्रतिष्ठित पाश्चात्य प्रवृत्तियाँ। पशुबलको प्रधानपद, धनको भगवानका ओहदा, ऐहिक सुखकी प्राप्तिमे समयका अपव्यय, अनेक प्रकारके दुनियावी भोगोको पानेके लिए अद्भुत साहस, यान्त्रिक शक्तिको बढानेके निमित्त मानसिक शक्तियोका असीमित प्रयोग, सहारक अस्त्रोको खोज निकालनेमे करोडो रुपयोका खर्च और यूरोपसे बाहरके राष्ट्रोकी जनताको हीन समझना धर्म। इस सस्कृतिको मै सर्वथा त्याज्य मानता हूँ।

यह सब होनेके बावजूद मै अग्रेजी राज्यके आचलको पकडे हुए था क्योकि मैने भ्रान्तिवश मान लिया था कि उसमे उपर्युक्त सस्कृतिको खण्डित करनेका साहस

१. न्यूमैनकी कविता, "लीड काइन्डली लाइट"का नरसिंहराव दिवेटिया द्वारा किया गया गुजराती अनुवाद।

२. सम्भवत लॉर्ड ऍम्टहिल, जिनसे गाधीजीकी मुलाकात १९०९ में इग्लैडमे हुई थी।

३ यह वस्तुत १९०९ होना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके शिष्टमण्डलके एक प्रतिनिधिके रूपमें गाधीजी इस वर्ष मध्य जुलाइसे लेकर १३ नवम्बर तक इग्लैडमें थे।

४ जनवरी १९१० में, **हिन्द-स्वराज्य**का एक अग्रेजी अनुवाद, जो स्वय गाधीजीने किया था, इसी वर्ष मार्च महीनेमें प्रकाशित हुआ था। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९।

है। अब मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी-राज्यमे जितनी शैतानियत है उतनी कदाचित् जर्मनोमे भी नही है। मेरी यह मान्यता गलत हो तो भी दोनो कमसे-कम एक जैसे तो अवश्य हैं।

तुलसीदासने रावण-राज्यकी जिन-जिन विशेषताओका वर्णन किया है वे सबकी सब अंग्रेजी राज्यपर चरितार्थ होती हैं, इसीसे मैं इसे रावण-राज्य कहता हूँ। मेरे इस कथनमे कोई रोष नही है, "पुण्यप्रकोप" भी नही है। यह तो शान्तचित्त हो अच्छी तरहसे सोच-विचारके बाद निकाला हुआ निष्कर्ष है। तथापि प्रत्येक अंग्रेज अथवा अंग्रेज अधिकारी राक्षस है, मेरे कहनेका आशय यह नही है। फिर भी प्रत्येक अधिकारी राक्षसी तन्त्रको चलानेवाला होनेके कारण जाने-अनजाने अन्यायका, दगाका और अत्याचारका साधन बन जाता है। ऐसी मेरी मान्यता होनेके बावजूद अगर मैं इसे छिपाता हूँ तो कहा जायेगा कि मैंने सत्यका अनादर किया। चोरको चोर और पापीको पापी कहनेमे अविवेक नही है और न ही यह बैल हाँकनेवाले किसान द्वारा दी जानेवाली गालीके समान [बुरी आदत ही] है। इसके विपरीत अगर यह बात शुद्ध मनसे कही गई हो तो यह प्रेमकी सूचक हो सकती है।

यदि मैंने इस जीवनमे किसी भी वस्तुका अनन्य दृढताके साथ सेवन किया है तो वह है अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्यका। इन तीनोका पालन करना कितना कठिन है, इसे मेरी अन्तरात्मा ही जानती है। और मेरी मान्यता है कि मैंने इन तीनोका कर्म और वचनसे अच्छी तरह पालन किया है। मेरे मनमे क्रोधका भाव कभी उत्पन्न नही हुआ, ऐसा कहूँ तो यह असत्य भाषण होगा, मनमे विषय वासना नही जगी ऐसा कहूँ तो पापी बनता हूँ, तथापि मेरी मान्यता है कि अगर इन तीनो वस्तुओका मन, वचन और कर्मसे सर्वांग पालन करनेकी पूरी-पूरी शक्ति मुझमे होती तो नरसिंहरावके मनमे जिस संशयका उदय हुआ वह कदापि न होता। इतना कहनेके बाद भी मैं शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि मैं जनरल डायरका लेशमात्र भी बुरा नही चाहता, न उन्हे उपदेश देनेकी मुझे कोई इच्छा ही है। अगर वे बीमार पड जाये तो मैं प्रेमपूर्वक उनकी तीमारदारी करूँ। लेकिन अपने पैसेमे से उन्हे पेन्शन देकर उनके पापमे मैं कभी भी भागीदार नही बन सकता। उनके पाशविक कृत्यको मैं कम महत्व दूँ यह नही हो सकता। उनका कृत्य पैशाचिक था, इस सम्बन्धमे मुझे जरा भी शंका नही है। उनके कृत्यको अंग्रेजोने "विचारदोष" मानकर उनके पापको अपने ऊपर ओढ लिया है।

यीशुने अपने युगको 'सर्पयुग' कहा था सो कोई क्रोधमे नही कहा था। जहाँ सच बोलते हुए सब लोग डरते थे वहाँ यीशुने सच बोलनेका दायित्व अपने ऊपर लेकर स्पष्ट भाषामे हर तरहके दम्भ, दर्प और झूठका वर्णन करके निर्दोष व्यक्तियोको उनसे सावधान किया उन्हे और बचाया था। महात्मा बुद्ध जब भेडके बच्चेको अपने कन्धेपर उठाकर उस स्थानपर पहुँचे जहाँ अत्याचारी ब्राह्मण पशुवध कर रहे थे तब उन्होने उन लोगोको जिस भाषामे सम्बोधित किया वह भाषा कोमल नही थी, फिर भी वह उनकी आत्माके प्रेमसे सराबोर थी। उनकी तुलनामे मैं कौन हूँ? तिसपर भी इसी

जीवनमे प्रेमकी हदतक उनकी बराबरी करनेकी अभिलाषा रखता हूँ। इसके लिए पाठक मुझे उद्धत मानेंगे। श्री नरसिंहरावके ही हमनाम गुजरातके नरसिंह मेहता मेरे परम आदर्श है। उनका प्रेम बुद्धके प्रेमसे कुछ कम नही था।

सम्भव है कि मै भूल कर रहा होऊँ, अंग्रेजोके प्रति अन्याय कर रहा हूँ अथवा इतिहासको मैंने गलत समझा हो। लेकिन मेरी प्रवृत्ति वैरसे भरी हुई है अथवा वह कम धार्मिक है, यह बात कतई नही है। जो मित्र भ्रान्तिमे पडकर मेरी ओरसे सफाई देना चाहते है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि पहले वे मुझे अच्छी तरह जान ले। मै निर्मल बनने और रहनेका प्रयत्न करता हूँ, किन्तु भूलसे भरा हूँ और भूल सुधारनेको तत्पर हूँ। इस जगतमे मेरे पास ऐसी कोई चीज नही है जिसे मै छिपाना चाहूँ। जो विचार मुझे सूझते है उन्हे मै तुरन्त व्यक्त कर देता हूँ। लेकिन मै बहुत ज्यादा सोच-समझकर कार्य करनेवाला व्यक्ति होनेके कारण एकाएक अपने मतको छोड नही सकता। कोई आश्चर्य नही कि इसके कारण मेरे साथी मुझे 'स्वेच्छाचारी' मानते हो। मै 'स्वेच्छाचारी' नही हूँ, ऐसी मेरी विनम्र मान्यता है। स्वेच्छाचारी व्यक्ति दूसरोकी सुनना ही नही चाहता। मुझे तो याद पडता है कि मै बच्चोतक की भी बात सुनता हूँ और उनसे मैंने बहुत सीखा है। मैंने अहीरो और किसानोसे भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया है।

मैंने ऊपर 'साथी' शब्दका प्रयोग किया है। "मेरे अपने कोई अनुयायी नही है। मेरे विचारोके अनुयायी भले ही हो।" मेरे इस कथनको श्री नरसिंहरावने 'शब्द-जाल' मानकर अनजाने ही मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने किसीको धर्मगुरुका पद प्रदान नही किया और मै खुद अपनेको उस पदके योग्य नही समझता। जबतक मन, वचन और कर्ममे यम-नियम आदि व्रतोका पूरी तरहसे पालन करनेकी शक्ति मुझमे नही आती तबतक मै अनेक भूले कर सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति किसीको शिष्य नही बना सकता। कुछ वर्ष पहले मैंने एक ही मित्रको, और वह भी उनके आग्रहवश ही, शिष्य बनानेकी भूल की थी। इससे मुझे धोखा खाना पडा। मेरा गुरुपन चल ही न सका। मेरी परीक्षा मिथ्या सिद्ध हुई।

इस युगमें किसीको गुरु बनाने अथवा किसीका गुरु बननेकी बातको मै बहुत जोखिमकी बात समझता हूँ। गुरुमें हम पूर्णताकी कल्पना करते है। अपूर्ण मनुष्योको गुरु बनाकर हम अनेक भूलोके शिकार बन जाते है। इसीसे मैंने जानबूझकर कहा है कि मेरे विचारोका अनुसरण करनेवाले व्यक्ति मुझे पसन्द है, अनुयायी मै नही चाहता। विचारोका अनुसरण करनेमे ज्ञानकी आवश्यकता है और मनुष्यका अनुसरण करनेमें श्रद्धा प्रधान है। मै अपनी श्रद्धा-भक्ति नही चाहता। अपने विचारोके प्रति भक्ति अवश्य चाहता हूँ। और वह तो ज्ञानपूर्वक ही हो सकती है। तिसपर भी मै जानता हूँ कि कितने ही लोग मुझपर मोहित होनेके कारण मेरे विचारोका अनुसरण करते है। उनके पापोंको मै अपने ऊपर नही ओढता क्योंकि उन्हे मै अपना अनुयायी नही मानता। अपने अनुयायी और अपने विचारोंके अनुयायियोके बीच उतना ही फर्क है जितना, रस्किनके अनुसार, एक व्यक्तिको मूर्ख कहने और उसके विचारोको मूर्खतापूर्ण कहनेमें है।

लेकिन श्री नरसिंहरावको मुझमें कुछ अन्य दोष भी नजर आते हैं जो गुरुओंमें विशेष रूपसे होते हैं। मैं चरणस्पर्शके सामने सत्याग्रह नहीं करता — उसकी निन्दा करनेके बावजूद — लोगोंको चरणस्पर्श करने देता हूँ, यह क्या है? मैं विनयपूर्वक इन भाईको बताना चाहता हूँ कि चरण-स्पर्श सत्याग्रहका विषय नहीं है। इसके मूलमें कोई दोष अथवा पाप नहीं है जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाये। और फिर असंख्य सीधे-सादे स्नेहशील किसानोंको, जिन्हें हमेशासे चरणस्पर्श करनेकी आदत पड़ गई है, एकाएक कौन समझा सकता है? मैं श्री नरसिंहरावको विश्वास दिलाता हूँ कि चरण-स्पर्श अथवा जयघोषसे मैं बहुत घबराता हूँ। भाई शौकत अली मुझे चरणस्पर्श रूपी प्रहारोंसे बचानेकी हमेशा बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे स्वयंसेवकोंकी भी यही कोशिश रहती है लेकिन इससे मैं पूरी तरहसे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। इसके विरुद्ध उपवास रखकर अथवा मौनव्रत द्वारा सत्याग्रह करनेकी मेरी हिम्मत नहीं, इच्छा नहीं। जयघोषसे मुझे इतनी अकुलाहट होती है कि मैं कई बार सचमुच अपने कानोंमें रुई देता हूँ। पूजासे भ्रमित न होने और तिरस्कारसे अपने कर्त्तव्यका त्याग न करनेका मैं नरसिंहरावको विश्वास दिलाता हूँ।

श्री नरसिंहरावने मुझे बांदरा प्वाइन्टपर[1] आनेका आमन्त्रण दिया है। मैं वहाँ केवल साधु पुरुष दयाराम गिदुमलसे[2] मिलनेके लिए जाना चाहता था। उनके विषयमें मैंने हैदराबादमें उनके परिवारके लोगोंसे कुछ बातें सुनी थीं। श्री नरसिंहरावने उन्हें अपने घरमें परम सम्मानित अतिथिके रूपमें रखकर बहादुरी दिखाई है, उसके लिए वहाँ जाकर उन्हें बधाई देनेका भी मेरा उद्देश्य था। अत्यधिक व्यस्त होनेके कारण मैं अपने इस उद्देश्यको पूरा न कर सका।

बांदरा प्वाइन्टपर जाकर मुझे आश्वासन मिलेगा अथवा वहाँ मुझे 'प्रेमल ज्योति'-के विशेष रूपसे दर्शन होंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व बांदरामें जाकर रहनेका अवसर मुझे मिला था लेकिन मैंने उसे जानबूझकर त्याग दिया था। बम्बईका कसाईघर बांदरामें है। मैं जब-जब बांदरासे होकर निकलता हूँ तब-तब वह कसाई-घर मेरे हृदयको बेधता है। बांदरामें चाहे कितने ही सुन्दर दृश्य क्यों न हों, वे सब मुझे निर्दोष पशुओंके रक्तसे सने हुए जान पड़ते हैं और इसीसे वहाँ जाते हुए मेरी आत्मा दुःखी होती है। ऐसा दूसरा स्थान कलकत्ता है, वहाँ रहना भी मुझे विषम लगता है। वहाँ हिन्दूधर्मके नामपर असंख्य बकरोंका कत्ल होता है। वह मुझसे सहन नहीं किया जाता। तथापि मैं बांदरा जानेका प्रयत्न अवश्य करूँगा। लेकिन उद्देश्य तो अभी पहला ही रहेगा। और 'प्रेमल ज्योति'की झाँकी तो मुझे जब वह निर्मल संयमसे हृदय-मन्दिरमें विभूषित होती है, मिल जाती है और परम शान्ति प्रदान करती है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९–१२–१९२०

१ बम्बईमें, नरसिंहराव इस समय वहाँ रहते थे।

२ १८५७–१९३९, समाज सुधारक, सेवासदन, बम्बईके संस्थापक।

९७. भाषण: विदेशोंमे प्रचारपर[1]

२९ दिसम्बर, १९२०

इस समाचारपत्रका मूल्य उसकी उपयोगिताके मुकाबिलेमे बहुत ज्यादा है। इसका प्रभाव अंग्रेज लोगोकी सम्मतिपर लगभग नगण्य है। अंग्रेज लोगोकी भारततक पहुँचाई जाने योग्य रायके वाहनकी तरह भी यह समाचारपत्र कोई जागरूक साधन नही है। अब चूँकि हमने असहयोग छेड ही दिया है और हम स्वावलम्बी बननेका सकल्प कर चुके है इसलिए हमारा ब्रिटिश कमेटीको भग कर देना और 'इडिया'का प्रकाशन बन्द कर देना सगत होगा। अपना समस्त ध्यान और अपने सर्वोत्तम कार्यकर्ताओको भारतके कल्याणार्थ केन्द्रीभूत करना मै कही ज्यादा पसन्द करूँगा, फसल तो बहुत अच्छी है लेकिन काटनेवाले कम है। हम अपना एक भी कार्यकर्ता विदेशोमे प्रचार करनेके लिए नही दे सकते।

अगर हम ब्रिटिश कमेटीको कायम रखते है तो हमे अपने अनुष्ठानके सम्बन्धमे सहायता मिलनेकी अपेक्षा हानि होनेकी अधिक सम्भावना है। यदि हम यहाँ थोडा बहुत काम भी करते रहे तो हमे प्रचारकी जरूरत नही पडेगी। मै चाहता हूँ कि अन्य देश मेरी बात समझनेका प्रयास करे। वहाँके लोग कामकी बातको ही — केवल कामको — समझते है। जब कभी हम किसी एक भी ठोस तथ्यको प्रसारित कर पाये है, हमारे विरोधियोने तरह-तरहकी हिकमतोसे उसका खण्डन किया है। आप ब्रिटिश लोगोको उनकी नेकनीयतीपर छोड दीजिए, तब एजेंसीकी मार्फत समाचारोको न भेजकर आप जो त्याग करेगे उसकी भावनाको समझ जायेगे। कामको देखते हुए हमारी सख्या बहुत ही कम है। हमे अपने सभी साधनोको काममे लाना चाहिए। अच्छा हो यदि हम ४५,०००) रुपया यहाँ खर्च करे।

[अंग्रेजीसे]

महात्मा, खण्ड २, तथा महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमे।

सौजन्य नारायण देसाई

१ यह भाषण नागपुर कांग्रेस अधिवेशनमें इस आशयका प्रस्ताव पास करते समय दिया गया था कि ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी तथा उसके पत्र, इडियाको जो पिछले ३० वर्षोंसे लन्दनसे प्रकाशित होता था, बन्द कर दिया जाये। द्वितीय अनुच्छेद महादेव देसाई (२९ दिसम्बर, १९२०) की हस्तलिखित डायरीमें इस भाषणको एक हिस्सेके रूपमें दिया गया है, और **महात्मा**, खण्ड २ मे लिया गया प्रथम अनुच्छेद भी, जो बिना तारीखका है, इसी भाषणका अंश प्रतीत होता है।

९८. असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा[1]

[३० दिसम्बर १९२० के पूर्व]

यह कांग्रेस उस प्रस्तावपर, जिसे पिछले विशेष अधिवेशनमें[2] पारित किया गया था और जिसमें सरकारके प्रति प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोगका इसलिए परामर्श दिया गया था कि खिलाफत तथा पंजाबकी गलतियाँ ठीक की जा सकें और स्वराज्य प्राप्त किया जा सके, फिरसे जोर देते हुए यह विचार व्यक्त करती है कि अब समय आ गया है कि "क्रमश" शब्दको उन अनुच्छेदोंसे निकाल दिया जाये जिनमें कहा गया था कि सम्बद्ध अथवा सहायता पानेवाले स्कूलों तथा कालेजोंमें पढ़नेवाले लड़कोंको पढ़ने न भेजा जाये तथा वकील लोग ब्रिटिश कचहरियोंमें वकालत करना बन्द कर दें। इसलिए वह प्रस्ताव रखती है कि "क्रमश" शब्द हटा दिया जाये।

राष्ट्रने अबतक असहयोगके कार्यक्रमको चलाने और विशेष तौरसे वोटरों द्वारा कौंसिल निर्वाचनोंका[3] बहिष्कार किये जानेमें जो प्रगति की है उसपर यह कांग्रेस उसे बधाई देती है और विश्वास प्रकट करती है कि जो लोग मतदाताओंके निश्चित मनकी अवहेलना करके चुनावमें खड़े होकर कौंसिलोंमें चले गये हैं वे वहाँसे इस्तीफा दे देंगे। इस कांग्रेसके विचारमें कौंसिलके सदस्योंका अपनी सीटपर जमे रहना गणतन्त्रके सिद्धान्तका प्रत्यक्ष अनादर होगा।

यदि विभिन्न चुनाव क्षेत्रोंके वोटरों द्वारा घोषित उनकी इच्छाके बावजूद तथाकथित प्रतिनिधि अपनी सीटोंपर जमे रहते हैं तो कांग्रेसका ऐसा मत है कि वोटरोंको चाहिए कि वे दृढ़ निश्चय कर लें कि उन प्रतिनिधियोंके पास किसी प्रकारकी कोई राजनैतिक सेवा लेनेके लिए न जायेंगे और यदि प्रतिनिधि भी उनकी ऐसी कोई सेवा करेंगे तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

यह कांग्रेस उस शिक्षाके तुरन्त रोक दिये जानेपर सबसे अधिक जोर देती है जिसे देशके युवक ऐसी सरकारके तत्त्वावधान अथवा प्रभावमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें पा रहे हैं, जिसने सत्याग्रहके वर्षके[4] अन्तर्गत भारतके मुसलमानोंकी पवित्र भावनाओंकी पूर्ण अवहेलना की है और जिसने पंजाब शासन-विभागके निरंकुश अत्याचारोंके कारण समस्त भारतमें उत्पन्न हुई उद्विग्नताकी ओरसे कानमें तेल डाल लिया है और इस कारण जिसपर राष्ट्रका विश्वास नहीं रहा है। वह अभिभावकोंको सरकारी स्कूलों तथा

१ यह प्रस्ताव कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें ३० दिसम्बर, १९२० को पास हुआ था और चित्तरंजन दास द्वारा पेश किया गया था। गांधीजी द्वारा लिखित बिना हस्ताक्षरके इस मसविदेपर अंकित है "केवल निजी वितरण और परामर्शके लिए"। पारित प्रस्तावके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १।

२ सितम्बर १९२० में कलकत्तेमें हुआ।

३ नवम्बर १९२० में।

४ १९१९।

कालेजोसे अपने बच्चे हटा लेने तथा १६ या उससे अधिक आयुके बच्चोको ऐसे स्कूलो तथा कालेजोसे अलग हो जानेकी सलाह देती है।

देशके नवयुवकोकी शिक्षा स्वतन्त्र और स्वच्छ वातावरणमे जारी रखनके लिए यह काग्रेस सहायता प्रदत्त अथवा सम्बद्ध सस्थाओके मालिको, ट्रस्टियो, शिक्षाविदो, सचालको और शिक्षकोको सलाह देती है कि वे सरकारसे सहायता लेना बन्द कर दे और अपने-अपने स्कूलोकी सम्बद्धता त्याग दे तथा उन्हे सरकारी नियन्त्रणसे पूरी तरह स्वतन्त्र कर ले। वह देशके मालदार पुरुषो तथा शिक्षा विशेषज्ञोसे यह अनुरोध भी करती है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नये स्कूल तथा कालेजोको खोलनेकी व्यवस्था की जाये ताकि प्रत्येक बच्चेको राष्ट्रकी आवश्यकताके अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके।

यह काग्रेस वकीलोसे अपील करती है कि देशमे जो नवीन भावना जागृत हो गई है वे उसे पहचाने और अपनी वकालत छोडकर अपना ध्यान केवल मुकदमे लडनेवालोसे अदालतोके बहिष्कार और झगडोको निजी पचायतो द्वारा तय करवानेकी ओर लगाये। यह काग्रेस धनाढ्य व्यक्तियोसे अपील करती है कि वे जरूरतमन्द वकीलोकी धनसे सहायता करके उनका मार्ग सुगम बनाये।

यह काग्रेस पुलिस, फौज तथा जनसाधारणके बीच नित्य मित्रताको बढते हुए देख रही है और आशा करती है कि जो लोग पुलिस अथवा सेनामे काम करते हैं वे जनताके कष्टोको अपना कष्ट समझ कर अपने ऊपर लगाये गये इस लाछनको मिटा देगे कि वे सिद्धान्तहीन भाडेके टट्टू है और जनताकी भावनाओके प्रति कोई आदरभाव नही रखते।

यह काग्रेस सरकारी नौकरी करनेवाले सभी लोगोसे अपील करती है कि वे वफादारीके साथ नौकरीकी शर्तोको निभाते हुए आत्म-शुद्धिके लिए की गई राष्ट्रकी पुकारका जवाब दे और लोगोके साथ अत्यन्त दयालुता और ईमानदारीका व्यवहार करते हुए राष्ट्रीय कार्यमे अन्य रूपसे सहायक हो और निडर होकर खुलेआम सभी सार्वजनिक सभाओमे जाये, किन्तु कोई सक्रिय भाग न ले।

यह काग्रेस देशके पूँजीपतियो, व्यापारियो, व्यवसायियो और दूकानदारोसे कहती है कि वे अपने-अपने-धन्धोमे देशभक्तिकी भावनाका सचार करके राष्ट्रीय कार्यमे हाथ बँटाये और हाथ कताई और हाथ बुनाईको प्रोत्साहन देकर देशकी आवश्यकताके अनुसार कपडा तैयार करनेकी गति बढा कर विलायती मालके बहिष्कारका आन्दोलन चलानेमे सहायक बने।

यह काग्रेस असहयोगके प्रस्तावमें आये हुए अहिंसा सम्बन्धी भागपर विशेष जोर देना चाहती है तथा राष्ट्रका ध्यान इसकी ओर खीचना चाहती है कि अहिंसा वाणी और कर्मसे परस्पर हमारे बीच उतनी ही आवश्यक है जितनी वह राष्ट्र और सरकारके बीच आवश्यक है। इस काग्रेसका मत है कि हिंसाकी प्रवृत्ति न केवल वास्तविक लोकतन्त्रकी आत्माके स्वतन्त्र विकासके विपरीत जाती है बल्कि वह वास्तवमें आवश्यकता हुई तो कर बन्दीतक ले जानेवाली असहयोगकी तीन मंजिलोंको कार्यान्वित करनेमे बाधा पहुँचाती है।

अन्तमे खिलाफत और पजाव सम्बन्धी सरकारकी गलतियोको दूर करने तथा एक सालमे स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए यह कांग्रेस समस्त सार्वजनिक सस्थाओसे, चाहे वे कांग्रेससे सम्बद्ध हो चाहे न हो, सानुरोध निवेदन करती है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति अहिंसा और सरकारके प्रति असहयोगकी वृद्धिमे लगाये। असहयोग आन्दोलन जनताके बीच परस्पर पूर्ण सहयोग द्वारा ही सफल हो सकता है। यह कांग्रेस सस्थाओको हिन्दू-मुस्लिम एकता बढाने तथा सभी प्रमुख हिन्दुओसे जहाँ-कही ब्राह्मणो और अब्राह्मणोके झगडे हो उन्हे समाप्त करने तथा हिन्दुत्व को छुआछूतके कलकसे मुक्त करनेकी दिशामे विशेष प्रयास करने और शकराचार्य तथा अन्य हिन्दू आचार्योसे अन्त्यज वर्गोके साथ किये जानेवाले व्यवहारके सम्बन्धमे हिन्दू-धर्ममे सुधार करनेकी बढती हुई इच्छाको सहायता प्रदान करनेकी प्रार्थना करती है।

अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ८२३०) की फोटो नकलसे।

९९. भाषण: नागपुर कांग्रेसमे असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर[1]

३० दिसम्बर, १९२०

मै आप लोगोको बहुत देरतक रोकना नही चाहता लेकिन उन लोगोके लिए जो हिन्दीका एक शब्द भी नही समझ सकते, यह जान लेना आवश्यक है कि यहाँ पिछले चौथाई अथवा आधे घटेसे क्या होता रहा है। सबसे अधिक सम्मानित मुसलमानोमे से एक मुसलमान भाई[2], जिन्हे जाननेका सौभाग्य मुझे सन् १९१५ से अर्थात् भारत आनेके पश्चात् पिछले चार या पाँच वर्षोमे मिला है, अन्तरात्माके नामपर अपना एक सशोधन लेकर आगे आये है। उनके सशोधनका[3] आशय यह है कि आत्मा-सम्बन्धी अनुच्छेद-को न रखा जाये। वे उस अनुच्छेदको भी निकाल देना चाहते है जिसका आशय यह है कि आप १६ वर्षसे कम आयुके बच्चोसे व्यक्तिगत अपीले नही कर सकते। आपने इन दोनो वाक्याशोको देखा होगा। कानपुरके मौलाना हसरत मोहानीको उसी नगरके एक अन्य सुपरिचित तथा सम्मानित मौलानाका[4] समर्थन प्राप्त है और वे कहते है कि उन अनुच्छेदोको निकाल देना चाहिए क्योकि उनकी दृष्टिसे वे इस्लाम धर्ममे बताये गये कर्त्तव्योके प्रतिकूल बैठते है। मै अपने मुसलमान भाइयोका ध्यान इस ओर आकर्षित करने-

१ इस अधिवेशनमे चित्तरजन दास द्वारा प्रस्तुत असहयोग-सम्बन्धी जिस प्रस्तावका समर्थन और अनुमोदन गाधीजी, लाजपतराय तथा अन्य लोगोंने किया था, हसरत मोहानीने इसमें एक सशोधन पेश किया। उसका उत्तर गाधीजीने पहले हिन्दी और बादमें अंग्रेजीमें दिया। प्रस्तावके लिए देखिए परिशिष्ट १।

२ हसरत मोहानी।

३ इस सशोधनका अभिप्राय यह था कि प्रस्तावके उस भागमें से जिसमें विद्यार्थियोकी पढाइ तत्काल और बिना शर्त छुडवानेका जिक्र था — अन्तरात्मा-सम्बन्धी अनुच्छेद और उम्रकी सीमाका उल्लेख निकाल दिया जाये।

४ मौलाना अबुल कलाम आजाद।

का प्रयत्न करता आया हूँ कि उस प्रस्तावमे किसी भी कर्त्तव्यका उल्लघन[1] तो है ही नही। इससे प्रकट होता है कि प्रस्तावका वास्तविक तात्पर्य या तो समझा ही नही गया है या गलत ढगसे समझा गया है। काग्रेसका प्रस्ताव मनुष्यकी अन्तरात्माको नही बाँधता है। उस प्रस्तावका मशा कदापि व्यक्तिकी अन्तरात्माकी आवाजपर हावी होना नही है, और मैने काग्रेसके आदेशको भी कभी हौआ नही माना। आज भी, मेरा ऐसा खयाल है कि जो विचार इस सम्बन्धमे मेरा है वही अधिकाश लोगोका है, मै यह साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि मै काग्रेस अथवा उसके आदेशको कभी अन्धश्रद्धा-की चीज नही बनाना चाहता। जहाँ कही मेरी अन्तरात्मा किसी बातको माननेको तैयार न होगी और काग्रेसके आदेशका विरोध करनेका सकेत करेगी, वहाँ मै निश्चित रूपसे अन्तरात्माकी ही बात मानूँगा। इसलिए मै अपने मुसलमान भाइयोसे कहता रहा हूँ कि वह आत्माका मामला कदापि नही हो सकता। यदि एक भी मुसलमान यह सोचता है कि १६ वर्षके लडकेके लिए यह आत्मातक का प्रश्न नही हो सकता, उसे स्वय कुछ सोचनेका अधिकार नही है उसे तो अपने माता-पिताकी आज्ञाओका पालन ही करना चाहिए — यही तो उनके कथनका अभिप्राय निकलता है — तो वह बेशक ऐसा सोचे, ऐसा कहे, काग्रेस उसे रोकेगी नही। लेकिन वह काग्रेसका नाम लेकर ऐसा न कहे। काग्रेसके प्रस्तावका अभिप्राय केवल इतना ही है। इसी प्रकार १२ सालवाले अथवा १६ सालसे नीची अवस्थाके लडकोके विषयमे समझा जाये। काग्रेस यह जरूर कहती है कि आप लोग १६ वर्षसे कम उम्रवाले बालकोके समक्ष भाषण न दे, क्योकि वे कोमल अवस्थावाले होते है ओर हम नही जानते कि उनकी अन्तरात्माकी आवाज प्रबल होती है या नही। इसलिए काग्रेस आदेश देती है कि आप उनकी सभामे न तो कोई भाषण दे और न उनसे कोई व्यक्तिगत अपील करे। अपील की जाये तो उनके माता-पितासे। हम अभीतक इसी प्रणालीपर चले है और यदि हमे जनसाधारणकी आत्मा तथा सभ्य ससारके मतके सामने अपनेको निष्कलक बनाये रखना है तो इसी प्रणालीका अनुसरण करते रहना अनिवार्य है। इसलिए मेरा निवेदन है हम इस प्रणालीको जो अपनाये हुए है सो ठीक और उचित है। यदि १२ सालका कोई ऐसा बालक है जिसे आत्माकी आवाज सुनाई देती है तो उसे रोक सकनेवाली कोई शक्ति ससारमे नही है। लेकिन मै उस लडकेकी आत्माको [जो नाबालिग है और] जिसके पिता मौजूद है जाग्रत नही करना चाहता, यह विशेषाधिकार उसके पिताका ही है। इस प्रस्तावका मतलब फकत इतना ही है। इसलिए मै मुसलमान भाइयोसे यह अनुरोध करता आया हूँ। मैने यह तो उनसे पहले ही कह रखा है कि हम सामने आनेवाली हर बातको अन्तरात्माका मामला[2] नही कह सकते।

प० मदनमोहन मालवीयने एक सन्देश भेजा है। मुझे आपको यह बताते हुए दुःख होता है कि वे बुखारसे पीडित है और रोग-शैयापर पडे हुए है। उन्होने मुझे कल यह

१. मौलाना हसरत मोहानीके प्रस्तावका मौलाना मुहम्मद अलीने विरोध किया था।

२. मौलाना हसरत मोहानीने बादमें अपना संशोधन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि गांधीजीने जो मौजूं सफाई दी है उससे मेरे संशोधनकी जरूरत नहीं रह गई।

कहलवाया था कि वे उस प्रस्तावको देखना चाहते हैं। लेकिन वह उनके पास भेजा न जा सका। अब उन्होंने प्रस्ताव देख लिया है — और मुझे एक लिखित सन्देश भेजा है, जिसका आशय यह है कि वे इस प्रस्तावके पक्षमें कतई नहीं हैं। यदि वे यहाँ होते तो वे अपना विरोध प्रकट करते ही। मूल सिद्धान्तके प्रति भी उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। उनका खयाल है कि देशवासियोंको अपना सन्देश भेज देना उनका कर्त्तव्य है, फिर निर्णय देशवासी स्वयं करें।

लाला लाजपतरायने आपके सामने पुलिसके विषयमें अपने विचार रखे। प्रस्तावके उपरोक्त भागकी व्याख्याके रूपमें जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मैं शब्दश: सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह ठीक ही है कि सरकारी नौकरीके लिए निर्धारित कर्त्तव्योंमें — वे नौकर चाहे नागरिक व्यवस्थामें हों, सेनामें हों चाहे पुलिस विभागमें हों — हस्तक्षेप न करें। लेकिन हम उनसे यह अवश्य कहें कि वे अपनी आत्माका हनन न करें। मैं इस बातको कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि मैं उन सिपाहियोंमें से एक होता, जिन्हें जलियाँवाले बागमें उन निरपराध व्यक्तियोंको गोली मार देनेके लिए जनरल डायरका हुक्म मिला था तो मैं उस हुक्मको पापमय मानता। मैं उसकी तामील न करना अपना कर्त्तव्य समझता और उसकी अवहेलना करके उसी स्थानपर गोलीसे मारा जाना अधिक पसन्द करता। मैं सैनिकोंके लिए आवश्यक अनुशासनसे परिचित हूँ। मैं कहता हूँ यदि किसी सिपाहीको अपने अफसरसे ऐसा हुक्म मिलता है जिसे वह धर्म अथवा देशके प्रति अपने कर्त्तव्योंके विपरीत पाता है तो निश्चय ही वह अपनी जिन्दगीका खतरा उठाकर उसकी अवहेलना कर सकता है। भले ही फिर उसे शिकायत करनेका भी अवसर न मिले, मगर वह अपने कर्त्तव्यका निर्णय तो कर ही सकता है। फौजी कर्त्तव्यका यह तकाजा है कि जो सैनिक ऐसे संकटके समयमें हुक्मकी तामील नहीं करता उसे गोली मार दी जाये और यदि वह गोलीसे मारा जाना पसन्द कर लेता है तो निश्चय ही हुक्मकी उपेक्षा करनेका उसे अधिकार है।

मैं इन शब्दोंके साथ आपसे अनुरोध करूँगा कि इस असहयोग प्रस्तावको हर्षध्वनि-के साथ और परमात्मासे यह हार्दिक प्रार्थना करते हुए पास करें कि हमने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि हम कांग्रेसके प्रस्तावमें घोषित विधियों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करेंगे। आप यहाँसे जाते समय वे सारे मतभेद और कटुता या मनोमालिन्य भूल जायें जो पिछले तीन महीनोंमें हमें अपने सार्वजनिक जीवनमें नचाते रहे हैं। आप मन, वाणी और कर्मसे किसी प्रकारकी हिंसा न करें, चाहे वह सरकारसे सम्बन्धित हो, चाहे खुद हमीं लोगोंसे। मैं अपना दिया हुआ वचन दोहराता हूँ कि यदि आप केवल इतना ही करके दिखा सकें तो हमें अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिए एक साल तो क्या, नौ महीने भी नहीं चाहिए। (जोरकी हर्षध्वनि तथा महात्मा गांधीका जय-घोष)[1]

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५वें अधिवेशनकी रिपोर्ट

१. इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पारित हुआ और सभी संशोधन वापिस ले लिये गये।

१००. भाषण: तिलक-स्मारक स्वराज्य कोषपर[1]

नागपुर
३१ दिसम्बर, १९२०

मैं अभी-अभी सभापतिजीकी अनुमतिसे असहयोग प्रस्तावके उस भागके विषयमें कुछ बातें कह रहा था जिसे आप सब हर्षध्वनिके साथ स्वीकृत कर चुके हैं। मेरा मतलब अब अखिल भारतीय "तिलक स्वराज्य कोष" से है। मुझे आशा है कि सभी प्रतिनिधि इस कोषमें ज्यादासे-ज्यादा दान देंगे। इस प्रकार वे दो उद्देश्योंको साध सकेंगे। इस तरह वे एक ऐसे व्यक्तिकी स्मृति सँजोने और उसे अमर बनानेमें समर्थ होंगे जिसके प्रति समस्त देश बड़ी श्रद्धा रखता था और जिसने देश-सेवामें अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया। मुझे किंचित् भी सन्देह नहीं है कि यह विशाल स्मारक जिसे आपने उस महापुरुषकी स्मृतिमें खड़ा करनेका निश्चय किया है, बड़ी शानके साथ सफल होगा। लेकिन ऐसी सफलता तभी सम्भव हो सकती है जब हममें से प्रत्येक भाई बहन मिलजुलकर हाथ बँटाये। आप लोगोंमें से जो सज्जन यहाँ अर्थात् पण्डाल छोड़नेके पहले धन देना चाहें वे दे सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब आप अपने घर पहुँच जायेंगे तब भी आप इसे भूलेंगे नहीं बल्कि यथासम्भव दान देना अपना पवित्र कर्त्तव्य मानेंगे और इस आशा और पूर्ण विश्वासके साथ कि हमें एक सालमें स्वराज्य प्राप्त हो जायेगा, आगे भी देते रहेंगे। यदि हमने इस कार्यके लिए यथाशक्ति दान नहीं दिया तो मेरा खयाल है कि हम स्वराज्य पानेके योग्य नहीं माने जा सकेंगे। लेकिन आप तो स्वराज्य मिलना ही चाहिए यही मंत्र जपते हैं। यदि आप तसवीरके ऊपर लिखे शब्दों, "स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है"[2] को देखें और यदि आप उनकी वह आशा एक वर्षमें ही पूरी कर दिखाना चाहें तो आपको इस स्मृति-चिह्नको सफल बनानेके लिए भरपूर कोशिश करनी होगी। आप अपना चन्दा प्रधान-मन्त्रीको भेज सकते हैं। मैं प्रसन्नताके साथ" "इंडियन सैंडो"[3] की ओरसे दिये गये १००१) रु० तथा दो अन्य बिलकुल अपरिचित व्यक्तियों द्वारा दी गई दो अंगूठियोंकी प्राप्तिकी घोषणा करता हूँ। (जोर की हर्षध्वनि)। मुझे यह घोषणा करते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि सेठ जमनालाल बजाजने जो रोग-शैयापर पड़े हैं और स्वागत समितिके अध्यक्ष हैं, मुझे इस आशयका एक सन्देश भेजा है कि वे मुझे १ लाख रुपया सौंपना चाहते हैं। (जोरकी तथा देरतक हर्षध्वनि) जो इस सार्वजनिक कोषका भाग माना जायेगा, परन्तु उसका

१. ७ अक्तूबर, १९२० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने "तिलक मेमोरियल फंड" (तिलक स्मारक-कोष) इकट्ठा करनेके सम्बन्धमें निर्णय किया था परन्तु उस प्रस्तावको कार्यान्वित नहीं किया गया था। दिसम्बर १९२० में कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें उक्त प्रस्ताव पास किया गया।

२. लोकमान्य तिलककी प्रसिद्ध उक्ति।

३. प्रोफेसर राममूर्ति जिन्होंने ऊपरका वाक्य सुनते ही चन्दा दिया था।

उपयोग विशेषत उन वकीलोके, जिन्हे वकालत छोड देनेके कारण कुछ सहायताकी आवश्यकता है अथवा उन लोगोके, जो राष्ट्रीय सेवाके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न करते हो, भरण-पोषणके लिए किया जायेगा। (हर्षध्वनि)। सेठजीने मुझे यह आश्वासन भी दिया है कि वे इस कोषके लिए और भी धन एकत्र करनेका प्रयत्न करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस कोषकी सफलताकी दिशामे इसे एक बहुत ही शुभ प्रारम्भ मानेंगे। मेरी कामना है कि परमात्मा इस स्मारक कोष योजनाको सफल बनानेमे आपकी मदद करे।' मुझे विश्वास है कि वह सफल अवश्य होगी। (जोरकी हर्षध्वनि)[1]

[अग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३५ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट

१०१. पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमे कांग्रेस-रिपोर्टके गुजराती अनुवादकी प्रस्तावना

[दिसम्बर १९२०][2]

मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक गुजराती इस अनुवादको पढेगा और इसपर विचार करेगा।

मेरी रायमे अनुवाद अच्छा हुआ है, लेकिन मैं इसके सरल गुजरातीमे होनेके कारण ही इसको पढ जानेकी सिफारिश नही करता। पजाबमें क्या हुआ[3], अगर यह बात हम पूरी तरह समझ जाये तो हम यह तुरन्त समझ जायेगे कि अब हमारा क्या कर्त्तव्य है।

मोहनदास करमचन्द गाधी

[गुजरातीसे]

पजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमे काग्रेसकी रिपोर्टके गुजराती अनुवादसे।

१ इसके बाद पण्डालमें ही उपस्थित लोगोने दानमें रकमें दी। दूसरे दिन बम्बईके एक परोपकारी पारसी सज्जन, शावक्शा बमनजीने स्वराज्य मिलने तक १०,००० रु० माहवार दान देते रहनेका वचन दिया।

२ रिपोर्टके गुजराती अनुवादपर जो तारीख दी गई है, वह "मागशर, विक्रम सम्वत् १९७६ है।" यह स्पष्ट गलत है। अग्रेजी रिपोर्ट २५ मार्च, १९२० में प्रकाशित हुई थी। गुजराती अनुवाद मागशर १९७७ में प्रकाशित किया गया होगा जो ११-१२-१९२० से ९-१-१९२१ के बीचमे हो सकता है।

३ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२२।

१०२. नागपुर अधिवेशनमे पास किया गया कांग्रेसका संविधान[1]

[दिसम्बर १९२०]

अनुच्छेद १

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका ध्येय भारतवर्षके निवासियो द्वारा समस्त उचित और शान्तिपूर्ण तरीकोसे स्वराज्य प्राप्त करना है।

(टिप्पणी — यह अनुच्छेद पहले प्रस्तावके रूपमे पास हुआ)

काग्रेसके अधिवेशन

अनुच्छेद २

(क) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका अधिवेशन वर्षमे एकबार साधारणतया बडे दिनकी छुट्टियोमे, पिछले अधिवेशनमे निश्चित स्थान अथवा अन्य किसी ऐसे स्थानपर हुआ करेगा जिसे इसके बाद उल्लिखित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने निश्चित किया हो।

(ख) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा काग्रेसका विशेष अधिवेशन या तो स्वय उसीके प्रस्ताव द्वारा अथवा प्रान्तीय काग्रस कमेटियो द्वारा बहुमतसे इस बातकी माँग पेशकी जानेपर जहाँ तय किया जाये, बुलाया जा सकता है। इस सविधानके अनुच्छेद उन सशोधनोके साथ लागू होगे जिन्हे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ऐसे पृथक्-पृथक् अधिवेशनोके लिए लागू करना आवश्यक समझे।

काग्रेसके विभिन्न घटक

अनुच्छेद ३

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस सगठनके निम्नलिखित अग होगे।

(क) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस
(ख) प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
(ग) जिला काग्रेस कमेटी
(घ) उप-विभागीय ताल्लुका अथवा तहसील, फिरका अथवा अन्य स्थानीय काग्रेस कमेटियाँ
(ङ) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
(च) भारतके बाहर अन्य ऐसी कमेटियाँ भी जिन्हे काग्रेस द्वारा इस सम्बन्धमें समय-समयपर मान्यता दी जाये।

1 यह नवीन सविधान गाधीजीने विधान समितिके अन्य सदस्योंके साथ पत्र-व्यवहार करके बनाया था। देखिए आत्मकथा, भाग ५, परिच्छेद ३८ तथा खण्ड १८, पृष्ठ ३-४, ३१०-१२, ८८[illegible]।

(छ) वे सस्थाएँ जो समय-समयपर प्रान्तीय, जिला, ताल्लुका अथवा तहसील तथा अन्य स्थानीय काग्रेस कमेटियो द्वारा निर्मित की गई हो, उदाहरणार्थ अधिवेशनकी स्वागत कारिणी समिति और प्रान्तीय, जिला ताल्लुका, तहसील अथवा अन्य स्थानीय सम्मेलन।

अनुच्छेद ४

कोई भी व्यक्ति पिछले अनुच्छेदमे उल्लिखित किसी भी सगठनका तबतक सदस्य नही हो सकता जबतक वह व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष, २१ सालका न हो जाये तथा इस सविधानके प्रथम अनुच्छेद और काग्रेसकी नियमावलीमे जो लक्ष्य और विधि उल्लिखित है उनकी स्वीकृति लिखित रूपमे न दे दे।

प्रान्तीय काग्रेस कमेटी

अनुच्छेद ५

निम्नलिखित प्रान्त होगे, उनके सामने उनके सदर मुकाम दिये गये है। जहाँ सदर मुकाम नही दिये गय है वहाँके लिए सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोको उन्हे समय-समयपर नियत करने या बदलनेका अधिकार होगा।

प्रान्त	भाषा	सदर मुकाम
१ मद्रास	तमिल	मद्रास
२ आन्ध्र	तेलुगु	
३ कर्नाटक	कन्नड	गदग
४. केरल	मलयालम	कालीकट
५. बम्बई	मराठी तथा गुजराती	बम्बई
६. महाराष्ट्र	मराठी	पूना
७ गुजरात	गुजराती	अहमदाबाद
८ सिन्ध	सिन्धी	
९ सयुक्त प्रात	हिन्दुस्तानी	इलाहाबाद
१०. पजाब	पजाबी	लाहौर
११ सीमा प्रदेश	हिन्दुस्तानी	पेशावर
१२ दिल्ली	हिन्दुस्तानी	दिल्ली
१३ अजमेर, मारवाड तथा राजपूताना	हिन्दुस्तानी	अजमेर
१४ मध्यप्रदेश	हिन्दुतानी	जबलपुर
१५ मध्यप्रदेश	मराठी	नागपुर
१६ बरार	मराठी	अमरावती
१७. बिहार	हिन्दुतानी	पटना
१८ उत्कल (उडीसा)	उडिया	

१९ बगाल तथा सुरमा घाटी	बँगला	कलकत्ता
२० आसाम	असमिया	गोहाटी
२१ बर्मा	बर्मी	रगून

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी समय-समयपर किन्ही भी देशी रियासतोको प्रान्तोके साथ जोड सकती है और सम्बन्धित प्रान्तकी काग्रेस कमेटी इस प्रकार जोडी गई देशी रियासतोको अपनी परिसीमाके अन्तर्गत किसी भी जिलेको सौप सकती है।

मौजूदा प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ तदनुसार तुरन्त अपना पुनर्गठन करेगी तथा इस प्रकारका पुनर्गठन अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा सशोधित न किये जाने तक अन्तिम माना जायेगा।

अनुच्छेद ६

(क) जिन प्रान्तोके नाम ऊपरके अनुच्छेदमे दिये गये है उनमे से प्रत्येक प्रान्तमे उसी प्रान्तके लिए प्रान्तीय काग्रेस कमेटी होगी।

(ख) तृतीय अनुच्छेदके अनुसार प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी जिला तथा अन्य कमेटियोको सगठित करेगी और इस कमेटीको यह अधिकार होगा कि वह सदस्य बनानेकी शर्त निर्धारित करनेके लिए तथा उस प्रकारके कार्य सचालित करनेके लिए, जो इस सविधानसे अथवा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके द्वारा निर्मित नियमोसे असगत न बैठते हो, नियम बनाये।

(ग) प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटीमे वे प्रतिनिधि होगे जिन्हे प्रतिवर्ष जिला कमेटियाँ तथा अन्य कमेटियाँ प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा बनाये गये नियमोके अनुसार चुनेगी।

मताधिकार

अनुच्छेद ७

प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद ४ मे वर्णित निर्योग्यताओसे मुक्त है तथा जो प्रति वर्ष चार आने शुल्कके रूपमे देता है, प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो द्वारा नियन्त्रित किसी भी सस्थाका सदस्य बन सकता है।

निर्वाचकगण तथा प्रतिनिधि

अनुच्छेद ८

काग्रेस अधिवेशनमे भेजे जानेवाले प्रतिनिधिको चुननेका उत्तरदायित्व विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोका होगा।

२१ वर्षसे कम अवस्थावाला या काग्रेसके उद्देश्यमे विश्वास न रखनेवाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचनके योग्य नही समझा जायेगा।

प्रतिनिधियोकी सख्या प्रान्तके हर ५०,००० लोगोपर एकसे-अधिक नही होगी। यदि किसी क्षेत्रमें ५० हजारसे कम निवासी हो तो भी एक ही प्रतिनिधि होगा। पिछली जनगणनाके अनुसार भारतीय रियासते भी उसमे शामिल है, किन्तु भारतीय रियासतोके

निर्वाचकोमे शामिल किये जानेका यह अर्थ नही है कि काग्रेस उन रियासतोके घरेलू मामलोमे किसी प्रकारका हस्तक्षेप करे।

प्रतिनिधियोके चुनावके लिए प्रत्येक काग्रेस कमेटी नियम बनायेगी। इन नियमोमे महिलाओ तथा अल्पसख्यक वर्गोके प्रतिनिधियोका, विशेष स्वार्थो अथवा उन वर्गोके प्रतिनिधि चुने जानेके सम्बन्धमे जिन्हे विशेष सुरक्षाकी आवश्यकता है, उचित ध्यान रखा जायेगा।

नियमोमे मतदाता क्षेत्रोके सगठनके लिए भी व्यवस्था होगी तथा राजनैतिक विचारोके प्रत्येक वर्गको सानुपातिक प्रतिनिधित्व देनेके लिए एकल सक्रमणीय मत विधि निर्धारित की जायेगी।

प्रत्येक काग्रेस कमेटी द्वारा बनाये गये नियम काग्रेसके महामन्त्रियोके पास ३० अप्रैल, १९२१ से पहले ही भेज दिये जायेंगे। प्राप्त हो जानेपर वे नियम मन्त्रियो द्वारा लोगोकी जानकारीके लिए यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित कर दिये जायेगे।

प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी काग्रेसके आगामी अधिवेशनकी स्वागत समितिके पास निर्वाचित प्रतिनिधियोकी वर्णक्रमके अनुसार तैयार की गई एक सूची भेजेगी जिसमे प्रत्येकका पूरा नाम, व्यापार, उम्र, लिंग धर्म तथा पता होगा। यह सूची समितिके पास प्रतिवर्ष दिसम्बरकी १५ तारीखतक पहुँच जानी चाहिए। किसी विशेष अधिवेशनके सम्बन्धमे सूची अधिवेशन करनेकी विज्ञापित तिथिसे १० दिन पहले भेजी जानी चाहिए।

अनुच्छेद ९

(क) प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस समिति अखिल भारतीय काग्रेस समितिको प्रतिवर्ष चदेके रूपमे उतनी रकम अदा किया करेगी जो समय-समयपर अ० भा० समिति द्वारा निश्चित की गई हो।

(ख) काग्रेस समितिका कोई भी सदस्य जबतक अपना बकाया चन्दा अदा नही कर देता, प्रतिनिधियो तथा डेलीगेटोके निर्वाचनके अवसरपर मतदान न कर सकेगा।

प्रतिनिधिगण

अनुच्छेद १०

अनुच्छेद ८ मे उल्लिखित प्रत्येक कमेटी बाकायदा चुने गये प्रतिनिधियोको प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी जो कि परिशिष्ट 'क' मे लगे हुए फार्मके अनुरूप होगे तथा जिनपर कमेटीके मन्त्रीका हस्ताक्षर होगा।

अनुच्छेद ११

प्रत्येक प्रतिनिधिको उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारका प्रमाणपत्र पेश किये जानेपर तथा काग्रेस दफ्तरमे १० रु० की फीस जमा कर देनेपर एक टिकट मिलेगा। वह प्रतिनिधि उसी टिकटके बलपर काग्रेस पण्डालमे प्रवेश पानेका अधिकारी होगा।

अनुच्छेद १२

काग्रेसकी बैठकोमे मत देने अथवा किसी अन्य प्रकारसे सभाके कार्यक्रममे भाग लेनेका अधिकार केवल प्रतिनिधियोको होगा।

स्वागत समिति

अनुच्छेद १३

प्रदेश काग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशनसे कमसे-कम छ मास पहले स्वागत समिति बना लेगी जिसमे वे व्यक्ति भी सम्मिलित किये जा सकते है जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्य नही है। स्वागत समितिका प्रत्येक सदस्य कमसे-कम २५ रु० देगा।

अनुच्छेद १४

स्वागत समिति अपने सभापति तथा अन्य पदाधिकारियोको अपने सदस्योमे से ही निर्वाचित करेगी।

अनुच्छेद १५

स्वागत समितिका यह कर्त्तव्य होगा कि वह काग्रेस अधिवेशनका खर्च चलानेके लिए धन इकट्ठा करे, कांग्रेस अध्यक्षका चुनाव नीचे लिखे अनुच्छेदमे वर्णित प्रणालीके अनुसार करे तथा प्रतिनिधियो और अतिथियोके आने-जाने और निवास इत्यादिकी पूरी व्यवस्था करे और यदि बन सके तो दर्शकोके भी निवासादि की व्यवस्था करे। वह कार्यवाहीकी रिपोर्टकी छपाई और प्रकाशनका प्रबन्ध करे और आय-व्ययका विवरण काग्रेस अधिवेशनकी समाप्तिके ४ माहके अन्दर ही प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके पास भेज दे।

अध्यक्षका निर्वाचन

अनुच्छेद १६

भिन्न-भिन्न प्रान्तीय कमेटियाँ जहाँतक सम्भव हो सके जूनके अन्ततक स्वागत-कारिणी समितिके पास उन व्यक्तियोके नाम भेज देगी जो उनकी सम्मतिमे काग्रेसके अध्यक्ष पदके लिए उपयुक्त है। स्वागतकारिणी समिति यथासम्भव जुलाईके प्रथम सप्ताहमें अध्यक्ष पदके लिए सुझाये गये नाम समस्त प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोको उनकी अन्तिम सम्मतिके लिए भेज देगी, किन्तु अन्तिम रूपमें किसी एक ही व्यक्तिका नाम सुझाया जाना चाहिये, एकसे अधिकका नही। जहाँतक सम्भव होगा इन सिफारिशोपर अपना निर्णय लेनेके लिए अगस्तके महीनेमें स्वागतकारिणी समितिकी बैठक हुआ करेगी। प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोके बहुमत द्वारा सुझाया हुआ व्यक्ति यदि स्वागतकारिणी समितिकी बैठकमे उपस्थित सदस्यो द्वारा, जिसकी बैठक इसी कामके लिए बुलाई जाये, स्वीकृत कर लिया जाये तो वह व्यक्ति अगली काग्रेसका अध्यक्ष होगा। परन्तु यदि स्वागत-कारिणी समिति प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो द्वारा प्रस्तावित अध्यक्षको स्वीकार करनेमें असमर्थ है अथवा इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष इस्तीफा, मृत्यु अथवा अन्य किसी घटनाके

कारण सुलभ न हो सके तो मामलेको तुरन्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको सौंप दिया जाये जो इसका निर्णय यथासम्भव सितम्बरकी अन्तिम तिथिसे पहले कर देगी। हर हालतमें निर्वाचनका यह निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु किसी भी हालतमें इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस प्रान्तका निवासी नहीं होगा जिसमे कांग्रेसका अधिवेशन होने जा रहा है।

किसी भी विशेष अथवा असाधारण अधिवेशनके अध्यक्षका निर्वाचन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा इसी विधिके अन्तर्गत किया जायेगा।

कांग्रेसका कोष

अनुच्छेद १७

(क) स्वागतकारिणी समिति अपने प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके जरिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको साधारण अथवा असाधारण अधिवेशनमे प्राप्त प्रतिनिधि शुल्ककी आधी राशि कांग्रेस अधिवेशनके समाप्त होनेके दो सप्ताहके अन्दर ही सौंप देगी।

(ख) यदि स्वागतकारिणी समितिके पास अधिवेशनका समस्त व्यय उठानेके बाद कुछ धन बचता है तो वह उसे उसी प्रान्तकी कांग्रेस कमेटीके कोषमें दे देगी।

हिसाब-किताबकी जांच

अनुच्छेद १८

स्वागतकारिणी समितिकी आय और व्ययकी जांच किसी लेखा परीक्षक द्वारा अथवा ऐसे लेखा परीक्षको द्वारा की जायेगी जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की जायेगी। हिसावका व्यौरा मय परीक्षककी रिपोर्टके प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस अधिवेशन समाप्त होनेके छ माहके अन्दर ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भेज देगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति

अनुच्छेद १९

पदेन सदस्योंके अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके ३५० सदस्य होगे।

कांग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष, महामन्त्रिगण और कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य माने जायेंगे।

प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपने क्षेत्रके सदस्योमे से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योको नियत की हुई सख्यामें निर्वाचित करेगी।

सदस्य सख्या भाषाके सिद्धान्तपर किये गये प्रान्तोके पुनर्विभाजनके अनुसार, जनसख्याके आधारपर अथवा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको अधिक न्यायोचित प्रतीत हो ऐसे अन्य किसी प्रकारसे नियत की जायेगी। नियत सख्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ३१ जनवरी, १९२१से पहले ही प्रकाशित कर दी जायेगी।

निर्वाचनका तरीका वैसा ही होगा जैसा कि प्रतिनिधियोके निर्वाचनके लिए निर्धारित किया जा चुका है।

साधारण तौरपर, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका निर्वाचन नवम्बरमे हुआ करेगा।

इस सविधानके अन्तर्गत प्रथम अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका चुनाव ३० जून, १९२१को या उससे पहले होगा। तबतक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य जो अभी हालमे निर्वाचित हुए है कार्यभार सभालते रहेगे।

अपने कर्त्तव्यके निर्वाहके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठके आवश्यकतानुसार या जब कभी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके १५ सदस्य अधियाचना द्वारा स्पष्ट रूपसे कारण बताते हुए बैठक बुलानेकी माँग पेश करे, बुलाई जा सकती है।

यह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी नई अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके चुने जानेतक बनी रहेगी।

अनुच्छेद २०

सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्रिगण इस प्रकार निर्वाचित सदस्योको अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी सदस्यताके प्रमाणपत्र प्रदान करेगे।

अनुच्छेद २१

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी काग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किये गये कार्यक्रमको चलानेके लिए काग्रेसकी समितिके रूपमे काम करेगी और सालके बीचमे उठे सभी नये मामलोको, चाहे वे काग्रेसके द्वारा न भेजे गये हो, निबटायेगी। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको इस सविधानसे असगत न पडनेवाले नियम बनानेका अधिकार होगा।

अनुच्छेद २२

अधिवेशनके बाद पूरे वर्षके लिए काग्रेसका अध्यक्ष ही अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका अध्यक्ष होगा।

महामन्त्रिगण

अनुच्छेद २३

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके तीन महामन्त्री होगे जिनका चुनाव प्रतिवर्ष काग्रेस करेगी। वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके कार्यकी सालाना रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा प्राप्त हुए कोषके पूर्ण आय-व्यय विवरणके साथ उसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी उस बैठकमें प्रस्तुत करेगे जो काग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके स्थान तथा समयपर बुलाई जायेगी। तदनन्तर उक्त आय-व्यय लेखे तथा विवरणकी नकले काग्रेसके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी तथा अ० भा० काग्रेस कमेटीको भेजी जायेगी।

कार्यकारिणी समिति

अनुच्छेद २४

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी पहली बैठकमें एक कार्यकारिणी कमेटी नियुक्त करेगी जिसमें अध्यक्ष, महामन्त्रिगण, कोषाध्यक्षगण तथा ९ अन्य सदस्य होंगे। यह समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा समय-समयपर सुपुर्द किये गये कार्योंको करेगी।

विषय निर्धारिणी समिति

अनुच्छेद २५

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य ही साधारण तथा असाधारण अधिवेशनके लिए विषय समितिके सदस्य होंगे।

अनुच्छेद २६

कांग्रेसके खुले अधिवेशनसे कमसे-कम दो दिन पहले विषय समितिकी बैठक होगी। इस सभामें मनोनीत अध्यक्ष सभापतिका आसन ग्रहण करेंगे तथा पदसे अलग होनेवाले मन्त्री कांग्रेसके अगले अधिवेशनके कार्यक्रमका मसविदा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वे प्रस्ताव भी सम्मिलित होंगे जिन्हें भिन्न-भिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंने कांग्रेसमें पेश किये जानेके लिए भेजा हो।

अनुच्छेद २७

विषय समिति उपरोक्त कार्यक्रमपर विचार-विमर्श करनेके उपरान्त उन प्रस्तावोंको तैयार करेगी जिन्हें खुले अधिवेशनमें पेश किया जाना है।

अनुच्छेद २८

यथाशक्ति विषय निर्धारिणी समिति कांग्रेस अधिवेशनके दिनोंमें समय-समयपर मिलती रहेगी।

विवादास्पद विषय तथा अल्प संख्यकोंके हित

अनुच्छेद २९

विषय निर्धारिणी समिति द्वारा विचार-विमर्शके लिए कांग्रेसमें कोई भी ऐसा विषय प्रेषित नहीं किया जायेगा और न उसपर अधिवेशनमें अध्यक्ष द्वारा विचार-विमर्श करनेकी आज्ञा ही दी जायेगी जिसके बारेमें हिन्दू अथवा मुसलमान प्रतिनिधि समुदायके रूपमें अपनी संख्याके तीन-चौथाईके बहुमतसे एतराज करते हैं, और यदि किसी बहसके बाद ऐसा जान पड़े कि तीन-चौथाई हिन्दू अथवा मुसलमान प्रतिनिधि सामूहिक रूपसे तद्विषयक प्रस्तावके विरोधमें हैं तो वह प्रस्ताव छोड़ दिया जायेगा।

480

अनुच्छेद ३०

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको उन सब मामलोके विषयमे नियम बनानेका अधिकार होगा जो सविधानमे नही आ पाये है और जो उसके अनुच्छेदोसे असगत नही बैठते।

अनुच्छेद ३१

इस धाराके अन्तर्गत सविधानके अबतकके मूल सिद्धान्त तथा सारे अनुच्छेद—उनके द्वारा जितने कार्य किये जा चुके है उन्हे मान्य रखते हुए—रद किये जाते है।

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३५वें अधिवेशनकी रिपोर्ट

१०३. कांग्रेस

काग्रेसका सबसे बडा[1] और महत्त्वपूर्ण अधिवेशन आया और सम्पन्न हो गया। वर्तमान शासन-प्रणालीके विरुद्ध इतना बडा प्रदर्शन कभी नही हुआ था। सभापतिका[2] यह कथन बिलकुल सत्य ही है कि इस अधिवेशनमें सभापति और नेताओने जनताका मार्गदर्शन नही बल्कि जनताने सभापति तथा नेताओका मार्गदर्शन किया। सभामचपर बैठे प्रत्येक व्यक्तिको यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जनताने बागडोर स्वय अपने हाथमे ले ली है। यो नेतागण तो इससे धीमी रफ्तारसे चलना ही पसन्द करते।

काग्रेसने अपनी नई नीतिपर[3] पूरी तरह बहस करनेके लिए एक दिन दिया और फिर दो दिनकी खामोशीके बाद बडी एकता और दृढताके साथ उसे स्वीकार कर लिया। केवल दो मत विरोधमें आये। असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर बहस करनेके लिए काग्रेसने एक दिन दिया और प्रस्तावको अपूर्व उत्साहसे स्वीकार किया। उसने अधिवेशनका अन्तिम दिन सविधानकी शेष ३२ धाराओको सुनने और उनपर विचार करनेके लिए दिया। मौलाना मुहम्मद अलीने ऊँची और साफ आवाजमें उन्हे पढा और उनका शब्दश अनुवाद किया। जो लोग अधिवेशनमें भाग ले रहे थे उन्होने दिखा दिया कि वे धाराओंके वाचनको समझते जा रहे है, क्योकि जब मौलाना साहब आठवी धारापर पहुँचे तो विरोधकी आवाज उठी। इसमें काग्रेस द्वारा देशी रिया-

1. दिसम्बर १९२० के कांग्रेस अधिवेशनमें १४,५८२ प्रतिनिधि आये थे। इससे पहले जितने अधिवेशन हुए उनमें से किसीमें प्रतिनिधियोंकी संख्या इतनी नहीं थी।

2. सी० विजयराघवाचार्य (१८५२–१९४३), प्रमुख वकील और सक्रिय कांग्रेसी।

3. कांग्रेसके नये संविधानका अनुच्छेद १, जिसमें कांग्रेसका उद्देश्य बताया गया था, देखिए पिछला शीर्षक।

सरकारोंके आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेका उल्लेख किया गया था। यदि धाराका आशय यह होता कि कांग्रेस देशी राज्योंमें रहनेवाले लोगोंकी भावनाओंको व्यक्त भी नहीं कर सकती तो वह उसे पास न करती। प्रसन्नताकी बात है कि एक प्रस्तावसे, जिसमें रियासतोंमें उत्तरदायी सरकारें स्थापित करनेका सुझाव दिया गया था, श्रोताओंको यह समझाया जा सका कि यह धारा रियासती प्रजाजनोंकी शिकायतों तथा मामलोंपर चर्चा करनेसे कांग्रेसको नहीं रोकती, लेकिन कांग्रेसपर उनके सम्बन्धमें यह कोई अमली कदम उठानेपर प्रतिबन्ध अवश्य लगाती है, उदाहरणके लिए, रियासतोंमें वहाँकी सरकारोंके किसी भी कार्यके विरुद्ध कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर सकती। कांग्रेस ब्रिटिश सरकारको आदेश देनेका दावा करती है, किन्तु अपने संविधानकी रूसे वह देशी रियासतोंके सम्बन्धमें वैसा दावा नहीं कर सकती।

इस प्रकार कांग्रेसने अधिकसे-अधिक विचार-विमर्श और चर्चाके बाद तीन महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उसने स्पष्टतम शब्दोंमें पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त करनेका अपना निश्चय जाहिर कर दिया है। अगर अब भी सम्भव हुआ तो वह इस लक्ष्यको अंग्रेजोंसे सम्बन्ध बनाये रखकर ही प्राप्त करेगी, किन्तु यदि आवश्यक हुआ तो उनसे अपना सम्बन्ध तोड़कर भी उसे प्राप्त करेगी। उसने संकल्प किया है कि वह इसमें केवल शान्तिमय तथा अहिंसात्मक साधनोंका ही उपयोग करेगी। कांग्रेसने अपने कामकाजकी व्यवस्थाके लिए संविधानमें मूलभूत परिवर्तन किये हैं और प्रतिनिधियोंकी संख्या स्वेच्छासे सीमित करके उसका परिसीमन किया है। अब भारतकी जनसंख्याके प्रति ५० हजार लोगोंके पीछे एक प्रतिनिधि चुना जायेगा। उसने इस बातपर जोर दिया है कि ये प्रतिनिधि उन लोगोंके वास्तविक प्रतिनिधि हों जो देशके राजनीतिक जीवनमें भाग लेना चाहते हैं। और इस खयालसे कि उसमें सभी राजनीतिक दलोंका प्रतिनिधित्व हो, उसने "एकल संक्रमणीय मत"का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उसने विशेष अधिवेशनमें[1] पास किये गये असहयोगके प्रस्तावको पुनः पुष्ट किया है और साथ ही उसे इस तरहसे परिवर्धित किया है।[2] उसने अहिंसाकी आवश्यकतापर जोर दिया है और कहा है कि स्वराज्य प्राप्तिके लिए भारतीय राष्ट्रके विभिन्न अंगोंके बीच पूर्ण ऐक्य होना जरूरी है। इसलिए उसने हिन्दू-मुस्लिम एकतापर आग्रह किया है। हिन्दू प्रतिनिधियोंने ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंके मतभेदोंको दूर करानेके लिए अपने नेताओंसे तथा अस्पृश्यताके जहरको दूर करनेके लिए अपने धर्माचार्योंसे अनुरोध किया है। कांग्रेसने स्कूल जानेवाले बच्चोंके माता-पिताओं तथा वकीलोंसे कहा है कि उन्होंने राष्ट्रके आह्वानपर काफी नहीं किया है, उन्हें इस दिशामें अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वकील वकालत छोड़ देनेके अनुरोधपर शीघ्र ही अमल नहीं करेंगे और जो माता-पिता अपने बच्चोंको सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयोंमें भेजनेपर आग्रह रखते हैं, वे देखेंगे कि वे देशके सार्वजनिक जीवनसे बहिष्कृत होते जा रहे हैं। देशकी पुकार है कि भारतके सभी स्त्री और पुरुष

१ कलकत्तामें सितम्बर १९२० में हुए विशेष अधिवेशनमें।

२ नागपुरमें स्वीकृत असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव, देखिए परिशिष्ट १।

अपना-अपना हिस्सा पूरी तरह बँटाये। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावकी तफसीलपर मैं बादमें लिखूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-१-१९२१

१०४. नैतिक मूल्य

नीचे एक अंग्रेज मित्रके पत्रका अंश दे रहा हूँ। अंग्रेज मित्रोंके पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं जानता हूँ कि बहुत-से ऐसे ईमानदार अंग्रेज हैं जो सहानुभूतिके साथ असहयोग आन्दोलनपर ध्यान देकर उसे समझनेकी कोशिश कर रहे हैं, और अगर सम्बन्धित नैतिक प्रश्नोंके बारेमें उनके मनमें कोई शंका न रह जाये तो वे खुशीके साथ इसमें हाथ बँटा सकते हैं। यह पत्र इसी बातका उदाहरण है।

> मेरा खयाल है, आप नैतिक शक्तिके बलपर भारतमें स्वराज्य स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि आत्म-त्यागसे यह नैतिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मैं इतना निवेदन कर देना चाहूँगा कि विचार तो एकदम उत्कृष्ट है। लेकिन क्या इसमें यह आशंका ही नहीं है कि आप जिस साधनको — अर्थात् असहयोगको — अपनाकर चल रहे हैं, अगर उसका प्रयोग हर सम्बन्धित व्यक्तिके विशुद्ध निःस्वार्थ भावसे काम करनेको तैयार होनेसे पहले किया गया तो अन्ततः आपको निराश होना पड़ेगा? यदि ध्येय नैतिक सफलता हो तो उस लक्ष्यतक पहुँचनेका साधन भी वैसा ही होना चाहिए।
>
> मैं भी बड़ी आतुरतासे उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब समस्त भारत ही नहीं, समस्त मानव-जाति नीचे बताये गये ढंगके स्वराज्यका उपभोग करेगी :
>
> मानव-जाति सृष्टिके पशुता और नैतिकताके संगमस्थानपर खड़ी है। स्रष्टाने उसे अपनी मर्जीका मालिक बनाया है; वह अपने भौतिक ढाँचे, यानी शरीर, और अपने नैतिक स्वरूप यानी चारित्र्यकी माँगोंको तोल सकता है और निर्णय कर सकता है कि वह इनमें से किन्हें स्वीकार करे। इस तरह वह अपने चरित्रके माध्यमसे सृष्टिके आदि कारण, अर्थात् परमात्माके अमूर्त स्वरूपको ससीम (अर्थात् चरित्र)के भीतर व्यक्त कर सकता है। जब मानव-जातिका प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ति, अपने प्रत्येक विचार, वाणी और कर्ममें नैतिक मूल्योंको प्राथमिकता देना सीख जायेगा और बराबर नैतिकताकी माँगोंको ही प्राथमिकता देगा, तो स्पष्टतः उसका परिणाम आत्म-त्याग होगा। नैतिकताकी माँगोंको प्राथमिकता देनेकी बात इसलिए कही कि सृष्टिकी परम्परामें

नैतिक बुद्धिका दर्जा शरीरसे ऊपर है और अगर कोई अन्यथा आचरण करता है तो उसका मतलब सर्वशक्तिमान प्रभुकी सत्ताको चुनौती देना होगा। मानव-जातिमें इस प्रकार आत्म-त्यागकी भावना आ जानेपर प्रत्येक मानव सहज ही दूसरे मानवको प्यार करने लगेगा और यह सच्चा स्वराज्य इस समस्त मानव-जातिको एक सूत्रमें बांध देगा।

लेकिन दूसरी ओर क्या यह सम्भव भी नहीं है कि अगर आप प्रारम्भ असहयोगसे करते हैं तो आपका यह नैतिक लक्ष्य गौण हो जायेगा और निम्नतर भौतिक आकांक्षाओंकी पूर्ति ही मुख्य हो जायेगी? उस हालतमें अगर आप सफल भी हो जाते हैं तो क्या यह सम्भावना दिखाई नहीं देती कि आप अनजाने ही अपने प्रयत्नोंका सार-तत्व ही खो बैठेंगे और अपने सहयोगियोंको, आज वे जिस हदतक पशु हैं, उनसे भी अधिक पशु बना देंगे? जो राष्ट्र अभी स्वयं स्वार्थको जीतना सीख नहीं पाया है लेकिन एक आत्मत्यागी नेताका अनुसरण करनेका प्रयत्न कर रहा है, उस राष्ट्रके असहयोगकी अपेक्षा आत्मत्यागी राष्ट्रके आत्म-त्यागी प्रतिनिधियोंके सहयोगसे स्वार्थ-रहित सरकारकी जल्दी स्थापना हो सकना कहीं अधिक सरल है।

आप इन तथ्योंपर थोड़ा विचार कीजिए। आप जो-कुछ भी करें उसे तो समस्त मानव समाजके हितमें होना चाहिए, और नैतिक मूल्योंको गौण स्थान तो किसी भी हालतमें नहीं दिया जाना चाहिए — गौण जान पड़नेवाले मामलोंमें भी नहीं, अन्यथा उपचार रोगसे भी अधिक बुरा सिद्ध हो सकता है।

प्रारम्भका एक वाक्य छोड़कर, मैंने यह पत्र पूराका-पूरा दे दिया है। नाम नहीं प्रकाशित किया है, क्योंकि मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं कि पत्र-लेखक अपना नाम प्रकाशित कराना पसन्द करेंगे या नहीं। उनकी नैतिक उलझन सावधानीसे विचार करने योग्य है। मेरी समझमें विचारोंमें उलझनके कारण बात इस तरह कही गई है। मैं बराबर यह दिखानेका प्रयत्न करता रहा हूँ कि असत् साधनसे कभी कोई सदुद्देश्य पूरा हो ही नहीं सकता। लेखक जिस बातपर शंका कर सकता है और कर भी रहा है वह है आम असहयोगियोंका मंशा। मैं स्वीकार करता हूँ कि सभी असहयोगी प्रेमकी भावनासे प्रेरित नहीं हैं। वे एक निरर्थक घृणाभावसे प्रेरित हैं। निरर्थक इसलिए कि असहयोगकी योजनामें इतने सारे असहयोगियोंकी घृणा [भी] कोई अर्थ नहीं रखती। कोई व्यक्ति घृणासे प्रेरित होनेपर अपना बलिदान नहीं करता, बल्कि असहाय होकर जिसे अपना शत्रु मानता है उसे चोट पहुँचानेकी कोशिश करता है। असहयोगसे जिस परिणामकी कामना की जा रही है वह अन्यायीको दण्ड देना नहीं, बल्कि उससे न्याय प्राप्त करना है। घृणाका उद्देश्य कभी न्याय प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य तो सिर्फ प्रतिशोध होता है। घृणा मनुष्यको क्रोधान्ध बनाती है। अमृतसरमें भीड़की घृणाका परिणाम यह हुआ कि निर्दोष लोगोंको प्राण गँवाने पड़े।[1] लेकिन असहयोगीकी

१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १८३-८७।

घृणा घूमघामकर उसीके पास लौट आती है और इसलिए उसका कोई अर्थ नही रह जाता। वह उसे पवित्र बनाती है और जिसके प्रति घृणा व्यक्त की जाती है उसे इस बातकी प्रेरणा देती है कि वह अपने-आपको सुधारे, अपने गलत आचरणसे विमुख हो। इस तरह कोई असहयोगी असहयोगका प्रारम्भ तो एक शत्रुके रूपमे ही करता है, किन्तु अन्तत उसका रूप मित्रका बन जाता है। कोई व्यक्ति कोई सही काम किस भावसे करता है, इससे क्या फर्क पडता है? सही काम तो सही ही है, चाहे वह किसी नीतिके वश किया जाये अथवा वह स्वयमे एक उद्देश्य हो। मै यह स्वीकार करता हूँ कि अगर कोई कदम नीतिके वशीभूत होकर उठाया जाता है तो उसका वाछित परिणाम न निकलनेपर उसके वापस ले लिये जानेका भी खतरा रहता है। लेकिन ऐसा खतरा रहता है, इस तथ्यको स्वय किसी सत्कार्यकी नैतिकताके विरुद्ध कोई दलील नही माना जा सकता।

पत्र-लेखकने जो समाधान दिया है, वह असम्भव है। वे चाहते है कि असहयोगी पहले पूर्णताको प्राप्त करे। लेकिन वे भूल जाते है कि अगर हम पूर्ण होते तो असहयोगकी कोई जरूरत ही नही पडती, क्योकि तब कोई भी व्यक्ति बुराईके साथ सहयोग करता ही नही। असहयोग अपने-आपको पवित्र बनाने, पूर्ण बनानेका एक प्रयत्न है। और अधिकाश लोग शुद्धीकरणके मार्गपर विश्वासके कारण चलते है, ज्ञानके कारण नही। दूसरे शब्दोमे, एक आत्मत्यागी नेताका अनुसरण करनेवाले स्वार्थी असहयोगी अन्तमे जो-कुछ कर दिखायेगे वह अच्छा ही होगा, क्योकि उनके कामोसे असहयोग आत्मत्यागका एक सिद्धान्त ही सिद्ध होगा।

अग्रेजोकी मुख्य कठिनाई तो सचमुच यह माननेमे है कि उनका शासन भारतके लिए एक खालिस बुराई है, अर्थात् उसने हर महत्वपूर्ण मामलेमे भारतका अकल्याण किया है। भारत आज आर्थिक दृष्टिसे पहलेसे विपन्न है, उसके पौरुषका ह्रास हुआ है, उसकी आध्यात्मिकताका क्षय हो गया है और उसके बेटोमे अपनी रक्षा करनेकी शक्ति भी नही रह गई है। बुराईके साथ किसी तरहका सम्बन्ध रखना पाप है। अच्छाई और बुराईका, ईश्वर और शैतानका, कही कोई मेल नही हो सकता। पत्र-लेखक महोदय मुझसे थोडा विचार करनेको कहते है। विचार तो मैने तीस वर्षों-तक किया और आखिर इसी अन्तिम निष्कर्षपर पहुँचा कि अपने वर्तमान रूपमें अग्रेजी शासन भारतके लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। मै कहूँगा, अग्रेज लोग ही तनिक रुककर विचार करे कि उनकी आँखोंके आगे ही यह क्या हो रहा है। वे तनिक अपने ही भीतर झाँककर देखें। क्या वे मुझसे उस सरकारसे सहयोग करनेको कहेंगे जिसने भारतके मुसलमानोंके साथ धोखेबाजी की है और पजाबमें मानवताकी हत्या की है? अग्रेज लोग जलियाँवाला बागके नर-सहारको निर्णयकी भूल-भर कहना छोड़ें, और जब उनके प्रधान मन्त्री यह कहे कि उन्होंने भारतके मुसलमानोंको दिये गये अपने गम्भीर वचनको नहीं तोड़ा है तो उनके उस कथनपर विश्वास न करे। हमारा उद्देश्य न्यायसंगत है और उतना ही न्यायसंगत है उसे प्राप्त करनेका हमारा साधन। असह-

१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४४८-४९ और ४८८-९०।

बत्ता, जिस भावनासे प्रेरित होकर लोग काम कर रहे है, वह सर्वथा शुद्ध नही है। अगर वह भावना भी उद्देश्य और साधनकी तरह ही विशुद्ध होती, तो यह संघर्ष इतना लम्बा खिंचता ही नही।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-१-१९२१

१०५. भाषण : छिन्दवाड़ामें

६ जनवरी, १९२१

भाइयो और बहनो,

पिछले तीन वर्षोसे मैं आपके शहरमे आनेकी कोशिश कर रहा था। हिन्दुस्तान आनेके बाद जिनसे मेरा परिचय हुआ ऐसे मुसलमान भाइयोमे सबसे पहले अली भाई थे। जबसे वे नजरबन्द[1] किये गये हैं तभीसे मैं उनसे मिलनेकी अनुमति लेनेकी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे नही मिली।

अली भाइयोके मनमे छिंदवाड़ाके प्रति बहुत अनुराग है। पहले हमारा करार यह था कि मैं बम्बई होता हुआ कुछ समय आराम करनेके लिए अहमदाबाद जाऊँ, लेकिन वे मुझे छिंदवाड़ा ले आये हैं जिससे उन्हे इतना अधिक प्रेम है, जिसकी उन्होने सेवा की है और जिसने बदलेमे उनकी भी बहुत सेवा की है तथा उससे उन्हे बड़ी-बड़ी आशाएँ है।

मध्यप्रान्तमे कांग्रेसका अधिवेशन हुआ है[2] इससे उसके गौरवमे निस्सन्देह वृद्धि हुई है, लेकिन कांग्रेसने वहाँ जो प्रस्ताव पास किया उससे उसकी प्रतिष्ठामे चार चाँद लग गये है। हिन्दुस्तान और मध्यप्रान्तका यह सौभाग्य है कि कलकत्तामे[3] जो कुछ हुआ उससे हम नागपुरमे एक कदम भी पीछे नही हटे बल्कि आगे ही बढे हैं। यदि हम खिलाफतके अपमानका परिमार्जन कराना चाहते हो, पंजाबके अन्यायका निराकरण कराना चाहते हो तथा स्वराज्यकी स्थापना करना चाहते हो तो हमारा कर्त्तव्य क्या है, यह बात हमे नागपुर अधिवेशनमे बताई गई है। हम सरकारी उपाधियोसे विभूषित लोगोसे जो कुछ कहना चाहते थे सो सब कह चुके हैं। उपाधियोको बरकरार रखने अथवा उनका त्याग करनेकी जिम्मेदारी कांग्रेसने उन्हींपर डाली है, इसीसे इस बारके स्वीकृत प्रस्तावमें[4] उनका उल्लेखतक नही किया गया है। अब देशका कोई बच्चा भी ऐसा न होगा जिसे इन उपाधिधारी लोगोसे किसी प्रकारका भय अथवा उनकी उपाधियोके प्रति मनमे आदर-भाव हो।

१ छिंदवाड़ा (मध्यप्रान्त)में, १९१५के भारत रक्षा अधिनियमके अन्तर्गत।

२ दिसम्बर १९२० में नागपुरमें।

३ सितम्बर १९२० के कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें।

४ सम्भवतया गांधीजीका संकेत असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावकी ओर है।

कांग्रेसने वकीलोसे वकालतका धन्धा छोडनेकी दिशामे और अधिक प्रयत्न करने तथा देशकी सेवाके लिए अपना सारा समय अर्पण कर देनेका अनुरोध किया है। जिन वकीलोने इतनी भी बचत नही की है कि गुजारा चल सके उन वकीलोको कांग्रेस गुजर करने लायक पैसा अवश्य देगी। वकील अदालतोमे अपनी शक्ति और समयका अपव्यय कर रहे है। देशके कार्योके लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।

कांग्रेसने विद्यार्थियोके सम्बन्धमें उनके माता-पिताओका क्या कर्त्तव्य है, इसका भी निर्देश किया है। मै इस समय उन सबके समर्थनमे कोई दलील न देकर कांग्रेसके उक्त निर्देशको ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपका फर्ज बालकोको स्कूलोसे निकालनेके साथ-साथ उन्हे अन्य कार्योमे निरत करना भी है। अगर उन्हे शिक्षा दी जा सकती हो तो आपको उसका प्रबन्ध करना चाहिए और यदि फिलहाल शिक्षा न दी जा सके तो आप उन्हे देशके अन्य कार्योमे लगाये। मै नही मानता कि कोई भी बालक ऐसा होगा जो पंजाबमे हुए अत्याचारो और खिलाफतके प्रश्नपर किए गए अन्यायको सुनकर यह न कहे "मै इस राज्यको निर्मूल करना चाहता हूँ।" मगर कोई विरला विद्यार्थी ऐसा हो भी जो यह न समझता हो तो मै उससे कहूँगा कि भाई तुमको तुम्हारा स्कूल मुबारक रहे। कांग्रेसने पन्द्रह वर्षसे अधिक उम्रके विद्यार्थियोको सरकारी स्कूलो और कालेजोको तुरन्त छोड देनेकी सलाह दी है।

ठीक यही बात सैनिकोपर भी लागू होती है। कांग्रेसने सैनिकोसे भी अपना कर्त्तव्य पूरा करनेका अनुरोध किया है। राजभक्ति देशभक्तिकी अनुवर्तिनी है और जिस समय राजभक्ति देशभक्तिके आडे आती है उस समय राजभक्तिको छोडकर देशभक्तिको स्वीकार करना मनुष्यका धर्म हो जाता है। यदि डायर-जैसा कोई अत्याचारी बेहूदा हुक्म दे तो आप उसके हुक्मको माननेकी अपेक्षा बहादुरीसे उसकी गोली खाकर मरना स्वीकार करे। जलियाँवाला बागमे मारे गये लोगोके समान निर्दोष लोगोको गोलीसे उडानेकी बनिस्बत खुद गोली खानेके लिए तैयार रहना अधिक अच्छा है। आप अपने देशबन्धुओंके प्रति दयावान बनें। अपने पदका अनुचित उपभोग करके उनपर अत्याचार करनेके बजाय आप उन्हे अपना ही समझकर उनके रक्षक बने। आपको जो धन मिलता है उसे देशके हित खर्च करनेसे आपको कोई नही रोक सकता। आप जो कुछ बचाते है उसे प्रकट रूपमे दान दे। आप सार्वजनिक सभाओमे निर्भय होकर आ सकते है। यह सच है कि आप भाषण नही दे सकते, लेकिन यदि आप अपने देशकी हलचलोमे वाकिफ रहनेके लिए सभाओमें आयें तो सरकार आपको उससे नही रोक सकती। इन सब बातोके अलावा कांग्रेसने स्वदेशीपर ज्यादा जोर दिया है। जब इस देशमे लंकाशायरका कपड़ा आना बन्द हो जाये तब आप समझें कि अब भारतकी स्वाधीनताकी नींव रख दी गई है। किन्तु फिर आप यह न समझे कि लंकाशायरकी जगह जापानको देकर आप अपने उद्देश्यको प्राप्त कर लेंगे। हमारी मुक्ति चरखेमे है। हर घरमे चरखेकी प्रतिष्ठा करनेकी जरूरत है। यदि सभी देशका हरएक व्यक्ति — स्त्री, पुरुष और बालक — अपने-अपने खाली वक्तमें थोड़ा बहुत सूत कातनेका व्रत ले लें तो हम केवल अपने देशवासियोंके शरीर ढकनेके लिए विदेशोंपर निर्भर न रहेंगे और प्रतिवर्ष साठ करोड़ रुपया भी बचा लेंगे।

इतना ही हिन्दू-मुस्लिम एकताका महत्त्व भी है। जिस तरह हम अंग्रेजोंकी गर्दनोंको नहीं काटना चाहते, उसी तरह हम परस्पर एक दूसरेकी गर्दनोंपर भी छुरी चलाना नहीं चाहते। हमें भाई-भाई बनकर रहना है। शैतान हमेशा छिद्रोंका लाभ उठाता है। इसलिए छिद्रोंको भरना ही हमारा काम है।

जिस तरह हिन्दुओं और मुसलमानोंको मिलजुल कर रहनेकी जरूरत है, उसी तरह हिन्दुओंके लिए यह आवश्यक है कि वे अस्पृश्यताके कलंकको मिटाकर हिन्दू धर्मके कलंकको दूर करें। कांग्रेसने सब हिन्दुओंसे अस्पृश्यताकी कुप्रथाको छोड़नेकी विनती की है। आप यह तो अवश्य मानेंगे कि सरकार जिस तरह हिन्दुओं और मुसलमानोंकी अनबनका फायदा उठानेसे नहीं चूकती, उसी तरह वह इस प्रथाके कारण हिन्दुओंमें फैले हुए असन्तोषसे भी पूरा-पूरा फायदा उठानेसे नहीं चूकेगी। जबतक हममें ऐसी खामियाँ हैं तबतक हमारे स्वराज्य प्राप्त करनेके प्रयत्नमें अगर हमें असफलता मिले तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

नागपुर कांग्रेसमें सर्वसम्मतिसे पास किया गया प्रस्ताव[1] संक्षेपमें यही है। उसपर अमल करनेमें ही हमारी कसौटी होगी। हमने एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेका बीड़ा उठाया है। यदि सरकार अपनी शैतानियतको भूलकर और हमें सन्तुष्ट करके हमारी इच्छानुकूल यहाँ रहनेके लिए तैयार हो तो हम उसे रखना चाहते हैं, लेकिन यदि वह अपनी शैतानियतसे बाज न आये और हमें दबाना चाहे तो मेरा कहना है कि ऐसी सरकारको नष्ट करना ही हमारा धर्म हो जाता है। यह बात अगर आज हो सकती हो तो उसके लिए मैं कलतक रुकनेके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि वह हमें इस भारी लड़ाईमें आवश्यक बलिदान करनेकी शक्ति प्रदान करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०–१–१९२१

१०६. पत्र : कस्तूरी रंगा आयंगारको

[नागपुर]
८ जनवरी, १९२१

प्रिय श्री कस्तूरी रंगा आयंगार,[2]

आपका यह आश्वासन पाकर कि आप असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावसे पूर्णतः सन्तुष्ट हैं और आप कांग्रेस द्वारा दो बार स्वीकृत विस्तृत प्रोग्रामका विरोध न करेंगे, प्रसन्नता

१. असहयोग सम्बन्धी।

२. पत्रकार और मद्रासके कांग्रेसी नेता, हिन्दूके सम्पादक, जिन्होंने सत्याग्रह जाँच समितिके सदस्यकी हैसियतसे उक्त समितिमें तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त अन्य अनेक उप-समितियोंमें कार्य किया था।

हुई। आशा है कि आप अपने समाचारपत्रमें[1] इसका वर्णन मुक्त कंठसे करेंगे। यदि हमें एक सालके अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमारे लिए आन्दोलनको अधिकसे-अधिक शक्ति सम्पन्न करना आवश्यक है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१०७. पत्र : लाजपतरायको

८–९ जनवरी १९२१[2]

मुझे आशा है कि आप पं० गंगारामके मामलेकी[3] जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जो पत्र मुझे मिले हैं उनसे उनपर बड़ा कलंक लगता है। लेकिन मैं उन पत्रोंके बारेमें तबतक कुछ भी प्रकाशित नहीं करूँगा जबतक मुझे इस सम्बन्धमें आपका पत्र प्राप्त न हो जाये।

क्या आप पंजाबमें असहयोग आन्दोलनके संगठनका भार लेना स्वीकार कर सकते हैं? मुझे मालूम है कि लाला हरकिशनलालका आन्दोलनके खिलाफ होना आपकी सबसे बड़ी कठिनाई है। परन्तु जबतक जनता साथ देती है तबतक असहयोगकी आवश्यकता और उपयोगितामें विश्वास रखनेवालोंका कर्त्तव्य बिलकुल स्पष्ट है। श्री मालवीयजी तथा लाला हरकिशनलाल दोनों ही सच्चे और बहादुर व्यक्ति हैं इसलिए मुझे तो यही लगता रहता है कि जब उन्हें अपनी स्थितिकी सहज कमजोरी तथा असत्यका आभास होगा तब वे अपने-आप हमारी बात मान लेंगे। मुझे यकीन है कि आप २० तारीखको कार्यकारिणी समितिकी बैठकके[4] लिए जरूर बम्बई पहुँचेंगे।

मैं आपको इस बातका यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा भारतके बाहर प्रचार करनेके लिए धन भेजना ठीक नहीं है। यह एक विचित्र संयोग है कि मुझे अभी अमेरिकाके एक मित्रका पत्र भी मिला है जो मेरे इस विचारको और भी पक्का बना देता है। यह वर्ष हमारी कसौटीका है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें एक-एक कौड़ी भी बचाई जानी चाहिए। आज हम जितने आदमी और जितना

१. हिन्दू।
२. इस पत्रसे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह ८ को लिखा गया था या ९ को।
३. पं० गंगारामने [illegible] थे, [illegible] कुछ आरोप लगाये थे। देखिए "[illegible]", [illegible]।
४. [illegible]।

पर यहाँ मानते हैं हमें इसकी सख्त आवश्यकता है। लेकिन इस विषयमें और बातें न कहकर, फिर कभी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१०८. नागपुर कांग्रेस

कांग्रेसने क्या किया? हमें क्या करना चाहिए? अहमदाबादका[1] क्या कर्त्तव्य है? प्रत्येक व्यक्तिके मनमें ये तीनों प्रश्न उठने चाहिए। कांग्रेसने हमें नया संविधान[2] दिया, सर्वसम्मतिसे शान्तिमय असहयोगका प्रस्ताव पास किया। कांग्रेसका इतना जोरदार अधिवेशन कभी नहीं हुआ। कांग्रेसने इतनी दृढ़तासे पहले कभी विचार नहीं किया। नियमोंमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। कांग्रेसके उद्देश्यपर खूब चर्चा हुई और दो रात और एक दिन विचार-विमर्श करनेके बाद अन्ततः प्रान्त-प्रान्तके मत लिये गये और उद्देश्यमें किये गये परिवर्तनको लगभग सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लिया गया।

नया उद्देश्य यह है कि हमें अपनी कल्पनाका स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। यह स्वराज्य, ब्रिटिश सम्बन्ध रहे तो रखकर और यदि वह सम्बन्ध सन्तोषजनक न हो तो तोड़कर भी प्राप्त करना है। अगर इस सम्बन्धको बने रहना है तो वह केवल उसी रूपमें रह सकता है जो कांग्रेसके लिए अपने उद्देश्यको पूर्णतया फलीभूत कर सकनेमें बाधक न बने अर्थात् अंग्रेजोंको अपनेको श्रेष्ठ समझनेकी भावनाको भुला देना चाहिए। जबतक हमें ऐसा महसूस हो कि मुट्ठीभर अंग्रेज हमपर राज्य चला रहे हैं तबतक हमें अंग्रेजोंके साथ सम्बन्ध रखना असह्य ही लगना चाहिए। ऐसा स्वराज्य प्राप्त करनेके उपाय भी कांग्रेसने सुझाये हैं। हमें शान्ति और शुद्ध साधनोंके द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना है, ऐसा कांग्रेसने निश्चय किया है। झूठ, युक्ति, दम्भ और ढोंग आदिको यहाँ अवकाश नहीं है। हमें सच्चे मार्गको अपनाना और उसपर चलते हुए मारना नहीं बल्कि मरना — 'मरकर जीनेका मन्त्र' सीखना है। इस मन्त्रका अनुसरण करनेके कारण ही यह जगत चल रहा है। बीजके नष्ट होनेपर ही धान पकता है। यज्ञ किये बिना खाना चोरी है। बलिदानसे ही स्वराज्यकी प्राप्ति होगी और यदि यह बलिदान, यह कुर्बानी पवित्र-पाक होगी तभी ईश्वरको भी अच्छा लगेगा।

१. कांग्रेसका अगला अधिवेशन, दिसम्बर १९२१ को अहमदाबादमें होनेवाला था।

२. देखिए "नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया कांग्रेसका संविधान", दिसम्बर १९२०।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि आजतक चाहे जो और चाहे जितने व्यक्ति कांग्रेसके प्रतिनिधि बन सकते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हिन्दुस्तानकी एक लाख आबादीके पीछे दो व्यक्ति ही प्रतिनिधि बन सकेंगे अर्थात् सारे देशके लगभग छ हजारसे अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते।[1] मेरे विचारानुसार तो यह संख्या भी ज्यादा है। इसका एक दुष्परिणाम तो यह होगा कि जहाँ कांग्रेसका अधिवेशन होगा वहाँके प्रतिनिधि तो पूरी संख्यामें भाग ले सकेंगे लेकिन दूरस्थ प्रान्तोंके ज्यादा प्रतिनिधियोंको भेजना मुश्किल बात होगी। तथापि इतना लाभ तो अवश्य है कि एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई है। चुनाव करवानेकी पद्धतिमें परिवर्तन किया गया है। अबसे लाखों व्यक्तियोंकी पसन्दपर ही प्रतिनिधियोंका चुनाव होगा और इसमें मुसलमानों, स्त्रियों और अन्त्यजोंके, जो अबतक भाग नहीं ले सकते थे, भाग लेनेकी व्यवस्था करके इसे अनिवार्य बना दिया गया है। कांग्रेसके किसी भी मण्डलमें शामिल होनेके इच्छुक व्यक्तिको चार आना शुल्क देने और कांग्रेसके उद्देश्योंको स्वीकार करनेपर शामिल होनेकी अनुमति दी गई है। प्रत्येक पक्षके लोग चुने जा सकें इस उद्देश्यसे ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति एक ही मत दे। यदि किसी उम्मीदवारको उस मतकी जरूरत न हो तो वह दूसरे उम्मीदवारको दिया जा सकता है। प्रान्तोंके हिस्से भी भाषाके आधारपर ही किये गये हैं। कांग्रेसके इस संविधानके अनुसार अगर प्रत्येक प्रान्तसे काम लिया जाये तो सिर्फ इसीसे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ हममें संघशक्ति और योजनाशक्तिका विकास हुआ वहाँ हमें स्वराज्य मिला ही समझिए, इसके लिए मुख्य रूपसे जनताके एक-एक वर्गमें राष्ट्रीय भावना पैदा करनेकी जरूरत है।

शान्तिमय असहयोगका प्रस्ताव पास करके कलकत्तामें हुई विशेष कांग्रेसके प्रस्तावकी पुष्टि कर दी गई है[2] और उसमें कुछ और बातें भी जोड़ दी गई हैं। उस प्रस्तावको पसन्द करनेवालोंके लिए यह जरूरी हो गया है कि वे निम्नलिखित बातोंपर अमल करें।

१ जिन लोगोंके पास खिताब हैं वे अपने खिताबोंको छोड़ दें।

२ माँ-बाप वर्तमान सरकारके अन्तर्गत चलनेवाले स्कूलोंसे अपने बच्चोंको निकाल लें और उनके लिए अपने घरोंमें अथवा राष्ट्रीय स्कूलोंमें किसी किस्मकी व्यवस्था करें।

३ सोलह वर्षकी आयुके विद्यार्थियोंको अगर उस बातका विश्वास हो गया हो कि जिस सरकारको सुधारने, अथवा समाप्त करनेका जनताने निश्चय किया है उस सरकारके अधीन पढ़ना पाप है तो उन्हें तुरन्त स्कूलोंको त्याग करके मनोनुकूल प्रबन्ध कर लेना चाहिए।

४ वकील जितनी जल्दी हो सके वकालतके धन्धेको छोड़ दें और जनताकी सेवामें जुट जायें।

१ [illegible] प्रतिनिधियोंने [illegible] भाग लिया था।

२ देखिए खण्ड १८, पृष्ठ २८७-८८।

५ व्यापारी लोग समय रहते जैसे-तैसे विदेशी व्यापार और सम्बन्धोको तोड डाले और हाथसे कातने और बुननेके कामको प्रोत्साहन दे।

६ विधान परिषदोके[1] उन प्रतिनिधियोको, जो मतदाताओके विरोध करनेके बावजूद निर्वाचित हुए है, विधान परिषदोसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए और जो जनमतके विरोध करनेके बावजूद त्याग-पत्र न दे उनसे मतदाताओको राजनीति सम्बन्धी कोई कार्य नही लेना चाहिए।

७ सिपाहियो और अन्य सरकारी नौकरोको कौमके प्रति नम्रता, दया और सत्यका व्यवहार करना चाहिए, वे राजनैतिक सभाओमे भाग ले किन्तु भाषण न दे और स्वराज्यके आन्दोलनमे खुले रूपसे धन दे।

८ सिपाहियोको अपनी नौकरीको अपने धर्म अथवा देशसे ज्यादा प्रिय नही समझना चाहिए और उनपर जो आरोप लगाये जाते है उन्हे अपने सद्व्यवहारसे मिथ्या सिद्ध कर देना चाहिए। उन्हे बता देना चाहिए कि वे अपनी कौमके प्रति भावना-हीन भाडेके टट्टू नही है।

९ प्रत्येक स्त्री-पुरुषको भरसक स्वार्थ त्याग करना चाहिए।

१० सबको यह समझना चाहिए कि शान्तिमे ही हमारी विजय निहित है और उस शान्तिको हमे सिर्फ सरकारके साथ ही बनाये रखना है सो बात नही, बल्कि हमे परस्पर एक-दूसरेके साथ भी शान्तिको बनाये रखना है। शान्ति रखना अर्थात् मारपीट न करना, इतना ही नही वरन् गाली-गलौज न करना भी है।

११ सबको हिन्दू-मुसलमानोके बीच ऐक्य भावको बढाना चाहिए और उसी प्रमाणमे हिन्दुस्तानमे एक-दूसरेके बीचकी कटुताको दूर करना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणेत्तर झगडेको मिटाना और अस्पृश्यताके पापको दूर करना चाहिए।

इतना यदि हम एक वर्षके भीतर कर सके तो एक वर्षमे ही हमे स्वराज्य मिल जाये। अगर हम इसमे देर करेगे तो स्वराज्य भी देरीसे मिलेगा।

हमारा कर्त्तव्य स्पष्ट है। हममे से प्रत्येक व्यक्तिको अपनी सामर्थ्य-भर बलिदान देना चाहिए। हम अन्य लोगोसे भी ऐसा ही करनेको कहे। इसके लिए नई पद्धतिके अनुसार तुरन्त सभाएँ आदि करनी चाहिए। अब आगामी काग्रेसमे एक भी ऐसा प्रतिनिधि नही होना चाहिए जिसके बच्चे सरकारी स्कूलोमे जाते हो, जो स्वय वकालतका धन्धा करता हो और जिसने अपने ऊपर लागू होनेवाली शर्तोका पालन नही किया हो। इसलिए प्रत्येक प्रतिनिधिके शरीरपर — फिर चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष — हाथसे कते सूतके, हाथसे बुने हुए वस्त्र ही होने चाहिए। ऐसे सात हजार प्रतिनिधियो और अन्य कार्यकर्ताओके होनेपर हम कहाँसे-कहाँ पहुँच जायेगे, यह समझना कोई कठिन कार्य नही है।

आगामी काग्रेसको अहमदाबादमे होनेका आमन्त्रण दिया गया है, अर्थात् अहमदाबादने नवीन सविधानको सफल बनानेकी प्रतिज्ञा ली जान पडती है। अहमदाबादके लिए यह भारी सम्मान प्राप्त करनेके साथ एक जोखिमको अपने सरपर लेना भी है।

१ विधान परिषदोके चुनाव नवम्बर १९२० में हुए थे।

अहमदावादका मान गुजरातका मान है और गुजरातका मान हिन्दका मान है। अगर हम आजसे ही जुट जायें तभी अवसरके अनुकूल पूरी तैयारी कर सकेंगे। क्या करना चाहिए, इसपर वादमें विचार करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९-१-१९२१

१०९. टिप्पणियाँ

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय स्वराज्य कोष

असहयोगके प्रस्तावके साथ-साथ लोकमान्यकी स्मृतिमें स्वराज्य कोषके लिए चन्दा इकट्ठा किए जानेका प्रस्ताव भी पास किया गया है। कांग्रेसके पिछले अधिवेशनमें उस कोषमें पैसा भी जमा किया गया था। इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं कि इस कोषमें यथाशक्ति चन्दा देना सभीका कर्त्तव्य है। थोड़े लोग ज्यादा पैसा दें, इसकी अपेक्षा ज्यादा लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा दें और इस तरह बहुत-सा धन एकत्रित हो जाये, इसमें हमारी शोभा है, स्वर्गीय श्री तिलकको 'लोकमान्य' की जो उपाधि दी गई थी उसकी सार्थकता भी इसीमें है। एक व्यापारी एक करोड़ रुपया दे दे, इसमें तिलककी 'लोकमान्यता' नहीं है, अपितु करोड़ों स्त्री-पुरुषोंसे हम करोड़ रुपया इकट्ठा करें, उसका महत्व अधिक होगा और उससे लोकमान्यकी लोकमान्यता अधिक प्रमाणित होगी। इस कोषको इकट्ठा करनेमें हमारा अपना स्वार्थ है, क्योंकि हमें उसका उपयोग अपनी भलाईके लिए करना है। स्वराज्य लोकमान्यका जीवन-मन्त्र था। हमारे लिए वह हमारे परित्राणका द्वार है, हमारे सुखकी चाबी है, गरीबोंकी भूखके निवारणका उपाय है, नंगोंको ढकनेका साधन है, और पापोंको नाश करनेका हथियार है। अतएव लोकमान्यकी पूजामें अपनी ही हित-सिद्धि निहित है। इस कोषको इकट्ठा करनेमें ढील नहीं की जानी चाहिए, संकोच नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि हमें इस कोषके लिए असंख्य लोगोंसे चन्दा उगाहना है, इसलिए चन्दा उगाहनेवाले लोग भी बहुत होंगे। उन्हें ईमानदारीकी प्रतिज्ञा लेकर इस कामको हाथमें लेना होगा। इस वर्ष हमें एक ही कोष और वह लोकमान्यके नामपर इकट्ठा करना है। इसे इकट्ठा करनेमें प्रत्येक योग्य प्रवृत्तिको आश्रय मिल सकता है। कोषकी रकम एक करोड़ रुपयेसे किसी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए, हमें इस बातपर आग्रह रखना चाहिए। इस रकमसे हम अपनी जरूरी शालाएँ चला सकते हैं और ऐसे अनेक काम कर सकते हैं।

इस कोषको इकट्ठा करनेके लिए हमें गाँव-गाँव जाना चाहिए। हर शहरमें, हर मुहल्लेमें लगातार स्वराज्यका पैगाम पहुँचाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लोग यह काम बिना किसी हिचकके हाथमें ले लेंगे।

ड्यूक ऑफ कनॉट

[illegible]

वे सम्राट्के एलची है। अंग्रेजोकी सत्ताको मजबूत करना ही उनका उद्देश्य है। उनके आगमनका परिणाम वर्तमान राज्याधिकारियोके पदोमे वृद्धि भी हो सकता है। यदि हम उनका सम्मान करते है तो वह हमारे लिए अपनी गुलामीका सम्मान करनेके समान होगा। यदि हम इस शासन-सत्ताके मदको उतारना चाहते है तो हमारा धर्म है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे उसके मदमे वृद्धि हो सके। हमे अगर विश्वास हो जाये कि नई धारासभाओसे हमे कुछ लाभ नही होगा तो हम उनकी प्रतिष्ठामे वृद्धि करनेके लिए आनेवाले मनुष्यका स्वागत नही कर सकते। इसलिए ड्यूक ऑफ कनॉट जहाँ-जहाँ जाये वहाँ-वहाँ लोगोको अपने घरोके द्वार वन्द करके अन्दर बैठे रहना चाहिए, रोशनी हो तो उसे देखने नही जाना चाहिए और कोई अन्य उत्सव हो तो उसमे भाग नही लेना चाहिए। हमारे पास इस सत्ताके प्रति अपनी नापसन्दगी जाहिर करनेका सिर्फ यही रास्ता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९–१–१९२१

११०. स्मरणांजलि

समुद्रकी अथाह, अँधेरी कन्दराओमें, सबकी दृष्टिसे दूर,
शुद्ध, सात्विक किरणोकी आभा विखेरनेवाले रत्नोका ढेर पडा होता है।
और निर्जन वन-प्रान्तरोमें फूल भी, न जाने कितने खिलते है,
लेकिन रेगिस्तानी हवाओको अपना सौरभ लुटाकर अनदेखे ही मिट जाते है।

जब मै अपने उस दिवगत मित्र और सहयोगीके विषयमे सोचता हूँ तो सहज ही ग्रे-रचित शोक-गीतकी ये स्मरणीय पक्तियाँ ध्यानमे आ जाती है। गत ४ अगस्तको नागपुरमे मृत्युने उसे ग्रस लिया, लेकिन अपने सगे-सम्वन्धियो और मित्रोके अतिरिक्त उस हुतात्माके लिए आँसू बहानेवाला और कोई नही था। अमरावतीके यादवडकर पटवर्धन ख्यातिसे कोसो दूर थे, लेकिन वे उन लोगोकी तुलनामे राष्ट्रके कुछ कम निष्ठा-वान् सेवक नही थे, जो जनताकी ऑखोके सामने प्रकाशमे काम करते है और इस तरह अति उदार जनसमुदायसे, जो अक्सर विचार-शून्य भी हुआ करता है, प्रशस्ति प्राप्त करते है। पटवर्धनने बम्वई विश्वविद्यालयसे कानूनके स्नातककी उपाधि प्राप्त की थी, किन्तु उन्होने कभी वकालत नही की। मुझे सर्वप्रथम सन् १९१५ मे उन्हे जाननेका सौभाग्य मिला था। वे बराबर आश्रममे[1] रहे। उनके चरित्रकी सौम्यता, सादगी अपनेको शून्य कर रखनेका स्वभाव, सहज विनम्रता, दृढता और उन्हे जो भी काम दिया जाता था उसके प्रति उनकी निष्ठा — इन गुणोपर मै मुग्ध था। उन्होने विना किसी

१ साबरमती आश्रम, अहमदाबाद।

पारिश्रमिकके 'यंग इंडिया' के लिए एक सालसे अधिक समयतक उप-सम्पादकके रूपमें काम किया। वे कांग्रेस[1] अधिवेशनमें शामिल हुए थे, और अब शोलापुरमें असहयोगके लिए काम करनेके उद्देश्यसे वहाँ जानेकी तैयारी कर रहे थे। किन्तु ईश्वरकी इच्छा कुछ और ही थी। पिछले कुछ समयसे वे रुग्ण थे, लेकिन हमने आशा यही की थी कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जायेंगे। लेकिन कांग्रेस अधिवेशनके समय ही अचानक उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया और इसबार वे खाट नहीं छोड़ पाये। उन्होंने 'भगवद्गीता' के दूसरे अध्यायके अन्तिम श्लोकोंका जप करते हुए शरीर-त्याग किया। बहुतसे हैम्डन[2], राष्ट्रके बहुत-से मूक और सच्चे निर्माता, इसी तरह संसारसे चले जाते हैं। मैं पटवर्धन को "शुद्ध, सात्विक किरणोंकी आभा बिखेरनेवाला रत्न" ही मानता था। उनके मित्रगण उनकी योग्यतासे परिचित थे। ईश्वर उनकी आत्माको शान्ति दे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२–१–१९२१

१११. टिप्पणियाँ

'सबसे कृतघ्न आदमी'

हम अन्यत्र श्री एडवर्ड फॉयका पत्र दे रहे हैं।[3] यह पत्र भी उन पत्रों जैसा ही है जैसे अंग्रेज लोग मुझे अक्सर लिखते रहते हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि पत्र लिखनेवाले सज्जनने जो-कुछ लिखा है, वे अपने मनमें उसीपर विश्वास भी करते हैं। यह दुःखकी बात है कि ब्रिटिश शासनके सम्बन्धमें किसी भी सामान्य अंग्रेजके विचार मेरे, और मेरा ख्याल है, हर सामान्य भारतीयके विचारोंसे भिन्न हैं। मैं नहीं समझता कि मैं कुछ विशेष कृतघ्न स्वभावका आदमी हूँ। सच तो यह है कि किसीकी तनिक-सी कृपा भी मुझे कृतज्ञतासे भर देती है। मैं किसीके दोषों भी जल्दी ही नहीं मान लेता, फिर भी, मुझे कृतज्ञता प्रकट करने योग्य कोई बात ब्रिटिश शासनमें दिखाई नहीं देती। अगर अंग्रेजोंने जर्मनोंसे लड़कर उन्हें रोका न होता तो भी मेरी समझमें

१. दिसम्बर १९२० में नागपुरमें हुए भारतीय कांग्रेसके ३५वें अधिवेशनमें।

२. जॉन हैम्डन (१५९४–१६४३), एक अंग्रेज देशभक्त।

३. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन, उसमें सम्बद्ध कुछ अंश इस प्रकार है: "मुझे [illegible] कि आप दुनियाके सबसे कृतघ्न आदमी हैं [illegible] [illegible] यंग इंडिया, १२–१–१९२१।

वे भारतपर कब्जा नहीं करते। मैं यह माननेको भी तैयार नहीं हूँ कि अगर दो बुरे शासनोंके बीच चुनाव करना पडता तो जर्मन-शासन अधिक बुरा साबित होता। फिर ब्रिटेन जर्मनीके खिलाफ भारतकी खातिर तो नहीं लडा था। दूसरी ओर, मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश शासनने हमारी धार्मिक भावनाकी जडपर आघात किया है और अंग्रेजोंने जानबूझकर इस्लामके प्रभावको कमजोर बनानेकी कोशिश की है। ब्रिटिश सरकारने ईसाई चर्च संगठनके साथ पक्षपात किया है। अगर इस पक्षपातसे भारतीय करदाताओंका नुकसान न होता तो व्यक्तिशः मैं इसपर कोई आपत्ति नहीं करता। मैं सुधारोंमें[1] भी खुशी-खुशी हाथ बँटाता, अगर उससे खिलाफत और पंजाब सम्बन्धी अन्यायोंका परिशोधन होता और देश स्वराज्यकी दिशामें आगे बढ़ता। लेकिन, इसके विपरीत, मेरा तो निश्चित मत है कि सुधारोंसे भारतकी कोई खास भलाई होनेवाली नहीं है। उनसे हमें वास्तविक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता, और मेरे लिए या किसी भी भारतीयके लिए खिलाफत तथा पंजाब सम्बन्धी अन्यायोंको भूलना असम्भव है। अन्तमें मैं श्री फॉय तथा उन जैसे अन्य अंग्रेजोंको विश्वास दिलाता हूँ कि असहयोग विफल नहीं हो रहा है, और मैं या मेरा कोई भी सहयोगी इसकी विफलतापर परदा डालनेके लिए हिंसाका समर्थन नहीं कर रहा है। सच तो यह है कि हम अपनी तरफसे हिंसाको रोकनेके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हमारी सफलता प्रत्येक अंग्रेजकी जानको अपनी जानकी तरह ही मूल्यवान् समझनेमें निहित है। हम जिस लडाईमें जुटे हुए हैं, वह अच्छाई और बुराईकी लडाई है। व्यक्तियोंके रूपमें अंग्रेजोंसे हमारा कोई झगडा नहीं है। हम उस प्रणालीको सुधारने या समाप्त कर देनेका प्रयत्न कर रहे हैं, जो अच्छेसे-अच्छे अंग्रेजोंको भी बुराई, भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और एक सम्पूर्ण राष्ट्रको अपमानित करनेमें अपना हाथ बँटानेपर बाध्य करती है।

'बदमाश रोमवाले'

दूसरे ढंगके पत्रोंका एक नमूना है श्री पेनिंगटनका पत्र। श्री पेनिंगटनकी पूँछमें डंक तो होता ही है। उन्हें अपनी बातके सही होनेका कितना विश्वास है। उनका कहना है कि जिस तरह बदमाश रोमवालोंने ब्रिटेनका साथ छोड दिया उसी तरह अंग्रेज लोग भारतका साथ छोडकर नहीं जा सकते क्योंकि उससे भारतको अराजकताकी स्थितिका सामना करना पडेगा और वे मुझसे भी यही महसूस करनेकी आशा करते हैं। काश कि अंग्रेज लोग भी उतने ही बदमाश होते जितने रोमवाले थे या अराजकताकी ओरसे उतने ही उदासीन होते जितना उदासीन इस धरतीका पुत्र, मैं हूँ। कारण, मैं सचमुच ऐसा मानता हूँ कि योजनापूर्वक सारे राष्ट्रका अपमान करने और उसे पुंसत्वहीन बनानेकी इस प्रक्रियाके जारी रहनेसे तो अराजकता ही अच्छी है। जिस सरकारका एकमात्र उद्देश्य भारतके साधनोंसे नाजायज फायदा उठाते रहनेके लिए उसे गुलामीमें जकड रखना है, उसे समाप्त करनेकी अपेक्षा अराजकतामें से व्यवस्थाका निर्माण करनेमें मैं अपने आपको अधिक समर्थ मानता हूँ। मुझे ब्रिटिश शासनके लोक-कल्याणकारी

१ सन् १९१९ के मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार।

स्वरूपमें विश्वास नहीं है। और अब मैं मानता हूँ कि श्री पेनिंगटनको मेरा यह आश्वासन ठीक-ठीक समझमें आ जायेगा कि अगर मैं अंग्रेजोंसे भारतका सम्बन्ध बनाये रखूँ तो उसका कारण हमें उनसे प्राप्त हो सकनेवाली अपमानजनक सुरक्षा नहीं होगी बल्कि सिर्फ यह विश्वास ही होगा कि मानव-स्वभाव मूलतः अच्छा है, और इसीलिए सिद्धान्त और व्यवहार, दोनों ही दृष्टियोंसे समानताके आधारपर स्थित सहयोगपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह आशंका भी नहीं है कि अंग्रेजोंके भारतसे जाते ही दूसरे राष्ट्र भारतपर टूट पड़ेंगे, और उसका आधार भी मेरा यही विश्वास है। मान लीजिए, वे भारतपर टूट ही पड़ें तो भी भारत या तो असहयोगके इसी अद्वितीय अस्त्रसे उनका मुकाबला करेगा, या किसी राष्ट्रवादी प्रताप या अकबरको जन्म देगा जो कारगर ढंगसे अनुशासित पशुबलका उपयोग करेगा, क्योंकि अंग्रेजोंके भारतसे चले जानेपर इस देशको अशक्त और पुंसत्वहीन बनाकर रखनेवाली ताकत हट जायेगी। श्री पेनिंगटन यह भी भूल जाते हैं कि अन्य आक्रमक शक्तियोंकी अच्छाई न सही, अंग्रेजोंके चले जानेके बाद उन शक्तियोंकी पारस्परिक ईर्ष्या ही इस अभागे देशको विदेशियोंके लोभका शिकार होनेसे बचा कर रखेगी। जहाँतक अहिंसाके कारगर होनेकी शक्तिमें मेरे विश्वासकी बात है, वह तो न कभी कमजोर पड़ा है और न पड़ेगा। मैं पत्र-लेखकको आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे ब्रिटिश अखबारोंमें छपे पक्षपातपूर्ण विवरणोंका विश्वास न करें। सभी जानते हैं कि अभीतक यह आन्दोलन बिलकुल ही अहिंसक ढंगसे चलता रहा है। इक्के-दुक्के स्थानोंपर हममें आपसमें ही कुछ हुल्लड़बाजी हुई है। लेकिन इस आन्दोलनको ऐसी हुल्लड़बाजीसे भी अलग रखनेकी हर चन्द कोशिश की जा रही है। इस आन्दोलनकी कमजोरियाँ बताते रहनेसे यह कहीं अधिक लाभदायक होगा कि पेनिंगटन यह प्रयत्न करें कि सरकार खिलाफत तथा पंजाब सम्बन्धी अन्यायोंका परिशोधन करनेके लिए गलत रास्तेको छोड़कर सही रास्ता अपनानेको मजबूर हो और भारतमें स्वराज्य स्थापित करनेके लिए एक सम्मेलन बुलाये।

असहिष्णुता

अब मैं भारतीय मित्रोंसे प्राप्त समाचारोंको लेता हूँ। बंगालके चार मुसलमानोंने एक पत्र भेजा है। एक हस्ताक्षरकर्ता वकील हैं। इन पत्र-लेखकोंको इस आन्दोलनके [illegible] इस उद्देश्यके न्यायसंगत होनेमें कोई सन्देह नहीं है। किन्तु उन्हें [illegible] के बाद लोगोंके इससे हिंसापर भी उतारू हो जानेकी आशंका है। उन्होंने उन असहिष्णुताका उल्लेख किया है, जो हुए हैं, श्री विपिनचन्द्र पाल और श्री फजलुल हकके प्रति दिखाई गई। मैं उनकी इस बातसे सहमत हूँ कि असहिष्णुतासे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता और अगर वह हिंसाका रूप धारण कर ले तो आन्दोलनको हानि पहुँच सकती है। मैं यह कहता हूँ कि जब किसी वक्ताकी बात अरुचिकर और बुरी लगे तो, निःसन्देह, हमें उठकर चले जानेका अधिकार है, लेकिन [illegible]

[illegible]

कोई भी ग्रामशाला चलानेका खर्च उस गाँवकी सामर्थ्यसे अधिक नही होना चाहिए। ये शालाएँ हमारे बच्चोमे साहस और विश्वास भरनेवाली संस्थाएँ होगी। कताई और बुनाईसे हर गाँवको आत्मनिर्भर बना देना चाहिए। स्वराज्यकी स्थापनाके पहले ही भारतके जीवनको राष्ट्रीय आधारपर शान्तिपूर्ण ढंगसे संगठित कर देना जरूरी है। अगर सच्चे मनसे प्रयत्न किया जाये तो दुनियाकी कोई भी ताकत इस राष्ट्रको अपने लक्ष्यकी ओर बढनेमे रोक नही सकती। कालेजका हर ईमानदार और बहादुर छात्र यह महान् कार्य अपने हाथोमे ले सकता है। इसके लिए पहलेसे किसी शिक्षाकी जरूरत नही है। जरूरत सिर्फ उन दो गुणोकी है, जिनका उल्लेख मैने किया है।

और भी आलोचक और भी आलोचनाएँ

सारी बातोको प्रकाशित या उनका उल्लेख न कर पानेके लिए, आशा है पत्र-लेखक मुझे क्षमा करेगे। मेरे लिए वह सम्भव नही है। मेरे सामने ध्यान देने लायक दो प्रचार-पुस्तिकाएँ पडी हुई है, एक कलकत्ताके श्री चटर्जीकी लिखी हुई है और उनकी भूमिका श्री शास्त्रियरने[1] बहुत ही प्रभावशाली शैलीमे लिखी है। मै यह पुस्तिका अभी पढ नही पाया हूँ। दूसरी नागपुरके प्रो० राजूने लिखी है। प्रो० राजूकी पुस्तिकाको भी मै अभी सरसरी नजरसे ही देख पाया हूँ। उसमे उन्होने असहयोगके पक्षकी धज्जियाँ उडानेकी कोशिश की है। यह पुस्तिका इसलिए पढनी पडी कि मै नागपुरमे प्रिंसिपल चैंशायरके साथ उनसे भी मिलनेकी उम्मीद कर रहा था। लेकिन प्रशासनने मंजूरी नही दी, सो उनसे मिल नही पाया। प्रो० राजूकी पुस्तिकापर विस्तारसे लिख सकनेके लिए मेरे पास समय नही है। मुझे दुःखके साथ कहना पडता है कि उन्होने इस आन्दोलनका अध्ययन सतही तौरपर ही किया है और उतने ही सतही तौरपर मेरे साधनपर भी विचार किया है। ऐसा लगता है कि वे मेरे कुछ मूलभूत विचारोसे भी परिचित नही है। उन्होने मुझपर बहुत-से ऐसे विचार आरोपित किये है, जो कभी मेरे मनमे रहे ही नही। उन्होने पाठकोके सामने मेरे विचारोका विकृत चित्र ही पेश किया है। जिसने कभी इस आन्दोलनका या मेरे विचारोका अध्ययन न किया हो इस पुस्तिकासे वही भ्रमित हो सकता है। उनके निष्कर्ष स्पष्टतः बेतुके है, मै यहाँ उनमें से सिर्फ एकको ही पेश करके सन्तोष करता हूँ। वे कहते है

> **श्री गांधीका दावा है कि वर्तमान असहयोग आन्दोलन अहिंसात्मक है लेकिन हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते है कि अहिंसात्मक होना तो दूर, निश्चित रूपसे इसका मंशा और उद्देश्य हिंसा करना ही है।**

'यंग इंडिया' के पाठकोको इस आन्दोलनके अहिंसात्मक स्वरूपके बारेमे आश्वस्त करानेकी कोई जरूरत नही। श्री राजू गलत तथ्योके आधारपर ऊटपटाँग सम्भावनाओकी कल्पना करके इस निष्कर्षपर पहुँचे है। उनकी पुस्तिकापर विस्तारपूर्वक विचार न करनेके लिए मै उनसे क्षमा चाहता हूँ। मै श्री राजूसे और जिन लोगोपर

१. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री (१८६९-१९४६), विद्वान, राजनीतिज्ञ और १९१५ से १९२७ तक भारत सेवक समाज (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के अध्यक्ष।

उनकी दलीलका प्रभाव पडा हो उन लोगोसे भी कहूँगा कि वे 'यग इडिया' की फाइल उलटकर देख जाये। मै विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हे श्री राजू द्वारा पेश की गई सभी दलीलोका जवाब उसमे मिल जायेगा।

"गाधी सिगरेट!"

मेरे नामका जितना भी दुरुपयोग किया गया हे, उनमे से कोई भी मेरे लिए उतना अपमानजनक नही है जितना कि जानबूझकर एक कम्पनीका अपनी सिगरेटोके साथ उसका जोड दिया जाना है। एक मित्रने मेरे पास एक लेबिल भेजा है, जिसपर मेरी तसवीर छपी हुई हे। सिगरेटका नाम "महात्मा गाधी सिगरेट" रखा गया है। मै तो धूम्रपानसे उतना ही भय खाता हूँ जितना शराबखोरीसे। धूम्रपानको मै दुर्व्यसन मानता हूँ। इससे व्यक्तिकी बुद्धि और विवेक कुण्ठित हो जाते है। यह एक तरहसे शराबसे भी बुरा हे, क्योकि इसका असर आसानीसे स्पष्ट दिखाई नही देता। एक बार अगर किसीको इसकी लत लग गई, तो इससे छुटकारा पाना कठिन ही होता है। और यह एक खर्चीला दुर्व्यसन है। इससे साँसमे दुर्गन्ध पैदा हो जाती हे, दाँतोका रग खराब हो जाता हे और कभी-कभी कैसर भी हो जाता है। यह एक गन्दी आदत है। मैने किसीको अपने नामको सिगरेटोके साथ जोडनेकी अनुमति नही दी है। अगर यह अज्ञात सिगरेट कम्पनी बाजारमे पहुँची सिगरेटोपरसे लेबिल हटा ले या अगर जनता ऐसे लेबलवाली सिगरेटे न खरीदे तो मै आभार मानूंगा।

सच्ची योग्यता

मुझे इस आशयकी भी सूचना दी गई है कि एक लडकी अपनेको मेरी बेटी बताते हुए देशमे घूम रही है। खबर मिली है कि द्वारिका, छपरा और नेपालमे भी देखी गई। यहाँ मै आपको बता दूं कि मुझे किसी भी लडकीका पिता होनेका सौभाग्य प्राप्त नही है। और न मैने किसीको किसी तरहके प्रचारके सिलसिलेमे अपने नामका उपयोग करनेका ही अधिकार दिया है। मुझसे सम्बन्धित सभी कार्यकर्त्री बहनोको लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उनके हाथमे जो भी काम हो, उसे करनेके लिए उन्हे मेरे नामका उपयोग करनेकी जरूरत नही हे। ऐसी उलझनोसे निबटनेका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि जो लोग मेरे साथ, या मेरे ही साथ क्यो, किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ताके साथ अपना सम्बन्ध बताये, उनकी बातोको कोई महत्व ही न दे। आज जब हमारे पास हजारो कार्यकर्त्ता हैं तब उचित यही होगा कि हरएककी परीक्षा उसके अपने गुणोके आधारपर हो, उसमे इस बातका विचार न हो कि वह किसका कौन है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १२-१-१९२१

११२. प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंके नियमोंका मसविदा

१. नये सविधानके[1] अनुसार नये बनाये गये प्रान्तमें[2] पुरानी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी या पुरानी जिला काग्रेस कमेटी, प्रान्तीय काग्रेस कमेटी बन जायेगी।

२. वर्तमान सदस्य जो कांग्रेसके नये ध्येय और साधनोंको स्वीकार करते हैं, तुरन्त प्रान्तको जिलोमे बाँटनेकी कार्रवाई करेंगे। वर्तमान राजनीतिक जिले जहाँ-कही सम्भव होगा, ज्योंके-त्यो रहेंगे।

३. इस प्रकारका प्रत्येक जिला ताल्लुको या तहसीलोंमे विभक्त कर दिया जायेगा, किन्तु यथासम्भव वर्तमान विभाजन ज्योंके-त्यो रखे जायेंगे।

४. प्रत्येक ताल्लुका फिरको या मडलोंमें विभक्त कर दिया जायेगा।

५ प्रत्येक वर्तमान जिला कमेटी उन ग्रामीणोंमे से, जो उसके अधिकार-क्षेत्रमे है, सविधानके अनुसार वाछनीय सख्यामे सदस्य बनायेगी और वे सदस्य काग्रेसके प्रतिनिधियो और विभिन्न जिला काग्रेस कमेटियोमे भेजे जानेवाले प्रतिनिधियोका चुनाव करेंगे।

६ प्रत्येक सोमवारको वर्णानुक्रमसे सदस्योकी एक सूची बनाकर प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको भेजी जायेगी। इस सूचीमे प्रत्येक सदस्यका पूरा नाम, पता और व्यवसाय लिखा होगा।

७ प्रत्येक जिला कमेटीका दायित्व होगा कि वह सदस्योसे सदस्यताका शुल्क इकट्ठा करे और उसका आधा अश नियम ६ मे उल्लिखित सूची भेजते समय उसके साथ ही प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको भेजे।

८ जिस गाँवके काग्रेस सगठनमे गाँवके ५ से अधिक सदस्य हो वह अपना मन्त्री, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा दो और सदस्य चुनेगा, जो गाँवकी पचायतका काम करेंगे।

९ यह पचायत गाँवमे रहनेवाले प्रत्यक बालक या बालिकाको प्राथमिक शिक्षा देने, प्रत्येक घरमे चरखे पहुँचाने तथा गाँवमे रोग-निवारण तथा सफाईकी व्यवस्था करेगी, और उसका यह दायित्व भी होगा कि वह काग्रेसके असहयोग-विषयक प्रस्तावसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य सब बातोको, जहाँतक वे गाँवपर लागू होती हैं, कार्यान्वित करे।

१० जिला कमेटीका यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्रके ग्राम-सगठनो तथा अन्य सगठनोके कामकी देखरेख और नियमन करे।

११ हर जिला काग्रेस कमेटीमे दस सदस्य होंगे, जिनका चुनाव विभिन्न सगठनोंके सदस्य करेंगे और जहाँतक सम्भव होगा इसमे जिलेकी मुसलमान आबादीके

१. देखिए "नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया काग्रेसका सविधान", दिसम्बर १९२० ।

२. काग्रेसके नये सविधानके अन्तर्गत भाषाके आधारपर नये सिरेसे काग्रेसके प्रान्त बनाये गये थे।

अनुपातसे मुसलमान और यथासम्भव कमसे-कम एक स्त्री और एक दलित वर्गीय सदस्य भी लिये जायेगे।

१२ इस प्रकार चुनी गई जिला काग्रेम कमेटीके प्रतिनिधि अपनेमे से अपना अध्यक्ष, कोपाध्यक्ष और मन्त्री चुनेगे।

१३ जिला कमेटियोके लिए चुने गये प्रतिनिधि प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोके लिए प्रतिनिधि चुनेगे और इस चुनावमे नियम सख्या ११मे दी गई व्यवस्था लागू होगी। इनकी सख्या काग्रेस महासमितिके लिए निर्धारित सदस्य-सख्यासे १० अधिक होगी।

१४ इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधि अपनेमे से अध्यक्ष, मन्त्री, कोपाध्यक्ष और चार अन्य सदस्य चुनेगे। ये लोग प्रान्तीय कार्योका सचालन करेगे और काग्रेसके समय-समयपर स्वीकृत किये गये प्रस्तावोको उचित रूपसे कार्यान्वित करनेके लिए प्रान्तीय कमेटीके प्रति उत्तरदायी होगे।

१५ जिला काग्रेस कमेटियोके प्रतिनिधियोका चुनाव २१ फरवरी, १९२१को होगा और वह १५ फरवरीको ५ बजे सायकालतक बने सदस्योकी सूचीके आधारपर किया जायेगा।

१६ चुनाव प्रत्येक जिला काग्रेस कमेटी द्वारा निश्चित की गई किसी सुविधा-जनक जगहमे खुले रूपमे और इसी निमित्त बुलाई गई निर्वाचकोकी सभामे किया जायेगा। निवृत्त होनेवाली कमेटीका मन्त्री इस सभाका सयोजक और चुनाव अधि-कारी होगा।

१७ प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके प्रतिनिधियोका चुनाव ४ मार्च, १९२१को प्रान्तके प्रधान कार्यालयमे होगा। निवृत्त होनेवाली प्रान्तीय काग्रेस कमेटीका मन्त्री इसका सयो-जक और चुनाव अधिकारी होगा।

१८ प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके निर्वाचक अपना मतपत्र डाकसे भेज सकते है।

१९ मन्त्री चुनावके परिणामोको समाचारपत्रोको प्रकाशनार्थ भेजेगा।

२० प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो और जिला काग्रेस कमेटियोके मन्त्री जहाँतक सम्भव हो, पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता हो और यदि जरूरत हो तो उनको प्रान्त या जिलेके कोपमे से वेतन भी दिया जाये।

२१ काग्रेस अधिवेशनके प्रतिनिधियोका चुनाव १५ नवम्बर, १९२१ को होगा।

२२ प्रान्तीय काग्रेस कमेटी हरएक ताल्लुकेके लिए यथासम्भव आबादीके अनु-पातसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियोकी सख्या निर्धारित कर देगी, और चुनाव ताल्लुकेके उस केन्द्रीय स्थानमे किया जायेगा, जिसे जिला काग्रेस कमेटी निश्चित करेगी और जिला काग्रेस कमेटी द्वारा मान्य एजेट उसकी देखरेख करेगे।

२३ चुनावोका परिणाम सम्बन्धित जिला कमेटियोको अधिकसे-अधिक दिसम्बर १९२१ तक भेज दिया जायेगा।

२४ प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी बैठक महीनेमे कमसे-कम एक बार होगी और उसमे जिला सगठनोकी रिपोर्टोपर विचार किया जायेगा तथा काग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावोको कार्यान्वित करनेके लिए कदम उठाये जायेगे।

२५ ये नियम ३१ दिसम्बर, १९२१ तक एक सालके लिए लागू रहेंगे किन्तु इनमें इससे पहले समय-समयपर नई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी सुधार, परिवर्तन और संशोधन कर सकती है।

। । ।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंके कार्यकी सुविधाके लिए मैंने ऊपर दिये गये नियम बनानेकी धृष्टता की है। कमेटियाँ स्वभावत उनमें जैसा चाहे फेरफार कर सकती हैं या इन्हें बिलकुल नामंजूर कर सकती हैं। ये नियम केवल मार्गदर्शनकी दृष्टिसे सामने रखे गये हैं। अगर जूनकी समाप्तिसे पहले उस नये तन्त्रको चालू करना है, जैसा कि नये संविधानके अन्तर्गत अनिवार्य है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। यदि हम नये संगठनको व्यवस्थित और सुचारु रूप प्रदान कर सकें और लाखों स्त्री-पुरुषोंको सक्रिय कार्यकर्ता, असहयोगके प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके लिए कृतसंकल्प कार्यकर्त्ता बना सकें तो यह बात आसानीसे समझी जा सकती है कि हम अवश्य ही एक वर्षमें शान्तिपूर्ण और रक्तहीन क्रान्ति कर सकेंगे। असहयोगकी समस्त योजना इस मान्यतापर आधारित है कि इस देशपर अंग्रेजोंका नियन्त्रण लोगोंके ऐच्छिक सहयोगपर निर्भर है। यह सच है कि लोग यह सहयोग अनजाने ही देते हैं, और यह भी बिलकुल सच है कि इसका कारण भय है, और इसका कारण वे प्रलोभन हैं, जिन्हें देकर अंग्रेज हममें से कुछ लोगोंको लुब्ध करते आये हैं। इस दृष्टिसे वर्तमान आन्दोलन यह दिखानेका एक प्रयत्न-भर है कि हम जिस क्षण अंग्रेजोंको अपना यह ऐच्छिक सहयोग देना बन्द कर देंगे, जिस क्षण हम उनका भय त्याग देंगे और उनके प्रलोभनमें आनेसे इनकार कर देंगे उसी क्षण हम लोग स्वतन्त्र हो जायेंगे। मैं मानता हूँ कि हममें से बहुत लोग इस कार्यको जितना कठिन मानते हैं, यह उतना कठिन नहीं है। इस चालू वर्षमें यह मालूम हो जायेगा कि मेरा यह विश्वास सही है या नहीं। कांग्रेसके पण्डालमें[1] जो हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, उनका विश्वास भी वही था जो मेरा है। अब अपने इस विश्वासको कार्यरूप देना उनका काम है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-१-१९२१

१. दिसम्बर १९२० में नागपुरमें हुए कांग्रेस अधिवेशनमें।

११३. विनम्रताकी जरूरत

अहिंसाकी भावना लाजमी तौरपर विनम्रताकी ओर ले जाती है। अहिंसाका मतलव है उस भगवानपर पूरा भरोसा करना जो सदासे सवका सहारा रहा है। अगर हम उसकी मदद चाहते है तो हमें अहकार छोडकर और पश्चात्ताप-भरे दिलसे उसकी शरणमे जाना चाहिए। काग्रेसके अधिवेशनमे असहयोगियोको जो आश्चर्य-जनक सफलता मिली उसका उन्हे वेजा फायदा उठानेकी कोशिश नही करनी चाहिए। व्यवहारमे हमे आमके पेडके जैसा होना चाहिए, जो फल आनेपर झुक जाता हे। उसकी शानदार विनम्रता ही उसकी शोभा है। लेकिन यह सुना जाता है कि मतभेद रखनेवालोके साथ असहयोगियोका व्यवहार अविनीत और असहिष्णु होता है। वे अगर इस तरह इतराने लगे तो मै इतना ही जानता हूँ कि वे अपनी गरिमा और अपना गौरव सभी-कुछ खो बैठेगे। अभीतक की अपनी प्रगतिपर हमें असन्तोष भले ही न हो, परन्तु अभी गर्व करने लायक भी हमने क्या पा लिया है? गर्वसे फूल उठना तो दूर, उचित गर्व कर सकनेके लिए भी अभी हमने जितना त्याग किया हे, उससे वहुत ज्यादा त्याग हमे करना होगा। काग्रेसके अधिवेशनमे शरीक होनेवाले हजारो लोगोने अहिंसाके सिद्धान्तका वौद्धिक समर्थन तो वेशक किया, मगर उसपर आचरण वहुत कम कर रहे हैं। वकीलोकी वात छोड भी दे तो ऐसे कितने माता-पिता हैं जिन्होने अपने वच्चोको स्कूलोसे हटा लिया है? असहयोगके पक्षमे मत देनेवाले ऐसे कितने लोग हैं जो चरखा चलाते हैं या जिन्होने विदेशी कपडेका इस्ते-माल पूरी तरह छोड दिया।

असहयोग आन्दोलनमे डीग हाँकने, शेखी वघारने या झाँसा देनेसे काम नही चल सकता। यह तो हमारी ईमानदारीकी कसौटी है। यह आन्दोलन हमसे ठोस और मूक वलिदान चाहता हे। यह हमारी ईमानदारी और राष्ट्रके कामके हमारे सामर्थ्यको चुनौती हे। इस आन्दोलनका मकसद तो विचारोको कार्यरूप देना है। हम जितना ही ज्यादा काम करते हैं हमे उतना ही ज्यादा यह पता चलता है कि हमने जितना सोचा था, उससे कही अधिक काम करनेकी जरूरत है। अपनी अपूर्णताके इस खयालसे तो हममे विनम्रता ही आनी चाहिए।

असहयोगी अगर लोगोका ध्यान अपनी वातोकी ओर खीचना चाहता है, अगर वह उनके सामने कोई मिसाल पेश करना चाहता है तो ऐसा वह हिंसाके जरिये नही, वल्कि शीलयुक्त विनम्रताके जरिये ही करता हे। वह वोल कर नही, ठोस कामके द्वारा लोगोको अपने पथ और मतका परिचय देता है। अपने सिद्धान्तकी सचाईमे पक्की आस्था ही उसकी ताकत है। और यह आस्था उसके विरोधीमे भी उस समय सवसे अधिक जाग्रत होने लगती हे जव वह विरोधका उत्तर अपनी वाणीसे न देकर सिर्फ अपने कामसे देता है। वाणी, खास तौरपर अभिमानसे भरी उद्धत वाणी विश्वासकी

कमीको जाहिर करती है और विरोधीके मनमें उस कामकी सचाईके बारेमें ही सन्देह पैदा कर देती है। अतएव, विनम्रता जल्दीसे-जल्दी सफलता पा लेनेका गुर है। मैं आशा करता हूँ कि हरेक असहयोगी विनम्रता और आत्म-संयमकी जरूरतको समझेगा। चूँकि हमसे यह बिलकुल ही छोटी बात अपेक्षित है और उसे कर दिखाना बिलकुल हमारे हाथकी बात है, इसीलिए मैंने यह विश्वास दिलानेकी हिम्मत की है कि एक सालसे भी कम समयमें स्वराज्य हासिल किया जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-१-१९२१

११४. आन्दोलनके लिए धन कहाँसे लाया जाये

कांग्रेसके असहयोग प्रस्तावका[1] हर देशभक्तको बहुत ध्यानसे अध्ययन करना चाहिए। अगर लोग उतनी ही लगनसे काम भी करें जितने उत्साहसे उन्होंने इस प्रस्तावकी ताईद की है तो स्वराज्य एक सालके अन्दर हासिल किया जा सकता है। सिर्फ प्रतिनिधियोंने ही असहयोगको जरूरी समझा और बताया हो, ऐसी बात नहीं है, अधिवेशनमें आये हुए हजारों दर्शकोंने भी इस कार्यक्रमके बारेमें अपना पूरा समर्थन कई तरहसे जाहिर किया है।

क्रिसमस सप्ताहमें[2] सिर्फ प्रस्ताव पारित कर लेने और फिर अगले क्रिसमसतक सारा साल सोते रहनेके दिन अब लद गये। जो कहते कुछ, और करते कुछ हैं, ऐसे लोगोंके लिए कांग्रेसके अधिवेशनोंमें भाग ले पाना दिनोंदिन मुश्किल होता जायेगा। सभीका यह कर्त्तव्य है कि वे सरकारी या सरकार-नियन्त्रित शिक्षण संस्थाओंमें से अपने बच्चोंको हटा लें। सभीका कर्त्तव्य है कि वे विदेशी चीजोंका कमसे-कम इस्तेमाल करें और सिर्फ हाथकते सूतके हाथसे बुने हुए कपड़ेको ही काममें लायें। सभीका कर्त्तव्य है कि वे तिलक स्मारक स्वराज्य-कोषमें पैसा दें। यह असहयोग आन्दोलन तो आत्म-निरीक्षणका, दिल टटोलनेका आन्दोलन है। कार्यकर्त्ताओंको चाहिए कि वे जनताको उसके कर्त्तव्यके प्रति बराबर सचेत करते रहें। इस कार्यक्रमको लागू करानेके लिए कांग्रेसके पूरे संगठनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। [कांग्रेसके] नये संविधानने कार्यकर्त्ताओंको यह मौका दिया है कि वे कार्यक्रमको तफसीलवार पूरा करनेके लिए जनताको एक सालके अन्दर-अन्दर संगठित कर सकें। अगर भारतका विशाल जन-समुदाय सजग रहकर प्रयत्न करे तो स्वराज्यकी उसकी जायज इच्छाको कोई दबा नहीं सकता। अगर हम शिक्षण संस्थाओंका राष्ट्रीयकरण और अदालतोंका बहिष्कार कर दें और अपनी जरूरतका सारा कपड़ा खुद बनाने लगें तो उसका मतलब होगा कि हमने अपना राजकाज खुद चलानेका अपना अधिकार सिद्ध कर दिया है, और तब

१. देखिए परिशिष्ट १।

२. कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन सामान्यतः दिसम्बरके आखिरी हफ्तेमें हुआ करता था।

दुनियाकी कोई ताकत हमारे उद्देश्यको विफल नही कर सकेगी। कुछ ही हजार नि स्वार्थ, ईमानदार और मेहनती कार्यकर्त्ताओकी मददसे, ऊपर वताय हुए तीनो कामोको वगैर किसी खास मुश्किलके पूरा किया जा सकता है।

लेकिन इस लेखमे तो मै आर्थिक कठिनाइयोके वारेमे विचार करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय तिलक स्मारक स्वराज्य कोष इतना वडा तो होना ही चाहिए कि उससे राष्ट्रीय सस्थाओ और आन्दोलनकी सारी जरूरते पूरी हो सके। इस काममें देशके हजारो धनवानोके सहयोगका हम स्वागत करते है, फिर भी हमारा असली सहारा तो आम जनतासे मिलनेवाला एक-एक पैसा ही है। समझ-वूझकर दिया हुआ हर पैसा, देनेवालेके स्वराज्य स्थापित करनेके निश्चय का प्रतीक होगा। मै तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रकी जनता अपनी वेकारकी जरूरतो, वुरी आदतो और दुर्गुणोका परित्याग कर दे तो केवल इसीसे आन्दोलनके लिए जरूरी धनका प्रवन्ध हो सकता है।

अगर भारतीय महिलाएँ अपने वेकारके गहने राष्ट्रको सौप दे, अगर शरावी शराव पीना छोडकर उस पैसेका आधा आन्दोलनको दे दे, अगर तम्वाकू पीनेवाले देशके स्वतन्त्र होने तक धूम्रपान न करे और वचतका आधा पैसा इस कामके लिए दे दें तो आन्दोलनको सफलतासे पूरा करनेके लिए जितना धन जरूरी है, हमे मिल जायेगा। मुझे यह जानकर वडी खुशी हुई कि मध्यप्रान्तमे शरावखोरीके खिलाफ वडा भारी आन्दोलन चल रहा है। मै समझता हूँ कि उस आन्दोलनकी वजहसे हजारो शरावियोने इस वुरी लतसे छुटकारा पा लिया है। अगर शरावकी लतको मिटानेके लिए कोई सगठित प्रयत्न किया जाये तो वह असहयोगकी वहुत वडी जीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगोकी यह वुरी लत छुडाई जायेगी वे इससे होनेवाली वचतका एक भाग खुशी-खुशी और कृतज्ञताके साथ आन्दोलनके लिए दे देगे।

हम लोग गरीव है और दिनोदिन ज्यादा गरीव होते जा रहे है। इसलिए अगर हमे आम जनतामे से धन-सग्रह करना है तो आत्म-निरोधके द्वारा ही हम यह काम कर सकते है। कुछ-न-कुछ तो हमेशा ऐसा रहता ही है जिसे हम देशके लिए छोड सकते है। विना किसी हिचकिचाहटके मै धर्मपरायण लोगोको यह सुझाव देता हूँ कि अगर वे अपनी दानशीलताका उपयोग स्वराज्यका मन्दिर वनानेके लिए करे, तो उसका इससे ज्यादा अच्छा उपयोग दूसरा हो ही नही सकता। कांग्रेसकी महासमिति द्वारा नियुक्त कार्यसमिति धन-सग्रहकी कोई तजवीज जरूर पेश करेगी। लेकिन मै स्वयसेवी कार्यकर्त्ताओसे कहूँगा कि वे आम जनतामे आत्म-निरोधकी आदत डालकर उस योजनाकी सम्पूर्ति कर सकते है।

इस दिशामे अलग-अलग प्रान्तोके वीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, १२-१-१९२१

११५. तार : जयरामदास दौलतरामको

१२ जनवरी, १९२१

आपका तार मिला। मैं यहाँ उन्नीसतक हूँ, उसके पश्चात् बम्बई।[1] फिलहाल मुझे वहाँ खींचनेका प्रयत्न न कीजिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ ९९

११६. भाषण : गुजरात महाविद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष[2]

१३ जनवरी, १९२१

मुझे उम्मीद थी कि जब मैं यात्रासे[3] वापस आऊँगा तब तुमसे मिलूँगा, तुम्हारे साथ सलाह-मशविरा करूँगा, सुख-दुःखकी बातें करूँगा और अपनी यात्राके अनुभवोंके कुछ उद्धरण तुम्हें सुनाऊँगा। उस समय मुझे खबर नहीं थी कि जो सन्देश पिछले दो दिनोंसे मैं सभी लोगोंको दे रहा हूँ, वही तुम्हें भी दूँगा। मैं आज तुम्हारे सामने जो बात रखनेवाला हूँ वह कोई नई बात नहीं है। मेरे मनमें तो वह शुरूसे ही है। मैं इसपर समय-असमय विचार करता रहा हूँ और मैंने इसपर अमल भी किया है। लेकिन मैं अपने जीवनमें अमुक वस्तुओंको दिनके उजाले-सा साफ-साफ अमुक समयपर ही देख पाता हूँ, जिस तरह रौलट अधिनियम-आन्दोलनके समय नडियादमें एक दिन[4] मुझे एकाएक यह सूझ गया कि कानूनका सविनय-भंग करनेके लिए अभी राष्ट्र तैयार नहीं है। नडियादमें मैं खुद रहा था और अपनी मान्यताके अनुरूप मैंने बड़ेसे-बड़ा काम किया था।[5] वहाँके लोग अपना आपा खो बैठे और उन्होंने एक भारी भूल कर डाली।[6] मैंने देखा कि कानूनका सविनय-भंग वही लोग कर सकते हैं जो भयवश नहीं वरन् सोच-समझकर जीवन-भर कानूनको मानते आये हों।

१ २० जनवरी १९२१ को कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिकी बैठक बम्बईमें होनेवाली थी।

२ गुजरात विद्यापीठका अपना कालेज, १५ नवम्बर, १९२० को अहमदाबादमें संस्थापित।

३ १६ नवम्बर, १९२० से १० जनवरी, १९२१ तक गांधीजी यात्रापर थे।

४ १८ अप्रैल, १९१९ को गांधीजीने आन्दोलनको अस्थायी रूपसे स्थगित करनेकी सलाह दी थी।

५ १९१८ के ग्रीष्ममें खेड़ा सत्याग्रहके दौरान नडियाद गांधीजीका मुख्य कार्यालय था। देखिए खण्ड १४।

६ १०, ११ और १२ अप्रैल १९१९ को गांधीजीके गिरफ्तार किये जानेके समाचारपर हुए उपद्रवोंके दौरान, देखिए खण्ड १५।

मुझे अपने अस्त्र नीचे रख देने पडे। इस तरह मुझे किसी वस्तुका किसी विशेप समयपर एहसास हो जाता है। मै जब विद्यार्थी था तब मुझे ज्यामिति समझमे नही आती थी। १३ प्रमेय हो जानेतक मुझे यही पता नही चला था कि ज्यामिति क्या चीज है। लेकिन बादमे जब शिक्षकने ब्लॅकबोर्डपर १३ वाँ प्रमेय समझाया तब एकाएक मेरे अन्तरमे उजाला हो गया, तबसे मै रसपूर्वक ज्यामिति सीखने लगा। ठीक उसी तरह आज तीन-चार दिनसे एक बात मेरे मनमे स्पष्ट हो गई है। यदि हम असहयोगको सफल बनाना चाहते हो यह चाहते हो कि विद्यार्थी इसमे भाग ले और हम एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त कर ले तो हमे क्या करना चाहिए? जिस वस्तुको मै पहलेसे मानता आया हूँ उसी वस्तुको मै इस समय आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा तो इस वस्तुमे प्रारम्भसे ही अटल विश्वास रहा है, तथापि इसके एक पहलूको मैने आज जैसा समझा है वैसा पहले कभी न समझा था।

मै कुलपतिकी हैसियतसे तुम्हे कुछ कहने नही आया हूँ, बडे भाई अथवा गुरु-जनके रूपमे सलाह देने और परामर्श करनेके लिए आया हूँ। यह सलाह देनेका आग्रह तो मै अवश्य करूँगा। जिस दृढता और विश्वासके साथ आज मै यह बात तुमसे कहूँगा उस विश्वास और दृढताके साथ मैने यह पहले कभी तुमसे नही कही है। स्कूल छोडना, शिक्षा विहीन होना तो आत्मघात करनेके समान है, यदि तुम्हारा यह खयाल हो तो मै तुमसे कहूँगा कि स्कूल जानेके पापके बजाय तुम आत्मघात ही करो। ईश्वर तुम्हे इस आत्मघातके लिए क्षमा करेगा। अभीतक मै तुमसे अनेक दिलचस्प बाते कहता आया हूँ, लेकिन आज तो मै यह कहनेके लिए आया हूँ कि यदि तुम असहयोगको सफल बनाना चाहते हो तो तुम अपने समयमे से प्रतिदिन एक-एक घटा सूत कातनेके लिए दो। यह तुम्हे नई बात लगेगी, इससे तुम्हे आघात पहुँचेगा। जिनके मनमे स्नातक बननेकी आकाक्षा है और जिन्हे यह विश्वास दिलाया गया है कि यह विद्यापीठ उन्हे स्नातककी उपाधि प्रदान करेगी उनसे मै कहता हूँ कि आज हिन्दुस्तानके लिए चरखा चलाना ही सबसे बडी उपाधि पाना है। मै इसे इतना अधिक महत्व इसलिए देता हूँ कि इस समय मेरी विचारसरणीका प्रवाह जितना तीव्र है उसका उतना ही प्रवाह मै तुम सबमे भी देखना चाहता हूँ।

हिन्दुस्तानके गुलाम हो जानेका एकमात्र कारण यही है कि हमने स्वदेशीका त्याग कर दिया। हिन्दुस्तानमे सूत कातनेका धन्धा कोई अलग धन्धा नही था, सभी वर्गोकी हरेक स्त्री सूत काता करती थी। कितने ही पुरुष भी काता करते थे। ढाकाकी मलमलका सूत कातनेवाले पुरुप थे। लेकिन यह तो मैने धन्धा करनेवाले थोडे लोगोकी बात की। सामान्य रूपसे कातना धन्धा नही वरन् कर्त्तव्य समझा जाता था, धर्म माना जाता था। जबतक हिन्दुस्तानमे लोग चरखा कातते थे तबतक हिन्दुस्तान आबाद था, समृद्ध था। हमारा इतिहास बताता है कि हाथसे कते और बुने कपडेसे न केवल देशकी भीतरी जरूरत पूरी होती थी वरन् उसका निर्यात भी किया जाता था। ईस्ट इडिया कम्पनीने जैसे बना वैसे कपडा बनानेके इस उद्योगको नष्ट कर दिया। करोडो रुपये कमानेके लिए उसने लडाइयाँ की, बन्दरगाहोको हस्तगत किया, व्यापारको हाथमें

किया और अन्तमें राज्यकी स्थापना की। हम जबतक पश्चात्ताप नही करते, बाप-दादोंपर हुए अत्याचारोका प्रायश्चित नही करते तबतक हम स्वराज्य कैसे ले सकते हैं? अत्याचारीको दण्ड देकर हम उसे कदापि प्राप्त नही कर सकते। दण्ड देनेकी पद्धतिका हमे त्याग करना होगा। दूसरेको दण्ड देकर नही वरन् आत्मशुद्धिसे ही शक्ति प्राप्त करके हमे अंग्रेजोको राज्य करनेसे रोकना चाहिए। हमारी अपवित्रताके कारण ही वे राज्य कर रहे हैं, कर पा रहे है — ऐसा अगर तुम मानते हो और केवल निर्मल साधनोके द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित्त करना चाहिए, छोडे हुए कातनेके धन्धेको फिरसे हाथमें ले लेना चाहिए। तुम कहोगे कि यह कार्य तो स्त्रीवर्गका है। उससे हम कातनेके लिए कहनेको तैयार हैं। मै कहूँगा कि इतने-भरसे काम नही चलेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने पजाबकी स्त्रियोकी इज्जतको लुटते देखा; इसका प्रायश्चित् भी हम पुरुष कातनेके द्वारा ही कर सकते है। हमे कातनेका धन्धा अपना धन्धा छोडकर नही अपनाना है वरन् फुरसतके समयका धन्धा मानकर इसे अपनाना है और इस तरह हिन्दुस्तानका उद्धार करना है। हमारा प्रायश्चित्त पूरा तो तभी होगा जब स्त्री, पुरुष और बच्चे सब कातने लगेगे। ब्रिटिश मालका बहिष्कार करनेके हिमायती लोग लकाशायरको पछाडनेके लिए बहिष्कारकी बात करते हैं लेकिन दूसरोको पछाडनेकी बात करनेकी अपेक्षा मुझे यह करना अधिक अच्छा लगता है कि कोई हमे पछाड न सके। जापान, विलायत और अमेरिकाका रास्ता यदि बन्द करना हो तो हमे अपनी जरूरतका सारा कपडा अपने घर ही तैयार कर लेना चाहिए। जबतक हम सूतका उत्पादन नही करेंगे, तबतक हम अपनी जरूरतके लायक कपडा नही बुन पायेगे। अनुभवी व्यापारियोका कहना है कि यदि हम अपनी आवश्यकताका सब कपडा मिलोकी मार्फत प्राप्त करना चाहते हैं तो उतनी मिलोको स्थापित होनेमे पचास वर्ष लगेगे। तब नौ मासमे यह कार्य कैसे सधेगा? मिलोसे तुम कदापि करोडो व्यक्तियोका उद्धार नही कर सकोगे, जो अनेक भाई और बहन नगे फिरते है उनका शरीर नही ढक सकोगे। कोई भी राष्ट्र सिर्फ खेती-बाडीपर निर्भर नही रह सकता। खेतीके साथ-साथ किसी सहायक धन्धेकी आवश्यकता रहती ही है। वह धन्धा कताई-बुनाईका है। उसका जबतक हम पुनरुद्धार नही करते, उसमे पारगत नही हो जाते तबतक कोई और दूसरी शिक्षा व्यर्थ है।

यह सब कहकर मै सिद्ध करना चाहता हूँ कि यदि यह बात तुम्हे सच जान पडती हो — और राष्ट्रीय काग्रेस महासभाने एक प्रस्ताव पास करके इस बातकी सचाईको खुले रूपमे मान लिया है — तो हमे इस समय क्या करना चाहिए? यदि नौ महीनोमे स्वराज्य प्राप्त करना हो तो विद्यार्थियोके लिए सच्ची विद्या यही है कि वे हिन्दुस्तानसे कपडेका अभाव मिटाये। आज हिन्दुस्तानमे कपडेका जितना अभाव है उतना अनाजका नही है। इस कपडेके कारण प्रतिवर्ष देशसे साठ करोड रुपये बाहर चले जाते है। हिन्दुस्तान आज चालीस करोड पौड सूत बाहरसे मँगवाता है। इतना सूत हमे घरमे ही कात लेना चाहिए। बुनकरोकी हमारे यहाँ कोई कमी नही है, कमी तो आज कातनेवालोकी है। बुनकरोकी सख्याके ठीक-ठीक आँकडे मुझे अभी नही मिले हैं

लेकिन उनकी सख्या पचास लाख अथवा उससे भी अधिक है। यदि इस पैसेको बचाना हो तो हमे आज ही सूत कातना आरम्भ कर देना चाहिए। साठ करोड रुपयेका व्यापार देशमे ही करनेसे कितने व्यक्तियोको रोजी मिलेगी, इसपर विचार करो। कपडेका घी की तरह उपयोग करना चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति नही है कि हम चाहे जितना कपडा उपयोगमे लाये। यदि एक ही पोशाकसे काम चले तो हमे दूसरी पोशाक नही पहननी चाहिए। छोटी धोतीसे निर्वाह हो सके तो लम्बी धोती नही पहननी चाहिए। साठ करोड रुपयेकी बचत करनेकी खातिर इतना ही बडा बलिदान करना होगा।

विद्यार्थी यदि इस साल पूरे समय इस कामको हाथमे ले ले तो महासभाके प्रस्तावानुसार एक वर्षके अन्दर ही स्वराज्यकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है। अमुक शर्तोके पूरा होनेके बाद तुम अपने ध्येयको प्राप्त कर सकते हो। विद्यार्थी अपने अध्ययनको छोडकर हिन्दुस्तानके निमित्त मजदूर बने। अपने श्रमके बाद अगर तुम कोई पारिश्रमिक न लो तो यह तुम्हारी मेहरबानी है लेकिन जो लेना चाहे, वे खुशीसे ले सकते है।

यदि मै तुम्हे सलाह देने योग्य हूँ तो मै तुम्हे सलाह दूँगा कि तुम अपने कालेजोको छोड दो। स्वराज्यके लिए चल रही लडाईमे अगर तुम पूरा-पूरा भाग लेना चाहते हो तो हिन्दके लिए जितना सूत कात सको, कातो। रोज छ घटे और अगर इतना सम्भव न हो तो कमसे-कम चार घण्टे सूत कातो। तुम पढाई बिलकुल ही छोड दो, ऐसा मेरा आग्रह नही है। छोड दोगे तो उससे तुम्हारी विचारशक्ति कम हो जायेगी, ऐसा भी मै नही मानता। जिसका मन मलिन नही है उसकी विचारशक्ति कभी मन्द नही पडती। मेरा अपना तो यह अनुभव है कि जब मै जेलमे था और जब मुझे पढनेको एक भी पुस्तक नही मिलती थी तब मै अधिक विचार कर पाता था। हमारा दिमाग पढ-पढकर सड गया है। इसीसे मैने तुमसे कहा है कि तुम छ घटे सूत कातो और बाकी समयमे पढो। तुमसे तो मै यह भी कहता हूँ कि तुम कातनेके इस काममे पारगत हो जाओ तो तुम गाँवोमे भी जा सकते हो। तुममे इतना आत्म-विश्वास न हो तो तुम कालेजमे बने रह सकते हो। लेकिन मेरा तो इतना दृढ विश्वास है कि सब लोगोके प्रतिदिन चार-छ घण्टे सूत काते बिना हमे स्वराज्य नही मिल सकता। एक महीनेमे, बहुत हुआ तो तीन महीनोमे तुम कातना सीखकर गाँवोमे जानेके लिए तैयार हो जाओगे और वहाँ उसका प्रचार कर सकोगे। सूतके अभावको मिटाकर हम हिन्दुस्तानको जितना आगे ले जा सकेगे उतना किसी अन्य चीजसे नही ले जा सकते। और फिर अब तो हमे काग्रेसके सविधानके अनुसार मतदाताओको तैयार करवाना है, अगर हम इस कार्यको हाथमे न लेगे तो यह कैसे होगा? गुजरातके गाँवोमे आज मै क्या सन्देश पहुँचा सकता हूँ? अग्रेजोको गाली देनेके लिए कहूँ? अथवा उन्हे तलवार और बन्दूक दूँ? मेरा सन्देश आज यह है कि सब सूत कातनेके कार्यमे जुट जाओ। गाँवका कोई भी व्यक्ति अहमदाबादसे कपडा खरीद कर ले जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा स्वदेशी धर्म यह है कि प्रत्येक गाँव अपनी जरूरत-की चीजे स्वय तैयार कर ले। इस प्राचीन प्रथाको यदि हम फिरसे वापस ला सकें तो इस हिन्दुस्तानपर कोई अपनी कुदृष्टि नही डाल सकेगा। मै आचार्य और अध्या-

पकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कमसे-कम एक वर्षके लिए उसी पद्धतिको अंगीकार करें और विद्यार्थियोंको गाँवोंमें भेजनेके लिए तैयार करें।

इस वर्षके दौरान अगर तुम्हे इतनी ही शिक्षा मिले तो काफी है, अपनी गुजराती सुधारो, अंग्रेजीका त्याग करो, हिन्दुस्तानी सीखो, उर्दू लिपि सीख लो और चरखा चलाना सीख लो। इतना करोगे तो हम आगामी वर्षके लिए तैयार हो जायेंगे। मेरी तो कामना है कि स्वराज्य मिलनेतक इसी पद्धतिको जारी रखो। यदि ऐसा न बने तो कमसे-कम एक वर्षके लिए तो इसे जारी रखो ही। यही मेरा आजका सन्देश है।

तुम्हारे मनमे जो कोई शका हो उसे निधड़क होकर पूछो। मैं नही चाहता कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसे इस कार्यक्रमके प्रति श्रद्धा न हो, इसे मान ले। तुम्हारी बुद्धि और हृदय अगर इस बातको कबूल करे तभी मेरी बात मानना।

प्र० – माँ-बाप कहेंगे कि महाविद्यालयमें तुम्हे पढने भेजा था, चरखा चलाने नहीं।

उनसे कहना कि कातना सीखना भी पढना ही है।

माँ-बाप गाँवोंमें जानेके लिए मना करेंगे और कहेंगे कि घर ही बैठे रहो।

तो तुम घर बैठकर कातो, यह तो अच्छी बात है। कातनेकी भी मनाही करे तो उन्हे विनयपूर्वक समझाना। सारा दिन चरखा कातनेवाले लडकेसे माँ-बाप एक दिन, दो दिन, बहुत हुआ तो चार दिन लडेंगे लेकिन बादमे जरूर समझ जायेंगे। मैंने ऐसे भी माँ-बाप देखे है जो ऐसी बात कहते है कि जिसके कारण लडके झूठ बोलने लगते है। लडका अगर झूठ नही बोलता, सचपर दृढ रहता है तो वे खीझ उठते है, लेकिन दो-चार दिन खीझनेके बाद खुद-ब-खुद चुप हो जाते है। तुममे इतनी दृढता तो होनी ही चाहिए। कालेजके विद्यार्थीसे मैं इतनी दृढताकी उम्मीद अवश्य रखता हूँ।

चरखेसे असहयोगकी लड़ाईमें क्या मदद होगी?

चरखेसे हिन्दुस्तानकी आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकेगी। जबतक आर्थिक स्वतन्त्रता नही मिलती तबतक हम स्वराज्यका उपभोग नही कर सकते। हम बिना साबुन, सुई और आलपिनके निभा सकते हैं, लेकिन कपडेके बिना नही। इससे हर वर्ष आर्थिक नुकसानमे वृद्धि होती चली जाती है। सरकारी लश्करका भारी खर्च हमे उठाना ही पडता है, साठ करोड रुपया हम कपडेमे दे देते है और अन्य व्यर्थकी चीजोमे जो धन खर्च होता है सो अलग। यदि यह सत्य है तो हमे आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर साठ करोड रुपया हम बचा सकते हो तो हमे बचा लेना चाहिए। साठ करोड बचायेंगे तो हममे और भी रुपया बचानेकी शक्ति आयेगी अथवा उन वस्तुओंका आयात करनेमे भी हम सक्षम हो जायेंगे। आलपिन अथवा घडियोंके कारखानेके न होनेसे हिन्दुस्तानका भाग्य नही फूटता। लेकिन कपडेके अभावके कारण भारत सचमुच वैधव्य-जैसी स्थितिमे पडा है।

चरखेके दाखिल किये जानेसे विद्यार्थियोंमें खलबली मच जायेगी।

खलबलीसे ही विद्यार्थी उन्नतिकी ओर अग्रसर होते है। खलबली मचाना तो मेरा और अध्यापकोंका धर्म है। अभी तो विद्यार्थी जागते हुए भी सोये-से है। जहाँ माँ-बापके साथ, जगत्के साथ और अपने साथियोंके साथ इस तरहकी लडाई होती है वहाँ सम्भवत कुछ जागृति ही आती है, उससे पतन नही होता।

विद्यार्थी वर्गकी बनिस्बत आप अन्य वर्गोसे कातनेके लिए क्यो नहीं कहते? विद्यार्थियोसे किसलिए पढाई बन्द करनेके लिए कहते है?

कातना पढाई नही है, यह मानना हमारी पहली भूल है, बलिदान शिक्षा नही है, ऐसा मानना दूसरी भूल है। यदि सब लडके कल समझ जाये कि शिक्षाका बलिदान करना देश सेवा करना है तो मै उसी क्षण यह समझूँगा कि मेरा एक वर्षका काम पूरा हो गया।

चरखेसे जीवन-निर्वाह किस तरह हो सकेगा?

बुद्धिका उपयोग करनेवाला कमाई भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो चरखेको मै आपद्-धर्मके रूपमे स्वीकार करता हूँ। हिन्दुस्तानके सब विद्यार्थी अगर हर रोज चार घंटे सूत कातनेकी प्रतिज्ञा करे तो एक महीनेमें सूतके भाव कम हो जायें।

स्कूलोमें ऐसा परिवर्तन करनेसे क्या असहयोगके आन्दोलनको धक्का नहीं पहुँचेगा?

नही। सरकारी स्कूलोको छोडनेवालोको इस मान्यताके साथ स्कूलोको छोडना होगा कि सरकारी शिक्षा मलिन वस्तु है। अगर वे इस विद्यापीठके लालचसे ही उन्हे छोडेगे तो उन्हे वे कालेज मुबारक रहे। जिनका ध्येय विद्यार्थियोको केवल अक्षर-ज्ञान देना ही हो वे अवश्य अलग कालेजोकी स्थापना करे किन्तु अगर हमें ऐसा लगता हो कि हमारा यही कर्त्तव्य है और एक वर्षतक यह काम करेगे तो देशको लाभ होगा तथा हम स्वराज्यके साधन बनेंगे तो हमे यह काम करना ही चाहिए।

क्या आप मानते है कि आपके इस नये विचारके लिए देशका वातावरण तैयार है? क्या आप एकदम लडाईके 'टर्किश बाथ'की अन्तिम कोठरीमें प्रजाको धकेल देना चाहते है?

मै जानता हूँ कि वातावरण तैयार है, इसीसे तो मै यह कहता हूँ। गत तीन महीनोमे देशने बहुत प्रगति की है। वातावरण रेलवेकी गतिसे नहीं बल्कि जैसे नरफ गिरती है वैसे ज्यामितिकी पद्धतिसे तैयार हो रहा है। मैने आठ वर्ष पहले लिखा था कि हिन्दुस्तानको यह रास्ता ग्रहण करना होगा। उस समय मै जानता नही था कि जनवरी १९२१ की तेरह तारीखको मै तुम लोगोसे इसके बारेमे बात करूँगा।

देश-सेवा करनेमे पहले क्या कुटुम्बकी सेवा नहीं करनी चाहिए?

जरूर करनी चाहिए। लेकिन कुटुम्ब सेवा लोक सेवाकी विरोधी नही हो सकती। पहले अपनी सेवा, फिर कुटुम्ब सेवा, उसके बाद गाँव सेवा और अन्तमे देश-सेवा, मै इस क्रमको मानता हूँ। लेकिन कोई भी सेवा जगत्के कल्याणके विरुद्ध नही होनी चाहिए। देशकी ऐसी दरिद्रावस्थाके समय कुटुम्ब सेवाके नामपर बहनके विवाहमें बीस हजार रुपया खर्च नही किया जा सकता।

देशकी रक्षाके लिए पुलिसकी जरूरत पडेगी। आप चरखेके बदले हमें कवायद सिखाकर उस कामके योग्य क्यो नहीं बनाते?

मै तुम लोगोको पुलिसका कार्य कैसे सिखा सकता हूँ? जहाँ भय हो वहाँ जाकर खडे रहनेकी शक्ति आनी ही चाहिए। तुम क्या यह कहना चाहते हो कि चैनसे उच्च-शिक्षा प्राप्त करनेके बाद ही तुम स्वराज्यकी पैरवी करोगे?

स्वराज्यका क्या अर्थ है?

हमारे हाथमें सेना-विभागका अधिकार आये, भूमिकी आय और उसपर होनेवाले व्ययका अधिकार आये, महसूलकी व्यवस्था हमारे हाथमें आये और अदालतें आयें — इसका नाम स्वराज्य है। ऐसा स्वराज्य मिलनेका अर्थ यह हुआ कि हम सब तरहके अत्याचारोंको बन्द कर सकेंगे। किन्तु सूत कातकर आर्थिक स्वतन्त्रता आज ही प्राप्त की जा सकती है। चरखेके द्वारा यह सहज है, राष्ट्र कदाचित् आज इस हेतुको करनेके लिए तैयार न हो।

आप बारम्बार 'लड़ाईकी स्थिति', 'लड़ाईकी स्थिति' कहा करते हैं तो क्या यह 'लड़ाई स्वयंसेवकोंकी सेना' तैयार किये बिना लड़ी जा सकेगी? विद्यार्थियोंको सैनिक शिक्षा भी दी ही जानी चाहिए। क्या फिलहाल चरखेके बदले उसपर अधिक ध्यान देनेकी जरूरत नहीं है?

सैनिक शिक्षा तो बहुत कम समयमें दी जा सकती है और फिर सैनिक शिक्षाका क्या अर्थ है? बहादुरी। तो बहादुरी क्या पटा-बनेटी खेलनेसे आती है? शहरमें फिरसे दंगे-फसाद हों और लोग घरोंको आग लगाने लगें तो घटनास्थलपर तुरन्त दौड़कर बीच-बचाव करनेवाला व्यक्ति अगर यह कहे कि मुझे मारनेके बाद ही तुम घर जला सकोगे तो वह व्यक्ति ही सच्चा वीर है। उस समय क्या आदेश जारी किये जा सकते हैं? 'मार्च' 'क्विक मार्च' सुननेतक क्या खड़े ही रहोगे? उस समय तो कवायद भी भूल जाओ। ऐसे अवसरपर तो मैं यही कह सकता हूँ कि तुम जितना तेज दौड़ सको उतना तेज दौड़कर एक जगहपर पहुँचो। अगर ऐसा प्रसंग आये तो मैं किसीको भी साथ लिये बिना — जूता पहनता होऊँ तो उसे भी छोड़कर — दौड़ूँ और जाकर भस्म हो जाऊँ। मैं यदि ऐसा न करूँ तो कहना कि गांधीकी बड़ी-बड़ी बातें झूठ थीं।

अगर सरकार हमारी सब माँगोंको मान ले और सिर्फ खिलाफतकी माँगको पूरा न करे तो हमें लड़ाई चालू रखनी चाहिए न?

जरूर, इस्लामकी रक्षा करते हुए मैं हिन्दू धर्मकी रक्षा करनेकी तालीम ले रहा हूँ, ऐसा मैंने अनेक बार कहा है। इस्लामको बचानेकी बातमें ही गो-रक्षाकी बात समाई हुई है। और जबतक हिन्दुस्तानमें एक भी गायकी हत्या की जाती है तबतक मेरे मांस, स्नायु और रुधिरका पानी बन रहा है। मैं गो-रक्षा करनेकी तालीम ले रहा हूँ, तपश्चर्या कर रहा हूँ, अनेक विभूतियोंको प्राप्त कर रहा हूँ और गो-रक्षाके इस मन्त्रको जपते-जपते ही मैं मरूँगा।

चरखेका ध्यान करने मात्रसे हमारी वर्तमान शिक्षा समाप्त हो जायेगी, क्या आप ऐसा नहीं मानते?

चरखेकी प्रवृत्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके बाद ही हम अक्षर-ज्ञानके योग्य होंगे। अतएव चरखेकी इस प्रवृत्तिके द्वारा हमारी वर्तमान शिक्षाका विकास ही होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-१-१९२१

११७. तार: मौलाना अब्दुल बारीको[1]

१५ जनवरी, १९२१

मेरे नाम आपका तार शौकत अलीने पता बदलकर यहाँ भेजा। शान्ति स्थापनाके निमित्त आप जरूर बीचमे पडे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९११, पृष्ठ ७२

११८. यादवडकर पटवर्धन

कुछ ही महीनोकी अवधिमे मै अपने दो साथियोसे वंचित हो गया हूँ। दोनो ईश्वरभक्त थे। दोनो कौमके सेवक थे, किन्तु उनकी सेवा अदृश्य होती थी। एक थे व्रजलाल भीमजी[2], बालकोका एक कलश कुएँमे गिर गया था, वे उसे निकालनेके लिए कुएँमे घुसे और जब रस्सी पकडकर निकल रहे थे तभी चढते-चढते थक गये, अत फिमलकर गिर पडे और इस तरह प्राण त्यागे।

दूसरे भाई पटवर्धनको ज्वर आता था। वे 'यग इडिया' के काममे मदद करते[3] और अपनी जीविका आप चलाते थे। इस बीच वे बीमार पड गये और स्वस्थ होनेके लिए अपने भाईके पास अमरावती चले गये। वे यह मानकर कि अब स्वस्थ हो गये है, नागपुर काग्रेस अधिवेशनमे भाग लेने आये और वहाँ फिर बीमार पड गये। इस बारके बुखारने उनके प्राण ही ले लिये। उस समय उनके पास निकटके सगे-सम्बन्धियो और दो तीन मित्रोके अलावा और कोई न था। इस तरह पटवर्धन एकादशीके दिन परलोक सिधार गये।

उनके-जैसे अथवा व्रजलाल-जैसे लोक-सेवक मैने कम ही देखे है। उनकी भाषणो-द्वारा अथवा दूसरी किसी तरह आगे आकर काम करनेकी आदत नही थी, तथापि राष्ट्र तो ऐसे सेवकोसे ही उन्नति करता है। पटवर्धनकी सत्यवादिता, निरभिमानिता और तन्मयताका मुकाबला कोई नही कर सकता। उन्होने बम्बई विश्वविद्यालयसे बी० ए० एल एल० बी० की परीक्षा पास अवश्य की लेकिन कभी वकालत नही की। वे सन्

१, मौलाना अब्दुल बारी (१८३८–१९२६), लखनऊके एक राष्ट्रवादी मुसलमान, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें प्रमुख भाग लिया और अपने अनुयायियोंसे गो-हत्या न करनेका अनुरोध किया। १९२१ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके अध्यक्ष।

२ एक आश्रमवासी, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ५५८।

३ उप सम्पादकके रूपमें।

१९१६ से आश्रममें रहते थे और जो काम उनके हिस्सेमें आता था उसे चुपचाप करते रहते थे। उन्होंने ऐसी ही आदत डाल ली थी। कांग्रेस अधिवेशनके बाद उनका विचार शोलापुर जाकर असहयोगका काम शुरू करनेका था। उनके अन्त समयका चित्रण करते हुए एक साथी लिखते हैं

> जिस समय हम वहाँ पहुँचे उस समय वे अन्तिम श्वासें ले रहे थे, उनकी चेतनाशक्ति क्षीण थी, तथापि थोड़ी देर बाद अर्थात् नौ-साढ़े नौ बजे मैंने उन्हें जरा बोलते देखा। मैंने कहा: "सरकार! (पटवर्धनका प्यारका नाम) शान्त रहो।" इसपर उन्होंने मुझे स्पष्ट उत्तर दिया: "शान्ति ही है!" थोड़े क्षण बाद बोले: "वास्तविक वस्तु दूसरी कोई नहीं है; एक ही है।" उनके सन्निपातकी अवस्था बीत चुकी थी। सबने स्पष्ट देखा कि वे किसी अन्य वस्तुका नहीं बल्कि सिर्फ सत्-चित्का ही स्मरण कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंने पूछा: "क्या हम 'स्थितप्रज्ञ' का पाठ करें?" अपने आन्तरिक आनन्दको व्यक्त करते हुए वे स्वयं ही स्थितप्रज्ञका पाठ करने लगे।

इसके बाद पटवर्धनने और अन्य लोगोंने किस तरह एकाधिक बार 'गीता' के इस भागका पाठ किया, उसका वर्णन है।

यह कोई मृत्युकी निशानी नहीं है, यह तो उनके अमर होनेका लक्षण है। पटवर्धनकी मृत्युपर स्वार्थवश उनके साथी भले ही रोयें। पटवर्धनकी स्मृतिसे वे और भी अधिक कर्त्तव्यपरायणता सीख सकते हैं। पटवर्धन मरकर भी जीवित हैं। वे तो मरकर भी स्वराज्यकी सेवा कर रहे हैं।

भारतमें कितने ही ऐसे अदृश्य सेवक पड़े होंगे। लेकिन उनकी ओर कौन ध्यान देता है। और ध्यान देनेकी जरूरत भी क्या है? सच्चे साधु-सन्त अप्रकट रहकर ही सेवा करते हैं। पाण्डव सिर्फ पाँच ही नहीं हो सकते। अर्जुन-जैसे भक्त, भीम-जैसे योद्धा, युधिष्ठिर-जैसे सत्यवादी जगत्में अवश्य ही हैं। वे प्रसिद्धिको जानते तक नहीं, उसकी उन्हें कोई इच्छा भी नहीं। मेरी कामना है, भारतमाता पटवर्धन-जैसे अनेक सेवकोंको जन्म दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-१-१९२१

११९. बंगालके नवयुवकोंसे

मेरे नौजवान मित्रो,

आपने राष्ट्रके आह्वानपर जो कुछ भी किया है, उसका विवरण मैंने अभी-अभी पढ़ा है। यह आपके लिए और बंगालके लिए भी गौरवकी बात है। मैंने इससे कमकी आपसे उम्मीद भी नहीं की थी, बल्कि मैं इससे भी ज्यादाकी उम्मीद करता हूँ। बंगाल प्रखर बुद्धि-बलसे सम्पन्न है, उसका हृदय और भी विशाल है तथा हमारा देश जिन आध्यात्मिक परम्पराओंके लिए विशेष रूपसे विख्यात है उन परम्पराओंके क्षेत्रमें भी वह अन्य प्रान्तोंसे बढ़-चढ़कर है। हिन्दुस्तानके अन्य लोगोंकी अपेक्षा आप अधिक कल्पनाशील, अधिक आस्थावान तथा अधिक संवेदनशील हैं। आपपर कायरताका जो आरोप लगाया जाता है, उसे आपने एकाधिक अवसरोंपर झूठा सिद्ध कर दिया है। इसलिए कोई कारण नहीं कि बंगाल जिस तरह पहले देशका नेतृत्व करता रहा है, वैसा ही अब भी क्यों न करे।

आपने कदम आगे बढ़ा दिया है, अब आप पीछे नहीं हटेंगे। आपको विचार करनेके लिए बहुत समय मिला। आपने काफी सोच लिया है, विचार लिया है। कांग्रेस-के उस अधिवेशनका[1] आयोजन आपने ही किया था जिसमें राष्ट्रको असहयोगका अर्थात् आत्मशुद्धि, आत्मत्याग, साहस और आशाका सन्देश दिया गया। नागपुर कांग्रेसने[2] उस प्रथम घोषणाकी पुष्टि की, उसका स्पष्टीकरण और विस्तार किया। असहयोगकी प्रथम घोषणा मतभेद, सन्देह और आपसी फूटके वातावरणमें की गई थी। लेकिन जब [नागपुरमें] वही घोषणा दुबारा की गई तो उस समय हर्ष, जयघोष और लगभग पूर्ण मतैक्यका वातावरण व्याप्त था। यह आपकी इच्छापर निर्भर करता था कि आप उसे स्वीकार करें अथवा वैसा करनेमें आगा-पीछा करें। आपने बेहतर रास्ता अपनाया, हालाँकि दुनियादारीके लिहाजसे इसे जरा कम सावधानीका रास्ता ही कहा जायेगा। अब आप अपनी आत्माको तथा इस उद्देश्यको नुकसान पहुँचाये बिना पीछे नहीं हट सकते।

वर्तमान शासन-प्रणाली और सबसे बढ़कर पाश्चात्य शिक्षाने हमें जिस व्यामोहमें डाल रखा है उसीके कारण आज हम इस सवालपर तर्क-वितर्क कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ तर्क-वितर्ककी कोई गुंजाइश ही न थी। क्या बहादुर अरब लोगोंके लिए यह सम्भव है कि जो लोग उन्हें बन्धनमें रखना चाहते हों, उन्हींके तत्वावधानमें अपनी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते हुए अपनी आजादी भी कायम रख सकें? अगर कोई उन्हें यह सुझाव देनेकी हिमाकत करे कि वे अपने आक्रान्ताओं द्वारा स्थापित स्कूलोंमें शिक्षाके लिए जायें तो वे उस व्यक्तिका मखौल ही उड़ायेंगे। क्या हमारी स्थिति उनसे भिन्न है?

१ कलकत्तामें सितम्बर १९२० में आयोजित कांग्रेसका विशेष अधिवेशन।

२ दिसम्बर १९२० की।

भिन्न हो, तो भी जब हमे उस सरकार द्वारा सचालित स्कूलोको छोड देनेके लिए कहा जाता है जिसे हम, सही अथवा गलत, अपनी इच्छाके अनुरूप झुकाना अथवा समाप्त कर देना चाहते है, तो क्या यह बात [अरबोकी अपेक्षा] हमारे मामलेमे अधिक औचित्यपूर्ण नही है?

जबतक राष्ट्रका कमसे-कम एक वर्ग भी स्वराज्यके लिए कार्य करने और आत्म-बलिदान करनेके लिए तैयार नही होता तबतक हम स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते। सरकार मौखिक तर्कोके आगे नही झुकेगी, वीरतापूर्ण और सच्चे कार्योका ही वह आदर कर सकती है।

सरकार तलवारकी बहादुरीको तो समझती है। उसने इस बातकी पूरी तैयारी कर ली है कि यदि हम शस्त्रबलका प्रयोग करे तो उसका बाल भी बाँका न हो सकेगा। सरकारमे कितने ही लोग है जो हमारे हिंसा करनेपर खुश होगे। हिंसाका सामना करने और उसे कुचल देनेकी कलामे उससे पार नही पाया जा सकता। इसलिए हम उसकी हिंसा कर सकनेकी शक्तिको अहिंसा द्वारा व्यर्थ करना चाहते है। जिसके प्रति हिंसा की जाती है अगर उसपर उसकी कोई प्रतिक्रिया होना बन्द हो जाये तो हिंसा अपने आप मर जाती है। अहिंसा असहयोगकी इमारतकी आधार-शिला है। अत-एव मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगोके प्रति उतावलेपन अथवा आवेगसे काम न लेगे जो आपके विचारोसे सहमत न हो। असहिष्णुता हिंसाका एक प्रकार है और इसलिए हमारे सिद्धान्तके विरुद्ध है। अहिंसामय असहयोग स्वाधीनताका पदार्थ-पाठ है। जिस क्षण यह निश्चित हो जायेगा कि बडीसे-बडी उत्तेजनाके बावजूद हम अहिंसापर दृढ रहेगे उसी क्षण हमे अपने लक्ष्यकी प्राप्ति हो जायेगी, क्योकि यही वह क्षण होगा जब हम पूर्ण असहयोग कर सकेगे।

मै आपसे कहूँगा कि अभी मैने जो कल्पना आपके सामने रखी है उससे आप घबराये नही। लोग अकगणितके अनुसार आगे नही बढते, ज्यामितिके अनुसार भी नही। राष्ट्रोका पतन एक ही दिनमे होते देखा गया है, एक ही दिनमे उनका उत्थान होते भी देखा गया है। भारतके लिए इस बातको समझ सकना कुछ इतना कठिन नही कि तीस करोड व्यक्ति जिस क्षण अपने बलको पहचान ले, उसी क्षण इस बलका उपयोग किये बिना ही वे मुक्त हो जायेगे? चूँकि हममे अबतक राष्ट्रीय चेतना नही आई है, इस-लिए हमारे शासक हमे एक-दूसरेके विरुद्ध लडाते रहे है। जिस क्षण हम परस्पर लडनेसे इनकार कर देगे, उसी क्षण हम स्वय अपनी किस्मतके मालिक बन जायेगे, वे नही रहेगे।

असहयोगकी योजनामे सबसे पहले उन सवेदनशील वर्गोको लिया गया है जिनपर सरकार अपने जादूका अधिक असर डाल सकी है और जो जाने-अनजाने सरकारके जालमे जा फँसे है। उदाहरणके लिए, हम स्कूलोमे पढनेवाले नौजवानोके वर्गको ले सकते है।

हम यदि सोचे तो देखेगे कि व्यक्तिगत रूपसे लोगोको जो बलिदान करना होगा वह अत्यल्प है, क्योकि सम्पूर्ण बलिदान तो हम इतने सारे लोगोमे बँटा हुआ है। बलिदानमे आपका हिस्सा क्या होगा? यही न कि एक साल अथवा जबतक स्वराज्य

नही मिल जाता तबतक आपको अपनी किताबी शिक्षा बन्द रखनी होगी। अगर मैं नव विद्यार्थियोमे अपने जैसे विश्वासका सचार कर सकूं, तो निश्चित है कि उन्हे अपनी पढाई एक सालतक भी बन्द नही रखनी पडेगी।

मैं आपसे स्थगित पढाईके स्थानपर जहाँतक हो सके, एक वर्षकी इस निश्चित अवधि ही के अन्दर स्वराज प्राप्त करनेके तरीकोका अधिकसे-अधिक शान्त ढगसे अध्ययन करनेका अनुरोध करूँगा। मैं आपके हाथोमे चरखा देता हूँ। मेरा कहना है कि यही भारतकी आर्थिक मुक्तिका आधार है।

लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो इसे अस्वीकार करके, श्री दासने[1] आपके लिए जिस कालेजकी व्यवस्था करनेका वचन दिया है, उसमे खुशीसे जा सकते है। गुजरातके नेशनल कालेजके[2] आपके साथी विद्यार्थियोमे से अधिकाशने प्रतिदिन कमसे-कम चार घटे चरखा कातनेका व्रत लिया है। एक सुन्दर कलाको सीखने और साथ ही नगोको वस्त्र प्रदान करनेमे कोई बडा त्याग करनेकी बात नही है।

सरकारी कालेजोका परित्याग करके आपने अपना फर्ज अदा किया है। मैने तो आपको, सिर्फ यह दिखाया है कि आपके पास जो समय है, उसे सबसे आनन्ददायक और लाभप्रद तरीकेसे कैसे बिताया जा सकता है।

ईश्वर आपको अपने निश्चयपर अटल रहनेके लिए बल और साहस प्रदान करे।

आपका शुभचिन्तक,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
यग इडिया, १९-१-१९२१

१२०. टिप्पणियाँ

लॉर्ड रीडिग[3]

नये वाइसरायकी नियुक्तिकी जिस घोषणाका[4] इतने दिनोसे इन्तजार था वह कर दी गई है। लेकिन अगर आजसे दो साल पहले [इग्लैंडके] लॉर्ड चीफ जस्टिसको वाइसराय नियुक्त किया जाता तो लोगोको आश्चर्य होता, वे इस बातकी तारीफ भी करते। लेकिन आज तो वे इस ओरसे बिलकुल ही उदासीन है, और यह ठीक भी है। मौजूदा हालतको देखते हुए तो एक फौजी तानाशाह भी अगर अच्छा न होता तो कुछ

१ चित्तरजन दास कलकत्तामें एक राष्ट्रीय कालेज प्रारम्भ करनेवाले थे।

२ यह कालेज अहमदाबादमें खोला गया था।

३ रूफ़स डैनियल आइजक्स (१८६०–१९३५), रीडिंगके प्रथम मार्क्विस, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, इग्लैंडके लॉर्ड चीफ जस्टिस, १९१३-२१, भारतके वाइसराय और गवर्नर-जनरल, १९२१-२६, इग्लैंडके प्रथम राष्ट्रीय मन्त्रिमडलमें विदेश मन्त्री, १९३१।

४ यह घोषणा ९ जनवरी, १९२१ को की गई थी।

बुरा भी न रहता। साथ ही लॉर्ड रीडिंगकी नियुक्ति, शायद, इस हकीकतकी भी मूक स्वीकृति है कि हमारी लड़ाई अहिंसात्मक है और इसलिए इस समय कानूनकी बारीकियोंको समझनेवाला राजनीति-कुशल व्यक्ति ही सम्राट्का सबसे अच्छा और उपयुक्त प्रतिनिधि हो सकता है। लॉर्ड रीडिंगने सही काम करनेका इरादा जाहिर किया है। उनके इरादेमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हुकूमतके जिस तन्त्रको चलानेके लिए वे आ रहे हैं वह उन्हें सही काम नहीं करने देगा। भारतका तो यही तजुर्बा रहा है। अगर वे सही काम करनेमें कामयाब हो गये तो मैं दावेके साथ कह सकता हूँ कि उन्हें इस तन्त्रको नष्ट करने या उसका आमूल सुधार करनेमें भी जरूर कामयाबी मिलेगी। या तो वे इस शासन-प्रणालीको अपने ढर्रेपर ले आयेंगे, या खुद उसीके ढर्रेमें ढल जायेंगे।

'इंडिया' और ब्रिटिश कमेटी

'क्रॉनिकल' अखबारने ब्रिटिश और 'इंडिया' अखबारको बन्द करनेके फैसलेको[1] खेदजनक कहा है। इस रायके समर्थनमें यह दलील दी गई है कि संविधान समितिने उन्हें खत्म करनेकी सलाह नहीं दी थी, और यह भी कि दोनों अच्छा काम कर रहे थे। यह सच है कि संविधान समितिने उन्हें खत्म करनेकी सिफारिश नहीं की थी। मगर यह भी याद रखना चाहिए कि वह समिति अमृतसर कांग्रेसके समय बनी थी और उसकी रिपोर्ट, कांग्रेसके जिस विशेष अधिवेशनमें[2] असहयोगका प्रस्ताव मंजूर किया गया, उसके पहले ही तैयार हो गई थी। उसके बादसे तो बहुत-सी ऐसी बातें हो गई हैं, जिन्होंने विदेशोंमें प्रचार और ब्रिटिश समितिके बारेमें हमारे और सारे देशके विचारोंमें क्रांतिकारी तबदीलियाँ कर दी हैं। उन्हें सैद्धान्तिक कारणोंसे ही बन्द किया गया। यह महसूस किया गया कि सरकारसे असहयोग करनेवाली कांग्रेस अपनी मददके लिए विदेशमें कोई संस्था रख नहीं सकती। कांग्रेसने असहयोगके भरोसे अन्य सभी सहारोंको जान-बूझकर ही तिलांजलि दे दी है। उसने आत्म-निर्भर होनेका फैसला किया है। जिस रूपमें उस कमेटीका गठन किया गया था, उस रूपमें वह कार्यक्षम थी या नहीं, यह सवाल अब कोई मतलब नहीं रखता। इस बदली हुई हालतमें कांग्रेसके लिए यह शोभाकी बात नहीं है कि वह प्रचार-कार्यके लिए विदेशमें संस्था बनाये रखकर उसका खर्च उठाती रहे। राष्ट्रने इसके विषयमें जो कारगर निर्णय कर दिया है उसे भ्रामक बातोंसे मिटाया नहीं जा सकता।

* * *

आप चाहे इस हकीकतका ढिंढोरा पीटें या न पीटें, मगर सचाई तो यही है कि शरीरको जरूरी खाना न मिले तो वह नष्ट हो जाता है। हम इस हकीकतका ढोल पीटें या चुप रहें मगर सचाई तो यही है कि अगर हम सरकारको सहयोग देना बन्द कर दें तो वह उसी समय अपनी मौत मर जायेगी। व्यक्तिगत मुझे तो वह प्रस्ताव

१ देखिए "भाषण : विदेशोंमें प्रचारपर", २९-१२-१९२०।

२ सितम्बर १९२० में कलकत्तामें हुआ कांग्रेसका विशेष अधिवेशन।

भी पसन्द नही है जिसमे व्यवस्था की गई है कि विदेशोमे प्रचारार्थ कांग्रेस महासमिति, जब और जैसे चाहे, एक निश्चित रकम खर्च कर सकती है। हमे तो सारे पैसेकी देशमें ही जरूरत है। ४५,००० रुपये प्रचार और विज्ञापनवाजीमे फूंकनेके वदले मैं तो उस रुपयेके चरखे खरीदना या प्राथमिक पाठशालाएँ खोलना वहुत वेहतर समझूंगा। हर अच्छा काम खुद ही अपना विज्ञापन होता है। मैं आशा करूँगा कि अब भी वह सारा पैसा किसी ज्यादा अच्छे कामके लिए जरूर वचा लिया जायेगा। जहाँतक 'इडिया' अखबारका सवाल है, हम उसके विना ही अच्छे है। उस अखवारने हमें झूठी आशाएँ वँधा रखी थी। यहाँ अग्रेज जातिकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी भी उतनी ही परीक्षा हो रही है, जितनी कि हमारी। अगर वे खुदगर्जी और वेईमानीसे भरे हुए अखवारोके वहकावेमें आना चाहे तो हम क्या कर सकते है? पजावकी घटनाओपर क्या हमने कांग्रेसकी रिपोर्ट[1] प्रकाशित नही की? मगर उसपर कौन यकीन करता है? श्री मॉण्टेग्युको[2] उसपर यकीन नही और ब्रिटिश प्रजा उनकी हाँ मे हाँ मिलाती है। झूठी और मनगढन्त वातोका प्रचार करनेमें सिर्फ अमेरिकी पत्रकार ही ब्रिटिश पत्रकारोको मात दे सकते है। मैं हारनेके लिए इस होडमें शरीक नही होऊँगा, क्योकि यह वरावरीका मुकावला नही है।

सनसनी फैलानेवाली और असत्यपर आधारित पत्रकारिता और इसी कोटिकी सार्वजनिक जीवनकी बुराइयोमे सघर्ष करनेके लिए हमे नये तरीके अपनाने होगे। कांग्रेसने ब्रिटिश कमेटी और उसके मुखपत्र 'इडिया'को वन्द करके इस दिशामें रहनुमाई की है।

दूषित पैसा

सिन्धके एक आदरणीय मित्रने कई सवाल पूछे है। पत्र व्यक्तिगत होनेके कारण मैं उनका नाम नही दे रहा हूँ। उनका पहला सवाल है

> असहयोग आन्दोलनके पहले चरणका एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी और सरकारसे मदद पानेवाली शिक्षण सस्थाओमें से विद्यार्थियोको हटा लिया जाये। इसका कारण आप यह वताते है कि इन सस्थाओको चलानेके लिए जो पैसा दिया जाता है वह चूंकि सरकारके पाससे आता है इसलिए दूषित है, जव कि वास्तवमें वह पैसा हमारे द्वारा दिया हुआ और हमारा ही है। फिर उसी सरकारसे शिक्षा, सफाई, जल-व्यवस्था आदि नगरपालिकाओसे सम्वन्धित कामोके लिए पैसा न लेनेकी कोई वात आन्दोलनके पहले चरणमें नहीं रखी गई है। तो क्या सरकार नगरपालिकाओको शिक्षाके लिए जो पैसा देती है, सिर्फ वही दूषित है और नगरपालिकाओ द्वारा किये जानेवाले दूसरे कामोके लिए दिया जानेवाला पैसा दूषित नहीं है?

१ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२२।

२ भारत मन्त्री।

सरकार दूसरे कामोके लिए जो पैसा देती है वह भी बेशक उतना ही दूषित है, लेकिन हमारा असहयोग अभी दूसरी बातोंके साथ-साथ शिक्षण संस्थाओंतक ही सीमित है, क्योंकि इन संस्थाओंके जरिये सरकार एक खास तरीकेसे शक्तिसंचय करती है। यह याद रहे कि हम सभी शिक्षण संस्थाओंका बहिष्कार कर रहे हैं, चाहे वे मदद पानेवाली हो या केवल सम्बद्ध। इन संस्थाओंके जरिये पडनेवाले सरकारके दुष्प्रभावोंके परिणामकी हम रोकथाम कर रहे हैं। यह दुष्प्रभाव ही इसका निर्णायक कारण है।

नगरपालिकाओंमें सहयोग

वे मित्र आगे लिखते हैं:

> मैं एक निर्वाचित पार्षद हूँ। मेरा ऐसा अनुभव है कि हमें अपने कामके हर दौरमें सरकारसे सहयोग करना पड़ता है। अगर सरकार, जैसा कि हम विश्वास करते हैं, बुरी और अन्यायी है तो उससे अदालतो और धारासभाओंमें असहयोग, मगर म्युनिसिपैलिटियोंमें सहयोग करते रहना कहाँतक वाजिब और युक्तियुक्त है?

यह सवाल बडा ही माकूल और मुनासिब है। लेकिन अगर हम इस बातको समझ ले कि नगरपालिकाएँ कौन्सिलोंकी तरह सरकारकी ताकतको मजबूत नही करती तो बहुत हदतक सन्देहका निवारण हो जायेगा। एक बार यह मान लेनेके बाद कि सरकारी तन्त्र बुरा है, इस बातकी जरूरत भी माननी ही होगी कि हमे ऐसा कुछ न करना चाहिए जो उस तन्त्रकी ताकतको बढानेवाला हो। नगरपालिकाओसे निकल आनेकी जरूरतसे भी मैं इनकार नही करूँगा। अगर कोई पार्षद या कोई नगरपालिका यह महसूस करे कि वह मौजूदा शासन-तन्त्रकी मदद कर रही है तो उसे वहाँसे निकल आने या अपने-आपको भंग कर देनेकी पूरी आजादी है। कांग्रेसका प्रस्ताव तो एक इशारा है कि सामूहिक रूपसे सारा राष्ट्र कहाँतक जा सकता है या उसे जाना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूपसे कौन कितना त्याग करे, इसकी कोई सीमा नही हो सकती।

अन्तरात्मा या इष्ट-सिद्धि

यह योग्य मित्र आगे लिखते है

> लेकिन अगर हम धर्म या अन्तरात्माको आधार न बनायें बल्कि सिर्फ यह कहे कि हम इस सरकारको असहाय कर देना चाहते हैं और इसके लिए उन सब उपायोको (बशर्ते कि वे शान्तिपूर्ण और नैतिक हो) काममे लायेंगे, जो हमारे उद्देश्यको पूरा करनेवाले हो, तो हमारा आचरण सर्वथा युक्तियुक्त होगा। उस हालतमें यह सवाल रह ही नहीं जायेगा कि सरकारसे मिलनेवाला पैसा दूषित है या नहीं। अगर हम समझें कि अभी सरकारको कमजोर करनेके काममें मदद मिलती है तो सरकारी और सरकारसे मदद पानेवाली शिक्षण संस्थाओंमें से विद्यार्थियोंको हटानेका काम तो हम फिर भी कर ही सकते हैं।

तब विद्यार्थियोको शिक्षण सस्थाओमें से निकालनेकी बात धर्म या अन्तरात्मापर आधारित न होकर शुद्ध रूपसे इष्टसिद्धिके सिद्धान्तपर आधारित होगी।

इष्टसिद्धि बदनाम शब्द है और मुझे इससे डर लगता है। आमतौर पर इष्टसिद्धिमें नैतिकताकी चिन्ता नही की जाती और हिंसाका सहारा लेनेमे भी कोई एतराज नही होता। लेकिन लेखकने इसका उपयोग इसके मूल अर्थमें करके इसका दश दूर कर दिया है। सो इस तरह कि वे नैतिक और शान्तिपूर्ण उपायोका इस्तेमाल करने पर जोर देते है। इसलिए उनकी बातसे मेरी कोई नकरार नही है, वह प्रशमनीय है। मैंने असहयोगको धर्मके ही अर्थोमे प्रस्तुत किया है, क्योकि मैं राजनीतिमे उसी हद-तक शामिल हूँ जिस हदतक उससे मेरे धर्मका, मेरी धार्मिकताका विकास होता है। पत्रलेखक महोदयने इसे राजनैतिक अर्थोमें प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करूँगा कि जिस रूपमें उसे मैंने प्रस्तुत किया है, उस रूपमें उसमें गलतियोकी कम गुजाइश है। राजनैतिक कार्यक्रमकी तरह धार्मिक कार्यक्रममे भी सीढियाँ तो रहती ही है। बुनियादी फर्क यह है कि जिस कार्यक्रमकी कल्पना धार्मिक भावनापर आधारित हो, उसमें दावपेच-की, या उन चीजोसे समझौतेकी गुजाइश नही होती जो कुछ महत्त्व रखती है। हमारा मौजूदा असहयोग आन्दोलन एक बुरी सरकारको ठप्प करनेके लिए उतना नही है जितना यह दिखानेके लिए कि हम बुराईके खिलाफ है। इसलिए उसका उद्देश्य ध्वस नही, निर्माण है। यह रोगके लक्षणोका नही, उसके मूल कारणोका इलाज है। नीचेके अनुच्छेदसे मेरा मतलब शायद, और भी साफ हो जायेगा।

"निष्क्रिय प्रतिरोध" (पैसिव रेजिस्टेंस)

सातुरसे एक सज्जन लिखते हैं

> **"निष्क्रिय प्रतिरोधी बहिष्कारको ठीक नहीं मानता, वह कभी भी सरकारको परेशानीमें नहीं डालता।" लेकिन असहयोगी सरकारको ठप कर देना चाहता है और उसका सारा कारोबार (कौंसिलो, मदद पानेवाले स्कूलो आदिके) बहिष्कारपर निर्भर करता है। क्या निष्क्रिय प्रतिरोध करनेवाला व्यक्ति असहयोगी हो सकता है? मैंने आपके ही वाक्यका उद्धरण आरम्भमें दिया है।**

सातुरके पत्र-लेखकने मेरा जो वाक्य उद्धृत किया है, वह बिलकुल सही है। लेकिन मैंने बात जिस प्रसगमें कही थी वह प्रसग उन्होने नही दिया। बहिष्कार शब्दका प्रयोग केवल उसके पारिभाषिक अर्थमे ही किया गया है—अर्थात् दण्ड देनेकी भावनासे प्रेरित होकर, विदेशी चीजोसे भिन्न, केवल ब्रिटिश मालके बहिष्कारके अर्थमें। मेरा ऐसा खयाल है कि ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी निरर्थकताको तो प्राय सभी समझते है। लेकिन शुचिता लानेके खयालसे किया गया बहिष्कार न केवल सही, बल्कि जरूरी भी है। इस हिसाबसे कौंसिलो आदिका, जो आज एक बुरी ताकतका प्रतीक बन गई है, बहिष्कार अच्छी ही बात है। निष्क्रिय प्रतिरोध कोई सही और सटीक अर्थ देनेवाला शब्द-पद नही है। मुझे इसकी ठीक-ठीक परिभाषा देखनेको कभी नही मिली, इसलिए खुद मैंने इसकी परिभाषा करनेकी कोशिश की है। लेकिन

जहाँतक पत्रलेखकका सम्बन्ध है, मेरा इतना ही कहना काफी होगा कि असहयोग आंशिक रूपमें निष्क्रिय प्रतिरोध है। दोनोंमें से कोई भी सरकारको परेशानीमें नहीं डालता। लेकिन दोनोंमें से किसीकी भी कार्रवाइयोंका नतीजा सरकारके लिए परेशानी हो सकता है। दोनोंका लक्ष्य आन्तरिक शुद्धि और विकास ही है। जबर्दस्ती घुसनेवालेके खिलाफ जो अपना दरवाजा बन्द कर लेता है, क्या वह उसे परेशान करता है? या अगर कोई शराबी शराब पीना छोड़ दे और जिस शराबखानेका वह ग्राहक है उस शराबखानेसे शराब खरीदना बन्द कर दे तो उसका यह काम शराबकी दुकानके मालिकको क्या परेशानीमें डालनेवाला कहा जायेगा?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-१-१९२१

१२१. स्वराज्यका गुर

कांग्रेसके प्रस्तावमें स्वदेशी और उसके लिए व्यापारियों द्वारा ज्यादासे-ज्यादा त्याग करनेके महत्वपर ठीक ही जोर दिया गया है।

पिछली डेढ़ शताब्दीसे देशका जो आर्थिक दोहन होता रहा है उसे राजी-खुशी बढ़ावा देकर या बर्दाश्त करते रहकर भारत कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकता। विदेशी मालके बहिष्कारका ठीक-ठीक मतलब है विदेशी कपड़ेका बहिष्कार। विदेशी कपड़ा ही हमारे आर्थिक दोहनकी सबसे बड़ी मद है और हमने इसकी अनुमति दे रखी है। इस मदमें हम हर साल साठ करोड़ रुपया विदेशोंको दे देते हैं। अगर भारत इसे बन्द करनेकी कोशिशमें कामयाब हो गया तो अकेले इसी एक कामसे उसे स्वराज्य मिल सकता है।

विदेशी वस्त्र-उत्पादकोंके लोभको सन्तुष्ट करनेके ही लिए भारतको गुलाम बनाया गया। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ आई, उस समय हम अपनी जरूरतका सारा कपड़ा स्वदेशमें ही तैयार कर लेते थे और इसके सिवाय निर्यातके लिए भी काफी कपड़ा तैयार करते थे। कम्पनीके आनेके बाद यहाँ जो तरीके अपनाये गये, उनका वर्णन करनेकी यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन उनका नतीजा यह अवश्य हुआ कि आज भारत कपड़ेकी अपनी जरूरत पूरी करनेके लिए हर तरहसे विदेशोंका आश्रित हो गया है।

लेकिन हमें किसीपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब लोग काममें जुट जायें तो अपना सारा कपड़ा तैयार करनेकी क्षमता हमारे देशमें है। सौभाग्यसे भारतमें अब भी इतने बुनकर हैं कि वे इस क्षेत्रमें उत्पादनके बाद जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हमारी जरूरतका सारा कपड़ा अभी तो देशकी कपड़ा-मिलें बनाती नहीं हैं और तुरन्त बना भी नहीं सकतीं। पाठकोंको शायद यह पता नहीं होगा कि आज भी हमारी मिलोंकी बनिस्बत हमारे बुनकर ही ज्यादा कपड़ा

बुनते है। ये मिले पाँच करोड गज महीन सूत विदेशोसे मँगाकर बुनती है, जब कि इतने समयमे वे मोटा देशी सूत चालीस करोड गज बुन सकती है। विदेशी कपडके सफल बहिष्कारके लिए हमे अपने यहाँ सूतका उत्पादन बढाना चाहिए। यह केवल हाथ-कताईके द्वारा ही हो सकता है।

इस तरहके बहिष्कारके लिए जरूरी है कि हमारे व्यापारीगण आयात बिलकुल बन्द कर दे और उनके पास जितना विदेशी कपडा है उसे घाटा खाकर भी यथा-सम्भव विदेशी ग्राहकोके हाथ, जल्दीसे-जल्दी बेच दे। वे रुईका सट्टा बन्द कर दे और सारी रुई देशमे उपयोगके लिए यही रहने दे। उन्हे विदेशी रुईकी खरीददारी भी बन्द कर देनी चाहिए।

मिल मालिकोको अपनी मिले मुनाफेके लिए नही, राष्ट्रका न्यासी बनकर देशके हितके लिए चलानी चाहिए, और महीन सूतकी कताई बन्द करके सिर्फ घरेलू बाजारके लिए कपडा बुनना चाहिए।

गृहस्थोको भी फैशन-सम्बन्धी अपने विचारोमे परिवर्तन करना और कमसे-कम कुछ समयके लिए तो महीन कपडोका इस्तेमाल छोड ही देना चाहिए, क्योकि ऐसे कपडे हमेशा तन ढकनेको ही नही पहने जाते। हर गृहस्थको साफ और सफेद खद्दरमे कलात्मकता और सुन्दरता देखनेकी आदत डालनी चाहिए और उसके मुलायम खुरदरेपनकी सराहना करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार कजूस अपने धनका उपयोग बचा-बचाकर करता है, उसी प्रकार गृहस्थको अपने कपडोका इस्तेमाल करना सीखना होगा।

पोशाकके बारेमे गृहस्थकी रुचिमे परिवर्तन हो जानेके बाद भी किसी-न-किसीको बुनकरोके लिए सूत कातना ही होगा। अगर हर आदमी अपनी फुरसतके समय स्वान्त सुखाय या पैसोकी खातिर कताई करे तो यह बात बन सकती है।

हम आध्यात्मिक युद्धमे लगे है। जिस जमानेमे हम रह रहे है वह कोई साधा-रण जमाना नही है। असाधारण समयमे साधारण काम हमेशा बन्द कर दिये जाते है। और अगर हम एक सालके अन्दर स्वराज्य पा ही लेना चाहते है तो हमे दूसरे सब काम छोडकर एक इसी उद्देश्यपर अपनी सारी ताकत और सारा ध्यान लगाना होगा। इसलिए मै सारे हिन्दुस्तानके तमाम विद्यार्थियोसे कहना चाहता हूँ कि वे एक सालके लिए अपनी सामान्य पढाई-लिखाई बन्द कर दे और अपना सारा समय चरखे-पर सूत कातनेमे लगायें। उनके द्वारा मातृभूमिकी यही सबसे बडी सेवा होगी, यही स्वराज्य हासिल करनेमे उनका सबसे बडा और स्वाभाविक योगदान होगा। पिछले महायुद्धमे हमारे शासकोने हर कारखानेको गोले-गोली ढालनेका कारखाना बनानेकी कोशिश की थी। हमारे इस धर्मयुद्धमे, मेरा सुझाव है कि हर राष्ट्रीय स्कूल और कालेजको राष्ट्रके लिए सूतकी गुडियाँ बनानेवाले कारखानेमे बदल लिया जाये। इस कामसे विद्यार्थियोको नुकसान कुछ भी नही होगा, उलटे इस लोक और परलोक दोनोमे सुख मिलेगा। भारतमे कपडेका अकाल है। इस कमीको दूर करनेमे मदद देना निश्चय ही बडे पुण्यका काम है। अगर विदेशी सूतका इस्तेमाल पाप है तो उसका इस्तेमाल

वन्द कर देनेसे जो जरूरत पैदा होती है उसे पूरा करनेके लिए स्वदेशी सूतका उत्पादन अवश्य ही पुण्य है।

इसपर यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर सूत कातना इतना जरूरी है तो हर गरीव आदमीको मजूरी देकर यह काम क्यो न कराया जाये? इसका जवाव यह है कि चरखेपर सूत कातना, बुनाई या वढईगिरी वगैरहकी तरह कोई पेशा नही है और न कभी रहा है। अग्रेजोके भारतमे आनेसे पहले देशकी जो अर्थ-व्यवस्था थी उसमे सूत कातना माँ-बहनोका फुरसतके समयका सम्मानननीय काम समझा जाता था। आज हमारे पास जितना समय है उतने समयमे महिलाओमे इस कलाको पुनरुज्जीवित करना मुश्किल है। लेकिन छात्रोके लिए राष्ट्रके आह्वानका उत्तर देना अत्यन्त मामूली और सरल काम है। कोई यह न कहे कि यह काम तो पुरुषो और विद्यार्थियोकी प्रतिष्ठाके अनुकूल नही है। पुराने जमानेमे यह कला केवल भारतीय महिलाओतक इसलिए सीमित रही क्योकि उन्हे काफी फुरसत रहा करती थी। और चूँकि यह कला लालित्यपूर्ण और सगीतमय है और इसमे किसी खास श्रमकी जरूरत नही होती, इसलिए महिलाओका इसपर एकाधिपत्य हो गया था। लेकिन सगीतकी तरह यह भी नारी और पुरुष, दोनोके लिए समान रूपसे शोभास्पद है। हाथ-कताई नारी-सुलभ गुणोकी रक्षा, अकालसे वचाव और कीमते कम करनेका वीजमन्त्र है। स्वराज्यका गुर भी इसीमे निहित है। हमारे पुरखोने विदेशी उद्योगपतियोके शैतानी प्रभावमे आनेका जो पाप किया उसका हम जो न्यूनतम प्रायश्चित्त कर सकते हैं, वह है चरखे और हाथ-कताईको पुरुज्जीवित करना।

विद्यार्थी, हाथ-कताईको समाजमे उसकी जो इज्जतकी जगह थी, फिरसे दिला देगे। खद्दरको फैशनेवल वनानेकी प्रक्रियाको वे तेज करेगे, क्योकि कोई भी सच्चे माता-पिता अपने वच्चोके काते हुए सूतके कपडे पहननेसे इनकार नही करेगे। जव देशके विद्यार्थी इस कलाको इस ढगसे अपनी व्यावहारिक मान्यता देने लगेगे तव भारतके वुनकर भी उस ओर अपना ध्यान देनेको मजबूर हो जायेगे। अगर हम पजावियोको, सिपाहीके पेशेसे नही वल्कि दरअसल दूसरे देशोके आजाद और वेगुनाह लोगोकी हत्याके पेशेसे छुडाना चाहते है तो हमे उनका पुराना वुनाईका पेशा उन्हे फिरसे देना होगा। पजावके शान्तिप्रिय जुलाहोकी पूरी जाति ही करीव-करीव खतम हो चली है। अव पजावके विद्यार्थियोका कर्त्तव्य है कि वे पजावी वुनकरोको उनके निर्दोष पेशेमे पुन प्रतिष्ठित करे।

वादमे किसी दूसरे अकमे मैं यह वताऊँगा कि स्कूलोमे इस तरहका परिवर्तन करना कितना आसान है और इस रास्तेपर चलकर हम अपने स्कूलो और कालेजोको कितना जल्दी राष्ट्रीय रूप दे सकते हैं। हर जगह विद्यार्थियोने मुझसे यह पूछा है कि मैं राष्ट्रीय स्कूलोमे कौनसी नई चीजे शुरू करूँगा। मैंने उनसे सव जगह यही कहा है कि कताई तो मैं जरूर ही शुरु करवाऊँगा। अव तो मैं पहलेसे भी ज्यादा साफ तौरपर यह महसूस करता हूँ कि सक्रमणके इस कालमे हमे कताई और राष्ट्रके तात्कालिक उपयोगमे आनेवाली कुछ दूसरी चीजोपर ही विशेप रूपसे ध्यान देना

चाहिए, जिससे हमारी पिछली लापरवाहियो और त्रुटियोकी भरपाई की जा सके। इसके जरिये विद्यार्थी भी नये पाठ्यक्रमोके लिए ज्यादा ठीक तैयारी करने योग्य बनेगे।

क्या मै प्रगतिके वढते चरणको पीछेकी ओर ले जाना चाहता हूँ? क्या मै मिलोकी जगह चरखे और करघेको देना चाहता हूँ? क्या मै रेलगाडीकी जगह वैल-गाडीको रखना चाहता हूँ? क्या मै मशीन-मात्रको नष्ट कर देना चाहता हूँ? कुछ पत्रकारो और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओने मुझसे ये सवाल किये है। मेरा जवाव है अगर मशीने गायव हो ही जाये तो मुझे कोई अफसोस नही होगा और न मै उसे किसी तरहका दुर्भाग्य या विपत्ति समझूँगा। लेकिन मशीनोको नष्ट करनेकी मेरी कोई योजना नही है। अभी तो मै, अपनी मिलो द्वारा तैयार किये गये सूत और कपडेसे जिस हदतक हमारी जरूरते पूरी नही होती उस हदतक उन्हे पूरा करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि विदेशोको भेजा जानेवाला करोडो रुपया वचाकर उसे देशकी झोपडियोमे वॉट दिया जाये। फुरसतके समय चरखा चलानेके लिए जवतक सारा राष्ट्र तैयार नही हो जाता तवतक मै यह काम नही कर सकता। इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए कताईको गुजर-वसरका साधन वनानेके वदले कर्त्तव्यके रूपमे लोकप्रिय वनानेके जो उपाय मैने सुझाये है, उन्हे अपनाया जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९–१–१९२१

१२२. अस्पृश्यताका पाप

यह ध्यान देने योग्य वात है कि विषय-समितिने[1] अस्पृश्यताके पापसे सम्वद्ध धाराको विना किसी विरोधके स्वीकार कर लिया। यह भी सन्तोपकी वात है कि इस राष्ट्रीय सभाने वह प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमे कहा गया था कि स्वराज्य-प्राप्तिके लिए हिन्दुत्वपर लगे हुए इस कलंकको मिटाना आवश्यक है। शैतान तो सिर्फ शैतानीमे सहयोग देनेवाले तत्त्वोकी सहायतासे ही सफल होता है। हमे वशमे करनेके लिए वह हमेशा हमारे स्वभावकी कमजोरियोका लाभ उठाता है। ठीक उसी तरह सरकार भी हमारी कमजोरियो अथवा दुर्गुणोके वलपर ही हमे अपने वशमे रखे हुए है। अगर हम उसकी सारी साजिशोको असफल करना चाहते हो तो हमे अपनी कमजोरियोको दूर करना होगा। यही कारण है कि मैने असहयोगको शुद्धी-करणकी एक प्रक्रिया कहा है। जिस समय यह प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसी समय अपने लिए अनुकूल वातावरणके अभावमे यह सरकार भरभराकर वैठ जायेगी — ठीक उसी तरह जिस तरह गन्दे पानीके गढोको मिट्टी भरकर सुखा देनेपर, उसके आस-पास मच्छर नही रह जाते।

१ नागपुरमें आयोजित ३५वी कांग्रेसकी विषय-समिति।

हम जो कुछ भोग रहे है, क्या वह हमारे अस्पृश्यताके अपराधका उचित दण्ड ही नही हे? क्या हमने जैसा बोया था वैसा ही नही काटा है? क्या हमने अपने बन्धु-बान्धवोके साथ ही डायरवादी और ओ'डायरवादी व्यवहार नही किया हे? हमने 'अछूत' लोगोको अपने समाजसे पृथक् कर दिया और बदलेमे स्वय हमे ब्रिटिश उपनिवेशोने अछूतोकी भाँति पृथक् कर दिया है। हम उन्हे सार्वजनिक कुँओसे पानी नही लेने देते और खानेके लिए उनके आगे हम अपनी जूठन फेंक देते है। उनकी छाया-मात्रसे हम अपवित्र हो जाते है। दरअसल अग्रेजोके विरुद्ध हम जितने भी आरोप लगाते है उनमें से कोई भी ऐसा आरोप नही है जो 'अछूत' लोग हमारे विरुद्ध न लगा सकते हो।

हिन्दुत्वपर लगे इस कलकके धब्बेको कैसे मिटाया जाये? "अपने प्रति जैसे व्यवहारकी अपेक्षा तू औरोसे रखता है, दूसरोंके प्रति स्वय भी वैसा ही व्यवहार कर।" अग्रेज अधिकारियोसे मैंने अक्सर यह कहा है कि अगर वे हिन्दुस्तानके लोगोके सेवक और मित्र है तो वे अपनी झूठी उच्चताका दावा छोड दें, सरक्षक-प्रतिपालकवाला भाव त्याग दे, अपने प्रेमपूर्ण कार्योसे यह दिखाये कि वे हर तरहसे हमारे मित्र है, और हमे ठीक उसी तरह अपना समकक्ष माने जिस तरह वे अपने साथी अग्रेजो-को मानते है। पजाब और खिलाफतके अनुभवोके बाद मैंने एक कदम आगे बढकर उनसे पश्चात्ताप और हृदय-परिवर्तन करनेके लिए कहा है। ठीक उसी तरह हम हिन्दु-ओके लिए भी यह जरूरी है कि हम अपने कियेपर पश्चात्ताप करे, उन लोगोके प्रति अपने व्यवहारको बदले, जिन्हे आजतक हम एक उतनी ही शैतानियत-भरी प्रणालीके द्वारा 'दबाते' रहे है, भारतके प्रति ब्रिटिश शासन-प्रणालीको हम जितनी शैतानियत-भरी मानते है। उनके लिए कुछ घटिया किस्मके स्कूलोकी व्यवस्था करके हमे यह नही मान लेना चाहिए कि हमने उनपर बहुत कृपा कर दी, हमे उनकी ओर हेय दृष्टिसे नही देखना चाहिए। हमे उनके साथ सगे-भाइयोका-सा व्यवहार करना चाहिए, वे हमारे सगे भाई ही है। हमे उनको वह विरासत वापस कर देनी चाहिए, जो हमने उनसे छीन ली है। और यह काम कुछ अग्रेजी पढे-लिखे सुधारकोको ही नही करना चाहिए, इस दिशामे जनसाधारणको स्वेच्छासे सजग प्रयास करना चाहिए। इस आवश्यक सुधारमे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम अनन्तकालतक केवल प्रतीक्षा करते नही रह सकते। हमने जो एक सालकी अवधि निश्चित की है तैयारी और तपस्याकी इस अवधिके भीतर हमे अपने लक्ष्यतक पहुँचना ही है। यह सुधार ऐसा है जो स्वराज्यके बाद नही, स्वराज्यसे पहले हो जाना चाहिए।

अस्पृश्यताका विधान धर्ममे नही है। यह तो शैतानकी एक चाल है। शैतानने हमेशा शास्त्रोकी दुहाई दी है। लेकिन शास्त्र सत्य और विवेकसे बढकर नही है। वे विवेकको निर्मल बनाने और सत्यको उद्भासित करनेके लिए ही रचे गये है। मै किसी निर्दोष घोडेको सिर्फ इसीलिए अग्निमे होमनेके लिए तैयार नही हूँ[1] कि वेदोमे इस बलिदानका विधान है। मेरे लिए 'वेद' दैवी और अपौरुषेय है। [जैसा कि

१ गाधीजीका तात्पर्य अश्वमेध यज्ञसे है।

'वाइविल' मे कहा गया है,] 'शास्त्रके वचनोका अक्षरार्थ सत्यका हनन करता है।' जो चीज सत्यपर प्रकाश डालती है, वह तो उनमे निहित भावना ही है। और वेदोकी असली भावना है शुचिता, सत्य, निर्दोषिता, पवित्रता, विनयशीलता, सरलता, क्षमा, भक्तिमत्ता और वह सव-कुछ जो किसी पुरुष अथवा स्त्रीको उदार और वहादुर वनाता है। देशके इन महान् और मूक सेवको, भगियोको कुत्तेसे भी हीन मानकर उनका तिरस्कार करने और उनपर थूकनेमे न तो कोई उदारता है और न वहादुरी। भगवान हमे भी शक्ति और समझ दे, जिससे देशके दलित वर्गोको सफाईका जो काम विवश होकर करना पडता है, उसे हम स्वय स्वेच्छया कर सके। देशमे ऐसी असख्य वुराइयाँ है, जिन्हे दूर करके हम उसे स्वच्छ और निर्मल वना सकते है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १९-१-१९२१

१२३. क्या ईसा मसीहने सहयोग किया था?

प्रिय श्री गाधी,

श्री लायली[1] यहाँ आये थे और उन्होने मुझे वताया कि आप उनसे मेरा कुशल-क्षेम पूछ रहे थे। इसके लिए मै आपका आभारी हूँ। मै, निस्सन्देह, आपकी गतिविधियोमें गहरी दिलचस्पी लेता रहा हूँ, लेकिन मुझे दु खके साथ कहना पडता है कि मै आपके असहयोग आन्दोलनसे सहमत नहीं हूँ और न हो सकता हूँ। मै भगवानसे प्रार्थना करता रहा हूँ कि वह आपको अपनी भूल दिखाये और आपको — और हम सवको — ऐसे कार्योमें प्रवृत्त करे जिनसे उसका पुनीत नाम उज्ज्वल हो तथा सारे हिन्दुस्तानका भी स्थायी कल्याण हो। आपके वहुत सारे लेखो और भाषणोसे मै इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि आप अपने आन्दोलनको इस आधारपर उचित ठहरानेकी कोशिश करते है कि लाख समझाने-वुझाने और मना करनेके वावजूद अगर हमारा कोई निकट और प्रिय सम्बन्धी गलत काम करता हुआ दिखाई दे तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उससे किसी तरहका सम्बन्ध न रखें, क्योकि अगर सम्बन्ध रखते है तो हम भी कुकर्मोके भागी होगे।

लेकिन निश्चय ही, ईसाइयो और हिन्दुओके धर्मग्रन्थोमें एक मूलभूत सिद्धान्त ऐसा है जो इससे सर्वथा भिन्न आचरणकी ओर सकेत करता हे। दोनोमें अवतारकी वात कही गई हे, और यद्यपि कुछ वातोमें इन दोनोमें भिन्नता है, तथापि प्रत्येकको अन्तर्भूत भावना यही है कि जव भगवानने, जो स्वय अनन्त

१ अहमदावाद निवासी एक ईसाई मिशनरी, जो सावरमती आश्रममें अग्रेजी भी पढाते थे।

पवित्रताका पुंज है, मानवको कुकर्म-जनित दुःखकी आगमें जलते देखा तब वह उससे दूर नहीं रहा, बल्कि अपना स्वर्गासन छोड़कर उसकी सहायता करनेके लिए तथा उसे उसके पापोंके परिणामोंसे बचानेके लिए पृथ्वीपर अवतरित हुआ। परमपुनीत, अपापजन्मा ईसाने पापियोंके साथ काम करनेसे कभी इनकार नहीं किया। उन्हें स्वयं सभी बुराइयोंसे घृणा थी और जहाँ, जिसमें — तत्कालीन बड़ेसे-बड़े आदमियोंमें भी — उन्हें ये बुराइयाँ दिखाई दीं, उन्होंने सर्वत्र इनकी तीव्र भर्त्सना की। लेकिन दूसरी ओर वे सभी लोगोंसे — फैरिसियोंसे[1] लेकर विदेशी सरकारके लिए कर वसूल करनेवाले घृणित तहसीलदारों और कुख्यात पापियोंतक से मुक्तभावसे मिलते रहे और उनके निकट सम्पर्कमें रहकर काम करते हुए, उन्होंने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण उपदेशों और सुन्दर दृष्टान्तों द्वारा, उन्हें बुराईसे विमुख करके अच्छाईकी ओर उन्मुख करनेका प्रयत्न किया।

इन तथ्योंपर विचार करते हुए मैं इसी परिणामपर पहुँचा हूँ कि आज सभी सच्चे देशभक्तोंका यह स्पष्ट कर्त्तव्य है कि वे इस सरकारसे, जिसे अनुचित रूपसे राक्षसी और शैतानकी सरकार कहा गया है, अपने-आपको अलग न रखें, वरन् उससे सम्पर्क बनाये रखनेके लिए जो सम्भव हो सकता है सो उपाय करें (अर्थात् नई कौंसिलोंको प्रोत्साहन प्रदान करें) और उसे इस तरह उस मार्गकी ओर प्रवृत्त करनेका प्रयत्न करें, जिसे वे अधिक उचित मानते हैं। मैं आशा करता हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह पिछले वर्ष आपने सत्याग्रहके सिलसिलेमें अपनी भूलें देख ली थीं, उसी तरह समय रहते आपकी आँखें खुलें और आप असहयोगसे मुँह मोड़कर सहयोगकी ओर प्रवृत्त हों।

आप मेरे इन चन्द शब्दोंका जैसा चाहें, उपयोग कर सकते हैं।

सस्नेह —

आपका,
जी० गिलिस्पी

राजकोट,
२०–११–१९२०

मैं इस पत्रको ज्योंका-त्यों छाप रहा हूँ। इसे मैं विशेष रूपसे इसलिए छाप रहा हूँ कि इससे प्रकट हो जाता है कि यद्यपि मैं वर्तमान शासन प्रणालीकी अनवरत निन्दा करता रहा हूँ, फिर भी मुझे रेवरेंड गिलिस्पी-जैसे अंग्रेजोंकी मैत्रीका सौभाग्य प्राप्त है। मैं जानता हूँ कि वे जो-कुछ कहते हैं उसमें पूरी ईमानदारीके साथ विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि मेरी मान्यताएँ और उद्देश्य सदाशयतापूर्ण हैं, तथापि हम दोनोंकी ईसाइयों और हिन्दुओंके धर्मग्रन्थोंकी व्याख्याएँ भी एक-दूसरेसे कोसों दूर

१ यहूदी पुरोहित जो धर्मके बाहरी दिखावेमें विश्वास करते थे।

हैं। जहाँतक हिन्दुओंके धर्मग्रन्थोंकी बात है, मैं विश्वासपूर्वक लिख सकता हूँ और मैं यह दावेके साथ कहता हूँ कि एक हिन्दूका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने-आपको कुकर्मी-से अलग कर ले, अर्थात् वह उसके कुकर्ममें भाग न ले और न उसे समर्थन ही दे। प्रह्लादने अपने पिताके कुकर्मोंसे अपने-आपको विलग कर लिया। देवी सीताने रावणकी सेवाएँ अस्वीकार कर दी। भरतने अपनी माता कैकेयीके कुकृत्योंकी भर्त्सना की और उसने दुष्टतापूर्वक उनके लिए जो सिंहासन प्राप्त किया था, उसपर बैठनेसे इनकार कर दिया। 'बाइबिल' के सम्बन्धमें मैं विश्वासपूर्वक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसे जिस रूपमें मैंने समझा है, उससे तो हिन्दू धर्मग्रन्थोंके मेरे अध्ययनसे निकाले गये निष्कर्षोंकी स्पष्टतः पुष्टि ही होती है। ईसा, भटियारों और पापियोंसे न तो उनके आश्रित और न उनके संरक्षक बनकर ही मिले-जुले। वे तो उनकी सेवा करने तथा उनके जीवनको सत्य और शुचितामें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे ही उनमें मिले-जुले। लेकिन जहाँके लोगोंने उनकी बात नहीं सुनी, वहाँ वे दुबारा नहीं फटके। मैं शर्मनाक और बुरा जीवन बितानेवाले अपने पुत्रको भी किसी प्रकारका सहारा न देना अपना फर्ज समझता हूँ। प्रबुद्ध असहयोग व्यथित प्रेम भावनाकी अभिव्यक्ति है। मेरे इन सम्मानित पत्र-लेखकने बुराईसे अलग रहना और सेवार्थ बुरे लोगोंके बीच रहना — इन दोनों बातोंको एक ही मान लिया है। क्या ईसा सूदखोरोंसे उपहार स्वीकार करते, उनमें अपने मित्रोंके लिए छात्रवृत्तियाँ लेते और उन्हें उनके जघन्य व्यापारमें लगानेके लिए अनुदान देते? पाखंडियों, फैरिसियों और 'सदूसियों'[1] की क्या उन्होंने केवल मौखिक भर्त्सना ही की? क्या उन्होंने सचमुच लोगोंको उनसे सावधान रहने और बचनेकी सलाह नहीं दी है? लेकिन श्री गिलिस्पीका खयाल है कि मैंने सरकारको शैतान कहकर उसके प्रति अन्याय किया है। हमारे दृष्टिकोण भिन्न होनेका कारण सम्भवतः यही है। जो सरकार फरेब, खूँरेजी और मनमानी क्रूरताका व्यवहार करनेकी अपराधी है, जो सरकार अभीतक अपने कियेपर पश्चात्ताप करनेको तैयार नहीं है, जो उल्टे अपने अपराधको ढँकनेके लिए झूठका सहारा लेती है, उस सरकारको अगर मैं शैतानकी सरकार न कहूँ तो मेरे खयालसे यह सत्यसे पलायन होगा। मैं सचमुच यह मानता हूँ कि जिस सरकारने अपने अधीनस्थ लोगोंके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए वे उसके आभारी होते, उस सरकारके आडम्बरोंकी सही शब्दोंमें भर्त्सना करके मैं मित्रका ही धर्म निभा रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-१-१९२१

१ यहूदियोंका एक वर्ग जो भूत-प्रेत और अन्य परम्परागत मान्यताओंका निषेध करता था।

१२४. पत्र: सी० एफ० एण्ड्रयूजको

रेलगाडीमे
१९ जनवरी, [१९२१][1]

परमप्रिय चार्ली,

मैंने अभी-अभी तुम्हारा बडे दिनके अवसरपर लिखा पत्र और वह पत्र भी पढा जो तुमने लालचन्दके[2] सम्बन्धमे लिखा है। मैं तुमसे सहमत हूँ कि लालचन्द अभी बहुत अनुभवहीन है और उसे मोम्बासा नही भेजा जाना चाहिए। वे उसे ६०० रुपये देना ठीक नही मानेंगे। मैंने अभीतक पूर्वी आफ्रिकाका खरीता नही पढा है, लेकिन जिस लेखके बारेमें तुमने कहा था, वह पढ लिया है। लालचन्दकी शैली मुझे बिलकुल पसन्द नही है। अगर मैंने यह लेख पहले देखा होता तो इसे प्रकाशित ही नही होने देता।

आशा है, तुम स्वस्थ-सानन्द होगे।

पियर्सनके[3] पत्रको मैं एक बहुत मूल्यवान उपहार मानता हूँ। बडोदादाने मुझे एक और पत्र भेजा है। वे बडे नेक आदमी हैं। उनके आशीर्वादोका मेरे लिए बडा महत्व है।

मैं इसी २१को बम्बईसे कलकत्तेके लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५७) की फोटो-नकलसे।

१ २९ जनवरी, १९२१को लालचन्दके नाम लिखे पत्रके पहले अनुच्छेदसे प्रकट होता है कि यह पत्र १९२१ में लिखा गया था।

२ ये **यंग इंडिया**के सम्पादकीय विभागमें काम करते थे।

३ विलियम विन्स्टेनली पियर्सन, मिशनरी, भारतीयोंके एक सक्रिय समर्थक, कुछ समयतक शान्तिनिकेतनमें अध्यापन कार्य किया, १९१४ में नेटालके चीनी संस्थानोंके भारतीय मजदूरोंकी दशाका अध्ययन किया।

१२५. भाषण: राष्ट्रीयशाला, नडियादके विद्यार्थियोंके समक्ष[1]

१९ जनवरी, १९२१

आज तुम्हारा, मेरा और जो अपने आपको भारतीय कहते हैं उन सबका एक ही धर्म यह है कि हमें एक वर्षके भीतर जो स्वराज्य प्राप्त करना है उसके लिए हम अवश्य ही उचित साधनोंको अपनाएँ और आवश्यक बलिदान करें। मेरी इच्छा है कि आप 'स्वराज्य' एक राजनीतिक विषय न समझ बैठें। "स्वराज्य क्या है" यह बात प्रत्येक विद्यार्थीको समझ लेनी चाहिए तथा उसे अपना स्वधर्म मानना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थीमें स्वधर्मकी रक्षा करनेकी शक्ति होनी चाहिए। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई मारकर अथवा डरा-धमकाकर उससे कोई काम न करवा सके। जो उसे असत्य जान पड़े उसे वह असत्य कहे, जो सत्य जान पड़े उसे सत्य कहे। इतनी हिम्मत प्रत्येक विद्यार्थीमें होनी चाहिए। माँ-बापको चाहिए कि वे बालकोंको सच-झूठकी पहचान करना सिखाएँ। स्वराज्यका अर्थ यही है। स्वराज्यका अर्थ है जो कुछ हमारे मनमें हो उसे बोलने और करनेका तथा जिसे हम पापरूप मानें उसे न करनेका अधिकार।

जबतक हम किसी भी तरहकी स्वतन्त्रताका उपभोग नहीं कर पाते, जबतक हमारी खाने-पीनेकी वस्तुओं और हमारे विचारोंतक पर दूसरोंका अंकुश है तबतक हम स्वराज्य-भोगी कैसे हो सकते हैं? हम कपड़ेके बारेमें पराधीन हैं। इसी कारण हम अन्नके लिए भी दूसरोंपर निर्भर हो गये हैं। भाई अमृतलाल ठक्कर उड़ीसामें काम करने गये थे, वे वहाँसे अभी-अभी आये हैं। गुजरातने वहाँके अकाल-संकटका निवारण करनेमें कुछ हिस्सा लिया है, इसीलिए मैं यहाँ इस बातका जिक्र कर रहा हूँ। इस अकालका कारण अतिवृष्टि हो चाहे अनावृष्टि, लेकिन उड़ीसाके लोगोंके पास रुपया नहीं है। वे इस कारण अनाज नहीं खरीद सकते। उनके पास कोई काम-धन्धा न होना ही उनकी कंगालीका कारण है। इसीसे मैं कहता हूँ कि अगर हम बच्चोंसे भी स्वदेश-सेवा करवाना चाहते हैं तो जिस तरह हमें उन्हें ईश्वरका नाम लेना और लिखना-पढ़ना सिखाना चाहिए उसी तरह हमें उन्हें हाथ-पैरोंसे काम लेनेकी भी शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें तभी हार्दिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरहकी शिक्षा मिलेगी। आज हस्तकलाके रूपमें चरखा ही सबसे बड़ी शिक्षा है। इससे हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम देशमें साठ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बचा सकेंगे।

मेरी इच्छा है कि आप लोग यह समझने लगें कि जिस तरह सत्यादि व्रतोंका पालन करना धर्म है उसी तरह हिन्दुस्तानके लिए चार-पाँच घंटे चरखा चलाना भी धर्म है। मैं चाहता हूँ कि हरेक विद्यार्थी एक वर्षतक छ: घंटे नित्य चरखा चलाये।

१ महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत।

मै भगवानसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वह इस कार्यको हमारे लिए सहल और हलका बनाये, क्योंकि इसीसे हम धार्मिक और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेगे।

[गजरातीसे]

नवजीवन, २३-१-१९२१

१२६. भाषण : अध्यापकोंकी सभा, नडियादमें[1]

१९ जनवरी, १९२१

अभीतक हम सरकारसे डरते थे, हमे हमेशा यह लगता था कि अगर सरकार-की मदद मिलनी बन्द हो जायेगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? इसलिए हमे डर-डरकर चलना पडता था। इसी भयके कारण हम खुलकर बात भी नही कर सकते थे। आज हम देखते है कि हम सरकारकी मददके बिना काम चला सकते है और सरकार हमारा कुछ भी नही बिगाड सकती। हम झूठसे छुटकारा पा गये। अब हम जो बात महसूस करते है, कह सकते है। हमे सरकारसे कह देना चाहिए कि स्कूल हमारे है। तब वह हमे किस तरह प्रभावित करेगी? क्या वह सबको दण्ड दे सकती है अथवा कैद कर सकती है? लेकिन यह तो पहला परिणाम है, इसका सुपरिणाम देखना तो अभी बाकी है। उस सुपरिणामको प्राप्त करनेके लिए शिक्षकोकी मददकी जरूरत है। आप स्वराज्यकी लडाईमे अपना हिस्सा देने और त्याग करनेके लिए तैयार हो जाये। जब स्वराज्य मिलेगा तब आपकी पेन्शन भी चालू हो जायेगी। हम अपने अधिकारोके लिए लडते है, यह बात हम सब लोग ज्ञानपूर्वक और साहसपूर्वक माने और उसपर आचरण करे, इसीमे इस लडाईका रहस्य छिपा है। मै चाहता हूँ कि आप सब लोग स्वराज्यके शिक्षक बने और नगरपालिकाओकी सहायता करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-१-१९२१

१ महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत। नडियादमें नगरपालिकाने निश्चय किया था कि वह सरकारसे कोई अनुदान नही लेगी। अब नगरपालिका और स्कूलोंके अध्यापकोंके सामने प्रश्न था कि उन्हें इन स्कूलोंमें बने रहना चाहिए या नहीं और अपना पेन्शनका अधिकार छोड़ना चाहिए या नहीं।

१२७. भाषण : व्यापारियोंकी सभा, नडियादमें[1]

१९ जनवरी, १९२१

नडियादने अभीतक बहुत-कुछ करके दिखाया है। वह इसी तरह आगे भी करे और बढ़े, यही मेरी कामना है। यदि व्यापारी तैयार हो जाएँ तो वकीलोंकी भी कोई जरूरत न पड़े। हम व्यापारियोंके बलपर ही पंजाब और खिलाफतके सम्बन्धमें न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यदि सात करोड़ मुसलमानों और तेईस करोड़ हिन्दुओंमें स्वदेशीकी भावना जाग्रत हो जाये तो हम आज ही स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशामें हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है कपड़ा तैयार करना। यदि हममें कपड़ा तैयार करनेकी शक्ति आ जायेगी तो सब वस्तुओंको तैयार करनेकी शक्ति हममें स्वयमेव आ जायेगी। इस शक्तिको खोनेमें हिन्दू व्यापारी और मुसलमान व्यापारी दोनों ही का दोष है। उनका लोभ नहीं छूटता। अगर वे अपने लोभको त्याग दें तो आप आज ही स्वराज्य और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना भी विदेशी कपड़ा हो उसको फेंक दें अथवा जला दें तो भी मुझे कलक नहीं होगी। आप चाहें तो इसे विदेशोंमें ले जाकर बेच दें लेकिन अपने देशमें न बेचें, और स्वदेशी कपड़ा तैयार करने लगें। नडियाद कपड़ेके लिए अहमदाबादपर निर्भर करता है, यह बात मुझे विचित्र जान पड़ती है। उसे भी स्वदेशी कहना मुश्किल है। जबतक छोटे-बड़े सभी सूत नहीं कातते तबतक स्वराज्य दूरकी मंजिल है। यदि हम सब चरखा चलायें तो सूत हमें मुफ्त मिलने लगे। तब जिस तरह हर कोई अपने लिए गेहूँको पिसवा सकता है उसी तरह सूतको भी बुनवा सकेगा। इस तरह मिलके कपड़ेकी कमी पूरी हो जायेगी। यदि आप विदेशी माल लेना और बेचना बन्द कर दें तो आप स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि आप रुपया दे सकते हैं। स्वराज्यके लिए अपना रुपया देकर आप साबित कर सकते हैं कि आप किसी घटिया धातुके बने हुए नहीं हैं, खरे सोनेके बने हुए हैं। आपका रुपया बादमें आपको ही वापस मिल जायेगा। इसका उपयोग आपके शहरके लिए ही किया जायेगा। इसमें आपको आठ आने अथवा बारह आने [सैकड़ेका] ब्याज नहीं मिल सकता, लेकिन शिक्षा मिलेगी, स्वतन्त्रता मिलेगी। इससे आप अपना कपड़ा स्वयं तैयार करने लगेंगे। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आप इन दोनों कामोंको करके नडियादकी प्रतिष्ठा बढ़ाएँ। नडियादकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर आप समस्त गुजरात और हिन्दुस्तानकी प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३–१–१९२१

१ महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत ।

१२८. भाषण : वडतालकी सार्वजनिक सभामें

वडताल[1]
१९ जनवरी, १९२१

भाइयो और बहनो,

मुझे आप सब भाई-बहन इस बातके लिए क्षमा करेंगे कि मैं अशक्त होनेके कारण खडे होकर भाषण नही दे सकूँगा। सच तो यह है कि जिस तरह मैं शरीरसे अशक्त हो गया हूँ उसी तरह मेरी आवाज भी अब पहले-जैसी नही है। फिर भी मैं ज्यादासे-ज्यादा लोगोतक अपनी आवाज पहुँचानेकी कोशिश करूँगा। इसके लिए आप सब लोगोको शान्त रहना होगा, क्योकि शान्ति बनी रही तो मुझे जो-कुछ कहना है वह काफी भाई-बहनोके पल्ले पड सकेगा।

इस पवित्र स्थानपर आकर मुझे खुशी हो रही है। १९१५ से मेरी यह अभिलाषा रही है कि मैं इस पवित्र धामकी यात्रा करूँ। आज इस सौभाग्यका अवसर प्राप्त होनेके लिए मैं ईश्वरको धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगोका भी आभारी हूँ।

इस सभामे इतने साधुओकी उपस्थिति एक बडी खुशीकी बात है। क्योकि मेरा सन्देश सामान्य स्त्री-पुरुषोके लिए ही नही, सबके लिए है — साधुओके लिए खास तौरसे है। जब साधु-वर्ग यह समझेगा कि असहकार क्या है, हिन्दुस्तानकी जनता किसलिए असहकार कर रही है तब वे भी असहकारके मन्त्रका जाप किये बिना न रहेगे क्योकि तब वे यह समझ जायेगे कि [असहकारके बिना] साधुताको भी कायम नही रखा जा सकता। असहकार हमारे धर्ममे कोई नवीन तत्त्व नही है। अनेक परेशानियोमे पडकर हम इसे भूल गये है अथवा कहिये, हमने उसके लक्षणोको भुला दिया है। इसीसे इसपर अमल करनेमे हम कुछ ढील कर जाते है, शकाएँ उठाते है और परिणाम होता है स्वराज्यकी स्थापनामे देरी। लेकिन असहकार कोई नया तत्त्व नही है, यह मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि जनता इसमे उत्साहके साथ भाग ले तो हम एक वर्षमे ही स्वराज्यकी स्थापना कर डाले। यह बात मैं चार महीनेसे बराबर कहता आ रहा हूँ, और फिर भी कहता जा रहा हूँ, इसका कारण जनतामे मेरी अटूट श्रद्धाका होना है।

कुछ भाई, जिन्हे सिर्फ राजनीतिमे ही दिलचस्पी है, शका उठाते है, और कहते है कि यह प्रवृत्ति राजनीतिक नही है, कौन जाने यह कैसी होगी, अथवा कहते है, यह धार्मिक है। मैं कबूल करता हूँ कि यह धार्मिक है, इसमे शकाकी तनिक भी गुजाइश नही है। इसे मैने आप लोगोसे छिपाया भी नही है। जबतक साधु धर्मके

१. गुजरातके खेडा जिलेका गाँव। स्वामिनारायण सम्प्रदायका तीर्थस्थान।

सिद्धान्तोको नही समझते और राजनीतिक प्रश्नोको सुलझानेमें उनका उपयोग नही करते तबतक मुश्किले पैदा होती रहेगी। जबतक साधु इसमे अपना पूरा योगदान नही देते तबतक उनमे भी पूर्ण साधुता नही आ सकती।

सरकारके अत्याचारमे हाथ न बँटाना, उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे सहायता न देना असहकार है। सब छात्रोका कहना है कि राक्षसी प्रवृत्तिसे अलग रहो। जबतक राक्षसी प्रवृत्तिका प्रचलन हो तबतक यदि हम उस प्रवृत्तिवालोकी मदद लेते है अथवा उन्हे मदद देते हैं तो हम उनके पापके भागीदार बनते हैं। तुलसीदासने कहा है कि असन्तोका सग करना पाप है। 'गीता'में भी कहा गया है कि अगर हम राक्षसी प्रवृत्तिको स्वीकार करते है तो हम राक्षस बन जाते हैं।

[यहाँ वर्षा होने लगी और श्रोताओमे थोडी हलचल होने लगी]

इतनी-सी बरसातसे अगर आप लोग भागेगे तो असहकार क्या है उसके मर्मको कैसे समझ सकेंगे।

इतने थोडे समयमें हमे एक पदार्थ-पाठ मिला है। उससे हम समझ सकते है कि हमे स्वराज मिलनेमे ढील क्यो हो रही है। इस ससारमें कलियुग बिन मौसमकी बरसातके समान है। जिस तरह बिन मौसमकी बरसातसे सुख नही मिलता उसी तरह कलियुगमें सुख सहज नही मिल सकता, और यदि हम ईश-भजन करना चाहते हो, सतयुगकी तरह रहना चाहते हो तो हमें कलियुगका भय छोडना चाहिए।

अभी हमने बिन मौसमकी बरसातकी वजहसे कितना समय नष्ट किया। यहाँ कितने सारे लोग लाठियाँ, छतरियाँ और धारिये[1] लिये बैठे है, उन्होने गडबडी मचा दी, छतरियाँ तन गई और बहने बेकार ही बिना किसी बातके लड पडी। इससे यह प्रकट होता है कि अभी हम स्वराज्यके योग्य नही हुए हैं। स्वराज्यमे निर्भयताके गुणकी सबसे पहले आवश्यकता है। कष्टसे — दुखसे डरकर जो धर्मपर आचरण करना छोड देता है वह स्वराज्य प्राप्त नही कर सकता। कायरको सुख नही मिल सकता। एक चोर अथवा लुटेरा उसे डरा-धमकाकर उससे कुछ भी करा ले सकता है, इसलिए कायर व्यक्ति धर्मका पालन नही कर पाता।

सभामे प्रत्येक स्त्री-पुरुषका धर्म शान्ति बनाये रखना है। उसका धर्म है कि अगर कोई क्रोधमे पागल हो जाये और आक्रमण कर बैठे तो हम उसे सहन करे, उसपर बदलेमे आक्रमण न करे, गाली-गलौज न करे, शोर न मचायें। जो व्यक्ति बाहर हो उसे अन्दर आनेका प्रयत्न नही करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह एकचित्त होकर [भाषण] सुने, उसपर विचार करे, उचित लगे तो उसपर आचरण करे और शेपका त्याग कर दे। हम अभी इतने व्यावहारिक धर्मका पालन करनेके योग्य नही हैं। बारिशकी दो-चार बूंदोमे यदि हम शान्ति न रखें तो इतने धारियो और लाठियोके बीच कोई व्यक्ति पागल बनकर उपद्रव मचाये तब तो हम भाग ही निकलेंगे। ऐसेमे हम स्त्रियोकी लाज और अपने आत्मसम्मानकी रक्षा नही कर सकते। हमें अपने व्यक्तित्वपर विश्वास होना चाहिए। यहाँ कोई छडी और हँसिया लेकर मारने नही आया, लेकिन जैसे अनेक सकट

१ लबें बेंटका हँसिया जो गुजरातमें एक हथियारकी तरह धारण किया जाता है।

आते हैं वैसे ही कोई दीवाना मार भी बैठे तो समझदारीसे काम लेकर शान्त रहना धर्म है। क्षत्रियका धर्म कोई गाली दे, लकडी मारे, हँसिया मारे तो उसके प्रत्युत्तरमे वार करना नही है, उसे सहन कर लेना है। क्षत्रियका धर्म भागनेका नही हे, उसका धर्म मारना भी नही हे, मरना और मरकर जीनेका हे। मै पूरे विश्वासके साथ कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हिंसा करके दूसरेकी रक्षा नही करता, सच तो यह है कि हत्यारा मरनेकी तैयारी करता है और मरनेकी पूरी हिम्मत न होनेके कारण दूसरेको मार कर मरता है। वह जिस हदतक तलवारका प्रयोग करता है उस हदतक वह क्षत्रिय नही है।

क्षत्रिय विश्वास करे तो मरण तो उसके माथेका मुकुट है। मरनेका भय कैसा? जहाँ मरनेकी सबसे अधिक सम्भावना हो वहाँ जाकर खडे होनेवाला ही सच्चा बहादुर है। जो मार सकता है उसे कोई बहादुर नही कहता। एक कुम्हार जो गधीको मारता रहता है उसे हम क्षत्रिय नही कहते और जो क्षत्रिय व्यक्तियोकी हत्या करता हे यदि उसे हम कुम्हार कहे तो यह एक सही विशेषण प्रदान करना कहलायेगा। जो पुरुष अपनी स्त्रीको मारता है उसे हम बहादुर नही कहते बल्कि नामर्द कहकर यथार्थ विशेषणसे विभूषित करते हैं। हममे जबतक क्षत्रियके गुण नही आते तबतक स्वराज्य मिलना मुश्किल है। क्षत्रियका गुण धीरज है। बारह वर्षके प्रह्लादमे, सुधन्वामे, सीतामे यह गुण विद्यमान था। रावणने सीताको लालच दिये, भय दिखाये लेकिन सीताजी टससे-मस न हुई। इसीसे आज हम उन्हे शुद्ध क्षत्रियाणी — देवी — माता मानते है, जबतक स्त्रियोमे सीताके गुण नही आ जाते तबतक वे असहकार करने और स्वराज्य प्राप्त करनेके योग्य नही हैं। सीताजीने रावणके मिष्टान्नोका त्याग किया, ये व्यजन कोई कडवे न थे, लेकिन अपात्रके द्वारा दिये गये थे इसलिए सीताजीने उन्हे फेक दिया। रावणने जो आभूषण भेजे, सुन्दरतामे वे अभूतपूर्व थे, उनके हीरे-मोतियोकी चमक आजके हीरे-मोतियोसे कही अधिक होगी, लेकिन चूँकि वे अपात्रकी मार्फत आये थे इसलिए सीताजीने उनका त्याग किया। तभी वे अपने सतीत्वकी रक्षा कर सकी।

हिन्दुस्तानको भी असहकारके लक्षण जान लेनेकी जरूरत है। यदि हम अपने वीर्यकी, अपने धर्मकी, और गाय तथा अपने अस्तित्वकी रक्षा करना चाहते हो तो असहकार जरूरी है।

सरकारने हमारे आत्मसम्मानकी चोरी की है। पैसेकी चोरी तो वह करती ही थी, लेकिन जबतक वह हमारे धनको ही लूटती रही तबतक मैने उसे बरदाश्त कर लिया। मैने इसके साथ वैसा व्यवहार किया जैसा मै अपने आश्रममे करता हूँ। आश्रममे मै किसी चोरको दण्ड नही देता। उसी तरह मै सरकारको भी सहन करता रहा। लेकिन जब सरकारने हमारे आत्मसम्मानपर हाथ डाला तब मुझे चेत हुआ कि यह तो रावणका अवतार है, इसका सहार करना चाहिए। इसका अर्थ यह नही है कि मै रामचन्द्रका अवतार हूँ। रामचन्द्रको हम ईश्वर मानते है। मै ईश्वर नही हूँ, आप भी नही हैं, लेकिन हम सब रामचन्द्रके वारिस है। उनके जैसी तपश्चर्या करना और उनके जैसे दु खोको सहना हमारा कर्त्तव्य है। उन्होने जैसे रावणसे असहकार किया वैसे

हमे भी करना है। हम राम नही है इसलिए हम [रावणरूपी सरकारके] शरीरकी हत्या करके कुछ प्राप्त नही कर सकते। हम तो मानते है कि अपनी दुष्ट वासनाओके कारण यह सरकार नित नया शरीर धारण किया करेगी। फिर भी हमे वाल्मीकि और तुलसीदासजीके आदेशोका पालन करते हुए उसके सग का त्याग करना चाहिए, और इस प्रकार दुष्टताका नाश करना चाहिए।

'जेन्द-अवेस्ता', 'कुरान', 'बाइबिल', स्वामीनारायण[1] आदिने यही सिखाया है कि दुष्ट का सग नही करना चाहिए, उसे मदद न तो देनी चाहिए और न उससे लेनी चाहिए। सरकारने इसलामपर हाथ डाला है। मुसलमानोके साथ विश्वासघात करके अपने रावणत्वका परिचय दिया है। आज इस्लाम है तो कल हिन्दू-धर्म। हिन्दू-धर्मपर तो वह बहुत पहले ही झपट्टा मार चुकी है, लेकिन अज्ञानवश हमने अपनी सभ्यताका त्याग करके उसका बहुत ज्यादा विरोध नही किया। हिन्दुओने अपने धर्मका त्याग न किया होता तो गायोकी खुले-आम हत्या करनेवालोको हम कैसे सलाम बजा पाते? यह कोई एक व्यक्तिका सवाल नही है। एक व्यक्ति गो-हत्या करे तो उसे सहन कर लेना एक अलहदा बात है। लेकिन जो हमारे सरदार बनकर, सरकार बन कर, अन्नदाता होकर गो-हत्या करे उसके प्रति हम कैसे वफादार हो सकते है।

आप पूछेगे कि क्या मुझे इस बातका पता सिर्फ सालभर पहले ही चला? नही, लेकिन उस समय मै भ्रममे पडा हुआ था, मेरी धारणा थी कि मै सरकारको सुधार लूँगा। मै मरकर भी इसे प्रभावित करूँगा, मै ऐसा मानता था। लेकिन इस्लामके साथ जान-बूझकर किये गये विश्वासघातसे मेरा यह विश्वास चला गया। मै चेत गया और मैने समझ लिया कि "हे जीव! तू अगर भारतीय है तो चेत और इसकी सगति छोडकर भाग, नही तो तू हिन्दू-धर्मसे हाथ धो बैठेगा।" तबसे मै हिन्दुओके बीच जाकर उन्हे धर्मके रक्षणार्थ असहकार सिखा रहा हूँ। यदि आप हिन्दु-धर्मका पालन करना चाहते हो तो इस पवित्र धाममे मै आपसे कहता हूँ कि आपका पहला और अन्तिम पाठ असहकार है।

लेकिन आप कहेगे कि तब मै मुसलमानोके साथ मित्रता करनेकी बाते कैसे कर रहा हूँ? वे भी तो गायोको मारते है। मै कहूँगा कि वे वह कत्ल धर्मके नामपर करते है। मै उन्हे समझा सकूंगा कि अगर कोई सनातनी — कट्टर हिन्दू आपका साथ देता है तो वह इस विश्वासके साथ देता है कि यदि वह आपके धर्मकी रक्षा करते हुए अपने प्राणोको उत्सर्ग कर देगा तो भगवान मुसलमानोको गायकी रक्षा करनेकी प्रेरणा देगा। मै उनके साथ सहयोग के लिए यह शर्त पेश नही करता, लेकिन भगवान उन्हे ऐसा करनेकी प्रेरणा देगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

यह बात मै हमेशा नही कहता कि मै कोई शर्त नही लगाता। लेकिन साधुओ और मन्दिरोके सामने मुझे यह कहना ही चाहिए। अगर मै न कहूँ तो मुझे दोष लगेगा।

आप अग्रेज अथवा मुसलमानकी हत्या करके गायकी सेवा नही कर सकते बल्कि अपनी ही प्यारी जान देकर उसे बचा पायेगे। गायको बचानेमे अगर हमने अपना सर

१ स्वामी सहजानन्द (१७८१-१८३०), स्वामीनारायण सम्प्रदायके प्रवर्तक।

दे दिया तो यमराज आपको बिना कुछ पूछे अपने सिहासनपर बिठायेगा। लेकिन उसे बचानेमें यदि आप दूसरोके प्राण लेगे तो वह जरूर जवाब तलब करेगा, क्योकि आप भी आदमी हे और जिनके प्राण आप लेगे वे भी आदमी हे। मै ईश्वर नही हूँ कि गाय बचानेके लिए दूसरोका खून करनेका मुझे अधिकार हो। लेकिन हिन्दू धर्मने मेरा यह कर्त्तव्य अवश्य निश्चित कर दिया है कि गायके लिए मै अपने प्राण दे दूं। कितने हिन्दुओने ऐसा किया है? कितने हिन्दुओने बिना शर्त मुसलमानोके लिए अपने जीवनको उत्सर्ग कर दिया है। वणिक्वृत्तिसे गायकी रक्षा नही हो सकती। हिन्दुत्वकी गौरवपूर्ण परम्परा अपने प्राणोकी परवाह न करनेके लिए कहती है। जब मुसलमानोको विश्वास हो जायेगा कि हिन्दू उनके लिए जानकी बाजी लगा रहे हे तब वे गायकी हत्या करना बन्द कर देगे। अली भाइयोने गो-मास लेना बन्द कर दिया है। इनकी रसोईमे उसे ले जाना तक मना हो गया है क्योकि अली भाई पडौसीके प्रति अपने धर्मको जानते हे और उसका पालन करते हे। 'कुरान' मे यह नही कहा गया है कि मुसलमानोको गो-मास खाना ही चाहिए। उसमे सिर्फ गो-मासपर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया है। इसलिए वे लोग पडौसीके प्रति अपने कर्त्तव्यको पहचानकर गो-हत्या छोड देगे। इसी श्रद्धासे मै मुसलमानोका सग कर रहा हूँ और प्रत्येक हिन्दू साधुसे कहता हूँ कि आप खिलाफतके लिए अपने सर्वस्वकी आहुति देगे तो कहा जायेगा कि आपने हिन्दू-धर्मकी बडी रक्षा की है। अभी प्रत्येक हिन्दूका धर्म इस्लामको जोखिमसे बचाना है। और यदि ऐसा हुआ तो खुदा ही उन्हे हिन्दुओको अपना मित्र समझनेकी प्रेरणा देगा और हिन्दू भी उन्हे अपना मित्र मानेगे। अभीतक तो मुसलमानोने यही माना कि हिन्दुओको सताया जाये, और हिन्दुओने सोचा कि गायको बचानेमे मुसलमानोकी हत्या की जाये। इस तरह परस्पर द्वेषपूर्ण वातावरणके बीच तटस्थ अग्रेज लोग गायोको मारते रहे और उनको दोनोकी सद्भावना मिलती रही। इस तरह हमने बडा पाप किया है।

इस सरकारने इस्लामके साथ दगा किया और पजाबकी नाक काट डाली। पजाब तो हमारा मुकुट है, यह वह देश है जहाँ हमारे ऋषि-मुनियोने वास किया। इस देशके लोगोको चाबुक लगाये गये, पेटके बल चलाया गया, यहाँकी औरतोके बुरके उठाये गये, साधुओके कपडोपर चूना पोता गया और एक हजार व्यक्तियोपर पीछेसे गोली चलाई गई, इतनेपर भी यह सरकार अब ऐसा कहती है कि यह सब भूल जाओ। हजार व्यक्ति मारे गये इसका मुझे इतना गम नही है, लेकिन सरकारने यह जो बात कही कि इस सबमे हिन्दुस्तानका ही दोष था, उससे मेरे हृदयको गहरा आघात पहुँचा है। स्वय दोषी होकर उसने हिन्दुस्तानको ही दोषी बताया है। उसने स्वय कुछ नही किया। उसने कहा जनरल डायर एक छोटीसी भूलमे पड गये। पश्चात्ताप करने अथवा क्षमा मॉगनेकी वृत्ति तो उसे छूतक नही गई है। जबतक पजाबको न्याय नही मिल जाता तबतक हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सबका यह धर्म है कि वे असहकार करे। यह वस्तु मुसलमानोके धर्ममे भी है। असहयोगके लिए उन्होने 'तर्क मवालात' शब्दका प्रयोग किया है।

यह असहकार अहिंसापूर्ण है। इसमें लाठियों और धारियोका प्रयोग नही किया जाता। इसमे सिर लिया नही, दिया जाता है। अग्रेजोके प्रति तथा परस्पर अहिंसाका पालन करना आपका धर्म है।

आप धाराला नहीं हैं, ठाकरडा[1] — नही, ठाकोर है। आप ठाकोर बनना चाहते है तो टुच्ची-टुच्ची चोरियाँ आप नही कर सकते। पाटीदार[2] भी अपनेको क्षत्रिय कहते है लेकिन वे क्षत्रिय नही है क्योकि वे चोरीमें हिस्सा बटाते है, चोरीका माल लेते है। वे क्षत्रियत्व भूल गये है। लेकिन आप तो क्षत्रिय-जैसे ही दीख पडते है, शस्त्र रखकर क्षत्रियत्वका प्रदर्शन करते है। मै आपसे कहता हूँ कि आप जनताको दुःख पहुँचानेके लिए क्षत्रिय नही है, उसकी रक्षा करनेके लिए क्षत्रिय है। दारू पीना, लोगोको दुःख देना, स्त्रियोपर कुदृष्टि रखना, किसीको लूटना, यह तो आपका धर्म नही है। आप ऐसा करेंगे तो लम्पट कहलायेंगे। लम्पटको क्षत्रिय नही कहा जा सकता। मै धाराला-को अपना भाई समझकर उनसे मिलने आया हूँ। मै आपसे कहता हूँ कि कोई पाटी-दार लम्पट हो जाये तो आप उसे त्याग दें। मै आप लोगोका ही हूँ, पाटीदारोका भी हूँ। इन्हे क्षत्रिय जानकर मैं इनके साथ रहनेके लिए आया था। किन्तु जब मैने सुना कि ये पाटीदार लूटका माल रखते है तब मुझे शका हुई कि कही ये वीर होनेके बजाय कायर तो नही है? यदि आप पाटीदारोंके साथ सहयोग करते हुए स्वराज्यमे हिस्सा लेना चाहते हो तो आप इन सब कामोको मनसे निकाल दीजिये।

धाराले ठाकोर तभी बनेंगे जब वे देशकी रक्षा करेंगे और सच्चा साधु वही है जो निर्भय होकर इनमें घूमे-फिरे, जो इनके साथ रहते हुए भी कमल-पत्रकी तरह निर्लेप रहे, इन्हे सदुपदेश दे। मै साधु होनेका दावा नही करता लेकिन गृहस्थ होते हुए भी कहता हूँ कि यदि मै इस कार्यमें व्यस्त न हो जाता तो मै भीलो और अन्य जगली जातियोमें जाकर रहता। उन्हे शुद्ध, दयावान, बहादुर, सदाचारी, सत्यभाषी बननेका उपदेश देता और उनसे जनताकी रक्षा करवाता।

यहाँ अनेक साधु रहते है, उनसे मै प्रार्थना करता हूँ कि जब इतना कहर बरपा हो तब जैसे मै विद्यार्थियोको स्वयसेवक बननेके लिए कहता हूँ उसी तरह आप भी अपने अधिकारोका उपयोग करते हुए देशके इस कार्यमें जुट जायें। लुच्चो, चोरो और लम्पटोंके दोषोका हरण करना आपका धर्म है। जबतक आप ऐसा नही करते तबतक आपको साधु कहलानेका अधिकार नही है। यदि आप स्वराज्य चाहते हो, अर्थात् राम-राज्य, सत्ययुग चाहते हो, यदि आप भरतखण्डको धर्म-भूमि — देवभूमि — बनाना चाहते हो तो पडोसीपर अत्याचार होता हुआ देखकर उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। आपके पास यम-नियमके दिव्य अस्त्र है। आप यत्किंचित् तपश्चर्या द्वारा बडी आसानीसे इन अस्त्रोको सच्चा सिद्ध कर सकते है।

हमने प्रतिज्ञा की है कि हम सरकारसे न्याय नही माँगेंगे। अगर रावण मुझे आकर मार जाये तो रावणसे न्याय माँगने मै कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो हिम्मत

१. गुजरातकी एक पिछड़ी हुई जाति।

२. काश्तकार।

बाँधकर सन्नद्ध हो जाना चाहिए। हिम्मत मुझे कहाँसे मिल सकती है? मुझे दयाका अभ्यास करना चाहिए। ज्ञानकी उपलब्धि करनी चाहिए। यह सब बाते लोग आप ही से सीख सकते है। शुद्ध धर्मवान व्यक्तिको हिन्दू, मुसलमान, काबुली सभी पहचान लेगे और उसे आदर देगे। आप धारालोको सिखाये कि उनका काम लूटपाट करना नही है।

धारालोसे मेरा यह कहना है कि आप लोगोको तग न करे, पाटीदारोसे मेरा कहना है कि आप [चोरी-चपाटीको] उत्तेजन न दे। और यदि आप ब्राह्मण धर्मका पालन न कर सके तो लाठियोसे लडकर उठाईगिरोको मार भगाये।

यदि धाराले और पाटीदार दोनो अपने धर्मको भूल जाये तो मै साधुओसे कहूँगा कि आप उनकी रक्षा करे, उन्हे सुधारे, उनके मन निर्मल बनाये, जब आप ऐसा काम करेगे तभी धर्मकी पुन स्थापना होगी, तभी हम हिन्दुस्तानको कर्मभूमि कहेगे।

मै तो चला जाऊँगा लेकिन आपको यह कार्य हाथमे ले लेना है। मै तो कहूँगा कि आज ही दो-चार साधुओ, दो-चार पाटीदारो, दो-चार धारालोकी एक समिति नियुक्त करके उनसे यह काम शुरू कराइए। आप यह सब करनेकी प्रतिज्ञा ले। यह काम किया गया तो स्वराज्य एक वर्षके भीतर मिलकर रहेगा। ईश्वर आपको प्रेम, साहस, दया और सत्यका यज्ञ करनेकी शक्ति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७–१–१९२१

१२९. भाषण : साधुओंकी सभा, वड़तालमे[1]

१९ जनवरी १९२१

मुझे सदा साधुओसे मिलनेकी इच्छा रहती है। जब मै कुम्भ मेलेमे हरिद्वार गया तब मैने वहाँ किसी ऐसे साधुकी तलाश करनेका प्रयत्न किया जिससे मिलकर मन प्रफुल्लित हो उठे। मै साधुओके एक-एक अखाडेमे गया। जितने भी प्रसिद्ध साधु थे मै उन सभीसे मिला। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि मुझे निराशा ही हाथ लगी। मेरा विश्वास है कि साधु हिन्दुस्तानके भूषण है और उन्हीसे हिन्दुस्तानका अस्तित्व रहेगा, लेकिन आज मुझे इन साधुओंमे बहुत कम साधुताके दर्शन होते है। मैने, अपने हरद्वार वासकी अन्तिम पूरी रात यही विचार करनेमे लगाई कि हिन्दुस्तानके साधु सच्चे अर्थोमे साधु बने इसके लिए मै क्या कर सकता हूँ? अन्तमे मैने बडा कठिन व्रत लिया। मैने क्या व्रत लिया सो यहाँ नही कहूँगा। लेकिन वह व्रत कठिन है, ऐसा बहुतसे लोग मानते है। ईश्वरकी कृपासे मै इस व्रतको अभीतक निभा सका हूँ।

मुझे अनेक मित्रोने सुझाव दिया है कि मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए, लेकिन मै सन्यासी नही हुआ। उस दिन भी अन्तरात्माने यह बात स्वीकार नही की थी और

१ कि० घ० मशरूवालाके यात्रा विवरणसे उद्धृत।

आज भी नही। इसका कारण मुझे सासारिक भोग भोगने है, यह तो आप कदापि न समझे। मै इनका त्याग करनेका प्रयत्न तो यथाशक्ति करता ही रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने इसी प्रयत्नमे देखा है कि मै भगवा पहननेके योग्य नही हूँ। मै मन, वचन और कर्मसे सत्य, अहिंसा अथवा ब्रह्मचर्यका पालन करता हूँ, ऐसा मै नही कह सकता। मेरे मनमे चाहे-अनचाहे राग-द्वेष आते है और वासनाएँ उठती है——इन सबको मै विचारपूर्वक रोकनेका प्रयत्न करता हूँ और इससे उनका स्थूलरूप दब जाता है। यदि मै सम्पूर्ण रूपसे उनपर निग्रह कर सकूँ तो मै आज ही समस्त विभूतियोका स्वामी हो जाऊँ, मेरे नम्र होते हुए भी जगत मेरे चरणोमे लोट जाये, कोई मेरी हँसी उडाने अथवा मेरा तिरस्कार करनेकी इच्छातक न करे।

लेकिन मै आपसे आपका वेष उतरवानेके लिए नही आया हूँ। स्वामीनारायण सम्प्रदायमे मुझे जिस सरलताका अनुभव हुआ है, जिस प्रेमसे आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उसके बदलेमे, मेरे मनमे जो भाव है अगर मै उन्हे आपके सम्मुख व्यक्त न करूँ तो कहा जायेगा कि मै अपने कर्त्तव्यसे च्युत हो गया। इसलिए मै तो आपसे यही कहता हूँ कि आपने जो यह साधुओका बाना पहन रखा है उसे आप साधुताके उचित गुणोसे शोभित करे और इससे यशस्वी बनकर अपने सम्प्रदायको यशस्वी बनाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-१-१९२१

१३०. चरखेका धर्म

काग्रेसने असहयोगके सम्बन्धमे जो प्रस्ताव[1] पास किया है उसके विविध अगोका वर्णन मै पहले ही कर चुका हूँ। ये सब अग महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमे से एक अग ऐसा है, जिसपर अगर जनता अमल करे तो मेरी दृढ मान्यता है कि उसी क्षण स्वराज्य प्राप्त हो जायेगा। यह अग है चरखेका धर्म।

स्थान-स्थानपर मुझसे यह पूछा जाता है कि क्या स्वराज्य मिलनेपर अनाज और कपडेके दाम घट जायेगे? यह सवाल उचित है। हमे स्वराज्य मिले अथवा कोई अन्य वस्तु मिले, लेकिन अगर हम कपडेके लिए विदेशोपर निर्भर रहेगे तो कपडे अथवा अनाजके दाम नही घटेगे। इसलिए नही घटेगे कि जबतक हम कपडेके मूल्यके रूपमे प्रतिवर्ष अपना साठ करोड रुपया हिन्दुस्तानसे बाहर भेजते रहेगे तबतक हमारी भुखमरी दूर नही होगी और तबतक करोडो लोग कम अथवा अधिक प्रमाणमे उद्योगके बिना रहेगे और उन्हे पर्याप्त अन्न अथवा वस्त्र नही मिलेगे।

इसलिए हमारे सम्मुख अपनी जरूरतका कपडा तैयार करनेका प्रश्न खडा हुआ है। यदि हम अपनी जरूरत-भर कपडा तैयार कर ले तो हमारा साठ करोड रुपया बचने लगे। इतना ही नही, वह सारा-का-सारा गरीबोके घर जाये। यह काम सिर्फ चरखेकी प्रवृत्ति बढानेसे ही हो सकता है। हिन्दुस्तानमे पाँच करोड रतल सूत बाहर

१ देखिए परिशिष्ट १।

से आता है। यह सूत अस्सी और इससे अधिक नम्बरका होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर यही सूत मोटा हो तो चालीस करोड रत्तल हो जाये। जबतक इतना सूत हम नही कातते तबतक हमे हिन्दुस्तानको स्वतन्त्र करवानेकी बात भूल जानी चाहिए। इतना सूत किस तरह तैयार किया जाये?

हमारे कारखाने इतना सूत तैयार कर सकें यह सम्भव नही है। केवल चरखे-से ही यह काम हो सकता है। और सूतके उत्पादनको बढानेका आसानसे-आसान रास्ता यही है कि हमारे स्कूलोके विद्यार्थी इस कामको करने लग जायें। इन्ही कारणोको ध्यानमे रखते हुए विद्यापीठकी[1] नियामक सभाने यह सुझाव दिया है कि विद्यापीठसे सम्बन्धित शालाओमे चरखा दाखिल किया जाये और सूत कतवाया जाये। यह बात मै हमेशा मानता और कहता आया हूँ कि हमारे शिक्षणमे हमेशा ही यह त्रुटि रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब शिक्षक और विद्यार्थी इस सुझावका स्वागत करेंगे। हम इस सुझावके सम्बन्धमे अधिक विचार बादमें करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-१-१९२१

१३१. भाषण: विद्यार्थियोंकी सभामे[2]

२० जनवरी, १९२१

श्री गाधीने हिन्दीमें बोलते हुए कहा कि अगर आप स्वराज्य चाहते हैं तो आपको अपने कालेजो और स्कूलोका परित्याग करना होगा। विद्यार्थियोके रूपमें आपका क्या फर्ज है और आपको देशके लिए क्या करना है? कांग्रेसने आपको एक निश्चित नेतृत्व दिया है और क्या व्यावहारिक कदम उठाना है वह भी सुझा दिया है। उसने अहिंसामय असहयोगका रास्ता बताया है। आपका कर्त्तव्य है कि सरकारी अनुदानसे या सरकारी देखरेखमें चलनेवाले सभी स्कूल और कालेज छोड दें, और अपनी मातृ-भूमिके लिए रचनात्मक काम करे। कालेजोका परित्याग करके आप सरकारकी नैतिक प्रतिष्ठाकी नींव हिला देंगे और अगर आप इसमें सफल हो गये तो भारतीयोको स्वराज्य भी प्राप्त हो जायेगा। अपने उस लक्ष्यको, जिसके लिए आप सबको बलिदान करना होगा, प्राप्त करनेका एकमात्र रास्ता यही है। अगर आप एक-दो वर्षके लिए किसी शिक्षण-संस्थामें न जा पायें तो भी आप कुछ खोयेंगे नहीं। उद्देश्य प्राप्तिके लिए जिन चीजोकी जरूरत है, वे हैं साहस और बलिदान। साहस और बलिदानका पाठ घरमें भी सीखा जा सकता है और स्कूलोमें भी।

अपना लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए आपसे जिन बातोकी अपेक्षा की जाती है उनमें दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि आप अपने देशका आर्थिक उत्थान करे।

१. गुजरात विद्यापीठ।

२. यह सभा स्वराज्य सभा और नेशनल यूनियनके सयुक्त तत्त्वावधानमे बम्बईमें हुई थी, अध्यक्षता गाधीजीने की थी।

अपने देशको विदेशोंकी आर्थिक दासतासे मुक्त करनेके लिए आप लोगोंमें से हरएकको कताई और बुनाईकी कला सीखनी चाहिए। इससे विदेशी कपड़ेका आयात रुक जायेगा और यह देशकी महान सेवा होगी। दूसरी बात जो मैं जोर देकर आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि आप सबकी एक सामान्य भाषा होनी चाहिए, सभी भारतीयोंकी एक सामान्य भाषा होनी चाहिए ताकि वे भारतके जिस हिस्सेमें भी जायें, वहाँके लोगोंसे बातचीत कर सकें। श्री गांधीने सुझाव दिया कि इसके लिए आपको हिन्दी अथवा उर्दूको अपनाना चाहिए। उन्होंने श्रोताओंसे कहा कि आप देशके गाँव-गाँवमें हाथ-करघेसे बुनाई करनेका प्रचार करें, जिससे आप अपने देशको आर्थिक दृष्टिसे अन्य राष्ट्रोंके बीच एक ऊँचा स्थान दिला सकें।

कलकत्तेके विद्यार्थियों द्वारा कालेज छोड़नेकी बातका जिक्र करते हुए श्री गांधीने उनके इस कदमकी बड़ी प्रशंसा की और बम्बईके विद्यार्थियोंसे इस प्रेरणाप्रद दृष्टान्तका अनुकरण करनेका अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ[1] और बंगालके विद्यार्थियोंके लिए आपकी ओरसे यह सन्देश ले जाना चाहता हूँ कि आप अपने बंगाली भाइयोंके साथ हैं। क्या आप मुझे ऐसा सन्देश देनेके लिए तैयार हैं? क्या आप मातृभूमिके लिए यह बलिदान करनेको तैयार हैं? मैं बम्बई छोड़नेसे पहले आज ही आपका उत्तर चाहता हूँ। अन्तमें उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की कि वह विद्यार्थियोंको स्कूल और कालेज छोड़नेकी सद्बुद्धि दे।

[अँग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-१-१९२१

१३२. सन्देश : शराबबन्दीपर[2]

[जनवरी २३, १९२१]

मुझे यह सुनकर खुशी होती है कि शराबबन्दी आन्दोलन प्रगति कर रहा है। लोग अगर इस व्यसनको छोड़ दें तो इससे हमारे असहयोग आन्दोलनमें शुचिता आयेगी और इससे स्वराज-प्राप्तिमें सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा शराबकी दूकानोंकी नीलामीकी सूचना जल्दी ही जारी की जायेगी। किसीको नीलामीमें शामिल नहीं होना चाहिए और न लाइसेंस ही लेना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस ले ही ले तो किसी भी व्यक्तिको शराब खरीदनेके लिए उसकी दुकानपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह यह बुरा व्यसन हर जगहसे खत्म हो जायेगा।

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ १२५

१ गांधीजी २३ जनवरीको, कलकत्ता पहुँचे थे और ४ फरवरीतक वहाँ रहे थे।
२ यह २३-१-१९२१ के सन्देशमें प्रकाशित हुआ था।

१३३. लूट और चोरी

जोटाणासे[1] कुछ भाइयो और वहनोने वहाँ होनेवाली लूटपाटसे जो त्रास फैला हुआ है उसके विषयमे वताया। मैने सुना है, वैसी ही स्थिति खेडाके कुछ गाँवोमे भी है। मै वडतालमे भी इसी कारणसे गया था। वहाँ धाराला ठाकोर लोगोसे मैने मुलाकात की और यह सब-कुछ सुननेके बाद मुझे लगा कि यह सवाल महत्वपूर्ण है। यह कोई नया प्रश्न नही है। ऐसी लूटपाट हमेशासे थोडी-बहुत चलती आई है। यह भी रोगादि जैसा उपद्रव है। किसी-किसी समय यह अधिक फूट निकलता है और कभी-कभी इसकी गति मन्द पड जाती है। आजतक जनताने यही माना है कि इस तरहकी लूटपाटको रोकना सरकारका ही काम है। इसमे सन्देह नही कि जनताकी रक्षा करना सरकारका कर्त्तव्य होता है। लेकिन जिस राष्ट्रकी जनता इस सम्बन्धमे सिर्फ सरकारपर ही निर्भर करती है वह स्वतन्त्र नही हो सकती। अगर इस असहयोग आन्दोलनके समय जनता सरकारी सरक्षणकी बात सोचेगी तो यह आत्मघात करनेके समान माना जायेगा।

सरकारी पक्षकी ओरसे तो हमेशा यही कहा जाता रहा है कि जनता अपनी रक्षा करनेको तैयार नही है, उसमे बाहरी हमलेसे अपना बचाव करनेकी हिम्मत नही है। थोडासा विचार करनेपर ही मालूम होगा कि इस बातमे कोई तथ्य नही है। जव यह सरकार नही थी तब भी हिन्दुस्तानमे अपने अस्तित्वको वनाये रखनेकी ताकत थी। यदि हिन्दुस्तानके लोगोमे अपनी रक्षा करनेकी शक्ति न होती तो वे कबके नष्ट हो गये होते। हकीकत तो यह है कि हिन्दुस्तानके लोग चाहे कितने ही पतित क्यो न हो लेकिन वे आजतक अपनी सभ्यता और अपने अस्तित्वको वनाये रख सके है, जव कि रोम, मिस्र, यूनान और ईरान आदि साम्राज्य नष्ट हो गये है। प्राचीन मिस्र और अर्वाचीन मिस्र एक नही है। किन्तु प्राचीन भारत अधिकाशतया वैसा ही था जैसा आजका भारत है। तिसपर भी दलीलकी खातिर मान ले कि जिस समय अग्रेजी-राज्यकी स्थापना हुई उस समय भारत अपनी रक्षा करनेमे असमर्थ था, तो भी आज तो वह इसकी अपेक्षा और भी ज्यादा असमर्थ है। और इसका मुख्य कारण सरकार ही है। सरकारने अपने प्रथम कर्त्तव्यका ही पालन नही किया। उसका कर्त्तव्य था कि वह हमे धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाती उसके बदले आजकी हमारी स्थिति ऐसी जान पडती है कि हम बाहरी और भीतरी, दोनो तरहके ऐसे उपद्रवोका मुकाविला करनेमे असमर्थ है।

मैने ऊपर लिखा है कि हम असमर्थ है। वास्तवमे हमे ऐसी प्रतीति होती है। यो तो सरकारने जानबूझकर हमे असमर्थ वनाये रखने और हमारी असमर्थताको वढानेकी कोशिश की है। तथापि हम अपनी रक्षा करनेमे बिलकुल ही असमर्थ नही

१ गुजरातमें अहमदाबादके समीप एक गाँव।

हो गये हैं। बाहरी उपद्रवोंमे अपनी रक्षा करनेके विषयमे मैं यहाँ विचार नही करूँगा, उसके सम्बन्धमे मैं पहले थोडा-बहुत लिख चुका हूँ। प्रसग आनेपर उसके सम्बन्धमे और भी लिखूँगा। आज तो हम इन उपद्रवोपर ही विचार करे जिनके बारेमे मैं ऊपर कह गया हूँ।

रोगका निदान करनेपर ही उसका उपचार हाथ आता है। पहले इन उपद्रवो के कारणोकी खोज करे। जोटाणामे मकरानी और बलूची[1] लोग उपद्रव करते हैं और खेडामें धाराला। यह बताया गया कि जोटाणामे मकरानी और बलूची लोगोके दिलोमे सरकारका भय जाता रहा है और वे अब यह मानकर कि उन्हे कोई दण्ड देने-वाला नहीं है, लूटपाटका धन्धा करते हैं। धारालोके लूट करनेका कारण यह है कि पाटीदार खुद पैसे कमानेकी खातिर धारालोको उकसाकर उनसे लूट-पाट करवाते हैं और कोई-कोई एक-दूसरेसे दुश्मनी निकालनेके लिए भी धारालोकी बुरी प्रवृत्तियोका उपयोग करते हैं।

इसका सरल और सीधा उपाय तो यह है कि हम मकरानी, बलूची और धारालोको अपना भाई समझ उनसे अच्छे लोग बननेका अनुरोध करे। वे अगर भूखके कारण लूटपाट करते हो तो उनकी भूख दूर करे, उन्हे शिक्षा दे और उनकी अच्छी भावनाओको जाग्रत करे। अगर हम स्वराज्यका उपभोग कर रहे होते तो क्या करते? हमारा स्वराज्य व्यवस्थित होता तो हम उन्हे सुधारनेका अवश्य प्रयत्न करते।

सुधारका यह काम साधुओका है। पहले भी साधु ही ऐसे लोगोको बोध देते थे। स्वामीनारायणने स्वय सामान्य वर्णोपर अच्छा असर डालकर उनकी बुरी आदतो-को छुडवाया था। सब सम्प्रदायोके साधुओ-फकीरोका धर्म है कि वे निर्भय होकर इन कौमोके बीच जाये और अपनी जान जोखिममे डालकर भी इन लोगोको उनके अनुचित धन्धोमे विरत करनेका प्रयत्न करे। यदि साधु अपने इस आवश्यक कार्यको हाथमें ले तो थोडे ही अर्सेमे वे धाराला, मकरानी और बलूची कौमोपर असर डाल सकेगे।

पाटीदारोपर जो आरोप लगाया गया है अगर वह सही है तो उन्हे आपसी द्वेषभावको छोडना चाहिए और उसी तरह चोरीका माल खरीदकर पैसा कमानेकी आदतको पाप मानना चाहिए। पाटीदार बहादुर और ज्ञानी कौम कही जाती है। खेडाके सघर्षके[2] समय उन्होने सारे हिन्दुस्तानको अपने शौर्य, चातुरी, एकता और समझदारी आदि गुणोका परिचय दिया था। इस कौमको आपसमे द्वेष रखने और अनुचित साधनोसे कमाई करनेकी आदत कतई शोभा नही देती।

धारालोमे कितने ही ज्ञानी और विवेकी नेता हैं, उन्हे धारालोकी स्थिति सुधा-रनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

उपर्युक्त सब प्रयत्न एक दूसरेके पूरक हैं। लेकिन अगर हम एक बार ठीक तौरसे समझ ले कि ये सब प्रयत्न निष्फल होगे तो फिर मैं आप सबसे अवश्य ही कहूँगा कि हमें इन चोर-डाकुओका मुकाबिला करनेके लिए शक्ति जुटानी चाहिए।

१ फारसमें मकरानसे और बलुचिस्तानसे भारत आनेवाली जातियोंके वंशज।

२ १९१८ की गर्मियोमें, देखिए खण्ड १४।

यह शक्ति हथियारोका परित्याग करनेपर भी जुटाई जा सकती है। यदि प्रत्येक गाँवमे थोडेसे पुरुष अपने प्राणोको सकटमे डालनेकी शक्ति पैदा कर ले तो उन्हे रक्षक बनकर गाँवकी चौकसी करनी चाहिए। जब किसी भी गाँवको लूटनेके लिए चोर आदि आये तब सब लोग जागृत रहे, डरे नही और लडनेके लिए तैयार हो जाये। लुटेरे इसे देखकर अवश्य भाग जायेंगे। मैंने सुना है कि लुटेरोके पास बन्दूके आदि होती हैं। हो, बहादुर *व्यक्ति बन्दूकवालेके साथ भी लड सकता है।* मैंने बन्दूक धारियोको भी मात कर देनेवाले अनेक लोगोके बारेमें सुना है। यह कोई असम्भव बात नही है। बन्दूक चला सकनेवाला व्यक्ति एक तो हमेशा हथियार अपने साथ नही रखता, दूसरे कभी सशस्त्र व्यक्तिसे भी मुठभेड हो सकती है। तब वह पीछे न हटकर जूझता है। शौर्यका माप हमेशा मरनेकी शक्तिमें निहित है। अतएव शरीरसे दुर्बल व्यक्तिमें भी *शौर्य हो सकता है। अपनी जान बचाने जितना शौर्य* तो सबमे होना चाहिए और कमसे-कम इतनी शिक्षा सबको ले लेनी चाहिए। यह शिक्षा तलवार चलानेसे नही आती, *अपितु मनको सुदृढ बनानेसे* आती है, मौतका भय त्याग देनेसे आती है। लाठी आदि का प्रयोग इस शक्तिको प्राप्त करनेमे सहायक अवश्य होता है। फिर जिनकी अहिंसा-धर्मपर श्रद्धा नही बैठी है, जो मरनेके जौहरको नही पहचानते और जो मारकर भी अपना बचाव करनेको उत्सुक हैं उन्हे नि सन्देह तलवार आदि चलानेकी तालीम लेकर आत्मरक्षा करनेका बल प्राप्त कर लेना चाहिए।

दु खकी बात तो यह है कि हमने यह मान लिया है कि हम अपना अथवा पडौसीका बचाव करनेमे असमर्थ हैं। शारीरिक रूपसे स्वस्थ होनेके बावजूद हमने चुपचाप पडे रहकर एक ही चोरको सब-कुछ ले जाने दिया है। हमने पडौसी-धर्म पहचाना ही नही है फिर पाला तो कैसे होगा ? ऐसी स्थितिमे से हमें तुरन्त निकल जाना चाहिए। हरेक गाँवमें सबसे बहादुर व्यक्तियोको स्वयसेवक बनकर लोकरक्षा करनेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। चोर आदि जब यह समझ लेंगे कि जनता अपनी रक्षा करनेमें समर्थ है तब वे चोरी करते हुए डरेगे। उत्तम तरीका तो वही है जो मैं पहले कह गया हूँ। हमे चोरोको भी ईमानदार बनाना चाहिए। सबसे खराब रास्ता है चोरोको दण्ड देनेका। चोरोसे डरकर छिप जाना बचावका रास्ता नही है, यह तो साफ कायरता है। आजकी स्थितिका सामना करनेके लिए हमे सभी व्यावहारिक उपायोको अपनाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३–१–१९२१

१३४. सरकारकी[1] स्मृतिमे

सरकारको अपनी महत्ताके भानसे क्या? अंग्रेजी सरकार समाप्त हो जाये चाहे सुधरे, भारतीय सरकार तो अमर रहेगी। पटवर्धन भी सरकार थे, क्योकि वे एक सेवक थे। पटवर्धनने किसी दिन मान और महत्ताकी आकाक्षा की हो ऐसा मैंने कभी नही देखा। मिनकी कीमत उसकी मृत्युके वाद होती है। पटवर्धन अमर हैं, क्योकि हम सव उनके गुणोको ग्रहण करके एकसे अनेक पटवर्धन वननेके लिए कर्त्तव्यवद्ध है। जव वे जीवित थे, पटवर्धन एक थे, मरकर वे हमें अपने जैसा वननेके लिए कह गये है।

मोहनदास

[गुजरातीमे]

नवपुडो, पहला वर्ष, पौप सुदी १४, सम्वत् १९७७ [२३ जनवरी, १९२१]

१३५. भाषण : कलकत्तामें[2]

२३ जनवरी, १९२१

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

वगालके विद्यार्थियोने देशकी पुकारका जो शानदार उत्तर दिया है, उसके लिए मै उन्हे वधाई देता हूँ। मै जानता था कि वगालके विद्यार्थी मेरे मित्र श्री चित्तरजन दास-के नेतृत्वकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मै श्री दासको यह नेतृत्व प्रदान करनेके लिए, और आप लोगोको उम नेतृत्वका अनुसरण करनेके लिए वधाई देता हूँ। लेकिन इस तथ्यको जितनी अच्छी तरह मै जानता हूँ उतनी ही अच्छी तरह आप लोग भी जानते है कि अभी तो उनका और आपका काम शुरू ही हुआ है। हम अभी प्रसवकी एक प्रक्रियामें से गुजर रहे है और इसलिए स्वभावत हमे वे सारी कठिनाइयाँ, वे समस्त पीडाएँ सहनी पड रही है जो प्रसवके समय सहनी पडती है। आप लोगोने कालेज खाली कर दिये है — लेकिन श्री दासके लिए और भारतके लिए इतना ही पर्याप्त नही है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि आपने जिन कालेजो और स्कूलोको छोड दिया है उनमें फिर किमी भी हालतमें वापस न जाये, और श्री दासके लिए यह जरूरी है

१ यादवशकर पटवर्धनका प्यारका नाम।

२ यह सभा श्री चित्तरजन दासकी अध्यक्षतामें मिर्जापुर पार्कमें हुई थी। २ फरवरी, १९२१ के **यग इडिया**में इसे "विद्यार्थियोंकी बृहत् सभा" कहा गया है, लेकिन २५-१-१९२१ की **अमृत बाजार पत्रिका** और २४-१-१९२१ के **हिन्दू**में इसे सार्वजनिक सभा कहा गया है, इसमें मुख्यत विद्यार्थी ही शामिल थे।

कि वे आपके लिए ऐसा कार्य खोज निकाले, जिसे आप परीक्षाकी इस अवधिमे, आत्मशुद्धिके इस कालमे करे।

अब श्री दास और आप लोगोके लिए यह जरूरी हो गया है कि आप सब मिल-बैठकर ऐसे उपाय सोच निकाले, जिससे आप उस कामको पूरा कर सके जिसे आपने शुरू किया है। जो भी हो, आप विद्यार्थियोने सरकारी स्कूलो और सरकारी अनुदान-से चलनेवाले स्कूलोको छोडकर अपना एक कर्त्तव्य पूरा कर लिया है। लेकिन इस कामको स्थायी बनानेके लिए, उसे जारी रखनेके लिए और इसलिए कि आपकी सेवाओका उपयोग स्वराज्य प्राप्तिके हेतु किया जा सके, उपाय और साधनोको खोज निकालना आवश्यक है। और मै आपको बता नही सकता कि मुझे कितना दु ख होता है जब मै देखता हूँ कि एक ओर छात्र-जगत्ने इतनी उदारताके साथ राष्ट्रकी पुकारका उत्तर दिया है और दूसरी ओर बगालकी महान् शिक्षण-सस्थाओके प्राध्यापक, शिक्षा-शास्त्री और न्यासी, उन्हे जो नेतृत्व देना चाहिए, नही दे रहे है।[1] लेकिन कोई यह न समझे कि इस तथ्यकी ओर उनका और आपका ध्यान आकर्षित करके मै उनपर अथवा उनके देशप्रेमपर कोई आक्षेप कर रहा हूँ। मै जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वे सचमुच मानते है कि आपने ऐसा करके भूल की है। मै जानता हूँ कि वे मानते है कि श्री दासने आपको यह सलाह देकर भूल की है कि आप अपनी अन्त-रात्माकी आड लेनेकी कोशिश न करे बल्कि राष्ट्रके आह्वानका उत्तर दे। उनका खयाल है कि मैने देशके सम्मुख असहयोग आन्दोलनका रास्ता प्रस्तुत करके एक गम्भीर भूल की है और वे सच्चे दिलसे मानते है कि मेरा विद्यार्थियोको सरकारी शिक्षण सस्थाओका बहिष्कार करनेकी सलाह देना तो और भी बडी भूल है।

लेकिन मुझे जिन अनुभवोसे गुजरना पडा है, मैने जो-कुछ सुना और पढा है, अपने गुरुजनो और नेताओके प्रति मेरे मनमे जो श्रद्धाभाव[2] है, उस सबके बावजूद मै आपके सामने स्वीकार करूँगा कि मैने देशको जो कदम उठानेकी सलाह दी है, उसके सही होनेके बारेमे मेरा विश्वास पहलेसे भी ज्यादा दृढ हो गया है। मुझे इस बातका पहलेसे ज्यादा यकीन हो गया है कि अगर हम अपनी पसन्दके स्वराज्यकी स्थापना करना चाहते है, अगर हम भारतकी खोई हुई प्रतिष्ठाको पुन प्रतिष्ठित करना चाहते है, अगर हम इस्लामकी डगमगाती प्रतिष्ठाको फिरसे दृढ आधारपर स्थापित करना चाहते है, तो हमारे लिए इस सरकारको यह बता देना अत्यन्त आव-श्यक है कि उसे हमारी ओरसे किसी तरहकी मदद नही मिलेगी, और न ही हम ऐसी सरकारसे कोई सहायता लेगे जिसने अपने-आपको हमारे विश्वासके अयोग्य सिद्ध कर दिया है। मै जानता हूँ कि आपमे से जो लोग शकाशील है वे मुझसे अथवा अपने-आपसे कहेगे कि हमने ऐसे मचोसे अनेक बार इस तरहकी बाते सुनी है। यह सच है, आपने अवश्य सुनी होगी। लेकिन मैक्समुलर हमे बता गये है — जो वास्तवमे

१. **अमृतबाजार पत्रिका**में यह वाक्य इस प्रकार समाप्त होता है, "उस सीमातक कार्य करनेके लिए आगे नही आए हैं जितना कि उन्हें आना चाहिए था"।

२ **अमृतबाजार पत्रिका**में यह वाक्य इस प्रकार है "जो श्रद्धाभाव रखनेका मैं दावा करता हूँ।"

संस्कृतकी एक कहावतका भावानुवाद ही है कि — सत्यको तबतक बार-बार दोहराना पडता है, जबतक लोग उसे ग्रहण नही कर लेते, और मेरा इरादा भी यही है कि जबतक हमारे देशभाई, हमारे नेता[1] इस सत्यको ग्रहण नही कर लेते, देशकी इस पुकारका उचित उत्तर नही देते तबतक मै इसे उनके सामने बार-बार दोहराता जाऊँगा। मै यहाँ वही बात दोहरानेके लिए आया हूँ जो मै कई मचोसे पहले कह चुका हूँ — अर्थात् यही कि भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई स्वाधीनता तबतक प्राप्त नही कर सकता जबतक वह असहयोगके आह्वानके प्रति पूरा उत्साह नही दिखाता। हम भारतीय प्रकृतिसे ही कुछ ऐसे है कि इस बडी सरकारसे किसी और तरीकेसे लड ही नही सकते।

असहयोग प्रत्येक भारतीयके खूनमे समाया हुआ है, और अगर आप यह जानना चाहते है कि लाखो-करोडो आम लोगोने असहयोगके आह्वानपर, जितना उत्साह उन्होने किसी भी आह्वानके प्रति नही दिखाया, उतना उत्साह क्यो दिखाया तो मै कहूँगा कि इसका कारण यह नही है कि मैने इस आह्वानको स्वर दिया है। असहयोगकी भावना उनकी अन्त प्रकृतिमे जन्म लेती है, उनकी अन्त प्रकृतिमे पोषित होती है। असहयोग प्रत्येक धर्मका अग है। यह हिन्दुत्वका अग है। यह इस्लामका अग है, और यही कारण है कि यद्यपि आज हम गिरी हुई अवस्थामे है और अपने-आपको असहाय महसूस कर रहे है फिर भी असहयोगने हमे अपनी दीर्घ निद्रासे जगा दिया है। असहयोगने हमे विश्वास दिया है, साहस दिया है, आशा दी है, बल दिया है।

हमारे शिक्षित नेताओने अबतक असहयोगके आह्वानके प्रति उत्साह नही दिखाया है तो मै पूरी विनम्रताके साथ कहना चाहूँगा कि वे आस्थाहीन है, शकालु है और उनमे धर्मका वह तेज नही है जो जनता और सर्व साधारणमे है। वे आधुनिक सभ्यतामे, या जिसे हम "पाश्चात्य सभ्यता" कहते है, पूरी तरहसे डूबे हुए है। मैने "पाश्चात्य सभ्यता" शब्दोका प्रयोग किया है। लेकिन मै चाहता हूँ कि आज आप और मै, हम दोनो ही इन दोनोका भेद स्पष्ट जान ले। मै स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मै पश्चिमसे घृणा करनेवाला आदमी नही हूँ। पाश्चात्य साहित्यसे मैने बहुत-सी चीजे सीखी है, जिसके लिए मै पश्चिमका आभारी हूँ। लेकिन मै आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि आधुनिक सभ्यताका आभारी मै इस बातके लिए हूँ कि उसने मुझे सिखाया है कि अगर मै चाहता हूँ कि भारत अपने गौरवके उच्चतम शिखरपर आसीन हो तो मुझे अपने देशभाइयोसे साफ कह देना चाहिए कि आधुनिक सभ्यताके वर्षोके अनुभवसे मै एक ही पाठ सीख पाया हूँ और वह यह कि हमे हर हालतमें इससे दूर ही रहना चाहिए। आधुनिक सभ्यता क्या है? वह जडकी आराधना है, हमारे भीतर जो पशु है उसकी पूजा है — यह विशुद्ध भौतिकवाद है और अगर आधुनिक सभ्यता हर कदमपर भौतिकतावादी सभ्यताकी विजयकी बात न सोचे तो जैसे उसका कोई मतलब ही न रह जाये।

१ अमृतबाजार पत्रिकामें "बुजुर्ग" शब्द है।

अगर मै अपने देशको न जानता होता, अगर मै जनसाधारणके मानसको न समझता होता तो जैसे, मेरे विचारमे, भारतका शिक्षितवर्ग दिग्भ्रमित हो गया है वैसे ही मै भी दिग्भ्रमित हो जाता, मै भी भूल कर बैठता। आप सब जानते है कि मै बीस वर्ष आधुनिकताके कोलाहलके बीच रहा हूँ — मै एक ऐसे देशमे रहा हूँ, जिसने हर ऐसी चीजकी नकल की है जो आधुनिक है। मै एक ऐसे देशमे रहा हूँ, जो नये जीवनसे स्पन्दित हो रहा है। दक्षिण आफ्रिकामे इस दुनियाके कुछ बहादुरसे-बहादुर व्यक्ति रहते है और वहाँ मैने आधुनिक सभ्यताको उसके सर्वोत्तम रूपमे देखा है और मै यहाँ आपको, बगालके नवयुवको और अपने शिक्षित नेताओको यह बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक सभ्यताके इस सर्वोत्तम रूपका भी मुझे जो अनुभव हुआ है उसी अनुभवके आधारपर सन् १९०८ मे मै स्पष्ट रूपसे इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि "भगवान भारतको इस आधुनिक अभिशापसे बचाये।" यह एक सबक है जो मैने दक्षिण आफ्रिकामे सीखा है। उसपर मै १९०८से ही चलता आ रहा हूँ। पाच वर्ष पहले भारत आनेके बादसे मैने लगातार लोगोको धीरे-धीरे लेकिन दृढताके साथ वही सबक समझाता आ रहा हूँ। प्राचीन सभ्यतामे मेरी जो आस्था थी — हमारी सादगीमें मेरी जो श्रद्धा थी, प्रत्येक भारतीयकी धर्मनिष्ठतामे — चाहे वह भारतीय हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी अथवा यहूदी — उसकी सहज धर्मनिष्ठतामे मेरा जो विश्वास था, उसीने उपहास, शका और विरोधके अन्धकारपूर्ण दिनोमे मुझे दृढ बनाये रखा है।

मै जानता हूँ कि आज भी मुझे और आप लोगोको बहुत जबरदस्त विरोधका सामना करना पड रहा है। अभी तो हमने यह सघर्ष आरम्भ ही किया है और यह सच है कि आप कलकत्ताके लोगोने पिछले वर्ष सितम्बर माहमे[1] जो जबरदस्त सघर्ष छेडा है, यदि हम उसे जीतना चाहते है तो हमे उसी विश्वासके साथ उसे जारी रखना होगा जिस विश्वासके साथ हमने उसे आरम्भ किया है। मुझे आप लोगोंके सामने — आप जो आधुनिक परम्पराओके बीच पले हुए प्रतीत होते है, आप आधुनिक लेखकोकी रचनाओके ज्ञानसे ओत-प्रोत जान पडनेवाले लोगोके सामने एक बार फिर इस बातको दोहरानेमे कोई सकोच नही हो रहा है कि यह एक धार्मिक लडाई है। मुझे यह कहनेमे कोई सकोच नही है कि यह आन्दोलन राजनीतिक दृष्टिकोणमे क्रान्ति लानेका, अपनी राजनीतिमे आध्यात्मिकताका समावेश करनेका एक प्रयत्न है। हम अपनी राजनीतिमे आध्यात्मिकताका जितना अधिक समावेश करेगे, मै आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम अपने लक्ष्यके उतने ही निकट पहुँचेगे। चूँकि मै मानता हूँ कि भारतका जन-मानस आज इसके लिए तैयार है, चूँकि मेरा विश्वास है कि भारतका जन-मानस ब्रिटिश शासनके वर्तमान स्वरूपसे तग आ गया है, इसलिए मैने यह कहनेकी हिम्मत की है कि स्वराज्य बहुत आसानीसे एक वर्षके भीतर प्राप्त किया जा सकता है।

इस वर्षके चार महीने बीत चुके है। आजकी रात बगालके नवयुवकोमे बातें करते हुए मेरे विश्वासकी ज्योति जितनी प्रखर हो उठी है उतनी प्रखर इससे पहले

१. जब कलकत्तामें कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें असहयोगके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास किया गया।

कभी नहीं हुई। आपने मुझमें पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक आशा भर दी है, बहुत अधिक साहस और बलका संचार किया है। अगर ईश्वरने मुझे तथा शौकत अली और मुहम्मद अलीको जीवित रखा तो हम इसी वर्ष स्वराज्यका झंडा फहरायेंगे। लेकिन अगर ईश्वरकी यही इच्छा हुई कि इस वर्षके शेष आठ महीने समाप्त होनेसे पहले ही मेरी भस्म गंगामें प्रवाहित हो जाये तो उस हालतमें भी मैं इस विश्वासके साथ ही मरूँगा कि आप इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे।

यह बात उतनी कठिन नहीं है, जितनी कठिन आप समझ रहे होंगे। कठिनाई है केवल हमारे विश्वासकी। कठिनाई इस बातमें निहित है कि हम कौंसिल भवनमें बैठकर स्वराज्यका पाठ पढ़ना चाहते हैं। कठिनाई हमारी इस धारणामें निहित है कि हम सोलह वर्षके प्रशिक्षण-कालसे गुजरे बिना स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हम इन सब बातोंमें विश्वास करते हैं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए अभी सौ साल चाहिए। लेकिन चूँकि मुझे यकीन है कि हमें इन चीजोंकी नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और बलकी आवश्यकता है और चूँकि मैं मानता हूँ कि जनतामें आज ये सब गुण मौजूद हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि स्वराज्य इसी वर्ष प्राप्त किया जा सकता है।

कांग्रेसकी अपीलका क्या मतलब है? उस अपीलका मतलब यह है कि आपके और मेरे सामने, समस्त शिक्षित भारतीयों और व्यापारी समुदायके सामने — करोड़ों कारीगरों और खेतीहरोंके इस देशमें हम जो इन वर्गोंके मुट्ठी-भर लोग हैं उनके सामने — एक कसौटी रखी गई है। विश्वास कीजिए कि कांग्रेस आपकी सहायतासे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो आपकी सहायताके बिना भी, इस उद्धत सरकारसे भारतको विलग कर लेगी और स्वतन्त्रताका झंडा फहराकर रहेगी। सारा भारत आजके शिक्षित भारतमें ही संकेन्द्रित नहीं है। अगर भारतका समस्त शिक्षित समुदाय बराबर शंकालु ही बना रहे, उसमें आशा, विश्वास, साहस और बल न हो तो भी भारत अपनी आशाको सजीव रख सकता है। मैं इसी विश्वासपर टिका हुआ हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर छात्र-जगत और बंगालके विद्यार्थी अपने व्रतके[1] प्रति सच्चे रहते हैं तो बंगाल और भारतके प्राध्यापक, न्यासी और शिक्षा-शास्त्री राष्ट्रके आह्वानके उत्तरमें आन्दोलनमें शामिल होंगे और उनके असन्तोषका शिशिर आशाके बसन्तमें परिणत हो जायेगा।

मैं आप बंगालके नवयुवकोंसे अनुरोध करता हूँ कि आपने जो निश्चय किया है, कुछ भी क्यों न हो जाये, उसपर दृढ़ रहें। मैं जानता हूँ कि श्री दास अपने वचनपर अटल रहेंगे। एक प्रख्यात बंगालीने[2] उन्हें १०,००० रुपये तो तत्काल देनेका वचन दिया है और वे १०,००० वार्षिक चन्देके रूपमें आगे भी देंगे। उन्हें मारवाड़ी लोगोंने — कलकत्ताके मारवाड़ी अधिवासियोंने भी कुछ वचन दिये हैं। जहाँ-

१ अमृतबाजार पत्रिकामें यह वाक्य इस प्रकार है "... अपने विश्वास, अपने व्रतके प्रति ...।"

२ गोपालचन्द्र सिंह जिन्होंने पहले भी राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंकी स्थापनाके लिए एक लाख रुपये दिये थे।

तक पैसेका सवाल है, उन्हे ऐसे और भी वचन दिये जानेकी सम्भावना है, लेकिन पैसेकी दिक्कत तो कोई दिक्कत नही है। उन्हे कालेजकी स्थापनाके लिए उपयुक्त स्थानकी खोज करनी है। उन्हे अच्छे प्राध्यापकोकी तलाश करनी है। मै आप असहयोग करनेवाले विद्यार्थियोसे अनुरोध करूँगा कि आप कालेजोके पुराने मानदण्डको अपने सामने रखकर न चले —— वैसे ही जैसे हमारे सपनोका यह स्वराज्य, जो चीज हमे आज प्राप्त है, उसकी तुच्छ नकल नही होगा। तो आप कृपया इस बातका ध्यान रखे कि राष्ट्रीय कालेजके रूपमे आपको जो चीज मिलेगी वह आजके कालेजोकी तुच्छ नकल नही होगी। आप ईंट और गारेकी तरफ ध्यान नही देगे। आप प्रेरणाके लिए बेंचो और कुर्सियोकी ओर नही, बल्कि चरित्रकी ओर ध्यान देगे, आप प्रेरणा पानेके लिए अपने प्राध्यापको और अपने अध्यापकोके सच्चे चरित्रकी ओर देखेगे। आप आवश्यक प्रेरणा और स्फूर्तिके लिए अपने दृढ सकल्पपर निर्भर करेगे और मै आपको वचन देता हूँ कि तब आप निराश नही होगे। लेकिन अगर आप यह समझते हो कि श्री दास आपके कालेजके लिए शानदार इमारतकी व्यवस्था करेगे, अगर आप यह मानते है कि वे आपको आज जो आराम और सहूलियत प्राप्त है वह सारा आराम और सहूलियत देगे तो आपको नि सन्देह निराशा ही मिलेगी।

मै आजकी शाम, आपको एक नया सन्देश, एक बेहतर सन्देश देने आया हूँ। अगर आप इस वर्षके बारह महीनोके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कृत-सकल्प है, अगर आप एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेमे योग देनेके लिए कटिबद्ध है, तो मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि मै आपको जो सलाह देनेवाला हूँ उसे स्वीकार करके आप उन लोगोके मार्गको प्रशस्त करे, सुगम बनाये, जिन्होने स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है। अगर आप समझते है कि आपने जिन स्कूलो और कालेजोको छोड दिया है ठीक उन्ही कालेजोके ढगपर अपने नये स्कूलो और कालेजोका सचालन करके स्वराज्य प्राप्त कियाजा सकता है तो यह आपकी भारी भूल है। दुनियाके किसी भी देशने कठिनाइयाँ और कष्ट झेले बिना, बलिदान किये बिना स्वाधीनता प्राप्त नही की है —— नया जन्म नही पाया है। और बलिदान क्या है? अपनी युवावस्थामे मैने बलिदानका असली अर्थ यह समझा कि वह हमे पवित्र बनाता है, पावन बनाता है। असहयोग शुद्धीकरणकी एक प्रक्रिया है और अगर उस शुद्धीकरणके लिए हमे सामान्य जीवन-क्रममे व्यतिक्रम लाना जरूरी हो तो वैसा करना ही होगा। अगर मै बगालको तनिक भी समझता हूँ तो मै जानता हूँ कि आप पीछे नही हटेगे और असहयोग आन्दोलनमे शामिल होगे।

हमारी शिक्षा दो बातोमे बहुत ज्यादा दोषपूर्ण रही है। जिन लोगोने हमारी शिक्षा-सहिताकी रचना की, उन्होने हमारे शारीरिक और आत्मिक प्रशिक्षणकी उपेक्षा कर दी। आप असहयोग करने मात्रसे आत्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे है, क्योकि असहयोगका मतलब इतना ही है, न अधिक न कम, कि यह सरकार जो बुरे काम कर रही है आप उनमे भाग लेनेसे इनकार कर रहे है। और अगर हम विवेकपूर्वक, सोच-समझकर बुराईसे अलग होते है तो इसका मतलब है, हम ईश्वरकी ओर उन्मुख

होकर चल रहे है। यही आत्मिक शिक्षाका आरम्भ है, यही उसका समापन। लेकिन यह देखते हुए कि हमारी शारीरिक शिक्षाकी उपेक्षा की गई है और यह देखते हुए कि भारत गुलाम इसलिए हो गया कि वह चरखेको भूल गया और उसने मामूलीसे तात्कालिक लाभके लिए अपने-आपको बेच दिया तो मुझे आप बगालके नौजवानोसे चरखा अपनानेकी बात कहनेमे कोई सकोच नही हो रहा है। अत आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चरखा चलानेकी शिक्षा प्राप्त करना और आपसे जितना बन सके उतना सूत तैयार करना ही परीक्षाके इस वर्षमे अपना मुख्य उद्देश्य और मुख्य प्रशिक्षण समझे। आप अपनी सामान्य शिक्षा स्वराज्यकी स्थापनाके बाद ही शुरू करे, बगालका प्रत्येक नवयुवक और युवती अपना सारा समय और शक्ति कताईमे लगाना अपना पुनीत कर्त्तव्य माने। मैने आपका ध्यान, गत महायुद्ध हमारे सामने जो उदाहरण पेश करता है, उसकी ओर आकृष्ट किया है।

आपमे से जिन लोगोको इस बातकी जरा भी जानकारी होगी कि युद्धके[1] समय इग्लैंडमे क्या हो रहा था, उन्हे स्मरण होगा कि उस समय हर लडके और लडकीने अपनी शिक्षा — सामान्य शिक्षा — स्थगित कर दी थी, और उन्हे ऐसे राष्ट्रीय कार्यो-पर लगाया गया था जो युद्धके लिए आवश्यक थे। उन्हे दर्जीगिरी, बिल्ले बनाने आदिके मामूली काम दिये गये थे और यहाँ भी यह किया गया था। मुझे ऐसे अनेक घरोकी याद है, जहाँ छोटे-छोटे बच्चोको भी कामपर लगाया गया था। जब मैने खेडाके नवयुवकोसे माता-पिताके मना करनेपर भी युद्ध-क्षेत्रमे जानेके लिए कहा था उस समय सरकारने मेरे इस कामके साथ सहानुभूति व्यक्त की थी, उसकी ओर बहुत ध्यान दिया था और उसे पसन्द किया था।[2] लेकिन समय बदल गया है, और अब इस बातके लिए मेरी भर्त्सना की जा रही है कि मैने उन नौजवानो और युवतियोको जिनमे सोचने-समझनेकी क्षमता है, जिनकी अन्तरात्मा जागरूक है, अपने माता-पिताके आदेशकी भी अवहेलना करके अपनी अन्तरात्माके आदेशपर चलनेकी सलाह देनेका साहस दिखाया है। मै बगालके युवको और युवतियोसे कहता हूँ कि अगर आपकी आवाज, आपकी अन्तरात्माकी आवाज आपसे यह कहती है कि परीक्षाके इस वर्षके दौरान आपको अपनी पूरी ताकत और ध्यान स्वराज्य प्राप्त करनेमे लगाना चाहिए तो आपको मेरी इस बातका यकीन हो जायेगा कि जबतक देशका हर मर्द, हर औरत और हर बच्चा सूत नही कातने लगेगा तबतक विदेशी कपडे अथवा विदेशी वस्तुओका पूर्ण बहिष्कार असम्भव है। पैंतीस वर्षके लम्बे अर्सेमे काग्रेस मचसे बातोका सूत तो बहुत काता गया है। आइए, अब हम सच्चा सूत काते, जिसकी भारतको जरूरत है। मै आपको बता दूँ कि अगर आप भूखोको भोजन देना चाहते है, नगोको वस्त्र पह-नाना चाहते है तो इस मुश्किलसे छुटकारा पानेका कोई रास्ता नही है — सिवाय इसके कि भारतके सब लोग चरखेको अपना ले। इसलिए मै बगालके नौजवानोमे

१ प्रथम विश्व युद्ध १९१४-१८।

२ यह बात जून १९१८ की है जब गाधीजीने प्रथम विश्व-युद्धमें ब्रिटिश सरकारकी सहायता करनेके लिए खेडामें रगरूटोका भरती-अभियान चलाया था।

कहता हूँ कि मैं आपको जो सुअवसर प्रदान कर रहा हूँ उसे हाथसे जाने न दें। अगर हम विदेशी वस्त्रोका पूरा बहिष्कार सम्भव बना दे तो हम कॉमन्स सभामे लकाशायरके पचपन प्रतिनिधियोको निष्क्रिय बना देगे और आज महत्वाकाक्षी जापान जो भारतकी ओर लोलुप दृष्टिसे देख रहा है, उसकी गतिविधियोपर भी रोक लगा देगे। जैसा कि काग्रेसने बताया है, जबतक भारत अन्न और वस्त्रकी दृष्टिसे आत्मनिर्भर नही हो जाता तबतक आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नही की जा सकती। हम और सब वस्तुओके बिना निर्वाह कर सकते है, लेकिन अन्न और वस्त्रके बिना नही कर सकते। भारत जैसा १,९०० मील लम्बा और १,५०० मील चौडा विशाल देश सम्भवतया प्राचीन साधनो-को अपनाये बिना आत्मनिर्भर नही हो सकता। ईस्ट इडिया कम्पनीके शासनकालमे बगालने और सारे भारतने जो-कुछ किया, अगर आप उसके लिए प्रायश्चित्त करना चाहते हो तो भी आपके पास इसके अलावा और कोई उपचार नही है, उस प्राय-श्चित्तका इसके सिवा और कोई मार्ग नही कि आप उन श्रेष्ठ कला-कौशलोका पुन-रुद्धार करे और भारतके लिए पर्याप्त सूतका उत्पादन करे, ताकि कपडो और वस्त्रोके मूल्य गिर जाये और भारतको अपनी खास जरूरते पूरी करनेके लिए विदेशियोपर निर्भर न करना पडे।

तो, बगालके नौजवानो, अगर आप एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्तिके लिए उद्यम करना चाहते है, तो आप उस व्यक्तिकी सलाह मानिए जिसने अनेक प्रयोग किये है, जिसके सम्मुख यह सिद्धान्त १९०८ मे ही स्पष्ट हो गया था[1], और जो अभीतक इससे रचमात्र भी विचलित नही हुआ है। भारतकी आर्थिक समस्याका मैने जितना ज्यादा अध्ययन किया, भारतके मिल-मालिकोकी जितनी ज्यादा बाते सुनी, उनसे मेरा यह विश्वास उतना ही ज्यादा पक्का होता गया कि जबतक हम भारतके घर-घरमे चरखेका चलन शुरू नही करवा देते तबतक उसे आर्थिक मुक्ति और स्वतन्त्रता मिलना असम्भव है। आप चाहे किसी भी मिल-मालिकके पास चले जाये, वह आपको यही बतायेगा कि जहाँतक कपडेकी आवश्यकताकी पूर्तिका सवाल है, भारत अगर सिर्फ अपनी मिलोके सहारे आत्म-निर्भर बनना चाहता है तो इस स्थितिको प्राप्त करनेमे उसे पचास वर्ष और लगेगे। इस सम्बन्धमे आपको पूरी जानकारी दे देनेके खयालसे मै इतना और कहना चाहूँगा कि आज भी सैकडो-हजारो बुनकर बुनाईका काम कर रहे है। वे घरेलू सूतसे कपडा बुन सकते है, लेकिन उन्हे विदेशी सूतपर निर्भर करना पडता है, क्योकि देशी मिले उनकी सूतकी माँग पूरी नही कर सकती। अत कालेज छोड देनेवाले बगालके नौजवान मित्रोसे मेरा अनुरोध है कि आप उम्मीद और हिम्मतके साथ आगे बढे और कमसे-कम स्वराज्य-प्राप्ति होनेतक के लिए इस उपेक्षित हस्त-कलाको अपना ले। इस लक्ष्यको प्राप्त कर लेनेके बाद ही आप और किसी बातके सम्बन्धमें सोचे।

मैने एक और बात सुझाई है। मैने और आपने, बल्कि हम सभीने उस सच्ची शिक्षाकी उपेक्षा कर दी है जो हमे राष्ट्रीय स्कूलोमे प्राप्त हो सकती थी। बगा-

१ दक्षिण आफ्रिकामें।

लके नवयुवकोके लिए, गुजरातके नवयुवकोके लिए, दक्षिण भारतके नवयुवकोके लिए मध्यप्रान्त और सयुक्तप्रान्त तथा भारतके उस विशाल भूखण्डमे जाना — जहाँ सिर्फ हिन्दुस्तानी ही बोली जाती है — आज असम्भव-सा है, और इसीलिए मै आपसे अनुरोध करता हू कि अवकाशके समय कताईके बाद आप जितना समय बचा सके उस समय मे हिन्दुस्तानी भी सीखे। अगर आप लगनसे उसे सीखे तो आप दो महीनेमें कताई और हिन्दुस्तानी, दोनोको साध लेगे। मै आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी कुशाग्र बुद्धि और सुशील नौजवान, कोई भी देशभक्त और परिश्रमी युवक ये दोनो चीजे दो महीनेमे ही सीख ले सकता है। उसके बाद आप बेहिचक अपने गाँवोमे जा सकते है, मद्रासके अलावा भारतके किसी भी भागमे जा सकते है और जन-साधारणसे अपनी बात कह सकते है। एक क्षणके लिए भी यह न सोचे कि आप अग्रेजीको जन-साधारणके बीच अभिव्यक्तिका सामान्य माध्यम बना सकेगे। बाईस करोड भारतीय हिन्दुस्तानी जानते है — उन्हे और कोई भाषा नही आती। अगर आप बाईस करोड भारतीयोके दिलोमें पैठ जाना चाहते है तो आपके लिए हिन्दुस्तानी ही एकमात्र भाषा है। अगर आप इस वर्ष, नौ महीनेके इस अर्सेमे सिर्फ ये दो काम ही करे तो यकीन मानिए कि ये काम पूरा करनेतक आपमे एक ऐसा साहस और बल आ जायेगा जो आज आपके पास नही है। मै ऐसे हजारो विद्यार्थियोको जानता हूँ, जिनसे अगर यह कहा जाता है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो उनकी आँखोके आगे अँधेरा छा जाता है। अगर आप इस बातके लिए तुले हुए है कि या तो इस सरकारको खतम कर देगे या फिर इसको सही रास्तेपर लायेगे तो आप सरकारी नौकरियोकी कामना किस तरह कर सकते है? अगर आप सरकारका सहारा नही चाहते तो आपका अग्रेजीका ज्ञान किस कामका है? मै अग्रेजी भाषाके साहित्यिक मूल्यको कम नही आँकना चाहता। मै अग्रेजी पुस्तकोमें जो विशाल भण्डार छिपा पडा है, उसके महत्वको कम नही आँकना चाहता। मै आपसे यह भी नही कहना चाहता कि हमने अग्रेजी भाषाके महत्वको बहुत बढाकर आँका है, लेकिन मै आपसे यह अवश्य कहूँगा कि स्वराज्यकी अर्थव्यवस्थामे अग्रेजीके लिए बहुत कम गुजाइश है।

स्वराज्य प्राप्तिके लिए आपको अपने अग्रेजी शब्दोके ज्ञानमे वृद्धि करनेकी जरूरत नही है, और इसलिए मैने गुजरातके युवकोको सुझाव दिया है कि वे इन नौ अथवा बारह महीनोके लिए अग्रेजी साहित्यके अध्ययनको स्थगित कर दे तथा अपने समय और अवकाशको चरखा चलाने और हिन्दुस्तानी सीखनेमे लगाये, और उसके बाद अपने-आपको भारतकी खिदमतमे हाजिर कर दे तथा जिस राष्ट्रीय सेवाका सगठन किया जाये, उसमें शामिल हो जायें। जबतक भारतमे फैले हुए साढे सात लाख गाँवो के लिए हम कार्यकर्त्ताओकी एक सेना तैयार नही कर लेते तबतक काग्रेसने हमें जो महान् सविधान दिया है, उसे हम चरितार्थ नही कर सकते। अगर हम भारतके हर गाँवमे एक प्रतिद्वद्वी सस्थाकी स्थापना करना चाहते है, अगर हम चाहते है कि भारतके हर गाँवमे काग्रेसका एक प्रतिनिधि हो तो जबतक भारतके नौजवान अपनी मातृभूमि-की पुकारको नही सुनते तबतक हम ऐसा नही कर सकते। यह आपका सौभाग्य है कि

आज आपको यह सब करनेका अवसर प्राप्त हुआ है। आज वगालके और अन्य हिस्सोके नौजवानोका आह्वान किया गया है। मुझे आगा ही नही, पूरा विश्वास है कि भारतके सभी नौजवान लडके और लडकियाँ इस पवित्र आह्वानका अनुकूल उत्तर देनके लिए आगे आयेगे। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सालकी समाप्तिसे पूर्व ही वह अवसर आ जायेगा जब आपको जिस दिन आपने ये दोनो काम शुरू किये उस दिन-के लिए पछताना नही पडेगा। इस अध्यायके अन्तमे आप देखेगे कि आज रात मै आपसे जो-कुछ कह रहा हूँ वह सब सच निकला, आपने भारतके सम्मानकी रक्षा कर ली है, इस्लामकी प्रतिष्ठा बचा ली है, सारे राष्ट्रका सम्मान कायम रखा है और स्वराज्य प्राप्त कर लिया है। भगवान वगालके युवको और युवतियोको आवश्यक साहस, आवश्यक आशा और आवश्यक विश्वास दे ताकि आप आत्मशुद्धि और बलिदानके इस पुनीत परीक्षा-कालमे कसौटीपर खरे उतरे। भगवानसे मेरी कामना है कि वह आपकी सहायता करे।[1]

इस भाषणके वाद जब गाधीजीसे चिकित्सा-शास्त्रके विद्यार्थियोसे विशेष रूपसे कुछ कहनेके लिए कहा गया तो उन्होने आगे कहा :

एक और चीज है, जिसकी मैने जान-बूझकर चर्चा नही की। वह चीज मेरे मनमे तो थी, लेकिन चूँकि मैने कताई और हिन्दुस्तानी सीखनेकी आवश्यकता तथा कालेजकी पढाई छोड देनेके वाद आपको क्या करना चाहिए — इन सब बातोमे आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया था, इसलिए मैने जान-बूझकर चिकित्सा-शास्त्रके विद्यार्थियोकी कठिनाईका जिक्र नही किया। यदि वे अपनी विलक्षण बुद्धि और कल्पना-शक्तिसे काम ले तो, मैने विद्यार्थी समुदायसे आम तौर पर जो-कुछ कहा है, उससे वे आसानीसे समझ जायेगे कि जो बाते आर्ट्स कालेजो और अन्य कालेजोके विद्यार्थियोपर लागू होती है, वे बाते चिकित्सा-शास्त्रके विद्यार्थियोपर भी लागू होती है, बल्कि उनपर शायद ज्यादा ही लागू होती है। वे भारतके बहुत घावोको भरना चाहते है, वे रोग-ग्रस्त भारतको उसके रोगोसे मुक्ति दिलाना चाहते है, और मेरी समझमे तो पजावको जो घाव लगा है वही भारतके शरीरपर लगा सबसे बडा घाव है। वह आज जिस असहायावस्थामे पडा हुआ है, परतन्त्रता और दासतामे जकडा हुआ है, वही उसका सबसे बडा रोग है। इसलिए अगर चिकित्साशास्त्रके विद्यार्थी अपने भावी धन्धेके प्रति ईमानदार है तो वे बेहिचक इस आह्वानका अनुकूल उत्तर देगे। वे नगोके लिए कपडे जुटाने और भारतको उसके अपमान, अवमानना और असहायावस्थासे मुक्त करानेके मानवीयतापूर्ण कार्यका भार अपने कधोपर उठा लेनेमे तनिक भी आगापीछा नही करेगे। उनके लिए इससे कोई अच्छा काम हो ही नही सकता। किसी भी भारतीयके लिए — चाहे वह कितना भी कुलीन और प्रतिष्ठित हो, चाहे वह कितना भी विद्वान्, शक्तिशाली और वैभव-सम्पन्न हो — स्वराज्य प्राप्तिसे बढकर, भारत आज वर्षोसे जिस भयकर रोगसे पीडित है उससे उसे मुक्ति दिलानेसे बढकर कोई

१. **यंग इंडिया**मे प्रकाशित रिपोर्ट यही समाप्त हो जाती है। आगेका अंश **अमृतबाजार पत्रिका**से लिया गया है।

और काम हो ही नही सकता। अत मैं चिकित्सा-शास्त्रके सभी विद्यार्थियोसे, कालेजोमे पढनेवाले अन्य सारे विद्यार्थियोसे तथा सोलह सालसे अधिक उम्रके सभी स्कूली विद्यार्थियोसे भी कहता हूँ कि वे बिना किसी हिचकिचाहटके तत्काल ही अपने-अपने स्कूलो और कालेजोको छोड दे और इस तरह, उनपर जो सर्वोपरि कर्त्तव्य आ पडा है, उसे पूरा करे। लेकिन मेरी सलाह मानने-न-माननेकी आपको छूट तो है ही। आपको नये कालेज, नये स्कूल और नये मेडिकल-कालेज, या आप जो भी चाहे, स्थापित करनेकी भी छूट रहेगी। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप समझ जायेंगे कि जबतक आप अपना सारा समय स्वराज्य-प्राप्तिमे नही लगाते और इस कामको हर तरहसे आसान बनानेका प्रयत्न नही करते तबतक यह नही माना जायेगा कि आपने सच्चे और बहादुर लोगोकी तरह अपना काम पूरा किया है।

अगर मै मेडिकल कालेजो अथवा किसी अन्य सस्थासे सम्बन्धित किसी बातकी चर्चा न कर पाया होऊँ और आप अगर मेरे मुँहसे उसका समाधान चाहते हो तो मै ऐसे प्रश्नोका उत्तर देनेके लिए तैयार हूँ, लेकिन मै आपसे कहूँगा कि सवालोके जवाब देते-देते, भाषण देते-देते, लोगोसे आरजू-मिन्नत करते-करते मै ऊब गया हूँ। मै तो इन सबकी बनिस्बत यही ज्यादा पसन्द करूँगा कि मै मूक हो जाऊँ और आपको आपकी समझ, आपकी अन्तरात्माके भरोसे छोड दूँ। आज ही मै एक पत्रलेखकको उत्तर दे रहा था, जिसने 'नवजीवन' को लिखा था कि "अगर आप कहते है, अगर आप समझते है कि अन्तरात्मा सर्वोपरि है तो फिर आप हमसे बहस करनेमे इतना सारा समय क्यो नष्ट करते है? आप हमे अपनी समझके भरोसे ही क्यो नही छोड देते?" एक तरहसे उसकी यह फटकार सही थी। लेकिन मेरे दिलमे जो आग जल रही है, उसे मै अच्छी तरहसे जानता हूँ। इस आगकी गर्मी अगर मै आपतक ठीक तरहसे नही पहुँचा सका तो यह न आपके साथ ईमानदारी होगी और न स्वय मेरे अपने साथ। इसलिए मेरे अन्तरमे आशा और साहसका जो दीप जल रहा है, उसका प्रकाश आपको देनेके लिए मै भारतके एक सिरेसे लेकर दूसरे सिरेतक घूम रहा हूँ। विश्वास कीजिए, अगर मुझे अकेले ही छोड दिया जाये तो आप मुझे अपनी शक्ति-भर सूत कातने और दत्त-चित्त होकर हिन्दुस्तानीकी पुस्तकोको पढते हुए ही पायेंगे। मै जानता हूँ कि मै हिन्दुस्तानी बोल लेता हूँ लेकिन मै अपनी सीमाओसे भी अवगत हूँ और मै जानता हूँ कि इन सीमाओके कारण मुझे कितनी कठिनाईका सामना करना पड रहा है। मुझे हिन्दुस्तानीके साहित्यकी उतनी अच्छी जानकारी नही है जितनी अग्रेजी साहित्यकी है।

इसलिए मेरे नोजवान दोस्तो, मै आपसे कहूँगा कि आप अपना सारा सन्देह, सारा भय और सारी शका बगालकी खाडीमे विसर्जित कर दे और एक नई आशा, नई उमगके साथ उठ खडे हो — ऐसी आशाके साथ जिसका फल मिले बिना नही रहेगा।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २-२-१९२१

अमृतबाजार पत्रिका, २५-१-१९२१

१३६. भाषण : महिलाओंकी सभा, कलकत्तामे[1]

२५ जनवरी, १९२१

श्री गाधीने अपने भाषणके दौरान सबसे पहले ब्रिटिश सरकारकी रावण-राज्यसे तुलना की, जिसमें दुष्ट सुखी और सज्जन दुखी रहते थे। उन्होने आगे कहा कि वर्तमान सरकारने पापका राज्य कायम कर रखा है। जिस तरह रामका जन्म रावणके पाप-राज्यका अन्त करनेके लिए हुआ था, वर्तमान असहयोग आन्दोलनसे भी उसी उद्देश्यकी पूर्ति हो सकती है। महात्माजीने भारतकी माताओ और बेटियोको सलाह दी कि उन्हे अपने पुत्रो और भाइयोको सरकारी स्कूलो और कालेजोसे हटा लेना चाहिए, क्योकि वहाँ शिक्षाका अर्थ मानसिक गुलामीके अतिरिक्त और कुछ नही है।

समाजके सभी वर्गोमें व्याप्त विलासिताकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने उसे त्याग देनेका अनुरोध किया। उन्होने कहा कि आपने जो कपडे पहन रखे है वे पवित्र नहीं है। अपने-अपने देवी-देवताओकी पूजा करनेके लिए तो आप पवित्र वस्त्र ही पहनते है। उसी तरह आज जब कि आप देशके हितके लिए एक पवित्र लड़ाईमे जुटे हुए है, आपको पवित्र वस्त्र, यानी हाथसे कते और बुने कपड़े ही पहनने चाहिए।

श्री गाधीने आगे कहा कि हर घरमें एक चरखा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दो-तीन महीनेके भीतर बंगालके घर-घरमें चरखा होगा। उन्होने श्रोताओको अपनी बात समझानेके लिए विद्यासागरके[2] परिवारका उदाहरण दिया, जिसके सभी सदस्य सूत कातते थे।

इसके बाद श्री गांधीने अपनी चादर फैला दी और महिलाओसे कहा कि मै चाहता हूँ, आपको जो चीज सबसे प्यारी हो, वही आप भेंट करे। उन्होने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपके त्यागकी जरूरत है। इसपर पूरी सभामे कानाफूसी होने लगी, जिसपर श्री गाधीने कहा कि मुझे आपकी ऐसी कोई भी चीज नही चाहिए जिसे देनेमें आपको बहुत सोच-विचार करना पडे। बल्कि आप जो-कुछ भी दे, वह अपनी खुशीसे दें। इसपर सब ओरसे उपहारोकी वर्षा-सी होने लगी, जिससे श्री गाधीकी चादर भर गई।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २८-१-१९२१

१ यह सभा चित्तरजन दासके निवास स्थानपर हुई थी, इसकी अध्यक्षता गाधीजीने की थी।

२. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८९१), बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान् और समाज-सुधारक।

१३७. टिप्पणियाँ

शिक्षा या आबकारी

पंजाबमें प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी श्री दौलतराम गुप्तके जिन ज्ञानवर्धक लेखोंको[1] हमने समय-समय पर छापा है, उनमें उन्होंने तथ्यों और आँकड़ोंकी मददसे यह दिखाया है कि जबसे वह सूबा अंग्रेजोंके आधिपत्यमें आया, तबसे वहाँकी शिक्षा कितनी पिछड़ गई है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वहाँके ब्रिटिश गवर्नरों और अंग्रेज हाकिमोंकी लोगोंको सभ्य बनानेकी कोशिश शिक्षण संस्थाओंके लिए नुकसानदेह ही हुई है। वहाँके स्कूल शिक्षक और विद्यार्थी सभीको अंग्रेज प्रशासकके हाथों घोर हानि भुगतनी पड़ी है।

लेकिन अगर पंजाबमें शिक्षाकी प्रगति वहाँके हाकिमोंके लिए जहरके घूँट-जैसी थी तो शराबकी तिजारतमें होनेवाली वृद्धि शहद-जैसी मीठी थी। वहाँके नौजवान हाकिमों-के आगे दो लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये थे शिक्षाका गला घोंटो और आबकारीकी आमदनीको बढ़ाओ। पंजाबकी १९१९–२० की आबकारी रिपोर्टको देखनेसे पता चलता है कि वहाँकी आबकारीकी आमदनीमें कितनी बेहिसाब बढ़ती हुई। उस साल २५ लाख रुपयेकी बढ़ोतरी हुई और इससे कुल आमदनी १ करोड़ ३० लाख हो गई। सरकारकी इस आबकारी-नीतिके नतीजे जनताके लिए कई तरहसे घातक सिद्ध हुए हैं। आगेके अंकोंमें हमारा विचार इस नीतिका भंडाफोड़ करने और साथ ही सरकारी आँकड़ोंके आधारपर यह दिखानेका भी है कि सरकारकी आबकारी नीति किस तरह बाकायदा शराबखोरीको बढ़ावा देती है। हमारे पाठक यह जानकर भौचक्के रह जायेंगे कि कुछ प्रान्तोंमें शिक्षा-प्रसारकी सुविधाओंके मुकाबले शराब पीनेकी ज्यादा सुविधाएँ दी गई हैं।

धार्मिक निष्पक्षता

सरकारकी कपोल-कल्पित धार्मिक तटस्थताके बारेमें श्री फॉयके वक्तव्यका[2] अपने कुछ नाराजी-भरे पत्रमें जवाब देते हुए श्री सीतारामने उनकी बात माननेसे इनकार किया है। वे कहते हैं

सरकारसे अच्छी खासी मदद लेनेवाली शिक्षण संस्थाएँ लाजिमी तौरपर 'बाइ-बिल' पढ़ाती हैं। हिन्दू, मुसलमान और पारसियों द्वारा दिये जानेवाले करोंमें से काफी पैसेका लाभ देश-भरमें फैली ईसाई संस्थाएँ उठाती हैं।

यह, और ऐसे ही दूसरे बहुत-से उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि विभिन्न धर्मोंके प्रति अपने व्यवहारमें भारतकी सरकार निश्चय ही सन्देहसे परे नहीं है।

१ दौलतराम गुप्त द्वारा लिखे ये लेख **यंग इंडियाके** ८ दिसम्बर, १९२० से २६ जनवरी, १९२१ तकके अंकोंमें छपे थे।

२ श्री फॉयके पत्रपर गांधीजीकी टिप्पणीके लिए देखिए "टिप्पणियाँ", १२–१–१९२१।

अपने पत्र-लेखकोसे

श्री सीतारामके पत्रके बारेमे लिखते हुए मै अपने अन्य पत्र-लेखकोसे भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। इन पत्र-लेखकोमे दो तरहके लोग शामिल है — एक तो वे जो मुझे एक पत्रकारके नाते पत्र लिखते है और दूसरे वे जो मुझसे सलाह लेनेके लिए पत्र लिखते है। पत्र-व्यवहार इतना अधिक बढ गया है कि उसे निपटाना मेरे अकेलेके बूते-के बाहर है। यह सही है कि इस काममे और भी कई लोग मेरी मदद करते है, लेकिन हम सब मिलकर इतने सारे पत्रोको निपटा नही पाते। इसलिए अगर पत्र-लेखकोको जवाब न मिले तो वे यह न समझे कि जवाब देनेका मेरा मन्शा नही है, वे यही समझे कि हरएकको अलग-अलग जवाब देना मेरे बसका नही है। लेकिन साथ ही प्रत्येक पत्रकी पहुँच देनेकी हर चन्द कोशिश की जा रही है। कहनेकी जरूरत नही कि हरएक पत्र-लेखकके लिए व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देना मेरे लिए गैरमुमकिन ही है। साथ ही मै यह भी बता देना चाहूँगा कि मुश्किलसे पढी जा सकनेवाली घसीट-लिपिमे लिखे लम्बे खर्रोके मुकाबले मुद्देकी बात कहनेवाले, सक्षिप्त और साफ अक्षरोमे लिखे पत्रोपर जल्दी ध्यान दिया जायेगा।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६–१–१९२१

१३८. हिन्द स्वराज्य[1]

यह बेशक मेरे लिए सौभाग्यकी बात है कि मेरी इस छोटी-सी किताबकी ओर बहुत अधिक लोगोका ध्यान गया है। मूल किताब गुजरातीमे है। इसकी जिन्दगीमे बहुत-से उतार-चढाव आये है। सबसे पहले यह दक्षिण आफ्रिकाके 'इडियन ओपिनियन' अखबारमे छपी थी। १९०८ मे[2] जब मै लन्दनसे दक्षिण आफ्रिका लौट रहा था, उस समय समुद्रीयात्राके दौरान भारतीय आतकवादी विचारधारा और उससे मिलती-जुलती विचारधारा रखनेवाले दक्षिण आफ्रिकाके लोगोके जवाबमे मैने इसे लिखा था। लन्दनमे मुझे हर जाने-पहचाने भारतीय आतकवादीके सम्पर्कमे आनेका मौका मिला था। उनकी बहादुरीने मुझे प्रभावित किया, लेकिन मैने उनके जोशको गुमराह पाया। मैने महसूस किया कि भारतकी मुसीबतोका इलाज हिंसा नही है, और भारतीय सभ्यताको आत्म-रक्षाके लिए दूसरी तरहके और ज्यादा ऊँचे किस्मके हथियारकी जरूरत है। दक्षिण आफ्रिकाका सत्याग्रह उस समय महज दो सालका एक नन्हा बच्चा ही था। लेकिन फिर भी वह इतना विकसित हो चुका था कि मै उसके बारेमे काफी आत्म-विश्वास के साथ लिख सकता था। उसकी इतनी सराहना की गई कि बादमे उसे पुस्तिकाके रूपमे प्रकाशित किया गया। भारतमे भी लोगोका ध्यान उसकी ओर गया। बम्बई

१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६–६९।
२. १९०९ में।

सरकारने उसपर पाबन्दी लगा दी।[1] इसके जवाबमें मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। मैंने सोचा कि इस पुस्तकके विषयकी जानकारी अपने अंग्रेज मित्रोंको कराना मेरा कर्तव्य है। मेरी रायमें यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे बच्चेके हाथमें भी दिया जा सकता है। यह नफरतके बदले प्यारका पाठ सिखाती है। यह हिंसापर आत्मबलिदान-को तरजीह देती है। यह पशुबलपर आत्म-बलसे विजय पानेका रास्ता दिखाती है। इसके कई संस्करण हुए हैं और जो पढ़ सकते हैं उन सभीको मैं इसे पढ़नेकी सलाह देता हूँ। मैंने सिवाय एक शब्दके इसमें से कुछ भी कम नहीं किया है और वह शब्द भी एक महिला मित्रके लिहाजके कारण काटा गया है। भारतीय संस्करणकी भूमिकामें मैंने इस रद्दोबदलका कारण बता दिया है।

यह पुस्तिका "आधुनिक सभ्यता" की कड़ी भर्त्सना करती है। यह १९०८ में लिखी गई थी। आज मेरी आस्था और मेरा विश्वास पहलेसे गहरा ही हुआ है। मैं महसूस करता हूँ कि अगर भारत आधुनिक सभ्यताका परित्याग कर दे तो वह सुखी ही होगा।

लेकिन साथ ही मैं पाठकोंको सावधान भी करना चाहूँगा कि कहीं वे यह न सोचने लगें कि इस पुस्तिकामें वर्णित स्वराज्यकी स्थापना करना ही आज मेरा ध्येय है। मैं जानता हूँ कि अभी भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। इसे अविनय समझा जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा ही विश्वास है। इसमें जिस स्वशासनकी बात कही गई है, व्यक्तिगत रूपसे तो मैं उसीके लिए काम कर रहा हूँ। परन्तु आज मैं जो सन्नद्ध कार्य कर रहा हूँ वह भारतीय जनताकी आकांक्षाओंके अनुरूप संसदीय ढंगका स्वराज्य प्राप्त करनेकी दृष्टिसे कर रहा हूँ। मैं रेलों और अस्पतालोंको खतम करनेका प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, वैसे यदि ये कुदरती तौरपर नष्ट हो जायें तो मैं उनका स्वागत ही करूँगा। न तो रेलें और न अस्पताल ही ऊँची और पवित्र सभ्यता-की कसौटी हैं। ज्यादासे-ज्यादा हम उन्हें एक जरूरी बुराई ही मान सकते हैं। किसी राष्ट्रके नैतिक मानको तो वे एक इंच भी नहीं बढ़ाते। न मेरा मकसद अदालतोंको स्थायी रूपसे खत्म कर देना ही है, हालाँकि मैं मानता हूँ कि यह एक ऐसी बात है, सभीको जिसके खत्म हो जानेकी कामना करनी चाहिए।" सारी मशीनों और मिलोंको खत्म करनेकी कोशिश तो मैं और भी कम कर रहा हूँ। इसके लिए, लोग आज जितने तैयार हैं, उससे कहीं ऊँचे दर्जेकी सादगी और त्यागकी जरूरत है।

इस समय तो कार्यक्रमका केवल अहिंसावाला अंश ही पूराका-पूरा कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन मुझे दुःखके साथ यह कहना पड़ता है कि पुस्तककी भावनाके अनुसार तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है। अगर होता तो सिर्फ एक ही दिनमें भारतमें स्वराज्य कायम हो जाता। भारत यदि प्रेमके सिद्धान्तको सक्रिय रूपसे अपना ले और राजनीतिमें उसपर अमल करे तो स्वराज्य उसे ईश्वरके आशी-र्वादके रूपमें सहज ही प्राप्त हो जायेगा। लेकिन मुझे बहुत दुःखके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि अभी वह शुभ घड़ी बहुत दूर है।

१ मार्च १९१० में।

मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान आन्दोलनको बदनाम करनेके लिए इस पुस्तिकामें से इधर काफी उद्धरण दिये जा रहे हैं।[1] मैंने ऐसे भी लेख देखे हैं जिनमें यह कहा गया है कि मैं कोई गहरी चाल चल रहा हूँ, भारतपर अपनी सनक व खामखयालियाँ थोपनेके लिए मौजूदा अशान्तिका लाभ उठा रहा हूँ और भारतको नुकसान पहुँचाकर धार्मिक प्रयोग और परीक्षण कर रहा हूँ। इस सबके जवाबमें मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह एक बहुत ही ठोस और खरी वस्तु है। उसमें छिपाने और गुप्त-जैसा कुछ भी नहीं होता। जीवनके जिस पूरे सिद्धान्तका 'हिन्द स्वराज्य' में वर्णन किया गया है, उसके एक अंशपर आज केवल आचरण किया जा रहा है। अगर समूचेपर आचरण किया जाये तो उससे भी कोई खतरा नहीं है। ऐसी सूरतमें मेरे लेखोंसे ऐसे अंश उद्धृत करके, जिनका देशके मौजूदा मसलेसे कोई भी ताल्लुक नहीं, लोगोंको डराना उचित नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६–१–१९२१

१३९. पत्र : लेवेटसको

१४८, रसा रोड
[कलकत्ता]
२६ जनवरी, १९२१

प्रिय श्री लेवेटस,

आपने सरकारकी विनिमय नीतिपर कांग्रेसके प्रस्तावकी[2] व्याख्याके बारेमें जिज्ञासा की है, मेरे विचारसे इसकी आड लेकर किसीको अपने उत्तरदायित्वसे बचनेका अधिकार नहीं है। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रस्तावमें व्यापारियों आदिसे कहा गया है कि अगर वे अपने ठेके वगैरह विनिमयकी वर्त्तमान दरपर पूरा करनेसे इनकार कर देंगे तो प्रस्तावकी प्रस्तावनामें बताये गये कारणोंके आधारपर वह उचित ही होगा। लेकिन जो लोग बिलोंकी मीयाद पूरी हो जानेपर पैसे नहीं चुका पाये हों, वे इस प्रस्तावकी बिनापर सामान्य ढंगसे ऐसे बिलोंके पैसे चुकानेसे इनकार नहीं कर सकते। आप कहते हैं, यह प्रस्ताव असहयोगकी नीतिके पीछे जो नैतिक सिद्धान्त है, उनके खिलाफ है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रस्तावनामें कही गई बातें सही हैं तो मेरे विचारसे इस मामलेमें कहीं भी नैतिकताका त्याग नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि कांग्रेसने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको इस प्रस्तावपर अमल करानेके लिए एक समिति नियुक्त करनेका आदेश दिया है। मेरी सलाह है कि आप पूरा मामला तैयार करके समितिके सामने पेश कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि अगर

१. उदाहरणार्थ लॉर्ड रोनाल्डशेका लेख, देखिए "टिप्पणियाँ", ८–१२–१९२० ।

२. यह प्रस्ताव १९२० की नागपुर कांग्रेसमें पास किया गया था ।

प्रस्तावनामे सचमुच खामियाँ दिखा दी गईं या अगर इस प्रस्तावको अन्य किसी प्रकारसे नैतिक रूपसे दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया गया तो समिति उन दलीलोके अनुसार उचित कार्रवाई अवश्य करेगी।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७४४२) की फोटो नकलसे।

१४०. भाषण: कलकत्तामें व्यापारियोकी सभामे

२६ जनवरी, १९२१

भाइयो,

आप सब जानते है कि मै कुर्सीपर बैठकर बोलता हूँ। मुझे इसमें शर्म महसूस होती है। मै कुर्सीपर बैठना तो बिलकुल नही चाहता, लेकिन मजबूरी है। मुझे तो नौ महीनेमे स्वराज्य लेना है इसलिए मै यह सब[1] नही चाहता। लोग मेरा सडकोपर गुजरना मुश्किल कर देते है।[2] मै जानता हूँ कि लोग मुझे बहुत अधिक प्यार करते है, लेकिन बने तो मै उन्हे [ऐसे प्रदर्शनसे] रोकना चाहता हूँ। इस सभा-भवनके बाहर जो अपार भीड है, उसके कारण कोई कामकाज करना सम्भव नही लगता। मेरा आधा घंटा बरबाद हो गया। अच्छा इन्तजाम नही किया गया, यही इसका कारण है। ऐसा नही होना चाहिए। जब मालूम है कि बहुत लोग आयेंगे तो उनके लिए भी इन्तजाम किया ही जाना था। कामका नुकसान नही होना चाहिए, रास्ते बन्द नही होने चाहिए और ट्रामे आदि नही रुकनी चाहिए। इस तरह लोगोका समय बरबाद नही होना चाहिए। एक हजार आदमी सभा-भवनमे है और एक हजार बाहर। लोगोके दो हजार घंटे आज बरबाद हो गये। मै चाहता हूँ कि हिन्दी और उर्दूके अख-बार भी [इस बातको] छापे कि पैर छूना बुरा है। मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे पैर न छुएँ। मुझे शोरगुलसे भी बडी परेशानी होती है। मेरी तबीयत अच्छी नही है। मुझसे "वन्देमातरम्", "महात्मा गांधीकी जय" के नारे सहन नही होते। यदि इन नारोसे हमारा सच्चा भाव प्रकट नही होता है तो ये बेकार है। मेरे कहनेका मतलब यह है कि लोग जो-कुछ कहते है उसे कार्यरूपमे परिणत नही करते। मै भी अपना बनिया-धर्म छोडकर क्षत्रिय बन गया हूँ। यदि मै क्षत्रिय न बना होता तो अपनी भावना रो-रोकर प्रकट करता। आप लोग मेरे पैर छुये, निश्चय ही मुझे इस बातकी लालसा नही है। जब मेरी ऐसी इच्छा होगी तब मै साफ-साफ कह दूँगा और यह तभी हो सकता है जब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाये। आज तो मुझे अपनी प्रतिष्ठापर आँच आती दिखाई देती है—फिर भी ९ महीनोमे स्वराज्य प्राप्त करना है। आप

१ शायद गांधीजीका अभिप्राय जयके नारो और भीड़के अननुशासित प्रेम-प्रदर्शनसे है।

२ जिस भवनमें यह सभा हो रही थी उसके सामने इतनी भीड थी कि वहाँ पहुँचनेपर गांधीजी करीब पौन घंटेके बाद पीछेके दरवाजेसे भीतर लाये जा सके।

सब लोग एक हो जाये और मुझे इसमे सहायता पहुँचाये। "वन्देमातरम्", "हिन्दू-मुस्लिम जिन्दाबाद", 'अल्लाहो-अकबर" आदि नारोकी जरूरत नही है। मै जो-कुछ करना चाहता हूँ वह मै जरूर ही करके छोडूँगा। मै स्वराज्य अवश्य लूँगा। यदि इस देशके ३० करोड लोग कहे कि वे मेरे साथ नही है तो भी मै अपना काम करूँगा और स्वराज्य लूँगा लेकिन मै शोरगुल पसन्द नही करता। इन नारो और शोरगुलके सामने मै मेमनेकी तरह कमजोर पड जाता हूँ। पैर पडना भी अच्छी बात नही है। सबसे हाथ जोडकर नमस्कार कीजिये। कोई भी व्यक्ति, विशेषत इस कलियुगमे, पैर छूनेके योग्य नही है। अब समय बदल गया है। यदि आप ३० करोड लोगोका काम पूरा करना चाहते है तो धन देकर मदद कीजिये। प्रयत्न करके रुपया इकट्ठा करिये, मुझे दीजिये और उसका मुझसे हिसाब माँगिये। किसीको खजाची बना लीजिये। यदि आपको लगे कि आप स्वराज्य नही ले सकते तो रुपये देकर मेरी मदद कीजिये।

यदि आप रुपयेसे भी मदद नही करते तो स्वराज्य लेना असम्भव न हो पर मुश्किल जरूर होगा। यदि भारतके छात्र मेरी मदद नही करते तो उससे कोई हानि नही। यदि वकील मदद नही देते तो भी कोई बात नही। यदि धनी लोग रुपयेसे सहायता नही करते तो उससे भी कोई फर्क नही पडता। स्वराज्य लेना मजदूरो और किसानो-पर निर्भर है। जन्मसे तो मेरा भी वही धन्धा है जो आपका है। मै खुद व्यापारी ही था। मै वकील था और उससे रुपया कमाता था। मै छात्र भी हूँ और मेरा खयाल है मै एक अच्छा छात्र हूँ। यदि आपमे शक्ति हो, बल हो, यदि आप भारतपर अपना शासन चाहते हो तो बलिदान कीजिये। अपना, अपने बच्चोका और अपने माता-पिताका बलिदान कीजिए। जीवनमे जो-कुछ हो उस सबका बलिदान कीजिए। स्वराज्य किसानोपर निर्भर करता है। यदि वे मदद न करे तो स्वराज्य नही मिल सकता। यदि वे सरकारको सहयोग दे तो आप सब लोगोका मिला-जुला सहयोग भी स्वराज्य लेनेमे सहायक नही होगा। यदि २५ करोड लोग अपने कर्त्तव्य पालनसे विमुख रहे तो स्वराज्य नही मिल सकता। अब मै अपने मारवाडी भाइयोसे कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्षने अभी कहा है कि आजकी सभामे धनाढ्य लोग नही आये। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन उनके न आनेका कारण है। वे इस सरकारकी छायामे पले-बढे है और उन्होने अपनी विशाल सम्पत्ति उसीके सरक्षणमे इकट्ठी की है। उन्होने अपना धन उसके सहयोगसे कमाया है, इसलिए वे उससे डरते है। अग्रेज भारतीयोके सह-योगसे रुपया कमाते है, हमारे मारवाडी भाई अभीतक इस सत्यको नही समझ पाये है। मै आपसे यह नही कहता कि आप अपना व्यापार छोड दे, लेकिन मै आपसे यह जरूर कहता हूँ कि आप ईमानदारीसे व्यापार करे और झूठका सहारा न ले। आप कह सकते है कि यदि हम झूठका सहारा नही लेगे तो फकीर हो जायेगे। मेरा खयाल है कि आपका फकीर हो जाना ज्यादा अच्छा है। उस हालतमे मै आपसे कोई रुपया नही लेना चाहूँगा। आप विदेशी मालका व्यापार न छोडें, किन्तु आपको विदेशी कपडेका व्यापार अवश्य छोड देना चाहिए। ईश्वरसे डरनेवाला ईश्वर ही का काम करेगा। ईश्वरने आपको धन दिया है। इस धनसे आप अपने शरीरको सजाते

हैं। आप इस धनकी बदौलत मलमलकी पगडी पहनते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप भय त्याग दे, खद्दरकी पगडी पहने और मिलोके साथ एजेंसियोकी हदतक भी सम्बन्ध न रखे। मैंने अपने लडकेसे यह व्यापार छोडकर खद्दरका व्यापार करनेको कहा, क्योकि वह स्वदेशीका व्यापार नही है। उसने जवाब दिया "पिताजी, खद्दरका व्यापार तो चलता ही नही। ज्यादातर खादी दूकानमे पडी रह जाती है।" खद्दर, गाढा, खादी कुछ भी कहिए, जैसी सुन्दर चीज दूसरी नही मिल सकती। मेरे सभी भाई और बहन उसे इस्तेमाल करते हैं और मजदूर, जो मेरे भाई हैं, उसे तैयार करते हैं। मिल-मालिक जो शोषण कर रहे हैं वह बहुत अनुचित है। जब रुईका दाम ९ रुपये है तब सूतका दाम ३४ रुपये क्यो हो? मैं जानता हूँ खादीके व्यापारमे मुनाफा बहुत कम होता है। इसका कारण यह है कि मिल-मालिक सूतका दाम बढा देते हैं। हमारे चमार और मेहतर भाइयोके पास कपडा नही है, हमे उन्हे कपडा देना है। कोई वैष्णव ऐसा भी कह सकता है कि हमारी थालियोकी झूठन और मैले-कुचैले फटे-पुराने कपडे उनके लिए काफी होगे। लेकिन मेरे लिए तो वे प्रातःस्मरणीय हैं और मैं उन्हे अपनी बराबरीका तो मानता ही हूँ। यदि आप मिलका कपडा छोडकर खद्दर पहनने लगे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ जायेगी।

यदि आप जनकपुरी, उडीसा जाये तो आप देखेगे कि वहाँ गरीब लोगोकी हालत बहुत ही दयनीय है। उन्हे खानेके लिए सत्तू मिल जाता है, घी कभी उन्हे मयस्सर नही होता। आप तो तीसरे दर्जेमे नही चलते, लेकिन मैं तीसरे दर्जेमे ही चलता था। तीसरे दर्जेके मुसाफिरखानोमे मैं देखता कि लोग अपनी किसी थैलीमे से मुट्ठीभर सत्तू निकालते, उसमे थोडा नमक और थोडी लालमिर्च डालते और तब उसे पानीमे घोलकर खा जाते। यही उनका भोजन होता था। मैं तो क्षत्रिय हो गया हूँ, इसलिए मेरी आँखोमे आँसूकी बूंद भी नही आती थी। अन्नपूर्णा माँके इस देशमे घी नही मिलता। चम्पारनमे लोग भूखो मर रहे हैं। इन सब बातोके निवारणका एक ही उपाय है और वह है चरखा चलाना। यदि सब स्त्रियाँ और लडकियाँ चरखा चलाने लगे, तो वे सूत कातकर अपना गुजारा कर सकेगी और खद्दरकी कीमतपर भी इसका असर पडेगा। स्वराज्य मिल गया तो हम मलमल भी बना सकेंगे। मैं स्वय एक अच्छा कारीगर हूँ और मलमल तैयार कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको तो ७ से २० नम्बरतक का ही सूत कातना है। उससे साडियाँ और बुर्के आदि बन सकेंगे। आपकी पगडियाँ बनानेमे ८० नम्बरका सूत लगता है। यह विलायती होता है और उसे काममें लाना धर्म-विरुद्ध है। मारवाडियोने अपना धर्म छोड रखा है। आप विदेशी चीजोका व्यापार छोड दे, अभी सभी चीजोका नही, केवल विलायती कपडेका छोड दें। आप अपने घरमे विलायती कपडा न रखे और अपनी माताओ और पत्नियोसे कह दे कि वे उसे उतार फेंके और फिर न पहने। इससे आपकी कोई हानि नही होगी। आप यह सारा कपडा दक्षिण आफ्रिका भेजकर बिकवा दे। वहाँ कताईकी मशीनें न होनेसे इसकी माँग है। भारत सती स्त्रियोके सतपर टिका हुआ है। मुसलमान स्त्रियाँ चरखेपर बहुत सूत कातती है।

यदि आप गायोंकी रक्षा करना चाहते है तो आप खिलाफतकी रक्षा कीजिए। कई लखपति सज्जन गो-वध बन्द करनेकी बात कहते है, लेकिन अग्रेजोको सहयोग देते है। अत्याचारी अग्रेज गायोका खून पीते है। अग्रेजी मालकी एजेंसियाँ लेना धर्मके विपरीत है। मुसलमानोके विरुद्ध यह कहा जाता है कि वे गो-वध करते है। लेकिन मै कहता हूँ कि बाँदरामे[1] ५ वर्षके अन्दर जितनी गाये काटी जाती है, उतनी ७ करोड मुसलमान २५ सालमे भी नही मार सकते। मै चम्पारनके बारेमे फिरसे आपको कुछ मोटी-मोटी बाते बताता हूँ। मैने गोवधके बारेमे एक मारवाडीसे बात की तो वह रो पडा। मै नही रोया। मैने उसका ध्यान बैलगाडीमे जोते हुए एक बैल की हालत की ओर खीचा। आप गायोकी पूजा करते है, लेकिन बैलोको मारते है, क्या यह ठीक है? गोशालाओकी हालत देखिए। गाये दूध देती है, भैसे भी दूध देती है। वे इतनी अधिक दुही जाती है कि उनके थनोसे खून झरने लगता है और उसे हम पीते है। यदि आप सचमुच गायोकी रक्षा करना चाहते है तब आप खिलाफतके मामलेमे मुसलमानोकी मदद कीजिए। मुसलमान कृतघ्न नही है, लेकिन आप उनसे यह न कहिये कि पहले आप गायोकी रक्षा करिये तब हम खिलाफतके मामलेमे आपकी मदद कर सकेगे। यह अनुचित है। इसमे सौदेकी कोई बात नही है। आप अपने भाइयोके लिए अपनी जान दे दे, सर्वस्व लुटा दे और अपनी धार्मिकतापर कायम रहे। हिन्दू होनेके नाते आप कायर न बने, बल्कि साहसी बने।

यदि आपके भण्डारमे कपडेके थान पडे हो तो आप उन्हे बेच डाले या जला दे और यह वचन दे कि आप फिर कभी वैसे कपडेका न व्यापार करेगे और न खुद पहनेगे। आप जुलाहोको भी समझाये कि उन्हे विलायती सूत काममे नही लाना चाहिए। उनके पास जो माल जमा हो, उन्हे कहिए कि वे उसे बेचनेके बाद २० नम्बर-से ज्यादाका सूत काममे न लाये और खुद भी मोटे सूतके बने कपडे पहने। मै तीन बाते चाहता हूँ। पहली बात यह है "मेरी रक्षा कीजिए।" आप गाधीको तग न करे, उसे तकलीफ न दे और "गाधीजीकी जय" न चिल्लाये, उसे 'हराम' समझे। दूसरी बात यह है "रुपयेकी जरूरत है। आप जितना दे सके उतना दे और इस दिशामे जो-कुछ कर सकते है करे।" आज गल्ला और तिलहनके व्यापारियोने मुझे १०,००० रुपये दिये है और यह वचन दिया है कि वे चन्दा करके और भी रुपया देगे। मै यह चाहता हूँ कि आप जो-कुछ भी दे वह नम्रतापूर्वक और उदारताके साथ दे। मै जैसे ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ, वैसे आपसे भी प्रार्थना करता हूँ। आप अपने भीतर धर्मकी भावना जागृत करे और देशभक्तिके भाव उत्पन्न करे। तीसरी बात यह है 'आप शुद्धता अपनाये, देशभक्त बने और स्वराज्य तथा खिलाफतके निमित्त काम करे।' खिलाफत कामधेनु है। आप अपने घरोमे शुद्ध स्वदेशी चीजोका व्यवहार करे। स्वदेशी ही आपका हित करनेमे समर्थ है। हमारा ६० करोड रुपया देशके बाहर चला जाता है। आप इसको देशमे रखिए, ९ महीनोमे आपको स्वराज्य मिल जायेगा। भाइयो, आपने मेरा भाषण इतने प्रेम और इतने ध्यानसे सुना है। मै इससे बहुत प्रसन्न हुआ

१. बम्बईका एक उपनगर जहाँ एक बहुत बड़ा कसाईघर है।

हूँ। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप मुझे आँख मूँदकर और पागल बनकर प्रेम करें। मैं चाहता हूँ कि आप ज्ञानपूर्वक भारतसे प्रेम करें। जब आपका प्रेम मेरे लिए इस तरहका होगा, तभी मैं भारतको स्वतन्त्र करा सकूँगा। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बातको ध्यानमें रखें और ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह आपको और मुझे स्वराज्य लेनेकी शक्ति दे एवं आप लोगोंको सुखी बनाये।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३०–१–१९२१

हिन्दू, १–२–१९२१

१४१. असहयोग अर्थात् आत्मशुद्धि

कांग्रेसके प्रस्तावमें[1] असहयोगको आत्मशुद्धिका साधन और यज्ञ माना गया है। यदि असहयोगका यह अर्थ न हो तो असहयोग पाप ही माना जायेगा। पुण्य और पाप-के बीच मेल नहीं होता, अँधेरे और उजालेका मेल नहीं होता। इसी तरह लोकहित विरोधी सरकारसे भी जनताका मेल नहीं हो सकता। हम असहयोगसे यह सिद्ध करते हैं कि अत्यन्त धूर्ततापूर्ण राजनीति भी, अगर जनता उसे सहन न करे और उसमें अपना योग न दे, तो टिक नहीं सकती।

हम विदेशी कपड़ेके लालचमें पड़ जाते हैं, इसीलिए हिन्दुस्तानमें उसकी खपत हो पाती है, हमें खिताबोंका लोभ है, इसीलिए सरकार हमें घूसकी तरह खिताब देकर अधिकार जमाती है, हम उसकी सनदोंके मोहमें पड़ते हैं इसीलिए सरकार हमारी शिक्षा-पर कब्जा करके हमें बताती है कि हममें स्वतन्त्र रूपसे शिक्षाकी व्यवस्थातक करनेकी शक्ति नहीं है। हम अत्याचारी अमलदारोंके हुक्मके ताबेदार रहते हैं इसीलिए पंजाबमें अब भी वैसे ही अमलदारोंकी सत्ता चल रही है, हम शराब पीते हैं इसीलिए सरकार शराबसे करोड़ों रुपया कमा सकती है, हम लड़ते हैं, इसीलिए सरकारकी अदालतें चलती हैं। मतलब यह है कि सरकारके पापोंमें हमारा योग कोई कम नहीं है। जिस दिन लोकमत शुद्ध हो जायेगा और जनता पापसे मुक्त होनेका निश्चय कर लेगी उसी दिन सरकारके सिरसे ताज उतर जायेगा। इस ताजको तो हम ही टिकाये हुए हैं। एक लाख अंग्रेज अपने बलसे ही तीस करोड़ लोगोंपर राज्य नहीं करते। हम अनेक लाख भारतीय जाने-अनजाने इन एक लाख अंग्रेजोंकी पूरी-पूरी मदद कर रहे हैं और अन्य करोड़ों लोग इस स्थितिको सहन कर रहे हैं। सरकारका अर्थ है, जो राज्यतन्त्र चला रहे हैं और जो उसको चलानेमें उनकी मदद कर रहे हैं, वे लोग। हम लोग जब यह मदद बन्द कर देंगे तब इस सरकारका पतातक नहीं चलेगा।

1. असहयोगपर, देखिए परिशिष्ट १।

सरकारको हम पापी मानते हैं, राक्षसी मानते हैं। यदि हम पापमुक्त हो जायें तो सरकार ऐसे ही गिर पडेगी जैसे सूखे पत्ते झड जाते हैं, नही तो फिर वह पश्चात्ताप करके पुण्यवान बनेगी।

तब हम किन पापोसे सरकारको टिका रहे हैं? यह हम देख ही चुके हैं कि वे पापे हैं — स्कूल, अदालतें, खिताब और धारासभायें। सचमुच देखा जाये तो ये वस्तुएँ स्वत पाप नही हैं, ये तो पापकी निशानियाँ हैं। सरकार पुण्यवान हो तो हम उसके हाथो पढे, न्याय प्राप्त करे और सम्मान ले। यदि हम आज उन्हे छोडते हैं तो हमे अपनी पापी आदतोको भी छोडना ही पडता है।

इसलिए मुख्य बात तो यह है कि हम अपनी पापी आदतोको छोडे। जनता शराब पिये, जुआ खेले, चोरी करे, व्यभिचार करे और द्वेष करे तो असहयोग नही चल सकता, क्योकि इन आदतोका लाभ उठाकर ही सरकार राज्य चलाती है।

शराबकी आदत बडी भयकर आदत है। यदि हम इस आदतको छोड दे तो करोडो रुपया लोगोके घरोमे रहे और अनेक अत्याचार मिट जाये। मेरी मान्यता है कि अग्रेजोकी राजनीतिमे जो निर्दयताका तत्त्व है, यदि वे शराब न पीते होते तो वह तत्त्व कदापि न होता। जिसे शराबकी लत नही है, वह मनुष्य कभी पूरी तरहसे होश-हवाश नही खो सकता। शराब चाहे कितनी ही कम क्यो न पी जाये, उसका थोडा-बहुत नशा चढे बिना कदापि नही रह सकता। और इससे बुद्धिपर कुछ-न-कुछ पर्दा अवश्य पडता है तथा मनुष्यकी अन्तरात्माकी आवाज मन्द अवश्य पड जाती है। इसलिए हममे से जो लोग त्यागकी शिक्षा देने सामने आ रहे हैं उन्हे जनताकी शराबकी लत छुडानी चाहिए। शराब पीनेवाले लोगोके लिए प्रस्ताव निरर्थक है क्योकि वे तो सार्वजनिक जीवनमे कोई भाग लेते ही नही। फिर भी उनपर ध्यान देनेकी आवश्यकता तो अवश्य है। चायकी आदत छुडवानेके लिए भी अनेक स्थानोपर बहुत प्रयत्न किये गये हैं। यह आन्दोलन, जिस हदतक जोर-जबर्दस्ती नही होगी, उसी हदतक सफल हो सकता है। हम मारपीट करके लोगोसे शराब नही छुडवाना चाहते, बल्कि शर्मिंदा करके और समझा-बुझाकर हमे उनसे शराब छुडवानेका प्रयत्न करना चाहिए। हममे से कुछ लोगोको चाहिए कि वे अपने-अपने शहरोमे शराबके दुकानदारोके पास जाएँ और उन्हे समझाएँ एव उनसे दूसरे धन्धे करनेकी प्रार्थना करे। उन्हे शराब पीनेवाले लोगोकी जात-बिरादरीकी मार्फत भी प्रयत्न करना चाहिए। यह काम वैसे कठिन है, लेकिन लोकमतके आगे कुछ भी कठिन नही होता। जब लोकमत शराबको सहन करना बन्द कर देगा, शराब उसी घडी बन्द हो जायेगी। अभी तो हमे अपने पडौसीकी चिन्ता ही नही है। एक राष्ट्र बननेका अर्थ है तीस करोड लोगोका एक परिवार बनना। अगर एक भारतीय भी भूखो मरता है तो हम सब भूखे मरते हैं, ऐसा मानना और उसके अनुरूप आचरण करना ही एक राष्ट्रीयता है। इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हरेक मनुष्य अपने पास-पडौसकी देखभाल करे अर्थात् वह आसपासके लोगोकी सेवा आरम्भ करे। यदि हम इस पद्धतिसे काम करे तो हम शराबकी दूकानोको बहुत ही कम समयमे बन्द करा सकते हैं।

सारा हिन्दुस्तान शराब कब छोडेगा, यह विचार पाठकोको नही करना है। यदि वे अपने-अपने गाँवोको ही सभाल लेगे तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्होने अपना कर्त्तव्य भली-भाँति निभाया है। जो बात शराबपर लागू है वही तम्बाकूपर भी लागू होती है। हम तम्बाकूको बहुत बुरा नही मानते, क्योकि इसका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष नही होता। इसका नशा अफीमके जैसा ही है। यह कष्टोको भुलाता है, लेकिन इसकी आदत पड जानेसे पैसेकी वही बर्बादी होती है, इसलिए भी इसे हमे समाप्त ही करना चाहिए। यदि तम्बाकूकी आदत स्वराज्य मिलनेतक भी छुडवाई जा सके तो उससे बहुत धन बच सकता है और उसका उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है।

व्यभिचारके बारेमे तो मै क्या कहूँ। शराब, बीडी आदिको मै व्यभिचारके मुकाबलेमे पाप ही नही समझता। शराब पीनेवाला तो स्वय ही बिगडता है, व्यभिचारी अपने साथ अनेक लोगोको समेट ले जाता है। व्यभिचारमे से कितने पाखण्ड, कितने झूठ, झगडे और रोग उपजते है, इसके आँकडे कौन रख सकता है? पर-स्त्री पर कुदृष्टि करने-जैसे पाप कम ही होगे। तथापि यह पाप कोई कम व्यापक नही है। उसमे बचने और बचानेका उपाय भी सहज नही है। इस पापसे जनताको मुक्त करनेका सर्वत्र लागू होनेवाला उपाय अभी मुझे तो मिल नही सका है। वेश्याओको कौन समझाये? वेश्यागामीसे कौन विनती करे? उसके लिए किन सस्थाओकी स्थापना की जाये? मै तो इसी श्रद्धाके आधारपर चुप बैठा हुआ हूँ कि जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलनमे भाग ले रहे है कमसे-कम वे तो दृढतापूर्वक इस पापसे मुक्त हो जायेगे और जैसे-जैसे जागृति आती जायेगी वैसे-वैसे अन्य लोग भी व्यभिचारसे मुक्त होते जायेगे। इस व्यभिचारसे प्रजा क्षीण हो गई है, रक हो गई है और उसमे कायरता आ गई है। पश्चिमके लोगोमे भी व्यभिचार-दोष कम नही है, फिर भी वे कायर क्यो नही है, यह प्रश्न उठेगा। मैने अनेक बार बताया है कि मारनेकी शक्तिमे कोई पौरुष नही है। पश्चिमके लोगोने मारनेकी शक्तिकी जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके पीछे उनका शराबका व्यसन और व्यभिचार ही है, ऐसी मेरी दृढ मान्यता है। इसके और भी अनेक कारण है, लेकिन यह कारण सबसे मुख्य है। पश्चिमके लोगोको मर्द कहना अतिशयोक्ति है।

हाँ, यह बात अवश्य सच है कि उनको हमारी अपेक्षा मरनेका भय कम है, लेकिन यह बात तो हमारी लुटेरी कौमोमे भी है। जिस हदतक हम अपनी लुटेरी कौमोको बहादुर मानते है, उस हदतक भले ही हम पश्चिमके लोगोको बहादुर माने। पश्चिमका मुकाबला करनेकी बात ही विषयान्तर समझी जानी चाहिए। पश्चिमका अनुकरण करके हिन्दुस्तान धर्म-राज्यकी स्थापना नही कर सकता, यह बात सबको समझ लेनी चाहिए। पश्चिमके लिए सयमकी आवश्यकता 'नीति' है। पूर्वमे सयम ध्येय रूप है। सत्य बोलना लाभप्रद है, इसलिए सत्य बोलना चाहिए यह धर्म आदेश नही है, सत्य ही साक्षात् ईश्वर है यह सभी धर्म मानते है। नमाज पढनेमे कसरत हो जाती है, लेकिन कोई भी मुसलमान कसरतके खयालमे नमाज नही पढता, बल्कि उसे धर्म मानकर ही पढता है। इसलिए यदि हम हिन्दुस्तानको असहयोगके

द्वारा मुक्त करना चाहते हैं तो हमें आत्मशुद्धिका महत्व समझना होगा, पश्चिमके अनुकरणका मोह छोड़ना पड़ेगा। पश्चिमकी पद्धतिको त्याग कर ही हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे। मैं पश्चिमकी पद्धतिसे स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव मानता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७–१–१९२१

१४२. टिप्पणियाँ

ऋषियोंके वंशज[1]

इस लेखको मैं बिना सोचे-समझे ही प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। दो दिनके अनुभवके आधारपर यह लिखा गया है। इसमें क्षणिक आवेशका होना सम्भव है। लेकिन लेखकने चरखेको जो पदवी प्रदान की है वह उचित है, मैं स्वयं तो ऐसा मानता हूँ, इसलिए इस लेखको प्रकाशित करते हुए मैं इसमें कही गई बातोंकी जिम्मेदारी अपने सिरपर ले लेता हूँ। आश्रमके वर्णनमें जिस अतिशयोक्तिसे काम लिया गया है वह आश्रमवासियोंके सामने आदर्शके रूपमें रहे, इस विचारसे मैं उसे भी प्रकाशित कर रहा हूँ। इस आदर्शके अनुरूप आचरण न होनेपर यह लेख हमें शरमिन्दा करेगा। 'तपोवन' नामका सुझाव एक मित्रने दिया था। इस नामको मैं आज भी अनुपयुक्त मानता हूँ। आश्रममें यदि सत्यका आग्रह बना रहे तो मुझे सन्तोष होगा और इससे देशको भी अवश्य सन्तोष होगा, ऐसी मेरी अविचल श्रद्धा है। फलतः यह आश्रम एक ही नामको ग्रहण कर सकता है और वह है सत्याग्रह आश्रम।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७–१–१९२१

१४३. भाषण: कलकत्तामें तिलक राष्ट्रीय विद्यालयके उद्घाटनपर

२७ जनवरी, १९२१

इसके बाद श्री गांधीने सभामें भाषण देते हुए आरम्भमें विद्यालयकी सफलताके लिए कामना की। बादमें उन्होंने पंजाबमें और खिलाफतके सम्बन्धमें किये गये अन्यायोंकी चर्चाकी और तदनन्तर चरखेकी अमोघतापर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला और कहा कि विद्यालयके अधिकारियोंको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सूत कातनेपर विशेष जोर दिया जाये ताकि लड़के इस कलामें कुशल हो सकें। उन्होंने कहा कि हिन्दू

1. यह टिप्पणी उपर्युक्त शीर्षकसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसने अपनेको ऋषियोंकी इन सन्तानोंका बन्धु कहा है, लिखे लेखके साथ छपी थी। उक्त व्यक्ति एक दिन आश्रममें ठहरा था और उससे प्रभावित होकर उसने इसे तपोवनकी संज्ञा देते हुए यह प्रशंसापूर्ण लेख लिखा था।

और मुसलमान लड़कोंको देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियाँ सिखाई जायें। छात्रोंको सम्बोधित करते हुए वे बोले. आप लोग मेरी सलाह मानिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरी सलाह मानेंगे तो भारतको स्वराज्य शीघ्र ही मिल जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २८-१-१९२१

१४४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

कलकत्ता
२९ जनवरी, [१९२१][1]

प्रिय चार्ली,

तुमने मेरे नाम प्रेमपत्रोंकी भरमार कर दी। मैंने जवाब देनेमें लापरवाही की, लेकिन तुम्हारा खयाल मुझे सदा बना रहता है। मैं तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता रहता हूँ। तुम्हें बीमार[2] तो हरगिज नहीं पड़ना चाहिए। चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ होकर काममें जुट जाओ। बिस्तरमें पड़े-पड़े ही तुमने कितना सारा काम कर डाला है।[3] मैं अधिकाधिक अनुभव कर रहा हूँ कि प्रार्थना कर्म है और मौन सर्वोत्तम भाषण तथा सर्वोत्तम तर्क। अस्पृश्योंके सम्बन्धमें तुम्हारी चिन्ताके बारेमें मैं यही कह सकता हूँ।

मैं इस सारी समस्यापर एक भारतीय और एक हिन्दूकी दृष्टिसे विचार करता हूँ, तुम एक अंग्रेज और ईसाईकी तरह सोचते हो। तुम्हारी दृष्टि इस सम्बन्धमें तटस्थ प्रेक्षककी है, जब कि मैं इससे स्वयं प्रभावित और पीड़ित हूँ। तुम धीरज रख सकते हो परन्तु मैं नहीं। तुम एक तटस्थ सुधारकके रूपमें अधीर भी हो सकते हो किन्तु मुझे एक पापीके रूपमें, यदि मैं उस पापसे मुक्त होना चाहूँ तो धैर्य ही रखना चाहिए। जलियाँवाला बागमें अंग्रेजोंने जो पाप कर्म किया मैं उसकी मनमानी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन एक हिन्दूके रूपमें हिन्दुओंके उस पापकी उसी तरह चर्चा नहीं कर सकता जो उन्होंने अस्पृश्योंके प्रति किया है। मुझे हिन्दू डायरों [अत्याचारियों] से निबटना है। मुझे कार्यक्षेत्रमें उतरना ही चाहिए और मैंने सदा ऐसा ही किया है। जब तुम्हारी भावना प्रबल रूप धारण कर लेती है तो उस समय तुम केवल काम करते हो, बातें नहीं। तुम चूँकि गुजराती नहीं जानते इसलिए तुम्हें यह नहीं मालूम कि गुज-

1. इस पत्रमें दी गई बातोंसे पता चलता है कि यह १९२१ में लिखा गया था और उस वर्ष २९ जनवरीको गांधीजी कलकत्तामें थे।

2. जनवरी १९२१ में एन्ड्र्यूजको सख्त इन्फ्लूएंजा हुआ था।

3. फीजीसे जो प्रवासी आये थे और जिन्हें कलकत्ताकी गोदियोंके पास रुक जाना पड़ा था उनसे मिलनेके बाद एन्ड्र्यूजने बिस्तरमें पड़े पड़े ३५ पत्र, तार और लेख एक दिनमें बोलकर लिखवा दिये थे।

रातमे इस प्रश्नको लेकर कैसा ववडर उठ खडा हुआ है। क्या तुमको मालूम है कि मैंने जानबूझकर एक ढेढकी लडकी गोद ले ली है। इसके सिवा एक ढेड परिवार भी आश्रममे बसा लिया गया है। तुम्हारा ऐसा सोचना कि मैं एक क्षणके लिए भी इस प्रश्नकी अपेक्षा किसी दूसरे प्रश्नको अधिक महत्व दे सकता हूँ, मेरे साथ अन्याय करना है, लेकिन मुझे इस सम्बन्धमे अंग्रेजीमे भाषण देने या लेख लिखनेकी जरूरत नही है। मेरी सभाओमे अधिकाश लोग ऐसे होते हैं जो 'अन्त्यजो'के विरोधी नही हैं। मुझे कांग्रेसमे इस सम्बन्धमे प्रस्ताव पास करवानेमे भी कोई कठिनाई नही हुई थी।[1]

इसके अलावा मैं जिन बातोको नही जानता उनके बारेमे कुछ नहीं कह सकता। मैं बगालके नामशूद्रोंके[2] बारेमे केवल मोटी-मोटी बाते ही जानता हूँ। कदाचित् यह प्रश्न अस्पृश्यताका नही है बल्कि जमीदार और उसके आसामीके सम्बन्धोका है। मैंने तो अस्पृश्यताके पापको ही हाथमे लिया है। मैं हिन्दू पावित्र्यवादपर आक्रमण कर रहा हूँ। चूँकि हिन्दुओका यह खयाल है कि मानव-जातिके एक वर्गको छूना इसलिए पाप है कि वह किसी विशेष वातावरणमे पैदा हुआ है, इसलिए मैं एक हिन्दू होनेके नाते यह सिद्ध करनेमे लगा हूँ कि यह पाप नही है और इन लोगोंको छूनेको पाप समझना ही पाप है। यह प्रश्न भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके प्रश्नसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मुझे स्वतन्त्रता जल्दी मिल जाये तो मैं इस समस्यासे ज्यादा अच्छी तरह निबट सकता हूँ। अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त होनेसे पहले भारतका अंग्रेजोके आधिपत्यसे मुक्त हो जाना असम्भव नही है। अंग्रेजोके आधिपत्यसे मुक्त होना स्वराज्यका एक आवश्यक अंग है और जबतक यह आधिपत्य हट नही जाता तबतक हमारी प्रगति सभी मामलोमे रुकी रहेगी। क्या तुम जानते हो कि इस समय गुजरातमे जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं वे वस्तुत सरकारका समर्थन कर रहे है और सरकार मेरे विरुद्ध उनका उपयोग कर रही है?

रातको २ बजे मेरे मनमें तुम्हारा और इस प्रश्नका विचार उठ आया और फिर मैं सो नहीं सका। मैं ४ बजे तुमको पत्र लिखने बैठ गया। मैं इस प्रश्नके सम्बन्धमे जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह सब स्पष्ट नही कर पाया हूँ। मगर इसमे मेरे लिए क्षमा-याचना करनेकी कोई बात नही है। इस प्रश्नकी जितनी साफ तसवीर मेरे दिलमे है उसका उतना साफ चित्रण मैं नही कर पाया हूँ। छात्रोके सम्बन्धमे तुमने जो-कुछ लिखा है सो ठीक है। तुम एक अंग्रेजकी तरह सोच रहे हो। मैं तुमसे यह भी नहीं छुपाना चाहता कि इस प्रश्नको लेकर 'गुजराती' मेरी स्थिति यह कहकर कमजोर करनेका प्रयत्न कर रहा है कि इस मामलेमे मुझपर तुम्हारा प्रभाव पडा है। उसके कहनेका आशय यह है कि मैं एक हिन्दूके रूपमे नही, बल्कि एक ऐसे व्यक्तिके रूपमे बोल रहा हूँ जो तुम्हारी ईसाइयतके प्रभावमे आकर बिगड चुका है। मैं जानता हूँ कि यह एक बिलकुल बेतुकी बात है। दक्षिण आफ्रिकामे मैंने यह काम तुम्हारा नाम

१ नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें दिसम्बर १९२० में हिन्दू समाजसे अस्पृश्यता निवारणके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पास किया गया था।

२ बंगालका एक दलितवर्ग।

सुननेसे भी पहले आरम्भ किया था और मुझे दक्षिण आफ्रिकामे अन्य ईसाई मतावलम्बियोके प्रभावमे आनेसे पहले अस्पृश्यताके पापका भान हो चुका था। इस सत्यकी प्रतीति मुझे जब मै बच्चा ही था तभी हो गई थी। मेरी माँ जब हम [दोनो] भाइयोको किसी ढेढके छू जानेपर नहानेको कहा करती थी, तब मै उसके इस आदेशपर हँसा करता था। १८९७मे एक बार डर्बनमें, मै अपनी पत्नीको इस बातपर घरसे अलग कर देने तकके लिए तैयार हो गया था कि वह वहाँ लारेंस नामके व्यक्तिसे, जिसके बारेमे वह जानती थी कि वह ढेढ है और जिसे मैने अपने साथ रहनेके लिए बुला लिया था, बराबरीका बर्ताव नही करना चाहती थी। अस्पृश्योकी सेवा करनेकी मुझे धुन रही है क्योकि मुझे ऐसा लगा है कि यदि सचमुच अस्पृश्यता हिन्दूधर्मका अग हो तो मै हिन्दूधर्ममे बना नही रह सकता।

मै यह सब कहकर भी तुमको सब-कुछ नही बता पाया हूँ। अस्पृश्योके सम्बन्धमे मेरी भावना जितनी उत्कट है, कालीघाटकी[1] स्थितिके सम्बन्धमे भी उतनी ही है। मै जब-जब कलकत्ता जाता हूँ तब-तब मुझे बकरोके काटे जानेका खयाल हो आता है और मै बेचैन हो उठता हूँ। मैने इसी कारण हरिलालसे[2] कहा था कि वह कलकत्तेमे न बसे। ढेढ अपना दुख बता सकता है। वह दर्खास्त दे सकता है। वह हिन्दुओके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है लेकिन बेचारे मूक बकरे क्या करे? जब कभी मुझे इस बातका खयाल आता है, मै वेदनासे विकल हो उठता हूँ, लेकिन मै इसके सम्बन्धमे बोलता या लिखता नही हूँ। किन्तु फिर भी इन प्राणियोकी सेवाके लिए अपने-आपको योग्य बना रहा हूँ जो मेरे जैसे ही जीवधारी है और मेरे धर्मके नामपर काटे जाते है। सम्भव है मै इस कार्यको इस जीवनमे पूरा न कर सकूँ। मै इसे पूरा करनेके लिए फिर जन्म लूँगा या कोई दूसरा व्यक्ति, जिसने मेरी जैसी ही वेदनाका अनुभव किया हो, इसे पूरा करेगा। मुख्य बात यह है कि हिन्दुओकी सेवाका तरीका आधुनिक तरीकोसे अलग है। वह तरीका तपस्याका है। तुम्हारा ध्यान 'आधुनिक शब्द'के प्रयोगकी तरफ जायेगा, क्योकि मेरा खयाल है कि ईसाइयोका तरीका हिन्दुओके तरीकोसे जुदा नही है। मुझे अब भी ऐसा नही लगता कि जो बाते इस समय मेरे दिमागमे चक्कर काट रही है मै वे सब इस पत्रमे लिख पाया हूँ। लेकिन मेरी समझमे तुमको स्थिति समझानेके लायक मै काफी-कुछ लिख चुका हूँ। केवल इतना और कहना चाहता हूँ कि तुम इस अधूरे-से पत्रको अगर क्षमा-याचनाके रूपमे स्वीकार नही करोगे तो कमसे-कम शिकायतके रूपमे भी नही मानोगे।

तुमने सर विलियम विन्सेंटको[3] जो उत्तर लिखा है वह समुचित है।

मै जानता हूँ कि यदि डाक्टर चिमनदास जाना चाहे तो तुम उन्हे चले जानेकी अनुमति अवश्य दे दोगे। आवश्यकता इस बातकी है कि शान्तिनिकेतन कर्त्तव्य-

१ कलकत्तामें काली मन्दिरका स्थान।

२. गाधी।

३. वाइसरायकी कार्यकारिणी कौंसिलके सदस्य, १९१७, भारतीय परिषद्के सदस्य, १९२३-३१।

दृष्टिसे आगे वढकर असहयोगका समर्थन करे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेवको[1] इस सत्यकी पूर्णता और आवश्यकताका अहसास नही हुआ है।

मै यहाँसे दिल्लीके लिए सम्भवत इसी चौथी तारीखको रवाना हो जाऊँगा और ९को बनारस पहुँचूँगा। मै कॉरबेटके[2] लिए एक निजी चिट्ठी भी भेज रहा हूँ।

प्रगाढ स्नेह सहित,

तुम्हारा,
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५८) की फोटो-नकलसे।

१४५. पत्र: लालचन्दको

२९ जनवरी, १९२१

प्रिय लालचन्द,

मैने पूर्वी आफ्रिकाका पत्र पढा है। मुझे लगता है कि तुम सम्पादकके रूपमे चमक नही सकते। हाँ, यह हो सकता है कि जहाँ किसी तरहका प्रकाश न हो वहाँ चमक सको। किन्तु तुम तो न्यूनतम स्तरतक भी नही पहुँचे। न तुम्हारी कोई अपनी शैली है और न वारीकीसे कुछ जानते हो।[3] इसलिए पूर्वी आफ्रिकाके हमारे देशभाइयोको जिस नेतृत्वकी आवश्यकता है वह तुम नही दे सकते। किन्तु तुम्हारा पथप्रदर्शन मेरे द्वारा नही, वल्कि तुम्हारे अन्त करणकी आवाज द्वारा होना चाहिए।

अस्तु, मै सम्पादकका भार किसी अन्यको देनेके वारेमे गम्भीरतासे सोच रहा हूँ। मै तुम्हे सम्पादकके रूपमें नही वल्कि प्रवन्धकके रूपमे उपयुक्त समझता हूँ। मुझे वरावर डर वना रहता है। मै नही जानता कि तुमने जाति-पाँतिके सम्वन्धमे क्या लिखा है। जोजेफने मुझे डरा दिया है। तुम्हे ऐसे नाजुक विषयपर विलकुल नही लिखना चाहिए था। तुम्हे चाहिए था कि मेरा इन्तजार करते। तुम जानते हो कि मुझे इस प्रश्नपर अपने विचार प्रकट करनेकी कोई जल्दी नही है, यद्यपि इसमें इस वातका खतरा है कि मुझे गलत समझ लिया जाये, पर इस कार्यके लिए मुझे फुरसत चाहिए।

नागपुर काग्रेसमे दिये गये [अपने] भाषणकी रिपोर्ट मैने देखी है। इसमे वहुत स्पष्ट गलतियाँ है। अपनी कमजोर अग्रेजीके कारण तुम लेखोमे समुचित सुधार करनेमे भी असमर्थ हो। यदि तुम मेरे भाषणोको पुन प्रकाशित करो तो उन्हे ठीकसे

१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

२. जी० एल० कॉरवेट, सन् १९२० में दक्षिण आफ्रिकी सघ सरकार द्वारा नियुक्त एशियाई जाँच आयोगके सदस्य।

३. देखिए "पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको", १९-१-१९२१।

सुधारा जाना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जो तुमसे अधिक गहरा और बहुश्रुत हो ताकि मैं 'यग इडिया'के बारेमे निश्चिन्त हो जाऊँ। इसलिए तुम्हे किसी भी समय कुर्सी खाली करनेके लिए तैयार रहना चाहिये। यदि तुम प्रवन्धकके रूपमे रहोगे तो मै तुम्हे रख लूँगा। किन्तु ऐसा करनेपर मैं आशा करूँगा कि तुम उस कार्यमे निमग्न हो जाओगे और उसे यथासम्भव पूर्ण रूपसे सगठित करोगे।

मैं चाहूँगा कि तुम इस पत्रको गलत न समझो और विश्वास करो कि यह कदम इस कामके लिए सर्वोत्तम है। 'यग इडिया'का सम्पादकीय स्तर आज जैसा है उसे उससे ऊपर उठना चाहिए और इसके लिए अधिक सुयोग्य सहायककी आवश्यकता है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

१४६. पत्र : वर्माके एक मित्रको[1]

२९ जनवरी, १९२१

प्रिय मित्र,

मैं जानता हूँ कि मुझे आपसे बहुत-बहुत क्षमा-याचना करनी है, क्योकि मैंने आपके बहुतसे पत्रोका स्वय उत्तर नही दिया। लेकिन आप मेरी कठिनाई तो जानते हैं। मैं महादेव देसाई या दूसरे देसाई, जो कृपापूर्वक मेरी सहायता करते रहे है, के जरिये उत्तर तो भेजता ही रहा हूँ।

अब शायद आप उन कठिनाइयोके बारेमे मेरा कुछ लिखना आवश्यक नही मानेगे जिनका उल्लेख आपने अपने पिछले पत्रोमे किया था। यदि आपके मनमे अब भी कुछ शकाएँ हो तो मैं वचन देता हूँ कि श्री जिन्नाको स्वराज्य सभाके[2] बारेमे मैंने जो व्यवस्था दी है उसके बिलकुल सही होनेके बारेमें मैं आपको पूर्ण रूपसे सन्तुष्ट कर दूँगा। मैंने उनके पत्रका जो उत्तर[3] दिया था, क्या आपने उसे देखा है?

क्या आप यह भी जानते है कि सभी आयुक्तोने[4] कमसे-कम अपना दायित्व तो पूरा किया ही है, क्योकि श्री जयकरने भी अपनी वकालत स्थगित कर दी है।

१. नाम ज्ञात नही हुआ।
२ होमरूल लीग।
३ देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३९४-९७।
४. भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी पजाव उपसमिति द्वारा पजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें रिपोर्ट देनेके लिए नियुक्त जाँच समितिके सदस्य, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२२।

अब वहाँकी शिक्षाके सवालको ले। यहाँ अब चारो ओर ऐसी जागृति फैल गई है कि आपने जो नाम दिये है उनमे से किसीको भेज सकना सम्भव नही है। बर्मी जनताको मेरी सलाह है कि वह प्राचीन प्रणालीको नयी भावनासे अपनाये। उसे इस समय पश्चिमी शिक्षाके बारेमे विचार करनेकी आवश्यकता नही है। यदि वहाँ हाथ-कताईकी कोई परम्परा रही हो तो उसे पुनरुज्जीवित किया जाये, या आप किसी बर्मी उद्योगकी खोज करे जो कृषिका पूरक हो और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेतक उस विलुप्त उद्योगको पुन प्रतिष्ठित करे। विद्यार्थी यह जान ले कि स्वराज्य शिक्षा प्राप्त करनेसे नही मिलता बल्कि वह अपने जीवनमे उन गुणोको प्रदर्शित करनेसे मिलता है जो स्वराज्यके लिए आवश्यक है। वे गुण है — निष्कपटता, सच्चाई, साहस, एकता, भ्रातृत्व तथा आत्मत्याग। यदि उनमे ये गुण है तो वे गाँवोमे जाकर वहाँ इन्हे फैलाये। वे गाँववालोको सिखाये कि अग्रेज यहाँ बर्मी लोगोकी भलाईके लिए नही, बल्कि अपना भौतिक स्वार्थ साधनेके लिए आये है। इसलिए विदेशी गुलामीसे मुक्त हो जानेतक वे अपनी साहित्यिक तालीमको स्थगित कर दे। यदि मै वहाँ आया तो मै उनसे ये ही बाते कहूँगा कि उन्हे अग्रेजी भाषाके आकर्षणसे अपनेको मुक्त कर देना चाहिए। यह आज निश्चित रूपमे राष्ट्रीय विकासमे रोडे अटकाती है।

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य . नारायण देसाई

१४७. भाषण : कलकत्तामें स्नातकोत्तर छात्रों और कानूनके विद्यार्थियोंकी सभामें

२९ जनवरी, १९२१

इन सभामे मेरे इतने विलम्बसे आनेका एकमात्र कारण रुपयो और जेवरोका यह ढेर है जो मुझे आपकी मारवाडी बहनोने आपके लिए दिया है। मुझे अभी-अभी उनके सामने बोलनेका सुअवसर मिला था। मुझे उसमे प्रसन्नता भी हुई। उन्होने — जिन्हे सस्कृति-विहीन मारवाडी महिलाएँ कहा जाता है — मेरे भाषणके उत्तरमे बहुत शानदार काम कर दिखाया है। मेरा खयाल है कि यह राशि, नकद रुपये और जेवर मिलाकर, १० हजारसे कम नही है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज ही तीसरे पहर हमे अपनी बहनोसे और भी रुपया मिलनेकी आशा है। इसलिए मै मौके-बेमौके यह कहता रहता हूँ कि मुझे एक वर्षके भीतर स्वराज्य मिलनेकी आशा है। क्या आपको मेरी इस बातपर आश्चर्य होता है? यदि धन, जन और अन्य सभी प्रकारकी जो मदद हमे मिल रही है वैसी ही मिलती रहे तो जिनके मनमें इस विषयमे जरा भी विश्वास नहीं है, वे भी मेरी ही तरह सोचने लगेंगे। मै आप

समस्त स्नातकोत्तर वर्गोंके छात्रोंसे, जो यहाँ अपने नेताओंके भाषण सुननेके लिए आये हुए हैं, निवेदन करता हूँ कि आप कांग्रेसके प्रस्तावपर[1], बल्कि उससे भी बढ़कर अपनी अन्तरात्माकी आवाजपर अमल करें। यदि आपको पूरी तरह यह विश्वास हो गया है कि आप अपने आत्मसम्मानकी थोड़ी बहुत रक्षा करते हुए भी इस सरकारके शासनमें नहीं रह सकते, यदि आपको यह यकीन हो गया है कि इस सरकारने आपकी कुछ पुनीततम भावनाओंको पैरोंके नीचे रौंदा है, उसने हमारे कुछ अमूल्य और प्रिय अधिकारोंकी उपेक्षा की है तो आप भी कांग्रेसकी तरह इसी नतीजेपर पहुँचेंगे कि इस सरकारसे सरोकार रखना अपराध और पाप है। यदि आप इस विचारका समर्थन करते हैं तो फिर आज जो सरकार हमें प्राप्त है उसके प्रभावमें संचालित या स्वयं उसीके द्वारा दी जानेवाली शिक्षा स्वीकार करना असम्भव है। ड्यूक ऑफ कनॉट कल कलकत्ता आये थे और आपने देखा कि उनके आगमनपर कलकत्ताके महान नागरिकोंने क्या किया। उन्होंने पूरी-पूरी हड़ताल रखी। क्या आपका खयाल है कि मेरे जैसे आदमीके लिए, जिसने बराबर करीब ३० सालतक इस सरकारको स्वेच्छासे बिलकुल हार्दिक सहयोग दिया है, यह कोई खुशीकी बात है कि मैं उनके आगमनपर किये गये पूर्ण बहिष्कारमें हृदयसे और पूरी तरह साथ रहूँ? मैंने यह खुशीसे नहीं किया। किन्तु फिर भी मैं इसे अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि मैं स्वागतसे केवल अलग ही नहीं रहूँ बल्कि इस विचारका प्रचार भी करूँ कि आज सम्राट्के किसी प्रतिनिधिका स्वागत करना भूल है, अपराध है और हमारे आत्मसम्मानके विरुद्ध है। अभीतक मेरी राय यही बनी हुई है। ड्यूक ऑफ कनॉट आपके और मेरे आँसू पोंछने नहीं आये, इस्लामका और भारतके ७ करोड़ मुसलमानोंका जो अपमान किया गया है उसका निराकरण करनेके लिए नहीं आये, वे पंजाबके घावोंको अच्छा करनेके लिए नहीं आये, बल्कि वे उस सत्ताको अपना समर्थन देनेके लिए आये हैं जिसने अपनी शक्तिका इतना भयंकर दुरुपयोग किया। वे एक ऐसी संस्थाकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए आये हैं जिसे हम मूलतः भ्रष्ट मानते हैं। इसी कारण उनके आगमनका बहिष्कार करना तथा उस सरकारके प्रभावके अन्तर्गत कोई भी शिक्षा न लेना हमारा कर्त्तव्य हो गया है। और इसलिए मैं कलकत्तेके स्नातकोत्तर श्रेणीके आप छात्रोंसे यह कहता हूँ कि इससे तो यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी पढ़ाई स्थगित कर दें, अपने करोड़ों देशवासियोंके दुःख-सुखमें साथ हो जायें और एक सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त करें। यदि आप यह अनुभव करते हों कि आप इस सरकारकी अधीनतामें स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रख कर इस महान देशमें स्वराज्यकी स्थापना करनेकी गति थोड़ी भी बढ़ा सकते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि मेरी तरह आपको भी यह विश्वास हो गया हो कि इस सरकारके संरक्षणमें अध्ययन जारी रखनेसे उद्देश्यकी ओर हमारी प्रगतिमें बाधा ही आ सकती है तो आप अपनी यह पढ़ाई बन्द कर देनेमें एक क्षणका भी विचार न करें।

१. असहयोगके सम्बन्धमें उक्त प्रस्ताव दिसम्बर १९२० में नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें पास किया गया था।

मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्नपर साहसपूर्वक और उचित रूपसे विचार करें। आपको स्कूलों और कॉलेजोंको छोड़नेके लिए इसलिए नहीं कहा गया है कि यह शिक्षा-प्रणाली खराब है, वह खराब तो है ही — तथापि यह इसलिए कहा जा रहा है कि ये संस्थाएँ उस सरकारकी अधीनतामें चल रही हैं जिन्हें मैं और आप यदि सुधार नहीं सकते तो नष्ट कर देना चाहते हैं। यदि आप इस प्रश्नपर इस दृष्टिसे सोचें तो फिर आप अपने भविष्यके बारेमें आगे कोई प्रश्न करेंगे ही नहीं। आप ज्यों ही स्वराज्यकी खातिर इन संस्थाओंको छोड़ेंगे त्यों ही आपका भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित हो जायेगा। आपका भविष्य इन संस्थाओंपर नहीं, बल्कि स्वयं अपने आप-पर निर्भर है। कांग्रेसके प्रस्तावमें आपको और मुझे यही पाठ पढ़ाया गया है। कांग्रेस पिछले ३५ वर्षोंमें अपने सब प्रस्तावोंमें सरकार ही से आवेदन-निवेदन करती रही है। किन्तु उसने अब अपना रास्ता बदल दिया है। कांग्रेसने अब राष्ट्रसे आत्म-निरीक्षण करनेके लिए कहा है। उसने हमें अपना ही निरीक्षण करनेको कहा है। अब उसने प्रस्तावमें सरकारसे नहीं, बल्कि राष्ट्रसे अपनी बात कही है। उसकी प्रार्थना आपसे है, कलकत्तेके छात्रोंसे है, और अपनी युवावस्थाको पार कर चुकनेवाले मुझ-जैसे बूढ़े आदमीसे है। कांग्रेसने अपने प्रस्तावोंमें और अपनी प्रार्थनामें अपना निवेदन भारतके असंस्कृत लोगोंसे, भारतके खेतोंमें रहनेवाले लोगोंसे, कारीगरोंसे और उन लोगोंसे किया है जिन्हें हम भारतका निरक्षर जनसाधारण कहते हैं। आज दोपहरको आपके सामने जो प्रश्न उपस्थित है वह यह है आप, स्नातकोत्तर वर्गोंके छात्र, क्या करेंगे? इस महान राष्ट्रीय उथल-पुथलमें आपका योगदान क्या होगा? आप केवल खड़े-खड़े देखेंगे ही या कुछ काम भी करेंगे? क्या आप इस घमासान लड़ाईमें कूदेंगे और विजयी होकर यश प्राप्त करेंगे? मुझे आशा है कि आप तत्काल सही और पक्का निर्णय लेंगे और फिर मैं आशा करता हूँ कि एक बार फैसला कर लेनेपर आप पीछे नहीं हटेंगे। इस सभाभवनमें[1] इकट्ठा छात्रोंसे मैं कहता हूँ आप अपनी पुस्तकोंको जला दीजिए। इस समय पढ़ने-लिखनेसे कुछ वास्ता न रखिए, बल्कि मैं कहता हूँ, आप स्वराज्यके सेवक बनिये, उसकी खातिर लकड़ियाँ काटिए और पानी खींचिए। मैं आपमें से प्रत्येक छात्रसे चरखा चलानेको कहता हूँ। आप देखेंगे कि चरखा आपको जो सन्देश देगा वह सच्चा सन्देश होगा।

चरखेका सन्देश यह है जो कोई मेरा आश्रय लेगा, मुझे चलायेगा वह स्वराज्यको नजदीक लायेगा। चरखेका सन्देश यह है कि भारतका प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा एक साल या ८ महीने मुझे चलाये, मैं उसे बदलेमें स्वराज्य भेंट करूँगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चरखेके इस सन्देशको ग्रहण करें। उसे खरीदनेमें ७ या ८ रुपयेसे ज्यादा नहीं लगते। मुझे उस दिन श्री दासने कहा था कि चरखेके बारेमें एक बंगला गीत है और जिसमें कुछ इस तरहकी बात कही गई है चरखा आपको सब-कुछ देता है, वह आपकी कामधेनु है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चरखा

१. स्टार थियेटर।

चलानेवाले लोगोसे यदि आप पूछे तो वे आपसे यही कहेगे, "हाँ, चरखा हमारे लिए कामधेनु ही है।"

आज दोपहरको जो स्त्रियाँ मेरे पास आई थी उन्होने मुझसे एक सन्देश माँगा। जब मै आप लोगोके लिए घूम-घूमकर उनसे चन्दा माँग रहा था तब उन्होने मुझसे एक सन्देश माँगा और मैने उन्हे नि.सकोच होकर यह सन्देश दिया "चरखा चलाइये। आत्मशुद्धि कीजिए और देशके लिए आत्म-त्याग कीजिए।" आप लोगोके लिए भी मेरा यही विनम्र सन्देश है। आप इन गुलामोसे भरी सस्थाओमे से बाहर निकले, आत्मशुद्धि करे और चरखा चलाएँ। यदि आप ऐसा करेगे तो मै आपको वचन देता हूँ कि आपको एक वर्षके अन्दर ही स्वराज्य मिल जायेगा।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३०–१–१९२१

१४८. सन्देश : पंजाब छात्र-सभाके अध्यक्षको[1]

३० जनवरी, १९२१

कृपया पॅजाबके छात्रोको बताये कि हमे उनके द्वारा तत्काल विद्यालय छोड[2] देनेकी देशकी अपीलपर उत्साहके साथ एकमत होकर अमल किया जानेका विश्वास है। अपमानित पजाब तथा प्रताडित इस्लामके सम्मान तथा गौरवके अनुकूल केवल यही प्रतिक्रिया हो सकती है।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १–२–१९२१

१४९. कुछ प्रश्न

अनेक पत्रलेखकोको अपने पत्रोके साथ पूरा न्याय न हो सकनेके कारण निराशा होती होगी। 'नवजीवन'के पाठक जानते है कि 'नवजीवन'मे प्रकाशित सामग्री काफी सोच-विचार कर ही छापी जाती है। इसलिए जब 'नवजीवन' मे जगह बचती है, हम तभी प्राप्त-पत्रोका उपयोग कर पाते है। अक्तूबर महीनेमे लिखे दो पत्र मेरे पास पडे है। इसके बाद अनेक लेख प्रकाशित हो चुके है और कदाचित् इन पत्रोके लेखकोको उनमे अपने प्रश्नोके उत्तर मिल गये होगे तथापि उनके प्रश्नोको

१ गाधीजी, चित्तरजन दास तथा मौलाना मुहम्मद अलीने गुजरॉवालाकी पजाब छात्र सभाके अध्यक्ष डा० सैफुद्दीन किचलूको यह सन्देश भेजा था। उक्त सभाने ३० जनवरी, १९२१ को असहयोग आन्दोलनपर पास किये गये काग्रेसके प्रस्तावका स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था।

२ सरकारी तथा सरकारसे सहायता प्राप्त करनेवाली शैक्षणिक सस्थाओको।

मैंने निरर्थक नहीं समझा है यह बात सिद्ध करनेके लिए मैं यहाँ उनके प्रश्नोंका उत्तर देनेका प्रयत्न करता हूँ।

प्रयोगमें सरल, किन्तु प्रभावमें प्रचंड

एक भाई सूरतसे लिखते हैं

स० : आपका कहना है कि अगर आपको और अली भाइयोंको गिरफ्तार किया गया अथवा दण्ड दिया गया तो लोगोंको शान्त रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो असहकारको धक्का पहुँचेगा। यह बात मेरी समझमें नहीं आती। आपके एकमात्र सहयोगी नेहरू[1] ही हैं। सोचिए, अगर उन्हें भी कोई पकड़ ले तो फिर आपके कामको कौन अपने माथे लेगा?

मेरी सलाह उचित ही है। असहकारकी चाबी शान्ति है। यदि शान्ति भंग हो तो असहकारीका बल भी टूट जाये क्योंकि शान्तिभंग करनेके अन्तर्गत सरकार लोगोंपर जुल्म ढायेगी और जुल्मसे घबराकर लोग दब जायेंगे। असहकार आतंकके बीच भयका त्याग करनेकी तालीम है। हम अभी भयभीत हैं। हम भयरहित हो जायें तो कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। असहकारमें अकेले नेहरूजी मेरे साथ हैं, अब ऐसा कहना उचित नहीं होगा। और वैसे सच पूछा जाये तो विजय तभी मिल सकती है जब सभी असहयोगी नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद भी असहयोग जारी रहे। असहकार-में जनताको अपनी शक्तिका प्रयोग करनेकी शिक्षा मिलती है और जब वह अपने बल-पर टिकनेकी शक्ति पा जाती है तभी वह स्वराज्य अर्थात् प्रजासत्तात्मक राज्यका उपभोग कर पाती है। हमें सरकारको न तो मदद देनी चाहिए और न उससे मदद लेनी ही चाहिए। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए नेताओंकी आवश्य-कता पड़े। असहयोग रामबाण होनेपर भी ऐसा अस्त्र है जिसे एक बच्चा भी चला सकता है। प्रयोगमें हलका और परिणाममें प्रचंड, ऐसा है यह हथियार।

आज एक कदम ही काफी

स० : कल्पना कीजिए कि स्वराज्य मिल गया, तो आप बादमें फिर खिलाफतके प्रश्नका निपटारा किस तरह करना चाहेंगे; क्या यूरोपीयोंसे युद्ध करेंगे? हम तो निःशस्त्र हैं।

यदि खिलाफतके प्रश्नका सन्तोषजनक हल निकले बिना हमें स्वराज्य मिल जाता है तो हम इंग्लैंडसे बिलकुल अलग हो जायेंगे। आज सरकार खिलाफतको दबा रही है सो केवल हमारी ही मददसे और हमें दबानेकी खातिर। जब उसका हिन्दु-स्तानपर अधिकार खतम हो जायेगा तब उसे मेसोपोटामिया अथवा इस्तम्बूलकी आवश्यकता भी नहीं रह जायेगी। पर आवश्यकता रहे अथवा न रहे, यदि तब हमने अपने सिपाहियोंको बाहरके देशोंसे वापस बुला लिया तो सरकार मेसोपोटामियामें

१. पंडित मोतीलाल नेहरू जिन्होंने वकालतके अपने शाही धन्धेको छोड़ दिया था और असहयोग आन्दोलनके एक प्रमुख नेता बन गये थे।

रुक ही नहीं सकेगी। हमें लड़ाई करनेकी जरूरत ही नहीं पडेगी। हमें यूरोप और एशियामें से अपने शक्तियोंको सीख देने भरकी जरूरत है। लेकिन मान लीजिए हम लड़ना चाहें तो स्वतन्त्र भारतको लड़नेका अधिकार तो रहेगा ही।

बाह्य एकताकी मांग न करो, सत्कार्य करते जाओ

स० आपने एक वर्षके भीतर स्वराज्य दिलानेका वचन दिया है। एकता हो तो वह अवश्य ही एक महीनेमें मिल जायेगा, लेकिन जब बड़े-बड़े नेता — जैसे कि शास्त्रीजी[1], बनर्जी[2], मालवीयजी आदि इसके विरुद्ध हैं तब विजय प्राप्त करना दुष्कर है। और फिर आप भी उन्हें अपनी ओर लानेका कोई प्रयत्न नहीं करते।

आइये, हम पूर्ण एकताके तात्पर्यको समझ लें। एकताका अर्थ परस्पर एकमत होना नहीं है। व्यक्ति-व्यक्तिके भी जुदा-जुदा मत हो सकते हैं किन्तु इसके बावजूद एकता हो सकती है। मालवीयजी और मुझमें काफी मतभेद है तथापि हम दोनोंके बीच सामंजस्य और हार्दिक एकता भी बहुत है। उन्हें और अन्य लोगोंको एकमत करनेके मेरे प्रयत्न जारी ही हैं। यह असहयोगियोंके प्रयत्नोंसे ही हो सकता है। जहाँ दलील काम नहीं दे सकती वहाँ सत्कार्य ही राम बन जाता है। एक वर्षमें स्वराज्य प्राप्त करनेके मेरे वचनके साथ एक शर्त यह जुड़ी हुई है कि यदि असहकारी अपने कर्त्तव्यका पालन करेंगे तो हमें स्वराज्य एक वर्षके भीतर अवश्य ही मिल जायेगा। कांग्रेसमें शामिल हुए बीस हजार व्यक्तियोंने और उसी तरह जुदा-जुदा शहरोंमें मिलनेवाले हजारों स्त्री-पुरुषोंने जो मत प्रकट किये हैं यदि वे उनके अनुसार चलेंगे तो निर्धारित समयमें स्वराज्य मिलकर रहेगा। यह माननेका मेरे पास कोई कारण नहीं है कि वे ऐसा नहीं करेंगे।

क्या मैं तानाशाह हूँ?

स० आप कहते हैं कि आप तानाशाह (डिक्टेटर) नहीं हैं। क्या आपने किसी अन्य नेताकी छोटीसे-छोटी बात भी मानी है? विषय समितिके[3] सामने भी आप चट्टानकी तरह अविचलित रहे हैं। जब एक ओर आप हमें अन्तःकरणकी आवाजपर चलनेके लिए कहते हैं तो दूसरी ओर जनतासे अपने मतका समर्थन करवानेके लिए इतनी उठा-पटक क्यों कर रहे हैं?

मैं अवश्य यही मानता हूँ कि मैं तानाशाह नहीं हूँ, इतना ही नहीं, मुझमें तानाशाहीका लेश भी नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म ही सेवा-धर्म है। मैंने तो बहुत नेताओंका कहना माना है और मानता आया हूँ। कलकत्तामें और नागपुरमें हुई विषय-समितिकी बैठकोंमें मैं अनेक बातोंपर सहमत हो गया था लेकिन इतना अवश्य है कि जहाँ अन्तःकरणकी पुकारकी बात आती है वहाँ मैं आग्रही बन जाता

१ वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री।

२ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी।

३ सितम्बरमें कलकत्तामें हुए विशेष अधिवेशनके अवसरपर और दिसम्बर १९२० में नागपुरमें हुए वार्षिक अधिवेशनके अवसरपर।

हूँ। तब मुझे कोई हिला नही सकता। इसीसे मुझपर तानाशाह होनेका आरोप लगाया गया है और इसे मै सहन कर रहा हूँ। स्वय आत्माकी आवाजको ही माननेकी बात कहते हुए, तर्कके द्वारा दूसरोको अपनेसे सहमत करानेका अधिकार सबको होता है। हमारी आत्माको सोनेकी आदत पड गई है। उसे समय-समयपर जागृत करना पडता है, इसीका नाम पुरुषार्थ है। एक दूसरेकी जजीरोको तोडनेमे सहायता करना ही सेवा है।

जिसे जनताका समर्थन, उसे कांग्रेसका समर्थन

स० : आपने कांग्रेसका अधिवेशन होनेसे पहले कहा कि 'मुझे कांग्रेसकी कोई दरकार नहीं', तो फिर आप "कांग्रेस मैन" होनेका दावा किसलिए करते है ?

काग्रेसकी मुझे कोई दरकार नही, ऐसा धृष्ट वाक्य मैने कभी अपने मुँहसे नही निकाला। उसी तरह मैने 'कांग्रेस मैन' होने का दावा भी नही किया। काग्रेस एक महान् सस्था है। उसका मै पुजारी हूँ। बचपनसे ही मैने उसे आदरकी दृष्टिसे देखा है, इसी कारण मैने हर बार उसमे हाजिरी देनेका प्रयत्न किया है। लेकिन काग्रेसके प्रस्तावको मै वेदवाक्य नही मानता। जहाँ उसके प्रस्ताव मेरे निजी धर्मके विरुद्ध जान पडे है वहाँ उनका विरोध करनेकी छूट मैने हमेशा ली है और वह छूट सबको होनी चाहिए, ऐसा मैने माना है। यह सब करनेके बावजूद कोई भी व्यक्ति काग्रेसका भक्त हो सकता है।

नवीन राज्यतन्त्रको मै नहीं, जनता चलायेगी

स० : काग्रेसने यदि इस प्रस्तावको[1] पास न किया होता तो क्या आपके आन्दोलनको एक प्रतिशत भी सफलता मिल सकती थी ? पिछली बीस शताब्दियोमें असहयोगसे बड़ी अधिक विचारणीय कोई चीज हमारे सामने नहीं आई। जब हमें अमृत-समान 'मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार' मिले है तो फिर क्या एक तानाशाहकी तरह सारे हिन्दुस्तानको उलटे मार्गपर ले जाना उचित है ? मालवीयजी-जैसे लोगोका कहना है कि गाधीजीकी तो अक्ल गुम हो गई है और वे हिन्दुस्तानको गलत रास्तेपर ले जा रहे है।

इस सवालमे मुझे बहुत गलतफहमी दिखाई देती है। कांग्रेस जनमतको व्यक्त करनेवाला मुख-यन्त्र है। जब जनता किसी अमुक वस्तुको स्वीकार कर लेती है तब वह अच्छी हो या खराब लेकिन काग्रेस उसे स्वीकार कर लेती है। अब अगर मुबारक ऐसे कुछ नवीन सुधारोको दाखिल करना चाहे जो लोगोको प्रिय न लगें और फिर वह उन्हे काग्रेससे पास न करवा सकें तो यह कोई आश्चर्यकी बात नही। काग्रेसका प्रस्ताव पास होनेसे पहले ही असहयोग आन्दोलन जोरोपर था और इसी कारण काग्रेसने उसका स्वागत किया था। मेरे तो ऐसे अनेक विचार है जिन्हें मै काग्रेससे पास नही करवा सकता क्योकि मै जनतामे अबतक उनका मूल्याकन

1. असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव।

नहीं करवा पाया हूँ। मेरी मान्यता है कि पुरुषको विधुर होनेपर उसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। मेरी मान्यता है कि हमें केवल निरामिष भोजन ही करना चाहिए। मेरी धारणा है कि चेचकके टीके लगवाना दोषपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि हमारे शौचादिकी पद्धतिमें कुछ बातोंसे रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन इन सब बातोंके सम्बन्धमें मैं अभीतक जनमतको प्रशिक्षित नहीं कर पाया हूँ, फलत कांग्रेसमें भी इस आशयके प्रस्ताव पास नहीं करवा सकता। तथापि अवसर आने पर अपने उन विचारोंको जनताके सम्मुख पेश करनेमें मैं नहीं हिचकिचाता। 'मॉन्टेग्यु सुधार' अमृत-समान हैं, ऐसा अगर हिन्दने माना होता तो मेरी तानाशाही मेरी जेबमें ही रह जाती। जनताकी मनपसन्द चीजको मैंने व्यावहारिक रूप प्रदान किया है इसीसे जनताने मेरे सन्देशको हर्ष सहित स्वीकार किया है, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं जनताको गलत राहपर नहीं लिये जा रहा हूँ बल्कि जनता जिन राहपर चल रही है अगर वह गलत हो तो मैं भ्रमवश उसी राह चल पड़ा हूँ। अगर बात ऐसी हो तो मानना चाहिए कि मुझमें कार्यदक्षताकी कमी है। किन्तु मैं मानता हूँ कि जनता सीधी राह ही चल रही है और बहुत अच्छी रफ्तारसे आगे बढ़ी है। मालवीयजी यह कतई नहीं मानते कि मैं जनताको गलत राह ले जा रहा हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे बीच थोड़ा मतभेद है लेकिन वे असहयोगके पुजारी हैं और मानते हैं कि जनता इस दिशामें आगे बढ़ रही है।

नवीन राज्यतंत्रको मैं नहीं, जनता चलायेगी

जैसा कि लोकमान्य तिलक कहा करते थे, अगर आप स्वराज्य प्राप्तिके बाद हिमालयकी तलहटीमें जा बसेंगे तो फिर नवीन राज्यतन्त्रका क्या होगा? उसे कौन चलायेगा? सगे भाइयोंमें नहीं बनती फिर करोड़ोंका तो पूछना ही क्या?

यह प्रश्न भी दोषमय है। लोकमान्यने मेरे हिमालय जानेके विषयमें कभी कुछ कहा ही नहीं। स्वराज्य मिलनेपर मैंने हिमालय चले जानेका निश्चय नहीं किया है, फिर भी यह बात निश्चित है कि नवीन राज्यतन्त्रको चलानेवाला भी मैं नहीं हूँ, उसको तो जनता चलायेगी। जबतक जनतामें इतना आत्मविश्वास नहीं आ जाता तबतक स्वराज्य मिलनेसे भी क्या लाभ?

राजनीति और धर्म

श्री एन० बी० शर्माके कथनानुसार क्या आप राजनीतिमें धर्मका सम्मिश्रण नहीं करे दे रहे हैं? राजनीति क्या महात्माओंका क्षेत्र हो सकती है? चूंकि आपने आफ्रिका और खेड़ामें थोड़ेसे लोगोंको कुछ अधिकार दिला दिये तो क्या करोड़ोंके लिए भी आप ऐसा ही कर सकेंगे?

इसमें सन्देह नहीं कि मैं राजनीतिक विषयोंमें धर्मका सम्मिश्रण करता हूँ। मेरी विनम्र राय यह है कि संसारकी एक भी क्रिया धर्मविहीन नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि महात्माके लिए कौनसा क्षेत्र नहीं हो सकता। यदि वह सब तरहके दुःखोंमें भाग नहीं लेता तो फिर वह किस बातका महात्मा है? मैं लोगोंके सारे दुःखोंमें

हाथ नही बँटा पाता इसलिए मै 'महात्मा' होनेका दावा ही नही करता। लेकिन हम सब महात्मा बननेका प्रयत्न करे इसमे अविवेक नही है। अपनी राजनीतिमे हमने धर्मके तत्त्वका समावेश नही किया इसीसे तो स्वराज्य मिलनेमे इतना समय लग रहा है। विधान ऐसा है कि जो बात एक व्यक्तिपर लागू होती है वही सबपर भी लागू होती है। जिस तरीकेसे खेडामे लडा जा सकता है उसी तरीकेसे भारतवर्षमे भी लडा जा सकता है और जीत भी हासिल की जा सकती है।

अहमदाबादमें आपने कहा था कि यदि एक व्यक्ति भी सम्पूर्ण असहकार करे तो उसका असर हो और स्वराज्य मिले। क्या यह ठीक है?

मेरा दृढ विश्वास है कि सचमुच सम्पूर्णताको प्राप्त एक असहयोगी भी यथेष्ट है। लेकिन मै मानता हूँ कि मेरे-जैसे प्रयत्न करनेवालेका प्रभाव भी बहुत हो सकता है। जगतके प्रत्येक सुधारका बीज किसी एक ही व्यक्तिका बोया हुआ होता है।

अपने कालसे पूर्व कोई नही जनमता

लोकमान्य तिलकके समान ही क्या आप भी समयसे पहले पैदा नहीं हुए हैं?

कोई अपने समयसे पहले न तो आता है और न जाता है। परन्तु ऐसा एहसास ससारके सभी सुधारकोके बारेमे हुआ करता है। एक पद्धतिके अनुसार चलते आ रहे हम लोगोको जब कोई दूसरी पद्धतिके बारेमे बताया जाता है तब पहले-पहल तो आघात ही पहुँचता है।

मुसलमानोको मैने नही जगाया है

मुसलमानोको खिलाफतके सम्बन्धमें कुछ भी महसूस नहीं होता। आपने ही उन्हे कोच-कोच कर जगाया है। क्या मुसलमान विधान परिषदोके उम्मीदवारके रूपमें खडे नहीं हुए? क्या श्री शफी वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्में नहीं हैं? क्या धनवान और पढे-लिखे मुसलमान आपके आन्दोलनमें भाग लेते हैं?

मैने मुसलमानोको जगाया है, ऐसा दावा मै कदापि नही कर सकता। उनको जगानेवाले तो अलीभाई है। मैने तो अपना धर्म जानकर उन्हे अपनी सहायता दी है। पढे-लिखे मुसलमान अच्छे-बुरेकी बुद्धि खो बैठे है, इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही। यह तो इस जमानेकी तासीर है। आम मुसलमान अली भाइयोके साथ ही है। श्री शफी आदि जैसे मुसलमान और हिन्दू मूर्च्छितावस्थामे न हो तो आज जो हमे इतनी देर हो रही है वह कभी न होती।

अच्छे कार्यमें कभी असफलता नहीं मिलती

क्या आपका आन्दोलन अव्यावहारिक अथवा अशक्य नहीं है? आपने मद्रासमें कहा था कि यदि जनताकी ओरसे सन्तोषजनक जवाब न मिला तो आन्दोलन निष्फल भी हो सकता है। तो फिर जिन्होने आपका समर्थन किया है उनका क्या

होगा? सारे हिन्दुस्तानका इससे कितना बडा नुकसान होगा? सत्याग्रहकी भाँति इसे भी बीचमें छोडकर आप अपने वचनके अनुसार हिमालय-वास क्यो नहीं करते?

आन्दोलन अव्यावहारिक नही है यह बात दिन-प्रति-दिन सिद्ध होती जाती है। सीधी राह पहले-पहल कदाचित् अगम्य जान पडे, फिर भी वह अव्यावहारिक तो नही ही होती। ससारमे सत्य-जैसी दूसरी कोई व्यावहारिक चीज नही है। [दो बिन्दुओके बीच] सरल रेखासे छोटी दूसरी कोई रेखा आजतक ससारमें कोई भी नही खीच पाया है। मद्रासके मेरे सम्पूर्ण भाषणको पढना चाहिए। मेरे कहे हुए वाक्यका अर्थ सिर्फ इतना ही निकलता है कि सन्तोषजनक प्रतिक्रिया न होनेपर जनताको आन्दोलनके निष्फल होनेका आभास मिलेगा, लेकिन अच्छे कार्योमे असफलता नामकी कोई चीज होती ही नही। कार्यके अनुरूप फल अवश्य मिलता है। लेकिन सम्भव है कि किसी एक व्यक्तिके द्वारा किये गये कार्यका फल जनताको दिखाई न दे। जिसे जनता भी देख सके ऐसे फलके लिए बहुत-से व्यक्तियोको आगे आकर वह कार्य करना चाहिए। यो जो कर्म करता है उसे तो फलकी पूर्ण उपलब्धि हुई ही समझिए। जिन्होने पढना छोड दिया है, वकालत छोड दी है उन्हे उसका पुण्य-फल मिल चुका है। आन्दोलनका चाहे जो परिणाम निकले, उससे इन्हे क्या कोई नुकसान हो सकता है? अलबत्ता अगर अपने उक्त धन्धे छोडनेका उन्हे पश्चात्ताप हो तो यह सचमुच दुःखकी बात होगी। इसीसे मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि त्याग वैराग्यके बिना नही टिक सकता। जो लोग इस सरकारसे बिलकुल ऊब नही गये हैं उन्हे मैंने असहयोग करनेकी सलाह दी ही नही है। यह आन्दोलन पवित्र है क्योकि इसे एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। पुण्यकर्म करते समय न तो रुकनेकी जरूरत है और न ही साथी ढूंढनेकी, पापकर्म करते समय हजार ज्योतिषियोसे पूछा जाना चाहिए और हजार साथियोकी तलाश करनी चाहिए और समय तथा साथीके मिलनेपर भी [पापकर्म करते हुए] हिचकना चाहिए। असहयोगसे जैसे एक व्यक्तिको कोई नुकसान नही पहुँचेगा, वैसे ही हिन्दुस्तानके बारेमें भी समझना चाहिए। सत्याग्रहको मैंने बीचमें नही छोडा। उसने एक अन्य रूप ग्रहण कर लिया। सत्याग्रहके कानूनके सविनय अवज्ञाके रूपको, लोग ग्रहण नही कर सके इसीसे सत्याग्रह अपने उस रूपमे बन्द हो गया।[1] सत्याग्रहके परिणाम-स्वरूप हिन्दुस्तानको जबर्दस्त उपलब्धि हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा दृढ विश्वास है कि कानूनकी सविनय अवज्ञाको रोककर मैंने सत्याग्रहके सम्बन्धमे अपने ज्ञानको सिद्ध किया है, मैंने सत्याग्रहके नायकके रूपमे अपनी योग्यता ही दिखाई है। मेरे सविनय अवज्ञाके आन्दोलनको रोकनेके कारण ही, सर माइकेल ओ'डायर द्वारा पजाबकी प्रतिष्ठा-को धूलमे मिलानेके निश्चयके बावजूद पजाबकी प्रतिष्ठा बढी है। यही बात मेरे हिमा-लय जानेके बारेमे भी चरितार्थ होती है। मेरी दृढ मान्यता है कि पश्चिमका पशुबल हिन्दुस्तानको नही रुचेगा — नही फलेगा। तथापि कल्पना करे कि हिन्दुस्तानने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर मैं हिन्दुस्तानमें रहना निरर्थक मानूंगा और उस समय

१ १९१९ में, देखिए खण्ड १५।

हिमालयमे एकान्तवास मुझे स्वर्गिक आनन्द देगा। पशुबलका प्रयोग करनेवाले हिन्दुस्तान-को मेरी सेवाएँ बेकार जान पड़ेगी। और मै उस समय देशका आशीर्वाद लेकर हिमालयकी ओर चल पड़ूँगा।

[क्या] आदर्श राज्य काल्पनिक नही है?

आपने 'नवजीवन'में लिखा है कि सच्चा ब्रह्मचारी केवल कल्पनामें ही होता है। उसी तरह आदर्श राज्य भी क्या केवल कल्पनामें ही नहीं है? क्या ऐसा राज्य पहले कभी था? क्या भविष्यमें होगा?

आदर्शपर पूरी तरहसे अमल हो जाये तो वह आदर्श ही न रहे। तथापि हमे कोई-न-कोई आदर्श सामने रखकर ही चलना चाहिए नही तो हम धोखा खा जायेगे। आदर्श सरल रेखा और आदर्श समकोण तो कल्पनाकी ही वस्तु है। फिर भी सरल रेखा और समकोणके उस आदर्शको सामने रखे बिना कोई शिल्पी कोई भी इमारत खडी नही कर सकता। यही बात आदर्श स्वराज्यपर भी लागू होती है — आदर्श साधनो-को ध्यानमे रखते हुए और उनपर अमल करते हुए हम जल्दीसे-जल्दी जैसा चाहिए वैसा स्वराज्य प्राप्त कर लेगे।

सूरत निवासी भाईकी प्रश्नावली यहाँ पूरी हो गई। उन्होंने अपना पत्र मधुर प्रस्तावनासे शुरू किया है। प्रश्नोमे कही-कही कडी भाषा दिखाई देगी लेकिन प्रश्न विनम्रतापूर्वक पूछे गये है, ऐसी मेरी मान्यता है। प्रश्नकर्त्ताने अपना नाम-पता भी दिया है। उनके अन्तिम वाक्योमे से तीन वाक्य उद्धृत करता हूँ

> **जैसे पिता पुत्रके अपराधको क्षमा कर देता है, ठीक वही बात आप मेरे विषयमें भी समझ लीजियेगा। जैसे स्कूलमें अध्यापक कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न समझमें न आये तो उसे बार-बार पूछ लेना चाहिए, उसी तरह फिलहाल मैं आपसे ऐसे प्रश्न पूछता रहूँगा। यदि ये पत्र दोषपूर्ण अथवा अपमानजनक लगें तो इन्हे तुरन्त फाड़ फेंके।**

विद्यार्थियोका व्यवहार

दूसरा पत्र अहमदाबादके एक प्रसिद्ध लेखकका है। उन्होने यह पत्र 'स्वदेशी' उपनाम से लिखा है। उसमे पाँच प्रश्न है। एकमें विद्यार्थियोको दी गई मेरी सलाहपर विवेचन किया गया है। इस प्रश्नपर इतना अधिक विचार-मन्थन किया जा चुका है कि अब इसमें से कुछ विशेष हासिल होनेवाला नही है, इसलिए उसे छोड देता हूँ। इस सम्बन्धमें मै इतना ही कहूँगा कि मैंने विद्यार्थियोको जो सलाह दी है उससे वे उद्धत और स्वच्छन्द नही हुए है। वे पिंजरेमें बन्द थे, पिंजरेसे निकला हुआ पछी कुछ अति करता ही है। अत इस सम्बन्धमे कटाक्ष नही किया जाना चाहिए। स्कूलो-कालेजोमे बाहर निकले हुए विद्यार्थी-समुदायको जितना मै समझता हूँ उतना कदाचित् ही कोई और उसे समझता होगा। उन्होने विनयका छोर नही छोडा है। वे अपनी आत्मासे, जनसमाजसे और अपने गुरुजनोसे जूझ रहे है और तरुण वयके युवकोमे जितनी

आशा की जा सकती है उतनी वे फलीभूत कर रहे है। असहयोगमे अविनय हो ही नही सकती। यह भाई लिखते है कि मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुकूल आचरण करता है, सो बात सच है लेकिन मनुष्यके दो स्वभाव होते है। एक 'अहरमन' दूसरा 'अहुरमज्द'। एक 'आसुरी' और दूसरा मानवी, एक सत्यशील, दूसरा असत्यशील। सत्यपर ही जोर दिया जाय, 'अहुरमज्द' पर दृष्टि रखी जाय, भले ही जो कलतक पशु था लेकिन आज यदि वह मनुष्य हो गया है, तो वह मनुष्य ही है, यदि हम निरन्तर यह ध्यानमे रखे तो इससे मनुष्यताको किसी प्रकारकी हानि नही होती, मेरा यह निजी अनुभव है।

दूसरा प्रश्न, मैने गैर सरकारी स्कूलोके अध्यापकोसे सम्बन्ध तोडनेकी जो सलाह दी है, उससे सम्बन्धित है, सो ऐसी सलाह मैने किसीको दी ही नही।

अविवेकी असहयोगी

किसी तथाकथित असहयोगीने विधान परिषद्के उम्मीदवारको 'गधोका सरदार' कहा है—तीसरे प्रश्नमे इस बातको लेकर चर्चाकी गई है। मुझे लिखते हुए दुख होता है कि हमारे बीच ऐसे अविवेकी विशेषणोका प्रयोग करनेवाले असहयोगी भी है। लेकिन यह तो हमारी एक बहुत लम्बे अर्सेसे चली आ रही विरासत है इसलिए बहुत प्रयत्नोसे ही यह आदत जा पायेगी। मै जानता हूँ कि अनेक असहयोगी अपनी भाषा और अपने विचारोको सयमित करनेमे सफल हो रहे है। पत्र लेखक यह मानता है कि लोगोको ऐसा बोलनेकी जो आदत पड गई है, बहुत सम्भव है कि उसका सामना करनेका मेरा प्रयत्न निष्फल हो जाये। लेकिन मेरा तीस वर्षका अनुभव इसके विपरीत है।

मैने खिलाफतमें साथ क्यो दिया है?

चौथा प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। उक्त सज्जन लिखते है

आप खिलाफतकी इतनी अधिक चिन्ता क्यो करते है, यह बात मेरी समझमें नही आती। हम तो ऐसा मानते है कि खिलाफत सिर्फ 'पोलिटिकल वेपन' (राजनीतिक हथियार) है। इतिहासपर नजर डालनेसे यही लगता है कि चाहे जितना त्याग करनेके बावजूद हिन्दू-मुसलमान एक नहीं हो सकते। अगर सम्भव हो और उसे बनाये रखा जा सके तो हिन्दू-मुस्लिम एकता स्पृहणीय है। लेकिन स्वार्थके आधारपर खडी की गई एकता स्थायी नहीं रह सकती, मेरे-जैसे अनेक लोगोका यही मत है। इसलिए आप खिलाफतके बारेमें इतनी अधिक चिन्ता क्यो करते है, अगर एक लेख द्वारा यह बात स्पष्ट कर सके तो हम-जैसे लोग आपके आभारी होगे।

मैने बातचीतमे और लेखोमे इस प्रश्नकी चर्चा की है, लेकिन ऐसा मानकर कि वह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी जितनी चर्चा की जाये, कम है, मै एक बार फिर यहाँ इसकी चर्चा करता हूँ। खिलाफतके प्रश्नको मै सर्वोपरि स्थान देता हूँ। असहयोगका शस्त्र भी, उसे हम जिस रूपमे जानते है, खिलाफतके प्रश्नपर विचार करते-करते हाथ लगा है। एक कट्टर हिन्दू होनेके नाते मुझे इसकी बहुत चिन्ता होती है। यदि सात करोड मुसलमानोसे मै अपने धर्मको सुरक्षित रखना चाहता हूँ तो मुझे उनके

धर्मको बचानेके लिए भी मरनेके लिए तैयार रहना चाहिए। यही बात सब हिन्दुओ-के लिए भी सही है। जबतक हिन्दू-मुसलमान एक नही होते तबतक स्वराज्य एक अर्थ-विहीन आदर्श है और गो-रक्षा तबतक असम्भव है। स्वार्थ सध जानेपर मुसलमान दगा देंगे, मै ऐसा नही मानता। जो धर्मको मानते है, वे दगा नही देते। हिन्दुओने कोई बडा त्याग किया और वह फलीभूत नही हुआ, ऐसा एक भी ऐतिहासिक दृष्टान्त मेरी नजरोसे नही गुजरा है। आजतक जो हुआ वह तो बनियेका सौदा था। किन्तु हमारे वर्तमान व्यवहारमे सौदेकी गुजाइश नही है। हिन्दू अपना धर्म समझकर मुसल-मानोकी मदद करे और फलकी आशा ईश्वरसे रखे, मुसलमानोसे कुछ भी न चाहे। मै गोरक्षाकी बात अली भाइयोसे कदाचित् ही करता हूँ। मौलाना अब्दुल बारी साहबके साथ हुए सवादको मै प्रकाशित कर ही चुका हूँ।[1] तथापि वे जानते है कि मैने इस बातको छिपाया नही है कि मै मुसलमानोके लिए मरकर उनके हृदयको द्रवित करनेकी उम्मीद रखता हूँ। मेरी दृढ मान्यता है कि ईश्वर अच्छे कामका फल अवश्य देता है। मुझे तो ईश्वरसे ही याचना करनी है। मुसलमान भाइयोके हाथमे तो मै बिना मूल्य बिक गया हूँ और प्रत्येक हिन्दूको ऐसा ही करनेके लिए कह रहा हूँ। इसमे दाँवपेच नही है, यह तो खुली बात है। यदि मुसलमान भाइयोका मामला कमजोर होता तो मै उनके लिए मरनेको कतई तैयार न होता। उनके मामलेको बिलकुल सच जानते हुए भी मै सन्देह अथवा भयवश उससे अलग रहूँ तो मै अपने हिन्दुत्वको लजाता हूँ, मेरा पडौसी-धर्म लुप्त हो जाता है।

मै जानता हूँ कि खिलाफत राजनीतिक हथियार नही है। खिलाफतका पक्ष लेना सभी मुसलमानोका धर्म है, हिन्दू इसे धर्म न माने यह दूसरी बात है। गो-रक्षा-को कोई भी मुसलमान धर्म नही समझता। लेकिन सब मुसलमान जानते है कि हिन्दुओ-के लिए वह धर्म ही है। अली भाइयोकी धर्मपरायणताके सम्बन्धमे मेरे हृदयमे बहुत आदरभाव है। केवल राजनीतिक लाभकी उपलब्धिके लिए वे फकीरीको अख्तियार नही करेगे। खिलाफतको बचानेका प्रयत्न करनेमे इस्लामकी सत्तामे भी अवश्य वृद्धि होगी। इस बातपर प्रसन्न होनेमे कोई गुनाह नही है। मुसलमानोको नि सन्देह इसपर खुशी होगी और यदि हम ऐसा माने कि हिन्दू-धर्मकी जागृतिसे इतर धर्मावलम्बियोको प्रसन्न होना चाहिए तो इस्लामकी उन्नतिसे हम हिन्दुओको भी प्रसन्न होना चाहिए।

गुरु नानक और कबीरने हिन्दू-मुसलमानोको एक करनेका प्रयत्न किया था। उस इतिहासकी यहाँ पुनरावृत्तिकी बात कोई नही करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योकि आजका प्रयत्न धार्मिक एकताका नही बल्कि धर्मकी भिन्नता होते हुए भी हृदयकी एकताका है। गुरु नानक आदिका प्रयत्न धर्मोमें एकता प्रदर्शित करते हुए दोनोको एक बनानेका था। आजका प्रश्न तितिक्षाका है। कोशिश यह है कि सनातनी हिन्दू अपने धर्मके प्रति सजग रहते हुए कट्टर मुसलमानका आदर करे, उसकी सच्चे हृदयमे उन्नति चाहें। यह प्रयत्न होनेको नया है, लेकिन हिन्दू-धर्मके मूलमें निहित भावना यही है।

१. सवादके विवरणके लिए देखिए खण्ड १६, पृष्ठ ९५-९६।

इस प्रयत्नके बाद भी समझ लीजिए कि मुसलमान भाई दगा देते है। एक बात तो यह है कि दोनोंका स्वार्थ हमेशाके लिए एकता बनाये रखनेमे ही निहित होगा। लेकिन अगर हम यह माने कि खिलाफत रूपी विशेष अर्थके सध जानेके बाद मुसलमान हिन्दुओका विरोध करनेके लिए जुट जायेंगे और इस भयसे हम आज यदि तटस्थ रहे तो उससे हम ब्रिटिश राज्यकी गुलामी करते रहनेके सिवा और क्या साध सकेंगे? मान लीजिए, आजके प्रयत्नोसे खिलाफतकी रक्षा हो गई है, स्वराज्य मिला और बादमे मुसलमानोने विश्वासघात किया, तो इससे भी क्या होता है? बाईस करोड हिन्दुओको क्या मुसलमान पराजित कर सकेंगे? उनका आत्मबल, उनकी तपश्चर्या, उनका आजका किया यज्ञ क्या उनकी कोई मदद नही करेगा? लेकिन अगर मुसलमान बाहरसे अन्य लोगोको लाकर हमसे लडे तो? ऐसा भी हो तो क्या इससे सच्चा मर्द डर सकता है? आजका प्रयत्न देशको स्वावलम्बी—स्वतन्त्र बनानेका है। एक ही व्यक्ति हो तो भी छाती तानकर अनेकोके सामने खडा रहे और जहाँ कदम रखा हो वहाँसे डग-भर भी पीछे न हटे। पशु भी समय आनेपर ऐसा करते है। अरबके बच्चे ऐसा करते है, डच बालकोको भी ऐसा करते हुए मैंने जाना है। यह कोई दैवी शक्ति नही है, यह तो सामान्य मनुष्यको भी प्राप्त होती है। जबतक बहुत सारे भारतीय इस शक्तिको प्रकट नही करते तबतक हिन्दुस्तान स्वतन्त्र नही हो सकता। राणा प्रतापके समयके क्षत्रियोमें ऐसा धैर्य था। क्षत्रिय अर्थात् हनन करनेवाला नही, क्षत्रिय अर्थात् मरना जाननेवाला। 'गीता' की व्याख्याके अनुसार क्षत्रिय वह है जो भागता नही है, पीठ नही दिखाता। हिन्दू-मुसलमानोकी आजकी एकतामे सौदेकी बात हो नही है। हमने जो समझौता किया है वह सौदेबाजीपर नही बल्कि परस्पर दोनोकी उदारतापर आधारित है। यह लेन-देनकी दोस्ती नही है, यह तो दोनोके लिए एक पक्षीय अनुबन्ध है, ऐसा ही अनुबन्ध स्वेच्छासे किया गया अनुबन्ध कहला सकता है। वह किसी एक पक्षके तोडनेसे नही टूटता, और टूट भी जाता है। तोडनेवाला कानूनसे बँधा हुआ नही है लेकिन प्रेम तो उसे अपनेसे बाधे हुए ही है।

कच्चे धागेसे मुझे हरिजीने बाँध लिया है
वे जिधर खीचते है, मै उधर ही मुड जाती हूँ
मुझे तो प्रेमकी कटारी लग गई है।[1]

मीराने जो कहा सो करके दिखा दिया। प्रेमका यही धागा प्रत्येक मुसलमानको बाँधने और गायकी रक्षाके लिए काफी है। लेकिन भोजा भगतने[2] हमें प्रेमकी शर्तें भी गिनाई हैं

भक्तिकी राहमें शीशका सौदा करना पडता है,
बहुत जटिल है उसकी राह।

१ 'काचे रे तातणे मने हरिजीए बांधी
जेम ताणे तेम तेमनी रे।
मने लागी कटारी प्रेमनी।'

२ मध्य युगके गुजराती कवि।

प्रेमकी परीक्षा असिधारपर चलनेमे है । हिन्दू यदि अपने धर्मकी रक्षा करना चाहते है तो उन्हे असिधारपर चलना होगा।

मालवीयजी और शास्त्रीजी

उपर्युक्त भाईने पाँचवे प्रश्नको इस तरह उठाया है

पंजाब और खिलाफतके सम्बन्धमें मालवीयजी और शास्त्रीजी उतनी ही तीव्रतासे नहीं सोचते जितनी तीव्रतासे आप सोचते है —— आप अगर ऐसा मानते हैं तो आप भयंकर भूल करते हैं।

इतना कहनेके बाद इन्होंने कुछ दलीले पेश की है जिनमे उन्होने यह मान लिया है कि मैंने इन दोनो प्रौढ नेताओपर आक्षेप किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नही है। दोनोके प्रति मेरे मनमें जो आदर-भाव था वह यथावत् है और उनके प्रति मेरा प्रेम भी उसी तरह कायम है। मैंने तो मात्र वस्तुस्थितिका वर्णन करते हुए दो ऐसे मित्रोका, जिनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है, उदाहरण दिया है। खिलाफत और पंजाबके विषयमे मैं अधीर होकर अपना सर्वस्व होमनेके लिए कटिबद्ध हो गया हूँ और ये दोनो नेता इन दोनो अपमानोको पी जानेके लिए तैयार हैं। इसे अगर कोई व्यवहार-कुशलता कहकर अच्छा माने तो मुझे कुछ नही कहना है। मेरे तई तो आचार ही मनुष्यकी भावनाओका माप-दण्ड है। मुझे इस बारेमे अधिक महसूस होता है, यह कहकर मैं ज्यादा प्रतिष्ठा नही कमाना चाहता और मालवीयजी अथवा शास्त्रीजीको इस सम्बन्धमें कम महसूस होता है यह कहकर मैं लेशमात्र भी उनकी अवमानना नही करना चाहता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०–१–१९२१

१५०. भाषण: बेलूर मठमे[1]

३० जनवरी, १९२१

लोगोने श्री गांधीसे भाषण देनेकी प्रार्थना की। उन्होने इसे स्वीकार किया और जानना चाहा कि वे उनका भाषण अंग्रेजीमें सुनना चाहते है या हिन्दीमें। इसके लिए उन्होने लोगोसे हाथ उठानेको कहा। बहुतसे लोगोने हाथ खडे किये कि वे अंग्रेजीमें बोलें। इसपर श्री गांधीने कहा कि आप लोग हिन्दी नहीं जानते इसका मुझे बहुत दुःख होता है। यह भाषा तो आपके अपने देशकी है। तब उन्होने पूछा कि कितने लोग उनका भाषण हिन्दीमें सुनना चाहते हैं। काफी संख्यामें लोगोने हिन्दीके पक्षमें भी हाथ खडे किये। तब उन्होने हिन्दीमें भाषण दिया और उनमे कहा कि सभी लोग

१. यह भाषण कलकत्तेके पास रामकृष्ण मिशनके प्रधान कार्यालय, बेलूरमठमें स्वामी विवेकानन्दके जन्मदिवसपर दिया गया था।

हिन्दी सीखें। उन्होंने यह कहते हुए भाषण प्रारम्भ किया कि मैं स्वर्गीय स्वामी विवेकानन्दका[1] बड़ा आदर करता हूँ। और उनकी बहुत-सी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। साथ ही यह भी बताया कि मेरे आदर्श भी कई बातोंमें उस महापुरुषके आदर्शोंके समान ही हैं। यदि आज विवेकानन्द जीवित होते तो हमारी राष्ट्रीय जागृतिमें बहुत सहायता देते। फिर भी उनकी आत्मा आपके बीच मौजूद है, इसलिए आप लोग स्वराज्यकी स्थापनाके लिए अधिकसे-अधिक कार्य करें। आप लोग सबसे पहले अपने देशको प्यार करें। और एक हृदय बनें। (श्री गांधीने सबको स्वदेशी पहनने, चरखा कातने और शराबकी आदत छोड़नेकी सलाह दी।) उन्होंने बताया कि मुझे पुलिसके अत्याचारोंकी खबरें मिली हैं। उन्होंने पुलिससे कहा कि वह जनतापर जुल्म न करे क्योंकि लोग उनके देशभाई ही तो हैं। उन्होंने पुलिसको सलाह दी कि वह अपना कार्य करे, किन्तु जो लोग देशके लिए काम कर रहे हैं उसमें रुकावट न डाले। पुलिस सरकारकी नौकर नहीं बल्कि अपने देशभाइयोंकी नौकर है। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि पुलिसके लोग अपनी नौकरी छोड़ दें। किन्तु मेरा कहना है कि समय आनेपर जब उन्हें उनका कर्त्तव्य बताया जाये तब वे उसका पालन करनेके लिए तैयार रहें। उन्होंने श्रोताओंसे कहा कि वे सरकारी नौकरीके पीछे न फिरें बल्कि स्वतन्त्र जीवन बितानेकी कोशिश करें। उन्होंने सदा इस विचारको अपनी दृष्टिके सामने रखनेकी सलाह दी। उन्होंने कलकत्ताके राष्ट्रीय विद्यालयकी भी चर्चा की और बताया कि अन्य विद्यालय खोलनेके लिए भी धन मौजूद है।

[अंग्रेजीसे]

रेकर्ड्स ऑफ इन्टेलिजेन्स ब्रांच, आई० जी० पी०, पश्चिमी बंगाल

१५१. भाषण: कलकत्ताके मिर्जापुर चौकमें[2]

1 फरवरी, १९२१

श्री गांधीने प्रारम्भमें ही यह जानना चाहा कि क्या श्रोताओंमें अधिक संख्या छात्रोंकी है। जब उन्हें सूचित किया गया कि वहाँ छात्र बड़ी संख्यामें उपस्थित हैं और कुछके माता-पिता तथा अभिभावक भी उपस्थित हैं तब उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उन्होंने भाषण देते हुए बताया कि यदि लोग निरन्तर दृढ़ताके साथ अहिंसाका पालन करते रहे तो स्वराज्य आठ मास या एक वर्षके अन्दर मिल सकता है। यदि

१ १८६३-१९०२, रामकृष्ण मिशनके संस्थापक।

२ यह सभा ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा पुनर्गठित बंगाल विधान परिषद्के उद्घाटनके दिन मॉन्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधारोंके प्रति लोगोंकी निराशा व्यक्त करनेके लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता विपिनचन्द्र पालने की थी। इसी प्रकारकी सभाएँ विलिंग्डन स्क्वेयर और छः अन्य स्थानोंमें भी की गई थीं। गांधीजी, मुहम्मद अली तथा पं० मोतीलाल नेहरू इन सभाओंमें उपस्थित रहे।

लोगोने अहिंसाको छोड़ दिया तो आन्दोलनका सफल होना सन्देहास्पद हो जायेगा। किन्तु मुझे लोगोपर पूरा विश्वास है। मै स्वराज्यको जीतनेके लिए पशु-बल नहीं बल्कि आत्मबल प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रसंगवश उन्होने यह भी कहा कि चलती हुई मोटरगाडीके सामने लेट जाना भी हिंसाका कार्य होगा। यदि आप वास्तविक जनतन्त्र चाहते हैं तो आपको इस प्रकारकी हिंसाका उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कौसिलोंके सदस्य त्यागपत्र नहीं देते और वकील अपनी वकालत नही छोडते तो कोई हानि नहीं, किन्तु यदि आप लोग अहिंसाका अनुसरण नहीं करते तो यह स्वराज्य प्राप्तिके ध्येयके लिए घातक होगा।

चरखेके प्रश्नको उठाते हुए उन्होने कहा कि यदि आप सचमुच उस ६० करोड रुपयेको जो प्रतिवर्ष हमारे देशसे बाहर चला जाता है, बचाना चाहते हैं तो मुझे आशा है कि हर घर चरखा अपनायेगा। इसके बाद श्री गाधीने सहायताकी अपील की और बताया कि आज उन्हें चन्देमें काफी रकम प्राप्त हुई है। उन्होने कहा इस सभाका मुख्य उद्देश्य चन्दा एकत्र करना था, और यह आशा व्यक्त की कि आज दोपहरको होनेवाली हर सभामें लोग खुशीके साथ धन देंगे।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २-२-१९२१

१५२. भाषण : कलकत्ताके विलिंग्डन स्क्वेयरमे[1]

१ फरवरी, १९२१

श्री गांधीने हिन्दीमें[2] भाषण देते हुए कहा कि कलकत्तेमें आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बारेमें आप सुन ही चुके हैं। आप यह भी सुन चुके हैं कि इस परिस्थितिमें आपका कर्त्तव्य क्या होना चाहिए। कहा जाता है कि परिषद् आपकी अपनी है और उसके सदस्य आपके अपने प्रतिनिधि हैं। मै कहना चाहता हूँ कि न तो परिषद् आपकी है और न उसके सदस्य ही आपके प्रतिनिधि हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन सदस्योसे कोई राजनीतिक सहायता न ले। यदि आपका विश्वास है कि परिषद्में प्रातिनिधिकताका गुण नहीं है और यदि आप स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है, तो आपको बहुत कुछ करना होगा। आपके सामने अत्यन्त कठिन कार्य आ पडा है। यदि आप ऐसा सोचते हों कि सभाओमें प्रस्ताव पास करके आपने अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया है तो यह गलत है, इसका कोई असर नहीं पडेगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस प्रश्नका उत्तर कई बार दिया जा चुका है। आप सबको अहिंसा

१. यह भाषण मौलाना अबुल कलाम आजादकी अध्यक्षतामें हुई सभामें दिया गया था।

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

और असहयोगको अपनाना चाहिए। यदि आप अहिंसा और असहयोगकी भावनाको देशभरमें नहीं फैला सकते तो आपके लिए स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव होगा। आप स्कूल-कालेजों तथा अदालतोंको छोड़ दें। जिन लोगोंने अपनी पदवियाँ त्याग दी हैं और स्कूल-कालेजों तथा अदालतोंको छोड़ दिया है वे फिर वहाँ न जायें। उन्हें दूसरोंसे भी ऐसा ही करनेके लिए कहना चाहिए। इसके बाद श्री गांधीने असहयोग आन्दोलनमें अहिंसाके महत्वको विस्तारसे बताया। उन्होंने कहा यदि आपने कोई हिंसापूर्ण कार्य न किये तो सरकारको आपपर अपनी ताकत आजमानेका अवसर ही नहीं मिलेगा और सरकारके पास बहुत बड़ी शक्तिके होते हुए भी जीत आपकी ही होगी। जब लोग अहिंसाके महत्वसे पूरी तरह प्रभावित हो जायेंगे केवल तभी मैं जनतासे कर देना बन्द करने तथा सैनिकोंसे अपने शस्त्र त्याग देनेके लिए कहूँगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे खेद है कि शुक्रवारकी हड़तालके[1] दिन कुछ छात्रोंने आम सड़कोंपर खड़े होकर लोगोंके कार्योंमें बाधा डाली। मुझे इस बातका भी दुःख है कि कुछ छात्र कलकत्ता विश्वविद्यालयके सामने लेट गये और उन्होंने दूसरे छात्रोंको परीक्षा देनेके लिए नहीं जाने दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने विरुद्ध किसीको कुछ कहनेका अवसर नहीं देना चाहिए। इसके बाद श्री गांधीने स्वराज्यकी लड़ाईमें चरखेके महत्वपर प्रकाश डाला, और सबसे कहा कि वे चरखेको अपनायें।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २-२-१९२१

१५३. पत्र : ड्यूक ऑफ कनॉटको[2]

[२ फरवरी, १९२१ के पूर्व]

महोदय,

श्रीमान्‌ने असहयोग, असहयोगियों और उनके तरीकोंके सम्बन्धमें एवं संयोगवश असहयोगके एक विनीत प्रणेताके रूपमें मेरे बारेमें बहुत-कुछ सुना होगा। मेरा खयाल है कि श्रीमान्‌को जो जानकारी दी गई है वह अवश्य ही एकपक्षीय रही होगी। आपके प्रति, अपने मित्रोंके प्रति और स्वयं अपने प्रति यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आपके समक्ष उस असहयोगकी अपनी कल्पना प्रस्तुत करूँ जिसका अनुगमन केवल मैं ही नहीं, मेरे निकटतम साथी — जैसे श्री शौकत अली और मुहम्मद अली भी कर रहे हैं।

श्रीमान्‌के आगमनके अवसरपर श्रीमान्‌के स्वागतके बहिष्कार आन्दोलनमें मैं सक्रिय भाग ले रहा हूँ किन्तु वह मेरे लिए किसी हर्ष अथवा सुखका विषय नहीं है। मैंने

१. २८ जनवरी, १९२१ को ड्यूक ऑफ कनॉट कलकत्ता पहुँचे थे। उसी समय यह हड़ताल हुई थी। ड्यूकके आगमनका सम्पूर्ण बहिष्कार करनेके उद्देश्यसे नागरिकोंने उक्त हड़ताल की थी।

२. यह यंग इंडिया और दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले इसका प्रकाशन २ फरवरी, १९२१ को अमृतबाजार पत्रिकामें हुआ था।

सरकारको लगभग ३० वर्षतक निरन्तर निष्ठापूर्वक स्वयस्फूर्त सहयोग दिया है, क्योकि मेरा पक्का विश्वास था कि मेरे देशको इसी मार्गपर चलनेसे स्वतन्त्रता मिलेगी। इसलिए मैंने अपने देशवासियोको श्रीमान्‌के स्वागतमे कोई भाग न लेनेकी जो सलाह दी है वह मेरे लिए कोई छोटी बात नही है। हममे से किसीको भी एक अग्रेज सज्जनके रूपमें आपके विरुद्ध कोई भी शिकायत नही है। हमे जैसी अपने किसी प्रियसे प्रिय मित्रकी सुरक्षाकी चिन्ता हो सकती है वैसी ही आपके शरीरकी भी है। अगर आपके जीवनपर कोई खतरा हो और मेरे किसी भी मित्रको उसका पता चल जाये तो मै जानता हूँ कि वह अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेगा।

हमारी लडाई अग्रेजोसे व्यक्तिश नही है। हम अग्रेजोको मारना नही चाहते। हाँ, हम उस प्रणालीको अवश्य नष्ट करना चाहते है जिसने हमारे देशवासियोके शरीर, मन और आत्माको दुर्बल बना दिया है। हमने अग्रेजोके स्वभावमे निहित उस तत्त्वके विरुद्ध लडना तय किया है जिससे पजाबमें ओ'डायरशाही और डायरशाही सम्भव हुई है और जिसके कारण इस्लामका मनमाना अपमान किया गया है — उस इस्लामका जो मेरे ७ करोड देशवासियोका धर्म है। अग्रेज अपने आपको उत्कृष्ट और प्रभुताशाली समझते है। इसीलिए अनेक महत्वपूर्ण मामलोमे भारतके ३० करोड निरपराध लोगोकी भावनाओकी सयोजित रूपसे उपेक्षा की गई है। अब हम इस भावनाको सहन करनेकी बातको अपने आत्मसम्मानके विरुद्ध समझते है। यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। आपको भी इस बातपर कोई गर्व नही हो सकता कि भारतके ३० करोड लोग चौबीसो घटे एक लाख अग्रेजोसे प्राण-भय मानते हुए उनकी गुलामी करते रहे।

श्रीमान् उस प्रणालीको जिसका उल्लेख मैंने किया है, समाप्त करनेके लिए नही आए है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठाको बल देकर उसे कायम रखनेके लिए पधारे है। आपकी पहली ही घोषणा लॉर्ड विलिंग्डनकी प्रशसासे भरी पडी है। मुझे उन्हे जाननेका सौभाग्य प्राप्त है। मै उन्हे एक ईमानदार, मृदुल स्वभावका सज्जन मानता हूँ। वे अपनी इच्छासे छोटेसे-छोटे प्राणीको भी चोट नही पहुँचाना चाहते, किन्तु एक शासकके रूपमें वे निश्चय ही असफल हुए है। वे उन लोगोके इशारेपर चले है, जिनका हित अपनी सत्ताको मजबूत करनेमे है। द्रविड लोग क्या चाहते है सो वे समझ नही पा रहे है, और यहाँ बगालमे आप एक ऐसे गवर्नरको[1] योग्यताका प्रमाणपत्र दे रहे है जो एक आदरणीय सज्जन तो सुने जाते है, लेकिन जो बगालके लोगोके हृदय तथा उनकी आकाक्षाओको बिलकुल नही जानते। बगाल, कलकत्ता नही है, कलकत्तेका फोर्ट विलियम तथा उसके अन्य विशाल भवन, उस सुन्दर प्रान्तके सीधे-सादे और अत्यन्त सस्कृत किसानोके हृदयहीन शोषणके द्योतक है।

असहयोगियोने यही निष्कर्ष निकाला है कि वे ऐसे सुधारोके धोखेमें नही आ सकते जिनमें भारतके सकट और अपमानके प्रश्नोपर गहराईमे विचार नही किया गया हो। वे इस नतीजेपर भी पहुँचे है कि अधीर और रुष्ट होना भी ठीक नही

१. लॉर्ड रोनाल्डशे।

है। और न हमें अधीरता और रोषके वशीभूत होकर मूर्खतापूर्ण हिंसाका आश्रय लेना है। हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान स्थितिके लिए हम भी एक हदतक दोषी हैं। हमारी गुलामीमें अंग्रेजोंकी तोपोंका उतना हाथ नहीं है जितना हमारा अपनी इच्छासे दिये हुए सहयोगका है।

इस प्रकार आपके हार्दिक स्वागतमें हम जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं वह किसी भी अर्थमें आपके महान व्यक्तित्वके विरुद्ध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वह तो उस प्रणालीके विरुद्ध किया गया प्रदर्शन है जिसको बल देनेके लिए आप आये हुए हैं। मैं जानता हूँ कि इक्के-दुक्के अंग्रेज यदि चाहें भी तो अंग्रेजोंके स्वभावको एकाएक नहीं बदल सकते। यदि हम अंग्रेजोंकी बराबरीका दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने दिलोंसे डर निकाल देना होगा। हमें उस सरकारके संरक्षणमें चलनेवाली शालाओं और अदालतोंसे अलग रह कर अपना काम चलानेकी सूरत निकाल लेनी चाहिए जिसे, यदि वह सुधरती नहीं है तो, हम नष्ट कर देनेपर तुले हुए हैं।

यह अहिंसात्मक असहयोग इसी कारण आरम्भ किया गया है। मैं जानता हूँ कि अभी हममें से सभी वाणी और कर्ममें अहिंसक नहीं बने हैं, लेकिन अभीतक जो-कुछ किया जा चुका है वह आश्चर्यजनक है, इसका विश्वास मैं श्रीमान्‌को दिलाता हूँ। लोग अहिंसाके रहस्य तथा मूल्यको खूब समझ गये हैं जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। जो भी चाहे यह देख सकता है कि यह आन्दोलन एक धार्मिक और शुद्धिका आन्दोलन है। हम मद्यपान छोड़ रहे हैं। हम भारतको अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। हम विदेशोंसे आई भड़कीली चमक-दमकको छोड़नेका प्रयत्न कर रहे हैं और एक बार फिरसे चरखेका आश्रय लेकर भारतकी प्राचीन और सरल जीवन पद्धतिको पुनरुज्जीवित कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम इस प्रकार वर्तमान हानिकर संस्थाओंको नष्ट कर सकेंगे।

मेरा सादर निवेदन है कि श्रीमान् एक अंग्रेजकी हैसियतसे इस आन्दोलनका अध्ययन करें और यह देखें कि इसमें साम्राज्य और संसारकी कितनी भलाईकी सम्भावनाएँ निहित हैं। संसारमें जो भी अच्छी बातें हैं उनमें से किसीसे भी हमारा विरोध नहीं है। हम जिस ढंगसे इस्लामकी रक्षा कर रहे हैं उससे सब धर्मोकी रक्षा होती है। हम भारतके सम्मानकी रक्षा करके मानव-जातिके सम्मानकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साधन किसीके लिए भी हानिकर नहीं है। हम अंग्रेजोंसे मित्रता रखना चाहते हैं, किन्तु वह मित्रता सिद्धान्त और व्यवहार दोनोंमें ऐसी होनी चाहिए जैसी दो बराबरके पक्षोंमें होती है और जबतक यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तबतक हमें असहयोग अर्थात् आत्मशुद्धिकी क्रिया जारी रखनी चाहिए। मैं श्रीमान्‌से और उनकी मारफत हर अंग्रेजसे प्रार्थना करता हूँ कि वे असहयोगके दृष्टिकोणको समझें।

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-२-१९२१

१५४. टिप्पणियाँ

स्वागत सभा

[illegible]

[illegible]

[illegible] मालूम हुआ है कि बिहारके कुछ कार्यकर्ताओंने गाँवोंमें जाकर [illegible] के लिए उनके दुकानदारोंको धमकाना शुरू कर दिया है और यह भी पता चला है कि उनके खिलाफ़ बेईमानीका इल्जाम लगाया गया है। ऐसी जोर-जबरदस्ती तो, जिस उद्देश्यके लिए हम काम कर रहे हैं, उसीको नुकसान पहुँचानेवाली होगी। अगर दुकानदार बेईमानी करते हों तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, इसपर भी अगर वे न मानें तो सस्ता अनाज देनेके लिए हमें सार्वजनिक दुकानें खोलनी चाहिए। असलियत तो यह है कि [illegible] ऊँची कीमतें नहीं ले सकते। जो भी हो, छोटे-व्यापारियोंको सुधारना भी जरूरी है। अपने धन्धेमें ईमानदारी बरतने और देशका व्यापार बढ़ानेके लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए।

बिहारमें जागृति

लेकिन जब बड़े पैमानेपर जागृति होती है तो कभी-कभी ऐसी ज्यादतियाँ भी हो ही जाती हैं। यह खुशीकी बात है कि वहाँके नेताओंने तुरन्त स्थितिको सँभाल लिया और जिन लोगोंका इन घटनाओंसे सीधा सम्बन्ध था उन्हें छोड़कर दूसरोंको इसके बारेमें शायद कोई पता ही नहीं चला। बिहारमें खामोशीके साथ, लेकिन अच्छी तरहसे संगठनका काम हो रहा है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद वहाँ एक राष्ट्रीय कालेजके[1] प्रधानाचार्य बन गये हैं। उस कालेजमें कुछ बहुत काबिल प्राध्यापक भी हैं। उनकी यह संस्था अच्छी तरक्की कर रही है। जो प्राध्यापक वहाँ हैं, वे राजी-खुशीसे आये हैं और सिर्फ गुजर-बसर-भरकी तनख्वाह लेते हैं।

धरना देना

कलकत्ताके कुछ विद्यार्थियोंने धरना देनेका पुराना जंगली तरीका अख्तियार किया है। खुशीकी बात है कि यह तरीका शुरू होते ही बन्द कर दिया गया। उन्होंने अपने साथियोंका, जो विश्वविद्यालयमें फीस जमा करनेके लिए या शिक्षा विभागके किसी

१ यह कालेज पटनामें खुला था।

अधिकारीसे मिलनेके लिए जाना चाहते थे, रास्ता रोक दिया था। मैं इसे "जगली तरीका" इसलिए कहता हूँ कि यह दबाव डालनेका बडा ही भद्दा तरीका है। मैं इसे कायरतापूर्ण भी कहता हूँ क्योकि धरना देकर बैठनेवाला इस बातको अच्छी तरह जानता है कि कोई भी उसे कुचलकर आगे नही जायेगा। इस तरीकेको हिंसात्मक कहना तो जरा मुश्किल है, लेकिन यह है उससे भी बुरा। अगर हम अपने विरोधीसे लडते और हाथापाई करते हैं तो कमसे-कम उसे हाथ चलानेका मौका तो देते हैं। लेकिन यह जानते हुए भी कि वह हमारे ऊपर पैर रखकर आगे नही जायेगा, हम उसे वैसा करनेकी चुनौती देते हैं तो वह उसको नीचा दिखानेवाली बडी ही मुश्किल हालतमे पड जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन विद्यार्थियोने बहुत जोशमे आकर धरना दिया उन्होने कभी यह सोचा भी नही होगा कि उनका यह काम बर्बरतापूर्ण है। लेकिन जिस व्यक्तिसे आत्माकी आवाजपर चलने और मुसीबतोसे अकेले भी जूझनेकी उम्मीद की जाती है वह बिना विचारे कुछ कर ही कैसे सकता है। असहयोग अगर नाकामयाब रहा तो वह असहयोग करनेवालोकी कमजोरीकी ही वजहसे नाकामयाब होगा, वर्ना असहयोगमे हार नामकी कोई चीज है ही नही। वह कभी नाकामयाब नही होता। नामधारी असहयोगी असहयोगके पक्षको इतनी बुरी तरह पेश कर सकते है कि देखनेवालोको यही लगे कि असहयोग नाकामयाब हो गया। इसलिए असहयोगियोको, वे जो-कुछ भी करे, उसके बारेमे सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जरा भी जल्दबाजी, बर्बरता और जगलीपन, गुस्ताखी और बेजा दबाव, और जोर-जुल्म नही होना चाहिए। अगर हमे सच्चा जनवाद कायम करना है, तो हम असहिष्णु हो ही कैसे सकते है? असहिष्णुता तो अपने उद्देश्यमे आस्थाकी कमीको ही दरसाती है।

हिन्दुस्तानी सीखनेकी जरूरत

मैंने हरएक विद्यार्थीको यह सलाह दी है कि वह हमारी परीक्षाके इस एक सालमे सूत काते और हिन्दुस्तानी सीखे। मै कलकत्ताके विद्यार्थियोका आभारी हूँ कि मेरे सुझावके प्रति उन्होने बडी अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई। बगाल और मद्रास, ये दो ऐसे प्रान्त है जो बाकी सारे देशसे इसलिए कटसे गये है कि वहाँवाले हिन्दुस्तानी नही जानते। बगाल तो इसलिए नही जानता कि वहाँवाले हिन्दुस्तानकी कोई भी दूसरी भाषा सीखनेके सख्त खिलाफ है, और मद्रास इसलिए कि मद्रासियोको हिन्दुस्तानी मुश्किल पडती है। औसत बगाली अगर रोज तीन घटे लगाये तो बडे मजेसे दो महीनेमे हिन्दुस्तानी सीख सकता है और मद्रासी इसी गतिसे छ महीनेमे, जब कि इतने ही समयमे औसत बगाली या औसत मद्रासी इतनी अग्रेजी नही सीख सकता। अग्रेजीके जरिये हम देशके सिर्फ मुट्ठी-भर अग्रेजी जाननेवाले भारतीयोसे मिल-जुल सकते है, जबकि हिन्दुस्तानीका काम-चलाऊ ज्ञान प्राप्त करके अधिकाश लोगोसे मिल-जुल सकते है। मै उम्मीद करता हूँ कि काग्रेसके अगले अधिवेशनमे[1] बगाली और मद्रासी भाई हिन्दीका कामचलाऊ ज्ञान हासिल करके आयेगे। जिस भाषाको देशके

१ यह अधिवेशन दिसम्बर १९२१ में अहमदाबादमें होनेवाला था।

[illegible]

अंग्रेजीका स्थान

हिन्दुस्तानी [illegible] मैंने [illegible] है कि [illegible] प्राप्त करने, [illegible] अंग्रेजी पढ़ना बन्द कर दें। मगर हम [illegible] ऊंचा चाहते हैं तो हमें इस बातकी [illegible] भरोसा रखना ही चाहिए और इस [illegible] पहुँचनेकी [illegible] हासिल कर सकते हैं, करनी चाहिए, और ऐसा तो कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमें इस [illegible] न दे सके और उल्टे मार्गमें रोड़े अटकाये। इस समय अंग्रेजी सीखनेसे हम अपने [illegible] करीब नहीं पहुँच सकते, उल्टे उससे दूर ही हटेंगे और दूर हटनेका खतरा ही अधिक है, क्योंकि इस बातपर विश्वास करनेवाले बहुतसे लोग हैं कि अंग्रेजी शब्दोंकी मधुर झंकार कानमें गूंजे बिना और उसकी मीठी लय ओठोंसे निकले बिना हममें स्वराज्यकी भावना आ ही नहीं सकती। यह [illegible] है। अगर इसे सच मान लिया जाये तब तो स्वराज्य हमारे लिए आसमानका तारा ही रहेगा। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंकी, कूटनीतिकी भाषा है, उसके साहित्यका भण्डार बड़ा ही समृद्ध है, उसके द्वारा हमें पश्चिमी विचारों और सभ्यताकी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हममें से थोड़े-से लोगोंके लिए अंग्रेजीका ज्ञान जरूरी है। ये लोग राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंको चला सकते हैं और देशको पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान और साहित्य एवं विचारोंकी श्रेष्ठतम उपलब्धियोंका ज्ञान करा सकते हैं। यही अंग्रेजीका उचित उपयोग होगा। मगर आज तो उसने हमारे मन-मन्दिरमें सबसे ऊँचा स्थान बना रखा है, और मातृभाषाओंको उनके उचित स्थानसे च्युत कर दिया है। अंग्रेजोंके साथ हमारा बराबरीका रिश्ता न होनेकी वजहसे अंग्रेजीको दी गई यह इज्जत बनावटी है। अंग्रेजीकी जानकारीके बिना भी भारतवासीकी बुद्धिका ऊँचेसे-ऊँचा विकास सम्भव होना चाहिए। अपने लड़के-लड़कियोंको यह सोचनेके लिए बढ़ावा देना कि अंग्रेजीके ज्ञानके बिना समाजके सबसे ऊँचे तबकेमें उनकी पहुँच हो ही नहीं सकती, देशके पुरुषत्व और खास तौरपर नारीत्वके साथ हिंसाका व्यवहार करना है। यह विचार घोर लज्जाजनक और बर्दाश्तके बाहर है। अंग्रेजीके व्यामोहसे छुटकारा पाना स्वराज्यकी एक जरूरी शर्त है।

मेरे 'पक्के साथी'

कमाण्डर वैजवुडने 'नेशन' में जो लेख लिखा है, उसमें उन्होंने स्वयं अपने प्रति न्याय नहीं किया है। मेरा खयाल है कि उन्होंने तथ्यों और व्यक्तियोंकी सही जानकारी

हासिल किये बिना ही यह लेख लिखा है। मेरे बारेमें उन्होंने जो गलत और अयथार्थ बातें लिखी हैं, उनके सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु मौलाना शौकत अलीके बारेमें वैजवुड साहबका अनुमान सचमुच विस्मयकारी है। वे मौलाना शौकत अलीकी आन्तरिक खूबियोंको बिलकुल ही नहीं समझते। मुझे जिन ईमानदार-से-ईमानदार लोगोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त है, उनमें एक मौलाना साहब भी हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि वे अंग्रेजों या किसीसे भी नफरत करते हैं। यह तो जरूर है कि वे अपने मजहबको अपनी जिन्दगीसे भी ज्यादा चाहते हैं। अहिंसामें वे विश्वास करते हैं, हालांकि हिंसापर भी उनका उतना ही विश्वास है। खिलाफतके मामलेमें अगर वे अहिंसाके जरिये सम्मानपूर्ण समझौता न करा सके, और अगर उन्हें ऐसा लगा कि हिंसाके जरिये तलवारसे वे अपने लोगोंका ज्यादा अच्छा और उपयोगी नेतृत्व कर सकते हैं, तो उन्हें वैसा करनेमें कोई हिचकिचाहट न होगी। और उनकी रायमें कभी हिंसाका सहारा लेना जरूरी हो ही गया तो वह भी इस तरह किया जायेगा कि उसपर दुनियावाले किसी तरह उँगली नहीं उठा सकेंगे। अहिंसामें उनका विश्वास बिलकुल सतही ढाँचा नहीं है, इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी प्रेरणा पैगम्बर साहबकी जिन्दगीसे ग्रहण की है। जबतक अपना उद्देश्य अहिंसात्मक उपायोंसे हासिल होता दिखाई देगा वे हिंसाका सहारा न लेनेके धार्मिक आदेशसे बँधे हुए हैं। लेकिन वैजवुड साहबके लेखको पढ़नेसे यही मालूम पड़ता है कि मौलाना शौकत अली मानो खूनके प्यासे ही हों। कर्नल वैजवुड इतना तो जरूर ही जानते होंगे कि हिंसामें विश्वास करते हुए भी एक सैनिक दया, करुणा और उदारता आदि मानवीय गुणोंसे शून्य नहीं होता। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मौलाना साहब उतने ही अच्छे और दिलेर सैनिक हैं जितने कि खुद कर्नल साहब। मैंने यह जवाब देना इसलिए जरूरी समझा कि अंग्रेज लोग कहीं अली-बन्धुओं और भारतीय मुसलमानोंके दृष्टिकोणको गलत न समझ बैठें। अली-बन्धुओंने अपने-आपको, अपने मजहबवालोंको एक ऐसे समयमें, जब उनके जोशमें बहक जानेकी हर सम्भावना थी, संयमित रखकर मानवताकी बड़ी भारी सेवा की है। उनके इस अद्भुत आत्मसंयमसे इस बातका बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि धर्ममें उनका विश्वास कितना गहरा और पक्का है। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि कर्नल वैजवुड-जैसे अंग्रेज भी बगैर सोचे-समझे ऐसी धारणा बना लिया करते हैं — ऐसी राय जाहिर कर बैठते हैं। अंग्रेज लोगोंका घटनाओं और तथ्योंको उनके असली रूपमें देखने-समझनेसे इस तरह इनकार करना शान्तिपूर्ण समझौतेकी राहमें सबसे बड़ी बाधा पहुँचाता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २–२–१९२१

१५५. कताई, एक कर्त्तव्य

“स्वराज्यका गुर”¹ [illegible]

अब मालूम पड़ता है कि [illegible] कताई किस तरह [illegible] मैं बता ही चुका हूँ कि हर राष्ट्रीय स्कूलमें कताई और बाजाब्ता [illegible] जारी कर देना चाहिए। एक बार हमारे स्कूल-कालेजोंमें [illegible] तो फिर [illegible] घरोंमें भी [illegible]।

लेकिन इसके लिए संगठनकी जरूरत है। हर दिन बारह घंटे चरखा चलाया जाना चाहिए। नियमित कातनेवाला घंटे-भरमें आधा तोला सूत कात लेता है। आज-कल बारीक तोला या एक पौंड सूतकी औसत कीमत चार आने है, यानी कि फी घंटा एक पैसा हुआ। इसलिए एक चरखेसे रोजाना तीन आनेका सूत तो निकलना ही चाहिए। अच्छे मजबूत चरखोंकी कीमत सात रुपये है। अगर रोज बारह घंटे उसपर काम किया जाये तो उसकी पूरी कीमत ३८ दिनमें काममें ही निकल सकती है। हिसाब लगानेके लिए मैंने काफी आँकड़े दे दिये हैं। इन आँकड़ोंके आधारपर कोई भी हिसाब लगाकर देख सकता है। उसके नतीजे उसे चमत्कारिक ही लगेंगे।

अगर हर स्कूल अपने यहाँ चरखा लागू कर दे तो उससे शिक्षाके खर्चके बारेमें हमारे विचारोंमें क्रांतिकारी तबदीलियाँ हो जायेंगी। हम हर दिन छः घंटे स्कूल लगाकर विद्यार्थियोंको मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए, एक लड़का रोज चार घंटे चरखा चलाता है तो वह प्रति-दिन दस तोला सूत तैयार करेगा और इस तरह अपने स्कूलके लिए रोजाना एक आना कमा लेगा। यह भी मान लिया जाये कि पहले महीने उसका उत्पादन बहुत कम होगा और पूरे महीनेमें सिर्फ छब्बीस दिन ही स्कूल लगेगा, तो भी पहले महीनेके बादसे वह एक रुपया दस आने तो कमा ही सकता है। इस हिसाबसे तीस लड़कोंवाली कक्षामें पहले महीनेके बाद ४८ रुपए, १२ आने माहवार-की आमदनी होने लगेगी।

किताबी पढ़ाईके बारेमें मैंने कुछ नहीं कहा है। छः घंटोंमें से दो घंटे इसके लिए दिये जा सकते हैं। इस तरह हर स्कूलको आसानीसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और राष्ट्र अपने स्कूलोंके लिए अनुभवी शिक्षकोंको नियुक्त कर सकता है।

१ देखिए “स्वराज्यका गुर”, १९-१-१९२१।

इस योजनाको लागू करनेमे मुश्किल चरखोकी है। यदि यह कला लोकप्रिय हो जाती है तो हमे हजारो चरखोकी जरूरत होगी। सौभाग्यसे गाँवका हर बढई इस यन्त्रको आसानीसे बना सकता है। आश्रमसे[1] या किसी भी दूसरी जगहसे चरखे मँगाना बडी भारी भूल है। कताईकी खूबी यह है कि वह जरा भी मुश्किल नही है, इसे आसानीसे सीखा जा सकता है और बहुत सस्तेमे इसे गाँव-गाँव सिखाया जा सकता है।

यह पाठ्यक्रम सिर्फ इस शुद्धीकरण और तैयारीके एक सालके ही लिए है। जब हम साधारण हालतमे पहुँच जायेगे और स्वराज्य कायम हो जायेगा तो कताईके लिए सिर्फ एक घण्टा, और बाकी समय किताबी पढाईके लिए रखा जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-२-१९२१

१५६. प्रान्तोका पुनर्गठन : कांग्रेसका नया संविधान

आशा है कि नये संविधानके[2] अनुसार विभिन्न प्रान्तोने अपनेको पुनर्गठित करनेका काम शुरू कर दिया है। अगर हम एक सालके अन्दर स्वराज्य हासिल करना चाहते है तो हमे एक मिनटका समय भी नही खोना चाहिए। नीचे वे नियम[3] दिये जा रहे है जिनके अनुसार गुजरात प्रान्त नये आधारपर अपना पुनर्गठन कर रहा है। उनको सबके मार्ग-दर्शनके लिए छापा जा रहा है। इन नियमोसे पता चलता है कि प्रतिनिधि भेजने और प्रान्तीय कांग्रेस समितियोके सदस्योका चुनाव करनेके लिए ताल्लुकोको मानना ज्यादा सुविधाजनक है। प्रान्तीय समितिकी सदस्य-संख्या सौ रखी गई है, जिनमे से ९० तो सीधे चुने जायेगे और फिर ये चुने हुए सदस्य दस या कुछ ज्यादा सदस्योका चुनाव करेगे, जो अल्पसंख्यको और अन्य हितोका प्रतिनिधित्व करेगे। उद्देश्य यह है कि यदि साधारण सभाके निर्वाचक किसी कारणसे अल्पसंख्यको और दूसरे हितोके प्रतिनिधित्वका खयाल चूक गये हो तो भी इस तरह प्रान्तीय सभामे उनका प्रतिनिधित्व निश्चित हो जाता है। कोई गाव ऐसा नही रहना चाहिए जहाँ कांग्रेसका संगठन न हो, और गाँवके हर बालिग मर्द या औरतका नाम वहाँके सदस्यता-रजिस्टरमे दर्ज होना ही चाहिए।[4] इसके लिए ईमानदार और मेहनती कार्यकर्त्ता चाहिए। जब लाखो-करोडो लोग स्वेच्छासे कांग्रेसमे शरीक हो जायेंगे तो सरकारका जबरदस्ती लादा गया संगठन भी बिखर जायेगा। मैं सरकारी संगठनको इसलिए जबरदस्ती लादा हुआ मानता हूँ कि उसका आधार प्रेम और आशा नही, भय है। गाँवका पटेल या मुखिया गाँववालोकी

१. साबरमती आश्रम।

२ देखिए "नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया कांग्रेसका संविधान", दिसम्बर १९२०।

३ यहाँ नही दिये जा रहे हैं।

४ यहाँ मूल अंग्रेजी वाक्यमें तीन ऐसे शब्द आये हैं जिनकी जरूरत नही है और जिनसे अर्थ-विपर्यय भी हो जाता है।

इसीके अनुसार काम नहीं करता, वह एक ऐसी सत्ताकी मर्जी ऊपर लादता है, जिसका जनताकी भावनाओं और आकांक्षाओंसे कोई भी सरोकार नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-२-१९२१

१५७. पत्र : एक मित्रको[1]

१४८, रसा रोड, कलकत्ता
७ फरवरी, १९२१

प्रिय मित्र,

मैंने सुना है कि आपके सहयोगियोंने असहयोग आन्दोलनमें पर्याप्त रूपसे अपना योग नहीं दिया और इस कारण आपने भूख हड़ताल कर दी है। यद्यपि आपके कार्यसे आपके हृदयकी शुद्धता और त्यागकी भावना प्रकट होती है, फिर भी मेरी रायमें आपका यह कार्य जल्दबाजीसे भरा हुआ और तदनुसार अविचारपूर्ण भी है। अपनी नाराजगी या निराशा व्यक्त करनेके लिए उपवासको उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसका आधार प्रायश्चित्त अथवा शुद्धीकरण होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे उपवास बन्द कर देनेका आग्रह करता हूँ। देशके जिन भागोंमें लोग आपको जानते हैं आप वहाँ उनका संगठन करनेमें लग जायें। आपके उपवासके पीछे लोगोंको अपने विचारके अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे दबाव डालनेका जो भाव छिपा हुआ है वह उचित नहीं है। हमें हरएक व्यक्तिको कार्यकी और भाषणकी वैसी स्वतन्त्रता देनी चाहिए जैसी हम अपने लिए चाहते हैं।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

1. उक्त मित्रका नाम ज्ञात नहीं हो सका।

१५८. भाषण : कलकत्तामें राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्घाटनपर[1]

४ फरवरी, १९२१

मित्रो,

आपने अभी यहाँ छात्रों द्वारा गाई हुई सुन्दर प्रार्थना सुनी। मुझे आशा है कि आप सब उस प्रार्थनाकी भव्य भाषापर मनन करेंगे।[2] यदि इस संस्थामें हमारे सब कार्य प्रार्थनापर आधारित रहें तो हम सब निःसन्देह सफल होंगे और हम तथा हमारा देश अधिकाधिक यशका भागी होगा। पिछले कुछ महीनोंमें मुझे भारतके कई भागोंमें कई संस्थाओंका उद्घाटन करनेका शुभ अवसर मिला है। लेकिन मैं आपके सम्मुख यह बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि किसी भी संस्थाका उद्घाटन करते हुए मैंने मनपर चिन्ता और आशंकाके ऐसे बोझका अनुभव नहीं किया जैसा इस समय कर रहा हूँ। मैंने एक जगह कहा था कि सभी लोगोंकी तथा छात्रजगत्की दृष्टि कलकत्तापर लगी हुई है। आपने अखबारोंमें छपे तमाम तार देखे हैं, और मैंने भी ऐसे अनेक तार देखे हैं जो अखबारोंमें नहीं छपे हैं। इन सभी तारोंमें देशके आह्वानका ऐसा शानदार उत्तर देनेपर छात्रोंको बधाई दी गई है। आपने यह भी देखा होगा कि आपके इस उत्तरके परिणामस्वरूप समस्त भारतके छात्र सरकारी संस्थाओंको छोड़ रहे हैं। इसलिए आपकी इस संस्थाके उपाध्यायों और अध्यापकोंकी, श्री दासकी और मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अपने सम्बन्धमें मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इस संस्थाको सफल बनानेके लिए जो कुछ करेंगे उसमें मेरी शुभ कामना आपके साथ होगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि जबतक छात्र अपना कार्य नम्रतापूर्वक, मनमें ईश्वरका भय रखकर, धैर्यके साथ पूरे मनसे और देशके प्रति — जिसके नामपर तथा जिसके निमित्त उन्होंने सरकारी संस्थाएँ त्याग दी हैं — प्रेम और श्रद्धा रखते हुए नहीं करेंगे तबतक मेरी कोई भी शुभ कामना या शुद्ध हृदयोंसे निकल सकनेवाली कोई भी प्रार्थना कदापि उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। जो छात्र ऊँची डिग्री या अपनी कल्पनाके अनुसार कोई

१ यह कालेज विलिंग्टन स्क्वेयरके एक विशाल भवनमें चित्तरंजन दास, जितेन्द्रलाल बनर्जी तथा अन्य व्यक्तियोंसे बने हुए शिक्षा-मण्डल द्वारा स्थापित किया गया था ।

२ गीताका एक श्लोक जो उद्घाटन समारोहके आरम्भमें गाया गया था ।

३ ५-२-१९२१ की **अमृतबाजार पत्रिकामें** इस खबरके आरम्भमें ये शब्द और दिये गये थे “श्री गांधीने कालेजका उद्घाटन करते हुए कहा, मुझे अपने मित्र और भाई चित्तरंजनदासके उपस्थित न होनेका बहुत दुःख है । उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वे सभामें नहीं आ सकते, यद्यपि वे उद्घाटनके अवसरपर आना चाहते थे । श्री जितेन्द्रलाल बनर्जीने आपको बताया है कि वे इस संस्थासे क्या अपेक्षा रखते हैं । छात्रोंने जो सुन्दर प्रार्थना अभी गाई है वह आपने सुनी और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उस प्रार्थनाके सुन्दर स्वरूपपर विचार करेंगे ।”

[illegible] आशंकाओंको झूठा सिद्ध कर देंगे।

आप अपने कर्त्तव्यका पालन इस तरह करेंगे कि जिन बातोंके बारेमें आप [illegible] हैं वे आपके [illegible] अपने सन्देहोंको निराधार सिद्ध कर देंगे। मैं [illegible] आप सभी छात्रोंसे, यह बात छिपाना नहीं चाहता कि भारतके दूसरे भागोंके भारतीयोंने आपके विषयमें कुछ-कुछ कहा है। बहुतसे छात्रोंने, और शिक्षकों और लोगोंने भी, जिन्होंने मुझसे आपके आन्दोलनके सम्बन्धमें बातचीत की है, एक प्रकारकी घबराहट और भयका भाव प्रकट किया है। आपके बारेमें यह कहा जाता है कि आप लोग बहुत अधिक भावुक हैं, आपमें मानसिक आवेग भी बहुत है, और उद्योग और अध्यवसायके लिए आपकी ख्याति उतनी नहीं है।

आप एक नया मोड़ ग्रहण कर रहे हैं। आप अपने जीवनमें एक नये अध्यायका श्रीगणेश कर रहे हैं। आप अपने कन्धेपर एक भारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आप अपनी गणना भारतके भावी राष्ट्रनिर्माताओंमें कर रहे हैं। और यदि आप इस जिम्मेदारीको अनुभव करें तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतके दूसरे भागोंमें आपके बारेमें जो कुछ कहा जा रहा है, आप उस मतको निर्मूल सिद्ध कर देंगे। जो लोग बंगालको अच्छी तरह जानते हैं वे यह भी प्रमाणित कर सकते हैं कि बंगालियोंने अनेक अवसरोंपर अपने कर्त्तव्यका पालन करके दिखाया है, और कमसे-कम मैं तो इसे बिलकुल नहीं मानता कि जिन छात्रोंने सरकारी संस्थाएँ छोड़ी हैं और जो इस संस्थामें प्रविष्ट होंगे वे अपना कर्त्तव्य पालन करनेमें कच्चे उतरेंगे। मैं यह भी आशा करूँगा कि उपाध्यायों और अध्यापकोंपर जो विश्वास किया गया है वे उसे सत्य सिद्ध करेंगे। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उपाध्यायों और अध्यापकोंके सम्मुख वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने गुजरात राष्ट्रीय महाविद्यालयके[1] उद्घाटनकी रस्म पूरी करते हुए कही थी। बात यह है कि किसी भी संस्थाकी सफलता और असफलता बहुत कुछ उपाध्यायों और अध्यापकोंके सच्चे हृदयसे किये गये प्रयत्नोंपर निर्भर है। हमारे देशके इतिहासमें यह अवसर बहुत ही संकटका अवसर है और इस अवसरपर जो व्यक्ति देशमें नवयुवकोंके मानसका निर्माण करना चाहते हैं उनपर एक गम्भीर उत्तरदायित्व आ पड़ा है। यदि उपाध्याय

१. १५ नवम्बर, १९२० को अहमदाबादमें, देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ४८४-८९।

और अध्यापक असावधान पाये जाते है, यदि उनके मनमे सन्देह घर किये हुए है, यदि उनके मनमे भविष्यके सम्बन्धमे भयका भाव समाया हुआ है तो उनकी देख-रेखमे पढनेवाले छात्रका ईश्वर ही मालिक है। सर्वशक्तिमान प्रभुसे मेरी प्रार्थना है कि वह हमारे उपाध्यायो और अध्यापकोको बुद्धिमत्ता, साहस, निष्ठा और आशा प्रदान करे।

मैने अपने किसी एक भाषणमे छात्रोसे कहा है कि उन्हे अपने मनके पाठ्यक्रमको हाथमे लेनेका अधिकार अवश्य है किन्तु उनका दूसरे छात्रोके मार्गमे बाधा डालना उचित नही है। कदाचित् आपने आजके अखवारमे बारीसालके सम्बन्धमे प्रकाशित विवरण पढा होगा। वहाँ जो-कुछ हुआ है उसका यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है या नही सो मै नही जानता। उस घटनाकी वात चाहे बढाकर कही गई हो चाहे घटा कर, मै इसकी परवाह नही करता, फिर भी इससे आपको और मुझे एक शिक्षा यह मिलती है कि हिंसाका आश्रय किसी भी अवस्थामे नही लिया जाना चाहिए, हमे किसी भी कारण किसीपर वेजा दवाव नही डालना चाहिए और जैसा कि मैने पिछली एक सभामे कहा था, मुझे आशा है कि छात्रगण धरना नही देगे। वे स्कूल और कालेज न छोडनेवाले छात्रोपर जरा भी दवाव नही डालेगे। इतना काफी है कि जो इन सस्थाओमे रहना पाप समझते है वे इनसे निकल जाये। यदि हमे अपने ऊपर पर्याप्त विश्वास है तो चाहे एक भी छात्र इस आह्वानका उत्तर न दे, हम फिर भी दृढ वने रहेगे। आपके अधीर हो जानेसे यह प्रकट होता है कि अपने पुनीत कार्यपर आपको विश्वास नही है। हम अधीर होकर, हमने जो कुछ किया है, दूसरोको भी वैसा ही करनेके लिए वाध्य करने लगते है। मै समझता हूँ कि इस सस्थाके किसी भी छात्रको अपने कार्यके सही होनेके वारेमे कोई सन्देह नही है।

मै जव एक महीनेके वाद आपसे फिर मिलूँगा, मुझे उम्मीद है कि मै जरूर यहाँ आऊँगा, तब मै आपसे यह आशा रखता हूँ कि आप मुझे अग्रेजीमे भाषण देनेके लिए नही कहेगे, वल्कि तवतक आप मेरा भाषण समझने लायक हिन्दुस्तानी सीख लेगे। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप हिन्दुस्तानी पढना आरम्भ करेगे तव आपमे से कुछको वह वहुत सरल और सुगम मालूम होगी। आपमे से कुछको उसके शब्द बिलकुल स्वाभाविक लगेगे, क्योकि बँगला, हिन्दी और भारतकी अधिकाश भाषाओकी शब्दावली एक है। केवल द्रविड देशकी भाषाएँ अपवाद है। आप यह भी देखेगे कि इससे आपको मानसिक खूराक मिलेगी और इससे पढे-लिखे वगालियोकी बौद्धिक आवश्यकताएँ पूरी होगी। यदि आप साहित्य पढना चाहेगे तो मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दी और उर्दू दोनोमे से जिस लिपिको आप सीखेगे और पहले-पहल जिन किताबोको आप पढेगे उन्हीमे आपको ज्ञानका छुपा हुआ भडार मिलेगा। आप हिन्दी भाषाकी साहित्यिक दरिद्रताकी वात कहते है — आप वर्तमान हिन्दीकी गरीबीकी बात कहते है, किन्तु यदि आप तुलसीदासकी 'रामायण' को गहराईसे पढे तो शायद आप मेरी इस रायसे सहमत होगे कि ससारकी आधुनिक भाषाओके साहित्यमे उसके मुकाविलेमे कोई दूसरी किताव नही ठहरती। उस एक ही ग्रन्थने मुझे जितनी श्रद्धा और आशा दी है उतनी किसी

दूसरी किताबसे मुझे नहीं मिली। मेरा खयाल है यह हर तरहकी आलोचना और छानबीनके बाद साहित्यिक सौन्दर्य, अलंकार और धार्मिक प्रेरणा — सभी दृष्टियोंसे खरी उतरेगी।

मुझे यह भी आशा है कि जब मैं वापस आऊँगा तबतक आप सूत कातनेमें पर्याप्त उन्नति कर सकेंगे और उस सूतसे अपने उपयोगके लिए मोटी खादी जल्दीसे बुनवाने भी लगेंगे। सूत कातनेमें तो आश्चर्यजनक उन्नतिका आप पर्याप्त प्रमाण दे ही सकेंगे और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप श्रद्धापूर्वक और भारतकी भलाईको ध्यानमें रखकर सूत कातेंगे तो आपको सूत कातनेमें वही रस और वैसा ही मानसिक सुख मिलेगा जैसा मुझे मिलता है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि आपके उपाध्याय और अध्यापक बंगलामें भाषण देंगे और आपने सरकारी संस्थाओंमें जो ज्ञान प्राप्त किया है उन सबको आप अपने लिए बंगलामें अनुवादित कर लेंगे और आपने अंग्रेजीके कवियों और अंग्रेजीके साहित्यसे जो उच्च विचार प्राप्त किये हैं उन्हें व्यक्त करनेके लिए आप अपनी मातृभाषापर योग्य अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप अपना कार्य अत्यन्त निष्ठापूर्वक करेंगे। यदि हम अपने आन्दोलनको एक धार्मिक आन्दोलन नहीं मानते तो मैं आपके सम्मुख स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि यह आन्दोलन सफल नहीं होगा, यही नहीं, बल्कि उससे हमारी और आपकी अपकीर्ति भी होगी। यह अपने आपको कामसे लगानेका एक नया तरीका है और यदि हम यह सोचते हैं कि हम अपने पुराने तरीकोंमें कोई छोटे-मोटे परिवर्तन करके भारतकी समस्याओंको हल कर सकते हैं तो हमारे हाथ निराशा ही लगेगी। यदि आप इस कार्यको उसी धार्मिक उत्साहसे करेंगे जिसके लिए बंगाल प्रख्यात है तो मैं मानता हूँ कि स्वराज्य बहुत निकट आ जायेगा। ईश्वर आपकी सहायता करे, ईश्वर उपाध्यायोंकी सहायता करे और आपको वह बल दे जिसकी हमारे मित्र श्री चित्तरंजन दासको जरूरत है। मुझे इस संस्थाका उद्घाटन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-२-१९२१

१५९. तार: जयरामदास दौलतरामको

झरिया
५ फरवरी, १९२१

दो महीनेतक सिन्ध आना असम्भव दीखता है।[1] कालेज जबतक राष्ट्रीय रहे हमें हस्तक्षेप करनेकी जरूरत नही। गिरधारीको[2] काम पसन्द हो तो वहाँ ठहर सकता है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ १७६

१६०. पत्र: देवदास गांधीको

शनिवार [५ फरवरी, १९२१][3]

चि० देवदास,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे सोनेतक को समय मिलता नहीं, फिर तुम्हे पत्र कैसे लिख पाता?

मुझे लगता है कि फिलहाल तुम्हारा वही रहना ठीक होगा। बाको भी अच्छा लगेगा। तुम आश्रमकी कुछ समस्याएँ तो हल कर ही सकोगे। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम वहाँ कुछ अनुभव प्राप्त करो और बुनाई और कताईमें कुशल हो जाओ। मेरे पास इन दिनो जमनादास, डाक्टर और प्रभुदास है। सुरेन्द्र आज आ जायेगा। उसका रगूनसे चला आना मेरी समझमें नही आया। प्रभुदासकी उससे कल पटनामें मुलाकात हुई थी। अभी दो व्यक्ति और आनेवाले है, परसराम और एक बगाली सज्जन। इन्हे प्रोफेसर[4] मेरे हवाले करना चाहते है। उनकी समझमें वह व्यक्ति 'यग इडिया' के कामके लायक है। इतने सारे लोगोमें तुम्हारा पता भी नही चलेगा और मैं परेशानीमे पड जाऊँगा। मैं इस सख्यामें कुछ कमी करनेकी बात सोच रहा हूँ। मेरा खयाल है, तुम वहाँ अनायास ही पहुँच गये हो और इसमें भलाई ही है। तुम्हारी जगहको

१ गाधीजी १९२१ में अप्रैलके अन्तिम सप्ताहमें सिन्ध गये थे।

२ आचार्य जे० बी० कृपलानीका भतीजा।

३ अन्तिम अनुच्छेदमें कहा गया है कि गाधीजीने यह पत्र बिहार जाते समय रेलमे लिखा था। १९२१ में बगालका दौरा समाप्त कर चुकनेपर गाधीजी ५ फरवरीको धनबाद, बिहार पहुँचे थे। उस दिन शनिवार था। बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके उद्घाटनके लिए वे ६ फरवरीको पटना पहुँचे थे।

४ आचार्य जीवतराम बी० कृपलानी (१८८८-), शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ, १९४६ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके अध्यक्ष।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

बापूके आशीर्वाद

[illegible]

१६१. चरखेका आन्दोलन

चरखेका आन्दोलन ठीक तरह चला जान पड़ता है। देखता हूँ चरखेकी माँग अनेक जगहोंसे आ रही है। लेकिन यदि सभी लोग किसी एक ही स्थानके बने हुए चरखे माँगेंगे तो हमारी प्रगतिमें रुकावट आ जायेगी।

इस कामका फल जितना अच्छा है यह उतना ही आसान भी है। इसकी सफलता उसके आसान होनेमें ही निहित है। चरखा एक ऐसी सामान्य वस्तु है कि वह प्रत्येक गाँवमें बन सकता है। उसका हरेक हिस्सा, जिस गाँवमें लुहार अथवा बढ़ई है, उसमें बन सकता है। हिन्दुस्तानमें तीस करोड़की आबादी है, इसलिए यदि हम एक घरमें दस लोग गिनें तो तीन करोड़ घर हुए। जब हिन्दुस्तानमें तीन करोड़ चरखे चलने लगेंगे स्वराज्यवादियोंको तभी शान्ति मिलेगी। किन्तु यदि इतने चरखे एक ही स्थान-पर तैयार करने पड़ें तो काम रुक जायेगा।

हिन्दुस्तानमें ७,५०,००० गाँव हैं। इसलिए इस प्रवृत्तिमें इतने गाँवोंको हिस्सेदार बनाना चाहिए। ये गाँव २५० जिलोंमें बँटे हुए हैं। इसलिए यदि प्रत्येक जिलेमें एक व्यक्ति इस कार्यको करनेके लिए निकल पड़े तो यह प्रवृत्ति व्यापक रूप ग्रहण कर सकती है, और प्रत्येक जिलेकी चरखे सम्बन्धी आवश्यकता उक्त जिलेका कार्यकर्ता पूरी करे अथवा उसके सम्बन्धमें मार्गदर्शन करे, काम तभी आगे बढ़ सकता है।

चरखेसे सम्बन्धित जितनी भी माँगें की जाती हैं वे सिर्फ आश्रमसे ही की जाती हैं। इससे पता चलता है कि हम अभी अपने कारीगरोंतक नहीं पहुँचे हैं। हमें प्रत्येक गाँवकी अठारहों जातियोंमें से प्रत्येककी रुचि स्वराज्यके काममें पैदा करनी है।

१. मदुराके बैरिस्टर श्री जॉर्ज जोजेफकी धर्मपत्नी।

अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही स्वराज्य-आन्दोलनको चला सकते हैं, हम जैसे अपने उस भ्रमके भरे विचारसे मुक्ति पाते जा रहे हैं वैसे ही हमें इस बातको भी भूल जाना होगा कि यह आन्दोलन सिर्फ राजनीतिज्ञ ही उचित रूपमें चला सकते हैं।

स्वराज्यकी शिक्षा, हमारी प्राथमिक शिक्षा है। यह शिक्षा बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सब वर्णों और सब धर्मोंके लोगोंको दी जानी है। उसके लिए अक्षर-ज्ञानकी जरूरत नहीं है। हमें इस राक्षसी राज्यका नाश करना है। इस राज्यसे हमारा कल्याण नहीं होगा। उसका नाश करनेका साधन अहिंसात्मक असहयोग है। असहयोगका अर्थ है हम सबमें सहयोग। हममें सहयोगका मतलब हुआ, हममें स्वतन्त्र होनेकी इच्छा और शक्ति। उस इच्छाको सफल बनानेकी शक्तिको प्राप्त करनेका सबसे बड़ा साधन चरखा है। इतना ज्ञान सब लोगोंको थोड़ेसे समयमें ही दिया जा सकता है।

अतएव हमें अपने बढ़ई, लुहार, मोची और किसान आदि वर्गोंको इस कार्यमें लगाना चाहिए। स्वामीनारायण मन्दिरका[1] निर्माण कारीगरोंने मजदूरी लिए बिना ही किया है। धनवानोंने उसके लिए धन दिया है। फिर स्वराज्यके भक्त स्वराज्यके मन्दिर-का निर्माण पारिश्रमिक लिये बिना क्यों न करें? मजदूर अपनी मजदूरी दे और धनी अपना धन। ऐसी भावना उत्पन्न करनेके लिए थोड़ेसे ही लोगोंकी जरूरत है, लेकिन ये लोग होने चाहिए सच्चे सेवक।

फिलहाल तो चरखेकी सारी प्रवृत्ति अपगवर्गमें ही चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शिक्षित वर्गके लोग सच्चा स्वराज्य प्राप्त करनेमें अपंग हो गये हैं। हमें पता चल गया है कि स्वराज्य बातोंसे, भाषणोंसे, आवेदनोंसे और विलायत जानेवाले शिष्टमण्डलोंसे नहीं मिलेगा। स्वराज्य तो स्वधर्म है, और अब हम ऐसा मानने लगे हैं कि स्वराज्य वीरता और यज्ञसे ही मिलेगा। हमें इस मान्यताको व्यापक बनाना है और यह जिस दिन व्यापक हो जायेगी उसी दिन स्वराज्य मिल जायेगा। अगर हम इस कामको करें तो यह एक वर्षमें हो सकता है। इसीसे मैं बार-बार कहता हूँ कि एक वर्षमें स्वराज्य मिलना सम्भव है।

लेकिन इस लेखका विषय तो चरखा है। स्वराज्य प्राप्त करनेका अर्थ है प्रत्येक घरमें चरखा दाखिल करना और सूत कतवाना।

मुझसे चरखे मँगवानेके बजाय सब लोगोंको चरखे अपने-अपने गाँवोंमें ही बनवा लेने चाहिए।

हम डरते हैं, हम अनभिज्ञ हैं, इसीसे चरखेकी तलाश करनेमें इतना समय चला जाता है। हिन्दुस्तानके कोने-कोनेमें, सब प्रान्तोंमें कहीं-न-कहीं चरखा मिलेगा। हरएक मनुष्यको अपने गाँवोंमें और मुहल्लेमें उसकी तलाश कर लेनी चाहिए। चरखा मिल जाये तो बढ़ई खोज लेना चाहिए। कदाचित् उसे इस सम्बन्धमें ज्ञान होगा। यदि चरखा न मिले तो कहीं और से एक नमूना मँगवाकर वैसे ही अन्य चरखे बनवा लेने चाहिए।

१ वडतालमें।

[illegible] हो इस दिशामें पहला कदम है। [illegible] पूनियोंमें [illegible], [illegible] ढूँढना पड़ेगा, उनसे [illegible] पड़ेगा। [illegible]।

[illegible] ने [illegible] तो भी भिन्न भागोंमें या उन्हीं भागोंमें [illegible] — [illegible] है, क्योंकि अभी हममें [illegible] और [illegible] नहीं आई है।

जितनी [illegible] होती है उतनी ही [illegible] भी होती है। यदि अच्छा सूत मिल जाये तो सारे हिन्दुस्तानको [illegible] खादी तैयार हो जायेगी।

सूत अच्छा होना चाहिए। [illegible] उसे सूत नहीं कहा जा सकता। सूत वह है जो बुना जा सके। उसे बटदार और एकसा होना चाहिए और उसमें कहीं गाँठें या [illegible] नहीं होनी चाहिए।

गुजरातमें इस हदतक चरखेका प्रचार हो गया है कि यदि उसके प्रति लोगोंके हृदयोंमें नैतिक और [illegible] भाव आ जाये तो गुजरातमें ही एक वर्षमें करोड़ रुपयेकी खादी बुनी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि गुजरातके गरीब घरोंमें एक करोड़ रुपया आ जायेगा और फिर भी उससे [illegible] नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब गरीबोंके पेटमें अन्न डालनेके लिए पैसा दिया जाता है तब उसका फल शुभ ही होता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६–२–१९२१

१६२. सनातनी हिन्दू कौन है?

मुझसे पूछा गया है कि मैं अपने आपको कट्टर सनातनी हिन्दू क्यों कहता हूँ, अपने-आपको वैष्णव कैसे मानता हूँ। मुझे इन प्रश्नोंका उत्तर देना आवश्यक लगता है। इसका उत्तर देनेसे सनातनी हिन्दूकी व्याख्या और वैष्णवकी पहचान स्पष्ट हो जायेगी।

मेरी मान्यता है कि जो व्यक्ति हिन्दुस्तानमें, हिन्दू-कुलमें जन्म लेकर वेद, उपनिषद्, पुराण आदि ग्रन्थोंको धर्म-रूप मानता है, जो व्यक्ति, सत्य-अहिंसा आदि पाँच यमोंमें श्रद्धा रखता है और यथाशक्ति उनका पालन करता है, जो व्यक्ति यह मानता है कि आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा अजर और अमर होनेपर भी देह-क्रमसे संसारमें अनेक योनियोंमें आवागमन किया करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है और मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है तथा जो वर्णाश्रम और गोरक्षाको धर्म मानता है वह हिन्दू है। जो व्यक्ति यह सब माननेके अलावा वैष्णव सम्प्रदायको माननेवाले परिवारमें जन्मा हो और जिसने उसका त्याग न किया हो, जिस व्यक्तिमें नरसिंह मेहताने अपने 'वैष्णव जन' नामक भजनमें जिन गुणोंका वर्णन किया है उनका थोड़ा बहुत अंश भी हो और जो उन गुणोंको पूरी तरह पानेका प्रयत्न कर रहा हो वह वैष्णव है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि उपर्युक्त गुण मुझमें बहुत अधिक अंशमें विद्यमान हैं और मैं उन्हें

और भी दृढ़ बनानेकी दिशामें प्रयत्न किया करता हूँ। इससे मैं अपने आपको विनम्र भावसे लेकिन दृढ़तापूर्वक एक कट्टर सनातनी हिन्दू और वैष्णवके रूपमें पहचाने जानेमें कोई संकोच नही करता। मेरी धारणा है कि हिन्दू-धर्मका सबसे महत्वपूर्ण बाहरी स्वरूप गोरक्षा है। इस गोरक्षामें आज हिन्दू-मात्र असमर्थ हो गया है। इसीसे हिन्दू समाजको मैं आज नपुंसक मानता हूँ और उसमें अपनेको सबसे कम। जो तपश्चर्या मैंने गोरक्षाके लिए की है और कर रहा हूँ, मुझे गाय तथा गो-वंशसे जो सहानुभूति है मैं नही समझता उससे अधिक किसी औरको होती होगी। मैं किसी ऐसे व्यक्तिको नही जानता जिसने गोरक्षाकी खातिर सोच-समझकर मेरे जितनी तपश्चर्या की हो। पशुओंको स्वयं हिन्दू ही अनेक प्रकारसे दुःख देते हैं। जबतक हिन्दुस्तानमें हिन्दू गायके ऊपर दया-भाव नही रखते, मुसलमानोंकी प्रीति सम्पादन करके प्रेमकी खातिर उनसे गोवध बन्द करवा लेनेमें समर्थ नही होते, अंग्रेज हिन्दुस्तानमें जो गोवध कर रहे हैं उसको सहन करते हुए ब्रिटिश-साम्राज्यको सलामी देते हैं तबतक मैं समझता हूँ कि हिन्दू-धर्ममें ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्मका लोप हो गया है। इसी कारण मैं वैश्य परिवारमें जन्म लेनेके बावजूद इन दोनो धर्मोंका पालन करनेका सतत प्रयत्न कर रहा हूँ।

मेरे मतानुसार हिन्दू-धर्मका आन्तरिक स्वरूप सत्य और अहिंसा है। मैं बचपनसे ही सत्यका जिस सूक्ष्मताके साथ सेवन कर रहा हूँ उतना मैंने अपनी जान-पहचानके किसी व्यक्तिको करते हुए नहीं देखा। अहिंसाका जाग्रत लक्षण प्रेम — वैरका न होना है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं प्रेमसे पूर्णतः आप्लावित हूँ। मुझे स्वप्नमे भी किसीके प्रति द्वेष-भाव उत्पन्न नही हुआ है। डायरके दुष्कृत्योंके बावजूद उसके प्रति मेरे मनमें वैर-भाव नहीं है। जहाँ-जहाँ मुझे दुःख दिखाई दिया, अन्याय नजर आया वहाँ-वहाँ मेरी आत्मा कराह उठी है।

हिन्दू-धर्मका तत्त्व मोक्ष है। मोक्षके लिए मैं निरन्तर प्रयास कर रहा हूँ। मेरी सारी प्रवृत्तियाँ मोक्षकी खातिर हैं। अपने देहके अस्तित्व और उसके क्षणभंगुर होनेके सम्बन्धमें मुझे जितना विश्वास है उतना ही आत्माके अस्तित्व तथा उसके अमरत्वके सम्बन्धमें है।

इन्हीं कारणोंसे मैं अपने-आपको कट्टर सनातनी हिन्दू मानकर सुखका अनुभव करता हूँ।

शास्त्रोंका मैंने गहरा अध्ययन किया है या नही, अगर कोई यह प्रश्न मुझसे पूछे तो मैं उससे कहूँगा, किया है और नही भी किया है, एक विद्वानके रूपमे मैंने उनका अध्ययन नही किया। मेरा संस्कृत-सम्बन्धी ज्ञान नहींके बराबर है। भाषामें मिलनेवाले अनुवादोंको भी मैंने बहुत कम पढ़ा है। एक भी 'वेद' मैंने पूरी तरहसे पढ़ा है, ऐसा दावा मैं नही कर सकता। तथापि धर्मकी दृष्टिसे मैंने शास्त्रोंको अवश्य जाना है। उनमें निहित रहस्यको मैं जान गया हूँ। 'वेद' पढ़े बिना भी मनुष्य मोक्षकी प्राप्ति कर सकता है, इस बातसे मैं अनभिज्ञ नही हूँ।

शास्त्र पढ़नेकी, समझनेकी कुंजी मेरे हाथ लग गई है। जो शास्त्र-वचन सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्यका विरोधी हो वह चाहे कहींसे भी क्यो न मिला हो, अप्रामाणिक

है। शास्त्र कहे जानेवाले ग्रन्थ [illegible] हैं, जो शास्त्र नहीं माने जा सकते, उन्हें हम शास्त्रके रूपमें मानते हैं। मैं चार उपनिषदोंको पढ़ गया था। मेरे पास उपनिषद् भी पड़े हैं जिनमें कुछ अंश मुझे युक्तिसंगत नहीं जान पड़े हैं। इस कारण मैं उन्हें [illegible] शास्त्र नहीं मानता हूँ। शास्त्रोंका अध्ययन [illegible] [illegible] लोग पण्डित हैं ऐसा ऋषियोंने कहा है। शंकराचार्य आदिने [illegible] साधन [illegible] किया है और उन सबका तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर-भक्तिके द्वारा ज्ञान प्राप्त करें और उसके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति करें। अखा भगतने कहा है कि

जैसा भावे वैसे रहो
जैसे-तैसे हरिको लहो।'

जो शास्त्र मदिरापान, मांसभक्षण और पाखण्ड इत्यादि सिखाता है, उसे मैं शास्त्र नहीं कह सकता।

स्मृतियोंके नामपर घोर अधर्म हो रहा है। स्मृति आदि ग्रन्थोंका अक्षरशः पालन करनेके प्रयत्नमें हम अपने आपको नरकके काबिल बनाते हैं। स्मृतिके भ्रममें पड़कर अपनेको हिन्दू कहनेवाला व्यक्ति व्यभिचार करता है और छोटी-छोटी लड़कियोंपर बलात्कार करने और करवानेके लिए तैयार रहता है।

आज हमारे सामने यह विकट प्रश्न है कि इन सब शास्त्रोंमें से हम किसे क्षेपक मानें, किसे ग्राह्य और किसे त्याज्य समझें। जितना कुछ मैंने ऊपर बताया है अगर आज उस प्रमाणमें ब्राह्मण धर्मका लोप न हुआ होता तब तो हम किसी ऐसे ब्राह्मण-से पूछ कर जो यम-नियम आदिके पालनसे शुद्ध हो गया हो और जिसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, इसे जान लेते। ज्ञानके अभावमें भक्ति प्रधान हो जाती है। पाखण्ड, दम्भ, मद और माया आदि पाप जो वर्तमान सरकारमें अनेक रूपसे प्रकट हो रहे हैं उसके साथ असहयोग करके हम जब आत्मशुद्धि प्राप्त करेंगे तब कदाचित् हमें शास्त्रोंका सार देनेवाला कोई ज्ञानी पुरुष मिल जायेगा। तबतक हम प्राकृत लोग सरल भावसे मूल तत्त्वोंका पालन करते हुए और हरिभक्ति करते हुए इस संसारमें विचरण करें। उसके अलावा मुझे कोई और मार्ग नहीं सूझ पड़ता।

'गुरु बिन ज्ञान न होय' यह स्वर्ण वाक्य है। लेकिन गुरु मिलना ही कठिन है और सद्गुरुके अभावमें किसीको भी गुरु मान बैठनेका मतलब होगा संसार-सागरमें डूब जाना। गुरु वह है जो पार लगाये। जो स्वयं तैरना नहीं जानता वह औरोंको क्या पार लगायेगा? सच्चे गुरु आजकल हों भी तो एकाएक देखनेमें नहीं आते।

आइये, अब हम वर्णाश्रमपर विचार करें। मैंने तो हमेशासे यही माना है कि चार वर्णोंके बाद फिर कोई वर्ण नहीं है। मेरी मान्यता है कि वर्ण जन्मजात ही होता है। ब्राह्मण कुलमें जन्म लेनेवाला ब्राह्मण रहकर ही मरता है, कर्मसे भले ही वह अब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण देह नहीं मिटता। ब्राह्मण धर्मका पालन करनेवाला ब्राह्मण अपने कर्मानुसार क्षुद्रयोनि और पशुयोनिमें जन्म लेता है। मेरे जैसा ब्राह्मण और

१. सुतर आवे तेम तुं रहे,
जेम तेम करीने हरिने लहे।

क्षत्रियधर्मका पालन करनेवाला वैश्य अगर जन्म-चक्रमे पडे तो वह दूसरे जन्ममे भले ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रियके घरमे जन्म ले, इस जन्ममे तो उसे वैश्य ही रहना होगा, और यही सच भी है। हिन्दू-धर्ममे समय-समयपर अन्य धर्म आकर मिलते रहते है लेकिन वे उसी कालमे हिन्दू-धर्मके रूपमे स्वीकार्य नही हुए। हिन्दू-समाज एक दरिया हे, उसके गर्भमे समाकर सब कचरा साफ हो जाता है, शान्त हो जाता है। ऐसा होता ही रहा हे। इटली, ग्रीस आदि देशोके लोग आकर हिन्दू-धर्ममे समा गये हे, लेकिन उन्हे किसीने हिन्दू बनाया नही था, कालान्तरमे अपने-आप ऐसी कमोवेशी होती रही। भगिनी निवेदिता[1]-जैसे लोगोके हिन्दूधर्म स्वीकार कर लेनेपर भी हम उन्हे हिन्दूके रूपमे नही पहचानते और उनका बहिष्कार अथवा तिरस्कार भी नही करते। हिन्दू 'धर्म'मे आनेकी किसीको कोई आवश्यकता महसूस नही होती, हिन्दू धर्मका 'पालन' सब कोई कर सकते है।

वर्णाश्रम एक कानून है, उसका व्यावहारिक रूप जाति है। जातियोमे कमती-बढती होती रहती हे, उनकी उत्पत्ति और उनका लय होता ही रहता है। व्यक्ति स्वय हिन्दू-धर्मका परित्याग कर सकता है लेकिन व्यक्तिका बहिष्कार जाति ही करती हे। जाति-बहिष्कार एक प्रकारका दण्ड है और यह सब जातियोके लिए सुलभ होना ही चाहिए।

यह नि सन्देह जरूरी है कि बहुत सारी जातियाँ मिलकर एक हो जाये और इस प्रकार जातियोकी सख्या कम हो जाये? जाति परिषदे हिन्दू-धर्मको आघात पहुँचाये बिना भी यह काम कर सकती है। अनेक वणिक जातियाँ एक हो जाये, उनमे परस्पर शादी-व्याह होने लगे तो इससे धर्मको कोई नुकसान नही पहुँचता।

पानी, अन्न और शादी-व्याहके सम्बन्धमे हिन्दू जिन नियमोका पालन करते है सो कोई हिन्दू-धर्मके आवश्यक चिह्न समझकर नही। हिन्दू-धर्ममे सयमको प्रधानपद दिये जानेके कारण पानी, भोजन और विवाह आदि सूक्ष्म प्रतिबन्धोका पालन किया जाता है। इसे मै निन्द्य नही मानता तथापि जो इसका पालन नही करते उन्हे मै धर्म-भ्रष्ट हुआ भी नही समझता। प्रत्येक स्थानपर पानी, भोजन, विवाह आदिका व्यवहार न रखनेकी बातको मै शिष्टाचार मानता हूँ, उसमे आरोग्य और पवित्रताकी रक्षा निहित है, लेकिन तिरस्कारके रूपमे किसीके घरके भोजन अथवा पानीका त्याग करना हिन्दू-धर्मके विरुद्ध हे, ऐसी मेरी मान्यता हे। अनुभवपर आधारित मेरी यह दृढ मान्यता है कि परवर्ण अथवा परधर्मके व्यक्तिके साथ शादी-विवाह अथवा खाने-पीनेपर जो प्रतिबन्ध है वह हिन्दू-धर्मकी सस्कृतिके [पौधेके] लिए बाड है।

पूछा जा सकता है, ऐसा माननेपर भी मै मुसलमानोके यहाँ भोजन क्यो कर लेता हूँ? इसलिए कि मै उनके यहाँ भोजन करते हुए भी सयम-धर्मका पूरा पालन कर सकता हूँ। पकी हुई चीजमे डबलरोटी ही लेता हूँ क्योकि डबलरोटी पकानेकी क्रिया बिलकुल शुद्ध है और जिस तरह खीलको किसी भी जगह पकाकर खाया जा सकता हे उसी प्रकार रोटी (चपाती नही) चाहे जिस स्थानसे ली जा सकती हे।

१ मार्ग्रेट ई० नोबल, (१८६७-१९११), विवेकानन्दकी एक अमेरिकी शिष्या।

यद्यपि मेरे साथी इतने संयमका पालन नहीं करते और मुसलमान तथा अन्योंसे ऊपर बताये लोगोंके यहाँ शुद्ध रीतिसे पका हुआ खाद्य पदार्थ भी ले लेते हैं। ऐसा करनेसे वे जाति बहिष्कारके अधिकारी भले ही होते हैं, लेकिन उससे कोई उनके हिन्दू होनेके अधिकारको नहीं छीन सकता। मेरे आश्रमके लोग सन्यासियोंपर लागू होनेवाले कुछ नियमोंका पालन करते हैं। वहाँ हिन्दू-धर्मका आचरण करनेवाली नवीन जाति अथवा नवीन व्यवस्था — जो इस युगके अनुकूल हो — निर्माण हो रहा है। इस कार्यको मैं एक प्रयोग मानता हूँ जो फलीभूत होनेपर अनुकरणीय होगा और निष्फल होनेपर उससे किसीका कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि प्रयोगका मूल आधार संयम है। उद्देश्य यह है कि वेदान्तधर्मका आसानीसे पालन किया जा सके और आज जब कि धर्म सिर्फ खाने-पीनेकी बातों तक ही सीमित रह गया है उस रिवाजको उसका उचित और गौण स्थान दिया जा सके।

अब रही अस्पृश्यता। अस्पृश्यताके विचारकी उत्पत्ति कब हुई, उसके बारेमें निश्चित रूपसे कुछ नही कहा जा सकता, मै भी सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हू। और वह सच भी हो सकता है या झूठ भी, लेकिन अस्पृश्यता अधर्म है — यह तो एक अन्धा भी देख सकता है। जिस तरह रूढ दुर्बुद्धि हमें अपनी आत्माको नही पहचानने देती, उसी तरह हम उसके कारण अस्पृश्यतामें निहित अधर्मको भी नही देख पाते। किसीको भी पेटके बल चलाना, गाँवसे बाहर अलग रखना, वह मरता है या जीता इसकी परवाह न करना, उसे जूठा भोजन देना धर्म कदापि नही हो सकता। पजाबके जिस अन्यायके विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं उसमे कही अधिक अन्याय हम अन्त्यजोपर करते है। अन्त्यज पडोसमे रह नही सकते, अन्त्यज अपनी जमीन नही रख सकते, अन्त्यजोको देखते ही हम 'अलग रहो, छूना नही' चिल्ला उठते है, अन्त्यजको अपनी गाडीमे बैठनकी हम अनुमति नही देते — यह सब हिन्दू-धर्म नही, यह तो डायरशाही है। अस्पृश्यतामे सयम नही है, माँ मैला उठानेके बाद स्नान किये विना किसीको नही छूती, यह उदाहरण अस्पृश्यताका समर्थन करनेके लिए दिया गया है। लेकिन वहाँ तो माँ स्वय किसीसे छू जाना नही चाहती। अगर भगीके सम्वन्धमे भी हम इसी नियमका पालन करे तो किसीको कोई एतराज न हो। भगी आदिको अस्पृश्य मानकर हम गन्दगीको सहन करते है और रोगोको उत्पन्न करते हैं। यदि हम अस्पृश्यको स्पृश्य माने तो हम अपने समाजके उस अगको साफ रखना सीख जायेगे।

भगियोके घरोको तो मैंने अनेक वैष्णवोके घरोसे साफ पाया है। उनमे से कुछेक लोगोकी सत्यवादिता, सरलता और दया आदिको देखकर मै चकित रह गया हूँ। मेरी मान्यता है कि हिन्दू-धर्ममे अस्पृश्यता रूपी कलिने प्रवेश किया इसीसे हम पतित हो गये और उसके परिणामस्वरूप गोमाताकी रक्षा करनेमे भी समर्थ नही बचे। जब-तक हम इस डायरशाहीसे मुक्त नही होते तवतक अग्रेजी डायरशाहीसे मुक्त होनेका हमें कोई अधिकार नही।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६–२–१९२१

१६३. भाषण: पटनामें[1]

६ फरवरी, १९२१

महात्मा गांधीने बैठे-बैठे भाषण शुरू करते हुए कहा: मुझे इस बातकी बड़ी लज्जा है कि मैं और मौलाना मजहरुल हक इंग्लैंडमें साथ-साथ रहे और भारत लौटते हुए भी हम एक ही जहाजमें[2] थे, फिर भी मैं इसे भूल गया। जब मुझे इस बातकी याद दिलाई गई तब मुझे स्मरण आया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि दक्षिण आफ्रिकासे भारत वापस आ जानेके समयसे लेकर मौलाना मजहरुल हकके साथ मेरी मित्रता लगातार बढ़ती रही और दरअसल मैं पटनामें उनके घरको अपना ही घर मानता हूँ। उन्होंने आपको बताया है कि खिलाफतके मामलेमें सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी। यदि यह बात सच है तो इस तरह मैंने केवल अपना कर्त्तव्य ही निभाया है। चूँकि मैं एक पक्का हिन्दू हूँ और अपने धर्मके अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यह अनुभव किया कि मुझे मुसलमानोंके प्रति मैत्रीभाव रखना ही चाहिए। मुझे उनके धर्मका साथ देना चाहिए और अपने धर्मकी तरह ही उनके धर्मकी रक्षा करनी चाहिए। मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जबतक खिलाफतके अन्यायका सन्तोषजनक रूपसे निराकरण नहीं हो जाता तबतक मुझे सन्तोष नहीं होगा, भले ही इस प्रयत्नमें मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ें। मौलाना मजहरुल हकने आपको यह बताया है कि इस राष्ट्रीय महाविद्यालयका उद्घाटन करके हम स्वराज्यकी नींव डाल रहे हैं। मेरे मित्र श्री हकने इस महाविद्यालयकी स्थापना कर दी है। मैं तो सिर्फ औपचारिक रस्म पूरी कर रहा हूँ। मैंने आज प्रातः जब छात्रोंको श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए देखा तो मेरे मनमें यह प्रश्न उठा कि क्या हमारे किसी सरकारी कालेजमें इस तरहकी प्रार्थना की जाती है। मुझे खयाल आया कि अब हमारे भीतर एक उचित भाव पैदा हो रहा है। मुझे राष्ट्रीय महाविद्यालय और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दोनोंका उद्घाटन करना है। विद्यापीठ हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालयका काम देगी। यह प्रान्तकी राष्ट्रीय संस्थाओंमें शिक्षणको नियन्त्रित करेगी, पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी और सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षाका संचालन करनेका साधन होगी। हमने मौलाना हकको कुलपति, बाबू ब्रजकिशोर प्रसादको उपकुलपति और बाबू राजेन्द्र प्रसादको प्रधानाचार्य एवं कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) चुना है। प्रान्तीय महाविद्यालय शिक्षा-समितिके[3] सदस्य इसकी सीनेटके सदस्य होंगे और अभिषद् (सिंडीकेट) उन्हींमें से

१. यह भाषण बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महाविद्यालय, पटनाके उद्घाटन समारोहके अवसरपर दिया गया था।

२. सन् १८९१ में।

३. बिहारमें कांग्रेस द्वारा नियुक्त समिति।

बनाई जायेगी। मैं चाहता हूँ कि आप जिस उद्देश्यके लिए काम कर रहे हैं उसकी महानताका अनुभव करें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि सब उपाध्याय और इन संस्थाओंसे सम्बन्धित अन्य लोग बिहारके सच्चे और उत्साही कार्यकर्ता हैं। बाबू ब्रजकिशोर और बाबू राजेन्द्रप्रसाद मेरे लिए भाईके समान हैं और मेरा उनका साथ चम्पारनमें उस समय[1] बहुत दिनोंतक रहा और हमने साथ-साथ मिलकर काम किया, जब वहाँ हमारे साथ आने और काम करनेके लिए बहुत कम लोग तैयार होते थे। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्वमें हमारी संस्थाका काम बड़े जोशके साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे ऐसे आदमी हैं जो इस कामके लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण भी दे देंगे। मैं आप उपाध्यायोंसे यह कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्राचीन महान संस्कृतिके अनुरूप और अपने पुराने ऋषियोंके आदर्शोंके अनुसार जीवन बितायें, यदि आपने ऐसा किया तो विश्वास रखें कि इस संस्थाकी बुनियाद डालना सचमुच स्वराज्यकी बुनियाद डालना ही है। छात्रोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, कालिदासने एक जगह कहा है, "नवदीक्षित शिष्य जितना ज्ञान ग्रहण कर सकता है, गुरु उसको उतना ही दे सकता है।" हमारे भीतर जितनी प्रतिभा होगी शिक्षाके द्वारा उसीका रूप व्यक्त किया जा सकेगा। गुरुका काम है कि वह छात्रकी उसके अन्दर विद्यमान प्रतिभाको विकसित करे और उसे प्रकाशमें लाये। आशा है कि इस महाविद्यालयके छात्र अपने गुरुजनोंसे इस तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना जीवन इस तरह बितायेंगे कि यह संस्था देशके लिए आदर्श बन जाये।

पाण्डे जगन्नाथ प्रसादजीने हमारे सामने जो प्रार्थना पढ़कर सुनाई है उसमें मुझे हमारे कामकी कुंजी दिखाई पड़ी है —हम सत्यको प्राप्त करें, अन्धकारसे प्रकाशमें प्रवेश करें और मृत्यु-जैसी अवस्थासे जीवनमें प्रवेश करें। यह असहयोग है और हमारे द्वारा स्वराज्यकी प्राप्ति प्रकाशमें प्रवेशका लक्षण है। हम अपनी वर्तमान ढोंगी सरकारसे सहयोग करके उसके सम्पर्क-दोषसे स्वयं दूषित हो गए हैं और उसके अपराधमें साझेदार भी बन गये हैं। हमने अबतक इसलिए ऐसा किया है क्योंकि हम भी वैसे ही पापी हैं। किन्तु फिर भी हम ईश्वरमें विश्वास रखते हैं और उससे डरते हैं। अन्ततोगत्वा हमें यह प्रतीति हो गई कि यह सरकार गलत रास्तेपर है और इसकी शासन-प्रणाली दूषित है, इसलिए हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि जबतक इसकी कायापलट नहीं हो जाती तबतक हम इससे सहयोग नहीं कर सकते। मैं न तो साम्राज्यसे और न उसके संचालकोंसे घृणा करता हूँ। मैं तो उसकी प्रणालीको नष्ट करनेपर तुला हुआ हूँ। मेरे मनमें किसीके लिए भी घृणा नहीं है और इन लोगोंके लिए भी प्रेम-भावके सिवा मेरे मनमें कोई दूसरा भाव है ही नहीं। किन्तु यदि मेरे पिता या भाई भी ऐसा ही आचरण करते, जैसा सरकारने किया है, तो भी मैं यही अनुभव करता कि उनसे सम्बन्ध तोड़ देना मेरा कर्त्तव्य है। यदि कोई पुत्र अपने पापी पिताके साथ रहता है

१. १९१७ में।

तो वह उस कारण अपने पिताके अपराधमें भागीदार बन जाता है और कोई भी धर्म ऐसी साझेदारीकी, चाहे वह पिता और उसके पुत्रके बीच ही क्यों न हो, अनुमति नहीं देता। ईश्वरका यह स्पष्ट और अनिवार्य आदेश है कि यदि किसीके निकटतम और प्रियजन पापरत हों तो वह उनसे सहयोग करना बन्द कर दे।

इसलिए विश्वविद्यालयका पहला कार्य असहयोगके आदर्शकी शिक्षा देना और उसके मूलभूत सिद्धान्त, पूर्ण अहिंसा, पर जोर देना होगा। इसके बाद गांधीजीने कलकत्तामें छात्रों द्वारा दिये गये धरनेका और अपने उन मित्रोंपर जो उनके साथ सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, डाले गये अन्य दबावोंका उल्लेख किया। उन्होंने कहा मुझे श्री शास्त्री[1] और परांजपेके[2] साथ बम्बईमें किये गये व्यवहारकी बात सुन कर बहुत दुःख हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग सचमुच ही सच्चे देशभक्त हैं। यदि ये व्यक्ति भारतके शत्रु हैं तो मैं उसका मित्र कैसे हुआ? उन लोगोंका आन्तरिक विश्वास है कि सरकारसे सहयोग करके देशका हित सधेगा और गांधी देशको गलत रास्तेपर ले जा रहा है। ऐसे मतभेद तो अवश्य ही होते रहेंगे, लेकिन उनका आशय यह कभी नहीं हो सकता कि ये लोग देशभक्त नहीं —देशके शत्रु हैं। उनके प्रति शर्म-शर्मके नारे लगाना और उनकी आदरपूर्वक बात न सुनना छात्रोंका कर्त्तव्य नहीं है। यदि छात्र उनकी सलाहको सम्मानपूर्वक और ध्यानसे सुनते तो ऐसा करना भारतकी प्राचीन संस्कृतिके अनुरूप होता। सभाओंमें विघ्न उपस्थित करना, शोर मचाकर वक्ताओंको बैठा देना, उनपर पत्थर तक फेंकना अंग्रेज लोगोंका रिवाज है। श्री लॉयर्ड जॉर्ज और श्री चर्चिलको[3] शोर मचाकर और पत्थर फेंककर बैठा दिया गया था। लेकिन यह स्वभाव भारतकी संस्कृति और सभ्यताके विपरीत है और यदि आप असहयोगको वस्तुतः सच्चे हृदयसे चलाना और सफल बनाना चाहते हैं तो आपको यह छोड़ना पड़ेगा। "शर्म-शर्म"के नारोंसे लोग कभी मित्र नहीं बन सकते और न हमारे विरोधी हमारे समर्थक हो सकते हैं। यदि हम उनसे प्रेम करें और आदरपूर्वक बरतें तो हम कभी-न-कभी उनको मित्र बना सकते हैं।

मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय अपनी शक्तिका उपयोग केवल हमारे साहित्यिक ज्ञानकी वृद्धिमें ही नहीं करेगा, उसका मुख्य कर्त्तव्य तो युवकोंके मस्तिष्कोंमें हमारी सभ्यताके सिद्धान्तोंको बद्धमूल करना और उनमें स्वतन्त्रताकी सच्ची और उत्कट आकांक्षा

१ श्रीनिवास शास्त्री।

२ रैंगलर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे (१८७६-१९६६), शिक्षा शास्त्री, उदारदलीय राजनीतिज्ञ, पूनाके फर्ग्युसन कालेजके प्रिंसिपल, बम्बई सरकारमें शिक्षा-मन्त्री (१९२१-२३), इंडिया कौंसिलके सदस्य, १९४४ में आस्ट्रेलियामें भारतके हाई कमिश्नर।

३ सर विन्स्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल (१८७४–१९६५), अंग्रेज राजनीतिक और ग्रन्थकार, उपनिवेश उपमन्त्री, १९०५-८, युद्ध सामग्री-मन्त्री, १९१७, युद्ध-मन्त्री, १९१८-२१, प्रधान मन्त्री, १९४०-४५, ५१ ५५, १९५३ में साहित्यपर नोबेल पुरस्कार दिया गया।

पैदा करना होगा। हमें पहला काम यह करना होगा कि हमने अबतक जो-कुछ सीखा है उसमें से बहुत-कुछको हम भुला दें और अपनी महान प्राचीन संस्कृतिके अनुसार जीवन व्यतीत करनेका प्रयत्न करें। यदि मेरा कोई वकील मित्र वकालत छोड़नेसे इनकार करता है तो हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उससे यह जवाब-तलब करें कि उसने श्री हकका अनुकरण क्यों नहीं किया। झरियामें एक वकील हैं। मैंने उनसे सहज भावसे वकालत छोड़नेके लिए कहा, श्री मुहम्मद अलीने भी उनसे यही प्रार्थना की; और परिणामस्वरूप कदाचित् अबतक वे अपनी वकालत छोड़ चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने अपनी वकालत न भी छोड़ी हो तो भी वे देशके शत्रु कदापि नहीं हैं। वे हृदयसे ऐसे ही सच्चे हैं जैसे हम। यदि सच्चा मतभेद होनेसे या पर्याप्त साहस न होनेसे हमारे मित्र आज हमारा साथ नहीं दे पाते हैं तो वे हमारी घृणाके पात्र नहीं समझे जा सकते।

चरखेके सम्बन्धमें उन्होंने कहा: हमें चरखेका महत्व कम नहीं आंकना चाहिए। चरखा चलाना पंजाब और खिलाफतके अन्यायोंका निराकरण करना है। ये दोनों बातें एक-दूसरेसे बंधी हुई हैं। सच्चे हृदयसे चरखा चलानेपर ही हम देशके सच्चे सिपाही बन सकेंगे। चरखा तो अशिक्षित लोग भी चला सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोगोंमें जो पढ़े-लिखे हैं वे चरखा चलायें और यह अनुभव करें कि वे जितना ज्यादा सूत कातेंगे, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। अभीतक तो हम सब जबानसे ही काम लेते रहे हैं; मैं चाहता हूँ कि अब हम अपने हाथोंसे भी काम लें, किन्तु तलवार उठानेके लिए नहीं बल्कि चरखा चलानेके लिए। यदि आप इतना कर सकें कि एक भी भारतीय विदेशोंमें बने हुए कपड़े और विदेशी सूतसे तैयार किये हुए कपड़े न पहने तो आप धीरे-धीरे अपने भीतरकी शक्तिको महसूस कर सकते हैं और यह समझने लग सकते हैं कि हमें अब स्वराज्य मिलनेवाला है। आगे चलकर उन्होंने कहा: मुझे छोटी-छोटी लड़कियोंने कुछ जेवर दिये हैं। बंगालमें बहुत-सी महिलाओंने यह वचन दिया है कि वे सूत कातेंगी। न्यायमूर्ति श्री पी० आर० दासकी[1] लड़कियोंने चरखा चलाना और खद्दर पहनना आरम्भ कर दिया है। बंगालमें मेरे पास लड़कियाँ और विवाहित युवतियाँ आईं थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि चूँकि स्वराज्यके बिना उनकी स्थिति विधवाओं-जैसी है इसलिए वे जेवर नहीं पहनेंगी। मैं चाहता हूँ कि इस समयकी स्थितिको सभी इन लड़कियों और युवतियोंकी तरह मानें। गांधीजीने इसके बाद घोषणा की कि वे हालमें जब झरिया गये थे तो वहाँ उनको राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके लिए ६०,००० रुपये मिले थे। रकमका अधिकांश गुजरातियों, बंगालियों और मारवाड़ियोंने दिया। इसी निमित्त दो हजारकी रकम कटरसके एक बंगाली जमींदारने दी। प्रायः ये सभी दानी सज्जन बिहारके बाहरके हैं और फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी रकमें इसलिए दी हैं क्योंकि वे यह अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यद्यपि

१. चित्तरंजन दासके भाई, पटना उच्च न्यायालयके न्यायाधीश।

बिहारमें स्थापित किया गया है फिर भी वह राष्ट्रके लिए कार्य करेगा। जब छोटी-छोटी लडकियोंने मेरे पास आकर मुझे अपने जेवर दिये तब मुझे तो रोना ही आ गया — यद्यपि मैंने अपने आँसू पी लिये, क्योंकि हमें इस समय किसी प्रकारकी भी कमजोरी नहीं दिखानी है। मै आशा करता हूँ कि आप भी अपना हृदय ऐसा ही पवित्र बनायेंगे जैसा कि इन लडकियोका है। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उन्नति करे और जिन लोगोने इसके लिए प्रयत्न किया है वह उन लोगोके उत्साहपूर्ण परिश्रमके स्थायी स्मारकके रूपमें कायम रहे। उन्होने धनकी अपील करनेके बाद अपना भाषण समाप्त किया।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ९-२-१९२१

१६४. भाषण: पटनामे अहिंसापर[1]

६ फरवरी, १९२१

इसके बाद कानोको बहरा करनेवाली तालियोकी गड़गडाहटके बीच महात्मा गाधी बोलनेके लिए उठे। उन्होने कहा कि मै आपका बहुत समय लेना नहीं चाहता। मौलाना मुहम्मद अलीके भाषणके बाद मेरे लिए कहने योग्य कुछ नही बचा है। उन्होने जो-कुछ कहा है वह ठीक है और अच्छा है। मेरा मार्ग अहिंसाका मार्ग है। मैं उस व्यक्तिको भी मारना नहीं चाहता जो मुझे अपना शत्रु मानता है। मेरे भाई मौलाना मुहम्मद अली इससे विरुद्ध सिद्धान्तोमें विश्वास रखते हैं। लेकिन इस मतभेदके बावजूद हम दोनो सगे भाइयोकी तरह रह रहे हैं। हम तीनो (मौलाना शौकत अली सहित) जहाँ भी जाते हैं, जिस ओर भी मुडते हैं, अहिंसाका ही प्रचार करते हैं। यदि हम अहिंसाका पालन न करेंगे तो हम निश्चय ही असफल होगे। हममें तलवारसे लडनेकी शक्ति नहीं रही है। मुझे विश्वास है कि हम केवल अहिंसासे ही स्वराज्य, अर्थात् रामराज्य या धर्मराज्य, प्राप्त कर सकेंगे। गाधीजीने गाली-गलौज करने, डराने-धमकाने और हाट लूटने-जैसी हरकतोकी तीव्र निन्दा की और कहा: यदि हमें स्वराज्य मिलनेमें देर हो रही है तो इसका कारण यही है कि हमने अहिंसाका पाठ भली-भाँति नहीं सीखा।

श्री मुहम्मद अलीने श्री हसन इमाम और अपने एक पुराने यूरोपीय प्राध्यापकसे जो अनुरोध किया है वह उचित है। वे उन्हे समझा-बुझाकर और प्रेमसे अपने पक्षमें सम्मिलित करना चाहते हैं और उनका विश्वास है कि वे जल्दी ही उनके साथ हो जायेंगे। उन्होने गाँवोमें उत्पन्न जागृतिकी चर्चा करते हुए कहा कि गाँवोके लोगोमें जो

१ मदरसा-मसजिदके मैदानमें दोपहरको हुई सार्वजनिक सभामें।

चेतना पैदा हो गई है, उनमें जो शक्ति आ गई है उसे कायम रखा जाना चाहिए। मद्यपानकी उनकी कुटेव छुड़ानेके लिए किसी तरहकी हिंसाका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम उनसे इन बुराइयोंको केवल उनके साथ असहयोग करके, अर्थात् उनसे कोई सहायता न लेकर या उन्हें कोई सहायता न देकर छुड़वा सकते हैं। यदि मुसलमान किसीको जबर्दस्ती मुसलमान बनाते हैं तो मैं उनसे भी ऐसे ही लड़ूँगा जैसे सरकारसे लड़ता हूँ। यदि मेरा पुत्र शराब पीने लगे तो मैं उसे मारने-पीटनेके बजाय अपने घरसे निकल जानेके लिए कहूँगा और फिर उसे किसी भी प्रकारकी सहायता नहीं दूंगा और इस प्रकार उससे शराब पीनेकी लत छुड़वाऊँगा। मुझे उसके विरुद्ध हिंसाका आश्रय लेनेका वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यदि आप सब इस बातको भली-भाँति समझ ले और उसपर आचरण करें तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमें अगले सितम्बरतक स्वराज्य मिल जायेगा। मैंने सदा ही बिहारकी भूमिको पवित्र माना है। मैं चम्पारनमें बहुत दिनोंतक किसानोंके बीच रहा हूँ।[1] यदि वहाँ किसी भी जगह कोई हिंसा हो तो उससे मुझे बहुत दुःख होगा।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ९-२-१९२१

१६५. टिप्पणियाँ

खद्दरका दुरुपयोग

एक मित्र इस तथ्यकी ओर ध्यान खीचते हैं कि खादी पहननेवाले बहुत-से लोग खद्दरको मगरूरी, बदतमीजी — और सबसे बुरी बात तो यह है कि धोखेबाजीका परवाना समझते है। इन मित्रका कहना है कि ऐसे लोग असहयोग और सत्यकी भावनासे कोसो दूर है। उनका खद्दर पहनना महज एक ढोंग है — अपनी धोखाधड़ीपर पर्दा डाले रहनेकी सिर्फ एक चाल! यह सब हो सकता है, खास तौरपर इस सक्रमण कालमे, जब कि खद्दर पहनना फैशन बनता जा रहा हो। इन पत्र लिखनेवाले भाईसे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि खद्दरके ऐसे दुरुपयोगको भूलसे भी खद्दरके इस्तेमालके विरोधका कारण नही बनाया जाना चाहिए। आजकी हालतमे जो ऐसा मानते हैं कि हिन्दुस्तानी मिले देशकी जरूरतके लायक कपड़ा नही बनाती और इसलिए घरोंपर कपड़ा बुनकर इस जरूरतको जल्दीसे-जल्दी पूरा करना चाहिए तथा घरमे कताईको सर्वप्रिय बनाकर ही यह किया जा सकता है, उन सबके लिए खद्दर पहनना लाजिमी है। देशकी सबसे बड़ी आर्थिक जरूरतको व्यवहारमे मजूरी देनेसे अधिक खद्दरके इस्तेमालका और कोई मतलब नही है। एक बुरा आदमी भी इस जरूरतको मान सकता है और उस हालतमे वह भी खद्दर पहननेका पूरा-पूरा हकदार है। और अगर कोई सरकारी जासूस लोगोको धोखा देनेके लिए खद्दर पहनता है तो मैं उसका भी स्वागत करूँगा, क्योंकि उससे देशको कुछ-न-कुछ आर्थिक लाभ तो होता ही है।

१. सन् १९१७ में चम्पारन-सत्याग्रहके समय।

हाँ, यह जरूर है कि मैं खद्दर पहननेवालेको अनुचित श्रेय नहीं दूँगा। और इसलिए मैं यह माननेको कभी तैयार नहीं होऊँगा कि खाली खद्दर पहन लेनेसे ही वह नेक-चलन या अच्छे गुणोंवाला हो गया है। इसका यह मतलब हुआ कि सरकारसे सहयोग करनेवाले और सरकारी नौकर भी असहयोगी समझे जानेका खतरा उठाये बिना खद्दर पहन सकते हैं। भोले लोगोंको ठगनेके लिए कई धूर्त मन्दिरमें जाते हैं, पर सच्चे भक्त फिर भी मन्दिर जाना नहीं छोड़ते। ठीक इसी तरह हमें भी खद्दरसे मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं एक ऐसे सभद सदस्यको जानता हूँ जो मद्य-निषेधके बहुत कट्टर समर्थक बनते थे, और इसकी ओटमें उन्होंने अपने बहुत-से ऐबोंको छिपा रखा था। कुछ ही दिन हुए एक बहुत ही धृष्ट और मक्कार सटोरिया मद्य-निषेधका समर्थक बनकर भले आदमियोंकी सोहबतमें प्रवेश पा गया था। किसी कविने ठीक ही कहा है "पाखण्ड व्याजान्तरमें सदाचारकी प्रशस्ति ही है।"

क्षमा-याचना

श्री अडवानीके नामसे छपे पूर्व आफ्रिकाके खरीतेसे[1] सम्बन्धित लेखके लिए मैं पाठकोंसे माफी माँगता हूँ। उस लेखमें जो दृष्टिकोण जाहिर किया गया है, वह उसमें दिये गये तथ्योंसे मेल नहीं खाता। भाषा भी गैरजरूरी तौरपर तीखी हो गई है। मैं मौजूदा शासन-प्रणालीकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ, मगर जान-बूझकर गैरवाजिब निन्दाका गुनाह कभी नहीं करूँगा। यह खरीता पूर्व आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोंके साथ न्याय करनेकी एक सच्ची कोशिश है। यह सच है कि यह खरीता भारतमें हुई जागृतिके ही कारण भेजा गया है। लेकिन तब भी इसका श्रेय तो सरकारको देना ही होगा कि यदि उसके अस्तित्वपर कोई खतरा न हो तो वह लोकमतका खयाल करती है। यह भी सच है कि अभीतक उसका रवैया सरपरस्तीका ही है। लेकिन जबतक अंग्रेज अपने आपको हमारे बराबरीके साझीदार समझनेके बदले अपनेको हमारा ट्रस्टी मानते रहेंगे, तबतक उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन सरकार और पाठकोंसे माफी माँगते समय मुझे अपने सहकारीके साथ भी न्याय करना ही होगा। श्री अडवानी ईमानदार और निष्ठावान सहकारी हैं। वे स्थिर मन और ठंडे दिलसे लिखनेकी कोशिश करते हैं। मगर साथ ही वे नौजवान, महत्वाकांक्षी और नातजुर्बेकार हैं। हम सब लोगोंकी तरह ही अपने खयालोंको विदेशी जबानमें लिखनेकी दिक्कत उनके आगे भी है। ऐसी सूरतमें, जैसी गलतियाँ उनसे हुईं उनसे बचना मुश्किल ही है। फिर भी मैं इसलिए माफी माँग रहा हूँ कि कहीं पाठक यह न समझ बैठें कि मेरे सहकारी या दूसरे लेखक जो-कुछ भी लिखते हैं, उस सबमें मेरी रजा-मन्दी है। 'यंग इंडिया' निष्पक्ष और न्याय-पक्षपर रहे, यही मैं चाहता हूँ और हर-दम मेरी यही कोशिश रहती है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-२-१९२१

१. यह खरीता भारत सरकारने साम्राज्य सरकारको भेजा था, जिसमें पूर्व आफ्रिकाकी जातीय निर्योग्यता तथा जाति-पृथक्करणकी नीतिका कड़ा विरोध किया गया था।

१६६. सबसे बड़ी बात

आशा करनी चाहिए कि असहयोग आन्दोलनकारी इस बातको स्पष्ट समझ लेंगे कि राष्ट्रकी प्रगतिमे हिंसा जितनी बाधक है उतनी अन्य कोई चीज नही। आयरलैंडका हिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त कर सकना सम्भव हो सकता है। टर्कीके लिए हिंसाके द्वारा एक खास समयमें अपने खोये हुए प्रदेश वापिस ले सकना मुमकिन हो सकता है। किन्तु भारत सौ सालतक इस उपायसे स्वतन्त्रता प्राप्त नही कर सकता, क्योंकि यहांके लोगोकी रचना ही अन्य राष्ट्रोंके लोगोसे भिन्न तरीकेसे हुई है। उनका लालन-पालन कष्टसहनकी परम्पराओंके बीच हुआ है। सही हुआ हो या गलत, अच्छा हुआ हो या बुरा, लेकिन सचाई यही है कि भारतमे इस्लामका विकास भी शान्तिपूर्ण ढगसे हुआ है। मै कहूंगा कि अगर इस्लामके अनुयायी भारतमें उसके सम्मानकी रक्षा करना चाहते है तो शान्त और सौम्य ढगसे, जागरूकता और साहसके साथ चुपचाप कष्ट-सहन करके ही वे वैसा कर सकते है। मै इस विलक्षण धर्मका जितना अधिक अध्ययन करता हूं, मेरा यह विश्वास उतना ही अधिक पुष्ट होता जाता है कि इस्लामके ऐश्वर्यका आधार तलवार नही, बल्कि इसके प्रारम्भिक खलीफाओंकी कष्ट-सहनकी प्रवृत्ति और उदारता है। इस्लामका पतन तब हुआ जब उसके अनुयायी भ्रम-वश बुरेको अच्छा मानकर मनुष्य-जातिके सम्मुख तलवार खीचकर खडे हो गये और इस्लाम-धर्मके सस्थापक तथा उनके शिष्योकी कठोर साधना, नम्रता और धार्मिकताके आठ गुणोको भूल गये। लेकिन मै इस समय यह सिद्ध नही करना चाहता कि सब धर्मोके समान इस्लामका आधार भी हिंसा नही, कष्टसहन है, जीवन लेना नही, बल्कि जीवन देना है।

मै अभी तो यह बताना चाहता हूँ कि अगर असहयोग आन्दोलनकारियोको एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करना है तो उन्हे अपनी प्रतिज्ञाकी भावना और शब्दोके प्रति सच्चा रहना चाहिए। भले ही वे असहयोगको भूल जाये, लेकिन उन्हे अहिंसाको नही भूलना है। असलमे तो असहयोग अहिंसा है। जब हम किसी हिंसक सरकारसे सहयोग करते है, तब हम भी हिंसक हो जाते है। ऐसी सरकारका अन्तिम आधार न्याय और औचित्य नहीं, पशु-बल है। वह अन्तत जिस चीजका आग्रह रखकर चलती है वह चीज तर्क-बुद्धि और हृदयकी आवाज नही, बल्कि तलवारका जोर है। हम हिंसात्मक शक्तिकी इस प्रणालीसे ऊब गये है और इसके विरुद्ध उठ खडे हुए है। अब हम ऐसा न करे कि हिंसक बनकर, अपनी आस्था और मान्यताको आप ही झुठला दे। अग्रेज सख्यामे कम है, लेकिन वे हिंसाके लिए सगठित है। हम सख्यामे अधिक होते हुए भी सुदीर्घ कालतक हिंसाके लिए सगठित नही हो सकते। हिंसा हमारे लिए निराशाका धर्म है।

किसी धर्म-भीरु अग्रेज महिलाने एक करुणाजनक पत्र लिखा है। उसमे वह डायर-शाहीका बचाव करते हुए कहती है कि जनरल डायरने जलियाँवालामे जो-कुछ किया

वह न किया होता तो हमारे हाथो न जाने कितने स्त्री-बच्चे मार दिये गये होते। अगर हम इतने क्रूर है कि निर्दोष स्त्रियो और बच्चोका खून बहाना चाहते है तो हम इसी लायक है कि इस दुनियासे हमारी हस्ती मिटा दी जाये। किन्तु बातका दूसरा पक्ष भी है। इस भली महिलाको ऐसा लगा ही नही कि हम दानवोके हाथोसे त्राण पानेके लिए अग्रेजोको जलियाँवालामे जो मूल्य देना पडा वह बहुत भारी था। उन्होने मानवता खोकर अपनी सुरक्षा प्राप्त की। सरकारने जनरल डायरपर बेमनसे दोषारोपण किया और सर माइकेल ओ'डायरने भी उनकी दुष्प्रवृत्तियोको सर्वथा क्षमा कर दिया, क्योकि दानवोके इस देशको अग्रेज छोडना नही चाहते — भले ही उन्हे हममे से एक-एकको मौतके घाट उतार देना पडे। यह अच्छी तरहसे समझ लिया जाना चाहिए कि अगर हम अमृतसरकी भाँति फिर उन्मत्त हो गये तो जलियाँवालासे भी अधिक भयकर काण्ड होगा।

क्या हम डायरशाही अथवा ओ'डायरशाहीका अनुकरण करेंगे, जब कि हम इसकी निन्दा कर रहे है? हमे अपनी आधार-शिलाके लिए हिंसा और दानवताको नही, अहिंसा और धार्मिकताको अपनाना है। हम कार्यकर्त्ताओको अपने कर्त्तव्यका स्पष्ट बोध होना चाहिए। 'स्वराज्य अपनी ओरकी समस्त हिंसक प्रवृत्तियोको नियन्त्रित करनेकी हमारी योग्यतापर निर्भर करता है।' इसलिए अगर लोगोमे हिंसक प्रवृत्ति मौजूद है तो एक वर्षके भीतर स्वराज्य नही मिल सकता।

अत हमे धरना नही देना चाहिए, हमे किसी व्यक्तिके खिलाफ "शर्म, शर्म" के नारे नही लगाने चाहिए, हमे अपने देशवासियोको अपने मार्गपर लानेके लिए बल-प्रयोग नही करना चाहिए। हमे उन्हे वही स्वतन्त्रता देनी चाहिए जो हम अपने लिए माँगते है। हमे जनताको बहकाना नही चाहिए। फैक्टरी-मजदूरो तथा किसानोका राजनीतिक उपयोग करना खतरनाक है — इसलिए नही कि हम इसके हकदार नही, वरन् इसलिए कि हम इसके लिए तैयार नही है। हम एक दीर्घ कालसे उनके (किताबी शिक्षणसे भिन्न) राजनीतिक शिक्षणकी उपेक्षा करते आये है। हमारे पास इतने ईमानदार, समझदार, विश्वसनीय और साहसी कार्यकर्ता नही है कि हम अपने इन देशभाइयोको प्रभावित कर सके।

[अग्रेजीसे]

यंग इडिया, ९–२–१९२१

१६७. एक नगरपालिकाका साहसपूर्ण कार्य

पाठक अन्यत्र नडियादकी नगरपालिका और बम्बई सरकारके यानी बम्बई सरकारके प्रतिनिधिस्वरूप शिक्षा-विभागके बीचका पत्र-व्यवहार[1] देखेंगे। नडियाद, खेड़ा जिलेमें ही है। वह गुजरातका एक महत्त्वपूर्ण शहर है। उसकी जन-संख्या ३५,००० है। उसकी नगरपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित है, और उसमें निर्वाचित सदस्योंका ही बहुमत भी है। नडियाद अपने शिक्षाकार्यके लिए प्रसिद्ध है और उसे गुजरातके कतिपय सर्वोत्तम शिक्षित सपूतोंको उत्पन्न करनेका गौरव प्राप्त है। शहरमें दो हाईस्कूल हैं। उसके द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त हाईस्कूलको राष्ट्रीय [हाईस्कूलका] रूप दे दिया गया है। नगरपालिका अनेक प्राथमिक शालाएँ चलाती है, उनमें पाँच हजारसे अधिक बच्चोंको शिक्षा दी जाती है।

नागरिकोंके समक्ष सभी प्राथमिक शालाओंको राष्ट्रीय रूप देनेका प्रश्न था। करदाताओंने अपने बच्चोंको इन शालाओंसे निकाल लेनेके बजाय एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा उन्होंने नगरपालिकासे प्राथमिक शालाओंको राष्ट्रीय रूप देनेकी माँग की। वे [सरकारसे] २१,००० रुपये वार्षिक अनुदान प्राप्त करती थीं, और इसलिए, जैसा कि स्वाभाविक है, शिक्षा विभागके नियंत्रण और निरीक्षणमें थीं। अत नगरपालिकाने अपने निर्वाचकोंके आदेशके अनुसार शालाओंको राष्ट्रीय रूप देनेका प्रस्ताव पास किया, और तदनुसार सरकारको सूचना दी। पाठक देखेंगे कि नगरपालिकाने अपनी कार्यवाहीमें कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावका सीधा उल्लेख किया है, और स्वराज्य प्राप्तिके ध्येयके हितमें साहसी नीतिको अपनाया है।

शालाओंको सरकारके प्रत्यक्ष निरीक्षणमें चलानेकी नगरपालिकाकी कानूनी बाध्यताका प्राविधिक प्रश्न भी था। इस सम्बन्धमें नगरपालिकाका रुख इस प्रकार व्यक्त किया गया है

> [नगरपालिकाको] असहयोग आन्दोलनसे पूर्ण सहानुभूति है, जिसका उद्देश्य, और बातोंके साथ, पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति है, और जबतक इस नगरपालिकाका अस्तित्व रहेगा, उसका आवश्यक कर्त्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करनेमें नडियादकी जनताकी सहायता करे . . .। जहाँतक कानूनी कठिनाईका प्रश्न है, सादर निवेदन है कि यदि धारा ५८ नडियाद-निवासियोंकी व्यक्त अभिलाषाके विरुद्ध पड़ती है, तो उसे अपने-आप स्थगित हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि यह निकाय नडियादकी जनताकी मनोदशाको ठीक समझ रहा है तो वह बच्चोंकी शिक्षापर शासनके नियन्त्रणसे कोई वास्ता न रखनेका स्पष्ट निश्चय कर चुका है; और यह तो कहना भी अनावश्यक है कि समितिको जनताके निश्चयसे पूर्ण सहानुभूति है।

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

जनताकी प्रशसनीय भावना या नगरपालिकाके रुखके औचित्यके विषयमें किसीको आपत्ति नही हो सकती। यह ठीक है कि सरकार चाहे और उसमे हिम्मत हो, तो वह नगरपालिकाको भग कर सकती है। किन्तु यदि करदाता अपने बच्चोकी शिक्षापर सरकारका नियत्रण न रहने देनेका दृढ निश्चय कर चुके है तो उसे इस प्रकार भग करना भी व्यर्थ होगा। यह छोटे पैमानेपर एक शान्तिपूर्ण क्रान्ति है। आन्दोलनकी सफलताका कारण है जनताकी एकता तथा अपने बच्चोकी शिक्षाका प्रबन्ध करने और उसके लिए पैसा जुटानेकी उसकी योग्यता। हिसाका परित्याग करके नडियादके निवासी अपने बच्चोको स्वराज्यकी शिक्षा देनेमे समर्थ हो रहे है। बच्चोकी शिक्षाके सम्बन्धमे जो बात इस नगरपालिकाके लिए सच है समस्त भारतवर्षके लिए वही सब विषयोमे सच है।

जब जनताका मन एक हो, जब उसमे प्रबन्ध करनेकी योग्यता हो और उसे अहिसाकी आवश्यकताकी प्रतीति हो जाये — ऐसा चाहे व्यावहारिकताके नाते ही क्यो न हो — तब समझना चाहिए कि स्वराज्य मिल गया। पैसेके प्रबन्धका प्रश्न कोई बडा प्रश्न नही है। क्योकि सरकार भी पैसा आसमानसे नही लाती। गुजरातीकी एक व्यजनापूर्ण कहावतको दूसरे शब्दोमे कहे, तो वह निहाईके वजनकी धातु लेकर सुईके वजनकी धातु देती है। और इसमे दुःख और लज्जाकी बात तो यह है कि यह कृपण दान देकर भी वह राष्ट्रके सुकुमार मनपर बन्धन डाल कर उसे तेजोहीन बनाती रहती है। यदि हम आत्मप्रवचनाके शिकार न होते, तो हम कमसे-कम अपने बच्चोंके नाशमे सहायक बननेसे तो अवश्य इनकार करते। नडियादकी नगरपालिकाने दिखा दिया है कि शिक्षाको राष्ट्रीय रूप देनेकी समूची प्रक्रिया कितनी सरल है। लाला दौलतरामके लेखोने दिखा दिया है कि अर्थका प्रश्न कितना सरल है, और यह भी कि साधारण फीस ही हमारी सब शैक्षणिक सस्थाओको चलानेके लिए लगभग काफी है। मै आशा करता हूँ कि नडियादकी नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत इस वस्तु-पाठसे ऐसी ही स्थितिकी अन्य नगरपालिकाएँ लाभ उठायेगी।

[अग्रेजीसे]
यग इडिया, ९–२–१९२१

१६८. तार : शौकत अलीको

९ फरवरी, १९२१

कृपया बम्बईके छात्रो द्वारा शास्त्री कानजीके[1] प्रति किये गये व्यवहारका विवरण तार द्वारा बनारस[2] भेजे। हमे इस प्रकारके काण्डोको रोकना चाहिए और उनसे अपनेको अलग रखना चाहिए।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ १५७।

१ कानजी द्वारकादास, बम्बईके एक सार्वजनिक कार्यकर्ता ।
२ गाधीजी ९ और १० फरवरीको बनारसमें थे ।

१६९. भाषण : बनारसमें[1]

९ फरवरी, १९२१

भाइयो,

हम दोनों भाई, मुहम्मद अली और मैं आज आपके पास आये हैं। आप लोग यहाँ विद्यापीठकी स्थापना करेंगे। हम लोग उसीमें शरीक होने आये हैं। हमारे भाई अबुल कलाम आजाद भी इसीलिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपका यह समय दूसरे काममें नही लगाऊँगा। मैं आप लोगोंसे केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि हम लोगोंकी शक्ति दिनपर-दिन बढती जा रही है। इसके साथ-साथ हम लोगोंकी जिम्मेदारी भी बढती जा रही है और साथ ही साथ भय भी बढता जा रहा है। हम लोगोंको यह स्थिर करना है कि किस तरह काम करना चाहिए। यदि हमारी शक्ति जानकर हम आगे बढना चाहते है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह शक्ति बढी कैसे। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम लोग शान्तिसे काम करते है। भाई शौकत अली कहा करते है कि हम लोगोकी ताकतकी वृद्धिका कारण ठडी हिम्मत है। यदि हम लोग क्रोध या आवेशमें आकर तलवार उठा लें तो उससे अपना गला काटेगे या अग्रेज-का? इससे हमारी ही ताकत कम होगी। यह ठडी हिम्मत और अमनकी लडाई है। इसके लिए सब तैयार हो जाये। यदि इसमे हमने तलवार उठाकर अग्रेजका या अपने भाईका गला काटा तो हमारा पतन हो जायेगा। फैजाबादके किसानोने क्या किया? मदोन्मत्त होकर उन्होने दुकानें लूटी, अपने भाइयोका माल लूटा।[2] वहाँ हमारी शक्तिका पतन हो गया। सल्तनत देख रही है कि हम लोगोने इतना भारी आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। इस शासनको मिटा देने या दुरुस्त कर देनेका सकल्प लिया है। पर फिर भी इतनी शक्तिशाली सरकार कुछ भी नही बोल रही है। क्यो? सरकार देख रही है कि हम लोग शान्तिसे काम कर रहे है। यही हमारा धर्म हो गया है। इस दशामें सरकार हमारा कुछ नही कर सकती। यदि आज हम शस्त्र उठा लें तो उसकी ताकतकी वृद्धि होने लगेगी। यदि आप पजाबके अत्याचारोका निवारण, खिलाफतके मामले-मे न्याय और स्वराज्यकी प्राप्ति चाहते है तो ठडी हिम्मतसे काम लीजिए। इसी ढगसे अगर काम होगा तो ठीक होगा। चाहे वकील वकालत न छोडे, विद्यार्थी विद्यालयोका बहिष्कार न करे, लोग कौसिलमे जाये, सरकारी नौकरी और खिताबोका त्याग न हो, इन सबसे मुझे जरा भी रज नही होता, किन्तु यदि एक भी खून हो जाये, लकडी चल जाये या कोई किसीको गाली दे दे तो मुझे बडा ही रज होता है, क्योकि वहाँ

१ गाधीजीने यह भाषण बनारसके टाउन हॉलके मैदानमें आयोजित सभामें दिया था। सभामें लगभग एक लाख लोग उपस्थित थे और अध्यक्षता बाबू भगवानदास कर रहे थे, पडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे।

२. जनवरी १९२१ में फैजाबाद और उत्तर प्रदेशके कुछ अन्य स्थानोमें किसानोने दगा-फसाद किया था।

हमारी ताकतका पतन होता है। फैजाबादके किसानोका पागलपन और बम्बईके विद्यार्थियोकी करतूतसे मै निहायत असन्तुष्ट हूँ। विद्यार्थियोने श्री शास्त्री और पराजपेका अपमान करके बडी भूल की। दोनो बडे ही योग्य व्यक्ति और मेरे समान देश-सेवक है। हम लोगोमे मतभेद है, पर देश-सेवाका उन्हे भी उतना ही अभिमान है जितना हमे है। यदि आज आप लोग यहाँ एकत्रित न हुए होते तो मुझे दुःख न होता। पर यहाँ आकर गोलमाल करे, शोरगुल मचाकर बाधा डालें तो यह कितने दुःखकी बात होगी? मेरी समझमें नहीं आता कि यह कैसे होता है। सभामे आनेके बाद विघ्न नही डालना चाहिए। जो विघ्न डालता है वह सज्जन नही है। मुझे बाध्य होकर कहना पडता है कि बम्बईके छात्रोने अपने खानदानकी मर्यादा त्याग दी, कांग्रेस और खिलाफतके हुक्मकी अवज्ञा की। यदि आप हमारी बातको मानना चाहते है तो आपको यही सबक सीखना चाहिए। यदि आप किसी दूसरेसे अपना काम कराना चाहते है और वह आपके मनके माफिक करनेपर राजी नहीं होता तो आप जबरदस्ती न करे, मेरी इस शर्तको याद रखिए। मै एक वर्षमें अर्थात् सितम्बरतक पूर्ण स्वराज्य चाहता हूँ। वह स्वराज्य केवल शान्ति रखनेसे मिल सकता है। बिना इस ताकतके स्वराज्य मिलना असम्भव है। लोग कहते है कि मै शान्ति भग नही करना चाहता पर सरकार और खुफियावाले हम लोगोको इसके लिए बाध्य करते है। मै कहता हूँ यह पागलपनकी बात है। मै आप लोगोसे कहूँ कि अपना दीन छोड दीजिए तो क्या आप इसके लिए तैयार है? कभी नहीं। इसी तरह जब हम किसी बातको करनेके लिए तैयार नही है, तो सरकार हमसे वैसा कुछ नहीं करा सकती। गुस्सेमें तो कुछ भी नही करना चाहिए। क्रोध किया तो स्वराज्य नामुमकिन है। मै सब बातें छोड देनेके लिए तैयार हूँ — वकीलोका प्रश्न न उठाऊँ, छात्रोको न छेडूँ, पर मै शान्ति कभी नहीं छोड सकता। जब हम परदेशी राज्य नहीं चाहते तो हमें परदेशी लिबास भी छोड देना चाहिए। साथ ही हमें विदेशी वस्त्र भी त्याग देने चाहिए। यदि हम लोग यह नही कर सकते तो एक क्या, दस बरसोमें भी स्वराज्य नही मिल सकता। हमें अधिक सख्याकी आवश्यकता नहीं है। जो थोडे लोग त्याग कर रहे है उतने ही काफी है। प० मोतीलाल नेहरू, श्री दास तथा लाला लाजपतरायने वकालत छोड दी। अब और क्या चाहिए? दूसरे भी धीरे-धीरे छोडेंगे। किसीके साथ किसी तरहकी जबरदस्ती न की जाये। जिनकी आत्मा गवाही दे, वे ही छोडें। सस्कृतके विद्यार्थी हमसे पूछते है कि उनका क्या कर्त्तव्य है। अब कर्त्तव्यका प्रश्न नही रहा। सरकारी विद्यालयोका त्याग ही एक-मात्र कर्त्तव्य है। जबतक हमारे दुःखोका प्रतिकार न किया जाये तबतक सरकारी विद्यालय हराम है। स्वदेशी वस्त्रका प्रचार भी अत्यावश्यक है। इसके लिए चरखोका प्रचार करना चाहिए। यदि विद्यार्थी विद्यालयोका बहिष्कार करके देशकी सेवामे जुटना चाहते है तो चरखेके प्रचारसे बढकर कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। उन्हे फौरन चरखा ग्रहण करना चाहिए। यदि ५० लाख विद्यार्थी ४ घटा यही काम करे तो कितना काम हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी इतना सूत कात सकता है कि चार दिनमे एक धोती तैयार हो सकती है, अर्थात् सारे विद्यार्थी मिलकर एक दिनमें साढे बारह लाख धोतियाँ

तैयार कर सकते है। यदि हमे सब सामान मिल जाये तो कितनी भारी सेवा हो सकती है। उस समय आप जलसा करना भूल जायेंगे। मै जलसोंसे थक गया हूँ। इन जलसोमें शरीक होनेसे हमे एक अनुभव हुआ है कि हम लोग अपने बलका उपयोग अपना गला घोटनेके लिए करते है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरेके स्थानको ग्रहण करना चाहता है, वहाँ क्या होगा? सितम्बर माससे मै यह अनुभव कर रहा हूँ, मै घबरा उठा हूँ। हम इतने [छोटे] जलसोंमे भी शान्ति नही रख सकते। गोरखपुरमें प्राय डेढ लाख जन उपस्थित थे और बडी शान्तिसे काम हुआ। पर हमारा काम केवल इससे नही चल सकता। यदि काम चलाना है तो चरखा ले लो। जिस दिन सब लोग इस बातको समझ लेंगे उस दिन ऐसे जलसोकी आवश्यकता नही रह जायेगी और न उसके लिए किसीको फुरसत ही रह जायेगी। जितना समय जलसोमें नष्ट किया जाता है यदि उतने ही समयमे हम सूत काते तो कितने नगोको ढाँक सकते है? यदि एक वर्षमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो दो बाते आवश्यक है — एक तो शान्तिका ध्यान बनाये रखना और दूसरे विदेशी वस्त्रका त्याग करना और उसको सफल बनानेके लिए चरखा ग्रहण करना। जिस दिन आप लोग इन बातोको समझ जायेगे, उस दिन ऐसे जलसो-की आवश्यकता न रह जायेगी। यदि आपने चरखेके मत्रको समझ लिया है तो स्वराज्य निकट है। यदि आपने समझ लिया है कि तर्के-मवालात शान्तिसे चलाना है और यदि आपने समझकर इसमे हाथ डाला है तो शान्तिसे रहिये। इसमे हम सरकारको मजबूर कर सकते है। काम करते चलिए। जेलसे मत घबराइए। जो जेल जानेवालो-को छुडानेका प्रयत्न करते है वे अपनी बुजदिली दिखाते है। वे स्वय तो जाना ही नही चाहते। जेलमे हमे प्रसन्न-चित्त जाना चाहिए। उसे महल समझ लेना चाहिए। हमारा काम जेलमे जाना और दूसरोको भेजना है। यदि हम लोग यह नही करते तो ससार यही कहेगा कि भारतके लोग कहना जानते है और करना कुछ भी नही जानते। पर इन सब प्रवृत्तियोको चलानेके लिए रुपयेकी आवश्यकता है। चरखा चलानेके लिए, विद्यापीठ स्थापित करनेके लिए, राष्ट्रीय कामके लिए, जो लोग वकालत छोड देगे उनके लिए, पैसा चाहिए। इतनी बडी सभामे से मै खाली हाथ नही जा सकता। मै भीख माँगता हूँ। जो आप लोगोको देना हो दे। स्मरण रखिए, यदि आपने चरखेको अपनाया और अपने हाथोसे ही बने कपडे पहननेका सकल्प किया तो स्वराज्य सितम्बरमे मिल जायेगा।

आज, १०–२–१९२१

१७०. टिप्पणियाँ

धोलेमें कालेका मेल

एक मित्र लिखते है[१]

यह टीका अक्षरश सही है। प्रत्येक सुधारके समय उसके दुरुपयोगका भय रहता ही है। यही बात खादीके सम्बन्धमें भी लागू होती है। खादीके उपयोगके बिना पूरी देशभक्ति नही हो सकती, ऐसा मै कहता तो हूँ, लेकिन खादी पहननेवाला मनुष्य तो खुफिया पुलिसका सिपाही भी हो सकता है और खादी न पहननेवाला मनुष्य गरीब होनेके कारण अथवा खादीपर विश्वास न होनेके कारण खादी न पहननेपर भी स्वदेश-प्रेमी हो सकता है, इस बातसे भी कोई इनकार नही कर सकता। इसलिए खादी पहननेवाला निस्सन्देह देशभक्त ही है, हमे यह मान लेनेकी कोई जरूरत नही है। हम निस्सन्देह यह मान सकते है कि खादी पहननेवाले मनुष्यका स्वदेशीका पालन करनेवाला होनेकी सम्भावना है। अगर खादीके प्रति लोगोकी अरुचि निकल जाये और उन्हे खादीमे ही सुन्दरता दिखाई देने लगे तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। जिस तरह खादीमे हमें समस्त गुणोका आरोप नही करना चाहिए, उसी तरह यदि खादी पहननेवाला मनुष्य अपने दुराचरणसे खादीको लजाता है तो उससे हमे धक्का भी नही लगना चाहिए। आडम्बरमात्र त्याज्य है, लेकिन बाहरी पहनावा ऐसा होना चाहिए जो आन्तरिक भावोके अनुरूप हो, अर्थात् जिसका अन्त करण निर्मल है उसका पहरावा भी सादा होगा, जिसके अन्त करणमे देश-प्रेम है उसका पहनावा भी खादीका होगा। जबतक जगतमे मूर्ख अथवा अज्ञानी लोग है तबतक धूर्तोका धन्धा चलता ही रहेगा। इससे हमे धोखा खानेकी अथवा डरनेकी जरूरत नही है।

हम देखते है कि जिस तरह खादीका दुरुपयोग किया जाता है उसी तरह असहयोगका भी दुरुपयोग किया जाता है। कुछ लोग ऐसा आचरण कर रहे है मानो असहयोगके प्रस्तावपर हाथ ऊँचा करनेसे उन्हे सरकारके साथ सहयोग करनेवालोको गाली देनेका परवाना मिल गया है। वस्तुत देखा जाये तो खादीका और असहयोगका दुरुपयोग इस शुद्ध आन्दोलनको दूषित करता है और स्वराज्य प्राप्तिके समयको दूर ले जाता है। इस मलिनताके कालमे हम जब एक स्थानसे मैल छुडाते है तो वह दूसरे स्थानपर जमता दिखाई देता है। ऐसी मुश्किलोके बावजूद जिन्होने सत्यके दर्शन किये है उनके लिए एकमात्र रास्ता यही है।

१ पत्र यहाँ उद्धृत नही किया गया है। उसमें खादीको बहुत अधिक महत्त्व दिये जानेके विरुद्ध यह चेतावनी दी गई थी कि कही ऐसा न हो कि पाखडी लोग खादी पहनकर खादी न पहननेवाले ईमानदार लोगोंको ठगने लगें।

अन्त्यजोंके सम्बन्धमें

इस विषयमें मुझे अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें मुझे सलाह दी गई है। ये सब प्रकाशित नहीं किये जा सकते। इनमें दलीलकी अपेक्षा डाँट-डपट कहीं अधिक है। कुछ पत्रोंमें मेरे विचारोंसे मिलते-जुलते विचार दिये गये हैं। उनमें प्रकाशित करने लायक कुछ है ही नहीं। जो लोग मेरे विचारोंसे विरुद्ध तर्क देते हैं उन्हींको समझाना रह जाता है। एक युवकने लिखा है कि अन्त्यजोंके प्रश्नको उठाकर मैंने असहयोग-जैसे रामबाण अस्त्रको निस्तेज कर दिया है। इस भाईका कहना है कि अन्त्यज स्पृश्य हों तो भी इस विषयपर विचार करना समयोचित नहीं है। उसका एक परिणाम तो यह हुआ है कि एक स्कूल वापस सरकारको मिल गया। वह कहता है कि अन्तमें सब 'सनातनी' सरकारका पक्ष लेकर मुझसे अथवा असहयोगके प्रति अपना वैर निकालेंगे। मुझे ऐसा भय नहीं है। मुँहसे वैर निकालनेके लिए अपनी नाक काट डालनेवाले लोग कहीं भी बहुत नहीं होते। हिन्दुस्तानमें ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जो इस समय इस आन्दोलनका विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ लोग तो सचमुच ही मानते हैं कि यदि हम अन्त्यजोंका स्पर्श करेंगे तो हिन्दू-धर्मका लोप हो जायेगा। [लेकिन] ये लोग धीरे-धीरे समझ जायेंगे कि अस्पृश्यताको सम्मान देनेके कारण ही हिन्दू-धर्मकी अधोगति हुई है। तथापि हम कल्पना करें कि अस्पृश्यता सम्बन्धी आन्दोलनसे असहयोग-को धक्का पहुँचता है। इसका अर्थ यह हुआ कि असहयोग ही असहयोगके मार्गमें विघ्न बनकर आता है। अनेक लोग कहते थे कि कार्यक्रमके वकीलों और स्कूलोंसे सम्बन्धित भागके कारण असहयोग आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। हकीकत यह है अस्पृश्यतासे चिपके रहनेसे असहयोग आन्दोलन कभी पूरा नहीं हो सकता। और फिर यदि सनातनी हिन्दू अस्पृश्यताको बनाये रखनेके लिए सरकारसे सहयोग करेंगे तो भी असहयोगी उनसे न डरें। सनातनी भी सरकारको त्याज्य मानते हैं और उसकी निन्दा करते हैं। इस समय तो सरकार स्वयं अस्पृश्य है। यह सम्भव नहीं है कि उसका स्पर्श करते हुए 'सनातनी' अस्पृश्यताको बनाये रख सकें। असहयोग यदि आत्मशुद्धि है तो हमें परिणामका विचार किये बिना असहयोगका विकास करना है। फिर यदि एक भी असहयोगी रह जायेगा तो उसकी मार्फत हमें विजय प्राप्त होगी। इसके अलावा विचारने योग्य बात तो यह है कि यदि हम अस्पृश्योंको भूल जायें तो यह पाप हमें पीड़ा देगा, इतना ही नहीं, बल्कि सरकार उसका दुरुपयोग भी करेगी।

पारसियोंकी मदद

डाभोलसे भाई सेठनाने एक लम्बा पत्र लिखा है और कहा है पारसियोंपर यह आरोप लगाया जाता है कि वे असहयोग आन्दोलनमें शामिल नहीं हैं, यह सच नहीं है। उनका कहना है कि पारसियोंको जैसे-जैसे हिन्दुओं और मुसलमानोंकी दृढ़ताका विश्वास होता जायेगा वैसे-वैसे वे असहयोगमें शामिल होते जायेंगे। मेरी भी ऐसी ही मान्यता है। सब पारसी असहयोगसे अलग रहते हैं यह बात तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उनकी संख्या बहुत कम होनेकी वजहसे वे प्रकाशमें नहीं आते। यह सच है कि कौमके रूपमें पारसियोंने इस आन्दोलनमें भाग लिया — ऐसा नहीं

कहा जा सकता। यदि असहयोगी शान्ति, विनय और सत्यका पालन करते हुए स्वार्थ त्याग करते रहेगे तो पारसी और अन्य लोग जो इस आन्दोलनसे बाहर है, इसमे सम्मिलत हुए बिना नही रहेगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-२-१९२१

१७१. भाषण : काशी विद्यापीठके शिलान्यासके अवसरपर[1]

१० फरवरी, १९२१

बाबू भगवानदास, बहनो और भाइयो,

मेरे मनमें इस समय एक बातका दु ख है। उसे मैं किसी तरह आप लोगोसे छिपा नही सकता। यहाँ आनेके पहले मैं अपने भाई साहब प० मदनमोहन मालवीयके पास गया और उनसे पूछा कि आप विद्यापीठके आरम्भोत्सवमें आ रहे है या नही। उन्होने कहा, नही, मेरा वहाँ न जाना ही अच्छा होगा। वे हमारे कितने घनिष्ठ है मैं बतला नही सकता। आज वे हमारे साथ नही है। उनको आज यहाँ न देखना हमारे लिए कितने दु खकी बात है, यह मैं कह नही सकता। पर हमारी लडाई ऐसी है कि हमे ये सब दु ख बरदाश्त करने होगे। पिताको पुत्रके, पतिको पत्नीके, पत्नीको पतिके वियोगका दु ख सहना पडेगा। बाबू भगवानदासने सुमधुर शब्दोमे बतलाया है कि यह लडाई धर्म-युद्ध है। मुझे इस बातमे जरा भी सशय नही रह गया है, नही तो मैं उस सस्थाको कभी न छूता जिसके प्राण मालवीयजी है। मेरी आत्मा यही कहती है कि या तो वह सस्था मेरी हो जाये या नष्ट हो जाये। यदि मैं ऐसा नही करूँ तो यह पाप होगा। कल मेरे पास कानपुरके कई विद्यार्थी आये। वे वहाँसे पढाई छोड-छाडकर आये है। मैंने उनसे पूछा, आप लोग पढना छोडकर क्यो आये। उन्होने उत्तर दिया, हम लोग चाहते है कि इससे बढकर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम करे। मैंने उनसे कहा, यह सबब अच्छा नही। यदि आप इस खयालसे पढाई छोडकर आये होते कि आप सरकारी सहायतासे चलनेवाले विद्यालयोमे पढना पाप समझते है तो अधिक लाभ होता। मेरी बातको वे कुछ समझ गये पर उनकी मुखाकृतिसे स्पष्ट झलकता था कि उनके हृदयमे अभी कुछ सशय रह गया है, क्योकि उन्होने प्रश्न किया कि परीक्षाके केवल दो ही मास रह गये है अत यदि हम लोग उपाधि लेकर असहयोग करे तो अच्छा है। मैंने कहा कि यह ठीक नही, जब हमे निश्चय हो गया कि इन विद्यालयोमें शिक्षा लेना पाप है तो इसे त्यागना ही उचित होगा। यही तर्के-मवालात है। हमारे बिस्तरेके नीचे पचासो वर्षसे साँप छिपा है। हमे उसका पता नही। आज हमे एकाएक इसका पता लगता है। हम उस बिस्तरेपर अब नही रह सकते। चाहे हमारे पिता उसको छोडनेके लिए

1. इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालयकी स्थापना बनारसमें बाबू भगवानदास तथा बाबू शिवप्रसाद गुप्तने की थी।

हमे मना करे, चाहे नाराज हो, हम उस बिस्तरेपर रह नही सकते। मै पिताकी वह आज्ञा नही मान सकता, क्योकि पिताको तथ्य मालूम नही है। उस बिस्तरेपर मै शान्त नही रह सकता। यही खयाल करके विद्यालयोको छोडिए, यह समय परीक्षाका प्रश्न उठानेका नही है।

यही बात हमे यहाँके विद्यार्थियोसे भी कहनी है। कल मुझे अपने भाई एन्ड्रयूजका पत्र मिला। उन्होने लिखा है कि जिस तरह यह काम चल रहा है उस तरहसे तो सफलताकी आशा उन्हे गुजरातमे भी नही है, जो मेरा घर है। पर दो स्थानोके लिए वे निश्चिन्त है — पटना और काशी। पटनामे इसका भार बाबू राजेन्द्र प्रसादपर और काशीका भार बाबू भगवानदासपर है। सबको पूरा एतबार है कि ये काम बिगाडेगे नही। बाबू भगवानदासने शिक्षाके लिए बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तोके काम करनेवालोमे राजनैतिक प्रवृत्ति अधिक है, इसीलिए वे शिक्षामे भी भाग ले रहे है। काशी और पटनाके लिए मै भी निश्चिन्त हूँ। पर श्री एन्ड्रयूजके उत्तरमे मै यह कहना चाहता हूँ कि और स्थानोमे भी यह काम राजनीतिकी दृष्टिसे नही किया जा रहा है, धार्मिक दृष्टिसे किया जा रहा है। हम लोगोको असहयोगको सफल करनेमे अपना चित्त रखना चाहिए। हम लोग विद्या भी ऐसी ही चाहते है कि एक वर्षमे स्वराज्य प्राप्त हो सके। यह भी विचार करनेकी बात है कि स्वराज्य कैसे मिल सकता है। सरकारी सहायतासे चलनेवाले विद्यालयोका त्याग सम्भव है। लोग कहते है कि सरकारकी कृपासे मिलनवाले अनाजका त्याग हम क्यो नही कर देते। मै इससे सहमत हूँ। पर यह सहज नही है। विद्या तो अन्य स्थानोमे भी मिल सकती है। बाबू भगवानदासने अभी सीता-हरणकी कहानी सुनाई। भूमिका स्वामित्व हमारे हाथमे नही है। वह अपरिहार्य है। अपरिहार्यको परिहार्य न करना क्षम्य है। पर शिक्षा अपरिहार्य नही। यदि उसको छोड देनेपर बदलेमे कुछ भी न मिले तो भी हमे सरकारी विद्यालय छोड देना चाहिए। आज हमको रावण राज्यके नेता क्या सुनाते है। वे कहते है, हम आपको साथ रखकर चलना चाहते है। बर्मासे क्रेडॉक साहब कहते है कि हम शस्त्र नही चलाते। हमको उन्हे कह देना चाहिए कि हम आपके साथ नही रहना चाहते, मजबूरीसे आपका साथ दे रहे है। अली भाइयोका कहना है कि, यदि हमे यहाँ 'कुरान' पढनेके लिए भी हृदयकी शुद्धता नही मिल सकती तो हमे हिजरत करना चाहिए, अर्थात् उन्होने राज्यका त्याग करनेके लिए कहा है। तुलसीदासने भी मलिन राज्यका त्याग करनेके लिए कहा है। पर हम अभी उसका सर्वथा त्याग् नही कर रहे है, सत्ताको भी अभी मौका देगे। हम अपने चित्तको समझायेगे कि क्या इस राज्यको मिटाने या दुरुस्त करनेका कोई दूसरा उपाय नही है। यदि है तो ३० करोड लोगोके हिजरत करनेकी क्या आवश्यकता है। थोडा यज्ञ ही काफी है। इसीलिए इस विद्यापीठकी स्थापना हो रही है। हमे विद्या-जैसे पुण्यदानको मलिन हाथोसे नही लेना चाहिए। जितने विद्यालय सरकारके असरमे है, उनसे हमे विद्या नही लेनी चाहिए। जिस विद्यालयपर उसकी ध्वजा फहराती है, वहाँ विद्यादान लेना पापकर्म है। आप सबको निमन्त्रण है कि यदि आप उसे पाप समझते है तो यहाँ चले आइए। केवल इस खयालसे न आइए

कि वहाँ शिक्षा बुरी है और यहाँ अच्छी मिलेगी। इससे आपको पश्चात्ताप होगा। वहाँकी शिक्षाकी बुराई हम भी मानते है। एक तो वहाँ अग्रेजीमे शिक्षा दी जाती है। अग्रेजी हमारी मातृभाषा नही है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है, जिसे २१ करोड आदमी बोलते है। अग्रेजीको हम मातृभाषाका स्थान नही देना चाहते, पर उसे त्यागना भी नही चाहते। वह बडी ओजस्वी भाषा है। उसका व्यवहार बहुत बढा-चढा है। उसे सीखिए। हमारी मातृभाषा स्थानच्युत हो गई है और उसका स्थान दूसरी भाषाने ग्रहण कर लिया है, और अब हमे उसे पुन अपने स्थानपर प्रतिष्ठित करना है।

ऐसी ही और बहुत-सी त्रुटियाँ है, पर उन्हे दूर करने और नई कार्यप्रणाली स्थिर करनेके लिए हम ठहर नही सकते। हम उस झडेके नीचे नही रह सकते, जिसको सलाम करनेके लिए हमारे लडके मजबूर किये गये थे।[1] विद्यार्थियो, आप अपना विचार स्थिर कर ले। यदि वह त्याज्य है तो वहाँ की 'गीता', 'कुरान' सब छोडिए। यहाँ आपको वे विशाल भवन नही मिलेगे, यहाँ न मकान है, न बडा मैदान। झोपडीमे रहकर काम करना अच्छा है। महलमे झडेकी सलामी बुरी है। जो विद्यार्थी आगे आना चाहते है, उन्हे स्पष्ट कहना चाहिए। विद्यालयोंकी दुरुस्ती करना मेरा काम नही है, उसके लिए मुझे वक्त नही। यदि हमारे विद्यालय खुलेगे तो विद्या अपने-आप पवित्र हो जायेगी। मै यहाँ आ गया हू, इसका कारण यह है कि बाबू भगवानदास और बाबू शिवप्रसादके दिलोंमें असहयोगकी प्रतिष्ठा हो गई है। असहयोगको बढानेके लिए ही इस विद्यापीठकी स्थापना की गई है। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। तत्वज्ञान, मजहबी ज्ञान आदि शास्त्र नही है। यहाँ वणिक् बुद्धिका काम नही है। उसे हम हटाना चाहते है, उच्च करना चाहते है। अगर हम आज सेवा करते है तो स्वार्थसे, अपने स्त्री और बच्चोको सुख पहुँचानेकी लालसासे करते है। हमको राष्ट्रकी सेवा करनी चाहिए। राष्ट्रके लिए हम सब काम करेगे। हमें व्यापारको जुआ नही बनाना है। हम हिन्दुस्तान-को पुण्यभूमि बनायेंगे, यहाँसे हर साल ६० करोड रुपये कपडोके लिए विदेश चले जाते है। इसके रोकनेका यहाँ तरीका बताया जायेगा। सीता [भूमि] की स्थापना तो लकासे लाकर करनी है, पर यदि वस्त्र-हरणको नही रोक सकते तो हमने क्या किया? भूमिको अपना करना नामुमकिन है, पर वस्त्र नही छिनने देना चाहिए। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। हिन्दुओ और मुसल-मानोको यह बात सुनानेमे बडा सुभीता है क्योकि सयम और त्याग दोनोका धर्म है। विदेशी कपडा पहनना पाप है। पहला धर्म चरखा चलाना है। विद्यालयको चलाने-वाले इसे याद रखेंगे। हम लोग विद्यार्थियोंके जरिये ६० करोड रुपया बचा सकते है। इसको बचाइए। विद्यार्थी यही करे। इसीसे हमारी आर्थिक शुद्धि होगी।

दूसरा कर्त्तव्य अपनी मातृभाषाको विकसित करना है। इसे न लिख-पढ सकना शर्म-की बात है। जो-कुछ अग्रेजीमे तालीम मिली है, उसे मातृभाषामे हजम कीजिए। हिन्दुओ और मुसलमानोको, सेवा कैसे हो सकती है, सो सीखना है। हमे उर्दू और देवनागरी दोनो लिपियाँ सीखनी चाहिए। हमे ऐसी हिन्दी चलाना है, जिसमें सस्कृत और उर्दू मिली

१ सन् १९१९ में मार्शल लॉ के दौरान, पजाबमें।

हो, जिससे हिन्दू-मुसलमान एक दूसरेके हृदयमे प्रवेश कर सके। अग्रेज कहते है कि यह मेल दिखावा-मात्र है। हिन्दुओ और मुसलमानोका मेल कभी नही हो सकता। यह केवल अपने-अपने मतलबके लिए है। जहाँ मतलब सिद्ध हुआ कि फिर वही हालत हो जायेगी। पर यह व्यर्थ है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर रक्षाके लिए कटिबद्ध है, तो यह नही हो सकता। गुरु विद्यार्थीको खीच सकता है। बाबू भगवानदास ऐसे गुरु है। सारा भारत आपकी विद्वत्ताको जानता है। जिस समय गुजरातमे राष्ट्रीय विद्यालय खुल रहा था उस समय मैने आपसे प्रार्थना भी की थी कि आप काशी छोडकर थोडे दिनके लिए गुजरात आ जाये। वे आपके आचार्य है। मै उनसे दीनतापूर्वक प्रार्थना ही कर सकता हूँ। कृपलानी[1] तो हमारे छोटे भाई है। उनको तो मै हुक्म देनेका भी अधिकार रखता हूँ। अन्य महाशयको, जिनका नाम बाबू भगवानदासने लिया है, मै स्वय नही जानता। इस कारण यहाँ मै प्रार्थना करता हूँ कि काशी अब ऐसी होनी चाहिए कि सारे भारतकी इसपर दृष्टि हो। हमे मालवीयजीका मन जीतना चाहिए। मालवीयजीने मुझसे कहा है कि अगर उनके चित्तमे विश्वास हो जाये कि ऐसा करना ठीक है तो वे हिन्दू विश्वविद्यालय छोड देगे। उनका कहना है कि उसे छोडनेसे हिन्दुस्तानकी हानि है। इस विद्यालयको आप लोग सुशोभित कीजिए। इससे यह यज्ञ कार्य जल्दी ही यशस्वी होकर चलने लगेगा। हमारे माननीय भाई मालवीयजी भी तब हमारी बात समझ जायेगे। अगर यहाँ हिन्दू-मुसलमान मिलकर काम करेगे तो आपकी मार्फत हमे स्वराज्य मिल जायगा। इसी अभिलाषासे मैने शिवप्रसाद और जवाहरलालसे कहा था कि इस कार्यका आरम्भ मेरे हाथसे कराइए। मेरी क्या अपेक्षा है, मैने आपको बता दी। प्रभुसे मेरी प्रार्थना है कि दिन-प्रतिदिन इस विद्यापीठकी वृद्धि हो और यह विद्यालय इस राक्षसी सल्तनतको मिटाने या इसे दुरुस्त करनेमे हिस्सा ले।

आज, ११-२-१९२१

१७२. भाषण : फैजाबादमे

१० फरवरी, १९२१

गाधीजीने सभामें एक ऊँचे मचपर रखी हुई कुर्सीपर बैठकर भाषण दिया। उन्होने बैठे-बैठे भाषण देनेके लिए क्षमा-याचना की। उन्होने श्री केदारनाथकी, जो गिरफ्तार कर लिये गये थे[2], प्रशसा की और कहा कि सरकारने उनको गिरफ्तार करके उनकी तथा लोगोकी परीक्षा लेनी चाही है। सरकार लोगोको डराना चाहती है। यदि श्री केदारनाथ आन्दोलनसे अलहदा होनेके लिए तैयार हो जायेगे तो वह उन्हे छोड देगी।

१ आचार्य जे० बी० कृपलानी।

२. जनवरी १९२१ में उत्तरप्रदेशके कुछ भागोंमें हुए किसानोके उपद्रवोके कारण।

उसके बाद उन्होने किसानोके उपद्रवोकी चर्चा की और किसानो द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्यपर खेद प्रकट किया . । गाधीजीने हिंसाकी अत्यन्त तीव्र और स्पष्ट शब्दोमें निन्दा की और कहा कि उनके खयालसे ऐसा करना ईश्वर और मानवके प्रति पाप है। उन्होने जमींदारो और किसानोमें झगडा करवानेके समस्त प्रयत्नोकी भर्त्सना की और किसानोको सलाह दी कि वे ऐसे लडनेके बजाय स्वयं कष्ट सहे; क्योकि हमें तो अपनी समस्त शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली जमींदार अर्थात् अग्रेज सरकारसे लडनेके लिए सचित कर रखनी है। उन्होने लोगोसे अनुरोध किया कि वे अपने हृदयोको शुद्ध करे, मनोसे भय निकाल दें और मजबूत बनकर निर्भयतापूर्वक आगे बढें।

उन्होने अपने दक्षिण आफ्रिकामें किये गये सत्याग्रह और उसकी सफलताका स्मरण कराया और [अपने स्वागतके समय] स्टेशनपर तलवारे लेकर निकाले गये जुलूसकी[1] निन्दा की। उन्होने कहा कि हिंसा तो कायरताका लक्षण है। तीस करोड लोग स्वय एक शक्ति है और हिंसा किये बिना असहयोगके द्वारा स्वराज्य ले सकते है। तलवार तो कमजोरका हथियार है। उन्होने लोगोसे सगठित होने, चरखा चलाने और धन-सग्रह करनेकी अपील की। उन्होने छात्रो द्वारा स्कूल और कालेज छोडनेका उल्लेख करते हुए कहा कि सोलह सालसे अधिक आयुके लडके अपने माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध भी इन सस्थाओका त्याग कर सकते है। उन्होने कहा कि स्वराज्य शान्ति रखकर, चरखा चलाकर, असहयोग करके और धन सग्रह करके सात महीनेमें लिया जा सकता है। उन्होने अन्तमें लोगोसे धन देनेकी अपील की।

[अग्रेजीसे]

लीडर, १३–२–१९२१

१७३. पत्र : मणिबेन पटेलको

दिल्ली

१२ फरवरी, १९२१

चि० मणि,[2]

तुम्हारा पत्र मुझे मिला। बहुत प्रसन्नता हुई। तुम भाई[3]-बहन आध घटा रोज कातो तो इससे स्वराज्य नही मिलेगा। उत्साह हो तो जरूर चार घटे कातो। अभ्याससे अच्छा कातना आ जायेगा।

१ मुसलमान स्वयसेवकोने स्टेशनके दरवाजेपर नगी तलवारें लिए हुए पक्तिबद्ध होकर गाधीजीका स्वागत किया था। यहाँ उसी घटनाका उल्लेख किया गया है।

२ सरदार वल्लभभाई पटेलकी पुत्री।

३ डाह्याभाई पटेल।

अभी श्री दास[1] वहाँ नही आ सकते। मुझे पत्र लिखा करो। आजकल क्या पढती हो, लिखना।

बापूके आशीर्वाद

पुनश्च .

अभी तो मुझे बहुत घूमना पडता है। आज दिल्लीमे हूँ। अभी पजाब जाना है, बादमे लखनऊ, वहाँसे बेजवाडा। इसलिए पता नही अहमदाबाद कब आना होगा। बापूसे कहना कि काग्रेसकी तैयारी करे।[2]

चि० मणिबेन
द्वारा, वल्लभभाई पटेल, बार एट लॉ
भद्र, अहमदाबाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो: मणिबहेन पटेलने

१७४. स्वराज्य देरसे मिलेगा

मुझे ऐसा शीर्षक देते हुए भी शरम आती है। लेकिन बम्बई और पूनामे जो घटनाएँ हुई है और अपनी यात्राके दौरान जो थोडा बहुत मेरे देखनेमे आया है उन सबके आधारपर मुझे यह कहना पडा है। जिन लोगोने बिहारमे हाटे लूटी, और जिन्होने शास्त्री[3] और परांजपेको[4] बोलने नही दिया उन्होने स्वराज्यकी घडी की सुई धीमी कर दी है, उन्होने सत्यके नामपर असत्यका आचरण किया है, उन्होने शान्तिकी शपथ लेकरके अशाति फैलाई है, उन्होने उसीको पुष्ट किया है जो शास्त्री कहते थे। यदि शास्त्री और उन-जैसे दूसरे लोगोको यह विश्वास हो जाये कि हिन्दुस्तान सचमुच अहिंसात्मक युद्ध लड सकता है तो वे आज ही असहयोगी बन जाये और यदि सारा हिन्दुस्तान आज ही असहयोग आन्दोलनमे शामिल हो जाये तो आज ही स्वराज्य मिल जाये।

यदि वकील वकालत न छोडे, विद्यार्थी सरकारी स्कूलोका परित्याग न करे और जिन्हे खिताब मिले है वे अपने खिताबोको न छोडे तो भी जल्दी ही स्वराज्य मिल सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि अशान्ति फैले तो स्वराज्य नही मिल सकता, एक वर्षमे तो कदापि नही मिल सकता।

१ चित्तरंजन दास।
२ अहमदाबादमें होनेवाले काग्रेसके ३६ वें अधिवेशनकी।
३ वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री।
४ रैंगलर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे।

श्री शास्त्रियर और उन-जैसे अन्य लोग शुद्ध भावसे मानते हैं कि असहयोगकी प्रवृत्तिसे देशका नुकसान ही होगा। इसमे उनका क्या दोष है? उनके भ्रमको हम वलात् अथवा अविनयपूर्वक दूर नही कर सकते।

जो लोग शाति-भग करते हैं वे देशके शत्रु हैं, क्योकि वे सरकारसे सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। अशान्तिको मिटानेका उपचार सरकार जानती है। यदि हम उसकी अपेक्षा अधिक शस्त्रवलका परिचय दे तो वह अवश्य हार जायेगी। लेकिन जो वल उसके पास ही नही है यदि हम उस वलसे उसे हराये तो हमे अपना साध्य प्राप्त करनेमे कमसे-कम समय लगेगा और उससे कुछ भी सीखना न पडे। इतनी बात तो एक वालककी समझमे भी आ सकती हे।

असहयोगकी विजय तभी हो सकती है जब हम वहुत ज्यादा लोगोको असहयोगका चमत्कार वता सके। और वह चमत्कार शान्तिसे ही वताया जा सकता है। जैसे अन्धकार उजालेसे ही दूर किया जा सकता है वैसे ही सरकारके शस्त्रवलको हम शान्तिमय असहयोगसे ही दवा सकेगे।

मैंने अभीतक तो सिद्धान्तके वारेमे ही लिखा है। अब ऐसे समय असहयोगियोको क्या करना चाहिए? यदि हम किसी सभामे अशिष्टताको नही रोक सकते तो हमे ऐसी सभामे जाना ही नही चाहिए। शास्त्रियरकी सभामे जब 'शेम' की आवाज लगाई गई तभी जिन्हे यह अशिष्टता पसन्द नही आई थी यदि वे लोग सभासे उठकर चले गये होते तो अच्छा होता, शास्त्रियरकी सभामे ऐसी आवाज लगानेवाले पाँच-सात लोग रह जाते तो रह जाते, लेकिन असहयोगी तो इस दोषसे वच जाते। हम किसीकी सभामे जानेके लिए वाध्य नही है, लेकिन अगर हम उसमे जाते है तो हम वहाँ स्वय शिष्टताका पालन करने और दूसरोसे करवानेके लिए अवश्य वाध्य है।

पूछा जा सकता है, अगर सरकारके जासूस अशिष्टता करे तो इसमे हमारा क्या दोष? हमारा दोप यह है कि हम उस अशिष्टताको नही दवा सकते। सिपाही अपने सामने खाइयो और चट्टानोको देकर स्तव्ध नही रह जायेगा, वल्कि खाइयोको भरकर और चट्टानोको काटकर आगे बढेगा। सरकार हमपर शासन करती है, क्योकि वह हमारी सव युक्तियोको नष्ट करनेकी शक्ति रखती है। जब हम उसकी सारी चालोको काट देगे तभी हम सरकारपर शासन कर सकेंगे। यदि सरकारके जासूस सभाओको भग करने आते हो तो हमे उनके लिए मैदान खुला छोड देना चाहिए। हमे उस सभासे शान्तिपूर्वक उठ जाना चाहिए। शान्तिमय असहयोगका शस्त्र इतना शुद्ध है कि उसमे यदि तनिक भी मलिनता आती है तो वह दिख जाती है। उसकी धार इतनी तीक्ष्ण है कि वह कठिनसे-कठिन वस्तुको काट सकती है। इसलिए उसके समान तुरन्त प्रभाव दिखानेवाला कोई दूसरा शस्त्र नही है। फिर भी उसका उपयोग करना इतना आसान है कि एक बच्चेको भी समझाया जा सकता है। जहाँ कुछ 'करना' हो वहाँ अनुभव और प्रशिक्षणकी जरूरत होती है। असहयोगका अर्थ है 'न करना'। बालकसे अक्षर लिखानेमे वर्षो लग जाते है। लेकिन यदि उससे यह कहे कि तू अक्षर न लिख तो यह उसके लिए बिल्कुल आसान है। सच्चा और आज्ञाकारी वालक तो न करनेकी वातको अपने-

आप समझ सकता है। उसी तरह सच्चा और श्रद्धालु असहयोगी भी निश्चित कार्योको न करनेकी बात बिना किसी प्रशिक्षणके समझ सकता है। इसी तरह सोच-समझकर किये गये त्यागमे से ही ज्ञान और बल उत्पन्न होता है। हिन्दुस्तानको शस्त्र सचालन सीखना हो तो भी शान्ति और असहयोगकी शिक्षा लेनी होगी।

अतएव इस लेखको पढनेवाले साथियोको निम्नलिखित नियमोपर ध्यान देना होगा

यदि सहकारियोकी सभामे शिष्टताभग होनेकी तनिक भी शका हो तो वे उसमें न जाये और अन्य असहयोगियोको न जाने दे। उन्हे लोगोको इस तरहका शिक्षण देनेकी पूरी कोशिश करनी होगी।

अब वकीलोको अथवा बालकोको कुछ समझाना बाकी नही रह गया है, मतलब यह है कि जो लोग अदालतो और स्कूलोसे निकल आये है उनको प्रशिक्षित करनेसे, उनके चरित्रसे और उनकी निर्भयतासे दूसरे लोग अपने-आप निकल आयेगे।

असहयोगियोको अब कारीगरोके वर्गमे प्रवेश करना है। इस तरह हम प्रत्येक वर्गकी सेवा करके आगे बढ सकेगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३–२–१९२१

१७५. भाषण : दिल्लीमें तिब्बिया कालेजके उद्घाटनपर[1]

१३ फरवरी, १९२१

हकीमजी और मित्रो,

इस उत्सवमे आनेमे मुझे बडा सकोच हुआ, क्योकि मुझे मालूम है कि यदि इस समय सरकार और हमारे बीचमे ऐसा दुखदायी विरोध न खडा हो गया होता तो इस महान् विद्यालय[2] और चिकित्सालयको खोलनेके लिए श्रीमान् वाइसराय साहब[3] निमत्रित किये गये होते, विशेषकर जब उसकी नींव उनके पूर्ववर्ती वाइसराय लॉर्ड हार्डिंगने[4] डाली थी। यदि वाइसराय-जैसे महापुरुषके स्थानमे मैं नियुक्त किया गया हूँ तो मेरा सकोच करना उचित ही है। एक और भी कारण है और वह उससे भी अधिक व्यक्तिगत है। औषधि और अस्पतालके सम्बन्धमे मेरे विचित्र विचार है और ऐसी जगहोके सम्पर्कसे मैं बहुत दूर रहता हूँ। तथापि अपने योग्य हकीमजीके लिए मेरे मनमे इतना आदर है कि मैंने अपना सकोच दूर कर दिया। मैं स्पष्ट कहना चाहता

१ यह भाषण अंग्रेजीमें १५–२–१९२१ के **बॉम्बे क्रॉनिकल**में भी छपा था। इसे उससे मिला लिया गया है। यहाँ प्रचलित हिज्जो और अभिव्यक्तिकी स्पष्टताकी दृष्टिसे यत्र-तत्र कुछ शाब्दिक परिवर्तन भी किये गये हैं।

२ तिब्बिया कालेज, इस राष्ट्रीय सस्थाकी स्थापना हकीम अजमल खाँने की थी।

३ लॉर्ड चैम्सफोर्ड।

४. १८५८–१९४४, भारतके वाइसराय, १९१०-१६।

हूँ कि मै इस उत्सवमे राजनीतिक कारणोसे सम्मिलित हो रहा हूँ। मै हकीमजीको हिन्दू-मुसलमानोकी एकताकी प्रतिमा समझता हूँ। इस एकताके विना हम कोई उन्नति नही कर सकते। मै इस विद्यालयको उस एकताकी मूर्ति समझता हूँ और नही इस कारण मुझे इस उत्सवमे सम्मिलित होनेमे वडा हर्ष हो रहा है।

जो विवरण मन्त्रीने अभी सुनाया है उसको आपने सुना है, और उससे आप लोगोको मालूम हो गया होगा कि इसके लिए कितना परिश्रम किया गया है और इसमे कितनी उन्नति हुई है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि एक आदमी तत्परतासे अपनी शक्ति किसी काममे लगाये तो क्या नही कर सकता। मै ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हकीमजीको दीर्घायु प्राप्त हो जिससे कि वे इस कामको पूरा कर सके। मुझे आशा है कि देशके धनी लोग विना माँगे ही इसमे धनकी सहायता देगे जिससे कि उनका भार कम हो। आपको मालूम है कि इस विद्यालयके खोलनेके अतिरिक्त मुझे लॉर्ड और लेडी हार्डिंगके चित्रोका भी अनावरण करना है। इस कामको करनेमे मुझे विशेष प्रसन्नता होती है, क्योकि यह दिखलानेका मुझे अवसर मिला है कि असहयोगकी लडाईमे हम अंग्रेज जातिसे कोई द्वेषका भाव नही रखते और हमारा राष्ट्रीय आदर्श यही है कि चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिन्दुस्तानी, जिस किसीने हमारे साथ भलाई की हो उसको हम स्मरण रखें।

औषधिके सम्बन्धमें जो मेरी राय है उसको स्पष्ट करनेके लिए आपको कुछ देरके लिए कष्ट दूँगा, जिससे कि इस विषयमे किसीको कोई भ्रम न हो। मैने एक पुस्तकमे[1], जिसपर कि हालमे वहुत टीका-टिप्पणी की गई है, लिखा था कि मै औषधिकी प्रचलित प्रणालीको पैशाचिक युक्ति समझता हूँ। मै अस्पतालोकी वढतीमें सभ्यताकी उन्नति नही देखता। इसको मै अवनतिका स्वरूप ही समझता हूँ, जैसे कि पिंजरापोलोकी सख्या वढनेसे यही मालूम पडता है कि लोगोमे मवेशीकी भलाईकी ओरसे उदासीनता ही है। इस कारण मुझे आशा है कि यह विद्यालय लोगोको रोगोसे वचानेका विशेष प्रयत्न करेगा और रोगीको नीरोग करनेकी कम फिकर करेगा। स्वास्थ्य रक्षाकी कला नीरोग करनेकी कलासे अधिक गौरवपूर्ण है, यद्यपि इसकी साधना अधिक कठिन भी है। चिकित्साकी प्रचलित प्रणालीको मै पैशाचिक इस कारण समझता हूँ कि इससे प्रेरित होकर लोग शरीरका महत्व जरूरतसे ज्यादा मानने लगते है और अन्त स्थित आत्माकी अवहेलना करते है। इस विद्यालयके विद्यार्थियो और अध्यापकोसे मेरी प्रार्थना है कि वे आत्माके स्वास्थ्यके नियमोका अनुसन्धान करे जिससे कि उन्हे मालूम हो जायेगा कि शरीरकी चिकित्साके सम्बन्धमे भी उससे वहुत चमत्कारी परिणाम हासिल होगे। इस समयकी चिकित्सामे धर्मका भाव वहुत कम होता है। जो आदमी अपनी नमाज और गायत्री रोज ठीक भावसे पढता है उसको तो बीमार पडना ही नही चाहिए। यदि आत्मा शुद्ध रहेगी तो शरीर भी शुद्ध रहेगा। मेरा यह दृढ विश्वास है कि धार्मिक आचरणसे आत्मा और शरीर दोनो शुद्ध रह

१ अनुमानत गाधीजीका तात्पर्य अपनी आरोग्य-विषयक लेखमाला (देखिए खण्ड ११ और १२) या हिन्द स्वराज्यसे है।

सकते है। मेरी आशा और प्रार्थना है कि इस विद्यालयके द्वारा हकीम लोग आत्मा और शरीरका फिर मेल करेगे।

आधुनिक चिकित्सा-शास्त्रने शरीरके स्थायी अश, अर्थात् आत्माकी अवहेलना कर बीमारियोंका अनुसधान किया है, जिसका यह नतीजा हुआ कि उसने यह नही पहचाना कि इस सम्बन्धमे हम लोग कहाँतक काम कर सकते है और कहाँसे आगे नही बढ सकते। शरीरको स्वस्थ करनेकी चेष्टामे उसने मानवेतर जीवोकी अवहेलना की है। मनुष्य यदि सब जीवोका स्वामी है तो वह उनका रक्षक भी है। जन्तुओकी रक्षा करनेके बदले वह उनका घातक हो गया है और चिकित्सा-शास्त्रने विशेषकर यह घात किया है। मेरी रायमे जीवित पशुओका अग-भग करना सब पापोमे महापाप है। यह ईश्वर और उसकी सुन्दर सृष्टिके प्रति पाप करनेके समान है। अगर जीवोकी हिंसा और उत्पीडनसे ही हम जीवित रह सकते है तो हमारा जीना हराम है। हमे ईश्वरको दयालु कहकर उसके आशीर्वादके लिए प्रार्थना करना शोभा नही देता, जब हम अन्य जीवोके साथ साधारण दया भी नही दिखाते। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि भारतके श्रेष्ठतम हकीम द्वारा स्थापित यह विद्यालय सदा स्मरण रखेगा कि हम लोगोके कार्य-क्षेत्रकी ईश्वरने एक सीमा निर्धारित कर दी है।

इतना कहकर मै आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकोमे जो अनुसधानका भाव है उसकी प्रशसा करना चाहता हूँ। मेरा झगडा उस भावसे नही है पर उस मार्गसे है जिसका कि उन्होने अवलम्बन किया है। उन लोगोने सिर्फ इस बातका खयाल किया है कि किन-किन तरीकोसे हम मनुष्यके शरीरको सुख पहुँचा सकते है। पर जिस तत्परता, परिश्रम और आत्मत्यागके साथ सत्यके अनुसधानमे इन वैज्ञानिकोने सब-कुछ किया है उसका मै हृदयसे आदर करता हूँ। और गहरे अनुभवके बाद मुझे बडे खेदसे यह कहना पडता है कि हमारे वैद्यो और हकीमोमे ऐसा भाव नही रहा है। वे लकीर-के फकीर बने रहे है और हमारी पुरानी औषधियोकी हालत इस समय बडी शोचनीय हो गई है। आधुनिक अनुसधानके परिणामोको न जानकर उन्होने अपना पेशा ही खराब कर डाला है। मै आशा करता हूँ कि यह विद्यालय इस महादोषको दूर करेगा और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साशास्त्रको फिरसे अपने पुरातन गौरवपर प्रतिष्ठित करेगा। मुझे हर्ष है कि विद्यालयका एक पाश्चात्य चिकित्सा-विभाग भी है। मुझे आशा है कि तीनो चिकित्सा प्रणालियोके सम्मिलनसे एक ऐसी प्रणाली निकलेगी जिसमे कि तीनोके दोष न रहे। मुझे यह भी आशा है कि यह विद्यालय प्राच्य और पाश्चात्य, दोनो प्रकारकी नीमहकीमीसे दूर रहेगा और केवल वास्तविक गुणोको ही मान्यता देगा और अपने विद्यार्थियोमे यह भावना भरेगा कि यह धन्धा धन कमानेके लिए नही है, पर दु ख-दर्द निवारण करनेके लिए है। ईश्वरसे यह प्रार्थना करते हुए कि इसके जन्मदाता और व्यवस्थापकोके परिश्रमके लिए वह उन्हे आशीर्वाद दे, मै यह घोषणा करता हूँ यह तिब्बी विद्यालय खुल गया।

आज, १५-२-१९२१

१७६. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको

दिल्ली
सोमवार [१४ फरवरी, १९२१][1]

प्रिय चार्ली,

आज मेरा मौनवार है। स्वाभाविक रूपसे मनमे उन लोगोका खयाल आ रहा है जो मेरे निकट सबसे प्रिय और घनिष्ठ हैं। शास्त्री और पराजपेके सम्बन्धमे आपका पत्र मुझे अच्छा लगा। वह शर्मनाक घटना थी। फिर भी हमे अपना काम तो चालू ही रखना चाहिए और साथ ही हर तरहसे हुल्लडबाजीको रोकनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक स्पष्ट रूपसे मुझे इस आन्दोलनके पीछे ईश्वरका हाथ नजर आता है। उत्तेजनात्मक परिस्थितियोके रहते हुए भी लोगोने जो आत्मसयम दिखाया वह आश्चर्यजनक है। इस आत्मसयमके पीछे सगीनोका भय भी है, ऐसा मै मानता हूँ।

मै न तो विज्ञानकी उपेक्षा करना चाहता हूँ और न सामान्य शिक्षाकी। किन्तु मै यह अवश्य चाहता हूँ कि इस परीक्षा-कालमे अन्य सभी गतिविधियाँ बन्द कर देनी चाहिए। यह अवधि जनताके लिए ही रखी गई है। जनता एक अवधि निश्चित करके ही काम करना पसन्द करती है। मै जानता हूँ कि यदि इस अवधिमे भारतमे अहिंसाकी प्रतिष्ठापना की जा सकी तो तुम देखोगे कि हमे सितम्बरसे[2] पहले ही स्वराज्य मिल जायेगा। तुमको याद होगा कि गिरमिट-प्रथाको समाप्त करनेके लिए भी एक अवधि निर्धारित की गई थी। इसमे ऐसी कोई कोशिश नही है कि शिक्षाको हटाकर उसके स्थानपर असहयोगको ही रख दिया जाये।

जितनी देर तिब्बिया कालेजमे रहे अच्छा लगता रहा। मै चाहता हूँ कि उद्घाटनके अवसरपर दिया गया मेरा भाषण तुम पढो और उसके बारेमे अपनी राय मुझे लिखो। ड्यूकको लिखे गये अपने पत्रकी[3] भी मै तुमसे समीक्षा चाहता हूँ।

मुझे ३६, मुजगरोड, लाहौरके पतेपर पत्र लिखना। मै करीब एक पखवारे तक पजाबमें रहूँगा।[4]

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५४) की फोटो-नकलसे।

१ पत्रमें उल्लिखित विभिन्न घटनाओसे पता चलता है कि पत्र इसी तारीखको लिखा गया था।
२ सितम्बर १९२० में कलकत्तामें हुए काग्रेसके विशेष अधिवेशनके एक वर्ष बाद।
३ देखिए "पत्र ड्यूक ऑफ कनॉटको", २ फरवरी, १९२१ के पूर्व।
४ गाधीजीने १४ फरवरी, १९२१ को दिल्लीसे प्रस्थान किया और १५ फरवरीसे ८ मार्च, १९२१ तक पजाबमें रहे।

१७७. भाषण: भिवानीके[1] हरियाना ग्रामीण सम्मेलनमें

१५ फरवरी, १९२१

इसके बाद महात्मा गांधीने भाषण देते हुए कहा कि आपने असहयोग और मादक पदार्थोंके बारेमें जो प्रस्ताव पास किये हैं उनका आपको पूरा-पूरा पालन करना है। उन्होंने कहा, "मैंने देखा है कि लोग सिर्फ प्रस्ताव पास करके ही सन्तुष्ट हो जाते हैं और अपनी प्रतिज्ञाके पालनकी चिन्ता नहीं करते, यह एक बड़े दुर्भाग्यकी बात है। जो लोग प्रस्ताव पास करते हैं उनसे उसके पालनकी भी आशा की जाती है। पिछले सितम्बर मैंने घोषणा की थी कि आजसे एक वर्षके अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। पर इस घोषणाके साथ कुछ दूसरी शर्तें भी थीं। पहली अनिवार्य शर्त तो यह है कि उकसाये जानेपर भी लोग हिंसासे दूर रहें, उकसानेकी कोशिश चाहे सरकार करे, चाहे उनके अपने ही लोग। मेरा तो अहिंसा धर्म है; लेकिन यह बात सभीकी समझमें आ गई है कि हिंसाके रास्तेसे आगे-पीछे कभी स्वराज्य प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

दूसरी शर्त है परस्पर सहयोग। इसलिए अपने ही भाइयोंके साथ अछूतोंका-सा व्यवहार करना बेजा है। मैं अपने-आपको कट्टर हिन्दू मानता हूँ। हिन्दू धर्मसे मैंने तो यही सीखा है कि सभी मनुष्य मेरे भाई हैं और उन्हें भी मेरे समान आगे बढ़नेके अवसर और सुविधाएँ प्राप्त रहनी चाहिए। जबतक हम अपने लाखों देशवासियोंको अछूत मानते हैं तबतक हमें भी [ब्रिटिश] साम्राज्यमें अछूत बनकर दिन काटने पड़ेंगे। असहयोग शुद्धिका आन्दोलन है, इसलिए हमें भी अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। तीसरी शर्त है हर हालतमें विदेशी वस्त्रका पूर्ण बहिष्कार। इसका केवल एक ही तरीका है; वह यह कि हर घरके लोग कताईको कर्त्तव्य मानें और बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी स्वेच्छया कमसे-कम एक सालतक अपने खाली समयमें कताई करें।

चौथी शर्त है, आर्थिक सहायता। हरएक जितना हो सके उतना धन दे। बिना धनके स्वदेशी प्रचार नहीं हो सकता और न राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंको चलाया जा सकता है।[2]

मैंने इन कुछेक शर्तोंका उल्लेख किया है क्योंकि ये सबपर समान रूपसे लागू होती हैं। कुछ शर्तें विशेष वर्गोंके लोगोंसे सम्बन्धित हैं। कांग्रेसने सिपाहियों या पुलिसके अधिकारियोंसे अपनी नौकरी छोड़नेके लिए तो नहीं कहा है; पर उसने यह आशा

१. पंजाबके हरियाना प्रदेशका एक कस्बा, सम्मेलनकी अध्यक्षता लाला लाजपतरायने की थी।

२. सम्मेलनमें गांधीजीको १८,००० रुपये तथा महिलाओंसे अनेक आभूषण प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त लोगोंने कोई ४२,००० रुपये देनेका वादा किया।

अवश्य की है कि वे जनताके प्रति वफादार बने रहेंगे। कांग्रेसको यह भी आशा है कि सैनिक जातियोंके नये लोग पुलिस या सेनामें भरती नहीं होंगे और दूसरे लोग भी अब भरती नहीं होंगे।

जिन शर्तोंका मैंने उल्लेख किया है यदि कुछ सन्तोषजनक ढंगसे इनका पालन हो सके तो निश्चय ही सितम्बरसे पूर्व स्वराज्य मिल सकता है। यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने जो शर्तें बताई हैं उनका पालन कोई कठिन चीज है।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १६-२-१९२१

१७८. टिप्पणियाँ

कौनसी वस्तु असहयोग आन्दोलनको नष्ट कर देगी?

निश्चय ही असहयोगियों द्वारा की गई हिंसा। किन्तु यह वह बात नहीं है जिसका मैं उत्तर देना चाहता था। मुझसे वास्तवमें प्रश्न यह पूछा गया है कि 'असहयोगको नष्ट करनेके लिए सरकार क्या कर सकती है?' और [मेरा उत्तर है] मुसलमानोंकी मांगके अनुसार खिलाफतके प्रश्नका समाधान, भारतवासियोंकी मांगके अनुसार पंजाबके सवालका निपटारा तथा राष्ट्रके अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जानेवाली योजनाके अनुसार स्वराज्यका दिया जाना।

स्वराज्य क्या है?

यह दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर ऊपरके अनुच्छेदमें अंशत दिया जा चुका है। कोई भी एक आदमी स्वराज्यकी योजना नहीं बना सकता, क्योंकि जिस स्वराज्यकी मांग की जा रही है वह एक आदमीका नहीं होगा, न ही कोई पेशगी योजना बनाई जा सकती है। जो चीज आज राष्ट्रको सन्तोष देती है, सम्भव है वह कल सन्तोष न भी दे। हमारा विकास एक जीवन्त विकास है, उसे वैसा होना भी चाहिए। इसलिए राष्ट्रकी इच्छा तो दिन-दिन बदलती रह सकती है। तथापि स्वराज्यकी योजनाकी एक मोटी रूपरेखा तो निश्चय ही पहलेसे निर्धारित की जा सकती है। शिक्षा, विधि, पुलिस तथा सेनापर राष्ट्रके प्रतिनिधियोंका पूरा नियन्त्रण होना चाहिए। इसी तरह वित्तीय व्यवस्थापर भी हमारा पूरा नियन्त्रण होना चाहिए, और यदि हमे स्वशासित रहना है, तो एक भी सैनिक हमारी अनुमतिके बिना देशके बाहर नहीं जा सकेगा।

यूरोपीयोंके हितोंका क्या होगा?

स्वशासित भारतमें वे उतने ही सुरक्षित होंगे जितने आज हैं। किन्तु उन्हें श्रेष्ठतर जातिके कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, उनके लिए कोई रियायत नहीं होगी, उन्हें किसी प्रकारका शोषण नहीं करने दिया जायेगा। अंग्रेज सभी अर्थोंमें हमारे मित्रोंके समान रहेंगे, शासकोंके समान नहीं।

ब्रिटेनके साथ हमारे सम्बन्धका क्या होगा?

जहाँतक मुझे मालूम है, कोई भी इस सम्बन्धको अकारण समाप्त नहीं कर देना चाहता। यदि इंग्लैंडकी नीति खिलाफतके प्रश्नपर मुसलमानोंकी भावनाके विरुद्ध पड़ती है, अथवा पंजाबके बारेमें भारतीय भावनाके विरुद्ध पड़ती है, तो फिर पूर्ण स्वतन्त्रता होनी ही चाहिए। जो भी हो, यह सम्बन्ध साझेदारीका होना चाहिए — रजामन्दीसे मर्यादित और पारस्परिक स्नेह तथा सम्मानपर आधारित।

क्या भारत इसके लिए तैयार है?

सो तो समय दिखलायेगा। यों मुझे विश्वास है कि वह तैयार है। कांग्रेस जिस स्वराज्यकी माँग कर रही है, वह इंग्लैंड द्वारा दिया जानेवाला स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य तो वह है जो राष्ट्र माँगता है और बलात् ले सकता है, स्वराज्य उसी अर्थमें चाहिए जिसमें दक्षिण आफ्रिकाने उसे प्राप्त किया।

धोती और चादर

समयके चिह्न अचूक हैं। कहा जाता है कि [सुधारोंके अनुसार] पुनर्गठित परिषद्में एक सदस्य धोती और चादर धारण किये उपस्थित हुए, और उन्होंने बंगला भाषामें शपथ-ग्रहण करनेका आग्रह किया। सदस्य महाशय अपने साहसके लिए बधाईके पात्र हैं। हमारे लिए सभी अवसरोंपर अपनी राष्ट्रीय पोशाकमें उपस्थित होना बिलकुल स्वाभाविक बात है। और यह आशा की जा सकती है कि सदस्यगण यथासम्भव राष्ट्रके साथ सहयोग करेंगे, यद्यपि परिषदोंमें जानेका आग्रह करके उन्होंने राष्ट्रकी इच्छाकी अवहेलना की है। यदि वे परिषदकी बैठकोंमें खद्दरकी पोशाकमें उपस्थित होनेका तथा अपनी प्रान्तीय भाषामें बोलनेका साहस करेंगे तो निश्चय ही वे राष्ट्रकी सेवा करेंगे। राष्ट्रके अनेक लोगोंका अंग्रेजी बोलना थोड़ेसे अंग्रेजोंका हमारी प्रान्तीय भाषाएँ बोलनेकी अपेक्षा अधिक कठिन काम है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-२-१९२१

१७९. मेरा उत्तरदायित्व

'सर्वेन्ट आफ इडिया'ने यह दिखानेके लिए कि सभी असहयोगी प्रेमसे नही, वरन् द्वेपसे प्रेरित है, मेरा ध्यान पूनाके एक असहयोगीके वक्तव्यकी ओर आकर्षित किया है। मैंने इसमे कभी सन्देह नही किया है। उलटे, मैंने स्वीकार किया हे कि अनेक असहयोगी द्वेषसे, अधिकाश न्यायकी भावनासे और कुछ थोडसे ही केवल प्रेमकी भावनासे प्रेरित है। पूनाकी वस्तुस्थितिके उल्लेखके वाद एक फटकार भी सुनाई गई है। लेखकने अपनी वात इस प्रकार समाप्त की है

> **प्रेम और शान्तिके झण्डेके नीचे द्वेष और हिंसाकी शक्तियोको भरती करना, यह विश्वास करना कि एक सीधा-सा सिद्धान्त प्रत्येक हृदयको खरे सोनेमें वदल सकता है, फूसके ढेरपर बैठकर शान्तिकी चिलम फूँकते जाना और प्रकट भोलेपनके साथ परिणामोके सारे उत्तरदायित्वसे इनकार करना --- ऐसा व्यवहार, चाहे वह किसी नबीका ही क्यो न हो, आश्चर्यजनक है।**

मुझे कहते हुए खेद होता है कि यह फटकार तीन निराधार मान्यताओपर आधारित हे। मैंने प्रेम और शान्तिके झण्डेके नीचे द्वेष और हिंसाकी शक्तियोको भरती नही किया है, वरन् मैंने न्यायके झण्डेके नीचे उन सबको भरती किया है जो न्याय पाना चाहते है, और ऐसा करनेमे --- एक व्यावहारिक सुधारककी नाई --- उन्हे भी भरती करनेमे सकोच नही किया है, जिनके विपयमे मैं जानता हूँ कि वे द्वेपसे प्रेरित हैं। पर वे भी न्याय पानेके अधिकारी हैं। हाँ, मुझे देखना चाहिए कि वे अपनी हिंसाको कही व्यवहारमे न उतारने लगे। मैं दावा करता हूँ कि द्वेपियोकी एक वहुत ही वडी सख्या अपनी ओरसे असहयोगकी शर्तोका ईमानदारीसे निर्वाह कर रही ह, क्योकि वे समझते है कि यदि उन्हे न्याय प्राप्त करना है --- केवल क्रोध ही व्यक्त नही करना है --- तो देशके लिए अहिंसा ही एकमात्र और सर्वोत्तम नीति है। अत मेरे लिए यह विश्वास करनेकी कोई आवश्यकता नही है कि "एक सीधा-सा सिद्धान्त प्रत्येक हृदयको खरे सोनेमे बदल सकता हे।" हाँ, यह विश्वास मैं अवश्य करता हूँ कि सम्भव है व्यावहारिक अनुभव नीतिको विश्वासमे वदल दे। कारण, मैं विश्वास करता हूँ कि लोग स्वभावसे ही स्नेही और शान्तिप्रिय है। जव वे द्वेप और हत्या करते है, तव वे अपने उच्चतर स्वभावके विरुद्ध ही ऐसा करते है। मैं 'फूसके ढेरपर बैठकर शान्तिकी चिलम नही फूंक रहा हूँ', न 'प्रकट भोलेपनके साथ परिणामोके लिए सारे उत्तरदायित्वसे इनकार' कर रहा हूँ। इसके विपरीत, खदानोके कुशल विशेषज्ञकी नाई, मैं विस्फोटक गैसोसे भरी एक कोयलेकी खदानमे विस्फोटके विरुद्ध सुरक्षित रहते हुए, सुरक्षा-दीप (सेफ्टीलैम्प) लिए उत्तरदायित्वकी समुचित भावनाके साथ घूम रहा हूँ --- पूरी तरह यह जानते हुए कि सुरक्षा-दीपकी ऊपरी सुरक्षाके वावजूद विस्फोटक गैस किसी अज्ञात प्रक्रियाके द्वारा किसी क्षण भी विस्फोट कर सकती हे। यदि उन्होने विस्फोट

किया तो मै उत्तरदायित्वसे मुँह नही मोडूँगा। मै क्षमा मागूँगा, अपने प्रतिगोधी और क्रुद्ध देशवासियोसे नही, वरन् भगवानसे — जो मेरा उद्देश्य जानता है, और जो यह भी जानता है कि उसने मुझे एक ऐसे कमजोर आदमीके रूपमे पैदा किया है जो गलती कर सकता है, और फिर भी जिसने मुझे निर्णय करने और कार्य करनेकी शक्ति दी है। मै दावा करता हूँ कि मै सिपाही हूँ, और जो वडीसे-वडी जोखिमे नही ले सकता, वह सिपाही ही क्या? 'दि सर्वेट आफ इडिया' द्वारा मेरे लिए प्रयुक्त "नबी" शब्द मुझपर किया गया एक निर्दय आघात है। उस पत्रके लेखकको जानना चाहिए कि मै 'नबी' होनेका दावा नही करता। हाँ, यह दावा मै अवश्य करता हूँ कि मै देशका एक ऐसा निष्ठावान सेवक हूँ, जिसके हृदयकी यह प्रवल इच्छा है कि अपने देशकी उस असह्य वोझसे मुक्त होनेमे सहायता करे, जिसने उसे वुरी तरह झुका दिया है, और जिसे यह देश कभी-कभी अनुभव भी नही कर पाता।

[अग्रेजीसे]

यंग इडिया, १६-२-१९२१

१८०. हाथ कताईपर कुछ और विचार

'सर्वेट ऑफ इडिया' ने कताईकी जो हँसी उडाई है, उसका कारण तथ्योका अज्ञान ही है, मै यह बात आगे स्पष्ट करने जा रहा हूँ। नि सन्देह कताईसे स्त्रियोके सतीत्वकी रक्षा होती है। जिन स्त्रियोको खुले-आम सडकोपर काम करना पडता है और जिनके शील-भगका हर समय खतरा वना रहता है वे स्त्रियाँ कताईको अपनाकर अपनी रक्षा कर सकती हैं। मुझे अन्य किसी ऐसे धन्धेकी जानकारी नही है जिसे लाखो स्त्रियाँ अपना सकती हो। मै मजाक उडानेवाले इस लेखकको यह भी वता दूँ कि अनेक स्त्रियाँ कताईको अपनाकर अपने घरोकी सुरक्षित और पवित्र सीमाओमे ही जीविका कमानेमे समर्थ हो सकी हैं। उनका कहना है कि कताई-जैसी वरकत किसी और धन्धेमे नही है। मै तो यह भी मानता हूँ कि चरखेमे सगीत वाद्योके-से गुण हैं। अन्न और वस्त्रके अभावसे दु खी किसी स्त्रीको साजपर नाचने-गानेका उत्साह नही हो सकता। किन्तु मैने देखा है कि चरखेको चलते देखकर स्त्रियोके चेहरोपर मुस्कान थिरकने लगती है। वे जानती हैं कि इस अपरिष्कृत यन्त्रके सहारे वे अपने पहनने-खानेका प्रवन्ध कर सकती हैं।

जी हाँ, इससे भारतकी घोर कगालीकी समस्या सुलझ सकती है और यह अकालसे भी हमारी रक्षा कर सकता है। मजाक उडानेवाला लेखक सिंचाई और लोक सहायता सम्वन्धी कार्योकी उन पोलोसे अनभिज्ञ है जिन्हे मै अच्छी तरह जानता हूँ। ये काम निरी धोखा-धडी हैं। यदि मुझे सलाह देनेवाले ये महानुभाव घर-घरमे चरखेका प्रचार कर सके तो मै विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केवल चरखा ही अकालसे पूरा-पूरा सरक्षण प्रदान कर देगा। आस्ट्रियाका उदाहरण देना वेकार है। मै अपने

देशवासियोकी गरीबी और लाचारीको जानता हूँ, और इसलिए मैं तो सिर्फ उसी उपायकी बात सोच सकता हूँ जो भारतके लिए कामधेनु हो। चरखा भारतके लिए कामधेनु ही है। ईस्ट इंडिया कम्पनीके आनेसे पहले भारतके हर घरमे चरखा चलता था। भारतमें रुईकी खेती होती है इसलिए इस देशमे वाहरसे गज-भर भी सूत लाना अपराध है। लेखक द्वारा दिये गये आँकडे भी अप्रासगिक है।

सच तो यह है कि १९१७–१८ में भारतमें ६२ ७ करोड पौड सूतके उत्पादनके बावजूद विदेशोसे कई करोड गज सूतका आयात हुआ। मिलो तथा जुलाहोने इसका उपयोग किया। ऐसा लगता है कि लेखकको शायद यह भी नही मालूम कि जुलाहे मिलोसे ज्यादा सूत बुनते है। और चूंकि अधिकाश सूत विदेशी है इसलिए हमारे जुलाहे विदेशी कतवैयोका पोषण कर रहे है। अगर हम किसी दूसरे कार्यमे भी अपने समयका सदुपयोग कर रहे होते तो मैं इस बातको बुरा न मानता। किन्तु कताईका काम प्राय जबरदस्ती ही बन्द कर दिया गया है और उसका स्थान दासता और बेकारीने ले लिया है। आजकल हमारी मिले हमारी जरूरतका कपडा भी तैयार नही कर पाती। यदि कर भी पाये तो जबतक उन्हे विवश न किया जाये वे दामोमे कमी नही करेगी। मिलवाले तो बिना झिझकके धन कमानेपर तुले हुए है। वे राष्ट्रकी जरूरतोको देखकर दाम तय नही करेगे। हाथ कताईका उद्देश्य ही यह है कि इससे गरीब ग्रामवासियोको मजदूरीके रूपमे लाखो रुपये पहुँच सकें। हर कृषि-प्रधान देशमे एक अनुपूरक धन्धेकी आवश्यकता होती है जिससे किसान अपने खाली समयका सदुपयोग कर सके। भारतके लिए हमेशासे कताई अनुपूरक धन्धा रहा है। भारतके अद्भुत वस्त्रोमे जो अद्वितीय कलात्मकता भरपूर झलकती थी और जिससे ससार भरके लोगोको ईर्ष्या होती थी, इस प्राचीन धन्धेके नष्ट होनेसे लुप्त हो गई है और उसकी जगह आई है केवल दासता। क्या इस धन्धेके पुनरुद्धारका यह प्रयत्न कोरी कल्पना ही है?

और अब थोडा हिसाब-किताब भी देखिए। यदि एक लडका प्रतिदिन चार घण्टे काम करे तो ¼ पौड सूत कात सकता है। इस तरह ६४,००० विद्यार्थी प्रतिदिन १६,००० पौड सूत कात लेगे। और यदि एक जुलाहा दो पौड हाथकते सूतको बुने तो इस सूतसे ८,००० जुलाहोको जीविका मिल सकती है। पर शुद्धिके इस वर्षमे विद्यार्थियो और दूसरे लोगोको कताईको लोकप्रिय बनानेके लिए प्रायश्चित्त-स्वरूप कताई करनी है। इससे हाथ-कते सूतका उत्पादन चालू वर्षके लिए निश्चित उत्पादनसे भी बढ जायेगा। राष्ट्र यदि अत्यधिक आलसी हो गया है तो बात अलग है, नही तो यदि सभी इस काममे योग दे तो यह हदसे ज्यादा आसान है। इतना-सा मामूली त्याग करके और कुछ नही तो साठ करोड रुपयेकी वार्षिक बचत होगी। मैंने कई मिल मालिको, अर्थ-शास्त्रियो, व्यापारियो-से इस विषयमे बात की है और उनमे से कोई भी उपर्युक्त स्थितिको गलत साबित नही कर सका। मुझे लगता है कि 'सर्वेंट् ऑफ इंडिया' को एक गम्भीर विषयपर उचित गम्भीरता और तथ्योकी ठीक-ठीक जानकारी होनेपर ही विचार करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६–२–१९२१

१८१. हड़तालें

हड़तालें करना आजकल एक आम चीज हो गई है।[1] ये हड़तालें वर्तमान असन्तोषकी निशानी हैं। तरह-तरहके अस्पष्ट विचार हवामे फैल रहे हैं। सबके दिलोमे एक अस्पष्ट-सी आशा बँधी हुई है और यदि वह आशा कोई ठोस रूप धारण नही कर पाई तो लोगोको बडी निराशा होगी। अन्य देशोकी तरह भारतमे भी मजदूर-जगत् उन लोगोकी दयापर निर्भर है, जो उनके सलाहकार और पथ-प्रदर्शक बन जाते हैं। ये लोग सदा सिद्धान्तका ही अनुसरण नही करते और करते भी है तो सदा बुद्धिमानीसे नही करते। मजदूरोको अपनी हालतपर असन्तोष है। उनका असन्तोष मानना भी हर तरह बजा है। उन्हे सिखाया जा रहा है, और ठीक ही सिखाया जा रहा है, कि वे अपनेको मालिकोंके धनवान बननेका मुख्य साधन समझें। इसलिए उन्हे अपना काम छोड देनेको प्रेरित करनेमे ज्यादा कोशिश करनेकी जरूरत नही होती। राजनीतिक स्थितिका भी भारतके मजदूरोपर असर पडने लगा है। और ऐसे मजदूर-नेताओका अभाव नही है, जो समझते है कि राजनीतिक हेतुओके लिए हडतालें कराई जा सकती है।

मेरी रायमे राजनीतिक हेतुसे मजदूरो की हडतालोका उपयोग करना अत्यन्त गम्भीर भूल होगी। मैं इससे इनकार नही करता कि इस प्रकारकी हडतालोसे राजनीतिक उद्देश्य पूरे किये जा सकते हैं। परन्तु यह अहिंसक असहयोगकी योजना-मे नही आता। यह समझनेके लिए दिमागपर बहुत जोर डालनेकी जरूरत नही है कि जबतक मजदूर देशकी राजनीतिक स्थितिको समझने न लगे और सबकी भलाईके लिए काम करनेको तैयार न हो, तबतक मजदूरोका राजनीतिक उपयोग करना बहुत ही खतरनाक बात होगी। अभी इसकी उनसे अपेक्षा नही की जाती। और उस वक्ततक नही की जा सकती, जबतक वे अपनी खुदकी हालत अच्छे ढगसे जीवन-यापन करने योग्य न बना ले। इसलिए सबसे बडी जो राजनीतिक सहायता मजदूर कर सकते है वह यही है कि वे अपनी स्थिति सुधार ले, अधिक जानकार हो जाये, अपने अधिकारोका आग्रह रखे और जिस मालके तैयार करनेमे उनका महत्वपूर्ण हाथ होता है उसके उचित उपयोगकी भी मालिकोसे माँग करे। इसलिए मजदूरोका ठीक विकास अपना दर्जा बढाकर आशिक मालिकीका दर्जा प्राप्त करनेमे है। अत अभी तो हडतालें मजदूरोकी हालतके सीधे सुधारके लिए ही होनी चाहिए ओर जब उनमे देशभक्तिकी वृत्ति पैदा हो जाये, तब अपने तैयार किये हुए मालकी कीमतोके नियन्त्रणके लिए भी हडताल हो सकती है।

सफल हडतालकी शर्तें सीधी-सादी हैं और वे जब पूरी हो जाती हैं तो हडताल कभी असफल नही होती

१. सन् १९२० में भारत-भरमें २०० हडतालें हुई थी, और १९२१ में कमसे-कम ४०० हडतालें हुइ।

१ हडतालका कारण न्यायपूर्ण होना चाहिए।

२ हडतालियोको प्राय एकमत होना चाहिए।

३ हडताल न करनेवालोके विरुद्ध हिंसासे काम नही लेना चाहिए।

४ हडतालियोमे यह शक्ति होनी चाहिए कि सघोके कोषका आश्रय लिये विना वे हडतालके दिनोमे अपना पालन-पोषण कर सके। इसके लिए उन्हे किसी उपयोगी और उत्पादक अस्थायी धन्धेमे लग जाना चाहिए।

५ जब हडतालियोकी जगह लेनेके लिए दूसरे मजदूर काफी हो, तब हडताल वेकार ठहरती है। उस सूरतमे यदि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, अपर्याप्त मजदूरी दी जाये या ऐसा ही और कोई कारण हो तो त्यागपत्र ही उपाय है।

६ उपर्युक्त सारी शर्तें पूरी न होनेपर भी सफल हडतालें हुई है, परन्तु इससे तो इतना ही सिद्ध होता है कि मालिक कमजोर थे और उनका अन्त करण अपराधी था। हम अक्सर बुरे उदाहरणोका अनुकरण करके भयकर भूले करते है। सबसे सुरक्षित बात यह है कि हम ऐसे उदाहरणोकी नकल न करे जिनके बारेमे हम पूरी तरह कुछ नही जानते और उस अनुशासनका पालन करे जिसे हम सफलताके लिए अत्यावश्यक जानते और मानते है।

यदि हमे एक वर्षमे स्वराज्य प्राप्त करना है तो देशके प्रत्येक शुभ-चिन्तकका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न करे जिससे हमारे महान राष्ट्रीय लक्ष्यकी प्राप्तिमे एक दिनका भी विलम्ब हो सकता हो।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १६–२–१९२१

१८२. सामाजिक बहिष्कार

असहयोग, आत्मशुद्धिका आन्दोलन है और इस कारण वह हमारी सब कमजोरियोको सतहपर ला रहा है, यहाँतक कि हमारे सद्‌गुणोके अतिरेकको भी। सामाजिक वहिष्कारकी प्रथा युगो पुरानी है। इसकी उत्पत्ति जाति प्रथाके साथ हुई थी। इस भयकर दण्डका प्रयोग वडे कारगर ढगसे किया जाता था। यह इस विचारपर आधारित है कि समाज वहिष्कृत व्यक्तिको कोई भी आतिथ्य या सेवाऐं प्रदान करनेके लिए बाध्य नही है। प्रत्येक गाँव जब अपने-आपमे एक आत्मनिर्भर ईकाई था, और अवज्ञाकी घटनाएँ कम ही होती थी तब इससे काम चल जाता था। किन्तु जब असहयोगके औचित्यके विषयमे मतभेद हो, जैसा कि आज है, जब कि उसके नये प्रयोगकी परीक्षा हो रही है, तब अल्पमतको बहुमतकी इच्छाके सामने झुकानेके लिए सामाजिक वहिष्कारका फौरी प्रयोग अक्षम्य हिंसाका ही एक प्रकार हो जाता है। यदि वहिष्कारपर आग्रह किया गया तो वह हमारे आन्दोलनको अवश्य ही नष्ट कर देगा। सामाजिक वहिष्कारका प्रयोग तभी होना चाहिए, और वह कारगर भी तभी होता है, जब वहिष्कृत व्यक्तिको वह वहिष्कार दण्ड न लगे, बल्कि वह उसे अनुशासनिक कार्रवाईके रूपमे ले।

इसके अतिरिक्त, किसी भी अहिंसक अभियानमे सामाजिक वहिष्कारको शामिल किये जा सकनेकी शर्त यह है कि उसमे अमानुषिकताकी गन्ध भी न आये। वहिष्कारमे सौजन्य और सभ्यता होनी चाहिए। यदि उससे वहिष्कृत व्यक्तिको असुविधा होती है, तो वहिष्कर्त्ताको भी कष्ट होना चाहिए। इस प्रकार किसी मनुष्यको चिकित्सककी सहायतासे वचित करना — जैसा कि कहा जाता है, झाँसीमे किया गया — अमानुषिकताका एक ऐसा कृत्य है, जो नैतिक विधानके अनुसार हत्याका प्रयत्न करनेके वरावर है। मै किसी मनुष्यकी हत्या करनेमे और मरणासन्न व्यक्तिको चिकित्सासे वचित कर देनेमे कोई अन्तर नही देखता। मै समझता हूँ, युद्धके नियमोमे भी अपेक्षा की जाती है कि यदि शत्रु-पक्षके भी किसी व्यक्तिको डाक्टरी सहायताकी जरूरत हो तो उसे सहायता दी जानी चाहिए। किसी मनुष्यको गाँवके एकमात्र कुएँके उपयोगसे वचित करना उसे इस वातकी सूचना देना है कि वह गाँव छोड दे। निश्चय ही, असहयोगियोको अपनेसे भिन्न मत रखनेवालोके विरुद्ध ऐसा हद दर्जेका दवाव डालनेका कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधैर्य और असहिष्णुता अवश्य ही इस महान् धार्मिक आन्दोलनको नष्ट कर देगी। हम जवर्दस्ती लोगोको शुद्ध नही वना सकते, और हिंसाके वलपर हम उनसे अपना मत स्वीकार करा सके यह तो और भी असम्भव है। यह लोकतत्रकी उस भावनाके बिलकुल खिलाफ है, जिसको हम अपनेमे विकसित करना चाहते है।

यह ठीक है कि हमारे मार्गमे भारी कठिनाइयाँ है। यदि कोई प्रतिवादी पच-अदालतके सामने अपना मामला तो रखे, लेकिन उसके निर्णयको माननेसे इनकार कर दे, तो उस समय सामाजिक वहिष्कारका प्रयोग करनेका प्रलोभन अदम्य हो जाता है। फिर भी यह आसानीसे समझा जा सकता है कि सामाजिक वहिष्कारके प्रयोग द्वारा पच-निर्णयसे झगडोके निपटारेके उस शानदार आन्दोलनका ही रुक जाना लगभग निश्चित है, जो असहयोगका एक वहुत उपयोगी अस्त्र होनेके साथ ही एक ऐसा आन्दोलन भी है, जिसमे देशका बहुत वडा हित निहित है। पच-निर्णयका तरीका स्वीकार करनेमे लोगोको समय लगेगा। उसका सादगीपूर्ण और कम खर्चीला रूप ही कई लोगोको उसकी ओरसे विरक्त कर देगा, उसी प्रकार, जैसे चटपटे मसालेदार भोजनकी अभ्यस्त रसनाको सादे भोजनसे अरुचि होती है। सभी निर्णय सर्वदा निष्पक्ष और सन्देहसे परे भी नही होगे। हमे ऐसा विश्वास करना चाहिए कि इस आन्दोलनकी अपनी खूवियाँ और पच-अदालतोके सही निर्णय इसके महत्वको सिद्ध करेगे।

लोगो द्वारा कानूनी अदालतोका पूरा ऐच्छिक वहिष्कार करा सकना अत्यन्त वाछनीय है। यह एक ही वात स्वराज्य ला सकती है। किन्तु हम यह अपेक्षा करके नही चले है कि हम असहयोगके किसी एक ही क्षेत्रमे पूर्णता प्राप्त करेगे। जनमत इतना तो विकसित हो ही चुका है कि वह अदालतोको हमारी स्वतन्त्रताके चिह्न नही, वरन् दासताके चिह्न मानने लगा है। उसने यह वात लगभग असम्भव कर दी है कि वकील-वैरिस्टर अपना धन्धा भी करे, और जनताके नेता भी कहलाये।

असहयोगने अदालतोकी प्रतिष्ठाको वडी हदतक ध्वस्त कर दिया है और उसी हदतक सरकारकी प्रतिष्ठाको भी। विघटनकी प्रक्रिया धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे

जारी है। यदि विघटनका काम जल्दी पूरा करनेके लिए हिंसक तरीके अपनाये गये तो इस प्रक्रियाकी गतिमे बाधा पडेगी। हमारी यह सरकार हिंसाकी शक्तियोको रोकनेके लिए पूरी तरह सज्जित है। इसके विपरीत, अहिंसाकी बलवती-शक्तियोको रोकनेके लिए उसके पास कुछ नही है। भला मुट्ठीभर अंग्रेज स्वेच्छिक आत्म-त्यागके लिए तत्पर तीस करोड मनुष्योकी स्वेच्छाप्रेरित मताभिव्यक्तिका कैसे सामना कर सकते है ?

अत मै आशा करता हूँ कि असहयोगी कार्यकर्त्ता सामाजिक बहिष्कारके फदोसे सावधान रहेगे। किन्तु निश्चय ही सामाजिक बहिष्कार न करनेका मतलब सामाजिक मेल-जोल रखना नही है। जो मनुष्य महत्वपूर्ण मामलोमे शक्तिशाली और सुस्पष्ट जनमतकी उपेक्षा करता है, वह सामाजिक सुविधाओ तथा अधिकारोका पात्र नही है। हमे उसके शादी-विवाह, भोज आदि जैसे सामाजिक उत्सवोमे भाग नही लेना चाहिए और न उससे उपहार लेना चाहिए। हाँ, सामाजिक सेवासे उसे वचित नही करना चाहिए। सामाजिक सेवा एक कर्त्तव्य है। भोजमे शामिल होना तथा ऐसी अन्य बाते विशेष अधिकारकी बाते है, जिनका लाभ देना या न देना हमारी इच्छापर निर्भर है। मैने वहिष्कारकी जो मर्यादा बाँधी है उस रूपमे भी इसका प्रयोग विरल और सुनिश्चित अवसरोपर ही करनेमे बुद्धिमानी है, भले ही इसमे मेल-जोल रखनेकी गलतीकी गुजाइश हो। प्रत्येक मामलेमे वहिष्कारके अस्त्रका उपयोग करनेवाला व्यक्ति उसका उपयोग अपनी जोखिमपर ही करेगा। अभीतक तो उसका उपयोग किसी भी रूपमे कर्त्तव्य नही है और यदि उससे आन्दोलनको आघात पहुँचनेका खतरा हो, तो उसके उपयोगका किसीको भी अधिकार नही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-२-१९२१

१८३. भाषण : रोहतकके ग्रामीण सम्मेलनमें[1]

१६ फरवरी, १९२१

हमारा उद्देश्य स्वराज्य और खिलाफतके प्रश्नपर राहत प्राप्त करना है। यदि सरकार फिर मार्शल लॉ जारी कर दे तो अब लोग पेटके बल रेंगना स्वीकार नही करेगे। अब हममे इतनी शक्ति आ गई है कि हम पेटके वल रेंगने तथा यूनियन जैकके सामने झुकनेसे इनकार कर देगे। अपनी इच्छासे ३५ वर्षतक मैने सरकारका शासन स्वीकार किया है पर अब वल-प्रयोग करके भी मुझसे ऐसा नही कराया जा सकता। हमे सत्कार्य करके ईश्वरके सिपाही बनना है। हम इस सरकारको सुधार डालना चाहते है और यदि यह नही होता तो उसे हम खत्म कर देगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि किसी औरकी सेवा करनेके बदले आप ईश्वरके सेवक बनें। मेरी सलाह

१ पजावके हरियाना प्रदेशमें, गाधीजीने वैश्य हाई स्कूलकी नीव रखी और जाट स्कूल देखने गये। इस स्कूलको उन्ही दिनो राष्ट्रीय ढगसे चलाया जाने लगा था ।

है, जबतक आप लोग सरकारी नौकरी कर रहे है तबतक ईमानदारीसे अपना काम करे। सम्भवतया यहाँ एक थाना भी होगा और इस समय यहाँ कुछ पुलिसके कर्मचारी भी उपस्थित होगे। मेरा उनसे भी यही अनुरोध है कि लोगोसे, जो उनके अपने ही भाई-बन्धु है, विनम्रता और स्नेहका व्यवहार करे और उन्हे किसी प्रकार सताये नही। हमारे पास इतना धन नही है कि हम लोगोसे अपनी-अपनी नौकरी छोडनेके लिए कहे और फिर उन्हे भोजन दे सके। पर मै उनसे अपने कामपर बने रहकर भी ईश्वर-के सेवक बननेके लिए कहूँगा। अपने इस दुहरे उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हमने असहयोग शुरू किया है। आपको शान्तिपूर्वक उसे अपनाना चाहिए। इस सरकारका शासन पैशाचिक हो गया है। पर खुदाने भी शैतानको मौतके घाट नही उतारा था और हमे भी शैतानको मौतके घाट नही उतारना है। यदि [सरकारी] कर्मचारियोके पास अपनी गुजर-बसर करनेके लिए पर्याप्त धन है तो उन्हे एकदम नौकरी छोड देनी चाहिए, अन्यथा नही। यदि कोई [सरकारी] कर्मचारी नौकरी छोड देना चाहता है तो वह फौरन छोड दे। क्योकि स्वतन्त्र हुए बिना हम ईश्वरकी अर्चना आदि भी नही कर सकते। जो नौकरी कर ही रहे है वे चाहे तो बने रहे पर भविष्यमे और लोग भरती न हो। आप मद्यपान, सिगरेट या चोरी आदि सब छोड दे और पर-स्त्रीकी भी इच्छा न रखे। जो इन दुर्व्यसनोसे ग्रस्त है उन्हे कभी धर्मात्मा नही माना जा सकता। असहयोगमे भयको कोई स्थान नही है। देशमे बनी हुई चीजो और चरखे-को काममे लाये। हिन्दू-मुस्लिम एक हो। आप अपने झगडोका निर्णय पचायतोसे कराये। यदि आप मेरी सलाह मानेगे तो हमे सितम्बरतक स्वराज्य मिल सकता है। इसके लिए आप धन भी दे क्योकि हमे उसकी आवश्यकता है।

[अग्रेजीसे]

पुलिस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इन्टैलिजेस, पजाब, स० १

१८४. भाषण : गुजराँवालामे[1]

१९ फरवरी, १९२१

भाषण देनेसे पूर्व महात्मा गाधीने उपस्थित जनसमूहसे अनुरोध किया कि आप लोग कृपया शान्त रहे ताकि मेरी आवाज सब तक पहुँच सके, आप लोग बाते न करे, न ही सिगरेट आदि पीयें। महात्माजीने कहा, ‘जब मै भिवानी और रोहतकमे था तब मद्यपान, धूम्रपान और अन्य मादक पदार्थोके उपयोगके विरुद्ध प्रस्ताव पास किये गये थे। आप लोगोको भी ऐसा ही व्रत लेना चाहिए और जितेन्द्रिय बनना चाहिए। सभी स्त्रियोका माँ या बहनके समान आदर करना चाहिए और मन, वचन और

१. लाहौरमें राजद्रोह सभा-विधेयक लागू कर दिये जानेके कारण गाधीजी भाषण नही दे पाये थे। इसलिए गुजराँवालामें उनका भाषण सुननेके लिए हजारो व्यक्ति लाहौर आदि स्थानोसे आये थे।

कर्मसे शुद्ध रहना चाहिये। आप सभी स्वराज्य प्राप्त करना और खिलाफतके प्रश्नको सुलझाना चाहते है तथा पजाबके अन्यायका प्रतिकार भी चाहते है। असहयोग इन सबके लिए रामबाण हे। स्वराज्य प्राप्तिके दो साधन है—तलवारका बल या शान्तिपूर्ण ढग। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख लीगने अहिंसात्मक असहयोगसे स्वराज्य प्राप्त करनेका निश्चय किया हे। यदि आप एक वर्षमें स्वराज्य चाहते है तो आपको कालीकटके श्री याकूब हसनका[1] अनुसरण करना चाहिए। श्री याकूब हसनने लोगोको हिंसाके लिए उत्तेजित करनेके बजाय स्वेच्छासे जेल जाना स्वीकार किया। सरकारने उनसे जमानत मांगी पर उन्होने जमानत देनेसे इनकार कर दिया और छ महीनोके लिए जेल[2] चले गये। आप सबको जेल जानेके लिए तैयार रहना चाहिए। मै किसी अपराधके दण्डस्वरूप न तो स्वय जेल जानेको तैयार हूँ और न किसी औरको ऐसा करनेके लिए कहूँगा। पर स्वराज्यकी खातिर मै जेल जानेके लिए भी तैयार हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करे।

स्वराज्य प्राप्तिकी एक और शर्त हे जिसका सम्बन्ध विद्यार्थियोसे हे। यदि विद्यार्थी स्वराज्य चाहते है तो उन्हे स्कूल और कालेज छोडने ही पडेंगे, किन्तु ये असहयोगी विद्यार्थी उन दूसरे विद्यार्थियोको तग न करे जो अपनी पढाई छोडना नही चाहते। पर पढाई न छोडनेवाले विद्यार्थियोको भी असहयोगी विद्यार्थियोकी हँसी नही उडानी चाहिए। जो व्यक्ति क्रुद्ध हो जाता हे या कठोर भाषाका प्रयोग करता हे वह अपनी ही शक्तिको क्षीण करता है। जो पढाई जारी रखना चाहते है उन्हे तग न किया जाये। असहयोगी दूसरोके समक्ष मात्र अपना प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। मै आशा करता हूँ कि अगर मार्शल लॉ फिरसे लागू कर दिया गया तो आप पेटके बल रेंगना स्वीकार नहीं करेंगे। आप सब लोगोने यूनियन जैक, जो बहुतसे निर्दोष देशभाइयोको जेल तथा अण्डमान भेजनेवाली सरकारका प्रतीक है, के समक्ष झुककर अपने आपको अपमानित होने दिया हे। यह भारतके लिए सदैव लज्जाका प्रसग रहेगा। मै आशा करता हूँ, अगर फिर कोई डायर उठ खडा हुआ तो लोग उसकी गोलियोकी बौछारसे डर कर भागेंगे नहीं। वह गोलियोंमे पीठ नही, छाती बिंधवानेका साहस दिखायेंगे। आप सब सिपाही बनना चाहते है, सिपाही रणक्षेत्रसे भागते नही है, अपने कर्त्तव्यका पालन करते हुए मृत्युका आलिंगन करते है। यदि फिरसे जलियाँवाला बाग-जैसा कोई काण्ड हो जाये तो आप गोलियोकी बौछारके सामने मृत्युतक सीना ताने खडे रहेंगे।

पहली शर्त तो यह हे कि आपको शान्तिपूर्ण ढगसे काम करना हे। लेकिन इसके साथ ही आप निर्भय रहे। मुझे कई पत्र मिले है जिनमें अरब युवकोके साहसका वर्णन हे। सरकारने लालच देनेवाले कई सुझाव अरबोके सामने रखे। उन्होने रेतके

१ जिन्होने २० मई, १९२० को मद्रास विधान सभाकी सदस्यतासे त्यागपत्र दिया था।

२ याकूब हसन और उनके तीन साथियोको १७ फरवरी, १९२१ को सजा दी गई थी।

कारण अरबकी गर्म आबोहवाको ठण्डा करने और वहाँ रेले आदि बनानेके वादे किये, बशर्ते कि अरब लोग उन्हे अपने देशमें शासन करने दें। पर अरबोने विदेशी राज्यके बजाय अपनी तपती हुई रेतको ही ज्यादा पसन्द किया।

महात्माजीने कहा कि ड्यूक[1] यहाँ आये पर उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने न तो अपराधी अफसरोंको ही सजा दी और न डायरकी पेंशन ही बन्द की है। मै नहीं चाहता कि डायरपर मुकदमा चलाया जाये। पर मै यह तो अवश्य ही चाहता हूँ कि भारतीय राजकोषमें से उसे एक पाई भी न दी जाये। डायर-जैसे आदमियोको हमारे कोषमें से पेन्शन दी जा रही है। विद्यार्थियोको चाहिए कि वे ऐसी सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्कूलो और कालेजोको छोड दें। अदालतोंका भी बहिष्कार करना चाहिए। विद्यार्थियोके साथ-साथ वकीलोको भी अपने कर्त्तव्यका भान होना चाहिए। यदि पंजाबी स्वतन्त्र होना चाहते है तो उन्हे सुखोका त्याग करना सीखना होगा। यदि आप ऐसा करनेके लिए तैयार नहीं है तो स्वतन्त्रता प्राप्त करना असम्भव है।

स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए दूसरी शर्त है, विदेशी वस्तुओंका उपयोग न करना। विशेषतया विदेशी वस्त्रका। यदि आप स्वराज्यके लिए मरनेको तैयार है तो क्या आप विदेशी वस्त्रके बिना काम नहीं चला सकते? कुछ लोगोने मुझे बताया है कि यदि पंजाबी विद्यार्थियोसे चरखा अपनानेको कहा जायेगा तो वे भाग खड़े होगे। मै आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप देशकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते है और प्रति वर्ष साठ करोड रुपयेकी बचत करना चाहते है तो आपको फौरन विदेशी वस्त्रोका उपयोग बन्द करके चरखेको अपनाना चाहिए। मुझे बम्बईसे एक पत्र मिला, जिसमें लिखा है कि बम्बईके असहयोगी विद्यार्थियो द्वारा चरखा अपनाये जानेके परिणाम-स्वरूप उनके परिवारोके सदस्य भी उनका अनुसरण कर रहे है। कुछ लोग है जो कताईको स्त्रियोका काम मानते है। मेरी रायमें ऐसे विचारकी अभिव्यक्ति ही कायरताकी द्योतक है। यदि पंजाबके विद्यार्थी अर्थशास्त्रका सच्चा ज्ञान चाहते है तो उन्हें चरखेको अपनाना चाहिए क्योंकि उसीसे हमारा आर्थिक उद्धार हो सकता है।

महात्मा गाधीने आगे कहा कि पंजाबी युवक अपने माता-पिताको अंग्रेजीमे पत्र लिखते है, यह देखकर मुझे अत्यधिक क्लेश होता है। किसी विदेशी भाषाको अपनाकर हम कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकते। मुझे यह भी बताया गया है कि पंजाबी युवक फिजूल खर्च होते जा रहे हैं। दादाभाई नौरोजीका अनुमान है कि हमारी वार्षिक आय प्रति व्यक्ति सिर्फ २६ रुपये है। ऐसी स्थितिमें हम किस प्रकार विलासमय जीवन व्यतित कर सकते है? भारतमें लगभग तीन करोड़ व्यक्ति ऐसे है जिन्हें रोज एक बार भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। तब आप ऐशोआरामकी जिन्दगी बसर करनेकी बात भी कैसे सोच सकते है? आपको सादगीका जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने भाइयोकी सहायता करनी चाहिए। यदि एक लाख रुपये देकर

१. ड्यूक ऑफ कर्नाट।

पैसा एक तो कांग्रेसकी अखिल भारतीय समितिके कोषाध्यक्षको, दूसरे, कांग्रेसके कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाजको अथवा मियाँ छोटानीको[1] भेजा जा सकता है। जो इनमें से किसीके पास भी नहीं भेजना चाहते और सिर्फ 'नवजीवन' के कार्यालय-में ही भेजना चाहते हैं, वे 'नवजीवन' के कार्यालयको भेजें। उनके धनकी प्राप्तिकी सूचना 'नवजीवन' में दी जायेगी और वह पैसा गुजरात प्रान्तीय कांग्रेसके कोषा-ध्यक्षके पास भेज दिया जायेगा।

मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक गाँव तुरन्त ही इस कार्यको हाथमें ले लेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०–२–१९२१

१८६. क्रोध आनेपर क्या करना चाहिए?

मेरे अनुभवोंके भण्डारमें दिनोदिन वृद्धि होती जाती है। नित्य नये अनुभव। गोरखपुरकी यात्रा पूरी करनेके बाद हमें काशी जाना था। यात्रा ज्यादातर रातको होती है। हर महीने लगभग पन्द्रह रातें ट्रेनमें बीतती हैं, ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस रातको[2] तो हद ही हो गई। गाड़ी हरेक स्टेशनपर काफी देरतक रुकती थी और हर स्टेशनपर एकत्र लोगोंकी भीड़का शोर-गुल होता था। मेरे साथी लोगोंसे विनती करते और उस परिस्थितिमें जितना सम्भव था उतनी शान्ति रखनेका प्रयत्न करते थे। मैं बहुत थका हुआ और श्रान्त महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी और भाई महादेवने[3] एक स्टेशनपर लोगोंको शान्त रखनेका भारी प्रयत्न किया। लेकिन वे कहाँ माननेवाले थे। उन्हें तो मेरे 'दर्शन' अवश्य चाहिए थे। वे खिड़कीसे झाँकते थे, अनेक तरहकी बातें कहते थे और ताने भी मारते थे। आखिर, मेरा धीरज छूट गया। मुझे लगा कि मुझे अपनी पत्नी और महादेवकी कुछ रक्षा करनी ही चाहिए। मैं उठा और मैंने खिड़कीसे अपना सिर बाहर निकाला। मैं क्रोधसे जल रहा था और इसी कारण मैंने कुछ ओढ़ा भी नहीं था। सर्दी काफी थी लेकिन क्रोधमें मुझे वह कैसे महसूस होती? मैंने ऊँची आवाजमें लोगोंसे प्रार्थना की। उनकी 'जय' की आवाज और भी जोर पकड़ने लगी। मुझे बहुत खीझ आई। मैंने कहा, "आपको एक स्त्री और एक युवकपर तरस खाना चाहिए? आप इस तरह क्यों परेशान करते हैं? रातमें दर्शन कैसे?" लेकिन लोग तो यह सब सुनना ही नहीं चाहते थे।

मैं क्या करूँ? खिड़कीसे कूद जाऊँ? लोगोंको मारूँ? स्टेशनपर ही रह जाऊँ? कूद कैसे सकता था? रोनेसे क्या लाभ? लोगोंको मारना तो हो ही नहीं सकता? स्टेशन-

१ मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानी, बम्बईके एक राष्ट्रवादी नेता।

२ ८ फरवरी, १९२१ की रात।

३ महादेव हरिभाई देसाई (१८९२–१९४३), गांधीजीके निजी सचिव; सन् १९१७ में गांधीजीके साथ हुए। अपने जीवन-कालमें गांधीजीके विचारोंके प्रमुख भाष्यकार, वर्षोंतक गांधीजीके साप्ताहिकोंका सम्पादन किया। वे गांधीजीके अत्यन्त निकटवर्ती अनुयायियोंमें से थे।

पर रह जाऊँ तो काशी नहीं पहुँच सकता। लेकिन मेरा क्रोध किसी तरह कम नहीं होता था। लोग भी शान्त नहीं हो रहे थे। 'जय' की पुकारें बढ़ने लगीं। मैंने देखा कि प्रेम और घृणा दोनों ही में व्यक्ति अपने विवेकको खो बैठता है। मैंने अपना सिर पीट लिया लेकिन उसका कुछ असर न हुआ। मैंने एक बार फिर वैसा ही किया, इसपर एक व्यक्ति बोल उठा, "आप क्रोध करेंगे तो हमारी क्या गति होगी?" मुझे शर्म तो आई लेकिन मेरा क्रोध शान्त न हुआ। लोग शान्त होते तभी क्रोध उतरता। तीसरी बार फिर मैंने अपने सिरको पीटा। लोग घबराये। उन्होंने माफी माँगी, चुप हो गये और मुझे सो जानेके लिए कहा। एक सज्जनने[1] यह सब देखा, वे मेरे दुःखका अन्दाज लगा सके। इस तरह मुझे शान्ति मिली। बादके स्टेशनोंपर इन्हीं सज्जनने हमारी रक्षा की। जब-जब स्टेशन आता, तब वे लोगोंको समझाते, उनके 'दर्शन' करनेकी लालसाको दबाते और शान्ति स्थापित करते।

इस तरह अपना ही सिर पीट लेनेका अपने जीवनमें यह चौथा उदाहरण मुझे याद आता है। हर बारमें अपना सिर पीटकर ही शान्त हो सका हूँ। प्रेमसे भी व्यक्ति खीजने लगता है, इसका अनुभव तो मुझे अभी ही होने लगा है।

मेरे यह सब लिखनेका क्या कारण है, उसपर तो मैं अब आता हूँ। मनुष्यके सामने क्रोधित होनेके कारण उपस्थित होते ही रहते हैं। प्रत्येक अवसरपर क्रोधको रोकना उसका धर्म है और जैसे-जैसे वह अपने क्रोधको रोकता है वैसे-वैसे वह बहादुर बनता जाता है, उसका वीरज बढ़ता है, उसकी हिम्मत और आत्म-विश्वास बढ़ता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है। लेकिन जब वह क्रोधको न रोक सके तब वह अपने ऊपर ही प्रहार करे — यह क्रोधके निवारण करनेका सर्वोत्तम उपाय है। मैंने जिन चार प्रसंगोंका जिक्र किया है उनमें से तीन प्रसंगोंपर मुझे अपने स्नेही जनोंके उलटे कार्योंका दुःख था, और मैं उस दुःखको पी नहीं सका। शेष एक प्रसंग तो मेरे अपने ही एक अकार्यपर पश्चात्तापका था। मुझसे ऐसा पापाचरण बन पड़ा था कि मैं एकाएक तिलमिला उठा और अपने प्रति क्रोधसे जल उठा। उठकर मैंने अपने ऊपर सख्त प्रहार किया और उसके बाद ही मैं शान्त हो सका। चारों प्रसंगोंका असर मुझपर और मेरे आसपासके वातावरणपर अच्छा ही हुआ, ऐसा मैंने महसूस किया। क्रोधावेशमें जब मनुष्य दूसरे मनुष्यपर प्रहार करता है तब वह गिरता है और दूसरे मनुष्यके प्रति अपराधी ठहरता है। क्रोधसे पीड़ित होकर जब वह स्वयं दुःख सहन करता है तब वह पवित्र बनता है और दूसरोंपर भी उसका प्रभाव पवित्र ही पड़ता है।

हिन्दुस्तान इस समय इस राज्यके अत्याचारोंसे बहुत क्रुद्ध है। यदि हिन्दुस्तान स्वयं अपनेपर प्रहार करेगा, स्वयं दुःख सहन करेगा, तो वह जीतेगा और सितम्बर माससे पहले स्वराज्य प्राप्त करेगा। किसीको यह उलटा तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि "मैंने जो उदाहरण दिये हैं उनमें तो सब मेरे प्रेमीजन थे, इसीसे वे उस आत्मप्रहारके मर्मको समझ सके, यहाँ तो अंग्रेज हैं, उनपर हमारे आत्मप्रहारका क्या असर होगा?"

१ रामगोपाल, मऊकी खिलाफत समितिके सेक्रेटरी। महादेव देसाईने गांधीजीकी यात्राके अपने विवरणमें इनका उल्लेख किया है।

ऐसे प्रश्नसे नास्तिकता प्रकट होती है। आत्मप्रहार भी एक तरहकी तपश्चर्या है। उसका फल शुभ ही होता है। दुश्मनपर उसका असर हुए बिना नही रहता। लेकिन हमारा उद्देश्य अग्रेजोपर प्रभाव डालनेका नही है, हमारा आशय तो स्वय अपनेको पवित्र, दृढ, साहसी और निर्भय बनानेका है। हम निर्भय बनेगे तब हमपर कौन शासन करेगा? निर्भय जगली जातियोपर भी कोई शासन नही कर सकता तो फिर निर्भय हो जानेपर सभ्य हिन्दुस्तानपर कौन शासन कर सकेगा?

आत्मप्रहार करनेके सबल कारण होने चाहिए। क्रोधका कारण शुद्ध होना चाहिए। वैसा न हो तो उस स्थितिमे किया हुआ आत्मप्रहार आत्म-हत्या है और इसलिए निन्द्य है। वह सत्याग्रह नही हो सकता, वह तो दुराग्रह ही होगा।

ऐसे दुराग्रहके उदाहरण भी मेरे पास आते रहते है। किसीके घर बैठकर पैसेके लिए लघन करनेवाला व्यक्ति तपस्या नही करता, वह तो बस भूखो ही मरता है। यदि उसकी भूखसे उसपर झूठा तरस खाकर अन्य व्यक्ति पैसा भी दे दे तो वह कोई धर्म-कार्य नही होगा। आत्मप्रहारके उदाहरणका अनुकरण अगर विवेकपूर्वक न किया जाये तो जो दुःख सहन किया है उसके व्यर्थ हो जानेका भय है,

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०–२–१९२१

१८७. पत्र: जी० एल० कॉर्बेटको

रावलपिंडी
२० फरवरी, १९२१

प्रिय श्री कॉर्बेट,

आपका पत्र मुझे लाहौरमे बृहस्पतिवारको[1] मिला। इसके लिए धन्यवाद। यद्यपि लगता है कि हम दूर होते जा रहे है, फिर भी मुझे विश्वास है कि यह हमारे पास आनेकी ही प्रक्रिया है। हमे वास्तवमे आजका झूठा और अस्वाभाविक सम्बन्ध ही एक दूसरेसे दूर रखे हुए है।

मै स्वतन्त्र और स्वेच्छिक प्रवासके[2] विरुद्ध नही हूँ, किन्तु इस बारेमे मै उदासीन हूँ, यहाँतक कि इसको बढावा देनेके भी विरुद्ध हूँ। मेरा फीजीके अधिकारियोपर[3] बिलकुल ही विश्वास नही है। इस बारेमे मै इतना काफी सुन चुका हूँ कि भारतीय प्रवासियोंके कथनकी सचाईपर मुझे पूरा विश्वास हो गया है। ऐसी परिस्थितियोमे एक भी प्रवासीका फीजी जाना मै खेदजनक समझूँगा। भारतीयोका प्रवास तभी उचित कार्य माना जा सकेगा जब भारत पूरी तौरपर खुदमुख्तियार बन जाये और उपनि-

१. १७ फरवरी।
२. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ६-८।
३. जिन्होने भारतीय प्रवासियोको वहाँ भेजनेका प्रस्ताव किया था।

देशोके साथ समानताके आधारपर व्यवहार करने लगे। किन्तु फिर भी आज जब कि भारतमे विक्षोभ व्याप्त है और साम्राज्यमें उसका दर्जा अनिर्धारित ही है, आप जाँच-पडतालके लिए फीजो जाते हैं तो आप जान-बूझकर भारतके साथ कोई अन्याय नही करेंगे, यह मैं जानता हूँ।

अछूतोके प्रति हिन्दुओके व्यवहारके प्रश्नपर मैं आपसे पूर्णत एकमत हूँ। इस बुराईका कोई भी औचित्य सिद्ध नही किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि साम्राज्यमे भारतके साथ अछूतो-जैसा जो व्यवहार किया जाता है उसके मिटनेके साथ ही, हिन्दू धर्म द्वारा बरती जानेवाली अस्पृश्यता भी मिट जायेगी। मैं समझता हूँ कि हमने तथाकथित अछूतोके साथ जो व्यवहार किया है, उसीका उचित दण्ड हमे मिला है कि साम्राज्यमें हमारी स्थिति अछूतो-जैसी है।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७४६५) की फोटो नकलसे।

१८८. पत्र : गंगाराम शर्माको

लाहौर

२१ फरवरी, [१९२१][1]

प्रिय गगारामजी,

आपके खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं

१ आपने और श्री गौरीशकरने गबन किया है।
२ आपके ज्यादातर स्कूल फर्जी हैं।
३ आपने एक फर्जी समिति बना रखी है।
४ आपने रुपये-पैसेका कोई लेखा-जोखा प्रकाशित नही किया है।
५ कहा जाता है कि जिन्हे आपके स्कूलोसे लाभ पहुँचता है, आप उन लोगोसे चन्दा वसूल नही करते।
६ आपपर गबनका आरोप लगाया गया था, और आप बरी हो गये थे। लोगोका विश्वास है कि आरोप सर्वथा निराधार नही था।
७ आप एक औरत रखे हुए हैं, और उससे आपके बच्चे भी हैं।

उक्त आरोपोपर विश्वास करनेका पर्याप्त कारण मालूम पडता है। यदि आप जाँच करवाना चाहते हो तो जिन कुछ मित्रोके नाम आपने सुझाये हैं उन्हे मैं जाँच करनेके लिए कह दूं।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७४४१) की फोटो-नकलसे।

१ इस वर्ष २१ फरवरीको गाधीजी लाहौरमें थे ।

१८९. तार : मियाँ छोटानीको

२२ फरवरी, १९२१

यदि कमसे कम माँगोपर दृढ रहे और हकीमजीके अधिकृत सचिव, सलाहकार तथा दुभाषियेके रूपमे अन्सारी आपके साथ जाये तो आप जा सकते है। डा० अन्सारी बृहस्पतिवारको वहाँ पहुँच रहे है। मेरे लिए पजाब छोडना असम्भव[1] है। पूर्ण विचार-विमर्शके लिए आगामी शनिवारतक प्रस्थान स्थगित रखे।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ २०८।

१९०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

लाहौर

२२ फरवरी, [१९२१][2]

प्रिय चार्ली,

तुम्हारे दो पत्र मिले। तुम्हे स्वस्थ हो जाना चाहिए।

सिखोसे सम्बन्धित दु खद घटनापर[3] ही मेरा सारा ध्यान लग रहा है। कृपया मुझे बताओ कि गुरुदेवकी घोषणाके बारेमे जो अश 'यग इडिया' मे प्रकाशित हुआ है, क्या वह सही है।

मै अन्य सभी गतिविधियोको स्थगित कर देना चाहता हूँ — कहनेका अर्थ यह है कि जबतक जनता अपनी शक्तिको नही पहचानती, कोई और कदम उठाना निष्फल ही होगा। यह ठीक उसी तरह है जैसा कि 'बाइबिल'मे कहा गया है कि 'पहले तू अपने अन्दर ईश्वरके साम्राज्यका अनुभव कर'। अर्थात् इसके बिना कुछ नही होगा। यह तो मै भी चाहूँगा कि हमारे युवक हिन्दुस्तानी सीखनेकी अपेक्षा देहातोमे जाये। पर तुम्हे नही मालूम कि [ऐसा करनेमे] वे कितने असहाय है। उनमे से बहुत कम देहाती जीवन बिता सकते है। और इसीलिए मै कहता हूँ कि १० मासके सक्रमण-कालमे उन्हे चरखा कातने दो, उन्हे अपनी मातृभाषाके माध्यमसे अपने ज्ञानको आत्म-

१ गाधीजी १५ फरवरी से ८ मार्च तक पजाबमें रहे और १० मार्चको बम्बई पहुँचे ।

२ इस वर्ष २२ फरवरीको गाधीजी लाहौरमें थे ।

३. यह दु खद घटना २० फरवरी, १९२१ को लाहौरके पास ननकाना साहबके गुरुद्वारेमें घटी थी, देखिए "भाषण ननकाना साहबमे", ३-३-१९२१ तथा "सिख जागृति", १३-३-१९२१ ।

सात् करने और हिन्दुस्तानी सीखने दो। जो युवक यह वायदा नही करते कि यदि वे दस महीनोतक ऐसा नही कर पायेगे या नही करेगे तो सालके अन्तमे अपना सामान्य अध्ययन चालू कर देगे, उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि वे कालेज न छोडे। वे तभी सरकारी कालेजको छोडे, जब वे समझे कि उन कालेजोमे पढना पाप है, अन्यथा न छोडे।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

अगेजी पत्र (जी० एन० ९५९) की फोटो-नकलसे।

१९१. पत्र: ए० एफ० फ़्रीमैटलको[1]

[२३ फरवरी, १९२१ के पूर्व]

प्रिय महोदय,

आपका १२ तारीखका पत्र अभी-अभी मिला है। उत्तर तफसीलसे नही दे पा रहा हूँ, इसके लिए कृपया क्षमा करेगे।

जो पत्र[2] आपने कभी देखा नही, तथा जिसका अनुवाद भी आपने अशत ही पढा है, उसकी आलोचना करके आपने अपने प्रति भी न्याय नही किया। यदि पत्र पढा होता, तो आपने देखा होता कि अपनी सेवाओका उल्लेख, मैने जो कष्ट सहे उनका प्रदर्शन करनेके लिए नही किया, यह दिखानेके लिए तो और भी नही कि वे नि स्वार्थ थी। मैने उनका उल्लेख मात्र यह दिखानेके लिए किया था कि प्रतिकूल परिस्थितियोके बीच भी ब्रिटेन और भारतके सम्बन्धोमे मेरी कैसी एकाग्र निष्ठा रही। मेरी सेवाएँ नि स्वार्थ नही थी, क्योकि मेरा विश्वास था कि मै उन सेवाओके द्वारा अपने देशको स्वतन्त्रताकी ओर ले जानेमे सहायक बनूँगा। अग्रेजोके शौर्य तथा आत्मत्यागका उल्लेख निरर्थक है। अग्रेजोके शौर्य तथा आत्मत्यागमे कोई सन्देह नही किया जा सकता। किन्तु क्षमा करे, अग्रेजोकी राष्ट्रीय नि स्वार्थताका दावा मै पूर्णत अस्वीकार करता हूँ। मै उस समय भी ऐसा नही मानता था, और आज ससार भी ऐसा नही मानता कि पिछला युद्ध न्यायके लिए हुआ था, या कि वह नि स्वार्थ था। आप लोग जर्मनोको कुचल देना चाहते थे, और फिलहाल आप कामयाब हो गये है। मै नही समझता कि जर्मन लोग उतने बडे शैतान है, जितना कि उन्हे इग्लैडके अखबारोने चित्रित किया है, न मै यही समझता हूँ कि यदि वे जीत जाते तो दुनियाका खात्मा हो गया होता।

१ इनके पत्रकी महत्त्वपूर्ण बातें उत्तरसे लक्षित हो जाती हैं। पूरे पत्रके लिए देखिए **यंग इडिया,** २३–२–१९२१।

२ देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३९७–४००।

आपका खयाल है कि मैं औरोकी अपेक्षा एक उच्चत्तर स्थितिमे हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे इसका कोई भान नही है। हाँ, मैं एक ज्वालामुखीकी चोटीपर अवश्य हूँ, जिसे मैं अदहनशील दृढ चट्टानमे बदलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। यह भी हो सकता है कि मेरे कामयाब होनेसे पहले ही वह किसी क्षण फूट पडे। लेकिन ऐसी सम्भावनाएँ, दुर्भाग्यवश, सुधारकोके भाग्यमे रहती ही है।

मेरे आदर्शवादसे आप चिन्तित है। यदि आपने मेरे लेखोको पढनेका कष्ट किया होता, तो आपको मालूम होता कि वह अत्यन्त व्यावहारिक है।

आपने यह अनुमान सही लगाया है कि मूलत मैं सहयोगी हूँ। जब लगभग तीस वर्षोसे मैं यही रहा हूँ तब और कुछ मैं हो भी कैसे सकता था? मैं निश्चय ही इस प्रतीक्षामे हूँ कि अवसर मिले और मैं सहयोग करूँ, किन्तु विश्वास कीजिए, वह सहयोग तबतक नही दिया जायेगा, जबतक अग्रेज लोग मुसलमानोकी भावनाके अनुसार खिलाफतकी शर्तोको तय करनेकी आवश्यकता अनुभव नही करते, जबतक वे पजाबको सोच-समझकर पहुँचाई गई यातनाके लिए पश्चात्ताप नही करते, और जबतक वे अपने-आपको हमारे सरक्षक और शासक समझना नही छोडते। भारतीय अग्रेजोको अपने मित्र, साथी, कार्यकर्त्ता तथा बराबरीके साझेदारोकी नाई खुशी-खुशी भारतमे रखेंगे, किन्तु यदि वे अपने निजी लाभके लिए हमारे देशका शोषण करना चाहते है, तो फिर यदि उनसे बने, वे ऐसा करे, किन्तु ऐसा उन्हे हमारे सहयोगके बिना ही करना होगा।

मुझपर सत्यसे विचलित होनेका अपराध लगाना आपने उचित समझा है। यहाँ भी दोष आपके विस्मयजनक अज्ञानका है। आपको यह सूचना ठीक मिली कि मैंने कच्चागढीकी घटनासे सम्बन्धित वक्तव्यपर विश्वास किया था। यह ऐसे व्यक्तियोने शपथपूर्वक दिया था जिनपर अविश्वास करनेका मेरे पास कोई कारण नही था। किन्तु ज्यो ही मुझे उसका प्रतिवाद प्राप्त हुआ, मैंने उसे अपने हस्ताक्षर सहित प्रकाशित किया था। मैं आपका ध्यान 'यग इडिया' के अकोकी ओर आकर्षित करता हूँ। अन्तमे, मेरा अनुरोध है कि आप असहयोग आन्दोलनका अध्ययन करने तथा उसे समझनेका प्रयत्न करे। आप देखेंगे कि उसकी भावना अग्रेज विरोधी नही है। वह एक धार्मिक आन्दोलन है और आत्मशुद्धिका आन्दोलन है। वह एक ऐसा आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य है अन्याय, असत्य, आतकवादका विरोध करना, तथा भारतवर्षमे स्वराज्यकी स्थापना करना। आप मानेंगे कि पारस्परिक अविश्वास तथा भयके स्थानपर विश्वास तथा निर्भयताकी स्थापना करना ज्यादा अच्छी बात है।

यह आन्दोलन उस दु खद स्थितिको समाप्त करनेका प्रयास है। मैं इस प्रयत्नमे आपका सहयोग चाहता हूँ।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
यंग इडिया, २३–२–१९२१

१९२. टिप्पणियाँ

वकील और विद्यार्थी किस प्रकार सहायता करें?

जहाँ कही भी मै गया हूँ मुझसे यह पूछा गया है कि जो विद्यार्थी और वकील काग्रेसके उनसे सम्बन्धित प्रस्तावका पालन नही कर सकते वे इस आन्दोलनमे किसी दूसरी प्रकारकी सहायता कर सकते है या नही। यह एक विचित्र-सा सवाल है। क्योकि इसमे यह ग्रहीत है कि जो विद्यार्थी या वकील असहयोग नही कर सकते वे [कदाचित्] और कोई मदद नही कर सकते। नि सन्देह ऐसे सैकडो विद्यार्थी और बीसियो ऐसे वकील होगे जो केवल दुर्बलतावश ही अपनी पढाई या वकालत नही छोड सकते। पर यदि कोई वकील वकालत नही छोड सकता तो भी वह आर्थिक सहायता तो कर ही सकता है। वह अपना खाली समय सार्वजनिक सेवाकार्यमे लगा सकता है। वह अपने धन्धेमे ईमानदारी और खरे व्यवहारका प्रचलन कर सकता है। अर्थात् वह अपने मुवक्किलोको सिर्फ रुपया ऐंठनेका साधन न माने और न वह दलालोके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रखे। मुकदमोका फैसला पचोसे करानेमे भी वह सहायता दे सकता है। और कुछ नही तो वह स्वय प्रतिदिन एकाध घण्टा कताई करके अपने पारिवारिक जीवनमे सादगी लानेका प्रयत्न कर सकता है। वह अपने परिवारके सदस्योको नियमपूर्वक प्रतिदिन कुछ समय कताई करनेके लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है। वह चाहे तो अपने और अपने परिवारके लिए खादीका उपयोग कर सकता है। ये कुछ ऐसी बाते है जिनका पालन कोई भी वकील कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति असहयोग कार्यक्रमके किसी विशेष भागका पालन नही कर सकता या नही करना चाहता तो उसे दूसरी बातोका पालन करनेसे कतराना नही चाहिए। वकालत करनेवाले वकीलको सिर्फ यह एक बात नही करनी चाहिए — आगे बढकर जनताका नेतृत्व। उसे चुपचाप काम करके ही सन्तोष करना है। वकालत करनेवाले इन वकीलोके लिए जो कुछ मैने कहा है वही बात उन विद्यार्थियोपर भी लागू है जो पढाई नही छोड सकते या छोडना नही चाहते। हमारे अधिकाश स्वय-सेवक विद्यार्थी है। स्वयसेवकके रूपमे कार्य करना एक विशिष्ट अधिकार है। जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल नही छोड पाया उसे राष्ट्र यह अधिकार नही दे सकता और उसे भी राष्ट्रके आकाक्षाहीन सेवक बने रहनेमे सन्तोष करना होगा। यद्यपि हम स्कूलो और कालेजोका पूर्ण बहिष्कार नही कर सकते तो भी हमे उनकी प्रतिष्ठाको तो कम करना ही है। उनकी अब पहलेकी तरह प्रतिष्ठा नही रही है और रही-सही प्रतिष्ठा भी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। जबतक इन सस्थाओका राष्ट्रीयकरण नही हो जाता और वे राष्ट्रकी आवश्यकतानुसार अपनेको ढाल नही पाती तबतक उनकी प्रतिष्ठाकी पुन स्थापनाके लिए हम कुछ नही करेगे।

हुल्लड़बाजी

नि सन्देह श्री [वी० एस० श्रीनिवास] शास्त्री और श्री [आर० पी०] पराजपेके लिए आयोजित बम्बई और पूनाकी सभाओमे जनताने जो लज्जाजनक व्यवहार किया उससे असहयोग [आन्दोलन] की बहुत बडी हानि हुई है। इस घटनाका मैंने यह स्पष्टीकरण भी सुना है कि यह गुण्डागिरी असहयोगी विद्यार्थियोने नही, उन लोगोने की जो आन्दोलनको बदनाम करना चाहते है और जो असहयोगी विद्यार्थियोके प्रति लोगोके मनमे पूर्वग्रह पैदा करना चाहते है। यह स्पष्टीकरण कुछ हदतक सही भी हो सकता है, क्योकि नि सन्देह ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो इस आन्दोलनका गला घोटनके लिए हिंसापर उतर सकते है। लेकिन असहयोगकी यथाशीघ्र सफलताके लिए हमे ऐसी सम्भावनाओका सामना करनेके लिए भी तैयार रहना है। पराजित सिपाही अपनी सफाईमे कठिनाइयोका बयान करके नही छूट सकता। जब जनरल बुलर[1] लेडी स्मिथका घेरा तोडनेमे असमर्थ रहे तो उन्हे अधिकारच्युत[2] कर दिया गया। जब लार्ड रॉबर्ट्स[3] दक्षिण आफ्रिकी युद्धका कुछ निर्णय नही करा पाये तो कमान लार्ड किचनरको सौप दी गई। यह सरकार तभीतक चल सकती है जबतक वह असहयोगकी पकडमे नही आती। यदि असहयोगी विद्यार्थी अपयश नही कमाना चाहते थे तो उन्होने बम्बई या पूनाकी सभाओमे भाग क्यो लिया? सभाकी सूचनाओमे यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि वही व्यक्ति सभामे भाग ले जो दूसरे पक्षकी बात सुननेके लिए भी इच्छुक हो। इस प्रकार बम्बई या पूनामे हुई घटनाओकी कोई सफाई नही दी जा सकती। इसके अलावा यह बात भी अकसर भुला दी जाती है कि श्री शास्त्री और पराजपेकी गिनती देशके योग्यतम नेताओ और अनन्य देशभक्तोमे की जा सकती है। उन्हे भी देशसे उतना ही प्रेम है जितना असहयोगियोको। वे हमारे बारेमे सोचते है कि हम गलतीपर है। हम भी उनके बारेमे यही सोच सकते है। किन्तु यदि हम अपने विरोधियोकी बात सुननेसे इनकार करे तो यह हमारी भारी भूल होगी।

इसके साथ हमारा अग्रेजोके पूर्वोदाहरण देकर हुल्लडबाजीका औचित्य सिद्ध करना भी आवश्यक नही है। पहले हम इसे धार्मिक आन्दोलन मानना बन्द करे और तब अग्रेजी सभाओके शोरगुल और अक्खडबाजीकी नकल करे। हमारा बल इसीमे है कि हम बिना सोचे-विचारे विदेशी या किसी अन्य दृष्टान्तका अनुकरण न करे। सफल होनेके लिए यह आवश्यक है कि यह आन्दोलन तत्त्वत अहिंसात्मक हो और हर कदमपर, हर समय अपनी विशिष्टता बनाये रखे।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २३-२-१९२१

१. सर रेडवर्ज हेनरी बुलर (१८३९-१९०८), बोअर युद्धके समय ब्रिटिश सेनापति।

२ बुलरके स्थानपर रॉबर्ट्स सेनापति नियुक्त हुए।

३. फ्रेडरिक स्ले रॉबर्ट्स, भारतमें ब्रिटिश सेनाध्यक्ष (१८८५-९३), १८९९-१९०० तक दक्षिण आफ्रिकामें।

१९३. स्वराज्यकी शर्तें

यदि कुछ सरल-सी शर्तें पूरी की जा सके तो स्वराज्य आगामी अक्तूबरसे पहले सरलतासे प्राप्त किया जा सकता है। पिछले सितम्वर माहमे मैंने एक सालमे स्वराज्य प्राप्न होनेकी वात कहनेकी हिम्मत की थी, क्योकि मै जानता था कि शर्ते वहुत ही सरल हैं। मुझे यह भी लग। था कि देशका वातावरण अनुकूल है। पिछले पाँच महीनोंके अनुभवने मेरे इस मतको पुष्ट किया है। मुझे विश्वास हो गया है कि देश स्वराज्यकी स्थापनाके लिए इतना तैयार कभी नही रहा, जितना आज है।

लेकिन शर्तोंको यथासम्भव सही-सही जानना हमारे लिए आवश्यक है। एक सबसे वडी और अपरिहार्य शर्त है अहिंसाको वरकरार रखना। अभी हालमे हमने जो उपद्रव, हुल्लडवाजी, लूटपाट वगैरह देखे, वे विचलित करनेवाली चीजे हैं। ये खतरेके सूचक हैं। हमें उनकी वढतीको रोक सकना चाहिए। आतकवादके रहते हुए एक सालके अन्दर लोकतन्त्रकी भावना नही लाई जा सकती — चाहे वह आतकवाद सरकारका हो, या जनताका। कुछ दृष्टियोमे जनताका आतकवाद लोकतन्त्रात्मक भावनाके विकासमे सरकारके आतकवादकी अपेक्षा अधिक बाधक होता है। कारण, सरकारका आतकवाद लोकतन्त्रकी भावनाको मजवूत वनाता हे, जव कि जनताका आतकवाद उसे नष्ट कर देता है। डायरवादने स्वातन्त्र्यकी उत्कठाको जैसा जगाया है वैसा अन्य किसी चीजने नही। किन्तु आन्तरिक डायरवाद चूंकि वहुमतका आतकवाद होगा, इसलिए वह ऐसे अल्पतन्त्रकी स्थापना करेगा जो स्वतन्त्र विचार-विमर्श तथा स्वतन्त्र आचरणकी भावनाका गला ही घोट देगा। अत द्रुत सफलताके लिए सरकारके प्रति भी और पारस्परिक व्यवहारमें भी, अहिंसा नितान्त आवश्यक है। हमे कोई कितना भी छेडे, हमारा आचरण अहिंसापूर्ण ही हो, हमें ऐसा उपाय करना चाहिए।

दूसरी शर्त हे, नये सविधानके[1] अनुसार काग्रेसका सगठन करनेकी हमारी योग्यता। इस सविधानका उद्देश्य प्रत्येक गाँवमे उचित निर्वाचक-मण्डलकी सहायताके साथ काग्रेसकी इकाइयाँ स्थापित करना है। इसके लिए पैसा और काग्रेसकी विभिन्न नीतियोको कार्यान्वित करनेकी योग्यता, दोनो चाहिए। सचमुच आवश्यकता कोई वडे त्यागकी नही, वरन् सगठन करने तथा मिलजुल कर साधारण काम करनेकी योग्यताकी है। अभी तो हम अपने देशके साढे सात लाख गाँवोके प्रत्येक घरमे काग्रेसका सन्देश पहुँचानेमें भी सफल नही हुए हैं। यह काम करनेके लिए हमें २५० जिलोके लिए इतने ही ईमानदार कार्यकर्ता चाहिए, जिनका अपने-अपने जिलेमे प्रभाव हो और जो काग्रेसके कार्यक्रममे विश्वास रखते हो। किसी भी गाँव, अथवा मण्डलका अपने सगठनकी स्थापना करनेके लिए, मुख्यालयसे आदेश प्राप्त करनेके लिए ठहरना आवश्यक नही है।

१ देखिए पृष्ठ १९४-२०२।

कुछ वाते है जो सभीपर लागू होती है। सबसे अधिक समर्थ वस्तु है स्वदेशी। हर घरमे चरखा अवश्य होना चाहिए, और हर गाँवको एक महीनेसे कम समयमे अपने आपको सगठित कर लेना चाहिए तथा कपडेके मामलेमे आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। जरा सोचिए कि इस मौन क्रान्तिका क्या अर्थ है, और तब आपको मेरी तरह यह विश्वास करनेमें कोई कठिनाई नही होगी कि स्वदेशी ही स्वराज्य है, स्वधर्म है।

प्रत्येक पुरुष और स्त्री तिलक स्वराज्य कोषमे कुछ धन दे सकता है — चाहे एक पैसा ही क्यो न दे। और हमे आन्दोलनके लिए धनकी व्यवस्थाकी कोई चिन्ता नही करनी चाहिए। सभी स्त्री-पुरुष एक वर्षके लिए सभी विलासकी वस्तुओ, शरीर-सज्जाके अलकारो और सभी मादक-द्रव्योका परित्याग कर सकते है। तब हमारे पास पैसा तो होगा ही, इसका यह मतलब भी होगा कि हम इसके साथ ही अनेक विदेशी वस्तुओका बहिष्कार भी कर रहे है। हमारी सभ्यता, हमारी सस्कृति, हमारा स्वराज्य इस बातपर निर्भर नही कि हम अपनी आवश्यकताएँ कितनी बढाते है — सुख-भोगके प्रति कितने आसक्त होते है, वे तो इस बातपर निर्भर है कि हम अपनी आवश्यकताएँ कितनी कम करते है, हममे कितना आत्म-वर्जन है।

हिन्दू-मुस्लिम एकताके बिना, तथा अस्पृश्यताके सर्पको मारे बिना हम कुछ नही कर सकते। अस्पृश्यता वह विष है, जो हिन्दू समाजके मर्मको खोखला कर रहा है। वर्णाश्रम ऊँच-नीचका धर्म नही है। भगवान्‌का कोई भी भक्त किसी दूसरे आदमीको अपनेसे नीचा नही समझ सकता। उसे तो प्रत्येक मनुष्यको अपना सगा भाई मानना चाहिए। यही प्रत्येक धर्मका आधारभूत सिद्धान्त है।

यदि यह धार्मिक युद्ध है तो पाठकोको यह विश्वास दिलानेके लिए तर्क देनेकी आवश्यकता नही है कि आत्म-वर्जन उसकी सर्वोच्च कसौटी होनी चाहिए। धार्मिकताके बिना खिलाफतको बचाया नही जा सकता, और न पजाबके लोगोके प्रति हुए अन्यायका निराकरण ही हो सकता है। धार्मिकताका अर्थ है हृदय-परिवर्तन — राजनीतिकी भाषामे कहे तो दृष्टिकोणका बदलना। और ऐसा परिवर्तन एक क्षणमे आ सकता है। मेरा विश्वास है कि भारत उस परिवर्तनके लिए तैयार है।

तो हम इन बातोपर अपना ध्यान केन्द्रित करे:

(१) अहिंसाकी भावना विकसित करना।

(२) प्रत्येक गाँवमे काग्रेस सगठनकी स्थापना करना।

(३) प्रत्येक घरमे चरखेका प्रवेश कराना, और अपनी आवश्यकताका सारा कपडा गाँवके बुनकरोसे तैयार करवाना।

(४) जितना पैसा सम्भव हो, इकट्ठा करना।

(५) हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढ़ाना, और

(६) हिन्दू-धर्मको अस्पृश्यताके शापसे मुक्त कराना तथा मादक द्रव्योका त्याग करके अपनेको अन्य प्रकारसे शुद्ध बनाना।

क्या हमारे पास इस बहुत ही साधारण कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए ईमानदार, त्यागशील, उद्योगी और देशभक्त कार्यकर्त्ता हैं? यदि हैं, तो आगामी अक्तूबरसे पहले ही भारतमें स्वराज्य स्थापित हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-२-१९२१

१९४. क्या ईसाने असहयोग किया था?[1]

पाठक शायद मेरी इस बातसे सहमत होंगे कि रेवरेंड गिलिस्पीने[2] अपने कमजोर पक्षको और भी कमजोर कर लिया है। मुझे विश्वास है कि असहयोगी भी ठीक उन्हीं शर्तोंपर सहयोग करनेको तैयार होगा जिनकी चर्चा वे "बाइबिल"की कहानीवाले "पथभ्रष्ट पुत्र"के सम्बन्धमें करते हैं। अगर 'बाइबिल'की कहानीके उस लड़केके समान सरकार भी ठीक रास्तेपर वापस लौट आये तो सभी असहयोगी बहुत हर्ष मनायेंगे। यदि मनोनीत नये वाइसरायका[3] इरादा सचमुच नेक होगा तो असहयोगियोंसे वे जितनी भी सहायताकी आशा रखते होंगे, उन्हें मिलेगी। अस्पृश्यताके सम्बन्धमें रेवरेंड गिलिस्पीकी बात काफी हदतक ठीक है। अस्पृश्यतामें विश्वास रखनेवाला कोई भी व्यक्ति इस सरकारकी निन्दा करनेका कोई हक नहीं रखता। न्यायपूर्ण समताके व्यवहारकी माँग करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं सर्वथा निर्दोष होना चाहिए, यह सिद्धान्त सबपर लागू होता है। रेवरेंड गिलिस्पी देखें कि अस्पृश्यताको बनाये रखनेवाले हमारे भारतीय निश्चय ही सरकारसे सहयोग करनेवाले लोगोंकी पंक्तिमें ही हैं। असहयोगका तो मतलब ही मनुष्यमें आन्तरिक सुधार करना है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-२-१९२१

१ इस लेखमें गांधीजीने रेवरेंड गिलिस्पीके उस पत्रकी टीका की है जो उन्होंने २२ जनवरी, १९२१ को राजकोटसे भेजा था। उक्त पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

२ रेवरेंड गिलिस्पीने अपने पत्रमें कहा था: "यद्यपि हमें ऐसे पुत्रपर, जो पाप और निर्लज्जताके जीवनसे अपनेको अपमानित करता है, अनुग्रह नहीं करना चाहिए तथापि स्नेहपूर्ण करुणा तथा प्रार्थनापूर्ण आत्मिक शक्तिके साथ प्रतीक्षा करते हुए उस दुष्कर्मी पुत्रके साथ सहयोग करना चाहिए — और इसे ही सच्चा सहयोग कहते हैं — और जब वह लौटे तब खुले दिलसे उसका स्वागत करना चाहिए।"

३ लॉर्ड रीडिंग, जिन्होंने अप्रैल १९२१ में शासन भार सँभाला था।

१९५. भाषण : श्रीकी सिख परिषद्में[1]

२५ फरवरी, १९२१

मै स्वीकार करता हूँ कि अपने पवित्र स्थलोका कब्जा हमारे हाथमे होना चाहिए। यह कब्जा हम अपने हाथमे एक ही दिनमे ले सकते है। लेकिन कैसे ? यदि एक भी व्यक्ति गुरुद्वारेमे न जाये और अपवित्र महन्तोके अपवित्र हाथोमे एक भी पैसा न दिया जाये तो आप आज ही उनसे अपनी मनचाही शर्त मनवा सकते है। अभी अगर आप यह मानते है कि ननकाना साहबका कब्जा आपके हाथमे है तो आप भूल करते है। वह कब्जा तो आपको सरकारी फौजने दिया है। मै आपके पास जैसा कब्जा देखना चाहता हूँ वह यह नही है। मेरे कहनेका अभिप्राय यह नही है कि आप मिले हुए कब्जेको छोड दे। लेकिन जिस तरह यह कब्जा आपको मिला है उससे थोडी नामोशीकी बात तो जरूर है।

मुझे शहीदोके[2] लिए बहुत दुख होता है। लेकिन मै जानता हूँ कि यह रोनेका समय नही बल्कि मरनेका समय है। इस समय तो छातीपर चोट खाकर हम सब मर सके यही मेरी इच्छा है। ननकाना साहबके शहीदोने ऐसी ही बहादुरी दिखाई जान पडती है। लेकिन मै अपना दोष भी देखे बिना नही रह सकता। हमे धमकी देकर गुरुद्वारेपर कब्जा लेनेका अधिकार नही है। यदि महन्तने लायलपुरमे आकर लछमनसिंहकी हत्या की होती तो वैसा करनेके बाद वह घडीभरके लिए भी अपना कब्जा न रख सकता। लेकिन ननकाना साहबमे तो हमने उसे अवसर दिया। गुरुद्वारेका कब्जा हम खामोशीसे ही ले सकते है। इतने वर्षोतक हम चुप रहे। क्या एक वर्ष और चुप रहनेमे दोष है ?

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७–४–१९२१

१. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत।

२ ननकाना साहबमें हुई दुर्घटनाके समय, जो २० फरवरीको हुई थी। देखिए "सिख जागृति", १३–३–१९२१।

१९६. भाषण: लखनऊकी खिलाफत सभामें

२६ फरवरी, १९२१

कल खिलाफत सभामें गाधीजीने उर्दूमें बोलते हुए कहा कि अक्तूबरतक, शेष ७ महीनोमें वे खिलाफत प्रश्नका निबटारा कर लेगे तथा स्वराज्य प्राप्त कर लेगे। वे तलवार तो नहीं खींच सकते, किन्तु स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर तलवार खींचनेकी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। पहले वाइसराय उनपर हँसा करते थे, किन्तु अब वे उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं।[1] गाधीजीने लोगोको ब्रिटिश मालका बहिष्कार करने तथा विदेशी कपडेको त्यागनेकी सलाह दी और बताया कि इसके जरिये वे दूसरे ही दिन स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं।[2]

[भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा] वकीलो और विद्यार्थियोके सम्बन्धमें हमे जो-कुछ करना जरूरी था उतना हम कर चुके। उस दिशामे अब कोई विशेष प्रयत्न करनेकी जरूरत नही रही। हम अपनी आवाज जहाँतक पहुँचा सके हैं, उससे मैं सन्तुष्ट हूँ। जिन्हे हम अपनी बात माननेके लिए राजी नही कर सके हैं, वे अपनी इच्छासे सहयोग करना चाहे तो करे। वकालत करनेवाले वकीलो और सरकारी विद्यालयोमे जानेवाले विद्यार्थियोकी कोई प्रतिष्ठा नही रही। उनमे से अधिकाश स्वय स्वीकार करते हैं कि वे गलत काम कर रहे हैं। हमारे लिए यही काफी है। वकीलो तथा सरकारी स्कूलोमें पढाई जारी रखनेवाले छात्रोने जिस हदतक अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, उसी हदतक सरकारकी प्रतिष्ठा भी कम हो गयी है।[3]

[अंग्रेजी और गुजरातीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २-३-१९२१

नवजीवन, १७-४-१९२१

१ यह उल्लेख अनुमानत वाइसरायके उस भाषणका है जो उन्होने खिलाफतके प्रश्नपर दिया था, देखिए परिशिष्ट २ ।

२ यह अनुच्छेद **अमृतबाजार पत्रिकासे** लिया गया है ।

३. यह अनुच्छेद **नवजीवनकी** गुजराती रिपोर्टसे लिया गया है ।

१९७. उलटा तर्क

मेरे पास गुमनाम पत्र आते ही रहते हैं। सभीमे अभीतक अपना नाम प्रगट करके लिखनेकी हिम्मत नही आई है। अखबारमे अपने नामको जाहिर न करना एक बात है। लेकिन सम्पादकको भी अपना नाम न भेजना और पत्र प्रकाशित करवा लेनेकी उम्मीद करना दूसरी बात है। मेरे पास अभी ऐसे दो लेख पडे हैं। एक लेखमे गुजरात कालेजके एक विद्यार्थीने असहयोगियोपर कुछ आक्षेप किये हैं। उसे तो मै नही छापता। दूसरा लेख किसी बहनका है, उसमे भी आक्षेप लगाये गये हैं। लेकिन लेख स्त्रीका है, इसलिए और आक्षेप जानने योग्य होनेके कारण मै उसे यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ।

यह गुमनाम बहन लिखती है

> **अंग्रेजी शासनके जुल्मी अधिकारियोके पंजाबपर ढाए गये जुल्मोसे मेरे हृदयको ठेस पहुँची है और मै चार महीनोसे नौकरी छोडनेका विचार करती हूँ। लेकिन समय ज्यो-ज्यो बीत रहा है मै देख रही हूँ कि नौकरी छोड़नेके सम्बन्धमें मेरी आतुरता दिन-प्रतिदिन मन्द पड़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि जुल्मी अधिकारियोके कृत्योसे दिलको जितनी ठेस पहुँची है, उतनी ही आपके नामसे काम-काज करनेवाले अप्रामाणिक नेताओके कृत्योसे भी पहुँची है। . . .कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे आपके नामपर ऐसे दम्भी लोग लाभ न उठा पायें और केवल सत्यकी ही विजय हो। . . क्या यह अनुचित नहीं है कि जहाँ-जहाँ नगरपालिकाके स्कूल हो वहाँ-वहाँ राष्ट्रीय स्कूलोकी स्थापना और बालकोकी संख्यामें वृद्धि करनेके प्रयत्न किये जाये? नडियादके समान ही अन्य नगरपालिकाओके स्कूलोको भी राष्ट्रीय स्कूलोमे परिवर्तित क्यो न किया जाये?**

इस बहनने उलटे तर्कका प्रयोग किया है। यदि उन्हे सरकारी नौकरी छोडनेकी ‘लगन’ लगी हुई हो तो वह असहयोगियोकी अप्रामाणिकताको देखकर ठण्डी होनेके बजाय और भी बढनी चाहिए। प्रामाणिक व्यक्तिका उत्साह मन्द हो जाये और वह सरकारी नौकरीसे चिपका रहे तो इससे असहयोगीकी अप्रामाणिकता कम नही होगी। जो लोग सरकारी नौकरी छोडे अथवा दूसरी तरहसे असहयोग करे वे ऐसा असहयोगियोपर मेहरबानीके रूपमे नही बल्कि असहयोगको धर्म समझकर कर्त्तव्यके ही रूपमे करे। अगर सब असहयोगी पापी हो तो भी क्या? अथवा ऐसा हो तब तो इक्के-दुक्के पुण्यवान् महा-असहयोगीको और भी प्रचड असहयोग करना चाहिए। यदि उपर्युक्त बहनको लगी ‘लगन’ सच्ची है तब तो उसका परिणाम यही होना चाहिए।

सभी असहयोगी शुद्ध होते तब तो स्वराज्य कभीका मिल गया होता। बहुत समयसे हमपर जो मैल चढा हुआ है, उसके एकाएक दूर होनेकी आशा रखना ही

गलत है। असहयोग करके इस मैली सरकारसे हम दूर हटे, तो उतना मैल तो कटेगा? शराव पीनेवाला, शराव न पीनेवाले व्यक्तिके दूसरे दोपोको देखकर स्वय शरावके व्यसनसे चिपका रहे, यह तो कोई ठीक वात नही है। सही तो यह है कि दूसरे चाहे जो भी करे फिर भी वह शराव छोडकर पापमुक्त हो और दूसरोको उनके दूसरे पापोसे छुडानेका प्रयत्न करे।

इसके अलावा, इस वहनने नगरपालिकाके स्कूलोके सम्वन्धमे जो कुछ लिखा है यदि अप्रामाणिकतासे उसका यही मतलव है तो यह उसकी नासमझी ही कही जायेगी। जहाँ नगरपालिका अपने स्कूलोको राष्ट्रीय नही वनाती वहाँ, अगर सम्भव हो तो, नये स्कूलोकी स्थापना करके, नगरपालिकाके स्कूलोसे वच्चोको निकालनेका प्रयत्न होना ही चाहिए। यह तो असहयोगीका स्पष्ट धर्म है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-२-१९२१

१९८. रावलपिण्डीकी बहने

मै वगालमे और दूसरी जगहोमे स्वराज्यवादियोके लिए वहनोके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। मैने नवयुवतियोको अपने सारे आभूषण देते हुए देखा है। कलतक जो फूल-से वस्त्र पहनती थी उन्हे आज मै खादीकी साडी पहनते हुए देख रहा हूँ। और चूँकि स्थिति आम तौरपर ऐसी हो गई है इसलिए मुझे यह सोचना पड रहा है कि मै किन अनुभवोकी चर्चा करूँ और किनको छोड दूँ।

रावलपिण्डी मुख्यत सिपाहियोका शहर माना जाता है। वहाँ धनिक लोग रहते हैं। लेकिन रावलपिण्डीमे मैने वहनोमे जो उत्साह देखा वह मेरे लिए कल्पनातीत था। स्त्रियोकी सभा सवेरे ग्यारह[1] वजे थी। यह सभा खुली जगहमे एक वगीचेमें आयोजित की गई थी। उस समय उसमे पुरुषोके आनेकी मनाही थी। वहने एक मचके आसपास वैठ गई थी। मेरे साथ लालाजी[2] थे। वहनोने अपने ही रचे हुए दो गीत गाये। गीत गानेमे वहुतेरी वहनोने भाग लिया। एक गीत अमृतसरसे और दूसरा स्वदेशीसे सम्वन्धित था। हम चरखा चलायेगी, हम वेकार नही वैठेगी, हम चरखा चलाते हुए प्रभुका नाम लेगी। हम महीन वस्त्र छोडकर खादी पहनेंगी। हम वढई, लुहार और मोचीको प्रोत्साहन देगी और देशको सुखी वनायेगी — ऐसा उस गीतका भावार्थ था। मुख्य गानेवाली वहने वीसेक वर्षकी उम्रवाली कुछ लडकियाँ थी। उन्होने श्वेत वस्त्र ही पहन रखे थे। वे धनाढ्य घरोकी थी, लेकिन उनके हाथोमे अँगूठीके सिवाय मैने और कोई आभूषण नही देखा। पजावमें कुमारी अथवा सधवा चूडी

१ २० फरवरी, १९२१ को।

२ लाला लाजपतराय।

अवश्य पहने, ऐसा खास रिवाज नही है। वहने भेट देनेके लिए सूत अथवा खादी भी लाई थी।

उनके उस प्रेममय कोलाहलमे हमारे भाषण तो कम ही सुने गये, सुननेकी जरूरत भी नही थी, क्योकि हमारी याचना उनके हृदयमे अकित थी। रावण-राज्यका नाश करके राम-राज्यकी स्थापना करनी है। उसको स्थापित करनेका मार्ग सीताका मार्ग है। सीताजीने रावणकी भेजी हुई मिठाइयो, आभूषणो आदिका त्याग किया था, वैसे ही हिन्दुस्तानकी पुत्रियोको भी करना है। जवतक गरीवोकी भूख नही मिटती तवतक उनका हृदय दुआ नही देगा। यह भूख चरखेसे ही मिट सकती है। पवित्र स्त्रियोका आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। इसलिए स्त्रियोको अधिक पवित्र, सादा और अच्छा बनना होगा। ऐसी सामान्य वाते तो उनके हृदयमे अकित हो चुकी है। तो फिर उन्हे और क्या सुनना था? उन्होने तो रुपये और गहने निकालने शुरू कर दिये। उस श्वेत-वस्त्र-धारिणी वहनको अपनी अँगूठीके प्रति अरुचि उत्पन्न हुई। उसने उसे निकालनेकी कोशिश की पर वह किसी तरह निकलती ही न थी। अन्तमे अँगूठी निकालकर मेरी झोलीमे डालनेपर ही उसे शान्ति मिली। वहने हमे घेर कर हमारे चारो ओर इकट्ठी हो गयी। कोई अपने आँचलमे पैसे और गहने इकट्ठे करके ले आई। कोई वहन इकट्ठे किये हुये पैसेको दूरसे ऐसी युक्तिसे फेकती थी कि दूसरी वहन उसे अपने आँचलमे ले लेती थी। इस तरह एक घण्टेतक यह कोलाहल चलता रहा और रुपयो तथा नोटोकी वर्षा होती रही।

ये वहने जानती थी कि मुझे पैसा किसलिए चाहिए? स्वराज्य क्या है, खिलाफत क्या है, पजावपर क्या-क्या अत्याचार हुए है — इन सवसे वे अच्छी तरह परिचित थी। वे इसी कारण पैसा दे रही थी। इसलिए मुझे यह विश्वास क्यो न हो कि स्वराज्य एक वर्षमे मिल सकता है? सच तो यह है और मै मानता हूँ कि स्वराज्य किसी एक व्यक्तिके प्रयत्नोसे मिलनेवाला नही है। यदि हिन्दुस्तानके पुण्यका उदय हो चुका होगा, वह विलकुल पुण्यके ही रास्तेपर चल रहा होगा तो स्वराज्य मिलकर ही रहेगा। उसकी शर्ते स्पष्ट है, फिर भी मैने उन्हे और भी साफ शब्दोमे समझा दिया है। वे है

(१) शान्ति, (२) स्वदेशी (चरखा और खादीका प्रचार), (३) परस्पर सहयोग, (४) आवश्यक धनका दान, और (५) देशके प्रत्येक हिस्सेमे काग्रेसके सविधानके अनुसार कामकी व्यवस्था।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७–२–१९२१

१९९. टिप्पणियाँ

दमनका नंगा नाच

बिहारमे किये गये दमनके विषयमे मैंने अलगसे एक लेख लिखा है। उसे लिखनेके बाद मैंने अखबारोमे बिहारके बारेमे और भी बहुत-सी खबरे देखी। अगर बिहारमे जलियाँवाला बागकी पुनरावृत्ति नही हो रही है तो उसका कारण यह नही होगा कि अधिकारियोने लोगोको उत्तेजित करनेमे कुछ कसर उठा रखी है, उसका श्रेय तो दरअसल बिहारियोके अनुकरणीय आत्मसयमको है। कारण, अधिकारी किसी भोली, अनजान भीडके बारेमे यह कह दे, और वैसा माने भी कि वह अमुक आदेशको तोड कर ही जमा हुई है, तो उन्हे उस भीडपर जिसे अपने ऊपर आनेवाली इस आपत्तिका गुमान ही नही हो सकता, गोली चलानेसे कौन रोक सकता है! [बिहारकी आज जो हालत है उसमे] ऐसी कोई भयकर चीज बडी आसानीसे हो सकती है, और फिर सरकारी इतिहासकार द्वारा लिखे इतिहासमे उसका उल्लेख मात्र "एक निर्णयकी भूल" कहकर कर दिया जायेगा।

दमन सयुक्त प्रान्तमे भी जोर पकडता जा रहा है। सार्वजनिक वक्ताओपर नियन्त्रण रखा जा रहा है।

कालीकटके मजिस्ट्रेटने श्री याकूब हसन और उनके साथियोको कारावास देकर खूब नाम कमाया ही है।[1]

जो-कुछ हो रहा है, उसकी आशका तो थी ही। स्वराज्य सस्तेमे नही मिल सकता है और न मिलना ही चाहिए। ऐसा क्यो न हो कि बूढे, जवान सभी जेल जाये? जब हम सब साथ-साथ एक-सा ही कष्ट सहेगे तो वह कष्ट हमे एकताके एक ऐसे सूत्रमे बाँध देगा, जो कभी नही टूटेगा। ज्यो-ज्यो असहयोग अपना असर दिखाना शुरू करेगा, अधिकारी अपने आपेसे बाहर होते जायेगे।

कारण, यह स्पष्ट है कि उनमें अब भी पश्चात्ताप करनेकी कोई सच्ची इच्छा उत्पन्न नही हुई है। ड्यूक महोदयने[2] बडी मीठी और रुचनेवाली बातें कही है, और बताते है, जब वे ये सौहार्दकी बाते कह रहे थे, उस समय स्पष्ट देखा जा सकता था कि वे विह्वल हो उठे है। कौंसिलने भी १९१९ के मनहूस अप्रैल मासकी घटनाओपर दुःख प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव[3] पास किया है, लेकिन जिस समय ये छूँछी भावनाएँ व्यक्त की जा रही थी, लगभग उसी समय, मानो हमारा मजाक उडानेके लिए,

१ देखिए "भाषण गुजराँवालामें", १९-२-१९२१।

२ ड्यूक ऑफ कनॉट।

३ कौंसिल ऑफ स्टेटमें १५-२-१९२१ को यह प्रस्ताव श्री जमनादास द्वारकादासने पेश किया था। प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावमें से अपराधी अधिकारियोको दण्डित करनेसे सम्बन्धित धारा ३ वापस ले लिये जानेपर वह पास कर दिया गया था।

विभिन्न प्रान्तोके मजिस्ट्रेट दमनका कुचक्र रच रहे थे। शाब्दिक पश्चात्तापके अर्थ क्या होते है, इसका यह एक जीता-जागता उदाहरण है।

भारतको आज उदारता और अनुग्रहकी बातोकी भूख नही है, और सच पूछिए तो अनुग्रहपूर्ण कार्योकी भी नही। उसे भूख है न्यायकी, और सिर्फ न्यायकी। उसे भारतीय खजानेसे सर माइकेल ओ'डायर और जनरल डायरको पेशन देना बन्द करनेकी माँग करनेका हक है। जिन अधिकारियोने दुर्व्यवहार किया है, वे जबतक ऊँचे-ऊँचे पदोपर बने हुए है तबतक वह सन्तुष्ट नही हो सकता।

लेकिन जबतक यह बुनियादी न्याय प्राप्त नही होता तबतक भारत अपनी असहयोगकी लडाई जारी रखेगा और तबतक सरकार भी अपनी दमनकी नीतिपर कायम ही रहेगी।

हम क्या करे

हमे मानना चाहिए कि दमन एक ऐसी कसौटी है, जिसपर हमारी धातु परखी जानेवाली है। अगर हम अपने मुँहसे 'उफ्' तक निकाले बिना आत्म-सयमपर दृढ रहकर इस कसौटीपर खरे उतरते है तो उससे हमारा हित होगा, हम अपने लक्ष्यके निकटतर पहुँचेगे। अगर हममे सच्ची लगन है तो हम अपना सयम खोये बिना इस अग्नि-परीक्षासे सही-सलामत गुजर जायेगे। आखिरकार हम भी तो सरकारके साथ सहयोग करनेसे इनकार करके उसकी धीरजकी परीक्षा ही ले रहे है, लेकिन इसकी आत्मरक्षाकी सहज प्रवृत्ति इसे एक सीमातक शान्त रखती है। लेकिन जब वह सीमा पार हो जाती है, तो वह अपना सन्तुलन खो बैठती है। आम तौरपर हमपर भी इसकी यही प्रतिक्रिया होती है, हम भी क्रुद्ध हो उठते है, और हमारी इस कमजोरीसे सरकारको बल मिलता है। अहिंसा हमे यह सिखाती है कि हम अपने ऊपर सरकारके क्रोधका कोई असर नही होने दे। और अगर हम इस सीखको अपने आचरणमे उतारेगे तो सरकारको हार खानी ही होगी। जब हम दमनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नही दिखायेगे तो उसकी धार कुठित हो जायेगी — ठीक उसी प्रकार जैसे अगर कोई हवामे मुक्का मारे तो कोई अवरोध न पाकर हाथ झटका खा जाता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २–३–१९२१

२००. बिहारमें दमन

जिस प्रान्तमे असहयोगके सिलसिलेमे सबसे अधिक ठोस काम किया जा रहा है, वह हे बिहार। वहाँके नेता अहिंसाकी सच्ची भावनाको समझते है। जिन लोगोके सीमाका उल्लघन करनेका — शब्दोमें भी उसका उल्लघन करनेका — खतरा है, उनके उत्साहपर वे अकुश रखनेकी कोशिश कर रहे है और इसमे सफल भी हो रहे है। बिहारमे हिंसाके विस्फोटका कोई खतरा नही हे। आत्म-शुद्धिके क्षेत्रमे इस प्रान्तने शानदार काम किया हे। मद्य-निषेध आन्दोलन बहुत तेजीसे आगे बढा है और आबकारीकी आयमे बहुत कमी आ जानेकी सम्भावना है। शिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलन भी काफी प्रगति कर रहा हे। बहुत-से वकीलोने वकालत छोड दी हे। लोग आपसी झगडोका निपटारा पच-फैसलेसे कर रहे है। हर दिशामे राष्ट्रीय जागृतिके लक्षण दिखाई दे रहे है। इसपर किसी भी लोकतान्त्रिक सरकारको गर्व होता, लेकिन बिहार सरकारको नही हो रहा है। फिर भी बिहारसे लोगोने बडी-बडी आशाएँ बाँध रखी थी। और बाँधते भी क्यो नही, जब उसके गवर्नर[1] भारतीय है? वे भारतके सुयोग्यतम सपूतोमे से एक है, और एक समय काग्रेसके अध्यक्ष भी रह चुके है। लेकिन लॉर्ड सिन्हाकी भी अपनी सीमाएँ है। वे एक ऐसे यन्त्रका हिस्सा बन गये है, जो लोगोको कुचल रहा है, और उनकी योग्यताका उपयोग महज उस यन्त्रके सचालनके लिए ही किया जा सकता है। अगर वे इस दृष्टिसे उपयोगी साबित नही होते है तो इस तन्त्रमे उनके लिए कोई स्थान नही हे।

बिहारमे दमन बहुत जोरपर है, क्योकि एक भारतीय गवर्नरकी आड लेकर अधिकारीगण बडे धृष्ट हो गये है। लॉर्ड सिन्हा इन अपराधी अधिकारियोके लिए ढाल बन गये है।

अब पाठकगण निम्नलिखित तथ्योपर गौर करे और स्वय ही वस्तु-स्थितिके बारेमे निर्णय करे। मौलाना मजहरुल हक और बाबू राजेन्द्रप्रसाद, दोनो बिहारमे काफी जानेमाने व्यक्ति है। इन्हे आरा जानेसे रोक दिया गया।[2] एक मित्रने अपने पत्रमे मुझे सूचित किया है

> मुजफ्फरपुर, सारन और चम्पारन जिलोमें धारा १४४ और धारा १०७ के अधीन लगातार नोटिस जारी किये जा रहे है। जो लोग मुचलका देनेसे इनकार करते है, उन्हे जेलमें डाल दिया जाता है। ऐसे तीस व्यक्ति जेल भेजे जा चुके है। दूसरोके विरुद्ध कार्रवाई होनेवाली है। यह खुशीकी बात है कि इनमें से कुछ तो वृद्ध लोग है। लोगोको जेल भेजनेसे स्त्रियोमें तनिक भी घबरा-

१ लॉर्ड सिन्हा।

२ उन्हें इस आशयका आदेश १६–२–१९२१ को दिया गया था।

हट नही आई है। अगर वे इससे प्रसन्न न हुई हो तो इतना अवश्य है कि इससे चिन्तित भी नहीं हुई है।

मौलाना शफी और बाबू रामविनोदको निम्नलिखित नोटिस मिला है

मुझे विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है और ऐसा विश्वास भी है कि आप हाजीपुरमे एक सार्वजनिक सभामे बोलनेवाले है। उस सभामे आप श्रोताओको असहयोगके निमित्त जेलतक भोगनेके लिए प्रोत्साहित करेगे, और असहयोगसे सम्बन्धित अन्य विषयोपर भी बोलेगे। आपकी इस तरह उकसानेवाली बातोसे आपके श्रोताओके बीच उत्तेजना फैलनेकी सम्भावना है और परिणामतः सार्वजनिक शान्ति भग हो सकती है। अतः इन तथ्योको ध्यानमे रखते हुए मै दण्ड प्रक्रिया सहिताकी धारा १४४ के अधीन प्राप्त अधिकारोकी रू से आपको आदेश देता हूँ कि आप मेरे अधिकारमें आनेवाले हलकेके भीतर असहयोगके किसी भी पहलूपर कोई भाषण न दें।

जिन सब-डिवीजनल अधिकारी महोदयके इसपर हस्ताक्षर है, वे ऐसा दावा करते है मानो उन्हे पहलेसे ही इसका पता है कि ये लोग क्या बोलेगे। उनके विचारसे यही असहयोग है। सारे भारतमे वक्तागण लोगोसे जेलके लिए तैयार रहनेको कहते रहे है। लेकिन, उससे तो कही सार्वजनिक शान्ति भग नही हुई है। सभी लोकप्रिय सस्थाओने असहयोगकी सीख दी है, और आज भी रोज हजारो मचोसे इसकी सीख दी जा रही है। इन आदेशोमे जो बाते कही गई है, उनसे तो स्वदेशी, मद्य-निषेध, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुस्लिम एकतापर भी कुछ बोलनेमे व्यवहारत रोक लग जाती है। कारण, ये सब असहयोगके ही तो "पहलू" है।

दूसरा आदेश इस प्रकार है

चूँकि मुझे सूचित किया गया है कि बॉगरा, थाना, गोपालगज, जिला सारनके ब्रह्मचारी रामरक्षाने कल एक सभामें भाषण दिया, जिसमे उन्होने सरकार और अंग्रेजोको धोखेबाज, वादा-खिलाफी करनेवाले और अत्याचारी कहकर उनकी भर्त्सना की और कहा कि ब्रिटिश सरकारकी नीति एक जातिको दूसरी जातिके खिलाफ खडा करके दोनोपर शासन करनेकी है, उन्होने कहा कि अपने जुल्मोके कारण अवश्य ही इस सरकारका नाश होगा और अगर भारतीय लोग गाधीके कहे अनुसार चलें तो वे दस दिनके अन्दर ब्रिटिश सरकारको यहाँसे निकाल सकते है; और चूँकि यह भी बताया गया है कि इस भाषणसे बडी उत्तेजना फैली, और दुबारा ऐसा भाषण देनेसे शान्ति भग होनेका खतरा है; और चूँकि ऐसा लगता है कि उक्त ब्रह्मचारी रामरक्षा आज फिर वैसा ही भाषण देना चाहते है, इसलिए मै दण्ड प्रक्रिया सहिताकी धारा १४४ के अधीन आदेश देता हूँ कि वे आजसे एक महीने तक सीतामढी सब-डिविजनके किसी भी हिस्सेके किसी भी खुले स्थानमें पॉच या पाँचसे अधिक लोगोके मजमेंमें कोई भाषण न दें।

यहाँ भी हम देखते हैं कि जिस वातके लिए ब्रह्मचारीका मुँह वन्द किया गया है, वही वात हजारो लोगोने कही है। ब्रह्मचारीने सरकारपर जो आरोप लगाये हैं, वे आरोप उसपर काग्रेसके विशेष प्रस्तावकी[1] प्रस्तावनामे पहले ही लगाये जा चुके है। मैने स्वय इस सरकारको "धोखेबाज, वादा-खिलाफी करनेवाली और अत्याचारी।" वताकर इसकी भर्त्सना की है। लेकिन यह खोजनेका काम शायद सीतामढीके मजिस्ट्रेट के लिए छोड दिया गया था कि इन शब्दोमे सरकारकी भर्त्सना करना जुर्म है।

अव सवाल यह उठता है कि इस हालतमें लॉर्ड सिन्हा इस्तीफा देनेके[2] अलावा और क्या कर सकते हैं। वे मजिस्ट्रेटोके आदेशोमे भी किसी तरहकी दस्तन्दाजी नही कर सकते। अगर करेगे तो मजिस्ट्रेट असहयोग करने लगेगे, काम वन्द कर देगे, और इस तरह वे उनकी स्थिति असह्य वना देगे, शासनका चलना मुश्किल कर देंगे। इसलिए इस आशासे कि शायद कभी न कभी किसी तरह गवर्नरके रूपमे वे देशकी सेवा कर सकेंगे, वे अपने मनको समझा लेते हैं कि किसी अग्रेज गवर्नरके लिए इस जगहको खाली करनेसे तो इसपर वने रहना ही वेहतर है। अभी उनका शासन शुरू ही हुआ है। जनता किसी दिन देखेगी कि उनके शासन-कालमें नौकरशाहीने अपनी शक्तिकी वुनियाद इतनी मजबूत कर ली है, जितनी वह किसी अग्रेज गवर्नरके समयमे नही कर सकती थी। और इसके दो कारण हैं एक ओर तो नौकरशाही उसपर होनेवाले हर नियन्त्रणके प्रति उससे अधिक असन्तोष दिखायेगी जितना कि वह किसी अग्रेज गवर्नरके शासनम दिखाती, और दूसरी ओर जनता अन्यायोको कुछ अधिक प्रसन्नतासे स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वह स्वभावत उनके शासनको सफल वनाना चाहेगी। और इस तरह गवर्नरके पदके लिए जिस सवसे योग्य और दृढ भारतीयको चुना जा सकता था, वह भी गवर्नरके रूपमे असफल सिद्ध होगा — इसलिए नही कि उसमे उद्यम या योग्यता की कमी है, वल्कि इसलिए कि जिस प्रणालीके अनुसार परमश्रेष्ठसे शासन चलानेकी अपेक्षा की जाती है, वह प्रणाली ही मूलत दूषित है। इसलिए, जिस व्यक्तिके लिए मेरे मनमे इतना अधिक सम्मान है, उसके शासनकी आलोचना करते हुए मुझे कोई खुशी नही हो रही है। लेकिन वात यह है कि गोखले-जैसे किसी महान् पुरुषको भी यह तन्त्र इसकी मौजूदा भावनाके अनुसार चलानेको कहा जाता तो वह भी विफल हो जाता।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २-३-१९२१

१ कलकत्तामें आयोजित सितम्बर १९२० की विशेष काग्रेस द्वारा स्वीकृत असहयोगका प्रस्ताव ।

२. लॉर्ड सिन्हाने २१ नवम्बर, १९२१ को इस्तीफा दे दिया ।

२०१. पत्र: सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

लाहौर जाते हुए
२ मार्च, [१९२१][1]

मेरे प्यारे चार्ली,

मैं सोमवारको सारे दिन तुम्हारे बारेमें सोचता रहा, लेकिन पत्र न लिख सका। मैं चाहता था कि तुम्हें पत्र लिखूँ। मैं तुमको बताना चाहता था कि तिब्बिया कालेजके अपने भाषणमें मैंने एक वाक्यमें जो-कुछ कहा उसकी सचाईको मैंने कितनी गहराईसे अनुभव किया है। मैं महसूस करता हूँ कि अछूतोंके प्रति अपराध किया जा रहा है, मैं यह भी महसूस करता हूँ कि लाखों मूक प्राणियोंका शोषण हो रहा है, किन्तु निम्नतर पशु जगतके प्रति मैं अपने कर्त्तव्यको और भी अधिक स्पष्ट रूपसे महसूस करता हूँ। जब बुद्ध उस मेमनेको अपनी पीठपर लादकर ले गये थे और उन्होंने ब्राह्मणोंकी भर्त्सना की थी, तब उन्होंने प्रेमकी पराकाष्ठा कर दी थी। हिन्दू-धर्ममें गायकी पूजा उसी प्रेमका प्रतीक है।

और इस प्रेमकी क्या माँग है? निश्चित रूपसे वह उन पशु-चिकित्सालयोंकी माँग नहीं करता जो मनुष्यके दुर्व्यवहारके शिकार मवेशियोंके लिए बनाये गये हैं — यद्यपि हमें वे चिकित्सालय नष्ट नहीं करने हैं — बल्कि उसकी माँग तो यह है कि पशुओंके प्रति दयाका भाव बढ़ाया जाये। हमारा प्रेम इसमें है कि हम अपने साथी इन मूक प्राणियोंकी गरदनपर सवार न रहें, जो पशु जितना ही असहाय हो, उसके प्रति उतनी ही अधिक दया दिखाई जानी चाहिए।

इस प्रकार सोचनेपर, मैं चरखेमें तथा अपने इस वक्तव्यमें नया अर्थ देखता हूँ कि चरखेके विनाशके कारण भारत गुलाम बना और उसकी अवनति हुई। चरखेके बिना गरीबोंके बीच काम करनेसे न तो कोई हित सधेगा और न धर्म ही। हमें गरीबोंकी सहायता करनी चाहिए जिससे वे अपने लिए भोजन-वस्त्र जुटानेमें स्वयं समर्थ हों। जबतक हम चरखेको पुन: चालू नहीं करते, तबतक हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई भी अन्य उद्योग भारतमें विशाल पैमानेपर फैली गरीबीकी समस्या हल नहीं कर सकता।

मैंने अपने विचार तुम्हारे सामने यों ही बेतरतीब रख दिये हैं, किन्तु तुम्हें सम्भवत: उनका अर्थ समझनेमें कोई कठिनाई न होगी। तुम्हारे कुछ प्रश्नोंमें जिन कठिनाइयोंका जिक्र है उनका हल देनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम चरखेके सन्देशको तथा असहयोगकी भावना किस प्रकार काम करती है इसे भली-भाँति नहीं समझ पाये हो। भारतीय महिलाओंने सम्भवत: सहज वृत्तिसे किसी-न-किसी प्रकार इसे समझ लिया है।

१. इस पत्रमें तिब्बिया कालेजमें दिये गये भाषण (**यंग इंडिया**, २३-२-१९२१) के उल्लेखसे लगता है कि यह इसी वर्ष लिखा गया था।

मै गुरुदेवकी फटकारको समझता हूँ, किन्तु मै अपनेको अपराधी अनुभव नही करता। मेरा अपना तो यही खयाल है कि मैने उस समय अपनी अल्पज्ञताके आधारपर सरकारके बारेमे कोई निश्चित राय न बनाकर ठीक ही किया था। अमृतसरकी कांग्रेस-के समयतक अपने समूचे हृदयसे आन्दोलनमे भाग लेनेपर मेरे अन्दर दृढ विश्वास और एक शक्ति पैदा हो गई है, जो अन्य किसी भी तरह पैदा नही हो सकती थी। और इसके पीछे लाभ उठानेकी कोई भावना भी नही थी। मैने जो उचित समझा, उसीपर लाभ-हानिका कोई विचार किये बिना आचरण किया।

लाहौरमे शायद मुझे एक सप्ताह रहना पडे।[1] वहाँ पहुँचनेपर इसका पता चलेगा।

महादेव साबरमतीमे है। वहाँ वह वकीलको 'यग इडिया'के उप-सम्पादकके काममे जमा रहे है। लालचन्द ने 'यग इडिया' छोड दिया है।[2] मै कोई अधिक समर्थ व्यक्ति चाहता था। लालचन्द एक अच्छा और ईमानदार कार्यकर्त्ता है, पर वह अपनी कमियोको नही समझता। उक्त कार्य करनेके बाद महादेव वापस आ जायेगा।

आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अब ज्यादा अच्छा होगा।

कृपया बडोदादाको मेरा प्रणाम कहना। मुझे यह सोचकर बडी शान्ति मिलती है कि इस सघर्षमे वे पूर्ण रूपसे मेरे साथ है।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९६०) की फोटो-नकलसे।

२०२. भाषण: ननकाना साहबमें[3]

३ मार्च, १९२१

मै इस तीर्थयात्रापर आपके प्रति सहानुभूति दिखाने ही आया हूँ। मुझे घुरकाके एक सिख मित्रने तार[4] द्वारा इस दुर्घटनाका[5] समाचार दिया था। मैने वह तार लाला लाजपतराय और दूसरे मित्रोको दिखाया। समाचार इतना स्तम्भित कर देने-वाला था कि हमें उसकी पुष्टि करा लेना आवश्यक लगा। हम फौरन लाहौर वापस

१ गाधीजी मार्चमें लाहौर पहुँचे और मार्चमें ही वहांसे चले गये।

२ देखिए "पत्र लालचन्दको", २९-२-१९२१।

३ ननकाना साहबके गुरुद्वारेमें दिये गये हिन्दी भाषणका मूल पाठ उपलब्ध नही है। यह अनुवाद **यग इडिया**में प्रकाशित सक्षिप्त अग्रेजी विवरणसे किया गया है।

४ २० फरवरीका तार जो गाधीजीको रावलपिंडीमें मिला था।

५ २० फरवरी, १९२१ को कोइ डेढ सौ अकाली सिख लाहोरसे ४० मीलकी दूरीपर स्थित ननकाना साहबके गुरुद्वारेमें प्रवेश करते ही मार डाले गये। गुरुद्वारा महत नारणदासके कब्जेमें था जिनपर अपने अधिकारोके दुरुपयोगका आरोप लगाया गया था।

580

आये और वहाँ पता चला कि वह भयकर समाचार सच है। मैंने अपना मुलतान जानेका कार्यक्रम रद कर दिया और अधिक समाचार इकट्ठे करनेके लिए रुका रहा। दूसरे दिन मै लायलपुरके लिए रवाना हुआ और वहाँसे श्रीमे आयोजित सिख दीवानमें[1] गया। मुझे पता चला कि दाह-सस्कार[2] उसी दिन होनेको है। जिस समय यह समाचार मिला उस वक्त वहाँ पहुँचना सम्भव नही था। और फिर मुझे अमृतसर और लखनऊमे बहुत जरूरी काम था। इसलिए मै यह तीर्थयात्रा पहले नही कर सका। इस बीच इस बलिदानके बारेमें मैंने बहुत-कुछ सुना है।

शायद यह कहनेकी जरूरत नही है कि मुझे आपके ही समान दुख हुआ है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरोंके कष्टोसे मै स्वय दुखी होता हूँ। यदि मै यह न मानता कि दुखोका अन्त करनेके लिए आत्महत्या कोई निदान नही है, तो अपनी जिन्दगीका अन्त कबका कर चुका होता। इस तरह जब मैंने ननकाना साहबकी दुर्घटनाके बारेमे सुना तो मेरे मनमे घटनाग्रस्त व्यक्तियोके पास एकदम पहुँचनेकी इच्छा हुई। अब भी जो रह गये है, उनके प्रति मै सहानुभूतिका प्रदर्शन करनेके सिवा और क्या कर सकता हूँ?

पर मै इतना बता दूं कि अभीतक मै यह निर्णय नही कर पाया हूँ कि आखिरकार हुआ क्या? इस बातपर तो विश्वास ही नही होता कि अकाली दलके हाथो एक भी आदमी नही मरा। क्या यह सच है कि इन बहादुर आदमियोने, जो कृपाणो और फरसोसे सुसज्जित थे, आत्मरक्षाके लिए एक भी वार नही किया। यदि ऐसा ही हुआ हो तब तो यह ऐसी घटना है जो सारी दुनियाकी चेतनाको झझकोर सकती है।

मेरे सामने तीन सम्भावनाएँ है।

एक तो यह कि अकाली दल गुरुद्वारेपर कब्जा करने आया था। इसी काममे उसे अपनी जानसे हाथ धोना पडा। कोई भी व्यक्ति यह नही मानेगा कि कब्जा करनेके लिए आकर दलने कोई अपराध किया है। आप यह मानते है कि महन्तपर विश्वास नही किया जा सकता। आप लोग अपने धर्मका कट्टरतासे पालन करनेवाले है। इसलिए गुरुद्वारेको अपने हाथमे लेनेकी इच्छा स्वाभाविक है। लेकिन बल प्रयोगसे कब्जा करनेके प्रयत्नका समर्थन तो मै किसी प्रकार भी नही कर सकता। मेरे मतानुसार किसी दुष्टके प्रति भी हिंसाका प्रयोग या प्रदर्शन वर्जित है। मै जानता हूँ कि आपके और मेरे मतमें अन्तर है। मै आशा करता हूँ कि यदि कोई मुझे या मेरे किसी सम्बन्धीको हानि पहुँचायेगा तो मै उसे क्षमा कर सकूँगा। मै ईश्वरसे सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि कभी ऐसा अवसर आये तो वह मुझे ऐसे अपराधीको क्षमा करनेका बल दे। अगर यह प्रमाणित कर भी दिया जाये कि शहीद बल-प्रयोगसे कब्जा करने आये थे तो भी इतिहास उन्हे दोषी नही ठहरायेगा।

दूसरी सम्भावना यह है कि यह दल सिर्फ पूजा करनेके लिए आया और उसे अपनी रक्षाका अवसर दिये बिना मौतके घाट उतार दिया गया।

१ यह २५ फरवरी, १९२१ को हुआ था।

२. ननकाना साहबमें मारे गये व्यक्तियोंका।

तीसरी सम्भावना यह है कि महन्त उनका अन्त करनेके लिए पूर्णतया लैस है, इतना मालूम होनेपर भी यह दल पूजा करने आया और यद्यपि वह अपनी रक्षा कर सकता था फिर भी उसने अपने आपको वलि होने दिया।

कुछ भी हो यह घटना इतिहासमे सदाके लिए अकित हो गई है।

मै आशा करता हूँ कि आप बहादुरीका टीका सिर्फ सिखोंके माथे नही लगायेंगे वरन् इसे राष्ट्रकी बहादुरीका एक नमूना मानेंगे। ये शहीद सिर्फ अपने पथकी रक्षाके लिए नही वरन् सभी धर्मोको दूषित होनेसे बचानेके लिए वलि हुए है।

हम और आप भारतकी सन्तान है, हमे उसीके लिए जीना और मरना है। मैंने अपना जीवन खिलाफतके काममे समर्पित कर दिया है क्योकि उसके माने है मेरे अपने पथ और देशकी रक्षा। मै अपने आपको सनातनी हिन्दू मानता हूँ और मै अपने पडोसियोके साथ भी शातिपूर्वक रहना चाहता हूँ। यह काम मै उनकी सेवा करके ही कर सकता हूँ। दूसरोकी हत्या करके अपने देश या धर्मकी रक्षा करनेकी मुझे कोई इच्छा नही है। यदि ईश्वर मुझे इन दोनोमे से किसीके लिए भी प्राण उत्सर्ग करनेके योग्य पायेगा तो मै जानता हूँ कि वह मुझे दोषी नही मानेगा।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये माने कि ये लोग भारत माताकी रक्षाके लिए शहीद हुए है और इस बातपर विश्वास करे कि खालसा केवल स्वतन्त्र भारतमें ही स्वतन्त्र रह मकता है। यह नही हो सकता कि आप भारतको गुलामीके वन्धनमे बाँधे और फिर भी अपने लिए स्वतन्त्रताकी कामना करे, यद्यपि विजयकी इस घडीमे इतने वडे प्रलोभनसे अपनेको बचाना कठिन ही है। यह सरकार आपकी सहायताके वलपर भारतको गुलामीकी जजीरोमे बाँधनेमे सर्वथा समर्थ है। पर ऐसा कहकर वर्तमान गवर्नर या किसी अन्य अधिकारीपर मै कोई आक्षेप नही कर रहा हूँ। यदि मुझे विश्वास होता कि इसमे उनका हाथ है तो मै नि सकोच ऐसा कह देता। पर इस समय तो मै सिर्फ सरकारके स्वभावकी ही वात कर रहा हूँ। हमपर अपना अधिकार वनाये रखनेके लिए सरकारने हिन्दुओ और मुसलमानोमे फूट डालनेमे तनिक सकोच नही किया। और वे आपके तथा बाकी देशके वीच भी फूट डालनेमे पूर्णतया समर्थ है। मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यथाशक्ति इस प्रलोभनसे बचे और सारे देशके साथ मिलकर इम सरकारके पैशाचिक शासनका अन्त करे।

अभी एक मित्रने कहा है कि सिख कष्ट-सहनकी इस परीक्षामे उत्तीर्ण हुए है। मै उनसे सहमत नही हूँ और आपको यह वता देना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा तो अव शुरू हुई है। इस नवोपार्जित शक्तिका आप क्या उपयोग करेगे? इसी मित्रने मेरा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि फरसा और कृपाण आपकी वेश-भूषाका अग है। उन्हे वैसा ही रहने दे। हो सकता है कि कभी उनके उपयोगका अवसर आये, पर मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी वह समय नही आया है। सभी राष्ट्रीय सस्थाओने वर्तमान स्थितिमे अहिंसाकी आवश्यकताको स्वीकार किया है। इस-लिए आप मावधान रहे कि आपकी कृपाणे म्यानसे वाहर न निकले और फिर आपसमें सघर्ष न छिडे। यदि हम इन शहीदोंके देशवासी होनेके योग्य है तो हम उनसे

विनम्रता और कष्ट-सहनका पाठ सीखे, और आप अपनी अद्वितीय वीरता देशकी सेवा और उसके उद्धारमे लगा दे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६–३–१९२१

२०३. सन्देश: ननकाना साहबकी दुःखद घटनापर सिखोंको

४ मार्च, १९२१

प्रिय मित्रो,

कल मै ननकाना साहबकी तीर्थयात्रा करके आ गया हूँ। अब मै अपने सिख मित्रोसे दो शब्द कहना चाहूँगा। आप लोगोके एक सबसे बडे मन्दिरमे कत्लेआमके जो प्रमाण मैंने देखे तथा मुझे उसकी जो कहानियाँ सुनाई गई, उन्हे मै कभी भूल नही सकता।

इस बातमे कोई सन्देह नही मालूम पडता कि उस मनहूस दिन, रविवार, २० फरवरीको अकाली दलके लगभग १५० व्यक्तियोको छलपूर्वक कत्ल कर दिया गया, तथा उनकी लाशोको काटकर फेक दिया गया, और स्पष्ट ही इन मारे जानेवाले अकालियोके हाथो हत्यारोमे से किसीको कोई चोट नही पहुँची। यह असदिग्ध है कि एक अकालीको तो मन्दिरके अहातेमे एक पेडसे बाँध कर शायद उसे जिन्दा ही जला दिया गया। इस बातमे तो और भी कम सन्देहकी गुंजाइश है कि बहुत-सी लाशोको पैराफिनमे भिगोकर शायद इस तथ्यको छिपानेके खयालसे जला दिया गया कि सभी मरनेवाले एक ही पक्षके लोग थे। लगता है मन्दिरमे जानेवाले अकालियोमे से एक भी उस निर्मम हत्याकाण्डकी कहानी कहनेके लिए बचकर बाहर नही आ सका।

मन्दिर एक किले-जैसा बना दिया गया है। गर्भगृहके चारो ओरके कमरोकी बीचकी दीवारोमे भी छेद बने हुए है, जिनसे गोलियाँ दागी जा सकती है। कमरोके बीचकी दीवारोमे भी छेद है, जो कमरोको एक दूसरेसे जोडते है। मुख्य द्वारके कपाटोमे इस्पातकी भारी चादरे लगी हुई है जो स्पष्टत हालमे बनी हुई है। 'ग्रन्थ साहब,' तकपर गोलियोके निशान है। इस गर्भगृहकी दीवारो तथा स्तम्भोका भी यही हाल है। लगता है, अकालीदलके लोगोको छलपूर्वक अन्दर आने दिया गया, और तब फाटक बन्द कर दिये गये। वहाँ मैंने जो-कुछ देखा, जो-कुछ सुना, वह डायरवादकी ही पुनरावृत्ति था, लेकिन उसका रूप जलियाँवालाके डायरवादसे भी अधिक बर्बरतापूर्ण और पैशाचिक था, और कही अधिक योजनापूर्वक किया गया था। कहते है कि एक बार ननकानामे एक नागने निरीह और भोलेभाले श्री गुरु महाराजपर[1] छाया करनेके लिए सरल भावसे अपना फन फैला दिया था। इसी ननकानामे उस मनहूस रविवारको आदमी शैतान बन गया।

१ गुरु नानक।

भारत आज इस भयकर काण्डपर आँसू वहा रहा है। मुझे यह देखकर लज्जा आती है कि आज भी ऐसे लोग है जो, भारतके वेटोने उस पवित्र मन्दिरमे जैसा अपराध किया, वैसा अपराध कर सकते है। यह अभी नही मालूम कि अकालियोका दल मन्दिरमे क्यो गया था, अथवा उन्होने खूनियोका प्रतिरोध किया या नही। उन सवके पास अपनी-अपनी कृपाण थी और अधिकाशके पास फरसे थे। इस हालतमें वहाँ क्या-कुछ हुआ होगा इसकी तीन सम्भावनाएँ है।

(१) अकालियोका दल वलप्रयोग करके मन्दिरपर कब्जा करनेके लिए वहाँ गया लेकिन विपक्षी दलकी अधिक शक्तिसे पराभूत हुआ और वहादुरीके साथ लडता हुआ मारा गया।

(२) ये लोग वहाँ मात्र-पूजा करनेके लिए गये और गुरुद्वारेपर कब्जा करनेका उनका कोई इरादा नही था। वे अपना वचाव करनेमे असमर्थ रहे और छलपूर्वक मार दिये गये।

(३) ये लोग, जैसा कि दूसरी सम्भावनामे कहा गया है, पूजा करनेके लिए ही गये, और उनपर निर्दयतापूर्वक आक्रमण कर दिया गया, किन्तु यद्यपि वे अपना वचाव कर सकते थे, उन्होने जवावमे शस्त्र नही उठाया और स्वेच्छासे मृत्युका वरण किया, क्योकि उन्होने व्रत लिया था कि गुरुद्वारा आन्दोलनमे[1] वे हिंसाका प्रयोग नही करेगे। जिन लोगोने मुझे इस सम्वन्धमे जानकारी दी और जो केवल सुनी-सुनाई वात ही कह सकते है, उनका कहना है कि इन लोगोने, जैसा कि तीसरी सम्भावनामे वताया गया है, उसी तरह गुरुद्वारेमे जाकर मृत्युका वरण किया। यदि वात ऐसी हो, तो इन शहीदोने ऊँचीसे-ऊँची कोटिका साहस और आत्मत्याग दिखाया है। और इस साहस तथा आत्मत्यागपर समस्त सिख समाज, सारे भारत और सारी दुनियाको गर्व हो सकता है। यह परम सन्तोषकी वात है कि जिन सिखोसे मैंने इन सम्भावनाओकी चर्चा की है, वे सव इस अन्तिम सम्भावनामे ही विश्वास करते है।

अगर हम दूसरी सम्भावनाको माने तव भी आत्मरक्षा करनेवालोकी वहादुरी उतनी ही शानदार समझी जायेगी जितनी कि तीसरी सम्भावनामे अनुमानित वहादुरी।

अगर पहली सम्भावना ही सच हो तो उन्होने वहादुरी तो वहुत दिखाई, लेकिन उनका कार्य, अर्थात् जोर-जवरदस्तीसे गुरुद्वारेपर कब्जा करनेका उनका प्रयत्न नैतिक दृष्टिसे अवश्य ही विवादका विषय है। साधारण दृष्टिकोणसे देखे तो अकाली लोग अनधिकार प्रवेश करनेकी कोशिश कर रहे थे, जिन्हे मार भगानेके लिए गुरुद्वारेपर काविज लोगोको पूरा वल प्रयोग करनेका कानूनी अधिकार था।

अकाली लोग शुद्धिवादी है। गुरुद्वारोमे जो वुराइयाँ घुस गई है, उन्हे दूर करनेके लिए वे अधीर हो रहे है। उनका आग्रह है कि सव गुरुद्वारोमे पूजाकी एक ही विधि हो। यह आन्दोलन कुछ वर्षोसे चल रहा है। जवसे असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ है, सहयोगवादी और असहयोगवादी, दोनो प्रकारके सिख, जहाँतक गुरुद्वारा

१ यह आन्दोलन अकाली सिखोने गुरुद्वारोको महन्तोंके हाथोसे लेनेके लिए शुरू किया था। इन महन्तोको सरकारका सरक्षण प्राप्त था।

आन्दोलनका सम्बन्ध है, मिलकर काम कर रहे है। और अगर अन्तमे यही पाया जाये कि अकाली दल ननकाना साहबमे बलका प्रयोग करके एक ऐसे महन्तको पदच्युत करने गया था जिसने अपनी थातीका दुरुपयोग किया था, तब भी इतिहास इस बलिदान-को अत्यन्त प्रशंसनीय ढगकी शहादत ही कहेगा। यदि हम उच्चतम मापदण्डसे तथा अहिंसात्मक असहयोगके मापदण्डसे विचार करे तो पहली सम्भावनाके सच निकलनेपर यही माना जायेगा कि कब्जा लेनेके लिए गुरुद्वारेमे प्रवेश करनेका कार्य हिंसासे दूषित था और इसलिए निन्दाके योग्य है। किन्तु सिर्फ इसी कारणसे कि अकालियोकी कार्र-वाई दूषित थी, उनके हत्यारोकी अमानुषिक बर्बरताको न तो उचित माना जा सकता है, और न क्षमा किया जा सकता है। कानूनी अदालते उनके लिए खुली थी। कोई भी आदमी, जो हिंसाका प्रयोग करता है, अदालतोकी मदद लेनेके विरुद्ध असह-योगका तर्क पेश नही कर सकता।

किन्तु इस शहादतका ठीक मूल्य आँकनेका समय अभी नही आया है। अधिक उपयुक्त यह है कि अब तत्काल क्या करना है, इसपर विचार किया जाये। मै इस शोकपूर्ण घटनापर भारतीय राष्ट्रीयताके दृष्टिकोणसे ही विचार कर सकता हूँ। इस शौर्यपूर्ण कृत्यका श्रेय केवल सिखोको ही नही, समूचे राष्ट्रको मिलना चाहिए। अत अपने सिख भाइयोको मेरी यही सलाह हो सकती है कि वे अपना आचरण राष्ट्रकी आवश्यकताओंके अनुरूप बनाये। हत्यारोंके विरुद्ध न्याय माँगनेका शुद्धतम मार्ग यही है कि न्याय न माँगा जाये। हत्यारे — चाहे सिख हो, पठान हो अथवा हिन्दू हो — हमारे देशवासी है। उनको दण्ड देनेसे अब मृत व्यक्ति फिरसे जीवित नही हो सकते। जिनके हृदय इस वेदनासे दग्ध है, उनसे मै कहूँगा कि वे हत्यारोको क्षमा कर दे। इसलिए नही कि वे कमजोर है, कमजोर तो वे है ही नही, उनमे इन हत्यारोको दण्डित करानेकी पूरी क्षमता है। अत वे उन्हे क्षमा कर दे; इसलिए कि उनकी शक्ति अपरि-मित है। शक्तिवान् ही क्षमा कर सकता है। प्रतिशोध लेनेसे इनकार करके, आप अपने प्यारोकी शहादतकी शानमे चार चाँद लगा देगे।

इसके अतिरिक्त खूनियोको सजा दिलानेके लिए भी असहयोगियोको ब्रिटिश कानूनी अदालतोका आश्रय नही लेना चाहिए। यदि हम एक वर्षके भीतर स्वतन्त्र होना चाहते है, तो हममे साहस होना चाहिए। जबतक हम अपनी इच्छाके अनुसार एक ऐसी सरकार स्थापित नही कर लेते जो न्याय कर सकती है तबतक हम हत्या-रोंके आचरणको भी बरदाश्त करे और उन्हे अदण्डित रहने दें।

सिख लोग सावधान हो जाये। सरकार उन्हे यह समझा कर कि वही अपराधीको दण्ड दे सकती है, उन्हे अवश्य ही अपने साथ कर लेनेका प्रयत्न करेगी। नागरिक शासनके वैध न्यायालय ऐसे जाल होते है जिनमे भोले-भाले लोग अनजाने ही फँस जाते है।

किन्तु हम जिस शासन-प्रणालीके अधीन है, उसकी दुष्टताको यदि हम अभी तक न पहचान पाये हो, और इसीलिए यदि इस कठिन समयमे वर्तमान न्यायालयोसे न बचे, तो भी हमे सरकारी जाँच-समितिके साथ अपनी भी जाँच-समिति बनानेकी अनिवार्यता गलती तो कदापि नही करनी चाहिए। या तो हम अपनी अपूर्णता अथवा

कमजोरीको साफ-साफ स्वीकार कर ले और न्यायालयोका लाभ उठाये या हत्यारोको हमारे खिलाफ खुलकर खेलनेकी छूट दे दिये जानेकी सम्भावनाका हिम्मतके साथ सामना करे। अपनी कमजोरीको छिपाना खतरनाक है, लेकिन साहसका ढोग रचना उससे भी ज्यादा खतरनाक है।

यह सभी जानते थे कि महन्त बहुत समयसे, लगभग खुले तौरपर, भिडन्तकी तैयारी कर रहा था। उसके पास हथियार थे। उसने गोली-बारूदका सग्रह किया था। उसने अपने आसपास गुडे जुटा रखे थे। सरकारी अधिकारी इन तैयारियोके बारेमे अवश्य ही जानते रहे होगे। अत आप सहज ही सन्देह करते है कि उच्च सरकारी अधिकारी इस भयकर दुष्कृत्यकी कार्यान्विविितकी योजनाको बडी ही शान्ति और धीरजके साथ देखते रहे, भले ही उन्होने इसे प्रोत्साहन न दिया हो। आप सही तथ्य खोज निकालनेको उत्सुक है। क्षण-भर विचार करके देखिए, फिर आप स्वय ही स्वीकार करेगे कि अगर यह सिद्ध भी हो जाये कि कुछ सरकारी अधिकारी इस षड्यन्त्रमे शामिल थे, तो भी यह बात आपको अथवा भारतको, आज जहाँ हम है, क्या वहाँसे एक डग भी आगे ले जायेगी? यह सरकार जिस प्रणालीके अन्तर्गत चलाई जा रही है और उसमे आमूल परिवर्तन नही किया जाता तो आप, और लगभग समस्त भारत इस पूरी सरकारको नेस्तनाबूद कर देना चाहते है। देशके सामने जो मुख्य प्रश्न अथवा एकमात्र प्रश्न है, उसकी ओरसे राष्ट्रके किसी भी हिस्सेका ध्यान दूसरी ओर बँटाना अनुचित होगा।

यह तो रही उस दु खद घटनाकी बात।

सारे गुरुद्वारा-आन्दोलनमे सुधार करनेकी आवश्यकता है। इसमे कोई सन्देह नही हो सकता कि एक बडे जत्थेका, गुरुद्वारेपर कब्जा करनेके खयालसे, गुरुद्वारेकी ओर जाना शक्तिका प्रदर्शन है, भले ही उसके मनमे हिंसाका कोई विचार या उद्देश्य न हो। और किसी भी सुव्यवस्थित समाजमे किसी भी व्यक्तिको यह छूट नही है कि वह शक्तिका प्रदर्शन करके अथवा किसी अन्य अनुचित दबावके बलपर किसी ऐसे दुष्ट व्यक्तिको भी, जिसने स्पष्टत मन्दिरो-जैसी सामाजिक सम्पत्तिपर कब्जा कर रखा हो, बेदखल कर दे। अगर वह ऐसा कर सकता है तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई करके ही कर सकता है। यदि इस तरहसे व्यक्तिगत तौरपर शक्तिका प्रदर्शन या अन्य अनुचित काम करनेकी छूट दे दी जाये तो समस्त सुशासनका अन्त हो जायेगा, ओर बेचारे अशक्त लोग सुरक्षाके अधिकारसे वचित रह जायेंगे। अत आप लोगोकी ओरसे ऐसा प्रयत्न किया जाना उस खालसा धर्मके ही विपरीत होगा जिसका आधार अशक्तोकी रक्षा करना है। अपने मन्दिरोमें सच्चे सुधारके लिए, तथा उनमें से सारी बुराइयोको दूर करनेके लिए मुझसे अधिक उत्सुक कोई दूसरा नहीं हो सकता। किन्तु हमे ऐसी कार्रवाइयोमें साथ नही देना चाहिए, जो उनसे भी बदतर साबित हो जिन बातोमें हम सुधार करना चाहते है। आप लोगोके सामने दो ही मार्ग है या तो आप सभी गुरुद्वारो, अथवा जिन मन्दिरोके गुरुद्वारा होनेका दावा किया जाता है उन मन्दिरोपर कब्जेके सवालके निपटारेके लिए पच-निर्णय समितियोकी स्थापनाकी बात

मान ले, या फिर इस प्रश्नको स्वराज्य प्राप्त हो जानतक स्थगित रखा जाये। यदि आप चाहते है कि ननकानाकी शहादत सफल हो, तो यह निहायत जरूरी है कि आप आदर्श आत्मसयमसे काम ले तथा अकाली दल द्वारा गुरुद्वारोपर कब्जा लेनेके आन्दोलनको स्थगित कर दे।

आपका विश्वस्त मित्र,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
यग इंडिया, १६-३-१९२१

२०४. पत्र : वर्माको

मुलतान,
५ मार्च, [१९२१][1]

प्रिय श्री वर्मा,

आपका पत्र मेरी यात्रामे मेरे पीछे-पीछे चक्कर काटता हुआ यहाँ मिला।

युवकोमे जो उच्छृखलताकी प्रवृत्ति आ रही है, उसे रोकनेके लिए मै जितना कुछ कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आशा है कि उनके उत्साहका यह अशोभनीय अतिरेक ठडा पड जायेगा और स्थिति सामान्य तथा सही रूप धारण कर लेगी। क्या हम सभी आज सक्रमण-कालमे ही नही है? शायद हम उनके कार्योके गुणदोषोको समझने या उनका सही-सही मूल्याकन करनेमे असमर्थ है। फिर भी काशीमे जैसे अशोभनीय दृश्य[2] देखनमे आये वैसे दृश्य फिर न उपस्थित हो, इसके लिए मै थोडा-बहुत जो-कुछ कर सकता हूँ, मुझे अवश्य करना चाहिए। मै इस मामलेमे पडित जवाहरलाल नेहरूसे ध्यान देनेके लिए कह रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७९७८) की फोटो-नकलसे।

१. सन् १९२१ में कई बार गाधीजीने अपने लेखों और पत्रोंमें छात्रोंके उपद्रवोंका उल्लेख किया है। वे ५ मार्च, १९२१ को मुल्तानमें थे।

२. यहाँ गाधीजीने कदाचित् कुछ समय पहलेकी एक घटनाका उल्लेख किया है जिसमें बनारसमें छात्रोंने पण्डित मदनमोहन मालवीयके प्रति अशिष्ट व्यवहार किया था।

२०५. भाषण : मुलतानमें

५ मार्च, १९२१

महात्माजीने अपना भाषण शुरू करनेसे पहले इस बातके लिए खेद प्रकट किया कि दो बार मुलतान आनेका वादा करके भी वे नहीं आ सके। उन्होंने कहा, पहली बार यह सुनकर कि सरकार मुझे और मौलाना शौकत अलीको नजरबन्द करना चाहती है, हमें अहमदाबाद लौट जाना पडा। दूसरी बार ननकाना साहबकी आकस्मिक और दु खद घटनाके कारण मैंने लायलपुरसे मुलतान आनेका अपना कार्यक्रम रद कर दिया। इस बार भी प्लेगके कारण मुझे यहाँ आनेके लिए बहुत मना किया गया फिर भी आप लोगोके स्नेहवश मैं चला आया हूँ। प्लेगसे पीडित व्यक्तियोकी सेवा-समितिने जो सहायता की है वह प्रशसनीय है। फिर भी यह बीमारी इस नगरमें बहुत ज्यादा गन्दगीके कारण फैली है। इसके लिए मैं यहाँकी जनता और नगरपालिकाको बहुत हदतक उत्तरदायी मानता हूँ। शरीर, मन और आत्माको शुद्ध रखना सबसे जरूरी है। इसके बिना स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव है। इस महामारीकी चर्चाके बाद महात्मा गाधीने राष्ट्रकी पराधीनताकी महामारीकी चर्चा की।

उन्होंने कहा, मुलतानी बहुत आग्रहपूर्वक आमन्त्रित कर रहे थे। मैंने सोचा कि वह स्वराज्यकी दिशामें की गई अपनी प्रगति मुझे दिखानेको उत्सुक है। मुझे खेद है कि आप लोगोने जितना कुछ किया है उसपर मैं आपको बधाई नहीं दे सकता। मुझे लग रहा था कि भाई मौलाना शौकत अली मुलतान न आकर घाटेमें रहेंगे; मुलतानियोने राष्ट्रीय आन्दोलनके लिए जो-कुछ किया है उसे वे देख नही पायेंगे। पर अब मुलतान आनेके बाद मुझे इस बातका कोई अफसोस नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगोने बहुत भारी सभाका आयोजन किया है। इससे भी बडी सभाका आयोजन किया जा सकता है। पर मुझे इस बातका दु ख है कि आपने राष्ट्रकी 'महामारी'को दूर करनेके लिए प्राय कुछ भी नही किया है। किसी भी वकीलने अपनी वकालत बन्द नहीं की और न किसी स्कूलने सरकारसे अपना सम्बन्ध तोडा है, किसी राष्ट्रीय शालाकी स्थापना भी नही हुई। आप लोगोने कोई प्रशसनीय कार्य करके नही दिखाया। यह तो हमारी राष्ट्रीय दुर्बलताका सूचक है और इससे मुझे अत्यधिक दु ख हुआ है। वाइसरायका असहयोग आन्दोलनको असफल कहना कुछ हदतक सही है। हालाँकि उन्हे यह भी मालूम होना चाहिए कि हमने सफलता भी बहुत पाई है। भले ही एक भी स्कूल सरकारसे अपना सम्बन्ध न तोडे, एक भी वकील वकालत न छोडे और कोई भी धनी व्यक्ति किसी भी तरहका कोई त्याग न करे तो भी स्वराज्य प्राप्त करना सम्भव है।

भाई मूलचन्दजीको[1] मैं बधाई देता हूँ। फिर भी मुझे इस बातका खेद है कि उन्होने सरकार द्वारा दिया गया पदक अभीतक लौटाया नहीं है। यदि उन्हे यह भय है कि पदक लौटा देनेपर सरकार उनके लोकोपकारी कार्यमें बाधा डालेगी और फलस्वरूप लोग मरेंगे तो हमें इसका दु.ख भी नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार यद्यपि मैं यह नहीं मानता कि स्वराज्य प्राप्ति सिर्फ मूलचन्दके पदक लौटानेपर या किसी वकीलके वकालत छोडनेपर निर्भर है; फिर भी यहाँ मंचपर बैठे हुए वकीलोसे मैं यही अनुरोध करता हूँ कि वे वकालत छोड दें। देशके दूसरे भागोमें कई वकीलोने उदारतापूर्वक मेरे इस अनुरोधको मान लिया है। श्री दास, पंडित मोतीलाल और लाला लाजपतरायके श्रेष्ठ बलिदानोको कौन नहीं जानता। देशके दूसरे भागोमें विद्यार्थियोने भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलो और कालेजोको छोड़ दिया है और अब सार्वजनिक कार्योमें पदवीधारियोको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। स्वराज्य-प्राप्तिके लिए कुछ और शर्तें भी हैं।

तब उन्होने वे शर्तें बताईं और उनका स्पष्टीकरण भी किया। उन्होने कहा, शर्तें हैं: सभी वर्गोके भारतीयोमें एकता और उनके द्वारा अहिंसाका पालन। यदि सभी अपने-अपने धर्मका सच्चा पालन करें तो उससे विभिन्न धर्मके अनुयायियोमें प्रेम बढेगा। मेरी और अली भाइयोकी बात ले लीजिए; विभिन्न धर्मोंके अनुयायी होनेपर भी हममें परस्पर भाई-भाई-सा स्नेह है। हिन्दू शास्त्रोकी सर्वोत्तम शिक्षा यही है कि सबपर प्रेमभाव रखे। तीसरी शर्त स्वदेशीका पालन है। चरखा ही हमारे लिए ढाल, बन्दूक और हवाई जहाज भी है। जो लोग पहले इस बातकी हँसी उड़ाते थे उन्हे उसकी सचाईका भान हो रहा है। उदाहरणके लिए उन्होने श्री ओ'डायरका नाम लिया। जबसे चरखेका प्रयोग कम होने लगा, दूसरे राष्ट्रोके बीच भारतकी प्रतिष्ठा कम होने लगी है। ब्रिटिश राज्यके आरम्भिक कालमें भी जबतक घरोमें चरखा चलता था किसीको पेटके बल रेंगना नहीं पडा, न जमीनपर नाक रगड़नी पड़ी, न ही यूनियन जैकको सलामी देनी पडी। जैसे-जैसे चरखेका उपयोग कम होता गया, वैसे-वैसे लकाशायरका महत्व बढता गया और लोग गुलामीकी जजीरोमें जकडते चले गये। मैं उपस्थित जनतासे प्रार्थना करता हूँ कि आप चरखेको अपनायें और अपने-अपने घरोमें सूत कातें तथा ऐशो-आरामकी सभी चीजोका त्याग करें। चौथी शर्त है मन और बुद्धिको पूरी तरह शुद्ध रखना। यदि आप इस्लाम, हिन्दू धर्म तथा सिख धर्मकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सत्य और धर्मका पालन करना होगा और मद्यपान, फिजूलखर्ची और झूठ आदि भ्रष्ट करनेवाली आदतोका त्याग करना है। महात्माजीने कहा, स्वराज्य प्राप्तिकी अन्तिम शर्त है राष्ट्रीय कोषोके लिए खुले दिलसे अर्थ-दान। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुतसे धनी लोग और सिख जमींदार उपस्थित हैं। शिकारपुरके व्यापा-

१ सेवा-समिति प्लेग कॅम्पके प्रबन्धक। सभाके अन्तमें उन्होने अपना कैसरे-हिन्द पदक लौटा देनेका वचन दिया था।

रियोको भी मैं उनकी पगडीके कारण पहचान पा रहा हूँ। लाला लाजपतरायका अनुमान है कि स्वराज्यके लिए पचास हजारसे लेकर एक लाखतक चन्दा प्राप्त होगा और लाला दुनीचन्दका[1] अनुमान था कि लगभग डेढ लाख रुपया प्राप्त होगा। मुझे नहीं लगता कि एक सालमें दस लाख रुपये इकट्ठा करना कोई बडी बात है। आप लोग जितना हो सके उतना चन्दा दीजिए ताकि मैं लाला लाजपतरायको ज्यादा आशापूर्ण समाचार भेज सकूँ। आप चन्देके कार्यके लिए पूरी व्यवस्था करें और ठीक-ठीक हिसाब रखें।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, ८–३–१९२१

२०६. तार : हसराजको[2]

७ मार्च, [१९२१][3]

मानपत्र प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूँगा पर बडे सवेरे, ताकि हरियाना, होशियारपुर जाकर लुधियाना वापस आनेमें बाधा न पडे।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, ८–३–१९२१

२०७. भाषण : जालन्धरमें[4]

८ मार्च, १९२१

महात्माजीने मानपत्रका उत्तर देते हुए नगरपालिकाको धन्यवाद दिया कि उसने एक राष्ट्रीय सेवकको मानपत्र देनेका साहस दिखाया। उन्होंने मौलाना शौकत अलीकी अनुपस्थितिपर खेद प्रकट किया और जिस महिलाने मानपत्र छापनेके लिए खद्दर दिया था उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने मानपत्र मिलनेपर प्रसन्नता प्रकट की और कहा . शान्तिपूर्ण ढंगसे स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हमें खद्दर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धनी और निर्धन सबको खद्दर इस्तेमाल करना चाहिए। आज गाँवोंमें रहनेवाले करोडो भारतीयोको इतना कपडा नहीं मिलता कि वे अपने शरीरतक ढक सके। आपको पगडियाँ और बारीक मलमलके कपड़े मिल

१ लाहौरके एक लोकप्रिय म्युनिसिपल कमिश्नर।

२ यह तार जालन्धरके सार्वजनिक कार्यकर्ता रायजादा हसराजके तारके उत्तरमें था।

३ तारमें उल्लिखित मानपत्र जालन्धर नगरपालिका द्वारा ८ मार्च, १९२१ को दिया गया था

४ यह भाषण स्थानीय नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें दिया गया था।

जाते हैं, इससे आपको धोखेमे नहीं रहना चाहिए। उन्होने जालन्धरके लोगो द्वारा खद्दरकी थैलीमे ६२९ रुपये भेट किये जाने और सरदार केसरसिंह द्वारा १०० रुपये दिये जानेपर हर्ष व्यक्त किया। महात्माजीने इस बातपर प्रसन्नता प्रकट की कि मान-पत्र उर्दूमें था। उन्होने भारतीयो द्वारा अपने निजी जीवनमे भी अग्रेजीका व्यवहार किये जानेपर खेद प्रकट किया और कहा कि मै अंग्रेजीका शत्रु नही हूँ, फिर भी हम जबतक राष्ट्रभाषाको नहीं अपनायेंगे तबतक हमें स्वराज्य नही मिल सकता। उन्होने और धनकी अपील करते हुए कहा कि जो रुपया भेट किया गया है वह पर्याप्त नहीं। इससे लाला लाजपतरायको सन्तोष नही होगा। उन्होने प्रार्थना की कि अधिक रुपया भेजा जाये जिससे स्कूलो और कालेजोका राष्ट्रीयकरण किया जा सके। उन्होने [स्त्रियोके] जेवर पहननेका विरोध किया और वकीलोसे अनुरोध किया कि वे वकालत बन्द कर दें और एक वर्षतक देशकी सेवा करे। उन्होने समस्त स्त्री-पुरुषोसे खद्दर इस्तेमाल करनेका अनुरोध किया।

[अग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, ९–३–१९२१

२०८. भाषण: होशियारपुरमें

८ मार्च, १९२१

महात्माजीने अपने भाषणमें कहा: मुझे खेद है कि मौलाना शौकत अली, जो मेरे भाई है और मेरे कार्यमें भाग ले रहे हैं, नही आ सके। मै पक्का सनातनी हूँ और शौकत अली पक्के मुसलमान, लेकिन फिर भी हम भाई-भाईकी तरह है। इससे प्रकट होता है कि हिन्दुओ और मुसलमानोकी एकता सम्भव है। होशियारपुरमें हाथसे कपड़ा बनानेके कारखाने है, इसके लिए मै होशियारपुरके लोगोको बधाई देता हूँ। लेकिन मुझे खेद है कि फिर भी लोग विदेशी कपडे पहनते है। पुरुष और स्त्रियाँ अपने लिए सूत कातें और कपड़ा बुनें, इसमें कोई लज्जाकी बात नही। किसीको मार डालनेमें कोई बहादुरी नहीं है। ननकाना साहब काण्डमें जिनका हाथ था उनकी निन्दा की गई है, जब कि जो लोग शहीद हुए है, जिन्होने सत्य और राष्ट्रकी खातिर अपने प्राण न्यौछावर करनेका साहस दिखाया है, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया है। सम्मान उनके प्रति नहीं दिखाया गया है, जिन्होने वध किया था। सब धर्मोके लोगोने यह तय किया है कि खिलाफत और पंजाबके अन्यायोका निराकरण करवानेके लिए ८ महीनेमें स्वराज्य ले लेना चाहिए। स्वराज्य केवल अहिंसात्मक असहयोगही से लिया जा सकता है। ओ'डायर और डायरकी पेन्शनोको बन्द करवाना हमारा कर्त्तव्य है। यह कार्य केवल स्वराज्य लेकर ही किया जा सकता है। हमें स्वराज्य

लेनेके लिए संगठित होना चाहिए और अपने धर्मका पालन करना चाहिए। हमें सरकारसे असहयोग करना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओंको अपनाना चाहिए। वकीलोंको अपनी वकालत छोड़ देनी चाहिए और हमें स्कूलोंका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। महात्माजीने लोगोंसे चन्दा देनेका अनुरोध किया।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १०-३-१९२१

२०९. भाषण : हरियानामें[1]

८ मार्च, १९२१

महात्माजीने इन संस्थाओंका[2] उद्घाटन करते हुए कहा : मैं इस सफलतापर हरियानाके लोगोंको बधाई देता हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वे स्वराज्यके लिए और ज्यादा काम करें। खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंके निराकरणका केवल यही उपाय है। उन्होंने कहा : मैं अब बैरिस्टर नहीं रहा, बुनकर और किसान बन गया हूँ। सूत कातने और कपड़ा बुननेमें कोई शर्मकी बात नहीं है। उन्होंने वचन और कर्ममें अहिंसाका पालन करनेपर काफी जोर दिया और वर्तमान शासन-प्रणालीकी निन्दा की। उन्होंने कहा : स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयत्न करना प्रत्येक भारतीयका कर्त्तव्य है। यह स्वराज्य अहिंसात्मक असहयोगसे ८ महीनेमें प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम हिंसा करेंगे तो असफल होंगे। सिख चाहते हैं कि ननकाना साहबमें जिन लोगोंने हत्याएँ की हैं, उनको फांसी दी जाये। वे सरकारकी सहायता लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि सरकार हत्यारोंको छोड़ना चाहे तो वे सरकारको छोड़ देने दें, किन्तु उससे सहयोग न करें। पंचायतोंको मेरा सन्देश यह है कि वे उन लोगोंका सामाजिक बहिष्कार न करें जो उनसे सहमत नहीं हैं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुताके आधारपर हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता करवानेपर जोर दिया। उन्होंने महिलाओंसे विशेष रूपसे अनुरोध किया कि वे खद्दर पहनें, सूत कातें और बुनें एवं राष्ट्रीय आन्दोलनकी सफलताके लिए प्रार्थना करें। उन्होंने उनसे कहा कि जब देशमें करोड़ों लोग नंगे और भूखे हैं, उस समय उन्हें जेवर पहननेका कोई अधिकार नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १०-३-१९२१

१. सभा पं० रामभजदत्त चौधरीके बजाय, जो सरकारी प्रतिबन्धके कारण नहीं आ सके थे, सैयद हबीबकी अध्यक्षतामें हुई थी।

२. कई पंचायतों और राष्ट्रीय स्कूलोंका, जिनके उद्घाटनकी प्रार्थना गांधीजीसे की गई थी।

यूनियन जैकको सलामी देनेपर विवश किया गया। यदि आतंकके ये बादल फिरसे छा गये तो मैं आशा करता हूँ कि अब एक भी पंजाबी ऐसा न होगा जो रेंगने या जमीनपर नाक रगड़नेके लिए तैयार होगा, एक भी बच्चा ऐसा न होगा जो अपनी इच्छाके विरुद्ध यूनियन जैकको सलामी देगा। मुझे आशा है कि जिन बातोंका मैंने उल्लेख किया है उनमें से एकको भी विवश होकर करनेके बजाय आप गोलीसे उड़ा दिया जाना पसन्द करेंगे।

भारत तथा इस्लामके सम्मानकी रक्षाके लिए हमने जो असहयोग आन्दोलन शुरू किया है उसके लिए पंजाबने क्या किया है? मुझे प्रश्नकर्त्ताओंको खेदके साथ यह बताना होगा कि पंजाबके वकीलोंने राष्ट्रकी पुकारपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा चलाये गये कालेजोंको छोड़नेवाले विद्यार्थियोंकी संख्या भी ज्यादा नहीं है, और बहुत कम लोगोंने अपनी उपाधियोंका त्याग किया है। मुझे आशा है कि जल्दी ही पंजाब इन कमियोंको दूर कर देगा। लेकिन जहाँतक आर्थिक सहायता-का सवाल है, मैं यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि पाँच नदियोंके इस प्रदेशने स्वराज्य कोषकी व्यवस्था खासी कुशलताके साथ की है। हर स्थानपर मैंने लोगोंको तुरन्त पैसा देनेके लिए तत्पर पाया। परन्तु आर्थिक सहायता चाहे वह कम हो या ज्यादा इस आन्दोलनके साथ आपके सम्बन्धकी एक निशानी है। स्वराज्य कोषके मामलेमें पंजाब सबसे आगे है यह सोचकर आप सन्तोष कर लें या अपने काममें ढिलाई करें ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको इसके बारेमें लाला लाजपतरायकी सारी चिंता दूर कर देनी चाहिए। स्वदेशीके मामलेमें भी पंजाब सबसे आगे बढ़ गया है। चरखा जितना पंजाबमें लोकप्रिय है उतना और कहीं नहीं। सम्पन्नसे-सम्पन्न कुलोंकी स्त्रियोंको नियम-पूर्वक प्रतिदिन चरखा कातते देखकर मेरा मन उत्साहसे भर आता है। मैं पंजाबकी स्त्रियोंको उनके परिश्रम और देशभक्तिके लिए बधाई देता हूँ। पंजाबी स्त्रियोंकी श्रद्धा, भक्ति और सादगी देखकर मेरे मनमें बहुत आशा जागती है। अपने हिस्सेका धन देनेमें भी स्त्रियाँ पुरुषोंसे पीछे नहीं हैं। लेकिन जबतक पंजाबमें अपनी जरूरत-भरका सूत और कपड़ा नहीं बनने लगता और सब पंजाबी खद्दर नहीं पहनने लगते तबतक मुझे सन्तोष नहीं होगा। इस बातमें पंजाब चाहे तो समस्त भारतका मार्गदर्शक बन सकता है।

अभी तो पंजाबके लोगोंके मनमें अपने गुरुओं और स्वामी दयानन्दकी स्मृति ताजी है। उनके मनमें श्रद्धा-भक्ति भी है। आर्य-समाजियों और सिखोंके पास बढ़िया संगठन है। और उनके पास धन-दौलत भी है। धर्मकी शुद्धताका आग्रह रखनेवाले, अनुशासनबद्ध लोगोंके ये समाज छोटे तो हैं, किन्तु हैं सुगठित। यदि वे अपने इस निष्ठापूर्ण उत्साहको देशके काममें लगा सकें तो इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके इस आन्दोलनमें उनका योग कुछ कम नहीं माना जायेगा। आप आसानीसे अपनी सभी शिक्षा-संस्थाओंका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। और वकील भी बिना किसी कठिनाईके

इस प्रतिबन्धको बुरा समझे तो उससे किसी चिन्तकको "जनताकी स्वतन्त्रतापर निष्ठुरतापूर्ण प्रतिबन्ध" जैसे विषयपर चिन्तन करनेकी प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन मौजूदा मामलेमें तो यह वैसा ही है, जैसे उमडते हुए जल-प्रवाहको एक तिनकेसे रोकनेका प्रयत्न। दोनो हालतोमें खरे प्रचारका निषेध, चाहे वह प्रचार सरकारके दृष्टिकोणसे आपत्तिजनक ही क्यो न हो, एक वाहियात काम है। जो भी हो, प्रस्तुत प्रतिवन्ध एक ऐसी सरकारका लक्षण है, जो अपने नाशकी ओर आप ही लडखड़ाती हुई वढी चली जा रही है।

इससे शिक्षा

यद्यपि मैं इस प्रतिबन्धको स्थानीय अधिकारियोके उत्साहातिरेकका प्रदर्शनमात्र मानता हूँ, तथापि इससे हमे एक शिक्षा मिलती है। सरकार किसी भी दिन असहयोगियोंके लिए तार, डाक, रेल तथा अखवारोका उपयोग निषिद्ध कर सकती है। तो क्या इससे हमारी लडाई एक क्षणके लिए भी रुक जायेगी? मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नही होगा। इस लडाईका आयोजन ही इस प्रकार किया गया है कि यह सरकारकी सहिष्णुतापर निर्भर न रहे। यह आन्दोलन तो अपनी सफलताके लिए अपनी सर्वव्यापकतापर निर्भर है। निस्सन्देह इक्के-दुक्के व्यक्तियो द्वारा असहयोग किया जाना भी कल्पनीय है और सम्भव है। लेकिन तव उसे कुछ भिन्न रूप लेना होगा। किन्तु जव असहयोगकी भावना समस्त भारतमे व्याप्त है, तव हमें तार, डाक, रेल अथवा अखवारोपर निर्भर रहनेकी जरूरत नही। इन साधनोकी सहायताके विना भी हम अपना कार्य पूर्ण सफलताके साथ कर सकते हैं। हम एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तितक, और दूसरेसे तीसरेतक, और इसी तरह जन-जनतक अपने सन्देश विद्युत् गतिसे पहुँचा सकते हैं। रेलगाडी नेताओंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जल्दी पहुँचा देती है, किन्तु वह हजारो कुतूहलप्रिय लोगोको भी सत्वर यहाँसे वहाँ ले जाती है, जिनका कोई उपयोगी उद्देश्य नही होता, उलटे वे राष्ट्रीय शक्तिका अपव्यय करते हैं। जिन लोगोने सरकारके साथ सहयोग करना तय किया है, उनके अलावा और सभीके लिए रेलगाडीके उपयोगका निषेध कर दिया जा सकता है, इस सम्भावनासे मुझे कोई चिन्ता नही होती। इस प्रकार सरकारके साथ सहयोग करनेवालोकी गणना आप ही आप हो जायेगी। जवतक हमारे पास कागज और कलम है, अथवा पट्टी और खडिया ही है, तवतक हमें—यदि हमारे पास काफी स्वयसेवक हैं तो—लिखकर अपने विचार लोगोतक पहुँचानेकी आशा नही छोडनी चाहिए। मुझसे वहुधा कहा गया है कि मुद्रण-स्वातन्त्र्यकी हमें वडी आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि मुद्रण-स्वातन्त्र्य एक वहुत वडी सुविधा है, किन्तु १९१९ के अप्रैल माहके सत्याग्रह सप्ताहमें मैंने सिद्ध कर दिया था कि हस्तलिखित समाचारपत्र निकालना भी सम्भव है।[1] यदि प्रतिलिपिकार स्वयसेवक काफी सख्यामें मिल जायें, तो असख्य प्रतियाँ निकल सकती हैं। असहयोगी

१ गांधीजी द्वारा सम्पादित हस्तलिखित साप्ताहिक **सत्याग्रही**का पहला अक ७ अप्रैल, १९१९ को प्रकाशित हुआ था।

विश्वस्त कार्यकर्ता द्वारा दिये गये एक विशद और सजीव विवरणका सार-मात्र दिया है। ऐसा हो रहा होगा, यह बात सम्भव है। जरा-सा विचार करनेसे ही समझमें आ जायेगा कि सरकारी वक्ताओंने वही सब कहा होगा जो मुझे खबर देनेवालोंने बताया है। असहयोगी वक्ता प्राय अपनी बातका प्रारम्भ खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका वर्णन करके तथा जिस प्रणालीके अधीन हम शासित हो रहे हैं उस प्रणाली-की शैतानी प्रवृत्तिपर प्रकाश डाल करके करता है। और वह अपना भाषण समाप्त करता है लोगोंसे यह कहते हुए कि वे शान्त रहें, मादक द्रव्यों, कानूनी अदालतों, सरकारी पाठशालाओं और विदेशी वस्तुओंका त्याग कर दें, तथा चरखा चलाना शुरु करें। अगर कोई असहयोगी वक्ता नासमझ है तो वह भी सहयोगवादियोंके प्रति अपशब्द कहता है और अज्ञानवश उनके सामाजिक बहिष्कारकी सलाह देता है। सरकारी वक्ता खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंके बावजूद सरकारको प्राय देवकल्प ही घोषित करेगा, और लोगोंसे कहेगा कि वे अदालतोंका त्याग न करें, क्योंकि वे न्याय देती हैं और शराब पीना न छोड़ें, क्योंकि गाहे-ब-गाहे पीना कोई जुर्म नहीं है, और उससे सर कारकी आमदनी होती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह पाठशालाएँ चलाये। चरखेके बारेमें वह यही कहेगा कि यह तो बाबा आदमके जमानेकी एक सनक है, जिसे आज अपने घरोंमें फिर चालू करना असम्भव है, और विदेशी वस्तुओंके बिना तो हमारा काम तबतक चल ही नहीं सकता, जबतक कि भारत इतना शिक्षित न हो जाये और उसका इतना अधिक औद्योगीकरण न हो जाये कि वह विदेशी बाजा-रोंसे प्रतिद्वन्द्विता कर सके। इस प्रकार सरकारी प्रचारमें मद्यपान, मुकदमेबाजी तथा विदेशी वस्तुओंके व्यवहारको कमसे-कम अप्रत्यक्ष रूपसे तो प्रोत्साहन दिया ही जायेगा।

अगर जनताकी इच्छाओंका ध्यान रखनेवाली कोई ईमानदार सरकार होती तो वह जनतासे गठबन्धन करनेका यह स्वर्ण अवसर न चूकती। इसका लाभ उठाकर वह मद्यपानके अभिशापको दूर करती, राष्ट्रीय शिक्षाकी दिशामें होनेवाले प्रयोगोंको प्रोत्साहित करती ताकि लोग आत्मनिर्भरता सीखें, पंच-निर्णय द्वारा झगड़ोंके निपटारे की इच्छाको बढावा देती, और हाथकी कताईके पुन प्रचलनका स्वागत करती — फिर चाहे उसका उद्देश्य इतना ही होता कि मशीनी उत्पादनके बावजूद हमारी जो आवश्यकता बाकी रह जाती है उसकी पूर्ति हो और निठल्लेपनकी जगह लोगोंको श्रम करनेकी प्रेरणा मिले। जनताके कल्याणके लिए उत्सुक सरकार इस संघर्षके आन्तरिक अर्थको पहचानती, उसके धार्मिक स्वरूपको समझती तथा चूँकि वह उसके सदुद्देश्य तथा उसकी नैतिक शक्तिसे परिचित होती इसलिए अपने प्रति उसके विरोधकी चिन्ता न करती, और जनतामें शक्ति, चारित्र्य और शुद्धताकी लालसाकी इस महान् पुनर्जागृतिका स्वागत करती। किन्तु इस सरकारके लिए तो उसका अर्थ होगा हृदय-परिवर्तन, जिसकी अभी तो आशा नहीं की जा सकती।

नागपुरकी घटना

ऐसे सहृदय-परिवर्तनकी आशा करनेका समय अभी नहीं आया है। इतना ही नहीं, नागपुरके मुकदमोंसे यह भी स्पष्ट है कि मध्यप्रान्तकी सरकारका इरादा मद्य-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

असहयोगियोंका कर्तव्य

इस दमनके लिए हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हमने [illegible] लिए, पकड़े जानेके लिए और [illegible] लिए कष्ट भोगनेका बीड़ा उठाया है। अब हमें इन मुकदमों तथा उनके फलस्वरूप होनेवाली जेलकी सजाओंका स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक अच्छे आन्दोलनको पाँच अवस्थाओंसे गुजरना पड़ता है — उपेक्षा, उपहास, बुराई और निन्दा, दमन तथा सम्मान। उपेक्षाकी अवस्था हम कुछ महीनोंतक झेल चुके। फिर वाइसराय महोदयने आन्दोलनका उपहास भी किया। इन दिनों इस आन्दोलनको गलत रूपमें पेश करनेके साथ-साथ इसकी निन्दा और भर्त्सना करना तो रोजकी बात बन गई है। प्रान्तीय गवर्नरोंने तथा असहयोग-विरोधी समाचारपत्रोंने अपने सामर्थ्य-भर आन्दोलनकी भर्त्सना की है। अब आया है दमन, जो अभीतक बहुत-कुछ नरम रूपमें ही है। जो आन्दोलन नरम अथवा कठोर, सब प्रकारके दमनके बाद भी जीवित रहता है, उसके प्रति सदा आदर ही उत्पन्न होता है, जो सफलताका ही दूसरा नाम है। हमें इस दमनको — यदि हम सच्चे हैं तो — आनेवाली विजयका निश्चित चिह्न समझना चाहिए। यदि हम सच्चे हैं तो न तो हम दबेंगे और न क्रुद्ध होकर प्रत्याघात और हिंसाका आश्रय लेंगे। हिंसा आत्मघात है। हमें यह समझ रखना चाहिए कि शक्तिका सहज ही अन्त नहीं होता है, और सरकारके लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह, चाहे दमनके द्वारा ही क्यों न हो, अपना अस्तित्व कायम रखनेके लिए एक

अन्तिम प्रयास करे। इस खतरेके समय पूर्ण आत्मसयम ही जल्दी-जल्दी सफलता पानेका तरीका है, और दमनात्मक कार्रवाइयोको विफल करनेका सबसे सरल उपाय है पदवियो, सरकारी पाठशालाओ, न्यायालयो तथा विदेशी कपडेका अधिक व्यापक बहिष्कार और हाथकी कताई तथा हाथकी बुनाईको पुन उसका पुराना गौरवपूर्ण स्थान दिलानेके लिए अधिक समझदारीसे काम करना।

पत्रकारोका अज्ञान

तीस वर्षोके व्यस्त जीवनमें मेरा यही दुर्भाग्य रहा है कि जिन सरकारोसे मेरा सावका पडा उन्होने अक्सर मेरे बारेमे गलत बाते कही और मुझे गलत समझा है। और जिन लोगोकी मैंने सेवा की, कभी-कभी उनके हाथोमे भी मुझे यही व्यवहार मिला है। पत्रकार होनेके नाते भी तथा एक लोकसेवी व्यक्ति होनेके नाते भी, समाचारपत्रोसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। लेकिन मुझे उनके अज्ञानका भी शिकार बनना पडा है। फिर भी समाचारपत्रो द्वारा प्रदर्शित अज्ञानका ऐसा अनुभव मुझे कभी नही हुआ, जैसा इस समय हो रहा है। इग्लैंड और अमेरिकासे मेरे मित्र समय-समयपर समाचारपत्रोकी जो कतरने मेरे पास भेजते रहते है, उनसे तो अज्ञानके साथ-साथ अविवेक भी प्रकट होता है। घोर अज्ञान और किसी चीजको लापरवाहीसे पढनेका जो उदाहरण सबसे हालमें मेरे सामने आया है, वह है 'लीडर'का। उसमें कताई पर एक लेख है, जिसमें उस लेखका ही गलत अर्थ लगाया है, जिसे उसने उद्धृत किया है। मेरे साथ सफर कर रहे एक युवकने मुझे वह लेख दिखाया। मुझे लेखक द्वारा प्रदर्शित अज्ञान एव असावधानीपर बडा दुख हुआ। मैंने उक्त युवकसे कहा कि यदि 'लीडर'की भ्रांतियाँ उसकी समझमे आ गई है तो वह स्वय ही उनका जवाब लिखे। उसका जवाब इतना जोरदार है कि स्वय जवाब देनेका प्रयत्न करनेके बजाय मैं वही जवाब अन्यत्र दे रहा हूँ।[1]

जनगणना करनेवाले

मुझसे पूछा गया है कि लोगोको जनगणना करनेके सरकारके आमन्त्रणको मान्य करके सरकारके साथ सहयोग करना चाहिए अथवा नही। यह बात स्वय मेरे ही मनमें स्पष्ट नही थी, अत अबतक मैं कोई सार्वजनिक उत्तर देनेसे बचता रहा हूँ। मुझमें सविनय अवज्ञाकी जो भावना है, उसने मुझे एक ओर तथा वर्तमान कार्यक्रमके प्रति मेरी निष्ठाने बिलकुल दूसरी ओर खीचा है। अन्तमें मेरी निष्ठाने विजय पाई है। मुझे स्पष्ट लगता है कि जनगणनाके मामलेमें हमें सरकारके साथ अवश्य सहयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास हो गया है कि इससे हमारे उद्देश्यको बल मिलेगा। यह हममें अनिच्छापूर्वक ही सही, किन्तु ऐसे सविहित नियमोके पालनका अभ्यास डालेगा, जो हमारी अन्तरात्मा और प्रतिष्ठाको चोट पहुँचानेवाले नही है, और इससे हमारे सघर्षका उच्च एव अहिंसक स्वरूप भी सामने आयेगा। हमे सविनय अवज्ञा करनेके लोभका सवरण करना चाहिए, चाहे वह लोभ इतना प्रबल ही क्यो न हो, जितना

१. नही दिया गया।

किन्तु इन आज्ञाओका दूसरा पहलू भी है। अब, जब कि हमें अदालतोसे सरक्षण माँगनेकी कोई इच्छा नही है, इन आज्ञाओकी वैधानिकतापर विचार करना व्यर्थ है। जो सरकार मनमाने ढगसे शासन करना चाहती है, उसके लिए सब-कुछ वैध है या वह सब-कुछ वैध बना सकती है। किन्तु सहयोगवादी, तो भारतमे जो-कुछ हो रहा है, उसपर क्षण-भर विचार कर सकते है। कार्यकारिणी समितियोंके भारतीय सदस्य तथा उत्तरदायी मन्त्री भी इन आदेशोंके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, जितने कि विभिन्न प्रान्तोंके गवर्नर। मान लीजिए कि असहयोगी लोग दुष्ट है। तो क्या सहयोगवादी उनके विरुद्ध सत्ताके मनमाने प्रयोगसे सन्तुष्ट हैं? गोरखपुरके श्री रघुपति सहाय[1] होना चाहते तो डिप्टी कलक्टर हो सकते थे। वे एक सुसस्कृत शिक्षाशास्त्री हैं। किन्तु उनका यह दुर्भाग्य है कि उनमे सगठनकी योग्यता है, और गोरखपुरके नागरिकोपर उनका प्रभाव है। मुझे अभी अखबारोंसे मालूम हुआ कि उनकी भी वाणीकी स्वतन्त्रतापर रोक लगा दी गई है। देशमे कोई हिंसाका प्रचार नही करता — श्री रघुपति सहायसे तो ऐसी आशा ही नही की जा सकती। किन्तु इस "अपनी" सरकारके अधीन एक मजिस्ट्रेटको ऐसी सत्ता प्राप्त थी कि उसने उनके सार्वजनिक सभाओमे बोलनेपर रोक लगा दी है।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, ९-३-१९२१

२१२. वाइसरायके दो भाषण

परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की है, एक खिलाफतपर[2] और दूसरी असहयोग[3] तथा उसके परिणामस्वरूप सरकारने अपनी जो नीति निर्धारित की है उसपर। खिलाफतपर परमश्रेष्ठने सरकारके मनोभावका बिलकुल सही आभास दे दिया है। वे समझते है कि भारतके मुसलमानोंके दावेकी सिफारिश करके उन्होने उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निभा दिया। इसके विपरीत, भारतीयोका कहना है कि मुसलमानोके लिए इतने महत्वपूर्ण मामलेमे वाइसराय महोदयको यह देखनेपर कि सम्राट्की सरकारने भारतीय दावेको नामजूर कर दिया है, त्यागपत्र दे देना चाहिए था। राष्ट्रसघकी समितिकी बैठकमे ब्रिटेन बेबस था, यह दलील कोई भी स्वीकार नही करता। लोगोको यह भी याद होगा कि जब सेवरकी सन्धिकी शर्तें प्रकाशित[4] हुई थी, तब वाइसराय महोदयने उसमे प्रधान मन्त्री महोदयकी भूमिकाकी बडी लम्बी-चौडी वकालत की थी। लेकिन फिर ऐसा क्यो है कि वे उसके बाद अब

१ रघुपति सहाय 'फिराक', बादमें इलाहाबाद विश्वविद्यालयमें प्राचार्य, उर्दूके कवि।
२ देखिए परिशिष्ट २।
३ देखिए परिशिष्ट ३।
४ १४ मई, १९२० को।

मैं आश्वस्त करता हूँ कि असहयोगमें किसीके प्रति पक्षपात नही है। असहयोगियोंके दलमें किसी अंग्रेजके लिए भी एक सम्मानपूर्ण स्थान बराबर सुरक्षित है और कोई भी भारतीय सहयोगवादी, एक बुरी सरकारके अपराधोंका साझीदार होनेके नाते जैसी आलोचनाके योग्य है, वैसी आलोचनासे बरी नही किया जायेगा।

परमश्रेष्ठ जब असहयोगका मुकाबला, सहयोगके प्रचारसे करनेका सिद्धान्त घोषित करते हैं, तो उनकी स्थिति सबसे अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। उन्हें इस बातसे जितना बने सन्तोष प्राप्त करनेका हक है कि असहयोगके आह्वानके प्रति खिताबयाफ्ता लोगों और विद्यार्थियोंमें से बहुत कमने उत्साह दिखाया और नई कौंसिलोंके सदस्य बननेके लिए काफी भारतीय मिल गये हैं। किन्तु असहयोगी यद्यपि स्वीकार करते हैं कि इस आह्वानके प्रति और अधिक लोगोंको उत्साह दिखाना चाहिए था फिर भी उन्हें इस बातका सन्तोष है कि सरकारी खिताब, सरकारी स्कूल तथा कानूनी अदालतें लोगोंकी नजरसे गिर गई हैं। ये संस्थाएँ अब वैसी ही अन्धश्रद्धाकी पात्र नही रही, जैसी कभी थीं। असहयोगियोंको सन्तोष है कि वकालत करनेवाले वकील तथा खिताब-याफ्ता लोग अब नेता नही हो सकते। वे जानते हैं कि जिन्होंने खिताब, वकालत अथवा सरकारी स्कूल नही छोडे हैं, वे भी मनसे असहयोगी हैं तथा अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं।

परमश्रेष्ठके जिन सलाहकारोंने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि असहयोगियोंने जन साधारणकी ओर ध्यान देना अभी-अभी शुरू किया है, उन्होंने दरअसल उन्हें गुम-राह ही किया है। सच तो यह है कि वे ही हमारे एकमात्र अन्तिम आधार हैं। किन्तु हम अभी उन्हें छेडने नही जा रहे हैं। हम उन्हें धैर्यपूर्वक तबतक राजनैतिक शिक्षा देते रहेंगे जबतक वे निरापदरूपसे कार्य करनेके लायक नही बन जाते। हमारे लक्ष्यके विषयमें कोई भ्रम नही होना चाहिए। जिस क्षण हमें यह विश्वास करनेका उचित कारण दिखाई देगा कि कुर्की, जब्ती आदि क्षोभ-जनक कानूनी कार्रवाइयोंके बावजूद भारतके सिपाही और किसान अहिंसापर कायम रहेंगे, उसी क्षण हम इन सिपाहियोंसे अपने हथियार छोड देने और किसानोंसे लगान देना बन्द कर देनेके लिए कहेंगे। हमारी कामना यही है कि उस स्थितितक पहुँचनेकी आवश्यकता न पडे। ऐसा गम्भीर कदम न उठाना पडे, इसके लिए हम कुछ भी उठा नही रखेंगे। किन्तु यदि समय आया और आवश्यकता उत्पन्न हो गई तो हम पीछे भी नही हटेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९–३–१९२१

२१३. सन्देश : किसानोंको

[illegible] १९२१[1]

यदि [illegible]
[illegible]

१ [illegible]
[illegible]

२ [illegible]

३ [illegible]
[illegible] पानी, [illegible] बन्द न करना।

४ [illegible]

५ जमींदार यदि [illegible]
[illegible]

६ याद रखना कि जमींदारोंसे भी [illegible]

७ हम इस वक्त कानूनको [illegible] इसलिए सब कानूनी आज्ञाओंको मानना।

८ रेलगाड़ी वगैरहको न रोकना। न जबरदस्ती बिना टिकट उसमें बैठना।

९ यदि हमारे किसी नेताको सरकार पकड़े तो भी उसे न रोकना, न कुछ दंगा या तूफान करना। सरकारके किसीको पकड़नेसे हम नहीं हारेंगे। हम हारेंगे, तब, जब पागल बनकर कुछ नुकसान करेंगे या मारपीट करेंगे।

१० शराब, बीड़ी, तम्बाकू और सब दुर्व्यसनोंको छोड़ना।

११ परस्त्रीको माँ-बहन समान समझना, उसकी रक्षा करना।

१२ हिन्दू-मुसलमानके बीच प्रेम रखना।

१३ हिन्दू जातियोंमें किसीको नीच-ऊँच, अछूत — ऐसा नहीं समझना। सबमें समदृष्टि और भ्रातृभाव रखना। हम सब भारतवासी भाई-बहन हैं, ऐसा भाव रखना।

१४ जुआ नहीं खेलना।

१५ चोरी नहीं करना।

१६ झूठ हरगिज नहीं बोलना। सत्य ही हमेशा कहना और सच्चा व्यवहार करना।

१. अवधकी यात्राके दौरान गांधीजीने यह सन्देश संयुक्त प्रान्त (अब उत्तरप्रदेश) के किसानोंको दिया था। मूल हिन्दीका एक स्वतन्त्र अंग्रेजी अनुवाद ९–३–१९२१ के यंग इंडियामें भी छपा था। इस सन्देशके आजमें उपलब्ध पाठको लगभग अविकल रूपमें दिया जा रहा है।

१७ हरएक घरमे चरखा दाखिल करना और दूसरे कामोसे जितना समय बचे वह सब स्त्री-पुरुष सूत कातनेमे दे। लडके-लडकियोको भी सूत कातनेमें लगाना। कमसे-कम चार घटा रोज सूत कातनेमे दिया जाये।

१८ परदेशी कपडेका त्याग कर अपने काते हुए सूतमे से जुलाहेके मारफत कपडे बुनवाकर पहनना।

१९ अपने झगडोका फैसला अदालतोसे नही करना परन्तु पचकी मारफत तय करना।

याद रखना कि सबसे बडी बात यह है कि हम गुस्सेको रोके और मारपीट न करे। कोई हमे मारे तो उस मारकी परवाह न करना।

मोहनदास करमचन्द गाधी

आज, २४–२–१९२१

२१४. पत्र: शि० गु० प्र० स० के सदस्योंको[१]

अम्बाला
९ मार्च, १९२१

खालसाजी,

आपका तार और वह प्रस्ताव भी मिला जिसमें ननकाना काण्डकी जाँच सरकार जिस तरहसे कर रही है उसकी निन्दा की गई है। उस जाँचमे अविश्वास प्रकट किया गया है, और एक गैर-सरकारी जाँच-समिति नियुक्त की गई है। प्रस्ताव मैंने पढ लिया है। प्रस्ताव द्वारा मुझे समितिका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार मेरा जो सम्मान किया गया है मै उसकी कद्र करता हूँ, किन्तु मुझे भय है कि मै तबतक समिति और सिख समाजकी कोई उपयोगी सेवा नही कर सकता जबतक समितिकी नियुक्तिका उद्देश्य सरकारी जाँचके सम्भावित दुष्प्रभावोकी काट करना मात्र है। 'सिख लीग' और अन्य राष्ट्रीय सस्थाओने असहयोगका जो प्रस्ताव पास किया है, उसमें वस्तुत सरकार द्वारा की जानेवाली जाँचमे भाग लेने या सहायता देनका निषेध किया गया है। इसलिए मै तो सोचता था कि आप असहयोगके आधारपर ही उस जाँचसे अलग रहेगे, चाहे फिर जाँचका उद्देश्य अस्थायी या आशिक तौरपर कुछ खास बातोमे थोडी राहत देना ही क्यो न हो। आपने जाँचमे जो अविश्वास प्रकट किया है, वह मेरी दृष्टिमे उस सरकारसे सहयोग करनेकी निरर्थकताका एक और उदाहरण है जिसको, यदि वह अपने तौर-तरीके नही सुधारती तो हम नष्ट करनेकी फिक्रमें हे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रस्तावपर फिरसे विचार

१. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति।

सिखोंके मन्दिरको गुरुद्वारा कहते हैं। सुधारकोंका खयाल है कि गुरुद्वारोंमें आचारका स्तर गिर गया है और उनमें रहनेवाले महन्त बहुधा दुराचारी और पाखण्डी होते हैं। कुछेक गुरुद्वारे ऐतिहासिक हैं। ऐसे सब गुरुद्वारोंपर कब्जा करना, उसके सुधारक इष्ट समझते हैं। यह आन्दोलन उनमें सुधार दाखिल करने तथा उन्हें एक समितिकी सत्ताके अधीन करनेके लिए चलाया जा रहा है। वह पिछले कुछ वर्षोंसे चल रहा है। उनमें कुछ बड़े-बड़े सिख नेता, जैसे कि सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया, भी शामिल हैं। असहयोग आन्दोलनके बादसे यह आन्दोलन कुछ अधिक उग्र हो गया है। सिखोंके मण्डल जिन्हें अकाली जत्था या अकाली दल कहा जाता है, इन गुरुद्वारों-का कब्जा लेते जाते हैं। ऐसे दल स्थान-स्थानपर फैल गये हैं। अमृतसर उनका गढ़ है। ये अकाली सिख पूर्वोक्त पाँच वस्तुओंको धारण करते हैं, इतना ही नहीं, वे काली पगड़ी बाँधते हैं, कन्धेपर काले रंगकी पट्टी रखते हैं और एक मोटी लाठी भी रखते हैं जिसके सिरपर एक छोटा-सा परशु लगा हुआ होता है। किसी-किसी लाठीमें परशु नहीं होता। ऐसी टुकड़ियोंके पचास अथवा सौ व्यक्ति जाकर गुरुद्वारोंका कब्जा लेते हैं। उनका कहना यह है कि इन टुकड़ियोंका इरादा जबरदस्तीसे कब्जा लेनेका नहीं होता, ये लोग स्वयं मार खाते हैं परन्तु मारते नहीं। फिर भी पचास अथवा अधिक व्यक्तियोंकी टोलीका किसी स्थानपर इस रूपमें जाना एक प्रकारसे शस्त्रबल-का प्रदर्शन ही है और उससे गुरुद्वारेके रक्षकोंका डरना भी स्वाभाविक ही है।

इस कार्यमें जबरदस्तीका प्रदर्शन हो या न हो, लेकिन इससे उनके एकाधिक बड़े गुरुद्वारे अकाली जत्थेके कब्जेमें आ गये हैं और इस प्रयत्नमें उन्हें लगभग १६० व्यक्ति खोने पड़े हैं।

सबसे अधिक व्यक्तियोंकी जानें इन गुरुद्वारोंमें सर्वश्रेष्ठ गुरुद्वारेका कब्जा लेनेमें गईं। इस गुरुद्वारेका नाम ननकाना साहब है। वह लाहौरसे चालीस मील दूर है। रेलवे स्टेशनका नाम भी वही है। यह गुरुद्वारा गुरु नानककी यादमें बनवाया गया है। ननकानामें एक नहीं बल्कि पाँच गुरुद्वारे हैं। उसमें एक स्थान ऐसा है जहाँ कहा जाता है कि एक सर्पने निर्दोष भावसे गुरु नानकके सिरपर अपने फनकी छाया की थी। इस गुरुद्वारेपर महन्त नारणदासका कब्जा था। कहते हैं कि वह विषयी व्यक्ति था। उदासी होनेके बावजूद उसने एक स्त्री रख छोड़ी थी। अनुमान किया जाता है कि उसकी वार्षिक आय पाँच लाख होगी। इस गुरुद्वारेपर अकाली दलकी नजर पहलेसे ही थी। उनका विचार ३–४ मार्चको कोई कदम उठानेका था। लेकिन स्वर्गीय सरदार लछमनसिंह और स्वर्गीय सरदार दलीपसिंह प्रतीक्षा न कर सके। ये दोनों सरदार लखपति थे। इनमें से पहले सरदारने ननकाना साहब जानेका निश्चय किया। उनके साथ लगभग दो सौ व्यक्ति होंगे। सरदार दलीपसिंहने सरदार लछमन सिंहको रोका। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यह प्रतिज्ञा करके चला हूँ कि 'मुझे ग्रन्थ-साहबके आगे माथा टेकना है, वैसा करते हुए अगर भाग्यमें मरना लिखा होगा तो मरूँगा।' पिछली रात ही सरदार दलीपसिंह अन्य सिख भाइयोंके साथ मुझसे बातचीत कर रहे थे। मौत उनको खींचकर ननकाना साहब ले गई। भला वे अपने मित्रको

इस तरह धर्मके लिए, धर्मके नामपर डेढ सौसे भी अधिक सिखोने अपने प्राण उत्सर्ग कर गुरुद्वारेपर अपना स्वामित्व सिद्ध कर दिया।

मैंने एक सरदारसे पूछा, "आप इस बलिदानकी हिन्दुस्तानके लिए क्या कीमत आँकते है ?" उसने कहा, "इस बलिदानसे कोई अकेले सिखोकी ही ताकत नही बढी है, वरन् समस्त हिन्दुस्तानकी बढी है। और स्वराज्य मिलनेसे पहले हमें ऐसे अनेक बलिदान देने पडें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नही होगी। इस बलिदानने सारी दुनियाको बता दिया है कि हिन्दुस्तानमें कैसे वीर व्यक्ति पडे है।" इस सरदारकी बात सही है।

जिस दिन इन शहीदोका अग्नि-संस्कार हुआ, उस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद और मै सिखोकी एक सभामें शामिल हुए थे।[1] वहाँ उन्होने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वाक्य कहा, "एक सिख गुरुद्वारेको डेढ सौ सिखोने अपने रुधिरसे शुद्ध किया है। हिन्दुस्तान रूपी गुरुद्वारेको शुद्ध करनेके लिए अगर हम सबको शहीद होना पडे तो इसमें क्या आश्चर्य है ?"

आइये हम इन भाइयोंके बलिदानको जरा गहराईसे देखें। यदि उनका उद्देश्य बल-प्रदर्शनके द्वारा गुरुद्वारेपर कब्जा करनेका था तो उसमें उनका हेतु शुद्ध लेकिन साधन अशुद्ध माना जायेगा। लेकिन चूँकि वे स्वय ही मृत्युको प्राप्त हुए इसलिए ससार हमेशा उनकी बहादुरीका बखान तो करेगा ही।

यदि वे सिर्फ 'दर्शन' करनेके इरादेसे ही गये हो लेकिन अपना बचाव करते हुए मृत्युको प्राप्त हुए हो तो भी जगत् उनकी बहादुरीकी स्तुति करेगा और उनके साधनोंके बारेमें शका नही करेगा। लेकिन यदि वे सिर्फ 'दर्शन' के हेतुसे ही गये हो और अपने पास हथियार होनेके बावजूद उन्होने उनको उठाए बिना चुपचाप मृत्युका आलिगन किया हो तो दुनियाके सामने शान्तिमय क्षात्रबलका उन्होने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी आधुनिक कालमें कोई मिसाल नही है। अगर ऐसा ही हुआ हो तो इस युगमें यह बात सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही हो सकती है। सन्तोषजनक बात तो यह है कि जिन-जिन सिखोंके साथ मैंने इस सम्बन्धमे बात की है उनमे लगभग बिना किसी अपवादके प्रत्येक सिखकी यही मान्यता है कि ये डेढ सौ बहादुर व्यक्ति 'दर्शन' करनेके लिए ही गये थे और शस्त्र उठानेकी स्थितिमें होनेके बावजूद, चूँकि वे शान्तिसे ही काम लेनेकी प्रतिज्ञा करके वहाँ गये थे, उन्होने शस्त्र नही उठाये और मृत्युको प्राप्त हुए।

अगर यह बात सच है तो यह अहिंसामय असहयोगका एक परिपूर्ण उदाहरण है और मेरी दृढ मान्यता है कि उसका हमारे स्वराज्यके आन्दोलनपर बहुत महत्वपूर्ण असर होगा।

सरकारको लाहौरमें जब यह खबर मिली तब उसने तुरन्त ही खास ट्रेनसे सेना भेजी और महन्त तथा उसके जो साथी गुरुद्वारेमें मिले उन सबको कैद कर लिया। दूसरे अथवा तीसरे दिन गुरुद्वारेका कब्जा उसने अकाली दलकी समितिको दे दिया।

१ श्री में, २५ फरवरी, १९२१ को।

है कि आप इसका बुरा नही मानेंगे। अब आपको उनके ठहरनेकी जगहके बारेमें बिलकुल चिन्ता करनेकी जरूरत नही है।

हृदयसे आपका,
म० ह० देसाई

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२४३)की फोटो-नकलसे।

२१७. तार : विजयराघवाचार्यको

[१४ मार्च, १९२१ के बाद][1]

अभी पत्र मिला। ३० तारीखको मेलसे बेजवाडा[2] पहुँचनेकी आशा।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५०३)की फोटो-नकल से।

२१८. टिप्पणियाँ

मानवता बनाम देशभक्ति

एक भाईने मेरा ध्यान सिखोंके नाम लिखे मेरे पत्रमें[3] की गई अपील की ओर आकर्षित किया है। उनके विचारसे, उनकी मानवीय भावनाको छूनेके बजाय उनकी देशभक्तिकी भावनाको जगानेके लिए की गई यह अपील अनुचित है। जिस अंशपर उन्होंने आपत्ति की है, वह इस तरह है

> **हत्यारोंके विरुद्ध न्याय माँगनेका शुद्धतम मार्ग यही है कि न्याय न माँगा जाये। हत्यारे -- चाहे सिख हों, पठान हों अथवा हिन्दू हों -- हमारे देशवासी हैं। उनको दण्ड देनेसे अब मृत व्यक्ति फिरसे जीवित नहीं हो सकते। जिनके हृदय इस वेदनासे दग्ध हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वे हत्यारोंको क्षमा कर दें -- इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं। कमजोर तो वे हैं ही नहीं, उनमें इन हत्यारोंको दण्डित करानेकी पूरी क्षमता है। अतः वे उन्हें क्षमा कर दें इसलिए कि उनकी शक्ति अपरिमित है। शक्तिवान ही क्षमा कर सकता है।**

मैंने इस अंशको बार-बार पढ़ा है। मुझे लगता है कि मैं आज भी उसका कोई शब्द नहीं बदलना चाहूँगा। उस पत्रमें मैंने सिखोंसे जो अपील की है वह उनके

१ यह तार श्री विजयराघवाचार्यके १४ मार्च, १९२१ के पत्रके उत्तरमें था।
२ यहाँ ३१ मार्च, १९२१ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक होनेवाली थी।
३ देखिए "सन्देश : ननकाना साहबकी दुःखद घटनापर सिखोंको", ४-३-१९२१।

है, वे पूर्णत बर्खास्त किये गये नही माने जा सकते। जो पुत्र अपराध करके पश्चात्ताप न करे उस पुत्रको भोजन देनेके लिए उसका पिता बाध्य नही है, यही नही, यदि वह उसका पोषण करता जाता है तो उसके अपराधमे भी भागीदार होता है।

काग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच समितिके सदस्योको[1] छूट थी कि वे चाहे तो महाभियोग लगाने और साधारण मुकदमे चलाने अथवा बर्खास्तगीतक की सलाह दे सकते है। उन्होने उद्देश्य सिद्धिके खयालसे नही, बल्कि मानवीयताके कारण दूसरा मार्ग अपनानेकी ही सलाह दी। कदाचित् पाठक नही जानते कि इस उलझन-भरे मामलेपर सदस्योने गम्भीरतापूर्वक कई घटे विचार किया था। रिपोर्टका अन्तिम मसविदा काशीमें, गगाके किनारे तैयार किया गया।[2] सिफारिशपर सदस्योमे खूब गरमागरम बहस हुई, और फिर उन्होने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि मुकदमा न चलानेसे भारतको लाभ ही होगा। अभी हालमे पटनामे एक महत्वपूर्ण भाषण देते हुए श्री दासने समितिके सदस्योंके आपसी समझौतेका उल्लेख किया था। सदस्योने निश्चय किया कि जब हम जो कमसे-कम माँग हो सकती है, उसीकी सिफारिश कर रहे है, तो हमें गम्भीरतापूर्वक यह सकल्प भी करना चाहिए कि अपनी जानकी बाजी लगा कर भी हम इन माँगको पूरा करायें। अत उक्त समितिके सदस्य यदि आज असहयोगी है, तो यह तो उनका साधारण कर्त्तव्यमात्र है। किन्तु उन्होने दण्ड देनेके अधिकारका प्रयोग न करनेका मार्ग चुना। यह सच है कि समूचे भारतवर्षने अभीतक सोच-विचारकर मानवता, अर्थात् क्षमाका सिद्धान्त स्वीकार नही किया है। हत्यारोको फाँसीपर लटकाने आदिकी बातें बहुधा सुनाई देती है। किन्तु ब्रिटिश गवर्नरो और जनरलोंके खिलाफ कुछ करने योग्य शक्ति अभीतक भारतमें नही है। वह अभी उनसे डरता है। अत, सर माइकेल ओ'डायर तथा जनरल डायरको क्षमा करनेकी बात अर्थहीन है। किन्तु भारत प्रतिदिन शक्ति-लाभ कर रहा है और क्षमा करनेके योग्य बन रहा है। जब कोई भारतीय पजाबके अपराधियोको दण्ड देनेकी बात करता है, तो वह पुरुषार्थहीन क्रोधके आवेशमें ही ऐसा करता है। किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि भारत आज स्वतन्त्र होता, अर्थात् अपराधियोको दण्ड देनेके लायक शक्तिसे सम्पन्न होता, तो वह दण्ड न देता। वह तो केवल जलियाँवाला-जैसी घटनाओंकी सम्भावनाओंसे मुक्त होना चाहता है। सम्पूर्ण असहयोग आन्दोलनकी कल्पना न्यायकी भावनासे ही की गई है, उसके पीछे प्रतिशोधकी कोई भावना नही रही है।

इस प्रणालीके विरुद्ध

इसके अतिरिक्त, सघर्ष व्यक्तियोंके विरुद्ध नही, वरन् इस प्रणालीके विरुद्ध है। निश्चय ही सभी गवर्नर बुरे नही है। हकीम अजमलखाँने, जो महानतम भारतीयो तथा उच्चतम मुसलमानोंमें से है, तिब्बिया कालेजके उद्घाटनके अवसरपर लॉर्ड

१ गांधीजी, चित्तरजन दास, अब्बास तैयबजी, मु० रा० जयकर जिनकी नियुक्ति कांग्रेसकी पजाब उप-समितिने अप्रैल १९१९ में हुए पजाबके उपद्रवोंकी जाँचके लिए की थी।

२ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ६१-६२।

हानि और ऐसी हानिके [illegible], जो [illegible] कर दिया है। असह-योगियोंने बराबर इस मामलेमें अंग्रेजोंका [illegible] है और [illegible] आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमें सम्मिलित होनेका [illegible] किया है।[1] आपका [illegible] अंग्रेजोंके उत्तराधिकारी [illegible] है। [illegible] नहीं है। असहयोगियोंका [illegible], [illegible] मुकाबला नहीं है।

पण्डित मालवीयजी

आपलोगोंकी बातोंसे [illegible] है। पण्डित मदनमोहन मालवीयजीके [illegible] कुछ [illegible] किया गया, [illegible] घृणित कृत्य है। भारतने यदि [illegible] ऐसा [illegible] है जिसका [illegible] नहीं किया जाना चाहिए, तो [illegible] पण्डितजी [illegible] आज भी हमारी स्मृतिमें ताजी है।[2] [illegible] विश्वविद्यालयका निर्माण हुआ। वे [illegible] अधिक सज्जन हैं। यह भारतका दुर्भाग्य है, उनका दोष नहीं, कि वे कुछ समयके लिए अपनी प्यारी चीज खोनेकी जोखिम उठानेपर [illegible] तैयार नहीं हैं। उनका इस प्रकार अपमान किया जाना भारी दुःखकी बात है। यदि नवयुवक विद्यार्थियों अथवा तथाकथित संन्यासियोंने विद्यार्थियोंका मार्ग रोक लिया था, तो निश्चय ही पण्डितजीको अधिकार था, बल्कि उनका कर्त्तव्य था कि वे बीचमें पड़कर सत्संगी विद्यार्थियोंको रास्ता दिलवाते। मैंने [illegible] पुलिसने [illegible] लोगोंको या जिन्हें उसने अपराधी समझा, उनपर मुकदमा चलाकर बिलकुल ठीक किया। गिरफ्तार किये गये लोगोंके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा — यह मैं मानता हूँ। किन्तु पुलिससे सौम्य व्यवहारकी आशा हमें स्वराज्य प्राप्त करनेके बाद भी नहीं करनी चाहिए। अतः मैं उन लोगोंके प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं दिखा सकता, जिन्होंने उतने स्पष्ट रूपसे उस उद्देश्यके नाममें बट्टा लगाया है, अज्ञानवश जिसके हामी होनेका दावा वे करते हैं।

सच्चे और झूठे

किन्तु आन्दोलनमें होनेवाली ज्यादतियोंकी आलोचना करना एक बात है, और स्वयं आन्दोलनकी ही निन्दा करना बिलकुल दूसरी बात है। सच्चे असहयोगियों और झूठे असहयोगियोंमें भेद करना जरूरी है। नासमझ विद्यार्थियों और अज्ञानी संन्यासियों-का व्यवहार निःसन्देह लज्जाजनक तथा निन्दनीय था। किन्तु जनताका विचारक समु-दाय असहयोगकी सीमाओंको जानता है, और उनका अतिक्रमण नहीं करता। मैं साहस-पूर्वक यह दावा करता हूँ कि भारत आज जितना शान्त है, उतना पहले कभी नहीं

१. इसके बादके अंशमें जो वाक्य आये हैं, वे मूल स्रोतमें ही कहीं-कहीं कटे-फटे हैं। इन्हें अनुमानसे पूरा करके अनुवाद किया गया है।

२. जलियाँवाला बागकी घटनाके बाद १९१९ में मालवीयजीने पंजाबका दौरा किया था।

रहा, लेकिन यह शान्ति कमजोरो और अज्ञानियोकी जडता नही है, वरन् यह उन लोगोकी प्रबुद्ध शान्ति है जिन्हे अपनी दिन-प्रतिदिन बढती हुई शक्तिका भान हो रहा है। भारत उस रोगको जानता है, जिससे वह पीडित है, और आन्तरिक शुद्धीकरणकी प्रक्रियासे उस रोगसे मुक्त होनेकी तैयारी कर रहा है।

सदा सावधान रहिए

लेकिन साथ ही हम क्या कहते और करते है, इस विषयमें हमें सावधान रहना चाहिए। भारतके कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इसीलिए अलग खडे है कि उन्हे यह विश्वास नही है कि उत्तेजनाओंके बावजूद जनता अहिंसक बनी रहेगी। असहयोगियोकी छोटी-से-छोटी गलती, यहाँतक कि उनका अशिष्ट व्यवहार भी, हमारे उद्देश्यकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचाता है। हम एक ही समय एक ओर समझदार तथा सयमी और दूसरी ओर क्रुद्ध नही हो सकते। एक बारमें या तो हम हिंसक हो सकते है या अहिंसक — दोनो नही। हमने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है, और अब उसमें जो भी कठिनाइयाँ झेलनी पडें, उन्हे सहन करना चाहिए। अहिंसापर दृढ रहनेका निश्चय कर लेनेके बाद, हमें हिंसाकी ओर किसी प्रकारका झुकाव नही दिखाना चाहिए। अत हमें सावधान रहना है कि किसी भी रूपमें हम हिंसाका समर्थन नही करेंगे। यदि हम अपने आन्दोलनको अहिंसाके सुदृढ आधारपर स्थित नही करते, तो वह ताशके मकानकी तरह किसी दिन एक फूंकमें ही भरभरा पडेगा। हम एक ही साथ खुदा और शैतान, दोनोकी भक्ति नही कर सकते।

जालन्धरका एक गश्ती पत्र

जालधरके डिप्टी कमिश्नरने पचायतोंके बारेमें जो निर्देश जारी किये वे देखनेमें बडे निर्दोप लगते है। उन्होने जिस ढगसे नियम निर्धारित किये है, उसपर कोई आपत्ति नही की जा सकती, किन्तु फिर भी वे जिस बातपर चोट करना चाहते थे उसपर चोट नही कर सके है। इसमें सन्देह नही कि निजी पचायतोंके निर्णय कानूनकी दृष्टिमें बधनकारी नही होते। किन्तु पचायतोकी शरण केवल वे लोग ही लेंगे जो स्वय अपनी इच्छासे उनके निर्णयोका पालन करनको तैयार हो, और इसलिए इन लोगोको इस बातकी जरूरत ही नही होगी कि कोई पचायतके आदेशोपर अमल करवाये। नि सन्देह, जघन्य अपराधोंके मामलेमें अपराधीसे समझौता कर लेना गलत है। किन्तु जिस व्यक्तिका माल चोरी गया है उसे दुनियाकी कोई भी अदालत शिकायत दर्ज करानेके लिए बाध्य नही कर सकती। एक वकीलकी हैसियतसे भी मैंने अपने मुवक्किलोंको ऐसे चोरोपर तक मुकदमा दायर न करनेकी सलाह दी है, जिन्हे वे जानते थे। इस तरहके कुछ लोगोको मैंने पुलिससे छुडाया भी है। लेकिन ऐसा करके मुवक्किलोंकी तो बात ही क्या, मैंने या पुलिसने भी ऐसे मामलोमें अपराध करनेवालेके साथ कोई समझौता नही किया। फिर जो बार-बार चोरी करता है, उसे पचायत समाज-बहिष्कृत क्यो नही कर सकती? अपराधियोको दण्ड देनेके लिए न्यायालय स्थापित रहनेके बाद भी समाज अपने-आपको सामाजिक शक्तिके साधनोसे वचित नही कर

मॉरिशसकी डाक

मॉरिशससे श्री बुद्धन नामक एक बैरिस्टरने, जो अभी वकालत कर रहे हैं, मुझे एक तार भेजा है। वह इस प्रकार है

मॉरिशसके भारतीयोका अनुरोध है नये प्रवासी लानेके प्रयत्नमें हस्तक्षेप करे। मॉरिशसके गवर्नर सीलोन जा रहे है जिसके सम्बन्धमें वाइसरायके पास विरोध-पत्र भेज दिया गया है।

मै केवल जनताका ध्यान इस धृष्टताकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा तथा उससे आग्रह करूँगा कि वह स्वराज्य-प्राप्तिके लिए दुगुना प्रयत्न करे। यहाँ प्रवासियोका अर्थ केवल गिरमिटके अधीन या प्रलोभन आदि देकर ले जाये गये प्रवासियोसे ही हो सकता है। गिरमिटिया प्रवासी ले जानेकी बात तो लगभग अवैध होगी, और मै इस सम्भावना की कल्पना भी नही कर सकता कि वाइसराय फिर गिरमिटिया प्रवासी ले जानेकी बातसे सहमत होगे। और दूसरी बातमे शरारतकी सम्भावना है, क्योकि उसी हालतमे प्रवासियोको स्वतन्त्रताका सब्जबाग दिखाकर ले जाया जायेगा। किन्तु मै आशा करता हूँ कि मद्रास और सयुक्त प्रान्तके श्रमिक वर्गके बीच काम करनेवाले लोग मजदूरोको उन प्रलोभनोके विरुद्ध आगाह कर देगे, जो उन्हे दिये जा सकते है, यानी यदि सरकार मूर्खतापूर्वक तथाकथित पुन प्रवासके लिए फिरसे भरती शुरू करे तो वे उसके विरुद्ध उन्हे आगाह कर देगे।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १६–३–१९२१

२१९. पुरानी कहानी

किसी भी महान् आन्दोलनके दौरान सनसनीखेज खबरे फैलाना एक आम बात हो जाती है। कहते हैं, लाहौरमे एक अखबारी पोस्टरमे बडे मोटे-मोटे अक्षरोमें यह खबर छापी गई है कि मैंने 'नवजीवन' [के अमुक अक] में कहा है कि इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त नही होगा, क्योकि इस वर्ष श्री शास्त्रियर तथा पराजपेका अपमान किया गया है। मैंने 'नवजीवन' का वह अक देखा, और उसमे मुझे ऐसा कुछ नही मिला जिससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता हो। "स्वराज्य देरसे मिलेगा"[1], इस शीर्षकके अन्तर्गत मैंने बम्बईमे श्री शास्त्रियरकी सभाओमे श्रोताओंके आचरणकी कडी आलोचना की है, और कहा है कि ऐसा आचरण अवश्य ही हमारी प्रगतिके मार्गमें बाधक सिद्ध होगा। उसी लेखमें मैंने यह भी समझाया है कि यदि हुल्लडबाजीके ऐसे प्रदर्शन न हो तो हमें स्वराज्य प्राप्त करनेमे एक वर्ष भी नही लगे। मेरे विश्वासके बारेमें किसीको चिन्ता नही होनी चाहिए। मै चाहता हूँ कि लोग मेरे विश्वासोके बारेमें सोचना बन्द कर दें,

1 १३–२–१९२१ का।

और स्वराज किसी वर्षमें [illegible] ऐसा ही गहरा विश्वास [illegible] कर सकूँ, जैसा [illegible] है, तो भारत [illegible] प्राप्त कर सकता है। [illegible] करोड़ लोगोंके इस [illegible]

किन्तु [illegible] बताया था कि भारत [illegible] उन स्थितियोंमें [illegible] और यदि ऐसा न भी [illegible] जायेंगे। यदि यह सत्य है, तो भारत [illegible] बात है। किन्तु मैंने [illegible] आन्तरिक [illegible] हमें पुरुषार्थहीन बना दिया है। [illegible] इसलिए हमारी [illegible] नीति निश्चय ही कुछ समयतक [illegible] किन्तु हमारे समान [illegible] भाई-भाई बना दिया है। यदि हम विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दें और [illegible] जिनकी हम [illegible] दक्षिण आफ्रिकाके पास बहुत मामूली स्थायी सेना है और [illegible] तो है ही नहीं। यह सच है कि वहाँका प्रत्येक बोअर मर्द [illegible] है। किन्तु [illegible] दोनों गुणने ही दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंको एक राष्ट्र नहीं बनाया है। एकतावाली चेतना तथा अपने देशके लिए मर-मिटनेकी सामर्थ्यने उन्हें राष्ट्र बनाया है। एकतावाली चेतनाकी इनमें नित्य वृद्धि हो रही है, इसके साथ ही मर-मिटनेकी शक्ति भी अवश्य आयेगी। इसके लिए अंग्रेजी स्कूलों अथवा कौंसिल-भवनोंमें प्रशिक्षण प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। और चूँकि मुझे लगता है कि भारत अपनी एकताको अप्रत्याशित रूपसे तेजीके साथ अनुभव करता जा रहा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हममें एकता और शक्तिकी चेतनाका इतना विकास कर लेनेकी पूरी सम्भावना है कि हमारी तत्काल स्वराज्यकी माँगको कोई अस्वीकार न कर सके। अराजकताके हौअेसे हमें नहीं डरना चाहिए। यद्यपि बम्बईकी सड़कपर कभी-कभी कोई पठान अपने पागलपनका परिचय दे बैठता है और यद्यपि ननकाना साहबमें कोई महन्त कभी-कभी राक्षसी कृत्य भी कर बैठता है, तथापि मूलत हम भले और सीधे-सादे तथा शान्तिप्रिय लोग हैं। और जब सिख, गुरखे, राजपूत और पठान, सभी अपने आपको एक ही राष्ट्र मानने लगेंगे तब अगर हम चाहेंगे तो हममे इतनी सामरिक शक्ति भी आ जायेगी कि लुटेरोके बडेसे-बडे दलका भी, जो हमारा कोई दोष न होनेपर भी हमे लूटना चाहेगा, हम मुकाबला कर सकेंगे। हमारे शासक तो हमे बराबर यही शिक्षा देते रहे हैं, हममें यही भावना भरते रहे हैं कि हम असहाय हैं। और इसी शिक्षाने मेरी आत्माको उस प्रणालीके विरुद्ध उठ खडा होनेको मजबूर कर दिया है, जिसे

वे इतने वर्षोंसे और इतनी हृदयहीनताके साथ चलाते आ रहे हैं। जो चीज हमारी प्रगतिके मार्गमें बाधक हो रही है वह हमारा यही विश्वास है कि हम असहाय हैं। यह आश्चर्यकी बात है कि हम आज भी बन्धनमें हैं। स्वाभाविक यह होगा कि हम आजसे ही अपने-आपको स्वतन्त्र अनुभव करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६–३–१९२१

२२०. अखिल भारतीय तिलक स्वराज्य कोष

तिलक स्मारकका संगठन एक बड़े व्यवस्थित ढंगसे करनेकी दृष्टिसे पंजाब प्रथम स्थान पानेका अधिकारी है। नई समितियाँ अबतक सुचारुरूपसे काम करनेकी स्थितिमें हो गई होंगी और हमें समूचे देशमें कोष संग्रह करनेवाले लोग नियुक्त कर देने चाहिए। पंजाबमें कांग्रेस समितिने एक रुपयेकी रसीदें निकाली हैं, और इस तरह यह आशा की है कि जो दे सकते हैं, वे एक रुपयेसे कम नहीं देंगे। पहले एक स्मारक-सप्ताह मनानेकी घोषणा की गई, जिसे बादमें बढ़ाकर एक पखवाड़ेका आयोजन कर दिया गया, और विश्वस्त स्वयंसेवक कोष-संग्रहके लिए घूमने लगे। उन्होंने उस प्रान्तमें एक लाखसे अधिक रुपये जमा कर लिये हैं। समितिने अपने योगदानके रूपमें २५,००० रुपये अखिल भारतीय कांग्रेस समितिको भेज भी दिये हैं।

मेरी रायमें, शेष प्रान्त भी पंजाबके इस समुचित उदाहरणका अनुसरण करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जितनी रकम हमें जमा करनी है सो पहलेसे निश्चित कर लेना जरूरी है। पूरे भारतकी ओरसे एक करोड़ रुपया देना लोकमान्य जैसे महान् देशभक्तकी स्मृतिके प्रति अत्यन्त साधारण सम्मान प्रदर्शित करना है। जब हम उस उद्देश्यकी बात सोचते हैं, जिसके साथ इस हुतात्माकी स्मृति जुड़ी है तो यह रकम बहुत मामूली जान पड़ती है। स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए एक करोड़ रुपये देना बहुत नहीं है। और यहाँ इस बातकी ओर भी ध्यान दिलाया जा सकता है, कि यह पैसा विदेशोंमें अथवा अन्य प्रकारके प्रचार कार्यमें नहीं वरन् कताई, बुनाई तथा अन्य शैक्षणिक कार्योंमें खर्च किया जायेगा। यह पैसा हमारे बच्चोंके शिक्षणपर खर्च किया जायेगा। धन-संग्रहका कार्य इक्कीस प्रान्तोंमें करना है, और सारा काम आगामी ३० जूनतक समाप्त कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रान्तसे औसतन लगभग ५ लाख रुपये जमा करनेकी आशा की जायेगी। किन्तु बम्बई, गुजरात, बंगाल, पंजाब तथा ऐसे ही अन्य प्रान्तोंसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे, उड़ीसा अथवा आन्ध्र-जैसे प्रान्तोंसे अधिक संग्रह करेंगे।

कार्यकारिणी समितिने यह व्यवस्था करके कि प्रत्येक प्रान्त अपनी संग्रह की हुई राशिका ७५ प्रतिशत प्रान्तीय खर्चके लिए अपने पास ही रख ले, काम और भी सरल बना दिया है। अतः ऐसी आशा की जाती है कि इस महान् स्मारककी

व्यवस्था करनेमें एक आनाका भी [illegible] नहीं लिया जायेगा। [illegible] कार्य-की स्मृतिका सम्मान [illegible] और [illegible] महान आत्मा, जिसने [illegible] जीवन अर्पित कर दिया, और [illegible] था। कार्यकारिणी समिति निस्सन्देह [illegible] हमारा राष्ट्र कांग्रेस [illegible] पंजाबियोंके उदाहरणका [illegible] है, और [illegible] कमेटीका दिया गया [illegible] है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६–२–१९२१

२२१. अकालसे संरक्षण

जब मैंने यह लिखा था कि चरखा [illegible] भी अकालके विरुद्ध बीमा ही है तब उसकी समस्त क्षमताका मुझे भी पूरा अनुमान नहीं था। [illegible] सहारे जिस बातका मुझे उस समय कुछ अस्पष्ट-सा अनुमान हुआ था वह अब अनुभवकी पैनी आँखोंसे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। बीजापुर, अहमदनगर तथा गुजरातके कुछ भागोंमें अकाल मँडरा रहा है।[1] हमें चाहिए, हम ध्यानपूर्वक विचार करें कि चरखा किस प्रकार अकालसे रक्षा करनेका साधन बन जाता है।

थोड़ा हिसाब करके देखें। एक चरखेका दाम लगभग ६ रुपये होगा। यदि तीन व्यक्तियोंके परिवारको हम दो चरखे दे दें और यदि सब मिलकर आठ-आठ घंटे चरखा चलायें तो वे प्रतिदिन कम-से-कम ६ आने कमा सकते हैं। मेरा दावा है कि ६ आने कमा लेनेपर परिवार उस संकट-कालमें भी अपना निर्वाह कर सकेगा। मुझे लगता है कि वे सब बारह-बारह घंटे चरखा चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही घरोंमें अपनी सुविधानुसार काम करना है। वे प्रतिदिन नौ आने कमाकर अपनी रोजाना आयमें ५० प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार १२,००० की लागतसे हम चार महीनेतक एक हजार परिवारों यानी तीन हजार व्यक्तियोंका भरण-पोषण कर सकते हैं। इसके बदलेमें हमे उनसे $\frac{१,००० \text{ परिवार} \times ६ \text{ आने} \times १२० \text{ दिन}}{१६}$ = ४५,००० रुपये मजदूरीके रूपमें वसूल होते हैं। जरूरी बात है कि सबसे पहले तो अकाल-सहायता कार्यके लिए धुनी हुई रुई और चरखोंके अलावा हमें ४५,००० रुपयोंका भी प्रबन्ध करना होगा। अकाल पीड़ित लोगों द्वारा काते गये सारेके-सारे सूतका उपयोग राष्ट्र कर सकेगा। सीखनेवाले शुरु-शुरुमें थोड़ा नुकसान भी करेंगे। मैं थोड़ा शब्दका प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि उस रुईका कुछ-न-कुछ उपयोग तो हो ही सकता है।

१. १९२१ के प्रारम्भमें सरकारने बीजापुर जिलेमें अकालकी घोषणा कर दी और बम्बई अहातेके पाँच जिलोंको अभावग्रस्त क्षेत्र मान लिया था।

यदि हम इन परिवारोको यह चरखा भेंटमे दे दें तो उनके कभी भूखो मरनेकी नौबत न आये और न उन्हें पूंजीकी आवश्यकता रहे। भविष्यमें इन परिवारोका सिर्फ इन बातका ध्यान रखना होगा कि उन्हे रुई मिलती रहे और जितना भी सूत वे कातें वह तत्काल खरीद लिया जाये। यह प्रयोग कई स्थानोपर किया जा सकता है और मेरा तो यह दावा है कि यदि हम प्रत्येक घरमें चरखेका प्रचलन कर सकें तो पूरे राष्ट्रका अकालके विरुद्ध प्राय बीमा ही हो जाता है। मैंने यहाँ यह मान लिया है कि अभाव पैसेका है और अकाल पीडित लोगोंके पास यदि पैसा हो तो वे अन्न खरीद सकते हैं। तीन वर्ष पहले खेडामें भी यही हुआ था और पिछले वर्ष उडीसामें[1] भी। बीजापुर और गुजरातका भी यही हाल हुआ है। इसलिए मैं जनतासे यह प्रयोग करनेके लिए कहूँगा। दानशील व्यक्तियोसे मेरी प्रार्थना है कि वे सरकारी सगठनोको धन देकर अपनी उदारताका अपव्यय न करे, क्योकि ये सस्थाएँ तो जनताको उत्तरोत्तर पगु ही बनाती चलती हैं। मैं उन्हे सलाह दूंगा कि वे स्वय विश्वसनीय कार्यकर्त्ताओकी समितियाँ बनायें और अपने आप यह प्रयोग करके देखें। नि सन्देह वे देखेंगे कि इसमें घाटे या असफलताकी कोई गुजाइश नहीं है और इसमें इस बातकी पूरी-पूरी सम्भावना तो है ही कि वे परिवार आत्मनिर्भर बन सकेंगे, साथ ही उन्हे यह भी नही लगेगा कि वे लोगोकी खैरातपर जी रहे हैं।

किसीको एक क्षणके लिए भी यह भ्रम नही होना चाहिए कि चरखा चन्द दिनोके मनबहलावके लिए खिलौना है। हजारो चरखोका निर्माण हुआ है और वे चलाये जा रहे हैं। दरिद्रोको प्रतिमास हजारो रुपये बाँटे जा रहे हैं। हम कुछ और समय ईमानदारी और समझदारीसे जमकर काम करे तो चरखा अपना पक्का स्थान बना लेगा। ऐसी सस्थाओंका सगठन होनेतक मैं 'यग इडिया' के उन पाठकोसे जो यह मानते है कि चरखा अकालसे सरक्षणका साधन है, 'यग इडिया' के प्रबन्धकको अपना चन्दा भेजनेका अनुरोध करता हूँ। चन्देकी रकमोकी प्राप्ति-सूचना दी जायेगी और उस रकमका उपयोग अकाल-ग्रस्त क्षेत्रमें सिर्फ चरखेके प्रचार और उसकी देखरेखकी उचित व्यवस्था करनेके लिए किया जायेगा। जब कोई समिति बना ली जायेगी तो यह राशि समितिको सौंप दी जायेगी। कुछ भी हो चन्देका उपयोग उसी उद्देश्यके लिए किया जायेगा जिसका मैंने उल्लेख किया है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १६–३–१९२१

१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४३१-३२, ४३९-४०।

२२३. पत्र : मगनलाल गांधीको

वर्धा जाते समय
बुधवार [१६ मार्च, १९२१][1]

चि० मगनलाल,

एक बात तो यह कि दाभोलकरने ५०० रु० चरखे और स्वदेशी आन्दोलनके लिए और वनुमतिबेनने ५०० रुपये आश्रमके लिए दिये हैं। इन दोनो रकमोंके चेक रेवाशंकरभाईको दे दिये गये हैं।

डाक्टर मेहताने आश्रमको डेढ़ लाख रुपये दिये हैं। यह रकम दो वर्षोंमें जरूरतके मुताबिक ले लेनी है। रकम इमारत खाते दी गई है। इसमे से बीस हजार रुपये रेवाशंकर भाईने अभी ले सकने हो। जितना इमारती काम प्रारम्भ किया जा चुका है फिलहाल उतने ही पूरा कर लेना है। शेष स्थगित रखो। सेठ रुस्तमजीसे[2] मिला हुआ रुपया तथा हमारे पास पड़ी हुई अन्य सभी रकमोको मैं इनसे अलग ही रखना जरूरी मानता हूँ। ये डेढ़ लाख रुपये अन्तरात्माने की गई ईश्वर प्रार्थनाके उत्तरमें प्राप्त हुए हैं, ऐसा समझना। अच्छे चरखेकी कसौटीपर खरा उतरना कोई मामूली बात नही है। डेढ रुपयेकी कीमतवाला सूरतका चरखा देख लेना, मुझे वह बहुत ही पसन्द आया। उससे सूत तो बहुत काफी मात्रामें काता जा सकता है। उसका निर्माता कोई साधु पुरुष है। वह विद्यार्थी है और असहयोगमें शामिल हो गया है। मैंने उसे तुम्हारे पास जानेको लिखा है। उसे प्रोत्साहित करना। इस नमूनेका एक चरखा मैंने साथ रख लिया है। भाई शंकरलालका यह खयाल है कि हमारे नमूनेके चरखे बनानेमे लकडी बहुत ज्यादा लगती है। इस व्यक्तिने विश्वास दिलाया है कि उसके चरखेमें लकडी कम लगेगी और वह चक्कर भी ज्यादा देगा। तुम्हारा खर्चेपर गहराईसे सोचना जरूरी है। हमें पाँच करोड घरोमें चरखा प्रविष्ट कराना है। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए खूब सस्ता और मजबूत चरखा ईजाद होना जरूरी है। इस विषयमें खूब सोचो और जो-जो नमूने ईजाद होते हैं उनके गुण दोषोका अध्ययन करो। जो काम भाई शंकरलाल कर रहे हैं उसे समझ लेना बहुत जरूरी है। डेढ रुपयेवाले चरखेको खूब चलाकर उसकी रिपोर्ट भी तुम्हें तैयार करनी चाहिए।

आश्रमके विद्यार्थियोपर विशेष ध्यान देने तथा उनसे अधिक और बढिया किस्मका सूत कतवाना आवश्यक है। रुई धुननेकी क्रिया भी हमे अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए। धुनना कितने समयमें सीखा जा सकता है, लिखना। हमारे बीच कताई-बुनाईके प्रत्येक अगका विशेष ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति होने चाहिए। बाहरी प्रवृत्तियोको अपने-आप चलने देकर भीतरकी प्रवृत्तियोको बढाना और दूसरोके किये गये कामोपर

१ गाधीजी बम्बईसे वर्धाके लिए इसी तारीखको रवाना हुए थे।

२ पारसी रुस्तमजी, जिन्होंने ४०,००० रुपयोंकी मदद की थी। देखिए पृष्ठ १६०, पा० टि० २।

नजर रखना जरूरी हो गया है। क्योंकि [illegible] लिया जाता। सारा तुम्हारी शिक्षापद्धतिमें जो त्याग हो उसे समझकर ही करना। आश्रमके बारेमें इसे अपनाया जाना चाहिए।

आज मैंने आश्रमकी अन्य [illegible] बारेमें भी लिखा।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९१) से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

२२४. भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभामें

१६ मार्च, १९२१

श्री गांधी गुजरातीमें बोले। उन्होंने कहा, मैं आप लोगोंको देशकी वर्तमान स्थितिके बारेमें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सारे देशका दौरा किया है और इस दौरेमें मुझे काफी अनुभव प्राप्त हुए हैं, किन्तु इतना समय नहीं है कि देशके विभिन्न भागोंमें जो-कुछ मैंने देखा या जाना है, वह सब विस्तारसे आपको बता सकूं। मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि यदि आप असहयोगके प्रसारके लिए अपना कार्य उसी प्रकार शान्तिपूर्ण ढंगसे करते रहें, जिस प्रकार देशके सभी भागोंमें पिछले पांच महीनोंसे करते रहे हैं, तो एक सालके अन्दर आपको स्वराज्य मिलना निश्चित है; और टर्कीकी अन्यायपूर्ण सन्धि भी सुधार ली जायेगी तथा पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंका भी परिशोधन होगा।

पिछले पांच महीनोंकी आपकी बड़ी उपलब्धि यह है कि अब रैयत समझ गई है कि सरकारके दिये खिताबोंका कोई महत्व नहीं है; नौकरशाही द्वारा दी जानेवाली शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है और विदेशी वस्तुओंका कोई मूल्य नहीं है। रैयत यह भी समझ गई है कि नौकरशाहीकी दी हुई कानूनी अदालतोंका उसके लिए कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है।

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि न केवल रैयतने, वरन् अन्य वर्गोंने भी इस सत्यको पहचान लिया है। जो विद्यार्थी यहां मौजूद हैं, वे ईमानदारीसे ऐसा नहीं कह सकते कि वे सरकारी स्कूलोंमें पढ़ना सम्मानजनक समझते हैं, और यही हाल नौकरशाहीकी अदालतोंमें वकालत करनेवाले वकीलोंका भी है। बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्तके अपने दौरोंमें मैं सैकड़ों वकीलों और विद्यार्थियोंसे मिला। वे लोग शर्म महसूस करते जान पड़े — निश्चय ही अपने आपपर। वे उन संस्थाओंसे अपना नाता अबतक नहीं तोड़ पाये जिन्हें वे मात्र पाखण्ड मानते हैं। मैंने यह भी देखा कि धीरे-धीरे वे (विद्यार्थी और वकील) भी वर्तमान ब्रिटिश शिक्षाप्रणाली तथा ब्रिटिश अदालतोंकी ओरसे उदासीन होते जा रहे हैं। ऐसे आशाजनक संकेत मिले हैं कि आगामी सात

महीनोमें इन वर्गोमें उक्त दिशामें विरक्तिकी भावना पूरी तरह दृढ़ हो जायेगी। यह एक स्वीकृत तथ्य रहा है कि भारत किसी भी अन्य वर्गके लोगोसे वकीलोकी अपेक्षा अधिक सेवाकी उम्मीद नहीं कर सकता। जहांतक विद्यार्थियोका सम्बन्ध है, उनके हृदय कोमल होते हैं और मस्तिष्क अपरिपक्व। इसीलिए वे अपने उन स्कूलो व कालेजोको छोडनेमें झिझक रहे हैं जिन्हे वे अन्त करणसे नापसन्द करते हैं। परन्तु मैं आपको बता दूं कि यदि आप यह जानते हुए भी कि अमुक चीज बुरी है, उसे नहीं छोडते तो इससे स्वराज्य प्राप्तिमें बाधा पडेगी।

आमजनता और अन्य वर्ग, सभी समझ गये हैं कि असहयोग आत्माकी शुद्धिका भी एक उपाय है। मैंने देशके उत्तरी भागमें जो-कुछ देखा, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने देखा कि अधिकतर लोगोके शरीरपर एक भी विदेशी वस्त्र नहीं था। जो विद्यार्थी स्कूल-कालेजोसे बाहर आ गये हैं वे अनेक प्रकारसे राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं; और मेरी समझमें नहीं आता कि असहयोग करनेवाले विद्यार्थी अराजकतावादी कैसे बन सकते हैं, जैसी कि कुछ हल्कोमें चर्चा है। मेरी समझमें अराजकतावादियो-जैसे कायर मनके लोग राष्ट्रकी पुकारपर इतने साहसके साथ कभी अपने स्कूलो और कालेजोसे असहयोग नहीं कर सकते।

आगे बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि मुझे यह सुनकर दु ख हुआ कि श्री शास्त्री और श्री पराजपेका सार्वजनिक सभाओमें अपमान किया गया। मेरी समझमें नहीं आता कि अपने उन देशभाइयोका, जिनके विचार आपसे नहीं मिलते, अपमान करके आपको क्या मिल सकता है। मेरा मन बडा खिन्न हुआ, जब मैंने सुना कि बनारसमें उस सन्यासी, पडित मदनमोहन मालवीयको भी अपने देशवासियोसे उनकी देश-सेवाओके अनुरूप व्यवहार नहीं मिला। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आपको यह सब-कुछ सहना होगा, आपको किसीसे भी घृणा करनेका हक नहीं है। जिस तरह कोई व्यक्ति विचार न मिलनेपर भी अपनी पत्नी, पुत्र या बहनकी उपस्थितिको सहन करता है, उसी तरह आपको अपने देशभाइयोके सभी दृष्टिकोणोको सहन करना होगा। यदि आप नम्रतापूर्वक लोगोकी विवेक-बुद्धिसे अपील करके किसीको असहयोगके रास्तेपर नहीं ला सकते तो आप बलप्रयोगसे वैसा कभी नहीं कर सकते। जबतक आप देशके सभी मतोको सहन नहीं कर पाते तबतक आप कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करनेके योग्य नहीं हैं। आपका शस्त्र असहयोग है, जो किसीसे घृणा न करनेका उपदेश देता है। यदि मुझसे पूछा जाये तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मैं चैम्सफोर्ड, डायर या ओ'डायरतक से घृणा नहीं करता। मैं तो केवल उनकी भयानक भूले बता रहा हूँ।

देशके सभी भागोमें सरकारने अपना शिकजा और भी कस दिया है, सख्त कर दिया है। शुरूमें सरकार आपके प्रति उदासीन थी, फिर वह मजाक उडाने लगी और बुरा-भला कहने लगी, इसके बाद वह दमनपर उतर आई। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि यह सब हमारे भलेके लिए है और यदि आप (असहयोगी) उसी प्रकार

शान्तिपूर्ण ढंगसे आगे बढ़ते रहें जिस प्रकार पिछले चार महीनोंमें बढ़े हैं, तो आगामी सात महीनोंके अन्दर आपको स्वराज्य मिल जायेगा। अन्तमें मैं यह चाहता हूँ कि आप सुसंगठित और शान्तिपूर्ण ढंगसे बढ़ते रहें। आपको विद्यार्थियोंको बाहर निकाल आनेके लिए प्रेरित करनेकी दृष्टिसे स्कूलों और कालेजोंके दरवाजोंपर नहीं जाना चाहिए; बल्कि आपको चाहिए कि सभीको असहयोगके सत्यकी प्रतीति करायें।

स्वदेशी और बहिष्कारके बारेमें मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अभी आप देशसे विदेशी मालका पूर्ण बहिष्कार नहीं कर सकते। आपको उन्हीं विदेशी चीजोंका बहिष्कार करना है जो आप देशमें पैदा कर सकते हैं। उन चीजोंमें कपड़ा मुख्य है। यदि आप कपड़ा बुन सकते हैं तो आप आसानीसे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कर सकते हैं। इस सम्बन्धमें आपको यह बता देना भी मेरा फर्ज है कि फिलहाल भारतीय मिलोंका बहिष्कार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो देश और भी गरीब हो जायेगा। परन्तु आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि मिलें अपना काम ठीकसे करती रहें। मिलोंको केवल "पूंजीपतियों" के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जनताके हितके लिए भी काम करना चाहिए। आपको अब अपनी खादीका मूल्य बढ़ानेकी कोशिश करनी चाहिए। आप लंकाशायरको यह महसूस करा दें कि उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। परन्तु मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं कि तत्काल लंकाशायरका बहिष्कार कर दिया जाये, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे जापानको मौका मिल जायेगा।

भाषण समाप्त करते हुए श्री गांधीने कहा, ६ अप्रैल[1] आपके लिए एक कड़ी कसौटीका, गहरे आत्म-निरीक्षणका दिन होगा। उस दिन आपकी परीक्षा होगी कि आप सच्चे दिलसे स्वराज्य चाहते हैं या नहीं। मैं उस दिन महान् महात्मा तिलककी स्मृतिमें एक करोड़ रुपये चाहता हूँ। निश्चय ही मैं यह रुपये अपने बच्चोंके लिए या लोकमान्य तिलकके बच्चोंके लिए नहीं चाहता, वरन् आपके लिए और आपके बच्चोंके लिए चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपमें से बहुतेरे लोग कहेंगे कि मुद्रा बाजार .[2] और मन्दीके कारण आपका व्यापार ठीकसे नहीं चल रहा है। मैं जानता हूँ कि कुछ अन्य लोग कहेंगे कि वे तंगदस्त हैं और उन्हें बेटियोंके विवाह करने हैं। परन्तु मैं कहूँगा कि लोग आसानीसे वह रकम तो दे ही सकते हैं जो वे धूम्रपानपर खर्च करते हैं। ढेर सारे गहने दिये बिना केवल खादी पहनाकर ही बेटियोंका विवाह सम्पन्न किया जा सकता है। भारतके स्त्री-पुरुषोंको अपने पापोंका कुछ प्रायश्चित्त तो अवश्य करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-३-१९२१

१ सत्याग्रह सप्ताहका पहला दिन।

२. यहाँ कुछ शब्द छूट गये हैं।

२२५. भाषण: बम्बईके नेशनल कालेजमें

१६ मार्च, १९२१

. . .उन्होने कहा कि समस्त शिक्षाका सार दया है——सबके प्रति दया; मित्रोके प्रति, शत्रुओके प्रति, मनुष्यो और पशुओके प्रति। शिक्षाका मुख्य उद्देश्य चरित्रका निर्माण करना है जो ब्रह्मचर्यका कठोरतासे पालन करनेसे ही हो सकता है। श्री गाधीने इसके बाद छात्रोको बताया कि उनके लिए हिन्दी सीखना और सूत कातना आवश्यक है। उन्होने कहा कि नवयुवकोकी शिक्षा जिस तरीकेसे राष्ट्रीय स्कूलोमें हो रही है उस तरीकेसे देशभरमें होती तो स्वराज्य प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई न पडती।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७–३–१९२१

२२६. भेट: 'डेली हैरॉल्डके' प्रतिनिधिसे

१६ मार्च, १९२१

[भेंटकर्ता:] आप विदेशोमें प्रचार करनेके विरुद्ध क्यो है?

गाधीजी हमारा आन्दोलन सफलताके लिए मुख्य रूपसे प्रचारपर नही, वल्कि आन्तरिक सुधार और शक्तिपर निर्भर है। पहली वात तो यह है कि भारतसे वाहर चाहे एक भी व्यक्ति यह न जाने कि हम क्या कर रहे हैं, किन्तु यदि हम वास्तवमे शक्ति अर्जित कर लें तो यह सरकार अवश्यमेव छिन्न-भिन्न हो जायेगी। दूसरी वात यह कि सरकार इतनी अच्छी तरह सगठित है कि जव उसके विरुद्ध किये जानेवाले किसी प्रचारका असर पडने लगता है तव वह उसे जारी नही रहने देती। तीसरी वात यह है कि हमारा प्रचार हमारे सीमित साधनोपर निर्भर होगा, सरकारके पास विरोधी प्रचारके लिए असीम साधन हैं, फिर उसका प्रचार इतना सिद्धान्तहीन होता है कि उसे समयपर निरस्त करना असम्भव है। इसलिए मै इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि हमें अपने आन्दोलनके प्रचार-प्रसारके लिए उसकी आन्तरिक सचाईपर ही निर्भर रहना चाहिए।

आजकल भारतमें जो दमन चल रहा है उसके वारेमें आपका क्या विचार है?

दमनसे मालूम यह पडता है कि आन्दोलनका दवाव महसूस किया जा रहा है, इसलिए मै इसका स्वागत करता हूँ। हम वम्वईमे रहनेवाले लोगोकी किस्मत अच्छी है। इस प्रान्तमे दमनका स्वरूप उतना प्रचण्ड नही है जितना कि देशके अन्य भागोमें। यदि जनता शान्त और अविचलित रहे तथा दमनका जवाव उसके विरुद्ध आन्दोलन करके नही, वरन् और अधिक त्याग और वलिदान करके दे तो दमन स्वयमेव समाप्त हो

जायेगा। जिनकी ईमानदारी, [illegible] और [illegible] लिए सरकारी [illegible] नहीं है, अगर ऐसे [illegible] दबती तो मैं नहीं समझता कि सरकार [illegible] दोष-युक्त किसी आन्दोलनको समाप्त [illegible] मूर्खता करेगी। [illegible] सरकारका साथ दे रही है, [illegible] और जन-शक्तिको दबाने और कुचलनेका [illegible] मैं आशा करता हूँ कि समस्त भारतके कार्यकर्ता, [illegible] रही है, उन दमनकी [illegible] अनुसार राष्ट्रीय शक्तिका संगठन करते रहेंगे।

क्या आप नई विधान परिषदोंकी कार्यवाहियोंके बारेमें ठीक जानकारीपर आधारित कोई राय दे सकते हैं?

जहाँतक मैं इन परिषदोंकी कार्यवाहियोंको समझ सका हूँ, निराशावादियोंकी आशंकाएँ सही सिद्ध हो रही हैं। इसके कारण नौकरशाहीकी [illegible] उसकी ताकतमें जरा भी कमी नहीं हुई है। यह [illegible] जो इसमें कुछ लोगोंके लिए अपनी कूटनीतिक क्षमताका अत्यन्त प्रभावकारी ढंगसे उपयोग कर रही है, और सारी ताकतोंसे निपटनेके लिए [illegible] रही है। परिणाम यह है कि अब हमारे हाथोंमें पहलेकी अपेक्षा अधिक रोशनी और सुन्दर दिखनेवाले खिलौने रख दिये गये हैं, ताकि हम रोएँ-चिल्लाएँ नहीं। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि यह बात लॉर्ड सिन्हाके[1] प्रान्तकी अपेक्षा किसी अन्य प्रान्तमें अधिक सच नहीं उतरी है। बिहार एक ऐसा प्रान्त है जहाँ हिंसाका सबसे कम खतरा है, जहाँ नेताओंने आन्दोलन-की सम्पूर्ण भावनाको आत्मसात् कर लिया है, जहाँ नेताओंकी सम्पूर्ण शक्ति मद्य-निषेध, शिक्षा और उद्योग-धन्धोंपर केन्द्रित है। यदि सरकार केवल उदासीन रहती तो बिहारी पूरी तरहसे मद्य-विरोधी हो जाते और सारी दुनियाके सामने कानूनकी सहायता लिये बिना मद्य-निषेध-सम्बन्धी सुधारका एक दृष्टान्त रख देते। वे शिक्षा-आन्दोलनमें क्रान्ति-कारी परिवर्तन कर देते और करदाताओंका बोझ बढ़ाये बिना गरीबसे-गरीब आदमीके लिए भी शिक्षा सुलभ करा देते, तथा पुनः चरखेका प्रचलन करवाकर बिहारमें उसी तरह दूध-दहीकी नदियाँ बहा देते जैसी, मेरा विश्वास है, सचमुच एक समयमें बहती थीं। इसलिए दुनिया यह जान ले कि बिहारमें, और बिहारमें ही क्यों, समस्त भारतमें दमनका अर्थ है इन तीनों महत्वपूर्ण सुधार आन्दोलनोंका दमन। इस कसौटीपर कसनेसे नये विधान-मण्डलोंको कमसे-कम फिलहाल असफल ही घोषित करना चाहिए।

भविष्यके विषयमें आपका क्या खयाल है?

जहाँतक अनुमान लगा सकता हूँ, आन्दोलन अपने वर्तमान मार्गपर चलता रहेगा। हम दिनोदिन हाथकी कताई और बुनाईपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तथा इस तरह भारतको आर्थिक दृष्टिसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं और शराबखोरीकी आदतको दूर

१. उस समय लॉर्ड सिन्हा बिहार और उड़ीसाके गवर्नर थे

करके भीतरी शुद्धिपर भी जोर दे रहे है। आलोचकगण चाहे जो कहे, लेकिन तथ्य यही है कि सरकार द्वारा चलाई जानेवाली अदालतो और शिक्षण-सस्थाओका धीरे-धीरे परन्तु दृढताके साथ बहिष्कार हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिम एकता उत्तरोत्तर राष्ट्रीय जीवनका स्थायी अग बनती जा रही हे, और जहाँतक स्वराज्य-प्राप्तिका सम्बन्ध है, अहिसा वह स्थिति पार कर चुकी हे जब इसे मात्र एक प्रयोग या कार्यसाधक नीति समझा जाता था। अब यह तेजीसे धर्मका रूप ग्रहण करती जा रही है। मै जन्मजात आशावादी हूँ और मेरा विश्वास है कि जिस गतिसे हम बढ रहे है, यदि उसी गतिसे बढते रहे तो अक्तूबरसे पहले ही वह स्थिति आ जायेगी जब सरकार देखेगी कि उसका सर्वसम्मत जनमतके बलकी उपेक्षा करना असम्भव है और हम देखेगे कि भारतमे स्वराज्य स्थापित हो गया है।

सेवरकी सन्धिकी[1] शर्तोमें प्रस्तावित सशोधनके बारेमें आप क्या सोचते है?

मैने तो नई शर्तोपर केवल एक सरसरी नजर ही डाली है। जहाँतक मै समझ सकता हूँ उनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानोको नही, बल्कि तुर्कोको शान्त करना है। ये दोनो चीजे अलग अलग मानी जानी चाहिए। खिलाफत मूलत एक धार्मिक आन्दोलन है, उसका सम्बन्ध मुसलमानोकी भावनासे है और टर्कीके तुष्टीकरणसे उसका कोई सम्बन्ध नही है। यह आन्दोलन सीधे पैगम्बरके निर्देशोसे प्रेरणा ग्रहण करता है। इसलिए जबतक भारतीय मुसलमान सन्तुष्ट नही किये जाते तबतक शान्ति नही हो सकती और मुसलमानोको शान्त करनेकी आवश्यक शर्त यह है कि जिन्हे अरबके द्वीप कहा जाता हे उन्हे पूरी तरहसे केवल मुसलमानोके ही नियन्त्रणमे रहना चाहिए, उसपर खलीफा-की धार्मिक प्रभुसत्ता होनी चाहिए, चाहे फिलहाल खलीफा कोई भी क्यो न हो। इस्लामकी प्रतिष्ठाका तकाजा है कि स्मर्ना और थ्रेस, टर्कीको वापस सौप दिये जायें और मित्रराष्ट्र कुस्तुनतुनियाको खाली कर दे। परन्तु इस्लामके अस्तित्वके लिए यह जरूरी हे कि ब्रिटेन ओर फ्रासको दी गई अधिसत्ता बिलकुल समाप्त कर दी जाये। भारतीय मुसलमान इस्लामके पवित्र स्थलोपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव कभी सहन नही करेगे। इसलिए इसका यह अर्थ हुआ कि फिलिस्तीन भी मुसलमानोके नियन्त्रणमे होना चाहिए। जहाँतक मै जानता हूँ, यहूदियो और ईसाइयोको फिलस्तीन जाने और अपने धार्मिक कृत्य पूरे करनेमे कभी भी कोई बाधा नही पहुँचाई गई। किन्तु धर्म या युद्धका कोई भी फतवा मित्रराष्ट्रो द्वारा फिलस्तीनका यहूदियोको सौपा जाना उचित नही सिद्ध कर सकता। यह खास तौरपर भारतीय मुसलमानोके साथ और आमतोरपर समूचे भारतके साथ विश्वासघात करना होगा, यदि युद्धके प्रारम्भमें ब्रिटेनने ऐसे किसी अधिकार-हरणकी सम्भावनाकी ओर इशारा किया होता तो एक भी भारतीय सिपाही युद्धमे न जाता। यह दिनोदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि

१ प्रथम विश्वयुद्धके बाद हुई सन्धि, इसका मसविदा सबसे पहले मई १९२० में प्रकाशित किया गया। इसके बाद भारत सरकारने जब साम्राज्य सरकारको अपनी समस्याएँ और विचार समझाये तो उस सन्धिकी शर्तोमें कुछ सुधार किये गये, जो टर्कीके लिए ज्यादा अनुकूल थे। सन्धिमें सुधार करनेके लिए लन्दनमें फिर सम्मेलन हुआ, जिसने अपना काम २२ फरवरी, १९२१ को शुरू किया।

भारतको साम्राज्यसे भिन्न, भावी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें एक समान साझेदारकी तरह रहना है तो खिलाफतकी शर्तें हमारे राजनीतिक नेताओंकी अपेक्षा मुसलमानोंके धार्मिक नेताओंकी सलाहसे ही तय करनी होंगी।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-३-१९२१

२२७. भाषण: आर्वीमें[1]

१७ मार्च, १९२१

आपमें से अनेक लोग स्वदेशी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन सब लोगोंका पगड़ीका कपड़ा तो मैं विदेशी ही देखता हूँ। आज कोई भी विदेशी कपड़ा पहनना पाप है। हमें उसका तुरन्त त्याग कर देना चाहिए और स्वदेशी कपड़ेके लिए हममें से हर व्यक्तिको सूत कातना चाहिए। सूत कातनेमें हमारे धर्म और हमारी सभ्यताकी रक्षा निहित है, अर्थकी रक्षा तो है ही। दूसरे हमें शरावका त्याग करना चाहिए। जो लोग शराव पीते हों उन्हें उसकी लत छोड़ देनेके लिए समझाया जाना चाहिए। मगर वे न समझें अथवा शराव पीना वन्द न करें तो उनपर जोर-जवरदस्ती नहीं करनी है। उन्हें प्रेमसे समझाना चाहिए, पाँव पड़कर समझाना चाहिए और न मानें तो भी, क्रोध किये विना वारम्वार समझाना चाहिए। यह काम स्त्रियाँ अच्छी तरह कर सकती हैं। हमें चोरी, व्यभिचार और झूठका परित्याग करना चाहिए तथा अन्त्यजोंके प्रति अपने व्यवहारमें सुधार करना चाहिए।

अस्पृश्यता अगर हिन्दू-धर्मका अंग है तो मैं कहूँगा कि उस हदतक उसमें शैतानियत है। लेकिन मेरी दृढ़ मान्यता है कि हिन्दू-धर्ममें ऐसी कोई वात नहीं है। अमुक जातिके व्यक्तियोंको स्पर्श न करनेमें धर्म नहीं अधर्म है। अस्पृश्यताको धर्म मानकर हमने अनेक पाप किये हैं, उनका प्रायश्चित्त तो हमें करना ही है। मैं किसीके साथ रोटी-वेटीका व्यवहार करनेकी वात नहीं कहता। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि स्पर्श करनेमें हम जो दोष मानते हैं, हमारी वह मान्यता हमारे मनसे निकल जानी चाहिए। अपने एक अंगको अस्पृश्य मानकर हमने उसे सड़ा दिया है और उसके दर्दसे हमारे सारे शरीरमें पीड़ा हो रही है। अंग्रेज आज हमें अछूत मानते हैं। उपनिवेशोंमें हमें व्यापार करनेके लिए अलग जगह दी जाती है। हमारे रहनेके मुहल्ले और मुसाफिरी करनेके लिए रेलगाड़ीके डिब्बे अलग होते हैं। हम अस्पृश्य—'परिया'—माने जाते हैं। अन्त्यजोंके प्रति लम्बे समयसे हम जो व्यवहार करते आ रहे हैं, वह एक वड़ा अन्याय है और इस अन्यायको हमें अवश्यमेव छोड़ देना चाहिए। जव हम इस सम्वन्धमें अपने व्यवहारको वदलेंगे तव अन्त्यजोंका जीवन अधिक स्वच्छ हो जायेगा। मेरा अनुभव ऐसा है कि उच्च कौमके माने जानेवाले अनेक व्यक्तियोंकी अपेक्षा कुछेक

१. महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत। आर्वी महाराष्ट्रमें वर्धाके समीप एक कस्वा है।

अन्त्यजोंके घर अधिक साफ होते हैं। भंगीका धन्धा हलका नहीं है। समाजके जीवनके लिए वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह अपवित्र नहीं है। मैंने स्वयं दक्षिण आफ्रिकामें और यहाँ भी अनेक बार रोगियोंके पाखानोंको साफ किया है, लेकिन किसीने भी उस कामको अपवित्र अथवा हलका नहीं कहा है। उलटे, मेरे उस कार्यकी प्रशंसा की है। प्रत्येक माँ अपने बच्चेका मैला साफ करती है। उसमें सेवा है, महत्ता है। माताको स्वप्नमें भी कौन अस्पृश्य मानेगा? अस्पृश्यताकी रूढ़िमें सुधार करनेकी बात जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यको बढ़ानेकी बात भी है। उसके लिए हिन्दूको मुसलमान अथवा मुसलमानको हिन्दू बननेकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों अपने अपने धर्मका कट्टरतासे पालन करते हुए एक-दूसरेके धर्मका सम्मान करें और एकता बनाये रखें, इसीमें हमारी शोभा है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३–४–१९२१

२२८. भाषण : नागपुरमें[1]

१८ मार्च, १९२१

मुझे दुःख है कि ऐसी विशाल सभामें मेरे भाई मौलाना शौकत अली हाजिर नहीं हैं। अबतक हम सारे हिन्दुस्तानमें साथ-साथ घूमते थे। लेकिन दिसम्बरमें कांग्रेस अधिवेशनके बाद हमने सोचा कि हिन्दू-मुसलमानोंके दिल इतने साफ हो गये हैं कि अब साथ-साथ घूमनेकी जरूरत नहीं है। यदि सात महीनेमें स्वराज्य प्राप्त करना हो, खिलाफतके सम्बन्धमें मुसलमान भाइयोंको जो दुःख हुआ है उसे दूर करना हो और पंजाबको न्याय दिलवाना हो तो अलग-अलग जगहोंमें घूमकर अपना काम निपटाना चाहिए। मुझे उम्मीद है, ऐसी माँग कोई भी व्यक्ति न करेगा कि हर जगह हम दोनों साथ-साथ जायें। हिन्दुस्तानमें साढ़े सात लाख गाँव हैं। उन सबमें तो एक-एक व्यक्ति भी कदापि नहीं पहुँच सकता।

यहाँ इतनी बड़ी सभाको देखकर मुझे खुशी हुई है। यहाँ आप लोग असहयोग आश्रम और राष्ट्रीय शाला चला रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इस शहरके नेता भगवानदीनजी[2] जेल गये हैं, दूसरे नेता डा० पराजपेके नाम एक महीने तक भाषण न करनेका आदेश जारी किया गया है और तीसरे डाक्टर चोलकरपर मुकदमा चल रहा है[3] — इस सबके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आपने कांग्रेस और लीगके हुक्मको तोड़ा है — आपने पत्थर फेंके हैं — इसके लिए मुझे दुःख होता है। भाई अस्वातपर जो मौलाना शौकत अलीके मन्त्रीके रूपमें काम

१ महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत।

२ असहयोग आश्रमके अवैतनिक प्रिंसिपल जिन्होंने डा० चोलकरके साथ शराबकी दुकानोंपर धरना देना शुरू किया था।

३ उनके द्वारा दिये गये एक भाषणके सिलसिलेमें, देखिए "टिप्पणियाँ", ३०–३–१९२१।

करते है, अभी हालहीमे एक अंग्रेज साहबने [illegible], उसमे [illegible] बात भी हुई। इसपर भाई अमानने उस [illegible] [illegible]। नेका पूरा हक था। [illegible] मार [illegible] करना कोई [illegible] [illegible] लोगका [illegible] [illegible] निकालकर [illegible] [illegible] काम [illegible] कोई भी [illegible] [illegible] नही उठने चाहिए। [illegible] उसे सहन करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। [illegible]। असहयोगका अर्थ है कि कोई व्यक्ति हमला करे तो भी उसपर सामनेसे मार-पीट नही की जा सकती। एक व्यक्ति साथी [illegible] [illegible] बात हुई। इससे हमारे आन्दोलनको नुकसान पहुँचा है, [illegible]।

अगर कोई व्यक्ति हमपर [illegible] [illegible] तो भी उसके साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो हम कांग्रेस और खिलाफतके प्रति अपराध करेंगे। सब विद्यार्थियों[1] अगर आप अपने लिए भिन्न मार्ग निश्चित करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन आपने तो अपना सर्वथा शान्तिसे चलानेकी प्रतिज्ञा ली है। उससे अब आप पीछे नही हट सकते। हम शान्तिका दावा करके अशान्तिका व्यवहार नहीं कर सकते। हमारी लड़ाईकी खबरे सारी दुनियामे फैल गई है। हम अपनी यह लड़ाई शान्तिसे लड़ रहे है इस बातकी तारीफ हो रही है। यदि हम शान्तिका नाम लेकर अशान्तिका व्यवहार करेगे तो अपनी कमाई खो बैठेगे। हमारे हाथो जो गलत काम हुआ है उसका हमें पश्चात्ताप करना चाहिए। सारी दुनिया देख रही है कि पिछले पचास वर्षोमे हिन्दुस्तानके लोगोमे जो ताकत नही आई, वह इन पाँच महीनोमे आ गई है। सरकारने छोटानी[2] साहबको टर्कीके साथ बातचीत करनेके लिए मित्रराष्ट्रोका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग लेनेके लिए बुलाया है, डा० अन्सारी भी सदस्य नामजद हुए हैं। यह असहयोगकी स्पष्ट विजय है। मैं यह नही कहता कि हमे डरके मारे चुपचाप बैठे रहना चाहिए। डर तो एक ईश्वरके सिवा और किसीका रखनेकी कोई जरूरत नही। लेकिन न डरना एक वस्तु है और गुस्सा न करना दूसरी। आपसे अगर गुस्सा किये बिना नही रहा जा सकता हो तो चुपचाप शान्तिपूर्वक अपने घरमे बैठे रहिए, हिजरत कीजिए। हिजरत अर्थात् त्याग। यह हिन्दू-मुसलमान दोनो कर सकते है। लेकिन यदि आप असहयोगके बहादुर सिपाही बनना चाहते हो तो यह निश्चय कीजिए कि किसीको मारनेके लिए हाथमे पत्थर अथवा ऐसी ही कोई चीज उठाकर आप अपने हाथ अपवित्र नही करेगे। खराब शब्द बोलकर जीभको अपवित्र नही करेगे। हमे सात महीनेमे स्वराज्य चाहिए। उसके लिए अगर अधिक सख्यामे विद्यार्थी

१. जब कलकत्तेमें काग्रेसका विशेष अधिवेशन हुआ था।

२. मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानी।

स्कूल न छोडे और वकील अपनी वकालत न छोडे तो भी कोई हर्ज नही। उससे स्वराज्य मिलनेमे कतई कोई रुकावट नही आयेगी, लेकिन अगर आप सयमको तोडेंगे तो अवश्य बाधा पडेगी। दूसरी शर्त हिन्दू-मुस्लिम एकता है।

तीसरी शर्त स्वदेशीकी है। टेनिसके बल्लेके बजाय आप चरखा चलाये। यदि विदेशी कपडेका बहिष्कार करना है तो सबके हाथमे चरखा होना चाहिए। एक समय ऐसा था, जब ब्रिटिश कपडेका बहिष्कार हास्यास्पद जान पडता था, असम्भव जान-पडता था। आज वह विचार दूर हो गया है। स्वदेशी एक ऐसा व्रत है जिसका पालन सब लोग कर सकते हैं। अगर हमसे इतना भी नही हो सकता तो हमे स्वराज्यकी आशा छोड देनी चाहिए। हम लँगोटी पहनकर घूमे लेकिन विदेशी कपडे न पहने। नागपुरमें बुनकर बहुत हैं। उन्हे चाहिए कि वे अपवित्र विदेशी सूतको बुनना छोड हमारी अपनी माँ-बहनोंके हाथके कते हुए सूतको बुननेका निश्चय करे। हाथका कता हुआ सूत कच्चा नही है बल्कि हमारा हृदय कच्चा है। इसीसे उसे बुननेमे हम हिच-किचाते हैं।

कितने ही मित्र मुझे पूछते हैं कि क्या फिलिस्तीन[1] भी मिलेगा? मेरा कहना है कि अगर आप फकीर बन जाये और शान्ति बनाये रखेंगे तो फिलिस्तीन भी मिलेगा। औरोको फकीर बनानेमे अगर आप सन्तोष मानेंगे तो वह नही मिलेगा। चाहे किसी भी व्यक्तिको जेल भेज दिया जाये, हमे शान्ति ही रखनी चाहिए। वे जाये, आप भी जानेकी तैयारी करे, लेकिन मार-धाड करके नही, शुद्ध काम करके। फिर सर-कार जिस दिन आपको जेलमे डालेगी उसी दिन हमे विजय प्राप्त होगी। जिस दिन वह इस तरह शासन चलाना चाहेगी, उस दिन वह सूखे पत्तेके समान झड जायेगी। किसीके जेल जानेपर तूफान उठाना दुर्बलताकी — भयकी — निशानी है।

अब मैं आखिरी बात कहे देता हूँ। आप लोग तिलक महाराजको चाहते हैं। हर जगह उनकी 'जय' बोली जाती है। यहाँ उनकी तसवीर रखी है। उनकी आत्मा भी यहाँ मौजूद है, वह साक्षी है। 'स्वराज्य' उनका जीवनमन्त्र था। उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना हमारा फर्ज है। उनके नामसे "स्वराज्य-कोष" चालू है, सो कोई उनका पुतला बनाने अथवा उनके नामसे बाग बनवानेके लिए नही, अपितु स्वराज्य प्राप्त करनेकी प्रवृत्तिको बढावा देनेके लिए, उसका पोषण करनेके लिए हैं। यह सोदागरी है, हमारे ही लाभकी बात है। जून महीनेसे पहले एक करोड रुपया इकट्ठा हो जाना चाहिए। यह कोई बडी बात नही। मैं सुनता हूँ कि पैसा न होनेकी वजहसे चरखे नही चल पा रहे हैं। यह शर्मकी बात है। सब अपना-अपना हिस्सा दे तो हमे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जायेंगे। और कुछ नही तो आप शराब, बीडी आदि व्यसनोको छोड दे और उससे बचनेवाली रकमसे इस कोषको भरे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३–४–१९२१

१ प्रथम विश्वयुद्धके बाद टर्कीसे फिलिस्तीनको छीन लिया गया था और इस प्रदेशको ब्रिटिश अधिशासनमें रखा गया था।

२२९. भाषण : अमरावतीमें[1]

१२ मार्च, १९२१

भाई यादवडकरने[2] अपना सर्वस्व देशको अर्पण कर दिया था। कांग्रेस, लीग व लोक-संस्थाएँ हमसे जिन गुणोंकी अपेक्षा करती हैं, वे सब उनमें थे। अगर हम सभी उनके जैसे होते तो हमें स्वराज्य कभीका मिल चुका होता। एक समय वे भारतमें स्वराज्य स्थापित करनेके लिए हिंसक उपायोंकी जरूरत माननेवालोंमें से थे। लेकिन बादमें उनके विचार बदल गये थे। वे पक्के सत्याग्रही बन गये थे और कांग्रेस तथा लीगके कार्यक्रममें ही हिन्दुस्तानका भला है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास हो गया था।

कांग्रेसके प्रस्तावसे हम हर हालतमें शान्ति बनाये रखनेके लिए बँधे हुए हैं। शान्तिका पालन कर सकनेकी अपनी शक्तिके सम्बन्धमें हमें और अंग्रेजों — दोनोंको ही सन्देह है। हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि हम तलवार और बन्दूकके भयसे दबकर नहीं बल्कि धर्मवृत्तिकी प्रेरणासे शान्तिका पालन करते हैं। दादासाहब खापर्डेसे[3] मेरा पहलेसे ही मतभेद है। उनका रास्ता एक है और मेरा रास्ता दूसरा। मैं जानता हूँ कि वे जिस रास्तेपर चलना चाहते हैं उस रास्तेसे स्वराज्य नहीं मिल सकता। तथापि मैं उन्हें भला-बुरा नहीं कहता। उनके पक्षके लोगोंको कुएँसे पानी न भरने देनेमें कांग्रेसकी आज्ञाका भंग होता है। अपने विरोधीके प्रति, वह अकेला हो तो भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह हमारी ओरसे अपने आपको बिल्कुल निरापद महसूस करे। अलबत्ता हमें दादासाहब खापर्डेसे विधान परिषद् आदि में किसी तरहकी सेवाएँ नहीं लेनी चाहिए, हाँ, उनकी सेवा हम अवश्य करें। वे बीमार पड़ें तो हम उनकी सेवा करें। लॉर्ड चैम्सफोर्ड बीमार पड़ें तो उनकी भी हम सेवा करें, लेकिन उनके दिये खिताबको निस्सन्देह स्वीकार न करें।

हमारी लड़ाई तो आत्मशुद्धिकी है। आत्मशुद्धि क्या है? शराब आदिका उपयोग करनेवाले लोगोंको ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। इनकी बिक्रीसे सरकारको सत्रह करोड़ रुपया मिलता है। जाहिर है कि अगर सरकारको अपनी यह आय बन्द होती दिखेगी तो वह हमें सुखसे नहीं बैठने देगी। शराबसे होनेवाली कमाईसे अगर हमारे बालकोंको शिक्षा मिलती हो तो वह हमें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। स्वराज्यमें शराबकी कमाई तो हमारे लिए हराम होनी चाहिए। उसके बिना हम बच्चोंको शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। डा० चोलकर द्वारा दिया गया भाषण मैं पढ़ चुका हूँ। मजिस्ट्रेट उनके साथ न्याय करे अथवा अन्याय लेकिन इतना तो मैं स्पष्ट रूपसे कहता

१. महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत।

२. अमरावतीके यादवडकर पटवर्धन, जिनकी मृत्यु जनवरी १९२१ में हुई थी, देखिए "स्मरणांजलि", १२-१-१९२१।

३. बरारके प्रसिद्ध वकील और बाल गंगाधर तिलकके प्रबल समर्थक।

हूँ कि इस भाषणमें उन्होने ऐसा कुछ भी नही कहा है जिसकी काग्रेसमें खुले शब्दोमें चर्चा न की गई हो। उन्होने 'रिपब्लिक'—गणराज्य शब्दका प्रयोग किया है लेकिन 'रिपब्लिक' तो जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत तो अनादि कालसे ग्राम-गणराज्यका उपभोग करता आया है। बिहारकी सरकार पचायतोको तोडनेका जी-जानसे प्रयत्न कर रही है। सरकारकी अदालतोमें ही न्याय मिलता है, ऐसा मानना भ्रमपूर्ण है। क्या हमें जनरल डायर अथवा सर माइकल ओ'डायरके विरुद्ध न्याय प्राप्त हुआ? मै साक्षी हूँ कि इन मामलोमें हमे न्यायके बजाय अन्याय मिला है। लेकिन आप डा० चोलकरके लिए दुखी न हो। उन्हे बधाई दें। जिन्हे शराब पीनेकी लत पडी हुई है उन्हे विनयपूर्वक समझा-बुझाकर शराब छोडनेके लिए कहे। शराब बेचनेवालोसे शराब न बेचनेके लिए विनती करे, शराबका ठेका लेनेके लिए इच्छुक व्यक्तियोसे ठेका न लेनेका अनुरोध करे। लेकिन कही भी जोर-जबरदस्ती न करे। आप सरकारके सम्बन्धमे "शैतान" शब्दका प्रयोग भी न करे। पजाबके बारेमें भी रोष न करे। इन सब मामलोमे उसकी टीका करनेका काम आप अकेले मुझपर छोड दें। आप शराब बन्द करवानेका प्रयत्न करे, लेकिन उसमे किसीकी निन्दा न करे, गाली न दें। सख्त शब्दोका जमाना चला गया है। अब तो काम करनेका समय आया है। हम बोले और जेल जायें, इसकी अपेक्षा तो यही अच्छा होगा कि हम काम करते हुए जेल जायें—फिर भले ही सरकार शराब छुडवानेके प्रयत्नोको पाप समझे—तब सरकारकी पोल एकदम खुल जायेगी और वह स्वयमेव नष्ट हो जायेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५–४–१९२१

२३०. सत्याग्रह सप्ताह

अप्रैल मास समीप आ रहा है। अप्रैलकी छठी[1] तारीखका वह प्रेरणाप्रद रविवार और तेरह[2] तारीखके रविवारको हुई घोर घटनाको क्या कोई भारतीय भूल सकता है? ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोक्ति न होगी कि भारतका नवजीवन छठी अप्रैलसे आरम्भ हुआ। इन दोनो दिनोको मनाना हमारा धर्म है।

छठी तारीखको भारत जागा, इस दिन उसने अपना आलस्य छोडा और नीदसे उठकर १३ अप्रैलकी साँझको उसने देखा कि अपनी इस नई शक्तिका दुरुपयोग करनेके फलस्वरूप उसे घोर प्रायश्चित्त करना पड रहा है। उसी रातको हिन्दुस्ताननें अपने पतिके निस्तेज सिरको अपनी गोदमें रख विलाप करती हुई रतनदेवीको सुना।

इस सप्ताहको किस तरह मनाया जाये? सत्यका अधिक आग्रह करके, अधिक दृढ बनकर, अधिक नम्र तथा शुद्ध बनकर और अधिक शक्ति प्राप्त करके ही यह

१ ६ अप्रैल, १९१९ को रौलट अधिनियमके विरोधमें समस्त भारतमें हड़ताल की गई थी।

२. १३ अप्रैल, १९१९ को जलियाँवाला बागकी दुखद घटना हुई थी।

मनाया जाना चाहिए। इस सप्ताहमें ऐसे उपायोंकी योजना करना भी हमारा विशेष कर्त्तव्य है जिससे कि १३ तारीखको जो अत्याचार हुए थे वे फिर न होने पायें।

यह सप्ताह शुद्ध तपश्चर्याका, शुद्ध भक्तिका और सत्य प्रतिज्ञाका होना चाहिए। इस सप्ताह हमें अपनी सब भूलोंके लिए ईश्वरसे और जिनके प्रति हमसे ये भूलें हुई हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमारा बल हमारी नम्रतामें है। हम अंग्रेजोंका अथवा अपने विरोधियोंका बुरा न चाहें, उन्हें बुरा न कहें। इन सात दिनोंमें हम यह रटें कि "हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करेंगे, इसी वर्ष खिलाफतके प्रश्नका निपटारा करेंगे और इसी वर्ष पंजाबके मामलेमें न्याय प्राप्त करेंगे।"

इन उद्देश्योंको प्राप्त करनेके साधनोंपर विचार करके हमें उनकी प्राप्तिके लिए महान् प्रयत्न करना चाहिए।

१ खिताब-प्राप्त व्यक्ति अपने खिताब छोड़ दें।

२ वकील वकालत छोड़ दें।

३ विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़ दें।

४ वादी और प्रतिवादी सरकारी अदालतोंका परित्याग करें।

५ शराबी तथा और प्रकारके व्यसन करनेवाले व्यक्तियोंको शराब, व्यसन, व्यभिचार, चोरी और जुआ खेलना आदि छोड़ देना चाहिए।

६ सभी सत्याचरण करनेका प्रण लें।

७ अपने-अपने घरोंमें चरखा दाखिल करें, स्त्री-पुरुष सभी अमुक समय चरखा कातनेका आग्रह रखें।

८ सब लोग विदेशी कपड़ेका त्याग करके सिर्फ हाथके कते सूतसे हाथके बुने हुए कपड़े ही पहनें।

९ हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी — भारतमें जन्मे हुए सभी लोगोंको चाहिए कि वे परस्पर एक-दूसरेके प्रति भाई-बहनका व्यवहार करें।

१० कोई भी हिन्दू किसीको अस्पृश्य न माने और सबके प्रति समभाव रखे।

११ तिलक-स्वराज्य-कोषमें सभी यथाशक्ति दान दें।

स्वयं उपर्युक्त कार्य करते हुए और दूसरोंसे उसे करनेका आग्रह करते समय कोई भी व्यक्ति कड़वी भाषाका प्रयोग न करे।

ऊपर जो सूची दी गई है उससे स्पष्ट है कि सबसे बड़ा काम चरखेका प्रचार करना, खादी पहनना और दान इकट्ठा करना है।

हमें छठी और सातवीं तारीखको हड़ताल करनी चाहिए। किसीपर जोर-जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मिल-मजदूरोंको भी पहलेसे ही इन दो दिनोंके लिए छुट्टीका प्रबन्ध कर लेना चाहिए। जिन्हें छुट्टी न मिले उन्हें काम बन्द नहीं करना चाहिए।

छठी और तेरहवीं तारीखको पिछली साँझसे चौबीस घंटेका उपवास करना चाहिए।

जहाँ सरकारी प्रतिबन्ध न हो वहाँ हमें छठी और तेरहवीं तारीखको सभाएँ आयोजित करके उचित प्रस्ताव पास करने चाहिए। प्रत्येक सभामें चन्दा उगाह कर प्राप्त रकम तिलक स्वराज्य कोषमें भेज देनी चाहिए।

सातो दिन और मुख्य रूपसे उपवासके दो दिनोमे एक निश्चित समय लोग सिर्फ शान्ति ओर प्रार्थनामे विताएँ और इस तरह यह सिद्ध करे कि हमारी लडाई धर्मकी लडाई है।

हिन्दुस्तानमे एक भी गाँव ऐसा न होना चाहिए जहाँ सत्याग्रह सप्ताहका सन्देश न पहुँचा हो। १४ तारीखको हिन्दुस्तानमे प्रत्येक स्त्री-पुरुषको यह अनुभव होना ही चाहिए कि उन्होने देशसेवामे ओर धर्मसेवामे ठीक-ठीक भाग लिया है और वे पहलेसे अधिक पवित्र हुए हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-३-१९२१

२३१. मेरी पंजाबकी अन्तिम यात्रा

पंजाव और गुजरात

पजाब मेरे लिए दूसरा गुजरात वन गया है। वहाँ मुझे समय-समयपर जाते रहना पडता है। पजावमे वहुत कम जिले ऐसे रह गये हैं, जहाँ मैं न हो आया हूँ। इस लेखका नाम मैंने अन्तिम यात्रा रखा है, सो इसका अर्थ यह नही है कि मैं वहाँ अव कभी नहीं जाऊँगा। सम्भव है थोडे समयके लिए मुझे फिर वहाँ जाना पडे। इस वार मैं रावलपिंडी, गुजराँवाला, मुल्तान, लायलपुर, सीरी, लाहौर, अमृतसर, जालन्धर, होशियारपुर, हरियाना, खन्ना, लुधियाना, सरहिन्द, अम्वाला, रोहतक और भिवानी गया था। इसलिए मैं गुजरातको अधिक जानता हूँ कि पजावको, यह वताना जरा कठिन है।

पंजाबकी वहनें

मेरा विचार यात्राका विधिवत् विवरण देनेका नही है, अपितु कुछेक ऐसे पवित्र स्मरणोका उल्लेख करनेकी खातिर यह लेख लिख रहा हूँ जिनसे हमे कुछ लाभ हो। पजावकी वहनोने मुझे मुग्ध कर दिया है। लगभग प्रत्येक स्थानपर स्त्रियोकी सभा होती थी, वह भी कोई पाँच-सातकी नही वल्कि झुण्डकी-झुण्ड स्त्रियोकी। उनके धैर्य, सादेपन ओर निर्दोषताका वखान नही किया जा सकता। मैंने उनके प्रेमका अपूर्व अनुभव किया। प्रत्येक स्थानपर उन्होने हृदयसे आशीर्वाद दिया है। स्वराज्यका अर्थ रामराज्य, ऐसी ही उनकी मान्यता है। उन्होने मेरे ऊपर खादीके पवित्र गोले और हार फेके। धन देनेमे कोई सकोच नही किया। लालाजीको धन दिये जानेके सम्वन्धमे जो सन्देह था उसे इन वहनोने निर्मूल कर दिया। और वह भी कोई आगा-पीछा करते हुए नही, वल्कि एक दूसरेसे आगे वढ-वढ कर। वे एक स्वरसे मधुर गीत गाती हैं और वे गीत भी इतिहासको लिये हुए होते हैं। हजारो पजावी वहने पजावकी डायरशाहीकी गाथा गीतोकी मार्फत सुनाती हैं। चरखेकी कलामें तो पजावकी वहनें

देशके अन्य भागोकी बहनोको पराजित करती ही है, और हमेशा करती रहेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। एक बैरिस्टरकी लडकियोने मेरे साथ चरखोकी होड लगाई। मेरा हाथ तो क्योकर चले? तार तानूं कि वह टूट जाये, और ये बालाएँ तो तार तानती ही चली जाती थी। मै लज्जित हो गया। हार तो मैने शुरूमे ही मान ली थी। उनके पिताने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि मेरा चरखा ही खराब होगा। लेकिन अपने अज्ञानकी मुझे पूरी-पूरी जानकारी थी इसलिए यह आश्वासन बेकार था। इन बालाओके चरखेसे जो झकार निकलती थी वह मुझे तो अच्छे वाद्ययन्त्रके सगीतसे भी मधुर लगती थी। यह चरखा-युद्ध रातके ग्यारह बजेतक चला लेकिन अगर मुझे कोई और काम न होता तो मै अवश्य चरखेकी गतिको देखता रहता क्योकि मेरा विश्वास दिन-प्रतिदिन दृढ होता जाता है कि हिन्दुस्तानका स्वराज्य चरखेमें ही समाहित है।

स्वराज्यका झंडा

एक समझदार मित्रने[1] सलाह दी है कि स्वराज्यके झडेपर चरखेका ही चित्र होना चाहिए। मुझे यह विचार बहुत ही सुन्दर लगा है। हम विभिन्न झडोका प्रयोग करते है। आन्ध्र प्रान्तके एक सज्जनने[2] अनेक प्रकारके झडोका सुझाव दिया है लेकिन मुझे तो स्वराज्यके झडेमें चरखेके चित्र होनेके विचारके समान अन्य कोई विचार प्रिय नही लगता। काग्रेसके आगामी अधिवेशनके कार्यवाहकोको मै यह विचार भेंट करता हूँ।[3]

व्यापक प्रवृत्ति

पजाब एक ऐसा अचल है जहाँका कदाचित् ही कोई घर चरखेसे विहीन हो। जालन्धर, होशियारपुर, और हरियाना तो चरखेके केन्द्र है। वहाँके चरखे और दूसरी देशी कारीगरी उत्तम होती है। होशियारपुरके एक सज्जनने मुझे दो चरखे दिये है। उन्हे जो व्यक्ति देखना चाहे वह आश्रममें आकर देख सकता है। वहाँके चरखे एक तरहकी शीशमकी लकडीके बने हुए होते है। उसमें हत्ये आदि खरादपर उतारे हुए होते है और उनपर कारीगरी की गई होती है। उसमे रग भी भरे जाते है। कितने ही चरखोमें तो कलाका खासा प्रदर्शन किया जाता है। मूल्यवान चरखोपर हाथीदाँत-का काम किया हुआ होता है। कुछ चरखोंके चक्करमे शीशा भी लगा हुआ होता है। और किसी-किसीमे घुंघरु बँधे होते है। होशियारपुरमे मुझे बताया गया कि गत महीनोमें चरखेका मूल्य दुगुना हो गया है। आम तौरपर अच्छे रगीन चरखेकी कीमत पन्द्रह रुपये होती है। चरखेकी माँग इतनी बढ गई है कि कारीगर उसे पूरा नही कर सकते।

१. लाला हंसराज, जालन्धरके एक सार्वजनिक कार्यकर्ता।

२. मसूलीपट्टमके राष्ट्रीय कालेजके श्री वेंकय्या। देखिए "राष्ट्रीय झडा", १३-४-१९२१ भी।

३. जो दिसम्बर १९२१ में अहमदाबादमें होनेवाला था।

विचित्र मानपत्र

मुझे अनेक प्रकारके मानपत्र दिये जाते हैं लेकिन जैसा मानपत्र मुझे जालन्धरमें मिला वैसा आजतक नहीं मिला। सामान्य रूपसे हमारी नगरपालिकाएँ सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंको मानपत्र नहीं देतीं। उसकी पहल बेरली[1] नगरपालिकाने, जब मैं और शौकत अली वहाँ गये थे तब की थी, फिर गोरखपुरने[2] और और अब जालन्धर[3] नगरपालिकाने। जालन्धर नगरपालिकाने औरोंकी अपेक्षा अधिक साहसपूर्ण कदम उठाया लेकिन उसका वह साहस समयानुकूल था। मानपत्र अंग्रेजीमें नहीं था, वह मधुर हिन्दुस्तानीमें और उर्दू लिपिमें प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा वह रेशम, महीन कपड़े अथवा कागजपर न होकर, खादीपर लिखा गया था। यह खादी मक्का शरीफतक जाकर पवित्र हो आई थी। जालन्धरके एक वकील श्री नासिरुद्दीन शाहकी माताने अपने कफनके लिए अनेक वर्षोंसे जो खादी सँभाल कर रखी थी, स्वयं उन्होंने उस खादीमें से यह टुकड़ा काटकर दिया और मानपत्र उसपर छापा गया। सुनते हैं आज तो मुसलमान भाई कफनके लिए जानबूझकर खादीका इस्तेमाल करते हैं।

अयोध्यामें, जहाँ रामचन्द्रजीका जन्म हुआ, कहा जाता है उसी स्थानपर छोटा-सा मन्दिर है। जब मैं अयोध्या पहुँचा तो वहाँ मुझे ले जाया गया। श्रद्धालु असहयोगियोंने मुझे सुझाव दिया कि मैं पुजारीसे विनती करूँ कि वह सीतारामकी मूर्तियोंके लिए पवित्र खादीका उपयोग करे। मैंने विनती तो की लेकिन उसपर अमल शायद ही हुआ हो। जब मैं दर्शन करने गया तब मैंने मूर्तियोंको भौंडी मलमल और जरीके वस्त्रोंमें पाया। यदि मुझमें तुलसीदासजी जितनी गाढ भक्तिकी सामर्थ्य होती तो मैं भी उस समय तुलसीदासजीकी तरह हठ पकड़ लेता। कृष्णमन्दिरमें तुलसीदासजीने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक धनुषबाण लेकर कृष्ण रामरूपमें प्रकट नहीं होते तबतक तुलसी-मस्तक नहीं झुकेगा। श्रद्धालु लेखकोंका कहना है कि जब गोस्वामीने ऐसी प्रतिज्ञा की तब चारों ओर उनकी आँखोंके सामने रामचन्द्रजीकी मूर्ति खड़ी हो गई और तुलसीदासजीका मस्तक सहज ही नत हो गया। अनेक बार मेरा ऐसा हठ करनेका मन हो आता है कि हमारे ठाकुरजीको जब पुजारी खादी पहनाकर स्वदेशी बनायेंगे तभी हम अपना माथा झुकायेंगे। लेकिन मुझे पहले इतना तप करना होगा, तुलसीदासजीकी अपूर्व भक्तिको प्राप्त करना होगा। इस बीच जैसे मुसलमान भाई पवित्र कार्योंके लिए खादीका उपयोग करने लगे हैं वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हिन्दुओंके मन्दिरोंमें और अन्य पवित्र कार्योंमें खादीका इस्तेमाल होने लगे। सृष्टिका नियम है कि एक महत्वपूर्ण कार्यके सुसम्पन्न होनेसे अन्य सम्बद्ध कार्य स्वयमेव सम्पन्न होते चले जाते हैं। हिन्दुस्तानमें सबसे ज्यादा आयात कपड़ेका होता है, यद्यपि एक समय ऐसी बात न थी। फलतः जब हम विदेशी कपड़ेका सर्वथा बहिष्कार कर देंगे तब हमें स्वराज्य

१ १७ अक्तूबर, १९२०।

२ ८ फरवरी, १९२१।

३ ७ मार्च, १९२१।

मिल कर रहेगा, तब हमारी ताकत इतनी बढ़ जायेगी कि कोई हमारी स्वतन्त्रताके आडे आ ही नही सकेगा।

एक नमूना

मै सैकड़ों सभाओंमे जा चुका हूँ। अब कदाचित् ही कही सभामे कुर्सियोंका इन्तजाम होता है। लखनऊकी खिलाफत परिषद्में[1] किसीके लिए भी कुर्सी नहीं थी। मौलाना मुहम्मद अली अध्यक्ष थे। वे गद्देपर बैठे थे। दूसरे उमराव-उलेमा और शिक्षितवर्गके लोग भी जमीनपर बैठे थे। लेकिन पूर्ण स्वदेशीकी व्यवस्था तो मैंने हरियानेमे[2] ही देखी। कांग्रेसके आगामी अधिवेशनकी मै जिस रूपमे कल्पना कर रहा हूँ, कौन जाने यह उसीका एक छोटा नमूना ही हो। परिषद्के मण्डपमें केवल खादीका ही उपयोग किया गया था। बीचमे एक ऊँचा मंच बना हुआ था। उसपर जितने भी सदस्य पालथी लगाकर बैठे हुए थे। पीछे की ओर सैकड़ों स्त्रियाँ थी। दायें हाथकी ओर खादीकी प्रदर्शनी थी। उसमे सुन्दर फुलकारियाँ, हाथके सूतसे बने रूमाल और खादीके थान बिछे हुए थे। कातने और बुननेमे निष्णात व्यक्तियोंको इनाम बाँटे गये थे। महीन खादी तीन प्रकारकी थी, मै उसे ले भी आया हूँ। काढे हुए रूमाल और फुलकारी भी लाया हूँ। इन्हे आश्रममें देखा जा सकता है। स्वयंसेवकोंने खादीके पायजामे, कुरते और टोपियाँ पहन रखी थी। नवीन राष्ट्रीय शालाके[3] सब विद्यार्थी खादीकी पोशाक पहने थे। एक भी विदेशी वस्तु मुझे उस परिषद्मे नजर नही आई। चारों ओर जो नारे लिखे दिखाई पड़ते थे वे भी वहाँकी मातृभाषा उर्दूमें ही थे, और प्रस्ताव भी भावी कार्यक्रमसे ही सम्बन्धित थे। बल्लियों और लकड़ियों-को किरायेपर लेनमे जो देना पड़ा, वही उस मण्डपपर आनेवाला खर्च हुआ। खादी तो सारीकी-सारी जैसीकी-तैसी रह जानेवाली थी। झंडे भी खादीके थे।

दुःखीजनोंका एक मित्र

जालन्धर, होशियारपुर, हरियाना सब साथ-साथ ही आते है। वे पंजाबके पूर्वमें है। वहाँसे अब मैं पाठकोंको पश्चिम मुल्तानमे ले जाना चाहता हूँ। मुल्तानमे प्लेगका प्रकोप हमेशा बना रहता है। मुल्तानमे प्रह्लादका जन्म हुआ माना जाता है, वहाँ प्रह्लादका मन्दिर भी है। दीवान मूलराजका[4] जन्मस्थान मुल्तान था। ऐसा माना जाता है कि हरियानामें पाण्डवोंने अज्ञातवासका समय बिताया था। मुल्तान गन्दा शहर है, वहाँ धूलका तो कोई हिसाब ही नही। मुल्तानकी नगरपालिका भी निकम्मी मानी जाती है। प्लेगने एक साधु-पुरुषको जन्म दिया। उनका नाम है भाई मूलचन्द। पैसे-टकेसे वे सुखी थे, आज भी थोड़े-बहुत होंगे। देखनेमे वे मैले-कुचैले जान पड़ते है। गुज-

१. २६ फरवरी, १९२१ को हुई।

२. १५ फरवरी, १९२१ को भिवानीमें हुआ हरियाना ग्रामीण सम्मेलन।

३. हरियाना, जिला रोहतकमें।

४. पंजाबके अन्तिम सिख शासकके मुख्यमन्त्री। इस शासकको १८४९ के द्वितीय सिख युद्धमें अंग्रेजोंने परास्त किया था।

रातमे जैसे पुराने विचारोके लोग वडी पहनते है वैसे यह भाई खादीकी वडी पहनते है। धोती खादीकी ओर खादीकी ही टोपी पहनते है। उनके प्रयत्नोसे एक प्लेगका अस्पताल खोला गया। भाई मूलचन्द और उनके भाई दोनोने ही अपने आपको इसके लिए अर्पित कर दिया है। उनके साथ तीन डाक्टर है, जिनमे दो मुफ्त काम करते है। इस अस्पतालमे प्लेगके सभी रोगियोको लिया जाता है। उनकी सार-सँभाल भाई मूलचन्द, उनके भाई ओर दूसरे स्वयसेवक करते है। रोगियोको, जहाँतक सम्भव हो, खुली हवामे सुलाया जाता है। नागरिकोने मुझे वताया कि जव माताएँ प्लेगसे पीडित अपने वच्चोको डरके मारे छोडकर भाग निकली तव भाई मूलचन्दने ऐसे असहाय रोगियोको अपने हाथमे लिया ओर उनकी सेवा-शुश्रूपा की। उनके प्रतापसे सैकडो वच गये है ओर सैकडो सुखसे मर सके है। उन्हीके प्रतापसे लोगोको प्लेगका भय अव कम लगता है। मै इस अस्पतालको देखनेके लिए गया। लगभग चालीस रोगी थे। सवसे मै मिला। उनके सन्तोपका मै क्या वर्णन करूँ? मैने तो मुल्तानमे रोगियोके दर्शन करनेपर अपनेको सोभाग्यशाली माना।

एक भगी भाई

भाई मूलचन्दने मेरी सवसे मुलाकात करवाई। वे अपने भगी साथीको भी नही भूले, ओर उन्होने कहा 'इस भाईने भी हमारी कठिन समयमे वहुत मदद की है,' वह जरा दूर खडा हुआ था। मै उस भाईसे मिलनेके लिए आगे वढा, वह विचारा आधा खिसक गया। मैने उसे खिसकनेसे रोका और उसकी पीठको थपथपाया। मेरे साथ अनेक सनातनी भाई थे। मुझे ऐसी कोई वात दिखाई नही दी जिससे मुझे लगा हो कि उन्हे मेरा यह कार्य वुरा लगा हो, वल्कि मै यह अवश्य देख सका कि उनमें से वहुत सारे लोग मेरे उस स्पर्श करनेपर प्रसन्न हो उठे थे। वह अन्त्यज भाई तो वहुत खुश हुआ ओर मुझसे कहा, 'मैने तो कुछ भी नही किया'। इतना सच है कि पजावमे अस्पृश्यताका जोर वहुत कम है। कोई पजावी सनातनी भगीके छू जानेसे अपने आपको अपवित्र माने, ऐसी कोई वात मुझे नजर नही आई।

प्लेगका उपचार

इस अस्पतालके व्यवस्थापकोको मैने वताया कि मुझे तीन वारके प्लेग प्रकोपोका अनुभव है,[1] ओर एक जगह तो प्लेगको जडमूलसे उखाडनेमे मेरा हाथ था। अन्य दो अवसरोपर भी यद्यपि प्लेगका विलकुल नाश नही किया जा सका तथापि वह अच्छी तरहसे वशमे आ गया था। इसपर व्यवस्थापकोने उसके उपचारके वारेमे मुझसे पूछा। हालाँकि हम सभी ये उपचार जानते है, फिर भी मै यहाँ उनका उल्लेख किये देता हूँ

१ प्लेगके रोगीको जहाँतक हो सके सवसे अलग रखा जाये, जो उसकी सेवा-शुश्रूपामे लगे हुए हो वे भी औरोको न छुएँ।

१ राजकोटमें (१८९६), जोहानिसबर्गमें (१९०५) और अहमदाबादमें (१९१७-१८)।

२ जहाँ प्लेगके लक्षण प्रकट हो चुके हों वहाँ सफेदी आदि करवाकर कमसे-कम दस दिनतक उस घरका उपयोग नही किया जाना चाहिए।

३ अगर घरमें सील हो, उजाला न हो और हवा कम आती हो तो इन तीनो खामियोंको दूर किया जाना चाहिए।

४. घरमे चूहोंके बिल हों तो बिल आदि इस तरह भर दिये जायें जिससे उनमें चूहे न रह सकें।

यदि इतनी बातें ध्यानमें रखी जायें तो निःसन्देह प्लेग नही फैलेगा। मैं जानता हूँ कि उपाय बताना आसान है, उनपर अमल करना मुश्किल है। इसीसे प्लेगने हिन्दुस्तानमें घर कर लिया है। गरीबीके होते हुए भी जितने उपायोंपर अमल किया जा सके, करना चाहिए। प्लेगको रोकनेके उपाय सहल हैं। और जो जो उपाय मैंने सुझाये थे उन्हे फिर दुहरानेका मन करता है

१ हवा और रोशनीवाले घरोंमें ही रहनेकी आदत डालनी चाहिए।

२ ऐसे घर बनाये जाने चाहिए जिनमें चूहे बिल आदि न बना सके।

३ पाखानेके लिए कोई बालटी या बरतन रखा जाना चाहिए। इस्तेमालके बाद उसपर काफी मिट्टी डाल देनी चाहिए जिससे सब मैला ढक जाये और सिर्फ धूल-ही-धूल दिखाई दे।

४ पेशाब भी किसी बर्तनमें ही किया जाना चाहिए।

५ पाखाना घरके किसी अन्य भागकी तरह ही साफ होना चाहिए।

इन नियमोंके महत्वपर लिखनेकी मुझे फुर्सत नही है लेकिन मेरा विशेष अभिप्राय यह है कि यद्यपि हम व्यक्तिगत रूपमें शौचके नियमोंका ठीक-ठीक पालन करते हैं तथापि शौचके सामाजिक नियमोंसे हम परिचित नही हैं और अगर हैं तो उनका पालन नही करते और परिणामस्वरूप अनेक व्याधियोंके शिकार बनते हैं।

पदकका त्याग किया

इस अस्पतालकी बात बताते समय मुझे यह बताना भी नही भूलना चाहिए कि भाई मूलचन्दको उनकी सेवाओंके लिए जो स्वर्ण-पदक मिला था उसे उन्होंने उसी दिन लौटानेका निश्चय किया।[1] उसी दिन दो प्रसिद्ध वकीलो — लाला केवलकृष्ण और लाला बोधराजने एक वर्षके लिए अपनी वकालत बन्द करनेके निर्णयका ऐलान भी किया। इन दोनो वकीलोकी सार्वजनिक सेवाका मुल्तानके जन-जीवनपर अच्छा प्रभाव पडा। उन्होंने समझ लिया था कि वकालतका धन्धा जारी रखनेके कारण मुल्तानकी प्रगतिमे अवरोध उत्पन्न हो गया था। ऐसी कितनी जगहे हैं जहाँ आज यही बात हो रही है। जहाँ नेतागण असहयोगके स्वरूपको समझ नही पाये हैं या समझनेपर भी उसका पालन करनेमे असमर्थ रहे हैं वहाँ-वहाँ असहकार आन्दोलन आगे नही बढ सका है, क्योंकि 'श्रेष्ठ-जन जैसा आचरण करते हैं, इतर वर्ग भी उसीका अनुसरण करता है।'[2]

१. देखिए "भाषण : मुल्तानमें", ५-३-१९२१ ।

२. भगवद्गीता, ३-२१

सियालकोटका उदाहरण

अपनी यात्राके दौरान मे जहाँ-कही गया हूँ मैंन यह अनुभव किया है कि यदि शुद्ध कार्य करनेवाला एक व्यक्ति भी मिल जाये तो असहयोग सुचारु ढगसे चलने लगे। अकेले, आगा सफदरने ही सियालकोटके जन-जीवनको उन्नत बना दिया है। वे एक बहादुर और खानदानी वकील है। उन्होने सितम्बरसे पहिले अर्थात् जब खिलाफतका प्रस्ताव पास हुआ तभीसे डा० किचलूके साथ वकालत छोडी। उनका त्याग, उनका सादापन और उनका सत्य उनके कार्यमे दिखाई पडता है। आगा सफदर, असहयोग आन्दोलनमे शामिल होनेसे पहले सियालकोटके जीवनमें खासा भाग लिया करते थे। इसीसे उनके नेतृत्वमे सियालकोटमें असहयोगका बहुत काम हो रहा है। एक बडी इस्लामी शाला राष्ट्रीय स्कूलमे परिवर्तित हो गई है। चरखेका काम जोरोपर है। उनकी पत्नी तथा दूसरी बहनोके शरीरपर भी मैंने सियालकोटमे खादीके कपडे ही देखे। मुझे अनेक स्थानोपर ऐसे अनुभव हुए है। पजाबके अनुभवोका वर्णन करते हुए सियालकोटका सुन्दर उदाहरण मुझे याद हो आया। मैंने यह भी देखा है कि जिन लोगोने शुद्ध भावसे त्याग किया हेउ न सबकी प्रतिष्ठा बढी है और उन्होने खोया तो कुछ भी नही है। पैसेकी हानि हुई हो, सो भी नही कहा जा सकता। वे जीविका-भर कमा लेते है और उसके उपरान्त कुछ लेनेका अधिकार किसे रह जाता है? समाज-सेवकको तो निश्चय ही नही। उसके हाथ पाक-साफ होने चाहिए। उसके निजी धन्धे कम ही होने चाहिए और उसकी जरूरते कमसे-कम होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०–३–१९२१

२३२. राष्ट्रीय तिलक स्वराज्य कोष

इस कोषके सम्बन्धमे मै पजाबकी अपनी यात्रा विषयक टिप्पणीमे सकेत कर चुका हूँ। हमे इतना चन्दा इकट्ठा करना चाहिए जो लोकमान्यकी स्मृतिके योग्य हो। लोगोमें उनके प्रति अनन्य भक्तिभाव है। इसका कुछ अन्दाज वे लोग ही लगा सकते है जो लोकमान्यके अवसानके समय वहाँ उपस्थित थे और उनकी शव-यात्रामें शामिल हुए थे। क्या वह भक्ति अभीतक कायम है? इन थोडे महीनोंके दौरान लोगोको इस प्रश्नका उत्तर देनेका अवसर है।

लोकमान्यके हमारे इस स्मरणका रूप कैसा होगा? उनकी कोई मूर्ति नही बनाई जायेगी। उस चन्देकी रकमसे स्वराज्य प्राप्त करना है, और चन्देका मुख्य उपयोग बच्चोको शिक्षण देनेमे, चरखेकी प्रवृत्तिको चलानेमें और जनताके सेवकोंके परिपालनमे किया जायेगा। मतलब यह कि जो रकम हम देंगे उसका पूरा-पूरा

उपयोग हमारे लिए ही होगा। रकमके इससे अधिक सुन्दर उपयोगकी कमसे-कम मैं तो कल्पना नही कर सकता।

लोकमान्यके स्मारकके लिए भारत एक करोड रुपया इकट्ठा करे, यह बात किसीको बहुत ज्यादा नही लगेगी। स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए एक करोड रुपया इकट्ठा करना हमारे लिए बायें हाथका खेल होना चाहिए। हमें जितना चाहिए यदि उतना रुपया भी इस प्रवृत्तिके लिए हम इकट्ठा न कर सके तो स्वराज्यकी मांग करने अथवा उसको प्राप्त करनेका हमें कोई अधिकार नही रह जाता। यदि जनता विदेशी कपडेका त्याग करनेके लिए तैयार न हो, सूत कातनेमे आनाकानी करे, धन न दे तो उसे स्वराज्यका क्या हक हो सकता है? इसीलिए एक करोड रुपयेको तो मै कमसे-कम रकम समझता हूं। इतनी रकम उन्तीस प्रान्तोसे मिलनी चाहिए। इनमें से कितने ही प्रान्त गरीब है, कितने ही बहुत छोटे है, उनसे उनके हिस्सेके पैसे प्राप्त करनेकी आशा नही की जा सकती। हाँ, बम्बई, गुजरात, पजाब आदिसे अधिक मिलनेकी आशा अवश्य की जा सकती है।

यह रकम हमे तीस जूनतक अवश्य उगाह लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगोसे अगर हम यह रकम उगाहे तो किसीपर बोझ नही पडेगा और हम सहज ही एक करोड रुपया इकट्ठा कर सकेगे। मेरी तो सलाह है कि हमे तुरन्त ही यह चन्दा उगाहना आरम्भ कर देना चाहिए और जूनके अन्ततक पूरी रकम उगाह लेनी चाहिए। मात्र निश्चयकी और खरे स्वयसेवकोकी जरूरत है। इस सम्बन्धमे सब प्रान्तोको पजाबका अनुकरण करना चाहिए।

सबको याद रखना चाहिए कि हर प्रान्तमे अलग-अलग चन्दा इकट्ठा करना है और हर प्रान्तमे जो रकम इकट्ठी की जाये उसका पच्चीस प्रतिशत कांग्रेसकी महासमितिको दिया जाना है। कोई भी ऐसे लोगोको चन्दा न दे जिनकी नियुक्ति स्थानीय कांग्रेस समिति द्वारा न की गई हो। इस सादे नियमका पालन करनेसे हम अनेक दु खोसे बच सकते है।

जबतक यह चन्दा जारी रहे तबतक जहाँतक बन सके किसी और चन्देकी माँग नही की जानी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०–३–१९२१

२३३. कांग्रेसका संविधान

काग्रेसके सविधानका पूरा-पूरा अर्थ समझ लेना जरूरी है। उस सविधानकी[1] रचना स्वराज्य समयपर प्राप्त करनेके उद्देश्यसे की गई है। उसके अनुसार यदि हम प्रत्येक गाँवमे काग्रेस समिति वना सके ओर उसके रजिस्टरमे वहाँके २१ वर्षके प्रत्येक स्त्री पुरुषका नाम दर्ज कर सके तो उसका अर्थ यह होगा कि सरकारकी ही भाँति प्रत्येक गाँवमे काग्रेसकी सत्ता भी चलती है। सरकारकी सत्ताका आधार तो जोर-जवरदस्ती है। तव यदि वहाँ लोगोकी स्वेच्छासे एक अन्य सत्ताका शासन चलना आरम्भ हो जाये तो लोक-प्रतिकूल सरकारी सत्ता एक पलके लिए भी नही टिक सकती। इसलिए यदि हम काग्रेसके सविधानको पूर्णतया व्यापक कर सके तो समझ लीजिए कि उसी दिन स्वराज्यकी स्थापना हो जायेगी। इसमे हमारी योजना-शक्तिकी परीक्षा हो जाती है। यदि हममे इतनी शक्ति भी न हो तो हमे स्वराज्य प्राप्त करनेका क्या अधिकार है?

काग्रेसका सविधान निराशावादियोको जवाव है। वे ऐसा मानते हैं कि हममे योजना-शक्ति नही है और उसे प्राप्त करनेमे हमे वर्षो लगेगे। यह वतानेके लिए कि उनकी यह निराशा निराधार है, काग्रेसने आशावादीके हाथमे एक शस्त्र दिया है। इस योजनाको पूरा करनेके लिए किसी त्यागकी जरूरत नही है, सिर्फ हममे सामान्य प्रामाणिकता और प्रयत्नकी जरूरत है। इसमे वहुत ज्यादा पैसेकी भी जरूरत नही और जितने पैसोकी जरूरत है उतने तो हम [प्रति सदस्य] चार आनेके चन्देसे ही प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह ३० जूनतक हममे एक करोड रुपया इकट्ठा करनेकी शक्ति होनी चाहिए उसी तरह हममे काग्रेसके एक करोड सदस्य वनानेकी शक्ति भी होनी चाहिए। एक करोड अर्थात् आवादीका तीसवाँ भाग। गुजरातकी आवादी अनुमानत ९६ लाख है। अतएव हमारे रजिस्टरमे ३० जूनसे पहले-पहले कमसे-कम तीन लाख सदस्योंके नाम दर्ज हो जाने चाहिए। हमने २८ फरवरीतक २५ हजार नाम दर्ज किये थे। अपनी गतिको तेज करके ही हम सफलताकी आशा कर सकते हैं। सत्याग्रह सप्ताहमें खूब मेहनत करके सदस्योकी सख्या ओर चदेकी रकम बढाकर, इतना सामान्य काम तो हमे कर ही लेना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-३-१९२१

1. देखिए पृष्ठ १९४-२०२।

२३४. भाषण : सिवनीमें[1]

२० मार्च, १९२१

भगवानदीनजी यहाँ भाषण करने आये और यहीं पकड़े गये इसीसे मेरे मनमें यहाँ रुकनेकी विशेष इच्छा हुई। निरपराध व्यक्तियोंको सरकार पकड़ती है, यह हमारी जीतकी पक्की निशानी है। इस तरहकी गिरफ्तारियोंको तो हमें अपना लाभ मानना चाहिए और उसमें आनन्द मनाना चाहिए।

* * *

शराब पीनेसे तो गन्दे नालेका पानी पीना बेहतर है। नालेके पानीके बारेमें सिर्फ इतनी ही बात है कि वह गन्दा होता है और उसे पीनेसे बीमारी होती है, लेकिन शराबसे तो आत्मा मलिन हो जाती है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५–४–१९२१

२३५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

जबलपुर,[2]
२१ मार्च, [१९२१]

प्रिय चार्ली,

मैं आज जबलपुरमें हूँ और जल्दी ही रेलसे कलकत्ता रवाना हो जाऊँगा। वहाँसे मुझे उड़ीसा जाना है।[3] इसके साथ मेरा भारतका दौरा लगभग समाप्त हो जायेगा। सबसे गरीब प्रान्तका दौरा सबसे बादमें होगा। सरकारकी वर्तमान कार्यवाहीसे मुझे अकथनीय वेदना होती है। भारतमें शुद्धीकरणकी एक लहर चल रही है। लोग मद्यपान और अफीमके व्यापारको समाप्त कर देना चाहते हैं। सरकार उनके इस उद्देश्यको विफल करनेका भरसक प्रयत्न कर रही है। लोग सादा जीवन बिताना चाहते हैं। बड़ी चतुराईसे उन्हें इससे रोकनेका प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन मेरा खयाल है कि यह लहर रुक नहीं सकती। यह अवश्य जारी रहेगी। फिर भी मुझे करीब-करीब ऐसा लगता है मानो यह सारा प्रयत्न लॉर्ड रीडिंगके[4] आगमनके सिलसिलेमें उनके

१. महादेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत।
२. इस वर्ष २१ मार्चको गांधीजी जबलपुरमें थे।
३. गांधीजी २४ से २९ मार्च तक उड़ीसामें थे।
४. भारतके मनोनीत वाइसराय।

आगमनके पहले ही इस उद्देश्यसे किया जा रहा कि उनके लिए ऐसा वातावरण बना दिया जाये कि जिसमे यदि वे मजबूत दिल और खरी न्यायपरता लेकर न आये तो उनके लिए कोई वास्तविक सेवा करना असम्भव हो जाये।

आज मेरा पवित्र दिन[1] है और मै तुम्हे कुछ पक्तियाँ लिखे विना नही रह सकता। मैने किसी अखबारमें पढा था कि तुम्हे फिर इन्फ्लुएजा हो गया है। मुझे आशा है कि तुम अब कुछ अच्छे हो। मुझे कटकके पतेपर तारसे अपनी तबीयतका हाल भेजना। मै उडीसामे ६ दिन रहूँगा।

मुझे तुमसे दु खके साथ कहना पडता है कि शायद लालचन्द[2] भरोसेका आदमी नही था। महादेवने मुझे बताया और मुझे उसकी जाँचकी सचाईमें जरा भी सन्देह नही कि लालचन्दने बहुत-सा रुपया गबन किया है। मैंने उससे सफाई माँगी है। मुझे अभी उसका कोई उत्तर नही मिला है। वह महादेवके साथ बडी बुरी तरह पेश आया। वह अफीमके सम्बन्धमें भेजा गया तुम्हारा लेख वापस नही देना चाहता और कहता है कि वह 'यग इडिया'के सम्पादकको नही, स्वय उसको भेजा गया था। मै इस पत्रके द्वारा तुम्हे सावधान करता हूँ कि उसपर विश्वास मत करना। उसे तुमसे या किसी भी अधिकृत व्यक्तिसे कोई चीज मिल जाये, तो वह उससे रुपया कमा सकता है।

ऐसी बातोका पता चलनेपर मुझे दु ख होता है और कभी-कभी निराशा भी। यदि हमारे साधन निर्दोप न हो तो हम असहयोगके सघर्पमें अधिक प्रगति नही कर सकते। मै तो समझता था कि लालचन्द बिलकुल ईमानदार और सन्देहसे परे है।

मै ३१ को या ३० को बेजवाडा पहुँचूँगा और आन्ध्र प्रदेशमे ५ दिन रहूँगा।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९६१) की फोटो-नकलसे।

१ २१ मार्च, १९२१ को सोमवार होनेसे गाधीजीका मौनवार था।

२ इनको कुछ समय पहले **यंग इंडिया**के सम्पादकीय विभागसे हटाया गया था। देखिए "पत्र लालचन्दको", २९-१-१९२१।

२३६. तार : केन्द्रीय खिलाफत समिति, बम्बईको

२२ मार्च, १९२१

कराची तार भेज दिया। असहयोगी यदि शिक्षाका राष्ट्रीयकरण करनेकी चेष्टा करे तो रोका न जाये।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ ३५०।

२३७. टिप्पणियाँ

ईश्वरके लिए, राजाके लिए, और देशके लिए

अपनी यात्राके दौरान मुझे कुछ लड़के मिले, जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी। मैंने उनसे पूछा कि उनकी वर्दीका क्या अर्थ है। मैंने गौरसे देखा कि उनकी वर्दी विदेशी कपड़ेकी अथवा विदेशी सूतसे बुने कपड़ेकी थी। उन्होंने कहा, यह बालचरोंकी वर्दी है। उनके उत्तरसे मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं यह जाननेको उत्सुक हुआ कि बालचरोंके नाते वे क्या करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे ईश्वरके लिए, राजाके लिए, और देशके लिए जीते हैं। मैंने पूछा, "तुम्हारा राजा कौन है?" उत्तर मिला, "किंग जॉर्ज।" "जलियाँवालाके बारेमें तुम्हारी क्या राय है? मान लो १३ अप्रैल, १९१९ के दिन तुम वहाँ होते, और जनरल डायर तुम्हें अपने भयाकुल देशवासियोंपर गोली चलानेके लिए कहते, तो तुम क्या करते?"

"**स्पष्ट है कि मैं उस आज्ञाका पालन नहीं करता।**"

किन्तु जनरल डायर राजाकी वर्दी पहने हुए थे?

"**ठीक है, किन्तु वे तो नौकरशाहीके सदस्य हैं, और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।**"

इसपर मैंने उनसे कहा कि तुम नौकरशाहीको राजासे अलग करके नहीं देख सकते, राजा तो एक निर्वैयक्तिक आदर्श सत्ता है। इसका यह अर्थ होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य तथा किसी भी भारतीयके लिए यह सम्भव नहीं कि आज साम्राज्यका जो रूप हो गया है उसे देखते वह साम्राज्यका भी वफादार रहे और ईश्वरका भी। जो साम्राज्य फौजी शासनके द्वारा फैलाये गये आतंकके लिए जिम्मेदार हो, जो साम्राज्य अपनी गलतियोंके लिए पश्चात्ताप करनेको तैयार नहीं हो, जो साम्राज्य गम्भीरता-पूर्वक दिये गये अपने वचनोंको भंग करके गुप्त सन्धियाँ करे, ऐसे साम्राज्यको अधर्मी — ईश्वरका कोई खयाल न रखनेवाला — साम्राज्य ही कहा जा सकता है। अतः, उसके प्रति निष्ठा रखना ईश्वरके प्रति अनिष्ठा होगी।

यह सब सुन कर लड़का उलझनमें पड़ गया।

मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मान लो हमारा देश धनसम्पन्न होनेके लिए अधर्मी हो जाये, विदेशियोंका शोषण करे, मादक द्रव्योंका धन्धा करे, अपने व्यापारका विस्तार करनेके लिए युद्ध करता फिरे, तथा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठाको कायम रखनेके लिए छल-कपटका आश्रय ले, तो उस हालतमें हम ईश्वर और देश, दोनोंके प्रति एक साथ निष्ठावान् कैसे रह सकते हैं? क्या तब हमें ईश्वरके लिए देशको छोड़ नहीं देना चाहिए? अतः मेरा सुझाव है कि तुम्हें केवल भगवानके प्रति ही ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए, उसके साथ उसी अर्थमें तुम किसी दूसरेके प्रति निष्ठा नहीं रख सकते।

इस लड़केके अनेक साथी इस बातचीतमें गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। उनका सरदार भी वहाँ आ गया। मैंने उसे भी अपनी बात बताई और कहा कि आप जिन बड़ी उम्रके नवयुवकोंका मार्गदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा कष्ट करके उनमें जिज्ञासाकी प्रवृत्ति जगाइए। यह रोचक विषय समाप्त ही हुआ था कि गाड़ी स्टेशनसे रवाना हो गई। मुझे उन शानदार लड़कोंके लिए बड़ा दुःख हुआ और मुझे असहयोग आन्दोलनका गम्भीर अर्थ और अच्छी तरह समझमें आया। मनुष्यके लिए सर्वमान्य धर्म बस एक ही हो सकता है, वह है ईश्वरके प्रति निष्ठा। उसमें राजाके प्रति, देशके प्रति और मानवताके प्रति निष्ठाके लिए भी स्थान है, बशर्ते कि ये निष्ठाएँ उस परमधर्मसे असंगत न हों। किन्तु उसी प्रकार बहुधा उसमें इन निष्ठाओंके लिए स्थान नहीं भी होगा। आशा है, हमारे देशके नवयुवक और उनके शिक्षक अपने सिद्धान्त और मान्यतापर फिरसे विचार करेंगे और जहाँ उन्हें अपनी भूल दिखाई देगी वहाँ उसे सुधार लेंगे। यह बात कोई मामूली बात नहीं है कि अपरिपक्व मस्तिष्कवाले लड़कोंके सामने ऐसे सिद्धान्त रखे जाते हैं जो जाँचकी आँच नहीं सह सकते।

सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग

राष्ट्रीय शुद्धीकरणके इस महान् आन्दोलनके सिलसिलेमें अकसर तरह-तरहके विषयोंपर बहुत ही पेचीदे प्रश्न उठते रहे हैं, और मुझे उनका जवाब देना पड़ा है। कालेजमें पढ़नेवाले असहयोगी विद्यार्थियोंकी एक टोलीने मुझसे इन शब्दोंकी परिभाषा करनेके लिए कहा, जिनका मैंने इस टिप्पणीके शीर्षकके लिए उपयोग किया है। और, आज जब इतना कुछ हो चुका है तब भी मुझसे बड़ी गम्भीरतापूर्वक पूछा गया कि क्या सत्याग्रहमें कभी-कभी हिंसा द्वारा प्रतिरोधकी आवश्यकता नहीं पड़ती? उदाहरणके लिए, हम उस स्थितिको ले सकते हैं जब किसी बहनकी इज्जतपर कोई दुराचारी व्यक्ति हाथ डालना चाहे। मैंने कहा कि उस स्थितिमें, उत्तेजित या क्षुब्ध हुए बिना मुसीबतमें पड़ी उस बहन और उस दुराचारीके बीच खड़े होकर मृत्युका सामना करना उसके बचावकी पूरी जिम्मेदारी निभा देना है। मैंने कहा कि बचावका यह अभिनव तरीका, बहुत सम्भव है, उस दुराचारीकी कामवासनाको समाप्त कर देगा, और वह उस निर्दोष अबलापर बलात्कार नहीं करना चाहेगा, तथा शर्मके मारे उसके पाससे भाग जाना चाहेगा। और यदि उसने ऐसा नहीं किया, तो अपने भाईके व्यक्ति-

गत शौर्यका यह कार्य इस बहनके हृदयमें भी उत्साहका संचार करेगा और वह उसी बहादुरीसे अपना बचाव करती हुई कुछ समयके लिए पशु बन गये उस व्यक्तिकी कामवासनाका प्रतिरोध करेगी। और मैंने अपनी समझमें यह कहकर अपनी दलीलको अकाट्य बना दिया कि यदि सारे बचावके बावजूद अनहोनी बात घटित ही हो जाये और वह आततायी अपनी शारीरिक शक्तिसे उस बेचारीको विवश कर दे तो यह बात उस स्त्रीके लिए लज्जाजनक नही होगी, बल्कि स्वयं वह स्त्री और उसका भाई, जो उसके सतीत्वको बचानेके प्रयत्नमें मर गया, दोनोंका मुंह ईश्वरके सामने उज्ज्वल रहेगा। मैं यह दावा नही करता कि मेरे तर्कसे मेरे श्रोताओंको तसल्ली और इतमीनान हो गया, और न यही मानता हूँ कि पाठकोंको ही हो जायेगा। मैं जानता हूँ कि यह संसार जैसा चलता आया है, चलता रहेगा। किन्तु आत्मनिरीक्षणकी इस घडीमें अहिंसाके इस शक्तिशाली आन्दोलनके गूढार्थको समझना तथा उसका अभिमूल्यन करना अच्छा होगा। सभी धर्मोने उच्चतम आदर्शोंपर जोर दिया है, किन्तु सभीने मानवीय कमजोरियोंको देखते हुए उससे किंचित विचलित होनेकी न्यूनाधिक छूट दी है।

अब मैं उपर्युक्त विभिन्न शब्दोंकी मैंने जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह संक्षेपमें बताता हूँ। ठीक-ठीक और नपी-तुली परिभाषा देना मेरी शक्तिके बाहर है।

तो, सत्याग्रहका शब्दार्थ है सत्यका आग्रह रखना और इसलिए उसका अर्थ होगा सत्यबल। सत्य है आत्मा। अत उसे आत्मबल कहा जाता है। वह हिंसाके प्रयोगका निषेध करता है, क्योकि मनुष्य सम्पूर्ण सत्यको जाननेमें असमर्थ है, और इसलिए दण्ड देनेका अधिकारी नही है। यह शब्द दक्षिण आफ्रिकामें गढा गया था।[1] उसका उद्देश्य दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा उसके समकालीन मताधिकारके लिए आन्दोलन करनेवाली स्त्रियों अथवा अन्य लोगोंके निष्क्रिय प्रतिरोधके बीच अन्तर स्पष्ट करना था। उसकी कल्पना कमजोरोंके अस्त्रके रूपमें नही की गई थी।

निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेंस) शब्दोंका प्रयोग अंग्रेजीके परम्परागत अर्थमे होता है और उससे मताधिकार आन्दोलन तथा "नॉन-कन्फर्मिस्टों"के प्रतिरोधका बोध होता है। निष्क्रिय प्रतिरोधकी कल्पना कमजोरके अस्त्रके रूपमे की गई है और इसे उन्हींका अस्त्र माना जाता है। यद्यपि वह हिंसासे बचता है, क्योकि अशक्तोंके लिए हिंसाका रास्ता खुला नही है, तथापि यदि किसी निष्क्रिय प्रतिरोधीकी रायमे किसी अवसरपर हिंसा आवश्यक हो तो वह उसके प्रयोगका निषेध नही करता। जो भी हो, वह सशस्त्र प्रतिरोधसे सदा भिन्न माना गया है, और उसका प्रयोग किसी समय ईसाई बलिदानियोंतक ही सीमित था।

सविनय अवज्ञा (सिविल डिसओबिडिएंस) अनैतिक वैधानिक अधिनियमोंका सविनय उल्लंघन है। यह शब्द-पद 'सिविल डिसओबिडिएंस' यानी सविनय अवज्ञा, जहाँतक मैं जानता हूँ, थोरोने दास-प्रथा-पोषक राज्यके कानूनोंका स्वयं वे जो विरोध

१. सन् १९०८ में, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १२६-२७।

कर रहे थे, उसीका बोध करानेके लिए गढा था। वे सविनय अवज्ञापर एक श्रेष्ठ प्रबन्ध[1] भी लिख गये है। किन्तु थोरो कदाचित् अहिंसाके सोलहो आना समर्थक नही थे। साथ ही, थोरोने, शायद वैधानिक नियम-भगको राजस्व-नियमके उल्लघन, अर्थात्, कर-अदायगी न करनेतक ही सीमित रखा। किन्तु, १९१९ में प्रयुक्त सविनय अवज्ञामें किसी भी सविहित तथा अनैतिक नियमका उल्लघन शामिल था। इसका मतलब था प्रतिरोधी द्वारा कानूनके बधनोको विनयपूर्वक, अर्थात् अहिंसक ढगसे अस्वीकार कर देना। वह कानून-भगके लिए विहित दण्डको आमन्त्रित करता था, और हँसी-खुशी कारावास भोगता था। वह सत्याग्रहकी एक शाखा है।

असहयोगका अर्थ मुख्यत होता है, ऐसे राज्यको, जो असहयोगीकी दृष्टिसे भ्रष्ट हो गया है, सहयोग देनेसे हाथ खीच लेना, इसमे ऊपर वर्णित उग्र ढगकी सविनय अवज्ञाका निषेध है। असहयोगकी प्रकृति ही ऐसी है कि इसका मार्ग समझदार बच्चोके लिए भी खुला हुआ है और जनसाधारण मजेमे इसका आचरण कर सकता है। सविनय अवज्ञाकी पहली शर्त यह है कि सविनय अवज्ञा करनेवाले व्यक्तिको दण्डके भयके कारण नही, बल्कि स्वेच्छासे कानूनकी आज्ञाका पालन करनेकी आदत हो। अत उसका व्यवहार बिलकुल अन्तिम उपायके रूपमे ही किया जा सकता है। कमसे-कम प्रारम्भमें तो उसे कुछ चुनिन्दा लोगोतक ही सीमित रखना चाहिए। सविनय अवज्ञाके समान, असहयोग भी उस सत्याग्रहकी एक शाखा है, जिसमे सत्यकी प्रतिष्ठाके हेतु किये गये सभी प्रकारके अहिंसात्मक प्रतिरोध शामिल है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २३–३–१९२१

२३८. सत्याग्रह सप्ताह

अप्रैलकी ६ और १३ तारीख अब बिलकुल निकट आ पहुँची है। ६ अप्रैलको[2] भारतमें एकता और जागृतिके दर्शन हुए थे। १३ को वह मनहूस रविवार पडता था, जब एक सद्य जागृत राष्ट्रकी आत्माको कुचल डालनेका शैतानी प्रयत्न किया गया था। भारतने गत वर्ष यथोचित रीतिसे इन दोनो दिनोकी वार्षिकी मनाई और ६ अप्रैलसे आरम्भ होनेवाले पूरे सप्ताहका उपयोग लोगोने इस सकल्पको दोहरानेके लिए किया कि वे राष्ट्रके लिए जो-जो बलिदान देना आवश्यक होगा, देंगे। आशा है, आगामी अप्रैल हमें महत्तर आत्म-बलिदानके लिए प्रस्तुत पायेगा। हर तरहसे उसका कारण और अवसर भी मौजूद है। पिछले साल हमने केवल निर्दोष व्यक्तियोंके रक्तपातसे पावन हुई भूमिका क्रय-मूल्य चुकानेके लिए चन्दा एकत्र करनेपर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया

१ गाधीजी द्वारा प्रस्तुत इस प्रबन्धके सक्षिप्त रूपके लिए, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २२०-२२ तथा २३१-३३।

२ १९१९।

था।[1] वह एक आवश्यक तथा पवित्र कृत्य था। किन्तु उसके बादसे और भी बड़ी-बड़ी बाते हुई है। राष्ट्रने खिलाफतके तथा पजाबके अन्यायोका निवारण करने और स्वराज्य स्थापित करनेका अपना निश्चय दृढतापूर्वक घोषित किया, तथा फिर उसे दुहराता है। इसके बाद दिसम्बर अधिवेशनमे काग्रेसने और भी आगे बढकर एक सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेका अपना इरादा भी घोषित कर दिया है।

अत अब हम इस दिशामे और अधिक राष्ट्रीय प्रयास करनेका सकल्प करे। स्कूलो और अदालतोके सम्बन्धमे आन्दोलन जारी है। अब, इस सम्बन्धमें उन लोगोको छोडकर जिन्होने शिक्षा-सस्थाओ अथवा न्यायालयोका त्याग कर दिया है, और किसीको किसी विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता नही है। उन्हे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह समझनेकी कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने समयका कैसा उपयोग कर रहे है। किन्तु छ ऐसी बाते है, जिनके सम्बन्धमें निश्चय ही हमे अत्यन्त विशिष्ट प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है।

पहली बात यह है कि हमें अपने ऊपर और अधिक नियन्त्रण प्राप्त करना चाहिए, तथा पूर्ण शान्ति और सद्भावनाका वातावरण बनाना चाहिए। हमें बिना विचारे बोले गये प्रत्येक कठोर वचनके लिए अथवा किसीके प्रति किये गये कठोर व्यवहारके लिए क्षमायाचना करनी चाहिए।

दूसरे, हमे अपने हृदयको और भी अधिक स्वच्छ करना चाहिए। हमे, हिन्दुओ और मुसलमानोको परस्पर एक-दूसरेकी नीयतोपर सन्देह करना बन्द कर देना चाहिए। हमे यह विश्वास होना चाहिए कि हम दोनो एक-दूसरेका बुरा कर ही नही सकते।

तीसरे, हम हिन्दुओको चाहिए कि हम किसीको भी अस्वच्छ, क्षुद्र अथवा अपनेसे नीच न कहे अत 'परिया'[2] लोगोको अस्पृश्य समझना अवश्य बन्द कर देना चाहिए। किसी भी मनुष्यको अछूत मानना पाप समझना चाहिए।

ये तीन बाते आन्तरिक परिवर्तनकी बाते है, और इनके परिणाम हमारे दैनिक जीवनके व्यवहारमे देखे जायेगे।

चौथी बात है मद्यपानका अभिशाप। यह हर्षकी बात है कि लगता है, भारतने स्वेच्छासे अपने-आप इस अभिशापसे मुक्त होनेका निश्चय कर लिया है। इस सप्ताह-मे विनयपूर्वक प्रार्थना करके मद्य-विक्रेताओको अपने-अपने लाइसेस वापस कर देनेके लिए और इन दुकानोके नियमित ग्राहकोको अपनी आदत छोड देनेके लिए प्रेरित करनेका चरम प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रत्येक जातिको मालूम है कि यह दोष उसके किन सदस्योमे है तथा उनके साथ वह दूसरोकी अपेक्षा अधिक सफलतासे निबट सकती है। किन्तु मैंने अहमदाबादकी महिलाओको सुझाया है कि वे मद्य-निषेध-टोलियाँ सगठित करे, और शराब बेचनेवालो और पीनेवालोके पास जाकर उन्हे समझाये। कुछ भी हो, अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए शारीरिक शक्तिका उपयोग नही करना चाहिए। शान्तिके साथ, सकल्पपूर्वक समझा-बुझाकर राजी करनेसे इस अभियानमे अवश्य सफलता मिलेगी।

१ स्पष्ट ही तात्पर्य जलियाँवाला बाग स्मारक कोषसे है, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ३३-३४, ३३५।

२. दक्षिण भारतकी एक जाति विशेष जिसे अस्पृश्य माना जाता था।

पाँचवी बात है, प्रत्येक घरमें चरखेका प्रारम्भ, खादीका अधिक उत्पादन तथा उपयोग, और विदेशी कपड़ेका पूर्ण त्याग।

छठी बात है, तिलक स्वराज्य कोषके लिए नियमित ढंगसे बराबर चन्दा एकत्र करना। यदि इस दिशामें संगठित प्रयत्न किया जाये, तो हम सत्याग्रह सप्ताहमें एक करोड़ रुपया भी सग्रह कर ले सकते हैं। मेरी अनवरत यात्राओंने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि देश एक करोड़से भी ज्यादा देनेके लिए तैयार है। हाँ, ईमानदार सग्रहकर्त्ता पर्याप्त संख्यामें नहीं हैं। सत्याग्रह सप्ताहमें इस कामको करनेके लिए देशके प्रत्येक जिलेको अपने आपको संगठित कर सकना चाहिए।

हड़तालें अब आम हो गई हैं, उनका आयोजन आसानीसे हो सकता है और इसलिए अब उनका वह महत्त्व नहीं रह गया है जो प्रारम्भमें था। किन्तु उन दो दिनोंकी हड़तालका अपना एक अलग महत्त्व है। और मैं बेशक ६ अप्रैल और १३ अप्रैल-को उपवासके साथ-साथ हड़ताल करनेकी सलाह दूँगा। कहनेकी जरूरत नहीं कि जोर-जबरदस्ती बिलकुल नहीं होनी चाहिए। कोई चाहे मिलमें काम करता हो या कहीं और, यदि उसे छुट्टी न मिले तो काम नहीं बन्द करना चाहिए, और ट्रामके प्रबन्धको पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। हमें इस बातपर विश्वास करके चलना चाहिए कि जनता उचित और आवश्यक कारणके बिना सरकारी परिवहन गाड़ियोंका उपयोग नहीं करेगी। उपवासके दिनोंका उपयोग विशेष प्रार्थनाओं तथा पूजा-के लिए किया जाना चाहिए।

मैं जनतासे अनुरोध करूँगा कि वह अपनी माँगोंके सम्बन्धमें कोई भी प्रस्ताव पास न करे। सर्वांगतः यह सप्ताह आत्म-निरीक्षण तथा शुद्धीकरणका सप्ताह होना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करनेके लिए हमें अपने कामपर भरोसा करना चाहिए। ज्यों ही हम अपने-आपको योग्य बना लेंगे, दुनियाकी कोई भी हस्ती हमें स्वराज्य प्राप्त करने तथा इन दो महान् अन्यायोंका निराकरण करानेसे रोक नहीं सकेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३–३–१९२१

२३९. पारसियोसे

प्यारे दोस्तो,

मैं जानता हूँ कि आप वर्तमान असहयोग आन्दोलनको बड़ी दिलचस्पीसे देखते आ रहे हैं। आपको शायद यह भी मालूम होगा कि सभी विचारवान असहयोगी आतुरतासे इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस शुद्धीकरणकी प्रक्रियासे समस्त राष्ट्र गुजर रहा है, उसमें आप क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं। व्यक्तिशः मुझे तो हर तरहसे यह विश्वास है कि जब अन्तिम निर्णयकी घड़ी आयेगी तो आप वही करेंगे जो सही है। आज ये दो शब्द आपके नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे लगता है, शायद अन्तिम निर्णयकी वह घड़ी आ गई है।

आप मेरे देशभाई तो है ही। इसके अलावा भी, मै आपसे कई पवित्र बन्धनोंसे बँधा हुआ हूँ। दादाभाई[1] मुझे प्रेरणा देनेवाले सबसे पहले देशभक्त थे। जब मै अन्य किसी भी नेताको नही जानता था, तभी वे मेरे पथ-प्रदर्शक और सहायक थे। अपनी किशोरावस्थामे ही मुझे एक परिचय-पत्रके साथ उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।[2] और सन् १८९६ में जिस व्यक्तिने मेरी रहनुमाई की, मुझे काम करनेका तरीका बताया, वह थे बम्बईके बेताजके बादशाह[3], जो अब नही रहे। जब मै १८९२ में राजनीतिक एजेंटसे जूझनेको आमादा हो गया था[4], तब उन्होने ही मेरी जवानीके जोशको रोका था और मुझे सार्वजनिक जीवनमें अहिंसाका प्रथम व्यावहारिक पाठ पढाया था। उन्होने मुझे सिखाया कि अगर मै भारतकी सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे व्यक्तिगत अन्यायोपर नाराज नही होना चाहिए। जब मै दक्षिण आफ्रिकामे था, उन दिनो भी डर्बनके एक पारसी व्यापारी, रुस्तमजी घोरखोदू, मेरे अत्यन्त सम्माननीय मुवक्किलो और मित्रोमे से थे। सार्वजनिक कार्योंके लिए वे दिल खोलकर धन देते थे, और मेरे साथ जेल जानेवालोमे से वे और उनका लडका सर्वप्रथम थे। मुझपर जब वहाँ मार पडी थी[5] तब उन्होने ही मुझे शरण दी थी, और अब भी वे स्वराज्य आन्दोलनमें काफी दिलचस्पी रख रहे हैं, उन्होने अभी-अभी तदर्थ ४०,००० रुपयेका दान दिया है।[6] मेरी नम्र सम्मतिमें, भारतकी महिलाओमे भी अगणी एक पारसी महिला ही है।[7] वे सीके समान सुशील है और उनके हृदयमे समस्त मानवताके लिए करुणा है। उनकी मैत्री प्राप्त करना जीवनकी अन्यतम सौभाग्यपूर्ण बातोमे से है। वैसे तो मै ऐसी पुनीत स्मृतियोका वर्णन करते ही जाना चाहूँगा, लेकिन इस दृष्टिसे आपको काफी बाते बता दी है कि आप इस पत्रका मंशा समझ सके और उसे हृदयगम कर सके।

आप लोग बहुत ही सावधानी बरत कर चलनेवाली जातिके सदस्य है। आपमें पूरी एकता और सगठन है, और अगर आप लोग इस बातपर आग्रह रखते है कि किसी आन्दोलनमे शामिल होनेसे पहले आपको उसकी स्थिरता और नैतिकताके पर्याप्त प्रमाण मिलने चाहिए तो यह ठीक ही है। लेकिन, अब आपके जरूरतसे ज्यादा सावधानी बरतनेमे खतरा है, और व्यापारके क्षेत्रमे आपकी सफलता आपके असख्य देशभाइयोकी आवश्यकताओ और आकाक्षाओकी ओरसे आपकी आँखें बन्द कर दे सकती है। महान्

१ दादाभाई नौरोजी।

२ यह बात १८८८ की है, जब गाधीजी वकालत पढनेके लिए इग्लैंड गये थे।

३. सर फीरोजशाह मेहता (१८४५–१९१५), बैरिस्टरीकी परीक्षा पास करनेवाले पहले पारसी भारतीय, सन् १८६८, नये बम्बई कॉर्पोरेशनके सदस्य १८७२–१९१५; ३० सालतक बम्बई विधान परिषदके सदस्य, १८९३ में शाही विधान-परिषदके सदस्य, काग्रेसके जन्मसे ही उससे सम्बद्ध; १८९० और १९०८ में काग्रेसके अध्यक्ष।

४. यह बात राजकोटकी है, जब गांधीजीने अपने भाईकी ओरसे पोलिटिकल एजेंटसे बातचीत करनेकी कोशिश की थी और उन्हें फटकार दिया गया था। इस घटनाके विस्तृत विवरणके लिए देखिए **आत्मकथा,** भाग २, अध्याय ४।

५. डर्बनमें, १३–१–१८९७ को, देखिए खण्ड २।

६. देखिए "टिप्पणियाँ", २६–१२–१९२०, पाद-टिप्पणी २।

७. तात्पर्य शायद श्रीमती जाईजी पेटिटसे है।

टाटा परिवार रॉकफेलरवाली जिस भावनासे ग्रस्त होता जान पड रहा है, उससे मुझे वडा भय लगता है। भारतके औद्योगीकरणसे देशका सचमुच कोई लाभ हो सकता है, सो कहना कठिन है। इसलिए इस उद्देश्यसे उनका गरीवोकी सम्पत्ति हडप करना मुझे वडा खतरनाक जान पडता है। अलवत्ता मुझे विश्वास है कि यह एक अस्थायी स्थिति है। आप लोग इतने बुद्धिमान और होशियार हैं कि ऐसे आर्थिक उद्यमोके आत्मघाती रूपको आप किसी दिन अवश्य ही पहचान लेगे। आपकी आशु बुद्धि आपको वतायेगी कि भारतको जिस चीजकी जरूरत है वह चन्द हाथोमे पूंजीका सिमट जाना नही है वल्कि उसका ऐसा वितरण है जिसका लाभ १,९०० मील लम्बे और १,५०० मील चौडे इस महादेशके साढे सात लाख गाँवोको मिल सके। इसलिए मै जानता हूँ कि वह दिन दूर नही है जव आप एक समग्र जातिके रूपमें उन सुधारकोके कन्धेसे-कन्धा लगाकर खडे हो जायेगे जो भारतको उसका रक्त चूसकर वेजान वना डालनेवाले साम्राज्यवादके अभिशापसे मुक्त करानेके लिए आतुर हो रहे हैं।

लेकिन एक वात ऐसी है जिसके सम्बन्धमे अव प्रतीक्षा करते रहना अपराध है। समस्त भारतमे मद्य-त्यागकी एक लहर-सी दौड रही है। लोग स्वत ही मद्य छोड देना चाह रहे हैं। समाजमें वडी तेजीसे ऐसा जनमत तैयार हो रहा है जिससे शराव पीना एक अक्षम्य अपराध माना जाने लगेगा। वहुत-से पारसी शरावकी दुकानें चलाकर अपनी जीविका कमाते हैं। अगर आप पूरे मनसे सहयोग करे तो वम्बई इन वहुत-से अभिशप्त स्थानोसे मुक्त हो जाये। इस आन्दोलनके इस हदतक सफल होनेके आसार नजर आ रहे हैं कि हो सकता है, सरकारको आबकारीसे एक पैसा भी मिलना बन्द हो जाये, किन्तु प्राय सारे भारतमे स्थानीय सरकारे इसे विफल करनेका निद्य प्रयास कर रही हैं। तो इस स्थितिमे आप सरकारकी मदद करेगे या जनता की? वम्बई सरकारने अभीतक इस मामलेमे घवराहट और उतावलापन नही दिखाया है। लेकिन, मै नही सोच सकता कि उसमें इतना साहस और बुद्धिमानी होगी कि वह आवकारी-की आयसे खुशी-खुशी हाथ धो ले। आपको निर्णय तत्काल करना है। मै नही जानता, इस सम्बन्धमे आपके धर्म-ग्रथ क्या कहते हैं। हाँ, मै यह अनुमान अवश्य लगा सकता हूँ कि अच्छाईको बुराईसे अलग करके वुराईपर अच्छाईकी विजयका गीत गानेवाले उस नवीने क्या कहा होगा। लेकिन आपका धार्मिक विश्वास चाहे जो हो, आपको यह तय करना है कि आप पूरे मनसे मद्य-निषेधके काममे सहयोग देकर उसे आगे वढायेगे या इस घटनाक्रमको उदासीन और दार्शनिक-भावसे देखते रहेगे। मै आशा तो यही करूँगा कि भारतकी एक व्यवहारवादी जातिके नाते आप मद्य-निषेधके इस महान् आन्दोलनमे पूरी तरहसे सक्रिय सहयोग देगे, क्योकि ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि यह अपने ढगके दुनियाके सभी आन्दोलनोको मात कर देगा।

आपका विश्वस्त मित्र,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
यग इडिया, २३-३-१९२१

२४०. खिलाफत

सेवर्सकी सन्धिमे जिस परिवर्तनकी बात सोची जा रही है, उससे भारतीय मुसल-मान सन्तुष्ट नही हो सकते, और इतना कहना काफी कह देना है। ब्रिटेनको सिर्फ टकीको ही नही भारतको भी सन्तुष्ट करना है। मेरी नम्र सम्मतिमे, भारतके मुसल-मानोकी मांगे स्वीकार कर ली जाये तो टर्कीकी मांगें स्वीकार की जाती है या नही, इससे ज्यादा फर्क नही पडेगा। इसके दो कारण है। खिलाफत एक आदर्श है और जब कोई व्यक्ति किसी आदर्शको लेकर चलता है तो उसका रास्ता दुनियाकी कोई ताकत नही रोक सकेगी। मुसलमान उस आदर्शका प्रतिनिधित्व करते है और समस्त भारतके सर्वसाधारणका समर्थन उन्हे प्राप्त है।

यह कहना गलत है कि मुसलमान सिर्फ टर्कीके लिए लड रहे है। अगर टर्की गलत रास्तेपर जाये, मान लीजिए, वह यह बेतुकी मांग रखे कि उसे फिर वही स्थिति प्रदान की जाये जो महाप्रतापी सुलेमानके[1] शासन कालमे उसे प्राप्त थी तो भारतके मुसलमान आज ही उसका साथ छोड देगे। किन्तु उसी तरह, मुसलमान महज इस कारणसे 'कुरान' के समादेशोपर आधारित कोई मांग छोड नही दे सकते कि असहाय और कमजोर टर्कीमे उसपर डटे रहनेकी सामर्थ्य नही है।

टर्कीकी लौकिक सत्ताको कायम रखनेके लिए तो हर सच्चा मुसलमान प्रयत्न करेगा ही, लेकिन इसका खयाल रखना उसका कर्त्तव्य है कि "अरब द्वीप" पर, जिसमे मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन भी शामिल है, स्पष्ट रूपसे मुसलमानोका नियन्त्रण रहे और उनपर धार्मिक प्रभुसत्ता खलीफाकी रहे, चाहे फिलहाल खलीफा कोई भी हो। अन्य शर्ते चाहे जितनी अच्छी हो, मुसलमानोको किसी तरह सन्तुष्ट नही कर सकती। इस्लामके पाक स्थानोपर किसी प्रकारका गैर-मुस्लिम प्रभाव, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, उन्हे बरदाश्त नही होगा।

इसलिए इस प्रश्नका सबसे उलझा हुआ पहलू फिलिस्तीन है। ब्रिटेनने फिलिस्तीनको फिरसे यहूदियोका घर बनानेका आन्दोलन करनेवाले यहूदीवादियो (जिऑनिस्टो) से वादे कर रखे है। स्वभावत यहूदीवादी इस स्थानसे एक पवित्र भावनासे बधे हुए है। कहते है, जबतक फिलिस्तीनपर यहूदियोका प्रभुत्व नही हो जाता तबतक वे बेघर-बार, खानाबदोश ही बने रहेगे। यहाँ मै इस मान्यतामे निहित सिद्धान्तके गुण-दोषका विवेचन नही करना चाहता। मुझे तो कुल इतना ही कहना है कि छल-कपटसे और नैतिकताके बन्धनोको तोडकर फिलिस्तीन यहूदियोके हाथोमे नही दिया जा सकता। फिलिस्तीनके सवालको लेकर तो यह लडाई नही लडी गई थी। ब्रिटिश सरकार एक भी मुसलमान सिपाहीसे यह कहनेका साहस नही कर सकती थी कि वह फिलिस्तीनको अपने मुसलमान भाइयोके नियन्त्रणसे छीनकर यहूदियोको दे देगी। फिलिस्तीन यहूदियोका

१. सुलेमान तृतीय, जिसकी तलवारकी धाक पूर्वमें फारससे लेकर पश्चिममें आस्ट्रियातक जमी हुई थी।

तीर्थस्थल है, इसलिए उनके लिए यह एक ऐसी भावनाकी चीज है जिसका आदर करना चाहिए, और अगर मुसलमान आदर्शवादी यहूदियोको उतनी ही स्वतन्त्रतासे पूजन आदि नही करने देते जितनी स्वतन्त्रतासे स्वय करते है तो यहूदियोका शिकायत करना उचित होगा।

इसलिए नैतिकता या युद्धके किसी भी नियमके अनुसार इस युद्धके परिणामस्वरूप फिलिस्तीन यहूदियोको नही सौपा जा सकता। या तो यहूदीवादियोको फिलिस्तीनके सम्बन्धमे अपने आदर्शमे परिवर्तन करना चाहिए, या अगर यहूदी धर्ममे युद्धसे किसी सवालका निर्णय करनेकी छूट हो तो उन्हे मुसलमानोके विरुद्ध 'धर्मयुद्ध' छेडना चाहिए, जिसमे उन्हे ईसाइयोका समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन आशा यही करनी चाहिए कि विश्व जनमतका जो रुख है, उसके कारण 'धर्मयुद्ध' एक असम्भव बात बन जायेगी और धार्मिक सवालो तथा मतभेदोका समाधान अधिकाधिक शान्तिपूर्ण ढगसे तथा कठोरतम नैतिक मान्यताओके आधारपर होने लगेगा। लेकिन वह शुभ दिन आये या न आये, यह बात दिनके प्रकाशके समान स्पष्ट है कि अगर खिलाफतके सवालका न्यायसम्मत निपटारा होना है तो जजीरत-उल-अरबको खलीफाकी धार्मिक प्रभुसत्ताके अधीन पूरी तरहसे मुसलमानोके नियत्रणमे ही देना होगा।[1]

[अग्रजीसे]

यग इडिया, २३-३-१९२१

२४१. सच्चे और झूठे[2]

मुझे लगता है, "दु शकाओके जो बादल घिरते आ रहे है", उन्हे तो मै दूर नही कर पाऊँगा, फिर भी पत्र-लेखकने जो मुद्दे उठाये है, उनपर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। इसमे सन्देह नही कि यह एक सार्वजनिक आन्दोलन है, फिर

१ इसके बाद फिलिस्तीनपर यहूदियोके दावे सम्बन्धी पुस्तक इजराइल जैगविल कृत **द वाइस ऑफ जेरूसलेम**की समालोचनाका एक छोटा सा अश दिया गया था ।

२ पूनासे किसीने गाधीजीको एक पत्र लिखा था, उसके उत्तरमें गाधीजीने यह टिप्पणी लिखी थी। पत्रमे कहा गया था कि "काग्रेस द्वारा पास किये गये असहयोग प्रस्तावको अब तीन महीने हो गये, लेकिन छात्र जगतने उसके प्रति पर्याप्त उत्साह नही दिखाया है उन्हें इस बातकी प्रतीति नही हो पाई है कि कालेजोके बहिष्कारसे सरकार ठप कैसे हो जायेगी वे इसे सार्वजनिक आन्दोलन मानते है, और उनका खयाल है कि असहयोग सफल तभी हो सकता है जब अधिकाश लोग इसे अपने आचरणमें उतारें । अभी तक पूनाके कालेजोके सिर्फ २०० विद्यार्थी इसमें शामिल हुए है सो भी काग्रेसके आदेशका पालन करनेके लिए, अपनी अन्तरात्माको तुष्ट करनेके लिए नही क्या असहयोग करनेवाले इन मुट्ठीभर लोगोको व्यर्थ ही कष्ट उठाते रहना चाहिए और अपना भविष्य चोपट कर लेना चाहिए? यह सोच कर बहुतसे छात्र कालेजोको वापस जा रहे है और इसपर कुछ अत्युत्साही लोग उन्हें "नैतिक दृष्टिसे कोढी" कहकर उनकी भर्त्सना कर रहे है । कृपया इन सभी मुद्दोपर प्रकाश डालें और दु शकाओके जो बादल घिरते आ रहे हैं, उन्हें दूर करें ।"

भी हर व्यक्तिसे अपेक्षा यही की जाती है कि वह, दूसरे क्या करते हैं, उसका कोई खयाल किये बिना इसमें हाथ बँटायेगा, क्योंकि यह सार्वजनिक आन्दोलन होनेके साथ ही शुद्धीकरणका भी आन्दोलन है। हम स्कूलों और अदालतोंका परित्याग इसलिए करते हैं कि उनको समर्थन और सहारा देना पाप है। उसके पीछे कोई ऐसा खयाल नहीं है कि व्यक्तिका यह कार्य सरकारको ठप कर देगा। लेकिन जब यह काम व्यक्तिके बजाय समुदाय करेगा तो उसका परिणाम सरकारके ठप हो जानेके रूपमें प्रकट होगा ही। जिन विद्यार्थियोंने अन्तरात्माकी आवाजपर नहीं, बल्कि आज कांग्रेसके आवाहनपर स्कूल छोड़े, उन्होंने गलती की और उन्हें अब अपने-अपने स्कूलोंमें लौट जाना चाहिए और अपने साथियोंके ताने बर्दाश्त करने चाहिए। लेकिन जिन लोगोंने अपने विश्वासके कारण स्कूल छोड़े हैं, उन्हें अडिग रहना चाहिए — भले ही वे मुट्ठीभर ही क्यों न हों। एक खरे सिक्केका मूल्य अवश्य होता है, उतना ही जितना कि उसपर अंकित है। लेकिन दस लाख खोटे सिक्के भी जड-भार ही होते हैं, और वे सर्वथा बेकार हैं। जब थोड़े-से सच्चे असहयोगी अपनी योग्यता सिद्ध कर देंगे तो यह आन्दोलन अपने-आप सार्वजनिक आन्दोलन बन जायेगा। इसकी भावना आज भी जनसाधारणमें व्याप्त है। किसी भी दिन सार्वजनिक तौरपर कार्रवाई की जा सकती है। मेरा खयाल है कि भारत अक्तूबर तक उसके लिए तैयार हो जायेगा। जिन्हें विश्वास है, उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि जिन विद्यार्थियोंने स्कूल-कालेज नहीं छोड़े हैं, उन्होंने कमजोरीके कारण ही ऐसा किया है। उसका कारण कुछ यह नहीं है कि वे उन स्कूलोंको त्याग देना गलत मानते हैं, जिनका संचालन एक ऐसी सरकारकी छत्रछायामें हो रहा है जिसे वे खुशी-खुशी ध्वस्त कर देना चाहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३–३–१९२१

२४२. भाषण: कटकमें

२३ मार्च, १९२१

श्री गांधीने मौलाना शौकत अलीकी अनुपस्थितिके लिए क्षमायाचना करनेके बाद, लोगोंसे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी अपील की और कहा कि वे उसे स्वराज्यकी पहली शर्त मानते हैं। उन्होंने उड़िया-भाषी क्षेत्रोंके विभिन्न राज्योंमें बिखरे होनेका उल्लेख किया और एक पृथक् उत्कल प्रान्त बनानेकी आवश्यकतापर जोर दिया; साथ ही वहाँ बार-बार आनेवाले अकालोंकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब हमें स्वराज्य मिल जायेगा तो ये समस्याएँ आसानीसे हल की जा सकेंगी। यदि हम कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वित करें तो ७ महीनेमें आसानीसे स्वराज्य ले सकते हैं। उन्होंने उड़ीसाके लोगोंसे अनुरोध किया कि वे अपने गाँवोंका संगठन करें, ३० जून

तक कांग्रेसके ३ लाख सदस्य बनायें, एक लाख चरखे लोगोको दें और ३ लाख रुपये इकट्ठा करें। उडीसा इतना कर ले, तो भारतको स्वराज्य दिलानेमें उसका अपना हिस्सा पूरा हो जायेगा। उन्होने श्रोताओसे अपील की कि वे आचार, व्यवहार और स्वभावमें सयम और आत्म-अनुशासन रखें। उन्होने कहा कि जो लोग आत्म-बलिदानके लिए तैयार हैं वे ईश्वरके सिवा किसी मनुष्यसे भय नहीं कर सकते। स्वराज्य हमारा लक्ष्य है और वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए राजनैतिक राक्षसका वध करना है। चूंकि हमारे पास तलवार नहीं है, और यदि होती भी तो वह हमारे लिए कामकी न होती, इसलिए असहयोगके मामलेमें हमारा मुख्य सिद्धान्त अहिंसाका होना चाहिए। उन्होने उडीसाकी अवनत दशाका उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि उडीसामें अग्रेजी जाननेवाले लोग अपेक्षाकृत पिछडे हुए हैं, किन्तु जनसाधारण कदापि पिछडे हुए नही हैं, जनसाधारण आगे बढ़े हुए हैं। मैं उडीसाके अकाल-पीडित लोगोसे भी, जो-कुछ पैसा-पाई मिलेगा इकट्ठा करनेका प्रयत्न करूँगा। उडिया लोगोको अपना समय प्रायश्चित्त करनेमें लगाना चाहिए। अन्तमें, श्री गाधीने लोकमान्य तिलक स्मारक-कोषके लिए धनकी अपील की और कहा कि उडिया लोगोको, जो गजाम, कटाई, सिंहभूम और मध्यप्रान्तके उडियाभाषी क्षेत्रकी माँग करते हैं, अपने प्रदेशका सगठन करके और धन इकट्ठा करके यह दिखाना होगा कि वे अन्य प्रान्तोके साथ मिलकर उडीसाके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेमें और अपने प्रान्तका शासन चलानेमें समर्थ हैं।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३१-३-१९२१

२४३. भाषण: कटकमें मारवाड़ियों और गुजरातियोंकी सभामें

२३ मार्च, १९२१

[गाधीजीने] उसी दिन शामके आठ बजे मारवाडियो और गुजरातियोकी सभामें भाषण दिया और चन्देकी अपील की। उन्होने आगे कहा, चूंकि आप लोग उडीसामें ही व्यापार करते हैं और उडिया लोगोसे काफी मुनाफा कमाते हैं इसलिए आपको चन्दा इकट्ठा करनेमें हमारी सहायता करनी चाहिए। उन्होने प्रान्तोके बीच पारस्परिक सहानुभूति और सद्भावनाकी आवश्यकतापर जोर दिया और श्रोताओसे विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार करने तथा अपने ग्राहकोके जरिये चरखेको और भी लोकप्रिय बनानेका अनुरोध किया। उन्होने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दूसरे शहरोमें रहनेवाले अपने जाति भाइयोका अनुकरण करें और उनकी तरह अपने अधिवासके प्रान्तके कोषमें खुले हाथों चन्दा दें।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३१-३-१९२१

२४४. भाषण : कटकमें मुसलमानोंकी सभामें

२४ मार्च, १९२१

महात्माजीने मुसलमानोंकी एक सभामें भाषण देते हुए खिलाफत सम्बन्धी अन्यायोंका वर्णन किया और बताया कि उनका प्रतिकार किस प्रकार हो सकता है। उन्होंने कहा, आप लोगोंको हिन्दुओंके साथ मिलजुलकर, सद्भावसे रहना चाहिए। गो-हत्याके सवालपर मैं मुसलमानोंसे सौदा नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि इस्लाम, हिन्दू धर्म और भारतके सम्मानपर आँच न आने पाये। मेरा आपसे अनुरोध है कि जबतक खिलाफतका प्रश्न सन्तोषजनक रूपसे हल नहीं हो जाता, आप चैनसे न बैठें।

खिलाफत-शिष्टमण्डल और छोटानीके[1] कार्यका उल्लेख करते हुए, उन्होंने मुसलमानोंको विश्वास दिलाया कि जबतक खिलाफतका प्रश्न अन्तिम रूपसे हल नहीं हो जाता, हिन्दू लोग उनके मित्र और भाईके नाते अपना कर्त्तव्य निबाहेंगे। उन्होंने कहा : "मैं स्वयं इसके लिए जानतक देनेको तैयार हूँ।" उन्होंने लोगोंसे सभा-स्थलपर ही चन्दा देनेका अनुरोध किया।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३१-३-१९२१

२४५. भाषण : कटककी सार्वजनिक सभामें

२४ मार्च, १९२१

शामको गांधीजीने एक अन्य विशाल सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। विद्यार्थियों और वकीलोंके बैठनेके लिए मंचकी दाहिनी ओर अलग प्रबन्ध किया गया था। पहले उन्होंने हिन्दुस्तानी और उड़िया सीखनेकी आवश्यकता समझाई। अंग्रेजी साहित्यके अध्ययनके प्रति उन्होंने लोगोंको निरुत्साहित नहीं किया। उन्होंने विद्यार्थियोंसे अपील की कि वे शिक्षाकी दूषित प्रणाली और सरकारके उस कुप्रभावसे अलग रहें जो उनका नैतिक बल तोड़नेवाला सिद्ध होता है। उन्होंने विद्यार्थियोंसे प्रतिदिन आठ घंटे चरखा चलाने और इस तरह स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयासमें अपना योग देनेको कहा। इसके बाद उन्होंने श्रोताओंसे प्रश्न करनेको कहा।

१ मियाँ छोटानी।

प्र० — यदि असहयोग आन्दोलन असफल हो जाता है तो हमें क्या करना होगा?

उ० — यदि आप अपनी पढाई छोड देते है तो इसके असफल होनेपर भी इतना तो माना ही जायेगा कि आपने पाप और शैतानके सम्पर्कसे दूर रहकर अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया।

यदि मै अपनी पढाई छोड दूं तो देशी रियासतोमें मेरे पिताकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी। तो क्या मै उन्हे विपत्तिमें डाल दूं और उनकी आज्ञाका पालन न करूँ?

जब रामचन्द्र १४ वर्षके लिए प्रसन्नतासे वन गये थे, तब उन्होने अपने कर्त्तव्यका ही पालन किया था। उन्होने दशरथकी चिन्ताओंकी परवाह नही की। मेरी समझमें यह बात नहीं आती कि कोई देशी राजा पुत्रके आचरणके कारण पिताकी सम्पत्तिको कैसे जब्त कर सकता है। यदि इस प्रकार सम्पति जब्त कर भी ली जाये तो लडकेको यह खतरा अपने सिर लेना ही चाहिए। देशी रियासतोके ऐसे निरकुशतापूर्ण नियम केवल स्वराज्य पानेपर ही खत्म होगे।

डाक्टरी पढ़नेवालोके लिए आप क्या कहते है?

हम भारतमाताके स्वास्थ्यकी औषधि तैयार कर रहे हैं। गरीबीसे पीडित तीस करोड लोगोको इस औषधिकी जरूरत है।

अग्रेजी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय जीवनकी तहमें पैठ चुकी है, इससे विभिन्न समुदायोके भारतीयोमें एकता आई है और वह छुआछूत भी समाप्त कर सकती है। फिर भी क्या यह एक खालिस बुराई ही है? क्या तिलक, राममोहनराय, और आप अग्रेजी शिक्षाकी ही देन नहीं है?[1]

बहुत-से लोग ऐसे विचार व्यक्त करते है। अपने देशभाइयो और अग्रेजोके दुराग्रह-पूर्ण अज्ञान और पूर्वग्रहपर विजय हासिल करके हमे स्वराज्यका मोर्चा जीतना होगा। यह शिक्षा-प्रणाली एक खालिस बुराई है। मै उस प्रणालीको नष्ट करनेके लिए अपनी ताकत लगा रहा हूँ। मै यह नही कहता कि हमे अभीतक इस प्रणालीसे कोई भी लाभ नही मिला। लेकिन हमे अबतक जो लाभ मिले है वे उस प्रणालीके कारण नहीं, उसके बावजूद मिले है। मान लीजिए कि अग्रेज यहाँ न होते, तो उस हालतमे भी भारत ससारके अन्य भागोके साथ-साथ आगे बढता और यदि यहाँ मुगल शासन बना रहता तो भी अनेक व्यक्ति अग्रेजी भाषा और साहित्यका अध्ययन अवश्य करते। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली एक ओर तो हमे अग्रेजी साहित्यका विवेकसम्मत उपयोग नही करने देती और दूसरी ओर हमे गुलाम बनाती है। मेरे मित्रने मेरा, तिलक और राममोहन रायका उदाहरण दिया है। मेरी बात छोडिए, मै एक अदना-सा दयनीय आदमी हूँ।

तिलक और राममोहन रायको यदि अग्रेजी शिक्षा की छूत न लगी होती, तो वे कही अधिक महान् व्यक्ति होते (तालियाँ)। मै तालियोसे आपकी दिखावटी सहमति नही चाहता, मै आपके विवेक और तर्कका समर्थन चाहता हूँ। मै अग्रेजी शिक्षासे घृणा नही

१ इस प्रश्नका उत्तर, १३-४-१९२१ के **यग इंडिया**से लिया गया है।

करता; मैं उसकी अन्धपूजा का विरोधी हूँ। जब मैं सरकारको नष्ट करना चाहता हूँ, तब मेरा मशा अग्रेजी भाषा नष्ट करनेका नही होता, बल्कि यह होता है कि अग्रेजीको हम एक भारतीय राष्ट्रवादीकी तरह पढे। रामगोहन और तिलक (मेरी बात छोडिए) चैतन्य, शकर, कबीर तथा नानकके सामने कुछ भी नही है। इन सन्तोकी तुलनामें इनका जनतापर कोई प्रभाव नही था। अकेले शकरने जो कुछ कर दिखाया वह अग्रेजी जाननेवालोकी सारी फौज भी नही कर सकती। मैं ऐसे और भी बहुतसे उदाहरण दे सकता हूँ। क्या गुरु गोविन्द अग्रेजी शिक्षाकी देन थे? है कोई ऐसा अग्रेजी जाननेवाला भारतीय जो गुरु नानकका मुकाबला कर सकता हो, जिन्होने एक ऐसे सम्प्रदायका प्रवर्तन किया जिसके शौर्य और त्यागकी मिसाल नही मिलती? क्या राममोहन रायने दलीप सिंह-जैसा एक भी शहीद पैदा किया है? मैं तिलक और राममोहनका बडा सम्मान करता हूँ। मेरा विश्वास है कि यदि राममोहन और तिलक यह शिक्षा न प्राप्त करते और उन्हे स्वाभाविक प्रशिक्षण मिलता तो वे चैतन्यके समान और अधिक बडे काम करते। यदि उन महामानवोकी परम्पराको फिरसे जीवित करना है तो, ऐसा अग्रेजी शिक्षासे नही किया जा सकता। मैं ही जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी और सस्कृत न सीखकर मैं कितनी निधियोसे वचित रह गया हूँ। मेरा कहना यह है कि शिक्षाका मूल्याकन आप उसकी सच्ची क्षमता और उसकी गरिमाके आधारपर करे। अग्रेजी शिक्षाने हमे नपुसक बना दिया है, हमारी प्रज्ञा कुठित कर दी है। जिस तरह यह शिक्षा दी जाती है, उसके कारण हम कमजोर और कायर बन गये है। हम स्वतन्त्रताकी धूप तो सेकना चाहते है परन्तु दास बनानेवाली यह पद्धति हमारे राष्ट्रको नपुसक बनाये डाल रही है। अग्रेजोसे पहलेका समय गुलामीका समय नही था। मुगल शासनमें हमे एक तरहका स्वराज्य प्राप्त था। अकबरके समयमे प्रतापका पैदा होना सम्भव था और औरगजेबके समयमे शिवाजी फल-फूल सकते थे। १५० वर्षोके ब्रिटिश शासनने क्या एक भी प्रताप और शिवाजीको जन्म दिया है? कुछ सामती देशी राजा जरूर है पर वे सबके-सब राजनीतिक अग्रेज कारिन्देके सामने घुटने टेकते है और अपनी दासता स्वीकार करते है। जब मैं नवयुवकोको देशी राजाओके खिलाफ शिकायत करते हुए पाता हूँ तब मुझे उनसे सहानुभूति होती है। वे दुहरी परेशानी भोग रहे है। देशी राजाओंके अत्याचारोंके लिए मै दोष उन्हे नही, बल्कि ब्रिटिश विजेताओको देता हूँ। वे लोगोको गुलाम बनाकर रखनेवाली प्रणालीके शिकार है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि इस पिशाची सरकारके पजेसे छूटिए। यदि आपको द्वार-द्वार भीख माँगनी पडे तो उसकी भी परवाह न कीजिए। गुलामीमे रहनेसे भीख माँगते हुए मरना बेहतर है। हमे इस योग्य होना चाहिए कि हम शासन सँभाल सके। आज देशका शासन कौन सँभाल रहा है? अग्रेज? नही। इसे वे भारतीय ही सँभाल रहे है, जिन्होने गुलामी स्वीकार कर रखी है। यदि अग्रेज इसी समय इस देशको छोडकर चले जाये तो मै जरा भी दुखी नही होऊँगा। मै उनसे कहता हूँ कि वे सेवको, बराबरीके व्यक्तियो और दोस्तोकी हैसियतसे हमारी मदद करे। मै अपनी सहमतिसे उन्हे अपने ऊपर राज्य नही करने दूँगा। वे चाहे तो हवाई सेना, स्थल सेना, नौसेनाका उपयोग कर सकते है, किन्तु हमारी सहमतिसे

वे हमपर राज नहीं कर सकते। भले ही भारत डाकुओंसे आक्रान्त रहे, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञाको रखवालें। आप अपने कर्त्तव्यका पालन करें। भारतके स्वतन्त्र नागरिककी तरह मरनेसे बेहतर और क्या हो सकता है? यह एक शैतानी प्रणाली है। मैंने इस प्रणालीको नष्ट करनेके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३१–३–१९२१

यंग इंडिया, १३–४–१९२१

२४६. टिप्पणियाँ

कांग्रेस-संविधान

मुझे अपनी यात्राके दौरान प्राप्त हुए अनुभवोंसे ऐसा लगता है कि यदि हम कांग्रेसके संविधानके अनुसार प्रत्येक गाँवमें कांग्रेस-समितिकी स्थापना कर सकें और कांग्रेसकी सत्ताको प्रतिष्ठापित कर सकें तो इसीसे हम लगभग स्वराज्य प्राप्त करनेकी स्थितिमें पहुँच जायें। यह काम किसीको मुश्किल नहीं लगेगा। और यदि हम इसे मुश्किल मानें तो फिर हमें इस एक वर्षमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जहाँ-जहाँ लोगोंमें जागृति आ गई है और उनमें से कुछ ईमानदारीके साथ कामका नेतृत्व करने लग गये हैं, वहाँ यह हो भी रहा है। कहते हैं कि जबलपुरमें एक ही जिलेमें ५०,००० लोगोंने अपने नाम दर्ज करवाये हैं। वहाँ किसी-किसी गाँवमें तो लगभग ९० प्रतिशत स्त्री-पुरुषोंने कांग्रेसकी बहियोंमें अपने नाम दर्ज करवा डाले हैं। जबलपुर जिलेमें यह कार्य करनेवाले वकील नहीं हैं, दो मालदार जमींदारोंके युवा पुत्र हैं। वे अपना धन और समय, दोनों ही लोगोंको अर्पित कर रहे हैं। वकील वर्गका अधिकांश भाग तो इस प्रवृत्तिसे अलग ही रहा है। जहाँ लोग झूठी प्रतिष्ठाको अपने ध्यानमें रखकर वकील अथवा पुराने कार्यकर्त्ताओंका दामन पकड़े हुए हैं और उन्हें छोड़कर जिनमें अपने कामको आगे बढ़ानेकी हिम्मत नहीं है वहाँ कार्यकी गति अवरुद्ध हो गई है। गुजरातमें २८ फरवरीको कांग्रेसके २५,००० सदस्योंके नाम दर्ज हुए। यह संख्या कोई अधिक नहीं कही जा सकती। जैसे जूनसे पहले-पहले हमें सारे भारतवर्षसे एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहिए वैसे ही जून माससे पहले-पहले हमें कांग्रेसके एक करोड़ सदस्य भी बना लेने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अभी सवा करोड़ रुपया इकट्ठा करना है और एक करोड़ सदस्योंके नाम आदि दर्ज करनेकी व्यवस्था करनी है। गुजरातकी सारी आबादी ९६ लाख है। तीस करोड़में एक करोड़के अनुपात-से हमें गुजरातमें जून माससे पहले तीन लाख सदस्य बना लेने चाहिए और प्रान्तीय समितिके तिलक-स्वराज्य कोषके अतिरिक्त तीन लाख सदस्योंसे शुल्कके रूपमें ७५ हजार रुपया भी प्राप्त कर सकना चाहिए। यदि सदस्य बनानेका यह कार्य व्यवस्थित रूपसे हो, लाभ तभी होगा। प्रत्येक सदस्यका पूरा नाम, धन्धा, ठिकाना और उम्र

हमारे पास होना चाहिए। प्रत्येक सदस्यको कांग्रेसके संविधानकी सामान्य जानकारी दी जानी चाहिए और उसे असहयोगके मुख्य सिद्धान्तोंसे परिचित कराया जाना चाहिए। इस कार्यकी देखभालके लिए एक कार्यकर्त्ताकी नियुक्ति सावधानीसे की जानी चाहिए। वह देखे कि प्रत्येक स्थानपर काम किस तरह चल रहा है। प्रत्येक जिलेकी ओरसे हर सप्ताह ब्यौरेवार और अविकृत रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। ऐसे कार्योंके लिए कितने ही व्यक्तियोंको स्वराज्यके निमित्त चौबीस घंटे कार्य करना होगा। इतना ही नहीं इनके हरेक कार्यमें ज्ञान, विवेक और सचाई चाहिए। अभी मैं हर जगह द्वेष, दम्भ, मोह और अधिकार-लोभ आदिके दर्शन कर रहा हूँ। जब इनका ध्यान आता है तब मेरी श्रद्धा लड़खड़ाने लगती है, लेकिन जब समग्र जनजागृति और आत्मशुद्धिका विचार मुझे आता है तब मेरी श्रद्धा लौट आती है। तिसपर भी हमें सूक्ष्मसे-सूक्ष्म तत्त्वोंपर ध्यान रखना सीखना चाहिए। अंग्रेजी कहावत है कि जो पैसेका ध्यान रखता है उसे रुपये-के हिसाबकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती। बूँद-बूँदसे सरोवर भरता है।

चरखा और खादी

जबलपुरमें मैंने इन तरुण जमींदारोंको उपर्युक्त काम करते हुए देखा है। उन्होंने यही नहीं, स्वदेशीके कामको भी बहुत सँभाल रखा है। वे गाँव-गाँव चरखेका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रुई खरीद ली है और उसकी पूनियाँ तैयार करवा कर लोगोंमें बाँट दी हैं। जहाँ छः मास पहले एक भी चरखा नहीं चलता था वहाँ आज सैकड़ों चरखे चल रहे हैं और खादी तैयार हो रही है। इस परिवारके दोनों भाई खादी पहनते हैं और दोनों भाई अपने वस्त्रोंके लिए सूत भी स्वयं ही कातते हैं।

मद्यपान निषेध

मद्य-निषेधका काम खूब चल रहा है। किसी-किसी स्थानपर शराबका ठेका लेनेवाला ही कोई व्यक्ति नहीं मिला। यदि हम हिम्मत करके शराब बन्द कर सकें तो हिन्दुस्तानके गरीब घरोंका सत्रह करोड़ रुपया इसपर व्यर्थ न जाये। सरकारको फिलहाल जो सत्रह करोड़ रुपयेकी आय होती है, वह हमारे घरोंमें से ही जाता है।

बहनोंसे निवेदन

यदि गुजरातकी बहनें इस कार्यको अपने हाथमें ले लें तो हम जून महीनेसे पहले ही कमसे-कम गुजरातमें शराबको जड़मूलसे निकाल सकते हैं। प्रत्येक जिलेमें जहाँ-जहाँ शराबकी दुकानें हैं उन्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। पहुँचनेपर पहले उनके मालिकोंसे और अगर वे न मानें तो शराब पीनेवालोंसे अनुरोध करना चाहिए। बहनें कड़े शब्दोंका व्यवहार बिलकुल न करें। "आप हमारे भाईके समान हैं और हमारे भाई शराब कदापि नहीं पी सकते, इसलिए आप भगवानके नामपर शराब पीना छोड़ दें।" मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना ही कहें। मुझे विश्वास है कि अनेक शराब पीनेवाले तो शरमिन्दा होकर लौट जायेंगे, कदाचित् नहीं भी जायें। हो सकता है वे मर्यादा न रखें और बहनोंको गालियाँ भी दें। किन्तु फिर भी बहनोंसे मेरा निवेदन है कि वे भारतवर्षके लिए गालियाँ भी सह लें। शहरकी किसी भी

वहनने यदि पहल की तो अन्य वहनें भी इस कार्यको हाथ में ले लेगी, ऐसी मेरी दृढ मान्यता है।

लेकिन शिक्षाका क्या होगा?

लेकिन कुछ लोग कहते है कि अगर सत्रह करोड रुपयेकी इस आयपर पानी फिर जाये तो हमारी शिक्षाके लिए रुपया कहाँसे आयेगा। यह सरकारका कहना है और हम भी विना विचारे इसे मान लेते है। क्या शरावकी कमाईसे ही हमारी पढाई होती है? यदि यह बात सच हो तो मै यही कहूँगा कि ऐसी स्थितिमे सरकारी शिक्षाका त्याग करनेके लिए हमारे पास दो कारण हो जाते है। एक कारण तो सरकारकी सामान्य राक्षसी नीति और दूसरा पापकी कमाईसे मिलनेवाली शिक्षा। क्या हम अपने वच्चोको शराव व अफीमकी आयसे पढाकर पवित्र शिक्षा दे सकेगे? हमे जैसा धन मिलेगा वैसा ही उसका फल भी होगा। शरावकी दूकानवाले हमारे वच्चोको शिक्षा देगे तो क्या हम किसी भी दिन उनकी दुकानोको वन्द करवा सकेगे?

सरकार किसलिए शरावसे होनेवाली आयको शिक्षाके खातेमें जमा करती है? जमीनके लगानको शिक्षा खातेके लिए जमा क्यो नही करती? शरावकी कमाईको वह सैनिक खातेमे जमा करे ताकि उसके वन्द होनेपर सैन्य शक्ति उतनी ही कम हो जाये। स्वराज्य मिलनेपर हम सेनापर करोडो रुपये खर्च करनेवाले नही है। इसपर होनेवाले खर्चमे से सत्रह करोड रुपया आसानीसे वचाया जा सकता है। इसलिये शराव और अफीमसे होनेवाली आयके खतम होनेपर हम भयभीत हो ही नही सकते।

शिक्षाके साधन

स्वराज्यके अन्तर्गत जो शिक्षा दी जायेगी उसका साधन न तो शरावसे होनेवाली आय होगा, न ही जमीनका लगान। उसका साधन तो सुन्दर चरखा है। यदि प्रत्येक स्कूलमे चरखो और करघोकी स्थापना हो जाये तो शिक्षाका खर्च किसीके सिरपर न पडे। और आज तो हम विद्यार्थियोका सारा समय चरखेको ही देना चाहते है। स्वराज्य मिलनेके वाद भी विद्यार्थी इस कार्यके लिए कमसे-कम एक घटा तो देंगे ही। जब स्वराज्यका असर प्रत्येक विभागपर होगा तभी वह सच्चा स्वराज्य कहलायेगा। आजकी शिक्षा, गुलामोको शिक्षित करनेके लिए, नौकर वनानेके लिए दी जाती है। स्वराज्यकी शिक्षा वालकोको आरम्भसे ही स्वावलम्वी वननेके लिए दी जानी चाहिए, फलत उन्हे कातना और वुनना अवश्यमेव सिखाना चाहिए। इसके उपरान्त वे कोई और धन्धा सीखना चाहे तो भले ही सीखे। लेकिन कातना और वुनना अनिवार्य होना चाहिए। चरखा "दु खियोका विश्रामस्थान और गरीवोकी जीवन डोर है", उसमे जो वरकत है वह अन्य किसी धन्धेमें नही है क्योकि खेतीके वाद एक पूरक धन्धेके रूपमे चरखेकी ही प्रवृत्ति व्यापक हो सकती है। सव कोई वढई नही होते, न लुहार होते है लेकिन सवको कातना तो अवश्य आना चाहिए और सवको राष्ट्रके लिए अथवा अपनी आजीविकामे कुछ वृद्धि करनेके लिए कातना चाहिए। सवको अन्न-वस्त्रकी जरूरत होती है इसीसे चरखा एक व्यापक प्रवृत्तिके

रूपमे चल सकता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षाकी आज ही से उपर्युक्त ढगसे रचना की जानी चाहिए; नही तो स्वराज्य मिलनेपर हममें परस्पर सबसे पहले झगडा इसी बातको लेकर होगा। कुछ लोग कहेगे कि शिक्षाके अन्तर्गत शिल्प नही सिखाया जाना चाहिए। इसलिए हमे आजसे ही शिल्पको शिक्षाका एक अग बना देना चाहिए, जिससे जनमत इतना प्रशिक्षित हो जाये कि बादमें वाद-विवाद करनेकी गुजाइश ही न रहे।

कर्मयुगका आरम्भ

वादयुग अब बीत गया है, यह बात मुझे सर्वत्र दिखलाई पडती है। अभी हममें व्याख्यान सुननेका मोह है, बोलनेवालोको बोलनेका मोह है तथापि लोग समझ गये है कि अब काम करनेकी आवश्यकता है, बोलकर स्वराज्य नही प्राप्त किया जा सकता। इस कर्मयुगका लाभ अगर काम करनेवाले लोग नही लेगे तो प्राप्त अवसरको खो बैठेगे। सरकारने हमारा मुंह बन्द करना शुरू कर दिया है। क्यो न हम अपना मुंह स्वय ही बन्द कर ले? हमे बोलकर क्या करना है? सरकारकी बदगोई करनेमें रस लेनेकी अपेक्षा जो राज्यनीति पापमय हो गई है उसका नाश करनेके साधनोको ढूंढ निकालनेके लिए चौबीस घटे प्रत्यक्ष काममे जुट जायें, क्या यह बात सबसे अधिक आनन्ददायक नही है? सरकार कैसी है, क्या यह बात अभी सिद्ध करनी बाकी है?

अतएव मेरी प्रत्येक वक्ताको खास सलाह है कि वह बोलना बन्द करके सिर्फ कामसे ही ताल्लुक रखे और अगर उससे बोले बिना न रहा जा सके तो वह लोगोकी मन्दगति, स्वार्थ और लोभके कारण निन्दा करे अथवा जहाँ उनमे शौर्य और स्वार्थत्याग दिखे वहाँ उसकी प्रशसा करे तथा उन्हे और अधिक काम करनेके लिए प्रेरित करे। हम ऐसी स्थितिको लानेकी चेष्टामे है जब सरकार उसकी निन्दा करनेके अपराधमे हमे, सजा नही दे सकेगी बल्कि चरखा चलानेको अपराध मानेगी, दारू न पीनेको गुनाह मानेगी। वस्तुत देखा जाये तो फिलहाल जिस प्रवृत्तिके लिए धरपकड हो रही है वह प्रवृत्ति मद्य-निषेधकी है। हम शराब न पिये और न विदेशी वस्त्र पहने, यह बात सरकारको कदापि पुसा नही सकती। सरकारको हमारे बोलनेका नही, हमारे बोलनेका जनतापर जो असर हो रहा है, उसका भय है। चरखा चलानेके अपराधके लिए, शराब न पीनेके गुनाहमे जब हम गिरफ्तार होने लगेगे उस दिन हमारी पूरी विजय होगी, ऐसा समझना चाहिए। सरकारको हम शराबका त्याग और चरखेको स्वीकार करनेकी बातके अलावा गिरफ्तार करनेका दूसरा कोई भी बहाना नही देनेवाले है। इस काममे हम जितनी तत्परता बरतेगे उतनी जल्दी हमे स्वराज्य मिलेगा।

सफेद टोपीपर प्रतिबन्ध

मैंने सुना है कि किसी-किसी स्थानपर ऐसा आदेश जारी किया गया है कि सरकारी नौकर सफेद टोपी पहनकर दफ्तरोमे न आये। ऐसा अपराध तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रावण-राज्यमे अगर कोई विष्णुकी तसवीरको अपने घरमे रखता था तो वह अपराधी माना जाता था। इस आधुनिक रावण-राज्यमे सफेद टोपी

पहनने, अदालतोमें न जाने, विदेशी कपडा न पहनने और चरखा चलानेकी वातको गुनाह माना जाये तो इसमे आश्चर्यकी कोई वात नही। जव हम सव इन अपराधोको करने लगेगे तभी स्वराज्य होगा या यह राज्य अपनी पद्धतिको वदलेगा। क्योकि अगर हम सत्यपर दृढ हो जायें तो तीनमे से एक ही वात हो सकती है (१) सरकार राज्यनीतिमे परिवर्तन कर लोकमतका अनुसरण करे (२) राज्यनीतिको न वदलकर जन-मतको अपराध मानकर असख्य व्यक्तियोको जेल भेजनेका व्यर्थ प्रयत्न करे अथवा (३) उससे लोकनीति सहन न हो सके और वह लोगोका दमन भी न कर सके तो हिन्दुस्तानको छोड दे।

यह तीनो स्थितियाँ हमारे लिए अभीष्ट है। चौथी वस्तु मेरी कल्पनासे परे है। और वह यह कि मुट्ठी-भर नेताओंके पकडे जानेपर लोग अपनी धर्मनीतिका त्यागकर जिस सरकारकी नीतिकी वे आज भर्त्सना करते है, उसके अधीन हो जायें। मुझे उम्मीद है कि वह समय अव लद गया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७–३–१९२१

२४७. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको

पुरी
२८ मार्च, [१९२१][1]

प्रिय चार्ली,

अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला। आशा है अव तुम्हारी तवीयत पहलेसे अच्छी होगी। तुम्हे इतनी जल्दी-जल्दी वीमार नहीं पडना चाहिए। कैलेनवैक[2] मुझे वताया करते थे कि किसी जर्मन सिपाहीके पैरोमें छाले आदि पड जानेको अपराध माना जाता है, तव ईश्वरके एक सिपाहीके लिए वीमार पडना क्या अपराध नही है? काश! तुम मेरी इस वातसे सहमत होते कि नियम ऐसा ही हे। मुझे याद है मेरे वीमार पडनेपर तुमने क्या कहा था। मैंने तो एकदम मान लिया था कि अवश्य ही मैंने नियमका कोई उल्लघन किया होगा।

इससे गुरुदेवकी वात याद आई। मेरी वीमारी मेरे [रगरूट] भरती[3] आन्दोलनकी उचित सजा थी, यह वात मै निसकोच मान भी लूँ, तो भी 'ट्रिव्यून'में उद्धृत गुरुदेवके पत्र — जिसे एक मित्रने 'यग इडिया'में जवाव देनेके लिए मेरे पास भेजा है — से निकलनेवाली अन्य वातोसे मै सहमत नही हो सकता। मैंने उसे एक वार सरसरी तौरपर पढा है, और मेरे मनमें यही विचार आया कि असहयोगके सहज सौन्दर्य और कर्त्तव्यको वे नही समझ पाये है।

१ लिफाफेपर लगी डाककी मुहरसे।
२ हरमान कैलेनवैक, जर्मन वास्तुकार। दक्षिण आफ्रिकामें गान्धीजीके सहयोगी।
३. प्रथम विश्व-युद्धमें मित्र-राष्ट्रोंकी सहायताके लिए, १९१८ के शुरूमें।

फीजीके एक निवासीसे मुझे हाल ही में वहाँ गये हुए लोगोंके बारेमें पता चला। दक्षिण आफ्रिकी आयोगके सुझाव भी मैंने पढ़ लिये हैं। जबतक भारतमें आमूल सुधार नहीं होते, तबतक हम कहीं भी किसी भी अच्छे परिणामकी आशा नहीं कर सकते। सरकारी अधिकारियों द्वारा शराबबन्दीके आन्दोलनका विरोध देखकर मुझे अत्यधिक क्लेश होता है। मुझे इस सबके पीछे धोखा और छल-कपटके सिवा कुछ नजर नहीं आता।

सिखोंसे सम्बन्धित पत्र और उसपर तुम्हारी आपत्तिका मैंने जो जवाब दिया है, उसे क्या तुमने देखा है? मुझे लगता है कि उस पत्रमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। परन्तु तुम्हारी आगाहीके कारण मैं क्षमा करनेकी बात और भी जोर देकर कह सका।

क्या ही अच्छा होता कि तुम कल उस समय मेरे पास होते जब मैं पुरी जिलेके अकाल-पीड़ित लोगोंसे मिला था। कैसा हृदय-विदारक दृश्य था। पर मुझे इसमें सन्देह नहीं कि उनके इस महान् कष्टको सिर्फ चरखा ही दूर कर सकता है।

तुम्हारा,
मोहन

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज
शान्तिनिकेतन,
बोलपुर, ई० इ० रेलवे

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६०८)की फोटो-नकलसे।

२४८. भाषण: बरहामपुरमें[1]

२९ मार्च, १९२१

गांधीजीने कहा: मैं अंग्रेजीमें लिखा मानपत्र स्वीकार करना नहीं चाहता क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनयिक सम्बन्धोंका माध्यम होनेके अलावा अंग्रेजीका हमारे राष्ट्रीय जीवनमें कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सूरत, नडियाद और अहमदाबादकी नगरपालिकाओंको आदर्श नगरपालिकाएँ बताया और कहा कि सुसचालित नगरपालिकाओंको ही स्वराज्यके बीज बोने हैं, उनका पोषण करना है। सरकारी सहायता और नियन्त्रणको अस्वीकार करना ही काफी नहीं है। चरखा और हिन्दुस्तानी अपनाये बिना शिक्षाको पूरी तरह राष्ट्रीय रूप नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा हमें गोखलेकी श्रेष्ठ परम्पराओंका अनुकरण करना चाहिए। गोखलेका सर्वोत्तम कार्य यह था कि उन्होंने देशकी राजनीतिमें धार्मिकता दाखिल करनेका प्रयत्न किया। हम भी अब राष्ट्रीय जीवनके सभी पहलुओंमें उसी धार्मिक भावनाको लानेका प्रयत्न कर रहे हैं।

१ यह भाषण बरहामपुर नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें दिया गया था।

उन्होने गोखलेके कठोर परिश्रमका उल्लेख करते हुए कहा. गोखले स्वभावसे मितव्ययी थे और वे राष्ट्रके हर क्षणका सदुपयोग करना चाहते थे। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि बरहामपुर नगरपालिका प्रगति करे। मुझे आशा है कि वह राष्ट्रके उत्थानमें पूरा योग देगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-४-१९२१

२४९. भाषण: बरहामपुरकी सार्वजनिक सभामें

२९ मार्च, १९२१

गांधीजीने इस बातपर पुन. खेद प्रकट किया कि मद्रासी लोग हिन्दुस्तानी नहीं समझ पाते, जिसका प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करना उनके विचारसे, कठिन नहीं होना चाहिए। उन्होने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब हिन्दीको सुशिक्षित वर्गो तक ही सीमित न रहकर आम लोगोमें भी फैलना चाहिए। उन्होने आन्ध्र और उडिया लोगोके बीच बरहामपुर जिलेकी समस्याका उल्लेख किया और कहा कि यह समस्या राजनयिकोको शोभा देनेवाली उदारता और भारतीय ढगसे हल की जानी चाहिए।[1] उन्होने जोर देकर कहा कि इस समस्यामें आम लोगोकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यद्यपि मै भाषाके आधारपर प्रान्तोके विभाजन और उनके विकासके पक्षमे हूँ, तथापि इससे यदि राष्ट्रकी प्रगतिमें रुकावट पडे तो निश्चित रूपसे मै इसका विरोधी हूँ। स्वतन्त्रताका युद्ध पृथ्वीपर सबसे बलवान लोगोके साथ कानूनी समानताका दर्जा पानेका युद्ध है। स्वराज्य प्राप्त करनेमें जो कठिनाइयाँ है, उन्हे मै अच्छी तरह जानता हूँ, परन्तु मेरा खयाल है कि हम जिस परीक्षासे गुजर रहे है, उसके चन्द बचे हुए महीनोमें हममें आत्मविश्वासका अभाव दूर हो जायेगा। मुझमें भारतके लिए प्राण देनेकी सामर्थ्य होनी चाहिए, मुझे उसके अपमानका साक्षी बनकर नहीं जीना चाहिए। उन्होने लोगोको समझाया कि अगर हम अपने लिए नही, बल्कि देशके विचारसे तत्काल अपना-अपना घर-बार दुरुस्त कर ले और जिलेके बँटवारे-जैसी समस्याएँ सुलझा ले, तो मै कहूँगा कि हम स्वराज्य तुरन्त ही प्राप्त कर लेगे। उन्होने खिलाफतपर आये सकटका उल्लेख किया और लोगोको स्मरण दिलाया कि इन तमाम वर्षोमें हिन्दू-धर्म भी सकटमें रहा है। उन्होने इस बातपर जोर दिया कि पजाबके साथ किये गये अन्यायोका परिमार्जन होना चाहिए। चूँकि राष्ट्रीय जागृतिने नवीन साहसको जन्म दिया है, इसलिए यदि कहीं अब फौजी कानून फिरसे लागू किया जाये तो कोई भारतीय पेटके बल नहीं रेंगेगा। उन्होने आग्रहके साथ कहा कि असहयोग स्वराज्य पानेका एक उपाय है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि स्वराज्यकी योजना कैसी बनती है।

१ उन दिनों भाषाके आधारपर बरहामपुर जिलेके पुनर्विभाजनकी बात चल रही थी। इसी दिन दोपहरमें गाधीजी दोनो भाषा भाषी लोगोंके शिष्टमण्डलोंसे मिले थे

मुझे उड़ीसाके अपने हालके दौरेसे मालूम हुआ कि आम जनता केवल अपने भोजनकी चिन्ता करती है, लेकिन उसे स्वराज्यके लाभोके बारेमें भी सोचना चाहिए। यदि अंग्रेज इन्हे मुफ्त चावल दें तो ये लोग हमें कोई मान्यता ही न दें। उन्होने वकीलोसे स्पष्ट कहा कि जबतक सरकार प्रायश्चित्त नहीं करती और जबतक स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक आप लोगोको वकालत नहीं करनी चाहिए। मेरे विचारसे जिन घटनाओके कारण पंजाबके निर्दोष लोग अंडमान भेजे गये ...[1]

मेरे लेखे स्वराज्य एक धागेसे बँधा हुआ है — चरखेके धागेसे! उन्होने जोर देकर कहा कि यदि हम एक सालके अन्दर ब्रिटिश मालका प्रभावकारी ढगसे बहिष्कार नहीं कर सके तो फिर उसका अवसर निकल जायेगा। उन्होने ईस्ट इडिया कम्पनीके बिछाये हुए जालका उल्लेख किया और जोरदार शब्दोमें अपील की कि हमें अपने-आपको पवित्र बनाना है और इसलिए इस सहानुभूतिहीन शैतानी सरकारसे मुक्ति पानेके लिए हमें शैतानका रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मै दावा करता हूँ कि मै एक व्यावहारिक आदर्शवादी हूँ। मुझे खुशी है कि भारत मद्य-पानकी बुराईके विरुद्ध शक्तिशाली आन्दोलन चला रहा है और इस मामलेमें वह कांग्रेससे भी आगे बढ गया है। मेरा खयाल है कि आत्मशुद्धिके लिए हमें किसी विश्वविद्यालयकी शिक्षाकी जरूरत नही है। उन्होने हिन्दू-मुस्लिम एकताका उल्लेख करते हुए बताया कि वह तो अब प्राप्त ही हो गई है; उन्होने आग्रह किया कि अब दलित वर्गोको ऊपर उठाना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि स्वराज्य पानेके लिए पैसा जरूरी है। अतः, तिलक स्वराज्य कोषको बढाना चाहिए और चूँकि उससे देशको जीवन मिलता है, इसलिए उसका प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-४-१९२१

२५०. टिप्पणियाँ

दमन और उससे शिक्षा

नागपुरमे मुझे डाक्टर चोलकरके उस भाषणको[2] बारीकीसे देखनेका अवसर मिला जिसके आधारपर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है। खुफिया विभागके आदमीने उस भाषणकी जो रिपोर्ट दी है, यदि उसीको ले ले तो वह भी बिलकुल आपत्तिजनक नही है। लॉर्ड चैम्सफोर्डके शब्दोका उपयोग करे तो वह एकदम 'अलकार-विहीन' तर्क-प्रधान भाषण है। अलबत्ता, उसमे गणतान्त्रिक शासन-पद्धतिपर विचार अवश्य किया गया है। यदि यही उनका मुख्य अपराध है तब तो लगभग प्रत्येक

१ मूल स्पष्ट नहीं है।

२. देखिए "भाषण: नागपुरमें", १८-३-१९२१।

सकेगी आशा है, क्योंकि यदि वह पूर्ण स्वातन्त्र्यके बिना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह स्वराज्यकी बात सोचने और उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेमें अधिक भी सुविधा अनुभव नहीं करेगा। सच तो यह है कि, मद्यनिषेध आन्दोलनका स्वरूप रचनात्मक था पर पारसी लोगोंपर गहरा असर कर गया है, और सरकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकी। भगवानजीभाई, जिन्हें स्थानीय जनता बड़े प्रेमसे महात्मा कहती है, बापूजीकी एक संतान तथा, अहिंसा आश्रमके सम्माननीय अधीक्षक हैं। वे एक स्वावलम्बी व्यक्ति और कार्यकर्ता हैं। आबकारीसे मिलनेवाले राजस्वके मामलेमें भी सरकार उतना सब कहना चाहती है। मध्यप्रान्तमें और दूसरी जगहोंपर जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं, उनसे ऐसी ही स्थिति निकलती है। बेशक उन लोगोंपर हिंसाके लिए सख्ती बरती जानी चाहिए जो अकारण मद्य-विक्रेताओं तथा शराबकी दुकानोंपर आनेवालोंके प्रति हिंसाके लिए भड़काते हैं अथवा जो खुद वहाँ मारपीट करते हैं। किन्तु इसकी बेर बार लोगोंपर राजद्रोहकी धाराओंके अन्तर्गत मुकदमे क्यों चलाये जा रहे हैं? इसका उत्तर सीधा-सादा है। सत्याग्रहके सिलसिलेमें जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा हिंसाका कोई प्रयास नहीं हुआ। गैर-जिम्मेदाराना किस्मकी हिंसा एक क्षणमें रोकी जा सकती है। लेकिन सरकार यह नहीं चाहती। वह शराब और अफीमसे होनेवाली आमदनीके नाश हो जानेसे डरती है और वैध अथवा अवैध किसी भी उपायसे उसे रोकनेपर तुली हुई है।

सरकारको निरुपाय कर दो

यदि मेरा अन्दाज सही है, तो उपाय सरल है। हमें सरकारको मुकदमे चलानेके लिए इतना बहाना भी नहीं देना चाहिए, जिसे सरकार बढ़ा-चढ़ा कर दिखा सके। यदि वर्तमान शासन-प्रणालीके प्रति अश्रद्धा रखना राजद्रोह है, तो वह सद्गुण है, कर्तव्य है। किन्तु हमें उसका प्रचार करनेकी आवश्यकता नहीं। खिताबधारियोंको भी उस प्रणालीसे प्रेम नहीं है। जैसा कि उनमें से अनेकने स्वीकार किया है, वे अपने खिताब इसलिए धारण किये हुए हैं कि उनमें अपनी सम्पत्ति खोनेकी जोखिम उठानेकी हिम्मत नहीं है। मैं एकाधिक लोगोंको जानता हूँ, जिन्हें धमकी दी गई थी कि यदि वे सरकारके अनुग्रहोंका तिरस्कार करेंगे तो उनकी जागीर जब्त कर ली जायेगी। मैं ऐसे अनेक अन्य लोगोंको जानता हूँ, जो अपने खिताबोंका त्याग इसलिए नहीं करते कि उन्हें डर है कि उनके व्यापारमें उन्हें बैंकोंसे आर्थिक सहायता मिलनी बन्द हो जायेगी। इस हदतक है सरकारका डर! किन्तु ये सब लोग उस प्रणालीके नाशका स्वागत करेंगे, जिसके अधीन यदि उन्हें कुछ लाख रुपयोंका लाभ होता है, तो करोड़ों रुपये बिना समुचित लाभके ही देशसे बाहर चले जाते हैं। अतः मैं फिर कहता हूँ कि हमें असन्तोषका प्रचार करना ही नहीं है। आम जनता उस प्रणालीको जितना बुरा मानने लगी है, अब हम उसे उससे और ज्यादा बुरा रँगकर नहीं बता सकते। अब हमें केवल लोगोंको उसके नाशका उपाय बतानेकी आवश्यकता है और वह मार्ग है आत्मशुद्धिका। यदि हम सरकारको शराब न पीने तथा घरमें चरखा रखनेको अपराध माननेपर मजबूर कर दें तो हम सरकारको बड़ी ही असुविधाजनक स्थितिमें डाल देंगे। यह

प्रणाली तभीतक चल सकती है, जबतक हम उसे मुकदमा चलानेका कोई मामूली-सा बहाना भी देकर इस प्रकार उसे सम्माननीयता प्रदान करते रहे अथवा उसके प्रति अपना लगाव रखे या रखनेका दिखावा करते रहे।

अँगूठे किसने काटे थे?

यदि चरखा रखनेको सरकार अपराध मानती है, तो यह इतिहासमें कोई पहला अवसर नही है। ईस्ट इडिया कम्पनीके शासनकालमे सूत कातना या वस्त्र बुनना लगभग अपराध बन गया था। इन कारीगरोसे इतनी निर्दयतापूर्वक और इतना अधिक काम कराया जाता था कि वे [कभी कभी] कारावाससे बचनेके लिए अपने अँगूठे स्वय काट डालते थे। कई वक्ता तथ्योकी गडबडी कर देते है और कहते है कि कम्पनीके नोकरोने कारीगरोके अँगूठे काटे। मेरी रायमे, यह तो उस आतककी अपेक्षा कम निर्दयतापूर्ण होता जिससे बचनेके लिए कारीगरोको अपने हाथो अपने अँगूठे काटने पडे थे।

सफेद टोपी, एक अपराध

शराबसे परहेज करनेको अपराध बना देना, सफेद टोपी पहननेको अपराध बनानेसे बस एक ही कदम पीछे होगा। फिर भी मैने जबलपुरमे सुना[1] कि वहाँ रेलवेके एक विभागके कर्मचारियोको सफेद टोपी पहननेकी मनाही की गई थी।

क्रान्तिकारी

और क्या सयुक्त प्रान्तकी सरकारने आन्दोलनको क्रान्तिकारी नही कहा है?[2] अभीतक 'क्रान्ति' शब्द हिंसासे सम्बद्ध रहा है, और इसलिए प्रतिष्ठित सत्ता द्वारा निन्दित होता आया है। किन्तु असहयोग आन्दोलन — यदि उसे एक क्रान्ति माना जा सकता है, तो — सशस्त्र विद्रोह नही, वह विकासशील क्रान्ति है, रक्तहीन क्रान्ति। यह आन्दोलन वैचारिक क्रान्तिका आन्दोलन है। असहयोग शुद्धीकरणकी प्रक्रिया है, और इसलिए वह हमारे विचारोमे क्रान्ति लाता है। अत उसका दमन बलपूर्वक सहयोग प्राप्त करके ही किया जा सकेगा। आन्दोलनको भग करनेके लिए जो आज्ञाएँ निकाली जायेगी, वे आज्ञाएँ होगी चरखेका प्रवर्तन रोकने अथवा उसमे बाधा पहुँचानेके लिए, मद्य-निषेधके आन्दोलनको निषिद्ध करनेके लिए और इस प्रकार लोगोको हिंसाके लिए उकसानेके लिए, क्योकि यह निश्चित है कि यदि अप्रत्यक्ष तरीकोसे विदेशी कपडेके उपयोग अथवा शराब खरीदनेके लिए लोगोको बाध्य करनेका कोई प्रयत्न किया गया तो अवश्य ही लोग बहुत असन्तुष्ट हो जायेगे। किन्तु यदि हम रोषको पी जाये और

१. गाधीजी २१ मार्च १९२१ को जबलपुरमें थे और वही उन्होने यह खबर सुनी थी।

२ सयुक्त प्रान्तके गवर्नर, सर हारकोर्ट बटलरने मार्च, १९२१ में एक भाषणमें कहा था कि असहयोग आन्दोलन अब एक क्रान्तिकारी आन्दोलनके रूपमें सामने आ रहा है वह "लोगोके अज्ञानका लाभ उठा कर जनताको उकसा रहा है।"

इस उत्तेजनाको भी सहन कर जाये तो हमारी सफलता निश्चित हो जाये। हमे इनका प्रत्युत्तर नही देना चाहिए। हमारी निष्क्रियता सरकारके पागलपनको समाप्त कर देगी, क्योकि हिंसा तो प्रत्युत्तरके सहारे ही पनपती है, यानी हिंसककी इच्छाको नत होकर स्वीकार कर लेनेसे या फिर प्रतिहिंसा करनेसे। प्रत्येक कार्यकर्ताको मै आग्रह-पूर्वक यही सलाह दूंगा कि इस बुरी सरकारसे वे इस हदतक असहयोग करे कि उससे हमारा कोई वास्ता ही न रह जाये, हम उसके बारेमे बात ही न करे। एक बार बुराईको पहचान लेनेके बाद उसे सहयोग देकर उसके प्रति सम्मान भाव प्रकट करना बिलकुल बन्द कर दे।

मूल परिपत्र

भारत सरकारने अपने मूल परिपत्रमे जो स्थिति अपनाई थी, वह सुसगत थी।[1] उसने उसमे स्वतन्त्र भाषण तथा स्वतन्त्र विचारका अधिकार स्वीकार कर लिया था। उसने प्रत्यक्ष हिंसाको ही बलपूर्वक दबानेकी धमकी दी थी। किन्तु उसके प्रकाशनके समय मैने उसके प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया था।[2] उसके रचयिताओने आशा की थी कि वे उपेक्षा अथवा सहिष्णुता दिखाकर आन्दोलनको नष्ट कर देगे। किन्तु ज्यो ही इस आन्दोलनसे सरकारी सस्थाओकी प्रतिष्ठाको धक्का पहुँचना शुरू हुआ, विदेशी कपडेका वास्तविक बहिष्कार होने लगा तथा शराबकी आमदनी घटने लगी त्यो ही सरकार भयभीत हो गई, और स्वतन्त्र भाषण और प्रचारको रोकने लगी। और यह दमन तो महज अभ्यासके तौरपर है। यथार्थ दमन तो आगे किया जाना है। हमे उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। मौन रूपसे आत्मशुद्धिका हमारा सकल्प अटल और अविचल होना चाहिए। हमे ओ'डायरके-जैसे आतककी अग्निमे से भी गुजर सकना चाहिए। और अपने देशके प्रति अपनी निष्ठाको सिद्ध करना चाहिए — उसी प्रकार जैसे सीताने अग्नि-परीक्षा द्वारा अपने स्वामीके प्रति अपनी निष्ठाको सिद्ध कर दिया था।

बिहार सरकार

यदि बिहार प्रान्तसे असहयोग आन्दोलनमे अन्य प्रान्तोको पीछे छोड जानेकी आशा की जा रही है, तो वहाँकी सरकार भी दमनकी रीतियोका आविष्कार करनेमे प्रथम स्थान पानेका खासा प्रयास कर रही है। अब उसने नगरपालिकाओके सदस्यो और कर्मचारियोपर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उन्हे असहयोग सभाओमे भाग नही लेना चाहिए। मैने परिपत्र देखा नही है, किन्तु मैने सुना है कि उसका अर्थ यही है। यदि ऐसा है, तो मै नगरपालिकाओंके सदस्यो तथा कर्मचारियोको सलाह देता हूँ, कि वे परिपत्रकी उपेक्षा करके सरकारको चुनौती दे कि वह नगर-पालिकाओको भग कर दे। मतदाताओमे यदि साहस है, तो वे बार-बार उन्ही सदस्यो को निर्वाचित करते रहे, और सरकारको मजबूर करे कि वह या तो नगरपालिकाओके शासनको निष्क्रिय कर दे, या फिर इस आपत्तिजनक परिपत्रको वापस ले ले।

१ और २ "अहिंसाकी एक विजय", २१-११-१९२०।

वकालत करनेवाले वकील

वकीलोके बारेमे मैंने जो विचार प्रकट किये है उसकी विवेचना करते हुए 'पत्रिका'[1] ने एक अग्रलेख लिखा है, और अपनी जबर्दस्त असहमति व्यक्त की है, 'पत्रिका' का विचार है कि वकील लोग काग्रेसके मचपर से जनताका नेतृत्व करते रह सकते है। मै सविनय निवेदन करता हूँ कि असहयोगके प्रस्तावसे किसी भी प्रकार विचलित होना भारी भूल होगी। मै जानता हूँ, 'पत्रिका' समझती है कि काग्रेसने सभी वकीलोको वकालत छोडनेका आदेश नही दिया है। मै इस व्याख्यासे अपनी असहमति व्यक्त करनेका साहस करता हूँ। वह प्रस्ताव सभी वकीलोको अपनी वकालत बन्द करनेके लिए, अधिकसे-अधिक प्रयत्न करनेका आदेश देता है। और मेरी रायमें, जो वकील अभीतक वकालत नही छोड पाये, वे काग्रेसकी किसी भी सस्थामे पदग्रहण करने, अथवा काग्रेसके मचपरसे जनताका नेतृत्व करनेकी आशा नही कर सकते। क्या अपने खिताबोको छोडे बिना भी खिताबधारी व्यक्ति काग्रेसके पदाधिकारी निर्वाचित किये जा सकते है? यदि हम समस्याओका साहसके साथ सामना नही करेगे तो भय है कि हम आन्दोलनको दूषित कर देगे। हमारी कथनी और करनीमे थोडा भी अन्तर नही रहना चाहिए। मेरा मत है कि किसी प्रान्तीय समितिका वकील अध्यक्ष — यदि वह अपनी वकालत बन्द नही करता तो — अपने प्रान्तका नेतृत्व करके उसे विजय प्राप्त नही करा सकता। उसका कोई प्रभाव ही नही पडेगा। अपने दौरोमे मैंने यह बात बार-बार देखी है कि जिन वकीलोने अबतक जनताका नेतृत्व किया है, उन्होने या तो अपनी वकालत त्याग दी है या अपना सार्वजनिक जीवन।

वकालत करनेवाले वकीलोकी व्यापारियोसे तुलना करनेमे 'पत्रिका' भूल करती है। अभीतक बहुत कम व्यापारियोने जनताका नेतृत्व किया है, किन्तु जहाँ वे आगे आये है, उन्होने विदेशी कपडेका व्यापार करना निश्चय ही छोड़ दिया है। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जनता कथनी और करनीके अन्तरको कभी सहन नही करेगी। किन्तु सार्वजनिक पदके लिए प्रयत्न न करना, अथवा उसे छोड देना एक बात है, और एक कमजोर किन्तु विनम्र अनुयायीके समान आन्दोलनकी सहायता करना दूसरी बात। हजारो व्यक्ति काग्रेसकी पूरी सलाह माननेमे असमर्थ है, और फिर भी मौन अनुयायियोके रूपमें अभियानकी उत्साहके साथ सहायता कर रहे है। वकालत करनेवाले वकीलोको यही रुख अपनाना चाहिए। यह सम्मानजनक, प्रतिष्ठास्पद और सुसगत होगा। स्वराज्यकी दिशामे अपनी प्रगतिमे, हमारा किसी वर्ग अथवा व्यक्तिके नेतृत्वको सफलताके लिए परमावश्यक समझना जरूरी नही है।

जब वह वकालत छोडनेके विकल्पके रूपमे निन्दा अथवा अपमानका प्रस्ताव करती है, तब 'पत्रिका' 'यग इडिया' के तत्सम्बन्धी अनुच्छेदके क्षेत्रसे आगे जाती है। यदि कोई असहयोगी किसी ऐसे वकील अथवा अन्य व्यक्तिका तिरस्कार अथवा अपमान करता है जो काग्रेसके आह्वानको स्वीकार करनेमे या तो बिलकुल असमर्थ है अथवा

१. **अमृतबाजार पत्रिका,** कलकत्ता।

जो अन्य किसी कारणसे उसे स्वीकार नही करना चाहता तो वह सच्चा असहयोगी नही कहलायेगा। यदि हम ऐसे व्यक्तियोको काग्रेसके पदाधिकारियोके रूपमे निर्वाचित नही कर सकते, तो इसका अर्थ यह नही है कि हम उनके प्रति अनुदारता बरतें अथवा उनका अपमान करे। इसके विपरीत, जो सज्जन काग्रेसके प्रस्तावका अनुसरण करनेमें ईमानदारीसे असमर्थ हैं, वे सब प्रकारसे हमारी सहानुभूतिके पात्र है।

फिर, 'पत्रिका'का यह सोचना भी ठीक नही है कि इसके पहले कि वकालत करनेवाले वकील अपनी वकालत छोडे, अदालतोका पूर्ण बहिष्कार हो जाना चाहिए, और चूँकि बिना विद्रोही सरकारके यह असम्भव है, और चूँकि हम विद्रोह करनेकी बात नही सोचते, अत वकालत करनेवाले वकीलो द्वारा पहलेके समान जनताका नेतृत्व कर सकनेमें खतरेकी बात नही है। इस सुझावके पीछे स्पष्ट ही एक भ्रान्ति है। यदि इसका तर्क-सम्मत निष्कर्ष निकाला जाये, तो उसका अर्थ होगा कि किसी भी नेताके लिए यह आवश्यक नही कि वह जो कहता है उसपर स्वय भी अमल करे। तथ्य यह है कि श्री नेहरू और श्री दासके[1] त्यागसे तथा जनता द्वारा काग्रेसके प्रस्तावको कार्यान्वित न करनेवाले पेशेवर वकीलो अथवा अन्य लोगोको कोई भी सार्वजनिक प्रतिष्ठा न देनेके हमारे निश्चयके परिणामस्वरूप अदालतोका पूर्ण बहिष्कार भले न हुआ हो, लेकिन हमने अदालतोकी प्रतिष्ठाको, और इसलिए उसी हदतक सरकारकी प्रतिष्ठाको, सफलतापूर्वक मिट्टीमें मिला दिया है। यदि हम खिताबधारियो, वकीलो तथा दूसरोको बावजूद इसके कि वे हमारे आह्वानपर आगे नही आये हैं, पुन प्रतिष्ठा देने लगेंगे, तो हम राष्ट्रीय आत्मघात करेंगे। अत 'पत्रिका'का यह गलत तर्क है कि काग्रेसने वकीलोको वकालत छोडनेका आदेश इसलिए दिया है कि काग्रेस उनकी सेवाएँ अपने लिए उपलब्ध करना चाहती हैं। जैसा कि मूल प्रस्तावकी प्रस्तावनामें स्पष्ट कहा गया है, इस आदेशका उद्देश्य सरकारकी प्रतिष्ठाको खत्म करना है, और इसके लिए ऐसी सस्थाओंके साथ असहयोग करना जरूरी है, जिनपर सरकारकी प्रतिष्ठा आधारित है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, ३०-३-१९२१

१ पण्डित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दासने अपनी वकालत और उससे होनेवाली बेशुमार आमदनीको तिलांजलि दे दी थी।

२५१. कांग्रेसका संविधान

पिछली काग्रेसने एक ऐसा सविधान[1] तैयार किया है, जिसे यदि ठीक ढगसे कार्यान्वित किया जाये तो वही हमें स्वराज्यतक ले जानेके लिए काफी है। इस सविधानके अनुसार भारतके प्रत्येक भागमे प्रतिनिधि समितियाँ बनाई जायेगी और वे एक केन्द्रीय सगठन, अर्थात् अखिल भारतीय काग्रेस समिति, के साथ सहयोजित ढगसे, स्वेच्छापूर्वक उसकी अधीनतामे कार्य करेगी। वह सभी बालिग स्त्री-पुरुषोको मताधिकार देता है, जिसकी केवल दो ही शर्ते है — उसके प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करना तथा नाममात्रका चार आना शुल्क देना। सविधानका अभीष्ट सभी दलो और समुदायोको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कराना हे। अत यदि वह ईमानदारीके साथ कार्यान्वित किया जाये, और जनताका विश्वास और सम्मान अर्जित कर सके, तो वह बिना किसी कठिनाईके वर्तमान सरकारको निकाल बाहर कर सकता है। जनताके सहयोगके अतिरिक्त सरकारकी अपनी कोई शक्ति नहीं हे — चाहे यह सहयोग ऐच्छिक हो या जोर-जबरदस्तीसे लिया जाता हो। जिस शक्तिका सरकार प्रयोग करती है, वह लगभग हमारे ही लोगोंके जरिये करती है। प्रत्येक गाँव पीछे एक यूरोपीय माने तो भी एक लाख यूरोपीय हमारी सहायताके बिना, हमारे कुल ७ लाख गाँवोमे से एक सप्तमाशको ही कब्जेमे रख सकते है। और एक यूरोपीयके लिए, चाहे वह स्वय भी उपस्थित हो, एक भारतीय ग्रामपर यानी अनुमानत ४०० पुरुषो और स्त्रियोपर अपनी इच्छाको लादना कठिन ही होगा।

इसलिए हमे इतना ही करना है कि हम अपनी इच्छाको सरकारकी इच्छाके विरोधमें खडा करे, दूसरे शब्दोमे कहे तो अपना सहयोग उससे खीच ले। यदि हम अपने ध्येयमे एक हो तो सरकारको हमारी इच्छाका पालन करना ही होगा, या फिर उसे हट जाना होगा। अपनी शक्तियोको दृढ करनेके लिए सरकार उपद्रवकारी तत्वोसे काम लेती है। हिंसा होनेपर वह दमन शुरू कर देती है, यदि हममे परस्पर फूट हो तो वह प्रलोभन देकर हमें और भी लडाती है ओर यदि हममें एका हो तो फिर वह चिकनी चुपडी बाते करके समझौता करना चाहती है। जो सर्वाधिक मुखर होते हे उन्हे वह ललचाती-फुसलाती है, किन्तु हमे यदि कुछ करनेकी जरूरत है तो इतना ही कि हम अहिसक बन रहे, एक रहें तथा उसके लालच देने और फुसलानेकी उपेक्षा करे।

निस्सन्देह सुसस्कृत और बुद्धिमान लोगोको इतना कर लेनेके लिए किसी बडी शिक्षाकी आवश्यकता नही है। उनके सामने एक ऐसा सर्वस्वीकार्य उद्देश्य और मच, जो उनकी समझमे आजाये, प्रस्तुत करना कठिन नही है। किन्तु यह सब कहनेसे नही, काम करनेसे, सगठन करनेसे होगा। मेरा सुझाव है कि हम ३० जूनसे पहले काग्रेस सस्थामे, कमसे-कम एक करोड सदस्योकी सही-सही भरती करनेपर अपना

१. नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया काग्रेसका सविधान, दिसम्बर १९२०। देखिए पृष्ठ १९४-२०२

ध्यान केन्द्रित करे। बिना चवन्नी दिये तथा सिद्धान्त स्वीकार किये किसीकी सदस्यता पक्की न मानी जाये। प्रत्येक परिवारके प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको [कांग्रेसका] सदस्य बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें यह गर्व कर सकने योग्य होना चाहिए कि हमारी सदस्य-सूचीमें जितने पुरुष है, उतनी ही महिलाएँ है। हमें यथाशक्ति सभी मुसलमानो, अन्य सभी जातियो, कारीगरो और 'अछूतो' को सदस्यताके रजिस्टरमें नाम लिखानेपर राजी करना चाहिए। तब वह सूची ससार-भरमें मतदाताओकी सर्वाधिक लोकतन्त्रात्मक सूची होगी। यदि मेरे सुझाव स्वीकृत हो, तो हमें ३० जूनतक निम्न-लिखित काम पूरे करनेपर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए

(१) तिलक-स्वराज्य कोषके लिए १ करोड रुपया एकत्र करना।
(२) कांग्रेसके १ करोड सदस्य बनाना।
(३) बीस लाख घरोंमें चरखा चालू कराना।

एक करोड सदस्योको भरती करनेकी दृष्टिसे, मेरे हिसाबमें — यदि ५ व्यक्तियोका परिवार माना जाये, तो कमसे-कम २० लाख घरोंमें हमारे मतका प्रचार हो जायेगा। कार्यकर्त्तागण कांग्रेसी परिवारोंके प्रति परिवारमें एक-एक चरखा रखनेपर तो अवश्य ही राजी कर सकते है। इक्कीस प्रान्तोमे[1] पच्चीस लाख चरखे चलवाना कुछ अधिक नही है।

हमें जरूरतसे ज्यादा राष्ट्रीय समस्याओ और उनके समाधानके फेरमें पडकर अपने साधनोका अपव्यय नही करना चाहिए। जो रोगी एक ही समय अनेक उपचारो-का प्रयोग करता है, वह मर जाता है। जो वैद्य अपने रोगीपर एक साथ अनेक उपचारोका प्रयोग करता है वह अपनी साख खो बैठता है और नीमहकीम कहलाता है। जीवन और उसके सभी कार्योंमे एकाग्रता समान रूपसे अनिवार्य है। शक्तियोका बिखराव हमेशा ही खराब हुआ करता है। अभीतक हम सब अपनी-अपनी ढपली बजाते रहे है, और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय शक्तिका बडा ह्रास होता रहा है। इसी सालके भीतर विदेशी कपडेका बहिष्कार एक व्यावहारिक सम्भावना है। कांग्रेसके लिए एक कार्यक्षम सगठनका निर्माण करना प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओंके बाएँ हाथका खेल है। एक सुनियोजित ढगसे एक करोड रुपया एकत्र कर लेना हमारे अन्दर आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा, और वह हमारी ईमानदारी तथा हमारे सकल्पका भी प्रत्यक्ष प्रमाण होगा।

इस कार्यक्रमका यह अर्थ नही है कि असहयोगके अन्य कार्यकलाप बन्द हो जाये। वे जारी रहेंगे, मद्य-पान और अस्पृश्यताका निवारण होना ही चाहिए। शैक्षणिक आन्दोलन निश्चित गतिसे आगे बढ रहा है। जो नई राष्ट्रीय सस्थाएँ जगह-जगह स्थापित हुई है यदि उनकी सुचारु रूपसे व्यवस्था की गई तो वे और आगे बढेंगी और उन विद्यार्थियोको भी आकर्षित करेंगी जो अभीतक दुविधामे पडे है। वकील लोग भी, जो सस्कारसे ही सदा सतर्क और आगा-पीछा सोचकर चलनेवाले लोग होते हैं, जब वे आन्दोलनको अधिकाधिक प्रगति करते देखेंगे, तो वे भी देशके साथ आ मिलेंगे।

१ भाषाके आधारपर बनाये गये कांग्रेस-प्रान्त।

जनता द्वारा कानूनी अदालतोके वहिष्कारकी प्रगति काफी अच्छी है। इन वातोमें अव सभीको अपना प्रयत्न केन्द्रित करनेकी आवश्यकता नही रही। ये विशिष्ट वर्गोके लिए है। किन्तु ऊपर कही गई मेरी तीनो वाते तो अत्यन्त महत्वपूण हैं। उन्हे शुरू करना नितान्त आवश्यक हो गया है। इसके विना यह आन्दोलन, जन-आन्दोलनके रूपमे असफल माना जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, ३०–३–१९२१

२५२. भाषण: विजयनगरम्‌में[1]

३० मार्च, १९२१

गांधीजीने भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि अंग्रेजी पढना बिलकुल जरूरी नहीं है। केवल अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आधुनिक विज्ञानकी शाखाओका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ही अंग्रेजी जरूरी है। उन्होने जोर देकर कहा कि हिन्दी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देशमें भाईचारेकी भावना पनपती है। हिन्दीको देशकी राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। आगे वोलते हुए उन्होने कहा कि हिन्दी, जो काशी विश्वनाथकी भाषा है, आम जनताकी भाषा होनी चाहिए। आप चाहते है कि हमारा राष्ट्र एक और संगठित हो, इसलिए आपको प्रान्तीयताके अभिमानको छोड़ देना चाहिए। हिन्दी तीन ही महीनोमें सीखी जा सकती है। जनताका मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा करना मुझे पसन्द नहीं है। मै तो अपने सिद्धान्तोपर व्यावहारिक जीवनमें अमल होते देखना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि चरखेसे देशको मुक्ति मिलेगी। मेरी रायमें चरखा मशीन-गनो और युद्ध-पोतोका काम करेगा। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ आई, उसने कताईपर घातक प्रहार किया और तभीसे भारतका नैतिक और आर्थिक अध.पतन शुरू हुआ। मै आपसे कहूँगा कि आप पश्चिममें बनी भड़कीली एवं चमकदार पोशाके न पहनें। आपको घरमें कते-बुने सादे कपड़ोसे, वे चाहे कितने ही खुरदरे क्यों न हो, सन्तुष्ट होना चाहिए, क्योकि घरके बने कपड़ेके पीछे एक इतिहास है, उसकी अपनी आत्मा है, अपना सौंदर्य है। इसके बाद वे उडीसाकी दयनीय दशाके वारेमें बोले। फिर उन्होने वकीलो और विद्यार्थियोसे असहयोग करनेका अनुरोध करने-के बाद कहा कि यदि आप सब मेरी सलाह नहीं मानेगे तो आप अपने प्रति ही नहीं, अपने देशके प्रति अपना जो कर्तव्य है उसकी भारी उपेक्षा करेंगे। प्रसंगवश उन्होंने भारतमें भयानक रूपसे प्रचलित मद्य-पानकी आदतकी निन्दा की। अन्तमें

१. पीपुल्स पार्कमें किये गये अपने सार्वजनिक अभिनन्दनके उत्तरमें यह भाषण दिया था।

उन्होंने कहा कि मन और शरीरकी शुद्धि, हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशी चीजोंका उपयोग — ये सभी बातें आपको स्वराज्य दिलायेंगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १–४–१९२१

२५३. भाषण: पहले प्रस्तावपर[1]

बेजवाड़ा
३१ मार्च, १९२१

प्रथम प्रस्तावको स्वीकृतिके लिए पेश करते हुए श्री गांधीने वर्तमान स्थितिपर बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अबतक हमारा ध्यान खिताबों, परिषदों, शिक्षणसंस्थाओं तथा न्यायालयोंके त्यागके लिए प्रचार करनेपर ही केन्द्रित रहा है, किन्तु अब इन बातोंके लिए प्रचार करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि इनमें जो सफलता प्राप्त हो चुकी है, वह हर तरहसे सन्तोषजनक है। जिन विद्यार्थियोंने कालेज छोड़ दिये, या जिन वकीलोंने वकालत छोड़ दी, उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, उससे कांग्रेसके प्रचारका असली उद्देश्य पूरा हो गया है; अर्थात् इस देशकी नौकरशाही सरकारको इन संस्थाओंकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। जो विद्यार्थी या वकील अब भी स्कूलों या अदालतोंमें जा रहे हैं, उनमें से भी अधिकतर लोगोंको उस सिद्धान्तकी पूरी प्रतीति हो गई है जिसके लिए कांग्रेस लड़ी है, यद्यपि विभिन्न कारणोंसे वे कांग्रेसके प्रस्तावोंपर तत्काल अमल नहीं कर पाये हैं। इसलिए कांग्रेस भरोसा कर सकती है कि समय आनेपर यह आन्दोलन पूर्णताको प्राप्त होगा। इसलिए नागपुर कांग्रेस-प्रस्तावमें घोषित समयके[2] भीतर स्वराज्यकी योजनाको पूरा करनेके लिए हमें इसके उन हिस्सोंपर ध्यान देना चाहिए जो इस देशकी आम जनताके लिए स्वराज्य पानेमें प्रत्यक्ष रूपसे सहायक होंगे।

जनतामें असाधारण जागृति आई है और वह स्वराज्य प्राप्तिकी तात्कालिक आवश्यकताके प्रति पूरी तरह जागरूक है, किन्तु नेतागण पिछड़ गये हैं। इसलिए जनताकी आकांक्षाओंको निश्चित रूप और आकार देना जरूरी है। उसकी स्वराज्यकी कामना इस अत्यन्त निश्चित अनुभूतिपर आधारित है कि स्वराज्यके बिना उसकी दशा नहीं सुधरेगी और उसकी दशा सुधारनेका सीधा तरीका उसे इस योग्य बनाना है कि वह अपने लिए रोटी-कपड़ेका प्रबन्ध कर सके। इसी दृष्टिसे मुझे लगा कि स्वराज्य

१ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी इस बैठकमें गांधीजीने चार प्रस्ताव पेश किये थे, जो स्वीकार कर लिये गये, उनके पाठके लिए देखिए "प्रस्ताव अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें", ३१–३–१९२१।

२. दिसम्बर १९२० में कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें पारित असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावमें एक वर्षकी अवधिका उल्लेख है।

४८०

प्राप्त करनेकी सबसे ज्यादा ताकत चरखा आन्दोलनमें है। अगर ऐसा कुछ किया जा सके जिससे आम लोग इसे अपना ले, यदि उन्हें इस काबिल बनाया जा सके कि वे अपने घरोंमें चरखेके उपयोगके बलपर अधिकसे-अधिक उत्पादन करके अपने लिए रोटी और वस्त्रका पूरा प्रबन्ध कर सके और इस तरह आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करके इस विचारको व्यावहारिक रूप दे सके तो उसके परिणामस्वरूप उन्हे तत्काल यह अनुभूति होने लगेगी कि अपनी आजीविका और प्रगति तथा समृद्धिके लिए वे अब विदेशियोपर निर्भर नहीं हैं। इस तरह बाहरसे मँगाये जानेवाले सबसे महत्वपूर्ण विदेशी मालका पूरा-पूरा बहिष्कार भी सध जायेगा। यदि ऐसा हो जाये तो माना जा सकता है कि स्वराज्य मिल गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चरखा आन्दोलनको बढ़ावा दिया जाये।

प्रचारको सफल बनानेके लिए कार्यकर्त्ताओंकी जरूरत है। काग्रेस सगठनोंको पूरी तरह इस काममें लग जाना चाहिए। जैसा कि प्रस्तावमें आग्रह किया गया है, यदि ३० जूनसे पहले एक करोड रुपया इकट्ठा हो जाये, मुझे उम्मीद है कि यह हो जायेगा, और देशके एक करोड़ स्त्री-पुरुष काग्रेसके सदस्य बना लिये जायें, तो लोग अपनी स्वराज्यकी योग्यताका इससे बढ़कर कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकते कि उनमें स्वयं कांग्रेस संगठनके जरिये स्वराज्य प्राप्त करनेकी क्षमता है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-४-१९२१

२५४. भाषण : दूसरे प्रस्तावपर[1]

बेजवाडा

३१ मार्च, १९२१

श्री गांधीने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखते हुए कि नागपुर काग्रेसने सविनय अवज्ञा-जैसी किसी बातकी साफ शब्दोंमे कोई सिफारिश नहीं की थी और असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावके अन्तर्गत वह नहीं आती, इस मामलेमे देशका मार्गदर्शन करनेके विचारसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको सलाहके तौरपर अपना मत-मात्र व्यक्त कर देना चाहिए।[2] असहयोगियोके विरुद्ध सरकारकी कार्रवाईके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञाका प्रश्न अनेक हलकोमें उठाया गया है। उन्होने अनेक प्रान्तोमें अधिकारियोकी बहुत-सी कार्रवाइयोके पूर्ण अनौचित्यकी विस्तारसे चर्चा की और बताया कि गम्भीर उत्तेजनाके समय भी लोग किस प्रकार आश्चर्यजनक ढंगसे

१. यह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमें पेश किया गया दूसरा प्रस्ताव था।
२. सविनय अवज्ञा सम्बन्धित प्रस्तावके लिए देखें अगला शीर्षक।

अहिंसापर दृढ रहे हैं। उन्होंने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि कमेटीको सविनय अवज्ञाके उस रूपकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए जो उसके हिमायतियोंके मनमें है। यद्यपि यह सच है कि कांग्रेसके प्रस्तावोंमें जिस सविनय अवज्ञाकी कल्पना की गई है, उसका एक रूप कर न देना भी है, फिर भी इसे कुछ खास कानूनों या आदेशोंको लेकर, चाहे वे उचित हों या अनुचित, सरकारके विरुद्ध सविनय अवज्ञाके किसी कार्यक्रमके अंगके रूपमें शामिल नहीं माना गया है। सविनय अवज्ञाकी जिस योजनापर दक्षिण आफ्रिकामें मैंने अमल किया था और जिसका मैंने अपने मनमें विकास किया है वह कुछ ऐसी है, जिसका प्रयोग अभी नहीं किया जा सकता। यदि देश जैसा मैं चाहता हूँ, उस ढंगसे पूरी तरह सुसंगठित हो जाये और संयमसे चलना सीख ले, तो सविनय-अवज्ञाको कार्यान्वित करनेका समय आया माना जायेगा। अभी तो जो स्थिति है उसके बारेमें मेरा खयाल है कि यद्यपि जनताके बीच अहिंसाकी भारी प्रगति हुई है, फिर भी एक ऐसा तत्व है जिसे मैं, बेहतर शब्दके अभावमें, भीड़की आदत, उसका अपना कानून कहूँगा, और जब मैं इन शब्दोंका प्रयोग करता हूँ तो मेरा अभिप्राय इनके गलत अर्थसे नहीं है, बल्कि यह है कि अब भी लोग उतना अधिक संयम नहीं सीख पाये हैं जितने संयमकी जरूरत उस समय होती है जब उनकी सबसे प्रिय आकांक्षाएँ कुचली जाती हैं या जब अत्यन्त उत्तेजनात्मक परिस्थितियोंमें उनके महान नेता उनसे छीनकर जेल भेज दिये जाते हैं। इसलिए जबतक वे पूरी तरह संयम रखना नहीं सीख लेते, तबतक उन्हें सविनय अवज्ञाकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। निश्चय ही मुझे यह देखकर खुशी होती है कि लोग इस दिशामें काफी आगे बढ़े हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विशेष आदेश या कानूनके विरुद्ध, जिसे उसका हृदय कहता हो कि इसका पालन नहीं किया जा सकता, सविनय अवज्ञा करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर आप ही लेता है तो वह वैसा करनेके लिए स्वतन्त्र है। इसका उदाहरण श्री याकूब हसनका[1] मामला है। परन्तु वह ऐसा केवल अपनी ही जिम्मेदारीपर कर सकता है, कांग्रेसके नामपर नहीं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-४-१९२१

१. देखिए "भाषण गुजरांवालामें", १९-२-१९२१।

२५५. प्रस्ताव : अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें[1]

३१ मार्च, १९२१

प्रस्ताव १

अ० भा० का० क० का मत है कि सभी काग्रेस सगठनो और कार्यकर्त्ताओको अपना ध्यान मुख्य रूपसे निम्नलिखित बातोपर केन्द्रित करना चाहिए

(क) अखिल भारतीय तिलक स्मारक-स्वराज्य कोषमे एक करोड रुपये जमा करना ओर आगामी ३० जूनसे पहले हर काग्रेस प्रान्त द्वारा अपनी जनसख्याके अनुपातमे द्रव्य सग्रह करना।

(ख) सविधानके अनुसार काग्रेस पत्रिकाओमे एक करोड सदस्य दर्ज करना और आगामी ३० जूनसे पहले प्रत्येक [काग्रेस] प्रान्त द्वारा अपनी जनसख्याके अनुपातमे सदस्य बना लेना।

(ग) आगामी ३० जूनसे पहले गाँवो और घरोमे २० लाख ऐसे चरखे दाखिल कर देना, जो अच्छी तरह काम करते हो, तथा प्रत्येक प्रान्त द्वारा अपनी जनसख्याके अनुपातमें चरखे चालू कराना।

प्रस्ताव २

(क) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी राय है कि विभिन्न प्रान्तोमे दमनकी नीति अपनाते हुए अधिकारियोंने असहयोगियोंके विरुद्ध जो आदेश जारी किये हैं, वे देशकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए सर्वथा अनावश्यक हैं और ऊँचेसे-ऊँचे विधिविशारदोकी सम्मतिमे उनमे से अधिकाश अवैध हैं।

(ख) समितिका विश्वास है कि काग्रेसने इस देशके स्वराज्य प्राप्ति तथा खिलाफत और पजाब-सम्बन्धी अन्यायोंके परिशोधनके प्रयत्नोमे अहिसाके जिस सिद्धान्तका विधान किया है, सरकार द्वारा गम्भीर उत्तेजनाएँ पैदा करते रहनेपर भी, देशने उसका आश्चर्यजनक ढगसे पालन किया है।

(ग) इस समितिकी राय है कि काग्रेसके असहयोगसे सम्बद्ध प्रस्तावमे तो सविनय अवज्ञाका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है ही नही, इसके अलावा भी देश अभी इतना अनुशासित, सुसगठित तथा तैयार नहीं है कि वह तत्काल सविनय अवज्ञा शुरू कर सके।

(घ) इसलिए यह समिति तैयारीके रूपमे उन सब लोगोको, जिनके लिए आदेश जारी किये जाये, सलाह देती है कि वे उनका पालन करे और

१. बेजवाड़ामें हुई इस बैठकमें ये चार प्रस्ताव गाधीजीने रखे थे, अनुमानत इनका मसविदा भी उन्होंने तैयार किया था ।

विश्वास करती है कि जिन कार्यकर्त्ताओंके कार्य-कलापोपर सरकार किसी तरहकी बन्दिश लगा दे, उनका स्थान नये कार्यकर्ता ग्रहण करेंगे और आम लोग ऐसे आदेशोंसे हतोत्साह या भयभीत होनेके बजाय कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार अनुसन्धान, संगठन और निर्माणका अपना कार्य जारी रखेंगे।

प्रस्ताव ३

पंचायतोंके संगठन-कार्यमें जो तेज प्रगति हुई है उसके लिए अ० भा० का० क० समितिको बधाई देती है और विश्वास करती है कि जनता सरकारी अदालतोंका बहिष्कार करनेके लिए और अधिक कोशिश करेगी।

प्रस्ताव ४

अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनमें अन्तर्निहित आत्मशुद्धिके सिद्धान्तके प्रति देशने स्वयंस्फूर्त उत्साह दिखाते हुए मद्यपानकी बुराईके विरुद्ध जो अभियान शुरू किया, उसके लिए यह कांग्रेस कमेटी उसे बधाई देती है और विश्वास करती है कि आत्मत्यागी कार्यकर्ताओंके दृढ़ और अनवरत प्रयत्नोंसे मादक पेयों तथा द्रव्योंके सेवनकी आदत देशसे बिलकुल उठ जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १–४–१९२१

२५६. भाषण: बेजवाड़ा नगरपालिका पार्षदोंके समक्ष[1]

१ अप्रैल, १९२१

महात्मा गांधीने [मानपत्रका] समुचित उत्तर देते हुए कहा: स्वराज्य-प्राप्तिके लिए जरूरी है कि नगरपालिकाएँ कांग्रेसकी नीतिको अपनायें। स्वराज्यकी स्थापनाके लिए देशके सामने जो कार्यक्रम है, नगरपालिकाएँ यदि सक्रिय रूपसे उसका समर्थन करें तो बड़ा लाभ होगा। नडियाद, अहमदाबाद और सूरतको देखिए।[2] मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तिलक-स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा इकट्ठा करें तथा कांग्रेस समितियोंको संगठित करनेमें सहायता दें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४–४–१९२१

१. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सभास्थल, 'म्यूजियम हॉल' में नगरपालिका परिषद्के अध्यक्ष द्वारा भेंट किये गये मानपत्रके उत्तरमें।

२. गुजरातके इन तीनों नगरोंमें नगरपालिकाओंने सरकारी नियन्त्रणका विरोध किया था।

२५७. भाषण : कांग्रेस-सभा सम्बन्धी प्रस्तावपर[1]

बेजवाडा
१ अप्रैल, १९२१

महात्मा गाधीने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा : हो सकता है कि प्रस्तावको लागू करना कठिन और अरुचिकर हो, किन्तु नये संविधानको रूप देनेवालोका कर्त्तव्य है कि वे ऐसी कठिनाइयोका सामना करे और उनपर विजय पायें। आज देशकी जनता और काग्रेसजनोंका बहुमत असहयोगके पक्षमें है। इसे देखते हुए मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सगठनोका कार्य-संचालन और नियन्त्रण ऐसे लोगोंके हाथोमें न रहने देना ही उचित होगा जो नागपुर अधिवेशनके प्रस्तावके अनुसार असहयोगपर व्यक्तिगत रूपसे अमल करनेके लिए तैयार न हो।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, ४-४-१९२१

२५८. पत्र : मगनलाल गांधीको

[कोकोनाडा]
शनिवार [२, अप्रैल, १९२१][2]

चि० मगनलाल,

गाडीव चरखेके सम्बन्धमे तुमने 'नवजीवन'मे जो टिप्पणी लिखी है उसे पढकर प्रसन्नता हुई। और क्या शकरलालका हिसाब भी इसी तरह ठीक नही हो सकता?[3] मैंने उनसे [तुम्हारी टिप्पणीके बारेमे] पूछा था। वे बोले "मगनलालजीने जो उक्ति पेश की है वह अभी मेरे गलेके नीचे नही उतरी है। मैंने अपने चरखेपर ढेरो सूत काता है और दूसरोसे कतवाया है। मै अपने चरखेसे आश्रमके चरखेके बराबर ही काम ले रहा हूँ। मै तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पास जिस नमूनेका चरखा है उसे आप निकम्मा न ठहरा दे। फिलहाल मै और कुछ नही चाहता।"

१ प्रस्ताव यह था कि नये सविधानके अन्तर्गत सगठित की जानेवाली काग्रेस-सभाओंमें कोई भी ऐसा व्यक्ति पदाधिकारी नियुक्त न किया जाये जो असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावकी शर्तो, विशेषकर व्यक्तिगत अपेक्षाओं,को पूरा न करता हो।

२. इस पत्रमें गाडीव चरखेपर उल्लिखित टीका २७-३-१९२१ के **नवजीवन**में प्रकाशित हुई थी और जैसा कि उपरोक्त पत्रमें कहा जा चुका है गाधीजी १० अप्रैल, १९२१ को बम्बई तथा १२ अप्रैलको अहमदाबाद पहुँचे थे।

३ मगनलालने उसके सम्बन्धमें अपनी राय बदल दी। उन्होंने लिखा कि शकरलालजीके चरखेपर परीक्षण किये और उसे ठीक पाया। इस प्रकारके चरखेकी लागत डेढ़ रुपया आती है।

शकरलालका चरखा काम पूरा देता है, यह बात उन्होने नम्रतापूर्वक कही है। मेरी सलाह यह है कि तुम पजाबके चरखेके आकारके बारेमे कुछ सोचो। मुझे तो उसका आकार बिलकुल ठीक लगा है। यहाँ कताईके सम्बन्धमे जो कुछ किया जा रहा है उसे देखकर मैं चकित हो गया हूँ। यहाँके कते सूतसे बना जो कपडा मैं अपने साथ ला रहा हूँ उसे देखकर तुम दग रह जाओगे। एक बालक मेरे पास एक चरखा लाया, उसका वजन दस तोला था। उस चरखेपर उसने बहुत महीन सूत कात कर दिखाया परन्तु इस सबका जिक्र कभी फिर करूँगा।

मैं वहाँ १२ तारीखको आ रहा हूँ, १०को बम्बई पहुँचूंगा। चि० छगनलालके नाम लिखे गये पत्रको पढकर देखना और उसपर मनन भी करना।

मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिन्दुस्तानकी आर्थिक नीति उस शक्तिपर निर्भर करती है जो हम प्रदर्शित कर सकेगे। परन्तु इस अवसरपर अधिक लिखना सम्भव नही है। मैं यह पत्र लिखते समय बहुतसे लोगोसे घिरा हुआ हूँ।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९२) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

२५९. भाषण : कोकोनाडामें[1]

२ अप्रैल, १९२१

मेरे हिन्दू और मुस्लिम देशभाइयो और बहनो,
कोकोनाडा नगरपालिकाके पार्षदो,

मैं भाषण देते समय खडा नही हुआ हूँ, इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा करेगे। मैं इसका कारण पहले ही बता चुका हूँ और अबतक शायद देशके अन्य भागोकी तरह यहाँ भी लोग उसे जान गये हैं। कारण मेरी शारीरिक कमजोरी है। मैं इस बातके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपने भाई मौलाना शौकत अलीको अपने साथ नही ला सका। आप जानते हैं कि भारतको यह जतानेके लिए कि हिन्दू-मुस्लिम एकता क्या वस्तु है मैंने और मौलाना शौकत अली दोनोने एक सालतक भारतके प्रत्येक भागका भ्रमण साथ-साथ किया है परन्तु अभी कुछ दिनोसे हम दोनो साथ-साथ नही रह सके हैं। श्री शौकत अली और मैं इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हैं। हम दोनो ही खिलाफत और पजाबपर किये गये अत्याचारोके प्रतिकारके लिए उत्सुक हैं। और इसलिए एक वर्षतक साथ-साथ घूम चुकनेके पश्चात् हमने अलग-अलग क्षेत्रोमे अपनी शक्तियोका उपयोग करना निश्चित किया है और तय यह हुआ

१ नगरपालिका परिषद् द्वारा किये गये स्वागतमें जो मानपत्र दिया गया था उसीके उत्तरमें गाधीजीने उक्त भाषण दिया था ।

है कि अब हम देशके विभिन्न भागोका दौरा अलग-अलग करेगे। हम दोनोने एक वर्ष-तक साथ-साथ रहकर जो पदार्थपाठ भारतके सामने रखा यदि वह हिन्दू-मुस्लिम एकताकी नितान्त आवश्यकताके बारेमे आपको आश्वस्त करनेके लिए पर्याप्त नही है और यदि हमारे देशभाइयोको[1] पिछले वर्षभर इसपर अमलसे जो पारस्परिक सुख दृष्टिगत हुआ है वह भी एकताका महत्व सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त नही है, तो जहाँतक मेरा सम्बन्ध है मै हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आवश्यकताके बारेमें आपको विश्वास दिलानेका विचार ही त्याग देता हूँ। मौलाना शौकत अली एक कट्टर मुसलमान है। मै एक कट्टर सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ। हमारे विचार जुदा-जुदा है और हमारी पृथक्-पृथक् मान्यताएँ है, फिर भी हम दोनो आपसमे इस प्रकार रह सके है जिस प्रकार कि दो सगे भाई भी नही रह सकते। मुझे मालूम है कि भारतने अबतक यह अनुभव कर लिया है कि हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता खाने-पीने और सोनेके समान ही आवश्यक चीज है। मुझे आशा है कि आप अबतक यह अनुभव कर चुके होगे कि कुछ शर्तोके पालन करनेपर स्वराज्य एक वर्षके अन्दर प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे इस नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रको स्वराज्य प्राप्तिके मार्गमे एक साधनके रूपमे स्वीकार करनेमे बडी प्रसन्नता हो रही है। इससे यह जाहिर होता है कि भारतकी नगरपालिकाएँ अपने किसी भी विनीत सेवकका स्वागत करनेके लिए उसी प्रकार तैयार रहती है जिस प्रकार कि वे अबतक गवर्नरो तथा वाइसरायोका स्वागत करनेके लिए तैयार रहती थी, डरके कारण तथा अपने ऊपर विश्वास न होनेके कारण स्वराज्यकी ओर प्रगति करनेमे वास्तविक बाधा उत्पन्न होती है। मै ऐसा कदापि नही मानता कि यह मानपत्र मेरी अपनी किसी विशेषताके लिए दिया गया प्रमाणपत्र है, मुझे मालूम है कि यह केवल इस बातको सूचित करता है कि मै इस समय राष्ट्रका प्रतिनिधि हूँ। नगरपालिकाओने अब अपने डरको, जो उन्हे घेरे रहता था, छोड दिया है और इस धारणाको दूर कर दिया है कि नगरपालिकाएँ सरकारकी पिछलग्गू होनेके सिवा और कुछ नही है। मै इस महान् नगरपालिकासे कहता हूँ कि वह एक कदम और आगे बढकर अहमदाबाद, नडियाद तथा सूरतका अनुकरण करे। मै इस नगरपालिकासे कहता हूँ कि वह अपने यहाँ शिक्षाका राष्ट्रीयकरण करे। यदि केवल समस्त भारतकी नगरपालिकाएँ भी अपनी शक्ति पहचान ले और अपना कर्त्तव्य निभाने लगे तो मै यह साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि नगरपालिकाएँ ही हमे स्वराज्य दिलानेमे समर्थ हो जायेगी। क्योकि आखिर स्वराज्य नगरपालिका प्रशासनके विस्तारके अतिरिक्त और है क्या? और यदि भारतका प्रत्येक गाँव और शहर अपने मामलोकी देखभाल करनेमे खुद ही समर्थ हो जाये तो निस्सन्देह इसका अर्थ यह हुआ कि भारतके सभी गाँव व शहर राष्ट्रीय मामलोको चलानेमे समर्थ है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने हमे मार्ग दिखाया है और सारे भारतके सामने एक बहुत सरल परीक्षा रखी है। यदि कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय सभा है, यदि कांग्रेस

१ यहाँ कुछ छूटा-सा लगता है।

भारतमे स्वराज्य स्थापित करनेके लिए हमारा साधन है, तो स्वाभाविक रूपसे ही प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी स्त्री और पुरुषको, जो भारतमें पैदा हुआ है अपना नाम काग्रेसकी पजिकामें दर्ज करा लेना चाहिए। इसीलिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने सुझाव दिया हे कि आगामी ३० जूनतक कमसे-कम एक करोड स्त्री-पुरुप अपने-अपने नाम काग्रेसकी पजिकामें दर्ज करवा ले। एक ऐसे राष्ट्रमें जो कुछ महीनोसे आश्चर्यजनक उत्साह और पारस्परिक ऐक्यका परिचय दे रहा है, कमसे-कम स्त्री-पुरुषोंके तीसवें भागको ३० जूनसे पहले ही काग्रेसका सदस्य बन जाना चाहिए। निस्सन्देह यह कोई बडी बात नही है।

आप लोकमान्य बाल गगाधर तिलक महाराजकी स्मृतिके प्रति श्रद्धा रखते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वही घरो ओर सार्वजनिक सभाओमे उनके चित्र देखता हूँ। इसलिए काग्रेस कहती हे कि उस महान् दिवगत देशभक्तके प्रति अपना आदर एव अपनी श्रद्धा व्यक्त करनेके लिए ३० जूनसे पहले ही एक करोड रुपया एकत्र कर ले। यह एक करोड रुपया सगमरमरकी प्रतिमाओ तथा स्मृति-भवनोपर खर्च नही किया जायेगा। इस पूंजीका उपयोग स्वराज्य-प्राप्तिके निमित्त किया जायेगा। यदि आन्ध्र देशके[1] स्त्री-पुरुप जो गहने पहनते हैं, उनमे से कुछ ही दान कर दे, तो निश्चय ही आन्ध्र देश अपने हिस्सेकी रकम एक ही सप्ताहमे पूरी कर देगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप इस वर्ष वास्तवमे स्वराज्य प्राप्त करने तथा खिलाफत एव पजाबकी शिकायतोको दूर करनेके लिए कृतसकल्प हैं तो हम अपना सब-कुछ बलिदान करनेके लिए तैयार हो जाये।

तीसरी बात जो काग्रेस सारे भारतसे चाहती है, यह है कि हम ऐसी व्यवस्था करे कि जूनके अन्ततक भारतके घरोमे २०,००,००० चरखे चलने लगे। अपनी इन सुन्दर बहनो तथा आप लोगोमे से बहुतोके शरीरोपर, मैं जो विदेशी वस्त्र देख रहा हूँ, निश्चय ही वे हमारी गुलामीके बिल्लोके सिवा और कुछ भी नही हैं। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगा है कि भारतके स्त्री-पुरुष विदेशी वस्त्र पहने हुए सुन्दर नही बल्कि भद्दे नजर आते हैं। भद्देपनको तब सुन्दरता माना जाने लगता है जब लोग गुलामीको आजादी मानने लगते हैं। जब भारतमे प्रत्येक घर चरखेकी गुनगुनाहटके साथ स्वतन्त्रताका गीत गाता था तब भारत स्वतन्त्र देश था और उसमे दूध-दहीकी नदियाँ बहती थी। भारत-भरमे एक कोनेसे दूसरे कोनेतक जहाँ-जहाँ मैं बहनोसे मिला हूँ, वहाँ-वहाँ उन्होने मुझे बताया कि उनकी माताएँ चरखेको सुख-समृद्धिका चिह्न बतलाया करती थी। चरखा शुद्धता, सरलता तथा स्वतन्त्रताका प्रतीक है। यह सारे ससारके लिए शान्तिका प्रतीक है। कल श्री दासने[2] ठीक ही कहा था कि चरखेने हमें तथा समस्त ससारको यह सिद्ध कर दिखाया है कि हम पश्चिमकी विनाशकारी प्रतियोगितामें नही कूदना चाहते। चरखेको घरोमे फिरसे दाखिल करना इग्लैंड, फ्रास, अमेरिका, जापान और अन्य प्रत्येक देशको यह ज्ञापित करनेके समान है कि भारत उनके शोषण-

१ प्रान्त।
२ चित्तरजन दास।

के निमित्त गुलाम नही वन सकेगा। यह समुद्रके उस पार ससारके अन्य राष्ट्रोको यह सन्देश भेजता है कि भारत अपने भोजन और वस्त्रके वारेमे पूर्ण रूपसे आत्म-निर्भर एव स्वतन्त्र बननेके लिए कृतसकल्प है। यह हमारे उन तीस करोड देशवासियोंके पास सद्भावनाका सदेश पहुँचाता है जिन्हे दिनमें एक जून ही नमकके साथ रुखा-सूखा भोजन मिल पाता है। यही वह सूत्र है जो सारे भारतको जोडता हे और उसको एक राष्ट्रका रूप देता है। इस सूत्रको हटाते — नष्ट करते — ही स्वराज्यकी सारी इमारत ढह जायेगी। याद रखिए जिस दिन भारतने ईस्ट इडिया कम्पनीके वलके सामने या उसके धनके सामने घुटने टेके, उसी दिन उसने अपनी स्वतन्त्रता खो दी और अपनी राष्ट्रीयताको भी लगभग गँवा दिया। इसलिए मै आशा करता हूँ कि आप लोग जो कोकोनाडाके साहसी नागरिक हे, तवतक चैन न लेगे जवतक इस वडे नगरके प्रत्येक घरमे चरखा नही चलने लगता। मुझे आशा है कि वालक-वालिकाएँ, स्त्री और पुरुष दिनमे कुछ घटे चरखा चलानेको अपनी शानके खिलाफ नही समझेंगे। जव लोग चरखा चलाने लगेगे तव मै और आप लोग यही कहेगे कि हमने एक छोटा-सा प्राय-श्चित्त किया है। आशा है जव भी मेरा कोई मित्र या आपमें से कोई व्यक्ति मुझे इस नगरमे फिरसे आनेको कहेगा तब वह मुझे यह विश्वास दिलाना न भूलेगा कि यहाँ कोई भी ऐसी लडकी या लडका, स्त्री या पुरुष नही है जो विदेशी वस्त्र पहनता हो और ऐसा तरुण तो है ही नही जो खद्दर न पहनता हो। मै विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सारा भारत जूनके अन्ततक इस विलकुल मामूली परीक्षामे — इसे मै विलकुल ही मामूली परीक्षा कहता हूँ — खरा उतरता है तो आप देखेंगे कि पहली जुलाईतक समस्त भारतमे नये जीवनका सचार हो जायेगा।

शुद्धीकरण सप्ताह जिसे राष्ट्रीय सप्ताह कहा जाता है, सिरपर है। ६ अप्रैल १९१९ को भारतकी नीद टूटी थी। उसी वर्षकी १३ अप्रैलको भारतने एक ऐसा हत्या-काण्ड देखा जैसा आधुनिक युगमे कभी देखा या सुना नही गया। यह एक पुनीत सप्ताह है। यदि एक भी भारतीय इसे भूल जाये तो यह अपराध होगा, पाप होगा। मुझे आशा है कि ६ और १३ अप्रैलको पूर्ण हडताल होगी। हडताल पूरी तरह अपनी मर्जीसे होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी दूकान खोलना चाहता है तो प्रत्येक प्रकारकी क्षतिसे हमे उसकी रक्षा करनी होगी। शुद्धीकरण तभी शुद्धीकरण है जव वह स्वयस्फूर्त हो। स्वतन्त्रता वल-प्रयोगसे नही बल्कि मधुरता, अनुनय तथा विनयसे प्राप्त होती है। मै आशा करता हूँ कि जो लोग समर्थ हे वे ये दो दिन विशेष रूपसे उपवास तथा प्रार्थनामे ही लगायेगे। याद रखिए कि यह स्वतन्त्रताका युद्ध है। इसमे हमे वारूद नही, वल्कि ईश्वरकी सहायताका सहारा लेना होगा। इस सप्ताहकी अवधिमे आप अन्तर्मुख होकर अपने हृदयोको टटोलेगे। आप अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर मद्य-पानके अभिशापके विरुद्ध सघर्ष करेगे।

शुद्धताका एक अनिवार्य लक्षण यह है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्रीको अपनी वहन और माँ समझे और प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुषको अपना भाई और पिता समझे। मैं स्वय एक ऐसे नगरमे पैदा हुआ हूँ जो कि एक वन्दरगाह है और इसलिए जानता

हूँ कि ऐसे नगरमें बसनेवालोंके सामने क्या-क्या प्रलोभन रहा करते हैं। मुझे कल ही एक मित्रने बताया कि रंगूनमें हमारे लोगोंका जीवन — और मैं जानता हूँ कि बहुतसे लोगोंको रंगून जानेकी टेव पड़ गई है — बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यदि हम राक्षस-राज्य नहीं, बल्कि धर्म-राज्यकी कामना करते हैं तो आप इस बातमें मुझसे सहमत होंगे कि वैयक्तिक शुद्धता उतनी ही आवश्यक है जितनी राष्ट्रीय शुद्धता। हमारा स्वराज्य विलासितामें नहीं बल्कि आत्म-संयममें है। मुझे आशा है कि आप लोग यह सप्ताह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमको शीघ्र पूरा उतारनेमें व्यतीत करेंगे। मुझे आशा है इस सप्ताहमें आप हिन्दू-मुस्लिम एकताको दृढ़ करनेके लिए और भी अधिक प्रयत्न करेंगे। और मुझे इस बातकी भी आशा है कि इस सप्ताहमें आप अपने तथा दूसरोंके दिलोंमें यह बात पक्की तौरपर अंकित कर लेंगे कि भारतकी स्वतन्त्रता अहिंसापर ही निर्भर है। आप यह बात भी हृदयंगम कर लें कि हमारे समान विचार न रखनेवाले अपने किसी भी देशवासीके विरुद्ध कहा गया एक भी रोषभरा शब्द, किसी अंग्रेजके विरुद्ध कहा गया प्रत्येक शब्द तथा ऐसे व्यक्तिके ऊपर उठाई गई लाठी जिसने हमें [निश्चय ही] हानि पहुँचाई है, हिंसा है और कांग्रेस द्वारा हमारे लिए निर्धारित अनुशासनके विरुद्ध है। जबतक हम अपने छोटेसे-छोटे देशवासी तथा अदनासे-अदना विदेशियोंके दिलोंसे, जो हमारे बीच रहते हों, हिंसाका भय दूर नहीं कर सकते तबतक हम जनतन्त्रीय शासन व्यवस्थाके पात्र कहलानेका हक नहीं रख सकते। और यदि हम एक भी मनुष्यको अछूत समझते हैं, या भारतमें किसी भी व्यक्तिके बारेमें वह कोढ़ी या परिया[1] क्यों न हो, यह कहते हैं कि उसका स्पर्श अपवित्र करनेवाला है तथा उसकी छायासे वैष्णवों तथा शैवोंकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, तो हम असुरोंकी तरह अहिंसा व्रतका भंग करनेवाले बनते हैं। 'भगवद्गीता' का उपदेश सूर्यके प्रकाशके समान बिलकुल स्पष्ट है। वह हमें आदेश देती है कि ब्राह्मण तथा चाण्डालके साथ एक ही प्रकारके प्रेम और भाईचारेकी भावनाके साथ व्यवहार करो। यदि कोई ब्राह्मण किसी भी व्यक्तिको अपनेसे छोटा समझता है तो वह अपने ब्राह्मणत्वसे च्युत हो जाता है। मानवीय उदात्त भावनाने ईश्वरके लिए जिस मधुरतम नामकी उद्भावना की है वह है — दासानुदास, दासोंका भी दास। अब समय आ गया है जब कि भारतको अस्पृश्यतासे छुटकारा पा जाना चाहिए।

अब मैं दो शब्द विशेष रूपसे यहाँपर आई हुई प्रिय बहनोंसे कहूँगा। जहाँ-जहाँ भी मैं गया भारतीय महिलाओंने मेरे साथ प्रेमका व्यवहार किया। और जहाँ-जहाँ मैं गया मैंने आप बहनोंसे अपने तथा भाई मौलाना शौकत अलीके लिए आशीर्वादकी याचना की है। हमें अन्य बहनोंने जैसा आशीर्वाद दिया है मैं आपसे भी वही माँग रहा हूँ। और क्या आप जानती हैं कि हम ये आशीर्वाद किसलिए माँगते हैं? हम आजादी और भारतीय धर्मोंकी खातिर संघर्ष छेड़े हुए हैं। हम रावण-राज्यको राम-राज्यमें बदलनेका प्रयत्न कर रहे हैं। और आप जानती हैं, उस अशोक वाटिकामें सीता देवीने रावणके भेजे हुए बढ़िया-बढ़िया आभूषणों और चटपटे तथा स्वादिष्ट भोजन

१. दक्षिण भारतकी एक अछूत जाति।

अस्वीकार कर दिये थे। वे उन्ही कद-मूल, फलपर जीवन निर्वाह करके ही सन्तुष्ट रही जो अशोक वाटिकामे उन्हे उपलब्ध हो जाते थे। आप उन्ही सीताजीकी उत्तराधिकारिणी है। आपसे मै उन्हीके पदचिह्नोपर चलनेके लिए कहता हूँ। हमारे शास्त्रोने मुझे विश्वास दिलाया है कि एक सती स्त्रीका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नही जाता। मै चाहता हूँ कि आपमें भी वही पवित्रता निवास करे जो सीताजीमे थी। यदि आपमे सीताजीकी वह भावना भरी हुई है तो आप अपने पतियो या पिताओसे यह कहनेमे न झिझकें कि आपको अपनी प्रसन्नताके लिए गहनोकी जरूरत नही है। आप यह भी कहे कि हम यह कभी नही चाहती कि लोग न्यायालयोमे वकालत करे या ऊँचे पदोपर नौकरी करे। और उनसे कहे कि हमारी मजबूत बाहे तथा चपल अँगुलियाँ चरखा चलायेगी, सूत कातेगी। आप उनसे यह भी कहे कि हमारी मेहनतका फल उस धनमे योगदान करेगा जो कि हमारे पति, भाई व पिता कमाकर घरमे लायेगे। आप अपने बच्चोको रावण-राज्यके स्कूलोमे भेजनेसे इनकार कर दे। यदि आपने अपने शरीरोको विदेशी वस्त्र पहनकर कलुषित नही किया है तो पवित्र हृदयसे आप हमें आशीर्वाद दे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्षके भीतर धर्मराज्य प्राप्त करा सकेंगे। मै चाहता हूँ कि आप जो कुछ गहने या धन मुझे देना चाहे सो सकोचवश नही, हृदयकी सम्पूर्णताके साथ दे। यह धन गरीब घरोको चरखा मुहय्या करने तथा गरीब बालकोको पढानेमे खर्च किया जायेगा। मै और आप तबतक अपनेको गहनो या सुन्दर वस्त्रोसे न सँवारे जबतक कि एक भी पुरुष या स्त्री ऐसी है जिसके लिए अभी वस्त्र और भोजन मुहय्या करना शेष है। धैर्यपूर्वक भाषण सुननेके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ।

अब आप समझ गये होगे कि पिछली परम्परासे विपरीत आज हमारे सब भाषण और प्रस्ताव हमारे प्रति ही सम्बोधित है। आजके हमारे भाषणो और प्रस्तावोका तकाजा है कि हम अब सरकारसे आशा करनेके बजाय स्वय कुछ करे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे सामने कमसे-कम एक बार यह साबित कर दिखाएँ कि आप सब लोग स्वराज्य प्राप्त करनेपर तुले हुए है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग उन स्वयसेवकोको जो अभी आपके पास आनेवाले है कुछ-न-कुछ अवश्य दें। ये सारी चीजे यदि पूरे मनसे तथा स्वराज्य प्राप्त करनेके दृढ निश्चयके साथ दी जाये तो स्वराज्य प्राप्त करनेमे सहायक होगी। मै सकोचवश या मजबूर होकर दी गई कोई वस्तु नही चाहता। जिस प्रकार मै करोडो पाकर सन्तुष्ट होता हूँ वैसे ही एक पाईसे भी। इस वर्ष आपसे अनुशासनमे रहनेकी अपेक्षा की जाती है। ईश्वर आपको अनुशासनमे रहनेका साहस और सामर्थ्य दे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ६–४–१९२१

२६०. पारसियोके बारेमे कुछ-और

कोलम्बोसे एक पारसी भाई बरजोरजी रतनशा भूरीने पारसियोपर किये जानेवाले आक्षेपोके बारेमें लिखा है। उसमे से मै कुछ अश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। उनकी पारसी गुजरातीको बदलकर मैंने गुजरातियोकी गुजराती बना दिया है और वाक्योको सक्षिप्त भी किया है।

> आप अपनी सचाई और सादेपनके लिए विख्यात है। आपने जो आशाएँ बाँधी है उनपर आप दृढ रहे। आपका असहयोग हिंसासे बिलकुल अलग चीज है। यदि वस्तुत ऐसा हो तो मै असहयोगका समर्थन करनेको तैयार हूँ। लेकिन क्या सब व्यक्ति आप जैसे ही विचार रखनेवाले है? अभीसे मारकाट शुरू हो गई है। इससे मुझे दु ख पहुँचा है और मै अपनेको आपसे सहमत नहीं पाता।

इन टीकासे हमें कुछ सबक लेना चाहिए। हम जैसे-जैसे शान्तिका पाठ पढ़ते जाते है वैसे-वैसे हमें सफलता मिलती जाती है और लडाईकी कीमत बढती जाती है। भाई बरजोरजी दूर होनेके कारण मारकाटका जो विवरण पढते है उसीसे यह मान लेते है कि मारकाट शुरू हो गई है। लेकिन अभीतक तो यह कहा जा सकता है कि भारतमें जैसी शान्ति इस समय है वैसी पहले कभी न थी। लेकिन हमे तो सारे भारतपर शान्तिका राज्य कायम करना है। शान्तिकी रक्षा हमारा आधारस्तम्भ है। अगर वह कमजोर हुआ तो हमारी लडाई कमजोर होगी और वह दृढ हुआ तो हमारी लडाई दृढ होगी।

भाई बरजोरजी आगे लिखते है

> हमारे बाप-दादा ईरानसे आये। हमारे पवित्र और प्रिय धर्मकी खातिर वे हिन्दुस्तानमें आकर बस गये। इसी हिन्दुस्तानसे हम दुनियामें मशहूर हुए है। बदलेमें हमने, हमसे जहाँतक बन पड़ा है वहाँतक, अपनी बन्धु-कौमो हिन्दू और मुसलमानोकी सेवा की है। पारसियोने जितना दान दिया उतना किसी अन्य कौमने नहीं दिया है। पारसी [भारतकी जनराशिमें] गेहूँके एक दानेके समान है . . पारसी स्वराज्यके विरुद्ध नहीं है। लेकिन आप तो सात महीनेमें स्वराज्य प्राप्त करनेका इरादा रखते है। यह कदापि सम्भव नहीं होगा। . . . यदि देशमें परस्पर एकता न हुई तो स्वराज्य प्राप्त करना ही मुश्किल हो जायेगा।

पारसी-उदारतासे दुनियामे कोई अनभिज्ञ नही है। इसमें कोई सन्देह नही कि पारसियोने जितना दान दिया है उतना ससारकी किसी भी कौमने नही दिया। और इसमें भी कोई सन्देह नही कि पारसी सख्यामें बहुत कम होनेके बावजूद अगर चाहें तो हिन्दुस्तानमे स्वराज्यके लिए भारी मदद कर सकते है। कई पारसी सज्जन मदद कर रहे है, यह बात मै पहले ही लिख गया हूँ, और जैसे-जैसे इस लडाईकी पवित्रता

सिद्ध होती जायेगी वैसे-वैसे निस्सन्देह अधिक पारसी इसमे शामिल हो जायेंगे। मै मानता हूँ कि पारसियो और अन्य सब भाइयोको लडाईमे जल्दसे-जल्द शामिल करनेका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम उनकी आलोचना न करे, उनके सम्बन्धमे कटु वचन न बोले। जहाँ भूल जान पडे वहाँ विनयपूर्वक उनकी भूलको बताना हमारा फर्ज है, लेकिन किसीको गाली देना अथवा अपशब्द कहना पाप है।

भाई बरजोरजी सात महीनेमे स्वराज्य प्राप्त करना मुश्किल समझते है और उनके जैसे अन्य अनेक भारतीय भी इसे मुश्किल मानते है। इसीलिए हमे यह सात महीनेकी अवधि रखनी पडती है। [अन्यथा] यदि सबमे आत्मविश्वास आ जाये, हिम्मत आ जाये और सब अपना कर्त्तव्य पूरा करनेमे जुट जाये तो हम आज ही स्वराज्य प्राप्त कर लें। मै इस वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेकी बात कर रहा हूँ क्योकि मेरी मान्यता है कि हजारो भारतीय, जिन्होने असहयोग करनेकी प्रतिज्ञा ली है, अपनी प्रतिज्ञाका दृढतापूर्वक पालन करेगे। हमारा अपना अविश्वास हमारे रास्तेकी सबसे बडी बाधा है।

पारसी भाइयोने हिन्दुस्तानकी सेवा की है। पारसी बुद्धिमान है। उन्होने हिन्दुस्तानको अपना देश बना लिया है। उनका सर्वस्व हिन्दुस्तानमे है। उनकी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन उन्होने उसके साथ न्याय नही किया है, ऐसा कहे बिना नही रहा जाता। भाई बरजोरजीके पत्रको, यदि मै उनकी ही गुजरातीमे यहाँ उद्धृत करता तो बहुत सारे गुजराती उसे कदाचित् पूरा-पूरा समझ भी नही पाते। ऐसे अनेक पारसी समाचार-पत्र है जो गुजराती भाषाका वध करते है, यह बात पारसी समाचार-पत्र पढनेवाला प्रत्येक पाठक जानता है। यदि वे सामान्य गुजराती लिखनेका निश्चय करे तो ऐसी कोई बात नही कि वे न लिख सके। मलबारी[1] शुद्ध गुजराती लिख सकते थे। 'खबरदार'ने गुजरातीको अपने काव्यसे सुशोभित किया है। लेकिन इतनेसे ही सन्तोष कैसे माना जा सकता है? क्या वे इस बातको स्पृहणीय नही मानेगे कि पारसी गुजराती भाषापर ममत्व रखे और उसे अपनी मातृभाषा समझकर उसकी सेवा करे?

कोई पारसी लेखक कहेगा कि पारसी सामान्य रूपसे जो गुजराती लिखते है उसे ही शुद्ध गुजराती क्यो नही माना जा सकता? ऐसी शकाका समाधान करना तो आसान है। जो गुजराती, गुजरातके लाखो पढे-लिखे लोग बोलते है और लिखते है वही शुद्ध गुजराती है। गुजराती सस्कृतकी पुत्री है, इसलिए उसका आधार सस्कृत ही होना चाहिए, इसमें तो कोई शका नही उठा सकता। पारसी लेखक और शिक्षक यदि चाहे तो गुजरातीकी सेवा कर सकते है। जैसे-जैसे हममे जनताके प्रति प्रेम बढता जाता है वैसे-वैसे हममे अपनी भाषाके प्रति भी प्रेमभाव बढना चाहिए। जब भाषाके प्रति हमारा प्रेम बढेगा, और हमारा सारा प्रान्तीय कार्य गुजरातीमे चलने लगेगा तब हम कैसी गुजरातीका प्रयोग करेगे? हम अपने कानूनोकी रचना किस गुजरातीमे करेगे? हम अपनी विधान-परिषदोमे किस गुजरातीमे भाषण देंगे? हम अपनी पाठ्य-पुस्तके किस गुजरातीमे लिखेंगे? गुजरातीके प्रति हमारा मनमाना व्यवहार हमारे देश-प्रेम और भाषा-प्रेमकी

१. बहरामजी मेरवानजी मलबारी (१८५४–१९१२), कवि, पत्रकार और समाज-सुधारक।

न्यूनताका परिचायक है। देश-प्रेम हो और भाषा-प्रेमकी चिन्ता न हो, यह असम्भव है। हिन्दू, मुसलमान और पारसी तीनो कौमे गुजराती बोलती है। इन तीनो समाजोके लोग व्यापारी होनेके कारण सारे हिन्दुस्तानमे और देश-देशान्तरमे घूमते है। वे सब गुजराती है, इस बातका परिचय उनकी भाषासे ही मिलता है। गुजरातीकी सेवा करना तीनो कौमोका फर्ज है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-४-१९२१

२६१. टिप्पणी

खादीकी महिमा

खादीके प्रचारका इतना ज्यादा असर हुआ है कि बुलन्दशहरमे एक भिश्ती युवकके मर जानेपर उसके कफनके लिए उसके सगे-सम्बन्धियोने खादीका कपडा खरीदा और जातिके पचोने निश्चय किया कि कफनके लिए आगेसे खादीका ही इस्तेमाल किया जायेगा। खादीके सम्बन्धमे यदि लोगोमे ऐसी पवित्र भावना फैल जाये तो हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिलनेमें कितनी देर लग सकती है? जो समय जाया हो रहा है वह हमारी दुर्बलता अथवा हमारी अश्रद्धाके कारण ही हो रहा है। दुर्बलता अथवा अश्रद्धाके कारण हम अपना कर्त्तव्य पूरा नही करते।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-४-१९२१

२६२. भाषण : राजमहेन्द्रीमें

३ अप्रैल, १९२१

मै तो जानता ही हूँ और आप लोगोको भी जानना चाहिए कि बातोका जमाना बीच चुका है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी माँग[1] है कि भारत ३० जूनसे पहले राष्ट्रको एक करोड रुपया दे। वह आपसे यह भी कहती है कि आप एक करोड स्त्री-पुरुषोके नाम काग्रेसकी पजिकामें दर्ज कराएँ और भारतीय घरोमे ठीक काम देनेवाले २० लाख चरखोका प्रवेश करायें। आशा है आप अपने उत्तरदायित्वको पूरी तरह निभायेंगे। यदि हम ऐसा कर सके तो समझिये कि हम स्वराज्यको बहुत नजदीक खीच लाये है। किन्तु जबतक हिन्दू और मुसलमान इसमें हाथ नही बँटाते तबतक यह काम सम्भव नही है। हिन्दू-मुस्लिम एकता राष्ट्रके विकासके लिए उतनी ही आवश्यक है

१ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने बेजवाडामें १ अप्रैल, १९२१ को जो प्रस्ताव पास किये थे उनमें इस प्रकारकी माँग थी।

जितनी कि जीवनके लिए साँस। मैं और मौलाना शौकत अली भारतके सामने यह रखते आये है कि हिन्दू-मुस्लिम एकतासे हमारा क्या अभिप्राय हे। हम दोनो ही अपने-अपने धर्ममे अविचल श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति है, वे अपने इस्लाम धर्ममे और मैं सनातन हिन्दू-धर्ममे। जिस प्रकार हिन्दू मुस्लिम ऐक्य राष्ट्रको आजाद करने, स्वराज्य प्राप्त करने, खिलाफत और पजाबके प्रति किये गये अन्यायोको दूर करानेके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अहिसा और परस्पर प्रेम वनाये रखनेके लिए भी आवश्यक है। अहिसाका अर्थ है क्रोध और आवेशपर नियन्त्रण रखना, तथा मस्तिष्क एव हृदयको ईर्ष्याकी अधम भावनाओसे मुक्त रखना, इसलिए मैने इस आन्दोलनको आत्मशुद्धि एव आत्मसयमका आन्दोलन कहा है।

इसलिए देशमे पियक्कडोके विरुद्ध जो निष्कलुष आन्दोलन स्वयस्फूर्त रूपसे चल रहा है उसने मुझे अभूतपूर्व आनन्दसे भर दिया है।

महिलाओको सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा:

प्रिय बहनो, मैं आपको सचेत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्त्तव्य और धर्मको पहचाने। यदि आपके वीचमे कोई नर्तकी हो तो उससे लज्जास्पद जीवन बिताना छोड़ देनेको कहे।[1] वह चरखा अपनाए और चरखा चलाकर जो चन्द पैसे उसे मिले वह उन्हीको स्वीकार करे। चरखा उसके घरमे धन और ईश्वर दोनोको लायेगा। क्या आप समझती है कि यदि राम और सीताको यह मालूम हो जाता कि पेट-भरनेके लिए उनके राज्यमे एक भी स्त्रीको पुरुषोकी विषयवासना तृप्त करनी और अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है तो क्या वे क्षण-भरको भी चैनसे वैठते? मैं आप लोगोसे कहता हूँ कि और किसी कामके लिए नही तो केवल इन नर्तकियोकी रक्षाके लिए ही आप अपने सभी महीन वस्त्र और गहने त्याग दे।

यदि आप भारतकी खातिर चरखा नही अपनाती तो इन्हीके लिए अपनाएँ। भारतकी शुद्धताके निमित्त आप चरखा चलाये। आप उसी साडीको पहने जो आपको चरखेसे उपलब्ध हो सकती है। चरखेके सूतसे तैयार की गई पवित्र भारतीय साडी भारतके स्त्री-पुरुषोमे नैतिक गुणोकी रक्षा करनेवाली वने। मेरा निवेदन है कि आप लोग महीन विदेशी साड़ियाँ पहनना पाप समझे।

अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होने कहा:

इसके साथ ही आप अपने समाजमे पैठे हुए अस्पृश्यताके अभिशापको भी दूर करे। मेरी आवाज आन्ध्र देशके नेताओतक पहुँचाएँ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अध पतनकी ओर न ले जाये। मैं विश्वास करता हूँ कि आप निष्ठावान स्त्री-पुरुष है। मेरा विश्वास है कि आपमे भारतके लिए सभी प्रकारकी कुर्वानी करनेका सामर्थ्य है। और आप सभी सेवा करनेकी आकाक्षा रखते है। मै आपमे से प्रत्येकसे कहता हूँ कि आप अपने हृदयको टटोले और इस आन्दोलनके महत्वको पूरी तरह समझे और उसके मर्मको पहचाने, फिर भी आत्मश्लाघामे न पड़े। इस सघर्षको सफल वनानेके लिए ओजस्वी व्याख्यानोकी

१. इसके एक दिन पहले शामको नर्तकियोंका एक दल कोकोनाडामें गाधीजीसे मिला था। उन्होंने वताया कि नर्तकियाँ कैसा शर्मनाक जीवन विताती हैं।

आवश्यकता नही है। स्वराज्य प्राप्त करने तथा खिलाफत और पजाबपर किये गये अत्याचारोका प्रतिकार करनेके लिए जिन चीजोकी आवश्यकता है, वे है — नितान्त वैयक्तिक शुचिता, विनम्रता, सदाशयता तथा अध्यवसाय। ईश्वर आपको आवश्यक बुद्धि, साहस, विवेक और सेवाकी भावना प्रदान करे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ८–४–१९२१

२६३. भाषण: एलौरमें

आन्ध्र देशके अपने कुछ भाषणोको मै 'यग इडिया' मे प्रकाशित करना चाहता था। किन्तु ऐसा सम्भव न हुआ। मै राजमहेन्द्रीमे दिये गये अपने भापणको प्रकाशित करनेके लिए भी बहुत उत्सुक था। किन्तु मेरे पास उस भापणके कोई नोट नही थे। मै एक साथी कार्यकर्त्ताके प्रयासके फलस्वरूप एलौरमें दिये गये अपने भापणको प्रकाशित कर पा रहा हूँ। इस विवरणमे कुछ हदतक राजमहेन्द्रीमे दिये गये मेरे भाषणका मुख्य विषय आ जाता है। कुल मिलाकर विवरण अनुपयुक्त नही है, इसलिए मै इसे 'यग इडिया' के पाठकोकी सेवामें प्रस्तुत करता हूँ।[1]

३ अप्रैल, १९२१

खडे होकर भाषण न देनेके लिए आप मुझे क्षमा करे। आप जानते ही है कि मै शरीरसे बहुत कमजोर हूँ।

आप मुझे इस बातके लिए भी क्षमा करे कि आज मौलाना शौकत अली मेरे साथ नही है।

हम दोनोने सगे भाइयोकी भाँति लगभग एक सालतक भारतके कोने-कोनेका दौरा साथ-साथ किया और ऐसा करके हिन्दू-मुस्लिम एकताका पदार्थपाठ पढाया। मौलाना शौकत अलीका दावा हे कि वे अत्यन्त कट्टर मुसलमान है, और वे है भी, और मै कट्टर सनातनी हिन्दू होनेका दम भरता हूँ। किन्तु हमे साथ रहने और साथ सेवा करनेमें कोई कठिनाई महसूस नही होती है।

किन्तु आप और मै तो इसी वर्ष भारतमे स्वराज्य या धर्मराज्य स्थापित करनेकी जल्दीमे है, इसलिए आपको अब हम दोनोसे साथ-साथ यात्रा करते रहनेकी आशा नही करनी चाहिए।

लोकमान्य तिलकके चित्रका अनावरण करके मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। स्वराज्य उनके जीवनकी साँस थी। वे स्वराज्यके लिए जिये और स्वराज्यका मन्त्र जपते-जपते ही उन्होने अपनी जीवन-लीला समाप्त की। इसलिए आपका उस महान देशभक्तके चित्रको एक निधि समझना सर्वथा उचित हे। मुझे इस चित्रका अनावरण करनेके लिए

१ गाधीजीके हस्ताक्षरोंके साथ यह भूमिका ११–५–१९२१ के **यंग इंडियामें** प्रकाशित भाषणकी रिपोर्टके प्रारम्भमें दी गई है।

बुलाया गया है। मै इसे अपना गौरव एव सौभाग्य समझता हूँ। मै स्थानीय कलाकार-को उसकी इस कृतिके लिए बधाई देता हूँ। किन्तु महान व्यक्तियोके चित्रोके अनावरण तथा देवताओ और महापुरुषोका गुणगान करनेके सौभाग्यके साथ हमारे कुछ कर्त्तव्य भी आ जुडते है। आपने इस पवित्र रस्मको पूरा करनेके लिए जो मुझे बुलाया है अत मैने यह मान लिया है कि आपने अपना कर्त्तव्य भी समझ लिया है। मेरी समझमें तो तिलक महाराजके चित्रके इस अनावरणसे यह प्रकट होता है कि आप पजाब तथा खिलाफतके प्रति किये गये अत्याचारोके प्रतिकार और स्वराज्यकी स्थापनाके लिए कृत-सकल्प है। हम अपना सब-कुछ निछावर करके स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर ही उस महान् देशभक्तकी कीर्तिके अनुरूप उत्तराधिकारी होनेका अधिकार पा सकते है। मुझे एलौरकी महिलाओके एक क्लबके उद्घाटनके लिए भी निमन्त्रित किया गया है। मै इसे भी शुभ शकुन समझता हूँ। बहादुर बहनोको खद्दर पहने घर-घर जाकर राष्ट्रीय कोषके लिए धन एकत्र करते हुए देखकर मुझे बडी खुशी होती है।

उसी प्रकार यह भी शुभ शकुन है कि आपने मुझे राष्ट्रीय महाविद्यालय (नेशनल कालेज) के उद्घाटनके लिए भी बुलाया है। आप लोगोने इस महाविद्यालयके लिए ६७,००० रु० की अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। मुझे राष्ट्रीय महाविद्यालयका उद्घाटन करते हुए बडी प्रसन्नता हो रही है। ईश्वर इस सस्थाको दीर्घजीवी करे तथा उसके सभी प्राध्यापको और अन्य कार्यकर्त्ताओके प्रयत्नोसे प्राप्त हो सकनेवाला लाभ उसे मिले। मेरे विचारमे अध्यापकका पेशा ससारके उत्कृष्टतम पेशोमे से है। स्कूलके अध्यापक भावी पीढियोके न्यासी है। मुझे आशा है कि इस महान् सस्थाके अध्यापकगण यह बात याद रखेगे कि केवल वही शिक्षा सच्ची है जो बालक-बालिकाओको आत्माभिव्यक्तिके लिए समर्थ बनाती है। मैं अत्यन्त विनम्रताके साथ स्कूलके अध्यापकोसे कहना चाहता हूँ कि बालक और बालिकाओको इस वर्ष जो कला सिखाई जानी चाहिए वह केवल चरखा चलानेकी ललित-कला ही है, कपास धुनने तथा वस्त्र बुननेकी कलाएँ भी इसमे शामिल है।

रुईके इस कमजोर धागेपर ही इस्लाम और भारतकी आबरू टिकी हुई है और उसीसे पजाबमे किये गये दारुण अत्याचारोका प्रतिकार किया जा सकता है। वर्षोकी खोज और प्रयोग (और अब उस प्रयोगके साथ अनुभव भी जुड गया है) के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भारतीय जनताकी दारुण निर्धनता प्रत्येक घरमे चरखेका प्रवेश होनेपर ही दूर होगी। जबतक हम आधापेट खाकर जिन्दगी बसर करनेवाले अपने लाखो देशवासियोकी दुरवस्थाको मौन होकर देखते रहेगे तबतक हम अपनेको भारतकी सन्तान कहलानेका हक नही रखते। जबसे चरखा गया तभीसे हमारी अवनति शुरू हुई और तभीसे भारतमे इस दारुण निर्धनताका प्रारम्भ हुआ। भारतको स्वराज्य दिलानेकी खातिर हम स्त्री-पुरुषो, बालक-बालिकाओका अपने पूरे अवकाशका उपयोग चरखा चलानेमे करना एक छोटेसे प्रायश्चित्तके सिवाय और कुछ नही है। विदेशी कपडेका एक टुकडा पहनना भी मै पाप मानता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि आपमे से प्रत्येक इसे पाप ही समझे। बम्बई और अहमदाबादसे आनेवाले कपडेको भी मै विदेशी कपडा ही मानता हूँ। हमारी कातनेवाली मिले हमारे घरोमे और हमारी बुननेवाली मिले

हमारे गाँवोमे होनी चाहिए। जिम प्रकार आप लोगोकी निगाहमें बम्बईमें पकाई गई रोटी खाना पाप है उसी प्रकार बम्बईकी मिलो द्वारा बनाया गया कपडा पहनना भी आपके लिए पाप होना चाहिए। बम्बई और अहमदाबादको उन अत्यन्त गरीब लोगोके लिए कपडा बनाने दे जिनके लिए स्वदेशीका व्रत लेना सम्भव नही है। आप लोगोमे जो अधिक समझदार है उनको चाहिए कि वे अपने लिए सूत न कातना तथा उसका कपडा बुनवाना अपराध ही माने। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि और प्रान्तोकी अपेक्षा इस प्रान्तमे बहुत बढिया सूत कातकर उसे अपने बुनकरोकी खड्डियोपर बुनवाकर अच्छे किस्मका कपडा तैयार कराया जा सकता है। मै यह भी आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय महाविद्यालयके शिक्षक तथा न्यासीगण यह याद रखेगे कि तमिल और तेलुगू लोगोने हिन्दुस्तानी न सीखकर अपनेको भारतसे विच्छिन्न कर लिया है। श्रोताओके इस विशाल जनसमूहके सामने, जो अंग्रेजीका एक भी शब्द नही समझता, मुझे मजबूरन अंग्रेजीमें बोलना पड रहा है, और इस बातसे मेरा सिर नीचा हो रहा है। मै चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बातको शर्मनाक समझे कि आपमें से एक भी व्यक्ति मेरी सरल और टूटी-फूटी हिन्दुस्तानीका अपनी भाषामे अनुवाद नही कर सकता।

किन्तु मै अब दूसरे विषयोकी ओर आता हूँ। मैने राजमहेन्द्रीमें एक महत्वपूर्ण विषयपर अपने विचार पूरी तरह प्रकट किये थे और आशा करता हूँ कि कोई तेलुगू मित्र उस भाषणको भाषान्तरित करके प्रकाशित करायेगा तथा वह हमारे सैकडो देशवासियोके बीच वितरित होगा। कल रातको १० बजे कोकोनाडामें कुछ गणिकाएँ मुझसे मिलने आई। उनका जीवन कैसा है इस बातका पूरा पता मुझे उसी समय लगा, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मै धरतीमे समाया जा रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस कलक या पापको अपने बीचसे निकाल बाहर करे। यह उचित नही कि हमारी वासनापूर्तिके लिए एक भी बहनको लज्जापूर्ण तथा पतित जीवन बिताना पडे। शुद्धीकरणके इस आन्दोलनमे हमारा यह पावन कर्त्तव्य है कि हम इन बालाओको अपनी बहनें और बेटियाँ समझे। जिनके हृदयोमे इस उद्धत सरकार द्वारा हमारे प्रति की गई हिंसासे टीस होती हो वे भारतकी एक भी बालिकाके जीवनको बरबाद करके उस हिंसाको और अधिक न बढ़ायें। मैं आप भाइयो और बहनोसे कहता हूँ कि आप मुझे यथासम्भव शीघ्र ही यह खबर दें कि देशके इस भागमें अब एक भी गणिका नही है। जो बहने पीछे बैठी है मै उन्हे यह कार्य सौपता हूँ कि वे घूम-घूमकर हर गणिकाका पता लगाएँ और इस पापमे रत पुरुषोको शर्मिन्दा करके उन्हे इस मार्गसे निवृत्त करे।

हम इसे शुद्धीकरणका आन्दोलन कहते है, हम इसे धार्मिक आन्दोलन भी कहते है। हम इस सरकारको आसुरी सरकार कहनेका साहस करते है, हम इसकी तुलना रावण-राज्यसे करते है। हम अपने भावी राज्यके बारेमे धार्मिक दृष्टिसे सोचते है और इसीलिए आनेवाले स्वराज्यको हम उत्साहके साथ धर्म-राज्यके नामसे पुकारते है। हम अपनेको तथा अपने देवताओको धोखा न दे और इस प्रकार ईश्वरके शापके पात्र न बने, हम किसी भी व्यक्तिको अस्पृश्य न माने। अपने ही एक वर्गको हम कोढी समझते है

और साम्राज्यमे स्वय हमारा दर्जा कोढियोका बन गया है। मै अनुभवके आधारपर कह रहा हूँ और मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दू धर्ममे किसी भी मनुष्यके साथ उसे अस्पृश्य मानकर व्यवहार करनेकी अनुमति नही है। अपने धर्मको जानने और तदनुसार आचरण करनेवालेकी दृष्टिमे शूद्र उतना ही पवित्र है जितना एक ब्राह्मण। 'भगवद्गीता' मे कहीपर यह नही कहा गया कि चाण्डाल किसी प्रकार भी ब्राह्मण-से कम है। जिस क्षण किसी ब्राह्मणको दर्प हो जाता है और जब वह अपनेको श्रेष्ठ समझने लगता है उसी क्षण वह अपने ब्राह्मणत्वको खो देता है। भारत उन ब्राह्मणोका अत्यधिक ऋणी है जिन्होने सबकी भलाईके लिए स्वेच्छया अपनेको बलिदान कर दिया। वे ब्राह्मण ही थे जिन्होने ईश्वरको दासानुदास और पतितपावनके नामसे विभूषित किया है। वे ब्राह्मण ही थे जिन्होने यह सिखाया है कि यदि वेश्या और चाण्डालतक अपने हृदयको शुद्ध कर ले तो वे मोक्ष प्राप्त कर सकते है।

किन्तु मानव-जातिकी बदनसीबीसे अन्य मानवोकी तरह ब्राह्मणमे भी वे दुर्बलताये आ गई है जो सबमे हुआ करती है। अन्य लोगोकी तरह उसने भी अपने कर्त्तव्यकी —अर्थात् मानव-जातिको ज्ञान प्रदान करने तथा उन्हे ठीक तथा प्रशस्त मार्गकी ओर ले जानेकी—अवहेलना की। हम अग्रेजोपर प्रगल्भ होनेके साथ उद्धत और मगरूर होनेका आरोप लगाते है। उनपर कीचड उछालनेसे पहले हमे अपनेको ऐसा बना लेना चाहिए कि हमपर कोई अँगुली न उठा सके। हमे पहले अपने ही घरको व्यवस्थित करना चाहिए।

मै वर्णाश्रम धर्ममे विश्वास करता हूँ। किन्तु आज उसके नामपर जो कुछ हमारे सामने है वह उसकी विडम्बना-मात्र है। वर्णाश्रमधर्म समानताकी ओर ले जाने-वाला प्रशस्त मार्ग है। यह आत्म-सुखका नही, आत्मत्यागका धर्म है। यह दर्पका नही, विनम्रताका धर्म है। इसलिए जहाँ हमारी कुछ कमजोरियाँ ऐसी है जो मेरे रोगटे खडे कर देती है और मुझे निराश बनाती है वहाँ मै निराशाके अन्धकारमे आशारूपी प्रकाशकी अनेक किरणे भी देखता हूँ।

आत्मामे हलचल मचा देनेवाली जिन अनुभूतियोसे भारत गुजरा है उनमे इस आन्दोलनका आध्यात्मिक स्वरूप ही सर्वाधिक अन्त प्रेरक है। आप लोगोसे मेरा निवेदन है कि आप जुआ खेलना छोड़ दे, मादक द्रव्योका उपयोग करना, तथा इसी प्रकारके अन्य व्यसनोको छोड दे। मुझपर विश्वास रखे कि जब हम ऐसा कर लेगे तब पृथ्वीकी कोई भी शक्ति हमारे मार्गको अवरुद्ध नही कर सकेगी।

आपका ध्यान हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अहिसाकी ओर तो मै खीचता ही रहता हूँ। मुझे आशा है कि ये बाते अब हम सबके निकट एक अटल सिद्धान्तके रूपमे मानी जाने लगी है।

हिन्दूका किसी मुसलमानसे लडना और मुसलमानका किसी हिन्दूसे लडना स्वराज्यकी आशापर पानी फेरना है। हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच एकता स्थापित करनेका अर्थ है खिलाफत और पजाबपर किये गये अत्याचारोका प्रतिकार कराना।

हमारे लिए तलवार उठानेका अर्थ है उसके द्वारा अपना ही सर्वनाश कर लेना। विरोधियो या अग्रेजोके खिलाफ हमारी जबानसे एक भी क्रोध-भरा शब्द न निकलने

पाये। अंग्रेजो या अपने देशवन्धुओकी, जिनका मत हमारे मतसे नही मिलता, आलोचना करना आवश्यक नही है, क्योकि सवसे अच्छी और सवसे सच्ची-खरी आलोचना तो अपने विश्वासके अनुसार जीवन-यापन करना है।

हमें अपना ध्यान तीन वातोपर केन्द्रीभूत करना चाहिए जिन्हे काग्रेस-समितिने हमारे सामने रखा है। आपने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको राजधानीमे[1] निमन्त्रित किया है। आपने उसके सदस्योके प्रति अपना अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है। आपने स्वेच्छया ऐसा समारोह आयोजित किया है मानो कोई धार्मिक त्यौहार मनाया जा रहा हो या काग्रेसका कोई अधिवेशन हो रहा हो। श्री सी० आर० दासके शब्दोमें जन, धन और सघर्ष चलानेके शस्त्रोकी माँग वेजवाडेमे ही प्रारम्भ की गई थी। और मै आशा करता हूँ आप इस जुएको अपने कधोपर उठायेगे और निरन्तर योग देते रहेंगे ताकि हरएक भाई-वहनका नाम काग्रेसकी पजिकामें चढ जाये।

मुझे आशा है कि तीस जूनके आनेके वहुत पहले ही आप अपना भाग एकत्र कर लेंगे और उक्त तारीखके वहुत पहले ही इस आन्ध्र देशके प्रत्येक घरमें चरखा चलाया जाने लगेगा।

मुझे आशा है कि तीन मासकी अवधिमे अपनेको इस देशकी सन्तान कहनेका दम भरनेवाला एक भी व्यक्ति ऐसा न रहेगा जिसके तनपर विदेशी वस्त्र होगा। आपके उत्साह और श्रद्धाने मुझे दक्षिण आफ्रिकातक मे अपने प्रति आकर्षित कर लिया था। मेरे सवसे अच्छे वन्दी-साथी तमिल और तेलुगू देशभाई थे। मैदानमे उतरनेवाले लोगोमें वे सवसे पहले थे और वे लगातार डटे रहे। किन्तु जिस शक्ति, श्रद्धा, विश्वास, सादगी तथा परिश्रमशीलताका परिचय आप दे रहे है उससे मुझे आश्चर्य होता है। आपकी स्वाभाविक स्वतन्त्रताने और आपके स्वाभाविक आत्मसयमने मुझे विमोहित कर लिया है। आपमे इन सभी उत्कृष्ट गुणोके रहते हुए यदि हम इस वर्षकी अवधिमे स्वराज्य नही प्राप्त करते तो यह हमारे दुर्भाग्यके सिवा और कुछ नही होगा। निवेदन यही है कि आप अपने प्रत्येक कृत्यके सम्वन्धमे सजग रहे और उसकी जाँच स्वय करें। यह कहना अतिशयोक्ति नही कि आपमे मैंने जो-कुछ देखा-पाया है उससे मुझे विश्वास हो गया है कि राम-राज्य स्थापित करनेकी सामर्थ्य आपमे है। आपके चेहरे वताते है कि आप निष्कपट और उदार है। और मेरा यह कहना कि आन्ध्र देशकी वहनोने भी वही उदात्तभावना प्रदर्शित की है जो मैंने महाराष्ट्रमें देखी है, उनके प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शन है।

आप लोगोने जिस प्रकारसे शुरुआत की है उसी प्रकार आप आगे भी वढें। जव काग्रेसके मन्त्री अपना लेखा-जोखा उपस्थित करेंगे तव नि सन्देह उसमे आपका नाम सवसे ऊपर होगा। यदि एलौरमे कोई ऐसे वकील है जिन्होने अभीतक अपनी वकालत नही छोडी है तो मै उनसे कहता हूँ कि वे अपने भाग्यको भारतकी जनताके साथ जोड दें और मातृभूमिकी सेवा करनेका सुअवसर प्राप्त करे।

१. वेजवाडामें।

ईश्वर आपको बल दे, आपको कष्ट-सहन करनेका साहस दे और आपको इस योग्य बनाये कि आप मातृभूमिके लिए हर प्रकारका बलिदान कर सकें।

अभी स्वयंसेवक आपके पास आयेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय तिलक स्वराज्य निधिके लिए जो-कुछ दे सकते हैं, दें। यदि एलौरके लोग सब प्रकारके ऐशोआराम तथा आभूषणोंका परित्याग कर दें तो आप देखेंगे कि आप धर्म-राज्यको इतने थोड़े समयमें स्थापित कर लेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सभाकी व्यवस्था सावधानीके साथ की गई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इस सुन्दर व्यवस्थाके कारण मुझे अधिक परेशानी नहीं हो पाई और मैं इस भारी कार्यक्रमको पूरा करनेमें समर्थ हो पाया। मैंने जो-कुछ कहा उसे धैर्यके साथ सुननेके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-५-१९२१

२६४. पत्र: जी० ए० नटेसनको

बेजवाड़ा
४ अप्रैल, [१९२१][1]

प्रिय श्री नटेसन,

मैं ८ तारीखको एक दिनके लिए मद्रास रहूँगा, फिर भी शायद आपके यहाँ ठहरना सम्भव न हो सके। मैं यह भी नहीं चाहता कि सच्चे या तथाकथित सभी असहयोगियोंका आपके घर ताँता लगा रहे या वे आपके निवास-स्थानपर उन विषयोंपर खुलकर बातें करके आपको परेशान करें, जिनके बारेमें आपकी नापसन्दगी उन्हें मालूम है। मुमकिन है वहाँ पहुँचनेपर मैं आपके घर न आ सकूँ, लेकिन मैं इतनी आशा तो करता ही हूँ कि मद्रासमें मेरे मेजबान मुझे जहाँ ठहरायेंगे आप वहीं मुझे अपने दर्शन देने आयेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२३३) की फोटो-नकलसे।

१. जैसा कि पत्रमें उल्लेख है १९२१ में गांधीजी ४ अप्रैलको बेजवाड़ा तथा ८ अप्रैलको मद्रासमें थे।

२६५. पत्र : मणिवहन पटेलको

वेजवाडा
मोनवार [४ अप्रैल, १९२१][1]

चि० मणि,

इस समय सुबहके पांच बजे हैं। मसूलीपट्टम ले जानेवाली मोटरका इन्तजार कर रहा हूं।

रातको एक बजे मैं एलोरसे यहां आया। ये तीनों जगहे नकशेमें देख लेना।

आते ही तुम्हारा पत्र मिला और मैंने पढा।

डाक्टर कानूगाने[2] अच्छा काम किया है। डाह्याभाई[3] पिकेटिंग करने जाता है, यह अच्छा है। उसे मेरी बधाई पहुंचा देना।

चार घण्टे कातनेका नियम रखा, यह ठीक है। सूत मजबूत और एकसा निकालनेका प्रयत्न करना। यह भी देखना कि रोज कितना निकलता है।

मेरा तो विश्वास दिन-दिन बढता जा रहा है कि स्वराज्य सूतपर ही निर्भर है।

मैं रास्तेमें व्यस्त रहा और भटकता रहा, इसलिए मैंने पेंसिलसे लिखा। परन्तु तुम्हें तो स्याही और देशी कलमसे ही लिखनेका अभ्यास रखना चाहिए।

वापूकी सेवा करना और तुम दोनों भाई-बहनोंके बारेमें उनकी चिन्ताको कम करना।

गुजराती दिन-प्रतिदिन सुधारना। ध्यानपूर्वक 'नवजीवन' पढनेसे गुजराती सुधर सकती है।

मैं मंगलवार १२ तारीखको अहमदावाद पहुंचूंगा। वापूको खबर देना और कहना कि मुझे आशा है कि इस बीच उन्होंने खूब रुपया जमाकर लिया होगा।[4]

मोहनदासके आशीर्वाद

चि० मणिबेन,
द्वारा/ वल्लभभाई, वार-एट-लॉ,
भद्र, अहमदावाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो मणिबहेन पटेलने

१. गांधीजी इस दिन एलोरसे वेजवाडा पहुंचे थे। ६-४-१९२१ को वे मसूलीपट्टम पहुंच गये थे।
२ स्व० बलवन्तराय नरसिंहलाल कानूगा, अहमदाबादके प्रसिद्ध डाक्टर और कांग्रेसी कार्यकर्ता।
३ सरदार वल्लभभाई पटेलके पुत्र।
४ सम्भवत तिलक स्वराज्य कोषके लिए।

२६६. विचारमय जीवन

मुझे अपनी यात्राके दौरान मीठे और कडवे, दोनो ही प्रकारके अनुभव होते रहते है। मध्यप्रान्तकी यात्रा मुझे लम्बे समयतक याद रहेगी। हम वर्धा १७ तारीखकी सुबह पहुँचे थे। उसी दिन मोटरसे आर्वी और आष्टी जाना था। रास्ता लगभग ६० मीलका था। दोपहरके एक बजे निकलकर रातके दस बजे वापिस वर्धा पहुँचना था। लेकिन ईश्वरके मनमे कुछ और था। रास्तेमे मोटर खराब हो गई। आष्टी तो किसी तरह पहुँच गये। वापसीमे दूसरी मोटर भी खराब हो गई और सो भी ऐसी जगह जहाँ कोई मदद नही मिल सकती थी। अन्तमे एक गाँवके समीप पहुँचे। वहाँसे बैल-गाड़ीमे जाना निश्चित हुआ। रातके एक बजे बैलगाडीकी यात्रा शुरू हुई। मै थका हुआ था। आँखोमे नीद भी भरी हुई थी। मुझे क्या पडी थी जो मै यह देखता कि बैल कैसे है और बैलोको हाँकनेवाला कैसा है? नीदमे केवल यही समझमे आ रहा था कि बैल घोडेकी चालसे चले जा रहे है। बीच-बीचमे कम रफ्तारसे चलने लगते थे लेकिन ज्यादातर तो दौडते ही जा रहे थे। बैल दौड़े, यह बात किसे अच्छी नही लगती। मैने सोचा, "ठीक है, हम जल्दी घर पहुँचेगे। इस तरफके बैल अच्छे होगे।"

सुबह हुई और जब मै जागा तो मैने देखा कि बैल हाँकनेवालेकी हँकनीमे आर लगी हुई है, वह उसे बैलोके पुट्ठोमे चुभोता है और इस तरह उन्हे दौडाता है। बैल बेचारे इस पीडाके कारण रास्तेमे पोकते चले जा रहे है।

इस दृश्यको देखकर मेरी जो दीन दशा हुई उसका अगर पाठक अन्दाज लगा सके तो लगा ले। मेरे मनमे उसी समय गाडीसे उतर जानेकी इच्छा हुई। मुझे लगा कि इससे तो मोटरकी यात्रा हजार गुना अच्छी है। फिर मैने सोचा कि मोटरके कार-खानेमें भी मोटर बनानेवाले अंग्रेज और अमेरिकी मजदूरोकी क्या हालत होती होगी, इसे कौन जानता है? कौन जाने मोटरकी अपेक्षा बैलगाडीमे बैठनेमे कम पाप हो सकता है! — इस तरह मै मन-ही-मन विचार करता जाता था और बैलोके कष्टको देखता जाता था। दो-एक मिनट तो मैने उसे सहन किया। बादमे बैलके मालिकसे उसकी हँकनी माँगी। उसने हँकनी मुझे दे दी।

वह समझ गया। वह मुझे पहचानता नही था। मुझे "बाबाजी" के नामसे पुकारता था। "महात्मा" की अपेक्षा "बाबाजी" मुझे अधिक प्रिय लगा। मेरी पोशाकसे उसने मुझे "बाबा" माना। "बाबाजी"की पोशाक पहनना आसान है। "बाबाजी"के गुण प्राप्त करना मुश्किल है। तथापि हिन्दुस्तानके भोले लोग तो पहरावेकी सादगीसे हमेशा भुलावेमे आते रहे है, और आते रहेगे।

मैने गाडीवानको लकडीकी मूठका इस्तेमाल करनेकी सलाह देकर हँकनी उसे वापस दे दी और कहा कि बैलको दौडानेकी कोई जरूरत नही, अगर हम घटाभर देरसे भी पहुँचे तो कोई चिन्ता नही। मैने उससे आरको निकाल देनेकी विनती की।

उसने वैसा करनेका वचन दिया। वह अपने वचनका पालन करेगा अथवा नही, यह एक जुदा सवाल है।

इस घटनाका मेरे मनपर अच्छा असर नहीं हुआ। मैंने देखा कि हमारा जीवन कितना विचारशून्य और दयाशून्य है। हमारे प्रत्येक कृत्यमें विचार और दया होनी ही चाहिए। और मै स्पष्ट देख सका कि जहां दुर्बलता, असहायता और मूकता अधिक है वहां तो और भी अधिक दया होनी चाहिए। हम अपनी जातिपर — मनुष्यजाति-पर — दया करते है, उसमे आश्चर्यकी कोई बात नही है। वह तो होनी ही चाहिए। लेकिन कगाल और अकालसे पीडित मनुष्योंकी अपेक्षा भी क्या पशु अधिक निराधार, दु खी और मूक नही है? अकालपीडित लोग तो भूखसे व्याकुल होकर हमारे विरुद्ध लड भी सकते है लेकिन बैल क्या करें? वे तो न बोल सकते है और न विद्रोह कर सकते है।

मुझे पाठ्य-पुस्तकोंमे पढा हुआ पशु-सवाद याद आया। उसमे निहित रहस्य बिल-कुल सच्चा प्रतीत हुआ। हमारा जीवन कितना विचारशून्य है? मैंने विचार किया होता तो बैलोंकी और हांकनेवालेकी जाच की होती और लकडीमे लगी हुई आर यात्राके आरम्भमें ही अलग करा दी होती।

यदि गाडीवानने विचार किया होता कि कोई उसकी पीठमे आर भोके तो उसे कैसा लगेगा तो वह अपनी हॅकनीमें आर कभी नही रखता, बैलको मार-मार कर नहीं दौडता।

मैं जैसे-जैसे विचार करता जाता हूँ वैसे-वैसे स्वराज्यकी शर्तें 'बढती' जाती है। हमें आत्मशुद्धि करके स्वराज्य प्राप्त करना हो तो हम अपनी शुद्धिकी सीमा कहाँ बांधेंगे? अपने भगी भाईको अपने सगे भाईके समान मान लेनेसे क्या हम उस सीमाको प्राप्त कर लेगे? हमारे पशु भाई-बहनोका क्या होगा? उनके प्राणोमे और हमारे प्राणोमे कितना अन्तर होगा? हम खाते, सोते और सुख-दु खका अनुभव करते है सो वे भी करते है। हम बहुत हुआ तो उनके बडे भाई हो सकते है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

हम दूसरोसे उनका कर्त्तव्य करनेकी बात कहते है, वे ऐसा नही करते तो चिढ जाते है, कहते है कि "डायरको फाँसीपर चढाओ।" हमारे विरुद्ध पशुकी फरियाद सुननेवाला हमारे बारेमे क्या सोचता होगा?

हम हिन्दू गोरक्षाको प्राणरक्षाके समान माननेवाले है, गायको बचानेके लिए मुसलमानके साथ वैर ठानते है, लेकिन हम ही बैलको आर चुभोकर चलाते है, बैलपर बहुत ज्यादा बोझ लादते है, उसे बहुत कम खानेको देते है, फूंकाकी क्रियाके द्वारा खून निकलनेतक गायका दूध निकालते है। मुसलमानसे गाय न मारनेके लिए कहनेका हमे क्या अधिकार है? मुसलमान गायको खुराकके लिए मारनेमे कोई पाप नही मानते। क्या हिन्दू यह कह सकते है कि बैलको आर चुभोनेमे कोई पाप नही है? हम तो जान-बूझकर पाप करते है। कहते है कि अनजानमे किये गये पापको ईश्वर माफ कर देता है। अनजानमें हुए दोषोका ही प्रायश्चित्त होता है। जान-बूझ-कर पाप करनेके बाद प्रायश्चित्त करनेसे क्या कोई शुद्धि प्राप्त की जा सकती है?

इसलिए विचार करे तो हम देखेगे कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हम कितनी आत्मशुद्धि करे, इसकी कोई सीमा नही है। शुद्धि जितनी जल्दी होगी स्वराज्य उतनी जल्दी मिलेगा।

स्वराज्य अर्थात् धर्म-राज्य। यदि शासनकी वर्तमान पद्धतिके स्थानपर हम ऐसी ही कोई दूसरी पद्धति दाखिल करे तो वह स्वराज्यमे नही खपेगी, उसके द्वारा लोककल्याण नही होगा। जिस तरह स्वराज्यकी प्राप्तिकी कुछ शर्तें है वैसे ही उसके कुछ लक्षण भी है। अपने नडियादके भाषणमें मैंने स्वराज्यके लक्षणोका जिक्र किया था। किसी अन्य अवसरपर उनके सम्बन्धमे एक लेख लिखूंगा।

इस बीच हमे इतना तो समझ ही लेना होगा कि हमारा आत्मशुद्धिका दावा अगर सही है तो हमें अपने व्यवहारको लगातार सुधारते जाना होगा। चीटीसे लेकर हाथीतक सबके हकोकी जाँच करके हमे उनके अधिकार उन्हे देना होगा। ऐसा करनेपर ससार बिना माँगे ही हमे हमारे अधिकार दे देगा, इस सम्बन्धमे किसीको कोई भी सन्देह नही होना चाहिए।

इस राज्यको, शासनकी इस नीतिको अगर हम राक्षसी राज्य और राक्षसी नीति माने तो हमे स्वय ऐसी नीतिका परित्याग करना होगा। हमारे ऐसा करनेके साथ ही वह नीति स्वयमेव नष्ट हो जायेगी। इसीसे मै कह रहा हूँ कि हम सात महीनेमे स्वराज्य प्राप्त कर सकते है। क्योकि जो करना है सो हमे ही करना है और वह काम मात्र विचार-परिवर्तनका ही है। हम अपने विचार बदल दे तो उनके अनुरूप अपने आचरणमे परिवर्तन करनेमे तनिक भी देर नही लगेगी।

मै आशा करता हूँ कि कोई पाठक ऐसा आरोप नही लगायेगा कि मैं दिन-प्रतिदिन स्वराज्यकी शर्तें बढाता जाता हूँ। ज्ञानी पाठक समझ जायेगे कि मै स्वराज्यकी शर्तोंको हल्का और आसान करता जाता हूँ।

हमे इस राक्षसी नीतिको या तो ज्यादा बडा राक्षस बनकर रोकना होगा अथवा उससे अलग रहकर, उसका सर्वथा त्याग करके उसे मिटाना होगा। पाप और अन्याय किसी भी समय अपने बलपर नही टिक सकते। उन्हे हमेशा सहारा चाहिए। इसीसे सब धर्मोंकी यह शिक्षा है कि पापके साथ असहयोग करना परमधर्म है लेकिन यदि वैसा करके हमे पापनीतिको दूर करना हो तो हमे चाहिए कि हम प्रत्येक क्षण विचार करके अपने जीवनको पापसे बचाये। इस तरह पापनीति खुद-ब-खुद टूट जायेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-४-१९२१

२६७. अस्पृश्यताके सम्बन्धमें शंका

अस्पृश्यताके वारेमें अनेक लोगोके मनमे अनेक प्रकारकी शकाएँ उठती है। कोई एक तरहसे तो कोई दूसरी तरहसे उसका पक्ष लेनेकी कोशिश करता है। प्रत्येक ऐसे रिवाजके वारेमे, जो जड पकड चुका हो, यही होता है। कोई भी रिवाज आसानीसे कभी नही मिटा, वह तभी मिटा है जब उसका [कडा] विरोध किया गया है। हम देखते है कि शराब आदि पीनेकी कुटेवोका भी समर्थन किया जाता है। कितने ही ऐसे लोग पडे है जो शराव पीनेको धर्मतक मानते है। फिर अस्पृश्यताकी तो वात ही क्या? एक महानुभावने निम्नलिखित तीन प्रश्नोका उत्तर देनेको कहा है

१ भगी और चमारका धन्वा ही मैला है और जिसने इस धन्धेको अपना लिया है उसपर उसका इतना सूक्ष्म असर होता है कि भले ही वह नित्य स्नान करे तो भी वह साफ नही होता, उसके शरीरके कण-कणमे मैला व्याप्त हो चुका होता है। इसलिए उसका स्पर्श सर्वथा वर्जित होना चाहिए।

२ डाक्टर आदि जो मैला काम करते है, भगीका धन्धा उस अर्थमे मैला नही है। डाक्टर निरन्तर ऐसा काम नही करते और करते है तो वैसा काम करनेके बाद साफ हो जाते है।

३ ढेढ-भगी जबतक अपने धन्धेका सर्वथा त्याग नही कर देते तबतक उनको कदापि स्पर्श नही किया जा सकता।

उपर्युक्त दलीले कुछ नये प्रकारकी है। एक पक्ष यह कहता है कि अगर "अस्पृश्य" नहाने-धोने लगे तो फिर कुछ कहनेको नही रह जाता। किन्तु यहाँ कहना यह है कि भगीके शरीरमे ही मैल घर कर गया है, इससे हम उसे चाहे कितना ही क्यो न धोये वह अस्पृश्य ही बना रहेगा।

दोनो पक्षोकी भूलको कमसे-कम मैं तो स्पष्ट देख पाता हूँ। हमे भगी आदिको न छूनेकी आदत पडी हुई है। इसके अतिरिक्त उसे धर्मका स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। इसलिए अब उन्हे छूनेकी इच्छा ही नही होती। इसलिए हमे हर तरहसे अपनी आदतका समर्थन करना भाता है। मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार तो भगीपर जो मैल चढ़ता है वह शारीरिक है और उसे आसानीसे दूर किया जा सकता है। लेकिन जिनपर असत्य, पाखण्ड इत्यादिका मैल चढा हुआ होता है वह बहुत सूक्ष्म होता है और उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि किसीको अस्पृश्य माना जा सकता हो तो असत्य और पाखण्डसे भरे हुए लोगोको ही। लेकिन उन्हे अस्पृश्य कहनेकी हम लोगोकी हिम्मत नही होती क्योकि कम या अधिक ऐसा मैल हम सभीमे है। हम यदि वैसा करने बैठे तो वह ससारके काजी बननेके समान होगा। और हम स्वय अस्पृश्य बन जायेगे। इस सच्ची मलिनतासे छुटकारा पानेके लिए हमारे पास धीरज और आन्तरिक स्वच्छताके सिवाय दूसरा कोई उपाय नही है। लेकिन भगीकी मलिनता उसके

शरीरमे ऐसी व्याप्त नही होती, इतना ही नही बल्कि उसका उपाय भी आसान है। उन्हे अगर हम अपना बना ले तो वे अवश्य साफ रहने लगे।

डाक्टरका धन्धा निरन्तर मैल साफ करनेका ही है। उन्हे अगर चौबीस घटे चीर-फाडका काम मिले तो वे उसे करनेसे इनकार नही करेगे। इसके अतिरिक्त वे भी अपनी आजीविका अर्जित करनेके लिए ही मैल साफ करनेका अपना धन्धा करते है। तथापि उस कार्यको हम परोपकारपूर्ण गिनते है और डाक्टरको सम्मान देते है। मेरी दलील यह है कि डाक्टरका धन्धा सिर्फ रोगीके लिए उपकारक है, लेकिन भगीका धन्धा समस्त ससारके लिए उपकारक होनेके कारण डाक्टरके धन्धेकी अपेक्षा अधिक आवश्यक और पवित्र है। डाक्टर अपने धन्धेको छोड दे तो केवल रोगियोका ही नाश होगा लेकिन यदि भगीका धन्धा बन्द हो जाये तो जगत्का नाश हो जाये। इसलिए इस कथनमे कुछ भी अनुचित नही कि ऐसा आवश्यक कार्य करनेवाले व्यक्तिको अपवित्र मानने और उसका परित्याग करनेमे घोर पाप है।

भगी-चमारसे उसका धन्धा छुडवानेकी कोशिश करना तो मै जगत्के लिए बहुत हानिप्रद कार्य समझता हूँ।

हमारे पास एक ही उपाय है। जैसे डाक्टरके धन्धेको हमने पवित्र मान लिया है वैसे ही भगी-चमारके धन्धेको भी पवित्र माने। हम उन्हे स्वच्छ रहनेके लिए प्रेरित करे, उन्हे अपनेसे दूर करनेकी बजाय उन्हे अपने समीप लाये और उनकी सेवा करे। हम अपने पाखानोको साफ रखनेकी आदत डाले और जरूरत जान पडे तो उसे स्वय साफ करनेके लिए तैयार रहे और साफ करना सीखे। जब हम भगीके धन्धेकी पवित्रताको समझने लगेगे तब हमारे पाखाने, जो आज नरक-कुण्डके समान है, हमारी रसोई अथवा हमारी बैठकके समान स्वच्छ होगे। मेरी दृढ मान्यता है कि भगीको और उसके धन्धेको तुच्छ मानकर हमने अनेक रोगोको स्थान दिया है। ब्राह्मणोके घरोको मैने भगीके घरोकी अपेक्षा अधिक गन्दा पाया है। भगीके घरके पास पाखाना नही होता इसीसे वह स्वच्छ लगता है। हमारे पाखानोकी गन्दगीसे और हमारी तत्सम्बन्धी बुरी आदतोके कारण प्लेग, हैजा आदि रोग तुरन्त ही फैल जाते है, ऐसी अनेक विद्वान् डाक्टरोकी मान्यता है। मुझे तो इस बातका विशेष रूपसे अनुभव हुआ है। अपने पाखानोको हम ऐसी हालतमे रख सकते है जिससे उन्हे साफ करनेमे तनिक भी घिन नही आये और जब उनमे प्रवेश करे तब वे हमे स्वच्छ और दुर्गंध-रहित लगे। अस्पृश्यताके पापके कारण ही हम साम्राज्यके अस्पृश्य, साम्राज्यके भगी बन गये है। इतना ही नही, बल्कि उस पापके कारण हम रोगी भी बन गये है और हमारे शरीर निस्तेज और दुर्बल हो गये है। पाखाना आदिसे सम्बन्धित हमारी आदतोके कारण हवापर कितना खराब असर होता है और खराब हवाका असर शरीरपर कितना खराब होता है इसका हमे खयाल ही नही है। फुरसत मिलनेपर मै इस विषयका विस्तृत विवेचन करना चाहता हूँ।

मुझे मलिनताके प्रति मोह नही है और न भगीके प्रति। मुझे अतिशयोक्तिकी आदत नही है। मै हिन्दू-शास्त्रोको माननेवाला हूँ, हिन्दूधर्मका अभिमानी हूँ। मेरा सत्य मुझे निर्मोह रखता है और शास्त्रके नामपर चलनेवाली सब वस्तुओको आँखे मूँदकर

स्वीकार कर लेनेसे बचाता है। मैं नम्र भावसे जैसे-जैसे विचार करता हूँ वैसे-वैसे मुझे लगता है कि साम्राज्यने जैसी डायरशाही चलाई है वैसी ही डायरशाही हिन्दूधर्मके नामपर हिन्दुओंने भंगी आदि जातियोंपर चलाई है। साम्राज्यकी डायरशाहीको मैं शैतानियत कहता हूँ। अस्पृश्यताको भी मैं उतनी ही भयंकर शैतानियत मानता हूँ। मैं हिन्दू-धर्मको उस दोषसे मुक्त करनेके लिए जी-जानसे प्रयत्न कर रहा हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे उसके लिए और अधिक कठिन तपश्चर्याके योग्य बनाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-४-१९२१

२६८. टिप्पणियाँ

सफेदमें काला

स्वदेशी आन्दोलनका लाभ उठाकर कितने ही लोग कैसी बेईमानी कर रहे हैं इसका उदाहरण देकर एक मित्र लिखते हैं

> मैं तो देशमें पहले ईमानदारी और बादमें स्वदेशीके प्रचारकी इच्छा करता हूँ।

यह विचार निर्मल है लेकिन उसमें एकान्तवाद है। जैन-दर्शनसे मैंने अनेक जानने योग्य बातें सीखी हैं। उनमें से एक अनेकान्तवाद है। "एकान्त" दृष्टिसे देखी हुई एक भी बात सही नहीं होती। प्रत्येक वस्तुके दो पक्ष होते हैं। "मैं तो पहले ईमानदारी चाहता हूँ" इसमें एकान्तवाद आ जाता है। यह बात हमेशा स्पृहणीय है। लेकिन जबतक लोगोंमें ईमानदारी नहीं आ जाती तबतक स्वदेशीके प्रचारको रोक दिया जाये — ऐसा सोचनेसे तो स्वदेशी और ईमानदारी दोनोंको ही खोनेका अवसर आ जायेगा। सत्य अथवा ऐसे ही अन्य गुणोंका विकास मनुष्यमें अपने-आप नहीं होता, कुछ-न-कुछ काम करनेके साथ-साथ ही होता है। हिन्दुस्तान लायक बनेगा तभी वह स्वराज्यका उपभोग कर सकेगा, ऐसा कहकर राज्यकर्त्तागण आजतक स्वराज्यको रोके रहे और हमने उन्हें ऐसा करने दिया। हिन्दुस्तान तो स्वराज्यके लिए कबका लायक है। हिन्दुस्तानमें पूर्णता होती तो वह गुलाम न होता, लेकिन स्वराज्यकी योग्यता तो स्वराज्यका उपभोग करते हुए ही आती है। इसी तरह स्वदेशीका प्रचार करनेसे ही लोगोंमें ईमानदारीकी भावना आयेगी। स्वदेशी ईमानदारीके बिना नहीं चल सकती, यह विचार शुद्ध है और अनेकान्तवादका विरोधी नहीं है। ऐसा माननेसे दोनों वस्तुएँ साथ-साथ चल सकती हैं। ईमानदारीके बिना एक भी वस्तु नहीं चल सकती, ऐसा दृढ़ विश्वास रखनेसे उस गुणका और भी विकास किया जा सकता है और साथ ही किसी भी अच्छी प्रवृत्तिको चलानेमें क्षोभ भी नहीं होगा। मेरी मान्यता तो ऐसी है कि यदि हमने मोहमें फँसकर स्वदेशीका त्याग न किया होता तो आज हम जिस हालतमें हैं,

जो असत्य हममे घर कर गया है, वैसा कभी न होता। मेरा यह विश्वास है कि स्वदेशीका प्रचार सत्यका, स्वधर्मका और स्वराज्यका प्रचार है। अतएव स्वदेशीमे श्रद्धा रखनेवालोको मेरी सलाह है कि वे देशकी वर्तमान शिथिलतासे निराश न हो तथा स्वदेशीका प्रचार लगातार करते ही रहे। हम स्वदेशीका प्रचार करनेसे, चरखेको [अपने घरोमें] दाखिल करनेसे, खादी पहनने-पहनानेसे लोगोके सामने सत्यका पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करते है।

बेईमानी

उक्त मित्रने खादीके व्यापार और चरखेमे चल रही धोखाधडीके सम्बन्धमे उदाहरण पेश किये है। वे लिखते है कि खादी बेचनेवाले या तो मिलसे कते सूतकी खादीको हाथके कते सूतकी कह कर बेचते है अथवा असली खादीपर भारी मुनाफा लेते है। और चरखा बेचनेवाले, चाहे जैसा चरखा हो, मनमाने भावपर बेचते हैं। मुझे भी इन दोनो दोषोका अनुभव हो रहा है। प्रत्येक प्रवृत्तिमे धूर्त लोग होते ही हैं। उन्हे पराजित करनेमे ही नई प्रवृत्तिके प्रवर्तकोकी कार्यदक्षताकी कसौटी होती है और उसीपर उसकी सफलता निर्भर करती है। खादीके ज्यादा दाम लिये जाते है, यह बात अधिक कालतक नही चल सकती क्योकि जैसे-जैसे खादीका उत्पादन बढता जायेगा वैसे-वैसे उसके बेचनेवाले प्रतिस्पर्धा करके उसके दाम कम करेगे। झूठी खादीकी बिक्रीको खतम करना जरूर मुश्किल है। शुद्ध खादीकी जाँच हो सके मैं इसका प्रयत्न कर रहा हूँ, जाँच करनेके साधनोकी तलाश कर रहा हूँ। जाँच करनेवाले व्यक्तियोका भी आसानीसे मिलना मुश्किल है क्योकि हाथके कते सूतके बुने जानेके बाद उसकी परख करना कोई सरल काम नही है। इस बीच सबको उसी जगहसे खादी खरीदनेका निश्चय करना चाहिए जिसपर उन्हे भरोसा हो। ऐसा करनेपर भी अगर वे धोखा खा जाये तो इसमे धोखा देनेवालेको पाप लगेगा, धोखा खानेवालेको नही। इस धोखाधडीके बावजूद, देशको यह लाभ तो होगा ही कि लोगोमे खादीके प्रति प्रेमभाव बढेगा, उसकी झिझक नही रहेगी और वह सभ्य पोशाक मानी जायेगी।

चरखेकी परख

खराब चरखे बेचे जाते है, यह जरूर डरकी बात है। यदि जिसपर काता न जा सके या बहुत कम काता जा सके अथवा जो तुरन्त टूट जाये ऐसा चरखा बेचा जाये तो लोगोमे चरखेके प्रति अरुचिकी भावनाका प्रसार होनेकी बहुत सम्भावना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोडे ही अर्समे इसका उपाय हो जायेगा। चरखेके बारेमें प्रयोग चल रहे हैं। जैसे-जैसे चरखा जाननेवाले लोग बढते जायेगे वैसे-वैसे खराब चरखोका बेचा जाना बन्द हो जायेगा। सोनेकी कसौटीके लिए जैसे बम्बईमे "धर्म-कॉटा" है वैसे ही चरखेके लिए भी कोई कसौटी निर्धारित करनेका विचार मैं कर रहा हूँ। हर अच्छी वस्तुका प्रचार इसी तरह बढता है। जिस तरह टाइपराइटर, सिलाईकी मशीन आदिके बारेमे हम जान सकते है कि वह अच्छी है या नही उसी तरह चरखेके सम्बन्धमे भी हम थोडे समयमे जान सकेगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।

चरखेके प्रति लोगोके दिलोमे इतना विश्वास बढता जाता है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि थोडे समयमे ही हम हिन्दुस्तानके बाजारोमे अच्छे, मजबूत और सस्ते चरखे देखने लगेगे। इस बीच जहाँ-जहाँ चरखेकी प्रवृत्ति चल रही है, वहाँ-वहाँ कार्य-वाहक अच्छे और बुरे चरखोमे भेद करना सीख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जांचके कुछ सामान्य उपाय तो मै यही लिखे देता हूँ

१ चरखेका चक्र बिना आवाजके और बिना रुके चलना चाहिए।

२ चरखेका प्रत्येक भाग मजबूतीसे बिठाया हुआ होना चाहिए।

३ चक्र चलानेका हत्था ऐसा न हो कि अपनी जगहसे फिसल जाये।

४ चरखेका तकुआ बिना आवाजके फिरना चाहिए और उसके लिए चमरख मूँजका अथवा चमडेका बना हुआ होना चाहिए।

५ अच्छे चरखेपर एक अच्छे सूत कातनेवालेके हाथो एक घटेमे ढाई तोला सूत निकलना चाहिए। जो चरखा अन्तिम शर्तको पूरा न करे अर्थात् एक घटेमे ढाई तोला सूत न निकाले, उसे पास नही किया जाना चाहिए।

बढई स्वयसेवक

हममे सिर्फ विद्यार्थियोको ही स्वयसेवक बनानेकी रूढि पड गई है। उसके बदले समस्त अच्छे युवकोको स्वयसेवक मण्डलमे शामिल करनेका रिवाज डालनेकी जरूरत है, ऐसा मै पहले ही लिख गया हूँ। यदि हम राष्ट्रीय प्रवृत्तियोको बडे पैमानेपर चलाना चाहते हो तो हमे अनेक कारीगरोको भी इनमे शामिल करना चाहिए। बढई, लुहार आदि जब लोकहितके लिए काम करने लगेगे तब हम सस्ते और अच्छे चरखे भी तैयार कर सकेगे। आज तो हमारी ऐसी दशा है कि हम कातनेके लिए तैयार भी हो जाये तो समयपर अच्छे चरखे बनाकर देनेवाले बढई हमे नही मिलते। बढई मिलते है तो तकुआ बनानेवाले लुहार नही मिलते। लुहार और बढई मिलते है तो ईमानदार और स्वदेशप्रेमी धुनिये नही मिलते। लेकिन यदि हमारे पास स्वराज्य-के लिए काम करनेवाले लुहार, बढई और धुनियोके मण्डल हो तो हम जनताको बहुत आगे ले जा सकते है। यह काम कितना आसान है सो एक बढई भाईके पत्रसे स्पष्ट हो जाता है। वे लिखते है

> स्वामीनारायण मन्दिरका निर्माण-कार्य मुफ्त किये जानेके बारेमें आपने अपने लेखमें[1] जो लिखा हे वह सही है। स्वराज्य-मन्दिरके निर्माण-कार्यमें जिन कारीगरोकी जरूरत पडे, वह हम लोगोकी ओरसे पूरी की जानी चाहिए। उसके लिए अथवा बडे स्कूलोका निर्माण करनेके लिए कितने बढ़इयोकी जरूरत होगी ——हम इसका एक अन्दाजा लगा लेगे और अपनी बिरादरीकी एक सभा करके सारा काम आपसमें बाँट लेगे। महीने-महीनेकी बारी बांधकर हम लोग वेतन लिये बिना देशकी मदद करेगे।

१ देखिए "चरखेका आन्दोलन", ६-२-१९२१।

यह पत्र लिखनेवाले मिस्त्री-जैसे अन्य अनेक कारीगर भाई हिन्दुस्तानमे अवश्य होगे। हम उन्हे स्वदेशके कार्यमे लगाये तो आसानीसे लगा सकते है और स्वराज्य-मन्दिरका निर्माण करनेवाले कारीगरोके मण्डल जगह-जगहपर स्थापित हो सकते है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-४-१९२१

२६९. भाषण : मसूलीपट्टमकी सार्वजनिक सभामे

५ अप्रैल, १९२१

हिन्दू और मुसलमान भाइयो और बहनो,

आपकी नगरपालिकाने मुझे जो मानपत्र दिया तथा उसमे मेरे लिए जो भावनाएँ व्यक्त की गई उनके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। यह मेरे लिए बडी प्रसन्नता तथा आनन्दकी बात है कि मै वह काम कर सका जिसे पूरा करनेकी बात मैने सोची थी। मैने अपने कुछ दोस्तोको यह वचन दिया था कि मै आन्ध्र जातीय कलाशाला[1] देखनेके लिए मसूलीपट्टम यथासम्भव शीघ्र आऊँगा। यद्यपि मै बेजवाडासे दो बार गुजरा, फिर भी किसी-न-किसी कारणसे मसूलीपट्टम आनेमे असमर्थ रहा हूँ। यह अवसर टलता रहा। विलम्ब ही से सही मुझे यहाँ आनेकी बहुत प्रसन्नता है। विलम्ब इसलिए कहता हूँ कि मैने मसूलीपट्टममे राष्ट्रीय सस्थाको देखनेका पहलेपहल विचार उस समय किया था जब असहयोग आन्दोलनका अस्तित्व ही नही था। मैने इस महान् शिक्षा-सस्थाकी पवित्र भूमिमे शान्तिपूर्ण और पवित्र ऐसे दो दिन बिताये है जिनकी स्मृति मुझे सदैव बनी रहेगी। मै यहाँ यह कहनेके लिए खडा हुआ हूँ कि मैने इन दो सौभाग्यपूर्ण दिनोमे जो-कुछ देखा है उसके आधारपर यह कहा जा सकता है कि सस्थाके बारेमे मैने जितनी आशा की थी वह उससे कही ज्यादा सिद्ध हुई है। इस स्थलके कण-कणमे मुझे अनुशासन, सगठन-शक्ति और त्याग दिखाई पड रहा है। भारतीय होनेके नाते मै अपनेको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मुझे आशा है कि आन्ध्र प्रदेशके सभी निवासी इस महान् प्रान्तके निवासी होनेके नाते इसपर उतना ही गर्व करते होगे। मेरी समझमे मसूलीपट्टमके आप नागरिकगण अपने बीच एक ऐसी सस्थाका होना बहुत बडी चीज समझते होगे, जिसका प्रबन्ध त्यागकी भावनासे भरे हुए मनुष्योके हाथोमे है। मै आसानीसे किसी भी सस्थाकी प्रशसा नही करता। लेकिन इन दो दिनोके अन्दर मेरे दिलमे जो भावनाएँ उत्पन्न हुई है, उन्हे मैं आपके सम्मुख व्यक्त न करता तो यह अपने तथा आप लोगोके प्रति मिथ्याचार ठहरता। इसलिए मै आपसे कहता हूँ कि उस सस्थाको आप अपनी चीज समझकर जहाँ उसे कमजोर पाये वहाँ उसे मजबूत करे। जहाँ लगे कि गुँजाइश है, वहाँ उसे और पूर्णतर बनाये। इसे अपना

१. आन्ध्र राष्ट्रीय कालेज।

ध्येय ही माने और अपने ध्येयोको पूर्ण वनानेके लिए इसे पूर्णता प्रदान करे। मुझे यह जानकर आश्चर्य तथा दु ख हुआ कि आपके नगरकी दो वडी शिक्षा-सस्थाओसे एकने भी इस विशाल विद्यालयका समर्थन नही किया। मैंने आशा की थी कि असहयोग आन्दोलनके फलस्वरूप मसूलीपट्टम हाईस्कूल तथा कालेजके विद्यार्थी अपने स्कूलोसे उसी तरह ऊव उठे होगे तथा निराश हो गये होगे जैसे समस्त भारतके विद्यार्थी इस सरकारकी छत्रछायामे पलनेवाली सस्थाओसे हो गये है। मैंने ऐसी आशा की थी कि कमसे-कम इस प्रकारके विद्यार्थी तो इस विद्यालयमे पहुँचेगे ही। अन्य स्थानोमे मुझसे विद्यार्थियोने पूछा है कि उन्हे कहाँ जाना चाहिए, क्योकि राष्ट्रीय सस्थायें है ही नही। मसूलीपट्टमके विद्यार्थियोके लिए इस प्रकारका कोई भी वहाना नही है, क्योकि उनके वीच एक ऐसा विद्यालय लगभग १५ सालसे काम कर रहा है। यदि आप वहादुर विद्यार्थी है तो मेरी वात जरूर मानेगे। आप लोगोको इस स्कूलमे दाखिल हो जाना चाहिए और इस विद्यालयके विद्यार्थी होनेकी हैसियतसे यदि आप इसमे कोई ऐसी कमी देखे जिसके कारण आपके मस्तिष्क और हृदयकी भूख नही मिट सकती तो आप अपने शिक्षकोसे उस कमीको दूर करनेका अनुरोव करे।

कल पुनीत राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ हो रहा है। ६ अप्रैल, १९१९ के दिन भारत जागा था। ६ अप्रैल, १९१९ ने एक जगे हुए भारतको देखा था। उस दिन हिन्दू और मुसलमान दोनो ही जातियोने एकताकी वास्तविक इच्छा प्रदर्शित की थी। उसी दिन सच्ची स्वदेशीकी भावना भी जगी थी। उसी महान् दिवसके ठीक सात दिन पश्चात् अर्थात् १३ अप्रैलको वह खूनी रविवार आया जिसमे जलियाँवाला वागमे लगभग १,५०० निर्दोप व्यक्तियोकी हत्या कर दी गई और फिर हत्यारोने घायलोकी जरा भी चिन्ता नही की। मेरे आसपास बैठे हुए आप सभी विद्यार्थियो, वकीलो तथा स्त्रियोसे मै यह कहता हूँ कि वे जलियाँवाला वागमे एक असहाय, एकाकी, वहादुर, शरीफ और कुलीन उस महिला रतनदेवीकी कल्पना करे जो अपने मृत पतिकी लाशपर रो रही है और निडर होकर जनरल डायरके हुक्मोका उल्लघन करती हुई अपने प्राणपतिका शीश अपनी गोदमे रखे हुए है। रतनदेवी आप लोगोकी वहन थी और मेरी भी। सोचिए कि जलियाँवाले वागके उस वीरान मैदानमे यदि आप रतनदेवीकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। मै नही चाहता कि आप लोगोके मनमे अग्रेजोके प्रति क्रोध भडके, लेकिन मै यह जरूर चाहता हूँ कि आप लोग गहराईसे विचार अवश्य करे। हमने इस पवित्र सप्ताहका प्रारम्भ और समाप्ति व्रत, प्रार्थना तथा हडतालसे करना तय किया हे। मै आशा करता हूँ कि आप लोग मसूलीपट्टमके नागरिक कल निराहार रहेगे, प्रार्थना करेगे तथा हडताल मनायेंगे। उपवास हमारी वहुत प्राचीन पद्धति है। जब हम अपने भीतर कुछ अपवित्रता या कलुश पाते हैं तव उपवास करते है। हम अपने पिछले पापोके प्रायश्चित्तस्वरूप भी उपवास करते है तथा परमात्मासे प्रार्थना करते है कि वह हमें शक्ति प्रदान करे और हमारे पापोको क्षमा करे। प्रार्थनाके वाद हम अपने जीवनका एक नया पृष्ठ प्रारम्भ करते है। इसलिए मै आशा करता हूँ कि आपमे से हरएक जो यहाँ उपस्थित है, इन दो जरूरी वातोको नही भूलेगा। मै कल और आगे सप्ताह-भर हडतालको एक धार्मिक कृत्य मानूंगा। इसका

तात्पर्य राजनैतिक प्रदर्शनकी अभिव्यक्ति न समझा जाये, बल्कि यह माना जाये कि भारत आत्म-ज्ञानके अनुसन्धानका सकल्प कर चुका है। मै आप लोगोसे कल और पूरे सप्ताह-भर यह कहता रहूँगा कि ईर्ष्या और वैमनस्यका प्रत्येक विचार, सरकारके किसी भी सदस्यके विरुद्ध, चाहे वह अग्रेज हो अथवा भारतीय, अपने दिलोसे निकाल दिया जाये।

डर, जो हमारे अन्दर भरा हुआ है, पहला पाप है। हम अग्रेजोसे डरते है, हम जापानियोसे डरते है तथा परमात्माके सिवाय प्रत्येकसे डरते है। विश्वास कीजिए कि केवल ऐसा ही मनुष्य, जो परमात्मा और स्वय अपनेमे विश्वास नही रखता, मनुष्य-से डरता है। दूसरा बडा पाप जो भारतके खिलाफ, मानवसमाजके खिलाफ तथा पर-मात्माके खिलाफ किया गया है वह है चरखेका विनाश। मै चाहता हूँ कि सारे देशको इस बातका विश्वास दिला पाता कि हमारे इसी बडे पापके कारण जिसे मै राष्ट्रीय पाप कहता हूँ, भारत पदच्युत हुआ और एक गुलाम राष्ट्र बना। हम इसका, कमसे-कम, प्रायश्चित्त यही कर सकते है कि हम विलायती कपडेका एक धागा भी उपयोगमे न लाये। इसलिए मै मसूलीपट्टमके प्रत्येक नर-नारीसे कहता हूँ कि वह कलसे विलायती वस्त्र न पहननेका दृढ सकल्प कर ले और केवल अपने द्वारा तैयार किया गया कपडा पहने, दूसरोके द्वारा तैयार किया गया कपडा न पहने। हमारा तीसरा पाप हमारी स्वार्थपरता है। हम केवल अपने ही बारेमे सोचते-विचारते है, देशके बारेमे नही। हम अपने परिवारसे आगे बढकर बहुत हुआ तो गाँव या नगर तक ही पहुँच पाये है। हम केवल अपने ही लिए जीना छोड दे, भारतके लिए जीना आरम्भ कर दे। हिन्दुओ तथा मुसलमानोके बीच फूट हमारा चौथा पाप है। हमने अपनी सीमा हिमालय से लेकर रामेश्वरतक और बगालसे सिन्धतक मान रखी है। हिन्दू-मुस्लिम एकता एक निर्विवाद तथ्य है। इसलिए अभी हमे जिस कार्यक्रमपर अपनी शक्तियाँ केन्द्रीभूत करनी है वह चरखा ही है। मै अब आप लोगोसे उन बातोपर विचार करनेके लिए कहूँगा जिनपर विचार करनेके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने कहा है — तिलक स्वराज्य कोषके लिए एक करोड रुपये इकट्ठा करना। आन्ध्र प्रदेशके हिस्सेमे सात लाख रुपये आते है। मै आशा करता हूँ कि मसूलीपट्टमके पुरुष तथा स्त्रियाँ इस कोषके लिए यथासम्भव अधिकसे-अधिक धन प्रदान करेगे। अभी कुछ देरमे स्वयसेवक लोग आपके पास पहुँचेगे। मसूलीपट्टमकी कई बहने मेरे पास आ चुकी है तथा आभूषण और धन भेट कर चुकी है। मुझे आशा है कि मसूलीपट्टमका चन्दा अन्य स्थानोसे कम न होगा।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ८–४–१९२१

२७०. टिप्पणियाँ

दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय

सर बेंजामिन रॉबर्टसनके मिशनके बावजूद, दक्षिण आफ्रिकी आयोगने[1] प्रतिकूल निर्णय दे दिया है। जैसा कि लॉर्ड मॉर्लेने[2] बहुधा कहा है, इस प्रकारके आयोग कोई उपयोगी हेतु सिद्ध नही करते। वे झूठी आशाओको जन्म देते है, और वे कुछ समयके लिए जनताका ध्यान उन विषयोसे ही हटा देते है जिनपर विचार करनेके लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। वे समय दे देते है कि आवेश ठडा पड जाये, किन्तु न्याय वे क्वचित् ही करते है। वस्तुत आयोग शुद्ध न्यायसे मुंह चुरानेके लिए प्रसिद्ध है। वे समझौता करते है, या समझौतेका प्रस्ताव प्रस्तुत करते है। किन्तु दक्षिण आफ्रिकी आयोगने न तो समझौतेका कोई प्रस्ताव किया, न समझौता किया। उसने व्यापारके मामलेमे भारतीयोको उनके गोरे प्रतिद्वन्द्वियोके हाथो सौप दिया है। जैसा कि श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज बहुधा कहते है, उसने गोरोकी श्रेष्ठताके सिद्धान्तको पुन दृढताके साथ घोषित किया है। इस सिद्वान्तको वे धर्म मान बैठे है और उसके पीछे मतवाले हो गये है। १९०१ मे स्वर्गीय सर फीरोजशाहने मुझे दक्षिण आफ्रिकापर, उनके शब्दोमे, 'अपना समय नष्ट करनेके लिए' फटकार बताई थी। सत्याग्रह-अभियानके समय, जैसा कि उन्होने स्वय कहा था, उनमे कोई उत्साह उत्पन्न नही हुआ था। और जब उनमे उत्साह जाग्रत हुआ, तो वह विषयकी न्याय्यताके कारण नही (जिसके बारेमे उन्हे कभी सन्देह नही था) वरन् श्रीमती गाधीके कारावासके[3] कारण, जिसने नारी जातिके प्रति उनकी सम्मानकी भावनाको जगा दिया, और इसीसे वे सघर्षमे उतर पडे। वे कहा करते थे कि मुझे भारत लौट आना चाहिए, और दक्षिण आफ्रिकाके मुट्ठी-भर भारतीयोके लिए काम करनेके बजाय समूचे भारतकी स्वतन्त्रताके लिए उद्योग करना चाहिए।

मै तब सोचता था, जैसा कि आज भी सोचता हूँ, कि बम्बई अहातेके वे बेताजके बादशाह[4] यद्यपि भारतकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिपर अपना ध्यान केन्द्रित करनेके बारेमे ठीक कहते थे, तथापि उनका यह सोचना गलत था कि मुझे दक्षिण आफ्रिकासे लौट आना चाहिए था। हम अपने प्रवासी देशवासियोकी उपेक्षा नही कर सकते। भारतकी स्वतन्त्रताका युद्ध इस बातकी अपेक्षा करता है कि हम अपने छोटेसे-छोटे देशवासियोके अधिकारोकी रक्षा करे, फिर चाहे वे कही भी रहते हो। किन्तु इस समय तो मै दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोसे यही कहूँगा कि वे अपना युद्ध वीरतापूर्वक अपने ही

१ दक्षिण आफ्रिकी सरकार द्वारा नियुक्त एशियाई जाँच आयोग, जिसका कार्यकाल मार्चसे जुलाई १९२० तक था, सर बेंजामिन रॉबर्टसनने भारत सरकारकी ओरसे उसके कार्यमें सहायता की थी।

२ जॉन मॉर्ले, ब्लेकबर्नके वाइकाउट मॉर्ले (१८३८–१९२३), भारत-मन्त्री १९०५-१०।

३ दक्षिण आफ्रिकामें १९१३ में। देखिए खण्ड १२, पृष्ठ १८४ व २०२।

४ सर फीरोजशाह मेहता।

वलबूतेपर अकेले ही सचालित करे, और अपनी शक्ति-भर यहाँ हमारी भी सहायता करे। भारतके भाग्यका निपटारा इधर या उधर (और जहाँतक मैं समझता हूँ, हमारे पक्षमे) इसी वर्षके अन्दर निश्चयपूर्वक हो ही जाना चाहिए। आजकी अपेक्षा, तब हम उनकी रक्षा अधिक अच्छी रीतिसे कर सकेगे।

किन्तु दक्षिण आफ्रिकाकी समस्याका स्वरूप वही है जो हमारे देशकी समस्याका है। हम भी तो गोरोकी श्रेष्ठताके सिद्धान्तसे लोहा ले रहे है। मुसलमानोके दावेको स्वीकार करनेसे इनकार करना, अरबोकी घेरावन्दी करना, अमीरसे[1] समझौतेकी वार्ता करना, सर माइकेल ओ'डायर तथा जनरल डायरकी पेन्शने बन्द करनेसे इनकार करना और जिन्होने १९१९ मे पजाबियोके साथ दुर्व्यवहार किया था उन्हे बर्खास्त करनेसे साफ इनकार करना ये सब उसी रोगके लक्षण है। या तो उस श्रेष्ठताका खयाल पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए और या फिर हममे से जो लोग इस रोगके सक्रामक रूपको पहचानते है, उन्हे चाहिए कि वे उससे लडते हुए काम आये। भारत सरकार यदि चाहे तो आयोगके इस निर्णयमे निहित विश्वासघातके विरुद्ध मुस्तैदीसे खुली लडाई लड सकती है। १९१८ के समझौतेका भाव यह था कि समूचे दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोकी स्थितिकी विषमता दूर कर दी जाये, और किसी भी मौजूदा अधिकारपर कोई आँच न आने दी जाये। आयोगने, वर्तमान अधिकारोका जो अतिक्रमण किया जा चुका है उसपर अपनी मुहर तो लगाई ही है, साथ ही स्वय भी इनमें और बडे पैमानेपर कटौती करनेका सुझाव दिया है। ऐसी अधिकृत घोषणासे, स्वतन्त्र राष्ट्रोके सम्बन्ध खुले तौरपर टूट सकते है। आयोगके प्रतिवेदनका परिणाम यही हो सकता है कि मेरी असहयोगकी भावना और भी अधिक सक्रिय हो उठे।

स्वराज्यका अर्थ

दक्षिण आफ्रिकासे एक मित्र लिखते है कि वहाँके अनेक यूरोपीय स्वराज्यके सघर्षमे सहायता करनेको तैयार है, किन्तु वे कुछ विषयोके बारेमे आश्वस्त होना चाहते है। चूँकि उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न सार्वजनिक महत्वके है अत मैं यहाँ उनकी चर्चा कर रहा हूँ।

(१) श्री गांधीके स्वराज्यका अर्थ सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्रता है, अथवा साम्राज्यके अन्तर्गत डोमीनियनकी तरहका पूर्ण उत्तरदायी शासन?

मैं अवश्य ही उपनिवेशोकी तरहके पूर्ण उत्तरदायी शासनसे सन्तुष्ट हो जाता, बशर्ते कि खिलाफत और पजाबमे हुए अन्यायोका निवारण किया गया होता। यदि साम्राज्य इन दो अन्यायोका निवारण नही कर सकता तो भारत साम्राज्यके अन्तर्गत नही रह सकता। यदि भारत ऐसे अधिकारियोको जिन्होने उसके प्रति अन्याय किया है पेन्शन देनेसे इनकार भी नही कर सकता, अथवा यदि हम खिलाफतकी शर्तोंके सम्बन्धमे कोई समझौता नही कर सकते तो पूर्ण उत्तरदायी शासनका भारतके लिए कोई अर्थ नही होगा, वैसी स्थितिमे इग्लैंड भारतके लिए 'शत्रु देश' हो जायेगा।

१ अफगानिस्तानके शाह। वार्ताके फलस्वरूप २२ नवम्बर, १९२१ को ऐंग्लो-अफगान सन्धिपर हस्ताक्षर हुए थे।

कठिनाइयाँ बढे । हमे वाइसराय महोदयको इस बातका पूरा-पूरा श्रेय देना चाहिए कि उनका मशा हमारा भला करनेका है। किन्तु मै जनताको यह चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि उसे इसी आशाके सहारे नही बैठे रहना चाहिए कि लॉर्ड रीडिंग कुछ करेगे ही। यह लडाई तो ऐसी है जिसमे हमे अपनी सहायता आप करनी होगी, आत्म-निर्भरतासे काम लेना होगा। हमे अपनी स्वतन्त्रताका पोषण करनेके लिए आवश्यक वातावरण स्वय ही तैयार करना पडेगा और जो अनेक बाते हमे करनी ही चाहिए उनमे से एक है अपने आदर्श व्यवहारसे ईमानदार और सच्चे किस्मके स्त्री-पुरुषकी सद्भावना प्राप्त करना।

कुछ कसौटियाँ

श्री टी० बी० पुरोहितने असहयोगके बारेमे कुछ सुसगत प्रश्न पूछे है। उत्तर देनेसे पहले, कदाचित् यही ठीक होगा कि कुछ कसौटियाँ निर्धारित कर दी जाये। असहयोगका मुख्य अभिप्राय है आत्मशुद्धि करना — एक अन्यायी एव पश्चात्तापकी भावनासे रहित सरकारसे असहयोग करके आत्मशुद्धि करना। गौण उद्देश्य है समस्त सरकारी नियन्त्रण अथवा निगरानीसे स्वतन्त्र रहकर अपने-आपको असहाय होनेकी भावनासे मुक्त करना, अर्थात् यथासम्भव सभी मामलोमे अपना शासन आप चलाना। और इन दोनो उद्देश्योको पूरा करनेके दौरान किसी भी व्यक्तिको अथवा सम्पत्तिको हानि पहुँचाने या उसके प्रति हिसाका प्रयोग करनेसे स्वय भी हाथ खीचना तथा और अन्य किसीको भी उस दिशामे प्रोत्साहित न करना।

अब हम श्री पुरोहितके प्रश्नोको इस आधारपर देखे

> **(१) क्या कोई असहयोगी किसी पंजीकृत पुस्तकालय अथवा वाचनालयका सदस्य बना रह सकता है?**

यदि मै सदस्य होता, तो मै पहले अपने साथी-सदस्योको प्रेरित करता कि वे उस पुस्तकालयका पजीयन समाप्त करवाये, और यदि मै ऐसा न कर पाता, तो मै अपनी सदस्यतासे त्याग-पत्र दे देता और उस (पुस्तकालय) को सरकारसे विच्छिन्न रखनेका आन्दोलन करता ताकि लोग आत्मनिर्भरता और स्वतन्त्रताका अनुभव कर सके।

> **(२) क्या कोई असहयोगी मौजूदा पजीयित सहकारी ऋण समितियो अथवा ऐसे बैंकोका सदस्य बना रह सकता है, जिनका प्रबन्ध केवल जनता द्वारा सामान्य जनहितके लिए होता है?**

मुझे ऐसी सस्थाओका कुछ अनुभव है और मुझे यह कहनेमे कोई सकोच नही कि सरकारसे उनका पजीयन कराना उनके स्वतन्त्र विकासमे वाधा पहुँचाता है और सरकारपर लोगोकी निर्भरताको वढाता है। ऐसी सस्थाओकी स्थापना एक उत्तम विचार है और उसका पोपण किया जाना चाहिए, हमे यह नही सोचना चाहिए कि विना सरकारकी सहायता अथवा देखरेखके ऐसी समितियाँ पनप नही सकती। पजीयनके पक्षमे वहुधा जो तर्क पेश किये जाते है, उन्हे मै जानता हूँ। किन्तु यदि उनका विश्लेषण किया जाये, तो पाया जायेगा कि वे सव हमारे अपने आपमे विश्वासकी कमीको प्रदर्शित करते है। अत मै इस मामलेमे भी पहले तो अपने साथी-सदस्योको विश्वास

हिस्सेदारोंको सूचित करूँगा कि पंजीयनका कोई उपयोग नहीं होता और यदि इसमें असफल रहा तो स्वयं उस संस्था अथवा बैंकसे अलग हो जाऊँगा, और लोगोंको समझाऊँगा कि उन्हें ऐसी संस्थाओं अथवा बैंकोंका बहिष्कार करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कम-से-कम एक संस्था है जिसने अपना पंजीयन रद्द करा लिया है, और सभी जानते हैं कि भारतमें हजारों ऐसे बैंक हैं, जो पंजीयित नहीं हैं फिर भी धूमधामसे चल रहे हैं और जिनकी ईमानदारी और व्यापारिक क्षमता आज भी आश्चर्यजनक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-८-१९२१

२७१. विकट परीक्षक

क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने आपको असहयोगके विश्वविद्यालयका एम० ए० मान पाता। किन्तु मेरे परीक्षकोंका विचार है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालयकी पहली परीक्षा तो पास कर ली है, तथापि मुझे अभी कई पाठ्यक्रम पूरे करने हैं। मुझे पत्र लिखनेवालोंमें सबसे ज्यादा बालकी खाल निकालने और झुंझलाहट तक पैदा कर देनेवाले सवाल मेरे सिन्धी मित्र करते हैं। 'यंग इंडिया' के पाठकोंके सामने मैं इन परीक्षा-पत्रोंकी एक बानगी प्रस्तुत कर रहा हूँ। निम्नलिखित परीक्षा-पत्र मुझे सिन्धसे प्राप्त हुआ है।

(१) क्या आपका यह खयाल नहीं है कि आपके असहयोग आन्दोलनसे हिंसाका प्रादुर्भाव होगा?

यदि मेरा ऐसा खयाल होता तो मैं उसे देशके सामने कदापि न रखता।

(२) अहिंसाके सिद्धान्तको पूरी तरह समझाइए।

व्यक्ति अथवा सम्पत्तिको जानबूझकर आघात न पहुँचाना ही अहिंसा है। उदाहरणार्थ, मैं जनरल डायरतक को उनके कत्लेआमके लिए न तो दंड दूँगा न दिलाऊँगा, किन्तु उन्हें पेन्शन देनेसे इनकार करनेको अथवा उनके कार्यकी उपयुक्त शब्दोंमें निन्दा करनेको मैं उन्हें स्वेच्छापूर्वक आघात पहुँचाना नहीं मानूँगा। हत्यारेकी रक्षा करना, फिर चाहे वह मेरा पुत्र अथवा पिता ही क्यों न हो, मेरा कर्त्तव्य नहीं है। मैं अपना यह कर्त्तव्य मानता हूँ कि मैं उसका समर्थन करना बन्द कर दूँ। मैं साँपको मारूँगा नहीं, किन्तु मुझे उसे आश्रय भी नहीं देना चाहिए।

(३) यदि आपके आन्दोलनसे हिंसा फैली तो क्या आप निवृत्त होकर पहाड़ोंमें जा बसेंगे?

यदि असहयोगके फलस्वरूप हिंसा हुई, अथवा यदि असहयोगियोंने हिंसाका आश्रय लिया, अर्थात् यदि भारतवर्षने हिंसाका सिद्धान्त अपना लिया और तबतक मैं जीवित रहा तो मैं भारतमें रहना पसन्द नहीं करूँगा। तब भारतवासी होना मेरे लिए कोई गर्वकी बात नहीं होगी। मेरी देशभक्ति मेरी धर्म-भावनाके अधीन है। बच्चा जैसे

माँकी छातीसे चिपटा रहता है, वैसे ही मैं भारत-मातासे इसलिए चिपटा हुआ हूँ कि मुझे लगता है कि वह मुझे आवश्यक आध्यात्मिक पोषण देती है, यहाँ वह वातावरण है जो मेरी उच्चतम आकांक्षाओंके अनुकूल है। जब मेरा यह विश्वास खण्डित हो जायेगा, तब मैं उस अनाथके समान हो जाऊँगा जिसकी अभिभावक पानेकी आशा सदाके लिए समाप्त हो गई हो। तब हिमालयकी हिमाच्छादित शान्ति ही मेरी घायल आत्माको थोड़ा-बहुत विश्राम देगी। वैसे यह कहना अनावश्यक है कि जो हिंसा मुझे हिमालयकी ओर जानेको प्रेरित करेगी, वह भाषाकी अथवा साधारण उपद्रवोंकी हिंसा नहीं होगी, जिसे हिमालयकी याद दिलाते हुए मेरे आलोचक मेरे मुँहपर अकसर दे मारते हैं। ऐसी हिंसा असहयोगके कारण उत्पन्न हुई हिंसा नहीं है, न वह सच्चे असहयोगियोंकी हिंसा है। हिंसाके ये विस्फोट तो हमारे अनुशासनविहीन अतीतकी विरासत हैं। वह तो दिनपर-दिन काबूमें आती जा रही है। ऐसी हिंसा अत्यन्त नगण्य है और खुद उसे ही, भारतमें आज जो शान्ति सर्वत्र विराज रही है उसका एक बड़ा प्रमाण माना जा सकता है। जानबूझकर अथवा अनजाने ही परेशान करनेवाली तथा बहुधा गैरकानूनी सूचनाओंके जरिये अधिकारियों द्वारा उकसाये और भड़काये जानेपर भी जितनी शान्ति देशमें विराजमान है, यदि उतनी कायम रही तो वह हमें इस वर्षके भीतर स्वराज्य दिला देगी, क्योंकि उससे लोगोंके ध्येयकी एकता तथा उनका दृढ़ संकल्प व्यक्त होता है।

(४) यदि ऐसी हिंसा फूट पड़े, तो अन्य असहयोगियोंको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें असहयोगका प्रचार बन्द कर देना चाहिए?

कभी अगर ऐसी तूफानी हिंसा फूट ही पड़े, तब सच्चे असहयोगी उस हिंसाको रोकनेके प्रयत्नमें अपने प्राण दे देंगे। प्रश्न ३ में यह मान लिया गया है कि बच रहनेवालोंमें मैं अकेला ही होऊँगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मैं हिमालय-की ओर चला गया। (वह तो मौतसे भागना ही होगा)। उस स्थितिमें शेष असहयो-गियोंसे निश्चय ही यह आशा की जायेगी कि वे मेरे कायरतापूर्ण पलायनके बावजूद, अपने विश्वासके प्रति सच्चे रहेंगे और तबतक अपनी श्रद्धाके जीवन्त प्रमाण बने रहें, जबतक हिंसाकी लपटें उन्हें भस्मसात् नहीं कर लेतीं। उपदेशककी आवाज तब रक्तकी प्रबल बाढ़में ही डूबेगी।

(५) यदि आप पहाड़पर चले गये, तो उन बेचारे विद्यार्थियोंका क्या होगा, जिन्होंने सरकारी अथवा सरकारसे सहायता प्राप्त संस्थाओंका बहिष्कार किया है?

प्रश्नकर्त्ता भूल गया है कि जब भारतमें हिंसा सब जगह फैल जायेगी, तब विद्यार्थियोंकी उपस्थितिके लिए सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त कोई स्कूल-कालेज ही नहीं होंगे। केवल उन्हीं विद्यार्थियोंसे सरकारी स्कूल-कालेज छोड़नेके लिए कहा जाता है जो उनमें रहना पाप समझते हों। उनके सम्बन्धमें ऐसी संस्थाओंमें वापस लौटनेका प्रश्न ही नहीं उठता। और मेरे पहाड़पर चले जानेसे विद्यार्थियोंके स्कूल-त्यागका क्या वास्ता है? प्रत्येक विद्यार्थीसे आशा की जाती है कि उसका और

उनके देशका सबसे अधिक हित किसमें है, इसका निर्णय वह स्वयं करे। स्वशासनके आन्दोलनको एक मनुष्यपर निर्भर नहीं बनाया जा सकता, बनाया भी नहीं जाना चाहिए। मैंने तो भारतको केवल एक नया और बेजोड़ अस्त्र दिया है, बल्कि कहिए, एक पुरातन एवं परीक्षित अस्त्रका अधिक विस्तृत पैमानेपर प्रयोग करना सिखाया है। देश उसे चाहे स्वीकार करे चाहे न करे। प्रयोग तो उसे स्वयं ही करना होगा, उसकी तरफसे मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपने ही लिए उसका उपयोग कर सकता हूँ। यह मैंने किया है और मैं अपनेको मुक्त अनुभव करता हूँ। दूसरोंने भी किया है, और वैसा ही अनुभव वे भी करते हैं। यदि राष्ट्र इस अस्त्रका प्रयोग करेगा, तो वह मुक्त हो जायेगा।

(६) आपके असहयोग आन्दोलनने कितनी प्रगति की है?

इतनी कि मुझे लगता है स्वराज्य हमारी ओर दौड़ता आ रहा है। यदि हम यही गति बनाये रखें, तो इसी वर्षके भीतर हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायेगा।

(७) क्या आपको खबर है कि अधिकांश असहयोगी कार्यकर्त्ता गैर जिम्मेदार हैं? क्या आपने कभी उनकी निन्दा की है?

मुझे खबर नहीं है। बल्कि इसके विपरीत, मैं यह जानता हूँ कि उनमें से अधिकांश कार्यकर्त्ता जिम्मेदार, गम्भीर, ईमानदार और वीर हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ-कहीं मैंने दायित्वहीनता देखी है, उसकी निन्दा की है।

(८) किन परिस्थितियोंमें आप अक्तूबरमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी आशा करते हैं?

मैंने इन स्तम्भोंमें उन परिस्थितियोंका बहुधा उल्लेख किया है। पत्र-लेखकको पिछले अंक देखने चाहिए।

(९) क्या चरखा भारतवर्षकी गरीबीकी समस्याको हल कर देगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार?

अब मुझे पहलेसे भी अधिक विश्वास हो गया है कि चरखेके बिना भारतकी गरीबीकी समस्या हल नहीं हो सकती। भारतके लाखों कृषक किसी भी अनुपूरक धन्धेके अभावमें आधे पेट रहते हैं। यदि वे कताई भी कर सकें और इस प्रकार अपनी अपर्याप्त आयको बढ़ा सकें, तो वे कंगाली और दुर्भिक्षसे सफलतापूर्वक संघर्ष कर सकते हैं। मिलें इस समस्याको हल नहीं कर सकतीं। केवल हाथकी कताई ही इसे हल कर सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं। जब भारतवर्ष हाथकी कताई छोड़नेके लिए बाध्य किया गया तब उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा पूरक धन्धा नहीं था। सोचिए कि उस आदमीका क्या हाल होगा जिसे अचानक मालूम हो कि वह अपने निर्वाह भरके लिए आवश्यक जीविकाके चतुर्थांशसे एकाएक वंचित हो गया है। भारतकी जनसंख्याके ८५ प्रतिशतसे भी अधिक लोगोंका एक चौथाईसे अधिक समय खाली रहता है। और इसलिए भारतके पितामहने[१] देशसे बहुत बड़ी मात्रामें धन बाहर जाते रहनेका ठीक ही

१. दादाभाई नौरोजी।

उल्लेख किया है। धन बाहर जानेकी बात छोड दे तो भी देशकी इतनी बडी जनसख्याको जबरन निठल्ला बना देनेसे उसकी गरीबी दिन-दिन बढती गई है। समस्या यह है कि शेष व्यवस्थामे कोई गडबडी पैदा किये बिना राष्ट्रके इन अरबो घटोका उपयोग कैसे किया जाये। चरखेको पुन चालू करना ही एकमात्र सम्भव उपाय है। मशीनोके विषयमे मेरे अपने निजी विचारोसे अथवा विदेशी वस्तुओके सामान्य बहिष्कारसे इसका कोई सम्बन्ध नही है। लगता है कि भारत इस वर्षके भीतर-भीतर इस उपायको पूरी तरह अपना लेगा। समस्याके साथ खिलवाड करना पागलपन होगा। मै यह लेख पुरीमे[1] लिख रहा हूँ, जहाँसे मुझे हिलोरे मारता हुआ सागर दिखाई पड रहा है। स्वय जगन्नाथ जहाँ विराजते हो वहाँ जीवित ककाल-जैसे पुरुषो, स्त्रियो और बच्चोकी भीडका चित्र मेरी आँखोके आगे घूमता रहता है। यदि मेरी चले तो मै सभी स्कूल-कालेजो तथा अन्य सब स्थानोमे दूसरे और सब कार्य बन्द करा दूँ और वहाँ कताईका काम शुरू करा दूँ। इन्ही लडको और लडकियोमे से कताई-शिक्षक तैयार करूँ, प्रत्येक बढईको चरखे वनानेके लिए प्रेरित करूँ और शिक्षकोसे कहूँ कि इन जीवनदायी यन्त्रोको घर-घर पहुँचा दो और सभीको कताई सिखाओ। यदि मेरी चले तो मै रत्तीभर भी कपास देशसे बाहर न जाने दूँ और इन घरोमे ही उसका सूत तैयार करा दूँ। मै इस सूतको प्राप्त करने तथा उसे बुनकरोमे वितरित करनेके लिए सारे भारतमे जगह्-जगह् डिपो खुलवा दूँ। यदि पर्याप्त सख्यामे सच्चे और प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता मिले, तो मै इसी वर्षके भीतर कगालीको भारतसे निकाल बाहर करनेका काम शुरू कर दूँ। इसके लिए निस्सन्देह हमारे दृष्टिकोणमे तथा राष्ट्रकी रुचिमे परिवर्तनकी आवश्यकता है। मै सुधारो[2] तथा उससे सम्बन्धित सभी चीजोको अफीमके समान मानता हूँ, जो हमारे विवेकको सुला देती है। जिस समस्याकी गम्भीरता निरन्तर बढती जा रही है, हम उसको धीरजके साथ हल करनेके लिए पीढियोतक ठहरनेके लिए तैयार नही है। प्रकृति शुद्ध न्याय करती है, वह उसमे कोई दया नही दिखाती। यदि हम जल्दी नही जागे, तो हमारा अस्तित्व मिट जायेगा। मै सदेहशील सज्जनोको उडीसा आनेके लिए, उसके गाँवोमे जानेके लिए, और स्वय यह पता लगा लेनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ कि भारतकी असली स्थिति क्या है। तब मेरे समान उन्हे भी विश्वास हो जायेगा कि विदेशी वस्त्रकी एक चीर रखना या पहनना भी भारतके प्रति तथा मानवताके प्रति कितना वडा अपराध है। मै भूखा रहकर आत्मघात नही कर रहा हूँ तो केवल इसलिए कि मुझे भारतके जाग उठने और इस विनाशकारी कगालीसे मुक्त होनेके मार्गपर वने रहनेकी उसकी सामर्थ्यपर विश्वास है। ऐसी सम्भावनामे विश्वास न हो, तो मुझे जीनेकी कोई चाह वाकी नही रह जायेगी। मै प्रश्नकर्त्ताको और दूसरे हर समझदार देशप्रेमीको, प्रत्येक घरमे चरखेका प्रवेश कराके कताईको देशव्यापी वनाने, और इस वर्षके भीतर-भीतर विदेशी कपडेके पूर्ण वहिष्कारमे सहायता करके कताईको लाभप्रद वनानेकी गौरवमयी राष्ट्रीय सेवामे भाग लेनेके लिए आमन्त्रित करता

१ जगन्नाथपुरी, गाधीजी वहाँ २८ मार्च, १९२१ को गये थे।

२ १९१९के भारत सरकार अधिनियममें समाविष्ट मॉन्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधार।

हूँ। मैंने सभी प्रश्नोंके उत्तर देनेका प्रयत्न किया है। व्यावहारिक दृष्टिसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कताईके बारेमें था। आशा है कि भारतकी गरीबीसे निबटने-सुलझनेके एकमात्र उपायके रूपमें घर-घर कताईकी आवश्यकता मैंने सिद्ध कर दी है। तथापि मैं जानता हूँ कि इन सिद्धान्तोंको कार्यान्वित करनेमें कार्यकर्त्ताके सामने असख्य कठिनाइयाँ हैं। सबसे बडी कठिनाई शायद ठीक चरखा प्राप्त करनेकी है। पजाबको छोडकर, जहाँ यह हुनर अभीतक जीवित है, अन्य स्थानोंमे यह बडी ही वास्तविक कठिनाई है। बढई चरखा बनाना भूल गये हैं, और बेचारे कार्यकर्त्ता किकर्तव्यविमूढ है। इसलिए निस्सन्देह ही कार्यकर्त्ताका मुख्य काम यही है कि वह स्वय चरखा बनाने और चलानेकी कला सीख ले। मैं उनके परीक्षणके लिए कुछ साधारण कसौटियाँ रख रहा हूँ। कोई भी चरखा, जो इन कसौटियोंपर खरा नही उतरता, न तो स्वीकृत किया जाना चाहिए और न वितरित।

(१) चरखेका चाक सरलतासे, बिना रुकावटके और बिना आवाज किये घूमना चाहिए।

(२) घुमानेका हत्था धुरीमें दृढताके साथ बैठा हो।

(३) पहिया जिन खूँटोंपर सधा होता है उनका मजबूतीसे बैठा होना जरूरी है। उनकी चूलें ठीक होनी चाहिए।

(४) तकुआ बिना आवाज किये तथा चमरखोंमें बिना कम्पन उत्पन्न किये घूमना चाहिए। चमरखे जबतक या तो पजाबके समान मूँजके या मजबूत कपडेके नही बनाये जाते, तबतक चरखेकी कर्कश ध्वनि दूर नही होगी।

(५) कोई भी चरखा सुनिर्मित नही कहा जा सकता, यदि वह किसी अभ्यस्त कातनेवालेके हाथसे एक घटेमें छ नम्बरका कमसे-कम २$\frac{1}{2}$ तोला सम और ठीक बटका सूत न निकाल सके। मैं एक लडकेको जानता हूँ, जिसका अभ्यास शायद तीन महीनेसे अधिकका नही था, फिर भी उसने ३५ मिनटमें इस किस्मका ढाई तोला सूत काता। चरखा उपयोगके लिए तबतक नही दिया जाना चाहिए जबतक वह कमसे-कम पूरे एक घटेतक इस ढगसे चलाकर देख लेनेपर सन्तोषजनक न पाया गया हो।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया ६–४–१९२१

२७२. भाषण: चिरलामे

६ अप्रैल, १९२१

गाधीजीने कहा कि आन्ध्र प्रदेशके दौरेमें लोगोने सभी जगह मुझपर जो अपार स्नेह बरसाया है उससे मै आनन्दविभोर हो उठा हूँ। मै आफ्रिकामे अनेक बार जेल गया और जब-जब मुझे रिहा किया गया, मुझे दुःख हुआ। जिन्हे जेल जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है, मुझे उन लोगोसे ईर्ष्या होती है; क्योकि मुझे ऐसी शासन-व्यवस्थाके अन्तर्गत, जिसने मनुष्यकी आत्मा और मर्दानगीका हनन कर डाला हो और उसे सामान्य अधिकारोसे भी वचित कर रखा हो, रहनेकी अपेक्षा जेलकी चारदीवारीके भीतर अधिक स्वतन्त्रताका अनुभव होता है। मेरी समझमें जो लोग जेल गये है वे प्रशंसाके अधिकारी है। मै चिरलाकी महिलाओको, अपनेमे से जेल जानेके लिए कमसे-कम एक महिला[1] प्रस्तुत कर सकनेके लिए बधाई देता हूँ। मै आप लोगोको संघर्षमें अहिंसाकी भावनाको बनाये रखनेके लिए बधाई देता हूँ। मुकदमेके कागजात पढ़नेसे -- मैने उसकी एक-एक पक्ति पढी है -- मै इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यह एक अच्छा मुकदमा है। मेरी रायमें सर्वसम्मतिसे लोगोके विरोधमे होनेपर भी सरकारने आप लोगोपर म्युनिसिपैलिटी थोपकर बडी जबर्दस्त भूल की है। किन्तु यह तो आप अपनी कठिनाइयोका प्रारम्भ ही समझे। सम्मानित पुरुष तथा महिलाएँ होनेके नाते आप लोगोके समक्ष केवल दो ही रास्ते है: एक तो सविनय अवज्ञात्मक असहयोग करना या मुसलमानोके शब्दोमें "हिजरत" अर्थात् तुलसीदासजीके शब्दोमें "देशत्याग" करना। मेरी रायमें दोनो ही शस्त्र एक समान शक्तिशाली और कारगर है। आप लोग कांग्रेसके समर्थनपर निर्भर न रहे बल्कि स्वय अपने मजबूत बाजुओके बलपर यानी तपश्चर्याके द्वारा ही सघर्ष करें। वहाँके विश्वसनीय नेता श्री दुग्गीराला गोपालाकृष्णय्याकी[2] खासी प्रशंसा करनेके बाद उन्होने लोगोसे कहा कि वे अहिंसाके अनुपम सौन्दर्यको समझनेकी कोशिश करे। चरखेको भारतका जीवन-दाता बताते हुए उन्होने कहा:

चिरलाके स्त्री-पुरुष क्या करते है इसे मै श्रद्धाके साथ देखता रहूँगा। भारतके इतिहासमे आप एक नवीन युगके द्वारपर खडे है। समस्त भारत आपकी ओर निहार रहा है। यदि आप अपने वचनको पूरा नही करते या एक भी बडी गलती करते है तो लज्जाकी बात होगी। आप अहिंसाका पालन करे और परमात्माको साक्षी करके समस्त ससारको चुनौती दे। परमात्मा चिरलाके पुरुषो और स्त्रियोका कल्याण करे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ९-४-१९२१

१ सरकार द्वारा जनतापर थोपी गई नगरपालिकाको मान्यता देनेसे इनकार करनेपर एक महिला तथा चिरलाके ११ अन्य देशभक्तोको कारावासका दण्ड दिया गया था।

२ रामनगर आश्रमके सस्थापक।

२७३. भाषण : नेलौरके तिलक विद्यालयमें[1]

७ अप्रैल, १९२१

तिलक विद्यालयके उद्घाटनके अवसरपर गाधीजीने उस सस्थाके न्यासियोसे आग्रह किया कि आप लोग अपना ध्यान तथा शक्ति एक ही महत्वपूर्ण बात अर्थात् स्वराज्य-की प्राप्तिपर केन्द्रीभूत करे; सूत कातना तथा कपडा बुनना काग्रेस प्रस्तावके अत्यन्त महत्वपूर्ण अग है। मै नहीं चाहता कि न्यासी-गण इस सस्थाके लिए अलगसे चन्दा इकट्ठा करे क्योकि इससे हाल ही में शुरू किये गये परमावश्यक तिलक स्वराज्य कोष-पर असर पडेगा। इसमें एक करोड रुपये एकत्रित होना आवश्यक है। चदा केवल एक ही कामके लिए माँगा जाना चाहिए। न्यासियोको चाहिए कि वे किसी भी योजनाको शुरू करनेसे पहले प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके प्रधानसे परामर्श कर ले। स्वराज्य बाहुबलसे ही प्राप्त नहीं होता। वह तो अनुशासित विचार और अनुशासित कार्यके द्वारा प्राप्त होता है। मै न्यासियोको देशके सामने बडी-बडी शिक्षा योजनाएँ रखनेके खतरेके विरुद्ध चेतावनी देता हूँ। देशके सम्मुख केवल एक ही शिक्षा-योजना है और वह है स्वराज्य प्राप्त करना। मै इस नवीन सस्थाकी उन्नति और समृद्धि चाहता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२–४–१९२१

२७४. भाषण : नेलौरकी सार्वजनिक सभामें[2]

७ अप्रैल, १९२१

प्यारे हिन्दू और मुसलमान भाइयो,

मै खडे होकर बोलनेमें असमर्थ हूँ इसके लिए आप मुझे क्षमा करे। मुझे आपसे इस कारण भी क्षमा माँगनी है कि मै समयपर उपस्थित नही हो पाता हूँ, लेकिन इसके लिए मै अपनेको दोषी नही मानता। बहनोकी सभामें[3] जितना समय देनेकी मै आशा कर रहा था, वहाँ उससे कही अधिक समय लग गया। मेरे लिए यह बिलकुल सम्भव था कि मै शामका भोजन त्यागकर महिलाओकी सभासे सीधा

१ तिलक जातीय विद्यालयके उद्घाटनके समय दिया गया भाषण। इस राष्ट्रीय स्कूलकी स्थापना वी० वी० एस० गारूने की थी। श्री गारूने काग्रेसके आदेशपर वकालत छोड दी थी। इस अवसरपर विद्यालयके विद्यार्थियों द्वारा एक रात पहले हाथके कते सूतसे बुने हुए दो थान गाधीजीको भेंट किये गये।

२ नेलौर नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्रके उत्तरमें।

३ गांधीजी इस सभामें आनेसे पहले स्त्रियोकी एक सभामें गये थे। यह सभा नेलौरके टाउन हॉलमें की गई थी।

अपने प्राणोके समान ही प्रिय मानता हूँ और यदि मेरे मुसलमान भाई मुझसे गायकी रक्षाकी वात छोड देनेके लिए कहे तो भी, वजाय इसके कि गो-रक्षा छोडकर उनकी दोस्ती मोल लूं, मै मर जाना पसन्द करूँगा। लेकिन जव वह मुझे मसजिदके पाससे गुजरते हुए कुछ गजकी दूरीपर बाजा वन्द करनेको कहे तो मै वहसमे पडनेके वजाय उनकी वात तुरन्त मान लूँगा। लोग मेरे इस कथनका विश्वास करे कि हिन्दू-धर्मका यह कोई आवश्यक अग नही है। और यह तो मेरे धर्मका आवश्यक अग है ही नही कि मै मसजिदके पाससे गुजरते हुए वाजा बजाऊँ अथवा गाऊँ। मै अपने मुसलमान भाइयोकी ऐसी किसी भी माँग, यहाँतक कि पूर्वाग्रहके सामने झुकनेमे भी नही हिच-किचाऊँगा। इसलिए, यदि मै नेलौरका निवासी होता तो मै इस प्रकारके मामलेको पच-फैसलेके लिए किसी औरके सामने न जाने देता। मुसलमान भाइयोके साथ सभी गैरवुनियादी वातोपर समझौता करके तथा छोटी-मोटी बातोपर टटे वन्द करके ही हमारी उनकी स्थायी मित्रता निभ सकती है। दोस्तीमे सौदेवाजीके लिए गुजाइश कहाँ है? हरएक गैरवुनियादी समस्याके सम्वन्धमें मै अपने मुसलमान भाइयोके सामने झुक जाता हूँ। मेरे लिए ऐसा करना स्वाभाविक ही है, क्योकि मेरा धर्म मुझे सारी दुनियाके साथ शान्तिसे रहनेका आदेश देता है, फिर मुझे इसके लिए जीवनका त्याग ही क्यो न करना पडे। इसलिए यदि नेलौरके हिन्दू मुझसे यह पूछे कि जव हम मुसल-मान भाइयोकी माँगको अनुचित और अन्यायपूर्ण समझते है, तव हमे क्या करना चाहिए, तो मै कहूँगा कि "वहसमे मत पडिए, उस अनुचित और अन्यायपूर्ण माँगको मान लीजिये। क्योकि यदि हम इन मामूली झगडोके सम्वन्धमे वहस करने लगे, तो दुनिया हमे उन वच्चोकी तरह मानेगी जो अपने देशके शासनकी क्षमता नही रखते।" और इसलिए अगर मुझसे यहाँके हिन्दू ऐसा कहे कि मुझे दी गई यह सूचना गलत है कि कुछ साल पहले हिन्दुओने कभी मस्जिदके पाससे गुजरते हुए वाजा बजानेका अधिकार व्यक्त नही किया तो स्पष्ट ही उसका भी कोई अर्थ है। धार्मिक जीवनके ऐसे खेल-तमाशोके लिए — इन चीजोको मै खेल-तमाशे ही कहता हूँ, सुखदाई खेल-तमाशे ही कहता हूँ — मै अपने मुसलमान भाइयोकी मर्जीपर ही निर्भर रहूँगा। सोचकर देखिए, कदाचित् नेलौरमे हिन्दू ४२ से ४५ हजारके वीचमे है। मुसलमान केवल ७ हजार है। इसलिए हिन्दुओको मुसलमानोका हित बडे भाई होनेके नाते ट्रस्टियोकी भाँति सुरक्षित रखना चाहिए। आपकी शराफत या स्वराज्य पानेकी योग्यताका तकाजा है कि प्रवल पक्ष होनेके कारण आप लोग स्वय निर्बल पक्षकी रक्षाका सुखद भार ओढें। अपने मुसलमान भाइयोसे मै यह कहूँगा कि आप कभी कोई अनुचित माँग पेश करनेका विचार न करे। अपने हिन्दू-भाइयोके पूर्वग्रहो तथा भावनाओका अध्ययन करना आपका काम होना चाहिए। जिन वातोको आप उनकी कमजोरी समझते है उनके सम्बन्धमे आपके दिलोमें गुजाइश रहनी चाहिए। अगर खुदा पाकने हश्रके दिन यह पाया कि आप लोगोने मसजिदोके सामने नमाजके समय वाजे वजानेपर आपत्ति नही की और उस खललको बर्दाश्त कर गये तो वह आपको गुनहगार नही ठहरायेगा। मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही है कि जव आप उस फैसलेके दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वरसे यह कहेगे कि हम मजबूर थे, क्योकि हम हिन्दू भाइयोके पूर्वग्रहोका आदर

करना चाहते थे, तब वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसे आप रहीम भी कहते है, आपकी नम्रतापूर्ण और शान्त उक्तिको स्वीकार कर लेगा। दोस्तीका — भाईचारेका — इम्तिहान इसमे है कि प्रत्येक पक्षके दिलमे दूसरेकी कमजोरीके लिए गुजाइश रहे और मै जानता हूँ कि हश्रके दिन उस पक्षकी जीत होगी जो यह दिखा सकेगा कि मामूली बातोकी हदतक वह सदैव झुकनेको तैयार रहता था। उस महान् पैगम्बरका जीवन आप लोगोके लिए महत्वहीन बातोमे झुक जानेकी जिन्दा मिसाल पेश करता है। लेकिन मै नेलौरके हिन्दू तथा मुसलमान भाइयोसे कहता हूँ कि वे अपने मतभेदोके विषयमे एकमत हो या न हो, वे एक-दूसरेके आगे झुकनेको तैयार हो या न हो, वे आवश्यक अथवा अनावश्यक तथ्योके बारेमे समझौते करे या न करे, मगर यह उसकी मर्यादाके विरुद्ध है कि हिन्दू अथवा मुसलमान एक-दूसरेका गला काटे, एक-दूसरेपर पत्थर फेंके तथा एक-दूसरेके प्रति हिसा करे। आप लोगोके बीचमे न्यायाधिकरण या पचायते बनानेके लिए दोनो जातियोके विश्वसनीय तथा चुने हुए नेता होने चाहिए। ये पचायते दोनो जातियोके समस्त धार्मिक झगडोका निबटारा करे और यदि उन्हे उसके निर्णयसे सन्तोष नही होता है तो वे या तो काग्रेसके पास अथवा खिलाफत कमेटीके पास जाकर झगडेका निबटारा करा सकते है। अन्तत मै मौलाना शौकत अलीकी वह सलाह दुहराना चाहता हूँ जो वे हिन्दू तथा मुसलमान दोनोको कई बार दे चुके है। यदि कोई मुसलमान अपने हिन्दू पडोसियोसे चिढने लगे और उनके प्रति मनमे क्रोधकी भावना भर जाये, यहाँतक कि वह अपने आपको रोक न सके और अपने हिन्दू-भाईको ठीक सजा देनेकी बात सोचने लगे तो उसे महात्मा गाधीके पास जाकर उनका सिर काट डालना चाहिए। इसी प्रकार मै भी यह कहता हूँ कि यदि हिन्दू लोग मुसलमान पडौसियोके प्रति सन्तापकी भावना अपने दिलोमे लाते है और उनके साथ झगडा करना चाहते है तो उन्हे अपने मुसलमान पडौसियोपर हाथ नही उठाना चाहिए बल्कि उन्हे खुद शौकत अलीके पास जाना चाहिए, यद्यपि वह बहुत जोरावर और मोटे-ताजे शख्स है तथापि वह इस प्रकारकी निश्चित प्रतिज्ञा करते है कि कोई भी हिन्दू बच्चातक उनके धडसे उनके सरको अलग कर सकता है। हिन्दुओ तथा मुसलमानोको यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि स्वराज्यकी आधारशिला, भारतकी स्वतन्त्रताकी बुनियाद, हिन्दू-मुस्लिम एकता है। यह बात दोनो जातियोको हृदयगम कर लेनी चाहिए कि जहाँतक खिलाफतका प्रश्न है भारतकी शक्तिसे इस्लामकी सुरक्षा तभी सम्भव हो सकती है जब हिन्दू-मुस्लिम एकता सचमुचमे उनके जीवनका एक अग बन जाये। हिन्दुओको भी समझ लेना चाहिए कि इस्लामकी सुरक्षाके लिए उनके बिना किसी शर्त दिये गये हार्दिक और पूर्ण योगदानमे, हिन्दूधर्मकी रक्षा निहित है। इसलिए मेरे प्यारे नेलौर-निवासी देशवासियो, मै आप दोनोसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चाहे हिन्दू हो अथवा मुसलमान, अपने छोटे-मोटे झगडोको मिटा डाले, लडना बन्द करे और इस पवित्र सप्ताहमे[1] अटल सकल्प करे, ईश्वरके समक्ष विनम्र भावसे प्रार्थना करे कि वह आपको भी ऐसी शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि आप एक-दूसरेके साथ

१ राष्ट्रीय सप्ताह ६ से १३ अप्रैलतक।

शान्तिपूर्वक रह सके। इस बातका दृढ सकल्प कीजिए कि आप एकतासे उत्पन्न अपनी सारी अद्वितीय शक्ति भारतको आजादी दिलाने, इस्लामको स्वतन्त्र बनाने तथा पजाबके खोये हुए मानको पुन प्राप्त करनेमे लगायेगे। हिन्दू तथा मुसलमान दोनोने, आज दिनमे मुझे बताया हे कि इन अहितकारी तुच्छ मतभेदोके कारण नेलौरमे जिस हदतक असहयोग आन्दोलन तथा खिलाफतका कार्यक्रम किया जा सकता था, नही किया जा सका। इसलिए मै आशा करता हूँ कि कल सूर्योदयके पूर्व ही आप लोग अपने झगडे खत्म कर देगे और कल प्रात कालसे एक विचारशील एव बुद्धिमान व्यापारीकी भाँति आप अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमका पालन करेंगे। तिलक स्वराज्य कोषके लिए जिसे आपने आजसे आरम्भ किया है, दान लेना-देना जारी रखेगे और तबतक सन्तुष्ट न होगे जबतक काग्रेस रजिस्टरमे प्रत्येक वयस्क पुरुष तथा स्त्रीका नाम, वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, दर्ज न हो जाये।

अब समय आ गया है कि आप लोग विदेशी वस्त्रका एक चीर पहनना भी पाप समझने लगें। मुसलमानोको समझ लेना चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण करना इस्लामकी अधोगतिका द्योतक हे तथा हिन्दुओ और मुसलमानो दोनोको चाहिए कि वे विलायती कपडा पहिननेको गुलामीका बिल्ला समझे। मै यह भी कहूँगा कि आप लोग कपडोके लिए अहमदाबाद और बम्बईका मुँह न ताके, बल्कि अपनी स्थानीय आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए स्वय कपडा तैयार कर लिया करे। इस प्रकार स्वावलम्बी बनना आप अपने मान और मर्यादाकी बात समझे। एक अनुभवी कातने-बुननेवालेकी हेसियतसे मै जो-कुछ कह रहा हूँ उसे सत्य मानिये। एक महीनेकी अवधिमे अपनी जरूरतका सारा कपडा तैयार कर लेना, नेलौरके ५२,००० पुरुष तथा स्त्रियोके लिए बिलकुल सरल है। कल एक बुनकरने रात-भरमें ही मेरे लिए पूरे साल-भरका कपडा तैयार कर दिया। गत रात्रिको तैयार किया गया वह पवित्र वस्त्र मेरे पास मौजूद है तथा उसपर मुझे अभिमान है।[1] इसलिए मै आपसे कहता हूँ कि आपसी हिन्दू-मुस्लिम झगडो तथा अन्य प्रकारके झगडोसे अपना ध्यान हटाकर उसे राष्ट्रके सामने उपस्थित मुख्य लक्ष्यपर केन्द्रीभूत करे। मद्यपान, जुआ, झूठ तथा अन्य बुरी आदतोको बिलकुल छोड दे। मेरे तथा आप लोगोके नामसे की गई इस घोषणाका कि यह असहयोगका सघर्ष आत्मशुद्धिका सघर्ष है, यथावत् पालन करे। अन्तत मै आपसे यह स्मरण रखनेके लिए कहूँगा कि राष्ट्रीय सप्ताह अभी समाप्त नही हुआ है। इस सप्ताहका दूसरा दिन आज शामको ही समाप्त हुआ है। पूरे पाँच कीमती दिन अभी बाकी है। हमें इन पाँचो दिनोका उत्तम उपयोग करना चाहिए। मै आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि इन पाँच दिवसोमे आप सभी हिन्दू मुसलमान आपसमें मेल बढानेकी ज्यादासे-ज्यादा कोशिश करे। प्रत्येक हिन्दूसे मै यह आग्रह करूँगा कि उसे जब कभी कोई मुसलमान भाई मिले तो पहले जरूरी न होनेपर भी खुशी और मुस्कराहटके साथ उसे नमस्कार करे। इसी प्रकार मै यहाँ मौजूद अपने प्रत्येक मुसलमान भाईसे कहूँगा कि जब वह किसी हिन्दूको मिले तो वह हर्ष और मुस्कराहटके साथ नमस्ते, सलाम या वन्देमातरम्

१ देखिए "भाषण नेलौरके तिलक विद्यालयमें", ७-४-१९२१ की पाद-टिप्पणी।

कहे। आप लोग इन ५ या ६ दिनोंमें पारस्परिक अविश्वास, सन्देह तथा अस्वच्छतासे बचनेका विशेष रूपसे प्रयत्न करें और सप्ताहके अन्तमें शुद्धात्मा होकर स्वराज्यके लिए अधिक अच्छे पात्र तथा खिलाफतकी रक्षा तथा पंजाबके सम्मानको पुनः स्थापित करनेके लिए अधिक योग्य बनकर सामने आ सकें।

ईश्वर आपको अपना पवित्र उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा करनेकी क्षमता दे। मेरा विश्वास है कि आप अपना पूरा ध्यान उसे पूरा करनेकी दिशामें लगायेंगे।

मैं आपसे शान्ति बनाये रखने और अपनी जगह न छोड़कर इसी प्रशंसनीय मनोवृत्तिको कायम रखनेका अनुरोध करूँगा ताकि तिलक स्वराज्य कोषके लिए अधिकसे-अधिक दान इकट्ठा करनेमें स्वयंसेवकोंको सुविधा हो। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही ने शान्ति तथा शिष्टताके साथ मेरा भाषण सुना है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-४-१९२१

२७५. भाषण : मद्रासकी सार्वजनिक सभामें

८ अप्रैल, १९२१

सभापति महोदय[1] और मित्रो,

सदैवकी भाँति आप मुझे खड़े होकर भाषण न दे सकनेके लिए क्षमा करेंगे। अभी आपने पूर्णकुम्भका[2] पूजन होते देखा है। इसके पूजनमें एक शुभकामना और हम सबकी यह प्रार्थना भी निहित है कि जो अनुष्ठान भारतवर्षमें प्रारम्भ किया गया है वह सफल हो। जिन मित्रोंने इस अनुष्ठानमें सहायता प्रदान की है तथा उनको भी जिनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं धन्यवाद देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि इस आन्दोलनमें वे सभी लोग जो भी इस देशको अपना मानते हैं — हिन्दू, मुसलमान ब्राह्मण, अ-ब्राह्मण, ईसाई, पारसी, यहूदी — एक दूसरेके साथ हैं लेकिन मैं इस सभाका तथा इस कुम्भ-पूजनके व्यवस्थापकोंका ध्यान उस विदेशीपनकी ओर दिलाना चाहता हूँ जो इस पूजामें दिखाई दिया है। आपने कुम्भके चारों ओर फूलोंकी सजावट देखी। यह फूल कागजके थे। आपने उस वस्त्रको भी देखा होगा जो कुम्भपर लपेटा गया था, वह विदेशी था। मेरा खयाल है कि भारतके लिए यह समझ लेनेका समय आ पहुँचा है कि विदेशी कपड़ा दासताका बिल्ला है और विदेशी कपड़ा भारतमें इस्लामके पतनका सूचक है। जितना अधिक मैं भारतके आर्थिक, राजनैतिक, चारित्रिक तथा धार्मिक उद्धारके बारेमें सोचता हूँ और जितना ही अधिक मैं खिलाफतके सवाल-पर सोचता हूँ मेरा यह विश्वास उतना ही दृढ़ होता जाता है कि यदि खिलाफत

१ एस० कस्तूरी रंगा आयंगार।

२ पवित्र जलसे भरा हुआ घड़ा, जो अतिथिके स्वागतार्थ अर्पित किया जाता है।

सम्बन्धी अन्यायको भारतके द्वारा दूर होना है अर्थात् भारतके हिन्दुओ तथा मुसलमानोके द्वारा ठीक होना है और यदि भारतको इसी सालके अन्दर स्वराज्य हासिल करना है, तो कमसे-कम अपनी मातृभूमिके प्रति हमारा यह कर्त्तव्य जरूर है कि हम हर कीमतपर विदेशी वस्त्रोका वहिष्कार करे। जैसा कि मौलाना मुहम्मद अलीने अपने कलकत्तेके हाल ही मे दिये गये भाषणमे कहा है "१०० वर्ष पूर्व या उससे भी अधिक समय हुआ हमने चरखेको विदा कर दिया और गुलामी मोल ले ली।" इसलिए मै प्रस्ताव-के सबसे मुख्य भागकी ओर आप लोगोका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो असहयोगके कार्यक्रमके कई महीनेतक चल चुकनेके पश्चात् अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा पास[1] किया गया था।

३० जूनसे पहले एक करोड रुपया जमा करनेमे हमारा यह मशा नही है कि हम उस रुपयेसे इग्लैड, अमेरिका अथवा दुनियाके अन्य किसी भागमे अपना शिष्टमण्डल भेजने या विदेशोमे प्रचार करनेमे खर्च करेंगे, वल्कि हम उस राशिको — उससे भी वडी राशिको — भारतके प्रत्येक गृहमे चरखेका प्रवेश करानेके लिए खर्च करेंगे। हम उस राशिको इसलिए चाहते हैं कि समस्त द्रविड प्रदेशके[2] उन कार्यकर्त्ताओको भरण-पोषण मात्रके लिए रुपया दिया जा सके जो चरखा प्रचारके कामको हाथमे लेकर कार्यक्षेत्रमे उतरेंगे। अभी उस दिन मै मसूलीपट्टममे था तथा मुझे आसपासके कुछ ग्रामोमे जानेका शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। उन गाँवोमे आज भी हमारी वहने सुन्दर वारीक सूत कातती है — धनके लिए नही वल्कि प्रेमके कारण (हर्ष ध्वनि)। इसलिए यदि आप इसी सालके अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त करनेमें, खिलाफत तथा पजावके साथ किये गये अन्यायको दूर करानेमें सहायक होना चाहते है तो मै आशा करता हूँ कि आप इस पवित्र राष्ट्रीय सप्ताहमे ही अपने सव विदेशी वस्त्रोको फेक देनेका दृढ सकल्प करेंगे। मै अपने मन्दिरो और मस्जिदोमे विदेशी वस्त्रका एक टुकडा भी देखना पाप समझता हूँ। अव मै अन्य विषयोपर आता हूँ।

मुझे यह जानकर खुशी होती है कि हमारा आन्दोलन जितनी ही अधिक उन्नति करता जाता हे उतना ही अधिक हमारे देशवासियोको विश्वास होता जाता है कि हमारी लडाईकी सफलता यदि पूरी तौरपर नही तो मुख्यतया अहिंसापर निर्भर है। मेरी रायमें हमारी अहिसा हमारे असहयोग कार्यक्रमका सवसे प्रमुख भाग है। लेकिन हमारी इस अहिंसाको उसपर पडनेवाले कठिनसे-कठिन दवाव तथा वडेसे-वडे सकटको झेलना होगा। मैंने अभी सुना है कि मलावारमे किसी स्थानपर एक असहयोगी पिताको अपने पुत्रके प्रति पुलिसके कुछ सिपाहियो द्वारा अकारण ही किया गया हिंसा कृत्य देखना पडा। मुझे अव भी आशा हे कि यह समाचार गलत है, या मेरे पास यह समाचार लानेवाले सज्जनोने जो वयान इकट्ठे किये है उन्हीमे कोई दोष या कोई भूल रह गई है। लेकिन हमे यह समझ लेना चाहिए कि यह अथवा इसी प्रकारकी अन्य कोई चीज इस शासन-व्यवस्थामे अथवा अन्य किसी सरकारमें असम्भव नही हो सकती (हँसी)। इसे हम दो वर्ष पूर्व मार्शल लॉके दिनोमे पजावमे प्रचुर मात्रामें

१ देखिए "प्रस्ताव अ० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठकमें", ३१-३-१९२१।

२ दक्षिण भारत।

देख चुके हैं। हमारी नीतिकी विजयकी सबसे महत्वपूर्ण घडी वही होगी जब हम किसी प्रकारकी हिंसा किये बिना कडीसे-कडी यातना सह सकेंगे। इस सरकारको या तो भारतके प्रति किये गये अन्यायो — घोर अन्यायों — के लिए खेद प्रकट करना होगा, अथवा उसे दमनकी प्रणालीका सहारा लेकर भारतको अपने अधीन बनाये रखना होगा। जब मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि डायरशाही और ओ'डायरशाही कोई विच्छिन्न घटना नही है बल्कि भारतको हर हालतमे अपने अधीन बनाये रखनेपर तुली हुई सरकारकी सुनिश्चित नीति ही है, मैंने केवल तभी इस शासनप्रणालीको शैतानियतसे भरी शासनप्रणाली कहना शुरु किया। लेकिन असहयोगियोके सामने केवल एक ही मार्ग है। वह यह कि हम अपनी विचारशक्तिको अपने अन्त करणकी ओर प्रेरित करे, आत्मशुद्धि करे और कोई हमे कितना ही क्यो न उकसाये हम उत्तेजित न हो। इसलिए मैं उन लडकोके पिताओसे, जो असहयोग आन्दोलनके किसी भी काममे लगे हुए है तथा प्रचारकार्यमे सक्रिय रूपसे भाग लेनेवाले स्वय असहयोगियोसे भी, निवेदन करता हूँ कि वे यह अच्छी तरह समझ ले कि यदि वे अपना यह काम चालू रखते हैं तो उन्हे इसे यह मानकर करना चाहिए कि उनके प्रति हिंसा बरती जा सकती है किन्तु फिर भी उन्हे बदलेमे हिंसा नही करनी है। यदि भारत परीक्षाके इस वर्षमे — उसके लिए तो यह वर्ष आत्मशुद्धिका वर्ष है — और कुछ न करे फकत आत्मनियन्त्रणसे काम लेता रहे तो विश्वास कीजिए कि हमारी प्रगतिमें अथवा भारतमे इसी वर्षके भीतर स्वराज्य स्थापित होनेमे आडे आनेवाली मुझे कोई चीज दिखाई नही पडती। यदि आपके हृदयमे ईश्वरके प्रति आस्था है — ईश्वरमें विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति असहयोगी हो ही नही सकता है — यदि आप त्याग, आत्मशुद्धि और प्रार्थनाके इस सप्ताहमे ईश्वरके प्रति विश्वास रखते हैं तो आप एकाग्रचित्त होकर ईश्वरोपासनाके समय परमात्मासे यह याचना करे कि वह हम सबको, पूरे भारतवर्षको ऐसी शक्ति प्रदान करे, जिसके बलपर हम लोग इस सरकार द्वारा हमारे प्रति बरती गई सब प्रकारकी हिंसा सहन कर सके।

यह तो और भी अधिक जरूरी है कि हम असहयोगी अपने शब्दोको तौलकर बोले, अपनी गतिविधियोको सयमित रखे और उनमे किसी भी प्रकारकी हिंसाका भाव न आने दे। हमारी किसी भी बातमे उसकी गन्ध नही होनी चाहिए। यदि हम केवल इतना ही करे कि स्व० प्रेसीडेन्ट क्रूगरके शब्दोमे "आत्मशुद्धिके इस दौर"को बदस्तूर कायम रखे तो हम इसी वर्षमे ससारको चकित कर देंगे। क्योकि हमने न केवल मद्रास अहातेमें बल्कि मध्य प्रान्तमे, सयुक्त प्रान्त तथा भारतके अन्य भागोमे दमनके अतिरिक्त और देखा ही क्या है? सर विलियम विन्सेंटके इनकारके बावजूद भी मैं आज आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रान्तमे मद्यनिषेध आन्दोलन एक जुर्म मान लिया गया है तथा जब वे असहयोगको हर तरहसे कुचल देनेकी बात करते हैं, तो उनका मतलब चरखोको खत्म कर देना या शराबबन्दीको दबा देनेका होता है। हम अपनी आत्मशुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे यह सिद्ध कर रहे है कि यह सरकार भारतको आबकारी लगानके बलपर अथवा लकाशायरकी मिलो द्वारा भारतके शोषणकी

वदौलत ही दासताकी वेडीमे जकडे रह सकती है। इसलिए मैं आपमे से प्रत्येकसे कहूँगा कि आप समूचे भारतको, माडरेटोको तथा लिवरल दलको, यह सिद्ध करके सरकारकी गतिविधिको ठप कर दे कि जव वे इस सरकारके साथ सहयोग करते है तथा इस सरकार द्वारा चालू की गई दमन नीतिका समर्थन करते है तब वे नही चाहते है कि असहयोगी लोग नशावन्दी आन्दोलन चलाएँ, सद्भावनाका या सुख-समृद्धिका सन्देश सुनाये तथा भारतीय महिलाओके सतीत्व रक्षाका सन्देश, जो चरखा चलानेमे समाया हुआ है, प्रसारित करने पाये। दिनपर-दिन हमें इस तथ्यका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता जा रहा है कि इस सरकारमे अपनी खुदकी अन्दरूनी ताकत अथवा प्राणशक्तिका अभाव है (हँसी)। हमारी कमजोरियोसे ही उसमे शक्तिका सचार होता है और यह अपनी शक्ति हमारी कमजोरीसे लेती है (सावु, साधु,) यह हमारे मतभेदोके कारण ही फलती-फूलती है।

हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य और हिन्दू-मुस्लिम झगडे अव इस सरकारको खूराक नही पहुँचाते (हँसी)। अव तो मुझे दीख पड रहा हे, और मेरी समझमे आ रहा है कि वह ब्राह्मणो तथा अब्राह्मणोके वीच चलनेवाले मतभेदोका अनुचित लाभ उठा रही है (हँसी)। यदि यह असहयोग आन्दोलन ब्राह्मण आन्दोलन है — मेरा खयाल हे कि यह ब्राह्मण आन्दोलन ही है — तो इसका इलाज अत्यन्त सरल है क्योकि ब्राह्मण लोग, यदि वे असहयोगी है, अपने लिए कुछ नही चाहते। जिस प्रकार हमने अपने वीचमे से हिन्दू-मुस्लिम झगडे दूर कर दिये है उसी प्रकार हमे इन झगडोको मिटा देनेका प्रयास अति शीघ्र करना चाहिए। जो वात मैंने चुनिन्दा वकीलोकी एक सभामे कुछ समय पहले मद्रासमे कही थी उसे यहाँ दोहराना चाहता हूँ। मेरे मनमे इस वातके विपयमे किंचित् भी सन्देह नही है कि ब्राह्मणोके द्वारा स्थापित की गई महान् परम्पराओपर ही हिन्दुत्वका सव कुछ आधारित है। वे भारतके लिए एक वसीयत छोड गये है जिसके लिए प्रत्येक भारतीय — वह किसी भी वर्णका क्यो न हो — उनका वहुत आभारी है। दुनियाके लगभग सभी धर्मोके इतिहासका अध्ययन कर चुकनेके पश्चात् मेरी यह निश्चित धारणा हो गई हे कि दुनियामे ऐसा कोई वर्ग नही है जिसने निर्धनता और अपने आपको वलिदान कर देना इस प्रकार अपनाया हो जैसा ब्राह्मणोने। स्वय एक अब्राह्मण होनेके नाते इस सभामे उपस्थित सभी अब्राह्मणोसे मैं अनुरोधपूर्वक कहता हूँ तथा उन सभी अब्राह्मणोसे भी जिनतक मेरी आवाज पहुँच रही हो, कि यदि वे विश्वास करते है कि वे अपनी स्थिति ब्राह्मणत्वको निंद्य कहकर सुधार सकते है तो यह एक वहुत वडी भूल करते है। इस गुजरे हुए जमानेमे भी भारतके इस छोरसे उस छोरतक भ्रमण करते हुए मैंने देखा हे कि आत्मत्याग तथा आत्मोत्सर्गमे ब्राह्मण अग्रगण्य रहे है। भारतवर्षमे सर्वत्र ब्राह्मण ही चुपचाप लेकिन निश्चित रूपसे प्रत्येक जातिको उसके सामान्य तथा विशेष अधिकारोका वोध करा रहे है। लेकिन इतना कह चुकनेके पश्चात् मैं भी यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि अन्य भारतीयोके साथ ब्राह्मणोने भी वहुत अधिक कष्ट झेले है। उन्होने भारतके सामने स्वेच्छासे तथा जानवूझकर ऐसे सर्वोच्च मानदण्ड जिन्हे मनुष्यका मस्तिष्क कल्पनामे ला सकता है प्रस्तुत किये है। यदि भारत-

की जनता उनसे उसी मानदण्डकी मॉँग करती है तो उन्हे आश्चर्य नही करना चाहिए। ब्राह्मणोने अपनेको हमारे जीवनकी पवित्रताका रक्षक घोषित किया है और उन्हे इस रूपमे रहना भी चाहिए। मुझे यह भी मालूम है कि मद्रासके अब्राह्मणोको ब्राह्मणोके खिलाफ बहुत-सी बाते कहनी है और इसका कुछ कारण भी है। लेकिन अब्राह्मणोको यह समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मणोके साथ झगडा करनेसे, उनके साथ द्वेष करनेमे, और उनपर कीचड उछालनेसे वे अपनी दशा उन्नत न कर सकेंगे बल्कि हिन्दुत्वको ही गिरा देगे। अब्राह्मण लोग बुद्धिमान और चतुर तो होते ही है फिर भी मेरी धारणा है कि उनके लिए इस आन्दोलनके सौन्दर्य और रहस्यको समझनेकी कोशिश करना उचित होगा। यह आन्दोलन विशेषतया पदकी धृष्टताका गर्व चूर करनेके लिए निर्मित किया गया है। जिसके नेत्र है, वह देख सकता है कि भारतमे आज जो कुछ हो रहा है वह एक ऐसी क्रिया है जो अवनतिकारिणी नही उन्नतिकारिणी है। अब्राह्मणोको इस बातको चेतावनीके रूपमे समझ लेना चाहिए कि वे ब्राह्मण धर्मकी चितापर खडे होनेका प्रयत्न न करे। और मै अब्राह्मणोसे अनुरोध करूँगा कि यदि वे इस आन्दोलनमे पूरी दिलचस्पीके साथ शामिल नही हो सकते तो कमसे-कम वे इतना तो करे ही कि सरकारके साथ साजिश करके इस आन्दोलनके मार्गमे रोडे न अटकाएँ।

हिन्दूधर्मके विरुद्ध आदि द्रविड लोगो और पचमोकी शिकायतोके मुकाबिलेमे ब्राह्मणोके विरुद्ध गैर-ब्राह्मणोकी शिकायते कुछ भी नही है। हिन्दूधर्ममे उनकी स्थिति एक प्रकारके कोढियो-जैसी बना दी गई है, और फल यह हुआ है कि हम सभी लोग साम्राज्यके कोढी बन गये है (हँसी)। पचमोको पेटके बल रेगनेके लिए विवश करनेके अ-ब्राह्मण भी ब्राह्मणोकी तरह दोषी है। यह मेरा दृढ मत है कि हमे दासताका यह जुआ अपने कन्धोपर अपने उन पापोके कारण लाद रखना पडा है जो कि हमने अपने उन भाइयोके विरुद्ध किये है जिन्हे हम दम्भ और अहकारके वशीभूत होकर अछूत समझते है। मै एक सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, मै यह भी कहता हूँ कि मैने अपनी योग्यतानुसार शास्त्रोको पढा है। मैने हिन्दूधर्मके तत्त्वको भी समझ लिया है, मै 'वेदो' तथा 'उपनिषदो' के सन्देशको समझनेका भी दम भरता हूँ, मेरा यह भी दावा है कि मैने गत तीस वर्षोसे, सोच-विचारकर और देख-समझकर स्वेच्छापूर्वक एक सनातनी हिन्दूकी भॉंति अपना जीवन बिताया है। कोई भी हिन्दू भले ही मेरी बातका खण्डन करे परन्तु मै आपसे अपने अनुभवके आधारपर जो बात कह रहा हूँ उसे आप प्रामाणिक ही माने। वह यह है कि हमारी धर्म पुस्तकोमे ऐसा कोई प्रमाण नही है जिससे किसी भी मनुष्यको अछूत माना जा सके। मुझे इस बातसे पूर्ण सन्तोष है कि मै हिन्दू हूँ और मै हिन्दू रहते हुए ही शरीर छोडना चाहता हूँ। मै आशा करता हूँ, और मै इसके लिए तैयार भी हूँ, कि अपने धर्मकी रक्षाके लिए किसी क्षण हिन्दूकी भॉंति ही मरूँ। यदि एक क्षणके लिए भी मुझे यह विश्वास हो जाये कि हिन्दू धर्म मुझसे किसी भी प्राणीको छूनेमे पाप समझनेकी आशा करता है तो मुझे हिन्दू कहलानेका हक नही रहेगा। इसलिए मै इस प्रदेशके ब्राह्मणो तथा अब्राह्मणोसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अछूतपनके इस कलकके साथ सघर्ष करे और समाजको इससे मुक्त करे। मै आपसे अनुरोध करूँगा कि अन्तर्जातीय विवाह और अन्तर्जातीय

खानपानको अस्पृश्यताके साथ न मिलाये और इस प्रकार, जैसा हिन्दुओ और मुसलमानोंने आपसमे कर लिया है, हिन्दू भी अपने अन्दरके ऊँच-नीच भावको मिटा दे तो 'भगवद्गीता'[1] के शब्दोमें जब हमारे हृदयोमें ब्राह्मण तथा चाण्डाल दोनो बराबरीका दर्जा पा लेंगे तब आप देखेंगे कि ब्राह्मण अब्राह्मणकी कोई भी समस्या समाधानके लिए नही रह जाती है।

असहयोग चिकित्सा शास्त्रकी भाषामे एक प्रकारका अपूतिदूषित इलाज (एसेप्टिक ट्रीटमेंट) है। रोगाणुरोधक दवाइयाँ केवल उस समय आवश्यक होती है जब हमारे शरीरोमें दोष जमा हो जाता है और हम उन दोषोको नष्ट करनेके लिए अन्य कीटाणु अपने शरीरमे स्थापित करते हैं, लेकिन अपूतिदूषित चिकित्सा प्रणालीमे आन्तरिक स्वच्छता गृहीत मानी जाती है। इसलिए सरकारके साथ हमारे असहयोगका तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम अपनी आन्तरिक स्वच्छता और गन्दगीको दूर कर चुके है। अँधेरेको और भी गहरा करके हमने अँधेरा दूर कर दिया है ऐसा कहनेका ढोंग हम नही रच सकते। हम और भी अधिक हिंसा अपनाकर सरकारकी हिंसाका शमन अथवा निवारण नही करना चाहते। हमारे स्वराज्यमे पृथ्वीपर किसी भी जीवधारीका शोषण नही होना चाहिए। इसलिए मै आपसे सानुरोध कहता हूँ कि आप अपना ध्यान केवल उन्ही तीन बातोपर केन्द्रीभूत करे जिन्हे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने आपके सामने रखा है। मै चाहता हूँ कि आप लोग सरकारको ऐसा कोई भी मौका न दे कि वह हमे हमारे भाषणोके कारण जेल भेज सके। लेकिन मै अपनी आँखोमे एक भी आँसू लाये बिना जेलके दरवाजे खुले रखना और भारतवर्षकी सब स्त्रियोको अपने घरोमें चरखे रखनेके अपराधमे जेल भेज देना पसन्द करूँगा। हमे सरकारके प्रति अथवा अपने उन दोस्तोके प्रति जो आज हमारी मुखालफत कर रहे है अधैर्य नही बरतना चाहिए। प्रत्युत हमे अपने ही प्रति अधीर होना चाहिए। हमारे व्याख्यान तथा सभी प्रस्ताव अधिकतर हमारे प्रति सम्बोधित होते है अथवा होने चाहिए। और यदि हम कांग्रेस, खिलाफत कमेटी तथा मुस्लिम लीगके द्वारा पेश किये गये इस साधारण कार्यक्रमको निभा पाये तो मै अपने उस विश्वासको आपके सामने दोहराकर कहता हूँ कि इसी सालके अन्दर हम स्वराज्य ले लेगे और खिलाफत तथा पजाबके साथ हुए अन्यायका भी परिमार्जन करा लेंगे।

आज अपना भाषण समाप्त करनेके पूर्व मैं मद्रासके शिक्षित पुरुषोके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। मै अपनी लम्बी-लम्बी यात्राओके अनुभवके बाद अपनी आँखो देखी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनता तथा भारतकी महिलाएँ पूर्णत हमारे साथ है। मै शिक्षित भारतीयोसे निवेदन करूँगा कि वे मेरा यह कथन सच माने कि वे इतनी बुद्धिहीन अथवा असस्कृत नही जितना कि हम उन्हे बहुधा मान बैठते है। हम शिक्षित लोग अपनी तिमिराच्छादित बुद्धिसे जितना कुछ समझ पाते है वह उनके सहज स्वभावसे स्फुरित अवलोकनके सामने कम ही बैठता है। मै आपसे सर टामस मुनरो[2]

१ अध्याय ५, श्लोक १८।
२ मद्रासके राज्यपाल, १८२०-२७।

द्वारा की गई साक्षी[1] स्वीकार करनेके लिए भी अनुरोध करूँगा। मै उस साक्षीकी पुष्टि करता हूँ कि भारतकी जनता ससारके देशोकी जनतासे कही ज्यादा शिष्ट है।

आप सवको विदित ही हे कि आजकल सभासे जानेसे पूर्व मै तिलक स्वराज्य कोषके लिए चन्दा इकट्ठा किया करता हूँ। अभी स्वयसेवकगण आपके बीच आयेगे। मै आप लोगोसे अधिकसे-अधिक दान देनेके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने जिस विशेष शान्तिके साथ मुझे सुना है उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी परमात्मासे प्रार्थना हे कि वह हमे अपने कर्त्तव्य पालनके लिए आवश्यक साहस तथा वुद्धि प्रदान करे [जोरकी तथा देरतक हर्षध्वनि]।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ९-४-१९२१

२७६. मेरी उड़ीसा यात्रा

गोपबन्धु दास

जव उडीसामे अकाल पडा था तव यद्यपि मै यह समझ गया था कि उडीसामे वडी दरिद्रता हे तथापि मेरी मान्यता यही थी कि चम्पारन-जैसे दरिद्र लोग देशके अन्य किसी भागमे नही होगे, लेकिन अव मुझे लगता है कि उडीसा उससे भी अधिक दरिद्र है। फर्क इतना ही है कि चम्पारनमे लोग नीलके खेतोके मालिको द्वारा दिये गये दु खोसे पीडित होकर भिखारी वन गये थे और उडीसामे जो दु ख है वह प्रकृतिके कोपसे हुआ है। या तो अनावृष्टिके कारण फसले आती ही नही है अथवा अतिवृष्टि होनेसे वाढ आ जाती है और उससे फसल और घर दोनो ही वरबाद हो जाते है। फलत उडीसामे हमेशा अकालकी-सी स्थिति बनी रहती है।

इस कगाल देशमे फिलहाल तो सच्चे नेता गोपबन्धु दास है जिन्होने श्री अमृतलाल ठक्करको अकालके समय पूरी-पूरी मदद दी थी। गोपबन्धु वावू वकील बने, थोडे वर्षोतक उन्होने वकालत की लेकिन अन्तमे उसे छोडकर अपना सर्वस्व देश-सेवाके लिए अर्पण कर दिया। उन्होने पुरीसे वारह मील दूर साखीगोपालमे एक स्कूलकी स्थापना की है।

कुंजशाला

इस स्कूलमे उद्योग और किताबी पढाई दोनो ही की शिक्षा दी जाती है। इस स्कूलको सरकारने मान्यता प्रदान की थी लेकिन असहयोगका प्रस्ताव पास होनेके वाद गोपवन्धु वावूने सरकारकी इस मान्यताको अस्वीकार कर दिया। तब कितने ही विद्यार्थी चले गये किन्तु कितने ही नये विद्यार्थी स्कूलमे आ भी गये। इस स्कूलके लिए गोपवन्धु वावू स्वय भिक्षा माँगकर धन इकट्ठा करते है। यह स्कूल हरे-भरे

१ खण्ड १०, पृष्ठ ६८-६९।

कुजोसे सुशोभित लगभग वीस एकड भूमिपर स्थिति हे। वच्चोको वृक्षोकी छायामे खुले मैदानमे शिक्षा दी जाती है। उद्योगमे वढईगिरी मुख्य है। अव शिक्षाक्रममे कताई और वुनाईको भी शामिल किया गया है। गोपवन्धु वावू विहार विधान परिषद्-के सदस्य थे और इसलिए गवर्नर और अन्य वडे-वडे लोगोको निमन्त्रित किया करते थे। मैंने देखा कि अपनी सम्मतियोमे इन लोगोने स्कूलकी हमेशा तारीफ की हे।

सेवासमाज

गोपवन्धु वावूने सेवासमाज नामकी एक सस्थाकी स्थापना भी की है। उसमे कुछ वकील और अन्य विद्वान व्यक्ति शामिल हैं। इनमे से अधिकाश, जवसे असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ है तवसे हर महीने सिर्फ दस रुपयेकी रकम लेकर निर्वाह करते हैं। वे भिक्षा माँगकर मुट्ठी-मुट्ठी चावल लाते हैं। इस तरह हाल ही मे स्वराज्य-आश्रमकी भी स्थापना की गई है। इन सदस्यो और स्कूलके वालकोकी खुराक मुख्य रूपसे दाल, भात, तेल और मिलनेपर घीकी चन्द वूँदे और हरी सब्जियाँ होती हैं। उनका मासिक खर्च सात आठ रुपये आता है। पहले थोडा घी लेते थे, लेकिन असहयोग आन्दोलन शुरू होनेके वादसे उन्होने घी लेना वन्द कर दिया है। आज हिन्दुस्तानमे स्वेच्छासे कष्ट सहन करके अपना काम करनेवाली ऐसी कोई दूसरी सस्था शायद ही हो। मैंने जव पूछा कि इतनी नि सत्व खुराकका क्या शरीरपर असर नही होता तो गोपवन्धु वावूने उत्तर दिया कि स्वराज्यकी खातिर क्या हम इतना कष्ट सहन नही कर सकते ? उनका यह उत्तर सुनकर मै चुप रह गया। जव सिरपर विपत्ति आ जाती है तव कौन जाने ईश्वर कहाँसे उसे सहन करनेकी शक्ति दे देता है।

जगन्नाथपुरी

गोपवन्धु वावूका स्कूल देखनेके वाद हम जगन्नाथपुरी पहुँचे। पुरी समुद्रके किनारे स्थित है, इसलिए वहाँ हवाके झकोरे आते रहते हैं, लेकिन इससे कोई यह न माने कि आवोहवाके खयालसे पुरी, डुम्मस, पोरवन्दर या वेरावलसे[1] तनिक भी ऊँचा ठहरता है। कहावत है कि "नामी सेठ कमा खाय" सो वगालियो और सरकारने उसे आरोग्य-स्थल ठहराकर प्रसिद्ध कर दिया है। वहाँसे वगाली प्रतिवर्ष आरोग्य लूट कर जाते है। श्रद्धालु यात्री तो यह भी मानते हैं कि वे जगन्नाथके दर्शन करके और पण्डोको दक्षिणा देकर पुण्य लूट लाते है। मै जव जगन्नाथके दर्शन करने गया तव मनमे अनेक विचार आये। मन्दिर प्राचीन हे, भव्य है। शिखरपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और उसपर ध्वजा फहराती है। मन्दिर वहुत ऊँचा वनाया गया हे। मूर्तियाँ नारायण और लक्ष्मीकी[2] हैं। वहुत वडे आकारकी होनेके कारण वे भयानक लगती हैं। जहाँ मूर्तियाँ विराजती हैं वहाँ घोर अन्धकार है। वहाँ न हवा हे और न उजाला ही है। एक-दो दिये वहाँ जलते रहते हैं।

१ गुजरातके वन्दरगाह।

२ वस्तुत जिन तीन मूर्तियोंके लिए यह मन्दिर प्रसिद्ध है, ये मूर्तियाँ कृष्ण, वलराम और सुभद्रा की हैं।

विदेशी परिधान

मूर्तिको जो वस्त्र पहनाये जाते है वे विदेशी है। हमारे जीवनमे इतना अज्ञान और इतना अविचार क्यो है? मूर्तियोके वस्त्रोके लिए तो असख्य कुमारिकाएँ प्रेमपूर्वक महीन सूत कातती थी और बुनकर उसे प्रेमपूर्वक बुनते थे। अन्य वस्त्र अपवित्र माने जाते थे। मै इस विचारमे डूब गया कि पण्डे अब ऐसे पाखण्डी और विदेशी वस्तुओके ऐसे प्रेमी कैसे बन गये। अन्य स्थानोकी ही भाँति यहाँ भी पण्डोसे बहुत ज्यादा त्रास होता है। भावुक यात्रियोको वे लूटते है। जगन्नाथजी इस सब अत्याचारके साक्षी बनकर चुपचाप कैसे बैठे रहते है? इसपर मुझे "जैसे पुजारी वैसे देव" वाली कहावत याद हो आई। निराकार ईश्वर क्या कुछ कम अत्याचारोका साक्षी बनता है। वह तो कर्मके विधानकी रचना करके तटस्थ हो गया है, तो फिर जगन्नाथजीका क्या दोष?

हृदयविदारक हृदय

जैसे मुझे अनेक जानने योग्य वस्तुएँ दिखाई जाती है वैसे ही मुझे अकालग्रस्त लोगोके दर्शन भी करवाये गये। वे हड्डियोके ढाँचे-भर रह गये थे, मास-स्नायुसे हीन इन सैकडो स्त्री-पुरुष और लडके-लडकियोको देखकर मै बहुत दु खी हुआ, मेरा हृदय विध गया। यदि इस तरह इन अकाल-पीडित लोगोको अन्न न मिले और वे भूखो मरे तो स्वराज्य मिले या न मिले, उसका कुछ अर्थ ही नही रहता? स्वराज्य तो उसे ही कहा जायेगा जिसमे एक भी व्यक्ति अपनी इच्छाके विरुद्ध भूखा अथवा नगा न रहे। हाँ, उसमे उसीकी गलती हो तो बात दूसरी।

अनाथालय

इस मन्त्रको रटते हुए मै पुरी-पुलिस अधीक्षक लाला अमीचन्द द्वारा स्थापित अनाथालय देखने गया। यहाँ अकाल-पीडितोको इकट्ठा किया गया है और उन्हे चटाई, पायदान बुनना और सूत कातना-बुनना सिखाया जाता है। कातना-बुनना तो असहयोग आन्दोलनके शुरू होनेके बाद सिखाया जाने लगा है। इससे मै देख सका हूँ कि कताई अकाल-निवारणका एक साधन है—यह वाक्य कतई गलत नही है। इस बारेमे मैने नेताओके साथ बातचीत की जिसके फलस्वरूप पुरी अकाल-कोषमे जो रुपये बचे है उनका उपयोग अकाल-पीडित लोगोके घरोमे चरखा दाखिल करनेमे किये जानेका प्रस्ताव पास किया गया।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-४-१९२१

२७७. भाषण: बम्बईकी सार्वजनिक सभामें[1]

१० अप्रैल, १९२१

महात्मा गांधीने सभामें देरसे आनेके लिए क्षमायाचना करनेके उपरान्त कहा: यह हमारा राष्ट्रीय सप्ताह है। यह ६ तारीखको आरम्भ हुआ था और १३ को समाप्त होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने हमसे अनुरोध किया है कि हम स्वराज्यके लिए स्वयं अपने प्रयत्नपर निर्भर रहें। हमारा उद्देश्य हर हालतमें एक वर्षके अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त करना है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका निराकरण करायें। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने देशके सामने तीन-सूत्री कार्यक्रम रखा है। हमें यह कार्यक्रम पूरा करना है। कार्यक्रमकी पहली बात यह है कि हम राष्ट्रीय कांग्रेसके एक करोड़ सदस्य बनायें। हमें इसके लिए मुसलमानों और हिन्दुओं, पुरुषों और स्त्रियों सभीका सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग कांग्रेस आन्दोलनमें शरीक हो जायें और इसी उद्देश्यसे हमने सदस्यताकी फीस चार आने रखी है। प्रत्येक भारतीयका कर्त्तव्य है कि वह कांग्रेस संगठनमें अविलम्ब सम्मिलित हो जाये। कांग्रेसके कमसे-कम एक करोड़ नये सदस्य बनने चाहिए। हमारा दूसरा कर्त्तव्य यह है कि हम तिलक स्वराज्य कोषमें एक करोड़ रुपया इकट्ठा करें, मेरा खयाल है कि इतना धन एकत्रित करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कुछ लोगोंके दिलोंमें सन्देह समाया हुआ है कि हम पूरे भारतसे यह बड़ी रकम इकट्ठी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे मनमें ऐसा कोई सन्देह नहीं है। यदि हम भारतीय खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका निराकरण करानेके लिए एक करोड़ रुपया एकत्रित नहीं कर सकते तो हम स्वराज्यके योग्य कभी नहीं होंगे। यदि हम इस रकमको इकट्ठा न कर पाये तो हम स्वराज्यकी जिम्मेदारी सँभालनेके लिए अयोग्य सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि यदि बम्बईके लोग सच्चे दिलसे जुटें तो यह रकम बम्बईमें इकट्ठी हो सकती है। इतनी रकम तो अकेला पारसी या मारवाड़ी समाज ही दे सकता है। बम्बईका धनी व्यापारी समाज एक करोड़ रुपयेकी रकम बड़ी आसानीसे जुटा सकता है। तब समस्त भारतमें एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना असम्भव कैसे है? इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम इस रकमको इकट्ठा कर सकते हैं। मैं बम्बईके निवासियोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे तिलक स्वराज्य कोषके लिए अपनी शक्ति-भर धन दें और केवल अपने हिस्सेकी रकम देकर ही चुप न बैठ जायें। हमें यह रकम ३० जूनसे पहले इकट्ठी कर लेनी है।

१ यह भाषण स्वराज्य सभा और केन्द्रीय खिलाफत समितिके तत्वावधानमें आयोजित सार्वजनिक सभामें दिया गया था।

इससे भी ज्यादा महत्वकी वात है चरखा; स्वराज्यका मिलना इसीपर निर्भर करता है। स्वराज्य प्राप्तिका आधार केवल चरखा है। यह हमारा गोला-वारूद है, जिसकी हमे स्वराज्यकी लडाईमें जरूरत है। आपको विदेशी माल व्यवहारमें लाना वन्द कर देना है और इस दिशामें पहला कदम स्वदेशी कपडेका इस्तेमाल है। आपको चाहिए कि आप विदेशी कपडा पहनना एक लज्जाजनक वात समझें। आप यह भी सोचे कि देशमें बना कपडा पहनना बहुत अच्छी वात है। आपका यह काम आध्यात्मिकता-से भरा हुआ होगा और इससे भारतका हित होगा। मै इस महान् कार्यके लिए पुरुषो और स्त्रियो, अमीरो और गरीवो, वूढो और युवको -- सभीकी शक्ति उपलब्ध करना चाहता हूँ। मुझे स्वराज्यकी लडाईमें गरीवसे-गरीव आदमीकी जरूरत है। यदि भारतीय यह सोचते हो कि वे कारखाने खडे करके विदेशी मालका त्यागकर सकेगे तो मेरा खयाल यह है कि ऐसा करना सम्भव नहीं है, क्योकि हम एक सालमें विदेशोसे इतनी मशीनें कैसे मँगा सकते है? इसके अलावा, हमें इन मशीनोकी खरीदीके लिए विदेशोमें बहुत वडी रकम भेज देनी पडेगी। जब देशमें कारखानोके लिए मशीनें वनने लगेंगी तव आप चाहे जितने कारखाने खड़े कर ले; केवल उस अवस्थामें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी; लेकिन जवतक ऐसा नहीं हो पाता तवतक मेरे खयालसे नये कारखाने खड़े करनेसे कोई लाभ नही होगा। कांग्रेस यह चाहती है कि जूनसे पहले ही देशमें २० लाख चरखे चलने लगे। मै चाहता हूँ कि चरखा देशके प्रत्येक घरमें पहुँच जाये।

महात्मा गाधीने बम्बईके व्यापारियोसे पूछा: क्या आप लोगोका विदेशोमें बना हुआ माल मँगाना और इस प्रकार देशको गरीव वनाना तथा भारतीयोको दास बनाए रखना उचित है? क्या इसकी अपेक्षा आपका गरीब रहना ज्यादा अच्छा नहीं है? हमें स्वराज्य तभी मिल सकता है जब आप विदेशी माल मँगाना बन्द करें। वकील लोग अदालतोमें जाते रहे या छात्र स्कूलो और कालेजोमें जाते रहे इससे कोई बड़ी हानि नहीं। लेकिन देशमें विदेशी माल न आने पाये, यह अत्यन्त आवश्यक है। हमें खद्दर पहनना चाहिए। केवल स्वदेशी कपडा पहनना हमारा धर्म है। देशमें बने हुए कपड़ोकी जगह विदेशोमें वना हुआ कपड़ा पहनना देशके प्रति अपराध है। मै उडीसा और आन्ध्रसे आ रहा हूँ। मैंने वहाँ जो-कुछ देखा, उससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि वम्वईके लोग वहुत पीछे रह गये है और उनका इस पापमें सबसे बड़ा भाग है। इस मामलेमें गुजराती समाज सबसे बडा पापी है। भारतमें विदेशी कपडा मँगानेवाले लोग गुजराती व्यापारी ही है। भारतीय लोग वारीक कपड़ा पहननेके आदी हो गये है। यदि वम्वईके लोग इन विलासिताकी चीजोको नहीं छोड़ सकते तो मेरी समझमें दूसरी जगहोके लोगोसे उनका छुड़वाना सम्भव नही है। स्वराज्यकी खातिर, खिलाफत और पंजावके अन्यायोका निराकरण करानेकी खातिर, हमें विदेशोमें बना माल त्यागना होगा। जवतक भारतीय यह अनुभव नहीं करते कि खद्दरमें उतनी ही सुन्दरता है

जितनी मैनचेस्टरमें बनी बढिया मलमल (कैलिको) या जापानमें बने मालमें है, तबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता।

हमारा कर्त्तव्य बिलकुल स्पष्ट है—हमें कांग्रेसमें शामिल होना चाहिए, हमें तिलक स्वराज्य कोषके लिए एक करोड रुपया इकट्ठा करना चाहिए और देशमें बीस लाख चरखे चलवा देने चाहिए। यदि भारत इतना कर सके तो निश्चय ही एक वर्षमें स्वराज्य मिल सकता है। यदि हम इतना कर डाले तो निस्सन्देह स्वराज्य अपने आप चला आयेगा। मद्रास और बगालमें बडे प्रतिष्ठित लोग भी खद्दर पहनते हैं। तब बम्बईके लोग ऐसा क्यो नहीं कर सकते?

मुझे महिलाओके सहयोगकी और उनके आशीर्वादकी भी आवश्यकता है। किन्तु उन्हे पहले इसके योग्य बनना चाहिए। जबतक वे स्वदेशी कपडे पहनकर और विदेशी कपडे त्यागकर स्वय पवित्र नहीं हो जातीं तबतक वे मुझे आशीर्वाद नही दे सकतीं। वे जबतक स्वय स्वदेशी कपडे नही पहनने लगतीं, तबतक मुझे आशीर्वाद कैसे दे सकती है? महिलाओसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने सम्मुख सीताजीका आदर्श रखें, वे सीताकी तरह कष्ट सहन करे और सीताकी तरह सरल और शुद्ध सादगीका जीवन अपनायें। भारतको केवल तभी स्वराज्य मिल सकता है जब वे केवल देशका बना कपडा पहनें। और देशके कार्यमें रत कार्यकर्त्ताओको अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करे। उस अवस्थामें इस देशमें धर्म राज्य स्थापित होगा। हिन्दुओ और मुसलमानोको स्वराज्यके सघर्षके लिए दूध और पानीकी तरह एक कर देना कांग्रेसका उद्देश्य है। बगाल और उडीसामें स्त्रियोने तिलक स्वराज्य कोषमें दिल खोलकर चन्दा दिया है। मैं अपनी पारसी बहनोसे अनुरोध करता हूँ कि वे स्वराज्यके लिए मुक्तहस्तसे दान दें। मैं सब बहनोसे इस कोषमें अपना योगदान देनेकी विनती करता हूँ।

अन्तमें गाधीजीने कहा मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी और यहूदी सब मिलकर एक हो जायें और अपनी शक्तिभर देशका हित साधन करते हुए अपने कर्त्तव्यका पालन करे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-४-१९२१

२७८. सन्देश : सत्याग्रह सप्ताहके अन्तिम दिनके लिए

[१३ अप्रैल, १९२१ के पूर्व][1]

आजका दिवस इस पवित्र सप्ताहका अन्तिम दिवस है। श्रद्धालु जन इस दिन अवश्य उपवास करे, और प्रार्थना करे। मेरे हृदयकी तो यही कामना है कि पराधीनता-की दशामे यह हमारी अन्तिम तेरह अप्रैल हो, लेकिन यह कोई मेरे हाथमे नही है। ईश्वरके हाथमे भी नही है। स्वराज्यका दान तो ईश्वर भी नही करेगा। स्वराज्यकी प्राप्ति तो हमे अपने परिश्रमसे करनी है और उसे प्राप्त करनेका एक ही रास्ता है। हम समझ ले कि स्वराज्य क्या है और उसके अनुसार आचरण करे, बस, स्वराज्य हो गया। हमे इसी वर्षके भीतर विदेशी कपडेका बहिष्कार करना है। इस बहिष्कार-के लिए सबको अपने शरीरकी और अपनी सन्दूककी जाँच कर लेनी चाहिए। परदेशी कपडेका तुरन्त त्याग कर देना चाहिए। दूसरे क्या करते है, उसका खयाल ही नही करना है। कमसे-कम कपडोसे निर्वाह करनेकी आदत डाल लेनी चाहिए और खुद चरखा चलाना चाहिए और दूसरोको भी चलानेकी सलाह देनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-४-१९२१

२७९. टिप्पणियाँ

असहयोग स्थगित कर दो

श्री सैयद[2] रजा अलीने एक खुला पत्र लिखकर मुझे सलाह दी है कि मै लॉर्ड रीडिगको शान्त वातावरणमे परिस्थितिका अध्ययन करनेका मौका देनेके लिए, असहयोग स्थगित कर दूं। पहली बात तो यह है कि मुझे वातावरणमे ऐसा कुछ नही दिखाई देता जो परिस्थितिके अध्ययनमे बाधा पहुँचाए। दूसरे, जो कुछ भी अशान्ति है, वह या तो अधिकारियो द्वारा पैदा की हुई है, या फिर स्थितिपर जिस बुरे ढगसे काबू पानेकी कोशिश की गई उसके कारण रक्तपात हुआ है। मध्यप्रान्तमे शराबका व्यापार ऐसी जनतापर थोपा जा रहा है जिसमे उसके विरुद्ध रोष व्याप्त है। मैने अखबार नही पढे और इसलिए रायबरेलीके सम्बन्धमे कह सकने योग्य मेरे पास पर्याप्त तथ्य नही है। जो भी हो, श्री रजा अलीको ऐसा अनुरोध स्थायी अधिकारियोसे करना चाहिए, जो लोगोको उभाड रहे है और देशमे आतक फैला रहे है। तीसरे, यह बात चाहने पर भी किसी एक आदमीके बसकी नही है कि वह एक ऐसे आन्दोलनको स्थगित कर दे,

१ यह सन्देश १३ अप्रैलको समाचारपत्रोंमें प्रकाशित किये जानेके उद्देश्यसे दिया गया था।
२. इलाहाबादके एक प्रतिष्ठित और प्रमुख वकील।

जो राष्ट्र द्वारा अपनी प्रतिनिधि सस्थाओके माध्यमसे अपनाया गया है। चौथे, आखिर श्री रजा अलीका असहयोगके स्थगनसे अभिप्राय क्या है? क्या खिताबधारी लोग कुछ समयके लिए अपने खिताब पुन धारण कर लें? या वकील फिरसे वकालत करना शुरू कर दे? क्या लडके सरकारी स्कूलोमे लौट जायें, कातनेवाले अपने चरखे एक कोनेमे रख दे, वढई नये चरखे बनाना बन्द कर दे! और क्या पियक्कड लोग ठेके-वालोसे फिर जान-पहचान वढाना शुरू करे? क्या श्री रजा अली चाहते है कि राष्ट्रीय स्कूल कुछ समयके लिए अपने दरवाजे बन्द कर दे? बात चाहे कितनी ही बेतुकी लगे, इतना स्पष्ट है कि श्री रजा अली असहयोगकी मर्यादाओको नही समझे है, वे नही समझते कि असहयोग एक सद्गुणके समान है जिसका आचरण इच्छा होते ही जब चाहे बन्द नही किया जा सकता। यदि अग्रेज जो अपने भरण-पोषणके लिए भारतपर आश्रित है सचमुच भारतका भला चाहते है, हमारा नमक अदा करना चाहते है, तो उन्हे शराबके धन्धेके खतम हो जाने, तथा विदेशी कपडेके धन्धे और इसके फलस्वरूप लकाशायरके कपडेके धन्धेके भी पूर्ण विनाशको सहन कर लेना चाहिए। खिलाफत पूरी तरह सुरक्षित हो जाये और पजाबके घाव भर जाये, इसके बाद भी शराबकी आमदनी पुनर्जीवित नही की जा सकेगी, न विदेशी कपडेका इस्तेमाल फिरसे शुरू किया जायेगा। आश्चर्यकी बात तो यह है कि देशमे ऐसे बुद्धिमान और शिक्षित सार्वजनिक कार्यकर्त्ता है जो इतना भी नही समझ पाते कि यह सरकार जबतक अपने मूलभूत पापोको धो नही डालती तबतक उसे बराबर एक अन्यायके बाद दूसरा अन्याय करना ही होगा। इसमें सन्देह नही कि वह चाहे तो उक्त दो अन्यायोका निवारण किये बिना भी, दो बडे-बडे गतिशील आन्दोलनोमे जनताके साथ सहयोग कर सकती है अर्थात् शराबकी बुरी लतके खिलाफ युद्धमें तथा चरखेकी उस प्राचीन प्रतिष्ठा और पवित्रताकी पुन स्थापनामें। इससे उन दोनो अन्यायोसे[1] उत्पन्न कटुता हलकी पड जायेगी। किन्तु जनताके साथ सरकारके ऐसे सहयोगसे जनताकी उन दोनो अन्यायोका निश्चित रूपसे निवारण करा लेनेकी शक्ति बढ जायेगी, और इसीलिए सरकार शान्तिके साथ मद्यनिषेध अभियानकी तथा चरखेके माध्यमसे स्वदेशी वस्त्र निर्माणकी वृद्धिके फलस्वरूप विदेशी कपडेके बहिष्कारकी प्रगति नही होने देगी।

कार्यकर्त्ता, धन और साधन

श्री दासने इन्ही शब्दोमें एक करोड सदस्य, एक करोड रुपये और बीस लाख चरखेवाले अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके प्रस्तावका सार रख दिया था। कार्यक्रम न तो विस्तृत है, न पेचीदा। इसके लिए लगभग किसी त्यागकी आवश्यकता नही। हाँ, इसके लिए सगठन, इच्छा और उद्यम शीलताकी जरूर आवश्यकता है। हमारे पास २१ काग्रेसी प्रान्त है, और सौभाग्यसे हर प्रान्तमे ऐसे कार्यकर्त्ता है, जो काग्रेसके कार्यक्रमके लिए अपने-अपने प्रान्तको सगठित कर सकते है। मै आग्रह करूँगा कि वे सदस्य भरती करने, चन्दा एकत्र करने तथा घर-घरमें चरखेका प्रवेश करानेके काममे जुट जाये। कार्यकर्त्ता भूलें नही कि अब नष्ट करनेके लिए समय नही रहा। अपने-अपने प्रान्तमें

१ पजाब और खिलाफतके अन्याय।

हमे प्रत्येक स्त्री और पुरुपतक पहुँच सकना चाहिए, और उन्हे काग्रेसकी सदस्यताकी वहीमे अपना नाम लिखानेका अवसर देना चाहिए। समझदार वालको तथा वालिकाओ-को भी तिलक-स्मारक स्वराज्य कोपमे चन्दा देनेका अवसर दिया जाना चाहिए, और प्रत्येक परिवारमे चरखेका प्राणप्रद सन्देश पहुँचाया जाना चाहिए। निर्धनसे-निर्धन प्रान्तको भी अपने हिस्सेके कार्यक्रमको पूरा करनेकी अपनी सामर्थ्यमे सन्देह नही करना चाहिए। मैं समझता हूँ, उडीसा सवसे निर्धन प्रान्त है। मैंने वहाँके कार्यकर्त्ताओसे पूछा कि क्या वे अपने हिस्सेका भार सँभालेगे। उन्होने हामी भरी। और जव जगत्के नाथ, जगन्नाथका आसन ही उडीसामे हे, तो उनके लिए हिचकिचानेकी आवश्यकता भी क्या थी? वे अपने हिस्सेका धन, अगर और कुछ न वन पडे तो, पुरी आनेवाले तीर्थयात्रियोसे, साथ ही सम्पन्न महन्तो और पडोसे भी एकत्र कर सकते है। यदि उनको ठीक ढगसे समझाया जाये, तो मुझे लगता है कि वे खुशीसे चन्दा देगे। किन्तु एक ही वडे स्थानपर हमारी थैली भर जाये, इसकी अपेक्षा हमे अपनी आशा गरीवोकी पाई-पाईपर अधिक केन्द्रित करनी चाहिए। साखीगोपालमे[1] हजारो अत्यन्त निर्धन लोगोको जव मैंने पाइयो और पैसे देकर अपनी जेबे खाली करते देखा, तव मुझमे जितने विश्वास और जितनी आशाका सचार हुआ, उतना पहले कभी और किसी दृश्यसे नही हुआ था। बिहारके लोग तो मुट्ठी-मुट्ठी भर अनाज वगैरह भी ले रहे है। यदि ऐसे दानको स्वीकार करने तथा उनका उपयोग करनेके लिए ठीक-ठीक सग्रह केन्द्र हो, तो एक करोड रुपया विना किसी अडचनके जमा हो जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि कार्यकर्त्तागण कारीगरोके सभी वर्गोके मुखियोसे मिले। हम चाहते है कि इस आन्दोलनको वढई, लुहार, धोबी, राज, भगी-चमार, चमडा कमाने-वाले — गरज यह कि सभी वर्गके लोग समझे और इसमे भाग ले। स्वराज्यकी आवश्य-कता ठीक-ठीक समझनेके लिए उन्हे किसी स्कूलमे पूर्व-प्रशिक्षणकी आवश्यकता नही है। स्वराज्य और चरखेका अभिन्न सम्बन्ध वे सरलतासे समझ जाते है। हमारे वर्त-मान जातीय सगठन वास्तवमे पेशोपर आधारित सगठन हैं, इनके होते हुए हमे उन अधिकाश पुरुपो और स्त्रियोतक पहुँचनेमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए, जो इन महत्वपूर्ण सगठनोके सदस्य हैं।

यह भी याद रखना चाहिए कि एक ही कामके लिए — सघर्षके साधन, अर्थात् चरखे तैयार करने और वितरित करनेके लिए — हमे जन और धन, दोनोकी आवश्यकता है। हमे इस वर्षके भीतर विदेशी कपडेका पूर्वरूपसे बहिष्कार कर देना चाहिए, वन सके तो आगामी जुलाईके अन्तसे पहले ही। एक करोड रुपया और वीस लाख चरखे, यह काग्रेसका न्यूनतम लक्ष्य है। इसमे वे चरखे नही आते जो गत ३१ दिसम्वरसे पहले भी काममे लाये जा रहे थे। हमे मोटे किस्मके वस्त्रमे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ६ पौड कपडा चाहिए। अत हमे राष्ट्रके लिए प्रति वर्ष १ अरव ८० करोड पौड कपडा चाहिए। यदि सालमे कामके कुल ३०० दिन माने, और यदि एक तकुएसे दिनभरमे आधा पौड अर्थात् सालभरमे १५० पौड सूत निकले, तो इतने परि-

१ उड़ीसाका एक गाँव, जहाँ गाधीजी मार्च १९२१ के आखिरी सप्ताहमें गये थे।

माणमें सूतका उत्पादन करनेके लिए हमें १ करोड़ २० लाख तकुए [चरखे] चाहिए। जूनके अन्ततक कांग्रेस तो केवल ३० लाखकी, अर्थात् समूची आवश्यकताके मात्र छठे भागकी ही अपेक्षा कर रही है। ऐसी आशा करना बहुत गलत नहीं होगा कि यदि हम तीन महीनेमें २० लाख चरखे चालू करनेमें सफल हो सके तो उससे आन्दोलनको ऐसी गति मिलेगी, जिससे बिना अधिक प्रयत्नके ही आगामी तीन महीनोंमें चरखोंकी संख्या दुगनी हो जायेगी। हमारे देशमें प्रति-परिवार ६ सदस्योंवाले करीब ५ करोड़ परिवार हैं। अतः समस्या परिवारोंकी इस बड़ी संख्यामें से केवल २० लाख परिवारों तक पहुँचनेकी ही है।

यदि वर्तमान कार्यकर्त्ताओंका चरखेमें वैसा ही विश्वास है जैसा मेरा है, तो उन्हें कातना और चरखेकी बनावट समझ लेना चाहिए जिससे वे अच्छे चरखे और खराब चरखेमें भेद कर सकें। उन्हें किसी भी हालतमें ऐसे चरखेका प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, जो गत दिनांक ६ के अंकमें निर्देशित कसौटियोंपर खरा नहीं उतरता। यह तो बताना आवश्यक भी नहीं है कि कार्यकर्त्तागण यदि स्वयं धर्म मानकर विदेशी कपड़ा पहनना बन्द नहीं कर देते तो लोगोंपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा — पड़ा भी तो बहुत ही कम। यदि स्वयं हमने उनका तुरन्त श्रीगणेश करके उदाहरण प्रस्तुत न किया तो वर्ष पूरा होते-होते तक विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार सम्भव नहीं होगा। एक ही बड़ा काम ठीक ढंगसे और ईमानदारीसे सम्पन्न किया जाये, तो उसके फलस्वरूप हमें अवश्य ही विश्वास, आशा और साहस प्राप्त होना है।

करोड़ रुपयेका उपयोग

मुझे बताया गया है कि एक अखबारने यह प्रश्न किया है, कांग्रेस एक करोड़ रुपयोंका क्या करेगी? उत्तर स्पष्ट है 'रुपया कांग्रेसके प्रस्तावमें निर्देशित कार्यके लिए काममें लाया जायेगा। अर्थात्, अहिंसात्मक असहयोगके द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए। जिनमें आर्थिक व्ययकी आवश्यकता पड़ेगी वे काम हैं कताईका काम, राष्ट्रकी सेवाके संगठनका काम, कहीं-कहीं उन वकीलोंके भरण-पोषणका काम, जिन्होंने वकालत बन्द कर दी है किन्तु जो राष्ट्रीय सेवामें नहीं खपाये जा सकते, और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओंको चलानेका काम। किन्तु इनमें से अन्तिम तीनों कार्य भी कताईसे ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि हमें इस वर्षके अन्तसे पहले-पहले ही विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार सम्पन्न करना है तो समस्त कार्यकर्त्ताओं, स्कूलों तथा कालेजोंको मुख्यतः हाथकी कताई और बुनाईमें ही जुटे रहना चाहिए। मेरी समझमें अखिल भारतीय तिलक-स्मारक-स्वराज्य कोषके खर्चकी मदें यही हैं। कोषका पचहत्तर प्रतिशत भाग उसे एकत्र करनेवाले प्रान्तके नियन्त्रणमें रहेगा। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशोंके अन्तर्गत, प्रान्तोंको स्वराज्य-प्राप्तिके लिए उसका उपयोग करनेके सम्बन्धमें निर्णयकी निर्बाध स्वाधीनता रहेगी।

विस्मयजनक भ्रान्तियाँ

गुजरातीमें एक आम कहावत है 'नामी साह कमा खाय, नामी चोर मारा जाय।' मैं चाहे सुधारक माना जाऊँ, चाहे अपराधी, किन्तु मैं अपने आपको अत्यन्त विचित्र

और बहुधा असमजसपूर्ण स्थितिमे पाता हूँ। लोग कहते हैं कि मुझमे अलौकिक शक्तियाँ है, जब कि जो भी थोडी-बहुत शक्ति मुझमे है, वह मुझे सत्यके प्रति अपनी दृढ निष्ठासे, मेरे अदमनीय उद्यमसे, विपक्षीके प्रति मेरे न्याय-सगत व्यवहारसे, सदैव अपनी भूल स्वीकार करनेकी तत्परतासे, तथा निरन्तर विवेकसे काम लेते रहनेके गुणसे प्राप्त हुई है। किन्तु भोली जनता मेरी बातपर विश्वास ही नही करती कि मुझमे कोई असाधारण शक्ति नही है। इसी प्रकार ऐसे लोग जिन्हे राजनीतिमे पूर्णत प्रामाणिक व्यवहार देखनेका अभ्यास नही है, वे बराबर मुझमे सब प्रकारकी दुष्टताओका आरोप करते जाते है। 'मॉर्निग पोस्ट'का विश्वास है कि फीजीकी हडताल एक साधुके प्रयत्नोसे हुई, जिसे मैने वहाँ भेजा था। यहाँ मै जानता भी नही कि यह तथाकथित साधु कौन है। निश्चय ही मैने हडतालकी सलाह देनेके लिए किसीको फीजी नही भेजा। तथापि, फीजीमे यदि हडताल घोपित हो गई है, तो हडतालियोके साथ मेरी सहानुभूति है। मुझे जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है, उससे सिद्ध होता है कि फीजी एक विशाल शोषण-केन्द्र है, जहाँ गन्नेकी खेती करनेवाले अपने विपुल लाभके लिए बेचारे भारतीय मजदूरोका शोपण करते रहते हैं।

'टाइम्स ऑफ इंडिया'

ऊपर निर्देशित भ्रान्त धारणाओ जैसी ही भ्रान्त धारणा 'टाइम्स आफ इडिया'की भी है, जिसके हालके दो लेखोकी ओर एक मित्रने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। नियमपूर्वक अखबार न पढ सकनेके कारण, मुझे मालूम नही कि और दूसरे अखबार मेरा और कितना अधिक गलत-सलत चित्रण करते रहते हैं। 'टाइम्स आफ इडिया,' जिसे मेरी बात ज्यादा अच्छी तरह समझ सकनी चाहिए, कदाचित् अनजानेमे मुझे गलत समझता है। उसके एक लेखमे कहा गया है कि मैने असहयोग आन्दोलनको स्थगित कर दिया है, अर्थात् मैने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको सलाह दी है, कि वह अपना ध्यान कार्यकर्त्ता बनाने, धन सग्रह करने और चरखेके प्रचारपर केन्द्रित करे। मुझे खेद है कि मै इसका यह अर्थ स्वीकार नही कर सकता, क्योकि मैने आन्दोलन स्थगित करनेकी सलाह नही दी है, और उसका कारण मै श्री रजा अलीको दिये गये अपने उत्तरमे दिखा चुका हूँ। दूसरे लेखमे कहा गया है कि अब मै "पहलेवाला गाधी नही रहा," और इसलिए पाठकोको मुझसे आन्दोलनके पहले दौरमे असहयोगियोकी जो हार हुई है, उसे स्वीकार करनेकी उम्मीद नही करनी चाहिए।

हारकी तो बात ही क्या, मै तो लोगोमे जो जागृति हुई है, उससे चकित हूँ। मेरी रायमे ऐसी सस्थाओके विरुद्ध, जिनके आधारपर शासन अपनी साख जमाता है, शक्तिशाली जनमत तैयार कर देना ही बडी बात है। 'टाइम्स ऑफ इडिया' समझता है कि असहयोग खाईमे गिरनेका सीधा रास्ता है। किन्तु मै विनम्रतापूर्वक यह कहूँगा कि वह स्वर्गतक पहुँचनेका एक दुर्गम मार्ग है। यदि आन्दोलनका उद्देश्य अराजकता उत्पन्न करना होता, तो वह किसी भी क्षण उत्पन्न की जा सकती थी। 'टाइम्स ऑफ इडिया' और अन्य आलोचक, जो मै समझता हूँ, सघर्षके मर्मको समझना चाहते हैं, इस तथ्यको ठीक-ठीक हृदयगम करे तो अच्छा हो कि केवल मै ही नही बल्कि सभी नेता अराज-

कताको रोकनेका शक्ति-भर प्रयास कर रहे हैं। अन्य सबसे मुझे पृथक् मानना व्यर्थ है। जो आलोचक, अली भाइयोंपर सन्देह करते ही जाते है, वे अपने-आपके साथ और हमारे ध्येयके साथ भारी अन्याय करते हैं। अली भाइयोंकी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है और समझमें आने योग्य है। उनके लिए विशेष परिस्थितियोंमें हिंसा जायज है। जैसा कि मौलाना मुहम्मद अली बहुधा कहा करते हैं, युद्ध बुरा होता है, किन्तु [संसारमें] युद्धसे भी बदतर चीजें हैं। ब्रिटिश सरकारका अली-बन्धुओंसे ज्यादा शानदार विरोधी कोई विरला ही होगा। उनके मनमें सरकारको जबर्दस्ती नुकसान पहुँचानेकी इच्छा नहीं है। वे शान्तिपूर्ण समझौतेके लिए ईमानदारीके साथ परिश्रमपूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु यदि सरकारकी हठधर्मीके कारण या जनताकी ओरसे सहयोगके अभावमें, उनका प्रयत्न व्यर्थ गया, तो अपने धर्मके प्रेमी होनेके नाते, सम्भव होनेपर युद्धकी स्थिति उत्पन्न करनेमें भी वे आगापीछा नहीं करेंगे। लोग मुझे इतना सीधा-सादा न मानें कि मुझे कोई भी साथी आसानीसे भ्रमित कर सकता है। मैं समझता हूँ कि मेरे साथी मुझे धोखा दे ही नहीं सकते। मेरा विश्वास है कि वे सब धर्म-भीरु, साहसी तथा सम्माननीय व्यक्ति हैं, और उनके साहचर्यको मैं अपने लिए विशेष सौभाग्यकी बात मानता हूँ। जहाँतक मेरे अपने रुखका प्रश्न है, यद्यपि मेरा विश्वास मुझे हिंसात्मक युद्धको निमन्त्रण देने अथवा प्रोत्साहित करनेकी अनुमति नहीं देगा, तथापि अस्त्र-शस्त्रोंके बलपर जबर्दस्ती लादी हुई इस स्त्रैण शान्तिकी अपेक्षा तो युद्धकी स्थितिकी कल्पना भी मैं अविचलित भावसे कर सकता हूँ। और यही कारण है कि मैं अहिंसात्मक असहयोगके इस आन्दोलनमें यह जोखिम उठाकर भी भाग ले रहा हूँ कि इसका अन्तिम परिणाम अराजकता भी हो सकता है। असहयोगके आलोचक यदि चाहें तो प्रत्येक व्यक्तिमें अराजकता अथवा रक्तपातको रोकनेकी उत्कट अभिलाषा देख सकते हैं। जो हो, असहयोगियोंको ठीक-ठीक समझा जाये या न समझा जाये, उनका काम धैर्य खो देनेसे चल ही नहीं सकता। उन्हें बराबर अपने निर्धारित और सकरे पथपर चलते रहना चाहिए।

एक व्यक्ति, एक मत

एक यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेसका संविधान एक व्यक्तिको एकाधिक मत देनेकी अनुमति देता है। मेरी रायमें नया संविधान 'एक व्यक्ति, एक मत'के सिद्धान्तपर आधारित है। हमने साम्पत्तिक अर्हता हटा दी है। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति एकसे अधिक बहीमें अपना नाम पंजीयित नहीं करा सकता।

मध्य प्रान्तमें दमन[1]

लाला भगवानदीनजीके मुकदमेकी सुनवाई हो गई है। उनके अपनी सफाई देनेसे इनकार करनेपर, उन्हें कठिन परिश्रमके साथ अठारह महीनेके कारावासकी सजा दी गई है। मैंने उनके विरुद्ध पेश अभियोगपत्र नहीं देखा है। किन्तु मैं इतना जानता हूँ कि वे नागपुरके स्वराज्य आश्रमके अधीक्षक थे, और उत्तम काम कर रहे थे। अब सरकारने अपना ध्यान अमरावतीके श्री वामनराव जोशीकी ओर लगाया है। श्री जोशी

१ देखिए "भाषण नागपुरमें", १८-२-१९२१।

एक नि स्वार्थ और उत्साही कार्यकर्त्ता है। उनका अपने जिलेमे बहुत प्रभाव है। ऐसा लगता है कि सरकारका इरादा सभी बडे-बडे व्यक्तियोको बन्द कर देनेका है। किन्तु मै समझता हूँ, सरकारको पता चलेगा कि जितने व्यक्तियोको वह बन्द कर सकती है, उससे कही अधिक सख्यामे बडे-बडे व्यक्ति मौजूद है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १३–४–१९२१

२८०. राष्ट्रीय झंडा

सब राष्ट्रोके लिए झडा आवश्यक है। करोडोने उसके लिए प्राण दिये है। निस्सन्देह यह एक ऐसी मूर्ति-पूजा है जिसे नष्ट करना पाप होगा। सो इसलिए कि झडा एक आदर्शका प्रतिनिधित्व करता है। 'यूनियन जैक' का फहराया जाना अग्रेजोके हृदयमे ऐसे भाव जगाता है, जिनकी गहराईको माप सकना कठिन होगा। अमेरिकावासियोके लिए तारो और धारियोवाले अपने झडेका अपार महत्व है। चाँद-तारावाला झडा इस्लामके सर्वोत्तम शौर्यकी उद्भावना करता है।

हम भारतीयोके लिए — हिन्दुओ, मुसलमानो, ईसाइयो, यहूदियो, पारसियो, तथा उन सभीके लिए जो भारतको अपना घर मानते है — यह आवश्यक है कि हम सबका एक झडा हो और उसके लिए हम जिये और मरे।

मसूलीपट्टमके राष्ट्रीय महाविद्यालयके श्री पी० वेकय्याने कुछ वर्षो पहले जनताके सामने एक विचारोत्तेजक पुस्तिका रखी थी। उसमे अन्य राष्ट्रोके झडोका वर्णन किया गया है तथा भारतके राष्ट्रीय झडेके लिए नमूने प्रस्तुत किये गये है। यद्यपि मैने श्री पी० वेकय्याके उस उत्साहकी सदा प्रशसा ही की है, जिसके साथ वे पिछले चार सालोसे काग्रेसके हर अधिवेशनमे निरन्तर राष्ट्रीय झडेके प्रश्नको उठाते रहे है तथापि मेरे हृदयमे उनके विचारोके प्रति कोई उत्साह जाग्रत नही हो सका, और उन्होने जो नमूने पेश किये उनमे मुझे ऐसा कुछ नही दिखाई पडा जो राष्ट्रकी भावनाओको जगा सके। इसका श्रेय एक पजाबी सज्जनको ही मिलना था। उन्होने ऐसा सुझाव दिया जिसकी ओर सभीका ध्यान एकदम खिच गया। वे थे जालधरके लाला हसराज, जिन्होने चरखेकी सम्भावनाओपर विचार करते हुए सुझाया था कि चरखेको हमारे स्वराज्यके झडेमे स्थान मिलना चाहिए। मै सुझावकी मौलिकताकी प्रशसा किये बिना नही रह सका। बेजवाडामे मैने श्री वेकय्यासे एक ऐसा नमूना देनेको कहा, जिसमे लाल (हिन्दुओका) तथा हरे (मुसलमानोका) रगकी पृष्ठभूमिपर चरखा हो। उनके उत्साही स्वभावके कारण तीन घटेमे मेरे पास एक झडा आ गया। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके समक्ष उसे प्रस्तुत करनेके लिए तबतक थोडा विलम्ब हो गया था। अच्छा ही हुआ। अधिक गहराईसे विचार करनेके बाद मुझे महसूस हुआ कि पृष्ठभूमिमे अन्य धर्मोका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम एकता शब्द केवल इन दोनोकी ही एकताका नही, बल्कि भारतमे बसनेवाले सभी धर्मके लोगोकी एकताका प्रतीक

है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर सहिष्णुताके साथ रह सकते है, तो वे दोनो अन्य सब धर्मोके प्रति सहिष्णु वने रहनेके लिए बाध्य है। दोनोकी एकता भारतमे मौजूद अन्य धर्मो अथवा ससारके लिए खतरा पैदा नही करती। अत मेरा सुझाव है कि पृष्ठभूमि सफेद, हरी और लाल होनी चाहिए। सफेद रग और सब धर्मोका प्रतिनिधित्व करनेके लिए है। सख्यामे जो सबसे कम है, वे प्रथम स्थानमे है, उसके बाद इस्लामका रग आता है, और सबके नीचे हिन्दुओका लाल रग है। मतलब यह है कि जो सबसे अधिक शक्ति-सम्पन्न है, वे सबसे कम शक्तिवालोके लिए ढालका काम करे, साथ ही सफेद रग शुद्धि और शान्तिका भी द्योतक है। हमारा राष्ट्रीय झडा इसका द्योतक नही हुआ तो व्यर्थ है। और हममे न्यूनतमकी अधिकतमके साथ बराबरी है यह दर्शानेके लिए तीनो रगोको बराबर-बराबर भागोमे रखा गया है।

किन्तु राष्ट्रके रूपमे भारत केवल चरखेके लिए ही जी या मर सकता है। प्रत्येक नारी इस बातकी गवाही देगी कि चरखेके लोपके साथ ही भारतका सुख और उसकी समृद्धि लुप्त हो गई है। चरखेके आह्वानपर भारतकी नारियो और आम जनतामे जितनी जागृति आई है उतनी पहले कभी नही आई थी। जनसाधारण उसे अपना जीवनदाता मानते है। स्त्रियाँ उसे अपने नारीत्वका सरक्षक मानती है। जिस भी विधवासे मैं मिला हूँ उसीने चरखेको अपने एक प्रिय और विस्मृत मित्रके रूपमे पहचाना है। केवल उसकी पुन स्थापना ही लाखो क्षुधाग्रस्त लोगोका पेट भर सकती है। औद्योगिक विकासकी कोई भी योजनाएँ १,९०० मील लम्बे और १,५०० मील चौडे इस विशाल-भूखण्डके किसानोकी बढती हुई गरीबीकी समस्याको हल नही कर सकती। भारत कोई छोटा द्वीप नही है, वह एक विशाल महाद्वीप है, जिसे इग्लैडके समान एक औद्योगिक देशमे परिणत नही किया जा सकता। और हमे ससारके शोषणकी प्रत्येक योजनासे तो दृढताके साथ मुँह मोड लेना चाहिए। देशकी सम्पदा बढानेके लिए हमारी एकमात्र आशा अपनी झोपडियोमे कपासको कपडेमे परिणत करके, राष्ट्रके खाली समयका उपयोग करनेपर केन्द्रित होनी चाहिए। अत चरखा भारतीय जीवनके लिए उतना ही आवश्यक है, जितने कि हवा और पानी।

साथ ही मुसलमानोका उसपर उतना ही विश्वास है जितना हिन्दुओका। सच तो यह है कि हिन्दुओकी अपेक्षा मुसलमान उसे अधिक तत्परताके साथ अपना रहे है, क्योकि मुस्लिम महिलाएँ पर्दानशीन है, और अब वे अपने पतियोकी बहुत ही कम आयमे कुछ इजाफा कर सकती है। अत चरखा राष्ट्रीय जीवनका सबसे महत्वपूर्ण, साथ ही सबसे अधिक स्वाभाविक और सभी लोगोके लिए समान रूपसे उपयोगी उपादान है। उसके माध्यमसे हम सारे ससारको बतलाते है कि जहाँतक भोजन और कपडेका सवाल है, हम शेष ससारपर तनिक भी आश्रित न रहनेके लिए कृत-सकल्प है। जिनका विश्वास मेरे विश्वाससे मिलता-जुलता है, वे शीघ्र ही अपने घरोमे चरखेकी पैठ करायेगे, और मेरे द्वारा सुझाये हुए नमूनेका झडा रखेगे।

निष्कर्ष यह कि झडा खद्दरका ही होना चाहिए, क्योकि मोटे कपडेके द्वारा ही हम भारतको कपडेके मामलेमे विदेशी बाजारोसे मुक्त कर सकेगे। सभी धार्मिक सग-ठनोको मेरी सलाह है कि यदि वे मेरे तर्कसे सहमत हो, तो अपने-अपने धार्मिक झडोमे

— उदाहरणार्थ खिलाफतके झडोमे — बाई ओर, ऊपरके कोनेमे, एक छोटा-सा राष्ट्रीय झडा बुन ले। विहित आकारके झडेमे पूरे आकारके चरखेका चित्र होना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १३-४-१९२१

२८१. उड़ीसा और आन्ध्र

उडीसाकी यह मेरी पहली यात्रा थी, और १९१६ मे (एक बार) बेजवाडा और नेलौरको छोडकर, आन्ध्र भी मै पहली बार ही गया था। इन प्रान्तोके कुछ अविस्मरणीय दृश्य और सस्मरणमे लेखबद्ध करना चाहूँगा। कार्यक्रम बडा व्यस्त था, और मै बडे-बडे मुकामोका उल्लेख भी सरसरी तौरपर ही कर सकता हूँ।

मै जानता था कि मुझे उडीसामे जीवित ककाल देखने पडेगे, किन्तु हालतके इतनी बुरी होनेकी कल्पना मैने नही की थी। मैने भयावह तसवीरे देखी थी, किन्तु यथार्थ तो उससे कही अधिक भयावह था। ६ मार्चके उस स्मरणीय दिन पुरीकी पवित्र नगरीकी एक सडकके किनारे कतार बाँधकर खडे हुए उन पुरुषो, स्त्रियो और बच्चोके लिए स्वराज्यका क्या अर्थ हो सकता है, जिनमे हाड और चमडीके सिवाय और कुछ नही था। एक दो नही, अनेक। और जो आ नही सके वे अलग। ये भुखमरोमे अपेक्षाकृत समर्थ थे — अर्थात् ऐसे थे जो काफी दूरीसे चलकर आ सकते थे। वे जिसने उन्हे चावल भेजा था, और जिससे उन्हे और अधिक चावलकी आशा थी उसे देखने आये। कुछने रोकर करुण स्वरमे कहा 'हम भूखे है।' कुछ बोले, 'दाम कब घटेगे?' मै समझ गया कि बहुतोके लिए स्वराज्यका अर्थ है सस्ता भोजन और सस्ता कपडा — कपडेसे भी ज्यादा भोजन। उनके कमरसे नीचेके अग ढकनेके लिए एक चिथडा काफी था, किन्तु भोजन तो चाहिए ही।

मै इस स्थलकी ओर एक बडे बगलेसे गया था, जहाँ मै प्राचुर्यके बीच ठहराया गया था। मै उस विशाल मन्दिरके पाससे कई बार निकला जिसमे जगतके नाथ विराजते है। रास्तेमे मुझे खूब खाये-पिये महत और पडे तथा सैकडो तीर्थयात्री मिले, जो कई सौ रुपये खर्च कर सकते थे।

विषमता बहुत बडी थी, और मेरा दुख तो और भी गहरा तथा तीखा था।

मुझे लोग एक अनाथालयमे ले गये। एक दयालु पुलिस अधीक्षकने उसकी स्थापना की थी। मैने वहाँ हृष्ट-पुष्ट दिखनेवाले लडके और लडकियाँ देखी — कुछ चरखा कात रहे थे, कुछ चटाइयाँ बुन रहे थे। सभी मासहीन व्यक्ति ऐसा क्यो नही कर सकते? तब उन्हे भिक्षापर, घरोमे बचे हुए भोजनपर अथवा मुट्ठीभर चावलपर निर्भर नही रहना पडेगा। यदि वे कताई-भर कर सके, तो अपनी जीविका अर्जित कर सकेगे। किन्तु उन्हे चरखे कौन देगा? सीधा उत्तर आया, "काग्रेस, और कौन?" काग्रेस उन्हे कताईके माध्यमसे स्वराज्य प्राप्त करना सिखा सकती है। ऐसा अन्य कोई धन्धा नही है, जिसे लाखो लोग अपना सके, चटाई बनाना भी नही। क्योकि

लाखो चटाइयाँ बिकेगी नही। खाद्य-सामग्रीके बाद सूत ही वह चीज है जिसकी बाजारमे सदा माग रहती है। मै काग्रेसके नेताओसे मिला। मैने उन्हे यह कहानी सुनाई, उनमे से कुछ उन दृश्योके साक्षी थे, जिनका मैने वर्णन किया है। वे इस बातसे सहमत हुए कि काग्रेसका पैसा मुख्यत चरखेके प्रचारके ही काम आना चाहिए और पैसा महन्तो तथा तीर्थयात्रियोसे आसानीसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कगालीसे ग्रस्त उडीसामे भी काग्रेस कमेटी आत्म-निर्भर हो सकती है, और भूखोके पेट भरकर स्वराज्य और भी पास आ सकती है।

कार्यकर्ता भी उनके पास है। पडित गोपबन्धु दास, जो विधान परिषद्के भूतपूर्व सदस्य है, भूतपूर्व वकील है, और भी जाने क्या-क्या है, एक नि स्वार्थ नेता है। कहा जाता है कि वे और उनके दलके लोग चावल और दालपर गुजर करते है। उन्हे आजकल घी भूले-भटके ही कभी मिलता है। असहयोगके बाद अब कार्यकर्ता कमसे-कम जीवन-वेतन लेने लगे है, यहाँतक कि दस रुपया प्रतिमास।

तब यदि मै विश्वास करता हूँ कि ऐसे ईमानदार कार्यकर्ताओकी सहायतासे स्वराज्यकी प्राप्ति इसी वर्षके भीतर सम्भव है, तो इसमे आश्चर्य क्या है?

पुरीसे बारह मील दूरी और साक्षीगोपालमे खुली हवामे पडित गोपबन्धु दासका एक स्कूल है। वह निकुज-शाला है, देखने योग्य है। मैने वहाँ लडको और शिक्षकोके बीच एक दिन बडे आनन्दके साथ बिताया। खुले मैदानमे अध्यापनका यह एक सोच-समझकर किया जानेवाला प्रयोग है। यहाँके कुछ लडके व्यायामशील और तगडे दिखे।

उडीसाकी शिकायत उचित है। जैसा कि 'उडिया मूवमैन्ट' (उडिया आन्दोलन) नामक पुस्तकके योग्य लेखक कहते है, उडीसाके टुकडे राजनैतिक उद्देश्यसे किये गये है। कुछ हिस्सा बगालका हो गया है, कुछ बिहारका, कुछ मध्य प्रान्तका और कुछ आन्ध्रका। उडीसाका अपना कुछ नही रहा। काग्रेसने उडियाभाषी लोगोका एक प्रान्त माना है। बिहार, बगाल और मध्य प्रान्तसे कोई झगडा नही है। किन्तु बहरामपुर-पर उडिया लोगोके दावेका आन्ध्रवासी प्रतिवाद करते है। मैने उनके मार्गदर्शनके लिए कुछ साधारण नियम सुझानेका साहस किया है। एक सर्वोत्तम नियम, जो सब जगह समान रूपसे लागू हो सकता है और जो हमे वर्तमान सघर्षमे सीखना चाहिए, यह है कि सशक्तोको अशक्तोकी बात मान लेनी चाहिए। सन्देहकी स्थितिमें अशक्तोके पक्षमें न्याय दिया जाना चाहिए। उडीसाके ससमरण मै उन हजारो निर्धन लोगोके स्मरणके साथ समाप्त करूँगा जो साखीगोपालकी आम सभामे आये थे, और जिन्होने अपनी गिरह खोल-खोलकर पाइयाँ और पैसे दिये थे। वे पैसे मानो विधवाकी अत्यन्त सफल आशीर्वादोसे सम्पन्न कौडी थी। उन हजारो लोगोको एक दूसरेसे चन्दा देनेका आग्रह करते देख मै और भी आशावादी हो गया हूँ।

आन्ध्र देश उत्कलसे भिन्न है। वह जीवनी शक्तिसे ओतप्रोत है। वहाँ मुझे मासहीन हड्डियोके ढाँचे नही दिखाई दिये। वहाँके लोग हृष्ट-पुष्ट, बलवान, आग्रही, उदार और स्नेही है। अपने प्रान्तके और भारतके भविष्यमे उनका विश्वास है। पुरुषो और स्त्रियो, दोनोके पास सोनेके प्रचुर आभूषण है। लेकिन आभूषण मुझे दिखाना तो भयकर भूल होती है। मैने यह बात छुपाई नही कि मुझे वे आभूषण

तिलक महाराजके लिए तथा स्वराज्यके लिए चाहिए। उन्होने प्रसन्नतापूर्वक दे दिये, पुरुषोने और स्त्रियोने भी। उन्होने ६ दिनमे लगभग पचास हजार रुपये दिये, तथा और अधिकके लिए वचन दिया। अगर चाहते, तो आन्ध्रके लोग अपने आभूषणोसे ही एक करोड रुपया एकत्र कर सकते थे।

मैने आन्ध्रवासियोसे कहा कि उनकी महिलाओका खुला व्यवहार, चालढालका आभिजात्य, बाहर निकलनेकी स्वतत्रता और साथ ही उनका शील-सकोच देखकर मुझे महाराष्ट्रकी स्त्रियोका स्मरण हो आता है। यह बहुत बडी प्रशसा है। उनके सम्बन्धमे अपनी इस रायपर मै अब भी कायम हूँ। कलकत्तामे शिक्षित और नवविवाहित एलौरकी एक लडकी, अन्नपूर्णादेवीने अपने सुहाग-चिह्नोको छोडकर प्राय सभी जेवर दे दिये। वे सरसे पैरतक खद्दरकी पोशाकमे थी। आन्ध्रके पुरुषो और स्त्रियोकी उदारता सक्रामक थी।

पजाबी बहनोको सुन्दर कताईके मामलेमें अब आन्ध्रकी बहनोका लोहा मानना पडेगा। मै समझता था कि पजाबी बहनोसे अधिक सुन्दर कताई कोई नही कर सकता। किन्तु आन्ध्रकी बहने १०० नम्बरका सूत कातती है। वे अपनी रुई स्वय साफ करती और धुन लेती है। मै सुन्दर बुने हुए सूतके कुछ नमूने अपने साथ लाया हूँ, जो जापान, फ्रास अथवा लकाशायरके किसी भी वस्त्रको मातकर सकते है। यह कला नष्ट होने जा रही थी, स्वदेशी आन्दोलनने इसे बचा लिया। मसूलीपट्टममे कुछ महिलाओने मेरे सामने अपनी कलाका प्रदर्शन करनेकी कृपा की। बहनोसे छाई हुई एक झोपडीमे कला-प्रदर्शनका वह दृश्य हृदयको छू लेनेवाला था। उन्होने कपासको साफ किया, धुना, काता। मुझे तो वहाँ चरखेमे विश्व-सगीत सुनाई दिया।

किन्तु अब मुझे आत्माको विभोर कर देनेवाली बातोसे आत्माका हनन करनेवाली बातोकी ओर उतरना पडता है। कोकोनाडामे, विशाल आमसभाके बाद रातके ९ बजे ज्यो ही मै बगलेपर लौटा, कुछ स्त्रियाँ और लडकियाँ मुझसे मिलने आई। मैने प्रवेश किया तब प्रकाश बहुत मन्द था। उनकी चालढाल और उनकी सूरतमे कुछ विचित्रता थी। जाने क्यो, वार्तालापका आरम्भ मै जिन शब्दोसे करता हूँ, यानी "क्या आप सूत कातती है? तिलक स्वराज्य कोपके लिए आप मुझे क्या देगी"? वे शब्द मेरे ओठो तक नही आये। उलटे, मैने अपने मेजबानसे पूछा, ये महिलाएँ कौन है? उन्हे मालूम नही था। उन्होने उनसे पूछा, और कुछ हिचकिचाहटके बाद उत्तर मिला, "हम नर्तकियाँ है।" मुझे लगा कि मै धरतीमे समा जाऊँ। मेरे मेजबानने यह कहकर मेरा मन शान्त करना चाहा कि इनके जीवनका प्रारम्भ एक धार्मिक विधिसे होता है। मेरे लेखे इससे बात और भी बिगड गई। इससे तो यह घृणित कार्य एक प्रकारसे सम्माननीय हो गया। मैन तरह-तरहके प्रश्न किये। उन्होने अत्यन्त विनम्र शब्दोमे कहा कि वे दर्शन करने आई है। "क्या आप कोई और काम करेगी?" "अवश्य, यदि उससे हमारी जीविका चल जाये।" मेरा मन नही माना कि बात वही खत्म कर दी जाये। मैने उस समय अपने पुरुष होनेमे लज्जाका अनुभव किया। मैने दूसरे दिन सवेरे अपने आगामी मुकाम, राजमहेन्द्रीमे सीधी स्पष्ट बात कही। आन्ध्रमे मेरा यह एक अत्यन्त दु खदायी अनुभव था। मेरा खयाल है यह पाप किसी न किसी रूपमे देशके और भागोमे भी

समान रूपसे व्याप्त है। मै इतना ही कह सकता हूँ कि यदि हम आत्म-शुद्धि द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है, तो हमे नारीको अपनी वासनाका शिकार नही बनाना चाहिए। अशक्तोकी रक्षाका नियम यहाँ विशेष जोरके साथ लागू होता है। मेरे लिए तो गोरक्षाके अर्थमे हमारी नारीजातिकी रक्षा भी शामिल है। जबतक हम अपनी माताओ, बहनो तथा बेटियोके समान देशकी सभी महिलाओका सम्मान नही करने लगते, तबतक हम भारतका नवनिर्माण नही कर सकेगे। हमे अपने उन पापोको धो डालना चाहिए, जो हमारे भीतरके मनुष्यकी हत्या करते और हमे जानवर बना देते है।

अब फिर अधिक सुखदायी बातोकी ओर लौटा जाये। मसूलीपट्टमके प्रवासमे मेरी आँखोमे आनन्दके आँसू आ गये। वह मेरा मौन दिवस था। मैने डाक्टर पट्टाभि सीता-रामैयासे[1] कहा था कि जब मै मसूलीपट्टममे प्रवेश करूँ, तो वे ऐसी व्यवस्था करे कि मै कोलाहल तथा प्रदर्शनसे बचा रहूँ। अत लोगोको पहले ही से चेतावनी दे दी गई थी। जब हमारी मोटर वहाँ पहुँची, तब सवेरा हुआ ही था। लोग सुसज्जित सडकोके किनारे खडे थे, किन्तु आवाज बिलकुल नही हो रही थी। सब चुपचाप अपने-अपने स्थानपर खडे थे। और जब मैने राष्ट्रीय महाविद्यालयके द्वारमे प्रवेश किया, तो कोई आवाज नही हुई। केवल बाँसुरीकी सगतके साथ वायलिनपर छेडी गई एक मधुर प्रार्थना-धुनसे मेरा अभिवादन किया गया। मैने उनके मधुर स्नेहका मूल्य समझा। साथ ही मेरी समझमे आया कि लोगोमे अनुशासनकी बडी सामर्थ्य है, यह भी कि उनकी देश-भक्ति-की भावनासे जो विभिन्न अपेक्षाएँ की जाती है, उनको वे कैसी तत्परतासे पूरी करते है। मैने आनन्दाश्रुओके साथ प्रभुको उसकी अपार करुणाके लिए धन्यवाद दिया।

मुझे लोग एक सचमुचकी 'पर्णकुटी' मे ले गये। वहाँ जब मै शिक्षको तथा प्रबन्धकोको अपने-अपने नियत कार्योकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली, कला तथा व्यवसायके लिए बधाई दे रहा था, मुझसे यह कहे बिना नही रहा गया कि उनका कार्य तबतक पूर्णत राष्ट्रीय नही कहा जा सकता, जबतक प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक अपना प्राय सभी समय और ध्यान कताई और बुनाईमे न लगाये, और इस प्रकार अपनी सस्थाको विशेष रूपसे कताई और बुनाईकी सस्था न बना दे। जब मै अपने इस विषयके सम्बन्धमे बोल रहा था, उसी समय श्री कृष्णराव, जो बराबर मेरी बात सुन रहे थे, किन्तु विचार-विमर्शमे क्वचित् ही भाग ले रहे थे, नेत्रोमे मानो आध्यात्मिक ज्योति भरकर बोले, "तो आप कताईको एक धार्मिक अनुष्ठान मानते है?", "अवश्य" मैने कहा, "आपके इस शब्दप्रयोगके लिए धन्यवाद, आगे मै इसका प्रयोग करूँगा।" कताई राष्ट्रकी शुद्धि, शक्ति तथा समृद्धिका प्रत्यक्ष एव पवित्र प्रतीक है। यह एक कर्त्तव्य है और कोई हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई, यहूदी या पारसी, सबके लिए करणीय है। आन्ध्र राष्ट्रीय महाविद्यालय पुरानी सस्था है, जिसपर आन्ध्रवासियोको गर्व होना उचित है। यह सस्था १९०७ के बगालके जागरणकी देन है और कई तूफान झेल चुकी है। मै आशा करता हूँ कि वर्तमान जागरणके दौरमे से यह और भी अधिक शुद्ध एव शक्तिशाली सस्था

१ प्रमुख काग्रेसी नेता, १९४८ में काग्रेसके अध्यक्ष, 'भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका इतिहास' के लेखक।

होकर निकलेगी। इसमे निश्चय ही वे सब गुण है, जिसके बलपर वह ऐसा केन्द्र बन सकती है जहाँसे वर्त्तमान भावनाके अनुकूल अत्यन्त शुद्ध कार्यकलापकी ज्योति चारो ओर फैले।

आन्ध्र देशमे एक तेजस्वी सुधारक और दलित वर्गोके सहृदय समर्थक श्री रामचन्द्रराव है। वे ब्राह्मण है, किन्तु उनकी शुद्ध आत्मा अस्पृश्यताके अभिशापको सहन नही कर सकती। वे अपने दलित भाइयोकी ओरसे जी-तोड परिश्रम कर रहे है। अपने परिया अर्थात् अछूत भाइयोकी दासताको मिटानेके लिए उनकी अधीरता ठीक ही है, और वे उन्हे अन्य हिन्दुओसे असहयोग तक करनेकी सलाह देना चाहते है। यद्यपि मै भी अपने दलित वर्गोके पक्षमे उतना ही उत्साही होनेका दावा करता हूँ, तथापि मैने उन्हे आगाह किया कि जबतक स्वय उन लोगोके बीच कोई शुद्ध और नि स्वार्थ व्यक्ति पैदा न हो, वे ऐसा असहयोग शुरू न करे, क्योकि असहयोग आत्मशुद्धिका, आत्मसाहाय्यका, आत्म-निर्भरताका आन्दोलन है, वह हमे ठीक प्रकारके सहयोगके लिए बाध्य करता है।

आन्ध्रवासियोने मेरा मन हर लिया है। बिहार तो बहुत समयसे मुझे विशेष प्रिय रहा है। असहयोगकी शुरुआतसे बहुत पहले ही बिहारपर मेरा विश्वास जम गया था। आन्ध्र प्रदेश यदि इसमे बिहारसे आगे नही बढ गया है तो उसने दूसरा स्थान तो मजेमे प्राप्त कर लिया है। आन्ध्र देशको अत्यन्त नि स्वार्थ नेता मिले है। उसके कार्यकर्त्ता परिश्रमशील और दृढ है। उसके पास साधन है, उसमे काव्य है, श्रद्धा है, और त्यागकी भावना है। वहाँ कई राष्ट्रीय स्कूल है, उसने हमारे ध्येयके निमित्त कई वकील हमे दिये है, हाथकी कताई और हाथकी बुनाईकी तो वहाँ बहुत ही बडी-बडी सभावनाएँ है, वहाँ उत्तम कपास होता है। वहाँ दो विशाल नदियाँ है, जो पार्श्व-प्रदेशको सीचती है। उसमे ऐसे भू-क्षेत्र है, जो कभी इतिहासमे प्रसिद्ध थे। वह निश्चय ही अग्रणी है, या कमसे-कम बिहारसे होड लेता है। मेरा यह विश्वास कायम है कि यदि आतकवाद (जो दमनसे अलग चीज है) का प्रारम्भ हुआ, और उसमे तथाकथित बडे प्रान्त हार भी गये, तो बिहार और आन्ध्र आत्माके शौर्य, अर्थात् कष्ट-सहिष्णुतामे सिखोको भी मात कर देगे और लज्जा रख लेगे। मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। हममेसे प्रत्येकको शेष सभीसे आगे निकलनेकी कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी दौड है, जिसमे स्पर्धा न केवल सद्गुण है, वरन् कर्त्तव्य भी है।

दो सुन्दर गाँवो और उनके नेतापर सविनय अवज्ञाका प्रयोग जबरदस्ती लद गया है। उसके बारेमे फिर कभी लिखूँगा। नेलौरकी हिन्दू-मुस्लिम समस्याकी चर्चा भी फिर कभी करूँगा। मुझे अब इन सस्मरणोको कृतज्ञताके साथ इस तथ्यका उल्लेख करते हुए समाप्त करना चाहिए कि यद्यपि मेरे साथ हरिजन साथी भी थे, तथापि श्री हनुमन्तराव और उनके साथियो द्वारा सचालित कताई-बुनाईके एक आश्रमके[1] पडोसके एक गाँवके ब्राह्मणोने मुझे आमन्त्रित किया कि मै उनके गाँवमे से होता

१. शायद नेलॉरसे पाँच मीलकी दूरीपर स्थित पल्लिपाडका आश्रम, जिसका गाधीजीने ७ अप्रैलको उद्घाटन किया था।

हुआ जाऊँ। पचम जातिके लोगोने इससे पहले ब्राह्मणोके इस गाँवमे कभी प्रवेश नही किया था।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, १३–४–१९२१

२८२. भाषण : अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामे

१३ अप्रैल, १९२१

गाधीजीने अपने भाषणमे कहा

हम अब केवल खिलाफत और पजाबके अन्यायोका निराकरण करानेके लिए नही लड रहे है। हम ऐसा स्वराज्य लेना चाहते है जो राम-राज्य जैसा हो। इस राक्षसी राज्यका अर्थ तो यह है कि आतक नीति चालू रहे और निर्बलोका शोपण होता रहे। हम अपने राम-राज्यको आत्मशुद्धिके द्वारा प्राप्त करना चाहते है। सभीने राष्ट्रीय सप्ताहमे यह प्रार्थना की होगी कि प्रभु हममे न्याय और दयाकी भावना उत्पन्न करे और हमे बुराईसे असहयोग करनेकी तथा हिसा एव क्रोधसे बचे रहनेकी शक्ति दे। जहाँतक सरकारी स्कूलो और अदालतोके बहिष्कारका सम्बन्ध है वहाँतक हमने अपना आन्दोलन जोरसे चलाया है, किन्तु कभी-कभी रुकना आवश्यक हो जाया करता है। छात्रो और वकीलोके लिए जो-कुछ सम्भव था, वह सब हमने किया है। आर्थिक दृष्टिसे उनके लिए इससे अधिक करनेकी कोशिशका अर्थ समय नष्ट करना है। हम अब अपने शरीरकी भी सोचे, हमे उसे स्वदेशी वस्त्रोसे ढँकना चाहिए और इसके लिए हमे सूत कातना आरम्भ कर देना चाहिए। इसमे त्यागका कोई प्रश्न ही नही उठता है, क्योकि इससे भारतका साठ करोड रुपया प्रतिवर्ष बचता है। जबतक एक भी व्यक्ति मुझे विदेशी कपडा पहने दीख पडेगा तबतक मेरा मन इस विचारके बोझसे दबा रहेगा कि हम स्वराज्यकी आसानसे-आसान शर्ततक पूरी नही कर रहे है। मै देखता हूँ कि इस मामलेमे सबसे बडा दोपी गुजरात है। भारतके दूसरे भागोमे लोगोके सब कपडे विदेशी नही होते। उनके शरीरोपर कमसे-कम कुछ चीजे तो स्वदेशी होती है, किन्तु गुजरातमे पोशाकके मामलेमे सन्तोषदायक शायद ही कोई बात हो। काग्रेसने एक करोड रुपया इकट्ठा करनेका आदेश दिया है। यह रुपया शिष्ट मण्डलोको [बाहर] भेजने और आन्दोलन चलानेमे खर्च नही किया जायेगा। इसका उपयोग देशके प्रत्येक घरमे चरखा चलवानेके निमित्त ही किया जायेगा।

गाधीजीने अहमदाबादको डा० कानूगा-जैसा वीर पुरुष पानेपर बधाई दी कि उन्होने उपद्रवियो द्वारा पत्थर फेंके जाने और आँखमें लगने और घायल हो जानेपर भी धरना देना बन्द नही किया। उन्होने कहा ऐसी घटनाओसे सघर्षका गौरव बहुत बढ जाता है। सेनापति वीरगतिको प्राप्त हो सकते है, हम उनकी मृत्युपर हर्ष मनायें,

किन्तु सेनाको अपनी कूच जारी रखनी चाहिए। जबतक ऐसा वीरतापूर्ण साहस न दिखाया जायेगा तबतक हमें स्वराज्य नही मिल सकता।

अन्तमे उन्होने गुजरातसे अपील की कि वह राष्ट्रीय कोषमें केवल अपना भाग ही न दे, अभावग्रस्त उडीसाके हिस्सेमें आई हुई रकम भी दे और प्रत्येक मजिलपर अपने दोषोको दूर करते हुए गतिके साथ आगे बढे।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-४-१९२१

२८३. भाषण : दलित-वर्ग सम्मेलन, अहमदाबादमे[1]

१३ अप्रैल, १९२१

श्री गाधीजीने आरम्भमे इसपर खेद प्रकट किया कि सम्मेलनमें उपस्थिति बहुत कम है।[2] उन्होने कहा इस सम्मेलनमें इतनी कम उपस्थिति देखकर इस बातमें मेरा रहा-सहा विश्वास भी जाता रहा कि ऐसे सम्मेलन सामाजिक सुधारके प्रभावकारी साधन हो सकते है। आप लोग मुझसे जितनी देरतक बोलनेकी आशा कर रहे है उससे यदि कम देर बोलूँ तो इसका कारण यही होगा कि मेरा भाषण जिन लोगोके लिए अभिप्रेत है, वे सब लोग यहाँ नही है; यह नही कि इस कामके प्रति मेरा उत्साह तनिक भी ठडा पडा है। मै इस बातके लिए भी कृतज्ञ हूँ कि इस सम्मेलनकी बदौलत मुझे एक ही मचपर अनेक मित्रोसे भेट करनेका आनन्द मिला। मेरे लिए आजकल ऐसे मित्रोसे मिलना भी साधारण बात नहीं रह गई है जिनका सहयोग पाकर मै सुख और सम्मानका अनुभव किया करता था, किन्तु जिनसे वर्तमान स्थिति-योके कारण मै दुर्भाग्यवश अलग हो गया हूँ। फिर भी यह हर्षकी बात है कि अस्पृश्यताके प्रश्नपर मेरी और उनकी स्थिति एक जैसी है।

अपने विषयपर आते हुए उन्होने कहा :

मुझे नही मालूम कि सुधारके विरोधी सज्जनोके गले यह बात कैसे उतारूँ कि उन्होने जो स्थिति अपनाई है वह गलत है। मै उन लोगोको कैसे समझाऊँ जो दलित समाजके लोगोसे किसी प्रकारका स्पर्श भ्रष्टकारी मानते है और समझते है कि बिना स्नान किये वे उस अपवित्रतासे मुक्त नही हो सकते और इस प्रकार स्नानसे चूकना पाप समझते है? मै तो केवल अपने हार्दिक विश्वासको ही उनके सामने प्रकट कर सकता हूँ।

१ अछूतोका यह चौथा सम्मेलन १३-१४ अप्रैलको हुआ था।

२ भाषणकी रिपोर्टमें कहा गया है “सम्मेलनमें भद्र स्त्री-पुरुष बडी सख्यामें आये थे। सम्मेलनमें भाग लेनेवालोको गिरफ्तार किये जानेकी अफवाहके कारण अछूतोंकी उपस्थिति आशासे कम थी।”

मैं अस्पृश्यताको हिन्दू धर्मका सबसे बडा कलक मानता हूँ। मेरे मनमे इस विचारका प्रादुर्भाव दक्षिण आफ्रिकी सघर्षके दिनोमे हुए कटु अनुभवोसे हुआ था। इसका कारण यह नही कि मै कभी नास्तिक था। और यह सोचना भी उतना ही अनुचित है जैसा कि कुछ लोग समझते है—कि मुझे यह विचार ईसाई धार्मिक साहित्यके अध्ययनसे मिला है। मेरी यह धारणा उस समयकी है जब 'बाइबिल' या 'बाइबिल' मतानुयायियोसे न तो मेरा कोई प्रेम था और न परिचय ही।

मेरे मनमे जब यह धारणा उत्पन्न हुई थी तब मै मुश्किलसे १२ सालका था। ऊका नामका एक भगी हमारे घरकी टट्टियाँ साफ किया करता था। मै अपनी माँसे यह प्राय पूछा करता कि उसे छूना क्यो बुरा है, उसे छूनेसे मुझे क्यो रोका जाता है। यदि सयोगसे उसे छू जाता तो मुझे नहानेके लिए कहा जाता था। मै इसे मान तो लेता था, फिर भी मुस्कराते हुए आपत्ति जरूर करता और कहता कि अछूतपन धर्मसम्मत नही है, उसका धर्मसम्मत होना असम्भव है। मै एक बहुत ही कर्त्तव्यपरायण और आज्ञाकारी बालक था। माता-पिताके प्रति आदरभावका खयाल रखते हुए इस मामलेमे जहाँतक उनसे झगड सकता था अकसर उनसे झगड पडता था। मै अपनी माँसे कहा करता कि उनका यह खयाल कि ऊकासे छू जाना पाप है, बिलकुल गलत है।

मै जब स्कूलमे होता तो प्राय सयोगसे 'अछूत' को छू लेता और चूँकि इस बातको मै अपने माता-पितासे छिपाता नही था अत मेरी माँ मुझसे कहती कि इस छू जानेपर अपवित्र हो जानेके पश्चात् पवित्र होनेका सबसे सीधा तरीका यह है कि यदि कोई मुसलमान पाससे जा रहा हो तो उसे छू लिया जाये। छूत अपने आप मिट जायेगी। मुझे केवल इसलिए कि अपनी माँके प्रति मेरे मनमे श्रद्धा थी और मै उनसे प्रेम करता था, प्राय ऐसा करना पडता था, लेकिन मै यह काम इस विश्वासके साथ नही करता था कि स्नान करना धर्मकी दृष्टिसे अनिवार्य है। कुछ समय बाद हम लोग पोरबन्दर चले गये जहाँ सस्कृतसे मेरा प्रथम परिचय हुआ। तबतक मै अग्रेजी स्कूलमे दाखिल नही कराया गया था। मेरे भाईको और मुझे एक ब्राह्मणके सरक्षणमे रख दिया गया था जो हमे 'रामरक्षा', और 'विष्णुपूजा' पढाया करता था। उनके 'जले विष्णु थले विष्णु' श्लोक मुझे कभी नही भूले। हमारे घरके पास ही एक ममतालु बूढी अम्मा रहा करती थी। मै सयोगवश उन दिनो एक बहुत ही डरपोक बालक था और जब दीपक बुझा दिये जाते और अधेरा हो जाता, तब मेरे मनमे भूतो और प्रेतोकी कल्पना आया करती थी। बूढी अम्माने मेरा भय दूर करनेके लिए मुझसे कहा कि जब मुझे कोई भय लगे तब मुझे 'रामरक्षा स्तोत्र' का पाठ करना चाहिए। उससे सब भूत-प्रेत भाग जायेगे। मै ऐसा ही करता और मेरा खयाल है कि उसका नतीजा अच्छा ही निकलता। 'रामरक्षा' के किसी श्लोकमे अछूतोका छूना पाप बताया गया हो ऐसा मुझे नही लगा। मै तब उसका मतलब नही समझता था और यदि समझता भी था तो बहुत ही कम। लेकिन मुझे इस बातका पूरा विश्वास हो गया था कि जिस 'रामरक्षा' से भूतोका सम्पूर्ण भय नष्ट हो जाता है, उसमे अछूतोसे स्पर्शके भयका समर्थन कैसे हो सकता है।

हमारे परिवारमे 'रामायण' का पाठ नित्य होता था। लाधा महाराज नामके एक ब्राह्मण उसे पढा करते थे। उन्हे कोढ हो गया था, और उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि 'रामायण' का नियमित पाठ करनेसे उनका कोढ दूर हो जायेगा और सचमुच उनका कोढ दूर हो गया। मै अपने मनमे सोचता कि आज जिसे हम अछूत कहते है वह रामको गगा पार ले गया यह प्रसग जिस 'रामायण' मे हे उस 'रामायण' मे किसी भी मनुष्यको भ्रष्टात्मा कहकर उसके अस्पृश्य माने जानेकी भावनाका समर्थन कैसे हो सकता है? ईश्वरको हम पतितपावन या ऐसे ही अन्य नामोसे पुकारते है, इस बातसे तो यही सिद्ध होता है कि भारतमे जन्मे किसी भी व्यक्तिको पतित या अछूत कहना पाप है—दानवता है। मै तभीसे यह कहते नही थकता कि अस्पृश्यता एक महापाप है। मै यह ढोग नही रचता कि यह बात बारह सालकी आयुमे मेरे दिलमे पूरे तौरसे बैठ चुकी थी। किन्तु मै यह अवश्य कहता हूँ कि मै तब भी अछूतपनको पाप समझता था। यह बात मै वैष्णवो और सनातनी हिन्दुओकी जानकारीके लिए कह रहा हूँ।

मैने सदा ही सनातनी हिन्दू होनेका दावा किया है। मुझे हिन्दू धर्मशास्त्रोका बिलकुल ही ज्ञान न हो, सो बात नही है। मै सस्कृतका कोई बडा पण्डित नही हूँ। मैने 'वेदो' और 'उपनिषदो' के केवल अनुवाद ही पढे है, इसलिए स्वभावत इन ग्रथोका मेरा अध्ययन पाण्डित्यपूर्ण नही है। मुझे उनका जो ज्ञान है वह किसी प्रकारसे गम्भीर नही कहा जा सकता, लेकिन एक हिन्दूको उनका जितना अध्ययन करना चाहिए वैसा मैने कर लिया है और मेरा दावा है कि मै उनके मर्मसे परिचित हो गया हूँ। २१ वर्षका होते-होते तो मै दूसरे धर्मोके ग्रथोका अध्ययन भी कर चुका था।

एक समय था जब मै हिन्दू धर्म और ईसाई धर्मके बीच डगमगा रहा था। जब मेरा मानसिक सन्तुलन ठीक हुआ तब मैने अनुभव किया कि मेरी मुक्ति तो हिन्दू धर्ममे रहकर ही सम्भव है और तबसे हिन्दू धर्ममे मेरी श्रद्धा अधिक गहरी और ज्ञानमय होती गई है।

लेकिन उन दिनो मेरा विश्वास था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अग नही है और यदि वह उसका अग है तो ऐसा हिन्दू धर्म मेरे कामका नही।

यह सच है कि हिन्दू धर्ममे अस्पृश्यता पाप नही समझी जाती। मै शास्त्रोकी व्याख्याके सम्बन्धमे किसी वाद-विवादमे नही पडना चाहता। 'भागवत' या 'मनुस्मृति' से प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी बातको सिद्ध करना शायद मेरे लिए कठिन भी हो। लेकिन मै हिन्दू धर्मके तत्वको समझ चुकनेका दावा करता हूँ। अस्पृश्यनाकी अनुमति देकर हिन्दू धर्मने पाप किया है। इससे हमारा पतन हुआ है और हम साम्राज्यमे शूद्र-जैसे माने जाते है। हमसे यह छूत मुसलमानोको भी लग गई है और दक्षिण आफ्रिका, पूर्वी आफ्रिका और कनाडामे हिन्दुओकी तरह वे भी शूद्र माने जाने लगे है। यह सब दोष अस्पृश्यताके पापसे उत्पन्न हुए है।

अब मै आपका ध्यान अपने मन्तव्यकी ओर ले जाना चाहता हूँ। वह इस तरह है, जबतक हिन्दू लोग जानबूझकर अछूतपनको अपने धर्मका अग मानते रहेगे, जबतक हिन्दू जनसाधारण अपने समाजके एक भागको छूना पाप समझते रहेगे तबतक स्वराज्य-की प्राप्ति असम्भव है। युधिष्ठिर अपने कुत्तेको साथ लिये बिना स्वर्गमे नही गये तब

उन्ही युधिष्ठिरके वशज अछूतोको छोडकर स्वराज्य पानेकी आशा कैसे कर सकते है? जिन अपराधोके लिए हम इस सरकारकी निन्दा करते है और उसे दानवी सरकार कहते है, उन अपराधोमे से ऐसा कौनसा अपराध है जो हमने अपने इन अछूत भाइयोके प्रति नही किया है, और जिसके हम दोपी नही है?

हम अपने भाइयोको दलित वनानेके दोषी है? हम उनको पेटके वल रेगाते है, हमने उनसे जमीनपर नाके रगडवाई है, हम क्रोधसे अपनी आँखे लाल करके उन्हे रेलके डिब्बोमे से वाहर ढकेल देते है — अग्रेजी शासनमे हमारे साथ इससे ज्यादा क्या किया गया है? हम डायर और ओ'डायरपर जो आरोप लगाते है उनमे से कोनसे आरोप है जो दूसरे लोग ओर हमारे अपने लोग भी, हमपर नही लगा सकते? हमे अपनी यह अपवित्रता अपनेमे से दूर कर देनी चाहिए। जवतक हम कमजोर ओर असहाय लोगोकी रक्षा नही करते या जवतक एक भी स्वराज्यवादी किसी व्यक्तिकी भावनाओको चोट पहुँचा सकता है तवतक स्वराज्यकी वात करना व्यर्थ है। स्वराज्यका अर्थ तो यह है कि स्वराज्यमे कोई भी हिन्दू या मुसलमान एक क्षणके लिए भी गर्वपूर्वक यह नही सोच सकता कि वह निर्भय होकर किसी भी हिन्दू या मुसलमानको कुचल सकता है। जवतक यह शर्त पूरी नही होती तवतक यदि हमे स्वराज्य मिल भी जायेगा तो वह तुरन्त ही हाथसे निकल जायेगा। हमने अपने इन कमजोर भाइयोके प्रति जो पाप किये है उनसे जवतक हम शुद्ध नही हो जाते तवतक हम पशुओके समान ही है।

लेकिन मुझे अव भी अपनेमे विश्वास वना हुआ है। भारतमे की गई अपनी यात्राओमे मैने यह देखा हे कि दयाभाव, जिसका तुलसीदासने अत्यन्त सारगर्भित वर्णन किया है, जो जैन और वैष्णव धर्मोका मुख्य अग हे, जो 'भागवत' का सार है और जो 'गीता' के प्रत्येक श्लोकमे विद्यमान है — वह दयाभाव, वह प्रेम वह औदार्य इस देशके सामान्य जनोके हृदयोमे धीरे-धीरे किन्तु दृढतापूर्वक वद्धमूल होता जा रहा है।

हम आज भी हिन्दुओ और मुसलमानोके वीच अनेक झगडोकी वात सुनते रहते है। अव भी कुछ हिन्दू ओर मुसलमान ऐसे है जो एक-दूसरेके साथ ज्यादती करनेमे सकोच नही करते। लेकिन यदि पूरे परिणामको देखे तो मै अनुभव करता हूँ कि दयाभाव और उदारतामे वृद्धि ही हुई है। हिन्दू और मुसलमान दोनो ही ईश्वरसे डरने लगे है। हम अदालतो और सरकारी स्कूलोके मोहसे मुक्त हो गये है और हमारे मनमे अव कोई भ्रम शेप नही है। मैने यह भी अनुभव किया है कि जिन लोगोको हम निरक्षर और अज्ञान समझते है वे लोग ही शिक्षित कहे जाने योग्य है। वे हमसे अधिक सस्कृत है और उनके जीवन हमारे जीवनसे अधिक धर्ममय है। यदि हम लोगोकी वर्तमान मनोवृत्तिका थोडासा भी अध्ययन करे तो हमे पता चलेगा कि लोक-कल्पनाके अनुसार स्वराज्य रामराज्यका पर्याय है जिसका अर्थ होता है भूतलपर धर्मराज्यकी स्थापना।

यदि मेरे अछूत भाइयोको मेरे इस कथनसे कुछ सन्तोप मिल सके तो मै कहूँगा कि आपके मामलेमे जितनी वेचैनी मुझे पहले हुआ करती थी उतनी अव नही होती। इसका अर्थ यह नही कि मै आपसे यह आशा करता हूँ कि आप सवर्ण हिन्दुओके प्रति सन्देहशील होना वन्द कर दे। आपके साथ इतने अन्याय किये जानेके वाद यह कैसे

हो सकता है कि आप उनपर अविश्वास न करे? स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि अछूत पतित नही बल्कि हिन्दुओ द्वारा दलित है। और इस प्रकार उनको दलित बनाकर हिन्दू स्वय दलित बने है।

मेरा खयाल है कि ६ अप्रैलको मै नेलीरमे[1] था। मै वहाँ अछूतोसे मिला था और मैने यहाँ जैसे आज प्रार्थना की है वैसे ही वहाँ भी उस दिन की थी। मै मोक्ष प्राप्त करना अवश्य चाहता हूँ। मै पुनर्जन्म नही चाहता। लेकिन यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो वह अछूतोके घर हो, जिससे मै स्वय मुक्त होने और उनको इस दु खजनक स्थितिसे मुक्त करनेका प्रयत्न कर सकनेके उद्देश्यसे उनके दु खो, कष्टो और उनके प्रति किये गये अपमानोमे हिस्सेदार हो सकूँ। इसलिए मैने यह प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रके रूपमे न होकर अतिशूद्रके रूपमे हो।

आजका दिन ६ तारीखके दिनकी अपेक्षा अधिक पवित्र है। आजका दिन हजारो निर्दोष लोगोकी हत्याकी[2] स्मृतिसे महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मैने आज भी यही प्रार्थना की है कि यदि मै अपनी इच्छाएँ पूरी हुए विना मर जाऊँ, मेरे द्वारा की गई अस्पृश्योकी सेवा अधूरी रह जाये, मेरी कल्पनाका हिन्दुत्व निर्मित न हो तो मै उसे पूरा करनेके लिए अस्पृश्योके घर जन्म लूँ।

मुझे झाडने बुहारनेसे प्रेम है। मेरे आश्रममे १८ वर्षका एक ब्राह्मण लडका है जो आश्रमके भगीको सफाई सिखानेके उद्देश्यसे भगीका काम कर रहा है। यह लडका कोई सुधारक नही है। वह जन्मसे सनातनी है और सनातन धर्ममे ही पला-पुसा है। वह 'गीता' का पाठ नियमसे करता है और श्रद्धापूर्वक सन्ध्यावन्दन करता है। उसका सस्कृत श्लोकोका उच्चारण मुझसे अधिक शुद्ध है। जब वह अपने मृदुल और मधुर स्वरोमे प्रार्थना करता है तब उससे सबके मनमे प्रेमका सचार होता है। लेकिन वह अनुभव करता है कि जबतक वह पूरा भगी नही बन जाता तबतक वह पूर्ण नही है। वह यह भी समझता है कि यदि वह आश्रमके भगीसे अपना काम अच्छी तरह करनेको कहता है तो उसे यह काम स्वय करके आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

आपको समझना चाहिए कि आप हिन्दू समाजकी गन्दगी दूर कर रहे है। इसलिए आपको अपने जीवन पवित्र बनाने है। आपको सफाईकी आदत डालनी चाहिए ताकि आपपर कोई भी उँगली न उठा सके। यदि आप साबुनका उपयोग नही कर सकते तो आप अपने शरीरको क्षारयुक्त राख या मिट्टीका उपयोग करके स्वच्छ बनाये। आपमे से कई लोगोको शराब पीने और जुआ खेलनेकी लत है यह आपको छोड देनी चाहिए। आप ब्राह्मणोकी ओर सकेत करेगे और यह कहेगे कि वे भी तो इन बुराइयोके शिकार है, लेकिन वे अपवित्र नही माने जाते परन्तु हम माने जाते है। आपको हिन्दुओसे यह न कहना चाहिए कि वे बराय मेहरबानी आपको आजाद करे। यदि हिन्दू आपको मुक्त करना चाहते है तो उन्हे अपने हितके लिए आपको मुक्त करना ही होगा। इसलिए आप स्वय पवित्र और स्वच्छ रहकर उनको लज्जित करे। मेरा विश्वास

१. गाधीजी ७ अप्रैल, १९२१ को नेलोरमें थे।

२. १३ अप्रैल, १९१९ को जलियाँवाला बागमें।

है कि हम अगले ५ महीनोके अन्दर अपना कलुष धो बहायेगे। यदि मेरी यह आशा पूरी नही हुई तो मै यह समझूँगा कि यद्यपि मेरा प्रस्ताव बुनियादी तरीकेपर सम्भव था, फिर भी मेरा अनुमान गलत था और मै एक बार फिर कहूँगा कि मैने अनुमान करनेमे भूल की थी।

आप अपनेको हिन्दू कहनेका दावा करते है, आप 'भागवत' पढते है, इसलिए यदि हिन्दू आप लोगोपर अत्याचार करे तो आपको यह समझना चाहिए कि दोष हिन्दू धर्ममे नही है, बल्कि उसके अनुयायियोमे है। आपको अपनी मुक्तिके लिए अपने आपको शुद्ध करना होगा। आपको शराबखोरी-जैसी बुरी आदते छोड देनी होगी।

यदि आप अपनी अवस्था सुधारना चाहते है, यदि आप स्वराज्य लेना चाहते है तो आपको अपने पैरोपर खडा होना चाहिए। मुझे बम्बईमे बताया गया था कि आपमे से कुछ लोग असहयोगके विरोधी है और सोचते है कि आपकी मुक्ति तो ब्रिटिश सरकारके हाथोसे ही सम्भव है। मै आपसे कहना चाहता हूँ कि हिन्दू धर्मको छोडकर अन्य किसी पक्षका अनुग्रह प्राप्त करके आप अपनी शिकायते कभी दूर नही करा सकेगे। आपकी मुक्ति तो स्वय आपके अपने ही हाथोमे है।

मै समस्त देशमे अछूतोके सम्पर्कमे आया हूँ, और मैने देखा है कि उनमे बहुतसी सम्भावनाएँ छिपी पडी है जिनका ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है, न स्वय उनको है और न अन्य हिन्दुओको। उनकी बुद्धि नितान्त शुद्ध है। मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सूत कातना और कपडा बुनना सीख ले और यदि आप इन दोनो कामोको अपना धन्धा बना लेगे तो गरीबी आपके दरवाजेपर न फटकेगी। भगियोके प्रति आपका जो रुख है उसके सम्बन्धमे मैने गोधरामे[1] जो कुछ कहा था उसे यहाँ दोहराता हूँ। मेरी समझमे नही आता कि आप ढेडो और भगियोके बीच भेदका समर्थन क्यो करते है। उनमे तो कोई भेद नही है। साधारण समयमे भी उनका धन्धा ऐसा ही प्रतिष्ठापूर्ण है, जैसा वकीलोका या सरकारी नौकरोका।

आप अब थालियोका जूठन लेना बन्द कर दे। वह साफ-सुथरी हो तो भी न ले। आप केवल अन्न, सो भी अच्छा साफ-सुथरा, ग्रहण करे, सडा हुआ नही, और वह भी केवल तब, जब वह आपको शिष्टतासे दिया जाये। यदि मैने जो-कुछ कहा है सब आप कर सके तो ४ या ५ महीनोमे ही नही, बल्कि ४–५ दिनमे ही आप मुक्त हो जायेगे।

हिन्दू स्वभावत पापी नही है — वे अज्ञानमे डूबे हुए है। अछूतपन इस सालमे ही मिट जाना चाहिए। मेरी दो सबसे बडी इच्छाएँ जिनके कारण मै जीवित हूँ, ये है अछूतोकी मुक्ति और गायोकी रक्षा। जब मेरी ये दोनो इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी तभी स्वराज्य मिल जायेगा और उन्हीकी मुक्तिमे मेरा मोक्ष भी निहित है। ईश्वर आपको इतनी शक्ति प्रदान करे, जिसकी सहायतासे आप अपने मोक्षके उपायका अनुसरण कर सकें।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २७–४–१९२१ तथा ४–५–१९२१

१ देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ७०-७१।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १
असहयोगपर कांग्रेसका प्रस्ताव[1]

चूंकि काग्रेसके विचारसे भारतकी वर्तमान सरकारने देशका विश्वास खो दिया है, और

चूंकि भारतके लोग अब स्वराज्य स्थापित करनेके लिए कृतसकल्प है, और

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके पिछले विशेष अधिवेशनसे पूर्व भारतकी जनताने जो तरीके अपनाये उन तरीकोसे वह अपने अधिकारो और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समुचित मान्यता नही दिला सकी और न ही अपने प्रति किये गये बहुतसे गम्भीर अन्यायो — विशेषकर खिलाफत और पजावके सम्बन्धमे किये गये अन्यायोका निराकरण करा सकी,

इसलिए यह काग्रेस कलकत्तामे आयोजित विशेष अधिवेशन द्वारा पास किये गये अहिसात्मक असहयोगके प्रस्तावकी पुन पुष्टि करते हुए घोषित करती है कि अहिसक असहयोगकी योजनाको — जिसमे एक ओर तो सरकारसे स्वेच्छापर आधारित सारे सम्बन्ध तोड लेने है और दूसरी ओर कर देना बन्द कर देना है — पूर्णत या उसके किसी एक हिस्सेको या एकाधिक हिस्सोको भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस या अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित समयपर कार्यरूप दिया जायेगा और इस बीच देशको उसके लिए तैयार करनेकी दृष्टिसे कारगर कदम उठाते रहना चाहिए, जो निम्नलिखित है

(क) १६ सालसे कम उम्रके स्कूली बच्चोके माता-पिताओ और अभिभावकोसे (स्वय बच्चोसे नही) अपने बच्चोको ऐसे स्कूलोसे हटानेका अधिक प्रयत्न करनेको कहना चाहिए, जो सरकारी है या सरकारी अनुदानसे चलते है या जिनपर किसी तरहका सरकारी नियन्त्रण है। साथ ही उनसे अपने बच्चोकी शिक्षाकी व्यवस्था राष्ट्रीय स्कूलोमे करनेको कहा जाये। ऐसे स्कूलोके अभावमे जिन अन्य तरीकोसे इसकी व्यवस्था की जा सके उन तरीकोसे व्यवस्था करनेको कहा जाये।

(ख) १६ सालसे अधिक उम्रके विद्यार्थियोको, अगर वे ऐसा महसूस करते हो कि जिन सस्थाओमे उस शासन प्रणालीका आधिपत्य है जिसे समाप्त कर देनेका राष्ट्रने गम्भीर सकल्प किया है उन सस्थाओमे शिक्षा प्राप्त करना उनकी अन्तरात्माकी आवाजके खिलाफ है तो, ऐसी सस्थाओको जो सरकारके अधिकार या नियन्त्रणमे अथवा सरकारी अनुदानसे चलती हो, परिणामोकी कोई

१ काग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें ३० दिसम्बर, १९२० को पास किया गया प्रस्ताव।

परवाह किये बिना, त्याग देनेको आमन्त्रित किया जाये। और उन्हे असहयोग आन्दोलनके सिलसिलेमे कोई विशेष सेवा करने या राष्ट्रीय सस्थाओमे अपनी शिक्षा जारी रखनेकी सलाह दी जाये।

(ग) सरकारसे सम्बद्ध या सरकारी अनुदानसे चलनेवाले स्कूलोके न्यासियो, प्रबन्धको और शिक्षकोका तथा नगरपालिकाओ और स्थानीय निकायोका इन स्कूलोको राष्ट्रीय रूप देनेके लिए आह्वान किया जाये।

(घ) वकीलोसे वकालत बन्द करने और अपना ध्यान राष्ट्र सेवापर केन्द्रित करनेके लिए अधिक प्रयत्न करनेके लिए कहा जाये। वकीलो द्वारा अदालतोका बहिष्कार तथा आपसी झगडोका पच-फैसलेसे निपटारा भी इस राष्ट्र-सेवामे शामिल है।

(ङ) भारतको आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र और आत्म-निर्भर बनानेके लिए सौदागरो और व्यापारियोको आमन्त्रित किया जाये कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारका बहिष्कार करे, हाथ-कताई और हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन दे तथा उस दृष्टिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नामजद विशेषज्ञोकी एक समिति द्वारा आर्थिक बहिष्कारकी एक योजना तैयार की जाये।

(च) और चूंकि असहयोगकी सफलताके लिए आत्म-त्याग आवश्यक है, इसलिए आम तौरपर देशके प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक स्त्रीका इस राष्ट्रीय आन्दोलनमे अधिकसे-अधिक आत्म-त्याग करनेके लिए आह्वान किया जाये।

(छ) असहयोगकी प्रगतिमे तेजी लानेके लिए प्रत्येक गाँवमे या कुछ गाँवोके समूहमे एक-एक समिति सगठित की जाये और इन समितियोके ऊपर प्रत्येक प्रान्तके मुख्य नगरमे प्रान्तीय स्तरके केन्द्रीय सगठन बनाये जाये।

(ज) भारतीय राष्ट्रीय सेवा नामसे एक सगठन स्थापित किया जाये जिसके लिए राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओका एक दल तैयार किया जाये।

(झ) उपर्युक्त राष्ट्रीय सेवा सगठन तथा आम तौरपर पूरे असहयोग आन्दोलनकी आर्थिक जरूरत पूरी करनेके लिए अखिल भारतीय तिलक-स्मारक स्वराज्य कोष नामसे एक राष्ट्रीय कोष प्रारम्भ करनेके लिए कारगर कदम उठाये जाये।

राष्ट्रने असहयोग कार्यक्रमको पूरा करनेकी दिशामे अबतक जो प्रगति की है, और खास तौरसे मतदाताओ द्वारा परिषदोके बहिष्कारके रूपमे जो प्रगति हुई है, उसके लिए यह कांग्रेस राष्ट्रको बधाई देती है और दावेके साथ कहती है कि जिन परिस्थितियोमे इन परिषदोकी रचना हुई है उनके कारण वे देशका प्रतिनिधित्व नही करती, और साथ ही कांग्रेसका विश्वास है कि निर्वाचकोके एक बहुत बडे बहुमतके जान-बूझकर निर्वाचनमे शामिल न होनेके बावजूद जो लोग चुनाव लडकर सदस्य बने है वे परिषदोकी सदस्यता छोड देगे और अगर वे लोकतन्त्रके सिद्धान्तकी सीधी उपेक्षा करके अपने-अपने निर्वाचकोकी ऐसी स्पष्ट इच्छाके बावजूद परिषदोमे अपने स्थान

नही छोडते तो निर्वाचक लोग ऐसे सदस्योसे कोई राजनीतिक सेवा न माँगनेपर आग्रह रखेंगे।

यह काग्रेस पुलिस तथा सैनिको और जनताके बीच बढते सद्भावका अनुभव कर रही है, और इसे आशा है कि पुलिस तथा सैनिक लोग अपने धर्म तथा देशके मुकाबले अपने अधिकारियोके आदेशोको तरजीह नही देंगे तथा लोगोके साथ शिष्टता और प्रेमका व्यवहार करके उनके ऊपर अबतक लगाये जा रहे इस कलकको धो देंगे कि अपने ही लोगोकी भावनाओ तथा अनुभूतियोके लिए उनके मनमे कोई खयाल नही है।

यह काग्रेस सरकारी नौकरी करनेवाले सभी लोगोसे अनुरोध करती है कि जबतक राष्ट्र अपने-अपने पद छोडनेके लिए उनका आह्वान न करे तबतक वे जनताके साथ अपने व्यवहारमे अधिक दया और ईमानदारी बरतकर राष्ट्रके काममे सहायता पहुँचाये और सार्वजनिक सभाओमे कोई सक्रिय भाग तो न ले किन्तु खुले आम और निर्भीक होकर उनमे शामिल हो, वे खास तौरसे राष्ट्रीय आन्दोलनको खुले आम आर्थिक सहायता देकर राष्ट्रके काममे मदद पहुँचाये।

यह काग्रेस असहयोग प्रस्तावके एक अभिन्न अगके रूपमे अहिसापर विशेष जोर देती है और लोगोका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि आपसी व्यवहारमे कर्म और वचन दोनो तरहसे, अहिसा बरतना उतना ही जरूरी है जितना कि सरकारके साथ अपने व्यवहारमे, और इस काग्रेसका विचार है कि हिंसाकी भावना न केवल लोकतन्त्रकी सच्ची भावनाके विकासके विरुद्ध है, बल्कि वस्तुत (जरूरत पडनेपर) असहयोगकी किन्ही अन्य अवस्थाओको लागू करनेके मार्गमे भी बाधक है।

अन्तमे, खिलाफत और पजाबके साथ किये गये अन्यायोका निराकरण कराने और 'एक वर्षके भीतर स्वराज्य स्थापित करनेके' उद्देश्यसे यह काग्रेस सभी सार्वजनिक सस्थाओसे, चाहे वे काग्रेससे सम्बद्ध हो या न हो, अनुरोध करती है कि वे सरकारके साथ अहिसक व्यवहार और असहयोगको ही बढावा देनेपर अपना ध्यान केन्द्रित करे, तथा चूँकि असहयोग आन्दोलन लोगोके बीचमे परस्पर पूर्ण सहयोग रहनेपर ही सफल हो सकता है, इसलिए यह काग्रेस सभी सार्वजनिक सगठनोको हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढावा देनेके लिए आमन्त्रित करती है तथा इस काग्रेसके सभी हिन्दू प्रतिनिधि प्रमुख हिन्दुओको ब्राह्मणो और अब्राह्मणोके बीच जहाँ-कही भी विवाद हो वहाँ उसे निपटा देनेके लिए और हिन्दू धर्मके माथेपर लगे अस्पृश्यताके कलकको धो डालनेके लिए आमन्त्रित करते है और धार्मिक अगुओसे अनुरोध करते है कि दलित वर्गोंके प्रति किये जानेवाले व्यवहारके मामलेमे हिन्दू धर्मको सुधारनेकी बढती हुई इच्छाको कार्यरूप देनेमें वे अपना योगदान करे।

[अग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३५ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

परिशिष्ट २

खिलाफतपर वाइसरायका भाषण[1]

सज्जनो,

आजकी इस सन्ध्या-वेलामे आपसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और साथ ही इस बातके लिए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान परिस्थितियोके सम्बन्धमे मुस्लिम समाजकी ओरसे एक और प्रार्थनापत्र मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है। आपको यह याद दिलानेकी जरूरत नही, हालाँकि यह शायद याद दिला देने लायक बात है, कि मैं और मेरी सरकार आपकी माँगे महामहिमकी सरकारके ध्यानमे बार-बार लाती रही है। इस सवालपर यूरोपमे जो शान्ति सम्मेलन होते रहे है, उनके सामने भी हम आपकी बाते रखते रहे है। क्या आपको यह स्मरण करा दूँ कि शान्ति सम्मेलनकी प्रारम्भिक अवस्थाओमे भारत मन्त्रीने तथा जो दो सज्जन उस समय शान्ति सम्मेलनमे भारतका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होने आपके पक्षकी बडी जबरदस्त वकालत की। ये दो सज्जन थे, लॉर्ड सिन्हा और बीकानेरके महाराजा। चूँकि इन सज्जनोको आपके समाजके प्रतिनिधि नही कहा जा सकता था इसलिए मैंने कुछ अन्य सज्जनोसे भी शान्ति सम्मेलनमे जाकर मुसलमानोके पक्षकी वकालत करनेको कहा। ये थे — महाविभव आगाखाँ, श्री आफताब अहमद और श्री युसुफ अली। इनकी बात सुनी भी गई। मैंने सिर्फ इतना ही नही किया है, बल्कि आपके समाजके किसी भी हिस्सेने मेरे पास जो भी प्रार्थनापत्र भेजा है प्रत्येकको मैं भारत मन्त्रीके पास भेजता रहा हूँ। और न केवल अपनी सरकारके दफ्तरी कागज-पत्रोके सहारे, बल्कि स्वय तार भेजकर भी ऐसे प्रत्येक प्रार्थनापत्रमे कही गई बातोका हम समर्थन करते रहे है। इस प्रकार मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि शुरूसे लेकर आखिरतक और जब असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उससे भी पहलेसे सरकारके रूपमे हम सब और उस सरकारके प्रमुखके रूपमे मैं आपकी माँगोका जोरदार समर्थन करता आया हूँ — और समर्थन सिर्फ महामहिमकी सरकारके सामने ही नही, बल्कि शान्ति सम्मेलनके समक्ष भी। आपके पक्षको न केवल पर्याप्त रूपसे, बल्कि इस तरहसे पेश किया जा सके, जिससे आपको सन्तोष हो, इस दृष्टिसे हम कुछ भी उठा नही रखे, ऐसा सोचकर हमने अनौपचारिक तौरपर कुछ सज्जनोसे फिर कहा है कि वे आपका पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए यूरोप जाये। ये सज्जन है — महाविभव आगा खाँ, श्री हसन इमाम और श्री छोटानी। श्री छोटानीके सचिवकी हैसियतसे डा० अन्सारी भी उनके साथ जायेगे।

१ यह भाषण २४ फरवरी, १९२१ को कलकत्तामें बगाल विधान-मण्डलके निर्वाचित मुस्लिम सदस्योंके एक शिष्टमण्डलके सामने दिया गया था। सदस्योंने टर्कीकी शान्ति-सन्धिकी शर्तोंमें परिवर्तन करनेकी माँग की थी।

मेरा खयाल है, हमने जो कुछ किया है और करनेका प्रयत्न किया है, उसके इस वृत्तान्तसे आपको यह प्रतीति हो जानी चाहिए और मुझे आशा है कि आपको ऐसी प्रतीति हो जायेगी कि आपके पक्षका समर्थन करनेके लिए हमने अपने तई कुछ भी उठा नही रखा है। इस समय लन्दनमे क्या हो रहा है, यह मुझे मालूम नही है। जो सम्मेलन आदि हो रहे है उनके सम्बन्धमे भी मुझे न तो सरकारी तौरपर कोई जानकारी मिली है और न निजी तौरपर ही, लेकिन मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरम्भसे अन्ततक हमने आपके पक्षका समर्थन किया है और उसके लिए हम इस तरह लडे है कि हमने वडी सरकारको जो पत्रादि लिखे है उन्हे आपके सामने रखनेमे मुझे अगर स्वतत्रता होती तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हे देखकर सन्तुष्ट हो जाता।

अन्तमे एक वार फिर मै आपके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपके प्रार्थनापत्रोके पक्षमे मै जो कुछ भी कर सकता हूँ, अन्ततक वह सव करनेको कृत-सकल्प हूँ।

[अग्रेजीसे]

स्पीचेज बाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड, खण्ड २, पृष्ठ ५८०–८१

परिशिष्ट ३

असहयोगपर वाइसरायका भाषण[१]

अध्यक्ष महोदय और सज्जनो,

यह चौथा अवसर है जव मुझे कलकत्ता क्लवके आतिथ्यका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पाँच सालकी अवधिकी समाप्तिपर किसी भी व्यक्तिके लिए पीछे मुडकर इस वातपर विचार करना स्वाभाविक ही है कि उसने जो-कुछ किया उसमे क्या गलतियाँ की और करने लायक कौनसे कार्य न करके उसने भूले की। सो इस तरह विचार करते हुए मुझे खेदके साथ कहना पडता है कि १९१७ मे जव आपने कृपा करके मुझे अपना अतिथि वननेको निमन्त्रित किया था, उस समय श्री मॉन्टग्युके साथ मै जो काम कर रहा था उसमे व्यस्त रहनेके कारण मै आपका कृपापूर्ण निमन्त्रण स्वीकार नही कर सका। अगर उस समय मैने आपका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया होता तो आज यह कह सकता कि मै जिस वर्ष भी कलकत्ता आया, हर वर्ष आपके आतिथ्यका सौभाग्य प्राप्त किया। मुझे आशा है कि आप मेरे उत्तराधिकारीको भी इसी तरह अपने आतिथ्यका सौभाग्य प्रदान करते रहेगे, क्योकि मै नही समझता कि वाइसरायको प्रमुख प्रतिष्ठित लोगोके सम्पर्कमे तथा ऐसे लोगोको वाइसरायके सम्पर्कमे लानेका इन वार्षिक भोजोसे अच्छा तरीका कोई और भी हो सकता है। अप्रैल

१. यह भाषण लॉर्ड चेम्सफोर्डने २३–२–१९२१ को अपने सम्मानमें कलकत्ता क्लवमें दिये गये भोजके अवसरपर दिया था।

१९१६ मे वाइसरायका कार्य-भार सँभालनेपर मै अनौपचारिक तौरपर थोडी देरके लिए कलकत्ता आया था, लेकिन जैसा कि मैंने उस समय भी कहा था, मेरी यात्राका उद्देश्य इस पुरानी राजधानीमे अपना आगमन-भर सूचित कर देना था। और आज जव मै आपसे विदाई लेने आया हूँ, तव भी मेरे लिए ज्यादा समय देना सम्भव नही हुआ है। फिर भी मै आगा करता हूँ कि आप महानुभावोने, जो कलकत्ताके है, मेरे वार-वार कलकत्ता आनेसे अवश्य यह अनुभव किया होगा कि आपका यह महान नगर मुझे कितना पसन्द है, और आप इस वातका भी अनुभव करते होगे कि जिस तरह मेरे पूर्ववर्ती वाइसराय आपके वीच रहे, उस तरह मै न ह सका, इसका मुझे कितना दु ख है।

अव जव मै पीछे मुडकर गत पॉच वर्षोकी अवधिकी ओर देखता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि इस वीच काफी वडे परिवर्तन हुए है। एक पुरानी लैटिन कहावत हे कि जो समुद्र पार करता हे—अपना देश छोडता है, वह अपना आकाश तो वदल लेता है, लेकिन दिमाग नही वदलता। मै खुद नही मानता कि जव कविने ऐसा लिखा, उन दिनो भी यह वात सच रही होगी, क्योकि जिन लोगोको एक वदले परिवेशमे जाना पडता हे उन लोगोके दिमागपर परिवेश वहुत अधिक प्रभाव डालता है। हॉ, यह सिद्धान्त वेगक उन लोगोपर लागू नही होता जो ससद-भवनमे विरोधी दल-का स्थान छोडकर मन्त्रियोके स्थान ग्रहण करते है, क्योकि उस हालतमे स्वभावत वे पहली वार आलोचककी भूमिका छोडकर आलोचनाके पात्रोकी भूमिका सँभालते है। यह वात सभी स्थानोकी ससदीय सस्थाओकी एक सहज विशेपता है, लेकिन यह अनिवार्य है कि इस तरह जो आदमी पहली वार सरकारकी किसी कार्रवाईके कारणोसे परिचय प्राप्त करता हे, वह सरकारकी कार्रवाईका औचित्य उन दिनोकी अपेक्षा अधिक देख सकता हे जव वह तथ्योसे उतनी अच्छी तरह अवगत नही था और जव उसमे यह सोचनेकी प्रवृत्ति थी कि सरकार जो करती हे, वह ठीक हो ही नही सकता।

आपके क्लवके आतिथ्यका सोभाग्य प्राप्त करनेका मेरे लिए यह अन्तिम अवसर है। फिर भी, आज हम जिस उथल-पुथलकी स्थितिसे गुजर रहे हैं, उसके मम्वन्धमे अगर कुछ कहूँ तो आप क्षमा करेगे। आजकी रात जो आप यहाँ मोजूद है, मेरा खयाल है इम तथ्यको मै इस वातका द्योतक मान सकता हूँ कि आप सरकारके साथ सहयोग कर रहे है। आजकल केवल हमारे भारत देशमे ही अशान्ति नही छाई हे। सच तो यह हे कि दुनियामे आप जिधर भी नजर उठाकर देखिये सर्वत्र अगाति ही छाई हुई है। लेकिन तव आप स्वभावत ऐसा पूछ सकते है हॉ, यह तो माना कि सर्वत्र अशान्ति है, लेकिन वर्तमान स्थितिके सम्वन्धमे आपकी नीति क्या हे? मुझे यह स्थिति जैसी दिख रही हे, उसका वर्णन मै अव सक्षेपमे कर दूं। मेरा खयाल है कि जिन लोगोने सरकारके साथ सहयोग करनेसे इनकार कर दिया है ऐमा उन्होने मोटे तौरपर इस कारण किया है कि वे मानते है कि मै और मेरी सरकार—दोनो शैतानी है। लेकिन मुझे खुशी हे कि मुझमे अव भी हास्यकी वृत्ति शेप है। मेरे कार्यकालमे मेरे लिए वहुत-से विशेपणोका प्रयोग किया गया हे, लेकिन "शैतानी" विशेपणसे तो एक नई ही चीज सामने आती है। इस विशेपणसे जुडी विशेपताओको मै अपने लिए

तो सर्वथा असगत मानता ही हूँ, किन्तु आजकी स्थितिमे, जबकि प्रान्तीय सरकारोकी जिम्मेदारी विशेप रूपसे भारतीयोके हाथमे है और केन्द्रीय सरकारकी भी बहुत-कुछ जिम्मेदारी भारतीयोके हाथोमे ही है, सरकारके लिए ऐसा विशेपण चुनना निश्चय ही एक बिलकुल गलत चुनाव प्रतीत होना चाहिए। लेकिन, खैर हम आगे बढे। सुधारोका शुभारम्भ कर दिया गया है और सरकारकी जिम्मेदारी बहुत अशोतक भारतीयोको सौप दी गई है। फिर यह कैसी विचित्र बात है कि वे ही लोग, जो वर्पोसे सरकारके सूत्र सचालनमे अधिकाधिक हिस्सेकी माँग करते रहे है, आज बच्चोकी तरह मचलते हुए उस जिम्मेदारीको स्वीकार करनेसे इनकार कर रहे है। अभी कुछ ही दिन पहले पढते समय मेरी नजरोसे एक अमरीकी चौपदा गुजरा। इस प्रसगपर मुझे उसकी याद हो आई है। चौपदा इस प्रकार था

"अम्मा, क्या मैं तैरने जा सकती हूँ?
हाँ प्यारी बिटिया, क्यो नही,
अपने कपडे हिकरीकी डालपर रख देना,
लेकिन पानीके पास मत जाना।"

जहाँतक असहयोगियोका सम्बन्ध है, मुझे तो यही लगता है कि इस चौपदेमे पूरी स्थितिका सार निहित है। और अब असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धमे हमारी नीति क्या है, इसपर दो शब्द कहूँगा। सुधार और नई परिपदे हमारी नीतिके मुख्य आधार हैं। अब सरकारकी जिम्मेदारीमे भारतीय भी हाथ बँटा रहे है, इसलिए मेरा खयाल है कि सरकारका इस आन्दोलनको रोकनेके लिए भारतीयोसे सहायताकी अपेक्षा करना उचित ही होगा। असहयोगका प्रसार प्रचार-द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए, हम अग्रेजो और भारतीयोके लिए शोभनीय यही है कि हम उसका प्रतिकार भी प्रचारके द्वारा ही करे। जहाँ-कही लोगोको कोई शिकायत होती है, असहयोग आन्दोलन उसका लाभ उठाता है। तो इस हालतमे हमारे लिए उचित यही है कि हमसे जहाँतक बन पडे उन शिकायतोको दूर करनेकी कोशिश करे। जो लक्ष्य सामने रखकर असहयोग आन्दोलन शुरू किया गया था, उनमे से बहुत-से लक्ष्य प्राप्त नही हो सके है। केन्द्रीय विधान सभामे अभी पिछले ही दिन एक प्रश्नका जो उत्तर दिया गया, उससे प्रकट होता है कि लोगोका खिताब छोडनेके लिए जो आह्वान किया गया था, उसका उनपर कितना कम असर हुआ है। केन्द्रीय विधान सभा और प्रान्तीय परिपदोका अस्तित्व भी इसी बातको सिद्ध करता है कि इस मामलेमे भी असहयोगके प्रणेता जो चाहते थे वह नही हो सका। मुझे दु ख है कि बहुतसे ऐसे लोग भी है, जिन्होने परिपदोमे अलग रहना ही अपने लिए ठीक माना है। अगर परिपदोको उनका सहयोग प्राप्त होता, अगर उनकी कार्यवाहीमे उन व्यक्तियोके विचारोका लाभ भी प्राप्त होता तो यह परिषदोके हकमें बहुत अच्छा होता, फिर भी यह तो एक वास्तविकता है ही कि परिपदे गठित हुई और अच्छे सदस्योसे गठित हुई तथा काम भी अच्छा कर रही है। अफगानिस्तानकी हिजरतके सिलसिलेमे भी असहयोगको लागू करनेकी कोशिश की गई थी। इस हिजरतके कारण इतने लोग मौतके मुँह गये, लोगोकी

इतनी तवाही हुई कि मेरा खयाल है, अव कभी ऐसी कोशिश की जानेकी गुजाइश नही रह गई हे। भावुक लडकोको स्कूल छोडनेको प्रेरित करनेमे इस आन्दोलनको कुछ समयके लिए सफलता अवश्य मिली, लेकिन यहाँ भी इस भावुकताकी लहरके समाप्त होते ही विद्यार्थी वहुत वडी सख्यामे अपनी-अपनी कक्षाओमे वापस पहुँच गये है। इसलिए हमने जो नीति अपनाई है, उसकी सफलताके सम्वन्धमे भरोसा रखनेका हर कारण हमारे सामने मौजूद है। लेकिन वर्गोके वीच, विशेपकर शिक्षित वर्गोके वीच विफल होकर असहयोगी अव अपना ध्यान सर्व-साधारणपर केन्द्रित कर रहे है। लेकिन हमे यहाँ भी सर्वसाधारणको सही रास्ता दिखानेके लिए सगठित प्रयास करना है।

वर्तमान समस्याका एक और भी पहलू हे, जो मुसलमानोसे सम्वन्धित है। टर्कीकी शान्ति सन्धिकी शर्तोपर गौर करनेके लिए जो सम्मेलन होते रहे है, उनके सामने मुसलमानोके विचारो और भावनाओको लानेके लिए मैने जितनी कोशिश की है, उससे अधिक कोई नही कर सकता, और टर्कीकी शान्ति सन्धिकी शर्तोके प्रति मैने जितनी नापसन्दगी जाहिर की है, उतनी और कोई नही कर सकता — शायद कोई मुसलमान भी नही। इसलिए मेरा कहना है कि जो मुसलमान टर्कीकी शान्ति सन्धि-की शर्तोसे नाराज होकर असहयोग आन्दोलनमे शामिल हो गये है, उनके प्रति विशेप प्रेम-भाव और सहानुभूतिसे पेश आनेका हर कारण हमारे सामने मौजूद हे। लेकिन कोई घडी हमारी ऐसी भी आ सकती है जव हमारी नीति विफल हो जाये, और हमारे सामने दो ही विकल्प रह जाये या तो व्यवस्था वनाये रखे या अराजकता फैल जाने दे। ऐसी हालतमे सरकारके सामने तो एक ही रास्ता होगा कि वह व्यवस्थाके पक्षमे कार्रवाई करे। तव हम सभी जिम्मेदार लोगोको व्यवस्थाके पक्षमे खडे होनेको कहेगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमे नई परिपदे एक सक्रिय भूमि-का निभायेगी। सरकारकी हेसियतसे हम सारे तथ्य उनके सामने पेश कर देगे, कुछ भी छिपा कर नही रखेगे। और मुझे विश्वास है कि जव हम यह सिद्ध कर देगे कि ऐसी स्थिति आ गई हे कि चुनाव सिर्फ व्यवस्था और अराजकताके वीच ही करना हे तो उसकी एक ही प्रतिक्रिया होगी, वह यह कि "आप देशमे व्यवस्था कायम रखनेके लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक समझेंगे, उसमे हम आपका समर्थन करेगे।"

कलकत्ताकी मेरी यह अन्तिम यात्रा है, और मुझे लॉर्ड रोनाल्डशे तथा उनके सहयो-गियोके प्रति भी अवश्य ही आभार प्रकट करना चाहिए। वगाल सरकारने मेरी सर-कारके साथ जिस वफादारीसे सहयोग दिया है, उसके लिए भी मै आभारी हूँ। उसके प्रशासनमे जैसी वुद्धिमत्ता तथा सूझ-वूझ प्रकट होती है वह भी ध्यान देने योग्य वात है और लॉर्ड रोनाल्डशेका मेरे प्रति जैसा मैत्री-भाव रहा है, उन्होने मुझे जैसा सहयोग दिया है, उसके लिए मै उन्हे व्यक्तिगत रूपसे धन्यवाद देता हूँ। हमारे वीच समय-समय-पर मतभेद भी हुए होगे, किन्तु इन मतभेदोसे वफादारी-भरे सहयोगकी उस आम नीतिके महत्वमे कोई कमी नही हुई, जिस नीतिका अनुभव लॉर्ड रोनाल्डशे और उनके सहयोगी मुझे वरावर कराते रहे है।

[अग्रेजीसे]

स्पीचेज वाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड, खण्ड २, पृष्ठ ५७४–८१

सामग्रीके साधन-सूत्र

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजात-का केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

सावरमती सग्रहालय पुस्तकालय तथा आलेख सग्रह जिनमे गाधीजीके दक्षिण आफ्रिकी कालके और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

'अमृतवाजार पत्रिका' कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'आज' वनारससे प्रकाशित दैनिक।

'ट्रिब्यून' अम्वालासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'नवजीवन' (१९१९–१९३१) गाधीजी द्वारा सम्पादित अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक, जो कभी-कभी सप्ताहमे दो बार भी निकलता था, यह 'नवजीवन अने सत्य' (१९१५–१९१९) नामक गुजराती-मासिकके रूपको बदलकर निकाला गया था, जिसका पहला अक ७ सितम्बर, १९१९ को निकला। १७ अगस्त, १९१९ से इसका हिन्दी सस्करण भी प्रारम्भ किया गया था।

'वॉम्वे क्रॉनिकल' वम्वईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'यग इडिया' (१९१९–१९३१) अहमदावादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक। सम्पादक, मो० क० गाधी, प्रकाशक, मोहनलाल मगनलाल भट्ट।

'लीडर' इलाहावादसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'सर्चलाइट' पटनासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू' मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'मधपुडो' आश्रम विद्यालय, सावरमतीकी हस्तलिखित पत्रिका।

पजावके उपद्रवोके सम्वन्धमे काग्रेसकी रिपोर्ट — एक गुजराती अनुवाद।

पश्चिम वगाल सीक्रेट पुलिस रेकर्ड्स।

पुलिस एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ इन्टैलिजेस, पजाव।

वॉम्वे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३५वे अधिवेशनकी रिपोर्ट, दिसम्वर १९२०।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, स्वराज्य आश्रम, वारडोली।

'वापुना पत्रो मणिवहेन पटेलने' (गुजराती) सम्पादक, मणिवहेन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद।

'महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी' (अग्रेजी) मो० दी० गो० तेन्दुलकर, झवेरी ऐड तेन्दुलकर, वम्वई १९५१–४, आठ जिल्दोमे।

'महादेव भाईनी डायरी', खण्ड ५ (गुजराती) नरहरि परीख, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद।

'स्पीचेज वाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड', खण्ड २ (अग्रेजी) गवर्नमेंट मोनोटाइप प्रेस, शिमला १९२१।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१९ नवम्बर, १९२०– १३ अप्रैल, १९२१)

नवम्बर १९ 'बॉम्बे क्रॉनिकल'को लिखे अपने पत्रमें गांधीजीने उसकी इस रिपोर्टका खण्डन किया कि उन्होंने उर्दूको राष्ट्रीय लिपिके रूपमें अपनानेका समर्थन किया है।

नवम्बर २० झाँसीकी सार्वजनिक सभामें भाषण।

नवम्बर २१ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट।

नवम्बर २३ आगरामें सार्वजनिक सभा और विद्यार्थियोंकी सभामें भाषण।

नवम्बर २६ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी सभा तथा सार्वजनिक सभामें भाषण।

नवम्बर २८ इलाहाबादकी सार्वजनिक सभामें भाषण।

नवम्बर २९ महिलाओंकी सभा, इलाहाबादमें भाषण। एक अन्य भाषणमें गांधीजीने हिन्दुओंसे अली भाइयोंपर सन्देह न करनेको कहा।

नवम्बर ३० विद्यार्थियोंकी सभा, इलाहाबादमें भाषण।

दिसम्बर १ इलाहाबादमें तिलक विद्यालयके उद्घाटनपर भाषण।

दिसम्बर २ फुलवारी शरीफ और पटनाकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण।

दिसम्बर ३ विद्यार्थियोंकी सभा, पटनामें भाषण।

दिसम्बर ४ महिलाओंकी सभा, पटना तथा आराकी सार्वजनिक सभामें भाषण।

दिसम्बर ५ गयामें भाषण।

दिसम्बर ६ छपरामें भाषण।

दिसम्बर ८ मुजफ्फरपुरमें भाषण।

बेतियामें गो-रक्षापर भाषण।

'यंग इंडिया' में लिखी अपनी एक टिप्पणीमें गांधीजीने लॉर्ड रोनाल्डशे द्वारा 'हिन्द स्वराज्य' के सम्बन्धमें व्यक्त किये गये विचारोंपर चर्चा की और सच्चे स्वराज्यको मोक्षका पर्यायवाची बताया।

दिसम्बर ९ गांधीजीको यह खबर मिली कि प्रीवी कौंसिलकी न्याय समितिने कालिनाथ रायकी वह अपील खारिज कर दी है जो उन्होंने पंजाबकी फौजी अदालत द्वारा दी गई सजाके विरुद्ध दायर की थी।

गांधीजीने मोतीहारीमें भाषण दिया।

दिसम्बर ११ मुंगेरकी सार्वजनिक सभामें दिये गये भाषणमें गांधीजीने असहयोगका विस्तृत विवेचन किया।

दिसम्बर १२ भागलपुरमें भाषण।

दिसम्बर १३ कलकत्तामें नेशनल मदरसेके उद्घाटन समारोह तथा सार्वजनिक सभामें भाषण।

दिसम्बर १४ विद्यार्थियो की सभा, कलकत्तामे भाषण।

दिसम्बर १५ ढाकामे भाषण।

दिसम्बर १८ नागपुरकी सार्वजनिक सभामे भाषण।

दिसम्बर २२ डा० तेजबहादुर सप्रूकी वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषदमे विधि-मन्त्रीके पदपर नियुक्ति ।

नागपुरमे गाधीजीने बुनकर परिषद् व अन्त्यज परिषद्की अध्यक्षता की।

दिसम्बर २६ विजयराघवाचार्यकी अध्यक्षतामे काग्रेसका ३५ वॉ अधिवेशन नागपुरमे प्रारम्भ हुआ।

दिसम्बर २८ गाधीजीने विषय समितिकी बैठकमे काग्रेसके नये सिद्धान्तसे सम्बन्धित प्रस्ताव पेश किया।

बादमे खुले अधिवेशनमे उपर्युक्त प्रस्तावपर भाषण दिया।

दिसम्बर २९ लॉर्ड सिन्हाने बिहार और उडीसाके गवर्नरका कार्य-भार सभाला।

नागपुर काग्रेस अधिवेशनमे विदेशोमे प्रचार करनेके सम्बन्धमे बोलते हुए गाधीजीने कहा कि ब्रिटिश कमेटी और उसके पत्र 'इडिया' को बन्द कर दिया जाये।

दिसम्बर ३० काग्रेस अधिवेशनमे असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर भाषण।

दिसम्बर ३१ काग्रेस अधिवेशनमे तिलक स्मारक स्वराज्य कोषपर भाषण।

१९२१

जनवरी १ सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको 'नाइट' की उपाधि दी गई।

नागपुरमे गाधीजीने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा कार्यसमितिकी बैठकोमे भाग लिया।

जनवरी ६ छिंदवाडाकी सार्वजनिक सभामे गाधीजी द्वारा नागपुर काग्रेसके प्रस्तावोका स्पष्टीकरण।

जनवरी ९ लॉर्ड रीडिंगके वाइसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किये जानेकी घोषणा की गई।

जनवरी १० ड्यूक ऑफ कनॉट मद्रास पहुँचे।

जनवरी १२ गाधीजी द्वारा तैयार किया गया प्रान्तीय काग्रेस समितियोके नियमोका मसविदा 'यग इडिया' मे प्रकाशित हुआ।

ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा मद्रासमे नई विधान परिषदका उद्घाटन।

जनवरी १३ गुजरात महाविद्यालय, अहमदाबादके विद्यार्थियोके समक्ष भाषण

जनवरी १५ कर्नल तथा श्रीमती वैजवुड इग्लैड जानेके लिए मद्राससे कोलम्बो रवाना हुए।

जनवरी १९ नडियादमें गाधीजीने विद्यार्थियो, अध्यापको और व्यापारियोकी सभाओमे भाषण दिये।

वडतालकी सार्वजनिक सभा और साधुओकी सभामें भाषण। 'यग इडिया' मे बगाली नवयुवकोके नाम लिखे खुले पत्रमे गाधीजीने उनसे अहिंसामय असहयोग करने और कातना प्रारम्भ करनेका अनुरोध किया।

जनवरी २० विद्यार्थियोकी सभा, वम्वईमे भाषण।

जनवरी २३ कलकत्तामे चित्तरजन दासकी अध्यक्षतामे हुई विद्यार्थियोकी सभा तथा चित्तरजन दासके निवास स्थानपर हुई महिलाओकी सभामे भाषण।

जनवरी २६ व्यापारियोकी सभा, कलकत्तामे भाषण।

अपनी पुस्तक "हिन्द स्वराज्य" पर 'यग इडिया' मे लिखते हुए उन्होने वताया कि उसमे वर्णित स्वराज्यकी स्थापना करना आज मेरा ध्येय नही है।

जनवरी २७ कलकत्तामे तिलक राष्ट्रीय विद्यालयके उद्घाटन समारोहमे भाषण।

जनवरी २८ ड्यूक ऑफ कनॉट कलकत्ता पहुँचे।

जनवरी २९ कलकत्तामे स्नातकोत्तर छात्रो और कानूनके विद्यार्थियोकी सभामे भाषण।

जनवरी ३० गुजरॉवालामे पजाव-छात्रसभाने काग्रेसके असहयोग सम्वन्धी प्रस्तावके समर्थनमे प्रस्ताव पास किया।

गाधीजी, चित्तरजन दास और मुहम्मद अलीने उपर्युक्त सभाको उनके प्रस्तावके लिए वधाईका एक सयुक्त सदेश भेजा।

गाधीजी कलकत्ताके समीप वेलूरमठमे स्वामी विवेकानन्दकी वर्षगाँठ समारोहमे शामिल हुए।

फरवरी १ कलकत्तामे ड्यूक ऑफ कनॉटने वगालकी नई विधान परिषद्का उद्घाटन किया।

गाधीजीने कलकत्ताके मिर्जापुर चौक और विलिंगडन चौककी सभाओमे मॉण्टेग्यु चैम्सफोर्ड सुधारोपर असन्तोष प्रकट करते हुए भाषण दिया।

फरवरी २ से पूर्व ड्यूक ऑफ कनॉटको लिखे अपने पत्रमे गाधीजीने लिखा कि आपके स्वागतमे हिस्सा न लेना आपके विरुद्ध प्रदर्शन नही है, वल्कि उस प्रणाली-के विरुद्ध प्रदर्शन है जिसको वल देनेके लिए आप आये हुए हैं तथा पत्रमे आगे उन्होने उनसे असहयोगके उद्देश्यका अध्ययन कर उसे समझनेका अनुरोध किया।

फरवरी ४ कलकत्तामे राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्घाटनपर भाषण।

फरवरी ६ पटनामे विहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्घा-टनपर तथा सार्वजनिक सभामे भाषण।

फरवरी १० काशी विद्यापीठके शिलान्यासके अवसरपर भाषण।

फैजावादमे भाषण।

फरवरी १३ दिल्लीमे तिब्विया कालेजके उद्घाटनपर भाषण।

फरवरी १५ लाला लाजपतरायकी अध्यक्षतामे भिवानीमे हुए हरियाना ग्रामीण सम्मे-लनमे भाषण।

फरवरी १६ गाधीजीने रोहतकमे ग्रामीण सम्मेलनमे भाषण दिया, जाट स्कूल देखा तथा वैश्य हाई स्कूलका शिलान्यास किया।

फरवरी १७ कालीकटमे याकूब हसन तथा अन्य तीन लोगोको गिरफ्तार करके ६ महीनेकी सजा दे दी गई।

फरवरी १९ गाधीजी द्वारा गुजराँवालाकी सार्वजनिक सभामे भाषण।

फरवरी २० लाहौरके पास ननकाना साहवमे गुरुद्वारेपर कब्जा करनेके प्रयत्नमे महन्त नारणदासके अनुयायियो द्वारा १६० अकाली सिख मार डाले गये।

फरवरी २५ लायलपुरके पास श्रीमे ननकाना साहबकी दुर्घटनापर बोलते हुए गाधीजीन सिखोको गुरुद्वारोपर कब्जा करनेमे शान्तिसे काम लेनेकी सलाह दी।

फरवरी २६ लखनऊकी खिलाफत सभामे भाषण।

फरवरी २८ ड्यूक ऑफ कनॉट भारतसे रवाना हुए।

मार्च ३ गाधीजी शौकत अलीके साथ ननकाना साहब गुरुद्वारे गये तथा सिखोसे अपील की कि वे अपनी वीरता देशकी सेवामे लगाये।

मार्च ४ लाहौरके सिखोको ननकाना साहबकी दुर्घटनापर सन्देश भेजा।

मार्च ५ मुल्तानमे भाषण।

मार्च ८ जालन्धर नगरपालिका द्वारा गाधीजीको मानपत्र भेट।
होशियारपुर, हरियाना और अम्बालामे भाषण।

मार्च १६ बम्बईकी सार्वजनिक सभा तथा नेशनल कालेजमे भाषण।
'डेली हैरॉल्ड' के प्रतिनिधिसे भेट।
'यग इडिया' मे लिखते हुए तिलक स्वराज्य कोषके लिए ३० जून, १९२१ तक एक करोड रुपया इकट्ठा करनेका निश्चय किया।

मार्च १७ आर्वीमे भाषण।

मार्च १८ नागपुरमे भाषण।

मार्च १९ अमरावतीमे भाषण।

मार्च २० 'नवजीवन' मे सत्याग्रह सप्ताहको चर्चा करते हुए गाधीजीने लिखा कि यह सप्ताह शुद्ध तपश्चर्या, शुद्ध भक्ति और शुद्ध फकीरीका होना चाहिए।

मार्च २३ कटककी दो सभाओमे भाषण।
'यग इडिया' मे पारसियोके नाम लिखे अपने पत्रमे गाधीजीने उनसे देशमे चल रहे शराबबन्दी आन्दोलनको अपना सहयोग देनेकी अपील की।

मार्च २४ कटकमे मुसलमानोकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण।

मार्च २९ बरहामपुर नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रके उत्तरमे तथा सार्वजनिक सभामे भाषण।

मार्च ३० विजयनगरम्की सार्वजनिक सभामे भाषण देते हुए गाधीजीने हिन्दीको भारतकी राष्ट्रभाषा बनानेकी अपील की।
'यग इडिया' के अपने लेखमे गाधीजीने लिखा कि यदि काग्रेसके सविधानको ईमानदारीसे कार्यान्वित किया जाये तो वह सरकारको निकाल बाहर कर सकता है।

मार्च ३१ अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक, बेजवाडामे चार प्रस्ताव पेश किये।

अप्रैल १ लॉर्ड रीडिंग बम्बई पहुँचे।
बेजवाडा नगरपालिका परिषद द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमे भाषण।
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे भाषण।

अप्रैल २ लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारतसे रवाना हुए।
कोकोनाडामे नगरपालिका परिषद द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमे भाषण।

अप्रैल ३ राजमहेन्द्री और एलौरमे भाषण।

अप्रैल ५ मसूलीपट्टममें नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण।

अप्रैल ६ राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ हुआ। चिरलामें भाषण।

अप्रैल ७ नैलोरमें गांधीजीने तिलक विद्यालयका उद्घाटन किया और सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

अप्रैल ८ मद्रासकी सार्वजनिक सभामें भाषण देते हुए ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंसे प्रार्थना की कि वे एक दूसरेको समझने और मिलजुल कर रहनेका प्रयत्न करें।

अप्रैल १० बम्बईमें स्वराज्य सभा, भारतीय होमरूल लीग तथा केन्द्रीय खिलाफत समितिके तत्त्वावधानमें आयोजित सार्वजनिक सभामें भाषण।

अप्रैल १३ गांधीजीने 'यंग इंडिया' के अपने लेखमें लिखा कि यह आवश्यक है कि सब भारतीयोंका अपना एक झण्डा हो जिसके लिए हम जियें और मरें। अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें उन्होंने घोषणा की कि "हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जो रामराज्य जैसा हो", इसके बाद उन्होंने दलित वर्ग सम्मेलनमें भाषण दिया।

शीर्षक सांकेतिका

विविध

५९०

सांकेतिका

अ

आ

घ

च

छ

ज

झ

ट

ठ

भ

म

ल

व

श

स